

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)



नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Index/अनुक्रमणिका

01.	Index/ अनुक्रमणिका	02
02.	Regional Editor Board / Editorial Advisory Board	07/08
03.	Referee Board	09
04.	Spokesperson	11
05.	Low Hardness of RO Water and Its Drawback	12
	(Deepak Parmar, Dr. Sheetal Gulati, Dr. Archana Kushwaha)	
06.	A Critical Analysis of the Impacts of Covid- 19 on the Development of Research	16
	(Dr. Vibha Nigam)	
07.	Different Levels and Forms of Workers' Participation in Management in India (Dr. Reena Jain) ...	18
08.	What is Humanism? (Shirly Singh)	22
09.	Women Empowerment in Present Scenario (Dr. Anuradha Tiwari)	24
10.	Ethnobotany: Some plants used for Agricultural Tools by Bheel Tribal Farmers of Dhar	27
	district, Madhya Pradesh, India (Dr. Kamal Singh Alawa)	
11.	Jaggery and Its Benefits (Dr. Rajesh Masatkar)	30
12.	Entrepreneurship and Governmental Support : With special reference of Mukhyamantri	32
	Yuva Udhayami Yojna in Neemuch District, MP (Ruchi Kandara, Dr. L.N. Sharma)	
13.	Process of Bagh Printing in M.P. (Dr. Amrita Rajput)	35
14.	The Message of Sanskrit Literature for Humanity (Dr. Seema Sharma)	38
15.	Shobhaa De- A Multitalented Persona (Pratibha Sharma)	40
16.	The Perception of Dr BR Ambedkar Regarding the Problems of Small Agricultural	42
	Land Holdings (Dr. Prabhakar Mishra)	
17.	Long Term Behavior and Relationship Between Solar Parameters And Geomagnetic Activity	44
	(Dr. Lokendra Kumar Borker, Dr. S.K. Khandayat)	
18.	Social Pandemic: A major theme of <i>Untouchable</i> by Mulk Raj Anand	47
	(Dr. Sehba Jafri, Dr. Veena Kurre)	
19.	COD and CO ₂ measurement and UV-Vis spectral analysis during mineralization process of	50
	Azure A Dye (Dr. David Swami)	
20.	India- ASEAN and COVID -19 (Dr. Krishna Rai Chouhan)	53
21.	Liquid Liquid Extraction and Bulk Liquid Membrane Transport of Transition Metal Ions	55
	(Fe ³⁺ , Co ²⁺ , Ni ²⁺ , Cu ²⁺ , Zn ²⁺) Using Schiff Base Derived Cyclic Ionophore (Shital Joshi)	
22.	Study of Occupation related Health Hazards among Coal Miners in Damini Colliery,	61
	Shahdol District, M.P. India (Pragya Dubey, A.N. Sharma)	
23.	<i>Morus alba</i> : A Systematic Review on its Ethno-Medicinal Properties (ShailBala Sanghi)	66
24.	A Study Of Feature Extraction Techniques for ASR	69
	(Shweta Rathore, Monika Soni, Ashwingsingh Tomar)	
25.	Coordinates based Keying Scheme for WSN Security	73
	(Monika Soni, Shweta Rathore, Ashwingsingh Tomar)	
26.	बांद्राभान: धार्मिक व्यापार का प्रमुख केंद्र (विनोद राय)	78
27.	जनजातीय समाज में विधवा पुनर्विवाह (डॉ. मनीषा आमटे)	81
28.	रोजगार के विकल्प के रूप में कृषि क्षेत्र (श्रीमती कलावती हारोडे)	83
29.	देवगढ़-मदारिया क्षेत्र (मेवाड़) की भौगोलिक-ऐतिहासिक स्थिति का परिचयात्मक अध्ययन	85
	(डॉ. हेमेन्द्र सिंह सारंगदेवोत)	
30.	कृषि बिलो का विश्लेषात्मक अध्ययन (डॉ. संजय जौहरी)	91
31.	शिक्षित जनजातियों में शैक्षणिक स्थिति का आकलन (धार जिले के संदर्भ में) (डॉ. भूरसिंग सोलंकी)	93
32.	आधुनिक कला के बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न कलाकार 'गगनेन्द्रनाथ ठाकुर व सतीश गुजराल' (डॉ. ऋचा जैन)	94
33.	शमशेर की कविताओं में काव्य सौन्दर्य : विविध राग (प्रो. मोहन पुरी)	97
34.	कोविड 19 और भारतीय समाज (डॉ. ज्योति सिंह)	101
35.	मध्यप्रदेश में कृषि विकास और रोजगार (डॉ. खुमेश सिंह ठाकुर, डॉ. गेंदालाल मालवीय)	103
36.	बृहत्त्रयी में वैदिक चिन्तन के तत्व (डॉ. पी.एस. बघेल)	107
37.	विदेशी मुद्रा भण्डार : आर्थिक विकास का आधार (डॉ. राजेश कुमार सिंह तिवारी)	110

38.	21वीं सदी में वस्त्र उद्योग (यासमीन बानो, डॉ. अरविन्द प्रकाश)	112
39.	कोरोना काल में साहित्य की उपादेयता (डॉ. गायत्री वाजपेयी)	116
40.	भारत में अपर्याप्त सेवा व दोषपूर्ण सामग्री पर अपभोक्ता अधिकार: एक अध्ययन	119
	(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के विशेष संदर्भ में) (डॉ. अजय कुमार गुप्ता)	
41.	अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अस्पृश्यता से बढ़ते अपराध (जबलपुर जिले की पाटन तहसील के	123
	विशेष संदर्भ में) (सुरेन्द्र कुमार अहिरवार)	
42.	वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाल विवाह : समस्या और समाधान (डॉ. आभा तिवारी)	126
43.	वेदों में वर्णित राजव्यवस्था की वर्तमान में प्रासंगिकता (डॉ. लाखन सिंह शाक्य)	129
44.	रतलाम जिले में रेशम उत्पादन का लागत - लाभ विश्लेषण (डॉ. लक्ष्मण परवाल, दीपिका शर्मा)	133
45.	मानव संसाधन (जनसंख्या) के संदर्भ में उदयपुर एवं जोधपुर जिले का तुलनात्मक अध्ययन	138
	(1981-2011 ई.) (डॉ. हेमन्द्र सिंह सारंगदेवोत)	
46.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक विचार : एक अध्ययन (डॉ. प्रदीप कुमार चतुर्वेदी)	142
47.	मानव द्वारा विकास या विनाश उत्तराखंड त्रासदी के संदर्भ में (मनीषा चौहान)	145
48.	तेजेन्द्रव शर्मा की कहानियों में नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण (कमला नरवरिया)	147
49.	राजगढ़ जिले में सहकारी दुग्ध समितियों द्वारा दुग्ध संकलन एवं विपणन प्रबंधन तथा लाभदायकता विश्लेषण	150
	(डॉ.आर.के.जैन, दिलीप कुमार गोस्वामी)	
50.	भारत-चीन सम्बन्ध (डॉ. सुरेखा रेगे)	157
51.	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के राजनीतिक विचार : एक अध्ययन (डॉ. प्रदीप कुमार चतुर्वेदी)	162
52.	वक्रोक्ति - स्वरूप और संवेदना (डॉ. विजय कलमधार)	164
53.	हुसैन के चित्रों में महात्मा की उपस्थिति (अरविन्द कुमार)	166
54.	हिन्दी साहित्य के विकास में प्रवासी लेखकों का योगदान (डॉ. ज्योति सिंह)	169
55.	कोरोना महामारी का अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव के सम्बन्ध में एक अध्ययन (डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध)	173
56.	भीष्म साहनी का हिन्दी साहित्य को योगदान- एक समीक्षात्मक अध्ययन (डॉ. प्रभा शर्मा)	175
57.	अनुसूचित जनजाति के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन : अलीराजपुर जिले ...	179
	के विशेष संदर्भ में (डॉ. प्रियंका जमरा)	
58.	महिलाओं में बढ़ता हृदय रोग का खतरा एक विश्लेषण (डॉ. आराधना श्रीवास)	182
59.	समकालीन भारतीय चित्रकला पर प्रगतिशील कलाकारों का प्रभाव (आरा, सूजा, रजा और हुसैन	184
	के सन्दर्भ में) (अरविन्द कुमार)	
60.	आत्मनिर्भर होती स्त्री (डॉ. पार्वती ब्याग्रे)	188
61.	कोविड- 19 संकट एवं हमारी शिक्षा व्यवस्था (डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध)	190
62.	वाल्मीकीय सुन्दरकाण्ड का कालिदास के साहित्य पर प्रभाव (डॉ. उमाशंकर)	192
63.	डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक चिंतन (डॉ. कुमुद श्रीवास्तव)	194
64.	दलित समाज और मानवाधिकार (डॉ. मंजुलता चौधरी)	198
65.	ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय और शिक्षक -प्रभावशीलता (डॉ. हर्षा क्षीरसागर)	200
66.	छत्तीसगढ़ के व्यंजन (श्रीमती गायत्री तिवारी, डॉ. अंजू तिवारी)	203
67.	भारत में उद्यमिता विकास की भूमिका एक अध्ययन (डॉ. राकेश बघेल)	205
68.	सेबी के कार्य एवं शक्तियाँ (अंकित खरे)	208
69.	महिला शोषण एवं घरेलू हिंसा एक अध्ययन (श्रीमति चित्रमाला भिमटे)	211
70.	विभिन्न राज्यों में वस्तु एवं सेवा कर की स्थिति (डॉ. जयराम बघेल)	214
71.	बाँछड़ा समुदाय की स्त्रियों के प्रति बाँछड़ा समुदाय के पुरुषों के व्यवहार का अध्ययन (नीमच जिले के	217
	विशेष संदर्भ में) (डॉ. मनु गौरहा, दीपक कारपेन्टर)	
72.	बालको के विकास में शासकीय योजनाओं की भूमिका का अध्ययन (कमल कृष्णानी)	220
73.	म.प्र.उच्च शिक्षा में निजी महाविद्यालयों का महत्व एक अध्ययन (डॉ. राकेश बघेल)	223
74.	दुष्यंत कुमार के काव्य में सामाजिक यथार्थ (डॉ. आशा शरण)	226
75.	राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोकदेवता (डॉ. यशोदा मेहरा)	228
76.	हिन्दी पत्रकारिता का बदलता स्वरूप और मीडिया (सुमन सिसौदिया, डॉ.मंजुला जोशी)	231
77.	भिलाला जनजाति के लोकगीतों में नवचेतना (डॉ. गुलाबसिंह डावर)	233
78.	Medicinal Plants Used in Arthritis Disease (Dr. Kanchan Vaidya)	235

79.	Bamboo Composites –Ecofriendly Future Technology (Dr. Avinash Dube, Dr. Kumud Dubey) ...	237
80.	The Universality of Shakespeare With the Biographical and Historical Interpretation of His Plays (Dr. Pallavi Sharma Goyal)	239
81.	Race, Class and Gender: A Critical Study of the Selected Short Stories from <i>The Thing Around Your Neck</i> and <i>Arranged Marriage</i> from Womanist Aspect (Sujata)	241
82.	An Analysis of Goods and Services Tax (GST) Collection Prior and Post Covid19 Pandemic (Dr. Sunil Advani)	246
83.	Impact of Aatma Nirbhar Bharat: A Futurist Overview (Dr. Manohar Das Somani, Kaushal Kumar)	248
84.	Virtual Class Room Reference in Government College Madhya Pradesh (Ashvin Singh Tomar, Shweta Rathore, Monika Soni)	252
85.	The Role of Social Media in Promoting Women Entrepreneurs in COVID-19 (Gopal K. Rathore, Garima Trivedi, Janvi Sharma)	254
86.	Elderly Persons in India: Problems & Policies (Dr. Sushma Saini, Dr. Abha Saini)	260
87.	Ministry of Defence Fighting With Covid-19 Pandemic with Special Emphasis on Indian Navy Along with Significant Psychological Impacts (Santosh Ambhore, Upma Bhimte)	264
88.	Positron Annihilation : The Enhancement Factor in Metals (V.K. Ojha, J.C. Arya)	269
89.	निजीकरण - आलोचनात्मक अध्ययन (डॉ. अनिल तौहेल)	272
90.	वर्तमान समय में पं० दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की प्रासंगिकता (विक्रान्त पंवार)	274
91.	आधुनिक युग के कबीर परसाई जी के व्यक्तित्व का विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. सुनीता यादव)	276
92.	कला में धर्म का आविर्भाव : एक अध्ययन (डॉ. मंजुला निंगवाल)	279
93.	शिक्षा वेदाङ्ग में वर्णोच्चारण विवेचन (डॉ. हिम्मतलाल शर्मा)	281
94.	आयुर्वेद : जैन आगम साहित्य के आईने में (डॉ. रूपेन्द्र मुनि अरोड़ा)	283
95.	रहस्यरामायण की सोमनाथव्यासकृत रहस्यदीपिकाटीका (श्रीमती प्रतीक्षा)	285
96.	भारत में उच्च शिक्षा का ऐतिहासिक विकास (डॉ. अनिल तौहेल)	287
97.	शस्य गहनता एवं शस्य संयोजन : जिला नरसिंहपुर का भौगोलिक अध्ययन (कु. मिताली पॉल)	289
98.	सुकन्या समृद्धि खाता योजना - निवेश का एक बेहतर विकल्प (कु. दीपिका यादव, डॉ. विजय ग्रेवाल)	292
99.	सन् 1857 ई. के समर में 'भोपावर' छावनी (डॉ. आकाश ताहिर)	296
100.	राजस्थान की जनजातियों की सामाजिक प्रथाएं (भील जनजाति के विशेष संदर्भ में) (शीतल डामोर)	298
101.	A Painful History of Partition of India in Bapsi Sidhwa's Novel, <i>Ice-Candy-Man</i>	300
	(Sumiyyah Arif, Dr.Subhra Rajput)	
102.	बड़वानी विधानसभा की वर्ष 2008, 2013 एवं 2018 की स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन (कु. प्रेमा डावर) ...	303
103.	भिलाला वर्ग का राजनैतिक वर्चस्व और उसके कारण (डॉ.ओमना खर्त)	305
104.	खरगोन जिले की 6 विधानसभाओं के सन् 2008, 2013 एवं 2018 के निर्वाचनों का संक्षिप्त विश्लेषणात्मक ... अध्ययन (कु. प्रेमा डावर)	307
105.	Pedagogical Challenges in Present Scenario of Higher Education: An Overview (Namrata Pathania, Dr. B. S. Jaswal)	310
106.	भिलाला वर्ग उपजाति की अपेक्षा अन्य जनजाति की पिछड़ेपन की समीक्षा (डॉ. ओमना सेनानी)	314
107.	ठोस अपशिष्टों के प्रबंध हेतु न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्देश - समाधान एवं चुनौतियां (डॉ. नवीन सक्सेना, डॉ. रेखा साहू)	316
108.	आर्थिक विकास हेतु सतत विकास की अवधारणा के अनुरूप संसाधन- प्रबंधन का विश्लेषण (जगेन्द्र धोटे)	319
109.	Critical Analysis of Fairy Tales with Language and Style (Mrs. Jyoti Jain)	321
110.	Aspects of History in William Dalrymple's ' <i>City of Djinn</i> s' (Rinku Hiran)	323
111.	Phytoplankton Diversity in Berach River at Chittorgarh, Rajasthan India (Poonam Shrimali, Dr. O. P. Sharma)	325
112.	म.प्र. के निमाड़ अंचल के जनजातीय समाज का सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिदृश्य (डॉ. मुकेश भार्गव)	329
113.	Publicity by use of CSR fund in Calamities (Dr. Amar Vatnani, Mithun Barod)	331
114.	Protocols to face the pandemic & natural Disasters in apocalyptic Literature (Ms. Abha Chaturvedi) ...	335
115.	आत्मनिर्भर समाज और महात्मा गांधी का चिंतन : एक विवेचन (डॉ. अनिल प्रकाश श्रीवास्तव)	338

116. Rules Of Natural Justice In India: An Analysis With Respect To Its Non Applicability 341 In Some Areas (Dr. Dipak Das)	341
117. Law relating to Industrial design in india - A study (Mr. Lok Narayan Mishra)	345
118. वैश्विक महामारी कोरोना का पर्यावरण पर प्रभाव - एक अध्ययन (राजवती दीपांकर)	348
119. मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य मानवाधिकार आयोग की भूमिका - मध्यप्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के सन्दर्भ में (मुकेश मिश्रा, डॉ. एम. के. साहू)	351
120. Provisions for Regeneration of Women in India (Dr. Asmita Bhandari, Ms. Shweta Dhand)	354
121. Impact of Covid-19 on the Indian Economy (Dr. Shweta Uppadhyay, Mrs. Tanuja Singhal)	357
122. उपभोक्ता संरक्षण कानून विश्लेषणात्मक अध्ययन (श्रीमती नीति निपुणा सक्सेना)	360
123. निशक्ता : व्यावहारिक समस्याएं एवं विधि (श्रीमती ज्योति पांचाल मिस्त्री)	364
124. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों का बदलते बैंकिंग परिदृश्य में अध्ययन (कु. दीपक यदु, डॉ. प्रेमशंकर द्विवेदी)	369
125. Financial Awareness Among Different Age Groups of Investors (Ms. Chaitali B. Zare)	375
126. हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता और समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. इन्द्रजीत सिंह भाटिया)	379
127. कृषक सम्पन्नता बढ़ाने के उपाय (डॉ. प्रवीण ओझा)	383
128. अनुवर्ग शिक्षण विधि का सम्प्रत्ययात्मक बोध व शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव तथा सहसंबंध का अध्ययन (डॉ. रतन कुमार भारद्वाज, भागीरथ रैगर)	385
129. Bhabani Bhattacharya's Novel So Many Hungers !, Socio-Political and Economics Situations of Bengali's Society (Dharmendra Kumar, Dr. Suman Gupta)	389
130. Journey of Legal Aid in India (Sangeeta Choudhary (Mehta), Dr. Pratibha Chaudhary)	392
131. Higher Education : A Challenge for Disabled Students of Uttrakhand (Sagheer Ahmad)	396
132. कोविड- 19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव (डॉ. प्रमीला बघेल, डॉ. मोहन निमोले)	398
133. The Insurance Industry in India: SWOT Analysis of the Players	400
(Dr. Mohammad Sajid, Jyoti Pachori)	
134. A Study on Digital Marketing and its Impact (Sanjay Payasi, Dr. Prasann Jain)	405
135. Resilience, Emotional labor and Adversity Quotient in Professionals: A study	407
(Dr. Vimal Sharma, Dr. Shraddha Sharma, Dr. Deepa Joshi)	
136. Overtones of Eco-Feminism in Selected Works of Margret Atwood	412
(Prerna Chouhan, Dr. Sarla Singla)	
137. भारत में मानवाधिकारों के बदलते आयाम : विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. सरिता डेहरिया मेहरा)	415
138. रामायणकाल में विधवा की स्थिति (डॉ. पंकज कुमार सिंह)	418
139. COVID-19 and Employees' Mental Health: Stressors, Moderators and Organizational Actions ...	420
(Dr. Swati Mathur)	
140. A Case study on: Executive role in Private and Public Banking Industries	424
(Dr. Swati Choudhary)	
141. कवि प्रदीप के फिल्मेतर गीत और संवेदना (संदीप सिद्ध)	426
142. उज्जैन संभाग में उद्यमिता की स्थिति का अध्ययन (वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक)	430
(डॉ. रूपचंद चौहान)	
143. उद्यमिता विकास में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के योगदान का अध्ययन (उज्जैन संभाग के विशेष संदर्भ में) ...	433
(डॉ. रूपचंद चौहान)	
144. Screening of Ethnomedicinal plants for hepatoprotective activity in Raisen district M.P.	436
(Manish Soni, Amita Gupta, Pooja Choubey)	
145. किन्नर समाज और रीति-रिवाज़ (डॉ. डी.पी. चन्द्रवंशी)	439
146. Falling Standards in Teacher's Education: Issues and Challenges (Dr. Kuldeep Singh Tomar) ...	441
147. उदयपुर जिले में स्वयं सहायता समूह से महिला सशक्तिकरण (डॉ. नवल सिंह राजपूत, राकेश कुमार दाधीच) ..	444
148. दारूदी बोहरा समुदाय का वागड़ में सामाजिक और सांस्कृतिक उपागम (जयदीप सिंह राठौड़)	447
149. नई सदी के साहित्य में आदिवासी स्त्री विमर्श : संजीव के उपन्यासों के विशेष संदर्भ में (सीमा मेनारिया)	450
150. मौर्य साम्राज्य द्वारा बौद्ध धर्म का संरक्षण, संवर्धन एवं उसका विन्ध्य क्षेत्र पर प्रभाव (डॉ. सरोज सिंह)	452
151. भारतीय समाज में महिलाओं की भागीदारी (एतिहासिक एवं राजनीतिक)	454
(डॉ. ऋतु सेन, डॉ. अलीमा शहनाज सिद्धीकी)	

152. स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों की भागीदारी-एक विश्लेषण (प्रो. विजयसिंह मंडलोई)	456
153. बेजोड़ हस्ती- 'संत कबीर दास' (डॉ. तृष्णा शुक्ला)	459
154. Road Networking with Neighbouring Urban Centers of Gudli-Dabok and Umarda Growth	461
Centre of Udaipur City (Raj.) (Varsha Chundawat, Prof. Seema Jalan)	
155. उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों का जीवन कौशल के प्रभाव के प्रति जागरूकता का अध्ययन.....	467
(डॉ. खेल शंकर व्यास, शीला सालवी)	
156. महिला श्रम एवं रोजगार रीवा शहर के विशेष सन्दर्भ में (निगार फातिमा)	469
157. हिंदी के संत और भक्त कवियों की दृष्टि में भगवद विमुखता (डॉ. श्याम पाल मौर्य)	471
158. नगर विकास में नगर निगम के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन- जबलपुर एवं इन्दौर जिले के विशेष	473
संदर्भ में (लोकेश कुमार पटले, डॉ. राजकुमार गौतम)	
159. भारत में क्षेत्रीय दलों का उदय एवं केन्द्रीय सरकार के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का अवलोकन	476
(भास्कर दुबे)	
160. An Analysis of Services Rendered by Private and Public Sector General Insurance	479
Companies in India (Dr. P. K. Sanse, Ekta Pandey)	
161. Role of Zinc in Health and Diseases: A Review (Dr. Shobha Gupta)	484
162. बालकों के विरुद्ध यौन अपराध - एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. प्रमोद कुमार)	486
163. सपने, संघर्ष और चुनौतियों के बीच आज की हिन्दी कविता (उमेश कुमार विश्वकर्मा)	488
164. प्रगतिवादी भावना में आरसी प्रसाद सिंह का योगदान (डॉ. जयराम त्रिपाठी)	491
165. Effect of Certain Plant Powders Against Adults of Lesser Grain Borer	494
<i>Rhizopertha dominica</i> (Fab.) (Leena Shrivastava)	
166. Temples of Beneshwar Island (Dr. Nimesh Kumar Choubisa)	498
167. Capacity Building for Biodiversity Conservation: Human Rights and Constitutional Aspect.....	500
(Dr. Jolly Garg, Dr. Shobha Gupta)	
167. NEP 2020 to Bridge Missing Academic Perspective in Higher Education in India	504
(Dr. Mani Bansal, Dr. Anuj Kumar Agarwal)	
168. On Some Properties of mMtric F- Structure Satisfying $F^{k+1} + F^k = 0$ (Lakhan Singh, Devendra Pal)	507
169. कोविड- 19 में बढ़ती घरेलू हिंसा का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (अनिता टॉक, डॉ. एच. एन. व्यास)	509
170. वैश्विक शान्ति में रासायनिक हथियार निषेध संगठन का योगदान (डॉ. सुमनलता पाण्डेय)	512
171. Reasons of Out-Migration of Dawoodi Bohra's of Udaipur City: A Qualitative Approach	514
(Dr. Shagufta Saify)	
172. Food insecurities Faced by Women and Girl Children in South Asia	518
(Lt. Dharmendra Kumar, Dr. Lokendra Singh)	
173. Effect of Variation of Secondary X-Ray Flux on Environment (Shubhra Tiwari)	520
174. नए धार्मिक आन्दोलन (डॉ. नीलम कांत)	523
175. Examining the Impact of Peer Groups on Food Preferences among College Girls:	526
A Comparative Study in Udaipur City, Differentiating Urban/Rural, Government/Private, Undergraduate/ Postgraduate Girls (Rashmi Manoj, Vinita Sharma)	
176. माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन.....	528
- शाजापुर जिले के सन्दर्भ में (डॉ. खेल शंकर व्यास, विवेक दुबे)	
177. Effects of Drugs, Alcohol & Tobacco in Relation to Sports Performance (Dr. Pravita Khatri)	531
178. भारतीय महिलाओं का प्रगतिपथ ओलम्पिक खेलों के संदर्भ में (डॉ. ममता)	534
179. Organic Photovoltaic Solar Cells and its Applications (Hitesh Kumar Midha)	537
180. भारत चीन सम्बन्धों में तनाव के नए उभरते हुए क्षेत्र (डॉ. श्यो चन्द बाकोलिया, अरविन्द कुमार)	539
181. भारत की शांतिप्रिय छवि निःशस्त्रीकरण और परमाणु कूटनीति (डॉ. मंजु मीणा)	542
182. Rural Development in India during Five Year Plan: An Analysis (Dr. Mukesh Chauhan)	545
183. Social Movements in India: Exploring Historical and Contemporary Movements for	549
Social Change (Dr. Sandhya Jaipal)	
184. Social Inequality in India (Dr. Anjali Jaipal)	552
185. लघु उद्योग का एक अध्ययन(आबिद हसन खान, कैशर परवीन)	555
186. खिलचीपुर राज्य के राव बाघसिंह और राव करणसिंह के शासनकाल का ऐतिहासिक अध्ययन (डॉ.ओमप्रकाश गेहलोत)	559

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Zare - Professor, Shri Shivaji Arts and Commerce College, Amravati (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhyay - Exam Controller, Govt. Kamalraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India
18. Prof. Dr. Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnood, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman, Commerce Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt., Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt., Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey - HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

Referee Board

- Maths** - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
- Physics** - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
- Computer Science** - (1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
- Chemistry** - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
- Botany** - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
- Life Science** - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
- Statistics** - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
- Military Science** - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
- Biology** - (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
- Geology** - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
- Medical Science** - (1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
- Microbiology Sci.** - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
- ***** Commerce *****
- Commerce** - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
(4) Naresh Kumar, Assistant Professor, Sidharth Govt. College, Nadaun (H.P.)
- ***** Management *****
- Management** - (1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
- Human Resources** - (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
- Business Administration** - (1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
- ***** Law *****
- Law** - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
(3) Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.)
- ***** Arts *****
- Economics** - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
(4) Prof. Dr. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- Political Science** - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
- Philosophy** - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
- Sociology** - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

- Hindi** - (1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
(3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(4) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
(5) Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- English** - (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
(2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
- Sanskrit** - (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
- History** - (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
- Geography** - (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
- Psychology** - (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
(2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
- Drawing** - (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
- Music/Dance** - (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
(2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
- ***** Home Science *****
- Diet/Nutrition Science** - (1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
(3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
- Human Development** - (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
- Family Resource Management** - (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
- ***** Education *****
- Education** - (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
(2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.)
(3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
(4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana)
(5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
- ***** Architecture *****
- Architecture** - (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
- ***** Physical Education *****
- Physical Education** - (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
(2) Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
(3) Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
- ***** Library Science *****
- Library Science** - (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gagraade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof. Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

Low Hardness of RO Water and Its Drawback

Deepak Parmar* Dr. Sheetal Gulati** Dr. Archana Kushwaha***

Abstract - At a time maximum people are educated and aware. Everyone wants to live in safe zone but some time our safe zone is becomes a danger zone for us. The study conducted to assess the water quality of RO water of city Nagdajn. The study includes the effect of low hardness on health of the people Samples were collected and the analysis was made involving some physical and chemical parameters. A comparative study was also done by the sample of RO water and normal water at different place at Nagda and Bhopal. A comparison with ISO standards showed that pH, TDS, salt, hardness, order etc. In the experiment Hardness of water are not in permissible limit which causes health hazards. It should be need the people are aware the minimum and maximum hardness value of drinkingwater. People should have idea about it. Most of the people are unknown to understand its drawback. The quality of water which is used for drinking is very dangerous .it should be controlled.

Keyword - RO water, Hardness of drinking water.

Introduction - Now a day's People are very aware to health. Because they are facing so many changes in the physical, chemical and biological characteristics of air, water and soil which are harmful for health. This is because day by day increased human population, industrialization, use of fertilizers and man-made activity. Water is highly polluted with different harmful contaminants Water is a very vital component of our eco-system because it binds us with our nature. In recent years, most of the water resources are degraded due to population, industrialization and urbanization, affecting the aquatic environment .Safe drinking water is the basic need of people. Ground and surface water are the source of drinking water supply municipalities treat water before distributing it to public for the possibility of the presence of microorganisms, toxic minerals metals, organic chemicals, pesticides etc. untreated drinking water is responsible for causing a no. of diseases world health organisation and Europe union guidelines are follow by municipalities

1. All substances present in water are not harmful for our health some of them are health improving too. Many doctors and nutritionists say that the presence of minerals in drinking water cause diseases like diabetes, cancer respiratory disease etc. and some doctors and nutritionist and WHO also says that against drinking demineralised water are that by distilling or reverse osmosis have lost a primary source of necessary minerals in our dirt and result of this deficiency of minerals


2. We use RO water in the different resource like branded water, in journey IRCTC water and by home supplier of RO

water. But we don't know that it is good or not. There are no any quality parameter are available on the bottle which can guide us its quality we use it because it is branded product.

Methodology - The water samples have been collected from shops, home supplier, IRCTC railway and normal drinking water. And the process is following.

Aim - To estimate the amount of total hardness present in the given sample of water by EDTA titration method.

Theory - EDTA (Ethylene diamine tetra acetic acid) forms colourless stable complexes with Ca^{2+} and Mg^{2+} ions present in water at pH = 9-10. To maintain the pH of the solution at 9-10, buffer solution ($NH_4Cl + NH_4OH$) is used. Eriochrome Black-T (E.B.T) is used as an indicator. The sample of water must be treated with buffer solution and EBT indicator which forms unstable, wine-red coloured complex with Ca^{2+} and Mg^{2+} present in water.



*Research Scholar, Rabindranath Tagore University, Bhopal (M.P.) INDIA

** Professor (Chemistry) Rabindranath Tagore University, Bhopal (M.P.) INDIA

*** Professor & Head (Chemistry) Govt. College Nagda Jn., Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

Experiment - water samples of RO water and normal water are checked in chemical laboratory of Grasim industries. Which give a reality of RO water and have low hardness and it is show that what the difference between normal and RO water.

Procedure:

- (i) Pipette out 100 ml of water into a conical flask.
- (ii) Add 5 ml of buffer solution and few drops of Eriochrome Black-T. The indicator, which is originally blue color would acquire a wine-red color.
- (iii) Titrate with 0.01 N EDTA solution taken in the burette, till the wine red color changes to blue which is the end point. Let the burette reading of EDTA be V2 ml.

S.	Vol. of Hard water taken (ml) V1	Burette Reading		Vol. of EDTA Consumed (TR)(V2 ml)
		Initial	Final	
1	100ml	0.00		
2	100ml	0.00		
3	100ml	0.00		

Hardness of water = $TR \times 0.01 \times 0.1 \times 1000000 / 100$

Where,

TR- titrate reading

CaCO₃ equivalent weight 0.1

Total hardness = _____ ppm

With the help this method we can find an idea of hardness level of water

The simple definition of water hardness is “the amount of dissolved calcium and magnesium in the water. Hard water is high in dissolved minerals, both calcium and magnesium. When hard water is heated, such as in a home water heater, solid deposits of calcium carbonate can form

Hardness is most commonly expressed as milligrams of calcium carbonate equivalent per liter. Water containing calcium carbonate at concentrations below 60 mg/l is generally considered as soft; 60–120 mg/l, moderately hard; 120–180 mg/l, hard; and more than 180 mg/l, very hard (McGowan, 2000).

There are same data of RO water and normal water from Nagdajn. At different places and its analysis report:-

Table (see in last page)

Medical drawback of low Hardness in drinking water:-

Role of magnesium and calcium in water - Calcium and magnesium are essential elements for our body. Calcium is part of our bones and teeth. It is also important in conducting myocardial system, heart and muscle contractibility, blood clotting etc. The most common disease caused by calcium deficiency is osteoporosis. Its deficiency has also been proved to cause hypertension.

Magnesium plays an important role in glycolysis, ATP metabolism, transport of elements such as potassium, sodium and calcium through membranes, synthesis of proteins and nucleic acids, muscle contraction etc. Its deficiency increases the risks to humans of developing various pathological conditions such as hypertension, cardiovascular diseases, vasoconstrictions, diabetes and

osteoporosis etc.

It has been found that drinking water low in magnesium for long term can cause increased morbidity and mortality from cardiovascular diseases, risks of motor neuronal disease, pregnancy disorder etc. Water low in calcium taken for long duration of time causes high risk of fracture in children, certain neurodegenerative diseases, preterm and low weight birth etc. Deficiency of both magnesium and calcium in drinking water can also cause some types of cancers.

Drawback of low mineral (RO) water on the intestinal mucous membrane -

It has been reported by WHO and other studies that drinking of demineralized water can cause electrolyte imbalance in body as all the minerals from such water are filtered off by semipermeable membrane in reverse osmosis or removed by distillation in distilled water. So this mineral free water in our body leaches electrolytes from our tissues, so that our body can function normally and can eliminate waste. If water redistribution process in our body is not functioning properly, one may feel fatigue, muscle cramps, weakness, headache and abnormal heart rate. In the past, acute health problems were reported in mountain climbers who used to drink water from melted snow that was not supplemented with necessary ions. More severe health problems arising from such condition are brain oedema, convulsions, metabolic acidosis etc.

Low intake of essential elements and micronutrients consuming RO water: Some essential elements are usually present in natural water as free ions and they are readily absorbed from water as compared to food. The epidemiological studies suggests that lower mineral drinking water leads to hypertension, coronary heart disease, pregnancy complications, gastric ulcers, goitre, jaundice, anaemia, fractures, growth disorders etc.

In laboratory rats, it has been found to result in much lower levels of microelements in muscular tissue and have negative effect on the blood formation process.

A study was conducted by Lutai in 1927, on two populations living in areas with different levels of dissolved minerals which have shown that the population of area supplied with water low in minerals had higher incident rates of these diseases. Children in this area exhibited slower physical development, growth abnormalities and the pregnant women suffered more from oedema and anaemia than those living in areas provided with water moderate in minerals.

Loss of calcium, magnesium and other essential elements in food prepared in low mineral water -

When demineralized water is used for cooking, it results in a great loss of essential elements from food i.e. about 60% magnesium and calcium, 70% manganese, 86% cobalt, 66% copper etc. However these losses in metal contents are not reported when the cooking is done in natural water. Since some nutrients are only ingested with food, low mineral water used for cooking may take away these nutrients from food and results in a striking deficiency in

these elements. So any factor that causes the loss of essential elements and nutrients during cooking and processing of food should be avoided as the diet these days taken by us already do not provide necessary elements in sufficient quantities.

Possible increase in dietary intake of toxic metals: Demineralised water is highly aggressive to materials it comes into contact with. So it readily dissolves metals and organic substances from the pipes, storage tanks, containers and other plumbing materials and thus it becomes contaminated. Thus the act of cleaning water with RO may end in addition of more harmful substances. Calcium and magnesium present in water and food have been found to have antitoxic activity and hence they can prevent the absorption of some toxic elements from the intestine into blood.

Bacteria contamination of low mineral RO water: In reverse osmosis process bacteria get filtered out by semipermeable membrane because of their usually larger size than the pores of the semi-permeable membrane and thus are drained out with waste water which is then rejected by the system. But, it is significant to point out that reverse osmosis drinking water systems are not bacteria proof. The system may have exposure to some bacteria prevailing in the environment. Bacterial contamination may occur during the actual processing of water in the system. The RO membrane can have defects making bacteria able to pass through it. Bacteria may sometimes enter the water through the seal that holds the RO membrane which then flourish in low mineral RO water due to the lack of a residual disinfectant present in natural water and great availability of leached nutrients. The regrowth of bacteria is encouraged in RO water due to the lack of a residual disinfectant present in natural water and great availability of leached nutrients in aggressive water particularly when it has high temperature. So in addition to reverse osmosis, we should also use ultraviolet purification system to eliminate bacteria completely from our water. There are reverse osmosis/ ultraviolet combined systems that are these days designed to confirm that no bacteria enter into drinking water.

High acidic nature of demineralized water - demineralized water which has no minerals, it can absorb other elements very easily. Theoretically, demineralized or reverse osmosis water should be neutral with pH value of 7. But, such water is Health Risks from Long Term Consumption of Reverse Osmosis Water 297 unstable in nature and hence readily absorbs carbon dioxide in the air when it comes in contact with air which makes the water acidic, hence more corrosive to pipes and storage tanks. Freshly demineralized water may reach pH as low as 5.5 in a short time. Acidic water is not healthy for drinking as it can lead to imbalance of pH in blood, which should be alkaline.

In the natural health and medical communities, acidosis in the body is considered an underlying cause for most of the degenerative diseases. Dr. Otto Warburg won the Nobel

Prize, in 1931 for discovering the cause of cancer. According to him cancer was caused by a lack of cellular oxygenation due to acidosis in the body. It has also been determined in various medical researches that drinking acidic water as well as other acidic beverages often cause an imbalance of minerals in the body.

Low mineral water increased diuresis i.e. the production of urine by the kidneys by 20% on average and significantly increased the elimination of sodium, potassium, calcium magnesium and chloride ions from the body as reported by WHO in a study.

Poor taste - Low mineral water or reverse osmosis water has low TDS so it tastes bitter. The demineralised water with a TDS of 25-50 mg/l has been described as tasteless by the World Health Organisation (WHO) in 1980, based on a study report. (WHO 2004 paper). RO water purifier manufacturers have become aware of this problem so these days some RO water purifiers have been fitted with a Cartridge called a remineraliser cartridge which is filled with purified alkali essential mineral salts of Calcium and Magnesium, through which the pure RO water is made to pass. As a result the pure RO water dissolves some of the essential minerals from this remineralisation cartridge to give RO water which does not taste bitter, have some essential minerals and is alkaline. However even this remineraliser cartridge cannot add all the essential nutrients present in natural water.

Less thirst reducing: Demineralised or reverse osmosis water is less effecting in satisfying thirst than water rich in minerals. (WHO 2004 paper) As a result lesser amount of water is consumed and hence tempts consumers to take other less healthy beverages such as soft drinks, carbonated water, tea, coffee etc. which adds to their calorie intake leading to obesity and in turn to many diseases.

Some critical contaminants are not removed - Reverse osmosis is effective for removing most of the contaminants from water but it alone does not remove volatile organic compounds (VOC), chlorine, chloramines, pharmaceuticals and other chemicals found in municipality water. The RO's efficiency to remove contaminants from water depends upon the concentration and chemical nature of contaminant, nature of membrane and the operating conditions. But these days R.O. systems have multistage filtration media, such as activated carbon, in addition to R.O. membrane which removes chlorine, VOC and certain pesticides.

Dental health - Reverse Osmosis also removes fluoride that natural water contains. Lack of fluoride in drinking water causes tooth decay and cavities in children. Some dentists relate the lack of fluoride in drinking water as a cause of an increased number of cavities in young children who consume distilled, RO or demineralised water.

Suggestion - In some place RO system are useful and it give a great result for removing impurities from water but in so many place there is no need to use of RO system. RO system cannot discriminate between the good and bad minerals as they remove everything. RO system should

maintain good minerals.

The filter required depends upon the source of your water. For the water supplied by municipality does not require to be cleaned by RO system unless the municipality adds fluoride to it.

People should aware its use in daily life and RO industry and RO water provider should try to find the way to make healthy water with minerals.

There is a new water filter (made in America) which is consist of two types of filters, activated carbon and zeolite minerals bound with polymers to form a carbon block. It removes 85% of fluoride at the rate of water flow rate 2 liters per minute and 95% if flow rate of water is reduced to 1 liter per minute. So problem of mixing of fluoride by municipality in water supply can be solved. We can use this type of idea

References:-

1. (2017) Health Risks from Long Term Consumption of Reverse Osmosis Water-Rummi Devi Saini ISSN 0973-1792
2. (2017) S. Hirahara and R. Santhanam, "On the average-case complexity of MCSP and its variants," in *Computational Complexity Conference (CCC)*, pp. 7:1–7:20.
3. (2002) K. Iwama and H. Morizumi, "An explicit lower bound of $5n \log n$ for Boolean circuits," in *Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science MFCS*, pp. 353–364
4. (2003) F. Kozisek, Health significance of drinking water calcium and magnesium, National institute of Public Health, February.
5. (2002) Sauvant M-P, Pepin D. Drinking water and cardiovascular disease. *Food Chem Toxicol*; 40: 1311-1325.
6. (2003) Monarca S, Zerbini I, Simonati C, Gelatti U. Drinking water hardness and chronic degenerative diseases. Part II. Cardiovascular diseases.(In Italian.) *Ann Ig*; 15: 41-56.
7. (2001) Sklyar EF, Amiragov MS, Berezkin SV, Kurochkin MG, Skuratov VM. Recovered water mineralization technique.(In Russian.)*AviakosmEkologMed*; 35(5): 55-59
8. (2013) R. Williams, "Improving exhaustive search implies superpolynomial lower bounds," *SIAM J. Comput.*, vol. 42, no. 3, pp. 1218–1244,
9. (2014) "Nonuniform ACC circuit lower bounds," *J.ACM*, vol. 61, no. 1, pp. 2:1–2:32, 2014.

Table

Parameter of water	Normal tap water	Braded RO water	Ordinary Home supplier'sRO water	IRCTC railway RO water	Home RO water
TDS	348 ppm	54.5ppm	90ppm	61PPM	55PPM
SALT	222ppm	39.2ppm	59.8ppm	48PPM	40PPM
PH	8.04	6.8	7.8	7.0	7.4
Coactivity	520µs	78.4µs	126.4µs	88.2µs	80.2µs
Hardness	210ppm	9ppm	30ppm	20ppm	12ppm
sweetness	No sweetness	Much sweetness	sweetness	sweetness	Much sweetness

Classification	mg/l or ppm	grains/gal
Soft	0 - 17.1	0 - 1
Slightly hard	17.1 - 60	1 - 3.5
Moderately hard	60 - 120	3.5 - 7.0
Hard	120 - 180	7.0 - 10.5
Very Hard	180 & over	10.5 & over

A Critical Analysis of the Impacts of Covid- 19 on the Development of Research

Dr. Vibha Nigam*

Abstract - The development of research during COVID – 19 times has been disrupted in myriad of ways where the long- term planned meetings between authorities and scholars were hung, the usual communication channel was disrupted due to the unplanned movement of people back to their hometowns. An uncertainty had encompassed the entire world where no one knew whether the alternative out of this shall be short or long- term. Since this issue is new in the field itself, a proper literature and methodology are missing. But one thing unanimously observed by the scholars all over the globe was the delay in working and submission of research projects due to the unprecedented barriers. Thus, this research paper tries to analyse the impact of COVID-19 in general and imposition of lockdown in particular on the research area. Then we attempt to analyse the solutions that were come up with to deal with these challenges and their varying effectiveness. We attempt to emphasise the need to make better use of technology in the field of higher education learning and research to deal with future challenges.

Keywords - research, crisis, challenges, impact.

Introduction - COVID- 19 caused a worldwide health crisis which impacted various walks of life including the research activities undertaken by higher education, research centres and research groups. To the extreme, there were researchers around the world forced to avoid physical contact with their guides or fellow researchers and stay in isolation which adversely affected their research related activities. This in many cases resulted in delay of research submission and sometimes in reduction of the research quality.

As a response to the pandemic, many research centres shifted their priority to the redesigning and adjusting of their research policies in order to continue the local impact. The researches which were hardest hit involved multidimensional approach of interaction between economy, society and its various aspects. It had also seen disruption in bureaucratic and diplomatic meetings which led to postponing of various national and international agreements that were to impact the research works undertaken. In order to deal with these new circumstances, many research-based organisations came up with special programmes that included research focusing on effects of COVID on various aspects of life in 2020.

A relatively new characteristic which was seen in this area was impact of the virus on the biodiversity which provided substantial evidence and sources to build a research on. COVID had also deeply impacted the economies around the world which added to the existing inflation and unemployment threats. An interesting evidence- based study proved that viruses like COVID or

Ebola are not random generations but a rather anthropogenic consequence on the eco system. Another crucial aspect of study has been the reduction in pollution levels specifically during the lockdown phase which led to investigation for the possible ambitious policies to move towards a sustainable society.

Given the multidisciplinary nature of the issue, there has been a motivation to move from sustainable to participatory research approach in order to magnify the impact of problem- focused research. A factor that COVID- 19 made visible for the entire world was the importance of transnational collaborations in the field of research. This could be achieved through amalgamation of local and global perspectives, data and technology sharing and making use of available resources for the cause of advancement of research.

While one can find numerous influences of COVID- 19, very few of them have been documented in published literature which also affected data collection and fieldwork procedures. Such hindrances could be aggravated by institutional incapacity towards modification. COVID is not a stopping point for such calamities given the climate change the entire world is facing and thus, institutions have to be prepared on infrastructural basis to adapt to change without causing severe damage to their progress.

Due to the restrictions placed by time and COVID circumstances, the findings of this research paper are based on e- journals and data that has been collected for the year 2020 from researchers and academicians coming from various fields of study. This has been done to provide a

heterogenous data for our study.

Findings - In order to understand the extent of COVID and lockdown which was imposed later on, we analyse the existing empirical results which have been collected in the due course through primary and secondary methods. An interesting aspect which came forward was the indication to the fact that COVID did disrupt the research process for around one to two weeks. It was also found that mass closure of universities and research institutions led to potential damage and loss of research work. The studies which required continuous observation of plants and animals to substantiate the results were found in danger due to this shutdown.

As per the guidelines of various institutions, onsite researches were reduced and focus was levied on the major contributing factors. Either rotation system was followed or only the leading researcher of the project was allowed on the onsite visit for data collection and observations. Across different research fields there has been a consensus regarding good infrastructure and facilities been provided by the institution which has shown a positive adaptability approach on a greater part. The major sources of data collection however remained the online reports and journal articles during the lockdown. The use of technology for the purpose of research could be seen on a surge as videoconferencing emerged as the main source of communication.

Another significant aspect of effects of COVID on research was found in the fact that majority of researchers and scholars found negative impact of COVID on their research. This happened due to their change of direction and approach of research as a COVID consequence. Most predominant negative impact resulted in delay and readjustment of the research schedule and program, meeting cancellations, and disrupted communication. There was also a shift in the working regime where one took time in adaptation to the new work environment and found a decrease in workload. The major challenge was faced by collaborative researchers who now had to deal with the reduced physical team work on the project. The support from the technical and administrative staff posed a problem in itself as the delivery of resources was a concern and many weren't equipped with the expertise in the use of those resources.

Other than these negative factors, many researchers also pointed at the positive side of improved relations at the workplace due to prolonged discussions with the teammates and creativity infused by the new working styles. Challenges during the pandemic emerged as the new drivers of adaptability, research agenda widening and new methods of research. The increased use of online resources is expected to continue in the future and thus has the potential to reduce carbon emission rates.

The crisis impacted the research area by widening the scope of study where many researchers have agreed to include COVID- 19 as a research topic. The research schedules shall now be more focused on creating extensive

IT- based communication technologies. The degree of impact, crisis will have in research field is unclear and the research institutions have to decide on the grant writings, costing support teams and working via online platforms.

Conclusion - This study aimed at providing better understanding of the impact of COVID on the research development. Due to the limitation proposed by the crisis, the research was based on secondary sources available on e- journals. Instead of only focusing on the end results impacted by the crisis, we focused on the changes which were caused in the research schedules and methodologies. This research has its sets of limitations since the research is not based on first hand data collection and runs the risk of being biased. Secondly, the impact was not analysed on any particular research field as we wanted to analyse a wider area approach. But since the information has been collected by the researchers from the academicians themselves these risks can be minimized. One prominent observation has been the inequality towards flexible work from home concept being adopted by institutions. It was also accepted by most scholars that COVID had led them to explore new angles of interpreting changes in wider complex systems. A step forward to low carbon economy was made by the virtual meetings and innovative collaborations. Scientific journals contributed in this area by making many research articles available for free access.

By the time this research paper might get published, there will be innumerable individuals at the risk of getting COVID-19 and thus, there is an urgent need to rethink our methods of data collection which require physical contact. Such methods need to be adopted that research becomes resilient to similar changes brought by the pandemic. A better use of existing technologies in the field of education has to be adopted as the severe challenges like the ones brought by COVID cannot be tackled with traditional methods. The scope of research can only be widened by adopting these methods and being flexible with the methodologies and work environment. The changing scenarios only substantiate to this argument.

References :-

1. Haleem, A., Javaid, M., Vaishya, R., & Deshmukh, S. G. (2020). Areas of academic research with the impact of COVID-19. *The American journal of emergency medicine*, 38(7), 1524-1526.
2. Harper, L., Kalfa, N., Beckers, G., Kaefer, M., Nieuwhof-Leppink, A., Fossum, M., & Bagli, D. (2020). The impact of COVID-19 on research. *Journal of pediatric urology*.
3. Omari, M. B., Eswaraka, J., Kimball, S. D., Moghe, P. V., Panettieri, R. A., & Scotto, K. W. (2020). The COVID-19 pandemic and research shutdown: staying safe and productive. *The Journal of clinical investigation*, 130(6).
4. Sein, M. K. (2020). The serendipitous impact of COVID-19 pandemic: A rare opportunity for research and practice. *International Journal of Information Management*, 55, 102164.

Different Levels and Forms of Workers' Participation in Management in India

Dr. Reena Jain*

Abstract - The basis of this study is anchored on the need to raise the productivity level of workers through appropriate motivational techniques. Involvement of workers in management decision making is considered as a means for inducing motivation in the workers leading to positive work attitude and high productivity. The study is also deemed desirable in view of the benefits of worker participation to the organization and the society at large. Worker participation has been seen as capable of providing workers conducive work environment, opportunity to exercise their innate potentials, and willingness to pursue the corporate goals of the organization.

Thus the present study is an attempt to know the mutual cooperation of employees in achieving industrial peace, greater efficiency and productivity in the interest of the enterprise, the workers, the consumers and the nation.

Introduction - Workers participation in management refers to the participation of non-managerial employees in the decision-making process of the organization. Workers participation gives employees the mental and psychological satisfaction and thereby increases their involvement in the affairs of the organization. It helps workers to look at the arena from a place of pride and importance; it helps them to know more about things that affect their daily lives. For harmonious industrial relation, not surprisingly in most countries WPM is being advanced as an important tool of joint consultation and collective decision- making.

Workers participation is a system where the workers get the rights to participate in decisions on issues which are of concern and workers like wages, working conditions, safety, welfare sharing of gain, production related aspects, incentives and allowances were considered to be legitimate areas of workers concern and therefore workers should be consulted when these are determined.

Concept of Workers' Participation in India - Workers participation in management is an essential ingredient of industrial democracy. It is distribution of social power industry so that the power is shared among all those who are engaged in work rather than Power Bank concentrated only in the hands of a few managers. Participation is a system of communication and consultation either formal or informal by which employees can express their opinions and ideas and contribute to the management decisions. Workers participation is a method of providing opportunities for all the members of organization to contribute his mental ideas along with the physical efforts towards the improvement of organizational effectiveness as well as enhancing his own economic welfare. Better participation and greater responsibilities in the decision-making process on the part of general workers will perhaps development

their organizational loyalty confidence trust involvement and a sense of responsibility towards supervisors, managers and the Organizations in general. traditionally the concept of workers participation in management refers to the participation of non managerial employees in the decision making process of organization workers participation in also known as labor participation or employee participation in management in Germany it is known as co-determination while in Yugoslavia it is known as self-management.

Participation refers to the mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share the responsibility of achievement. Participation in management gives the worker a sense of importance, pride and accomplishment it gives him the freedom of opportunity for self expression a feeling of belongingness with the place of work and a sense of workmanship and creativity.

Levels of Participation - There is no hard and fast rule as to which level of management, workers participation in management should be introduced. In fact participation is possible at all levels of management. The only difference is that of degree and nature of application. For example, it may be light or not so vigorous at the top level and may be very strong and vigorous at a lower level. A lot depends upon the nature of work, nature of functions', quality of manpower, strength of workers, attitude of trade unions, attitude of management and the organizational culture. There are other factors which are also responsible for the application of workers participation in management like the government policy on labour.

Industrial Acts, phases of trade cycle, economic and political stability and situation. Workers participation is more of a balancing situation. When there is more use of authority in decision making participation in management

*Assistant Professor, Shahid Bhagat Singh Govt. P. G. College, Jaora, Distt. Ratlam (M.P.) INDIA

will be negligible but when the use of authority is in small proportion, participation will be maximum. In between the two elements more use of authority and less use of authority the nature of participation will also depend upon the type of issues, attitude of employees, management culture and the past experience of management.

Broadly speaking there are five levels of workers participation in management.

1) Information participation Level - ensures that the employees are in a position to receive information and express their views pertaining to the matters of general and economic importance. The management depends upon the joint committee for informing the workers about the business conditions and also informs them about the various changes.

2) Associative participation level - In this level of participation members have the right to receive information discuss and give suggestions on the general and economic conditions of the organization like production, markets, finance and technology affecting the position of the organization or organizations profit and loss account. The workers have the right to receive information and discuss important matters like change in the methods of production, expansion of business or closing of a particular unit. The workers not only receive information and discuss the issues but when suggestions are made it is binding on the management.

3) Consultative Participation Level - In such level of participation workers are consulted on the matters of employee welfare such as work, safety, health and training. It involves a higher degree of sharing of views of the workers and giving them an opportunity to express their feelings and opinions. In this level of participation it is the management's prerogative to accept the suggestions of the workers given at the participative forum. Workers suggestions are only of advisory nature.

4) Administrative Participation Level - Administrative participation gives a greater degree of sharing of authority and responsibility of management functions. The issues taken at this level are welfare, safety, training, preparing work schedules, working hours, incentives, holidays and rewards for valuable suggestions. In this level of participation alternatives are given by the management and the workers select the best from those decided for smooth implementation and efficient administration.

5) Decisive Participation Level - This is the highest form of participation where decisions are taken jointly on the matters relating to production, welfare, economic, financial and administrative policies. Delegation of authority and responsibility of managerial functions for the workers is maximum at this level of participation. When participation is done at this level, it speaks of democracy and the democratic style of management. It also shows the faith and trust between management and the employees.

Forms of workers participation in India - The following participating forms are prevalent in India

- 1) Works committees
- 2) Joint management councils
- 3) Joint councils
- 4) Unit councils
- 5) Plant councils
- 6) Shop councils

Work Committees - These committees have been regarded as the most effective social institution of industrial democracy. The need for their constitution has been emphasized as early as 1931 by the Royal Commission on Labor.

It was again emphasized by the Industrial Truce Resolution on 1947, which recommended their constitution in each industrial undertaking for the settlement of any dispute which may arise in future. This recommendation was given effect to in the Industrial Disputes Act of 1947. Section 3 of the Act provides for these bodies in every undertaking employing 100 or more workmen. These committees are consultative bodies. Their functions include discussion of conditions of work like lighting, ventilation, temperature and sanitation etc., and amenities like water supply for drinking purposes, canteen, medical services, safe working conditions, administration of welfare funds etc.

Joint Management Council - For the success of Industrial Planning it was necessary to set up Joint Management Council in the industrial undertaking which will have representatives of Management Technicians and Workers. Joint Management Council can discuss issues related to lighting, ventilation, temperature, sanitation, drinking water, canteens, dining and rest rooms, medical and health services, safe working conditions, administration of welfare funds and recreational activities. The governments Industrial Policy resolution of 1956 stated that in a socialist democracy labor is a partner in a common task of development and should participate in it with enthusiasm, there should be joint consultation and workers and technicians should wherever possible be associated with management.

The objective of the Joint Management Council were to promote cordial relations between management and labor to build trust and understanding and also to increase productivity, secure effective welfare and other facilities to train workers and share responsibilities and in general to function as a consultative body. The Third Five year Plan desired that the Joint Management Council's become a normal feature of the industrial system, and integrate private enterprises into a socialist order.

Joint Councils - At every division/region/Zonal level, or as may be considered necessary in a particular branch of an organization / service employee 100 or more people, there shall be a joint council. Every decision of joint Council shall be on the basis of consensus and not by a process of voting; it shall be binding on the management and workers and shall be implemented within one month unless otherwise stated in the decision.

Functions :

- 1) Settlement of the matters which remains and resolved

- by the unit level councils and arranging joint meeting for resolving Inter Council problem.
- 2) Review of the working on the unit level Council for improvement in the customer services.
 - 3) Development of skills of workers and adequate facilities for trading.
 - 4) Improvement in the general conditions of work

Unit Councils - Encouraged by the success of the Joint Councils scheme in manufacturing and mining units, a new scheme of workers' participation in management in commercial and service organisations in the public sector, having large-scale public dealings, was announced on 5th January 1977. The scheme envisaged the setting-up of unit councils in units employing at least 100 persons. The organisations include hotels, restaurants, hospitals, air, sea, railway and road transport services, ports and docks, ration shops, schools, research institutions, provident fund and pension organisations, municipal and milk distribution services, trust organisations, all financial institutions, banks, insurance companies, posts and telegraph offices, the Food Corporation, State Electricity Boards, Central Warehousing, State Warehousing Corporations, State Trading Corporation, Mines and Minerals Trading Corporation, irrigation systems, tourists organizations, establishments of public amusement and training organizations of Central and state governments.

Features of the Scheme:

The main features of the scheme are:

- (i) A unit level council, consisting of representatives of workers and management of the organization/service, employing 100 or more workers, may be formed in each unit to discuss day-to-day problems and find solutions; but, wherever necessary a composite council may be formed to serve more than one unit, or a council may be formed department-wise to suit the particular needs of an organization/service.
- (ii) Every unit council shall consist of an equal number of representatives of the management and workers. The actual number of members should be determined by the management in consultation with the recognized union, registered unions or workers in the manner best suited to the local conditions obtaining in a unit or an organization; but their total number may not exceed 12.

It would be necessary to nominate suitable and experienced workers from various departments, irrespective of their cadre, affiliation or status, and not trade union functionaries who may not be actually working in the unit.

Plant Council - The plant council is formed in pursuance of the recommendations of the second meeting of the Group on Labor at New Delhi on 23rd September 1985. The scheme is applicable to all Central public sector undertakings, except those which are given specific exemption from the operation of the scheme by the government.

Functions of Plant Council - The plant council shall normally deal with the following matters:

- (a) Operational Areas:
 - (i) Determination of productivity schemes taking into consideration the local conditions;
 - (ii) Planning, implementation, and attainment and review of monthly targets and schedules
 - (iii) Material supply and preventing its shortfall;
 - (iv) House Keeping activities;
- (b) Economic and Financial Areas:
 - (i) Profit and loss statements, balance sheet;
 - (ii) Review of operating expenses, financial results, and cost of sales;
 - (iii) Enterprise performance in financial terms, labor and managerial cost, and market conditions, etc.
- (c) Personnel Matters:
 - (i) Matters relating to absenteeism;
 - (ii) Special problems of women workers; and
 - (iii) Initiation and administration of workers' programs.
- (d) Welfare Areas:
 - (i) Implementation of welfare schemes, such as medical benefits, housing and transport facilities;
 - (ii) Safety measures;
 - (iii) Township administration; and
- (e) Environmental Areas:
 - (i) Environmental protection; and
 - (ii) Extension activities and community development projects.

Shop Councils:

Functions of Shop Councils:

To achieve increased production, productivity and over-all efficiency of the shop department, the shop council should attend to the following matters:

- (i) To assist management in achieving monthly/yearly production targets;
- (ii) To improve production, productivity and efficiency, including elimination of wastage and optimum utilization of machine capacity and manpower;
- (iii) To specially identify areas of low productivity and take the necessary corrective steps at shop level to eliminate relevant contributory factors;
- (iv) To study absenteeism in the shop/department and recommend steps to reduce it;
- (v) To suggest safety measures;
- (vi) To assist in maintaining general discipline in the shop/department;
- (vii) Suggest improvements in physical conditions of working — lighting ventilation, noise, dust, etc., and reduction of fatigue;

Suggestions for the Success of Workers' Participation in Management:

Following are the suggestions that may help in making the scheme of workers' participation in management successful:

1. Re-Organization of Labor Unions - Labor unions should be re-organized so that these organizations may be more democratic. Stress should be on the leadership of these unions. Leaders of these unions must be from among the

workers themselves and they must have positive and dynamic approach.

2. Declaration of a Specific Policy by the Government -

The very first suggestion to make the scheme of workers' participation in management more successful is that the Government should declare a clear, specific and detailed policy in this regards, so that various schemes of workers' participation in management may be co-ordinated and implemented effectively.

3. Recognition of Labor Unions - The management should recognize the importance of labor unions in increasing the production and productivity of the enterprise. The management must realize that their plans, policies and programs cannot be implemented successfully without active co-operation of these unions.

4. Changes in Traditional and Institutional System -

Traditional approach of management should be changed. Along with this, some changes are required in the institutional set up of the enterprise.

These changes are as follows:

- (i) Work committees should be abolished;
- (ii) Joint management councils should be converted into shop councils.
- (iii) There must be uniformity in the duties, scope and procedure of joint management councils,
- (iv) Production committees should be merged with joint management councils or shop management councils,
- (v) Two-tier system of workers' participation in management should be adopted in single plant enterprises and three-tier system should be adopted in multiple plant enterprises,
- (vi) A national collective bargaining in all the enterprise of public sector. Such committees may be established at industry or regional basis also.

5. Quick and Effective Implementation of the Scheme -

The schemes of profit sharing and co-partnership should be implemented quickly and effectively.

6. Arrangement for the Training of Workers - There should be arrangements of providing training to both the employers and employees so that they may implement the scheme of workers' participation in management effectively.

Conclusion - Worker's participation is a system where

workers and management share important information with each other and participate in decision taking. It provides scope for employees and decision making of the organization the participation may be at the shop level, on at the top level. The participation includes the willingness to share the responsibility of the organization by the workers. It is conducted through the mechanism of forums which provide for association of workers representatives. It represents the basic assumption that a worker is more than a pair of hands. WPM aims to improving the quality of working life and thereby secure co-operation and commitment from workers.

References:-

1. Gannon B, Sterling J (2004) Company culture provides competitive edge for Sargento Foods, *Strat Lead*, 32: 31-35
2. Hickey JV, Casner-Lotto J (1998) How to get true employee participation, *Training and Development*, 52: 58-61
3. Kim W Chan, Renee Mauborgne (2018) Fair Process: Managing in the Knowledge Economy, *Harvard Business Review*, July-August, 65-75.
4. Kumar, A., & Taunk, A. (2013) Workers' participation in management: a case study of national thermal power corporation in India. *Wudpecker Journal of Sociology and Anthropology* , 1(1), 1-4
5. Luthans F (2005) Organizational Behavior, 10thEd, New York: McGraw-Hill Irwin Boston, Houghton Mifflin Company.
6. Manivannan, R. (2012) Effective Methods of Managing Human Resources in Indian Sugar Mills - Some Evidences. *Indian Journal of Applied Research*, 2(3), 19-21.
7. Probst TM (2005). Considering the negative effects of job insecurity through participative Decision making: Lessons from the demand control model, *J occ Health Psy*, 10: 320-329.
8. Rathnakar, G. (2012) A Study of Workers Participation in Management Decision Making at BHEL, Hyderabad, *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*, 1(9), 135-141

What is Humanism?

Shirly Singh*

Introduction - Humanism, as the phrase suggests, is a philosophy which has the welfare of man as its central theme. The ancient Greek philosopher, Protogarus, used to say that man is the measure of everything. This saying, and the banishing of all supernatural elements from our thinking, are the two important and necessary features of every humanist philosophy. Viewed thus, all materialists, atheists, positivists and naturalists become humanists. With the increase of scientific knowledge and scientific temper, humanism is growing stronger each day.

We may even term humanism as a man-centered philosophy, an anthropomorphic philosophy. But it is necessary to distinguish this humanistic anthropomorphism from the religious type of anthropomorphism. Religious people, especially the theistic type of people, say that God has created everything in the world for the benefit of man. The changing of the seasons, the alteration of day and night, the flowing of rivers and blowing of winds, the yielding of flowers and fruits by the trees, the existence of various animals and bird species, the shining of the sun, moon and the stars are all purposefully created and arranged for the benefit of man. They go to the extent of saying that the entire universe is created by God for man to enjoy, to work and to prove his worth. However, humanists reject this type of anthropomorphism. Religious people believe that our earth is the centre of the universe and around earth everything in the universe revolves. They also believe that man is the highest being on this earth and is created by God in his own image. We now know how false and superstitious all these beliefs and claims are. Such superstitious claims depict nothing but false vanity, based upon man's ignorance and wishful thinking. We now know that the geo-centric view of the universe is false. The fact that the earth revolves around the sun and not that the sun revolves around the earth. Then again, it is now proved that man is a very recent and insignificant phenomenon in the universe. Hence, the humanists ridicule and reject the religious type of anthropomorphism, where man is put in the centre of the universe as a fact, as a reality.

As compared to the above type of religious anthropomorphism, the humanistic anthropomorphism is not factual but only axiological in nature. Humanism opines that all evaluations, like good and bad, right and wrong,

progress and regress are relevant only in the context of the welfare of man. If you set aside man, all evaluations become irrelevant. Thus, we must keep in mind the distinction between the anthropomorphism of the religious approach and the anthropomorphism of the humanist approach. According to humanism, man is supreme not in the field of reality but in the field of values.

The humanist approach is a positivist approach. Consequently, everything termed super-natural, everything that is unverifiable in principle, is excluded from the field of meaningful discussion by the humanists. As a result, humanists do not believe in the existence of a spiritual type of unchanging soul which is deemed to be beyond the realm of space and time, is beyond the law of causation, and yet somehow controls and governs our bodily behaviour and gives unity and continuity to our personality. Although humanists do not believe in the existence of such a soul, they have their own explanations of the existence of consciousness, memory, unity and continuity of the person. Humanists do not believe in the existence of an omnipresent, omnipotent and omniscient God, a spiritual person who is supposed to be the creator of this universe. They do not believe that the world was created at a particular point of time, their belief is that the universe has no beginning, nor has it any end. They believe that the universe has always been in existence and that the primordial energy existing in the space-time matrix can explain everything in the universe. Just as spiritualists accept God to be self-existent, the humanists consider material energy to be primordial and self-existing.

Humanists believe that all knowledge is derived from our sense perception, as worked upon by our intellect. However, deficient this faculty may be there is no other source of knowledge open to man. Humanists do not believe in the existence of such faculties as supra-sensible intuition, where you know something by being the thing. All claims to such intuitive knowledge have been found to be false.

All objectives such as attaining omniscience or attaining eternal pure and absolute bliss get cancelled in humanism; these are all fictitious objectives and we only waste our time and energy in pursuing them. Moreover, because of pursuing these fictitious objectives we also miss our worldly goals which otherwise, we would have pursued them.

Humanism places before itself such achievable this worldly objectives as liberty, equality, brotherhood, social justice, etc. Compared to the religious promises, these humanistic promises may look rather unimpressive, but the most important factor in their favour is that we can make concrete progress in achieving them since they are real.

For the humanists ethics and social philosophy are important goals in themselves whereas for the humanitarianists, ethics, etc., have only an instrumental value; i.e., their value depends upon their utility in leading us towards religious goals. For the humanitarianists religion is the real foundation, goal and inspiration of ethics, morality being only a stepping stone to achieve religious goals. For the humanitarian thinkers, ethics is only a part of religion, while for many humanists religion is all superstition to be got rid of and ethics is all important.

Humanitarian people argue that all men are children of God, and hence should develop a feeling of universal brotherhood among themselves. They will avoid committing crimes lest they anger God. Humanists avoid committing crimes; they too wish to develop a brotherly feeling among men; but they will give verifiable justifications and rationally convincing grounds for all this. Humanists also feel that if God is accepted, man no longer remains a free moral agent, and then ethics in the real sense becomes impossible. On the other hand, in the humanist context, the questioning spirit, the rejection of all authority and the development of self-confidence assume great importance. For the humanitarian people service to man is important only because it is service to God. For the humanists, on the other hand service to man is important for its own sake and important also on the ground that it will enrich people's lives and make them self-reliant and happy.

Humanism is not a fixed dogma, creed nor it is one more religion of the traditional type. It is rather a particular outlook towards life. Therefore, it is quite possible that even those who have a humanistic outlook might under different circumstances, evolve different strategies to build a happy

human life. Humanists are committed to the application of reason alone in understanding the universe and solving our problems. They believe that force and violence are anti-humanistic and that discussion and negotiation are the really human and humane methods of resolving our disputes. All humanists encourage education and critical awareness and oppose spiritual slavery. Creation of a democratic society and democratic social institutions is one of the important aims of all humanists. It is only under democracy that humanist values of liberty, equality, fraternity and social justice are realized by maximum number of people. Humanists oppose all types of fascist, dictatorial and totalitarian tendencies. The humanist outlook rises above all divisive factors like language, religion, class or race. The belief that all human beings are members of the same community is an essential constituent of the humanist outlook. There is of course a full realization of the duties and rights of a citizen of a pluralistic society.

Humanists believe in enjoying life and making it better through our creative efforts. The attempt is to make life ever richer, better and happier. The insistence is that everyone, whether as an individual or as a member of a group, should try in a concrete way to make this earth a better place to live. For them, liberation means liberation from the worldly evils to be obtained through human efforts. The aim is to create as far as possible, a spiritually free society consisting of spiritually free and enlightened individuals.

Conclusion- Because of its positivist and empiricist commitment, humanism devotes most of its attention to ethics and social philosophy. Thus, humanism becomes essentially a practical philosophy with practical missions to pursue and fulfil. We find that a number of humanist philosophers have formulated their philosophies through their respective struggles and fights against social evils.

Reference :-

1. Personal Research.

Women Empowerment in Present Scenario

Dr. Anuradha Tiwari*

Introduction - The sociologist had described the women by pronouncing different perceptions. In India, the history speaks that the women are considered as a divine force but the multi- cultured Indian society placed the women in the Indian society placed the women at different positions. Thus, there is no uniform status of women in the Indian society. However, civilization showed the overall upliftment of women's position. According to historian **Romilla Thaper** "Within the Indian sub-continent there have been infinite variations on the status of women diverging according to cultural malice, family structure, class caste, properly rights and morals".

The Indian philosophy poses the women with dual character. On the one hand, she is considered fertile, patient and benevolent but on the other hand, she is considered aggressor and represent **Shakti**.

It is true that women have subordination rather lower status in the field of politics, economic and education. Even, in society they have been placed below the men. To end this subordination and different perceptions three major ideological movements of women emerged these are –

1. Liberal Movement
2. Radical Movement
3. Socialist Movement.

Liberal Movement – this occurred during the **18th Century** by virtue of enlightened period, many thinkers debated the nature, status and role of women.

Radical Movement – It occurred around **1969-1970** which had important link sexual division of labour relating to women were overlooked in liberal movement. It was realized that root of subordination lies in the biological family. Incorporation of enactments was not proper.

Socialist Movement – The thinker sociological school prominently **Karl Marx's**. Socialist pattern of society is **against capitalism** and patriarchy system. Thus the Marx's theory was found to contain restrictions in terms of political participation /representation of women.

Women under the Indian Constitution – The provisions regarding fundamental rights have been enshrined in Part III, Article 12 to 35, which are applicable to all the citizens irrespective of sex. However, certain provision protects the rights of women.

Art. 14 – Right to Equality

Art. 15(3) –discrimination on the ground of religion race, caste, sex, or place of birth shall not prevent the State from making any special provision for women and children.

Art. 19 to 22 Right to Freedom - Freedom of speech, protection in respect of conviction for offences, protection of life and personal liberty and protection against arrest and detention etc.

Art. 23 Right against Exploitation – traffic in human beings and forced labour is prohibited.

Art. 25 to 28 Freedom of Religion – means professing, practicing and propagating religion freely.

Art. 29 Cultural and Educational Rights – to establish and administered educational institution.

Art. 32 to 35 Right to Constitutional Remedies – Every citizen has been provided the right to constitutional remedies.¹

Impact of Provisions –Women rights implemented by the Apex Court continuously which enlightening in these leading case laws. Lots of women rights decided by the Indian Apex Court –

1. A women shall not be denied a job merely because she is women(**Air India Vs Nargesh Meerza**)
2. Denial of Promotion or Seniority on the ground of sex.(**Ms C.B. Muttamma Vs. UIO**)
3. Reservation of seats for women in colleges. (**Dattatrey Vs. State of Mah.**)
4. Women's reservation in election to local bodies & employment.(**T. Sudhakar Reddy Vs. Govt. of Andhra Pradesh**).
5. Mother can act as a natural guardian during the lifetime of father. (**Ms Githa Hariharan Vs. Reserve Bank of India**).
6. Granting licence for opening of liquor shop.(**Smt. Savitri Vs. Bose**)
7. Medical Education and research - no relaxation in highest level best possible training to select meritorious candidates who can contribute to the advancement of knowledge in the field of medical research.(**Dr. Preeti Srivastav Vs. The State of M.P.**)
8. Equal justice and free legal aid. (**Husnarra Khatun Vs. State of Bihar**)
9. Equal pay for equal work.(**Mc Mehta Vs. State of Tamil Nadu Randhir Singh Vs. UIO**).

10. Eradication of Prostitution. **.(Gourav Jain Vs.UIO)**
11. Protection of women from prostitution and rehabilitation of their children.**(Gourav Jain Vs.UIO)**
12. Prohibition of sexual harassment of working women at work place(Vishkha Vs.
13. Protection from domestic violence against women.**(Nandkishor Vishwanath Newara Vs. State of Mah.)**
14. Protection against dowry deaths and dowry prohibition.**(Ghambir Vs. State of Maharashtra).**
15. Protection against cruelty and exploitation.
16. Right to separate residence and maintenance. **(Kesarbai V.s Hari Bhai).**
17. Right to maintenance cannot be extended to any relations of the husband. **(Charu Vs. Crown)**
18. Art. 44 Uniform Civil Code and Gender justice –**(Sarla Mudgal Vs.UIO)**

Leading Case laws –

Air India Vs. Nagesh Meerza – It's a landmark judgment the Apex Court held that a women shall not be denied employment merely on the ground that she is a women as it amounts to violation of Art. 14. In this case air hostesses of Indian Air Lines and Air India have challenged the service rules – **i.e. Air** hostesses shall not marry for the first four years of their joining, they will lose their job if they become pregnant. They shall retire at the age of 35 Yrs, unless managing director extends the term by ten years at his discretion.

In Miss C.B. Muthumma Vs. Union of India – where it has been held that the rules relating to denial of seniority and promotion in **Indian Foreign Service which makes discrimination only on ground of sex is unconstitutional**. In this case the petitioner had been denied promotion to Grade I on the ground of the sex, which violates Art. 15. The Apex Court allowed the petition and held that **R.8 (2) of the Indian Foreign Service Rules 1961** which requires that an unmarried women member should take permission of the Govt. before she marries. After marriage, she may be asked any time to resign if it is felt that her family life affects her efficiency as of right to be appointed to the service.

C. Rajkumar Vs. Commissioner of Police Hyderabad – Andhra Pradesh High Court held that if a beauty contest **indecently represents** any women by depicting in any manner the figure of women form, body or any part thereof in such a way so as to have the effect of being indecent, or derogatory to or degrading women, or likely to deprive, corrupt and injure the pulic morality would be violative of provisions of the **Indecent Representation of Women (Prohibition) Act 1986** and also unconstitutional as it violates Art, 14, 21 and Art 51-A of the Indian Constitution.

In Abdul Aziz Vs. State of Bombay Sec 497 of Indian Penal Code the Apex Court held that the validity of the provision on the ground that the classification was not based on the ground of sex alone.

A bare reading of sec 497 shows that it punishes the male

only, the offence of adultery committed with married women without the consent of her husband, or convenience of her husband. That male offender alone has been made liable. This offence is committed by third person against a husband in respect of his wife. If a sexual intercourse takes place between a married man and an unmarried woman or with a widow or a married woman whose husband consents to it, this offence shall not be deemed to have been committed. It is not required for an offence that the offender should know whose wife the women is, but he must know that she was a married woman. It was contended that it violative U/ Art 14 & 15 of the constitution on the ground of irrational classification between men and women.²

Issues and Challenges:-Although most of women rights have been protected by the Legislative and judiciary, but still something wants to do for development of women empowerment in present scenario following are the new issues & challenges

1. Low Job Rate
2. Lack of self protection training programme
3. Lack of legislation
4. Lack of filling of vacancies.
5. Male domination.
6. Lack of research.
7. Lack of awareness.

● **Low Job Rate** - Govt. and Private Institution/ Departments position of job and their scales: -For the instance of appointment of female candidate, the Selection Committee/ Society always wants to select the male candidate as a **Officer/Principal or HOD**; even though the female candidate has been working sincerely or will work efficiently, honestly & she has qualified for that post.

Direct appointment process for the post of HOD or Principal, not seen since long ago. I think Principal post always filled up by promotion, not direct recruitment made by the Govt. & Universities.

● **Promotion ratio of female is also lower than promotion of male candidates.**

For Instance ²

As per Lok Sabha question No. 621 to be answered on 16.9.2020 Details of Female Judges are as follows-

Sr.	Name of Court	Sanctioned Strength	Number of Females Judge Working
A	Supreme Court of India	34	02
B	High Courts		
1.	Allahabad	160	06
2.	Andhra Pradesh	37	04
3.	Bombay	94	08
4	Calcutta	72	05
5.	Chhattisgarh	22	02
6.	Delhi	60	08
7.	Gauhati	24	01
8.	Gujarat	52	04
9.	Himachal Pradesh	13	01

10.	Common High Court UT of J&KandUTof Ladakh	17	01
11.	Jharkhand	25	01
12.	Karnataka	62	05
13.	Kerala	47	05
14.	Madhya Pradesh	53	03
15.	Madras	75	09
16.	Manipur	05	00
17.	Meghalaya	04	00
18.	Orissa	27	02
19.	Patna	53	00
20.	Punjab and Haryana	85	11
21.	Rajasthan	50	01
22.	Sikkim	03	01
23.	Telangana	24	00
24.	Tripura	04	00
25.	Uttarakhand	11	00

As per above mentioned reports the Percentage of working female judges at present in India is **7.18%**.

Discrimination of Scale of Govt. and Private institution employee -One of the women principal/Associate Professor/Professor is working as like as Govt. Principal Similarity in qualification, workloads, liabilities, responsibilities and duties, but in case of scale in comparison to Govt. appointed principal, the constitutional principle of equal pay for equal work is in vein. The discrimination affected the women like fall in depression, weak work efficiency, mental disorder, illness fear of loss of job etc.

Lack of self protection training programme:- Govt./ Private organization and NGO are playing small roles in prevention of offences against women.

We are facing the challenges of offences against women day by day but yet not planned for prevention of offences.

Lack of legislation: - there is no universal provisions/ codification and legislation is available for equal pay for equal work. No common code or common interpretation is available to facilitate women officers for protection of their fundamental rights.

Lack of filling of vacancies:- Bunch of female graduates and post graduates are educating every year with excellence award, but vacancies of female officers post still as it is. There is lack of positive will of Govt. to fill up it, otherwise the Govt. look after the records of the departments and think about the alternate remedies for it.

Male domination: - In most of the Selection Committees, no female members invites in participation of selection process.

Even in most of the Societies no female members

nominated to participate as a member in social/charitable/ non profitable Trust.

Lack of research: - Female educationist/Officers/Members are not properly researching on the topic of participation of women in a specific field, only violation of female rights and offences against women is discussing again and again.

Lack of Awareness: - Female workers always engage in sole social phenomenon i.e. family, economic status, education, social responsibilities etc; that's why she have not been fully aware about their rights, departments, and fields of appointment or recruitment properly.

Conclusion: - According to a report of the United Nations published in 1980 'Women constitute half of the world population perform nearly 2/3rd of works hours, receive 1/ 10th of worlds income and own less than one hundred % of worlds property.

The Constitution of India 1950 has certain provisions relating to women. It makes special provisions for the treatment and development of women in every sphere of life.

The Preamble of the Indian Constitution is key to open the mind of the maker of the constitution, it does not discriminate men and women but it treats alike. The framer of the Constitution was well aware of inequal treatment meted out to the fair sex, from the time immemorial.

Suggestions - Undoubtedly the Legislative and Judiciary is playing a vital role for development of the women empowerment, but still some issues are undecided, so I would like to place remedial measures for prevention of the weakness & strengthen in women empowerment.

1. Self Defence course must be a part of curriculum.
2. Filling up a vacant post.
3. To conduct awareness workshop where % of appointment of women is Zero.
4. Incorporation of Minimum Salary Regulation Act for Private Organizations/ Institutions/ Autonomous institutions.
5. Research report must be published in Annual Report of State and Central Govt. relating to women officers appointment ratio in all departments.
6. Check balance process of Govt. Department is required to protect the women right in private institutions/ organizations.

References:-

1. Law relating to Women and Children – by Dr. S.C. Tripathi & Vibha Arora 3rd Edition 2008.
2. Govt. of India Ministry of Law and Justice Department of Justice Lok Sabha Answer no 621 for 16.9.2020.
3. Govt. of India Ministry of Law and Justice Department of Justice Lok Sabha Answer no 621 for 16.9.2020

Ethnobotany: Some plants used for Agricultural Tools by Bheel Tribal Farmers of Dhar district, Madhya Pradesh, India

Dr. Kamal Singh Alawa*

Abstract - Present study was carried out with the indigenous agriculture tools used by Bheel tribal farmers of Dhar district, Madhya Pradesh. Survey was conducted in villages and information about each tool was collected and informative notes were taken during 2019 - 2020. The observation of 19 plant species belonging to 16 genera and 12 families are commonly used to prepare different agriculture tools by Bheel tribes of study area. Tools were documented and being traditional agriculture practice inhabitants of the study area utilize different plants species responsible for making agriculture equipment like plough, tools handles, sticks, sickle, dagger, hoe, axe and knife handle including bull cart for transportation were found in every household.

Key words - Agricultural tools, Bheel Tribal farmers, Dhar district, Ethnobotanical plants, Madhya Pradesh.

Introduction - The Bheel community is one of the largest scheduled tribe of Dhar district of Madhya Pradesh, India. The Bheel peoples are generally cultivator. Their livelihood mainly depends on cultivation. The Bheel tribal farmers are characterized by small and fragmented land holdings, low productivity of crops and livestock, disguised unemployment, poor income and low risk bearing ability. Traditionally land occupancy status was lying with the tribal but in the gradual process of change; it has been transferred to other communities by various means of legal transfer. the situation is such that the upper caste own more and productive land than that of the tribal. The land holding size is also very small and the land productivity or yield per acre is comparatively less (Narzary 2019). Almost all farming communities have common traditional agricultural implements like Sickle, Plough, Spade, Winnow, Khurpa, Bamboosieve, Weeder and Axe etc. (Das and Nag 2006). Traditional agricultural tools and implements were made up of locally available materials like stone, wood and iron, constructed at local level or standardized factory-made implements. These tools and implements were economical in term of labor, money and time saving. They cultivate different crops in different seasons and they use a variety of tools as per their requirement and make those tools at home by themselves from natural resources. They make their agricultural tools generally from bamboo, wood and iron. With these tools, they cultivate the crops from time immemorial. The Bheel are very rich in material culture. But at present, the used of traditional tools are decreasing due to the influence of technological devices and tools. Technological devices are influencing on traditional agricultural tools also, for which the uses of traditional tools

are decreasing day by day. The using of traditional tools is a part of the culture. If it is to be preserved traditional culture then one must keep alive the traditional agricultural tools. Literature survey of ethnobotanical work was done (Srivastava 1984; Jain 2004, Jadhav 2011; Maheshwari *et al.* 1986, Jain *et al.* 2010, Jain 1964, Wagh *et al.* 2010; Sarkar *et al.* 2015; Alawa *et al.* 2016; Alawa 2018). The present communication given results of ethnobotanical survey done in south western part of Madhya Pradesh.

Materials and Methods - Ethnobotanical survey was conducted during the years 2019-2020. The tribal villages of Gandhwani, Kukshi, Manawar, Dharampuri and Sardarpur Tehsils of Dhar district. Were frequently visited. Oral interviews were taken among the head and communities of Bheel tribes for ethnobotanical information. Plants were identified with the help of flora of Madhya Pradesh. Some species were identified from Botanical Survey of India, central circle, Allahabad. Sources of botanical names, family, vernacular name and Purpose/ Uses have been mentioned (Table-1).

Results and Discussion - Survey was conducted in villages and information about each tool was collected and informative notes were taken during 2019 - 2020. The observation of 19 plant species belonging to 16 genera and 12 families are commonly used to prepare different agriculture tools by Bheel tribes are like plough, tools handles, sticks, sickle, dagger, hoe, axe and knife handle including bull cart for transportation were found in every household and other making for furniture, musical instruments, etc. 14 species for making plough and Bakkhar, 8 species bull-cart, 2 species tokari and Basket, one species rope for tie animals. They live in the midst of

nature and utilize varieties of wooden tools in their day to day life. Traditionally their main source is agriculture and they use various tools for agricultural works. Most commonly used traditional agricultural tools and implements in various tribal dominating villages are illustrated in the study, which includes Botanical name, vernacular name and their usages.

Acknowledgement - The authors are grateful to Dr. H.L. Fulware, Principal and Dr.S.Soni, Head of Department Botany, Maharaja Bhoj Govt.P.G. College, Dhar for providing research facilities. We are also thankful to district forest officer Dhar for help during study. Special thanks are due to all acknowledgeable for the important information giving regarding the study area.

References :-

1. **Alawa, K.S. (2018)** Ethnobotany: plants use in fishing and trapping by Bheel tribes of Dhar district, M.P., *India. Inter. Jour. of sci. and rese.* Vol. 8 (1) 733-735.
2. **Alawa, K.S. and Sudip Ray (2016)** Ethnobotany: some wild vegetable plant used by tribals of Dhar district, M.P. *Indian jour. Appli. & pure Bio.* Vol. 31 (1) 65-69.
3. **Das P.K. and Nag D. (2006)** Traditional agriculture tools : A review. *Indian jour. of traditional knowledge* Vol.5 (1) 41-46.
4. **Jain, S.P. [2004]** Ethno-Medico-Botanical Survey of Dhar district Madhya Pradesh. *Journal of Non-Timber Forest products.*, 11[2] 152-157.
5. **Jain, S.K. and R.R. Rao [1977]** *A handbook of field*

and Herberium methods. Today and Tomorrow Publishers, New Delhi.

6. **Jain, S.K. [1964]** Wild plant foods of the tribals of Bastar, Madhya Pradesh. *Proc. Nat. acad. Sci. India.* 30, 56-80.
7. **Jadhav, D. [2011]** Wild plants used as a source of food by the Bhil tribe of Ratlam District, Madhya Pradesh. *Indian forester*, 136 [6] 843-846.
8. **Maheshwari, J.K., B.S. Kalakoti and B. Lal [1986]** Ethno medicine of *Bhil* Tribe of Jhabua District, Madhya Pradesh. *Ancient Science of life.*, 5, 255-261.
9. **Madgal, V., K.K. Khanna and P.K. Hajra [1997]** *Flora of Madhy Pradesh*, Vol. II. BSI. Calcutta.
10. **Narzary S. (2019)** Wooden traditional agriculture tools of the Boros. *Think India Journal* Vol. 22, 9230-9240
11. **Sarkar B., P.K. Sunadram, A.Dev U.Kumar, K.Sharma and B.P. Bhatt (2015)** Traditional agriculture tools used by tribal farmers in eastern India. *Res.jour. of agri.sci.* Vol.6(1) 215-219.
12. **Srivastava, R.K. [1984]** Tribals of Madhya Pradesh and Forest Bill of 1980. *Man in India.*, 64 [3] 320-321.
13. **Singh, N.P., K.K. Khanna, V. Mudgal and R.D. Dixit [2001]** *Flora of Madhya Pradesh*, Vol. III, BSI, Calcutta.
14. **Verma, D.M., N.P. Balakrishan and R.D. Dixit [1993]** *Flora of Madhya Pradesh*, Vol. I, BSI, Calcutta.
15. **Wagh, V.V. and A.K. Jain [2010]** Ethnomedicinal observations among the *Bheel* and *Bhilala* tribe of Jhabua District, Madhya Pradesh, India. *Ethnobotanical Leaflets.*, 14, 715-720.

Table:1 Ethnobotany: Some plants used for Agricultural Tools by Bheel Tribal Farmers of Dhar district, M.P.

S.	Botanical name	Family	Vernacular name	Purpose/ Uses
1	<i>Acacia catechu</i> (L.f.) Willd	Mimosaceae	Khair	Hal-for making agriculture implements like plough
2	<i>Acacia nilotica</i> (L.) Willd ex. deli	Mimosaceae	Babul	Agricultural tools for making hal, bakkahr and bull cart
3	<i>Anogeissus latifolia</i> (Roxb. ex. Dc) wall ex. guill perr.	combretaceae	Dhavda	Agricultural implement like hal, Bakkhar and bull cart
4	<i>Bambusa arundinacea</i> (Retz.) Willd.	Bambusaceae	Bans	Bull-cart, tokari, basket and rod for making Agricultural tools.
5	<i>Butea monosperma</i> (Lam.) Taub.	Fabaceae	Palash	Agricultural tools for making hal and bakkahr.
6	<i>Crotalaria juncea</i> L.	Fabaceae	Sann	Rope for tie farm animals
7	<i>Dalbergia sissoo</i> Roxb. ex DC.	Fabaceae	Shisham	Bull cart-chassis and Agricultural implement like hal and Bakkhar
8	Diospyr D <i>Diospyros melanoxylon</i> Roxb.	Ebenaceae	Tendu/ Temru	Agricultural tools for making hal, bakkahr and bull cart
9	<i>Gmelina arborea</i> roxb.	verbinaceae	seevan	Agricultural tools for making hal-jodi
10	<i>Hardwickia binata</i> Roxb.	Caesalpinaceae	Anjan	Agricultural tools for making hal and bakkahr
11	<i>Madhuca longifolia</i> (Koen.) var. <i>latifolia</i> (Roxb.) Chev.	Sapotaceae	Mahua	Agricultural tools for making hal, bakkahr and bull cart-chassis
12	<i>Nyctanthes arbortristis</i> L.	Oleaceae	Harsinghar, Sirali	Bull-cart, tokari, basket and rod for making Agricultural tools

13	<i>Ougeinia oogeinsis</i> (Roxb.) Hockhr.	Fabaceae	Tinsa	Agricultural tools for making hal, bakkahr and bull cart
14	<i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb.	Arecaceae	Khajur	Tokari and bakkhar used for varies purpose
15	<i>Tectona grandis</i> L. f. Suppl.	Verbenaceae	Sagon	Agricultural tools for making hal, bakkahr, hoe and bull cart
16	<i>Terminalia alata</i> Heyne ex Roth.	Combretaceae	Sajad	Agricultural tools for making hal, bakkahr and bull cart
17	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Combretaceae	Baheda	Agricultural tools for making hal and bakkahr
18	<i>Terminalia cuneata</i> Roth.	Combretaceae	Arjun/ Kavthia	Agricultural tools for making hal, bakkahr and bull cart
19	<i>Ziziphus mauritiana</i> Lam.	Rhamnaceae	Bor	Hal and bakkahr used for Agricultural tools

Jaggery and Its Benefits

Dr. Rajesh Masatkar*

Abstract - Jaggery has enormous health benefits which make it the ideal sweetener. Jaggery overall is good super food which makes good digestion. I have been eating jaggery for four months and I found good result of my health. Overall I recommended jaggery as a good food for human health and we should include in our daily diet.

Keywords – Detoxify, Digestive, Blood Purifier, and Constipation.

Introduction - Jaggery is made from the juice of sugarcane, which is heated to produce thick crystals. It contains sugar in sucrose form and is used in many food products as a sweetening agent. It is considered healthier than refined sugar as certain plant phytochemicals and minerals are preserved in it; many people avoid jaggery as its raw appearance is not very appealing. However, it may be time to start making this food a regular part of your diet as it provides many essential nutrients and is an effective remedy for many ailments. By adding jaggery to your diet, you gain a wide range of health benefits that you may not have thought that this food could provide.

1. To clean and detoxify individuals body naturally.
2. To save the individuals from digestive dysfunction.
3. To make the people of the country healthy, strong and provide natural look on their body.
4. To make the people of the country useful in the development of our nation.
5. To increases the economical status of the people.
6. To minimizes the intake of medicines.
7. To reduces the cost of treatment at zero level.
8. To saves the time and money of the people from unnecessary treatments.
9. To improve the immunity of the individuals.

Methodology – To test the Jaggery benefits, I used myself and my wife as a volunteer. We have been eating jaggery for five months.

Nutritional Facts of Jaggery in 100 grams – 358 Calories, 27mg Sodium, 453 mg Potassium, 85 g total Carbohydrate, 0.22 Calcium, 32% Iron.

Benefits of Jaggery – Here are some most important and trialed benefit of jaggery is present before you.

Prevention of Respiratory Problems – For those who have frequent respiratory tract problems, jaggery could be one of the most beneficial solutions. One can prevent asthma, bronchitis, etc by including the same in their diet. It is better if one consumes jaggery along with sesame seeds. This combination is ideal for treating respiratory problems.

Help in Weight Loss – Weight gain is an issue most people have to deal with. A trusted remedy to foster weight loss is a moderate intake of jaggery. It is a good source of potassium that helps balance electrolytes, boosting metabolism as well as building muscles. Moreover, potassium can also help reduce water retention in one's body. Hence it's playing a major role in weight loss.

Controls Blood Pressure - The presence of potassium and sodium in jaggery helps maintain acid levels in the body. This, in turn, maintains normal blood pressure levels. So if someone suffers from high to low blood pressure, including it in their diet would be of great help.

Prevents Anemia – To prevent anemia, it is required that adequate levels of RBCs are maintained in the body along with iron and folate. Jaggery is rich in both iron and folate, hence, a good way to prevent anemia. Doctors often recommend its intake to adolescents and pregnant women.

Purifies the Body – People commonly consume jaggery after meals since it is one of the best natural cleansing agents for the body. Eating this food can help remove all kinds of unwanted particles from the intestine, stomach, food pipe, lungs, and the respiratory tract successfully.

Detoxification of the Liver – Jaggery is a natural cleansing agent, especially for the liver. The natural sweetener helps flush out harmful toxins from one's body. This further helps to detoxify the liver. Hence, those suffering from disease associated with the liver should start eating jaggery.

Prevents Constipation – Consumption of the nutrient-packed sweetener helps to stimulate bowel movements and activation of digestive enzymes in one's body. Whenever you have eaten a heavy meal, just consume some of this nutritious natural sweetener and reduce the risk of constipation.

Treatment of Cold and Cough – Jaggery also helps cure flu-like symptoms such as cold and cough. It leads to the production of heat in one's body thereby fighting the cold. To reap better benefits, do mix jaggery in warm milk or use it as a sweetener in your tea.

Reduces Joint Pain – For people suffering from arthritis

or any kind of pain in the joints, the consumption of jaggery can provide immense pain relief. When eaten with ginger, the effectiveness only improves.

Purifies Blood – Consumption of jaggery on a regular basis in moderate amounts can aid in blood purification. This is also the reason why it is effective in treating acne or pimples as cleaner blood also means healthier skin. Additionally, the total hemoglobin count in blood also increases with the consumption of the right amount of it.

Boost Immunity – Antioxidants and minerals like selenium and zinc are present in substantial quantities in jaggery. This helps in preventing free radical damage along with building resistance against various infections. This is why it is eaten frequently in winters.

Cures Urinary Tract Problems – Sugarcane is a natural diuretic, so jaggery too possesses this property. Reducing inflammation of the bladder, stimulating urination and improving the smooth flow of urine are some issues that regular intake of this nutritious food item can easily help with.

Boost Intestinal Health – As mentioned earlier, jaggery has wonderful effects on the digestive system. It also boosts the intestinal strength due to its high magnesium content. With every 10 grams of jaggery, you get 16 mg of magnesium, which is 4 percent of the daily requirement of this mineral.

Controls Body Temperature – Jaggery helps in controlling the temperature of the body. This is especially beneficial for patients who suffer from asthma as they require a normal body temperature to be maintained at all times.

Treats Chronic Cough – As mentioned earlier, jaggery has many benefits for the respiratory system. It helps in treating a chronic cough. It has a soothing and soothing effect on the soft tissues of the throat, thus reducing throat irritation. According to Ayurveda, it makes the lungs warm and dilates the respiratory tract.

Boosts Iron Absorption – Being rich in iron, eating jaggery with foods that are rich in vitamin C helps in boosting the absorption of this mineral in the body. Experts recommend pairing it with foods such as citrus fruits, amla, guavas, etc. when iron is properly absorbed, it boosts hair health, making it strong and lustrous.

Discussion – Jaggery is made by boiling the juice of sugarcane and then heating it for producing thick crystals. Jaggery consists of sugar in the form of sucrose and is widely used in different food products in the form of a sweetener. It is considered healthier in comparison to refined sugar because there are different plant minerals and phytochemicals preserved in jaggery. There are a lot of people who avoid having jaggery mainly because of its raw appearance that is not very appealing. Nevertheless, it is always a good idea to make it a regular and integral part of one's diet because it offers essential nutrients and also because it is one of the most effective remedies for different medical problems. My wife naturally gets benefited from her cough during this winter. She regularly had jaggery and hot water during this winter in the morning time with empty stomach. After eating jaggery her cough may dry and she recovered from this cough.

Findings :

1. Jaggery balance BP level.
2. Jaggery is a powerful antioxidant.
3. Jaggery helps in Chronic Cough.

Suggestion :

Eat jaggery in morning with empty stomach and drink hot water over it every day.

1. Eat little jaggery after meals.
2. We must buy dark jaggery for our eating purpose.

Conclusion – It is old says that "Health is Wealth". If health is well then all things is in our hand. But being author of this paper I want to expose multi-benefits of Jaggery in front of you. Eat one thing instead of many things for getting several benefits. In near future my intention is that I want to expose such multi-benefit things before you. So, an individual get more health benefit by eating such super food and doing less exercise.

References :-

1. <https://www.healthifyme.com/blog/jaggery-benefits-nutrition-sugar/>
2. <https://www.stylecraze.com/articles/marvelous-benefits-of-jaggery-for-skin-and-health/>
3. <https://lybrate.com/topic/jaggery-benefits-and-side-effects>

Entrepreneurship and Governmental Support : With special reference of Mukhyamantri Yuva Udhyaami Yojna in Neemuch District, MP

Ruchi Kandara* Dr. L.N. Sharma**

Abstract - In Madhya Pradesh, The then Hon'ble Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan started this special scheme on August 1 2014 to motivate youth of the state to become entrepreneurs. In the year 2014-15, The MYUY Scheme achieved 100% of its target in Neemuch District, In which 70% were male young entrepreneur and 30% were female young entrepreneur. In the year 2015-16, the scheme achieved 111.11% achievement, in which 85% were male young entrepreneur and 15% were female young entrepreneur. In the year 2016-17, The scheme got 105.55% achievement, In which 74% male young entrepreneur and 26% female young entrepreneur took benefit of the scheme. In the year 2017-18 100% achievement was made by the scheme in which 84% of male youngster and 16% of female youngster became entrepreneurs. This is an extremely pleasant experience that the young females of the Neemuch District are being a part of this scheme But the youth of SC and ST category has not shown any interest in the scheme and the main reason behind it, is Reservations in Government services for such categories

Key words - Entrepreneurship, Margin Money, Defaulter, Guarantee, Beneficiary.

Introduction - Entrepreneurship is the process of identifying opportunities in the market place, arranging resources required to exploit the opportunities for long- term gains. It is the ability to take risk independently to make more earnings in the market- oriented economy.

Industrialization is basis of economic progress of any nation. It helps in social as well as economic development of country. Entrepreneurship plays important role in speeding up industrialization.

Madhya Pradesh, the second largest state of India, is among the fastest growing states . the state has gained significantly in investment and economic growth in recent years . the state has developed a robust infrastructure. Conductive policy environment and industrial growth centers which has expedited the growth of industrialization.

Mukhyamantri Yuva Udhyaami Yojna (MYUY) - The govt. of India announces various schemes to encourage self employment, which is a thriving factor for India's economy. The state govt. of Madhya Pradesh introduced Mukhyamantri Yuva Udhyaami Yojna on August 1, 2014 with aim to spread an entrepreneurial culture among the youth of the state and to engage them in gainful employment . The prime intention of MYUY is to extend support in areas of enterprise creation and skill development training to generate employment by offering financial assistance to people of all categories.

Mukhyamantri Yuva Udhyaami Yojna Loan - The scheme renders financial support to set up one's own

business in the form of loan. The benefits of schemes are provided to only Youths to set up their own enterprise .To take advantage of the scheme, the project should cost between Rs. 10 lakhs to 02 crores. The loan will be disbursed within 15 days from the acceptance e of the application. As margin money, the state govt. will grant 15% of the project cost or a maximum of Rs. 12 lakhs for General category and 20% of the project cost or a maximum of Rs.18 lakhs for Below poverty line . the interest incurred is 5 % of the cost of the project per year and 6 % per year for women entrepreneurs, till 7 years. The guarantee fee should be paid at the prevailing rate until 7 years.

Eligibility criteria:

1. Candidates, who satisfy the following criteria can apply for this scheme:-
2. To exploit the scheme benefits, the applicant should be permanent resident of MP
3. The applicant should have qualified 10th standard to be eligible.
4. The age limit of the applicant should be from 18 to 40 years to be applicable.
5. The applicant referred to as a defaulter by any of the nationalized or private sector banks is not eligible.
6. Applicant who is already a beneficiary of any state govt. schemes or any other entrepreneurs scheme is not allowed to apply for this scheme.
7. A part from establishing a manufacturing or service industry, the scheme is made unavailable for any other

*Research Scholar (Commerce) Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

** Professor and Head (Commerce) Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.) INDIA

business activities.

Brief Industrial profile of Neemuch district - District Neemuch is situated in the north – west border of MP and south- west border of Rajasthan. Neemuch has been declared as a separate district by MP Govt. as on 30th June 1998. Three tehsils of undivided Mandasour district falls under this new district namely Neemuch, Jawad and Manasa . The population of Neemuch district is 8.9 lakhs according to census 2011.

Table 1 (see in last page)

Objectives of research:

1. To get information about the feasibility of Mukhyamantri Yuva Udhayami Yojna in Neemuch district of MP.
2. To get information about the goals and achievement s of the scheme in Neemuch district.
3. To get information about the no. of female and male beneficiaries under the scheme .
4. To get information about the young entrepreneur beneficiaries from different categories of society ,under the scheme.

Research Methodology and area - The presented research paper has been prepared by the secondary data , collected from various sources such as – organizations, books, Research journals and internet. It has a study of data from last five years (2014-2019) and the area of research is Neemuch district MP.

Beneficiaries of Mukhyamantri yuva udhyami yojna in Neemuch district, MP

Table No. 2

Year	Target	Achievement	Percentage
2014-15	10	10	100
2015-16	18	20	111.11
2016-17	18	19	105.55
2017-18	18	18	100
2018-19 (till 15 February 2019)	14	15	107.14

Source : District trade and industries center, Neemuch (M.P.)

The interpretation of table no. 2, is as follows:

1. In the year 2014-15, the target to make 10 youth entrepreneurs in Neemuch district of MP under the MYUY was set and the target got 100% achievement. Thus 10 youth entrepreneurs were established in Neemuch district.
2. In the year 2015-16, the target was to make 18 young entrepreneurs under the scheme , in Neemuch district. The target got 111.11% achievement. Thus, 20 young entrepreneurs were established in Neemuch district which was 11.11 % more than year 2014-15.
3. In the year 2016-17, the target was to make 18 young entrepreneurs under the scheme in Neemuch district. It got not only 100% achievement but 5.55% more than the target determined. Thus, 19 Young entrepreneurs were established in Neemuch district .
4. In the year 2017-18, the target was to make 18 young

entrepreneurs under the scheme in Neemuch district and it got 100 achievement and 18 young entrepreneurs got benefit under the scheme.

5. In the present year 2018-19, the target is to make 14 young entrepreneurs under the scheme in Neemuch district and the achievement of target is 107.14% , which is a good sign.

Gender- wise analysis of beneficiaries under the scheme

Table no. 3

Gender	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	In No.	In %	In No.	In %	In No.	In %	In No.	In %
Male	7	70	17	85(ap prox)	14	74	15	84
Female	3	30	3	15(ap prox)	5	26	3	16
Total	10	100	20	100	19	100	18	100

Source : District trade and industries center, Neemuch (M.P.)

The interpretation of table no. 3 is as follows:

1. In the year 2014-15, the percentage of male beneficiaries is 70% under the MYUY in Neemuch district and 30% are female beneficiaries. The participation of female young entrepreneurs is good sign.
2. In the year 2015-16, under the MYUY, in Neemuch district, 85% beneficiaries are male that is 15% more than year 2014-15. But the percentage of female young entrepreneurs is 15 % that is 15% less than year 2014-15 which is a subject of worry.
3. In the year 2016-17, the percentage of male beneficiaries is 74% that is 11% less than year 2015-16 but there is an increase of 11% in the female young entrepreneurs and the percentage is 26%.
4. In the year 2017-18, the percentage of male beneficiaries is 84% that is 10% more than year 2016-17 but the percentage of female entrepreneurs decreased by 10% and the percentage is 16%.

Category – wise analysis of beneficiaries under the scheme

Table No. 4

Category	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	In No.	In %	In No.	In %	In No.	In %	In No.	In %
General	6	60	12	60	16	84	10	55
OBC	4	40	8	40	3	16	8	45
SC	0	0	0	0	0	0	0	0
ST	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	10	100	20	100	19	100	18	100

Source : District trade and industries center, Neemuch (M.P.)

The interpretation of table no.4 is as follows:

1. In the year 2014-15, 60% beneficiaries are from General category and 40% are from OBC under the scheme in Neemuch district. The participation of SC

- and ST category is 0% and it is a subject to worry.
2. In the year 2015-16, 60% beneficiaries are from General category and 40% are from OBC under the scheme in Neemuch district. The participation of SC and ST category is 0%.
 3. In the year 2016-17, under the MYUY in Neemuch district 84% beneficiaries are from general category that is 24% more than year 2015-16 and 16% are from OBC that is 24% less than year 2015-16. The participation of candidates from SC and ST category is again 0%.
 4. In the year 2017-18, under the MYUY in Neemuch district 55% beneficiaries are from general category that is 29% less than year 2016-17 and 45% are from OBC that is 29% more than year 2016-17. The participation of candidates from SC and ST category is 0% like previous years.

Conclusion - Mukhyamantri Yuva Udhyaami Yojna is a golden scheme for the educated unemployed youth of MP. It has an appreciative implementation in reference of Neemuch district. The scheme is achieving not only the 100% of targets but also getting more over the targets . the participation of women entrepreneurs under the scheme is extremely appreciable. Thus, the scheme is being implemented effectively in Neemuch district.

The following suggestions can be made to make the

scheme better:

Suggestions:

1. The targets determined by the govt. of MP for Neemuch district, under the scheme, are too small. So, there is a need to increase in the targets.
2. The participation of women entrepreneurs is lower in comparison of male entrepreneurs under the scheme. Therefore some extra efforts should be made to increase in the number of women entrepreneurs.
3. The number of beneficiaries of general category and other backwards category is adequate but candidates from SC and ST Category are not showing any interest in the scheme and as a result of this, the percentage of beneficiaries of SC and ST category is 0% for last 5 years. Therefore, there is a need to motivate and aware the youth of such categories.

References:-

1. District Industry Center, Neemuch (M.P.)
2. Entrepreneurship Development, Dr. Vipul Patel, Dr. Vishal Purohit, ISBN : 978-81-935338-2-6
3. Fundamentals of Entrepreneurship by G.S. Sudha, ISBN: 81-8142-120-5
4. <http://msme.mponline.gov.in>
5. Naveen Shodh Sansar (International Research Journal) ISSN 2320-8767
6. www.google.com

Table 1 : Existing status of industrial area in the district Neemuch.

S. No.	Name of Ind area	Land acquired (in hectares)	Land developed (in hectares)	Prevailing Rate per sqm. In rupees	No. of Plots	No. of allotted plots	No. of vacant plots	No. of units in production
1	Industrial area Neemuch	21.45	14.50	30	132	132	Nil	98
2	Industrial area Sandiya	8.42	3.95	20	57	55	02
3	Industrial area Morka Jawad	5.85	3.04	20	68	Nil	68	Undeveloped
4	Industrial area Rampura	21.75	11.70	20	20	Nil	20
5	Semi – urban industrial institute Rampura	2.85	2.10	Shed Rs.0.40/Sq . feet	07 Shed	Nil	Nil	06
6	Total	60.32	35.29	284	187	90	104

Source : District trade and industries center, Neemuch (M.P.).

Process of Bagh Printing in M.P.

Dr. Amrita Rajput*

Introduction -

1. Traditional hand block printing is a very old craft of embellishing fabric using wooden blocks to print on variety of natural fiber based fabrics with natural colors.
2. Bagh print is one of such hand block printing techniques developed in last 100 years in the Bagh village of Dhar district in Madhya Pradesh.
3. Bagh printing is done in a small village known as Bagh situated one fifty kilometers away from Indore. There is an ancient temple dedicated to the Maa Durga riding tiger known as "Bagheshwari" temple. A hand block printing done in Bagh is having its peculiarity in its red color due to high copper content in local river water known as "Baghini".
4. "Muslim Khatri" who were traditional hand block printers migrated From SINDH.

Bagh Print - Late Ismail ji Khatri a master craftsman from Manavar involved in the craft of hand block printing since generations shifted to Bagh in the year 1962 in search of better water facility. Traditional hand block printing process requires flowing water and "Baghini" river in Bagh was providing ideal condition for it.



1. Late Ismailji Khatri experimented with different fabrics and with little changes in the traditional process they developed a unique process to print fabrics as per the modern needs which is today known as Bagh print to the world.
2. It is the home of bagh printing or traditional form of block printing on fabric using natural colors.



The process of Bagh printing is as follows:

1. Blocks

1. A master craftsman prepares a design on the paper.
2. Designs are floral, geometric, historic monument.
3. Teakwood is preferred in making blocks.
4. Designs engraved by craftsman's very minutely.

2. Fabric Preparation for Printing - For traditional hand block printing in Bagh nature based fiber clothes used for printing.



1. First raw fabric put in a solution made from soda ash, goat dung, sea salt and castor oil for 24 hours.

2. After 24 hours fabric is washed with clean water and then put in sunlight for drying, it also works as a natural bleaching. In this process immense heat is produced which made fiber absorbent and soft.
3. After repetition of this step 2 to 3 times fabric put it in a solution of harada (myrabalan) and then put it in sunlight so that fabric becomes yellow.
4. Printing of Clothes
5. Two different pastes made to get red and black color in printing.
6. To get black iron rust and jiggery powder mix with water kept in an iron or plastic vessel for 15 days to get it prepared.
7. For red first alum is mix with water to prepare alum water. After this a paste made from tamarind seed powder is used. Now yellowish fabric is put on the table for block printing with the desired design.

- place for 4 to 5 days so that fabric absorbed the natural color well. After this "vichlai" process is performed.
2. In this process fabric is washed in running water probably in river so that all the extra color gets washed away from the fabric. Then fabric put in sunlight for drying. Now fabric is ready for dyeing.



- After this preparation is done if craftsman wants to print black he mix iron rust and jiggery powder solution in tamarind seed powder paste and put it in a wooden tray and start printing. For red alum water is mix with tamarind powder paste again and put it in wooden tray and starts printing.



4. Drying of Fabric

1. After printing is done fabric put on the stones to get it dry in the sunlight. Then the printed fabric kept in a dry

5. Dying Process

1. In first dyeing process which is known as "Bhatti" or boiling process fabric is dyed with alizarin and dhawadi flower.
2. In this process black color is fixed and in place of alum printing red comes out due to alizarin. In this alizarin dying process a copper vessel is used which helps to get better color than any other metal.
3. After this alizarin dying process is over fabric is again put in sunlight to get dry. After drying if it does need to dye with other natural colors like turmeric for yellow, pomegranate rind for deep yellow, tesu (bastard teak) flower for orange is used.

Now fabric is ready for finishing.



6. Finishing - Once fabric is bleached and dried in sunlight goes for ironing and then it is ready to market.

References :-

1. Bhagavatula, Suresh, The working of entrepreneurs in a competitive low technology industry: The case of master weavers in the handloom industry, <http://>

ssrn.com/abstract=2122434, December 30, 2010. (Accessed on 28/07/2013).
 2. Chakraborty, Kiran Shankar, Entrepreneurship and Small Business Development, New Delhi, Mittal

Publication, 2006, pp. 47-57.
 3. Charantimath, Poornimam, Entrepreneurship Development Small Business Enterprises, New Delhi, Pearson Education, 2009.



The Message of Sanskrit Literature for Humanity

Dr. Seema Sharma*

Introduction - Sanskrit Literature is the mother of all the literature available in the world. The Vedas come from the age when no civilization was as advanced as ours. We are proud of our language and literature. In Vedas if we search we will find that every mantra has a value behind it. There is a message behind every verse. The message is the prayer for the welfare of the humanity. "Om shanti, Shanti, Shanti is enchanted at the end of every ritual to maintain peace everywhere, in the whole world. The prayer is not limited to our nation only, but it is for every creature not only "we the human beings" but for the smallest creature living on the earth or to say for the whole universe.

There are a lot of great poets, dramatists like Adikavi Valmiki, Bhartrihari, Mahakavi Kalidas, Magh, Bhowbhuti, RajaBhoj, they all have contributed to the treasure of our literature.

The message of preservation of nature :

"Environment" or 'Paryavaran' means the atmosphere around us. The earth is our 'mother' and 'we' are the children of our mother :-

पर्जन्यः पिता स उनः पिपर्तुः।

अथर्ववेद/2/12¹

अर्थात्

भूमि माता

पुत्र मानव

पिता है पर्जन्य

परिपालक 11²

This means that life on the earth depends upon the preservation of nature. For Mahakavi kalidas nature is "God"! Shakuntala is 'Nature's daughter' Man and Nature are not separable. Shakuntala treats plants and trees as her brothers.

पातुः न प्रथमं व्यवस्यति जलं

युष्मा स्वपीतेबुया (अभिज्ञान 4/11)³

When Shakuntala leaves the Aashram, all the trees give her farewell.

अनुमतगमिना शकुन्तला तखभिरयं

वनवास बन्धुभिः (शाकन्त 4/10)⁴

In Purnas also we see that every festival in India is related to the nature, the sun, the moon, the rivers, the trees. We worship nature to preserve all these to maintain

life on earth. In the "Bhavishyaapuran" it is said that the person who plants the trees, which give us shelter and shade, or who builds, wells for the travelers, he gives salvation to his ancestors. One who does not have son, the tree is his son. Some important trees are Ashok, Neem, Bilwa, Peepal, Amla and mango.

अश्वत्थमेकं पिचुन्दमेकं न्याग्रोधमेकं दश

चिचिणीकान्।

कपित्थ बिल्वामलकी त्रयं च पच्चामरोची

नरंक न पश्येन॥⁵

About the peepal tree or the "sacred fig" it is said in the Gita :-

अश्वत्थः सर्व वृक्षाणां

(गीता 10 अध्याय 26 श्लोक)⁶

It is also said :-

अश्वत्थो देवसदनः। अथर्ववेद

It is believed that all the gods live in the peepal tree. Therefore we worship peepal, that gives us oxygen twenty four hours.

The message is "Sarvajanhitay" and "Bahujan Sukhaya", the message about the welfare of the world.

The message about moral values : Moral values or 'नैतिक शिक्षा' can be seen in Sanskrit literature. "Bhartrihari" will be numbered for moral values described in the Neetishatakam, Raja Bhartrihari was the elder brother of Raja Vikramaditya Raja's life was full of luxuries but an incident occurred which changed his attitude towards life. In India, there we many such Rajas, who turned to be from simple to extraordinary intellectuals. The first one is Adikavi Valmiki, who saw the hunting of a pair of birds, i.e the "Kronch Vadh", he turned out to be the first poet ?

It is wisely said :-

'वियोगी होगा पहला कवि

आह से उपजा होगा गाना'

The internal agony come out in the form of poetry" Valmiki said :-

मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वायगमः

यत् क्रोच्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्।⁷

Bhartrihari become "Sadhu" by the effect of an incident and wrote three Shatakas :-"ShrinagarShatak, NeetiShatak and VairagyaShatak. In NeetiShatak he describes how to live

life and be merciful towards every creature. He depicts the fact that materialistic progress is not the aim of our life. We should be 'wise' and be real human being :-

'केन्यूरा न विभूजयन्ति पुरुषं हृत्पानचन्द्रोज्ज्वला

न स्नानं, न विलेपनं न कुसुमं नासङ्ता मूर्धजाः।

वाप्येका समंतकरोति पुरुष या संस्कृतां धार्यने।

क्षीयते खलुभूषणाणि सततं वाग्भूषणं भूषणम्॥⁸ (श्लोक 19)

This means that bracelets or necklaces do not adorn a man, the real item is the polished speech.

The message in Puranas :- The Sanskars or the values depicted in the Puranas. "Sanskar" means the values incarnated in us for the welfare of our family, our society and our nation. "Sanskar" purifies our soul. In Saitterya , Samhita it is said :-

'सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्याया व्या प्रभदः सत्यान्न

प्रयदितव्यम्। धर्मान्न प्रमदितव्यम्।

कुशलान्न प्रमदि तव्यम्। (तैत्तरीय, 01-11-1)⁹

What should be our behavior in society, it is the 'Karma' that goes with us after our death.

'न दया सहशो धर्मो न दयासहशं तपः।

न दया सहशं दानं न दया सहशः सखा।'¹⁰

This means that sympathy for the "poor" is our dharma or our religion. This message is for everyone in the world.

'अहिंसा सत्यमस्तेय कामक्रोध लोभता

भूतप्रिय हितेहा च धर्मोयं सार्ववर्णिकः॥'¹¹ (श्रीमद् भागवत् महापुराण 11-17-21)

The policy of truth and non-violence is for every ashram and every "varna".

For the 'Raja' or the king the duty is described :-

सर्वाः समुद्धरेद् राजा पितेव त्यसनात्प्रजाः।

(श्रीमद् भागवत् महापुराण 11-17-45)¹²

This means that the king is like a father to his 'praja' or the people to respect our parents it is said :-

'रुर्वतीर्थमयीमाता सर्वदेवमयः पिता

मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्।

पद्मपुराण सृष्टि खंड 7-52/11¹³

About "Daan" or Donation - "Daan" or donation is an important part of our day today life. Sanskrit intellectuals have guided us that whatever may be our income. We should donate ten percent of the total income and the source of income should be legal :-

न्यायोपार्जित वित्तस्य दशयांशेनधीमता

कर्तव्यो विनियोगश्च ईश प्रीत्यथमेव च (स्कन्दपुराण, केदार/12/35)

This shows that the message given by Sanskrit literature is universal and will remain in moral forever. The need for today is to give a true meaning to the old traditions and teachings imbibed in Sanskrit literature.

References :-

- 1 पर्यावरण चेतना म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, Paryavaran Chetna
- 2 जड़िया परमानन्द, समय के स्वर, (Samay ke swar)
- 3 कालिदास ग्रन्थावली चोखंबा सुरभारती प्रकाशन 2002, (Kalidas Granthavali) P.no.402
- 4 Ibid
- 5 हमारा पर्यावरण, गांधी प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
- 6 गीता 104 अध्याय गीताप्रेस गोरखपुर
- 7 नीतिशतकम् by P.P Sharma, Ram Narainlal publications, Allahabad
- 8 Ibid, Shloka no. 19
- 9 कल्याण संस्कार अंक (2006) गीताप्रेस, गोरखपुर
- 10 Ibid
- 11 Ibid
- 12 Ibid
- 13 पुराणान्तर्गत इतिहास नेहा प्रिन्टर्स, पेज न. 135
'पुराणों में वर्णित संस्कारों की चरित्र निर्माण में भूमिका' अपर्णा शर्मा

Shobhaa De- A Multitalented Persona

Pratibha Sharma*

Introduction - Shobhaa De made an early tryst with a career in modeling. She fought her family and friends just to prove herself that she is worthy of such career. But later she realized that that was not her cup of tea. She had an inclination and flair somewhere else. Another world was waiting for her with open arms to embrace her skills. Therefore she had a short-lived, self-aborted modeling career. But in that small time also Shobhaa De carved a niche for herself. The world and especially our nation have not lost on her modeling career which proves that she was a huge success there too. In the following part of the chapter I will take some of her quotations, some excerpts, reviews, etc. to study how at the tender age of 20 also Shobhaa De was a sensible, poised and composed to decide what was best for her.

At no point should fashion be exaggerated, attention-seeking or in-your-face, unless you happen to be Lady Gaga, ⁽¹⁾

Proclaims the witty and irrepressible best-selling author and former model Shobhaa De Few Indian women can boast of looking equally at ease in Indian and Western outfits, but Shobhaa does it with aplomb.

I have zero self-consciousness in what I wear; it's an extension of my personality and who I am," declares the ageless Shobhaa. "I don't take any cues from prevailing trends, and I never have. Fashion is all about individuality and what suits you. The day you start taking fashion, its icons, and its trends seriously, is the day you become a bore. ⁽²⁾

Shobhaa De's Journey as a Journo - The obsessive-compulsive writer of more than twenty books, Shobhaa De has spent the last three years in the pursuit of her first vocation, journalism. Her columns are ubiquitous, appearing in nearly every newspaper and magazine of note. They carry her customarily edgy observations on matters of politics, the economy, business and commerce, the heart and the hearth. Best-selling author, jet-setting commentator and honest critic, she is most at home in Mumbai—a city which is also a recurrent 'character' in much of her work. She emerged as a publisher with her latest book titled 'Shobhaa at Sixty' by her own imprint Penguin Books, titled The Shobhaa De Book. De is on Reader's Digest list of India Most Trusted People, DNA Newspaper's 50 most powerful

Women in India, and Hi Blitz 'India's 50 Most Beautiful' list. After being successful as a Model, she became the first editor of gossip magazine's Stardust, Society and Celebrity. Her racy and raunchy columns explore on socialite life and celebrity lifestyles in Mumbai. She has been held responsible for accelerating the pace and bringing about a sexual revolution through her writings in the column The Sexes of the magazine The Week.

Script writing in Shobhaa De - For Zee's Kitty Party, De's incisive pen has created eight women who are catty, full of gossip, often hypocritical and crafty. What sets these well-heeled women apart from their counterparts in competing serials is their closer association with reality. De has sensitively brought out their honesty even as she brutally exposes their frailties, their obsession with class and their weakness for the rich life. Kitty Party scripted by Shobhaa De is a clever insight into the mind of today's urban Indian women poised at the crossroads of modernity and tradition. It is shocking to see some so-called women-oriented serials which are propagating archaic values of the nineteenth century. I have attempted to put things in the right perspective and pull the women back into the new millennium, ⁽³⁾ says De

At her best- Shobhaa De - THE first daily soap opera inspired by the Gandhi family tells you more about Indian television audiences than about Indian politics or about the Gandhi's. It is called Sarkar, but its subtitle is Rishton ki Unkahi Kahani (the untold story of relationships) which is a way of telling the viewer, hey — doesn't go away! This isn't really a political drama. It's just the kind of stuff you guys love — family intrigue, saas bahu histrionics, a small dollop of sex. It is Shobhaa De potboiler, with some political stereotypes thrown in. After all isn't the political saga of the Gandhi's family, a drama?

Despite the standard disclaimer at the beginning of this soap/drama on Zee, similarities to persons alive or dead are not coincidental but fully intended. De had declared at the launch of the serial in Mumbai that the makers, including her, felt India was ready enough "to tackle a representation of contemporary history". And so it does. The plot is peppered with Gandhi family similarities that give the serial its talking point. Sonny boy has made an unfortunate choice in love, bahu-to-be promises to be a load of trouble, saas

is already frosty in anticipation, and senior bahu is getting uptight about the prospective competition. Sounds familiar? Reminds you of Ekta Kapoor? Or of something that transpired back in the 1970s at No 1 Safdarjung Road?

Shobhaa De a Columnist - A columnist in the country's leading and most widely read newspaper – The Times of India; Shobhaa is also associated with the The Week and more. On a day she can pen down at least 1500 words but of course-

There are days when nothing happens, yet when I get down to it, I can write at a manic pace. ⁽⁴⁾

Most of her writings focus on different aspects of urban India. Urban India defines every aspect of her life – it is her milieu. Shobhaa De writes about realities which she cannot write on her own – what does she know about rural life? How phony! Besides, writers generally choose their turf and stick to it – Vikram Seth does not write about India's villages either. Life in urban India will evolve and change as the world changes.

Shobhaa De as a Blogger - Prominent Indian columnist, writer and social commenter, De has been around the writing scene for more than a decade. Her smart writing style, sharp opinion and versatility have earned her both praise and critique as she remains firm to her views regarding both national and international political, economic and especially social scenarios.

A blogger since 2008, De loves her blog and likes the space and freedom to express her views uncensored and people from all over the world can read. Moreover, as a writer she aims to reach more people and writing for her blog, helps her do that. She concluded that the whole idea is to have dissenting opinions and that is the challenge of a blog. The future of blogging seems optimistic as Shobhaa De reassures everyone to take to the web to express their views.

Some of her blog posts have been involved in controversies. Many of the celebrities shy away from blogs for the fear of speaking their heart out and getting involved in controversies. But Shobhaa De believes that that's a key part of the excitement!! How boring it would be if every blog post was sanitized and 'safe'. She claims that she was no stranger to controversy in any case. She could handle the heat –she was a big girl! Being a columnist with many newspapers and magazines and as an active blogger, Shobhaa's comments on social issues and public life has often acted as a mirror to the state of affairs in the public domain and as an intermediary between the common man and the policy makers. It is not for no reason that she is called on to every other social platform to voice her opinion.

Shobhaa De as a Designer - For four decades Shobhaa De has been in the news. She's been a Vogue cover girl and is a well-known author. Now, the very stylish Shobhaa De extends her creativity to designing saris. I created this special niche called the cocktail sari to make sure that the

younger generation wears it with a sense of style and fun, says De.

For four decades Shobhaa De has been in the news. As a model she was the first Indian to be on the cover of Vogue and as an editor she created some ground-breaking magazines. She made her debut in Mumbai with a collection of lovely saris. From bestselling author to designer-Shobhaa De has made the transition with practiced ease. Mumbai's famous faces made it a point to be seen at her debut as a designer.

Non Stop Shobhaa De - Shobhaa De's two new works scheduled for launch in November are biographies on Bollywood actress Kareena Kapoor and Adi Godrej - the industrialist behind the 115- year-old Godrej Group.

This will be my 18th title, it will be launched digitally, Shobhaa De said addressing CIOs of top IT companies at the Gartner Symposium and IT Expo, adding that she was influenced by Bachchan who has turned tech savvy and making best use of the Internet platform.

My publisher (Penguin) gave me the option of traditionally doing it. But I have said no. My new book would be digitally launched, I haven't tried it before. The launch will be digital and I'm very excited about it. I haven't tried it before but I understand its reach and potential. It's a style book. ⁽⁵⁾

God's golden girl - Shobhaa has often openly spoken about how spiritual a person she is. Spirituality is not something conscious that I think about and think am feeling spiritual at some set hour in the day. It just happens! These things just come by and how! There was a whole generation what was out of touch with these things in pursuit of something intangible. In their run towards what they assumed were success in western terms and the symbols of that success which they seem to be obsessed by, they lost track. I think it will all return soon. I am positive about that. Today be in Ganapathi or Krishna janmashtami or Ramzaan, I see a lot of young people. One reason might be that they are all lost and confused and need something to hold on to, says Shobhaa, who is very intriguingly spiritual and speaks with an air of mysticism. It might just be all this positive energy she gains that keeps her and her wonderful work going.

References :-

1. C.P. Surendra (1992), Just another De, the Illustrated Weekly of India, 6 November.
2. R.S. Pathak (2000), Feminist Concerns, in the Fiction of Shobhaa De ed. Jaydipsinh Dodiya, Prestige Books, New Delhi, pp. 35-36
3. The Hindustan Times Magazine (1995), 12 February, p. 3.
4. Shobhaa De (1992), the Illustrated Weekly of India, Nov.
5. Shobhaa De (1994), Shooting from the Hip: Selected Writings, USB New Delhi

The Perception of Dr BR Ambedkar Regarding the Problems of Small Agricultural Land Holdings

Dr. Prabhakar Mishra*

Abstract - The agricultural land of a nation plays an important role to generate economic power and employment to the population. The decreasing size and the fragmentation have an effect on the productivity of agricultural land holdings. In present paper, an effort has been made to discuss the perception of Dr BR Ambedkar pertaining to the problems and the solutions to make the agricultural land holdings economically more productive and sustenance to face the forthcoming challenges.

Introduction - Of all the natural resources land has an indispensable responsibility to capitalize other natural as well as human resources. Agricultural land is another important aspect of land resource which directly affects the betterment of the human society. The agricultural development is an important component of growing economy. The problems of agricultural land holdings have been remained the subject of great attention to the thinkers and policy makers to attain the valuable attributes of the resource.

Dr. BR Ambedkar is the towering personality among the best scholars and the pioneer thinkers of his time. Basically, he is known as an architect of Indian Constitution and the advocate of downtrodden class of society. But he is also an eminent economist who has the spirit and a vision to the economic reforms. As an economist and a political thinker he guides about the growth with social justice through the publication of his articles and speeches. He accepts that undoubtedly India is an agricultural country and has a number of problems regarding the management and the legislature of agricultural issues like the causes of small land holdings, low productivity, superfluous labour inputs and the distribution of agricultural land, ownership and the development of agricultural practices as an industry.

Importance of Agriculture - As India has 60.2 percent agricultural land of its total land cover. Therefore, Agriculture is the main Sector which produces the remarkable contribution to the GDP. The contribution of agriculture is declining but it is still an important sector to the livelihood seekers. It is also the largest employment providing sector which is the 58.2 percent of total work force of India. Increasing growth of population creates the demand for food and agriculture is also expected to face the demand. Agriculture plays an important role as a pushing factor to the capital formation to achieve the goals of economic development. Agriculture sector can push its surplus

workforce to the industrial sector which can prove an effective growth engine to increase the productivity. Agro based industries i.e. Sugar, Jute, Cotton textile etc. depend on the agricultural productions for their raw material. In India, more than two third of the population lives in rural areas and provides the market for industrial products as a catalyser to industrial development which reflects in agricultural exports to earn foreign capital.

The problems of agricultural economy affect all the developmental sectors. The decrease in the share of agricultural and allied sectors in GDP from 51.9 per cent in 1950-51 to 13.7 per cent in 2012-13 of the country highlights the massive shift from agrarian economy to industry and service sectors and faces the problem of profitability of agricultural land. The agriculture sector has the chronic problem of land reforms. Dr. BR Ambedkar has felt the problems of Indian agriculture i.e. size of land holdings, economic profitability, land tenure system, law of inheritance etc. As an eminent economist, he analysed the causes behind the agrarian problems and suggested suitable solutions to make the agriculture a profitable economic activity.

Small Land holdings in India - Agricultural land holdings are changing their trends as far as size and area of land holding concern. Number of small and marginal land holdings are showing remarkable increase from 61.7 per cent in 1960-61 to 80.0 per cent in 2010-11. The increasing trend of marginal and small land holdings is the sign of economically unprofitable farming and harmful to the economic development. According to Dr. BR Ambedkar ".....diminutive size of holdings is said to be greatly harmful to Indian agriculture." And "the evil of small holdings no doubt, are many. But it would have been no slight mitigation of them if the small holdings were compact holdings. Unfortunately they are not." He further discussed the problem and point out the reason of arrested productivity

*Assistant Professor (Geography) Govt. College, Mehidpur, Distt. Ujjain (M.P.) INDIA

of agricultural practices in our county. As he intimated “ ..small and scattered holdings have given a real cause for anxiety regarding our great national industry. “After each distribution of land holding it converts into a small piece of uneconomic land and remains not feasible to the farmer which has a great and direct effect on the life style of farmers and national growth.

Consolidation of Land holdings - As it is noticed that small and scattered agricultural land holdings cant’ be profitable, Dr. Ambedkar advocated for the solution and presents a process of consolidation of scattered land holdings to get a profitable size of farms. He argues “ if it is said that Indian agriculture suffers from small and scattered holdings we must not only consolidate, but also enlarge them. It must be borne in mind that consolidation may obviate the evils of small holdings unless the consolidated holding is economic, i.e. an enlarged holding.” But the only consolidation of land holdings is not the complete solution because the consolidation raises the issue of unification of small and scattered holdings and provision for maintenance of the size of consolidated land holdings to restrict further fragmentation. He pointed out the social system as a cause of fragmentation of agricultural land and admitted “the problem of perpetuating such a consolidated holding will next demand the care of the legislator. It is accepted without question by many that the law of inheritance that prevails among the Hindus and the Mohomedans is responsible for the sub-division of land.”

Size of land holdings -In agricultural practices, productivity is much affected by the size of land holdings. After enforcing all required inputs we can’t be sure about the economical viability of land holding because the process of production depends on the combination of producing factors like land, labor and capital. Combination of these factors determines the economic efficiency of land holding. Change in volume or input variation of a particular factor may affect the response of other contributing factors to the productivity of land holdings. As Dr. Ambedkar reveals “ to a farmer a holding is too small or too large for the other factors of production at his disposal necessary for carrying on the cultivation of his holdings as an economic enterprise. Mere size of land is empty of all economic connotation. Consequently, it can not possibly be the language of economic science to say that a large holding is economic

while a small holding is uneconomic it is the right or wrong proportion of other factors of production to a unit of land that renders the latter economic or uneconomic.”

An ideal size of a land holding is the topic of discussion. However, fragmented small size of land holding and repeatedly sub division of land destroy the economic profitability of land holdings. The trend of change in area under small and marginal size of land holdings are 19.2 per cent in 1960-61 and 44.48 per cent in 2010-11 which presents a rapid increase towards minimization of size of land holdings. Decreasing size of land holdings requires attention to avoid the problems associated with the issue.

Suggestions - As an agricultural reformer and advocate of social justice Dr. BR Ambedkar suggested some significant views and conclusions for the agricultural development . these are as under –

1. The agriculture should be the state industry.
2. The agriculture should be cultivated in a collective manner in accordance with the direction issued by the government.
3. The state shall acquire and form the standard size of land holdings and provide to the farmers.
4. Transfer of surplus idle agricultural labour to industry sector for better use of work force.
5. Consolidation of fragmented and small land holdings to generate the economic productivity.
6. And promotion of agricultural sector as a reciprocal support to the industrial sector.

Conclusion - As agriculture is the main contributor to the economic development and greatest livelihood provider of the country, it requires reforms regarding the management , perpetuation of size of holdings, consolidation of fragmented land and legislature of inheritance etc. Dr. Ambedkar recognized and pointed out the various agricultural problems through his articles and provide noteworthy solutions for the economic development of the country.

References :-

1. Dr. BR Ambedkar, Small Holdings in India and their Remedies, Writings and Speeches, vol.1, 1918
2. Report of Agriculture census 2011, Govt. of India
3. VD Nagar, Dr. Ambedkar : Social and Economic Thoughts, MP Hindi Granth Academy, Bhopal

Long Term Behavior and Relationship Between Solar Parameters And Geomagnetic Activity

Dr. Lokendra Kumar Borker* Dr. S.K. Khandayat**

Abstract - The solar flare of higher importance normally produce a host of phenomena such as emission of soft thermal and hard non-thermal X-ray and different types of bursts in radio region, characterized by different frequency time evolution. To measure the solar activity on the basis of solar flares, a solar indices grouped solar flare (GSF) is formed. GSF is a sum or group of solar flares, which are counted by number. It is essential to measure the GSF and its association with sunspot numbers. A normal and positive correlation exists between sunspot number of Ap-index during study. A positive and high correlation exists between GSF and Ap-index for the ascending phase for the period of 1996 to 2007. A normal and positive correlation exists between GSF and Ap-index for the descending phase for the period of 1996 to 2007. Correlation among various solar parameters (Rz, GSF and SF) show that all of them are highly correlated with each other.

Keywords - Solar flare, Grouped solar flare, Solar Parameters.

Introduction - A number of solar parameters such as sunspot numbers, Ha solar flares, solar radio flux, solar irradiance, coronal green lines, Tilt angle, coronal index (CI) of solar activity were observed by various solar telescopes as well as from detectors board on spacecraft's. All these solar parameters show eleven year periodicity. Out of these solar parameters, generally it is accepted that sunspot number (Rz) is a most suitable and easily available parameter of solar activity. A large number of physical phenomena occurring in the heliosphere follow the change associated with various solar indices over period of 11/22 years. We have done a systematic study to derive long-term relationship among various solar parameters.

The variation of solar flux with solar activity cycle has been attributed to the supplementary flux from dense condensations in the corona over solar disk active regions. Occurrence of solar flares in active region of sun produce large amount of radiation, hard and soft X-rays and radio emission of various types. In this section we have done a correlative analysis between solar flux and Grouped solar flare for the period of 1996 to 2007. Annual average values of solar flux are plotted against the annual average values of Grouped Solar Flares as shown in Figure 1. Figure 1 shows that these two solar indices are highly positively correlated (correlation coefficient 0.94) with each other on yearly average basis. For the further verification of our results, we have also correlated the monthly mean values of solar flux with monthly mean values of Grouped Solar Flares, as shown in Figure 2. Best fit regression line is also drawn. On the basis of this analysis one can easily predict

that one of the solar index is better related with another solar index.

The sun emits a variety of radiations and corpuscular material, much more so near the maximum of an 11-year cycle. Some solar effects are felt of Earth by the direct impinging of solar radiation, while others are conveyed via the solar wind. Effects of solar variability are seen very strongly in the upper atmosphere but are reduced at lower altitudes. Space weather and its terrestrial effects in a burning topic now. It all started after invention of a brilliant spot on solar disk (a solar flare), which was followed by a geomagnetic storm » 18 hours latter. (Hodgson, 1859), Hale (1931) first time clamed that solar outputs and geomagnetic storms were really interrelated. Chapman and Bartels (1940) suggested that on some occasions like the eruptions of solar flares, the sun probably emits corpuscular radiation (Particles) which take a few hours (or days) to reach the earth. Parker (1959) showed theoretically that the sun must be emitting material all the times, called the solar wind. The solar wind compressed the terrestrial magnetic field and confined it into a "magnetosphere" which had a magnetopause. The solar wind could not normally penetrate the magnetosphere, but on certain occasions, particularly after solar flares, interplanetary structures with high number density and increased wind speed caused geomagnetic storms, but only when the magnetic field in the structure had a component Bs anti parallel to geomagnetic field. Dungey (1961) gave a theoretical explanation based on magnetic reconnection as follows. If the interplanetary magnetic fields are directed opposite to

*Asst. Prof. (Physics) Govt. College, Panagar, Jabalpur (M.P.) INDIA
**Asst. Prof. (Physics) Govt. College, Lalbarra, Balaghat (M.P.) INDIA

the Earth's field, there is magnetic erosion on the day side magnetosphere by magnetic reconnection, and magnetic field accumulates in the night side magnetotail region. The magnetic reconnection in the tail leads to plasma injection toward the Earth in the night side. Low energy particles precipitate in the high latitudes and cause aurora, while high energy protons drift to the west, and electrons drift to the east, forming a "ring current" around the Earth, which causes a reduction in geomagnetic field.

In the present analysis, we have derived a long-term relationship of two solar indices, Rz and Grouped Solar Flares (GSF) with geomagnetic disturbance index Ap. Figure 3. shows the yearly mean values of sunspot number Rz and GSF along with Ap values. High Ap values are observed monthly during the period of solar maxima. The Ap values become minimum near sunspot minimum. It is understood that solar outputs governed the variability in the earth magnetic field. It may be on short-term as well as on long-term basis. In next few sections we have presented the detailed study of the relationship of Rz and GSF with

geomagnetic Ap -index on long-term basis.

Conclusions - Positive and high correlation exists between the sunspot numbers and Grouped solar flares (GSF) for the period of 1996 to 2007. Relation between solar flux (SF) and sunspot number show high and positive correlation for the period of 1996 to 2007 on taking the year mean values or monthly mean values of these two solar indices. Grouped solar flares also show positive and high correlation with solar flux. Correlation among various solar parameters (Rz, GSF and SF) show that all of them are highly correlated with each other. Sunspot numbers, grouped solar flares and solar flux are examined as a reliable solar parameters. All these solar parameters show 11-year variational trend.

References :-

1. Mauromichalki, H and Vassilaki. A, 1998, Solar Physics, 183, 181
2. Burlaga, L.R, 1979, Space Sci Rev., 23, 301
3. Khandayat, S.K. , 2011 Solar Source Association with Interplanetary Disturbances and Geomagnetic Field Variations




Figure 1. Shows the cross plot between yearly mean values of grouped solar flares and solar flux for the solar cycle 23.




Figure 2. Shows the cross plot between monthly mean values of Grouped solar flares and solar flux for the solar cycle 23




Figure 3. Shows the yearly mean values of Rz, GSF and Ap-index for the period of 1996 to 2007.

Social Pandemic: A major theme of *Untouchable* by Mulk Raj Anand

Dr. Sehba Jafri* Dr. Veena Kurre**

Abstract - Mulk Raj Anand, died of pneumonia in the age of 98, was the most prominent Indian novelists in the field of Indian writing in English. There is a vast range of literary achievements of Anand. The novels, the short stories, the critical essays, small contents on literature and art, and few literary articles are his legacy. His realistic and sympathetic portraits of the Indian poor class are the one which keeps him at the front of the line with Raja Rao and RK Narayan. His prolific writing career frequently referred to him as a “founding father” of the Indo-English novel.

Anand spent more than 75 years in writing. He was well known for the quest for existence, quest for justice, and quest for a standard life-style during epidemic for poor Indians. He penned many more new corners including art, sculpture and politics but he became famous for his socio-biological descriptions of Indian poor class in Indian literature. The present Paper is a small effort to pen Anand's description of Pandemic which is still the same after a long time of Independence which aims at the amendment of socio biological conditions of India in context of politics.

Keywords - Democracy, Discrimination, Social relevance, Pandemic, Untouchability, Social evil, Caste based discrimination.

Introduction - If a disease occurs and sprays worldwide over a large area it is called Pandemic. It crosses the national and international boundaries and targets a large quantity of people. It breaks population immunity and destroys every rule and regulation of virology or disease severity. In another survey pandemics may call a disease that is occurred annually in each of the temperate southern and northern hemispheres, given that seasonal epidemics crosses international boundaries and affect a large number of people. However, seasonal epidemics are not considered pandemics. Now the question arises, “what is social Pandemic”. A social pandemic is the chronic mental illness in which one can feel oneself disable to come close to somebody who does not belong to the same race, cast, breed, culture or religion. Although we feel minor sniffles and scrapes in Indian community very often but they have a scientific basis beneath them. It was a manageable and curable social issue before some time but the polarization, since last few years is very common due to the current social, mental and political scenario. We may call it polarization or we can give it another name of classism of social pandemic. It can also be seen in different countries in different ways. There is much inspiration to be found, starting with the work of Anand . Anand was a Marxist by principles and Gandhian by rules and regulations. The history of ideas exposes that his literary career was an outcome of a family tragedy of rigid caste system which had happened with his aunt in response to share her meal

with a Muslim. It provoked Anand to be Mulk Raj Anand. He wrote many moving essays in response to that suicide committed by his Aunt for excommunicating. It was first quarantine for social disorder. This live description of social Pandemic moved him towards the socio-biological conditions of the country and he penned many more pathetic pictures to depict the social as well as biological outbreak of Epidemic.

Themes of Social Pandemic in Anand's Novels - Anand was a prominent Indian author who wrote novels, short stories, critical essays and touched almost all the fictional genres. He is well-known for his realistic and sympathetic portrayal of the poor in India. He is considered a founder of the Indian Writing in English. He had a long list of international fans and followings at the very beginning of his career. His novels *Untouchable* (1935) and *Coolie* (1936) were the leading as well as thought provoking novels to change the mind set-up of an entire educated generation of India who used to believe in the purity and goldenity of Indian Culture and India started to think about its social evils perpetuated in the name of caste and religion. His every novel had a socio-biological purpose alongside. It had kept something new from the society's point of view before the readers. The themes of his novel proved that Art is not necessarily for art's sake.

Unlike the authors who believed that purposeless art and literature is true art, Anand has given a sound judgment by using art for social sake. *His creations like, Persian*

*Asst. Prof, School of Arts, Humanities & Social Sciences, SAGE University, Bhopal (M.P.) INDIA

** HOS, School of Arts, Humanities & Social Sciences, SAGE University, Bhopal (M.P.) INDIA

Painting (1930), *Curries and Other Indian Dishes* (1932), *The Hindu View of Art* (1933), *The Indian Theatre* (1950), and *Seven Little-Known Birds of the Inner Eye* (1978) clearly reveal that art and life for him has single face. Arts is always exposed what life has given us as a spectator.

Although, Disease don't care for class community and race but they continuously focus on these elements including status, gender and sex. It also affects the geography of the area. The **theme** of the novel **"Untouchable"** is the age old mental and social injustice by the traditional Hindu society to the **untouchables along with the outbreak of a disease named Kala Azar**. Anand has artistically portrayed the harsh reality of the Indian society. This reality was also of the time period of outbreak of kala-azar. This is as older as dated records. **Untouchable** is not only a novel but social record of relevance of human existence in the context of outbreak of Malaria and the conversion of this epidemic into toxic malaria.

When a novel has its social relevance in the context of human biology that means it's a socio-biological novel. Sometimes it deals with a social problem sometime with the demographical damage. It may work of on the problem of gender, race, or class prejudice, or it dramatizes its effect on a particular character who works as the spokesman of the society. If the social problem discussed in the novel or any literary work is still prevailing in the society then the relevance of that particular work crosses the boundary of socio biology and enters in the regime of Social Pandemic. *Untouchable* is a novel in which the burning issue of its time problems as been dramatized.

Anand's Vision - Anand was the only seer among the blinds as he was able to see the future of independent India centuries ago. He already started to attack the foe factors of Indian democracy. The Sword and The Sickle of words he used were the weapons for social improvement. The downtrodden, deprived and socially meek were the classes for which he started to write. He had a great far sight for the problems of Independent democratic India. He penned them like a pandemic issue. He spoke for economically backward people of labor class. The discrimination between the upper and the lower strata of the society which has no voice, no pen and no movement nowadays were already predicated by Anand even before India got freedom. This was not a personal sympathy for the people of lower and abandoned caste and class but a voice to show the mirror that a biological pandemic may be removed but a social pandemic require an effort to these sects of society. The *Untouchable* Bakha, The poor Munnoo, The Radha, around whom whole of the democracy laughs by dressing itself with Bureaucratic dress up and Authoritarian attitude, his plot revolves. He introduces us the future of failure democracy in a poor country in which a young man of 18 felt humiliation due to untouchability in the society. He opens our eyes by showing us that India is a place where even a

small profession of manual scavenging and cleaning the public latrines required some special qualifications. One is considered untouchable in the society only by his choice of profession. Indian society is a caste ridden society where caste based discrimination is an age old problem. From the ancient time to the modern, casteism remained a sensitive issue.

There are several scenes in Anand's Novels in which we see his vision on social Pandemic. The 'Bakha' of *Untouchable* is highly critical for Social pandemic. Bakha, the victim of Caste System is in fact, the spokesman for the discrimination created by British Rule in India and India's caste system. The problem may be seen here as one of the biggest societal problems that plague the society as Bakha eats his candies, a high-caste man brushes up against him. The touched man did not see Bakha because the sweeper forgot to give the untouchable's call. The man is furious. His yelling attracts a large crowd that joins in on Bakha's public shaming. A traveling Muslim vendor in a horse and buggy comes along and disperses the crowd. Before the touched man leaves he slaps Bakha across the face for his impudence and scurries away. A shocked Bakha cries in the streets before gathering his things and hurrying off to the temple. This time, he does not forget the untouchable's call.

The most pathetic scene we may see it the novel when Bakha runs towards town and ends up at the train station. He overhears some people discussing the appearance of Mahatma Gandhi in Bulashah. He joins the tide of people rushing to hear the Mahatma speak. Just as Bakha settles in to listen, Gandhi arrives and begins his speech. He talks about the plight of the untouchable and how it is his life's mission to see them emancipated. He ends his speech by beseeching those present to spread his message of ending untouchability. After the Mahatma departs a pair of educated Indian men have a lively discussion about the content of the speech. One man, a lawyer named Bashir, soundly critiques most of Gandhi's opinions and ideas. The other, a poet named Sarshar, defends the Mahatma passionately and convincingly. Much of what they say goes above Bakha's head, so elevated are their vocabulary and ideas. However, he does understand when Sarshar mentions the imminent arrival of the flushing toilet in India, a machine that eradicates the need for humans to handle refuse. This machine could mean the end of untouchability. With this piece of hope, Bakha hurries home to share news of the Mahatma's speech with his father.

Conclusion - India is still not able to do away with its Social Pandemic. Caste politics is the factor which is increasing its ratio by catalyzing it. Ruling party, sometimes, makes a dramatic effort to woo such lower castes on three basis : A) reviewing social justice schemes B) revisiting job reservations and C) the sub-categorization of lower castes. Sometimes the rival Party increases this pandemic by provoking, society by dividing it among higher castes and lower castes (known as Other Backward Castes or OBCs,

among the socially and “educationally backward” sections of Indian society), Scheduled Castes (known as Dalits, formerly “Untouchables”), and Scheduled Tribes Politics as demonstrated by historic- Indian literature be it, Indian English, Hindi or Urdu, we see the continuous emotional, social & even physical attacks by the prestigious people on members of lower caste. These measures are eventually getting deepen through India’s caste politics and strengthen casteism which is the world’s oldest surviving social hierarchy.

Mulk Raj Anand including many other writers, always challenged authoritarianism, societal evils, caste dominance, etc. through their writings. These authors and their works dazzled millions of people and forced them to think, reflect and act. He directly attacked on socio political strategies working to win the heart and the vote of millions of lower castes and thousands of upper castes who make a large part of Indian population. However, their outreach initiatives are not born out of a concern for social justice but they are only the part of an electoral agenda through

will they use to fill their vote bank.

Anand’s vision was futuristic before the concept of India’s right-wing and Left –wing organizations. This has proved by him with laying emphasizing on a successful implementation of divide and rule policy in the slave India. Mulk Raj Anand was one such writer whose works are noted for their perceptive insight into the social pandemics. His novel *Untouchable* is the Master- Piece of the lives of the oppressed and their analysis of destitution, exploitation and adversity. One of the pioneers of Indo-Anglian fiction, Anand was one of the first India based writers to write in English to gain an international readership.

References:-

1. M.R. Anand and Stella Kramrisch, *Homage to India*
2. Alain Daniélou, *The Hindu Temple: Deification of Eroticism*
3. Prasenjit Dasgupta, *Khajuraho*, Patralekha, Kolkata, 2014
4. Devangana Desai, *The Religious Imagery of Khajuraho*, Franco-Indian Research P. Ltd. (1996)

COD and CO₂ measurement and UV-Vis spectral analysis during mineralization process of Azure A Dye

Dr. David Swami*

Abstract - Azure A is a phenothiazine class of dye in which an atom of sulphur replacing oxygen in hetrocyclic ring. The dye degradation was monitored during UV-Vis spectral analysis, COD and CO₂ measurement during mineralization process of Azure A Dye. UV-Vis spectra confirmed the degradation of Azure A dye. Estimated COD, evolution of CO₂ confirmed the mineralization of dyes during photocatalytic degradation.

Keywords - Azure A, Degradation, Mineralization, Evolution, COD, Spectra.

Introduction - Textile dyes enhance our environment bringing color into our lives. It finds numerous applications in our daily life in clothing, food, paper, leather, cosmetics, plastics, drugs and printing. Dyes pollutants from the textile industry are an important source of environmental contamination. They enter the aquatic ecosystem and create various environmental hazards.⁽¹⁾ One of the most promising treatments based on total degradation of hazardous organic compounds by using Advanced oxidation process has been reported. Advanced oxidation process is chemical treatment given to such type of pollutant, which cannot be treated by conventional methods. Advanced oxidation processes oxidize and mineralize the pollutants into their simpler forms.⁽²⁾ Complete mineralization can be ascertained by COD and CO₂ measurements. The COD is widely used as an effective technique to measure the organic strength of waste water. The UV-Vis absorption spectra of Azure A were studied a different times of irradiation UV-Vis spectra confirmed the degradation of Azure A dye.⁽³⁾

Experimental - Azure A was obtained from Loba Chemie. Photo catalyst TiO₂ was obtained from the S.D. Fine Company. All Solutions were prepared in doubly distilled water. Photo catalytic experiments were carried out with 50 ml of dye solution (3.8x10⁻⁵ mol dm⁻³) using 300mg of TiO₂ photo catalytic under exposure to visible irradiation in specially designed double-walled slurry type batch reactor vessel made up of Pyrex glass (7.5 cm height, 6 cm diameter) surrounded by thermostatic water circulation arrangement to keep the temperature in the range of 30±0.3°C. Irradiation was carried out using 500 w halogen lamp surrounded by aluminum reflector to avoid irradiation loss. During photo catalytic experiments after stirring for 10 min slurry composed of dye solution and catalyst was placed in dark for ½ h in order to establish equilibrium between adsorption and desorption phenomenon of dye molecule on photo catalyst surface. Then slurry containing

aqueous dye solution and TiO₂ was stirred magnetically to ensure complete suspension of catalyst particle while exposing to visible light. At specific time intervals aliquot (3ml) was withdrawn and centrifuges for 2 min at 3500 rpm to remove TiO₂ particle from aliquot to assess extent of decolorization photo metrically. Changes in absorption spectra were recorded at 480 nm on double beam UV-Vis, spectrophotometer (Systronic Model No. 166) Intensity of visible radiation was measured by a digital luxmeter (Lutron LX 101). pH of solution was measured using a digital pH meter.

Methods for identification of mineralized product:

Determination of Chemical Oxygen Demand (COD)

Principle - The amount of oxygen needed to consume the organic and inorganic materials is called chemical oxygen demand (COD), Potassium dichromate is considered the best oxidant due to its strong oxidizing ability, its applicability to a wide variety of samples and ease of manipulation makes it very efficient. The sample is refluxed in strongly acid solution with a known excess of potassium dichromate (K₂Cr₂O₇). After digestion, the remaining unreduced K₂Cr₂O₇ is titrated with ferrous ammonium sulphate to determine the amount of K₂Cr₂O₇ consumed and the oxidizable matter is calculated in terms of oxygen equivalent⁽⁴⁾.

Determination of CO₂

Principle - Free CO₂ can be determined by titrating the sample using a strong alkali (such as carbonate free NaOH) to pH 8.3. At this pH all the free CO₂ is converted into bicarbonates⁽⁵⁾.

Results and Discussion -

COD and CO₂ measurements during mineralization process - The result presented in Table (1) show that the photocatalytic process led, apart from decolorization, to a substantial decrease of the chemical oxygen demand (COD) of the solution. As the irradiation time increased, dye molecules are degraded to components of lower and lower molecular weight fractions and consequently led to

complete mineralization that can be ascertained by COD and CO₂ measurements. The COD is widely used as an effective technique to measure the organic strength of wastewater. The test allowed the measurement of waste in terms of the total quantity of oxygen required for the oxidation of organic matter to CO₂ and H₂O. The COD of the dye solution was estimated before and after the treatment. The reduction in COD values of the treated dye solution indicated the mineralization of dye molecules along with colour removal. The aqueous solution of a mixture of Azure A (3.8 × 10⁻⁵ mol dm⁻³) was exposed separately to visible light in the presence of TiO₂ at a dose of 300 mg/100 mL. Aliquots were taken at regular intervals and COD was measured using closed reflux titrimetric method⁽⁶⁾. As the irradiation time increased dye molecule got degraded to compounds in the estimated COD value from 184 mg/L to 0 mg/L. CO₂ value increased from 55 mg/L to 242 mg/L in 6 hours of illumination indicated photo degradation of treated dye solution. The reduction in pH of solution has also been observed with increase in the extent of mineralization.

Table 1: COD and CO₂ measurements during photodegradation process:

[Azure A] = 3.8 × 10⁻⁵ mol dm⁻³, TiO₂ = 300 mg/ 100 mL, pH = 9.0

Light intensity = 20 × 10³ lux, Temperature = 30 ± 0.3 °C.

Irradiation time (h)	COD (mg/L)	CO ₂ (mg/L)	Efficiency (%)	NO ₃ ⁻ (mg/L)	SO ₄ ²⁻ (mg/L)	pH
0	184	12	0.0	0	0	8.7
2	116	21	36	4	10	6.3
4	34	23	81	9	25	4.7
6	16	67	91	21	29	4.0
8	6	80	96	25	32	3.2




Fig. 1 COD and CO₂ measurements during photo degradation process of

Azure A: [AA] = 3.8 × 10⁻⁵ mol dm⁻³, TiO₂ = 300 mg/100 mL, pH = 9.0

Light intensity = 20 × 10³ lux, Temperature = 30 ± 0.3 °C.




Fig. 2 Formation of SO₄²⁻ and NO₃⁻ during mineralization Azure A:

[AA] = 3.8 × 10⁻⁵ mol dm⁻³, TiO₂ = 300 mg/100 mL, pH = 9.0
Light intensity = 20 × 10³ lux, Temperature = 30 ± 0.3 °C.

UV- Vis spectral analysis during mineralization - The UV-Vis absorption spectra of AA were studied at different times of irradiation. AA is phenothiazine dye in which the chromophore part of molecular structure contains phenothiazine group. The changes in the absorption spectra of AA solution during the photocatalytic degradation at different irradiation times are presented in Fig.3 both in the UV and visible region. Its λ_{max} is 480 nm. The decrease of absorption peaks actually indicated a rapid decoloration and degradation of AA dye⁽⁷⁾. The nearly perfect disappearance of peaks in UV region reveals that AA dye is eliminated in presence of TiO₂ after 8 h of irradiation.⁽⁸⁾





Fig.3: UV- Vis spectrum of Azure A: [AA] = 3.8 × 10⁻⁵ mol dm⁻³



TiO₂ = 300 mg/ 100 mL, pH = 9.0, Light intensity = 20 × 10³ lux

Temperature = 30 ± 0.3 °C.

Mechanism of photocatalytic degradation - The photocatalyst, TiO₂ is a wide bandgap (3.2eV) semiconductor, corresponding to radiation in the near UV range. The use of high energy UV light is not only costly, but also can be hazardous. Therefore, the possible use of visible light has recently drawn attention. Organic pollutants like dyestuffs have the ability to absorb visible light. When dye molecules are adsorbed onto the surfaces of TiO₂, their translational mobility is considerably reduced and it extends the range of excitation energies of the semiconductors TiO₂ into visible region⁽⁹⁾. The visible light excites the dye molecules adsorbed on TiO₂ and subsequently inject electrons to conduction band (CB) of TiO₂. While the CB acts as a mediator for transferring electrons from the dye molecule to substrate electron acceptors on TiO₂ surface, the valance band (VB) remains unaffected in a typical photosensitization⁽¹⁰⁾. The conduction band electron of TiO₂ is scavenged by O₂ molecule to form O₂^{•-} or more active radicals such as [•]OH, these active oxygen species attack the cationic dye radical or dye molecule, leading to degradation followed by mineralization of organic pollutant. Photosensitized degradation of organic dyes has been carried out on TiO₂ where the organic dye serves as both a sensitizer and a substrate to be degraded⁽¹¹⁾. Such type of electron transfer mechanism has been called a "photosensitizing oxidation." The mechanism of dye degradation under visible light irradiation can be described as 1-10⁽¹²⁾.



This process of dye sensitization has an advantage in degradation of organic pollutants with visible light. Photosensitizing mechanism will help to improve the overall efficiency and make the photocatalytic degradation of textile dyes using solar light more feasible⁽¹³⁾. The mechanism of TiO₂ photocatalysis is of very complex nature. Cationic dye radicals interact with O₂^{•-}, HO₂[•] or [•]OH species to generate intermediates ultimately lead to the generation of degradation products. Hydroxyl radical ([•]OH) being very strong oxidizing agent (standard oxidation potential 2.8 eV) mineralizes dye to end product.



As the degradation process proceeds with illumination of many unstable intermediate species which finally mineralized into CO₂, H₂O, NO₃⁻ and SO₄²⁻. A decrease in COD and increase in CO₂ also confirmed the complete mineralization of dye. Significant amount of NO₃⁻ and SO₄²⁻ released during the mineralization of dye. Complete disappearance of peaks in UV-Vis region indicates the absence of any organic moiety.

Conclusion – Photocatalytic mineralization of Azure A can be effectively carried out utilizing TiO₂ with visible light. UV-Vis spectra confirmed the degradation of Azure A dye. Estimated COD evolution of CO₂ confirmed the mineralization of dye during photocatalytic degradation.

Acknowledgment – Author acknowledgement the support and laboratory facilities provided by Chemistry Department S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) My sincere thanks to the technical staff of UGC-DAE, CSR, Indore for their kind co-operation and help offered during the work period.

References:-

- Lodha S., Vaya D., Ameta Rakshit and Panjabi P. B., *J. of the Serbian Chem.Soc.* 73 (2008) 631.
- Alinsafi A., Evenou F., Abdulakarim E. M., Zahraa M. N. P., Benhammou A., Nejreddire and Yaacoubi A., *Dyes and Pigments* A, 22 (2007) 439.
- Caliman A. F., Teodosiu C. and Balasanian I., *Environ.Eng. and Mang*, 1 (2002) 187.
- Dobbs R. A. and R. T. Williams, *Anal. Chem.*35(1963) 1064.
- Maiti S. K., *Handbook of methods of environmental studies: water and wastewater analysis* (ABD pub. Jaipur, India), vol. 1 (2001) 50.
- Kavitha S. K. and Palaisamy P. N., *World Academy of Sci., Eng. and Technol. C: Civil and Environ. Eng.* 3 (2010) 1.
- Nishimote S., Ohtani B., Kajiwarra H. and Kagiya T., *J. Chem. Soc.*, 81 (1985) 61.
- Evgenidou E., Fytianos K. and Poullos I., *J. Photochem. Photobiol. A:Chem.*, 175 (2005) 29.
- Subramani A. K., Byrappa K., Ananda S. and Lokanatha Rai M. K., *Bull. Mater.Sci.*, 30 (2007) 37.
- Akar S. T., Akar T. and Cabuk A., *Brazilian J. Chem. Eng.*, 2 (2009) 399.
- Sun Z., Chen Y., Yang Y. and Yuan J., *J. Photochem. Photobiol. A:Chem.*, 149 (2002) 1233.
- Chen F., Liu H., Bagwasi S., Shen X. and Zhang J., *J. Photochem. Photobiol. A: Chem.*, 215 (2010) 76.
- Zhao M., Chem S. and Tao Y., *J. Chem. Technol. Biotechnol.*, 64 (1995) 339.

India- ASEAN and COVID - 19

Dr. Krishna Rai Chouhan*

Introduction - Look East policy is an attempt to forge closer and deeper economic integration with -its eastern neighbors as a part of the new real politics in evidence in India's foreign policy, and the engagement with Association of South East Asian Nations (ASEAN) is the recognition on the part of India's elite of the strategic and economic importance of the region to the country's national interests.

The Look East policy is the product of various compulsions, changed perceptions and expectations of India in the changed international environment. The end of cold war brought about a fundamental change in the international system, which focuses on the economic content of relations and led to the burgeoning of the formation of regional economic organizations. While India was opening up to the world market, it became aware of the growing trends towards regionalism and feared that it might be marginalized from the dynamics pushing the global economy. The economic reforms, coupled with the integrative forces of globalization; frustration with the process of integration within South Asia and the renewed concern about the antecedent and powerful China and its impact on India's security, as well as India's unease at Beijing's growing assertiveness in the Asia-Pacific region made India to rethink the basic parameters of its foreign policy. In this changed international system in the aftermath of the cold war, the success stories of the East Asian Tiger economies and the radical shift in India's economic and strategic circumstances caused New Delhi to pay more attention to the rapidly growing economies of East and Southeast Asia.

Historical Evidences - Over the year the themes of greater connectivity, stronger cooperation and broader contacts dominate India's engagement with ASEAN. Historically, trade between India's coastal kingdoms of Orissa and Southern India and countries in Southeast Asia such as Thailand, Malaysia and Cambodia are well described in history. In addition, Buddhism and Hinduism, both Indic religions, retain a strong influence in Southeast Asia, with epics like the Mahabharata and Ramayana being part of the ethos of Southeast Asia. Perhaps no other region in the world has felt the impact of India's culture and religion as South East Asia. Both Dravidian and Aryan people have had contact with the people of the South East Asia region.

Many Indian dynasties which made contact with the region. It was in this period that Nalanda University in India emerged as the principal centre of learning based on philosophical and religious (Buddhist) discourse for the whole South east and East Asian region.

After the Second World War Asian awareness was very much eager to play crucial role in international affairs, which has been until western domain. India supported the anti-colonial movement in Southeast Asia—the convening of the Asian Relations Conference in 1947, a special conference on Indonesia in January 1949, Chairmanship of the International Control Commission on India-China in 1954 and the sponsoring of the Bandung Conference—all these reflected India's deep involvement in the freedom struggle being waged by the countries of the region.

India ASEAN Relations After Covid-19 - India and ASEAN will play a lead role in the post –COVID World Economic Recovery. He said the future belongs to them due to common traits of grits, courage and determination to the scale newer heights.

When India walked away from the Regional Comprehensive Economic Partnership in November 2019, Prime Minister Narendra Modi said India had “outstanding” concerns with the free trade agreement between the 10 ASEAN nations, China, Japan and others, covering 40% of the world's gross domestic product. The reality is that India was concerned to expose the weaknesses of its domestic market to superior economies.

Though the hope of India returning to RCEP has not entirely faded, and Vietnam, the current ASEAN chair, wants to act as a “bridge with India,” ASEAN members need to figure out the prospects for RCEP in a post-COVID world. For now, the focus on building alternative supply chain networks and the recovery of regional economic fortunes are gaining momentum.

This year's virtual summit is so special. There are three major points. First, the COVID-19 is on the way out but wrecks are everywhere in the economy, and restoration may take time. And, there is no assurance that devastation may not appear in near future. Both ASEAN and India are seeking collaborative ways to deal with the challenges posed by Coronavirus. ASEAN has been looking forward to COVID-19 vaccines and related drugs and formulations

*Assistant Professor (Political Science) Government Degree College, Dolariya, Hoshangabad (M.P.) INDIA

being driven by India.

Second, diseases are trans-boundary, effects are global but destructions are local. Long term implications are huge to wipe out an entire generation. Therefore, the need for deeper cooperation between ASEAN and India in search of collective solutions to these challenges and the collective path for a resilient recovery is the first and foremost priority. Third, QUAD is already anchored, and Indo-Pacific is gaining momentum. This is a take-off time for ASEAN-India partnership to tide over the global challenges together. India holds an edge in the Indo-Pacific.

The pandemic has impacted the trade flows between ASEAN and India. Trade forecast indicates that the ASEAN-India trade in goods is likely to decline from US\$ 90 billion in 2019 to US\$ 84 billion in 2021.

New Delhi has reached out to only a few Southeast Asian countries and companies in a case-specific manner to give or receive crisis-time assistance. India must eschew a piecemeal strategy and broaden the scope of its COVID-19 outreach eastward to strengthen its Act East Policy (AEP), fortify its credibility in Southeast Asia, and balance Chinese interventions. For India, institutionalizing crisis-time transregional cooperation carries both short and medium-to-long term imperatives.

Unequal Outreach - Besides countries in its extended neighborhood, like Mauritius and the Seychelles, India has so far offered COVID-19-related assistance — supplying hydroxychloroquine (HCQ) and paracetamol tablets and other medical supplies — to at least 123 countries, including the United States, Germany, Spain, South Africa, Kuwait, Jordan, the Dominican Republic, and Antigua and Barbuda. Seen in this context, India's outreach to the nearby ASEAN region appears oddly scant.

So far, Modi has directly spoken to his counterparts in only three ASEAN member states — Vietnam, Singapore, and Indonesia — to discuss health and economic challenges. India has also agreed to supply HCQ tablets to Malaysia and received a donation of 30,000 COVID-19 testing kits from a Singaporean company. The Indian embassy in Manila has supplied masks, sanitizers, and medicines to Philippine government officials, university students,

India is willing to collaborate with the ten-member ASEAN in the production of generic drugs and medical

technologies used for treatment of Covid-19 patients, Commerce and Industry.

“India welcomes the initiatives of ASEAN to mitigate the impact of the pandemic and the establishment of the ASEAN Covid-19 Response Fund,” Minister Goyal said at the 8th East Asia Summit - Economic Ministers’ Meeting) held virtually adding that the two sides could work together in fighting Covid-19 by jointly producing generics and technology. “India was privileged to be able to serve the world by producing 70% of the global vaccines and being trusted as the pharmacy of the world,”.

The participating Ministers also agreed that any trade restrictive emergency measures put in place to address the impact of Covid-19 must be targeted, proportionate, transparent, temporary, consistent with WTO rules and do not create unnecessary barriers to trade or disruption of global and regional supply chains.

India's partnership with ASEAN in coming years will depend upon two factors: first, how the ASEAN states will address various challenges which they are currently facing individually and collectively: and secondly, how much significance the region will impart to India in resolving these challenges. Whatever method India or ASEAN should adopt to resolve these challenges individually but for enhanced co-operation both should have to resolve the various challenges with collective efforts for smooth functioning in future.

References:-

1. Ram.A.N."Two Decades of Look East Policy: Partnership for Peace,Progress,and Prosperity".Manohar Press.2012
2. Nand.Prakash."Rediscovering Asia: Evolution of India's Look East Policy". Lancer Publication.2003
3. Tharoor.Shashi."Pax:India and the World in the 21st Century". Pub. Allen Lane.2012
4. Reddy.K.Raja."India and ASEAN:Foreign Policy Dimensions for the 21st Century". New Century Publication.2005.
5. Kumar Pradeep."India-ASEAN Emerging Trends Since 1990's"Atlantic.2013
6. <https://www.thehansindia.com/business/india-asean-will-play-a-lead-role-in-post-covid-world-economic-recovery-dr-jitendra-singh-635381>

Liquid Liquid Extraction and Bulk Liquid Membrane Transport of Transition Metal Ions (Fe^{3+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+}) Using Schiff Base Derived Cyclic Ionophore

Shital Joshi*

Abstract - A Schiff base derived cyclic ionophore (6E,16E)-3⁹,3¹⁰-dihydro-2,4-dioxa-7,10,13,16-tetraaza-3(1,8,)anthracen-1,5(1,2)-dibenzenacycloheptadecaphane-6,16-diene-3⁹,3¹⁰-dione has been synthesized and characterized by TLC, m.p., spectral analysis and mass spectrometry. This ionophore has been used for liquid liquid extraction and bulk liquid membrane transport studies of transition metal ions (Fe^{3+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+}). The effect of metal ion concentration variation on extraction and transport is studied. The result of extraction and transport study revealed that ionophore has highest extraction efficiency for Cu^{2+} metal ions followed by Fe^{3+} , Co^{2+} , Ni^{2+} and Zn^{2+} metal ions and highest transport efficiency for Zn^{2+} metal ions. This can be explained on the basis of cavity fit concept, size and charge density of metal ions.

Keywords - Schiff base derived ionophore, Transition metal ions, Extraction, Bulk liquid membrane transport.

Introduction - Schiff base is class of compounds which contains carbon nitrogen double bond^{1,2}. The Schiff base and their transition metal complexes are of great interest due to their diverse reactivity and wide application in catalysis, pharmaceuticals and functional materials³⁻⁸. However despite extensive scientific reports on the synthesis, characterization, crystalline structure and application of the transition metal complex, there are limited report on the use of Schiff base as ionophore in supramolecular chemistry⁹⁻¹². L. Mishra *et al.* studied tetradentate thioiminato Schiff base as carriers for transport of nickel ions through chloroform liquid membrane¹³ and S. Dubey *et al.* synthesized mixed donor ionophore using Schiff base and studied liquid membrane transport of transition metal ions and the effect of donor site of ionophore on separation of metal ions^{14,15}, still very little attention paid in this field.

In the present work a Schiff base derived cyclic ionophore has been synthesized, characterized and investigated its extraction and transport potential towards transition metal ions (Fe^{3+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+}) at different concentration of metal ions. This type of studies give various information about structural unit of ionophores and nature of donor groups which govern extraction and transport, this may help to design and select ionophores capable of mimicking natural ionophores and also to set conditions to ensure maximum extraction and transport of metal ions.

Material and Methods:

Chemicals: Salicylaldehyde and TETA used for synthesis of Schiff base were purchased from Merck. 1,8-Dichloroanthraquinone and sodium hydride (NaH) for

synthesis of ionophore were obtained from Sigma Aldrich and S. D. Fine respectively. Metal salt FeCl_3 , $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ were obtained from CDH. Solvents chloroform, ethanol and THF were obtained from Qualigens, India. Metal salt solutions were prepared in double distilled water.

Instruments: Melting point of ionophore was obtained on capillary melting point apparatus. FTIR spectrum was recorded using a Shimadzu 8400 FTIR spectrometer in the range of 4000-600 cm^{-1} at Central Analytical Laboratories, Indore. ¹H and ¹³C NMR spectra were recorded on Bruker Avance II 400 NMR spectrometer at Sophisticated Analytical Instrumentation Facility (SAIF), Punjab University, Chandigarh. Elemental analysis (CHN) was carried out using Eurovector EA 3000 Elemental Analyzer and mass spectral analysis on positive ESI mode was recorded using Waters UPLC-TQD Mass Spectrometer at SAIF, Lucknow, UP.


Preparation of Schiff base (TTS): The Schiff base (TTS) was synthesized by the reaction of salicylaldehyde with TETA in 2:1 molar ratio¹⁶.

Preparation of ionophore: The ionophore (6E,16E)-3⁹,3¹⁰-dihydro-2,4-dioxa-7,10,13,16-tetraaza-3(1,8,)anthracena-1,5(1,2)-dibenzenacycloheptadecaphane-6,16-diene-3⁹,3¹⁰-dione having anthraquinone moiety has been synthesized by the reaction of Schiff base (TTS) with 1,8-dichloroanthraquinone and sodium hydride in 1:1:2 molar ratio under N_2 atmosphere using THF as solvent¹⁷⁻²⁰.

3.54g Schiff base (TTS) (0.01 mol) in 20 mL THF was added to vigorously stirred suspension of 0.48 g sodium hydride (0.02 mol) in 5mL THF in a round bottom flask and

*Department of Chemistry, Shahid Bhagat Singh Govt. PG. College, Jaora (M.P.) INDIA

the reaction mixture was refluxed for 30 minutes then the solution of 2.8 g of 1,8-dichloroanthraquinone (0.01 mol) in THF was added in it and refluxed for 12 h with stirring under nitrogen atmosphere at 80 °C. After completion of the reaction, reaction mixture was concentrated and the residue was mixed with DCM and washed with distilled water (twice) then with brine. The organic phase (DCM) was separated, dried (over anhydrous $MgSO_4$), filtered, concentrated and recrystallized with ethanol gave 48% of ionophore as light brown Solid (Scheme 1) and characterized as - Elemental analysis calculated (%) for $C_{34}H_{30}N_4O_4$: C 73.1, H 5.4, N 10.0; Found (%): C 65.9, H 2.7, N 0.6. IR (cm^{-1}): 2930, 2824 (C-H), 1629 (C=N), 1241 (Ar-O-Ar). 1H NMR ($CDCl_3$, ppm): 8.34 (s, 2H, CH=N), 7.18-7.78 (m, 6H, Ar-H of anthraquinone), 6.79-7.02 (m, 8H, Ar-H of Schiff base), 2.58-3.84 (m, 12H, CH_2-N), 1.26 (m, 2H, -NH-). ^{13}C NMR ($CDCl_3$, ppm): 51-53 ($CH_2-NH-CH_2-$), 58 ($CH_2-N=CH$), 117-135 (Ar-C), 161 (C=N), 166 (Ar-O), 181.1-181.5 (C=O). ESI + MS (m/z): 557 ($C_{34}H_{30}N_4O_4$).



Scheme 1: Synthesis of ionophore

Extraction studies: For extraction studies equal volume (10 mL) each of the aqueous solution of metal salts ($FeCl_3$, $Co(NO_3)_2 \cdot 3H_2O$, $Ni(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$) and ionophore in chloroform was vigorously stirred in a 100 mL beaker for 4 hours on a magnetic stirrer¹⁷⁻²². The amount of metal ions extracted by ionophore was determined by the difference in amount of metal ions before and after the extraction.

Transport studies: Bulk Liquid Membrane transport experiments carried out in a "U" shaped glass cell, also known as "Pressman Cell". 15 mL solution of ionophore in chloroform was placed at the bottom of U tube, to serve as an organic layer with teflon coated magnetic capsule, 10 mL of the aqueous solution of metal salt was placed in one limb of the U tube which serve as source /feed phase and 10 mL of double distilled water was placed in another limb of the U tube to serve as receiving/stripping phase. The organic phase was stirred for 24 hours using a magnetic stirrer. The source and receiving phase were sampled and analyzed for metal ion concentration after 24 hrs¹⁷⁻²².

Estimation of metal ions: The amount of Co^{2+} , Cu^{2+} and Zn^{2+} metal ions was estimated by complexometric method using di-sodium salt of ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) as complexing agent and Murexide, Fast Sulphon

Black F and EBT as indicator respectively. The amount of Fe^{3+} and Ni^{2+} is estimated by spectrophotometric method using 1,10 Phenanthroline and dimethylglyoxime (DMG) respectively^{23,24}.

Results and Discussion

Synthesis: The ionophore has been synthesized by the reaction of Schiff base (TTS) with 1,8-dichloroanthraquinone and sodium hydride in 1:1:2 molar ratio under N_2 atmosphere using THF as solvent¹⁷⁻²⁰ (Scheme 1) and characterized by elemental analysis, IR (Figure 1), 1H and ^{13}C NMR (Figure 2 and 3) and Mass spectra (Scheme 2 and Figure 4).

The FTIR spectrum of ionophore shows the imine (C=N) band at 1629 cm^{-1} , ether (Ar-O-Ar) band at 1241 cm^{-1} and quinone carbonyl (C=O) band at 1674 cm^{-1} indicate the condensation between Schiff base and 1,8-dichloroanthraquinone, confirms the formation of ionophore. In 1H NMR spectrum of ionophore imine (CH=N) peak is appeared at 8.34 ppm and in ^{13}C NMR the imine (CH=N) peak is appeared at 161 ppm and quinone carbonyl (C=O) is appeared at 181 ppm.

The mass spectrum of ionophore illustrated the base peak at m/z 269 while the molecular ion peak at m/z 557 suggested its molecular formula to be $C_{34}H_{30}N_4O_4$. Abundant peaks are found at m/z 193, 201 and 411.

Figure 1 (See in last page)

Figure 2 (See in last page)

Figure 3 (See in last page)

Figure 4 (See in last page)

Scheme 2 (See in last page)

Extraction and transport studies: The extraction and transport efficiency of the ionophore for transition metal ions (Fe^{3+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+}) through liquid liquid extraction and bulk liquid membrane transport was investigated. The blank experiments were performed in which the organic phase was devoid of ionophore, no amount of metal ions was extracted and transported in blank experiments which indicate that there was no leakage of metal ions. All the experiments were performed twice to check reproducibility. The results of extraction and transport studies are reported in table 1-4 and represented in figure 5-8.

In order to find out the optimum concentration of metal salts for extraction and transport studies, the concentration of metal salts $FeCl_3$ and $Ni(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ for Fe^{3+} and Ni^{2+} metal ions respectively was varied from 1×10^{-3} to 1×10^{-5} M and the concentration of metal salt $Co(NO_3)_2 \cdot 3H_2O$, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ and $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ for Co^{2+} , Cu^{2+} and Zn^{2+} metal ions respectively was varied from 1×10^{-2} to 1×10^{-4} M while the concentration of ionophore was kept constant 1×10^{-3} M. It was found that for extraction 1×10^{-3} M was the optimum concentration of Fe^{3+} , Ni^{2+} and Zn^{2+} metal ions whereas 1×10^{-2} M was the optimum concentration of Co^{2+} and Cu^{2+} metal ions and for transport 1×10^{-3} M was the optimum concentration for Fe^{3+} and Ni^{2+} metal ions whereas 1×10^{-2} M was the optimum concentration for Zn^{2+} metal ions while Co^{2+} and Cu^{2+} metal ions were not transported by

ionophore.

In order to find out the optimum concentration of ionophore for extraction and transport studies its concentration was varied from 1×10^{-3} to 1×10^{-5} M while the concentration for metal ions was kept constant, for Fe^{3+} and Ni^{2+} metal ions it was 1×10^{-3} M whereas for Co^{2+} , Cu^{2+} and Zn^{2+} metal ions it was 1×10^{-2} M. The optimum concentration of ionophore for extraction is found to be 1×10^{-3} M for all used metal^{14, 15} and for transport the optimum concentration of ionophore is found to be 1×10^{-3} M for Fe^{3+} , Ni^{2+} and Zn^{2+} metal ions. Co^{2+} and Cu^{2+} metal ions were not transported at any concentration¹⁷⁻²².

Table 1 Amount of metal ions extracted using cyclic ionophore S_3 (1×10^{-3} M) in 4 hrs.

Metal Salt Concentration	Amount of metal ions extracted (ppm)				
	Fe^{3+}	Co^{2+}	Ni^{2+}	Cu^{2+}	Zn^{2+}
1×10^{-2} M	-	18.40	-	147.52	00.00
1×10^{-3} M	05.25	07.06	03.17	37.92	14.48
1×10^{-4} M	00.89	01.21	02.97	06.42	00.00
1×10^{-5} M	00.19	-	00.00	-	-

Table 2 Amount of metal ions extracted using cyclic ionophore S_3 in 4 hrs.

S_3 Concentration	Amount of metal ions extracted (ppm)				
	Fe^{3+}	Co^{2+}	Ni^{2+}	Cu^{2+}	Zn^{2+}
	1×10^{-3} M	1×10^{-2} M	1×10^{-3} M	1×10^{-2} M	1×10^{-3} M
1×10^{-3} M	05.25	18.40	03.17	147.52	14.48
1×10^{-4} M	02.59	07.10	01.46	86.66	06.00
1×10^{-5} M	02.02	02.00	00.20	28.89	01.21

Optimum Concentration

For Metal ions	1×10^{-3} M	1×10^{-2} M	1×10^{-3} M	1×10^{-2} M	1×10^{-3} M
For S_3	1×10^{-3} M	1×10^{-3} M	1×10^{-3} M	1×10^{-3} M	1×10^{-3} M

Figure 5 & 6 (see in Isat page)

Table 3 Amount of metal ions transported using cyclic ionophore S_3 (1×10^{-3} M) in 24 hrs.

Metal Salt Concentration	Amount of metal ions transported (ppm)				
	Fe^{3+}	Co^{2+}	Ni^{2+}	Cu^{2+}	Zn^{2+}
1×10^{-2} M	-	00.00	-	00.00	22.85
1×10^{-3} M	03.01	00.00	04.66	00.00	08.50
1×10^{-4} M	01.66	00.00	00.41	00.00	02.17
1×10^{-5} M	00.23	-	00.28	-	-

Table 4 Amount of metal ions transported using cyclic ionophore S_3 in 24 hrs.

S_3 Concentration	Amount of metal ions transported (ppm)				
	Fe^{3+}	Co^{2+}	Ni^{2+}	Cu^{2+}	Zn^{2+}
	1×10^{-3} M	1×10^{-2} M	1×10^{-3} M	1×10^{-2} M	1×10^{-2} M
1×10^{-3} M	03.01	00.00	04.66	00.00	22.85
1×10^{-4} M	02.46	00.00	00.00	00.00	07.62
1×10^{-5} M	02.19	00.00	00.00	00.00	14.72

Optimum Concentration

For Metal ions	1×10^{-3} M	-	1×10^{-3} M	-	1×10^{-2} M
For S_3	1×10^{-3} M	-	1×10^{-3} M	-	1×10^{-3} M

Figure 7 & 8 (see in Isat page)

The observed trend for extraction of transition metal

ions is $Cu^{2+} > Zn^{2+} > Co^{2+} > Fe^{3+} > Ni^{2+}$ (1×10^{-3} M Metal ion concentration) and $Cu^{2+} > Ni^{2+} > Co^{2+} > Fe^{3+} > Zn^{2+}$ (1×10^{-4} M Metal ion concentration). The result of extraction studies reveals that ionophore extract Cu^{2+} more efficiently, this may be due to size of Cu^{2+} metal ions and its charge density.

The observed trend for transport of transition metal ions is $Zn^{2+} > Ni^{2+} > Fe^{3+}$ (1×10^{-3} M Metal ion concentration) and $Zn^{2+} > Fe^{3+} > Ni^{2+}$ (1×10^{-4} M Metal ion concentration). The evaluation of carrier ability of ionophore has shown that Zn^{2+} is the most and selectively transported metal ion by the ionophore. Co^{2+} and Cu^{2+} metal ions were not transported by ionophore. This follows the common trend that the most extracted metal ions are least transported due to formation of stable complex^{25, 26}.

The results of extraction and transport studies reveals that in general the ionophore has high extraction efficiency as compared to that of transport this may be due to formation of stable complex of metal ions with ionophore.

Conclusion - The objective of the present research work is to prepare a Schiff base derived cyclic ionophore and find its applicability as ionophore for the extraction and transport of transition metal ions. The ionophore has highest extraction efficiency for Cu^{2+} as compared to Fe^{3+} , Co^{2+} , Ni^{2+} and Zn^{2+} metal ions. It is concluded from studies that suitable structure feature of ionophore, donor groups, nature of metal ions as well as concentration of metal ions and ionophore direct recognition of ionophores towards ions. The prepared ionophore was successfully incorporated into liquid membrane for extraction and transport of transition metal ions (Fe^{3+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+}) and in future other derivatives of Schiff base (TTS) can be synthesized and used for the liquid membrane studies of transition metal ions.

Acknowledgement - The authors are thankful to Dr (Mrs.) Shubha Jain (Professor & HOD) and Dr. (Mrs.) Uma Sharma (Professor), School of Studies in Chemistry & Biochemistry, Vikram University, Ujjain (M.P.), for their valuable guidance. Help of Mr. Adarsh Katiyar, Quality Manager, Central Analytical Laboratoris, Indore and Mr.S. K. Mehta, Honorary Director, Sophisticated Analytical Instrumentation Facility, CIL and UCIM Panjab University Chandigarh for NMR and elemental analysis is also acknowledged.

References:-

1. Iftikhar B, Javed K, Khan MSU, Akhter Z, Mirza Bet al. *J Mol Struct*, 2018; **1155**: 337-348.
2. Warad I, Ali O, Ali AA, Jaradat N A, Hussein Fet al. *Molecules*, 2020; **25**: 2253-2267.
3. Kim SK, Sessler JL. *Chem Soc Rev*, 2010; **39**: 3784-3809.
4. Gupta KC, Sutar AK. *Coord Chem Rev*, 2008; **252**: 1420-1450.
5. Zoubia WA, Al-Hamdaniib AAS, Koa YG. *Sep Sci Technol*, 2017; **52(6)**: 1052-1069.
6. Zhang N, Fan YH, Zhang Z, Zuo J, Zhang PF, Wang Q, Liu SB, Bi CF. *Inorg Chem Commun*, 2012; **22**: 68-72.
7. Keypour H, Shayesteh M, Golbedaghi R, Blackman

- AG, Cameron SA. *Transit Met Chem*, 2013;**38**: 611-616.
8. Yaftian MR, Rayati S, Safarballi R, Torabi N. *Transit Met Chem*, 2007;**32**: 374-378.
 9. Ocak U, Alp H, Ocak M, Gokce P. *Sep Sci Technol*, 2006;**41**: 391-401.
 10. Mukharjee P, Biswal C, Drew MGB, Ghosh A. *Polyhedron*, 2007;**26**: 3121-3128.
 11. Ahmed RM, Yousuf EI, Hasan AH, Al-Jaboori MJ. *Sci World J*, **2013**: Article ID 289805.
 12. Topal G, Tumerdem R, Basaran I, Humus A. *Int J Mol Sci*, 2007;**8**: 933-942.
 13. Mishra L, Upadhyay S, Shrivastava RC. *Indian J Chem*, 1992;**31(A)**: 393-397.
 14. Dubey S, Joshi N, Sharma U. *Main Group Met Chem*, 2008;**31(3-4)**: 211-216.
 15. Dubey S, Joshi N, Sharma U. *Inor Chem Rev*, 2009;**29**: 103-109.
 16. Baran Y, Birguil ERK. *Turk J Chem*, 1996;**20**: 312-317.
 17. Awasthy A, Bhatnagar M, Joshi N, Sharma U, *Indian J Chem*, 2006;**45(A)**: 1170-1172.
 18. Vani A, Vyas V, Sharma U. *Main Group Met Chem*, 2011;**34(1-2)**: 29-31.
 19. Anchaliya D, Sharma U. *Natl Acad Sci let*, 2012;**35(4)**: 277-284.
 20. Anchaliya D, Sharma U. *J Incl Phenom Macrocycl Chem*, 2013;**79**: 465-471.
 21. Vyas V, Raizacda P, Sharma U. *Int J Electrochem*, **2011**: Article ID 798321.
 22. Raizada P, Sharma U. *J Indian Chem Soc*, 2012;**89**: 1-4.
 23. Bassett J, Denney RC, Jeffery GH, Mendham J, Vogel's Textbook of Quantitative Inorganic Analysis, ELBS, 1978.
 24. Dubey R, Bende N, Harod M, *IJCPS*, 2015;**4(1)**: 137-146.
 25. Dede B, Karipcin F, Cengiz M. *J hazard Mater*, 2009;**163**: 1148-1156.
 26. Fathi SAM, Parinejad M, Yaftian MR, *Sep Purif Technol*, 2008;**64**: 1-7.




Figure 1: FTIR spectrum of ionophore




Figure 2: ¹H NMR spectrum of ionophore




Figure 3: ¹³C NMR spectrum of ionophore





Figure 4: ESI Mass spectrum of ionophore



Scheme 2: Mass analysis of ionophore




Figure 5 Amount of metal ions extracted using ionophore (1x10⁻³ M) in 4 hrs.




Figure 6 Amount of metal ions extracted using ionophore in 4 hrs.




Figure 7 Amount of metal ions transported using ionophore (1x10⁻³ M) in 24 hrs.




Figure 8 Amount of metal ions transported using ionophore in 24 hrs.

Study of Occupation related Health Hazards among Coal Miners in Damini Colliery, Shahdol District, M.P. India

Pragya Dubey* A.N. Sharma**

Abstract - Occupational health hazards caused through the exposure to specific hazards at the workplace. It is mainly occurs surrounded in working places. There are many types of health hazards including physical, chemical, physiological, ergonomic & mechanical and so on. In the present study focused on all available coal mine workers in Damini colliery in Shahdol District of Madhya Pradesh (i.e. 400 male workers). More than half percent 50.5% of workers responds that they are not feeling well from last one year. The workers faced viral fever (4.75 percent), stone problem (03 percent), serious health disease (5.25 percent) and most of them answering that they have another type of fever like body pain(39.5 percent) due to their mining job. The maximum coal mine workers facing the problem of back pain or body pain, after this, in the decreasing order they have faced the problem of soiling on feet, less hearing problem, lack on seen, etching in eye, gum infection and so on in which it can be believed that these health problems has found indirectly due to their occupation. In the end it can be understood that the illness has not fatal but it is necessary to take care. Workers have required frequent medical check-ups and health care.

Keywords - Health, Mine, Disease, Care, Hazards.

Introduction - Mining is a very old occupation, long recognized as being difficult and responsible to injury and disease. The lifecycle of mining includes exploration, mine development, mine operation, decommissioning and land reclamation (Donoghue, 2004). Workplace hazards are many types including noise, vibration, radiation, chemicals, extreme temperatures, ergonomic factors and biological agents. Exposure to health hazards can lead to occupational diseases or work-related illnesses. Many of these are dangerous and only appear long after exposure to threats, some are irretrievable and have no cure. Occupational health relates to the management of workplace health hazards and persons exposed to such hazards or suffering from occupational diseases or ill health.

Various typical occupational diseases, such as lead poisoning and silicosis that have been considerable eliminated in industrial countries remain endemic in another place in the world. Whether this high and avoidable trouble of ill health faced by workers in the developing world is the result of ignorance, inattentiveness, or intent, compelling evidence indicates that work-related wellbeing conditions could substantially reduce, often at modest cost (Rosenstock et al, 2006).

Occupational health serves multidisciplinary purposes, preventing and controlling occupational diseases and accidents, the protection and promotion of health of workers and eliminating hazardous factors and conditions at workplace. Strengthening workers physical, social and

mental well-being and appreciate their working capacity and support them for professional and social development to make easy the workers to live socially and economically, and to work positively for sustainable development (WHO, 2002). The socio-economic consequence of work receives substantial interest as the main objective of effort in any society has made with the delivery of goods and services. There are two ways of interaction between an individual and the physical and psychological work environment. The work environment can affect the mental state of the worker. Occupation, when it is well familiar and industrious, can be a vital aspect in health promotion. Information about ergonomics and work physiology require being developed and useful to assistance worker's health.

Material and Method - The present investigation was done in Damini Colliery of South Eastern Coal Limited (SECL) which has located in sohagpur area 20 kilometers approximately from Burahar block of Shahdol district, MP. In this study all the available workers were covered. A semi-structured interview- scheduled for the collection of data from 400 male coal mine workers of different age groups has been made. Demographical data viz. age, education, duration of mining work, any health issues during mining job, cleanliness of environmental etc. were collected in the semi structured schedule. All examination was done according to the Declaration of Helsinki (2013).

Occupational diseases are unfavorable health conditions in humans, related to the occurrence or severity

*Department of Anthropology, Dr. H. S. Gour Vishwavidyalaya (A central university), Sagar (M.P.) INDIA

**Department of Anthropology, Dr. H. S. Gour Vishwavidyalaya (A central university), Sagar (M.P.) INDIA

of exposure to factors on the job or in the work environment. Hazardous waste sites create a multitude of health and safety concerns, any of which can cause serious damage or death. These hazards are a function of the nature of the site as well as the result of the work done. Such factors can be:

Physical hazards: Physical hazards are a subtype of occupational hazards that include environmental hazards that can reason of harm with or without connection. There are ecological factors that can harm an employee without necessarily touching them, including heights, noise, radiation, and pressure. There are several potential physical hazards that workers may be exposed to. This can prevent the possibility of slips, trips and falls, exposure to environmental conditions, driving hazards, storage-related hazards and the use of compressed gas cylinders, cuts, and electrical hazards. In physical hazards there are other hazards including such as ergonomic hazards, radiation, vibration hazards, noise hazards and heat up and cold stress (Koshy et al, 2015).

Biological hazards: Biological hazards consist of viruses, bacteria, insects, animals, etc., which can adversely affect health. Examples of this are mold, blood and other bodily fluids, harmful plants, feces, dust, and vermin. Health care professionals are at risk of blood-borne illnesses (such as HIV, hepatitis B, and hepatitis C), and emerging infectious diseases in particular, especially when adequate resources are not available to control the spread of the disease. Biological Hazards Risk of exposure other occupations include poultry workers, who are exposed to bacteria and tattooists and pillars, who are at risk of exposure to blood-borne pathogens. (Bollinger, 2004).

Chemical hazards: Chemical hazards are dangerous which can cause harm due to chemical substances. These hazards can result in health and physical effects, such as pelt irritation, respiratory system irritability, blindness, erosion, and eruptions. Exposure to chemicals in the workplace can have acute or long-term injurious health effects. There are several classifications of hazardous chemicals along with neurotoxins, immune agents, dermatologic- agents, carcinogens, reproductive toxins, systemic toxins, asthma gens, pneumoconiosis agents, and sensitizers.

Psychosocial hazards: Psychosocial hazards are occupational hazards that affect one's social life or psychological health. Psychosocial hazards comprise those, which may adversely affect the mental health or well-being of an employee. In the workplace, psychosocial hazards include occupational stress, sexual harassment, victimization, and workplace violence.

Ergonomic hazards: Ergonomic hazards are a consequence of physical factors that may result from musculoskeletal injuries. For example, a poor workstation setup, poor posture and manual handling in workplace. It is a field that integrates knowledge gained from anthropology (especially anatomy, psychology, and

psychology) to suitable jobs, systems, products, and environments of workers, physical and mental abilities, and boundaries. Ergonomics insisted on giving workers a convenient and comfortable job than obliging the worker to do the job correctly. The main objective of ergonomics is, firstly comfort, as well as health safety and efficiency for the worker.

Mechanical hazards: Mechanical hazards has primarily based on work accidents and injuries rather than occupational diseases. There have many human factors that affect the accident - the risk of the person at certain times and in certain situations. A few of these factors are age, experience, use of drugs or drugs, motivation, etc. However, most human activity requires avoiding errors that can result in injury or material harm. To avoid an accident a person must observe and recognize the danger, decide on a course of action and act adequately to avoid the danger.

Results and Discussions - Workers working in coal mines face many diseases. These arise from common health problems to hazardous diseases to workers. Table 1 demonstrated that whether laborers suffered any disease last year. There is more than half, that is 52 percent of the workers admitted that they had some kind of fever and there is 47.5 percent of the workers felt that they have no health problem.

Table 1 : Illness in last one year

S.No.	Illness (last one year)	N	%
1	Yes	210	52.5
2	No	190	47.5
	Total	400	100.0

Table 2 represents age group (in years) wise data of workers illness, that have been since last one year. The highest percentage (25.7%) of workers illness found between 46 years and above age group. After that 20.9 percent of workers found illness between 31-35 years of age group, 19 percent workers have ill health in between 26-30 years of age group, 17 percent workers have ill health in between 36-40 years of age group, 12.8 percent workers have ill health in between 41-45 years of age group, and only 2.3 percent workers have illness in between 20-25 years of age group,

Table 2 shows that types of illness in coal mine workers. There are several types of

Table 2 (see in last page)

Table 2 shows that types of illness in coal mine workers. There are several types of ill health of miners i.e. viral fever, stone, other type of pain, serious disease etc. maximum workers answered that they have been face other types of mild fever like body pain that is found in 39.5 percent of coal mine workers, 5.25 percent workers have found serious disease, 4.75 percent miners have seen viral fever and only 3 percent of workers have seen stone problem in last one year. 47.5 percent of coal miners said that they don't have any health problem from last year.

Table 3 : Types of Illness

S.	Types of Illness	Number of workers	Percentage
1	Viral Fever	19	4.75
2	Stone	12	3.0
3	Other types of fever/pain	158	39.5
4	Any serious disease	21	5.25
5	No fever/ disease	190	47.5
	Total	400	100

In the table 4 represents, year wise data of workers whether they have taken medicines or not. 3.5 percent of workers take medicine between 20-25 years of age, 15.4 percent have taken medicine between 25-30 years of age, 16.8 percent have taken between 31-35 years of age group, 16.3 percent have taken between 36-40 years of age group, 15.4 percent coal mine workers have taken medicine between 41-45 years of age group and 32.3 percent or maximum workers takes medicine between 46 years and above age group.

Table 4 (see in last page)

It is displayed in the table 4 several types of health issues which are showing in coal miners since last one year. It has found that 64 percent coal workers faced body pain or back pain problem, 3 percent miners have diarrhea problem or vomiting, 6.5 percent workers have skin infection, 45 percent have gum infection problem, 43.75 percent have problem of etching on eye, 44.25 percent workers have problem of lack seen they are less visible with the eye, 46.75 percent miners have less hearing problem they are less hear with the ear, 26.5 percent coal miners have cough or cold problem facing since last year, 28.5 percent workers have snoring problem, 57.25 percent workers have problem of soiling on feet since last year (Table 5).

In the other table below shows that several has some serious diseases 1.25 percent have jaundice problem, 20.5 percent have stomach pain problem, 2.5 percent workers have typhoid problem, 1 percent of coal mine workers have kidney problem, 0.5 percent of workers have respiratory problem, 0.5 percent workers have cancer problem 0.25 percent of miners have faced tuberculosis problem, 19.25 percent workers have diabetes problem, and only 1.75 percent have workers faced heart attack situation since last year (Table 6).

In the next two tables i.e. table 7 & table 8 are shows year wise distribution of health problems and serious health problems among the coal mine workers facing during their mining job. According to miners, most of the health problems occurs and affected to their health have related to their dangerous work. Figure 1 & 2 also represents the same as table.

Table 5,6,7 and 8 (see in last page)

Figure 1 and 2 (see in last page)

Conclusion - Occupation related illness has bad effect on human's health; Hazardous waste sites create a gathering of health and safety concerns, any of which can reason for serious injury or death. These hazards are a purpose of

the site as well as the result of the work completed. The following conclusions are found in this investigation-

1. It has found that more than half coal mine workers asked that they have ill health since last year.
2. In the age group wise distribution of workers ill health showing maximum illness seen in 46 years and above of age group.
3. The age group in which the minimum illness has found in the previous year is the age group of 20-25 years.
4. The workers who consider themselves ill since last year, almost all take medicines. The group of oldest (46 years and above of age) workers takes the most medicines.
5. Workers faced so many diseases with related to their occupation and some has not related with that,
6. The maximum coal mine workers facing the problem of back pain or body pain, after this, in the decreasing order they have faced the problem of soiling on feet, less hearing problem, lack on seen, etching in eye, gum infection and so on in which it can be believed that these health problems has found indirectly due to their occupation.
7. Some serious diseases also have been observed in coal miners, which have been found in few percentages i.e. tuberculosis, respiratory problem, kidney problem and other as similar.
8. Some common types of health problems have also observed in coal miners viz. jaundice, typhoid, stomach pain etc.
9. Even after working so hard, miners have diabetes problem.

It has concluded that work in the coal mine caused a variety of health problems among the miners. There were some serious problems and some are not as serious. Workers do not have much serious disease, but body pain and other body problems they were faced may be their job only. Working on mine and their growing age highly impact on their health illness. The frequency of health problems increased with increasing age. In the end it can be understood that the illness has not fatal but it is necessary to take care. If coal mine workers don't want serious diseases, they have required frequent medical check-ups and health care.

References :-

1. Bollinger, N. J. (2004). *NIOSH respirator selection logic*. US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control, National Institute for Occupational Safety and Health.
2. Donoghue, A. M. (2004). Occupational health hazards in mining: an overview. *Occupational medicine*, 54(5), 283-289.
3. Koshy, K., Rosen, M. A., & Presutti, M. (2015). Hazard communication standard final rule implementation: Lessons learned. In *ASSE Professional Development Conference and Exposition*. America of Safety Engineers.

4. Rosenstock, L., Cullen, M., & Fingerhut, M. (2006). Occupational health. In *Disease Control Priorities in Developing Countries. 2nd edition.* The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
5. World Health Organization. (2002). *Occupational health: a manual for primary health care workers* (No. WHO-EM/OCH/85/E/L).

Table 2 : Age-Group wise distribution of illness in mine workers

S.	Workers have illness since last one year	Age group (in years)						Total
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46+	
		N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	
1	Yes	5 (2.3%)	40 (19%)	48 (20.9%)	36 (17%)	27 (12.8%)	54 (25.7%)	210 (52.5%)
2	No	11(5.7%)	30 (15.7%)	31 (16.3%)	38 (20%)	23 (12%)	57 (30%)	190 (47.5%)
	Total	16 (4%)	70 (17.5%)	79 (19.7%)	74 (18.5%)	50 (12.5%)	111 (27.8%)	400 (100%)

Table 4: Age-Group wise distribution of workers taking medicine

S.	Workers takes any medicine	Age group (in years)						Total
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46+	
		N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	
1	Yes	8 (3.5%)	35 (15.4%)	38 (16.8%)	37 (16.3%)	35 (15.4%)	73 (32.3%)	226 (56.5%)
2	No	8 (4.6%)	35 (20.1%)	41 (18.1%)	37 (21.2%)	15 (6.6%)	38 (16.8%)	174 (43.5%)
	Total	16(4%)	70 (17.5%)	79 (19.7%)	74 (18.5%)	50 (12.5%)	111 (27.7%)	400 (100%)

Table 5: Health Problems of Coal Mine Workers

S	Last one year	Back pain/ Body pain		Loose motion/ Vomiting		Skin infection		Gums infection		Etching on Eye		Lack seeing of		Less hearing		Cough/ Cold		Snoring		Soiling on feet	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
		1	Yes	256	64	12	3	26	6.5	180	45	175	43.75	177	44.25	187	46.75	106	26.5	114	28.5
2	No	144	36	388	97	374	93.5	220	55	225	56.25	223	55.75	213	53.25	294	73.5	286	71.5	171	42.75
	Total	400	100	400	100	400	100	400	100	400	100	400	100	400	100	400	100	400	100	400	100

Table 6: Serious Health Problems of Coal Mine Workers

SN	Last one year	Jaundice		Stomach pain		Typhoid		Kidney Problem		Respiratory Problem		Cancer		Tuberculosis		Diabetes		Heart attack	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
		1	Yes	5	1.25	82	20.5	10	2.5	4	1.0	2	.5	2	.5	1	.25	77	19.25
2	No	395	98.75	318	79.5	390	97.5	396	99.0	398	99.5	398	99.5	399	99.75	323	80.75	393	98.25
	Total	400	100.0	400	100.0	400	100.0	400	100.0	400	100.0	400	100.0	400	100.0	400	100.0	400	100.0

Table 7: Year wise distribution of workers health problems (in %)

Age in years	Back pain/ Body pain	Loose motion/ Vomiting	Skin infection	Gums infection	Etching on Eye	Lack of seeing	Less hearing	Cough/ Cold	Snoring	Soiling on feet
20-25	57	4.5	12.6	36.4	36.5	33.8	32.8	14	21.1	44.2
26-30	61	1.5	5.8	44.6	39	40.8	44.6	22	23.8	43.8
31-35	62	2.9	1.6	47.1	44.4	42.9	45.9	29	30.4	58.5
36-40	65	5.1	9.2	55.1	36	52.7	56.1	38	29.5	61.9
41-45	68.5	1.7	1.7	60.3	47.2	58.6	60.3	26	31.2	66.5
46+	70.5	2.8	8.3	29.9	59.7	36.8	40.8	30	35.3	68.8
Total	64	03	6.5	45	43.8	44.25	46.75	26.5	28.5	57.25




Figure: 1 Age-group wise distribution of health problems in mine workers

Age in years	Jaundice	Stomach pain	Typhoid	Kidney Problem	Respiratory Problem	Cancer	Tuberculosis	Diabetes	Heart attack
20-25	-	14.5	-	-	-	-	-	-	-
26-30	-	16	.75	-	-	-	-	1.25	-
31-35	-	24	-	.25	-	-	-	8.75	.5
36-40	.25	23	.75	.25	-	.25	-	24.5	.5
41-45	1.0	20.5	-	-	-	-	-	28	-
46+	-	25	1.0	.50	.5	.25	.25	53	.75
Total	1.25	20.5	2.5	1.0	.5	.5	.25	19.25	1.75




Figure 2: Age- group wise distribution of serious health problems of mine workers

Morus alba: A Systematic Review on its Ethno-Medicinal Properties

ShailBala Sanghi*

Abstract - Different plants are rich source of medicines. Since old days, Ayurveda and other disciplines reported the various pharmacological properties of naturally occurring plants against certain specific diseases. Currently, increasing health concern urged the researchers to revive the natural products and to alleviate the diseases without harming the body. In spite of medicinal uses of natural products, health supplements from natural products and their use in diet are gaining importance. Several bioactive constituents in natural products have the ability to protect from harmful diseases and free radical production. The objective of this review is to unveil the medicinal importance of *Morus alba* L.

Keywords - White mulberry; *Morus alba*; Ethnomedical Review; Therapeutic uses.

Introduction - Conventional medicines show reliance on phytochemicals rich plants extracts to cure different maladies because medicines obtained from natural origin are considered to be less toxic and free from undesirable effects as compared to synthetic ones. Genus *Morus* (Mulberry) is an example that contains more than 150 species, *Morus alba* L. (white mulberry) is dominant specie among them¹. *M. alba* is monoecious, deciduous tree and is of medium size with a height of about 30 m and width of about 1.8 m, it is distributed throughout Asia, Africa, Europe and South and North America and found in wide range of tropical areas and in hilly areas of Himalayas at the height of 3300 m. It is reported that in Chinese medicine white mulberry has been widely used in medicine since 659 A.D and Chinese pharmacopoeia lists the root bark, stem, fruits and leaves as a constituent in medicinal preparations². Other common name of white mulberry is silkworm mulberry and in Urdu, Persian and Hindi it is commonly called as shahtoot. Use of nonconventional feeds is gaining popularity in many developing countries of world because by feeding rich protein diet, the supply of amino acids to milking animals enhanced the milk production³.

Habit - Shrub or tree 3.10 m tall. Bark grey, shallowly furrowed. Branches fine hairy. Winter buds reddish brown, ovoid, finely hairy. Stipules lanceolate, 2.3-5 cm, densely covered with short pubescence. Petiole 1.55.5 cm, pubescent; leaf blade ovate to broadly ovate, irregularly lobed, 5.30 × 5.12 cm, abaxially sparsely pubescent along midvein or in tufts in axil of midvein and primary lateral veins, adaxially bright green and glabrous, base rounded to ± cordate, margin coarsely serrate to crenate, apex acute, acuminate, or obtuse. Male catkins pendulous, 2.3-5 cm, densely white hairy. Female catkins 1.2 cm, pubescent; peduncle 5.10 mm, pubescent. Male flowers: calyx lobes

pale green, broadly elliptic; filaments inflexed in bud; anthers 2-loculed, globose to reniform. Female flowers: sessile; calyx lobes ovoid, ± compressed, with marginal hairs; ovary sessile, ovoid; style absent; stigmas with mastoid like protuberance, branches divergent, papillose. Syncarp red when immature, blackish-purple, purple or greenish white when mature, ovoid, ellipsoid or cylindrical, 1.2-5 cm. Fl. Apr-May, fr. May-Aug⁴.

The fruit is 1–2.5 cm long; in the species in the wild it is deep purple, but in many cultivated plants it varies from white to pink; it is sweet but bland, unlike the more intense flavor of the red mulberry and black mulberry. The seeds are widely dispersed in the droppings of birds that eat the fruit^{4,5,6}.

Habitat - *Morus alba* is native of India, China and Japan. It is occasionally cultivated elsewhere in Europe, North America, and Africa. *Morus alba* is commonly known as white mulberry. White mulberry is cultivated throughout the world, wherever silkworms are raised. The leaves of white mulberry are the main food source for the silkworms⁷.

Taxonomical Classification:

Kingdom: Plantae – Plants
Subkingdom: Tracheobionta – Vascular plants
Super division: Spermatophyta – Seed plants
Division: Magnoliophyta – Flowering plants
Class: Magnoliopsida – Dicotyledons
Subclass: Hamamelididae
Order: Urticales
Family: Moraceae – Mulberry family
Genus: *Morus* L. – mulberry
Species: *Morus alba* L. – white mulberry

Ethnomedicinal Review - This widely grown plant has been in use by tribals of this country for ailments such as asthma, cough, bronchitis, edema, insomnia, wound

*Department of Botany, Govt. M.L.B. Girls. P.G. (Auto.) College, Bhopal (M.P.) INDIA

healing, diabetes, influenza, eye infections and nosebleeds⁷. Traditionally, the mulberry fruit has been used as a medicinal agent to nourish the blood, benefit the kidneys and treat weakness, fatigue, anemia and premature graying of hair. It is also used to treat urinary incontinence, tinnitus, dizziness and constipation in the elderly patient⁸. The white mulberry has a long history of medicinal use in Chinese medicine; Almost all the parts of the plant are used as Medicine⁹. It has been used in the indigenous system of medicine for cooling, acrid, purgative, diuretic, laxative, anthelmintic, brain tonic, antibacterial, hepatopathy properties. They are useful in vitiated condition of vata and pitta, burning sensation¹⁰.

Medicinal Uses:

Moracin M, steppogenin-42 -O-B-D-glucoside and mulberroside A were isolated from the root bark of *Morus alba* L. and all produced hypoglycemic effects¹¹.

Mulberroside A, a glycosylated stilbenoid, can be useful in the treatment of hyperuricemia and gout^{12,13}.

A methanol extract of *Morus alba* roots showed adaptogenic activity, indicating its possible clinical utility as an antistress agent¹⁴.

Morus alba leaf extract help restore the vascular reactivity of diabetic rats. Free radical-induced vascular dysfunction plays a key role in the pathogenesis of vascular disease found in chronic diabetic patients¹⁵.

An ethanolic extract of mulberry leaf had antihyperglycemic, antioxidant and antiglycation effects in chronic diabetic rats, which may suggest its use as food supplement for diabetics¹⁶.

Hypolipidemic and antioxidant effects from freeze-dried powder of mulberry (*Morus alba* L.) fruit¹⁷.

Neuroprotective effects in *in vitro* and *in vivo* (fruit)¹⁸.

Albanol A, isolated from the root bark extract of *M. alba*, may be a promising lead compound for developing an effective drug for treatment of leukemia¹⁹.

Discussion -It is truth that without nature human being life is not possible. The food, clothes and shelter are three basic necessity of human beings and an important one necessity is good health, which provided by plant kingdom²⁰. In spite of the overwhelming influences and our dependence on modern medicines and tremendous advances in synthetic drugs, a large segment of the world population still likes drugs of plants origin. Of the 2,50,000 higher plant species on earth, more than 80,000 are medicinal. However, only 7000-7500 species are used for their medicinal values by traditional communities²¹. *Morus alba* have the potential to treat many disease and disorders. *Morus alba* has shown many nutritional as well as therapeutic activities. *Morus alba* have many hidden therapeutic uses. The major use of this medicinal plant is antidiabetic, immunomodulatory, antimicrobial, antioxidant and anticancer. It is look for the appropriation that this review will pay special attention toward the therapeutical capabilities, uses and in vast studies of Phytochemical and Pharmacological features of *Morus alba*.

References:-

1. Srivastava, S., R. Kapoor, A. Thathola and R.P. Srivastava, 2006. Nutritional quality of leaves of some genotypes of mulberry (*Morus alba*). Int. J. Food Sci. Nutr., 57: 305–313
2. Kumar, V.R. and S. Chauhan, 2008. Mulberry: Life enhancer. J. Med. Plant. Res., 2: 271–278
3. Mohammadabadi, T. and M. Chaji, 2012. The Influence of the plant tannins on *in vitro* ruminal degradation and improving nutritive value of sunflower meal in ruminants. Pak. Vet. J., 32: 225–228
4. Zhengyi Wu, Zhe-Kun Zhou & Michael G. Gilbert (2013). "*Morus alba*". eFloras. Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO & Harvard University Herbaria, Cambridge, MA. Retrieved 27 June 2013.
5. <http://plants.usda.gov>
6. Bean, W. J. (1978). Trees and Shrubs Hardy in the British Isles. John Murray ISBN 0-7195-2256-0.
7. Anonymous. The Wealth of India, A Dictionary of Indian Raw materials. Vol. 7. New Delhi: Council of Scientific and Industrial Research; 1952. p. 429-37.
8. Nadkarni AK. 1976. Indian Materia Medica. Vol. 1. Mumbai: Popular Prakashan; p.1292-94.
9. Mhaskar KS, Latter EB, Caius JS, Kirtikar and Basu. 2000. Indian Medicinal Plants. Vol. 3. Sri Satguru Publications; p. 3185.
10. Arya VS. Indian Medicinal Plant. Vol. 14. Chennai: Orient Longman Limited; 1997. p. 65-67.
11. Zhang M., Chen M., Zhang H.-Q., Sun S., Xia B., Wu F.-H. Fitoterapia 2009. *In vivo* hypoglycemic effects of phenolics from the root bark of *Morus alba*, 80:8 (475-477)
12. Wang C.-P., Wang Y., Wang X., Zhang X., Ye J.-F., Hu L.-S., Kong L.-D. Article in Press. Planta Medica 2010. Mulberroside A Possesses Potent Uricosuric and Nephroprotective Effects in Hyperuricemic Mice.
13. Kim, JK; Kim, M; Cho, SG; Kim, MK; Kim, SW; Lim, YH (2010). "Biotransformation of mulberroside a from *Morus alba* results in enhancement of tyrosinase inhibition". Journal of industrial microbiology & biotechnology. 37 (6): 631–7.
14. Nade V.S., Kawale L.A., Naik R.A., Yadav A.V. 2009. Adaptogenic effect of *Morus alba* on chronic footshock-induced stress in rats Indian Journal of Pharmacology. 41:6
15. Naowaboot J., Pannangpetch P., Kukongviriyapan V., Kukongviriyapan U., Nakmareong S., Itharat A. 2009. Mulberry leaf extract restores arterial pressure in streptozotocin-induced chronic diabetic rats. Nutrition Research. 29:8 (602-608).
16. Naowaboot J., Pannangpetch P., Kukongviriyapan V., Kongyingyoes B., Kukongviriyapan U. 2009. Antihyperglycemic, antioxidant and antiglycation activities of mulberry leaf extract in streptozotocin-induced chronic diabetic rats . Plant Foods for Human

- Nutrition. 64:2 (116-121).
17. Yang X., Yang L., Zheng H,2010.Hypolipidemic and antioxidant effects of mulberry (*Morus alba* L.) fruit in hyperlipidaemia rats.Food and Chemical Toxicology. 48:8-9 (2374-2379)
 18. Kim H.G., Ju M.S., Shim J.S., Kim M.C., Lee S.H., Huh Y., Kim S.Y., Oh M.S. 2010. Mulberry fruit protects dopaminergic neurons in toxin-induced Parkinson's disease models. The British journal of nutrition. 104:1 (8-16)
 19. Kikuchi T., Nihei M., Nagai H., Fukushi H., Tabata K., Suzuki T., Akihisa T. 2010.Albanol a from the root bark of *Morus alba* L. induces apoptotic cell death in HL60 human leukemia cell line. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 58:4 (568-571).
 20. Jitendra Jena, Ashish Kumar Gupta,2012. Ricinus Communis Linn: A Phytopharmacological Review, Int J Pharm Pharm Sci, Vol 4, Issue 4.
 21. Prakash Chandra Gupta,2012. Biological and Pharmacological Properties of Terminalia Chebula Retz. (Haritaki)- An Overview, Int J Pharm Pharm Sci, Vol 4, Suppl 3.

A Study Of Feature Extraction Techniques for ASR

Shweta Rathore* Monika Soni** Ashwingsingh Tomar***

Abstract - Voice recognition is one of the key evolution of biometric identification system which not only have identification capability but this technology can be used to create more sophisticated applications. This paper reviews the methodology for extracting features from speech signal. In this paper we have discussed the Mel Frequency Cepstral Coefficient MFCC, Feature Vector and distance measurement techniques in contrast with Automatic Speech Recognition System.

Introduction - Person Identification or authentication is a task that has been studied over the past decades. Identification is a biometric task and a user can easily be identified by any one of the biometric identification systems like Retina, Finger Print, Voice, Face etc. These biometric identification system also have some application which can be used to enhance the quality of life by incorporating the technology in application engineering [1].

The prime objective of speech recognition is to quickly and accurately acknowledge word spoken by the speaker. Functional diagram of a speech recognition system is shown in figure 1. The sound signals are first transferred into feature vectors. The feature vector stores the speaker specific characteristics of speech been spoken by the user. The features of sound signals are carried out by some features extraction techniques among them MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficient) is widely adopted methodology[2].




Fig-1: Speech Identification System.

SYSTEM MODEL

A. Mel Spectral Coefficients

Human ears does not show any linear frequency resolution, where as it builds a number of groups of frequencies, integrates the spectrum energy within that group. The bandwidth and mid-frequencies are also non-linearly distributed. This non-linear wrapping can be modeled by well known mel-scale of frequency axis. The mel scale calculates the frequency mel computed from f with the help of formula shown below, The frequency groups are meant to be in linearly distributed down the mel-scale.

$$f_{mel}(f) = 2595 \cdot \log \left(1 + \frac{f}{700 \text{ Hz}} \right)$$

B. Cepstral Transformation

Since transmission function H(f) of the vocal tract is multiplied with spectrum of excitation signal X(f), we face those un-wanted ripples in speech spectrum. Smooth spectrum is needed to create a high performance ASR system. This is represented by H(f) but it should not contains the ripples of X(f), and to handle this problem we have to use cepstrum analysis.




Fig-2: Cepstrum of the letter /a:/

C. Mel Cepstrum

For the sack of speech recognition, mel spectrum are used to reflecting perception characteristics of human ear. Now to compute the cepstrum we have to take logarithm of mel power spectrum, after that transform it in frequency domain to compute mel-cepstrum. In any ASR first Q (Normally Q<14) coefficients of mel-cepstrm are used. The restriction

*Research Scholar, Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.) INDIA
 ** Research Scholar, Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.) INDIA
 *** Research Scholar, Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.) INDIA

to Q coefficients can be done by low-pass filtering process,

$$c(q) = \sum_{k=0}^{k-1} \log(G(k)) \cdot \cos\left(\frac{\pi q(2k+1)}{2\kappa}\right); q = 0, 1, \dots, Q-1$$

If mel-power spectrum is symmetrical, then the Fourier transformation could be replaced by cosine transformation.

Feature Vectors and Vector Space - If we have set of data representing some especial features for any objective we want to describe, it is very useful to construct a vector of all the data by assigning each data to one component of vector. Let us consider an application, if we think of automatic green house controller system, which will compute the relative humidity and soil moisture of the field. If we measure these two parameters every second, then we can put humidity in first component of vector and soil moisture in second component, we will get a two dimensional vector that is describing the soil moisture and humidity changes in time at fields. As these feature vectors have two components, we can define the vectors in two-dimensional vector space. We can now plot this vector for our calculations. Each point in the graph represents the soil moisture and humidity at any instance of time. Out of these graphs some data is good current conditions for seeds or bad. For mapping this on graph plotted by us we labeled good and bad conditions "+" and "-" Respectively, as shown in Figure 3.

An easy way to comply with the conference paper formatting requirements is to use this document as a template and simply type your text into it.




Fig-3: A Feature Vectors Map

Vectors are classified in two types these are as follows.

A. Prototype Vector - This is the simplest way of representing the regions of "comfortable" and "uncomfortable" features. One of the easiest way is to select several of the feature vectors we measured in our experiments for each of our classes (in our example we have only two classes) and to declare the selected vectors as "prototypes" representing their class.




Fig-4: Selected Prototypes

B. Nearest Neighbor Classification - This classification measure the distance between unknown vector to all classes and then assign the unknown vector to the class with the smallest distance. One can also understand it as find the nearest prototype to the unknown vector and assign the unknown vector to the class this "nearest neighbor" represents.

Distance Measurement - The distance measurement between unknown vector and predefined class. The distance measurement is done by various methodologies here the most important are discussed below.

A. Euclidean Distance - This the standard distance measurement technique to measure the distance between two vectors in feature space. To measure the Euclidean Distance we need to calculate the sum of squares of the differences between the individual components of \vec{x} & \vec{p} . mathematical expression as follow.

$$d_{Euclid}^2(\vec{x}, \vec{p}) = \sum_{i=0}^{DIM-1} (x_i - p_i)^2 \dots \dots \dots (1)$$

$$d_{Euclid}^2(\vec{x}, \vec{p}) = (\vec{x} - \vec{p})' \cdot (\vec{x} - \vec{p}) \dots \dots \dots (2)$$

This equation can be rewrite as, Where ' denotes the vector transpose, both equation (1) and (2) compute the square of the Euclidean distance, d^2 instead of d . The Euclidean distance is the most commonly used distance measure in pattern recognition.

B. City Block Distance - The Euclidean distance involves many multiplication due to the fact that it provides the square of difference of individual terms. So to reduce the calculation steps one can use absolute values of the difference instead of their squares. This is more like a simple street map technique to find the distance between two points. After finding the absolute difference between all points we need to sum up all the values for dimension of the vector space.

C. Weighted Euclidean Distance - Both the Euclidean distance and the City Block distance are treating the individual dimensions of the feature space equally, i.e., the distances in each dimension contributes in the same way to the overall distance. Consider a real world example, we see that for real-world applications, the individual dimensions will have different scales also. While in our office the temperature values will have a range of typically between 18 and 22 degrees Celsius, the humidity will have a range from 40 to 60 percent relative humidity. While a small difference in humidity of e.g., 4 percent relative humidity might not even be noticed by a person, a temperature difference of 4 degrees Celsius certainly will. In Figure 5 we see a more abstract example involving two classes and two dimensions.




Fig-5: Two dimensions with different scales

To rectify the problem of different scales of the dimension we need to compensate the dimension while computing the distance that can be accomplished by multiplying each contributing term with a scaling factor specific for the respective dimension. This technique is known as "Weighted Euclidean Distance".

D. Dynamic Time Warping - The voice/speech signal we have given to system is represented by a number of series of feature vectors computed in 10ms intervals, we are very well known by the fact that number of vector is depends on how fast a user can speak. In speech recognition, we need to classify sequences of vectors. For e.g. if we want to recognize any word or command, for a word "W" whose vectors are "Tx" long, then we will get a vector sequence $X = \{x_0, x_1, \dots, x_{(X-1)}\}$ from preprocessing stage. What now we need now is to compute distance between known and unknown vector sequences. The computation of distance between "X" and "W" is done by dynamic time warping.

E. The Dynamic Programming Algorithm - In the following formal framework we will iterate through the matrix column by column, starting with the leftmost column and beginning each column at the bottom and continuing to the top. For ease of notation, we define $d(i,j)$ to be the distance $d(w_i, x_j)$ between the two vectors w_i and x_j .

Since we are iterating through the matrix from left to right, and the optimization for column j according to (g) uses only the accumulated distances from columns j and $j-1$, we will use only two arrays $\delta_j(i)$ and $\delta_{(j-1)}(i)$ to hold the values for those two columns instead of using a whole matrix for the accumulated distances $\delta(i,j)$. Let $\delta_j(i)$ be the accumulated distance $\delta(i,j)$ at grid point (i,j) and $\delta_{(j-1)}(i)$ the accumulated distance $\delta(i,j-1)$ at grid point $(i,j-1)$. It should be mentioned that it possible to use a single array for time indices j and $j-1$. One can overwrite the old values of the array with the new ones. However, for clarity, the algorithm using two arrays is described here and the formulation for a single-array algorithm is left to the reader.

To keep track of all the selections among the path hypotheses during the optimization, we have to store each path alternative chosen for every grid point. We could for every grid point (i,j) either store the indices k and l of the predecessor point (k,l) or we could only store a code number for one of the three path alternatives (horizontal, diagonal and vertical path) and compute the predecessor point (k,l) out of the code and the current point (i,j) . While the description of the DTW classification algorithm in section 3.4 might let us think that one would compute all the distances sequentially and then select the minimum distance, it is more useful in practical applications to compute all the distances between the unknown vector sequence and the class prototypes in parallel. This is possible since the DTW algorithm needs only the values for time index t and $(t-1)$ and therefore there is no need to wait until the utterance of the unknown vector sequence is

completed. Instead, one can start with the recognition process immediately as soon as the utterance begins (we will not deal with the question of how to recognize the start and end of an utterance here).

To do so, we have to reorganize our search space a little bit. First, let's assume the total number of all prototypes over all classes is given by M . If we want to compute the distances to all M prototypes simultaneously, we have to keep track of the accumulated distances between the unknown vector sequence and the prototype sequences individually. Hence, instead of the column (or two columns, depending on the implementation) we used to hold the accumulated distance values for all grid points; we now have to provide M columns during the DTW procedure. Now we introduce an additional "virtual" grid point together with a specialized local path alternative for this point: The possible predecessors for this point are defined to be the upper-right grid points of the individual grid matrices of the prototypes. In other words, the virtual grid point can only be reached from the end of each prototype word, and among all the possible prototype words, the one with the smallest accumulated distance is chosen. By introducing this virtual grid point, the classification task itself (selecting the class with the smallest class distance) is integrated into the framework of finding the optimal path.

Now all we have to do is to run the DTW algorithm for each time index j and along all columns of all prototype sequences. At the last time slot (T_W-1) we perform the optimization step for the virtual grid point, i.e, the predecessor grid point to the virtual grid point is chosen to be the prototype word having the smallest accumulated distance. Note that the search space we have to consider is spanned by the length of the unknown vector sequence on one hand and the sum of the length of all prototype sequences of all classes on the other hand. Figure 3.19 shows the individual grids for the prototypes (only three are shown here) and the selected optimal path to the virtual grid point. The backtracking procedure can of course be restricted to keeping track of the final optimization step when the best predecessor for the virtual grid point is chosen. The classification task is then performed by assigning the unknown vector sequence to the very class to which the prototype belongs to whose word end grid point was chosen. Of course, this is just a different (and quite complicated) definition of how we can perform the DTW classification task we already defined in. Therefore, only a verbal description was given and we did not bother with a formal description. However, by the reformulation of the DTW classification we learned a few things:

1. The DTW algorithm can be used for real-time computation of the distances
2. The classification task has been integrated into the search for the optimal path
3. Instead of the accumulated distance, now the optimal path itself is important for the classification task.

Conclusion - The most interactive things are those which

interconnect modern world application more realistic with real world and the speech recognition and its application is one of the far most selected realistic application of engineering. The speech recognition technology is chosen widely available technology is due to the fact voice communication is the most convenient means of communication between people. This paper attempts to provide a comprehensive review of speech recognition and methodology for speech recognition.

References :-

1. Zhanyu Ma, Hong Yu, Zheng-Hua Tan And Jun Guo, "Text-Independent Speaker Identification Using the Histogram Transform Model", IEEE Access, VOLUME 4, 2016, pp(9733-9739)
2. K.H.Davis, R.Biddulph, and S.Balashkek, Automatic recognition of spoken Digits, J.Acoust.Soc.Am., 24(6):637-642,1952.
3. H.F.Olson and H.Belar, Phonetic Typewriter , J.Acoust.Soc.Am.,28(6):1072-1081,1956.
4. D.B.Fry, Theoretical Aspects of Mechanical speech Recognition, and P.Denes, The design and Operation of the Mechanical Speech Recognizer at Universtiy College London, J.British Inst. Radio Engr., 19:4,211-299,1959.
5. J.W.Forgie and C.D.Forgie, Results obtained from a vowel recognition computer program , J.A.S.A., 31(11),pp.1480-1489.1959.
6. J.Suzuki and K.Nakata, Recognition of Japanese Vowels Preliminary to the Recognition of Speech, J.Radio Res.Lab37(8):193-212,1961.
7. T.Sakai and S.Doshita, The phonetic typewriter, Information processing 1962, Proc.IFIP Congress, 1962.
8. K.Nagata, Y.Kato, and S.Chiba, Spoken Digit Recognizer for Japanese Language, NEC Res.Develop., No.6,1963.
9. T.B.Martin, A.L.Nelson, and H.J.Zadell, Speech Recognition b Feature Abstraction Techniques , Tech.Report AL-TDR-64-176,Air Force Avionics Lab,1964.
10. .T.K.Vintsyuk, Speech Discrimination by Dynamic Programming, Kibernetika, 4(2):81-88,Jan.-Feb.1968.
11. H.Sakoe and S.Chiba, Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition, IEEE Trans. Acoustics, Speech, Signal Proc., ASSP-26(1).pp.43-49,1978.

Coordinates based Keying Scheme for WSN Security

Monika Soni* **Shweta Rathore**** **Ashwingsingh Tomar*****

Abstract - Wireless sensor networks (WSN) are capable of work in a vast range of communication/sensing application while it uses radio frequencies to communicate with each other. Data is shared using public radio communication channel from which one can steal information. For protecting data in WSN cryptography is the key methodology that almost every WSN incorporate in Network. The paper here presents a conceptual approach for cryptographic key distribution scheme that depends on physical location of WSN node of network. Presented keying scheme is a pre distributed key scheme while node calculate the encryption key based on public identifier that are stored in node internal memory.

Key Word - WSN, Network Security, Cryptography, Key Distribution Scheme, Global Positioning System (GPS).

Introduction - Wireless sensor networks is the group of individual sensors nodes that collectively work to sense dedicated field's physical conditions like temperature, humidity, sound etc. A sensor network is Ad-Hoc in nature and limited to resources connected to it. A sensor node is comprises of some controller unit, memory element, sensing element, radio wave communication unit, and power supply that collectively perform some task of sensing in network. Sensor nodes are limited to power constrains and memory due to its low size requirement in application. A sensor network is meant to share sensing information among each node and to the sink node of network. A sink node is the central node that is responsible to communicate, collect, and control the network controller receives information form sensor node a controller unit maybe automatic or semiautomatic mechanism that control the entire sensor system using the same sink node[1] [3].

waves that are openly available in nature and this information can be stolen by any unauthorized person or attacker in network. This information should be protected by means of some security features in addition with basic communication methodology and principles.

There are various researches in the field of network/ information securities have been carried out and are discussed below. Security in each types of network is essential from development phase of network ARPANET till now [2]. The primary objectives of security standard are known as CIAA (Confidentiality Integrity, Authentication, and Availability). First is Confidentiality: To conceal a message from passive attackers while message communicated throughout sensor nodes in network is the most important aspect of network security. A sensor node must not leak its data to its neighboring unauthorized nodes. Second is Integrity: It is intended to be detecting that the message sent has not been tempered, altered or changed. Even after data confidentiality has been maintained it is still possible to alter information to generate a false result. Third is Availability: It determines node ability to use the resources and the network availability to for the message to communicate in network. Fourth is Authentication: it ensures the origin and identification. There are two different mechanisms symmetric and asymmetric with the help of which data authentication is maintained [4]. These are primary objective of any security system while there are some secondary goals that make more secure communication system; these are Data Freshness, Time Synchronization, Self Organization, and Secure Localization. These are some additional security features that ensures about data secrecy.




Fig -1: Basic Structure of WSN
Figure 1 shows a basic structure of WSN in which communication from sink node to sensor node F has been established using wireless links [3]. The most important part of a WSN is communication which is wireless radio

WSN Attacks - WSN's are prone to attacks are due to the

*Research Scholar, Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.) INDIA
 ** Research Scholar, Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.) INDIA
 *** Research Scholar, Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.) INDIA

broadcast nature of communication medium and also due to nodes are placed in dangerous or hostile environment. Attacks are primarily classified in active and passive attacks and Figure 2 shows attacks in WSN. Node Outage: It is the situation in which node stopped functioning. Node Replications Attack: In this type of attack a node new node is added into network while copying any other nodes identity. Physical Attack: As sensor nodes are placed in remote and hostile outdoor environment and so it is prone to physical attacks that include node/sensor damage battery drain etc. Message Corruption: If any message is affected alteration attack its integrity is compromised. Node Malfunctioning: In some cases nodes may produce inaccurate data which compromises with integrity of data in the network. Node Subversion: In such case a particular node may capture and cryptographic key information can be stealing by attacker. Denial of Service: It is the unintentional failure of nodes in the network DoS are of various types in various layers of operation. Routing Attacks: This type of attacks are related to network layer of communication protocol and it may break the entire network system these are of various type few of them are Selective Forwarding, Sinkhole Attack, Sybil Attack, Wormhole Attack etc. These are the attacks that a WSN may face normally and thus affects the entire network or a part of network [6].




Fig -2: Attacks in WSN

Security Mechanism - Mechanism to sense, prevent and recuperate from security attacks are known as security mechanism. A wide range of secretary management mechanisms are available these are broadly divided into two classes low level and high level figure 3 shows the generalized classification of security mechanism [5] [7].




Fig -3: Security Mechanism

- **Low Level:** low level security primitives are discussed here; Secure Routing: it is the most crucial part of any network it includes routing and forwarding of data by injecting a false detail of destination node to improve this simple authentication may remove the chance of routing error. Key Establishment and Trust Setup: while setting up any network a cryptographic key establishment is needed this will ensure data secrecy and node trust. Secrecy & Authentication: while maintaining secrecy cryptography is the key defense technique, with the help this data authentication and secrecy is maintained. Privacy: like many other networking system a sensor network should also be forced to maintain privacy of network and nodes too [5] [7].
- **High Level:** high level security primitives are discussed here. Secure group management: each node in WSNs are limited to computing an communicational capabilities however group nodes may collectively perform data aggregation and analysis while these nodes are changing continuously. Some secure network management some sort of secure group communication and key computation is required with the help which group communication secrecy is maintained. Intrusion Detection: a network must be capable of detection of any intrusion in network sub group communication using a group communication key can be a promising approach for this [5] [7].

Cryptography and Crypto Keys - It is the process of converting a plain text data word into a cipher text is known as cryptography. Cryptography is done by applying some mathematical algorithm that produces a scrambled output of any input data this scrambled data is then transmitted through communication channel [8]. On the other hand recipient node decrypts the scrambled data to find actual data. These processes are synchronized by means of a keying mechanism the data is encrypted and decrypted using the keys assigned to it. These keys are known as crypto keys. A data encryption/decryption may be done by same key or may have different key on the basis of key cryptography is divided into two parts. Symmetric (i.e. same key for encryption and decryption) and asymmetric (i.e. different key for encryption and decryption). Figure 4 shows a basic cryptosystem [9].




Fig -4: Basic Crypto System

Key Distribution Scheme - There are two different types of keying system first is pre distribution key and post deployment. In Pre-distribution keying scheme, key to each node is distributed before the deployment of network to all

nodes in the network. Second is Post-Distribution keying scheme, in this type of key distribution scheme individual nodes are provided by its nearby nodes key and a group key in the network [10]. Moreover there are various keying scheme that fall into these two main classes, these are: Quantum Key Distribution (QKD), Matrix Based Key Distribution, Group Key Distribution, Blom's key distribution scheme etc. Few of them are discussed in this section. Random Key Distribution: It is a pre-distribution keying scheme in which a set of random keys are selected from the pool this set is known as key-ring tow nodes may share one or more key by the virtue of which data is encrypted in and sent in the network. From the key ring a path key is generated and is defines the data flow in the network [11]. Group Key Distribution scheme: in this type of cryptosystem a secure key is shared within the group of nodes and is sub divided by physical address or other keying subsystem in the network [12]. Blom's Key Distribution Scheme: it is a symmetric keying system in this cryptosystem a key is supplied by a secure key provider between source and destination node in the network to make a channel to share data.

Coordinates Based Key Scheme (CBK Scheme) - In this section a new key distribution scheme is discussed. CBK scheme is fall into the pre distribution key model this keying system is depends on networks physical size governed by GPS coordinates of network, and limited to static type architecture of network. There are two phases in this type of keying crypto system these are Setup Phase and Communication Phase.




Fig -5: Setup Phase of Network

Figure 5 shows the network setup phase, first key generation and node assignment is done by network it first requires the GPS coordinates of network sector and maximum number of nodes that will be active part of network. After both input from developer key for each node is generated that includes the required parameters and unique identification of node. This generated key is then assigned to nodes into the network. Second phase is communication phase which is subdivided into two phases first is encryption key generation and data transmission shown in figure 6, and second is Decryption Key and power calcula-

tion phase shown in figure 7.




Fig -6: Encryption key generation and data transmission Phase 1: First of all it takes public key of destination node and then it generate encryption key, in this stage node replaces personal identification details from its private key with the public key of destination node. Then it takes message and then converts it into cipher text. After which path calculation is done from which the communication take place.

Phase 2: In this case receiver receives data and decrypt using the private key of node, converts cipher data into plain text figure 7, shows the decryption system.




Fig -7: Decryption

To represent the idea of physical keying system the entire keying scheme we have developed a software representation of WSN is shown in figure 8 in which physical parameters coordinates are entered manually by developer and select the number of nodes into the network after this developer has to click on deploy network button which results in sub windows representing Nodes into the network which has its own physical location range input that defines the location of node after filling details of all nodes network is fully setup and after that message can send while message has been typed into Message Receive/Send Textbox and then click on Send Message Button. Figure 9 shows the communicated message which encrypted by Node 1 and decrypted by Node 2 by using DES encryption and decryption algorithm using that uses a 24 bit long encryption and decryption key that has generated by CBK scheme.

Fig - 8 and 9 (see in last page)

Table -1 (see in last page)

Conclusion - With table 1 we have concluded CBK. The advancement and limitation of CBK approach that uses physical location parameters while limited in terms of node addition and substitution as network is completely fixed in terms of node location and field size. The main idea behind CBK scheme is pre-deployment of encryption and decryption keys while CBK uses a mixed approach for key distribution, in CBK private key and public identifiers are pre-distributed to all nodes each node is then generate a key similar to private key of destination node and encrypt and sent to destination node.

Future Scope - CBK scheme is tested and applied using software application which is slightly differ from actual physical implementation of network for which one can apply this networking scheme into a physical network thus reliability test can be done. Another enhancement can also be done by making incorporating new/replacement node addition feature in runtime.

References :-

1. Rathee, Pinki, and Sanjeev Indora. "An Object Tracking Mechanism in Wireless Sensor Networks." (2017).
2. "History and Architecture of Wireless Sensor Networks for Ubiquitous Computing", Vandana Jindal, D.A.V College, Bathind, IJAR CET, Volume 7, Issue 2, February 2018, ISSN: 2278 – 1323
3. D Rathee, Pinki, and Sanjeev Indora. "An Object Tracking Mechanism in Wireless Sensor Networks." (2017).
4. "Wireless Sensor Networks Concepts, Application, Experimentation and Analysis", Fahmy, H.M.A., 2016,

- ISBN: 978-981-10-0411-7,
5. Padmavathi, Dr G., and MrsShanmugapriya. "A survey of attacks, security mechanisms and challenges in wireless sensor networks." arXiv preprint arXiv: 0909.0576 (2009).
6. Sen, Jaydip. "A survey on wireless sensor network security." arXiv preprint arXiv:1011.1529 (2010).
7. Wang, Yong, GarhanAttebury, and Byrav Ramamurthy. "A survey of security issues in wireless sensor networks." (2006).
8. Diffie, Whitfield, and Martin Hellman. "New directions in cryptography." IEEE transactions on Information Theory 22.6 (1976): 644-654.
9. Needham, Roger M., and Michael D. Schroeder. "Using encryption for authentication in large networks of computers." Communications of the ACM 21.12 (1978): 993-999.
10. Burmester, Mike, and YvoDesmedt. "A secure and efficient conference key distribution system." Workshop on the Theory and Application of Cryptographic Techniques. Springer, Berlin, Heidelberg, 1994.
11. Chan, Haowen, Adrian Perrig, and Dawn Song. "Random key predistribution schemes for sensor networks." Security and Privacy, 2003. Proceedings. 2003 Symposium on. IEEE, 2003.
12. Anzai, Jun, NatsumeMatsuzaki, and Tsutomu Matsumoto. "A quick group key distribution scheme with "entity revocation"." International Conference on the Theory & Application of Cryptology and Information Security. Springer, Berlin, Heidelberg, 1999.




Fig -8: Fully Setup Network




Fig -9: Data Received

Table -1: comparative overview of CBK scheme with other schemes

S.	Features	Our System	DES	3DES	BLOWFISH	CAST-128
1	Key Length	Variable according to Encryption Technique used	56 Bits	168 Bits	32-448 Bits	128/ 256 Bits
2	Location Parameter with Key	Yes	No			
3	Keying Type	Mixed in Nature	Pre-distribution			
4	Addition of new node Flexibility	Complete reconfiguration required	Runtime			
5	Post Network Deployment key calculation	Yes: Using unique name of source	No			

बांद्राभान: धार्मिक व्यापार का प्रमुख केंद्र

विनोद राय*

शोध सारांश – मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के नर्मदा नदी एवं तवा नदी का संगम स्थल¹, पौराणिक मान्यताओं से आस्था के केंद्र के रूप धार्मिक महत्त्व से जनमानस से जुड़ा हुआ है यह सीहोर-होशंगाबाद जिले की सीमा पर प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेला, अंतरराष्ट्रीय नदी महोत्सव तथा प्रत्येक पूर्णिमा, अमावस्या पर जनमानस का जमावड़ा इस संगम स्थल को प्रमुख धार्मिक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं।

शब्द कुंजी – बांद्राभान घाट, कार्तिक मेला, अंतरराष्ट्रीय नदी महोत्सव, धार्मिक महत्त्व ।

शोध प्राविधि – प्रस्तुत शोध पत्र में विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन, नेट पर प्राप्त सामग्री का अध्ययन, विभिन्न सरकारी, निजी संस्थाओं से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एवं क्षेत्र विशेष का भ्रमण एवं साक्षात्कार आदि अनेक प्रविधियों को माध्यम बनाया गया है।

प्रस्तावना – संगम स्थलों का नदी संस्कृति से गहरा संबंध होता है ये संस्कृति को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं ये ही वे स्थान हैं जहां संस्कृति बनती, संवरती और फलती फूलती है संगम स्थल पर विभिन्न धर्म, जाति के लोगो का समागम होता है संगम स्थल धार्मिक पर्यटन व्यापार को समृद्ध करते हैं यहां कई मेले लगते हैं जो समाजिक आर्थिक धार्मिक सांस्कृतिक पहलुओं को पूर्ण करते हैं। संक्षेप में संगम स्थल एक पंथ दो काज हैं।

नर्मदा ही एक मात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा में जनमानस अपनी पूरी श्रद्धा विश्वास से पूजा अर्चना करते हैं तथा धार्मिक व्यापार को वृद्धि प्रदाय करते हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत कृषि होता है कृषि का विकास मुख्यतः नदियों के किनारे से ही प्रारंभ हुआ, क्योंकि भूमि की बेहतर उर्वरशक्ति और जल की सहज उपलब्धि के कारण नदी घाटियों में कृषि कार्य निश्चितता से करना संभव था अतः आश्चर्य नहीं कि होशंगाबाद के बांद्राभान घाट पर भी कृषि और ग्रामीण सभ्यता का विकास नदी किनारे ही हुआ है ना केवल कृषि की दृष्टि से वरन खनिजों की दृष्टि से भी नर्मदा घाटी का बराबर महत्त्व रहा है साथ ही नर्मदा के किनारे अनेक ग्रामों में आजीविका का प्रमुख साधन के रूप में मछली पकड़ना है। तथा साथ ही रेत व्यापार प्रमुख व्यापार का रूप ले रहा है।

धार्मिक, सांस्कृतिक नगर होशंगाबाद नर्मदा नदी के कारण व्यापार के महत्त्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित है। बांद्राभान जो नर्मदा एवं तवा नदी के संगम स्थल, यहां की सुंदरता कल-कल बहती नर्मदा-तवा की निर्मल संयुक्त धारा के बीच अलौकिक शांति देती है। यहां के भव्य मंदिर एवं घाट जिनका विशेष महत्त्व माना जाता है। यहां उपस्थित मंदिर, धर्मशालाएँ, लगने वाले मेला तथा प्राचीन मान्यताओं के साथ-साथ सड़कमार्ग की सुगमता इस क्षेत्र को महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाती है।

भौगोलिक स्थिति एवं दिशा –

22.4746 उत्तरी अक्षांश

77.479 पूर्वी देशांतर

बांद्राभान होशंगाबाद एवं सीहोर जिले की बॉर्डर पर स्थित ग्राम, रायपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है इसके उत्तर दिशा संगम के दुसरे पार सीहोर जिले की बुधनी तहसील स्थित है।

होशंगाबाद जिले ओर से – बांद्राभान होशंगाबाद बाबई सड़क मार्ग पर पूर्व दिशा में होशंगाबाद से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है³ यहां पहुंचने के लिए मुख्य घाट तक पक्की सड़क है। जिससे वाहनों का आवागमन सुगमता से हो जाता है यहां तक पहुंचने के लिए बस सुविधा उपलब्ध है एवं स्वयं के वाहनों से भी पहुंचा जा सकता है। होशंगाबाद यहाँ का समीपस्थ रेलवे स्टेशन है जो भोपाल मुम्बई रेलवे लाइन का प्रमुख स्टेशन है।

सीहोर जिले की बुधनी से 11 किलोमीटर दूरी पर तथा शाहगंज से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से इसकी दूरी 79 किलोमीटर है।

मुख्य अंश

धार्मिक महत्त्व – धार्मिक दृष्टि से बांद्राभान का विशेष महत्त्व है। किंवदंती है की नर्मदा-तवा संगम पर कई तपस्वियों ने मोक्ष के लिए तपस्या की थी जिससे दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश हो जाता है। इसी मान्यता के चलते यहां प्रति माह अमावस्या एवं पूर्णिमा पर हजारों की तादात में दूर-दूर से लोग पवित्र नर्मदा में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। गुलजारी संगम से 6 मील आगे बांद्राभान नामक स्थान है। इसे वानर-भालू तीर्थ भी कहा जाता है इसके समीप ही महात्मा मृगनयनी का आश्रम है तथा संगम से 2 मील दूर जानपुर गाँव में चांदनी संगम है।⁴

नर्मदा-तवा के संगम के पश्चिमी स्थल पर बाईराम जी का आश्रम एवं पतई वाले स्वामी रामस्वारूपनंद की तपोस्थली तथा आश्रम है तथा एक विस्तृत घाट है जहाँ प्रतिवर्ष बड़े बड़े भंडारे आयोजित किये जाते हैं यह स्थल विध्यांचल पर्वतश्रेणी में स्थित है।⁵

पौराणिक महत्त्व – नर्मदा के अन्य तीर्थों की तरह ही बांद्राभान अर्थात् शिव-वानर-भालू तीर्थ के संबंध में भी अनेक किंवदंतियां हैं एक कथा अनुसार वानर राज सुग्रीव ने अपने वानर और भालू को सीताजी की खोज में चारो दिशाओं की ओर भेजा था वानर भालूओं की एक सेना नर्मदा घाटी में सीताजी की असफल खोज कर रही थी सेना को डर था कि सीताजी की खोज नहीं कर पाए तो भीषण दंड मिलेगा अतः वानर-भालूओं ने शिव जी

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महा., डोलरिया (शोधार्थी, बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल (म.प्र.)) शोध केन्द्र शास. नर्मदा स्ना.महा., होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

की प्रार्थना की, प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें बतलाया की सीताजी की खोज हो चुकी है और उनसे आंख मूंदकर नर्मदा में स्नान करने को कहा, जब उन्होंने आंख खोली तो वे भगवान् के प्रताप से किष्किन्धा पहुंच गए।⁶ इसलिए यहाँ नर्मदा में स्नान का महत्त्व है।

एक अन्य मान्यता है कि पूर्व में एक राजा को वानर की आकृति से यहा मोक्ष प्राप्त हुआ था इसी कारण यहा का नाम बांद्राभान भी पड़ा।⁷ पुराणों के अनुसार, नर्मदा के किसी भी घाट पर मां नर्मदा के दर्शन करने मात्र से ही अक्षय पुण्य लाभ अर्जित होता है। लोगो की मनोकामना पूरी होती है यहां पर तवा नदी एवं नर्मदा नदी का संगम स्थल है इस कारण इसका महत्त्व अधिक है।

धार्मिक व्यापार – कार्तिक पूर्णिमा मेला - नर्मदा और तवा नदी के संगम स्थल के रूप में प्रसिद्ध यह क्षेत्र कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले के लिए विश्वविख्यात है।⁸ प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा पर यह मेला लगभग 1825- 1830 से आरंभ हुआ। कार्तिक मास में महिलाये व्रत रखती एवं हर दिन नर्मदा स्नान करती हैं पूर्णिमा पर व्रत समाप्त होता है इसलिए स्नान का महत्त्व है कार्तिक पूर्णिमा पर परिवार सहित स्नान और नर्मदा पूजन के साथ भगवान् सत्यनारायण की कथा पूजन का पुण्य माना जाता है। इसलिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं।

इस तीन दिवसीय मेले में रंगमंचीय गतिविधियां, आतिशबाजी, खेलकूद गतिविधियां प्रदर्शनी के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियां भी मुख्य रूप से जुडी होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर बांद्राभान मेले को देखते हुए पंचकोशी यात्रा की अमावस्या पर आये श्रद्धालुओं के लिए सैकड़ों दुकानदारों द्वारा यहां दुकान लगाई जाती है। साथ ही प्रति अमावस्या, पूर्णिमा पर नर्मदा स्नान करने हजारो लोग आते हैं। जिससे यहां फूल मालाये प्रसादी, मूर्तियों, मां नर्मदा के वस्त्र, फरिया चुन्नी, पूजन सामग्री के साथ साथ होटल व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों का भी व्यापार जुड़ा है।⁹ मेले के आयोजन से आस-पास क्षेत्र के साथ-साथ दूर-दूर से व्यापारी यहां दैनिक उपयोग की वस्तुओं का व्यापार करने आते हैं। बांद्राभान मेले में हरदा, बैतूल, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, नरसिंहपुर, खंडवा, रायसेन आदि जिलो से बड़ी मात्रा में श्रद्धालु एवं व्यापारी आते हैं मेले के समय यहां का व्यापार आम दिनों से कही अधिक बढ़ जाता है।



फरिया चुन्नी
की दुकान

फूलमाला
की दुकान

प्रसाद
की दुकान

बांद्राभान में नर्मदा तवा के संगम पर आगे जल का अंतर साफ दिखाई देता है गहराई के कारण नर्मदा जल में रेत दिखाई नहीं देती है वही तवा का उथला जल होने के कारण रेत साफ नजर आती है।

अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव - नर्मदा तवा नदी के संगम पर 2008 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नदी महोत्सव के दौरान देश की बड़ी नदियों वा उनकी सहायक नदियों के संरक्षण को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है नदियों के पुनर्जीवन उनके संरक्षण पर इसमें चर्चा की जाती है इस अवसर पर महोत्सव में नदियों के

विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे लोगों को मंच प्रदान करके अनुभव साझा करने और नदियों को बचाने की योजना तैयार करने में सहायता करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में नदियों में प्रदूषण को कम करने और नदी की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें एक सामुदायिक सम्पत्ति के रूप में सहेजने के लिए विभिन्न प्रयासों पर चर्चा की जाती है। अभी तक 5 (वर्ष 2008, 2010, 2013, 2015, 2018) अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव आयोजित किये जा चुके हैं¹⁰ होशंगाबाद क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह महोत्सव इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान कर रहा है।



बांद्राभान कार्तिक मेला



बांद्राभान नर्मदा-तवा नदी का संगम

अन्य व्यापार - नर्मदा नदी की उपरिस्थिति से इस क्षेत्र में सिंचाई और उपजाऊ भूमि यहां कृषि को मुख्य व्यवसाय बनाती है यहां की अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्य में कार्यरत है यहां का प्रमुख व्यापार गल्ला व्यापार है। मुख्य कृषि व्यवसाय में यहां बाजरा, गेहूं, चना, सोयाबीन, कपास पुराने समय में यहां उगाई जाती थी। अब यहां गेहूं, धान, चना, मक्का प्रमुख फसल बन गयी है। 70 के दशक में क्षेत्र में व्यापारिक मार्गों का विकास उतना नहीं हुआ था जितना आज है। क्षेत्र में आंवला, निम्बू, आम के बहुत बगीचे हैं जिनका निर्यात यहा से आस-पास के बाजारों में किया जाता है।

ग्राम से तरबूज, खरबूज, छीताफल, जाम का वृहद पैमाने पर सागर, भोपाल, इंदौर, दमोह की मंडियों में किया जाता था। धीरे-धीरे तवा नदी किनारे के इस ग्राम से तरबूज-खरबूज की खेती पूर्णतः बंद ही हो गयी इसका कारण 1990 के बाद तवानगर पावरप्लांट के बनने से तवा में आने वाला केमिकल युक्त पानी है।¹¹ परन्तु अभी भी संगम स्थल पर विभिन्न

सब्जियां रेत में लगायी जाती हैं।

व्यापारिक दृष्टि से संगम स्थल से मत्स्य उत्पादन भी एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में बढ़ रहा है। बड़ी मात्रा में मछली यहाँ से निकाली जाती है इनमें कतला, नरेन, रेहू, बाम मछलियाँ अधिक प्राप्त की जाती हैं जिनका यहाँ से निर्यात भी किया जाता है।

संगम स्थल में कई वर्षों से नर्मदा की रेत का उत्खनन कार्य चल रहा है जो अब एक व्यापक व्यापार का रूप ले चुका है। यहाँ की रेत बहुत महीन, चिकनी एवं सीमेंट की और मजबूत पकड़ की गुणवत्ता के कारण अधिक मांग वाली रेत बन गयी है। भवन निर्माण में व्यापक प्रयोग होने के कारण इसका निर्यात होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर, खंडवा जिलों से उत्तरप्रदेश, राजगढ़ होते हुए राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में होता है। यह सबसे अधिक मात्रा में राजस्व प्रदाय करने वाला खनिज बन गया है तथा बांद्राभान क्षेत्र में रेत उत्खनन कार्य में कई लोगो को रोजगार मिला है।

निष्कर्ष – इस प्रकार यहाँ का धार्मिक एवं अन्य व्यापार इस क्षेत्र को प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में पहचान दिलाता है।

चूँकि तीर्थ एवं पर्यटन आपस में घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। पर्यटन उद्योग विशेष रूप से तीर्थस्थलों के लिए बहुत बड़ी संख्या में 'स्थानीय पर्यटकों' को आकर्षित करता है। तीर्थ पर्यटन यात्रा के प्रोत्साहन में विशेष रूप से सहायक है। तीर्थस्थलों पर उचित मात्रा में सुविधा प्रदान करने की हमेशा से बढ़ती हुई आवश्यकता ने राज्य सरकारों एवं पर्यटन विभागों पर दबाव डाला है कि बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए ठोस योजनाएं बनायें। इसी के तहत बांद्राभान पर विकास कार्य किये जा सकते हैं। जिससे व्यापार में वृद्धि होगी।

तीर्थस्थल एक बड़े क्रय केन्द्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। बहुत से

तीर्थ स्थान हैं जो पहले एक छोटे कस्बे हुआ करते थे, परन्तु अपनी धार्मिक महत्ता के कारण एक बड़े शहर के रूप में उजागर हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव, कार्तिक मेला आयोजन से क्षेत्र के होशंगाबाद से मिलकर नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अन्तर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव से बांद्राभान की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी है तथा पर्यटकों का आवागमन भी इस ग्राम को विकसित व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दैनिक भास्कर, होशंगाबाद रविवार, 24 जनवरी 2021
2. होशंगाबाद जिला गजेटियर, संस्कृति संचालनालय, भोपाल, मध्यप्रदेश, 1994 पृष्ठ क्रमांक 332
3. www.hoshnagabad.nic.in .
4. डॉ लीना जोशी , शोध प्रबंध, मध्य नर्मदा क्षेत्र का सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, 2002 पृ.क्र.166
5. स्वयं द्वारा किया गया सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी
6. मिश्र गोविन्द प्रसाद एवं तिवारी शिवकुमार, नर्मदा की धारा से, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी संस्करण 2007, पृ.क्रं.55
7. दैनिक भास्कर, होशंगाबाद रविवार, 24 जनवरी 2021
8. मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण वेबसाइट, भोपाल द्वारा अनुमोदित मेला की सूची जिला होशंगाबाद
9. स्वयं द्वारा किया गया सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी
10. नईदुनिया ई-समाचार, 13 मार्च 2018, www.naidunia.com
11. डॉ. विनीत साहू, लेक्चरर उच्च माध्यमिक शाला, बांद्राभान के साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी

जनजातीय समाज में विधवा पुनर्विवाह

डॉ. मनीषा आमटे*

प्रस्तावना - समाज दर्शन की दृष्टि से समाज की प्रथम इकाई परिवार के सृजन में विवाह का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक स्वाभाविक जीवन के लिए विवाह एक सामान्य तथा स्वाभाविक घटना है और शायद इसीलिए सभी प्रकार के समाज में सामाजिक व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए विवाह रूपी संस्था किसी न किसी रूप में स्वीकृत है। धर्मशास्त्रों के समाज दर्शन में इसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और धार्मिक महत्व है। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम में प्रवेश की प्रथम सीढ़ी विवाह ही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए, पितृ-ऋण से मुक्त होने के लिए, वंश परम्परा में निर्वाह के लिए, धर्म की पूर्ति के लिए, पुरुषार्थ के संपादन के लिए और सुखमय जीवन निर्वाह के लिए विवाह आवश्यक है। वेस्टरमार्क ने अपनी किताब 'The History of Human Marriage' (vol.1P.26) में लिखा है, - 'विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जो कि प्रथा या कानून के द्वारा स्वीकृत होता है तथा जिसमें दोनों पक्षों तथा उनके बच्चों के अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है।'¹

यह वह संस्कार है, जिसके द्वारा स्त्री-पुरुष परस्पर सामाजिक सम्बन्ध में बंध जाते हैं। सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार, 'विवाह एक संस्था के रूप में प्रेम की अभिव्यक्ति और विकास का एक साधन है। विवाह केवल एक रूढ़ि नहीं है, अपितु मानव समाज की एक अन्तर्भूत दशा है। यह प्रकृति के प्राणीशास्त्रीय लक्ष्यों तथा मनुष्य के समाजशास्त्रीय लक्ष्यों के मध्य समंजन (तालमेल) है।'²

हिन्दु धर्मशास्त्रों में संस्कार के रूप में विवाह के आठ स्वरूप प्रचलित हैं- ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्यविवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाचिक विवाह किन्तु पति की मृत्यु के पश्चात् विधवा हुई स्त्री के लिए पुनर्विवाह हेतु विवाह के किसी भी स्वरूप की व्याख्या निर्धारित नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही स्त्री को पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त था तथापि इस विवाह के पश्चात् समाज में उसका स्थान निम्न ही रहता था। विधवा पुनर्विवाह को सभ्य समाज में आन्दोलन के परिणामस्वरूप सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त हुई। जबकि जनजातीय समाज में यह सदियों से परम्परागत रूप से प्रचलित है।

जनजातियाँ सभ्यता के आन्तरिक स्तर का प्रतिनिधित्व करने के कारण विवाह को जीवन के एक स्वाभाविक नियम के रूप में देखती हैं। इसके फलस्वरूप जनजातीय समाज में स्त्री पुनर्विवाह से संबंधित उतने अधिक निषेध और नियम प्रचलित नहीं हैं जैसे कि अन्य मानव समाजों में देखने को मिलते हैं। सभ्य समाजों की तुलना में जनजातीय समाजों के अंतर्गत स्त्रियों का स्थान पुरुषों के बराबर अथवा उनसे उच्च है। यही वह आधारभूत अंतर है

जिसके कारण विवाह के क्षेत्र में जनजातीय स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त करती हैं। इसके फलस्वरूप जनजातीय विवाह में अनेक ऐसे परम्पराओं का समावेश रहा जिसका सभ्य समाजों में नितान्त अभाव है। जनजातीय विवाह की परम्पराओं में स्त्री पुनर्विवाह की कुछ विशिष्ट परम्पराएँ हैं जो सभ्य समाज के लिए मनोरंजक एवं आश्चर्य का विषय रही हैं। किन्तु यह एक सामान्य नियम है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का कोई भी वह पक्ष जो हमारे अपने प्रचलन से भिन्न होता है उसे अक्सर हम एक मनोरंजक विषय के रूप में देखने लगते हैं जबकि प्रत्येक समाज की सामाजिक संस्थानों का विकास उसकी अपनी आवश्यकताओं भौगोलिक दशाओं तथा मूल्यों के अनुसार होता है। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि जनजातीय समाज में स्त्री पुनर्विवाह के बारे में एक सही दृष्टिकोण अपनाकर उसमें सम्बन्धित विभिन्न मान्यताओं और प्रचलन को समझा जाए। उक्त शोध पत्र इसी दिशा में एक प्रयास है।

गोण्ड :- मध्य भारत की गोण्ड जनजाति में गोण्ड महिला के पति की मृत्यु होने पर उस महिला का विवाह परिवार के अगले कुँवारे लड़के के साथ कर दिया जाता है फिर वह महिला का पोता ही क्यों न हो। इस रस्म को 'नाती-पातो' कहा जाता है। विवाह पश्चात् समाज एवं परिवार में प्रत्येक प्रकार की धार्मिक गतिविधियों में इनकी भागीदारी पति-पत्नी की तरह ही होती है। हालांकि इस तरह के विवाह में शारीरिक सम्बन्धों की गुंजाइश न के बराबर ही होती है। इस विवाह में समुदाय नाबालिग पति को वयस्क होने पर पुनः शादी की अनुमति देता है। पुनर्विवाह की अनिच्छुक विधवा को गांव के पंचों द्वारा एक तय शुद्धा रस्म के अनुसार विवाहित महिला का दर्जा दिया जाता है जिसे पंच पातो कहते हैं। इस समुदाय में देवर-पातो, परम्परा भी प्रचलित है जिसमें विधवा महिला का विवाह उसके अविवाहित देवर से किया जाता है।

थारु जनजाति :- थारु जनजाति में पति-भ्राता विवाह का प्रचलन है। इस रीति के अनुसार थारु पुरुष अपने बड़े भाई की विधवा स्त्री में विवाह कर सकता है। थारु स्त्रियों का परिवार की सम्पत्ति में हिस्सा रखा गया है और इस कारण सम्पत्ति की रक्षा के लिए स्त्री को विधवा होने के बाद भी संरक्षण प्रदान किया जाता है जिसमें यौन संबंधों की संतुष्टि एवं सम्पत्ति की रक्षा दोनों हो सके।³

उरांव जनजाति :- उरांव समाज एक विवाही व पितृपक्षीय वंश परम्परा पर आधारित है। इस जनजातीय समाज में विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। प्रायः विधवा मृत पति के भाई की पत्नी स्वीकार कर ली जाती है। इसे द्विवर विवाह कहते हैं।⁴

संथाल जनजाति :- संथाली भाषा में विवाह बापला कहलाता है। इस

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ (म.प्र.) भारत

जनजाति में विधवा विवाह की परम्पराएँ समाज में मान्य है। द्विवर व साली विवाह दोनों ही संधालों में प्रचलित हैं।⁵

सौरिया पहाड़िया जनजाति :- झारखण्ड राज्य की सौरिया पहाड़िया पितृसत्तात्मक जनजाति समाज है। गौत्र के अभाव के कारण इस समाज में विवाह नातेदारी से तय होते हैं। माता-पिता की तीन पीढ़ियों तक संबंधियों के बीच प्रायः विवाह नहीं किए जाते। इस जनजाति में द्विवर भाभी विवाह मान्य है।⁶

गारो :- भारत के मेघालय राज्य के गारों पर्वत के निवासी आदिवासी समूह में विधवा पुनर्विवाह परम्परा प्रचलित है। इस जनजाति में यह परम्परा है कि पत्नी के पिता की मृत्यु हो जाने पर पति को अपनी विधवा सास से विवाह करना पड़ता है। इस विवाह को सास- दामाद विवाह कहा जाता है।⁷

सेमा-नागा :- नागालैण्ड की सेमा-नागा जनजाति में सौतेली माता-पुत्र विवाह की परम्परा है। इसमें पुत्र का पिता की मृत्यु के पश्चात् अपनी सौतेली माता या माताओं से विवाह करना अनिवार्य होता है। सेमा नागाओं में व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् सम्पत्ति पर उसकी विधवा का अधिकार होता है और यदि पुत्र सम्पत्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपनी सौतेली माता या माताओं से विवाह करना पड़ता है।⁸

समाज सतत परिवर्तनशील है लेकिन जनजातीय समाज एक स्वतन्त्र और प्रायः स्थिर समाज है। यहाँ सभ्य समाज की संस्कृति से अलग संस्कृति है। इनमें आचार-विचार रीतियाँ परम्पराएँ अलग होती हैं। इनमें अपने पूर्वजों की संकल्पनाओं और मान्यताओं के प्रति अटूट विश्वास होता है। ये इन्हें अपने जीवन और व्यवहार का प्रतीक मानते हैं। जनजातीय समाज में महिलाओं की सामुदायिक सहभागिता प्राचीन समय से ही विद्यमान है। पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में जनजाति महिला-पुरुष को समान

भागीदारी प्रायः प्रत्येक जनजाति समुदाय में परिलक्षित होती है। सभ्य समाज में विधवा पुनर्विवाह आज भी पूर्णतः सामाजिक एवं पारिवारिक रूप से स्वीकृत नहीं है विधवा शब्द स्त्री को समाज व परिवार में हीनता प्रदान करना है इसके इतर जनजातीय समाज अपनी विधवा महिला सदस्यों को पुनर्विवाह की अनुमति देकर उन्हें पुनः एक सम्मानजनक सामाजिक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बघेल, डॉ. डी.एस. : भारतीय समाज एवं संस्कृति, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, पृष्ठ - 156।
2. दीक्षित, डॉ. ध्रुवः यूनीफाइड समाजशास्त्र, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, पृष्ठ - 143।
3. उपाध्याय, विजय शंकर व विजय प्रकाश शर्मा (2009) : भारत की जनजातीय संस्कृति, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ - 110।
4. श्रीवास्तव, ए.एन.आर. (2012) : जनजातीय संस्कृति, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ - 104
5. श्रीवास्तव, ए.एन.आर. (2012) : जनजातीय संस्कृति, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल पृष्ठ - 108
6. श्रीवास्तव, ए.एन.आर. (2012) : जनजातीय संस्कृति, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ - 119
7. मजुमदार, डी.एन. व टी.एन.मदनः सामाजिक मानवशास्त्र परिचय, मयूर पेपर बेथ्स, पृष्ठ-180
8. नारायण, श्रीमती कुसूम : सामाजिक मानवशास्त्र, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, पृष्ठ- 143

रोजगार के विकल्प के रूप में कृषि क्षेत्र

श्रीमती कलावती हारोडे *

शोध सारांश - भारत में आज भी 68 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रही है।

महात्मा गांधी भी कृषि को 'भारत की आत्मा' मानते थे। कृषि समस्त उद्योगों की जननी, मानव जीवन की पोषक, प्रगति की सूचक तथा सम्पन्नता का प्रतीक समझी जाती है। रोजगार में कृषि क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। हम कृषि में नए व आधुनिक तरीकों से नकदी फसलों की खेती कर कृषि उत्पादों का बेहतर मार्केटिंग और अपने करियर को एक बेहतर आयाम दे सकते हैं। कृषि क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं, जरूरत है यहाँ के युवाओं को कृषि से सम्बन्धित हर तरह की जानकारी हासिल करने की देश में कई कंपनियों जैसे-टाटा एग्रो, रिलायंस इफको, एबीटी इंस्ट्रीज, राष्ट्रीय बीज निगम, एवं राज्य व जिला स्तरों पर ऐसी एजेंसियाँ हैं जो कर्मचारियों की नियुक्ति करती हैं। इसके अलावा निगम में कृषि वैज्ञानिकों को कार्य का अवसर प्रदान किया जाता है।

शब्द कुंजी - रोजगार, कृषि क्षेत्र, प्रशिक्षण, व्यवसाय, उद्योग, उन्नत किस्म की खेती।

प्रस्तावना - कृषि आज भी अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय तथा रोजगार का बड़ा स्रोत है। औद्योगिक विकास, वाणिज्य एवं विदेशी व्यापार का आधार है। सामान्य तौर पर, लोग बेहतर भुगतान वाले रोजगार की तलाश में खेती छोड़कर शहरों की ओर रुख करते हैं। लेकिन हाल ही में कोरोना महामारी के कारण ऐसे लोग जिनका गैर-कृषि रोजगार बंद हो गया है, उनका कृषि क्षेत्र की ओर रुख करने की अधिक संभावना अधिक है, लॉकडाउन की स्थिति के कारण बड़ी संख्या में लोगों का गांवों में पलायन हुआ है।

सीएमआई के आँकड़ों से पता चलता है कि 2019-20 में 111.3 मिलियन लोगो ने कृषि को अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में घोषित किया है। मार्च 2020 में 117 मिलियन जबकि जून में यह संख्या बढ़कर 130 मिलियन तक पहुँच गई। भारतीय संस्कृति में पृथ्वी को माता के पवित्र सम्बन्ध से सम्बन्धित किया गया है, यहाँ कृषि कर्म को प्रथम, वाणिज्य को द्वितीय तथा सेवा कार्य को तृतीय स्थान प्रदान किया है। केने के अनुसार-उद्योग एवं वाणिज्य दोनों ही कृषि के अधीन हैं क्योंकि इन्हें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, और ये दोनों शाखाएँ अपने लाभ को कृषि क्षेत्र को वापस कर देती हैं।

कृषि एवं रोजगार- भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक संख्या में रोजगार के अवसर कृषि क्षेत्र द्वारा ही प्रदान किये जाते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या में ग्रामीण श्रमिकों का भाग 80 प्रतिशत था। इनमें से लगभग 82 प्रतिशत ग्रामीण श्रमिकों को कृषि के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो रहा था। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत में उद्योगों, विशेष रूप से बड़े उद्योगों में अधिक मात्रा में रोजगार प्राप्त होने की निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है। अतएव भारत में कृषि केवल वर्तमान समय में नहीं बल्कि भविष्य में भी रोजगार प्रदान करने का मुख्य साधन बनी रहेगी।

1. उद्योगों को कच्चा माल जैसे कपास, पटसन, गन्ना, तिलहन, अनाज आदि कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त हो सकेंगे।

2. कृषि में उत्पादकता बढ़ने से लोगों की आय में वृद्धि होगी तथा वे उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की अधिक मांग करेंगे।
3. कृषि में उत्पादकता बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में श्रमिक मांग कम हो जायेगी। ये श्रमिक उद्योगों में काम कर सकेंगे।
4. औद्योगिक विकास के कारण आय में वृद्धि होगी। अतः अनाज की मांग भी बढ़ेगी तथा कृषि का भी विकास होगा।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम-मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लाए गए तीन

अध्यादेश- किसानों की उपज के व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) का अध्यादेश, कृषि सेवाओं एवं मूल्य आश्वासन पर किसानों की सहमति (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) संबंधी अध्यादेश तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, यह किसानों को 'मेरी फसल मेरा अधिकार' का लाभ एवं उनकी उपज के लिए उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद करेंगे।

किसान काल सेंटर, कोल्ड चेन, ई-चौपाल, कृषि उपज भण्डार, बागवानी एवं रोपण, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला एवं कृषि परीक्षण जैसी तकनीकी के माध्यम से कृषि को नया आधार मिला है। श्रम की माँग-अगस्त 2020 में बुवाई का मौसम समाप्त होने तक कृषि क्षेत्र में श्रम की माँग निरन्तर बनी रही। कृषि क्षेत्र द्वारा देश के 58 प्रतिशत कर्मचारी को रोजगार प्रदान किया जाता है।

देश के निर्यात में योगदान-कृषि क्षेत्र कुल निर्यात आय का लगभग 15 प्रतिशत है, जिससे विदेशी मुद्रा की आमदानी होती है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार संग्रह में कृषि का बड़ा योगदान है, लगभग सभी उद्योगों जैसे कपड़ा, रेशम, चावल, आटा मिल, दुग्ध उत्पाद उद्योगों को कच्चा माल प्रदान किया जाता है।

उन्नत कृषि देश की खाद्य सुरक्षा की गारंटी -यदि किसी देश का कृषि क्षेत्र मजबूत है तो यह खाद्य सुरक्षा और इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दीवार के रूप में काम करता है। कृषि क्षेत्र मजबूत है तो गारंटी है कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए भरपेट भोजन उपलब्ध होगा। उन्नत कृषि द्वारा नए

रोजगार निर्माण तथा खाद्य उत्पादन में वृद्धि करके पुंजी निर्माण की दर को बढ़ाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में अध्ययन करके नये तकनीकी उपकरण, रसायन टेक्नालॉजी, उन्नत किस्मों की खेती के माध्यम से अधिक पैदावार व आय दोगुनी कर सकते हैं।

औद्योगिक उत्पादों के लिए कृषि एवं बाजार – औद्योगिक विकास के लिए क्रय शक्ति में वृद्धि बहुत आवश्यक है क्योंकि हरित क्रांति के बाद बड़े किसानों की क्रय-शक्ति में वृद्धि उनकी बढ़ी हुई आमदनी के कारण ही संभव हो पाया है। राजस्व संग्रह में भी कृषि क्षेत्र का प्रमुख योगदान है। आमतौर पर माना जाता है कि कृषि क्षेत्र में कॅरियर के स्कोप नहीं है जबकि कृषि बड़े उद्योगों में से एक है जो रोजगार का एक अच्छा स्रोत है। बागवानी, खेत प्रबन्धन, व्यवसाय और उद्योग शामिल है जो कृषि उत्पादों की खरीद प्रक्रिया करते हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, लैब टु लैण्ड (प्रयोगशाला से खेत तक) तकनीकी हस्तान्तरण एवं इंटरनेट के माध्यम से कृषि उत्पादों, सब्जी, फल, अनाज, दाल, तिलहन, आदि के विक्रय एवं विपणन में सुविधा हो गयी है जिससे कृषकों को लाभ हुआ है। इससे कई लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और आय बढ़ाने का अवसर मिला है, दूसरी ओर उनके उपभोग की प्रवृत्ति में भी व्यापक बदलाव परिलक्षित हो रहे हैं।

रोजगार के साधनों का विकास – स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण व रोजगार के लिए ऋण प्रदान करना जिससे पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें। स्थानीय उत्पादन द्वारा छोटे उद्योगों जैसे – सब्जी, जड़ी-बुटी, फलों का उत्पादन एवं डेयरी उद्योग, मधुमक्खी पालन का निर्माण तथा बिक्री केन्द्रों की स्थापना व बाजार व्यवस्था का विस्तार करना जिससे अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। रोजगार उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार औपचारिक रोजगार में 2011-12 में 17.9 प्रतिशत से 2017-18 से 22.8 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

अध्ययन के उद्देश्य – अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

1. लोगों के मध्य नेतृत्व का विकास करना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए संगठनों का निर्माण करना
2. आर्थिक एवं व्यावहारिक शोध जानकारी का इस प्रकार प्रचार करना कि लोग उन्हें समझ सकें।
3. कृषकों की समस्याओं का विश्लेषण कर उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं का लगाने में उनकी मदद करना।
4. प्रबन्धन समस्याओं का समाधान करने के लिए फीडबैक जानकारी संग्रहित और संप्रेषित करना।

निष्कर्ष – कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था रूपी इमारत की नींव है। कृषि पर पूरा देश आश्रित है, कृषि सिर्फ खेती करना ही नहीं अपितु जीवन जीने की कला भी है। कृषि विकास द्वारा ही हम इस विशाल जनसंख्या का भरण-पोषण कर सकते हैं तथा देश को समृद्ध बना सकते हैं। कृषि क्षेत्र में 21 वीं सदी में देश में खाद्य सुरक्षा एवं सतत् विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का निर्णायक योगदान है। कृषि और कृषक आर्थिक विकास और रोजगार के अग्रदूत है, देश के राष्ट्रीय आय में लगभग 52 प्रतिशत हिस्सा कृषि से होता है।

जॉन डब्ल्यु, वाल्टर, ए लुईस और अन्य अर्थशास्त्रियों ने यह साबित किया है कि कृषि से आर्थिक विकास और रोजगार में निरन्तर प्रगति होती है। भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर एक गेहूँ का पौधा या फसल का रोपण/अंकुरण भी आर्थिक उत्पादन व रोजगार की एक छोटी इकाई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-


1. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली 2017-18
2. कृषि अर्थशास्त्र, डॉ सिंह राजपाल, वी के प्रकाशन बड़ौत, 2012
3. दैनिक भास्कर समाचार पत्र
4. प्रसार दूत पत्रिका-2018

देवगढ़-मदारिया क्षेत्र(मेवाड़)की भौगोलिक-ऐतिहासिक स्थिति का परिचयात्मक अध्ययन

डॉ. हेमेन्द्र सिंह सारंगदेवोत*

प्रस्तावना - विविधताओं से भरे इस विश्व में विभिन्न क्षेत्रों का भूगोल उसका स्थानीय इतिहास बनाता है। वहां की प्राकृतिक संरचना का प्रभाव उसके दैनिक गतिविधियों, राजनैतिक विधि विधानों तथा आर्थिक संरचना पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।¹

अरावली पर्वत श्रृंखलाओं और अपने गौरवान्वित इतिहास के लिए प्रसिद्ध रहा मेवाड़ राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित राजस्थान के दक्षिण-पश्चिम भू-भाग में स्थित रहा है। मेवाड़ राज्य समय के साथ-साथ कई विभिन्न नामों से अभिहित किया जाता रहा है। द्वितीय शताब्दी में यह 'शिवि' जनपद के नाम से प्रसिद्ध था तो बाद में 'प्राग्वाट' नामकरण से। संस्कृत शिलालेखों एवं पुस्तकों में इसे 'मेदपाट' नाम से भी संबोधित किया गया है,² जिसका अर्थ मेव या मेरों का देश होता है। इतिहास के विभिन्न कालों में इस राज्य की सीमाएँ घटती-बढ़ती रही है, किन्तु राजस्थान में विलीनीकरण से पूर्व मेवाड़ राज्य राजस्थान के दक्षिणी भू-भाग में 23°49' से 25°28' उत्तर अक्षांश और 73°1' से 75°49' पूर्व देशान्तर के बीच फैला हुआ था। इसका क्षेत्रफल 2043.626 (12691 वर्ग मील) वर्ग कि.मी. था। क्षेत्रफल की दृष्टि से तत्कालीन राजस्थान अथवा राजपूताना का पांचवां बड़ा राज्य था। इसके उत्तर में अजमेर-मेरवाड़ा, पश्चिम में जोधपुर और सिरोंही, दक्षिण-पश्चिम में गुजरात का ईडर, दक्षिण में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, पूर्व में बूंदी व कोटा तथा मध्य प्रदेश का नीमच क्षेत्र सम्मिलित है। उत्तर-पूर्व में देवली की छावनी के पास जयपुर का क्षेत्र है। मेवाड़ राज्य के मध्य में स्थित ग्वालियर का परगना 'गंगापुर' जिसमें दस गांव थे तथा आगे पूर्व में इन्दौर का परगना नंदवाय या नंदवास आ गया था जिसमें 29 गांव थे।³ वर्तमान में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द एवं उदयपुर जिलों के भू-क्षेत्र मेवाड़ के रूप में पहचाना जाता है।



मेवाड़ के राजसमन्द जिले में स्थित देवगढ़-मदारिया क्षेत्र एवं यहां स्थित चुण्डावतों (गुहिलोत सिसोदियों) के ठिकानों जैसे देवगढ़ व लसानी आदि का इतिहास यहां के भूगोल से अत्यधिक प्रभावित रहा है। मेवाड़ महाराणा मोकल के शासनकाल में (1421-1433 ई.) में 'मदारिया' (माल्या का बास) मेवाड़ राज्य का महत्वपूर्ण शासन केन्द्र था जहां राजस्थान के लोक देवता संत बाबा रामदेव की कृपा से महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था।⁴ मदारिया की पहाड़ी पर स्थित गढ़ एवं गढ़ के नीचे स्थित शिखरबंद चामुण्डा माता का मन्दिर 15वीं शताब्दी ई. में मदारिया की महत्वपूर्ण राजनैतिक स्थिति को दर्शाता है।⁵ मेवाड़ महाराणा लाखा (1381-1421 ई.) के ज्येष्ठ पुत्र रावत चुण्डा के वंशज रावत द्वारकादास चुण्डावत (सांगावत) ने विक्रम संवत् 1726 वैशाख शुक्ल पंचमी शनिवार (सन् 1669) को 'देवगढ़' की स्थापना की।⁶ देवगढ़ जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, देवनगरी या देवताओं का गढ़ अर्थात् अरावली पर्वतमाला की गौरम एवं सांड माता की पहाड़ियों के मध्य बसा पठारी क्षेत्र जहाँ प्राचीन इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम देखा जा सकता है।⁷ देवगढ़ व मदारिया के मध्य 12 किमी. की दूरी है। इस प्रकार यह क्षेत्र देवगढ़ कस्बे की स्थापना के साथ ही देवगढ़-मदारिया कहलाया जाने लगा क्योंकि दोनों ही केन्द्र राजनैतिक सत्ता के परिचायक रहे हैं।



देवगढ़ राजमहल¹ - विश्व की प्राचीन अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान के लगभग मध्य में से विकर्ण के रूप में निकलती हुई राज्य को लगभग दो भागों में बांटती है।⁸ इसी शैलमाला के उत्तर पूर्व में देवगढ़ 25°30' उत्तरी अक्षांश से 25°45' अक्षांश तथा 73°45' पूर्वी देशान्तर से 74°00' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊँचाई 638 मी. (2093फीट) है।⁹ यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के अपरदित कठोर

* सहायक आचार्य (इतिहास विभाग) संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा(राज.) भारत

पठारी¹⁰ भाग जिसे 'पिडमॉण्ट' के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र पूर्व में छोटी-छोटी चट्टानों, पश्चिम में कामलीघाट (कालीघाटी) दक्षिण में नाथद्वारा घाट तथा उत्तर में अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा स्पष्ट सीमांकित है।¹¹ लम्बे समय तक अपरदन के कारण कठोर चट्टानी भाग सुदूर विस्तृत छोटे-छोटे टीलों के रूप में दिखाई देता है ऐसे पिडमॉण्ट भू-आकृति के नाम से जाना जाता है।

देवगढ़ मदारिया क्षेत्र राजस्थान के राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील का भाग है। यह अरावली श्रेणी की गोद में खारी नदी के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित कामलीघाट चौराहे से 4 किलोमीटर दूरी पर पूर्व की ओर स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में टॉडगढ़-रावली का समृद्ध वन क्षेत्र है जो वन्य जीव का समृद्ध मगरांचल है। यह क्षेत्र चुण्डावतों की जागीरदारी में रहा। यहाँ की प्राकृतिक अवस्थिति ने इसे हमेशा सुरक्षा कवच की भांति सुरक्षा प्रदान की है।¹²

इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया में देवगढ़ ठिकाने के जागीरी क्षेत्र अर्थात् देवगढ़-मदारिया परगना एवं आंजना मठ के संदर्भ में निम्नलिखित विवरण प्राप्त होता है -'.....Chief town of an estate of the same name in the state of Udaipur, Rajputana, situated in 25032' N. and 73055' E., close to the Merwara border and about 68 miles north by north east of Udaipur City. The town is walled, and contains a fine palace with a fort on each side of it. Three miles to the east, in the village of Anjna, is a monastery of the Natha sect of devotees. The population of Deogarh in 1901 was 5,384 of whom about 68 per cent were Hindus and 19 percent Jains. The estate consists of the town and 181 villages, and is held by one of the first-class nobles of Mewar, styled Rawat, who belongs to the Chondawat family of the Sesodia Rajputs. The annual income is about Rs. 120000 and a tribute of Rs. 5710 is paid to the Darbar.....'¹³



देवगढ़-मदारिया क्षेत्र का केन्द्र 'देवगढ़' नगर पालिका स्तर का कस्बा है जोकि एक घुमावदार छोटी पहाड़ी के चारों ओर इसके ढलान को आवृत करते हुए बसा है। इस छोटी पहाड़ी के चारों ओर व्यवस्थित यह कस्बा रिंग रोड की तरह प्रतीत होता है। पूर्वाभिमुख सूरज दरवाजा के सामने राघव सागर तालाब है जिसमें प्रातःकालीन व सायंकालीन सूर्य रश्मियाँ मनमोहक छटा बिखेर देती हैं। कभी यहाँ कमल सरोवर था इसी के किनारे अत्याधुनिक पार्क विकसित किया गया है। इसके एक तरफ महादेव जी का प्राचीन शिवालय है तो दूसरी ओर सूफी संत हजरत महबूब अली शाह बाबा की दरगाह है। राघव सागर के पूर्वी छोर पर गोलियागढ़ (छोटी पहाड़ी पर स्थित गोकुलगढ़) व छतरियां बावजी (कुंवर जसवन्त सिंह) के स्थान हैं। महाराज कुंवर बावजी आज जन मानस की आस्था के प्रतीक हैं। देवगढ़ के चारों ओर

बनी घाटियां प्राचीनकाल में इसकी सुरक्षा की गारंटी रही हैं। करणीमाता का मन्दिर दैवी भक्तों से गुलजार रहता है विशेषकर शारदीय नवरात्रों में जब यहाँ विशाल पशु मेला भरता है। साम्प्रदायिक सद्भाव के रूप में करणीमाता मंदिर के समीप में मेहताब अली शाह बाबा की दरगाह है जहाँ प्रतिवर्ष कव्वालियों का भव्य आयोजन होता है। देश के नामी-गिरामी कव्वाल अपनी सुर लहरियों से समा बांध देते हैं। बस्ती के बीचों बीच पहाड़ी पर स्थित देवगढ़ पैलेस सोमपुरा कारीगरों के वास्तुशिल्प का नायाब नमूना है। यह एक होटल के रूप टूरिस्ट सीजन में देशी-विदेशी सैलानियों के रहने के लिए आदर्श स्थान है।¹⁴

अपने चारों ओर से देवगढ़ दूर-दूर से अत्यंत भव्य नजर आता है। देवगढ़ में आधुनिकता एवं पुरातन का मणिकांचन सहयोग है। ब्लॉक स्तर के सभी प्रमुख कार्यालय एवं सरकारी सुविधाएँ यहाँ हैं, न केवल देवगढ़ अपितु इसके आस-पास भी संपूर्ण देवगढ़-मदारिया क्षेत्र में भी सैलानियों के लिए बहुत कुछ है जिनमें मदारिया 'महाराणा कुंभा की जन्म स्थली' है। कर्नल टॉड ने इसे 'महाराणा मोकल की अन्तिम रंग स्थली' कहा है। यहाँ की सैण्ड माता मंदिर की ढलान पर चामुण्डा माता का प्राचीन मन्दिर है जहाँ दुर्गा सप्तमी में वर्णित महिषासुर मर्दिनी के दर्शन एक अलौकिक अनुभव प्रदान करते हैं। गोरमघाट ब्रिटिश काल की बनी मीटर गेज उदयपुर-मारवाड़ जंक्शन रेलवे लाईन इन पहाड़ियों से गुजरती है। पर्णपाती वनों की इस शृंखला में जोगमण्डी जैसा श्रेष्ठ पर्वतीय ट्यूरिस्ट पैरेडाइज है। इस रेलवे लाईन की अद्वितीय सुरंगों और विशालकाय पुलों के दोनों ओर हरे भरे पहाड़ मनमोहक हैं और इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। माण्डावाड़ा बावजी शोभाराम जी की समाधि व भव्य मंदिर आस्तिकों के श्रद्धा का केन्द्र है। 'आंजनेश्वर महादेव' ग्रेनाईट की चट्टानों के भीतर निर्मित यह गुफा मंदिर एक विशाल शिवालय है जहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और शिवरात्रि को मेला लगता है। देवगढ़ के आस-पास अनेक भ्रमण स्थल हैं जैसे गौरीधाम, बाघाना के पास टेपो का दर्गा, भीलवेरी आदि प्राकृतिक एवं दर्शनीय स्थान हैं जहाँ वर्षा के मौसम में भारी भीड़ रहती है।¹⁵

इस क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु मिलती है जोकि स्वास्थ्यवर्धक है। यहाँ वर्षा का औसत 652.5 मिमी. है। यहाँ वर्ष भर की कुल 90 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर के मध्य में हो जाती है। इसके आस-पास का क्षेत्र कृषि उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है। पश्चिमी भाग में संग्राम सागर स्थित है। कस्बे के धरातल का ढाल दक्षिण-पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। कस्बे में खारी नदी दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर बहती है। राघव सागर में जल आवक क्षेत्र दक्षिणी भाग से है। गर्मियों में यहाँ का अधिकतम तापमान 45.0 सेल्सियस व सर्दियों में न्यूनतम तापमान 1.80 सेल्सियस रहता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ गर्मी के मौसम में काफी गर्मी रहती है तथा इस मौसम में चलने वाली शुष्क हवाओं की वजह से मौसम असहनीय हो जाता है। यह शुष्क तापक्रम कभी-कभी 45.0 सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। जून माह में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से तापमान में काफी कमी आ जाती है, किन्तु सितम्बर के मध्य तक मानसून की विदाई के पश्चात पुनः तापमान शनैः शनैः बढ़ने लगता है।¹⁶

केवल दक्षिणी-पश्चिमी मानसून अवधि में हवा में आर्द्रता 70 प्रतिशत या अधिक रहती है। शेष अवधि में हवा सामान्यतः शुष्क रहती है। गर्मी के मौसम में आर्द्रता 20 प्रतिशत या इससे भी कम हो जाती है। गर्मी के मौसम में हवाएं दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर चलती हैं, किन्तु सर्दी के मौसम में यहाँ उत्तर-पूर्वी हवाएं चलती हैं।¹⁷

देवगढ़-मदारिया सहित मंगरा-मेरवाड़ा क्षेत्र में करीबन 18000 एकड़ में जंगल है। इन जंगलों में धावड़ा, खेर, खेजड़ा, बेर, शीशम, नीम, ढाक, पीपल, बड़, आम, ईमली, महुआ, बबूल, सेमल, गूलर, धामण आदि वृक्ष हैं। इन जंगलों में गोंद, घास, फल, ईंधन की लकड़ी आदि प्राप्त होते हैं। बाघ, चीते, भेड़िये, जरख, हिरण, सूअर, खरगोश, गीदड़, लोमड़ी, बन्दर आदि जानवर इन जंगलों में पाये जाते हैं। जहाँ अंग्रेजों के समय में राजा व सामंत वर्ग ब्रिटिश अधिकारियों के साथ शिकार खेला करते थे और यहां होली पर ऐहड़ा (सामूहिक शिकार) भी खेलते थे।¹⁸



इस क्षेत्र में राघव सागर, जसवंत सागर, संग्राम सागर, बामणिया तालाब, शोपुरी नाला, दौलपुरा नाला आदि जल स्रोत स्थित हैं।¹⁹ जो पेयजल एवं सिंचाई सुविधाएं प्रदान करते हैं। खारी नदी बीजराल की पहाड़ियों से उद्घाटित होकर देवगढ़ (मदारिया) क्षेत्र के तीनों ओर बहते हुए यहां के जल स्तर को बढ़ा देती हैं। ये नदी राजस्थान की मुख्य खारी नदी है जो इस क्षेत्र की भी सबसे बड़ी नदी है। लगभग 80 किमी. बहने के पश्चात् देवली (टोंक) के निकट यह त्रिवेणी संगम बनाते हुए तीसरी जयपुर की डाई नदी से मिलती है।²⁰ इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में सघन वनस्पति पाई जाती है एवं इस नदी के कारण ही यहां सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ी है जिसका प्रभाव यहां की कृषि पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। यहां अन्य सहायक नदियों में 'छोटी नदी' एवं 'दौलपुरा नाला' (उपर्युक्त प्रथम पंक्ति में उल्लिखित दौलपुरा नाले से भिन्न) भी प्रमुख जल स्रोत है।²¹

इस क्षेत्र में मुख्यतया अभक, ग्रेनाइट, सॉप स्टोन, मार्बल, मेन्सासाइट, फेल्सपार मार्बल, ग्रेफाइट, ऐस्बेस्टस व पट्टियों की खानें हैं। कालागुमान के पास पहले पन्ने की खान थी।²²


2011 ई. में देवगढ़ कस्बे की जनसंख्या 17604 दर्ज की गई। देवगढ़ तहसील का लसाणी कस्बा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कस्बा है जहाँ 2011 ई. में जनसंख्या 4712 रही। देवगढ़ का लिंगानुपात प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1005 स्त्रियाँ रहीं। वहीं जनसंख्या वृद्धि दर 17.3 प्रतिशत रही है।²³ उक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि देवगढ़ मदारिया शिक्षा, चिकित्सा एवं आधारभूत सुविधाओं से सम्पन्न है। भविष्य में इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे।

देवगढ़ कस्बे की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति²⁴

वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	वृद्धि प्रतिशत
1901	5384	-	-
1911	5461	77	1.43
1921	4885	-576	-10.55
1931	5082	197	4.03

1941	5742	660	12.99
1951	6872	1130	19.68
1961	8032	1160	10.88
1971	8738	706	8.79
1981	12831	4093	46.84
1991	13933	1102	8.59
2001	165.05	2572	18.46
2011	17604	1099	6.66

देवगढ़-मदारिया क्षेत्र में भू-आकृतिक दृष्टि से प्री-कैम्ब्रीयन युगीन अत्यन्त प्राचीन चट्टानों का जमाव पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत कांकरोली ग्रुप की चट्टानों का समूह है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम तक विस्तृत है। देवगढ़ नगर के पास सिरोही ग्रुप की चट्टानों का विस्तार है वही लसाणी, देवारी ग्रुप की चट्टानों में विस्तृत है। देवगढ़ के उत्तर पूर्व व दक्षिण में बैराठ अर्थात् अजमेर क्रम ग्रेनाइट की बेशकीमती चट्टानों का जमाव पाया गया जबकि इसका पूर्वी भाग रणथम्भोर क्रम की चट्टानों से आबद्ध है।²⁵



ग्रेनाइट के विपुल भण्डारों से देवगढ़ (मदारिया) आज भी खनन इकाइयों के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भीलवाड़ा जिले का दक्षिणी-पूर्वी भू-भाग बलुआ प्रस्तर (पत्थर), चूना प्रस्तर तथा गुलाबी व सफेद ग्रेनाइट के लिये प्रसिद्ध रहा है।²⁶

देवगढ़ क्षेत्र में कृषि खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, बाजरा एवं मक्का प्रमुख फसलें हैं। वहीं दलहन में विभिन्न प्रकार की दालें मूंग, मूठ, उड़द आदि बोई जाती हैं। यहां खरीफ, रबी और जायद तीनों फसलें उगाई जाती हैं। पशुपालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, खच्चर, घोड़े, गधे, ऊँट, कुक्कुट आदि का पालन किया जाता है। देवगढ़ मदारिया में 4 पशु चिकित्सालय एवं 2 पशुधन कृत्रिम विकास गर्भाधान केन्द्र स्थित हैं। वहीं 11 बूचड़खाने स्थित हैं। डेयरी व्यवसाय भी अपनी चरम सीमा पर विकसित है।²⁷

देवगढ़ से 12 किमी. की दूरी पर पाली मार्ग पर काली घाटी मुख्य सड़क से 4 किमी. अन्दर की ओर स्थित 'भील बेरी या काली घाटी' अरावली पर्वतमाला का सबसे उंचा झरना है। यहाँ करीब 182 फीट की उंचाई से पानी गिरता है, यह क्षेत्र टॉडगढ़-रावली सेंचुरी में शामिल है। यहाँ लुत्फ उठाने लायक प्रकृति प्रेमियों एवं एडवेंचर पंसद करने वालों लोगों के लिए यह जगह बिलकुल उपयुक्त है। यहाँ आप अपनी जीप से सफारी का आनन्द उठा सकते हैं। साथ ही 182 फीट से उंचे गिरते झरने पर नहाने का आनन्द

भी ले सकते हैं।²⁸

दिवेर (मैराथन ऑफ मेवाड़) देवगढ़ से दूरी 22 किमी पर स्थित है। महाराणा प्रताप की एकमात्र विजयस्थली, क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी मेवा का मथारा पर गजब वास्तु के अनुरूप बने स्मारक पर अश्वारूढ़ महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी है। स्मारक से नयनाभिराम नजारा देखने को मिलता है। समीप ही शौर्य स्मारक स्थित है, जहां से सातपालिया वन्य क्षेत्र के अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे।²⁹ दिवेर, कुम्भलगढ़ और देवगढ़-मदारिया के पर्वतीय प्रदेश के मध्य उंचाई पर स्थित कस्बा है। इसके पश्चिम में पर्वत शृंखलाओं की एक के बाद एक कतारें हैं जिनके मध्य की घाटियाँ दिवेर को कुम्भलगढ़, गोड़वाड़ और मारवाड़ से जोड़ती हैं। ये घाटियाँ वन से आच्छादित हैं जिसके कारण इस प्रदेश में गर्मी के दिनों में भी सुहावनी हवाएं चलती हैं। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि मारवाड़ में जितनी तेज गति से लू चलेगी उतनी ही तेज गति से यहां ठण्डी हवायें चलेंगी। दिवेर की पर्वतमालाएं जल विभाजन का कार्य करती हैं। इस कारण पश्चिम का पानी बहकर अरब सागर में गिरता है और पूर्व का पानी बहकर यमुना गंगा के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में मिलता है। इसके पूर्व में दो नदियां खारी और कोठारी तथा पश्चिम में बाण्डी (जिसके तट पर पाली नगर बसा है।) नदी यहीं के पर्वतों से निकलती है।³⁰

दिवेर के पश्चिम में भूखी नाल है जो अत्यन्त गहरी है। इसी प्रकार छापली के उडेश्वर महादेव के पास की घाटी जो आगे जाकर भूखी नाल से मिलती है। अत्यन्त गहरी और लम्बवत् किनारों वाली है, जिसके मार्ग में प्रपात के ऐसे धरातल बने हुए हैं, जिसे पार करना कठिन ही नहीं असंभव-सा है। दिवेर की दक्षिण पश्चिम की घाटी, जिसे वर्तमान में सातपालिया की घाटी कहते हैं, गहरी और लम्बी है। यह पूरी घाटी वनों से आच्छादित है। इसी घाटी से 'दिवेर' कुम्भलगढ़, देसुरी, गोड़वाड़ तथा मारवाड़ से जुड़ा हुआ है। यही वह घाटी है जो महाराणा के आने जाने का प्रमुख मार्ग रहा होगा। दिवेर से इन पहाड़ियों के पार मारवाड़ दिखाई देता है।³¹

देवगढ़-मदारिया क्षेत्र से सलग्न पश्चिम की पर्वत शृंखलाओं की ऊंची चोटियाँ विशेष महत्व रखती थीं। इन चोटियों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना संकेतों को प्रेषित किया जाता था। इनमें खापडियाँ की चोटी सबसे ऊंची और महत्वपूर्ण थी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जलाई गई मशाल की रोशनी को मारवाड़ में आसानी से देखा जा सकता था। दिवेर के पूर्व में अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र है जहा मुगलों का पड़ाव रहा होगा। यह स्थान आज भी राजस्व रिकार्ड में उपरी पड़ाव और नीचला पड़ाव के नाम से अंकित है। उपरी पड़ाव समतल उंचा लगभग सपाट एवं पथरीला है जबकि निचले भाग में निचला पड़ाव समतल है जहां आज खेती होती है। दिवेर के उत्तर पूर्व में राणा कड़ा घाटा है जो आगे छापली गांव के साथ जाकर मिलता है। इस घाटे के पूर्व में और पड़ाव के उत्तर में गोर नामक समतल भूभाग है जिससे कुछ दूरी पर छापली का तालाब है। दिवेर के पूर्वी भाग से कुंआथल आमेत और पूर्वी मैदानी प्रदेश में आसानी से पहुंचा जा सकता है। दिवेर के पास ऊंची पहाड़ी मेवों का मथारा के नाम से जानी जाती है। सातपालिया की घाटी से एक रास्ता इसी पहाड़ी के किनारे किनारे होता हुआ राणा कड़ा का घाटा तक पहुंचता है। सातपालिया घाटी का दूसरा रास्ता दिवेर कस्बे के दक्षिण से होकर जाता है जो आगे जाकर बाग पड़ाव होते हुए आमेत की ओर निकल जाता है। इस प्रकार दिवेर की स्थिति भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।³²

'छापली' देवगढ़ से 18 किमी की दूरी पर स्थित है। महाराणा प्रताप का निणार्यक युद्ध राताखेत, धमधम रोड़ी, राणाकड़ा, एवं उडेश्वर महादेव

क्षेत्र में लड़ा गया। वर्तमान में अद्भुत वास्तुकला का प्रयोग करते हुए यहां पर युद्ध स्मारक बनाया गया है। उडेश्वर महादेव एवं पास में स्थित गहरी खाई, झरना, राताखेत रमणीय स्थल हैं। छापली गांव से कुछ दूरी पर वन क्षेत्र में महाराणा प्रताप की सेफ हाउस (सम्भवतः आपातकालीन राजधानी) रहे गोकुल गढ़, सूरज कुण्ड झरना दर्शनीय है।³³

गोरम घाट भारत का एकमात्र सौर उर्जा संचालित रेलवे स्टेशन है जो कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी (933 मीटर) एवं प्राचीन गोरखनाथ मंदिर, छोटा कोंकण रेलवे एवं सुरंगों, प्राकृतिक झरनों, वन्य जीवों से भरापूरा क्षेत्र है। इस प्रकार गोरमघाट कश्मीर सी वादियों का नजारा सृजित कर देता है जो कि देवगढ़ से 20 किमी की दूरी पर स्थित है। देवगढ़ से मुख्य रूप से मीटर गेज रेल और काछबली-मंडावर तक वाहन से जाकर 3 किमी पैदल यात्रा करके यहां पहुंचा जाता है।³⁴

मदारिया-मेरवाड़ा क्षेत्र में स्थित मांगटजी का पहाड़ (कामलीघाट-भीम मार्ग से आगे स्थित जस्साखेड़ा गांव के निकट) भायलां क्षेत्र में स्थित है। रावत पंवारों (मेर) के आराध्यदेव मांगटजी का मन्दिर इस पहाड़ पर बना हुआ है। यह क्षेत्र भी सघन वनों से आच्छादित है।³⁵

देवगढ़-मदारिया क्षेत्र का करणी माता विशाल पशु मेला राज्य के प्रमुख पशु मेलों में से एक है जो प्रतिवर्ष दशहरे पर आसोज सुदी पंचमी से आसोज सुदी द्वादशी तक नगर पालिका देवगढ़ के तत्वधान में देवगढ़ कस्बे में आयोजित किया जाता है। इस मेले की शुरुआत सन् 1957 में तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष डॉ. बूलचंद खिलाणी द्वारा की गई। शुरुआती दौर में मेले के आयोजन में काफी में तकलीफें उठानी पड़ी, परन्तु आज इस मेले का राजस्थान में अपना अलग नाम है। मेले में दशहरे के दिन रावण दहन एवं भव्य आतिशबाजी का आयोजन नगरपालिका देवगढ़ द्वारा वृहद् स्तर पर किया जाता है जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं।³⁶

मदारिया के जंगलों में स्थित सेण माता मन्दिर करीब 400 वर्ष पुराना है जो कि धार्मिक आस्थाओं का केन्द्र है। इस मंदिर की स्थापना मेवाड़ महाराणा मोकल के समय में 15वीं शताब्दी ई. के पूर्वार्द्ध में हुई, जब राजा मानसिंह मानपुरा (जूनी देवगढ़) के राजा बने थे। यहां पर नवरात्र एवं दुर्गाष्टमी के रात्रि जागरण सहित नवमी को ज्वारे का विसर्जन होता है।³⁷ 'गौरीधाम' देवगढ़ के समीप एनएच-8 पर बाघाना के समीप स्थित पर्यटक स्थल है। यहाँ गौरीमैया का मंदिर है, साथ ही प्राकृतिक रूप से बहने वाले झरने भी हैं।³⁸

देवगढ़ कस्बे से 4 किमी. दूरी पर स्थित आंजनेश्वर महादेव मंदिर लोगों के लिए किसी हैरत से कम नहीं है। दरअसल मंदिर में करीब 3.5 फीट उंचा शिवलिंग है, जो कि देवगढ़-मदारिया के जनमानस का श्रद्धा केन्द्र है। माना जाता है कि यह शिवलिंग हर शिवरात्रि को एक गेहूँ के दाने जितना बढ़ता है। लोगों का कहना है कि यह शिवलिंग चट्टानी पत्थर से बना है, लेकिन इसके बढ़ने का रहस्य आज तक समझ नहीं आया है। ऐसे में शिवलिंग का हर शिवरात्रि पर ही बढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लोगों के बीच ऐसी भ्रांतियां भी हैं कि इस शिवलिंग के ऊपरी चट्टान को छूने पर समग्र पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। यह मंदिर दो बड़ी चट्टानों के बीच बना हुआ है। ऊपरी छोर पर संगमरमर का काफी वजनी त्रिशूल स्थापित है। यहां लगे शिलालेख के अनुसार इस त्रिशूल की स्थापना संवत् 1847 मगसर विद्द को हुई थी। मंदिर के समीप ही एक ब्रह्मशील कुण्ड है। कुण्ड की विशेषता है कि यहां का पानी अब तक के किसी भी अकाल में नहीं सूखा है।³⁹

लसानी – इस गांव का नाम पूर्व में अभयपुर के नाम से प्रसिद्ध था जिसे बाद में लसानी कहा जाने लगा।⁴⁰ 17वीं-18वीं शताब्दी ई. के मेवाड़ महाराणा प्रदत्त जागीरी पट्टों में 'अभयपुर' (अभयपुर) नाम प्राप्त होता है।⁴¹ जबकि 19वीं शताब्दी ई. से प्राप्त लसानी ठिकाने के जागीरी पट्टों में 'लुसाणी' (लसाणी) नाम उल्लिखित है।⁴² लसानी के नामकरण के संदर्भ में विभिन्न मत प्राप्त होते हैं जोकि भौगोलिक आधार पर (पहाड़ी) या जनश्रुतियों से सम्बद्धता रखते हुए प्रतीत होते हैं। यह कस्बा 740 पूर्वी देशान्तर से 74°15' पूर्वी देशान्तर एवं 25°30' उत्तरी अक्षांश से 25°45' उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है।⁴³ यह कस्बा तीन ओर से खारी नदी से गिरा हुआ है। इसके दक्षिण-पूर्व में पर्वत शृंखलाएं स्थित हैं जिन्हें शिकारबाड़ी की पहाड़ियां कहा जाता है। इन्हीं शिकार बाड़ी की पहाड़ियों के पीछे की ओर सेण्ड माता (सेंड माता) की पहाड़ी है जोकि मदारिया क्षेत्र की सर्वोच्च पहाड़ी है। शिकारबाड़ी की पहाड़ियां मध्यकाल में हिंसक जंगली जानवरों से परिपूर्ण रही हैं। फलतः यहां के चुण्डावत जागीरदार इन पहाड़ियों में ओदी स्थापित करके कृषकों व पालतू पशुओं की रक्षार्थ इन हिंसक जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे।⁴⁴



लसाणी का गढ़ – लसाणी के सांमत पर्यावरण प्रेमी रहे, ठाकुर केसरी सिंह चुण्डावत ने 4 बीघा क्षेत्र में फलदार वृक्षों व खेतों से आबद्ध 'केसरबाग' लगवाया। वहीं पर दो मंजिला कोठी या महल का भी निर्माण करवाया। लसाणी ठिकाना कामदारों व महाजन व्यापारियों की आकर्षक स्थापत्य युक्त हवेलियों से सुशोभित है।⁴⁵



केसरबाग – In the 19th century, the Aravalis inspired some of the greatest writing about travel in India. The Frenchman Louis Rousselet explored the area on horseback and foot in 1865 and wrote for his wonderful India and its native princes. 'We were soon in the midst of the aravalis. The sun rose as we passed the first defiles, and added to the beauty of the country. Sharp peaks rose on all sides of us, torn into strange forms, between which the precipices still plunged in obscurity, formed many an abyss, and the luminous rays of the sun, intercepted by the points of the

rocks, formed rosy halos around the lofty summits'. These words describe a region between Devgarh and Ajmer.⁴⁶ इस प्रकार देवगढ़-मदारिया की अरावली की पहाड़ियां साहित्य सृजन हेतु उत्प्रेरित करती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चन्दन सिंह खोखावत, मेवाड़ का मैराथन महाराणा प्रताप का विजय युद्ध, पृ.सं. 16-17, चिराग प्रकाशन, उदयपुर, 2016
2. गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-2, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 2006, पृ.सं. 1
3. के.डी. एर्सकीन, गजेटियर ऑफ़ दी उदयपुर स्टेट, अजमेर, 1908, पृ.सं. 6
4. सं. सत्यपाल सिंह चुण्डावत थाणा, हेमन्द् सिंह सांरगदेवोत, खुशाल सिंह दौलतगढ़, चुण्डा स्मारिका, पृ.सं. 90, चुण्डा स्मृति संस्थान, भीलवाड़ा, 2017
;राजेन्द्र शंकर भट्ट, महाराणा कुंभा, पृ.सं. 16, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, 2008J;
5. J.S. Kharkwal, H. Choudhary, Vishnu Mali Madariya : A Medieveal Settlement (A Brief Report) pg. no. 1-2, 8-9, Sahitya Sansthan, JRN Rajasthan Veedhyapeet Udaipur, 2015-16, मदारिया के गढ़ एवं मन्दिर के स्थापत्य के सन्दर्भ में विस्तारपूर्वक विवरण प्राप्त होता है।
6. देवगढ़ की तवारीख, पृ.सं. 15 (भोपजी खेड़ा संग्रह एवं प्रताप शोध प्रतिष्ठान संग्रह), उदयपुर; सम्पादक मण्डल जग मोहन तंवर, हरिसिंह चौहान, धर्मसिंह राजपुत, मनोज भारद्वाज, देवगढ़ दर्शन (पत्रिका), पृ.सं. 16, नगर पालिका मण्डल, देवगढ़, 2015
7. दैनिक भास्कर, स्मृति स्मारिका, मेरा प्यारा देवगढ़, पृ.सं. 9, दैनिक भास्कर कार्यालय, देवगढ़, 2017, ई. द्वितीय संस्करण
8. शर्मा एण्ड शर्मा, राजस्थान का भूगोल, पृ.सं. 31, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2016
9. अर्थ, गुगल वेबसाइटस से प्राप्त स्थलाकृतिक मानचित्र सं. G43N14
10. माजिद हुसैन, भूगोल पारिभाषिक शब्द संग्रह, पृ.सं. 13, टाटा मेक्वा हिल्स, नई दिल्ली, 2010
11. अर्थ गुगल, विकिपीडिया, देवगढ़ मास्टर प्लान, (2009-2032) से उपलब्ध मानचित्रों से
12. देवगढ़ मास्टर प्लान (2009-2032), पृ.सं. 4-6, नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर, 2009.
13. Complied By Mejoor K.D. Erskine, I.A., Imperial Gazetteer of India, Provincial Series Rajputana, Pg. 134, Book Treasure, Jodhpur, 2007
14. दैनिक भास्कर, स्मृति स्मारिका, मेरा प्यारा देवगढ़, पृ.सं. 9
15. वही, पृ. सं. 9
16. देवगढ़ मास्टर प्लान (2009-2032) पृ.सं. 4-5, नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर, 2009
17. वही, पृ. 5
18. ठा प्रेम सिंह चौहान, रावत राजपुतों का इतिहास, पृ.सं. 15; प्रेमसिंह चौहान, मगरा मेरवाड़ा संस्थान, राजसमन्द, 2011
19. देवगढ़ मास्टर प्लान (2009-2032) में उपलब्ध मानचित्रों का विश्लेषण

20. शर्मा एण्ड शर्मा, राजस्थान का भूगोल, पृ.सं. 79, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2016
21. देवगढ़ मास्टर प्लान (2009-2032) में उपलब्ध मानचित्रों का विश्लेषण
22. शर्मा एण्ड शर्मा, राजस्थान का भूगोल, पृ. 228; सम्पादक मण्डल, आँकारेश्वर पानेरी, शिवलाल सेन, प्रेमदास वैष्णव, हरिसिंह चौहान, विकास पथ (पत्रिका), पृ.सं. 7, नगर पालिका मण्डल, देवगढ़, 2007
23. Census of India, 2011
24. शर्मा एण्ड शर्मा, राजस्थान का भूगोल, पृ.सं. 19; सम्पादक मण्डल, आँकारेश्वर पानेरी, शिवलाल सेन, प्रेमदास वैष्णव, हरिसिंह चौहान, विकास पथ (पत्रिका), पृ. 7, नगर पालिका मण्डल, देवगढ़, 2007
25. शर्मा एण्ड शर्मा, राजस्थान का भूगोल, पृ.सं. 29-38
26. डॉ. ललित पाण्डे, मेढपाट का पुरातात्विक इतिहास, पृ.सं. 3, भारतीय इतिहास संकलन समिति, उदयपुर; स्वयं द्वारा सर्वे
27. जिला सांख्यिकीय रुपरेखा, राजसमन्द जिला, 2006, पृ.सं. 27-60, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर, 2006
28. संकलन मोहित माहेश्वरी, अतुल्य देवगढ़, राजस्थान पत्रिका, पृ.सं. 9, राजस्थान पत्रिका, 2017
29. वही, पृ. 10
30. चन्दन सिंह खोखावत, मेवाड़ मेराथन महाराणा प्रताप का विजय युद्ध, पृ.सं. 17
31. वही, पृ.सं. 17
32. वही, पृ.सं. 17
33. संकलन : मोहित माहेश्वरी, अतुल्य देवगढ़, राजस्थान पत्रिका, पृ. 11
34. वही, पृ.सं. 13
35. ठा. प्रेमसिंह चौहान, रावत राजपूतों का इतिहास, पृ.सं. 14
36. संकलन : मोहित माहेश्वरी, अतुल्य देवगढ़, राजस्थान पत्रिका, पृ.सं. 16
37. वही, पृ.सं. 17
38. वही, पृ.सं. 17
39. वही, पृ.सं. 23; स्वयं द्वारा शिलालेख का अध्ययन एवं जनश्रुतियों का संकलन
40. लसाणी वर्तमान ठाकुर दिग्विजय सिंह चुण्डावत का साक्षात्कार, उम्र - 74 वर्ष
41. लसानी ठिकाने के संग्रह से लिए अभिलेख संख्या-2 (वि.सं. 1712), अभिलेख संख्या-6 (वि.सं. 1755)
42. लसानी, ठिकाने के अभिलेख संख्या-16 (वि.सं. 1878), अभिलेख संख्या-18 (वि.सं. 1892)
43. अर्थ, गुगल वेबसाइट, स्थलाकृतिक मानचित्र सं. G43002
44. ठा. दिग्विजय सिंह चुण्डावत, लसानी का साक्षात्कार एवं स्वयं द्वारा सर्वे
45. वही
46. Milo cleveland beach, Rawat Nahar singhji Bagta and Chokha, Master artists at Devgarh, pg.6, Rajasthani printers Artibus Asiae Publishers, Suppl. XLVI (46), Museum Reitberg Zurich, Switzerland, 2005.

कृषि बिलो का विश्लेषात्मक अध्ययन

डॉ. संजय जौहरी*

शोध सारांश - कृषि बिल को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था एवं 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में पारित हुआ। इस बिल का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य का सरलीकरण करना है। किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक और किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन विधेयक, कृषि सेवा एवं आवश्यक वस्तुएं (संशोधन) विधेयक, लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित किया एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया। इन कृषि बिलों का उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों की सहायता करना है जिनके पास कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए एवं अपनी उपज को उचित कीमत प्राप्त करने के सीमित साधन हैं, नया कृषि बिल किसान को अपनी उपज को मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। किसान की उपज कोई भी कहा भी खरीद सकता है। इन बिल के कारण कमीशन एजेंट एवं मंडियों के कमीशन का नुकसान हो सकता है शायद इसलिए इस बिल का विरोध हो रहा है। परिवहन प्रतिस्पर्धा एवं लागत कटौती से किसान को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकता है।

प्रस्तावना - भारत में लगभग देश की आधी श्रम शक्ति कृषि में कार्यरत है। देश की जीडीपी में इसका योगदान 17.5 प्रतिशत है। (2015-16 के मूल्यों के आधार पर) पिछले कुछ दशकों के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत था, वही 2015-16 में यह गिरकर 15 प्रतिशत रह गया (स्थिर मूल्यों पर) भारत का खाद्यान्न उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है और देश गेहूं, चावल, दालों, गन्ने, कपास के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ कृषि की लागत में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। कृषि बिलों को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्यमंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था एवं 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में पारित हुआ इस बिल का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य का सरलीकरण करना है। भारतीय संसद ने तीन कृषि अधिनियम को पारित किया है। किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन, कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020

● **किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2020** - इस कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद को नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (APMC) अर्थात् मंडियों से बाहर बेचने की छूट देना है। किसान अपनी फसल को देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी बेच सकता है। किसानों को किसी भी प्रकार का कोई भी उपकर नहीं देना होगा। किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ई-कार्मस की अनुमति देता है।

● **मूल्य आश्वासन कृषि सेवा अधिनियम 2020 (सशक्तिकरण एवं संरक्षण)** - इस बिल के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के कृषि व्यवसाय, फर्मों, प्रोफेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। देश में कांटेक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होगी। किसान

कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेचेंगे। इस बिल किसानों के लिए विवाद समाधान तंत्र को स्थापित करता है।

● **आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020** - आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में बनाया था। इस बिल में आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, आलू, प्याज को हटा दिया गया है। इन वस्तुओं पर भंडार की सीमा समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह कानून युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्यवृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों में लागू नहीं होगी। प्रोसेसर या वेल्थू चैन पार्टिसिपेंट्स के लिए कोई स्टॉक की सीमा लागू नहीं होगी। उत्पादन, संग्रहण एवं वितरण पर सरकारी नियंत्रण समाप्त होगा।

● **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का प्रभाव** - एमएसपी वह कीमत होती है जिस पर केंद्र किसानों को खेती के लिए खरीद करती है। किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार एमएसपी का निर्धारण करती है। एमएसपी को निर्धारित करने के लिए जिन बातों पर विचार किया जाता है उनमें पैदावार और उत्पादन की कीमत, फसल की उत्पादकता और बाजार मूल्य शामिल है। फसल का अधिक एमएसपी मिलने पर किसानों के खेती की आधुनिक तकनीकी और तौर-तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। सरकार ने 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (और चीनी के लिए उचित और लाभकारी मूल्य) की है, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके लिए खाद्यान्नों की खरीदी की जाती है। मुख्य रूप से लाभार्थियों को गेहूं और चावल का वितरण ही करती है। चूंकि केवल गेहूं और चावल की खरीदी की जाती है इसलिए किसान दालों और तिलहन फसलों की बजाय इन्हीं फसलों की खेती करना पसंद करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने से संबंधित कई अन्य समस्या भी है, जैसे खरीद केंद्रों का दूर स्थित होना, किसानों के लिहाज से परिवहन की कीमत में बढ़ोतरी, खरीद केंद्रों का अनियमित समय, ढके हुए गोदामों का कम होना, स्टोरेज की अपर्याप्त क्षमता और किसानों की एमएसपी के भुगतान में होने वाला विलंब। नीति आयोग ने यह सुझाव दिया था कि किसानों को अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो रहा है यह सुनिश्चित करने के

लिए कृषि मूल्य नीति की समीक्षा की जानी चाहिए।

किसान बिल के पक्ष में तर्क : यदि सभी किसान नये किसान बिल को अपनाते हैं तो उन्हें निम्न लाभ हो सकते हैं:-

1. कृषि क्षेत्र में उपजकृषि क्षेत्र में उपज खरीदने बेचने के लिए किसानों व व्यापारियों को 'अवसर की स्वतंत्रता' लेनदेन की लागत में कमी।
 2. किसान का प्रत्यक्ष संबंध, प्रोसेसेर्स, निर्यातकों, संगठित रिटेलो के साथ हो सकता है, जिसके कारण बिचौलिये समाप्त होंगे।
 3. मंडियों के अतिरिक्त कृषि व्यापार क्षेत्र में फार्मागेट, शीतगृहों, वेयरहाउसों, प्रसंस्करण यूनिटों, नए चैनलों का निर्माण होगा।
 4. देश में प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जिसके कारण व्यापार में पारदर्शिता आएगी।
 5. अनुबंधित किसानों को सभी प्रकार कृषि उपकरणों की सुविधाजनक आपूर्ति।
 6. किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने की संभावना।
 7. कारपोरेट सेक्टर द्वारा कृषि क्षेत्र में रिसर्च एवं डेवलपमेंट का विकास होगा, जिसके कारण नई प्रौद्योगिकी से उत्पादन में वृद्धि होगी।
 8. किसानों को उपज बेचने के लिए अनुबंध करेगा। उपज का मूल्य अधिकतम 3 दिनों में प्राप्त होगा। विवाद की स्थिति में बार-बार न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक स्थानीय विवाद निवारण तंत्र होगा।
 9. छोटे किसान जो महंगी खेती नहीं उगा सकते, इस विधेयक के तहत प्राइवेट कंपनियों से अनुबंध कर सकते हैं। और अपनी फसल के लिए निवेश जुटा सकते हैं।
 10. किसान भविष्य में मिलने वाली अपनी फसल के मूल्य जैसी शंकाओं को दूर कर सकता है और फसल उगाने से पहले ही फसल का सहमति मूल्य जान सकता है। इन बिलों से कृषि क्षेत्र में निजी निवेश या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा मिलेगा।
- **नए कृषि बिल 2020 का विरोध**
 - नये कृषि बिलों का किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। मुख्यतः पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। किसानों की इन बिलों की असहमति के कारण निम्न है:-
11. किसानों का बिल विरोध का प्रमुख कारण है कि किसानों को यह शंका है कि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद बंद हो जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसी फसल का वह दाम होता है जो सरकार बुवाई के वक्त तय करती है। इससे किसानों को फसल की कीमत में अचानक गिरावट के प्रति सुरक्षा मिलती है। अगर बाजार में फसल के दाम कम होते हैं तो सरकारी एजेंसी किसानों से अनाज खरीद लेती है।
 12. किसान फसल को मंडी से बाहर बेचना है तो एमएसपी मंडियां समाप्त हो जाएंगी।
 13. अनुबंधित खेती से किसानों का शोषण होगा। किसानों को डर है कि पूंजीपतियों द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा हो जाएगा।
 14. किसानों को आशंका है कि निर्यातक, प्रासेसेरों और व्यापारियों द्वारा फसल के मौसम में कम मूल्य पर कृषि उपज खरीद लेंगे एवं भाव बढ़ने पर बाद में बेचेंगे। खाद्य सुरक्षा कमजोर कर सकता है, क्योंकि राज्य के भीतर स्टॉक की उपलब्धता के बारे में जानकारी नहीं होगी।
 15. बड़ी कंपनियों को किसी फसल को अधिक भंडार करने की क्षमता

होगी इसका अर्थ यह हुआ कि फिर वे कंपनियां किसानों को दाम तय करने पर मजबूर करेगी।

16. विरोध का कारण यह भी है कि एफसीआई अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा जिससे एजेंसियों और आढ़तियों को करीब 2.5 प्रतिशत के कमीशन का घाटा होगा साथ ही राज्य भी अपना 6 प्रतिशत कमीशन खो देगा जो भी एजेंसी की खरीद पर लगाता आया है।
17. भारतीय किसान यूनियन के महासचिव धर्मेन्द्र मलिक कहते हैं कि इससे सरकार के हाथ में खाद्य नियंत्रण नहीं रहेगा। वे कहते हैं कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करके निजी क्षेत्रों को खाद्यान्न भंडारण की अनुमति प्रदान कर दी है। निजी व्यापारी पूर्ति को अपने हिसाब से तय करते हैं और मार्केट को चलाते हैं, जिसका सीधा असर पड़ेगा ग्राहकों पर पड़ेगा। किसानों को शंका है कि मंडियों, बीएसएनएल और एमटीएनएल की तरह निरर्थक हो जाएगी और जियो और भारतीय एयर कंपनी की तरह फायदा हो सकता है।

निष्कर्ष – राज्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक पक्ष इन किसान बिलों के लागू करने पर प्रभाव डालेंगे। सुधारों का कार्यान्वयन, सुधारों की प्रभावकारिता एवं लाभों को निर्धारित करने में प्रमुख घटक होगा। राज्यों का नियंत्रण, किसानों एवं उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करेंगे। भारत के कृषि समस्या में, बाढ़ एवं सूखा महत्वपूर्ण तत्व है। सूखे, बाढ़, चक्रवातों से फसल क्षति एवं नुकसानों से किसानों की रक्षा होनी चाहिए। किसानों के पारिश्रमिक मूल्यों का निर्धारण होना चाहिए एवं वैधानिक ढांचा गारंटी के लिए विकसित किया जाना चाहिए। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाने का सुझाव दिया। बिचौलिया एवं कमीशन एजेंट की चेन को तोड़ना भी आवश्यक है। बेहतर सड़क संपर्क, परिवहन सुविधाएं, जलवायु नियंत्रण, भंडारण सुविधाएं, बिजली की आपूर्ति भी कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। कृषि बुनियादी ढांचे में वास्तविक विनियोग महत्वपूर्ण है। बाजार की शक्तियों पर कृषकों का विकास नहीं हो सकता। छोटे किसानों को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। राज्यों के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी (MPSC), वट है। सरकार का यह तर्क है अनुबंधित कृषि के माध्यम से छोटे किसानों को लाभ होगा। किसानों को अनुबंधित कृषि के लिए एक नियामक संस्था स्थापित करना चाहिए। अनुबंधित से छोटे किसानों का लाभ मिल सकता है, लेकिन उनका शोषण भी संभव है। कृषि क्षेत्र में नवाचार भी आज की मांग है। पंजाब एवं हरियाणा के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त होने का डर है। सरकार को उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे। किसानों को बिचौलियों की मदद के बिना उपज बेचने से बहुत लाभ होगा। सरकार को इस बात की गारंटी देनी होगी कि किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर भी खरीदा जाएगा। कृषि बिल छोटे, मध्यम किसानों के हित में है, लेकिन सरकार को इन किसानों की आर्थिक सुरक्षा भी करनी होगी। सरकार की मंषा है कि कृषकों को उद्यमी बनाया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दैनिक भास्कर
2. नवभारत टाइम्स
3. फायनोसिक एक्सप्रेस
4. इंटरनेट वेबसाइट्स
5. योजना
6. कृषि मंत्रालय

शिक्षित जनजातियों में शैक्षणिक स्थिति का आकलन (धार जिले के संदर्भ में)

डॉ. भूरेसिंग सोलंकी*

प्रस्तावना – सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय विकास के लिये शिक्षा अनिवार्य है। भारत में प्राचीनकाल से शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया। शिक्षा का प्रथम सिद्धान्त था ज्ञान में विशिष्टता प्रतिपादित करना। ज्ञान के संरक्षण का दूसरा उपाय शिक्षा में विशेषज्ञता लाने का प्रास करना था, जिससे परम्परा पूर्णता में बनी रहे।

प्रसिद्ध शिक्षाविद् स्नेन्सर एच. ने शिक्षा का अर्थ- आन्तरिक दशा को बाह्य अवस्था में सम्बन्धित कराना बतलाया है। दूसरे अर्थों में शिक्षा का अभिप्राय: उस सामाजिक प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समाज की इकाइयों सामाजिक चेतना के साथ-साथ प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है तथा सभी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना सीख लेती है।

शिक्षा के सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द ने कहा है मनुष्य के अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। बहुत कुछ है विचार महात्मा गाँधी ने शिक्षा के सम्बन्ध में कहा है। वे कहते हैं शिक्षा से येरा अभिप्राय बालक व व्यक्ति के शरीर, मन व आत्मा में अन्तर्निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण विकास से है। शिक्षा को सहभागिता एवं सहर्ष के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा को चरित्र का प्रशिक्षण भी कहा जा सकता है। शिक्षा का सिद्धान्त ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की इच्छा पर आधारित है, इसलिए इसके लिए शिक्षामाध्यम के उचित उपोग की आवश्यकता होती है।

किसी भी देश के लिये भावात्मक एकता स्थापित करने का श्रेय शिक्षा को है। शिक्षा में ही सृजन क्षमता निहित रहती है। राष्ट्र के विकास में इसकी अहम भूमिका होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय जीवन को समुन्नत करने हेतु राजनेताओं ने शिक्षा के मूल्यों को पहचाना और तद्विरुद्ध शिक्षा में द्रुतगति से सुधार के लिए कतिपय शैक्षणिक योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की, किन्तु शुरू से ही दृष्टिगोचर होने लगा था कि शिक्षा के विकास में सम्प्रेषण करने की दिशा में जो कदम सत्ताधारी नेताओं ने उठाया, वह संपूर्ण राजनीति से प्रेरित है। राष्ट्र के विकास के लिए एक स्तरी शिक्षा पद्धति की अपेक्षा थी, जबकि विकास के संदर्भ में नीति को प्रश्रय दिया गया, जिससे संतोष के स्थान का असंतोष हाथ लगा।

प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालित करना आवश्यक है। इस दिशा में आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार तथा उसमें गुणात्मक

सुधार लाने के उद्देश्य से प्राथमिक शालाओं के अतिरिक्त विशिष्ट शालाएँ भी संचालित है।

अनुसूचित जाति समग्र विकास हेतु विशेष घटक योजना की अवधारणा मान्य की गई है। अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कलस्टर परिकल्पना के अन्तर्गत विशिष्ट अनुसूचित योजनाएँ बनाई गई है। छात्र-छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा मेट्रिकोत्तर एवं महाविद्यालयी विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है। विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं, कीड़ा परिसरों तथा विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं की शिष्यवृत्ति की दरे, सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 में बढ़ाई गई है।

वर्तमान में आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग शिक्षा विभाग एवं अन् विभागों द्वारा आदिवासियों के लिये शैक्षणिक कल्याण की जो गतिविधियाँ संचालित है।

60 प्रतिशत उत्तरदाता का यह कथन शिक्षित प्रतिनिधि चुनावी वातावरण की सही समझ रखते हैं चुनावों में संलग्न उम्मीदवारों की ठीक-ठीक पहचान जान लेते हैं। कौन सक्रिय अधिक जनोपोगी है तथा वे निष्ठापूर्वक जनता की प्रगति के प्रति जागरूक रह सकेंगे- आदि बातों का पूर्वानुमान लगा लेने में शिक्षित प्रतिनिधि सक्षम साबित होते हैं।

आम जनजाती नदर्श पंचायत चुनाव और अधिकतम विधानसभा तक चुनावों में रुचि लेते हैं। शिक्षित जनजाती निर्वाचक भी इन्हीं दो चुनावों को विशेष रूप से अहमियत देते हैं, क्योंकि दोनों निर्वाचनों से उमीदवारों की पहुँच मतदाताओं तक आसानी में होती है, किन्तु संसदीय निर्वाचन का क्षेत्र बहुत बड़ा होने से इतने व्यापक क्षेत्र का उम्मीदवार निरीक्षण नहीं कर सकता और न ही उमीदवारों के अन्य कार्यकर्ता भी हर गाँव के मतदाताओं तक पहुँच नहीं पाते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षित लोक राजनीति की सही समझ बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं।

निष्कर्ष रूप से ही कहा जा सकता है कि करीब 56.66 प्रतिशत लोगों ने जिले की राजनीति में रुचि व्यक्त की है। स्थानी न्यादर्श भी ग्रामीण सभा की समस्याएँ नहीं सुलझाने हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. मीनाक्षी पंवार- जनजाती विकास में राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव, राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 1993

आधुनिक कला के बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न कलाकार 'गगनेन्द्रनाथ ठाकुर व सतीश गुजराल'

डॉ. ऋचा जैन*

प्रस्तावना - जिस प्रकार उचित खाद पानी के अभाव में वनस्पति सूख जाती है उसी प्रकार भारतीय कला पर ऐसा समय आया जब पाश्चात्य प्रभाव के कारण व स्वजनों की उपेक्ष के कारण भारतीय कला मृतप्राय हो गई। यह वह समय था जब भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य की छाया मंडरा रही थी। अंग्रेजों के पांव इस देश में जम चुके थे भारत की चारों दिशाओं शिक्षा साहित्य, कला, धर्म सभी सामाजिक क्षेत्रों में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था।

चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय लघु परम्परा तथा मुगल शैली को भुलाकर पश्चिम और पूर्व के बेमेल संस्करण से ऊपजी कम्पनी शैली का प्रचलन बढ़ता जा रहा था। चित्रों की मुख्य विषय वस्तु में अंग्रेजों का विलास भरी जीवनचर्या तथा व्यक्ति चित्रों का प्रचलन कला की मुख्य धारा बन गया था। भारतीय जलरंगों की सौंदी भीनी सौन्दर्य के स्थान पर कठोर तैल एवं पेस्टल रंगों का अधिपत्य होता जा रहा था। कलाकारों को प्रलोभन देकर विवश किया जा रहा था कि वह अंग्रेजों के वैभव का चित्रण करें।

कला क्षेत्रों, स्कूल, कॉलेजों में ब्रिटिश कला के आधार पर कला शिक्षा दी जाने लगी। सन् 1870 में भारत में फोटोग्राफी के आगमन से भारतीय कला परम्परा को भारी ठेंस लगी तथा भारत के युवा वर्ग भी अपनी भारतीय कला को हीन भावना से देखने लगा तथा पाश्चात्य-संस्कृति का आभाव शिक्षा व कला व जीवन के सभी क्षेत्रों में हो गया। लेकिन पश्चिमी शिक्षा पाये युवा वर्ग के हृदय में अपनी कला संस्कृति की लुप्त होती डोर को खींचने की इच्छा भी जोर मारने लगी इसी भावना से ओतप्रोत भारतीय परम्परा एवं संस्कृति को बचाने के लिए आन्दोलन का सूत्र पात हुआ जिसका उद्गम स्थान कलकत्ता (बंगाल) था, इसलिये इसे बंगाल स्कूल का नाम दिया गया।

उस समय बंगाल की राजधानी कलकत्ता व्यापार तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का बड़ा केन्द्र था। साहित्य, संगीत, कला, सिनेमा आदि क्षेत्रों में विशेष गतिविधियां होती रहती थी। इसकी ओर टैगोर परिवार पूर्णतया समर्पित था। सम्पूर्ण परिवार में साहित्य संगीत कला की त्रिवेणी अविरल रूप में बहा करती थी।

अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव भारतीय संस्कृति के लिए भी खतरा बन गया था। इसलिये राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से भारतीय विचारों का प्रसार किया। देवेन्द्रनाथ ठाकुर, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, ईश्वरचन्द्र विधासागर, मधुदत्त, केशव चन्द्रसेन व बंकिम चन्द्र चटर्जी आदि महानुभावों ने शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में भारतीय परम्परा को पुनर्स्थापित करने के महान प्रयास किये तथा समाज में नवीन चेतना का संचार किया।

जिस अंग्रेजी सभ्यता ने भारतीय संस्कृति को धूल मिट्टी में समाहित

कर दिया उसी जाति में से ही एक अंग्रेज व्यक्ति ने भारतीय कला को इतिहास में अमर बना दिया तथा नई पहचान दी। ये कलाविद् ई० वी० हैवल थे जो 1864 में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसीपल बनकर आये थे। अपनी विलक्षण बुद्धि से उन्होंने भारतीय कला की श्रेष्ठता को पहचाना तथा अंग्रेजी साहित्य व कला के स्थान पर भारतीय कला को प्रोत्साहन स्वरूप पाठ्यक्रम में प्रस्तुत किया। उनके इस विचारधारा का अंग्रेजों द्वारा बहुत विरोध हुआ लेकिन अपने स्थान पर अटल अनेक लेखों व पुस्तकों के द्वारा भारतीय सम्पदा को प्रतिष्ठित किया।

यह समय वह था जिसने अनेक अमर व विद्वान लोगो को जन्म दिया। जिनके द्वारा देश में स्वतंत्रता, निष्ठा, एकता, बंधुत्व की भावना सब ओर व्याप्त थी। स्वामी विवेकानन्द, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, ज्योतिन्द्रनाथ जैसे महान देश सुधार में लगे थे। कला के क्षेत्र में अवनीन्द्रनाथ टैगोर, नन्दलाल बोस, यामिनीराय जैसे कलाविद् देशप्रेम राष्ट्रीय भावना से चित्रों का सृजन कर रहे थे। कलकत्ता इन दिनों कला उल्लेखन का प्रमुख केन्द्र था। अतः बंगाल ही पुनर्जागरण भारतीय कला का उद्गम स्थल कहलाया। इस समय के प्रमुख चित्रकार थे - अवनीन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, नन्दलाल बसु, असित कुमार हल्दार, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, देवीप्रसादराय चौधरी, यामिनी राय, अब्दुर्रहमान चुगताई, ईश्वरी प्रसाद, शेलेन्द्रनाथ डे, शारदा उकीला। अवनीन्द्रनाथ इनके प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे।

1. अवनीन्द्रनाथ, **ई० वी० हैवल** के आग्रह पर कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्यापक बनकर आए फिर प्रिंसीपल बने। अपने साथी कलाकारों के साथ भारतीय मौलिक तत्वों के समिश्रण से नवीन चित्र संचयन करने लगे।
2. चित्रकार **नन्दलाल बसु गाँधी** जी के विचारों से प्रभावित थे उनके सृजन में राष्ट्रीयता, देशप्रेम व स्वदेशी के लिए अनूठी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। उन्होंने भारतीय इतिहास, पुराण पर अनेक चित्र बनाएँ।
3. **गगनेन्द्रनाथ** को कला संस्कार विरासत में मिली थी चित्रकार के साथ व्यंगकला में भी पारंगत थे अपने व्यंग चित्रों से अंग्रेजों की राजनीति पर व्यंग प्रस्तुत किये।
4. **क्षितिन्द्रनाथ** आध्यात्मिक भावना से परिपूर्ण चित्रकार थे। उनकी कला में भारतीय धार्मिक तत्व विशेष रूप से मुखर हुए।
5. **यामिनी राय** ने अपनी कला में भारतीय लोक प्रतीकों को उभारा। भारतीय लोक जीवन से लिये गए प्रेरक तत्वों को उन्होंने अपने चित्रों में सजाया। बंगाल की पट चित्रकला को सहज काल्पनिक आकारों से सजा कर उसे लोकप्रिय बनाया।

6. देवीप्रसाद चौधरी मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल बने भारतीय पृष्ठभूमि पर अनेक चित्र व मूर्तिशिल्प बनायें।

इसी प्रकार अनेक कलाकारों ने अवनीन्द्रनाथ टैगोर से प्रेरणा प्राप्त कर अनेकों चित्रों द्वारा भारतीय संस्कृति का पुनः उद्धार किया। कला समीक्षक आनन्द कुमार स्वामी ने भारतीय कला व संस्कृति पर अनेक बहुमूल्य ग्रन्थों का सृजन कर पूरे संसार में भारतीय कला को गौरवावन्त व प्रतिष्ठित किया। उनकी 1913 में प्रकाशित पुस्तक यकला और स्वेदेशी लिखी निम्न पंक्तियों को आन्दोलन स्वरूप में स्वीकार किया गया - **‘भारत में कला विद्यालयों का सच्चा कार्य यूरोपियन तरीकों एवं आदर्शों का समावेश और प्रचार करना नहीं, अपितु भारतीय परम्परा के टूटे हुए सम्पर्कों को बटोरना तथा उन्हें शक्तिशाली बनाना है। राष्ट्रीय संस्कृति के अभिन्न रंग के रूप में भारतीय कला के विचार को पूर्ण करना है तथा भारतीय शिल्पियों को जनगण के जीवन तथा चिंतन के अनुरूप ढालना है।’**

पुर्नजागरण की कला अथवा बंगाल स्कूल की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिन्होंने उसे पाश्चात्य शैली से अलग अपना मौलिक अस्तित्व बनाने में सहायता की।

1. यूरोपीय अंधानुकरण का त्याग
2. समान्वित चित्र शैली का विकास
3. भारतीय परम्परा से प्रेरित छोटे आकार के चित्र
4. मॉडल व फोटोग्राफी से दूर कल्पनामय चित्र
5. रंगों की वाश तथा टेम्परा पद्धति
6. स्केचिंग पर बल

इसी प्रकार की कई मौलिक विशेषताओं को कला में परिभाषित कराने वाले नायक थे।

गगेन्द्रनाथ ठाकुर (1867-1938) - गगेन्द्रनाथ ठाकुर अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। अपने भाई के समान उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं प्राप्त हुई थी। युवाकाल में पिता की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र हाने के नाते उन्होंने अधिक समय अपने परिवार की सुख समृद्धि में लगाया। गगेन्द्रनाथ उदार व भावुक हृदय के स्वामी थे। उनकी रूचि सामाजिक व राजनैतिक समस्याओं में थी।

वह अपनी आत्मिक आनन्द प्राप्ति के लिए चित्र बनाते थे। उनके चित्र स्वतन्त्र अभिव्यक्ति और बौद्धिक गतिशीलता को दिखाते हैं। वह अपने समय के अकेले चित्रकार थे जिन्होंने श्वेत व श्याम चित्रों में रूचि ली।

गगेन्द्रनाथ आधुनिक नगर के चित्रकार माने जाते हैं, अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक प्रकार के चित्र बनाये जिन्हें कई श्रेणी में रखा जा सकता है।

1. परियों की कहानी जैसे रूमानी वातावरण के चित्र।
2. रेखांकन, व्यक्तिचित्र, और व्यंगचित्र, श्वेत श्याम चित्र।
3. दृश्य चित्रण।
4. रहस्यात्मक प्रभाव से युक्त अमूर्त चित्र।
5. घनवादी चित्र।

उनके आकस्मिक चित्रों में रूमानी और प्रभाववादी चित्रण मिलता है। उनके ‘अर्जुन और चित्रांगदा’ नामक चित्र में एक युगल जोड़ी गहरे रंग के पहाड़ पर लम्बे लम्बे पेड़ों के नीचे खड़ी है। सूर्य अस्त होने का समय है गुलाबी व नारंगी रंग के बादल पारदर्शी आभा से युक्त नायिका की सुन्दरता को बढ़ा रहे हैं। पूरे चित्र में अलौकिकता का वातावरण है। एक चित्र माया कानून

रहस्य के वातावरण को दर्शाता है। ऐसे विषय गगेन्द्रनाथ के लिये कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा के विषय थे इसी जिज्ञासा ने रहस्यात्मक व रूमानी विषयों को जन्म दिया। ये ऐसा स्वप्नों का संसार था जो केवल कविताओं में मिलता है।

गगेन्द्रनाथ ने बहुत बड़ी संख्या में विविध व्यक्तियों के तूलिका के द्वारा श्वेत व श्याम रेखांकन बनाये हैं, जिन्हें बहुत सादगी से दर्शाया है, इन व्यक्ति चित्रों में ब्रह्म का प्रयोग रेखांकन के लिये नहीं वरन् कोमलता लाने के लिये किया गया है।

गगेन्द्रनाथ के बने चित्रों में व्यंग चित्र भारतीय कला में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। सामान्यतः व्यंग चित्र स्मृति पर स्थाई छाया नहीं छोड़ते लेकिन गगेन्द्रनाथ के व्यंग चित्र स्थाई प्रभाव छोड़ते हैं। ये चित्र पूरे चित्रतल पर श्वेत व श्याम रंगों में हैं।

गगेन्द्रनाथ ने दृश्य चित्र भी बनाये। गगेन्द्रनाथ व अवनीन्द्रनाथ ऐसे भारतीय कलाकार रहे जिन्होंने दृश्य चित्रों को सत्यता से उभारा। उन्होंने धान के खेत, नदी के किनारे मंदिर, नारियल के पेड़ों की कतारें, धुंध से ग्रस्त पहाड़ियां, नाव श्वेत केवट आदि को कुशलता से सृजित किया। उनके कुछ चित्र मोनोक्रोम में कुछ कोमल रंगों में हैं। कुछ आकर्षक चित्र Arrival of Tutar in rain, Durga Pooja Procession at Night.

बाद के चित्रों में उनका परिवर्तित रूप Semi abstract Paintings के रूप में उभर कर आया। इस समय उन्होंने स्थापत्य कला की ठोसता को मकानों के द्वारा दिखाया, जिसमें मकानों के आन्तरिक भाग, परियों के महल आदि को बनाया जिसमें कभी कभी काले रंग की तानो से रहस्य का वातावरण प्रदर्शित हुआ। इस प्रकार के चित्रों में रंगों का कम्पित प्रकाश और वातावरणीय रहस्य भारतीय कला के इतिहास में इससे पहले नहीं हुआ था। उन्होंने अपने चित्रों में मकान, महलों आदि को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके बनाया है। इसलिये कहा जाता है कि उन्होंने पिकासो की घनवाद शैली से प्रेरित होकर ऐसे चित्र बनाये हैं लेकिन भारतीय कला में ये नितान्त नवीन प्रयोग था। इस प्रकार गगेन्द्रनाथ टैगोर ने भी विविध शैलियों में रहते हुए भारतीय चित्र कला के लिए नई सम्भावनाएं उत्पन्न की।

स्थापत्य और आधुनिक नगर के जीवन में निहित उनकी रूचि ने घनात्मक चित्रों का सृजन करवाया। ईंट और पत्थर के स्थापत्य से ज्योमिति आकृतियों को त्रिआयामी प्रभाव, ठोसता व शक्ति प्रदान की। इन चित्रों में छोटे कोणात्मक विभाजन है, जिसमें रूप बोध नहीं हो पाता इसलिए इन चित्रों को घनवाद का नाम दिया जाता है। कलाकार ने इन आकारों को विविध गतिविधियों के लिए प्रयोग किया है। उनके घनवाद की तुलना पिकासो के घनवाद से की जाती है। शायद उन्होंने इसकी प्रेरणा घनवाद से ली है अथवा कोणात्मक विभाजन का प्रयोग चित्र में ठोसता लाने के उद्देश्य से हुआ है। इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। लेकिन भारतीय कला में घनवाद लाने का श्रेय उन्हें जाता है।

गगेन्द्रनाथ ने अनेक नवीन प्रयोग किये जिसके नवीन पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त किया है।

सतीश गुजराल - आज के समकालीन कलाकारों में सतीश गुजराल का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिये वह आज भारत के लोकप्रिय कलाकार हैं। आज इन्हें अखबार की सुर्खियों में मैगजीन व टी0वी0 पर देखा और पढा जा सकता है।

सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसम्बर 1925 लाहौर में हुआ इनका आरम्भिक समय बहुत संघर्षमय बीता। एक दुर्घटना के कारण इनके पैर

बेकार हो गये साथ ही इनके सुनने की क्षमता भी क्षीण हो गयी। जीवन के दस वर्ष इन्हें बिस्तर में गुजारने पड़े इसके बाद इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। ऐसे निराशपूर्ण समय में इनके परिवार के प्रयासों व प्रेरणा से इन्होंने उर्दू साहित्य का अध्यापन किया, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर में कला अध्यापन के साथ - साथ मृत्तिका शिल्प और ग्राफिक डिजायनिक का अध्ययन किया, बाद में 1944 बम्बई जे०जे० स्कूल ऑफ आर्ट्स में भी अध्यापन किया व ग्राफिक्स पर कार्य किया। इनके कठिन जीवन में इनकी सारथी बनी इनकी धर्मपत्नि यकिरण जिन्होंने जीवन की हर सम-विषम परिस्थिति में इनका साथ दिया।

1947 में भारत व पाकिस्तान के दुःखद विभाजन से द्रवित होकर इन्होंने इस विषय पर चित्र बनाये और दिल्ली में प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की। गुजराल की कृतियों में निराशा और विवाद का जीवित स्वरूप है और मानवीय चित्रण में आकृति से अधिक पैरों का विशेष प्रदर्शन है, जिसका अभाव इन्हें जीवन के आरम्भ में हो गया था चित्रों में गहरी तानों के साथ शुभ रंगों जैसे पीला व लाल रंगों को प्रयुक्त किया गया है। विदेशों में भी इनकी प्रदर्शनियों को बहुत सराहा गया। मूर्तिकला, चित्रों के अतिरिक्त गुजराल ने विविध प्रकार के अमूर्त भी बनाये जो पत्थर व मेटल दोनों पर आधारित है। स्थापत्य कला में भी वह महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अनेको विशाल म्यूरलस की रचनाएं की। दिल्ली हाईकोर्ट का भव्य सिरेमिक म्यूरल, होटल

ओबरॉय का म्यूरल उनके अद्भुत कौशल को दर्शाते हैं। Interior Decoration में भी उनका दखल है। कला के हर क्षेत्र में उनकी सृजन शीलता सराहनीय है। जीवन के कठिन संघर्षों में तपकर वह आज जीवन के उच्चतम स्थान पर पहुँचे जो आज की पीढ़ी के लिये एक आदर्श व प्रेरणास्वरूप है।

सतीश गुजराल को मैक्सिको का 'लियोनार्दो द विंसी' पुरस्कार भी प्राप्त है, 'आईर ऑफ क्रॉउन' सम्मान से नवाजा गया। ये 'पद्म विभूषण' की उपाधि से सम्मानित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें नेशनल व इन्टरनेशनल स्तर पर भी विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अपने अविस्मरणीय कला योगदान के लिए इनका स्थान भारतीय कला संसार में अमर रहेगा। 26 मार्च 2020 को इस महान कलाविद् ने इस संसार से विदा ले ली।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कला विलास - आर० ए० अग्रवाल
2. भारतीय चित्रकला का इतिहास - डॉ. श्याम बिहारी अग्रवाल डा० बबीता अग्रवाल
3. आधुनिक भारतीय चित्रकला - ज्योतिष जोशी
4. कला और कलम - शुकदेव श्रोत्रिय
5. विकिपीडिया।
6. विभिन्न पत्रिकाएं।

शमशेर की कविताओं में काव्य सौन्दर्य : विविध राग

प्रो. मोहन पुरी *

शोध सारांश - शमशेर की कविताओं का रचना संसार मानवता की गहराई से थाह लेता हुआ, व्यक्ति के अन्तर्मन में जमी परतों को बड़ी बारीकी से खोलता हुआ प्रकट होता है। यदि एक तरफ शमशेर की कविताएँ शब्दों की मितव्ययता लिए प्रकट होती है तो दूसरी तरफ उनकी कविताओं का यविन्यास फैला हुआ है। यदि उनकी कविताएँ आत्मपरकता एवं अनुभूतियों का संसार थामे खड़ी हैं तो दूसरी तरफ समाज की यथार्थ सच्चाईयों से हमें रूबरू भी कराती है। यदि उनकी कविता के मूल में यदि आदिम राग की गंध छुपी हुई है तो अभिनव राग की संगीने भी उसमें हमें गुँजती दिखाई देती है। यदि काव्यभाषा के स्तर पर वे दो आब के प्रयोगधर्मी कवि बनकर उभरे हैं तो अपनी गुम्फित विचारों के कारण 'कवियों के कवि' भी कहलाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का काव्यसंसार न तो तत्कालीन दिखावे के बवडर में फंसा हुआ है और न ही कल्पनालोक की गहराईयों में गोता लगाता हुआ दिखाई देता है, बल्कि उनका सम्पूर्ण साहित्य 'निजता की सच्चाई' से उपजा हुआ साहित्य है। यह निजता की सच्चाई के माध्यम से मौन शब्दों में मुखर अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होती है। शमशेर की रचनाओं में वही वेदना तड़प और मर्मबिधनी संवेदनशीलता है जो हिन्दी कविता में निराला से होकर आयी है। शमशेर की कविता का स्थापत्य इतना नायाब है कि पाठक, उसमें खो-सा जाता है। उसमें केवल अर्थ की प्रतीति नहीं होती, दृश्य होते हैं, जिसके बिम्ब पाठक की आँखों उतर जाते हैं, मन का कोना-कोना झनझना उठता है। भाषा की अनेक सम्भावनाओं की थाह लेते शमशेर ने अपनी रचनाओं में ध्वनियों से शब्दों के विरामों से, टूटते वाक्यों से, अनगढ़ लगने वाले नये रचे अक्षरों से तथा असामान्य कथनों से बहुस्तरीय भावों को व्यक्त किया है। एक तरफ जहाँ शमशेर की कविताएँ आदिम भाषा छन्दों को ग्रहण करती हुई साहित्य को समृद्ध करती दिखती हैं वहीं दूसरी तरफ हिन्दी ऊर्दू (फारसी अरबी बहुल) के ताने-बाने में भी उनकी कविताओं का चेहरा खिलता है। वे सच्चे रूप में दो आब के कवि हैं।

प्रस्तावना - प्रगतिशील कविता के दौर के पाँच बड़े कवियों में शमशेर बहादुरसिंह का नाम प्रमुख है। शमशेर की कविताएँ जीवन के सहज उल्लास और अचानक उभरते विषाद के बीच अपने को ही पा लेने और अचानक खो देने की कविता है। शमशेर को पढ़ते हुए अचानक हम अन्तर्यात्रा के विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए उस अनुभूति से टकराते हैं जिसमें छिपी वेदना हमें अन्दर तक हिला डालती है। कविता सचमुच कैसे हृदय की तड़प है, या उसका मुक्त गान है या फिर एक पूरे लोक का पुनर्वास है - इसका उदाहरण शमशेर की कविता का अपना संसार है। गालिब का यह शेर शमशेर की कविताओं और उनके मानस पर सौ फीसदी खरा उतरता है :-

'रगों में दौड़ते फिरने की हम नहीं कायल

जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है।'¹

शमशेर की रचनाओं में यही वेदना तड़प और मर्मबिधनी संवेदनशीलता है जो हिन्दी कविता में निराला से होकर आयी है। दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि होने के बावजूद शमशेर का रचना संसार केवल नई कविता की धुरियों में सिमटकर नहीं रह गया, बल्कि एक तरफ उनकी कविताएँ रोमानी भाव बोध को ग्रहण करते हुए प्रगतिवादी दिखाई देती है, वही प्रयोगवाद के लक्षणों को ग्रहण करते हुए आत्मपरक यथार्थ की गहराईयों की थाह लेती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार उनकी रचनाओं पर किसी 'वाद' या काल का लेबल नहीं लगाया जा सकता है। यदि वे किसी श्रेणी में फिर भी बैठते हैं तो वह 'कवि' की श्रेणी। सही अर्थों में वे 'कवियों के कवि' है।

परन्तु यह विचित्र स्थिति है, एक तरफ उन्हें 'कवियों का कवि' मानकर समाज के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया जाता है वहीं दूसरी तरफ उनकी कविताओं की जटिलता से घबराकर आलोचकों ने ढबी जुबान

में निन्दा करते हुए उन्हें नकारने का प्रयास भी किया है। परन्तु शमशेर की कविताएँ असल में आत्ममन के संघर्ष से उपजी वे कविताएँ हैं, जिसमें बड़ी बारीकी से जीवन की विविध झांकियों को झलक स्पष्ट देखी जा सकती है। अपनी कविता की फितरत को स्वयं शमशेर ने अपने शब्दों में पहचाना है।

'तारो सी है मेरी बाते

दुर्बोध अति सरल, अतिदूर - अति निकट

पलकों में...।'²

जिस प्रकार बिहारी ने 'शब्दों' के नुकीलें बाणों से दोहों की निर्मिति की थी, उनका हर एक शब्द नायक नायिकाओं के हाव-भाव को परखने का अचूक नुस्खा था, उसी प्रकार शमशेर के काव्य चाहे 'कुछ कविताएँ (1959)' हो या यचुका भी हूँ नहीं मैं (1975), या फिर 'सुकून की तलाश हो' सब में शब्दों के प्रति उन्होंने विशेष मितव्ययिता बरती है। शमशेर की कविता में प्रत्येक 'शब्द' अपने आप में ध्वन्यता धारण करते हुए अर्थ की ओर संकेत करता हुआ प्रतीत होता है। वाक्य विन्यास के प्रति भी शमशेर विशेष रूप से सजग हैं - उनके वाक्य आवश्यकता से ज्यादा लम्बे नहीं होते, बल्कि कुछ ही शब्दों के बल पर वे वाक्य विन्यास का निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए -

'एक पीली शाम,

पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता

अब गिरा

वह अटका हुआ

आँसू

सान्ध्य तारक-सा। अतल में।'³

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) बी.के.एस.एन. शा.स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

शमशेर की कविताओं का सौन्दर्य जिस प्रकार वाक्य विन्यास की खास कसावट के साथ निखरता दिखाई देता है उसी प्रकार विषयों की विविधता उनके रचना संसार को विराटता प्रदान करती हैं। उनकी कविताओं में जीवन के अनेक रंग एक साथ दिखाई पड़ते हैं कभी उनकी कविता टूटी हुई बिखरी हुई चाय की दली बनकर जीवन की चरमराती जिंदगी को उजागर करती दिखाई देती है तो कभी बातों का भेद खोलती हुई, मुखर होने के लिए झटपटाती हुई प्रतीत होती है। प्रेम की गलियों में चक्कर लगाती उनकी कविताएँ प्रेम की उत्कंठा को गहरे रूप में व्यक्त करती हुई, 'चाह की आस' को महसूस कराती हुई प्रतीत होती है, जहाँ प्रेमी-प्रेम के लिए किसी भी कष्ट में पड़ने को तैयार दिखता है -

'मुझको प्यास के पहाड़ पर लिटा दो जहाँ मैं
एक झरने की तरह तड़प रहा हूँ।'⁴

शमशेर की कविताओं में प्रेम के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। नई कविता के दौर के प्रमुख कवियों की तुलना में शमशेर के यहाँ 'माँसलवादी प्रेम की' आसक्ति हमें अधिक दिखाई देती है। उदाहरण के लिए-

'रात का गहरा सावलापन
स्तनों का बिम्बित उभार लिए।'⁵

शमशेर का प्रेम चाहे देह की आसक्ति लिये हुए दिखाई देता है, लेकिन उन्होंने प्रेम को समग्रता में आँकने तथा उसका सम्बन्ध मनुष्य मात्र के भावों के साथ जोड़कर देखना चाहा। वे प्रेम को एक भाव मानने के पक्ष में हैं। यह मनुष्य की आत्मा में जितना गहरा पैठ करेगा, उसके जीवन का सौन्दर्य उतनी ही तेजी से निखरेगा।

**'दृव्य नहीं, कुछ मेरे पास
फिर भी मैं करता हूँ प्यार,
रूप नहीं कुछ मेरे पास
फिर भी मैं करता हूँ प्यार।'⁶**

व्यापक अर्थों में शमशेर मूलतः प्रेम के कवि हैं। प्रेम की उदारता का कवि। प्रेम की सघन पीर का कवि। रूप सौन्दर्य सब इसी प्रेम और पीड़ा की पंखुडियाँ हैं। उनके काव्य आत्मा (मूल) में जो प्रेम का समृद्ध हैं, सौन्दर्य रूपी सारी नदियाँ वही से निकलती हैं। इसी सौन्दर्य में संघर्ष छिपा है। जहाँ प्रेम में रंगे शमशेर को दुनिया रंगबिरंगी दिखलाई देती है वही उनकी कविताओं में संघर्ष के स्वर भी प्रबल रूप में आते हैं -

**'जहाँ मैं, अब तो जितने रोज, अपना जीना होना है,
तुम्हारी चोटें होनी है, हमारा सीना होना है।'⁷**

संघर्ष का यह स्वर मनुष्य की दृढ़ता और उसके आत्मबल का एक विराट रूप है जिसकी छाँव के तले जहाँ समाज परिवर्तन की लहर की महसूस करते हुए आजादी की स्वच्छन्द लहर महसूस करता है वहीं सदियों से आस ताकती आखों में रोशनी लाने के लिए भी कवि 'उषा' से निवेदन करता दिखता है। इस प्रकार शमशेर ने अपनी रचनाकार्य में प्रेम एवं संघर्ष के विषयों को एक साथ बड़ी संजीदगी के साथ साधा है।

शमशेर की कविता का स्थापत्य इतना नायाब है कि पाठक, उसमें खो-सा जाता है। उसमें केवल अर्थ की प्रतीति नहीं होती, दृश्य होते हैं, जिसके बिम्ब पाठक की आँखों उतर जाते हैं, मन का कोना-कोना झनझना उठता है। 'एक नीला आइना बेतोर' तथा 'उषा' जैसी कविताएँ वर्णबिम्ब से उद्भूत वे कविताएँ हैं जिनमें रचना प्रक्रिया और बिम्ब प्रक्रिया साथ-साथ चलती हैं। बिम्ब उनकी रचना प्रक्रिया का अपरिहार्य तत्व है। इस अर्थ में बिम्ब सृष्टि उनकी कविता में प्राण की तरह है। बिम्ब शमशेर की रचनाओं में

प्रायः घटनाओं, दृश्यों, स्थितियों तथा सम्बन्धों में आपस में गुंथे हुए हैं। बिम्ब के सन्दर्भ में घुनाथ सिंह का यह कथन सार्थक प्रतीत होता है - 'उनकी कविता का हर शब्द अपने बिम्बात्मक प्रयोग के अन्तिम छोर पर है। वे उसका सर्वस्व निचोड़ लेते हैं और किसी और कवि के लिए उसमें कुछ नहीं छोड़ते। शब्द और बिम्ब उनके भीतर आते ही दूसरों के लिए असम्भव और अन्तिम हो जाते हैं।'⁸

इस तरह शमशेर की कविताएँ बिम्बों की कविताएँ हैं, बिम्ब प्राणत्व हैं, किसी और आधुनिक कवि की तरह गुलम्मा मात्र नहीं, इसीलिए शमशेर का काव्य हमें बिम्बों का तरल पठार सा लगता है।

**'एक अन्धकार के चमकीले निर्झर में
तुम्हारे स्वर चमकते हैं
एक इन्तजार के झुरमुट में
यह फल है
जिसका अन्तर एक तीखी पुकार है।'⁹**

शमशेर की रचनाओं में बिम्ब एकधारी नहीं बनते बल्कि स्पर्शबिम्ब, ध्वनिबिम्ब तथा अनुकरणात्मक बिम्बों के माध्यम से वे काव्यार्थ को अधिक तीक्ष्णता से सामने लाते हैं। शमशेर के ऐन्द्रिय बिम्ब साक्षात् दृव्य से लगते हैं -

**'हाँ तुम मुझसे प्रेम करो
जैसे मछलियाँ लहरों से
करती हैं
जैसे हवाएँ मेरे सीने से करती हैं।'¹⁰**

शमशेर की कविताओं में शिल्प प्रयोगधर्मी रूप में प्रकट हुआ है, उन्होंने कविता का ढाँचा कभी भी स्थित नहीं बनाया बल्कि बदलते रंग एवं प्रक्रिया में उनकी कविताओं ने आकार ग्रहण किया है। शमशेर के बिम्ब कभी-कभी प्रतीत एवं रूपक के रूप में परिवर्तित होकर तात्कालिक समय को माँग को पूरा करते दिखाई देते हैं। शमशेर की कविता मुक्तछन्द को ग्रहण करती हुई आगे बढ़ी है, लेकिन पूरी तरह वर्णनात्मकता उसने धारण नहीं की बल्कि उनकी कविताओं में सुन्दर लयात्मकता भी देखने को मिलती है - उदाहरण के लिए

**'दृव्य नहीं कुछ मेरे पास
फिर भी मैं करता हूँ प्यार।
रूप नहीं कुछ मेरे पास
फिर भी मैं करता हूँ प्यार ॥'¹¹**

शमशेर का काव्य बिम्बों का तरल पठार है। उनकी काव्यानुभूति के मूल्य में गहरे मानवीय प्रेम और पीड़ा से उपजा सौन्दर्य का लीलामय संसार है। यह लीलामय संसार ही उनकी कविता के मूल में जीवन का सार बन जाता है। कविताएँ जीवन की पर्याय बनकर उभरने लगती है -

**'टूटी हुई बिखरी हुई चाय
की दली हुई पाव के नीचे
पत्तियाँ
मेरी कविता'¹²**

शमशेर के शिल्प की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति उनकी काव्यभाषा है। कवि के लिए कविता जिस तरह उसके निज के अनुभवों, अनुभूतियों की उपज होती है वैसे ही भाषा भी उसकी निजी सम्पदा है। 'शमशेर के लिए भाषा कविता को व्यक्त करने का माध्यम मात्र नहीं है वह उनकी कविता का मर्म हैं, और उनकी कविता का धर्म भी। वे भाषा पर भरोसा करने वाले कवि

हैं'

'पी गया हूँ वर्षा का

हर्ष बादल का

हृदय में भरकर हुआ हूँ हवा सा हल्का।'¹³

वर्षा के दृश्य को और बादल के हर्ष को पीकर और उसे हृदय में भरकर शमशेर हवा सा हल्का हो गये हैं। उनके अपने दुःख: अवसाद और चिन्ताएँ सब के सब विस्थापित हो गये हैं जो उनके मन को भारी बना रहे थे। यह कवि की प्रकृति के साथ अपने निजल का आनुभूतिक प्रत्यारोपण विशिष्ट है, जो सहज तो हैं ही, भाषा में बिना किसी प्रयोग के सम्भव हुआ है।

शमशेर की कविताओं में न केवल भाषिक सामर्थ्य की बानगी हमें दिखाई देती है, बल्कि शमशेर की काव्यभाषा में नाटकीयता के अनेक अंश देखे जा सकते हैं।

'अक्षो युग, आ

मुझे उठा

जरा सा और लिए चल.....जरा सा

मेरी बहारें/युगों की बहारें हैं/आने वाली

मेरी आत्मा की / शाश्वत / तू ही रखवाली / करेगा

एक एक क्षण एक एक कल

मेरा मैं मरेगा। तेरा अपार मेरा संसार

कितने कितने जीवन से भरेगा

कि मैं कह नहीं सकता।'¹⁴

शब्दों के प्रभाव से पैदा की गयी नाटकीयता शमशेर की काव्यभाषा में ढेरों रंग लिए खड़ी है। इन रंगों में चुप्पी है, बहारे हैं, उदासी है, क्षण हैं, खालीपन है तो मस्ती भी है।

शमशेर की काव्यभाषा 'संवादधर्मिता' का निर्वाह करती हुई भी दिखाई देती हैं, उनकी कविता में संवादधर्मिता से नया भावसंसार प्रकट होता है। यह संवादधर्मिता कहीं स्वागत, कहीं आत्मालाप, तो कहीं एकालाप के रूप में सामने आती हैं।

'मैंने शाम से पूछा -

था शाम ने मुझसे पूछा

इन बातों का क्या मतलब?'¹⁵

भाषा की अनेक सम्भावनाओं की थाह लेते शमशेर ने अपनी रचनाओं में ध्वनियों से शब्दों के विरामों से, टूटते वाक्यों से, अनगढ़ लगने वाले नये रचे अक्षरों से तथा असामान्य कथनों से बहुस्तरीय भावों को व्यक्त किया है। एक तरफ जहाँ शमशेर की कविताएँ आदिम भाषा छन्दों को ग्रहण करती हुई साहित्य को समृद्ध करती दिखती हैं वहीं दूसरी तरफ हिन्दी ऊर्दू (फारसी अरबी बहुल) के ताने-बाने में भी उनकी कविताओं का चेहरा खिलता है। वे सच्चे रूप में दो आब के कवि हैं -

'मैं हिन्दी और उर्दू का दो आब हूँ

मैं वह आईना हूँ जिसमें आप हैं।'¹⁶

व्याकरण की लीक से हटकर काव्यभाषा में एक साथ इतने अधिक प्रयोग करने वाले वे निराला के बाद दूसरे बड़े कवि हैं। निराला ने जिस तरह भाषा को उसकी सम्भावनाओं में थाहने की कोशिश की, उसी तरह शमशेर ने भी भाषा को अभिव्यक्ति का आधार ही नहीं बनाया, उनमें अन्तर्वस्तु को भी विन्यस्त करने का कौशल दिखाया है।

शमशेर की आत्मपरक कविताएँ अपने अन्दर 'मौन' की विवशता लिए चुपचाप रूप से विवशता को प्रकट रूप में लिए खड़ी है। 'कविता के सम्मुख'

में गोविन्दप्रसाद लिखते हैं -

'शमशेर के काव्य में घोर अभाव, अकेलेपन की व्यथा, और अथाह दुःख से उपजी विवशता ही मौन का मूल प्रतीक होती है।'¹⁷

और अन्दर चल रहा हूँ मैं

उसी के महातल के मौन में

मौन आहों में बुझी तलवार/मौन पर्तों में हिला मैं कीटा। अज्ञेय के यहाँ यह मौन मुखर हैं उनकी मौन से महामौन की यात्रा भी साफ दिखाई देती है, लेकिन शमशेर की कविता में यहाँ मौन सकपकाता रहता है, विवशता की आड़ में।

शमशेर की कविताएँ आत्मसंघर्ष की उपज की कविताएँ हैं। अपने प्रारम्भिक कलेवर में चाहे वे हमें निजता का भान कराती है, लेकिन उनकी निजता भी सार्वजनिक बनने के लिए उस समय तैयार दिखाई देती है। जब अभिव्यक्तियाँ सामूहिक रूप ले लेती हैं।

'लेकर सीधा नारा

कौन पुकारा

अन्तिम आशाओं की सन्ध्याओं से।'¹⁸

शमशेर की कविताएँ बिम्बात्मक प्रयोग द्वारा जिस प्रकार सुन्दर दृश्य निर्मित करती हैं, उसी प्रकार मुक्त छन्द की बानगी के साथ ही उर्दू की गज़लें एवं शेर भी उनके कथ्य के 'रंग' में शुमार हैं।

'मैं कई बार मिट चुका हूँगा

वर्ना इस जिंदगी की इतनी धूमा।'¹⁹

शमशेर की कविताओं के सौन्दर्य का वैशिष्ट्य-संकेतों में, स्थितियों के भावपूर्ण अंकन में, जिसमें बिम्ब और अर्थपूर्ण प्रतीकों का सामंजस्य के रूप में हमारे सामने आता है। उनकी कविता न तो स्फीति को स्वीकार करती है, और न ही अतिकथन को महत्व प्रदान करती हैं, बल्कि सृजन के सजों को अपने भीतर पा लेने की साधना लिए हुए दिखाई देती हैं। इसीलिए शमशेर की रचनाओं में शिल्प और संवेदना की फाँक नहीं दिखाई देती है, बल्कि कविता में घटित 'क्षण-क्षण' इसका सौन्दर्य बन जाता है।

निश्चित रूप से, तुलसीदास की यह उक्ति - 'अरथ अमित अति आखर थोर' शमशेर के रचना संसार पर पूर्णरूप से लागू होती है, मितव्ता शमशेर के जीवन का मूल मंत्र बनकर उभरा है, चाहे काव्य के स्तर पर हो या जीवन के स्तर पर, वे फिजूलखर्ची के सख्त खिलाफ थे तभी तो उन्होंने जिस शब्द को लिया उसका पुरा सार खींचकर ही ओ बाहर का रास्ता दिया। जिस वाक्य को आत्मसात कर साहित्य में प्रतिष्ठ करवाया, उसकी गरिमा कई गुना बढ़ गई। प्रेम एवं सौन्दर्य को सच्चे रूप में प्रतिष्ठित करते हुए शमशेर मानवता के उस संघर्ष को भी बुलन्द करना नहीं भुलते जो झूठे बवंडर में फँसकर कल्पनालोक की धुँधली परछाईयों में खोया हुआ है। निश्चित रूप से, शमशेर की कविताओं का रचना संसार मानवता की गहराई से थाह लेता हुआ, व्यक्ति के अन्तर्मन में जमी परतों को बड़ी बारीकी से खोलता हुआ प्रकट होता है। यदि एक तरफ शमशेर की कविताएँ शब्दों की मितव्ता लिए प्रकट होती हैं तो दूसरी तरफ उनकी कविताओं का 'विन्यास' फैला हुआ है। यदि उनकी कविताएँ आत्मपरकता एवं अनुभूतियों का संसार थामें खड़ी हैं तो दूसरी तरफ समाज की यथार्थ सच्चाईयों से हमें खूबसूरत भी कराती है। यदि उनकी कविता के मूल में यदि आदिम राग की गंध छुपी हुई है तो अभिनव राग की संगीने भी उसमें हमें गुँजती दिखाई देती है। यदि काव्यभाषा के स्तर पर वे दो आब के प्रयोगधर्मी कवि बनकर उभरे हैं तो अपनी गुम्फित विचारों के कारण 'कवियों के कवि' भी कहलाते हैं। इस प्रकार शमशेर

बहादुर सिंह का काव्यसंसार न तो तत्कालीन दिखावे के बवडर में फंसा हुआ है और न ही कल्पनालोक की गहराईयों में गोता लगाता हुआ दिखाई देता है, बल्कि उनका सम्पूर्ण साहित्य 'निजता की सच्चाई' से उपजा हुआ साहित्य है। यह निजता की सच्चाई के माध्यम से मौन शब्दों में मुखर अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होती है।

'बात बोलेगी

हम नहीं

भेद खोलेगी

बात ही।'²⁰

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिर्ज़ा गालिब, **दीवान-ए-गालिब**, डायमंड पॉकेट बुक पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ -53, संस्करण-2017, मुद्रित।
2. शमशेर बहादुर सिंह, **शमशेर बहादुर की प्रतिनिधि कविताएँ**, राजकमल प्रकाशन, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ - 52, मुद्रित।
3. शमशेर बहादुर सिंह, **कुछ कविताएँ**, जगत शंखधर प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण-1959 पृष्ठ - 19, मुद्रित।
4. विष्णुचन्द्र शर्मा, **काल से होइ लेता शमशेर**, संवाद प्रकाशन, शास्त्रीनगर मेरठ, संस्करण-2005, पृष्ठ - 82, मुद्रित।
5. वही...संस्करण-2005 पृष्ठ - 45, मुद्रित।
6. शमशेर बहादुर सिंह, **शमशेर बहादुर की प्रतिनिधि कविताएँ**, राजकमल प्रकाशन, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ - 28, मुद्रित।
7. शमशेर बहादुर सिंह, **सुकून की तलाश**, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1998, पृष्ठ- 16, मुद्रित।
8. रामस्वरूप चतुर्वेदी, **हिन्दी साहित्य संवेदना का विकास**, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद पृष्ठ - 112, मुद्रित।
9. शमशेर बहादुर सिंह, **शमशेर बहादुर की प्रतिनिधि कविताएँ**, राजकमल प्रकाशन, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ - 23, मुद्रित।
10. वही...संस्करण-2005 पृष्ठ - 26, मुद्रित।
11. वही...संस्करण-2005 पृष्ठ - 17, मुद्रित।
12. शमशेर बहादुर सिंह, **कुछ और कविताएँ**, जगत शंखधर प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण-1959, पृष्ठ - 46, मुद्रित।
13. वही...पृष्ठ - 12, मुद्रित।
14. शमशेर बहादुर सिंह, **चुका भी नहीं हूँ मैं**, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1974, पृष्ठ- 39, मुद्रित।
15. शमशेर बहादुर सिंह, **शमशेर बहादुर की प्रतिनिधि कविताएँ**, राजकमल प्रकाशन, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ - 47, मुद्रित।
16. ज्योतिष बसु, **शमशेर का अर्थ**, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ - 176
17. गोविन्द प्रसाद, **कविता के सम्मुख**, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली पृष्ठ - 49
18. शमशेर बहादुर सिंह, **कुछ कविताएँ**, जगत शंखधर प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण-1959 पृष्ठ - 24, मुद्रित।
19. गोविन्द प्रसाद, **कविता के सम्मुख**, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली पृष्ठ - 52
20. शमशेर बहादुर सिंह, **कुछ और कविताएँ**, जगत शंखधर प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण-1959, पृष्ठ - 53, मुद्रित।

कोविड 19 और भारतीय समाज

डॉ. ज्योति सिंह*

प्रस्तावना -

1. कोरोना वायरस (कोविड 19) एक संक्रामक बीमारी है जो कि एक नये वायरस की वजह से होती है। कोविड 19 वाला वायरस उन बूंदों से फैलता जो किसी संक्रमित व्यक्ति के खासने छींकने या सांस लेने से पैदा होती है। 30 जनवरी को केरल राज्य में पहला Covid मरीज मिला।
2. कोरोना वायरस का जब देश में दस्तक हुआ तो परिस्थिति और वायरस की भयावतता को देखते हुए लॉकडाउन किया गया जिससे इस महामारी के प्रसार को रोका जा सके। कोरोना वायरस महामारी के दौरान समाज में व्यक्तियों में नकारात्मक प्रवृत्तियों को आश्रय मिला। इस संकट के दौरान भारतीय समाज में हमको कई रंग दिखाई दिये। कहीं अफवाह कही मदद कही साहस कहीं दहशत जैसे रंगों का मिलाजुला असर दिखाई दिये।
3. कोरोना महामारी ने समाज के सभी वर्गों पर असर डाला है गरीबों के साथ-साथ धनी वर्ग भी प्रभावित हुये है। कामगारों में कुछ घर से काम कर रहे हैं कुछ मजबूरी में बाहर जाकर काम कर रहे हैं। क्योंकि जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं उनको बिना काम के वेतन नहीं मिल सकता है मजबूरी में काम करने बाहर गये। संपन्न परिवारों का बजट परिवर्तित हुआ वे ज्यादातर आवश्यक वस्तुओं पर खर्च को फोकस किये थे। निर्धनों की दशा तो बहुत खराब थी। सरकार के प्रयास और पहल निर्धनों के लिये थी किन्तु ये उनके लिये काफी नहीं था। निर्धन वर्ग जीवन जीने की जद्दोजहद में ही लगे रहे। लॉकडाउन ने बाहर निकलने पर जो प्रतिबंध लगा दिये उससे सबसे ज्यादा प्रभावित मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों को हुआ। ज्यादातर लोगों को आवास की समस्या रहती है और इस दौरान जब 24 घंटे घर में ही रहना है तो परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक ही जगह रहना महामारी बीमारी का प्रकोप, काम का बंद हो जाना, इनसे बचे व्यक्तियों में अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। किन्तु भारतीयों का आत्मबल, ईश्वर में आस्था और अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता ने भारतीयों को मजबूत बना रखा था। आज नहीं तो कल जरूर ये दंश कोरोना से मुक्त होगा इस विश्वास में आस्था रख भारतीयों ने अपना योगदान इस देश को दिया।
4. भारतीय समाज में परिवार रीढ़ की हड्डी है। इस महामारी के दौरान 'परिवार' जैसी संस्था ने अपनी भूमिका का निर्वहन बाखूबी किया।
5. परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे का साथ भरपूर दिया। वर्तमान युग में जब हम एकंकी परिवार में रहे आज कमी महसूस कि संयुक्त परिवार होना था। औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण ने जहाँ विकास के नये

- आयाम स्थापित किये है वहीं इसने संयुक्त परिवार को तोड़ा है और अब इस महामारी के दौरान आधुनिक युग में भी परिवार की अहमियत व्यक्तियों को समझ आ गई है। देश विदेश में फैले हुए लोग सब परिवार के पास ही आये। महामारी ने दुख तो बहुत दिये पर भारतीय परम्परा और संस्कृति को मजबूती भी दे गये। व्यक्तियों की सोच में बदलाव आ गया। संचार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग व्यक्ति बाखूबी करने लगे और इसने टाइम पास बहुत अच्छे से किया।
6. महामारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साधनों का भरपूर उपयोग किया गया जिसमें ऑन लाईन शिक्षा, ऑन लाईन ट्रेनिंग, ऑन लाईन शॉपिंग का प्रतिशत ज्यादा रहा।
 7. भारतीय समाज के खानपान ने भी इस कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता पैदा की भारतीयों की दिनचर्या, योगा, ईश्वर आराधना ने हमारे मनोबल को बचाये रखा था।
 8. भारतीय समाज में जो सकारात्मकता है और जिंदगी जीने का जो जज्बा है उसी वजह से आज विश्व में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है।
 9. देश से वायरस अभी खत्म नहीं हुआ पर जिन्दगी ने रफतार पकड़ ली है सब अपने अपने कामों में उसी जज्बे के साथ है जैसा कोरोना वायरस के पहले हुआ करता था। हर भारतीय एक उम्मीद से कि एक दिन कोरोना मुक्त भारत की जर्मी होगी और जिन्दगी की राह आसान होगी।
 10. महामारी के दौरान परिवार में महिलाओं ने अपने दायित्वों का निर्वहन बाखूबी किया। महिलाएँ की ही मेहनत उनके सदस्यों के प्रति स्वास्थ्य की चिंता ने परिवार को शारीरिक तौर पर हट्ट पुष्ट रखा। भारतीय समाज में जहाँ औरतों को सिर्फ भोग्या समझा जाता है वही महामारी के दौरान समझ आया कि वो अन्नदात्री भी है जिसने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखा और उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के भरसक प्रयास किये वैक्सीन की दस्तक होते ही भारतीयों के चेहरे खिल गये और इतने बेफ्रिक हो गये कि जैसे महामारी ही खत्म हो गई है।
 11. महामारी ने हम एक व्यक्ति में स्वच्छता की अलख जगा दी आज बार-बार हाथ धोना, बाहर से आकर नहाना या बाहर के कपड़े अलग करना चप्पल या जूते बाहर उतारना व्यक्ति के जीवन का अंग ही बन गया। ज्यादातर भारतीयों ने तो सुबह की सैर और योगा को अपनाया। महामारी एक दिन चली जायेगी, बहुत सारे दुख दर्द के दाग छोड़ जायेगे किन्तु इसको एक सकारात्मक और मजबूत पहलू बना दी कि परिवार आज भी प्रमुख संस्था आध्यात्मिक देश में जहाँ हम भौतिकता की ओर उन्मुख हो गये है किन्तु इस दौर ने भौतिकता के साथ-साथ आध्यात्मिकता के द्वार खोल दिये।

12. फिजूल खर्ची पर लगाम लग गई व्यक्तियों में एक सोच पैदा हो गई कि आवश्यक चीजों को ही करें।

निष्कर्ष– भारतीय समाज महामारी के दौरान भी आपनी संस्कृति संस्कार को बचाये रखा। आध्यत्मिकता को दिल में बसा कर भविष्य को संजाने संवारने की जुगत में लगा रहा। भौतिकता के आकर्षण के साथ-साथ आध्यात्मिकता आज भी सर्वोपरि है। अब जीवन की रफतार जोर पकड़ रही है। बीते दिनों के कड़वे अनुभवों से सीख लेकर भविष्य के सपने फिर सजाने

लगा। भारतीय संस्कृति की यही बातें भारत को विश्व पटल पर आग्रणी बनाये हुए है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. www.amarujala.com>opinion
2. www.orponline.org>research
3. thewirehindi.com
4. hi.m.wikipedia.org>wiki>2020
5. www.ideaforindiain.com>topic>covid

मध्यप्रदेश में कृषि विकास और रोजगार

डॉ. खुमेश सिंह ठाकुर* डॉ. गेंदालाल मालवीय**

शोध सारांश – राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य सहारा कृषि है और यही एक ऐसा क्षेत्र है जो राज्य की ग्रामीण आबादी को बड़ी संख्या में रोजगार मुहैया कराने का विकल्प देता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में जीविका उपार्जन के लिये कुल कामकाजी लोगों के 69.8 फीसदी और ग्रामीण इलाकों में कुल कामकाजी लोगों की 85.6 फीसदी कृषि पर आश्रित है। मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष महत्व है। मध्यप्रदेश में समृद्ध और विविध प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, विविध जलवायु परिस्थितियां, अधिकतर जिलों में गहरी काली मिट्टी क्षेत्र, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, एक जैविक खेती वाले राज्य के रूप में पहचान, बढ़ती कृषि विकास दर, कृषि मंडियों का शानदार नेटवर्क, रसद केन्द्रों, भंडारण और गोदाम व कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिये विकास के अलावा मध्यप्रदेश राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्यान्वयन, कृषि विकास के लिये वरदान साबित होगा। कृषि क्षेत्र में गरीबी में कमी लाने, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने, आय का स्तर बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने जैसी व्यापक सकारात्मक क्षमता है। अंततः यह विकास के स्तर खासकर नागरिकों के जीवन विकास और आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने में सहयोग प्रदान करता है।

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह खाद्य एवं कच्चा सामान के अतिरिक्त बड़ी जनसंख्या को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। क्षेत्रफल के मामले में मध्यप्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 308 हेक्टेयर है जो देश के कुल क्षेत्रफल का नौ फीसदी है। जनसंख्या के मामले में यह राज्य छठे स्थान (7.2 करोड़ की आबादी) पर है, इनमें से 72 फीसदी लोग गाँवों में निवास करते हैं।¹ यह राज्य मुख्य रूप से वन सम्पदा, खनिज-पदार्थ, नदी और घाटी जैसी प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है।² म.प्र. के 51 जिलों में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र, पाँच फसली क्षेत्र और अलग-अलग भूमि उपयोग मृदा के प्रकार, बारिश और जल संसाधन बँटे हुए हैं। कुल आबादी के 31 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 22 फीसदी है।³ राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रकृति कृषि आधारित होने की वजह से कृषि और संबंधित क्षेत्रों जैसे पशुपालन और मछली पालन की भूमिका काफी अहम है। ये राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक हैं और दो कारणों से इनका महत्व काफी बढ़ जाता है। पहला यह क्षेत्र राज्य के जीडीपी में करीब एक तिहाई योगदान देता है और राज्य के प्राथमिक सेक्टर में इसकी हिस्सेदारी 90 फीसदी है। दूसरा प्रत्यक्ष गतिविधियों या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव के जरिए इस पर आबादी का एक बड़ा तबका निर्भर है और ग्रामीण आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा जीविका उपार्जन के आधारभूत स्रोतों के लिए इस पर आश्रित है।

विश्व बैंक के मूल्यांकन के हिसाब से वर्ष 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.2 फीसदी (स्थिर मूल्य पर) की दर से बढ़ी जो जीडीपी के संदर्भ में दुनिया की आठवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रयशक्ति के सट्टे यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।⁴ दूसरी तरफ विभिन्न कारणों से भारत की कृषि दर कुल जीडीपी विकासदर के अनुपातिक नहीं है। कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में कमी के बावजूद यह भारतीय

अर्थव्यवस्था का आधार बना हुआ है। कृषि विकास और सकल घरेलू उत्पाद विकास दोनों मामलों में अग्रणी राज्यों की सूची में मध्यप्रदेश शीर्ष पर है। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य सहारा कृषि है और यही एक ऐसा क्षेत्र है जो राज्य की ग्रामीण आबादी को बड़ी संख्या में रोजगार मुहैया कराने के विकल्प देता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में जीविका उपार्जन के लिए कुल कामकाजी लोगों के 69.8 फीसदी और ग्रामीण इलाकों में कुल कामकाजी लोगों के 85.6 फीसदी कृषि पर आश्रित है इसमें से 31.2 फीसदी किसान और 38.6 फीसदी खेतिहर मजदूर हैं।

मध्यप्रदेश का प्राकृतिक संसाधन – मध्यप्रदेश में वन न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संतुलन में वनों की मुख्य भूमिका के अलावा वन आश्रित लोगों को अजीविका भी प्रदान करता है। मध्यप्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। राज्य का वन क्षेत्रफल 94690.38 वर्ग किमी है।⁵ मध्यप्रदेश में 7 प्रकार की मिट्टी पायी जाती है। मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों में गहरी मध्यम काली मिट्टी पायी जाती है। जिसे अत्यधिक उपजाऊ माना जाता है। मध्यप्रदेश में 11 उपकृषि जलवायु क्षेत्र तथा 5 फसली क्षेत्र हैं जो राज्य में कृषि विविधता की व्यापक संभावना उपलब्ध कराते हैं। धान, गेहूँ, मक्का, चना, ज्वार, मसूर, सोयाबीन तथा सरसों मुख्य फसले हैं, जिसकी खेती मध्यप्रदेश में की जाती है। विभिन्न फसल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उगाये जा सकते हैं जिससे पूरे वर्ष बिना किसी रोक के खेती की जा सकती है। पूरे मध्यप्रदेश में विभिन्न फसलों के क्षेत्रों का वितरण राज्य के समृद्ध जैव विविधता को दिखाता है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2014-15 में आधे क्षेत्रफल में खेती के लिए शुद्ध बुवाई हुई। एक निश्चित अवधि में मध्यप्रदेश में हुए भूमि उपयोग का विश्लेषण निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

तालिका क्र. 1

मध्यप्रदेश में भूमि उपयोग का वर्गीकरण

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सुभद्रा शर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय, गंजबासौदा, जिला- विदिशा (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) सुभद्रा शर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय, गंजबासौदा, जिला- विदिशा (म.प्र.) भारत

वर्ग	कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत			
	2001-02	2005-06	2009-10	2014-15
कृषि के लिए अनुपलब्ध	10.6	11.0	11.2	11.0
पड़त भूमि को छोड़कर गैर कृषि भूमि	4.9	4.4	4.4	4.0
कृषि योग्य बंजर भूमि	4.0	3.8	3.7	4.0
पड़त भूमि	4.0	3.9	3.8	3.0
शुद्ध बुवाई क्षेत्र	48.6	49.0	49.0	50.0
एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र	13.6	15.1	20.9	27.5
सकल फसल क्षेत्र	62.3	64.1	70.0	77.8
सकल सिंचित क्षेत्र	24.7	29.93	32.5	33.5

स्रोत : आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश^१

राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में खेती के लिए जमीन का उपलब्ध न होने का प्रतिशत, पड़त भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि और शुद्ध बुवाई क्षेत्र का प्रतिशत स्थिर रही है। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र, सकल फसल क्षेत्र तथा सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत तालिका में दशकिये वर्षों में बढ़ा है। सकल फसल क्षेत्र वर्ष 2001-02 के 62.3 प्रतिशत से वर्ष 2014-15 में बढ़कर 77.8 प्रतिशत हुआ है। एक बार से अधिक बुवाई वाले क्षेत्र ने सकल फसल क्षेत्र में अहम योगदान किया है।

मध्यप्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था तथा इसका स्वरूप - राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र तथा कृषि पर ही निर्भर करती है। अतः राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, कृषि क्षेत्र (पशुपालन तथा मत्स्य पालन को मिलाकर) प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य आधार है तथा इस क्षेत्र का विकास प्राथमिक क्षेत्र के विकास तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान निर्धारित करता है।

तालिका क्र. 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

राज्य सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का विश्लेषण यह दर्शाता है कि प्राथमिक क्षेत्र ने ही लगातार अपना योगदान द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की तुलना में बढ़ाया है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2004-05 में 27.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 में 30.3 प्रतिशत हुआ है, जो कि अधिकतम है। दूसरी तरफ समान समयावधि में ही द्वितीयक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2004-05 में 27.1 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 24.6 प्रतिशत हुआ है। तृतीयक क्षेत्र का योगदान हल्के उठापटक के बाद भी 45 प्रतिशत के लगभग है। सकल घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय औसत से तकरीबन दो गुना है। इस प्रकार कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्र अपेक्षाकृत राज्य की अर्थव्यवस्था में विशेषकर सामान्य तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिक महत्व रखते हैं।

मध्यप्रदेश में कृषि विकास दर - मध्यप्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से कृषि में सकारात्मक विकास हुआ है। तालिका क्र. 3 को देखें तो 2008-09 से ही कृषि विकास दर में वृद्धि शुरू हुआ है। लेकिन 2011-12 के बाद अधिक तर्कसंगत रूप से वृद्धि देखने को मिलती है। पिछले चार वर्षों में कृषि विकास दर वाकई सराहनीय रही है। अनाज उत्पादन के लिए चौथी बार मध्यप्रदेश को 2014-15 का 'कृषि कर्मण सम्मान' दिया गया है। कृषि क्षेत्र में भारत सरकार का यह सबसे बड़ा सम्मान है। देश में यही एक मात्र राज्य है। जिसने

लगातार चौथे वर्ष यह सम्मान हासिल किया है।

तालिका क्र. 3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

मध्यप्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के आधे हिस्से में खेती होती है, भौगोलिक क्षेत्र का 78 प्रतिशत सकल फसली क्षेत्र है और पिछले पाँच साल में दोहरी फसल की पैदावार वाले क्षेत्र में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पड़त भूमि को कृषि योग्य भूमि में तब्दील करने के अतिरिक्त बुआई संभव है। कृषि सेक्टर में 20 फीसदी से अधिक की लगातार और तेज होती विकास दर का अर्थव्यवस्था की संरचना में महत्वपूर्ण योगदान है।

मध्यप्रदेश में कृषि के ऊपर निर्भरता तथा आजीविका (रोजगार)-

जनगणना 2011 के अनुसार मध्यप्रदेश में 31.5 लाख श्रमिक है। जिनकी कार्य सहभागिता का दर 43.5 प्रतिशत है। इनमें से 72 प्रतिशत मुख्य श्रमिक है। कुल श्रमिकों में से 31 प्रतिशत किसान तथा 39 प्रतिशत कृषि श्रमिक है। ग्रामीण भारत की 72.3 प्रतिशत जनसंख्या सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर करती है। जबकि मध्यप्रदेश में इसका प्रतिशत 85.6 है जो सीधे रूप से कृषि पर निर्भर है। मध्यप्रदेश में कृषि के लिए श्रमिकों का होना बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। मध्यप्रदेश में 121.9 लाख कृषि श्रमिक है। इसलिए कृषि श्रमिकों से होने वाले फायदों को कम करके आँका नहीं जा सकता है।

तालिका क्र. 4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

आर्थिक विकास का सकारात्मक प्रभाव कृषि श्रमिकों पर भी बड़ा है। पहले बेरोजगारी अधिक थी। इसलिए लोग कृषि श्रमिक थे लेकिन पिछले कुछ सालों में रोजगार वृद्धि नीति मनरेगा के आने से कृषि क्षेत्र में काफी परिवर्तन आया है।

मध्यप्रदेश में कृषि विकास और रोजगार के लिए किये गये प्रयास- मध्यप्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र के विकास को शीघ्र वरीयता प्रदान करती है कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए राज्य सरकार ने 'दृष्टि पत्र 2018' नाम से एक दस्तावेज तैयार किया है। इसमें विकास, बदलाव और सुशासन के एजेण्डा पर प्रकाश डाला गया है। मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों और भूमिहीनों के लिए स्थिर और स्थायी कृषि उत्पादकता, भोजन के लिए पर्याप्त खाद्य और पोषण सुरक्षा, लाभदायकता, आय, रोजगार और आजीविका सुरक्षा मुहैया कराना है। साथ ही यह भूमि और जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन के माध्यम से टिकाऊ कृषि विकास को बढ़ावा देने, खेती प्रणाली और वाटरसेड दृष्टिकोण का उपयोग करने तथा किसानों को उपयुक्त औद्योगिकी, आवश्यक जानकारी सेवाओं और प्रोत्साहन के बारे में बात करती है।

कृषि को ज्यादा जीवंत बनाने के लिए मध्यप्रदेश को अब निश्चित तौर पर अपनी प्राथमिकता अधिक उपज से कृषि के व्यवसायीकरण की ओर स्थानांतरित करनी चाहिए। उद्यानिकी, पशुपालन, पॉल्टी, मत्स्य पालन में विभिन्न तरह के उद्यम को बढ़ावा और ग्रामीण गैर कृषि उद्यमों से इसके जुड़ाव का फायदा उठाया जाना चाहिए। आंकड़ों और उनके विश्लेषण से राज्य में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए हासिल किए जा सकने वाले लघु, मध्यम और दीर्घ अवधि के लक्ष्यों को तय करने की कोशिश भी की गई है। लघु अवधि की रणनीति में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्राथमिकताओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं और गतिविधियों की पहचान शामिल है, जिससे कृषि और संबंधित क्षेत्रों में लाभ अर्जित करने की स्थिति में सुधार हो सके। मध्यम और दीर्घ अवधि की रणनीति में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए प्रकृति, प्रगति और प्रदर्शन के विश्लेषण पर ध्यान केन्द्रित करने की कोशिश की गई है, जिससे कि आधारभूत संरचना विकास, संस्था

निर्माण, नीति सुधार, निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन पद्धति के जरिए कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन हो सके।

कृषि के तहत योजनाएं मुख्य रूप से खाद्यान्न (अनाज और दालों) तिलहन, कपास और गन्ना और अन्य नकदी फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से बनायी गयी है। इसमें नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए जैविक खेती, बीज, प्रतिस्थापन दर बढ़ाने, उर्वरक का संतुलित मात्रा में इस्तेमाल, मानसून की निर्भरता कम करने के लिए सिंचाई क्षमता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट प्रतिस्पर्धा के लिए क्षमता बढ़ाना शामिल है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तिलहन और ताड़ के तेल, ए.टी.एम.ए. बीज ग्राम कार्यक्रम, जैविक खेती, बेहतर कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रदर्शन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि फसल बीमा योजना, एकीकृत कपास विकास कार्यक्रम जैसी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य की महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे सूरजधारा और अन्नपूर्णा योजना, बलराम तालाब योजना, मध्यप्रदेश वुमन इन एग्रीकल्चर (एम.ए.पी.डब्ल्यू.ए.) सूक्ष्म सिंचाई, बैलगाड़ी के लिए अनुदान, कृषि में आई.सी.टी., मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, किसानों के लिए मुख्यमंत्री विदेश अध्ययन योजना, प्रशिक्षण और विस्तार की योजनाएं, बायोगैस विकास आदि का भी कार्यान्वयन राज्य में हो रहा है।

मध्यप्रदेश में प्रकृति संसाधनों की उपलब्धता, राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था-कृषि विकास दर, अर्थव्यवस्था की संरचना, जोत, कृषि पर आबादी की निर्भरता आदि फसल विविधता क्षेत्र को शामिल करते हुए मुख्य कृषि फसलों की उत्पादकता और उत्पादन, उद्यानिकी क्षेत्र आदि कृषि आधारित वानिकी, पशुपालन पशु और मछली पालन, कृषि के लिए इनपुट-सिंचाई बीज, उर्वरक, बिजली, कृषि का व्यवसायीकरण और साख कृषि बाजार, मंडी आगमन, अनाज की सरकारी खरीद, भंडारण, बाजार से सम्पर्क, भंडारण और गोदाम, कोल्डचेन आपूर्ति, बागवानी के लिए भंडारण, हब, बाजार से सम्पर्क, कृषि और आपूर्ति चेन में आई.सी.टी., कृषि बी.पी.ओ., किसान उत्पाद संगठन, ठेका खेती, प्रसंस्करण, प्राथमिक सेक्टर में सकल मूल्य संवर्धन क्षमता, आय और रोजगार, निर्यात, निर्यात- संवर्धन क्षमता और निर्यात संवर्धन के तरीके, संसाधन और बजट इत्यादि म.प्र. में कृषि को नई ऊँचाई हासिल करने के लिए प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। बशर्ते म.प्र. शासन कृषि और संबंधित क्षेत्रों के प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करे। राज्य सरकार कृषि को लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए विभिन्न फैसले लेने और तमाम कदम उठाने को लेकर उत्सुक होने के साथ-साथ सक्रिय भी है, उचित नीतिगत फैसले, नवोन्मुख रणनीति और इस दिशा में ठोस व्यावहारिक हस्तक्षेप ने पिछले कुछ सालों से इस सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन करने के रास्ते खोल दिए हैं और उपलब्धियों के अच्छे परिणाम सामने हैं।

निष्कर्ष - वर्तमान भूमि उपभोग पद्धति सुझाती है कि दोहरी फसल अंतर्गत क्षेत्र विस्तार की पर्याप्त गुंजाइश है और किसानों को गर्मी के मौसम में तीसरी फसल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। हाल के दिनों में सिंचाई सुविधा ने दोहरी फसल के तहत क्षेत्र बढ़ाने में सहायता की है, लेकिन इसमें सतत निरंतरता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश के

अधिकांश जिलों में अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी समूहों में से एक गहरी काली मिट्टी है। राज्य में विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों और फसल विविधता को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विस्तार सेवाओं को फसल वार और क्षेत्रवार सुदृढ़ करना प्रासंगिक है। अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार में राज्य कृषि सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम एक प्रतिशत निवेश कर अनुसंधान और शिक्षा का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कृषि का व्यवसायीकरण राज्य में कृषि विकास के एक अभिन्न अंग के रूप में उभरा है। इस संदर्भ में मध्यप्रदेश में राज्य की उपलब्धियां महत्वपूर्ण एवं सही दिशा में हैं जिन्हें आगे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। मूल्य श्रृंखला विकास रणनीति का प्रयोग करते हुए उच्च प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध के साथ-साथ कृषि व्यापार के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैविक कृषि के लिए परीक्षण, ब्रेडिंग और प्रमाणीकरण के साथ-साथ कृषि व्यवसाय के क्षेत्रों का विकास, राज्य में कृषि के विकास के लिए वरदान साबित होगा।

उपरोक्त स्थिति कृषि में टिकाऊ विकास दर के लिए जरूरी रणनीति इनपुट मुहैया कराएगी और एक लाभकारी उद्यम के रूप में कृषि की क्षमता का विस्तार करेगी। यह लघु मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए तय लक्ष्यों की सहायता से आने वाले समय में तय किए लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने में जानकारी आधारित नीति-निर्माण, संस्थान निर्माण और नवाचारी शासन के लिए उपाय सुझाएगी। कृषि क्षेत्र विभिन्न तरीकों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अर्थव्यवस्था की आपूर्ति एवं मांग के पक्ष को प्रभावित करता है। औद्योगिक उत्पादन के लिए खाद्य सामग्रियों के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र सबसे अहम स्रोत है। यह अपने क्षेत्र में ही निर्मित वस्तुओं और सेवाओं के जरिए तीसरे सेक्टर को प्रोत्साहन देता है। इसके अलावा यह सरकार को बहुआयामी गरीबी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाता है। इसमें पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ तरीके से राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की शानदार क्षमता है। कृषि क्षेत्र में गरीबी में कमी लाने, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने, आय का स्तर बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने जैसी व्यापक सकारात्मक क्षमता है। अंततः यह विकास के स्तर खासकर नागरिकों के जीवन विकास और आर्थिक स्तर को उठाने में सहयोग करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत का रजिस्ट्रार जनरल, 2011 जनगणना
2. वन-विभाग म.प्र. सरकार (2010)
3. Planning commission of India 2011-12
4. विश्व बैंक (2015) India Development update by world bank
5. State of the forest report forest survey of India, 2014
6. आयुक्त, भू-अभिलेख ग्वालियर, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
7. आर्थिक और सांख्यिकीय निदेशालय, मध्यप्रदेश सरकार (2001-02 से 2014-15)
8. मध्यप्रदेश कृषि आर्थिक सर्वेक्षण, 2016 : योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र.शासन।

तालिका क्र. 2 : सकल घरेलू उत्पाद में योगदान (2004-05 की स्थिर कीमतों पर) प्रतिशत में

विवरण	2004 -05	2005 -06	2006 -07	2007 -08	2008 -09	2009 -10	2010 -11	2011 -12	2012 -13(P)	2013 -14 (Q)	2014 -15 (A)
प्राथमिक क्षेत्र	27.7	28.1	26.3	24.8	24.0	23.9	22.5	23.5	25.5	28.1	30.3
द्वितीयक क्षेत्र	27.1	27.0	28.8	29.2	30.9	30.1	30.3	29.4	27.7	25.9	24.6
तृतीयक क्षेत्र	45.2	44.9	44.8	46.0	45.1	46.0	47.2	47.1	46.8	46.0	45.1

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, मध्यप्रदेश सरकार⁷

P- प्राविधिक अनुमान, Q- त्वरित अनुमान, A- अग्रिम अनुमान

तालिका क्र. 3 : म.प्र. में कृषि क्षेत्र की विकास दर (वर्ष 2004-05) के मूल्य पर

विवरण	2005 -06	2006 -07	2007 -08	2008 -09	2009 -10	2010 -11	2011 -12	2012 -13	2013 -14	2014 -15
विकास दर	3.13	3.84	-2.44	9.07	9.88	-1.06	18.9	18.5	22.41	18.83

स्रोत : म.प्र. कृषि आर्थिक सर्वेक्षण 2016 : योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग म.प्र. शासन⁸

तालिका क्र. 4 : मध्यप्रदेश में श्रमिकों का वर्गीकरण 2011

विवरण	भारत			मध्यप्रदेश		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
कुल कार्यशील जनसंख्या (लाख में)	4817.4	3485.9	1331.4	315.7	247.1	68.6
किसान- मुख्य तथा सीमान्त (लाख में)	1186.9	1149.6	37.2	98.4	94.7	3.7
कृषि श्रमिक- मुख्य तथा सीमान्त (लाख में)	1443.2	1369.9	73.3	121.9	116.9	5.0
कृषि पर निर्भर (प्रतिशत)	54.6	72.3	8.3	69.8	85.6	12.7
कार्यशील परिवार मुख्य तथा सीमान्त (लाख में)	183.3	119.4	63.8	9.5	5.9	3.6
अन्य मुख्य तथा सीमान्त (लाख में)	2003.8	846.8	1156.9	85.7	29.5	56.2
पुरुष कृषक- मुख्य तथा सीमान्त (प्रतिशत)	67.1	66.9	74.8	62.4	62.0	73.4
महिला कृषक- मुख्य तथा सीमान्त (प्रतिशत)	32.9	33.1	25.2	37.6	38.0	26.6
पुरुष कृषि श्रमिक- मुख्य तथा सीमान्त (प्रतिशत)	53.7	53.4	60.4	47.5	47.3	5.3
महिला कृषि श्रमिक- मुख्य तथा सीमान्त (प्रतिशत)	46.3	46.6	39.6	52.5	52.7	4.7

स्रोत : भारत का रजिस्ट्रार जनरल (2011) जनगणना

बृहत्त्रयी में वैदिक चिन्तन के तत्व

डॉ. पी. एस. बघेल*

प्रस्तावना - बृहत्त्रयी में प्रमुख रूप से भारवि का 'किरातार्जुनीयम्', माघ का 'शिशुपालवध' और श्रीहर्ष का 'नैषधीयचरितम्' को सम्मिलित किया गया है। उक्त तीनों महाकाव्यों में वैदिक चिन्तन के तत्वों का समावेश किया गया है।

उक्त तीनों का संक्षेप में विवेचन निम्नानुसार है-

(1) भारवि - भारवि अलंकृत शैली के प्रमुख रचयिता है। भारवि का एक मात्र महाकाव्य 'किरातार्जुनीयम्' है। संस्कृत साहित्यकारों ने महाकवि 'भारवि' का काल 550 से 600 ई. माना है। यद्यपि कवि का जीवनवृत्त अभी भी अंधकार में है। 'स विजयता रवि कीर्तिः कविताश्रित कालिदास भारवि कीर्तिः' इस कथन के अनुसार ही समीक्षकों ने कवि का कालखण्ड निर्धारित किया है।

दक्षिण के किसी राजा के दानपत्र के अनुसार भारविकृत 'किरातार्जुनीयम्' के पन्द्रहवें सर्ग की टीका के आधार पर लेखक ने संवत् 776 ई. काल निर्धारित किया है। नवीनतम अन्वेषणों से दुर्विनीत के कार्यकाल को 580 ई. ठहरता है और भारवि का कालखण्ड इसके बाद रचा गया, न्यायोचित ठहरता है।

'किरातार्जुनीयम्' की मूल कथा महाभारत के वन पर्व के 27 वें अध्याय से 31 वें अध्याय तक वर्णित है। प्रस्तुत महाभारत की उस यमूल कथा के कवि भारवि ने अपनी शृंगारमयी रचना में यथावश्यक परिवर्तन कर कथा को सरस बनाया है।

बृहत्त्रयी के दूसरे कवि माघ है। माघ का सर्वप्रथम उल्लेख जैन कवि प्रभुचन्द्र सूरि ने विक्रम संवत् 1334 में उल्लेखित किया है। अज्ञात कवि ने माघ का उल्लेख निम्नलिखित श्लोक में किया है-

'उपमा कालिदासस्य भारवेर्ध गौरवम्

दण्डिनः पदलालित्यं, माघे संति त्रयो गुणाः॥'

कालिदास की उपमा, भारवि का अर्थ गौरव, दण्डी का पदलालित्य श्रेष्ठ है किन्तु माघ में तीनों काव्यगत विशेषताएँ हैं।

'शिशुपाल वध' के एक श्लोक में जिनेन्द्र बुद्धि रचित श्लोक के अनुसार 700 ई. का उल्लेख किया गया है। ध्वन्यालोक में शिशुपाल के दो श्लोक दिये गये हैं, जिसमें माघ का उल्लेख किया गया है।

शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं। महाभारत की एक कथा पर ही 'शिशुपाल' की रचना की गई है। महाकवि माघ अलंकृत शैली के रचयिता है। श्री प्रभचन्द्र सूरि के आधार पर कवि माघ का कार्यकाल 11 वीं शताब्दी में स्थित किया गया है।

बृहत्त्रयी के तीसरे कवि श्रीहर्ष है। महाकवि श्रीहर्ष ने अपने महाकाव्य 'नैषधीचरित' में अपना परिचय स्वयं लिखा है। जिसके अनुसार उनके पिता

का नाम श्रीहरि और माता का नाम मामल्ल देवी थी। श्रीहर्ष के पिता श्रीहरि काशी नरेश विजय चन्द्रजी के सभा पंडित थे। दोनों पिता-पुत्र का कार्यकाल 1156 ई. से लेकर 1193 तक माना जाता है। बृहत्त्रयी में 'किरातार्जुनीयम्', 'शिशुपालवध' एवं 'नैषधीयचरित्रम्' महाकाव्यों का विवेचन किया गया है। **(1) 'किरातार्जुनीयम्'** - महाकाव्य के प्रारंभ में 'श्री' शब्द का उल्लेख लक्ष्मी के रूप में किया गया है। धीरोदात्त नामक अर्जुन का वीर रस तथा शृंगार रस प्रधान काव्य है। इसमें संध्या, सूर्य रजनी आदि के वर्णनों के साथ हिमाचल का हृदयंगम चित्रण किया है। अप्सराओं की जलक्रीड़ा का कामोद्दीपक वर्णन किया है।

महाभारत के वनपर्व में अर्जुन की तपस्या का वर्णन किया है। शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने शिव की आराधना की थी। युधिष्ठिर के साथ परामर्श का चित्रण किया गया है। अर्जुन द्वारा शिव की तपस्या का वर्णन, हिमाचल का वर्णन, इन्द्र द्वारा भेजी गई अप्सराओं द्वारा अर्जुन की निष्ठा को डिगाने का तपस्या भंग करने के प्रयत्नों के साथ अप्सराओं की जलक्रीड़ा का वर्णन, अर्जुन की तपस्या भंग करने की विफलता का वर्णन, इन्द्र स्वयं मुनिरूप धारण कर उसकी सफलता का यशोगान के साथ ही किरातवेशधारी शिव का अर्जुन के युद्ध कौशल और उससे शिव के प्रसन्न होने पर अर्जुन की पाशुपतास्त्र का वरदान दिया गया है।

'किरातार्जुनीयम्' में वैदिक तत्व - अथर्ववेद के मंत्र मुनिवर वशिष्ठ निर्मित है- इसी आधार पर 'किरातार्जुनीयम्' में कहा गया है कि-

'अनुपमशमदीप्ततागरीयान् कृतपादपङ्क्तिरथर्वणेव वेदः।'

अर्थात्- अनुपम शान्ति से वशिष्ठ ने अथर्ववेद के मंत्रों की रचना की है। इसी प्रकार 'किरातार्जुनीयम्' में महर्षि व्यास के अलौकिक व्यक्तित्व के उल्लेख में कहा गया कि-

'धर्मात्मजो धर्मनिबंधिनीनां प्रसूतमेनः प्रणुदां श्रुतिनाम्'

अर्थात् अग्निहोत्र आदि धर्मों के प्रतिपादक तथा पापों के विनाशकारी वेदों के व्याख्याता व्यासजी ने युधिष्ठिर ने उनके आगमन का कारण जानने का निवेदन किया।

ईश्वरीय तत्व का स्वरूप भेदशून्य है। वे शरीरधारी नहीं है फिर भी पुरुष और स्त्री के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर के रूप को परमात्मा परस्पर विरोधी रूप धारण करते हैं।

'नान्यस्य जगत्सु दृश्यते विरुद्ध वेषाभरणस्य कान्तता।'

ईश्वरी अस्तित्व जन्म, जरा और मृत्यु के बंधनों से परे है। ईश्वर का स्वरूप निर्विकार है।

'त्वमन्तकः स्थावरजङ्गनाम्' ईश्वर जन्म, मृत्यु और जरा से रहित है। ईश्वर शिव के स्वरूप के रूप में माया को जीतकर भी पाप-पुण्य कर्मों

से बंधे नहीं है। फिर भी अपनी लीला से पाप रूप माया को धारण करते हैं। श्रुति में कहा गया है कि- 'तस्माद्दानं परमं वदन्ति' याने दान की अपनी विशेषता है। इसी में 'किरातार्जुनीम्' में 'सं सेवन्ते दानशीला विमुक्त्यै' में दान धर्मादिक पुण्य कर्म करने वालों को विमुक्ति पाने के लिए आराधना करते हैं।

अध्यात्म बोध के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है।

महर्षि वेद व्यास ने धर्म के संबंध में अभ्युदय व निःश्रेयस की सिद्धि का मार्ग बताया है। यथा-

'यतोऽभ्युदयानिः श्रेयसिद्धि स धर्मः॥'

सर्वप्रथम 'परब्रह्म' परमात्मा ने अपने मन में विराट् सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा शक्ति से ही समस्त ब्रह्माण्ड की रचना की है। (10/129/4)

किरातार्जुनीम् और ऋग्वेद में ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, यज्ञ, तप की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में वर्णव्यवस्था का भी वर्णन किया गया है। (2) **शिशुपाल वध में वैदिक तत्व** - महाभारत के सभापर्व में शिशुपालवध का मूल कथानक वर्णित है। पद्मपुराण में 252 वें अध्याय में भी यह कथानक आया है। इसमें भी 20 अध्याय हैं।

शिशुपालवध वैदिक तत्व - शिशुपाल वध में भी वैदिक तत्वों के रूप में दार्शनिक चिन्तन के रूप में ब्रह्म, आत्मा, सृष्टि, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद आदि के साथ ईश्वर, जीव, कर्म और जगत् के सन्दर्भ में विश्वास के रूप में वर्णित हैं।

मनु ने धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, बुद्धि, सत्य, काम, क्रोध आदि धर्म के दस लक्षणों का विवेचन किया गया है।

धर्म दुःख निवृत्ति का उपाय माना है। ईश्वर के प्रति विश्वास, सदाचरण, नैतिकता, क्षमा, दया के प्रति आस्था रखना और इसके लिए ईश्वरस्तुति, प्रार्थना, उपासना, पूजा, यज्ञ, दान, अध्ययन तप आदि के रूप में धर्म के प्रमुख अंग माने गये हैं।

ऋग्वेद में अग्नि के सन्दर्भ में अनेक सूक्तियाँ व्यक्त की गई हैं। यथा- 'अग्निर्वै सर्वा देवता।' (ऐ. 1/1) **अग्निर्वै सर्वेषां देवानामात्मा**, (शत. 14/3/2/5) **'आत्मैवाग्निः'** (शत 6/7/1/20), **अग्निर्वै देवानां यष्टा।'** (शत. 21/3/3/7/6), अग्निदेव ब्रह्म (10/4/5), **अग्निर्वै सर्वस्य लोकस्याधिपति।** (ऐ. 3/42)

लौकिक देवता शिव याने वैदिक काल में रुद्र के रूप में 3 सूक्तों में उनकी स्तुति की गई है।

'ऽभ्यबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम्॥ उर्वारुकमिव बन्धनात्मृत्योर्मृयोमुक्षीय मामृतात्।'

अर्थात्- हम सुरक्षित पुण्य, कीर्ति एवं पुष्टिवर्धक तीन प्रकार से संरक्षण देने वाले त्र्यम्बक याने की उपासना करते हैं। वे ककड़ी की तरह मृत्युबंधन से मुक्त करें। 'विष्णु भगवान के रूप में उन्होंने तीन पदों में समूचे ब्रह्माण्ड को व्याप्त कर लिया था।'

'त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्लिन्त भुवनानी विश्वाः॥' (ऋग्वेद 1/154/2)

माघ ने वेदों के अनुसार विष्णु को आदि पुरुष कहा है।

'तस्माद्विराक जायते विराजो अधिपुरुषः॥ (ऋग्वेद- 10/90/5)

अथर्व वेद में विष्णु के स्वरूप का वर्णन मिलता है। (अथर्व. 2/26/7)

शिशुपालवध में परशुराम जी ने इक्कीस बार क्षत्रियों के रक्त से पाँच

तालाब भर लिये थे।

'रामेण त्रिसप्तकृत्वो हृदाना चित्रं चक्रे पञ्चकः क्षत्रियास्त्रैः।'

वेदों का स्मरण करने के बाद अग्नि गोत्र में उत्पन्न, दत्तात्रेय नाम से प्रसिद्ध हुए दत्तात्रेयगोत्रजः॥'

'स्मर्तुमपतिहसतस्मृतिः श्रुतीर्द इत्यभवदग्निगोत्रजः।'

सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को अलौकिक देवता के रूप में वर्णन किया गया है। कहीं ब्रह्मा को प्रजापति और कहीं त्वष्टा याने सृष्टि रचति के रूप में कहा गया है।

'बृहस्पतिर्ह वै देवानां ब्रह्मा॥'

इसी प्रकार वरुण, यम, कुबेर, कामदेव, चन्द्रमा आदि वैदिक देवताओं का वर्णन शिशुपालवध में भी किया गया है।

ऋग्वेद (10/4/2) के अनुसार, तथा महाभारत (13/12/19) के अनुसार पुत्रहीन विधवा अपने देवर से नियोग द्वारा संतान प्राप्त कर सकती है। बोधायन धर्मसूत्र (2/2/17) ने इसकी पुष्टि की है। वैदिक युग में बहु विवाह प्रथा थी। यद्यपि अधिक पत्नियाँ पारिवारिक कलह को पैदा करती हैं। शिशुपालवध में आश्रम व्यवस्था का चित्रण भी वेदों के अनुसार किया है।

(3) नैषधीचरित में वैदिक तत्व

नैषधीचरित का कथासार - इस महाकाव्य में 22 सर्ग हैं। जिस में राजा नल के प्रताप का चित्रण किया गया है। हंस का दमयन्ती के सौंदर्य का चित्रण किया है। दमयन्ती नल के सौंदर्य पर अनुरक्त हो जाती है। और नलदमयन्ती विवाह बंधन में बंध जाते हैं। वस्तुतः 22 सर्गों में नल- दमयन्ती के घूतक्रिया में हारने, दोनों का संबंध बिछुड़ने आदि का चित्रण नहीं किया गया है।

नैषधीचरित में वैदिक तत्व - वेदों में प्रकृति के रूप में उषा देवी के अंधकार को दूर कर मानवों की प्रज्ञा को जगाने का काम करते हैं। **उच्छा दिवो दुहितः प्रत्नववन्नो** (ऋग्वेद- 6/65/6)

'हे सूर्य पुत्री उषा! आप पूर्व की तरह तरह अब भी अंधकार को मिटाये। ऋग्वेद काल में धर्म और दर्शन का सुन्दर समन्वय देखने को मिलता है। ब्रह्मा, आत्मा, सृष्टि विषयक ज्ञान प्राप्त होता है। दर्शन, धर्म की दार्शनिक पृष्ठभूमि को पुष्ट करता है। जिसमें प्रायः ईश्वर, जीव, कर्म, जगत् संबंधी सिद्धान्तों में विश्वास किया जाता है।'

'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मा' की वैदिक धारणा में नैषधीचरित की पुष्टि की है- **'स्व च ब्रह्म च संसारे मुक्तौ तु ब्रह्म केवलम्॥'** (नैषध. 17/73)

परब्रह्म परमात्मा ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विलय का कारण है। सतत प्रत्नशील व्यक्ति ही उस परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।

नैषधीचरित में आत्मा के संबंध में दो वर्ग माने हैं- आत्मावादी और अनात्मवादी। आत्मवादी आत्मा को शरीर से पृथक् मानते थे लेकिन अनात्मवादी आत्मा को शरीर से पृथक् नहीं मानते।

बृहत्त्रयी ही में विद्युत् अग्नि का ही प्रतिनिधित्व करता है। शिव को रुद्र के रूप में माना गया है। **'अग्निर्वै रुद्रः।'** (शत. 5/3/1/10)

श्रेष्ठो जातस्य रुद्रः (ऋग्वेद 2/33/3)

विष्णुः सर्वा देवताः (ऐ. 1/1)

विष्णुः को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में वर्णित है।

ब्रह्म, वरुण, रुद्र, यम आदि वैदिक देवताओं के साथ सूर्य, कुबेर, अश्विनी, काम और चन्द्रमा आदि का भी श्रीहर्ष ने वैदिक देवताओं के रूप में वर्णन किया है।

नैषधीचरित में आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, यज्ञ आदि का वर्णन वेदों के

अनुसार ही किया गया है।

वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था आदि के बारे में भी वेदों को ही प्रमाण मानकर उनका विश्लेषण किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. किराता. 10/10

2. वै.सू. 7/1/2

3. ऋग्वेद/7/59/12

4. किराता.3/4, पृ. 73

4. किराता. 18/33/पृ.527

5. ऋग्वेद 7/59/12

6. ऋग्वेद- 1/64, 14/129, 10/121)

विदेशी मुद्रा भण्डार : आर्थिक विकास का आधार

डॉ. राजेश कुमार सिंह तिवारी*

प्रस्तावना - भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वदेशी मुद्रा भण्डार के साथ-साथ विदेशी मुद्रा भण्डार का ही महत्वपूर्ण स्थान है। विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भण्डार, आर्थिक विकास को गति देने में सहायक होता है। देश के प्रत्येक आर्थिक वर्ष में विदेशी मुद्रा भण्डार का आंकलन किया जाता है तथा इसका बड़ा होना विकास को मजबूती प्रदान करता है तथा कमी आना विकास की गति को कमी लाता है। इसीलिए विदेशी मुद्रा भण्डार के निरन्तर वृद्धि के लिए अनेक आर्थिक उपाय किये जाते हैं। विदेशी मुद्राओं का सन्तुलित शेष देश की आर्थिक नीति की सफलता को दर्शाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में आर्थिक समीक्षा में विदेशी मुद्रा भण्डार को ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है तथा उसे सार्वजनिक करके जनता की जानकारी में लाया जाता है।

शोध प्रविधि - शोध लेखन में शोध प्रविधि के विभिन्न उपायों को अपनाया गया है। शोध में प्रयुक्त होने वाले समंक द्वितीय स्रोत से प्राप्त किये गये हैं। जिनमें वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा से उद्धरित किया गया है। आँकों का विश्लेषण सारणी के द्वारा किया गया है। तत्पश्चात् विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति का पता लगाया गया है।

परिकल्पना :

1. भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार पर्याप्त नहीं है।
2. विदेशी मुद्रा भण्डार में प्रतिवर्ष उतार-चढ़ाव आते हैं।
3. विभिन्न विदेशी मुद्राओं के सन्तुलित भण्डार का अभाव है।
4. अनेक आर्थिक तथ्य विदेशी मुद्रा भण्डार को प्रमाणित करते हैं।
5. विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ाने के उपाय पर्याप्त नहीं हैं।

उद्देश्य :

1. विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति को जानना।
2. विदेशी मुद्रा भण्डार में होने वाली कमी-पेशी के कारणों को जानना।
3. सरकार की आर्थिक नीति में विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ाने के लिए किये गये उपायों की समीक्षा करना।
4. विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ाने के उपायों को सुझाना।

विषय विश्लेषण - भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक योजनाएँ बनाने समय विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ाने के लिए गहन चिन्तन किया जाता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कारण विदेशी मुद्रा भण्डारण में प्रभावशील होते हैं। सफल वित्त मंत्री अपनी टीम के सदस्यों के साथ गहन विचार विमर्श कर विदेशी मुद्रा भण्डार के स्रोतों को खगालने में सहयोग लेता है तथा एक सन्तुलित एवं विकासोन्मुख बजट बनाने में सफल होता है।

सारणी क्रमांक - 1

भारत में विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति (बिलियन डालर में)

क्र.	वर्ष	विदेशी मुद्रा भण्डार
1	2017-18	424
2	2018-19	412
3	2019-20	476
4	2020-21	586 (8 जनवरी 2021 तक)

स्रोत : आर्थिक समीक्षा 2020-21

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 2017-18 में भारत में विदेशी मुद्रा भण्डार 427 बिलियन डालर था जो वर्ष 2018-19 में घटकर 412 बिलियन डालर हो गया। आर्थिक सुधारों के कारण पुनः वर्ष 2019-20 में विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़कर 476 बिलियन डालर, वर्ष 2020-21 की 8 जनवरी 2021 की स्थिति में 586 बिलियन डालर हो गया। इसके लिए अनेक कारण हैं, जैसे आयातों में गिरावट आने से चीन और अमेरिका के साथ भारत के व्यापार सन्तुलन में सुधार हुआ। 2021 के दौरान भारत के रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग के सामान, कपड़ा और सम्बद्ध उत्पादों का निर्यात कम हुआ, जबकि दवाइयों और फार्मा, सॉफ्टवेयर, कृषि और सम्बद्ध उत्पादों के निर्यात में सुधार हुआ तथा फार्मा निर्यात भारत को विश्व की फार्मैसी बनाने की सक्षमता रखता है। 17 वर्षों के अन्तराल के बाद 2021 में भारत के चालू खातों में आधिक्य की आशा की गई है।

विदेशी मुद्रा भण्डारण की समस्याएँ - भारत में विदेशी मुद्रा भण्डार में उतार चढ़ाव के अनेक वित्तीय कारण उत्तरदायी हैं। देश की कृषि दशा उत्पादन स्तर विदेशी आयात-निर्यात, व्यापारिक सन्धियाँ एवं विभिन्न देशों के आपसी सम्बन्ध के कारण व्यापार घटता बढ़ता है। जिसका सबसे बड़ा प्रभाव 2018-19 के विदेशी मुद्रा भण्डार की कमी से दिखाई देता है।

विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ाने के उपाय :

1. राजनैतिक स्थिरता, आर्थिक वृद्धि कारक नीति निर्धारण।
2. कृषि के उत्पादकता एवं विविधता में प्रोत्साहन देना तथा निर्यातोन्मुख कृषि उत्पादों को बढ़ाने का प्रयास करना।
3. देश की उत्पादन क्षमता में सुधार करना एवं आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्वदेशी निर्माण पर बल देना।
4. आर्थिक समृद्धि कारक विदेशी व्यापार सम्बन्धों को बढ़ावा देना, देश की अन्दर जनता के असन्तोष के कारण होने वाले आन्दोलनों को रोकना तथा शान्तिपूर्ण वातावरण का निर्माण करना।
5. सन्तुलित विदेशी मुद्रा भण्डार को बढ़ाने को प्रोत्साहन देना।

निष्कर्ष - देश की आर्थिक समृद्धि में विदेशी मुद्रा भण्डार का महत्वपूर्ण स्थान है। दुर्भाग्य है कि इसका ट्रेन्ड उर्ध्वाधर न होकर नतोदर भी देखने को

मिलता है, जो आर्थिक अस्थिरता को दर्शाता है। देश की अनेक आर्थिक समस्याएँ हैं जिनसे जूझकर हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति की ओर अग्रसर है। अनेक उपायों के द्वारा वर्ष 2020-21 में इसे बढ़ाने का प्रयास हुआ है जो आशा की एक किरण है। उससे हमारे देश में आर्थिक समृद्धि आयेगी ऐसी आशा की जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आर्थिक समीक्षा, वर्ष 2020-21
2. केन्द्रीय बजट, वर्ष 2021-22
3. बेवसाइट।

21वीं सदी में वस्त्र उद्योग

यासमीन बानो* डॉ. अरविन्द प्रकाश**

शोध सारांश – भारतीय वस्त्र उद्योग विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है, जिसका कच्ची सामग्री आधार तथा विनिर्माण क्षमता अन्य उद्योगों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। चीन के बाद विश्व में भारत वस्त्र उद्योग के सन्दर्भ में दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता तथा निर्यातक है। भारत में वस्त्र एवं क्लोदिंग का हिस्सा 12 प्रतिशत है जो कि पर्याप्त है। वस्त्र एवं अपैरल के वैश्विक व्यापार में भारत का 5 प्रतिशत हिस्सा है। इस उद्योग की विशिष्टता हाथ से बुनायी क्षेत्र तथा पूंजी सापेक्ष मिल क्षेत्र दोनों ही क्षमता में निहित है। भारतीय मिल क्षेत्र विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। हथकरघा, हस्तशिल्प तथा लघु स्तरीय शक्तिकरघा इकाईयों जैसे पारम्परिक क्षेत्र ग्रामीण एवं उप-नगरीय क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है तथा देश में कुल वस्त्र उत्पादन में इसका अंशदान 75 प्रतिशत से अधिक है।

भारतीय वस्त्र उद्योग का संबंध कृषि एवं देश की सांस्कृतिक एवं परम्पराओं से है, जिससे यह देश घरेलू एवं निर्यात बाजारों के लिए उपयुक्त उत्पादों का विविध प्रसार कर पाता है। वस्त्र उद्योग औद्योगिक उत्पादों में मूल्य की दृष्टि से 7 प्रतिशत, भारत के जीडीपी का 2 प्रतिशत तथा देश की निर्यात आय में 12 प्रतिशत का अंशदान करता है। वस्त्र उद्योग देश में रोजगार सृजन का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जिसमें महिलाओं और ग्रामीण लोगों सहित प्रत्यक्ष रूप से 45 मिलियन से अधिक लोग तथा संबंधित क्षेत्र में अन्य 6 करोड़ लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। यह क्षेत्र पूरी तरह भारत में मेक इन इण्डिया, रिकल इण्डिया, महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण युवा रोजगार की मुख्य सरकारी पहलों के अनुरूप है।

भारत के विकास को समावेशी तथा सहयोगी बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का मुख्य जोर वस्त्र क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण अवसंरचना का विकास करना, नवाचार को बढ़ावा देने वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना कौशल तथा परम्परागत शक्तियों को बढ़ाकर वस्त्र विनिर्माण में और अधिक वृद्धि करना रहा है। (वार्षिक रिपोर्ट 2019-20) ¹

शब्द कुंजी – भारतीय वस्त्र उद्योग, वर्तमान में वस्त्र उद्योग की स्थिति।

प्रस्तावना – माना जाता है कि 5000 साल पहले सिन्धु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोग अपने कपड़े स्वयं बनाते थे और इसका प्रयोग करते थे। हमारे देश में हथकरघा न केवल प्राचीन है बल्कि प्रतिदिन के कार्यों से लेकर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में भी इसका प्रयोग बहुत पहले से होता था। इस प्रकार के कपड़े बनाने वाले विशेष कारीगर होते थे, जो विशेष तौर पर प्राकृतिक संसाधनों से धागे बनाने की कला सीख चुके थे। तब से लेकर अब तक हैंडलूम ने एक लम्बा सफर तय किया है। हालांकि एक समय ऐसा आया था, जब लगने लगा था कि भारत की ये प्राचीन कला कहीं विलुप्त न हो जाए परन्तु ये केवल आज भी अस्तित्व में विद्यमान है बल्कि अब ये उद्योग पहले की तुलना में कहीं ज्यादा खूबसूरती के साथ देश-विदेश के लोगों को आकर्षित कर रहा है। अब इसमें तकनीक का प्रयोग होने लगा है। (योजना अप्रैल, 2019) ²

भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न हिस्सा है। यह असंगठित, विकेन्द्रीकृत, श्रम गहन कुटीर उद्योग है जो ग्रामीण अर्द्धशहरी लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। साथ ही भारत की समृद्धि और अनूठी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी करते हैं। कृषि और ग्रामीण समुदाय में बुनाई और हस्तशिल्प पारम्परिक रूप से आय का एक अतिरिक्त स्रोत रहा है। अनुमान है कि लगभग 23 लाख लोग हस्तशिल्प और बुनाई जैसे कार्यों में संलग्न हैं। परन्तु एक सामाजिक-आर्थिक समूह के रूप में वे

विकास के पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर है। इस क्षेत्र का योगदान कितना है यह निर्यात से प्राप्त होने वाली आय से स्पष्ट है। भारतीय हस्तशिल्प अमेरिका, ब्रिटेन संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, फ्रांस, लैटिन अमेरिकी देशों, इटली, नीदरलैण्ड, कनाडा और आस्ट्रेलिया के बाजारों में निर्यात किया जाता है। सांस्कृतिक आधार पर भारतीय शिल्प देश की समृद्धि और प्राचीन परम्पराओं और खूबसूरती का वाहक है। (योजना अक्टूबर, 2016) ³

हथकरघा हमारी एक ऐसी धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होती रही है। इससे न केवल देश की समृद्धि तथा विविधता के दर्शन होते हैं बल्कि यह बुनकरों की कलाकारी का अद्वितीय उदाहरण है। यह कृषि के पश्चात् सबसे बड़ा रोजगार सृजक क्षेत्र है। कुल वस्त्र उत्पादन में हथकरघा क्षेत्र का योगदान लगभग 15 प्रतिशत है। इसलिये 21वीं सदी से इसकी उपयोगिता स्वयंसिद्ध है। उदारीकरण के मौजूदा दौर में, जबकि भारत को विश्व बाजार के साथ जुड़ने का अवसर मिला है और विदेशों से मुक्त व्यापार समझौते हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर विभिन्न देशों के बीच एक सेतु का कार्य कर सकती है और देश की आर्थिक सम्पन्नता में सहायता प्रदान कर सकती है। (योजना मई, 2011) ⁴

1. 16वीं शताब्दी में वस्त्र उद्योग की स्थिति – 16वीं शताब्दी के दौरान धीरे-धीरे यूरोपीय कम्पनियों ने उपमहाद्वीप को अपना ठिकाना बना लिया और लाभदायक वाणिज्यिक संपर्क का हिस्सा बन गये। भारत इसी समय विश्व इतिहास का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक बन गया एवं 18वीं

* शोध छात्रा, फीरोज़ गांधी पी0जी0 कालेज, रायबरेली, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) भारत

** एसोशिएट प्रोफेसर, फीरोज़ गांधी पी0जी0 कालेज, रायबरेली, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) भारत

तथा 19वीं शताब्दी में इसका वस्त्र व्यापार चरम पर पहुंच गया। मुगल काल में देश में विशेष रूप से कीमती धातुओं, कच्चे रेशम, घोड़ों, हाथी दांत एवं कीमती रत्नों, मखमल और ज़री का आयात होता था। निर्यात में वस्त्रों, मसालों तथा अन्य वस्तुओं की अधिक हिस्सेदारी थी। उस समय भूमि मार्ग के द्वारा यातायात कम होता था और असुरक्षित था, इसीलिए समुद्र और नदी के मार्ग वाणिज्यिक दृष्टि से अधिक लाभदायक हुआ करते थे। दक्षिण एशिया के साथ हिन्द महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में कई शताब्दियों तक भारतीय वस्त्रों का ही वर्चस्व रहा। विदेशी बाजारों ने भारतीय कपड़ा क्रय किया, जो सस्ता ही नहीं, सुन्दर भी था। बचे हुए माल के नमूनों से पता चलता है कि भारत में डिज़ाइनरों ने इन बाजारों की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप डिज़ाइन बनाये और नई बुनाई तथा डिज़ाइनरों के साथ प्रयोग किये। भारतीय बुनकर कई प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करने तथा मांग में परिवर्तन के अनुसार उन्हें त्वरित परिवर्तित करने में निपुण थे। भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता का अंदाजा उन शब्दों की संख्या से लगाया जा सकता है, जो अंग्रेजी भाषा का भी हिस्सा बन गये जैसे – कैलिको अर्थात् फूलदार कपड़ा, पाजामा, मुस्लिम अर्थात् मलमल, गिंगम अर्थात् धारीदार कपड़ा, शाल, डंगरी अर्थात् मोटा सूती कपड़ा, छीटदार कपड़ा और खाकी।

भारतीय वस्त्र व्यापार ऐतिहासिक निष्क्रियता का शिकार हुआ है। औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत भारत में मशीनों से बना हुआ सस्ता कपड़ा भारी मात्रा में आयात किया गया, जिसने देशी कताई में कमी ला दी और बुनकरों को उजाड़ दिया। हाल के समय में वैश्वीकरण और परिवर्तन की चाल ऐसे युग में ले आई, जिसमें विभिन्न विनिर्माण केन्द्रों तथा एकीकृत वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से चुनौती मिलने लगी। किन्तु भारत के विभिन्न हथकरघे कीमती सामग्री बनाते रहे तथा एक विशेष बाज़ार उन्हीं के कब्जे में रहा है। (योजना अक्टूबर, 2016) ⁵

2. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में वस्त्र उद्योग की स्थिति – स्वतंत्रता के पहले भारत में किसी भी प्रकार के कपड़ों का बाज़ार, की ताकतों के अनुसार चलता था और उसमें तत्कालीन शासक के कुछ नियम भी लागू होते थे। सरकार द्वारा 1947 के बाद उपलब्ध कराई गई कल्याण, विकास एवं सहायता की व्यवस्था, महात्मा गांधी तथा राष्ट्रवादी आन्दोलन के प्रयासों से आरम्भ हुयी, जिसके बाद कमलादेवी चट्टोपाध्याय तथा उनके उपरान्त पुपुल जयकर जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों ने उसके ढांचागत पुनरुत्थान के प्रयास किये। किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् औद्योगीकरण मिल में बने कपड़े सिंथेटिक कपड़े और पावरलूम लाया, जो इससे सम्बन्धित कार्य करने वाले जो कामकाजी तबके के लिए सस्ते और अधिक सुविधाजनक थे, जिससे बुनकरों की संख्या और भी कम हो गयी।

आरम्भिक दिनों में पुनरुत्थान पर और बाद के दशकों में बाज़ार, निर्यात अथवा सब्सिडी जोर इस बात का सर्वेक्षण कराए बिना दिया गया कि क्या मौजूद है, क्या बढ़ रहा है, क्या समाप्त हो रहा है और किसे बचाए जाने की आवश्यकता है ? वर्तमान स्थितियों की जानकारी विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध थी, लेकिन उसे कइदा करने, विश्लेषण करने तथा आकलन करने का काम वास्तविक पेशेवर तरीके से नहीं किया गया। जब रकम लक्ष्य के बगैर अथवा पारदर्शिता और निपगरानी के बिना खर्च की जाती है तो अक्सर असली लाभार्थी वंचित रह जाता है, इस तरह वंचित बुनकरों की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। अंत में वे अपने ग्रामीण परिवेश में बुनकरी का काम छोड़ देते हैं और शहरों में रिक्शा खींचने या मूंगफली बेचने का काम करने लगते हैं।

1980 के दशक के मध्य में पावरलूम की जबरदस्त वृद्धि के बीच ग्राहकों को यह नहीं बताया कि हथकरघा और पावरलूम में अंतर का पता कैसे लगाया जाए अथवा अतिक्रमण पर काबू कैसे किया जाए। इससे हथकरघे समाप्त हो गए। निजी क्षेत्र के चमचमाते विज्ञापनों के आगे सरकारी एजेंसियों द्वारा हथकरघों का प्रोत्साहन फीका पड़ता गया। दुर्भाग्य से आरम्भिक प्रतिबद्धता और उत्साह समाप्त होता गया तथा यह काम सामाजिक एवं वाणिज्यिक काम करने वाले छोटे संगठनों, राज्य विपणन निकायों तथा सरकारी ढांचे के बीच बंटकर रह गया।

यह तो स्वीकार करना ही होगा कि हथकरघों तथा खादी की संख्या चाहे कितनी भी कम हुयी हो, परन्तु पिछले कुछ दशकों में दरबारी संरक्षण तथा दुनियां भर में मुक्त बाज़ार के अवसरों के अभाव के बावजूद सरकार के विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों ने ही उन्हें जीवित रखा।

अनुभवी रचनात्मक व्यक्तियों तथा शिल्प एवं वस्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के बीच प्रभावी साझेदारियों को इस क्षेत्र में पुनरुत्थान तथा नवाचार के लिए सबसे अच्छी पहल माना जा सकता है। (योजना अक्टूबर, 2016) ⁶

3. वस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति – हथकरघा बुनाई लगभग 35.23 लाख से अधिक बुनकरों तथा सम्बद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने वाला कृषि के बाद सबसे बड़े आर्थिक क्रियाकलापों में से एक है। यह क्षेत्र देश के वस्त्र उत्पादन में लगभग 15 प्रतिशत का योगदान देता है तथा देश की निर्यात आय में भी योगदान देता है। विश्व का 95 प्रतिशत हाथ से बुना हुआ फैब्रिक भारत से आता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान विकास आयुक्त कार्यालय ने दिनांक 7 अगस्त, 2019 को 5वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया।

हथकरघा के क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अद्वितीय स्थान है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौशलों के हस्तांतरण द्वारा कायम रहा है। इस क्षेत्र की ताकत इसकी अद्वितीयता, उत्पादन में लचीलेपन, नवाचारों में खुलापन, आपूर्तिकर्ता की आवश्यकता के अनुसार अनुकूल क्षमता और इसकी परम्परा की दौलत में निहित है। आधुनिक तकनीकों के अंगीकरण और आर्थिक उदारीकरण ने हथकरघा क्षेत्र में गहरी पैठ बना ली है। शक्तिकरघा और मिल क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा, सस्ते आयातित फैब्रिक की उपलब्धता, उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताएं और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों ने हथकरघा क्षेत्र की जीवंतता को चुनौती दी है।

भारत सरकार अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन और प्रोत्साहन की नीति का अनुसरण कर रही है। विभिन्न नीति सम्बन्धी पहलों और योजना सम्बन्धी हस्तक्षेपों जैसे वलस्टर एप्रोच, आक्रामक विपणन प्रयास तथा समाज कल्याण उपायों के कारण हथकरघा क्षेत्र ने सकारात्मक वृद्धि दर्शायी है और बुनकरों की आय में वृद्धि हुयी है। 11वीं पंचवर्षीय के आरम्भ में हथकरघा फैब्रिक उत्पादन अधिक प्रभावी रहा है और इसकी विकासदर 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत रही। इसके पश्चात् आर्थिक मंदी ने भारत के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया और हथकरघा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। वर्ष 2008-09 में उत्पादन में मामूली गिरावट रही। वर्तमान में इसमें सकारात्मक संकेत है और उत्पादन में वृद्धि देखी गयी है।

हथकरघा पीढ़ीगत विरासत का एक अनमोल हिस्सा है और यह देश की समृद्धि एवं विविधता तथा बुनकरों की कलात्मकता को दर्शाता है। हाथ से बुनाई की परम्परा देश के सांस्कृतिक लोकाचार का एक हिस्सा है। आर्थिक

गतिविधि के रूप में हथकरघा कृषि के बाद सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। यह क्षेत्र लगभग 23.77 लाख हथकरघा से जुड़े 43.31 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिसमें से 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति से हैं, 18 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति से हैं, 45 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग से हैं तथा 27 प्रतिशत अन्य जातियों से हैं। 2013-14 में हथकरघा क्षेत्र में वस्त्र उत्पादन 7104 मिलियन वर्ग मीटर था। 2014-15 के दौरान, हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन 7203 मिलियन वर्गमीटर दर्ज किया गया। 2015-16 के दौरान, हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन 7638 मिलियन वर्ग मीटर है। इसका विस्तृत विवरण तालिका संख्या 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या : 3.1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

कुल वस्त्र उत्पादन में होजरी, खादी, ऊन और रेशमी वस्त्रों को छोड़कर हथकरघा, शक्तिकरघा और मिल क्षेत्र का कुल वस्त्र उत्पादन सम्मिलित है। (वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20) ⁷

4. शक्तिकरघा क्षेत्र - विकेन्द्रीकृत शक्तिकरघा क्षेत्र, वस्त्र उत्पादन तथा रोजगार सृजन के सन्दर्भ में वस्त्र उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। वर्ष 2013 के दौरान किए गये मेसर्स नीलसन बेसलाइन पावरलूम सर्वेक्षण के अनुसार यह 44.18 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है तथा देश में कुल वस्त्र उत्पादन के 60 प्रतिशत का योगदान देता है। निर्यात के लिए 60 प्रतिशत से अधिक फैब्रिक शक्तिकरघा क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। सिले-सिलाये कपड़े तथा होम टैक्सटाल क्षेत्र अपनी फैब्रिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शक्तिकरघा क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।

देश में लगभग 25 लाख शक्तिकरघा हैं। इस क्षेत्र का प्रौद्योगिकी स्तर साधारण करघा से लेकर उच्च तकनीक वाले शटल रहित करघे तक भिन्न-भिन्न है। यह अनुमान लगाया गया कि 75 प्रतिशत से अधिक करघे 15 वर्ष से अधिक की अवधि के अप्रचलित और पुराने हैं और इनमें कोई प्रोसेस या गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण नहीं है। इसके बावजूद भी पिछले 8-9 वर्षों के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र के प्रौद्योगिकी स्तर में पर्याप्त उन्नयन हुआ है।

5. शक्तिकरघा क्षेत्र में वृद्धि - स्थापित वस्त्र आयुक्त के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजीकृत किये गये शक्तिकरघा की संख्या में वर्षवार वृद्धि सम्बन्धी विवरण तालिका संख्या 5.1 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या : 5.1 : पंजीकृत शक्तिकरघों की संख्या का विवरण

क्र.	वर्ष	करघों की संख्या	वृद्धि की प्रतिशतता
1.	2012-13	26,47,249	2.12%
2.	2013-14	23,67,594	0.86%
3.	2014-15	24,47,837	3.39%
4.	2015-16	25,22,477	3.05%
5.	2016-17	26,29,269	4.23%
6.	2017-18	26,66,229	1.40%
7.	2018-19 अप्रैल-सितम्बर	27,77,575	-

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट 2018-19, पृष्ठ संख्या 173, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका संख्या 5.1 से स्पष्ट है कि करघों की संख्या में वर्षवार कमी होती गयी है।

6. कपड़ा उत्पादन (मिलियन वर्गमीटर में) - पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल कपड़ा उत्पादन की तुलना में विद्युतकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादन

का विवरण तालिका संख्या 6.1 में दिया गया है।

तालिका संख्या : 6.1 : कपड़े का कुल उत्पादन (मिलियन वर्गमीटर में) तथा उसमें शक्तिकरघा द्वारा वस्त्र उत्पादन का हिस्सा

क्र.	वर्ष	कुल उत्पादन	शक्तिकरघा उत्पादन	कुल कपड़ा उत्पादन की तुलना में शक्ति करघा का प्रतिशत
1.	2012-13	62,792	38,038	60.57%
2.	2013-14	63,500	36,790	57.93%
3.	2014-15	65,276	37,749	57.83%
4.	2015-16	65,505	36,984	56.78%
5.	2016-17	64,451	35,675	55.37%
6.	2017-18	67,779	38,945	57.46%
7.	2018-19 अप्रैल-सितम्बर	64,813	36,575	56.43%

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट 2018-19, पृष्ठ संख्या 174, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका संख्या 6.1 से स्पष्ट है कि कुल वस्त्र उत्पादन की तुलना में शक्तिकरघा का प्रतिशत वर्षवार कमी पायी गयी। (वार्षिक रिपोर्ट, 2018-19) ⁸

7. तकनीकी वस्त्र - तकनीकी वस्त्र, वस्त्र सामग्री और उत्पाद है जो उनके तकनीकी कार्य निष्पादन और कार्यात्मक गुणों के लिए प्रयुक्त होते हैं। वर्तमान में तकनीकी वस्त्रों का बाजार बढ़ रहा है क्योंकि तकनीकी उत्पाद सुरक्षात्मक कपड़े, कृषि, व्लोडिंग, निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, पैकेजिंग, खेलकूद, पर्यावरण संरक्षा और अन्य कार्यों जैसे विभिन्न उद्योगों में अंतिम उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। तकनीकी वस्त्रों की सफलता मुख्य रूप से इसकी बड़ी रेंज के प्रयोग के विस्तार के साथ फाइबर, यार्न और वूवन/निटेड/नान वूवन फैब्रिकों की सृजनशीलता, नवीनता तथा बहुआयामी के कारण है। तकनीकी वस्त्रों की क्षमता नए कार्यात्मक उत्पादों का सृजन एक दूसरे और अन्य उत्पादों के साथ मिश्रण के लिए वृद्धि के असीमित अवसर की उपलब्ध करती है।

भारत में तकनीकी वस्त्रों की भारी सम्भावना है और निःसन्देह यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है। भारत में विश्व तकनीकी वस्त्र उत्पादन 3 प्रतिशत है जो तकनीकी वस्त्र का लगभग 90000 मिलियन टन बनता है। चीन तथा यूरोप तकनीकी वस्त्र के अग्रणी विनिर्माता हैं जो तकनीकी वस्त्र का 75 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन करते हैं। यूरोप और चीन तकनीकी वस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप तकनीकी वस्त्रों के सबसे बड़े आयातक देश हैं। भारत वैश्विक तकनीकी वस्त्र का 4 प्रतिशत निर्यात करता है और 3 प्रतिशत आयात करता है। भारत में वर्ष 2017-18 में तकनीकी वस्त्र उद्योग 1,16,215 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। भारत का घरेलू तकनीकी वस्त्र बाजार 20 प्रतिशत के सीएजीआर के साथ वर्ष 2020-21 तक 2,00,823 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

उपसंहार - भारत में वस्त्रों की रूपरेखा का वर्णन सिन्धु सभ्यता से अस्तित्व में विद्यमान रहा है। समय के साथ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में वस्त्र उद्योग का योगदान सदैव बना रहा तथा भविष्य में भी अस्तित्व में रहेगा। आगे चलकर बड़े पैमाने पर हथकरघा उद्योग स्थापित हुये जिससे आज भी

मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके पश्चात् तकनीकी में परिवर्तन के उपरान्त भारत में शक्तिकरघा का विकास हुआ जिसने वस्त्र उत्पादन पर एकाधिकार की भूमिका स्थापित करते हुए आज तुलनात्मक रूप से 60 प्रतिशत से अधिक कपड़े की पूर्ति करता है। इन सभी तथ्यों के उपरान्त अब तकनीकी वस्त्रों की धारणा विकसित होने लगी अर्थात् सामान्य कपड़ों के साथ तकनीकी वस्त्रों का उत्पादन भी महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रकार वस्त्र उद्योग प्रत्येक स्थिति में भविष्य में भारत के समावेशी विकास, सम्पोषणीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। (वार्षिक रिपोर्ट, 2018-19) ⁹

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वार्षिक रिपोर्ट 2019-20, पृष्ठ संख्या 1, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।
2. योजना अप्रैल, 2019, पृष्ठ संख्या 19-20, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
3. योजना अक्टूबर, 2016, पृष्ठ संख्या 9, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
4. योजना मई, 2011, पृष्ठ संख्या 31, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
5. योजना अक्टूबर, 2016, पृष्ठ संख्या 21, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
6. योजना अक्टूबर, 2016, पृष्ठ संख्या 30-31, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
7. वार्षिक रिपोर्ट 2019-20, पृष्ठ संख्या 4 और वार्षिक रिपोर्ट 2018-19, पृष्ठ संख्या 184-185, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।
8. वार्षिक रिपोर्ट 2018-19, पृष्ठ संख्या 173-174, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।
9. वार्षिक रिपोर्ट 2018-19, पृष्ठ संख्या 159, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।

तालिका संख्या : 3.1 : हथकरघा क्षेत्र द्वारा वस्त्र उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में)

क्र.	वर्ष	कुल वस्त्र उत्पादन	हथकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादन वस्त्र	कुल वस्त्र उत्पादन में हथकरघा का हिस्सा	हथकरघा से विद्युतकरघा तक का अनुपात
1.	2008-09	42121	6677	15.9	1:5.04
2.	2009-10	45819	6806	14.9	1:5.41
3.	2010-11	47083	6907	14.6	1:5.59
4.	2011-12	46600	6901	14.8	1:5.42
5.	2012-13	61949	6952	11.22	1:5.47
6.	2013-14	46425	7104	15.30	1:5.18
7.	2014-15	47438	7638	15.31	1:5.21

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट 2018-19, पृष्ठ संख्या 185, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

कोरोना काल में साहित्य की उपादेयता

डॉ. गायत्री वाजपेयी*

प्रस्तावना – काल अर्थात् समय अपने अविकल, अविराम व अबाध रूप में गतिमान है। गतिशीलता के इस क्रम में जो गत है वह भूत और जो गति में है वह वर्तमान तथा जो अदृश्य है व गोप्य है वह भविष्य के नाम से संबोध्य है। मनुष्य संसार का सर्वाधिक चिंतनशील, मननशील एवं विवेकशील प्राणी है वह विगत का विश्लेषण कर उससे सीख लेता हुआ वर्तमान को सजाता-संवारता हुआ भविष्य के सुखद सपने संजोता है। यद्यपि यह यथार्थ सत्य है कि 'मनुज बली नहीं होत है समय होत बलवान'। यह बलवान समय कभी मनुष्य के अनुकूल होता है तो कभी प्रतिकूल होता है। इस अनुकूलता और प्रतिकूलता के मध्य सांमजस्य स्थापित करते हुए मनुष्य मनीषा जीवन से नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता लाने का प्रयत्न करती है। क्योंकि 'अथर्ववेद' में यह संदेश सन्निहित है -

यथा धौच्य पृथिवी च न विभीतो न रिश्यतः

एवा मे प्राण मा विभेः¹

अर्थात् जिस प्रकार आकाश एवं पृथ्वी न भयग्रस्त होते हैं और न इनका नाश होता है उसी प्रकार हे मेरे प्राण! तुम भी भयमुक्त हो।

वर्तमान समय में जब सम्पूर्ण मानव जाति कोरोना महामारी के कारण संकट ग्रस्त हो गई है। मनुष्य के सामने अनेक चुनौतियाँ उपस्थित हो गई हैं। जिनके समाधान खोजने में मानव चिंतन मनीषा संलग्न है। ऐसा भी नहीं है कि इससे पूर्व ऐसा संकट कभी न आया हो। मानव इतिहास में ऐसी अनेक महामारियों ने समय-समय पर अपना तांडव दिखाया है। सन् 1918 की ही बात करें तो स्पेनिश फ्लू से सम्पूर्ण विश्व में 5 करोड़ लोग काल कवलित हुए थे। भारत में यह आंकड़ों 1 करोड़ 20 लाख था। मनुष्य जाति की विनाशक इन महामारियों का वर्णन साहित्य में भी प्रचुर रूप में मिलता है चूँकि साहित्य समाज का दर्पण है। समाज का सच्चा प्रतिबिम्ब साहित्य में परिलक्षित होता है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास, महाप्राण निराला, उपन्यास सम्राट् मुंशी प्रेमचन्द, आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु आदि ने अपने साहित्य में महामारियों के भयावह चित्र उपस्थित किए हैं। कवि कुलभूषण तुलसीदास जी ने अपनी कृति 'कवितावली' के पद क्रमांक 169 से लेकर 176 तक काशी में आई महामारी का कारुणिक चित्रण किया है। साथ ही इस आसन्न विपत्ति से काशी नगरवासियों की मुक्ति हेतु बाबा विश्वनाथ व माँ भगवती से प्रार्थना भी की है। 'कवितावली' के उत्तरकाण्ड के पद क्रमांक 174 में वे चराचर जगत का पालन करने वाली जगन्माता माँ भगवती से आर्त निवेदन करते हुए लिखते हैं-

निपट बसेरे अघ औगुन घनेरे नर-

नारिऊ अनेरे जगदंब! चेरी चेरे हैं।

दारिद-दुखारी देवि भूसुर भिखारी-भीरु

लोभ मोह काम कोह कलिमल घेरे हैं।

लोकरीति राखी राम, साखी वामदेव जानि

जननी बिनति मानि मातु। कहि मेरे हैं।

महामारी महेसानि! महिमा की खानि, मोद

मंगल की रासि , दास कासी बासी तेरे हैं।²

यह सर्वमान्य सत्य है कि सुख-दुख, अनुकूलता-प्रतिकूलता का आना जाना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। मनुष्य जीवन में इनका आगमन काल एवं कर्मगति के अनुसार होता है। इस तथ्य की ओर इंगित करते हुए राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त 'पंचवटी' में लिखते हैं-

कहा राम ने कि यह सत्य है सुख दुख सब हैं समयाधीन,

सुख में कभी न गर्वित होवें और न दुख में होवें दीन।

जब तक संकट, आप न आवे तब तक उनसे डर मारें

जब वे आजावें तब उनसे डटकर शूर समर ठारें।³

मनुष्य की शिक्षा दीक्षा एवं संस्कार ही विपत्तिकाल में उसके पथ प्रदर्थक बनते हैं, क्योंकि उसके धैर्य एवं बुद्धि चातुर्य की वास्तविक परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। अनुकूलता में तो सभी जी लेते हैं लेकिन जो प्रतिकूलता में अनुकूलता तलाषने का प्रयत्न करे वही सच्चा व सफल मनुष्य है। 'श्रीमद्भगवद्गीता' में भगवान श्रीकृष्ण गुणातीत पुरुष के लक्षणों का उल्लेख करते हुए कहते हैं -

सम दुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टाष्मकाद्यनः।

तुल्य प्रियाप्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मसंस्तुतिः।⁴

अर्थात् जो निरन्तर आत्मभाव में स्थित दुःख-सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाववाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक-सा मानने वाला और अपनी निन्दा स्तुति में भी समान भाव वाला है।

ऐसे आत्मजयी विवेकवान मनुष्य प्रत्येक स्थिति को समभाव से देखते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं। वे इस सत्य को जानते हैं और मानते भी हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में ही मनुष्य के धैर्य की वास्तविक परीक्षा होती है जिसका उद्घोष जयशंकर प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में किया है -

वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या

जिस पथ पर बिखरे शूल न हो

नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि

धाराएँ प्रतिकूल न हों।

आज कोरोना महामारी के विश्व व्यापी संकट ने मनुष्य की मानसिक स्थिति को प्रभावित किया है। एक अज्ञात भय से वह ग्रस्त हो रहा है। निराशा, हताशा एवं अवसाद का उदय भी उसके आत्मबल को तोड़ रहा है।

ऐसी संकट की घड़ी में सहितस्य मनुष्य का मार्गदर्शक बन सकता है क्योंकि साहित्य का मूल उद्देश्य ही 'साहित्य भाव साहित्यम' अर्थात् जो सबका हित करे वह साहित्य है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने तो साहित्य को असमय का सखा ही निरूपित किया है। 'दोहावली' में वे लिखते हैं -

तुलसी असमय के सखा, धीरज, धरम, विवेक।
साहित, साहस, सत्यव्रत, राम भरोसे एक ॥⁵

साहित्यशास्त्रियों ने साहित्य का एक प्रयोजन कान्ता सम्मित उपदेश माना है। साहित्यकार अत्यन्त लालित्य के साथ काव्य में ऐसे सुन्दर लोकोपकारी सूत्र पिरोता है जिसके पठन एवं श्रवण से पाठक की अन्तःचेतना अभिभूत हो उठती है। उसके चित्त में उठने वाली नाकारात्मक तरंगों निस्तेज हो जाती हैं तथा अन्तःकरण में सकारात्मक ऊर्जा का वेगमय प्रवाह, उसमें उत्साह व उमंग का संचार करता है। इस सन्दर्भ में 'श्रीरामचरित मानस' के लंकाकाण्ड का वह प्रसंग उल्लेखनीय है जहाँ श्री राम-रावण के मध्य युद्ध हो रहा है। रावण रणांगन में अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित रथारूढ़ होकर आया है इसके विपरीत श्रीराम विरथी हैं। इस विषम स्थिति को देखकर श्रीराम भक्त विभीषण का हृदय विकल हो उठता है उनके मन में अनेक शंकाएँ उठने लगती हैं। वे अत्यन्त अधीर होकर श्री राम से प्रश्न करते हुए कहते हैं -

नाथ न रथ नहि तन पद त्राना। केहि विधि जितब वीर बलवाना ॥⁶

विभीषण के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीराम अपने दिव्य अलौकिक शक्तियों से युक्त रथ का उल्लेख करते हुए कहते हैं -

सुनहु सखा कह कृपानिधाना। जेहि जय होई सो स्यंदन आना ॥⁷

अर्थात् हे मित्र! जिस रथ पर आरूढ़ होकर विजय श्री वरण की जाती है वह रथ रावण के रथ से भिन्न है। श्रीराम विभीषण के सम्मुख अपने धर्ममय रथ एवं दिव्य आत्मिक अस्त्र-शस्त्रों का बखान करते हुए कहते हैं -

सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥

बल विवेक दम परहित घोरे। क्षमा कृपा समता रजु जोरे ॥

ईस भजनु सारथी सुजाना। विरति चर्म संतोष कृपाना ॥

दान परसु बुधि शक्ति प्रचंडा। बर बिग्यान कठिन कोदंडा ॥

अचल अमल मन त्रोन समाना। सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥

कवच अभेद बिप्र गुर पूजा। एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥

सखा धर्ममय अस रथ जाके। जीतन कहँ न कतहुँ रिपु ताके ॥⁸

अर्थात् मेरे विजय प्रदान करने वाले अलौकिक दिव्य रथ में शौर्य एवं धैर्य रूपी दो पहिए हैं तथा सत्य की पताका उस पर पहरा रही है। बल, विवेक, दम तथा परहित रूपी चार घोड़े जुते हुए हैं तथा इन घोड़ों को दया, क्षमा और समता रूपी लगाम से कसा गया है। रथ को सुगति पर ले जाने का श्रेय सारथी को है क्योंकि घोड़ों की लगाम सारथी के हाथों में होती है। श्रीराम जी के पास जो शक्तियाँ हैं उसमें वैराग्य रूपी चर्म, संतोष रूपी कृपाण एवं दान रूपी फरसा है। तथा बुद्धि रूपी प्रचण्ड शक्ति भी उनके पास है। विज्ञान रूपी कोदण्ड उनके हाथ में है जिसमें यम, नियम रूपी बाण रखे हुए हैं। योद्धा के पास कवच होना आवश्यक है तो श्रीराम के पास विप्र एवं गुरु भक्ति रूपी अभेद कवच है।

इस प्रकार एक योद्धा को विजय प्राप्त करने के लिए जिन शक्तियों की आवश्यकता होती है वे समस्त शक्तियाँ श्रीराम के पास हैं। वास्तव में श्रीराम का रथ रावण की भाँति स्थूल नहीं है अपितु देवीय शक्तियों से मण्डित सूक्ष्म धर्ममय रथ है जिस पर आरूढ़ होकर ही आसुरी शक्तियों अथवा किसी भी आसन्न विपत्ति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। वस्तुतः 'श्रीरामचरित मानस' में तुलसीदास जी द्वारा प्रस्तुत श्रीराम के इस धर्ममय रथ का यथार्थ रूप में

विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होता है कि मनुष्य को यदि इस संसार में आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करना है तो उसे भी दिव्य आत्मिक शक्तियों से मण्डित धर्ममय रथ पर आरूढ़ होना पड़ेगा। तभी अपराजेय शक्तियों से मण्डित इस मानवदेह की सार्थकता सिद्ध होगी। 'अहम ब्रह्मास्मि' की अवधारणा में विश्वास करने वाले निराला अपनी 'जागो फिर एक बार' कविता में मनुष्य को उसकी इन्हीं असीमित शक्तियों का स्मरण दिलाते हुए कहते हैं -

महामंत्र ऋषियों का
अणुओं-परमाणुओं में फूँका हुआ
तुम हो महान, तुम सदा हो महान,
है नश्वर यह दीन भाव,
कायरता कामपरता,
ब्रह्म हो तुम,
पद-रज-भर भी नहीं है,
पूरा यह विश्वभार
जागो फिर एक बारा⁹

निःसन्देह आज कोरोना काल में भी मनुष्य को अपनी आत्मिक शक्तियों को पहचानने और उन्हें जाग्रत करने की आवश्यकता है। तथा अपने कृत्यों व आचार व्यवहार से यह भी प्रमाणित करने की जरूरत है कि उसमें दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से लड़ने की जो शक्ति है वह ईश्वर प्रदत्त है। उसकी यह देह सृष्टि अष्ट चक्र और नव द्वारों से युक्त देवों की कभी न पराजित होने वाली पुरी है जैसा कि 'अथर्ववेद' की इन पंक्तियों में वर्णित है -

अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां पूर्योद्या।

तस्या हिरणः कोषः स्वर्गो ज्योतिषाव्रतः ॥¹⁰

अर्थात् यह मानव देह आठ चक्र और नौ द्वारों से युक्त देवों की कभी पराजित न होने वाली पुरी है। इसी पुरी में ज्योति से ढका हुआ परिपूर्ण हिरण्यमय, स्वर्णमय कोष है यह स्वर्ग है। आत्मिक आनंद का भण्डार परमात्मा इसी में निहित है।

मनुष्य की यही अपराजेय शक्ति उसे सृष्टि के अन्य प्राणियों से न केवल भिन्न करती है अपितु उसे परमात्मा के सर्वाधिक निकट भी ले जाती है। तथा वह ईश्वर का सर्वाधिक प्रिय भी हो जाता है। जिसका उद्दोष स्वयं प्रभु श्रीराम ने 'श्रीरामचरितमानस' में इन शब्दों में किया है -

मम माया संभव संसारा। जीव चराचर विविध प्रकारा ॥

सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सबते अधिक मनुज मोहि भाए ॥¹¹

मनुष्य चूँकि विवेकवान प्राणी है अतः उसे अपने जीवन में तमोगुण का हनन करके रजोगुण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हुए सतोगुण को जीवन में अपनाना चाहिए। इसका दिव्य उदाहरण श्रीराम के चरित्र से प्राप्त होता है। जब वे विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा हेतु जाते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें तमोगुण रूपी ताड़का मिलती है जिसका वे वध करते हैं तत्पश्चात् आगे उन्हें रजोगुण रूपी अहल्या मिलती है जिसे वे अपनी शरण में लेते हैं आगे सतोगुण रूपी श्री सीता जी से उनकी भेंट होती है जिसे वे सादा सर्वदा के लिए अपना लेते हैं। यही सीता जी अर्थात् सतोगुण उनकी अक्षय कीर्ति का निमित्त बनती हैं। वास्तव में यही संस्कृति है शेष सब विकृति है। विकृति न बढ़े इस हेतु सुमति चाहिए क्योंकि जहाँ सुमति है वहाँ सुख है, समृद्धि है और शांति है। 'श्रीरामचरितमानस' में सुन्दरकाण्ड में विभीषण लंकाधिपति रावण को इसी सुमति के वरण व कुमति के निवारण का परामर्श इन शब्दों में देते हैं -

जहाँ सुमति तहँ सम्पति नाना। जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना।¹²

जब मनुष्य हृदय और बुद्धि का समन्वय करके चलेगा तो मति कुमति नहीं बन पायेगी तथा मनुष्य इच्छा, क्रिया और ज्ञान में सन्तुलन स्थापित कर सकेगा जिससे मानसिक जगत में सुख-शांति की सृष्टि होगी जो बाह्य जगत में भी प्रतिबिम्बित हो उठेगी। यही तो भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है - सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दुःख भाग भवेत्।¹³

अर्थात् सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बनें और कोई भी दुःख का भागी न बने।

कामायनीकार जयशंकर प्रसाद जी भी श्रद्धा और मनु के पारस्परिक संवाद के माध्यम से 'स्व' की संकुचित सीमाओं के त्याग और 'पर' के विस्तार का मंगलमय सर्वकल्याणकारी सन्देश इन शब्दों में सम्प्रेषित करते हैं - अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा।

यह एकांत स्वार्थ भीषण है अपना नाश करेगा।

और को हँसते देखो मनु हँसो और सुख पाओ,

अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ।¹⁴

अस्तु कहा जा सकता है कि 'लोका समस्त सुखिनः भवन्तु' का कल्याणकारी सन्देश भारतीय संत मनीषा सदा से ही देती रही है। हमारा भक्तिकालीन समस्त साहित्य परोपकार की भावना से आप्लावित है। वहाँ परजन हिताय 'परजन सुखाय' की भावना पर विशेष बल दिया गया है। तथा यह स्पष्ट उद्घोष किया गया है कि जो मनुष्य परहित का मार्ग छोड़कर परपीड़ा में रत होता है वह महापाप का भागीदार बन भीषण कष्ट पाता है। संत कवि कबीरदास जी ने तो दया को धर्म और सन्तोष को सर्वोत्तम धन निरूपित करते हुए अपरिग्रह की संस्कृति का प्रबल समर्थन किया है। वे मिल बाँट कर खाने की प्रवृत्ति में अपनी आस्था प्रकट करते हुए कहते हैं -

साई इतना दीजिये, जामे कुटुंब समाए।

मैं भी भूखा न रहूँ, साधू न भूखा जाए।¹⁵

वर्तमान समय में जब उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे आचार विचार को सर्वाधिक प्रभावित किया है। हमारे तमाम मानवीय सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य लुप्त हो गए हैं तथा आज की आपाधापी भरी जिन्दगी में मानवीय संवेदनाएँ मृत प्राय हो गई हैं। दया करुणा, प्रेम, उदारता, परदुःखकातरता, परोपकार एवं त्याग जैसी दैवीय सम्पदा विलुप्ति के कगार पर है। ऐसे में मानवीय संबंधों को प्रश्रय देते हुए सामाजिक समरसता, एकात्मकता व सौहार्द की महती आवश्यकता है और इस आवश्यकता की प्रतिपूर्ति साहित्य के माध्यम से ही संभव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अथर्ववेद 1
2. गोस्वामी तुलसीदास- कवितावली, पद क्रमांक 174, पृ. 177
3. मैथिलीशरण गुप्त - पंचवटी पद क्रमांक 121, पृ. 65
4. वेदव्यास- श्रीमद्भगवद्गीता 14/24
5. गोस्वामी तुलसीदास - दोहावली दोहा क्रमांक 447, पृ. 153
6. गोस्वामी तुलसीदास - श्रीरामचरित मानस, लंकाकाण्ड 3/80
7. गोस्वामी तुलसीदास - श्रीरामचरित मानस, लंकाकाण्ड 4/80
8. गोस्वामी तुलसीदास - श्रीरामचरित मानस, लंकाकाण्ड 5-11/80
9. रामविलास शर्मा (संपादक) - निराला, राग विराग 'जागोफिर एक बार-2', पृ. 59
10. अथर्ववेद 10/2/31
11. गोस्वामी तुलसीदास - श्रीरामचरित मानस, उत्तरकाण्ड 3,4/86
12. गोस्वामी तुलसीदास - श्रीरामचरित मानस, लंकाकाण्ड 5/40
13. गरुण पुराण
14. जयशंकर प्रसाद - कामायनी कर्म सर्ग पृ. 55
15. कबीर बानी

भारत में अपर्याप्त सेवा व दोषपूर्ण सामग्री पर उपभोक्ता अधिकार: एक अध्ययन (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के विशेष संदर्भ में)

डॉ. अजय कुमार गुप्ता *

शोध सारांश – स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्थाओं में क्रेता तथा विक्रेताओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है, विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, प्रत्येक विक्रेता बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन कुछ सेवा प्रदाता एवं निर्माता अपर्याप्त सेवा एवं दोषपूर्ण सामग्री असुरक्षित उत्पाद मिलावट, जमाखोरी, कालाबाजारी चलाकी, व्यापार के अनुचित तरीके झूठा एवं गुमराह करने वाला विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को क्षति पहुंचा रहे हैं, मिलावटी खाने की सामग्री से स्वस्थ खराब हो सकता है, गुमराह करने वाले विज्ञापन अथवा नकली उत्पादकों के द्वारा धोखाधड़ी हो सकती है जमाखोरी कालाबाजारी से उपभोक्ताओं से अधिक की वसूली की जाती है उपभोक्ताओं को निर्माताओं तथा विक्रेताओं के इन कार्यों से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के कारण भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाये गये हैं इन अधिनियम के बन जाने से उपभोक्ताओं को अपने हित संरक्षण के व्यापक कानूनी अधिकार मिल गए हैं उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए केवल कानूनी व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं बल्कि आवश्यकता है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों को जाने तथा अपने हितों की रक्षा एवं प्रवर्तन के लिए जागरूक हो तथा एकजुट होकर कार्य करें अब समय के साथ साथ बदलाव आ रहा है आज उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उपभोक्ताओं को नवीन उपभोक्ता अधिकारों से अवगत कराया जाए तथा उन्हें और अधिक जागरूक बनाया जाए यह शोध सभी की भूमिका को विस्तार देकर, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए किया गया है।

प्रस्तावना – मां के गर्भ में आते ही मनुष्य की आवश्यकताएं प्रारंभ हो जाती हैं और मृत्यु के बाद तक चलती रहती हैं, आवश्यकताएं उपभोग को जन्म देती हैं हवा, पानी, प्रकाश, रोटी, कपड़ा और मकान के बाद भी उन्नत आवश्यकताएं जन्म लेती हैं और हम अनेकानेक वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ता बन जाते हैं जब हम खरीदारी करते हैं, तो यह सही गुणवत्ता, सही माप, सही कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध हो यह हमारा अधिकार है, क्योंकि हम उसका मूल्य चुकाते हैं, विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हम फीस शुल्क चार्ज देते हैं, अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब हम ठगे जाते हैं कई बार वस्तुएं वर्णित गुणों पर खरी नहीं उतरती हैं दोषपूर्ण सामग्री दे दी जाती है या सेवाओं में कमी या त्रुटि रह जाती है जिससे हमें मानसिक कष्ट होता है आर्थिक हानि भी होती है।

वर्तमान व्यवसायिक युग में नैतिकता का पक्ष पीछे छूटता जा रहा है आज उत्पादकों और विपणनकर्ताओं द्वारा अधिक लाभ कमाने की लालसा से वस्तुएं सामग्रियों में हानिकारक पदार्थों का मिश्रण किया जा रहा है साथ ही भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से वस्तुएं और सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में अतिरंजित दावे किए जाते हैं कई बार इनके प्रभाव में आकर उपभोक्ता इन वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग उपभोग करने लगते हैं जिससे उन्हें धन की हानि के साथ ही जीवन भी खतरे में पड़ जाने के मामले बन जाते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को संरक्षण देते हैं तथा क्षति होने पर कानूनी अधिकार देते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. अपर्याप्त सेवा व दोषपूर्ण सामग्री प्राप्त होने पर उपभोक्ता अधिकारों से लोगों को अवगत कराना उनमें जागरूकता लाना।
2. भारत में उपभोक्ता अधिकारों संरक्षण की वर्तमान स्थिति का अध्ययन

करना।

अध्ययन की परिकल्पना – 'भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होने से अपर्याप्त सेवा, दोषपूर्ण सामग्री वस्तुओं व सेवाओं की गुणवत्ता में कमी, तथा उचित मूल्य पर वस्तुओं एवं सेवाएं नहीं मिलने के प्रकरणों में उपभोक्ताओं को व्यापक कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, क्षति या हानि होने पर वाद प्रस्तुत करने पर उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति मिलती है अब निर्माता तथा विक्रेता सावधान होकर उत्पाद का निर्माण व विक्रय करने लगे तथा अनुचित व्यापार व्यवहार पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं में अंकुश लग गया है।'

अध्ययन की अवधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन विगत 5 वर्षों में किया गया है। वर्ष 2015-2016 से 2019-20 तक की अवधि अधिनियमों के तहत उपभोक्ता अधिकारों का अध्ययन उपलब्ध समंको के द्वारा किया गया है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध के लिए द्वितीयक समंकों का उपयोग किया गया है यह अध्ययन पूरी तरह से वर्णनात्मक है। द्वितीयक समंको को विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों, सूचना बुलेटिन, विभाग की वार्षिक रिपोर्टों और प्रतिष्ठित वेबसाइटों से संकलित अवलोकन और अध्ययन किया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण क्यों आवश्यक है:-

1. उन दोषपूर्ण उत्पाद तथा सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार जो जान, तन, धन और संपत्ति को हानि पहुंचा सकते हैं।
2. विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, प्रभाव, शुद्धता प्रमाणीकरण तथा मूल्यों के बारे में जानने का अधिकार जिससे उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहार पद्धतियों भ्रामक विज्ञापनों सूचनाओं से बचाया जा सके।

परिसीमाएँ – प्रस्तुत अध्ययन अपर्याप्त सेवा व दोषपूर्ण समाग्री पर भारत में उपभोक्ता अधिकारों तथा जागरूकता तक सीमित है।

उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण – भारत में कानूनी ढांचे में ऐसे कई कानून है जो उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करते हैं:-

तलिका क्र. 01

स.	अधिनियम
1.	वस्तु विक्रय अधिनियम 1930
2.	कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिहांकन अधिनियम 1937
3.	खाद्य मिलावट अवरोध अधिनियम 1954
4.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
5.	माप तौल मानक अधिनियम 1976
6.	प्रसंविदा अधिनियम 1982
7.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
8.	भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986
9.	ट्रेड मार्क अधिनियम 1999
10.	प्रतियोगिता अधिनियम 2002
11.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019

उपरोक्त सभी अधिनियम उपभोक्ताओं के हित संरक्षण के लिए बनाए गए हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को अपने हितों की रक्षा करने क्षति/हानि होने पर वाद प्रस्तुत करने ,क्षति पूर्ति पाने का कानूनी अधिकार प्रदान करते हैं।

उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संक्षिप्त इतिहास उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ अमेरिका में हुआ 15 मार्च 1962 को अमेरिका में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया ,इसी कारण 15 मार्च 1962 को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन वर्ष 1966 में प्रारंभ हुआ जब जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की स्थापना मुंबई में की गई और उसकी शाखाओं ने कुछ शहरों में कार्य करना प्रारंभ किया। बी.एम.जोशी द्वारा वर्ष 1974 में पुणे में स्वयंसेवी संगठन के रूप में ग्राहक पंचायत की स्थापना की गई ,इस प्रकार उपभोक्ता आंदोलन आगे बढ़ता रहा ,भारत में 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया ,जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ वर्ष 1993 एवं 2002 में संशोधन किए गए ,वर्तमान में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया गया 20 जुलाई 2020 से यह संपूर्ण भारत में लागू हो गया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की प्रमुख विशेषताएँ

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, मध्यस्था ,उत्पाद दायित्व के साथ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना है। यह प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों संस्थाओं की शिकायतों तथा अभियोजन के उल्लंघन की जांच करेगा, इस अधिनियम में विवाद निपटान प्रक्रिया को आसान बनाया है, प्रत्यक्ष बिक्री संबंधी नियम बनाए गए हैं नकली उत्पादों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा का प्रावधान किया गया है तथा भ्रामक विज्ञापनों पर जुमनि का प्रावधान है।

शिकायत कौन कर सकता है

किसी भी उपयुक्त उपभोक्ता फोरम के समक्ष शिकायत निम्न के द्वारा की जा सकती है।

1. कोई भी उपभोक्ता।
2. भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 अथवा समय विशेष पर लागू होने वाले अन्य कानून के तहत पंजीकृत कोई भी स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ।
3. केंद्रीय सरकार या कोई भी राज्य सरकार।
4. समान हित रखने वाले उपभोक्ताओं की ओर से कोई एक अथवा एक से अधिक उपभोक्ता।
5. किसी उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में उसका कानूनी उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि।

शिकायत कब बनती है-

1. यदि उपभोक्ता को व्यापारी अपनाई गई किसी अनुचित प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति हुई है।
2. खरीदा गया सामान/माल दोषपूर्ण है।
3. यदि प्राप्त की गई सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमियाँ हे।
4. यदि दर्शित या देय मूल्य से अधिक मूल्य लिया गया है या किसी कानून के तहत समझौते से अधिक राशि ली गई है।
5. यदि उपभोक्ताओं को अपर्याप्त सेवा या दोषपूर्ण सामग्री से किसी भी प्रकार की क्षति या हानि हुई है।

उपभोक्ताओं को उपलब्ध राहत या उपचार – उपभोक्ता अदालतें यदि शिकायत की यथार्थता से संतुष्ट हैं तो वह की विरोधी पक्ष को एक या अधिक निर्देश दे सकती हैं।

1. वस्तु के दोष या सेवा में कमी को दूर करना।
2. दोषपूर्ण वस्तु के स्थान पर दोषमुक्त नई वस्तु देना।
3. भुगतान की गई राशि वापस करना।
4. उपभोक्ताओं को क्षति पूर्ति के रूप में उचित राशि का भुगतान करना।
5. अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापारिक क्रियाओं को रोकना तथा उनकी पुनरावृत्ति ना हो ना होने देना।
6. खतरनाक वस्तुओं की बिक्री प्रतिबंधित करना।
7. विक्रय के लिए रखी गई हानिकारक वस्तुओं को वापस लेना।
8. खतरनाक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करने तथा हानिकारक सेवाएं प्रदत्त करने से रोकने का आदेश देना।
9. भ्रामक विज्ञापन के प्रभाव को बे-असर करने के लिए सुरक्षात्मक विज्ञापन जारी करना।
10. माननीय न्यायालय द्वारा उपभोक्ता के हित में कोई विशेष आदेश देना

उपभोक्ताओं के अधिकार – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं को बहुत से अधिकार दिए गए हैं प्रमुख रूप से निम्न अधिकार उपभोक्ताओं को मिले हुए हैं

- 1 सुरक्षा का अधिकार
- 2 शिकायत का अधिकार
- 3 सूचना का अधिकार
- 4 क्षति पूर्ति का अधिकार
- 5 चयन का अधिकार
- 6 उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत निवारण एजेंसियां
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं की शिकायत को सुनने उनका निवारण करने के लिए जिला स्तर राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर तीन स्तरीय तंत्र की स्थापना की गई है जिन्हें क्रमश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण

फोरम राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण कमीशन एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण कमीशन कहते हैं ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती हैं www.consumerhelpline.gov.in पर।

तालिका क्र. 02 (अगले पृष्ठ पर देखें)

तालिका 2 देश में उपभोक्ता मंचों के सभी तीन स्तरों पर विवादों का निपटान का औसत प्रतिशत 90.91 दर्शाती है जो कि अत्यंत कारगर है।

तालिका क्र. 03 : उपभोक्ता विवाद निवारण स्थाना काल जून 1997 से की गई अवधि तक राष्ट्रीय आयोग राज्य आयोग तथा जिला मंचों में दायर विवादों में निपटान का प्रतिशत

क्र.	अवधि तक	उपभोक्ता विवादों के निपटान का औसत प्रतिशत
1	31.12.2015	91.20
2	31.12.2016	91.23
3	29.01.2018	91.32
4	31.03.2019	91.03
5	31.10.2019	90.91

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 से 2019-20 उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार

उपरोक्त तालिका क्रमांक 3 से स्पष्ट हो रहा है कि उपभोक्ता विवाद निपटान का औसत प्रतिशत पिछले 5 वर्षों में 90 प्रतिशत से भी अधिक रहा है उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है तथा मेरी परिकल्पना सत्य होती है कि अपर्याप्त सेवा दोषपूर्ण सामग्री वस्तुओं व सेवाओं की गुणवत्ता में कमी तथा उचित मूल्य पर वस्तुएं एवं सेवाएं नहीं मिलने के प्रकरणों में उपभोक्ताओं द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय और जिलों में बड़ी संस्था में बाद मामले दायर किए जा रहे हैं तथा विवादों का निपटारा भी अच्छे प्रतिशत में हो रहा है उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ी है अब निर्माता विक्रेता भी सावधान होकर उत्पाद का निर्माण व विक्रय कर रहे हैं।

भारत में उपभोक्ताओं के हित संरक्षण एवं परिवर्तन के लिए कई उपभोक्ता संगठन एवं गैर सरकारी संगठन भी उपभोक्ताओं के हितार्थ कार्य कर रहे हैं यह संगठन उपभोक्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सेमिनार एवं कार्यशाला का आयोजन कर उपभोक्ताओं को शिक्षित कर रहे हैं उपभोक्ता उत्पादों की जांच करते हैं उपभोक्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करते हैं तथा उपभोक्ताओं की ओर से उपयुक्त उपभोक्ता अदालतों में शिकायत दर्ज कराते हैं।

उपभोक्ताओं के लिए सुझाव :

1. बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के संबंध में जानकारी रखें जिससे की बुद्धिमता पूर्ण चयन कर वस्तुएं खरीदेंगे या सेवाएं प्राप्त करें।
2. केवल मानक वस्तु को ही खरीदें क्योंकि यह गुणवत्ता का विश्वास स्थापित करता है।
3. वस्तु विशेष से जुड़ी जोखिमों को जाने निर्माता के दिशा निर्देशों का पालन करें और उत्पादों का सावधानी से उपयोग करें।
4. उत्पादन दिनांक एवं उपयोग करने की अंतिम दिनांक को ध्यान से पढ़ें।
5. मूल्य, शुद्ध वजन की जानकारी लें तथा उपयोग से पहले जांच कर लें।
6. वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने लेने पर रसीद अवश्य लें।

7. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप के साथ सही व्यवहार हो आप की दृढ़ता का परिचय दें।
8. भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं अन्य अधिनियम को जाने
9. यदि क्रय की गयी वस्तु अथवा सेवाओं की गुणवत्ता में कमी है आपको क्षति हुई हो तो फोरम में शिकायत दर्ज कराएं।
10. उपभोक्ता को वस्तुओं व सेवाओं को खरीदने के पश्चात बिल अवश्य लेना चाहिए।

जागो ग्राहक जागो - राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर 1800-11-4000 या 14404 टोल फ्री

निर्माताओं तथा व्यापारियों के लिए सुझाव:

1. उपभोक्ताओं की संतुष्टि दीर्घकाल में व्यापारियों के निर्माताओं के हित में होती है ग्राहक यदि संतुष्ट है तो वह बार-बार माल खरीदेगा बल्कि संभावित ग्राहकों के लिए भी परिपोषक का कार्य करेगा जिससे व्यवसाय के ग्राहकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होगी इसलिए ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता देनी चाहिए।
2. अपने प्रतिष्ठान, उत्पाद तथा मूल्यों के प्रति ग्राहकों का विश्वास बनाये रखना चाहिए।
3. उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखना, उनका शोषण न करना व्यवसाय का नैतिक कर्तव्य भी है। इसलिए व्यापारी का दोषपूर्ण सामग्री, असुरक्षित उत्पाद विकास, मिलावट, जमाखोरी, कालाबाजारी से बचना चाहिए।
4. निर्माताओं को भ्रामक तथा गुमराह करने वाले विज्ञापन नहीं करनी चाहिए।
5. अनुचित व्यापारिक क्रियाओं व्यवहारों से बचना चाहिए।
6. भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को संरक्षण देने वाले कानूनों को जानकर उनका पालन करना चाहिए।

7 सावधान निर्माता विक्रेता सावधान।

सारांश - उपभोक्ता शिक्षा का अभ्युदय इस धारण के साथ हुआ कि तुच्छ लाभ के लिए कुछ लोग कुछ निर्माता को विक्रेता वस्तुओं में मिलावट करके गुणवत्ता रहित दोषपूर्ण सामग्री बेचने लगे, सेवा प्रदाता अपर्याप्त सेवाएं देने लगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमों के बन जाने तथा समय के साथ-साथ बदलाव आया है अब उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता जा रहा है आज आवश्यकता इस बात की है कि उपभोक्ताओं को नवीन एवं सभी उपभोक्ता अधिकारों से अवगत कराकर उन्हें और अधिक जागरूक बनाया जाए हानि पर क्षति पूर्ति एवं पीड़ित होने पर उपचार बताएं जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि '**सामान्य से अधिक लाभ लेना भी अर्थिक हिंसा है**' उपभोक्ताओं को अर्थिक हिंसा से बचना है तो सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं, विक्रेता तथा उपभोक्ताओं को अपनी अपनी भूमिका को विस्तार देना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. अनुज कुमार श्रीवास्तव एवं डॉ. रजनीकान्त द्विवेदी - उपभोक्ता व्यवहार एवं विपणन शोध साहित्य भवन पाब्लिकेशन्स आगरा - 2019 संस्करण
2. नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन लैडमार्क जजमेंट्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन- टूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशन्स कं. दिल्ली 2005
3. डॉ. प्रमोद कुमार अग्रवाल - जागो ग्राहक जागो प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली जनवरी 2016

4. वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2015-16 से 2019-20 उपभोक्ता मामले
विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत
सरकार
5. www.civilhindipedia.com
6. www.prsindia.org
7. www.thelallantop.com

तालिका क्र. 02 उपभोक्ता विवाद निवारणस्थाना काल जून 1997 से 31.10.2019 तक

क्र.	एजेंसी का नाम	स्थाना काल जून 1997 से दायर किये गये मामले	निपटाए गए मामले	लम्बित मामले	कुल निपटान प्रतिशत में
1	राष्ट्रीय आयोग	133148	111932	21216	84.07
2	राज्य आयोग	944841	819685	125156	86.75
3	जिला मंच	4305234	3962438	342796	92.047
	कुल	5383223	4894055	489168	90.91

स्रोत:- वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार।

अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अस्पृश्यता से बढ़ते अपराध (जबलपुर जिले की पाटन तहसील के विशेष सदरम में)

सुरेन्द्र कुमार अहिरवार *

प्रस्तावना - भारत देश में अस्पृश्यता रूपी व्यवहार करोड़ों लोगों के लिए उग्र भर दुःख और अपमान के बीच रहने और जीने की समस्या है। अस्पृश्यता समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास पर एक ऐसा कलंक है, जिसने भारत देश के करोड़ों व्यक्तियों को देश में ही मानवोचित अधिकारों से वंचित कर समाज के एक बड़े भाग को पंगु बनाकर उन्हें पशु-तुल्य जीवन जीने के लिए विवश किया है। आधुनिक युग की सामाजिक यात्रा आर्थिक दुखस्था तथा सामाजिक पतन की करुण गाथा है। इस अधोगति का मूल कारण जातीय ऊँच-नीच की व्यवस्था है। आज भी व्यक्ति अंधविश्वासों, प्राचीन रूढ़ियों, रीति रिवाजों में जकड़ा हुआ है। एक ऐसा जीवन जो समाज में रहते हुए समाज से बाहर है। जिसे साथ उठने-बैठने और खाने तक नहीं दिया जाता है। तीज त्यौहारों, सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदार होने के काबिल नहीं माना जाता है। बच्चों को स्कूलों में दोपहर का भोजन उनकी जाति के आधार पर दिया जाता है। लोगों को अपने दाढ़ी बाल बनवाने के लिए नजदीक के शहर तक जाना पड़ता है। जो कुएं तालाब और नल सबके लिए खुले हैं। वहां से भी उन्हें पानी भरने नहीं दिया जाता है। इनको पंचायती संस्थाओं में अपनी बात कहने से रोक दिया जाता है। इस वर्ग के सफाई कर्मचारी सीवरों और मेनहोलों की सफाई एवं मरे हुए पशुओं को उठाने के लिए बाध्य होते हैं। इस कार्य को न करने पर समाज में काफी दण्ड मिलता है। कभी-कभी तो मृत्यु दण्ड भी, भेदभाव मौत के बाद भी जारी रहता है।

पढ़े लिखे लोग कहते नहीं थकते हैं, कि जाति अतीत की बात हो गई है, लेकिन वैवाहिक संबंध केवल अपनी जाति के सदस्यों के बीच ही करते हैं। तथा अंतर्जातीय विवाह को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। आज कानून के संरक्षण अथवा उसके क्रियान्वयन से जुड़ी एजेंसियों में अनुसूचित जाति के लोगों की अपेक्षित भागीदारी नहीं है। कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका हर जगह उन जातियों का कब्जा है। जिनके सदस्य अनुसूचित जाति के उत्पीड़न में सबसे आगे रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी को दबाकर और अलग करके क्या किसी देश को विकसित और खुशहाल बनाया जा सकता है। अनुसूचित जाति के लोग अपनी मुक्ति की लड़ाई खुद क्यों लड़े, बल्कि राष्ट्रभक्ति का भाषण देने वालों को ज्यादा लड़ना चाहिए। आश्चर्य है, कि इसके बावजूद जो हिन्दू धर्म के संचालक हैं। उन्होंने जातिविहीन समाज बनाने का आह्वान नहीं किया जो अंततः किसी भी बाहरी हमलों को नाकाम करता है। और अब भी यह राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पाया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड्स ब्यूरो (NCRB) के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ एक घण्टे में 5 अपराध और हर दिन दो अनुसूचित जाति के लोगों की जातिवादी छुआछूत के कारण हत्या की जाती है। देश में

प्रति सप्ताह 6 अनुसूचित जाति के लोगों का अपहरण, 21 अनुसूचित जाति की बेटियों या महिलाओं के साथ बलात्कार, 77 अनुसूचित जाति के लोगों की पिटाई एवं प्रत्येक 18 मिनट में अनुसूचित जाति के लोग किसी न किसी तरह के अपराध या उच्च जातियों की प्रताड़ना के शिकार होते हैं। जिससे करोड़ों लोग जातीय दुर्भावना के कारण आज भी भक्त जीवन जीने मजबूर हैं।

मध्यप्रदेश में अस्पृश्यता से बढ़ते अपराधों को एनसीईआर और अमेरिका के मैरीलैण्ड यूनिवर्सिटी के संयुक्त सर्वे में बताया गया है, कि भारत देश में सबसे ज्यादा छुआछूत म.प्र. में होता है। पिछले 15 वर्षों में म.प्र. में 4 लाख 71 हजार 717 प्रकरण घटित हुए हैं। 2014 में 47064 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। चाइल्ड राइट ऑब्जर्वेटरी एवं मध्यप्रदेश दलित अभियान संघ के सर्वे में बताया कि 92 फीसदी अनुसूचित जाति के बच्चे स्कूलों में पानी नहीं पी सकते हैं। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में भेदभाव, कक्षा में आगे बैठने पर रोक, जाति सूचक शब्दों का उपयोग, एवं गैर अनुसूचित जाति के शिक्षकों का व्यवहार ठीक नहीं होता है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में आम बात है।

आज भी देश में मैला ढोने की प्रक्रिया जारी है। देश में 7 लाख महिलाएं मैला ढोने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 2022 में अंतरिक्ष में मानव भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो 10 हजार करोड़ रूपए खर्च करेगा। दूसरी तरफ आज भी देश में गटर साफ करते हुए हर साल करीब 100 लोगों की मौत हो जाती है। जबकि नियमानुसार इन्हें सीवर लाइन में उतारने की सख्त मनाही है। सिर्फ मशीन से ही सफाई का नियम है, लेकिन इन्हें आज भी बिना किसी सुरक्षा और उपकरण के गटर में उतारा जा रहा है। वर्ष 2000 से अब तक 1760 लोगों की मौत गटर साफ करते हुए हो चुकी है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा भी जुड़ जाये तो काफी भयाभय परिणाम सामने आयेगा। फिर भी देश का शासन-प्रशासन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। देश में 6 करोड़ बाल श्रमिकों में 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के केवल 11 प्रतिशत परिवारों में शौचालय, 28 प्रतिशत परिवारों में बिजली की सुविधा है। 39 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे हैं, तथा इनकी साक्षरता दर 16.1 प्रतिशत एवं रक्षालपता की शिकार 75 प्रतिशत महिलाएं हैं।

अनुसूचित जातियों के खिलाफ आपराधिक मामलों में अक्सर देखने में आता है कि दुःखद घटनाओं के बाद अस्मिता और सामाजिक सम्मान से जुड़े सरोकार के संघर्ष में समाज, परिवार और सरकार की जो सहभागिता होनी चाहिए वो नहीं दिखती। इसमें कोई दो राय नहीं कि सामाजिक कुरीतियों

हों, सार्वजनिक जगहों में होने वाला द्रोण्य दर्जे का व्यवहार हो या जातिगत भेदभाव, दुष्कर्म और छेड़छाड़ जैसी सोच वाले लोगों की हिम्मत बढ़ रही है। जो अनुसूचित जातियों के विकास में बाधा है। अब वक्त है ऐसी नकारात्मक सोच को समाज में समाप्त करने का। यह एक कटु सत्य है कि अनुसूचित जातियों के प्रति भेदभाव और शोषण के बुनियादी कारण हमारे सामाजिक और पारिवारिक ढांचे में ही मौजूद है। जिनका हल आर्थिक आत्मनिर्भरता व प्रशासनिक कार्य योजनाओं के जरिए नहीं ढूंढा जा सकता है। इसलिए सामाजिक समानता कुछ मिटाने या बनाने का नहीं बल्कि अस्मिता और सम्मानजनक जीवन जीने की लड़ाई है।

अस्पृश्यता का अर्थ – अस्पृश्यता का अर्थ 'अछूत' है अर्थात् जो छूने योग्य नहीं है वह अस्पृश्य है। अस्पृश्यता पवित्रता-अपवित्रता की धारणा से जुड़ी हुई है क्योंकि अस्पृश्य जातियों को अपवित्र माना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि अगर कोई अस्पृश्य किसी सवर्ण हिन्दू को छू देता है तो वह भी अपवित्र हो जाता है और उसे पुनः पवित्र होने के लिए विशेष संस्कार करने पड़ते हैं परंतु ऐसा कोई संस्कार या दैवीय शक्ति नहीं है जिससे अस्पृश्यों को पवित्र किया जा सके। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम की पांचवी अनुसूची की धारा 19 में अस्पृश्यता शब्द का अधिकारिक रूप में प्रयोग किया गया। अपवित्र व्यवसायों के प्रति घृणा के कारण बाहरी जातियों को ही अछूत कहा गया।

हटन – पवित्र बर्तनों, पवित्र पशुओं और पुरोहित आदि धर्म के अंगों ने अस्पृश्यता को जन्म दिया है।

डी.एन. मजूमदार – अस्पृश्य जातियां वे हैं, जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनैतिक नियोग्यताओं से पीड़ित हैं। जिसमें से बहुत सी नियोग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परम्परागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई।

बी. आर. अम्बेडकर – अस्पृश्यता का आधार गंदगी, अपवित्रता तथा छूत लग जाने की कल्पना तथा उससे मुक्त होने का तरीका व साधन है। यह एक स्थायी वंशानुगत कलंक है।

अस्पृश्यता के कारण :-

1 प्रजातीय भावना – अस्पृश्यता का सर्वप्रथम कारण प्रजातीय भावना का विकास है। कुप्रजातियां अपने को दूसरी प्रजातियों से श्रेष्ठ मानती हैं। ब्राह्मण अपने आपको सर्वश्रेष्ठ मानता है और अपने से छोटा वह क्षत्रिय, वैश्य, और सबसे निम्न शूद्र को मानता है।

2 धार्मिक भावना – धर्म में पवित्रता एवं शुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः निम्न व्यवसाय को हीन दृष्टि से देखा जाता है। भारतीय समाज में इन्हीं कारणों से सफाई का काम करने वालों तथा चर्मकारों आदि को अस्पृश्य समझा जाता है।

3 सामाजिक कारण – प्रजातीय एवं धार्मिक कारणों के अतिरिक्त अस्पृश्यता के सामाजिक कारण भी हैं। समाज में प्रचलित रूढ़ियों और कुप्रथाओं के कारण भी समाज में वर्गभेद उत्पन्न होते हैं। यह वर्गभेद अस्पृश्यता के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय – मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की पाटन तहसील कृषि उत्पादकता, जैन तीर्थस्थल कोनीजी एवं हिरन नदी से रेत उत्खनन के कारण सम्पूर्ण जबलपुर जिले में प्रसिद्ध है। उत्तम कृषि पैदावार के कारण यह जबलपुर जिले में खाद्यान्न आपूर्ति का प्रमुख केन्द्र बना हुआ है। पाटन तहसील पाटन नगर पंचायत एवं कटंगी नगर पंचायत से मिलकर बनी हुई है। जिसमें 78 ग्राम पंचायत एवं 220 ग्राम शामिल हैं। पाटन तहसील भौगोलिक दृष्टि

से 23°15' उत्तरी अक्षांश तथा 79°40' पूर्वी देशांश में स्थित है। इसकी समुद्री सतह से उंचाई 384 मीटर है। यह क्षेत्र 607.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पाटन नगर पंचायत की सीमा 13.03 किलोमीटर तथा कटंगी नगर पंचायत की सीमा 12.37 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तथा पाटन तहसील की कुल सीमा 56074.76 हेक्टेयर में फैली हुई है।

शोध प्रविधि – 2011 की जनगणना के अनुसार पाटन तहसील की कुल जनसंख्या 163738 में से अनुसूचित जाति वर्ग की कुल जनसंख्या 26534 है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग की कुल जनसंख्या 22129 तथा शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वर्ग की कुल जनसंख्या 4405 है। अनुसूचित जाति बाहुल्य 1000 से अधिक कुल जनसंख्या वाली 30 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इन 30 ग्रामों में **दैनिक निदर्शन की सउद्देश्यपूर्ण पद्धति** का प्रयोग करके **300 उत्तरदाताओं** से साक्षात्कार किया गया है।

I प्राथमिक संकलन – प्राथमिक समंक संकलन के रूप में शोधार्थी द्वारा अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची की सहायता से तथ्य एकत्रित किए गये हैं। इसके अलावा समूह चर्चा एवं अवलोकन प्रविधि द्वारा उत्तरदाताओं से जानकारी एकत्रित की गई।

II द्वितीयक स्रोत – शोध कार्य के लिए द्वितीयक स्रोत, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएँ, सरकारी प्रतिवेदन, सरकारी अभिलेख, जनगणना पुस्तिका, जिला सांख्यिकी पुस्तिका, गजेटियर, शोध पत्रों, इंटरनेट एवं ग्रंथालय के माध्यम से तथ्य एकत्रित किये गये हैं।


अध्ययन का उद्देश्य – अस्पृश्यता के विस्तार और उससे उपजता हुआ सामाजिक भेदभाव और मौजूदा उपायों के प्रभाव का अध्ययन करना।

अस्पृश्यता के आधार पर प्रताड़ित करने की स्थिति – अस्पृश्यता एक ऐसा अपराध है जिसे कारित करने वाले व्यक्ति को कठोर कारावास व जुर्माना दोनों तरह से दण्डित किया जाता है। अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को अनुसूचित जाति या जनजाति से उच्च वर्ग के लोगों द्वारा जाति सूचक शब्दों से बुलाने पर तथा उनको किसी भी सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल, जलपान गृह, या अन्य किसी सार्वजनिक जगह का प्रयोग केवल निम्न जाति के होने से रोकता है तो उनको कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

तालिका 1 : अस्पृश्यता के आधार पर प्रताड़ित करने की स्थिति

क्र.	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	187	73
2	नहीं	113	27
	योग	300	100

स्रोत:- सर्वेक्षण के आधार पर संकलित आँकड़े



आरेख : अस्पृश्यता के आधार पर प्रताड़ित करने की स्थिति

प्रस्तुत तालिका एवं आरेख से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में 62.33 प्रतिशत (187) उत्तरदाताओं को अस्पृश्यता के आधार पर प्रताड़ित किया गया है। एवं 37.67 प्रतिशत (133) उत्तरदाताओं को अस्पृश्यता के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया गया है।

अतः स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में 62.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अस्पृश्यता के आधार पर प्रताड़ित किया गया है। अस्पृश्यता के आधार पर प्रताड़ित करना जातिवादी छुआछूत संबंधी मानसिकता प्रदर्शित करती है। लेकिन कागजी कार्रवाई या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में यह बोला जाता है कि जातिगत भेदभाव नहीं होता है। उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के समय पूछा गया कि आप यह भेदभाव सहन क्यों करते हो तो उन्होंने बताया कि ग्राम में रहकर जीवन-यापन करना है तो ग्राम की मर्यादा का पालन करना होगा और जिन लोगों ने विरोध किया है उन्हें किसी न किसी रूप में नुकसान हुआ है। जिस कारण से वह भेदभाव के दंश को झेलते रहते हैं। एवं 37.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अस्पृश्यता के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया गया है। जिन उत्तरदाताओं को अस्पृश्यता के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया गया है वह ग्राम की मर्यादाओं या रीति-रिवाज को मानते हैं। तथा वह अनुसूचित जाति वर्ग की उच्च जाति में आते हैं। जिस कारण से उनके साथ सामाजिक भेदभाव कम किया जाता है परंतु उन्हें भी उच्च जातियों के घर के अंदर रसोईघर या पूजास्थलों में आने-जाने की अनुमति नहीं है। जबकि उच्च जाति के व्यक्ति अनुसूचित जाति वर्ग के रसोईघर या पूजास्थलों में आ जा सकते हैं।

निष्कर्ष - भारत देश में जातीय व्यवस्था के भले ही अपने लाभ रहे हों तथा यह व्यक्तिगत, सामुदायिक दृष्टि से कितनी ही उपयोगी क्यों न रही हों, परंतु प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान समय में जाति व्यवस्था देश के लिए वरदान की अपेक्षा अभिशाप ज्यादा साबित हुई है। अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तरदाताओं ने बताया कि जाति व्यवस्था के कारण ही अनुसूचित जाति के सदस्यों को ग्राम के सार्वजनिक जल स्रोतों, जलपान गृह, सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों का प्रयोग उच्च जातियों की तरह समानता से नहीं करने दिया जाता है व प्रयोग करने वाले को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। और उन्हें जाति सूचक शब्दों से भी बुलाया जाता है। वह उच्च जातियों के लोगों के साथ समानता से नहीं बैठ सकते हैं। अनुसूचित जाति के दूल्हे को घोड़ी पर बैठने की मनाही से लेकर मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। उनके द्वारा की जाने वाली शिकायत पर पुलिस प्रशासन द्वारा सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाया जाता है और उन्हें साक्ष्यों के अभाव एवं दबाव के कारण न्यायालय में भी उचित न्याय नहीं मिल पाता है। ग्राम में पारिवारिक आजीविका के साधन होने से या भय के

कारण वह अपने विरुद्ध होने वाली अस्पृश्यता को मजबूरीवश झेलते रहते हैं। इसी कारण से सख्त संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ अस्पृश्यता रूपी व्यवहार किया जाता है।

सुझाव :

1. जाति व्यवस्था ही अस्पृश्यता का प्रथम आधार है। इसलिए जाति व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त करना चाहिए।
2. अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मारपीट करने वाले एवं अस्पृश्यता रूपी व्यवहार करने वाले लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। व अपराधी व उसके परिवार को किसी भी प्रकार की शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
3. अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों की उचित शिक्षण एवं उचित स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा व्यवस्था होने से इनके बच्चे शिक्षित होकर अच्छा रोजगार प्राप्त कर लेंगे जिससे आने वाली पीढ़ी स्वतः ही समस्याओं से मुक्त हो जाएगी।
4. जिस भी ग्राम में अस्पृश्यता रूपी अत्याचार की शिकायत की जाती है ऐसे ग्रामों में ग्राम प्रधान से लेकर संबंधित शासकीय कर्मचारियों की सेवा समाप्त की जाना चाहिए। व उस ग्राम में किसी भी शासकीय योजना को संचालित नहीं करना चाहिए। शासकीय योजनाओं का लाभ उन्हीं ग्रामों को मिलना चाहिए जिस ग्राम में सामाजिक समानता रूपी व्यवहार किया जाता है।
5. अनुसूचित जातियों के सदस्यों की शिकायतों और अर्जियों पर नाममात्र की ही सुनवाई होती है। इसलिए हिन्दू समाज के धर्म प्रवक्ता के रूप में जन साधारण द्वारा मान्य परम्परागत साधु सन्तों और सन्यासियों आदि को ही इस अधार्मिक आचरण को समाप्त करने के लिए अग्रसर होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. खत्री, रिया (2013) 'अपराधशास्त्र' कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल
2. महाजन, संजीव (2014) 'भारतीय समाज के प्रमुख मुद्दे' अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस पृ.क्र. 59
3. प्रकाश, देव (2014) 'जातिगत समाजशास्त्र' ओमेगा पब्लिशिंग नई दिल्ली पृ.क्र. 24
4. दोषी, एस.एल. एवं पी. सी. जैन (2014) 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था' नेशनल पब्लिशिंग हाऊस जयपुर पृ.क्र. 33
5. दलित दस्तक पत्रिका नवम्बर 2015, अप्रैल 2018।
6. इंटरनेट एवं समाचार पत्र।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाल विवाह : समस्या और समाधान

डॉ. आभा तिवारी*

प्रस्तावना - वर्तमान समय बदलते सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का साक्षी हो रहा है, ऐसे में भारत की सामाजिक, आर्थिक उन्नति हेतु बाल विवाह की समस्या एवं समाधान के क्षेत्र में युवा वर्ग की चेतना की आवश्यकता है।

प्राचीनकाल में भारत ने बहुत अधिक मात्रा में आक्रमणों का सामना किया है, अतः उस समय की परिस्थिति के अनुसार पर्दा प्रथा व बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थी। किंतु वर्तमान समाज में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है अतः महात्मा गांधीजी के विचार अनुसार एक महिला को शिक्षित करना, एक परिवार को शिक्षित करने के बराबर होता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी को देखते हुए बाल विवाह एक बालिका के संपूर्ण भविष्य को प्रभावित करता है। एक बालिका की उन्नति प्रभावित होने से सारी महिला जाति की उन्नति में रूकावट आती है।

शादी किसी भी लड़के या लड़की के जीवन में बहुत मायने रखती है, लेकिन इसकी महत्ता तभी है जब वह शादी उम्र में की जाए। काफी उम्र में शादी करने का अर्थ है जीवन की बर्बादी। क्योंकि इससे लड़के और लड़की दोनों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है।

शहरी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत जागरूकता भले ही आ गई हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बच्चों की शादी का प्रचलन जारी है। ग्रामीण अंचलो की अधिकांश बालिकाएं कच्ची उम्र में ही ब्याह की जाती हैं, जिसका खामियाजा उन्हें ताउम्र भुगतना पड़ता है।

जो खुद बच्ची है और शादी का अर्थ तक नहीं जानती उसकी शादी कर देना किसी मजाक से कम नहीं। उसे तो वह भी नहीं मालूम की उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। परिजन जिसके खूटे से उसे बांधते हैं वह उसके साथ ही चली जाती है।

बच्ची उम्र में शादी करने का सबसे बुरा प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ता है। शादी होते ही उनकी पढ़ाई छूट जाती है। उनकी शिक्षा प्राथमिक स्तर से आगे नहीं बढ़ पाती। उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाली लड़की की जिदगी का स्वरूप बदल जाता है और उसे चूल्हा फूंकना पड़ता है। इंजीनियर बनाने का सपने देखने वाली लड़की घर की चारदीवारी में सिमटकर रह जाती है।

जब लड़के-लड़कियां शिक्षित नहीं होंगे, स्कूल-कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेंगे तो उनका भविष्य कैसे बनेगा ? खेलने-कूदने और पढ़ने की उम्र में गृहस्थी के पपडे में पड़कर बच्चों का भविष्य तबाह हो जाता है।

हर काम की एक उम्र होती है, जैसे बचपन में पढ़ाई और खेलकूद ताकि

उनका स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। इसके बाद आती है किशोरावस्था जो कि बचपन और जवानी दोनों के बीच की स्थिति होती है। इस अवस्था में लड़के-लड़कियों में शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। इसके बाद आती है युवावस्था जो कि उम्र का स्वर्णिम काल होता है। इस उम्र में व्यक्ति न केवल अपनी शिक्षा पूर्ण कर कैरियर बना लेता है अपितु वैवाहिक सुख का आनंद भी भोगता है।

बचपन या किशोरावस्था उम्र नहीं है शादी की। जब बच्चे को दूध के दांत निकल रहे हो तब उसे चने चबाने को देने क दुष्परिणाम ही होते हैं। यही बात कच्ची उम्र में शादी और शारीरिक संबंध बनाने की है। जिस लड़की का अब मासिक धर्म भी शुरू नहीं हुआ हो वह भला शारीरिक संबंधों के बारे में क्या जाने? जिस लड़के के अभी मूठों के बाल उगना भी शुरू नहीं हुए हैं उसके लिए सेक्स मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं है।

वर्ष 2011 में देश में जनगणना की गई थी। 2011 के आंकड़ों की बात करे तो देश में 27 लाख से ज्यादा बच्चे जिनकी उम्र 10 से 14 साल तक की थी, वे वैवाहिक बंधन में बंधे।

किशोरावस्था में विधवा बनी बच्चियों और परित्यक्तों की संख्या भी पौने दो लाख से ऊपर थी। इस मामले में सबसे ऊपर उत्तरप्रदेश है। इसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और उसके बाद राजस्थान है। वहीं मध्यप्रदेश का स्थान पांचवा है। देश का सबसे साक्षर राज्य केरल भी इस चलन से अछूता नहीं है।

यदि कोई लड़की बाल विधवा हो जाती है तो उसे अपना शेष जीवन वैधव्य में काटना पड़ता है। सफेद साड़ी ही उसकी पोशाक होती है। घर और मंदिर तक ही यह सीमित कर रह जाती है या फिर उसे काशी, हरिद्वार भेजकर सांसारिक सुखों से वंचित कर दिया जाता है। बाल विधवा हो जाने का मतलब है जिंदगी की खुशियां मिलने से पूर्व ही उनका दफन हो जाना।

विवाह कोई गुंडे-गुंडियों का खेल नहीं है। यह एक ऐसा बंधन है जिसे जीवन भर साथ निभाना होता है। यदि बिना सोचे विचारे या उनकी नासमझी की उम्र में शादी कर दी गई तो यह शादी नहीं उनके साथ धोखा है।

वैदिक युगीन हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि यौवन प्राप्त कर लेने पर ही लड़की का विवाह करना चाहिए। जातक कथाओं से भी इसी बात की पुष्टि होती है। महाभारत में भी विवाह के समय लड़की की उम्र 16 साल मानी गई थी। लेकिन बाद के धर्मशास्त्रों ने बाल विवाह को प्रश्रय दिया और लोगों ने उन्हें धर्म का आदेश मानकर बाल विवाह करना शुरू कर दिया।

इसा से दो वर्ष पूर्व लिखे गए काम-सूत्र में बताया गया है कि विवाह रजोदर्शन से पूर्व भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, स्मृतिकारों ने यहां तक लिखा कि जो पिता अपनी लड़की का दसवें वर्ष में प्रवेश करने से पूर्व

विवाह नहीं कर देता है तो मानो वह प्रति माह उसका रज पीता है। ऐसी स्थिति में भला कौन पिता पाप का भागी बनता ? परिणामस्वरूप कन्या के दस वर्ष पूर्ण होने के पहले ही उसका विवाह कर देने हेतु लोगों को बाध्य होना पड़ा। और बाद में तो यह एक प्रथा बन गई।

याज्ञवल्क्य में तो यहां तक लिखा है कि जो माता-पिता अपनी लड़की का विवाह रजोदर्शन से पूर्व नहीं करते हैं वे हर माह एक भ्रूण हत्या के अपराधी होंगे। ब्रह्मपुराण में तो कन्या का विवाह चार वर्ष की आयु के बाद करने को कहा गया है।

आज भी ऐसे रूढ़िवादी लोग हैं जो यह सोचते हैं कि कोई लड़की तभी तक कन्या रहती है जब तक कि वह रजस्वला नहीं होती। इसलिए उसके रजस्वला होने से पूर्व ही शादी होना जरूरी है अन्यथा उन्हें कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त नहीं होगा।

पाराशर मनु वशिष्ठ आदि ने भी बाल विवाह को अपनी सम्मति दी। अंत दोनो ने इसे प्रथा बना लिया। बाल विवाह के प्रचलन के अनेक स्वरूप हैं। सबसे बड़ा कारण तो धर्मशास्त्र है जिसमें लोगो को आदेश दिया है कि बाल विवाह नहीं करने से पाप के भागी बनते हैं।

बाल विवाह को समाज में प्रतिष्ठा से भी जोड़ा जाता रहा है। जितनी कम आयु में उनके बच्चों का विवाह होगा, उतनी ही उस खानदान की प्रतिष्ठा बढ़ती थी। इतना ही नहीं कुछ परिवार वाले तो बच्चे के जन्म लेने से पूर्व ही अर्थात् गर्भ में ही उसकी सगाई कर देते थे। माता-पिता अपने लड़की का रजोदर्शन से पूर्व विवाह इसलिए भी कर देते थे कि समाज वाले उनकी निंदा नहीं करें। भारत में बाल विवाह का आज भी प्रचलन होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे देश के लोगो की मूल चेतना नहीं बदली। अशिक्षा ही बाल विवाह का मूल कारण है।

गरीबी भी बाल विवाह के लिए उत्तरदायी है। गरीब मां-बाप यह सोचते हैं कि लड़की जब बड़ी होगी तब पता नहीं कितना धन लगेगा। अतः अल्पायु में ही विवाह कर देते हैं।

संयुक्त परिवार प्रथा ने भी बाल विवाह को बहुत प्रोत्साहन दिया, क्योंकि संयुक्त परिवार में सामूहिक प्रबंध होता है। अतः अल्पायु में विवाह होने पर भी घर को आर्थिक साधन जुटाने हेतु पहले नहीं करनी पड़ती है। दहेज-प्रथा का होना भी बाल-विवाह का एक ठोस कारण है।

कुछ परिवार अधिक संतान अधिक आमदनी का कंसेप्ट पर चलते हैं। गांवों में तो आज भी वही सोच है कि परिवार में सदस्य संख्या बढ़ जाने से काम में मदद मिलेगी। वे बच्चों को स्कूल भेजने की बजाए खेतों में भेजना पसंद करते हैं। नतीजा बाल विवाह होते हैं।

वित्त नैतिक मूल्यों की वजह से समाज में लड़कियों की अस्मत् पर सदैव खतरा मड़राता रहता है। मां बाप को लगता है कि कहीं उनकी बेटी किसी के बलात्कार का शिकार न हो जाए। शादी से पूर्व यदि उसके साथ ऐसा हादसा होता है, तो कौन उससे शादी करेगा ? इसी सोच की वजह से वे बाल विवाह कर उसकी जिम्मेदारी ससुराल वालों पर डाल देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि ऐसे हादसे शादी के बाद भी हो सकते हैं।

बाल विवाह इतनी छोटी अवरस्था में हो जाते हैं जबकि वर और वधू लीलीपाँप भी चूसना ठीक से नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति में एक दूसरे की पसंद और नापसंद का तो प्रश्न ही नहीं उठता है लेकिन जब वे बड़े होते हैं, तब उन्हें पछतावा होता है कि उपयुक्त जीवनसाथी नहीं मिला है। परिणामस्वरूप उन में एक दूसरे के प्रति असंतोष रहता है। वह पति-पत्नी के रूप में रहते जरूर हैं लेकिन साथ जीने को चाह नहीं होती।

यदि अपनी जीवनसाथी का चुनाव स्वयं वर-वधू वयस्क होने पर करे तो उनके संबंध अधिक मधुर और सौहार्दपूर्ण होते हैं, लेकिन बाल विवाह वाले दंपतियों में वैचारिक मतभेद और सामंजस्य का अभाव पाया जाता है। परिणामस्वरूप बात तलाक पर समाप्त होती है।

बाल विवाह के समय लड़के-लड़किया मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते। जब वे परिपक्व होते हैं जो अपने पार्टनर को अपने अनुकूल नहीं पाते। ऐसे में बचपन की शादी जवानी का नसूर बन जाती है। परिणामस्वरूप तलाक के प्रकरण बढ़ जाते हैं। परिवारवालों की समाज में बनी स्थिति है, यह किसी से छिपा नहीं है।

आज 10 से 15 वर्ष की किशोरियां बाल विवाह की वजह से मां बनने का जोखिम उठा रही हैं। इस कच्ची उम्र में मां बनना खतरे से खाली नहीं है। प्रायः 15 साल से कम आयु की 26 प्रतिशत व 16 वर्ष की 59 प्रतिशत किशोरिया विवाहित हो चुकी होती हैं। सर्वे के अनुसार कुल जनन क्षमता में 15-19 आयु वर्ग का योगदान 19 प्रतिशत है। भारत में कुल जन्मों में 23 प्रतिशत किशोरों माताओं के होते हैं। 15-16 आयु वर्ग की 36 प्रतिशत व 17-19 आयु वर्ग की 69 प्रतिशत किशोरियां दूसरी बार गर्भधारण कर चुकी होती हैं।

18 साल के बाद उम्र में गर्भधारण करने वाली किशोरियों की मृत्युदर 15-25 वर्ष के बीच गर्भधारण करने वाली युवतियों से दोगुना ज्यादा है। 18 साल से कम उम्र में गर्भधारण करने वाली किशोरियों की नवजात शिशु का मृत्युदर 25 प्रतिशत अधिक होता है।

किशोरावस्था में लड़किया न तन से मूलतः परिपक्व होती हैं और न ही मानसिक और भावनात्मक रूप से। यह उम्र नहीं है मातृत्व के बोझ को वहन करने की। जिसे स्वयं अपनी देखभाल करने की आवश्यकता हो वह अपने शिशु की देखभाल कैसे करेगी ?

किशोरावस्था में लड़कियों का शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होता। उनके प्रजनन अंगों का भी समुचित विकास नहीं होता। ऐसे में प्रसव के दौरान बड़ी कठिनाई होती है। प्रजनन अंगों को हानि भी पहुंच सकती है।

किशोरावस्था के गर्भ को उच्च खतरे वाले गर्भधारण की श्रेणी में रखा जाता है, खासकर जब उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। प्रसव से पहले, प्रसव के दौरान या प्रसव के पश्चात् अधिक रक्तचाप उनकी जान को संकट में डाल देता है क्योंकि उनमें पहले से ही रक्त की कमी होती है।

भारतीय किशोरियों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, इसलिए वे कुपोषण का शिकार रहती हैं। 55 प्रतिशत किशोरिया एनीमिया से ग्रस्त हैं यानी उनमें जून की कमी है। किशोरावस्था में गर्भधारण करने पर उनके स्वास्थ्य समस्याओं का जन्म होता है। इससे रक्तचाप काफी बढ़ सकता है। किशोरिया कम उम्र में विवाह तथा कम वजन के कारण कम भार वाले शिशुओं को जन्म देती हैं जो कि मृत्युदर को बढ़ाता है।

किशोरावस्था में बच्चों को जन्म देने से बच्चों में भी कई खतरे हो सकते हैं, जैसे मरा हुआ बच्चा पैदा होना, समय से पहले बच्चा पैदा होना, जन्म पर वजन होना, ठीक से स्तनपान नहीं कर पाना आदि।

बच्चे पैदा करने या मातृत्व को वहन करने की सही उम्र 20 से 25 वर्ष की है। इस उम्र में लड़की का तन और मन दोनों इसके लिए तैयार रहता है।

ऐसी बात नहीं है कि देश में बाल विवाह निषेध के लिए कोई कानून नहीं है। वे कानून पहले भी थे और आज भी हैं लेकिन इनका पालन कितना होता है, वह एक अलग बात है।

सर्वप्रथम सन् 1860 में भारतीय देश विधान में वह व्यवस्था की गई

कि 10 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ संयोग करना बलात्कार माना जाएगा। इसके लिए दंड या प्रावधान भी किया गया था।

1891 में एक दूसरा बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ जिसके अनुसार लड़कियों की विवाह करने की उम्र 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। 1925 में इसे बढ़ाकर लड़के की आयु 14 वर्ष और लड़कियों की 13 वर्ष कर दी गई।

1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। जिसके अनुसार लड़की की उम्र 14 वर्ष तथा लड़के की उम्र 18 वर्ष निश्चित की गई थी। इसके बाद 1936 और 1949 में संशोधन कर लड़की की उम्र 15 वर्ष की गई और लड़के की उम्र वही 18 वर्ष रखी गई।

बाल विवाह निषेध कानून को कठोर बनाने के उद्देश्य से इसमें संशोधन किया गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत इसे कराने में शामिल होने वाले माता-पिता, अभिभावक और जिनसे संरक्षण से यह हो रहा है, दो साल की कठोर सजा या एक लाख रूपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

भले ही वर्ष 1976 में शादी के लिए देश में लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 16 साल तय कर दी गई हो लेकिन आंकड़े कुछ अलग ही कहानी बया करते हैं। कानून अपनी जगह है, लेकिन जब तक कोई शिकायत

नहीं करता जिम्मेदार लोग ऐसी शादियों को नहीं रोक पाते। बाल विवाह करने वाले अपनी संतानों के झूठ जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से भी बाज नहीं आते।

बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को अकेले कानून से नहीं समाप्त किया जा सकता। इसके लिए वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है, जिसके लिए लोगों को शिक्षित किया जाना बहुत जरूरी है, तभी ये बाल विवाह के दुष्परिणामों को समझ सकेंगे।

बाल विवाह रोकने हेतु सामाजिक चेतना जागृत करना जरूरी है, सामाजिक नियंत्रण से भी रोका जा सकता है। ऐसे विवाहों का विरोध किया जाना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं को भी चाहिए कि वे इस दिशा में आगे आए। बाल-विवाह बच्चों के भावी जीवन के साथ खिलवाड़ है, उसकी प्रभावी रोकथाम जरूरी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. समाज कल्याण अगस्त 2016
2. दैनिक भास्कर 03 मई 2015
3. जगारण 18 सितम्बर 2016
4. नई दुनिया 04 नवम्बर 2016

वेदों में वर्णित राजव्यवस्था की वर्तमान में प्रासंगिकता

डॉ. लाखन सिंह शाक्य *

प्रस्तावना - मानव सभ्यता का विकास विभिन्न आयामों में हुआ है। प्रागैतिहासिक काल के अवलोकन से विदित होता है कि आखेट युग से वर्तमान कम्प्यूटर युग तक की यात्रा में भारत ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व के मानव समाज ने विभिन्न प्रकार के संघर्षों एवं अविष्कारों के माध्यम से यात्रा की है। अनुमान लगाना कठिन न होगा कि प्रारम्भिक अवस्था में मानव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक स्रोतों के माध्यम से होती रही होगी। जनसंख्या वृद्धि होने से भोजन की कमी महसूस की गई होगी और और कबीलों में आपसी संघर्ष हुआ होगा। कबीलाई संघर्ष का उल्लेख विश्व के तमाम इतिहासों में पढ़ने को मिलता है। अवेस्ता के बाद विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपिबद्ध पुस्तक ऋग्वेद में कबीलाई संघर्ष के अनेक सूक्त प्राप्त होते हैं।

पाश्चात्य दार्शनिक रूसो ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धान्त में इस बात का सुव्यवस्थित वर्णन किया है। रूसो के अनुसार मानव समाज के विभिन्न कबीलों में जब आपसी झगड़े प्रारम्भ हुये तब समस्या के समाधान के लिये कबीलों के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर तय किया कि हम सभी लोग आपसी सहमति के द्वारा अपनी सम्पूर्ण शक्तियाँ समाज को प्रदान करते हैं और समाज अपने सुव्यवस्थित संचालन के लिये उन शक्तियों को एक व्यक्ति में सन्निहित करते हैं। उस व्यक्ति को मुखिया, राजा इत्यादि अनेक नामों से साहित्य में अभिहित किया गया है। वैदिक वाङ्मय में इस शब्द के अनेक पर्याय प्राप्त होते हैं। संभवतः यह राज्य व्यवस्था का प्रारम्भिक काल या बीज था, जो वर्तमान में भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व में सुव्यवस्थित तरीके से दृष्टिगोचर होता है। 'वेदों में वर्णित राज व्यवस्था की वर्तमान में प्रासंगिकता' शीर्षक से इस विषय में वेदों में सन्निहित राज्य एवं राजा से सम्बन्धित विभिन्न तत्त्वों का अनुसंधान करने का इस शोधालेख में लघु प्रयास किया जा रहा है।

शब्द कुंजी - वेद, राज्य, राजव्यवस्था।

(1) वेदों में वर्णित राज्य का स्वरूप - विश्व ज्ञान का कोई भी क्षेत्र या विषय ऐसा नहीं है जिसके बीज या संकेत वेदों में मौजूद न हो। मानवीय आवश्यकता या अनिवार्यताओं से जुड़े समस्त विषयों के तत्त्व वेदों में यत्र-तत्र-सर्वत्र बिखरे हुए हैं। मानवीय समाज को अनुशासनबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए राजा एवं राज्य की नितांत आवश्यकता होती है। ऋग्वेद में राज्य के लिये राष्ट्र शब्द का प्रयोग बहुधा देखने को मिलता है। वहाँ पर 'राष्ट्रानाम' तथा अथर्ववेद में 'राष्ट्राणि' का प्रयोग हुआ है। इससे ध्वनित होता है कि वेदों में अनेक राष्ट्रों की सत्ता स्वीकार की गई है। अथर्ववेद में 'राज्यम्', 'राज्यानि', 'राज्येय', 'राज्याय' आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है।

संस्कृत के महान ग्रंथों महाभारत, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति,

शुक्रनीति आदि ने राज्य को सप्त प्रकृति युक्त कहा है अर्थात् राज्य सात अंगों वाला होता है जो इस प्रकार है-

- (1) स्वामी - (राजा), (2) अमात्य - (मंत्री), (3) पुर - (दुर्ग),
- (4) जनपद - (राष्ट्र), (5) कोश - (खजाना), (6) सेना - (दण्ड),
- (7) सुहृद - (मित्र)

महाभारत के शान्ति पर्व कौटिल्य अर्थशास्त्र, शुक्रनीति आदि ग्रंथों में स्थूल रूप से राज्य के स्वरूप निर्धारण में इन सात अवयवों को मुख्य रूप से स्वीकार किया।

शुक्रनीति में राज्य की एक वृक्ष से उपमा देते हुये उसके अंग-प्रत्यंगों का विशद वर्णन है। शुक्राचार्य का कथन है कि राज्य रूपी वृक्ष का मूल (जड़) राजा है, मंत्री, मण्डल उसका तना (स्कंद) है, सेनापति उसकी शाखा है, सेनायें उसके पत्ते हैं, प्रजा उसके फूल हैं, राष्ट्र समृद्धि उसके फल है तथा सारा राज्य उसकी भूमि है।

राज्यवृक्षस्य नृपतिर्मूलं स्कन्धाश्च मन्त्रिणः।

शाखाः सेनाधिपाः सेना पल्लवाः कुसुमानि च।

प्रजाः फलानि भूभागा बीजं भूमिः प्रकल्पिताः।¹

(2) वेदों में वर्णित राज्य के अंग - राज्य के संचालन के लिये उसे विविध अंगों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार शरीर एक होते हुए भी उसके अलग अंग है और उनके पृथक कार्य हैं। इसी प्रकार राज्य एक महान सत्ता है। इसके अनेक कार्य हैं। प्रत्येक कार्य को करने के लिये उसके विभिन्न अंग बनाये गये हैं। इन अंगों की संख्या राजनीतिशास्त्र में सात दी गई है। इन अंगों को 'प्रकृति' भी कहते हैं। अतः राज्यों को सप्तांग 'सप्त प्रकृति', सप्त राज्य प्रकृति आदि नाम दिये गये हैं।

वेदों में इनमें से अधिकांश के नाम मिलते हैं; कौटिल्य, शुक्र आदि ने इस विषय पर बहुत विचार किया। अतः उनके अनुसार सात अंगों के नाम इस प्रकार हैं-

- (1) स्वामी (राजा), (2) अमात्य (मंत्री), (3) पुर या दुर्ग, (4) राष्ट्र या जनपद, (5) कोष, (6) दण्ड सेना या बल, (7) सुहृद या मित्र

स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रं, कोशदण्डौ सुहृत तथा।

सप्त प्रकृतियों होताः, सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते।²

किसी भी राष्ट्र (राज्य) के स्वरूप का निर्धारण वहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक आदि आवश्यकताओं के आधार पर उनकी सम्पूर्ति के लिये होता है।

प्रासंगिकता- वेदों एवं उनसे सम्बन्धित अन्य संस्कृत ग्रंथों में राजा एवं राज्य के जिस स्वरूप अंगों का वर्णन मिलता है। वह हमारे देश में वर्तमान में पूर्णरूप से प्रासंगिक, अपरिहार्य एवं अनिवार्य है। राज्य के जिन सप्ताङ्गों का

* सहायक प्राध्यापक (संस्कृत) शासकीय (स्वशासी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)भारत

उल्लेख किया गया उनका विवरण इस प्रकार है-

(1) स्वामी या राजा - भारत देश में वर्तमान में लोकतंत्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली है। राज्य की सम्पूर्ण सत्ता या शक्ति प्रधानमंत्री में सन्निहित है जो वैदिक काल में वह शक्ति राजा में थी।

(2) अमात्य या मंत्री - हमारे देश में प्रधानमंत्री के सहयोग के लिये शासन सत्ता के व्यवस्थित एवं सुचारु संचालन हेतु विविध विभाग हैं जिनमें कैबिनेट स्तर एवं राज्य स्तर के सदस्य होते हैं। यह प्रधानमंत्री के कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। समष्टि रूप में प्रधानमंत्री सहित सभी अमात्यों को मंत्रीमण्डल कहा जाता है।

(3) पुर या दुर्ग - वैदिक साहित्य एवं संस्कृत साहित्य में राज्य का तीसरा अंग 'पुर' या 'दुर्ग' माना गया है। जहाँ पर राजा एवं अमात्य रहकर राज्य व्यवस्था का संचालन करते थे। हमारे देश में भी देश का दुर्ग/पुर देश की राजधानी दिल्ली में है जहाँ पर प्रधानमंत्री तथा मंत्रीमण्डल देश का संचालन करने की गति देता है।

(4) राष्ट्र या जनपद - वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में अनेक जनपदों को मिलाकर राष्ट्र का निर्माण होता था और उन छोटे-छोटे जनपदों के शासक उसके सहयोगी होते थे। हमारा देश एक सम्प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य है इसमें 28 राज्य एवं 09 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा का खत्म कर धारा 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केन्द्र शासित राज्य का दर्जा दिया। इस प्रकार 28 राज्यों और 09 केन्द्र शासित प्रदेश के भू-भाग को राष्ट्र कहा गया है।

(5) कोष या कर - हर काल में राज्य संचालन हेतु एवं लोककल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अर्थ की आवश्यकता रहती है। राज्य का यह महत्त्वपूर्ण अंग है। भारत में केन्द्र व राज्य सरकारें भी कोष की व्यवस्था करती हैं। यह काम वित्त मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है जिसमें कोष वृद्धि हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर विदेशों से प्राप्त उपहार, आयात एवं निर्यात वस्तुओं पर मिलने वाला लाभांश इसका मुख्य स्रोत होता है।

(6) दण्ड (सेना) - वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक राज्य का यह अनिवार्य अंग रहा है। भारत सरकार बाह्य सुरक्षा के लिये जल, थल और वायु तीन प्रकार की सेनायें रखती है। यद्यपि वैदिक काल में सेना के चार अंग होते थे- रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल। वर्तमान वैज्ञानिक युग में सरकार के पास भी तीन सेना हैं और आन्तरिक सुरक्षा हेतु सशस्त्र बल और पुलिस व्यवस्था है।

(7) सुहृद या मित्र - यह राज्य का अन्तिम अंग माना गया है जिसके माध्यम से पड़ोसी जनपदों से मित्रवत्, शत्रुवत् एवं तटस्थ संबंध रखने का निर्धारण होता है। यह काम हमारे देश में विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है जिसके माध्यम से हम स्वतंत्रता के बाद से तटस्थ नीति का अनुसरण करते हुए निर्गुट देशों की जमात का नेतृत्व करते आ रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर हमारी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से रक्षा समझौता करती है। वर्तमान संदर्भों में अमेरिका से भी दोस्ताना संबंध है, लेकिन न तो हम पूँजीवादी व्यवस्था के पक्षधर हैं और न ही साम्यवाद। हमारे देश की विदेश नीति निर्गुट सिद्धांत पर आधारित है।

(3) राज्य के उद्देश्य - यजुर्वेद में राजा के राज्याभिषेक से सम्बद्ध मंत्रों में राज्य के उद्देश्यों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यजुर्वेद का मत है कि प्रजा की सर्वांगीण उन्नति करना ही राज्य का उद्देश्य या लक्ष्य है।

यजुर्वेद का कथन है कि इन चार प्रमुख कार्यों के लिये राजा का अभिषेक

किया जाता है-

1. राजा राज्य में कृषि की उन्नति करे।
2. जनता का सर्वविध कल्याण हो। राज्य में शान्ति और सुव्यवस्था हो।
3. राज्य में ऐश्वर्य, धन-धान्य और श्री की वृद्धि हो; अर्थात् आर्थिक समृद्धि हो।
4. राज्य में प्रजा का ठीक से भरण-पोषण हो अर्थात् राज्य में कोई भूखा-प्यासा न रहे और प्रजा को अपने स्वास्थ्य एवं निरोगता आदि के पर्याप्त सुविधा हो।

यजुर्वेद के एक मंत्र में राज्य के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है। मंत्र का कथन है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राजा का अभिषेक किया जाता है, जो इस प्रकार हैं- (1) तेजस्विता, ओजस्विता के लिये, (2) शिक्षा-प्रसार के लिये, (3) अन्न समृद्धि के लिये, (4) प्रजा की निरोगता के लिये, (5) जनता के संरक्षण के लिये और शक्ति संचय के लिये, (6) श्रीवृद्धि के लिए, (7) राज्य के यश की वृद्धि के लिये।

राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वह अकाल दुर्भिक्ष, अन्नाभाव, भुखमरी जैसे मृत्यु के कारणों से जनता की रक्षा करे।

मृत्योः पाहि विद्योत् पाहि³

राज्य का यह भी लक्ष्य होना चाहिये कि अत्याचारी, अन्यायी, चोर, डाकू आदि जनता को अस्त्र-शस्त्र का भय दिखाकर लूट न सके।

अति दिघ्नू पाहि⁴

इसके साथ ही धार्मिक विचारों की वृद्धि, नृत्य, गीत आदि सांस्कृतिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देना, कला-कौशल और शिल्प की उन्नति की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है।

**धर्माय सभाचम्, नत्ताय सूतम्, गीताय शैलूषम्
रूपाय मणिकारकरम्, हेत्यै धनुष्कारम् महसे
वीणावादम्⁵**

इस प्रकार शान्ति और सुव्यवस्था की स्थापना करना तथा जनता का सर्वांगीण, सांस्कृतिक, नैतिक और भौतिक विकास करना राज्य का उद्देश्य था।

(4) राजा का निर्वाचन एवं राज्याभिषेक-

(अ) राजा का निर्वाचन - ऋग्वेद और अथर्ववेद के कई सूक्तों में प्रजा के द्वारा राजा के निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि राजा के निर्वाचन के लिए सभी प्रतिनिधि एकत्र होते थे। वे सर्वसम्मति से राजा का निर्वाचन करते थे। राजा की नियुक्ति का कार्य समिति करती थी वहीं राजा को स्थायित्व प्रदान करती थी।

सर्वा दिशः संमनसः सधीचीः

ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिहा⁶

इस मंत्र में सारी दिशाओं से आए हुए प्रतिनिधियों के लिये 'सर्वादिशः' शब्द है। सर्वसम्मति और एकमत्य के लिये 'संमनसः' और 'संधीचीः' शब्द है। समिति को राजा की स्थायी नियुक्ति का अधिकार है इसके लिये 'ध्रुवाय ते समितिः' कथन है।

(ब) राजा का राज्याभिषेक - वैदिक काल में राजत्व के लिये अनिवार्य था कि उसका राज्याभिषेक हो। अनभिषिक्त राजा निन्दनीय एवं अवैध समझा जाता था।

राजा का निर्वाचन होने के बाद एक बृहत् यज्ञिय समारोह होता था, उसमें राजा का विधिवत् राज्याभिषेक होता था। शतपथ ब्राह्मण का कथन है, कि निर्वाचित राजा का ही राज्याभिषेक होता था अन्य किसी का नहीं।

अन्य जनों को अनभिषेचनीय कहा गया है।

राजानो भविष्यन्ति-अभिषेचनीयाः।

अराजानो भविष्यन्ति राजन्या विशोऽनभिषेचनीयाः।⁷

राज्याभिषेक एक संवैधानिक प्रक्रिया थी। इसके द्वारा निर्वाचित राजा को राजत्व के सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते थे। अतः राज्याभिषेक को बहुत महत्त्व दिया गया है।

प्रासांगिकता- राजा के निर्वाचन एवं राज्याभिषेक से सम्बन्धित वेदों में जो वर्णन मिलता है वह भारत देश में भी वर्तमान में पूर्ण रूप से प्रासांगिक है, क्योंकि भारतीय लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मन्त्री मण्डल के सदस्यों एवं संसद तथा विधानसभा सदस्यों के साथ-साथ विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति या निर्वाचन के बाद शपथ ग्रहण होता है जिसे राज्य तन्त्र में राज्याभिषेक कहा जाता था।

(5) राजा के कर्तव्य - वेदों में राजा के कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी बताये गये हैं उनमें विशेष उल्लेखनीय हैं-

कृष्यैत्वा, क्षेमाय त्वा, रय्यैत्वा, पोषाय त्वा।⁸

यजुर्वेद में कहा गया है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राजा का राज्याभिषेक किया जाता है उनमें;

1. कृषि की उन्नति करें जिससे देश को स्वावलम्बी बनाना, धन-धान्य की समृद्धि करना।
2. क्षेम के लिये अर्थात् सर्वविध जनकल्याण, कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करना आदि।
3. रयि (रय्यै) का अर्थ है धन, ऐश्वर्य। देश की उन्नति और प्रगति आर्थिक समृद्धि पर निर्भर है। अतः आर्थिक समृद्धि के लिये विविध उद्योगों को लगाना, खनिजों का उपयोग करना, भू-सम्पदा और वन-सम्पदा को लाभकारी योजनाओं में लगाना।
4. पोषाय अर्थात् पुष्टि के लिये। पुष्टि से अभिप्राय राष्ट्र पुष्ट हो, सुरक्षित हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिये सैन्य बल की व्यवस्था, सैन्य-प्रशिक्षण, अस्त्र-शस्त्रों के विषय में स्वावलम्बी होना तथा जनता हृष्ट-पुष्ट और निरोगी हो।

(6) राज्य का विधान (संविधान) - संविधान का अर्थ है वे मौलिक सिद्धांत जिनके अनुसार किसी देश या राज्य का प्रशासन चलाया जाता है। वेदों में संविधान शब्द का प्रयोग नहीं है। ऋग्वेद के एक मंत्र में 'विधान' शब्द का उल्लेख है-

मासां विधानम् अदधा अधि घवि,

त्वया विभिन्नं भरति प्रथिं पिता।⁹

इस मंत्र से दो संकेत मिलते हैं-

1. राजा या संविधान के बिना राज्य प्रशासन अव्यवस्थित रहता है। अतः राजा या संविधान की स्थापना आवश्यक है।
2. संविधान का कार्य अव्यवस्था का निवारण और व्यवस्था की स्थापना। इस प्रकार इस मंत्र से संविधान के उद्देश्यों पर प्रकाश पड़ता है।

अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के प्रथम मंत्र में कुछ मौलिक तत्त्वों का निर्देश है जिनका समावेश प्रत्येक संविधान में आवश्यक है। ये तत्त्व हैं- (1) सत्यं क बृहत- महान सत्य (सत्य का पालन, सत्य व्यवहार, चारित्रिक शुद्धि), (2) ऋतम् उग्रम्- शाश्वत प्राकृतिक नियमों को ऋत (एँशीरिश इतु) कहते हैं। प्राकृतिक नियमों का पालन, प्रकृति का संरक्षण। प्रकृति से तादात्म्यभाव।

सत्यं बृहत् ऋतमुग्रं कीक्षा तपो

ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति।¹⁰

प्रासांगिकता- देश या राज्य का प्रशासन चलाने के लिये जिस तरह वेदों में जिन मौलिक सिद्धान्तों, संविधान के उद्देश्यों, मौलिक तत्त्वादि एवं संविधान की रचना की अतिआवश्यकता का वर्णन मिलता है उसी तरह हमारे देश में विश्व का महान और विशालतम लिखित संविधान है जो बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की महानतम कृति है जिसमें नागरिकों की स्वतन्त्रता, समानता की रक्षा के साथ-साथ उनके मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों का उल्लेख तो है ही सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के गठन एवं संचालन का सुव्यवस्थित उल्लेख है।

(7) राज्य की प्रमुख संस्थायें - वेदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस काल में कतिपय संस्थाओं का आविर्भाव हो चुका था। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थायें अपना कार्य करती थी और उनके कुछ नियम भी निर्धारित थे, जिनके अनुसार उन संस्थाओं का कार्य सम्पादित होता था। इन संस्थाओं में ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के कार्य सम्पादित किये जाते थे जिसे न्याय और दण्ड की व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था, स्थानीय और राष्ट्रीय विघ्नों और उपद्रवों का निराकरण, आतंक, अनाचार आदि पर नियंत्रण, शत्रुओं से देश की रक्षा, राष्ट्र में शांति सुरक्षा की स्थापना प्रजा के अधिकारों का संरक्षण, राजा का निर्वाचन, अधिकारियों की नियुक्ति और उनके कर्तव्य-निर्देश आदि के सम्पादन विविध संस्थायें करती थी।

ऋग्वेद में जिन संस्थाओं का उल्लेख है वे हैं सभा, समिति और विदधा। सभा एक राष्ट्रीय और प्राचीन संस्था थी। इसके माध्यम से राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में निरंतर विकास हुआ। सभा और समिति एक प्राचीन संस्था (विदधा) के दो सदन थे। समिति साधारण सदन था और सभा उच्च सदन।

अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि सभा और समिति दोनों के लिये संसद शब्द का प्रयोग होता था। सभा और समिति के प्रसंग में संसद शब्द का उल्लेख है और कहा गया है कि इस सारी संसद में मैं भाग्यशाली हूँ।

अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु।¹¹

इससे ज्ञात होता है कि सभा और समिति दोनों के लिये सामूहिक नाम संसद था। इस मंत्र में 'सर्वस्याः संसदः' सारी संसद कहने से यह भी अभिप्राय निकलता है कि सभा और समिति का कभी-कभी सामूहिक अधिवेशन भी होता था और सदस्य अपनी विशेष योग्यता के प्रदर्शन द्वारा सारी संसद को प्रभावित करके यश के भागी होते थे।

अथर्ववेद के एक मंत्र में यह भी ज्ञात होता है कि संसद में अतिविशिष्ट व्यवहार करना आवश्यक समझा जाता था।

भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसदि।¹²

प्रासांगिकता- वेदों में वर्णित संस्थाएँ वर्तमान में भी प्रासांगिक हैं। हमारे देश में एक लिखित संविधान है, जिसमें लोकतन्त्रात्मक राज्य की स्थापना की गई है। क्योंकि देश का प्रशासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ये निर्वाचित प्रतिनिधि ही संसदात्मक प्रणाली में संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय और लोक कल्याण के लिये विभिन्न कानून, नियम आदि बनाना तथा जनहित से संबंधित कार्य हुआ करते हैं। अतः संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किया गया है। तथा अनुच्छेद 80 में राज्य सभा एवं अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना की गई है।

संविधान में अन्य स्वतंत्र संस्थाओं की भी स्थापना और गठन किया गया है। इनमें न्यायपालिका, महालेखा परीक्षक तथा निर्वाचन आयोग,

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग आदि शामिल हैं।

(8) न्याय व्यवस्था - मनु का कथन है कि संसार में पूर्णतया पवित्र मनुष्य दुर्लभ हैं।

दुर्लभो हि शुचिर्नरः¹³

काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य ये छः (6) मनुष्य के प्रबल शत्रु हैं। इनके वशीभूत होकर मनुष्य अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके अधिक से अधिक भूमि और धन पर अधिकार करना चाहता है। इसके कारण पारस्परिक कलह उत्पन्न होते हैं। सबल-निर्बलों के अधिकार का हरण करने लगते हैं। अतः मात्सर्य-न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः प्रत्येक मानव को अपने अधिकार के लिये न्याय व्यवस्था की आवश्यकता है।

न्याय का प्रयोजन है- निष्पक्ष न्याय करना। अपराधी को दण्ड देना और निरपराध को दण्ड से मुक्त करना। इसका उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राजा पर होता था।

काठक संहिता में न्यायाधीश या न्यायकर्ता के लिये 'अध्यक्ष' शब्द आया है और राजन्य (क्षत्रिय राजा) अध्यक्ष वैश्य को दण्ड देने का अधिकारी है।

राजन्येनाध्यक्षेण वैश्यं धनन्ति।¹⁴

अथर्ववेद में न्यायाधीश के लिये बृहत् 'अधिष्ठाता' शब्द आया है।

बृहन् एषामधिष्ठाता।¹⁵

ऋग्वेद और तैत्तिरीय संहिता में न्यायाधिकारी के लिये 'मध्यशी' शब्द आया है। साथ ही उग्र अर्थात् निर्णय में कठोर कहा गया है।

उग्रो मध्यम शीरिव¹⁶

न्याय का क्या स्वरूप है इस विषय पर ऋग्वेद और अथर्ववेद के कुछ मंत्रों में मिलता है। ऋग्वेद का कथन है कि सत्य और असत्य में विवाद हुआ। राजा न्याय करता है। वह सत्य की रक्षा करता है और असत्य का मारता है अर्थात् असत्य पक्ष को दण्डित करता है।

सच्चासच्च वचसीपस्पृधाते। तयोर्यत् सत्यं यतरदऋजीयः।

तदित् सोमोऽवति हन्त्यासत्।¹⁷

वेदों में न्यायाधीश के अधिकार और कर्तव्य, न्याय-पद्धति, साक्ष्य विधि, न्यायपालिका का स्वरूप, न्यायपालिका के अधिकारी आदि विषयों पर अधिक विवरण नहीं मिलता है। स्मृति ग्रंथों में इस विषय पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

निष्कर्ष - वेदों में वर्णित राज व्यवस्था की वर्तमान में प्रासांगिकता शोधालेख शीर्षक से सम्बन्धित विभिन्न तत्त्वों का अनुसंधान करने से ज्ञात होता है कि मानवीय समाज को अनुशासनबद्ध तरीके से संचालित करने के लिये राजा या राज्य की नितान्त आवश्यकता है। वेदों एवं उनसे सम्बन्धित अन्य संस्कृत ग्रंथों में राजा या राज्य के जिस स्वरूप का वर्णन मिलता है वह हमारे देश में भी वर्तमान में पूर्ण रूप से प्रासांगिक अपरिहार्य एवं अनिवार्य

है। भारत देश में एक विशाल संविधान है जिसके अनुसार राज व्यवस्था की स्थापना की गई है जिसमें राज्य, राज्य के विभिन्न अंगों जैसे स्वामी या राजा (राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री), अमात्य या मंत्री, पुर या दुर्ग (राजधानी), जनपद अर्थात् राज्य एवं केन्द्र शासित राज्य, कोष (वित्त मंत्रालय), दण्ड (सेना) एवं न्यायपालिका आदि की व्यवस्था की गई है जिससे लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा सके। वित्त पर नियंत्रण करने के लिये महालेखा परीक्षक की भी व्यवस्था की गई है जो भारत एवं उसके सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की संचित निधि से किये जाने वाले व्यय की समीक्षा करता है और प्रतिवेदन देता है कि ऐसा व्यय विधितः किया गया है अथवा नहीं।

इस प्रकार राज्य व्यवस्था की स्थापना होने से जनता के सर्वांगीण, सांस्कृतिक, नैतिक एवं भौतिक विकास के साथ शान्ति और सुरक्षा की स्थापना की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अथर्ववेद 4-8-1, 11-12-2, 12-3-31, 18-8-15, 18-4-31, 32, 3-4-2
2. मनु 9-294, महाभारत शांतिपर्व 69.65, कौटिल्य अर्थशास्त्र 5.35, शुक्रनीति 1.61
3. शुक्रनीति 5.11
4. मनुस्मृति 9.294
5. यजुर्वेद 20.2
6. यजुर्वेद 10.7
7. यजुर्वेद 306 और 19
8. ऋग्वेद 10.173.1 से 61, अथर्ववेद 3.4.1 से 7, 6.87.1 से 31, 6.88.1 से 3
9. अथर्ववेद 6.88.3
10. तैत्तिरीय ब्राह्मण 2.2.10, 1 और 2
11. शतपथ ब्राह्मण 13.4.2.17
12. यजुर्वेद 9.22
13. ऋग्वेद 10.138.6
14. अथर्ववेद - 12.1.1
15. अथर्ववेद 7.12.3
16. अथर्ववेद 20.13.3
17. मनुस्मृति 7.22
18. काठक संहिता 27.4
19. अथर्ववेद 4.16.1
20. ऋग्वेद 10.17.12, तैत्तिरीय संहिता 4.26.4
21. ऋग्वेद 7.104.12

रतलाम जिले में रेशम उत्पादन का लागत - लाभ विश्लेषण

डॉ. लक्ष्मण परवाल* दीपिका शर्मा**

शोध सारांश - सेरिकल्चर (रेशम उत्पादन) एक कृषि आधारित उद्योग है। जिसने देश के ग्रामीण जनजीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया है। ग्रामीण जन जीवन के उत्थान में सेरिकल्चर का अहम् योगदान है। प्रस्तुत शोध में मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में रेशम उत्पादन में लागत और लाभ का विश्लेषण प्रस्तुत है। रतलाम जिला रेशम उत्पादन के गैरपारंपरिक क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र के 50 किसानों से समंको का संकलन किया गया है। ऑकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि कुल लागत के आधार पर सर्वाधिक व्यय शहतूत (मलबरी) उद्यान की स्थापना में 41005 रु का किया गया जिसका सबसे अधिक व्यय मानव श्रम के रूप में 30000 रु (73.16 %) किया गया। वहीं दूसरी ओर ओ.पी.सी. गणना के आधार पर शहतूत की पत्तियों के उत्पादन में सबसे अधिक लागत 12382 रु का वहन किया गया। जिसमें सबसे अधिक लागत रासायनिक उर्वरक पर 5540 रु (43.07 %) की आई। जिले में ककून की 3 फसलें प्रति वर्ष प्रति एकड़ उत्पादित की जाती हैं। कुल लागत गणना के आधार पर सम्पूर्ण रेशम उत्पादन में 71135 रु की लागत आती है जबकि ओ.पी.सी. गणना के आधार पर यह लागत 13361 रु आती है। जिले में औसतन 220 डी.एफ.एल.एस. (स्वस्थ समूह) पाले जाते हैं जिनसे औसतन 139 किलो ककून का उत्पादन होता है और इससे 16110 रु की सकल आय प्राप्त होती है। इस प्रकार किसान को कुल लागत गणना के आधार पर 55025 रु की हानि होती है। जबकि ओ.पी.सी. लागत गणना के आधार पर 2749 रु का लाभ प्राप्त होता है।

प्रस्तावना - सामान्यतः सेरिकल्चर शब्द रेशम उत्पादन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। सेरिकल्चर (रेशम उत्पादन) वास्तव में ग्रीक भाषा के एक शब्द सेरिकोस से मिलकर बना है। जिसका अर्थ है - सिल्का और कल्चर शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं कल्टिवेशन से निर्मित है। जिसका अर्थ है - खेती। वास्तव में सेरिकल्चर रेशम उत्पादन की एक विधि है जिसमें की रेशम के कीड़ों का पालन - पोषण करके उनसे रेशम का उत्पादन किया जाता है। रेशम के कीड़ों को पोषण के रूप में शहतूत की पत्तियाँ प्रदान की जाती हैं¹। सेरिकल्चर ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में या दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ - साथ आय का स्रोत भी प्रदान किया है। जिसने उनके जीवन यापन को पूर्णतः आर्थिक उत्थान के साथ परिवर्तित कर दिया है। इसका प्रभाव यह भी देखा गया है कि सेरिकल्चर को अपनाने से ग्रामीणों का शहर की ओर रोजगार के लिये होने वाले पलायन में कमी आई है²। यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें न्यूनतम लागत एवं श्रम के द्वारा अधिकतम आय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए सेरिकल्चर को गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लिए कल्पवृक्ष या कामधेनु की संज्ञा दी गई है³। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जिसकी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आश्रित है। हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। इन समस्त फसलों का देश के अलग - अलग प्रदेशों में वहाँ की जलवायु, मौसम या वर्षा के आधार पर उत्पादन किया जाता है। किन्तु सेरिकल्चर अर्थात् रेशम के उत्पादन के लिए हमारे देश की जलवायु उपयुक्त है।

वर्तमान में देश के लगभग सभी राज्यों में रेशम का उत्पादन होने लगा है। उनमें से एक राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश रेशम उत्पादन की दृष्टि से गैरपारंपरिक राज्य में शामिल है क्योंकि विगत कुछ वर्षों से ही मध्य प्रदेश में रेशम का उत्पादन किया जाने लगा है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 जिले

तथा 10 संभाग हैं जिनमें से रतलाम जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत मालवा के पठार पर स्थित है। प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी के द्वारा रतलाम जिले में रेशम उत्पादन में लगने वाली लागत तथा उससे होने वाले लाभ का विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

अध्ययन का क्षेत्र तथा विधि - प्रस्तुत शोध कार्य मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में रेशम उत्पादन को प्रस्तुत करता है। यह जिला रेशम के संबंध में गैरपारंपरिक क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्र जैसे - पलाश, ईसरथुनी, ईमलीपाडा, रानीसिंग आदि क्षेत्रों में रेशम का उत्पादन किया जाता है। जिले में रेशम उत्पादन में अधिकांश किसान आदिवासी समुदाय के हैं। जिनका जीवन स्तर निम्न है। ये किसान अपना जीवनयापन या तो खेती के द्वारा करते हैं या फिर मजदूरी के द्वारा। शोधार्थी के द्वारा इन ग्रामीण क्षेत्रों में से यादच्छिक रूप से 50 किसानों को चुना गया है तथा इनसे रेशम उत्पादन संबंधित समंको का संकलन किया गया है। ये किसान इस क्षेत्र में शहतूत की खेती से ककून उत्पादन तक का सम्पूर्ण कार्य करते हैं। समंको का संग्रहण शोधार्थी स्वयं के द्वारा बनाई गई अनुसूची के आधार पर व्यक्तिगत पूछताछ के द्वारा किया गया है। रतलाम जिले में रेशम उत्पादन का लागत-लाभ विश्लेषण हेतु शोधार्थी द्वारा कुल लागत विधि एवं ओ.पी.सी. लागत (अर्थात् जेब के बाहर की लागत) का उपयोग किया गया है। इन दो विधियों से ऑकड़ों का विश्लेषण करके लागत और लाभ को प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. रतलाम जिले में शहतूत उद्यान की स्थापना लागत (प्रति एकड़) ज्ञात करना।
2. रतलाम जिले में शहतूत की पत्तियों की उत्पादन लागत (प्रति एकड़) ज्ञात करना।

* प्राध्यापक (वाणिज्य) स्वामी विवेकानन्द वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, स्वामी विवेकानन्द वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

3. रतलाम जिले में ककून उत्पादन की लागत ज्ञात करना।
4. रतलाम जिले में रेशम उत्पादन की समग्र लागत एवं लाभ का विश्लेषण करना।

परिणाम एवं विवेचना - रेशम उत्पादन की प्रक्रिया तीन चरण में सम्पूर्ण होती है। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में इन तीन चरणों

1. शहतूत के उद्यान की स्थापना
2. शहतूत की पत्तियों का उत्पादन तथा
3. ककून के उत्पादन को गणना में सम्मिलित किया गया है।

(1) रतलाम जिले में शहतूत उद्यान की स्थापना में लागत - रेशम उत्पादन हेतु सर्वप्रथम शहतूत के उद्यान की स्थापना की जाती है क्योंकि शहतूत की पत्तियाँ ही रेशम के कीड़ों का मुख्य आहार होती है। शोधार्थी द्वारा मानव श्रम, पशु श्रम, मशीन श्रम, खाद, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, अन्य व्यय, भू-राजस्व तथा कार्यशील पूंजी पर ब्याज के आधार पर प्रति एकड़ में शहतूत उद्यान की स्थापना की लागत की गणना की गई है। शहतूत के उद्यान की स्थापना में लागत का विवरण निम्न तालिका क्रमांक 1 में वर्णित है।

तालिका क्रमांक 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

शोधार्थी द्वारा लागत की गणना हेतु दो विधियों को प्रयोग में लाया गया है।

(1) कुल लागत विधि - कुल लागत (टी.सी. लागत) से तात्पर्य उस लागत से है जिसमें हितग्राही द्वारा किये गये सम्पूर्ण व्यय को गणना में सम्मिलित किया जाता है।

(2) जेब से बाहर की लागत या नकद लागत विधि - जेब से बाहर की लागत (ओ.पी.सी. लागत) से तात्पर्य उस लागत से है जिसमें हितग्राही द्वारा किये गए नकदी व्ययों को ही गणना में सम्मिलित किया जाता है।

तालिका क्रमांक 1 में कुल लागत एवं ओ.पी.सी. लागत के आधार पर शहतूत उद्यान की स्थापना लागत प्रदर्शित है। तालिका से स्पष्ट है कि जिले में शहतूत उद्यान की स्थापना में 41005 रु प्रति एकड़ की लागत आती है। इस लागत में से सर्वाधिक 30000 रु (73.16%) की लागत मानव श्रम पर वहन की गई। इसके पश्चात कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पशु श्रम, मशीन श्रम, खाद, रासायनिक उर्वरक, अन्य व्यय तथा भू-राजस्व पर क्रमशः 3812 रु (9.29%), 1107 रु (2.69%), 1880 रु (4.58%), 1160 रु (2.82%), 1846 रु (4.5%), 1100 रु (2.68%) तथा 100 रु (0.24%) की लागत दर्ज की गई। जिले में सिंचाई (बिजली) पर किसी भी प्रकार का भुगतान किसान को नहीं करना पड़ता है क्योंकि शासन द्वारा जिले के किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान की जाती है।

तालिका क्रमांक 1 में ओ.पी.सी. लागत के आधार पर शहतूत उद्यान की स्थापना में लगी लागत प्रदर्शित है। तालिका से स्पष्ट है कि जिले में शहतूत उद्यान की स्थापना में 7193 रु प्रति वर्ष प्रति एकड़ की लागत आई। इस लागत में सर्वाधिक 1880 रु (26.13%) की लागत मशीन श्रम पर वहन की गई। इसके पश्चात रासायनिक उर्वरक, पशु श्रम, खाद, अन्य तथा भू-राजस्व पर क्रमशः 1846 रु (25.66%), 1107 रु (15.38%), 1160 रु (16.12%), 1100 रु (15.29%) तथा 100 रु (1.39%) की लागत दर्ज की गई।

(2) रतलाम जिले में शहतूत की पत्तियों के उत्पादन में लागत - शहतूत उद्यान की स्थापना के बाद द्वितीय चरण में शहतूत की पत्तियों का उत्पादन किया जाता है। शहतूत उद्यान को एक बार स्थापित करने के बाद उद्यान से लगभग 15 वर्षों तक शहतूत की पत्तियाँ ली जा सकती है। रतलाम

जिले में शहतूत की पत्तियों के उत्पादन में आई लागत का विवरण निम्न तालिका क्रमांक 2 में वर्णित है।

तालिका क्रमांक 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका क्रमांक 2 में कुल लागत एवं ओ.पी.सी. लागत के आधार पर शहतूत की पत्तियों की उत्पादन लागत प्रदर्शित है। शहतूत की पत्तियों के उत्पादन में कुल 36670 रु की लागत आई। इस लागत का सर्वाधिक व्यय मानव श्रम पर 18400 रु (50.17%) किया गया। इसके बाद रासायनिक उर्वरक, कार्यशील पूंजी, पशु श्रम, खाद, अन्य व्यय तथा भू-राजस्व पर क्रमशः 5540 रु (15.10%), 3155 रु (8.60%), 3322 रु (9.05%), 2320 रु (6.32%), 1100 रु (2.99%) तथा 100 रु (0.27%) की लागत आई।

तालिका से स्पष्ट है कि ओ.पी.सी. गणना के आधार पर शहतूत की पत्तियों के उत्पादन में 12861 रु की लागत आई। इस लागत का सर्वाधिक व्यय 5540 रु (43.07%) रासायनिक उर्वरक तथा 3322 रु (25.83%) पशु श्रम पर वहन किया गया। इसके पश्चात खाद, अन्य तथा भू-राजस्व पर क्रमशः 2320 रु (18.03%), 1100 रु (8.55%) तथा 100 रु (0.77%) की लागत दर्ज की गई।

(3) रतलाम जिले में ककून उत्पादन में लागत एवं लाभ का विवरण

- शहतूत उद्यान की स्थापना तथा शहतूत की पत्तियों के उत्पादन के पश्चात कृमिपालन का कार्य किया जाता है। इस प्रक्रिया में रेशम के कीड़ों का पालन-पोषण करके उनसे ककून का उत्पादन किया जाता है। जिले में हितग्राहियों को ककून उत्पादन के लिए DFSL (स्वस्थ समूह) शासन द्वारा निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं। इसके अलावा कीटनाशक भी शासन द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। निम्न तालिका क्रमांक 3 में जिले में ककून उत्पादन की लागत का विश्लेषण वर्णित है।

तालिका क्रमांक 3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

कृमिपालन हेतु कृमिपालक द्वारा कृमिपालन भवन एवं कृमिपालन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। शोधार्थी द्वारा कृमिपालन भवन एवं कृमिपालन उपकरणों पर मूल्यहास तथा स्थायी पूंजी पर ब्याज की गणना की गई है। तालिका क्रमांक 3 में कुल लागत के आधार पर ककून उत्पादन की लागत प्रदर्शित है। तालिका में वर्णित आँकड़ों से स्पष्ट है कि कृमिपालन भवन, कृमिपालन उपकरणों पर हास तथा स्थायी लागत पर ब्याज के आधार पर ककून उत्पादन पर कुल स्थायी लागत 8689 रु दर्ज की गई जो कि कुल लागत का 12.21% है। तालिका स्पष्ट है कि परिवर्तनशील लागत में मुख्य रूप से मानव श्रम पर सर्वाधिक 22880 रु की लागत दर्ज की गई है जो कि कुल लागत का 32.16% है। इसके अलावा अन्य व्यय पर 500 रु (0.7%) की लागत आई है। इस प्रकार कुल परिवर्तनशील लागत 62446 रु (87.78%) दर्ज की गई। इस प्रकार ककून उत्पादन पर कुल लागत 71135 रु (प्रति वर्ष प्रति एकड़) दर्ज की गई।

तालिका क्रमांक 3 में ककून उत्पादन की लागत प्रदर्शित है। ओ.पी.सी. लागत की गणना में मूल्यहास तथा ब्याज को शामिल नहीं किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि अन्य व्यय पर 500 रु (3.74%) की लागत आई। इस प्रकार शहतूत की पत्तियों के उत्पादन में कुल परिवर्तनशील लागत 12861 रु दर्ज की गई है। इस प्रकार गणना द्वारा कुल ककून उत्पादन की ओ.पी.सी. लागत 13361 रु (प्रति वर्ष प्रति एकड़) दर्ज की गई।

(4) रतलाम जिले में रेशम उत्पादन की समग्र लागत एवं लाभ का विवरण - रेशम उत्पादन की सम्पूर्ण प्रक्रिया शहतूत के उद्यान की स्थापना,

उद्यान से पत्तियों का उत्पादन तथा कृमिपालन का सम्मिश्रण है। अतः शोधार्थी द्वारा प्रत्येक भाग का अलग-अलग विश्लेषण करने के पश्चात समग्र लागत एवं लाभ का विश्लेषण किया जो कि निम्न तालिका क्रमांक 4 में वर्णित है।

तालिका क्रमांक 4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका क्रमांक 4 में गणना के आधार पर प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि जिले में प्रति वर्ष प्रति एकड़ कृमिपालन को द्वारा औसतन 3 फसल ली जाती है। जिले में प्रति वर्ष प्रति एकड़ औसतन 16500 किलो ग्राम (03 फसलो में) शहतूत की पत्तियों का उत्पादन होता है। जिस पर 36670 रु की लागत आती है। इस आधार पर प्रति किलोग्राम शहतूत पत्तियों की कीमत 2.22 रु प्राप्त होती है। जिले में औसतन 220 स्वस्थ समूहों का पालन किया गया है। जिनसे औसतन 139 किलोग्राम ककून का उत्पादन प्राप्त हुआ। कुल लागत विधि से जिले के कृमिपालक को ककून उत्पादन से 16110 रु की सकल आय हुई है और इस उत्पादन में प्रति वर्ष प्रति एकड़ 71135 रु की लागत दर्ज की गई है। इस आधार पर प्रति किलो ककून की औसतन लागत 511.76 रु है। इस प्रकार प्रति वर्ष प्रति एकड़ ककून उत्पादन में लागत तथा लाभ का अनुपात 1 : 0.22 प्राप्त हुआ। अर्थात् यदि कृमिपालक द्वारा 1 रु लगाया जाता है तो उसे मात्र 0.22 पैसे की आय प्राप्त होती है।

तालिका क्रमांक 4 में ओ.पी.सी. गणना के आधार पर प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि जिले में प्रति वर्ष प्रति एकड़ शहतूत की पत्तियों के उत्पादन पर 12861 रु की लागत आती है। इस आधार पर प्रति किलोग्राम शहतूत पत्तियों की लागत 2.22 रु प्राप्त होती है। जिले के कृमिपालक को ककून उत्पादन से 16110 रु की सकल आय हुई है और इस उत्पादन में प्रति वर्ष प्रति एकड़ 13361 रु की लागत दर्ज की गई है। इस आधार पर प्रति किलो ककून की औसतन लागत 96.12 रु है। इस प्रकार प्रति वर्ष प्रति एकड़ ककून उत्पादन में लागत तथा लाभ का अनुपात 1 : 1.20 प्राप्त हुआ।

निष्कर्ष - जिले में प्रति वर्ष ककून की 03 फसले उत्पादित की जाती हैं। जिले में शासन के नियमानुसार प्रति एकड़ भूमि पर ही ककून का उत्पादन किया जाता है एवं इसी आधार पर कृमिपालक को शासन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गणना से स्पष्ट है कि जिले में प्रति वर्ष प्रति एकड़ 16500 किलोग्राम शहतूत की पत्तियों का उत्पादन किया जाता है।

जिसकी प्रति किलोग्राम लागत 2.22 रु दर्ज की गई। जिले में औसतन 220 अण्डे प्रति वर्ष पाले जाते हैं जिनसे 139 किलोग्राम ककून का उत्पादन होता है।

रतलाम जिले सम्पूर्ण कृमिपालन में लागत - लाभ का विश्लेषण तीन बिंदुओं के आधार पर किया गया। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शहतूत उद्यान की स्थापना, शहतूत की पत्तियों का उत्पादन तथा ककून उत्पादन में से सर्वाधिक लागत (41005 रु कुल लागत गणना के आधार पर) तथा (7193 रु ओ.पी.सी. लागत गणना के आधार पर) शहतूत उद्यान की स्थापना में दर्ज की गई। कृमिपालन की तीनों गणनाओं में सर्वाधिक व्यय (कुल लागत गणना के आधार पर) मानव श्रम पर दर्ज किया गया। इसके पश्चात रासायनिक उर्वरक पर (कुल लागत गणना और ओ.पी.सी. गणना के आधार पर) सर्वाधिक लागत का वहन किया गया।

गणना से स्पष्ट है कि कुल लागत गणना के आधार पर कृमिपालक को प्रति एकड़ प्रति वर्ष कृमिपालन में 55025 रु की हानि का वहन करना पड़ता है। किन्तु ओ.पी.सी. गणना के आधार पर कृमिपालक को कृमिपालन में प्रति वर्ष प्रति एकड़ 2749 रु की शुद्ध आय प्राप्त होती है। इस प्रकार कुल लागत गणना के आधार पर जिले में कृमिपालन में लागत - लाभ अनुपात 1 : 0.22 प्राप्त होता है जो कि 1 रु पर 22 पैसे की आय को व्यक्त करता है। वही दूसरी ओर ओ.पी.सी. गणना के आधार पर जिले में कृमिपालन में लागत - लाभ अनुपात 1 : 1.20 प्राप्त होता है जो यह दर्शाता है कि कृमिपालक को 1 रु पर 1 रु 20 पैसे की आय प्राप्त होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Raya and Y. S. Hanumantha, 1996, Employment generation through sericulture in Karnataka state with special reference to Tumkur district a case study of Pavagada Taluk.
2. S. Marella, 2013, Journal of Biological and Chemical research, and International Journal of Life Science and Chemistry, 30(2): 959-990.
3. Muniraju, 1988, Sericulture a tool for Rural Development, Central Silk Board, Bangalore, 35.

तालिका क्रमांक 1 - रतलाम जिले में शहतूत उद्यान की स्थापना लागत का विवरण (प्रति एकड़)

क्र.	विवरण	इकाई	मात्रा	कुल लागत (टी.सी.) (रु)	कुल लागत में अंश (%)	ओ.पी.सी. लागत (रु)	ओ.पी.सी. लागत में अंश (%)
1	मानव श्रम	मा.दि.	171	30000	73.16	-	-
2	पशु श्रम	घण्टे	08	1107	2.69	1107	15.38
3	मशीन श्रम	घण्टे	04	1880	4.58	1880	26.13
4	खाद	मी.टन	1.5	1160	2.82	1160	16.12
5	रासायनिक उर्वरक	किग्रा.	77	1846	4.50	1846	25.66
6	सिंचाई (बिजली)	-	-	-	-	-	-
7	अन्य	रु		1100	2.68	1100	15.29
8	भू-राजस्व	रु		100	0.24	100	1.39
9	कार्यशील पुंजी पर ब्याज 10.25 %	रु		3812	9.29	-	-
	कुल			41005	100	7193	100

स्रोत - सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त समंको के आधार पर

तालिका क्रमांक 2 - रतलाम जिले में शहतूत की पत्तियों की उत्पादन लागत का विवरण (प्रति एकड़ प्रति वर्ष)

क्र.	विवरण	इकाई	मात्रा	टी.सी. लागत (₹)	कुल लागत में अंश (%)	ओ.पी.सी. लागत (₹)	ओ.पी.सी. लागत में अंश (%)
I	परिचालन लागत						
1	मानव श्रम	मानव दिवस	84	18400	50.17	-	-
2	पशु श्रम	घण्टे	24	3322	9.05	3322	25.83
3	खाद	मी. टन	3.0	2320	6.32	2320	18.03
4	रासायनिक उर्वरक	कि.ग्रा.	231	5540	15.10	5540	43.07
5	सिंचाई (बिजली)	₹	-	-	0	-	0
6	अन्य	₹		1100	2.99	1100	8.55
7	भू-राजस्व	₹		100	0.27	100	0.77
8	कार्यशील पूंजी पर ब्याज 10.25 %	₹		3155	8.60	-	0
परिचालन लागत				33937	92.58	12382	96.37
II	स्थायी लागत (प्रति एकड़ शहतूत उद्यान की स्थापना में अंश)			2733	7.42	479	7.45
III	कुल (ख + खख)			36670	100	12861	100

नोट - स्थापना की कुल लागत की गणना 15 वर्षों में विभाजित की गई है।

स्रोत - सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त समंको के आधार पर

तालिका क्रमांक 3 - रतलाम जिले में ककून उत्पादन में लागत का विवरण (प्रति एकड़ प्रति वर्ष)

क्र.	विवरण	मूल्यहास	कुल लागत में अंश (%)	ओ.पी.सी. लागत (₹)	कुल लागत में अंश (%)
अ	स्थायी लागत				
1	कृमिपालन भवन	6875	9.66	00.00	00.00
2	कृमिपालन उपकरण	1250	1.75	00.00	00.00
3	स्थायी पूंजी पर ब्याज @ 6.95 % प्रति वर्ष	564	0.80	00.00	00.00
	कुल स्थायी लागत (अ)	8689	12.21	00.00	00.00
ब	परिवर्तनशील लागत टी. सी. लागत (₹)			ओ.पी.सी. लागत (₹)	
1	मानव श्रम	22880	32.16	00.00	00.00
2	डी एफ एल एस	00.00	00.00	00.00	00.00
3	कीटनाशक	00.00	00.00	00.00	00.00
4	अन्य	500	0.70	500	3.74
5	कार्यशील पूंजी पर ब्याज @ 10.25 % प्रति वर्ष	2396	3.36	00.00	00.00
6	पत्तियों की लागत	36670	51.54	12861	96.25
	कुल परिवर्तनशील लागत (ब)	62446	87.78	13361	100
	कुल लागत (अ+ब)	71135	100	13361	100

स्रोत - सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त समंको के आधार पर

तालिका क्रमांक 4 - रतलाम जिले में रेशम उत्पादन की समग्र लागत एवं लाभ का विवरण (प्रति एकड़ प्रति वर्ष)

क्र.	विवरण	इकाई	टी. सी. राशि	ओ.पी.सी. राशि
1	शहतुत की कृषि के अन्तर्गत औसत क्षेत्रफल	एकड़	01	01
2	औसत पत्तियों का उत्पादन (प्रति एकड़ प्रति वर्ष)	किलो ग्राम	16500	16500
3	पत्तियों की लागत (प्रति एकड़ प्रति वर्ष)	रु	36670	12861
4	पत्तियों की लागत (प्रति किलो ग्राम)	रु	2.22	1.28
5	औसतन डी एफ एल एस	संख्या	220	220
6	औसतन ककून उत्पादन (प्रति एकड़ प्रति वर्ष)	किलो ग्राम	139	139
7	औसतन फसलों की संख्या (प्रति एकड़ प्रति वर्ष)	संख्या	03	03
8	ककून की औसत लागत (प्रति एकड़ प्रति वर्ष)	रु	71135	13361
9	ककून की औसत लागत (प्रति किलो ग्राम)	रु	511.76	96.12
10	सकल आय (प्रति एकड़ प्रति वर्ष)			
	ककून से प्राप्त आय (अ)	रु	16110	16110
	उप उत्पाद से प्राप्त आय (ब)		00	00
	कुल सकल आय (अ+ब)		16110	16110
11	ककून की औसत लागत (प्रति एकड़ प्रति वर्ष)	रु	71135	13361
12	शुद्ध लाभ / हानि	रु	- 55025	2749
13	लागत-लाभ अनुपात		1 : 0.22	1 : 1.20

मानव संसाधन (जनसंख्या) के संदर्भ में उदयपुर एवं जोधपुर जिले का तुलनात्मक अध्ययन (1981-2011 ई.)

डॉ. हेमेन्द्र सिंह सारंगदेवोत *

प्रस्तावना – मानव जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले स्रोत 'संसाधनों' में मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति की संभावनाएँ निहित होती हैं। मानव स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या तथा संसाधन परस्पर अन्योन्य क्रिया द्वारा उस क्षेत्र में विकास स्तर को निर्धारित करते हैं। क्षेत्र में संसाधनों की समय विशेष में उपलब्धता, उनका समुचित उपयोग तथा नवीनीकरण उस क्षेत्र की जनसंख्या के आकार, संरचना, विकास एवं परम्पराओं से पूर्णतः जुड़े होते हैं।¹ मानव स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मनुष्य की शारीरिक (परिश्रम) एवं मानसिक क्षमता (ज्ञान) संसाधन के रूप है। जिस देश के मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से सक्षम होते हैं वे विकसित देश कहलाते हैं। जहाँ दोनों या दोनों में से किसी एक भी क्षमता या योग्यता का अभाव है वहाँ के मनुष्य विकासशील देश के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाते हैं। किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या का अनुपात मनुष्य के संसाधनीय स्वरूप का प्रमुख प्रतीक है।²

जनसंख्या वृद्धि का इतिहास मेधावी मानव और प्रकृति के बीच होने वाले निरन्तर संघर्ष की ओर संकेत करता है और पर्यावरण के साथ सामंजस्य नियंत्रण एवं परिष्कृत करने में मानव को सफलता भी मिली है, किन्तु मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में अनेक जनांकिकीय परिवर्तन हुए हैं। अतः जनसंख्या की क्रमिक वृद्धि के बारे में अध्ययन एवं तुलनात्मक विश्लेषण आवश्यक है। समय की विशिष्ट अवधि में किसी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या की संख्या में परिवर्तन को 'जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन' कहते हैं चाहे यह परिवर्तन ऋणात्मक हो या धनात्मक।³

भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित राजस्थान राज्य की भौगोलिक स्थिति 23°3' से 30°12' उत्तरी अक्षांशों तथा 69°30' से 78°17' पूर्वी देशांतरों के मध्य है।⁴ राजस्थान का जोधपुर जिला राज्य के पश्चिमी भाग में 26°0' से 27°37' उत्तरी अक्षांशों तथा 72°55' से 73°52' पूर्वी देशान्तर के मध्य उत्तर से दक्षिण 197 किमी. की लम्बाई तथा पूर्व से पश्चिम 208 किमी. की चौड़ाई में स्थित है।⁵ राज्य के दक्षिणांचल में स्थित उदयपुर जिले का विस्तार 23°46' से 26°20' उत्तरी अक्षांशों एवं 73°0' से 74°35' पूर्वी देशान्तरों के मध्य स्थित है।⁶ जनगणना 1991 के आंकड़े खण्डित जिले उदयपुर के हैं, क्योंकि 1981 ई. में संयुक्त जिले (राजसमन्द एवं उदयपुर) का 9 अप्रैल 1991 ई. में राजसमन्द जिला उदयपुर से अलग बन गया।⁷

1559 ई. में मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह प्रथम के पुत्र महाराणा

उदयसिंह (गुहिलोत सिसोदिया) ने अरावली पर्वत शृंखलाओं व घाटियों से घिरे (गिर्वा) दक्षिण पश्चिम मेवाड़ में उदयपुर नगर की नींव डालकर इसे मेवाड़ राज्य की राजधानी बनाया।⁸ मारवाड़ के राव रणमल राठौड़ (राष्ट्रकूट) के पुत्र राव जोधा ने 13 मई 1459 ई. को जोधपुर किले की नींव डालकर जोधपुर शहर आबाद कर इसे मारवाड़ राज्य की राजधानी बनाया। तभी से यह जोधपुर राज्य भी कहलाया।⁹

राजस्थान में जनगणना ब्रिटिश शासनकाल से (1871-72 ई. में गवर्नर जनरल लॉड मेयो के काल में) प्रारंभ हो गई थी किंतु यह अनियमित थी। राजस्थान में भी जनसंख्या वृद्धि क्रमिक रूप में रही है। राजस्थान में भी भारत के साथ ही भारत के साथ ही 1881 ई. में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के काल में एवं 1891 ई. व 1901 ई. के बाद निरंतर जनगणना होने लगी। किंतु 1911 ई. से राज्य की वैज्ञानिक रूप से सांगोपांगो तरीके से गणना प्रारंभ हुई।¹⁰

राजस्थान राज्य देश के लगभग 10.41% क्षेत्रफल पर विस्तृत है जिस पर समग्र देश की केवल 5.50% जनसंख्या ही निवास करती है। राजस्थान में 1898 ई. में 1 करोड़ जनसंख्या हुई जो 1961 ई. में 2.01 करोड़ से बढ़कर 2001 ई. में 5.65 करोड़ हो गयी।¹¹

पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश (12 जिले) में समतल भूमि होने के बावजूद भी जलाभाव, अनावृष्टि, अत्यधिक तापान्तर, आर्थिक क्रियाओं के लिए संसाधनों की कमी एवं वनस्पति व जैविक तत्वों का अभाव पाये जाने के कारण जनसंख्या का विरल वितरण पाया जाता है।¹² इसी शुष्क प्रदेश के जोधपुर जिले का क्षेत्रफल 22850 वर्ग किमी. व जनसंख्या (2001 ई.) 28,86,505 और जनघनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) 126 था।¹³ जबकि मध्य-दक्षिण का अरावली पहाड़ी प्रदेश (6 जिले) जंगली क्षेत्रों व नदी घाटियों के कारण सघन जनसंख्या से युक्त रहा है एवं इसके सभी जिलों में जनसंख्या घनत्व 165 से अधिक पाया जाता है।¹³ (अ) इसी अरावली प्रदेश के उदयपुर जिले का क्षेत्रफल 12,511 वर्ग किमी., जनसंख्या (2001 ई.) 26,33,312 और जनघनत्व 196 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. रहा है।¹⁴

1981 ई. में जोधपुर जिले में 1667791 कुल जनसंख्या थी जो 2001 में 2886505 हो गई।¹⁵ जबकि जनगणना 1981 के अनुसार उदयपुर जिले की जनसंख्या 2356959 थी जिसमें से 1191909 पुरुष व 1165050 स्त्रियां थी। जिले के ग्रामीण व नगरीय स्थानों में क्रमशः 2001840 व 355119 व्यक्ति रहते पाए गए।¹⁶




Table 1 (see in last page)

मानव की कार्यक्षमता पर सबसे अधिक प्रभाव जलवायु का होता है। राज्य के पश्चिमी भाग में उष्ण व शुष्क जलवायु होने के कारण मानव की कार्यक्षमता भी निम्न पायी जाती है क्योंकि व्यक्ति अल्प समय में ही थकान महसूस करने लगता है जबकि राज्य के दक्षिणी-पूर्वी भाग में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु होने के कारण मानव की कार्यक्षमता अधिक पायी जाती है। राज्य के पश्चिमी भाग में कार्यक्षमता 15 से 45 वर्ष मानी जाती है जबकि शीतोष्ण प्रदेशों में 20 से 65 वर्ष तक व्यक्ति कार्य कर सकता है।

जनसंख्या की आर्थिक संरचना का विश्लेषण करते समय किसी क्षेत्र में निवासित सम्पूर्ण जनसंख्या व मानव शक्ति में अन्तर स्थापित करना आवश्यक होता है। मानव शक्ति के अन्तर्गत केवल वे ही लोग सम्मिलित है, जो उनकी मांग होने पर आर्थिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं अर्थात् उत्पादन कार्यों एवं सेवाओं में लगे रहते हैं तथा आर्थिक क्रियाकलापों में कार्य करने की इच्छा रखते हैं।¹⁷

मानव जिस किसी भी प्रकार के कार्य में लगा रहता है, उसे उसका व्यवसाय कहते हैं अर्थात् जीविकोपार्जन तथा जीवन-यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। इस व्यवसाय को करने में जो शक्ति कार्य करती है, उसे जनसंख्या की कार्य शक्ति कहते हैं।¹⁸

मानव विकास सूचकांक 2001 के अनुसार मानव विकास सूचकांक सूची में राजस्थान राज्य में उदयपुर जिला 0.503 अंक रखते हुए राज्य में 27 वें स्थान पर है जबकि जोधपुर जिला 0.567 अंक रखते हुए 13वें स्थान पर है।¹⁹ राजस्थान राज्य में जिलानुसार जनसंख्या का जीवन स्तर के संदर्भ में 2001 की सूची के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का प्रतिशत जोधपुर में 11.2 एवं राज्य में स्थान 31वां जबकि उदयपुर का 51.6% बी.पी.एल. परिवारों के साथ राज्य में स्थान तीसरा है।²⁰

1991-2001 के दशक में राजस्थान में जिलानुसार कार्यशीलता की सूची में उदयपुर जिले की 1991 में कार्य सहभागिता दर 43.41% एवं 2001 में 41.80% थी जबकि जोधपुर जिले की 1991 में 36.49% एवं 2001 में 38.28% रही।²¹ 2001 में राजस्थान में मध्यम जनसंख्या कार्यशक्ति वाले जिलों की सूची में उदयपुर 41.80% के साथ जबकि जोधपुर

निम्न जनसंख्या कार्यशक्ति वाले जिलों की सूची में 38.28% के साथ रहा।²² राजस्थान का जोधपुर जिला (1991-2001 के दशक में 33.77%) उच्च जनवृद्धि क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसमें जनसंख्या वृद्धि 30% से अधिक होती है। इस जिले में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के अग्रलिखित कारण हैं- (1) इस पश्चिमी रेगिस्तानी जिले में साक्षरता व जनचेतना का अभाव (2) प्राथमिक व्यवसायों की अधिकता के कारण कृषि व पशुपालन परम्परागत ढंग से किया जाता है। अतः मानवीय श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। (3) जन्म दर, मृत्यु दर से बहुत अधिक है। (4) स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण प्रजनन दर अधिक पायी जाती है। (5) परिवहन व संचार-साधनों की कमी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम पर कम ध्यान दिया गया।²³

राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 1981-1991 के दशक में +28.44% एवं 1991-2001 के दशक में +28.33% रही। तब इससे अधिक वृद्धि दर वाले जिलों में जोधपुर +29.12% उल्लेखनीय रहा है।²⁴ जोधपुर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 1981-1991 के दशक में +29.12% एवं 1991-2001 के दशक में +33.77% (या +34.04%) रही।²⁵ जबकि उदयपुर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 1981-1991 के दशक में 24.52% और 1991-2001 के दशक में 27.37% रही।²⁶

अर्थात् जोधपुर जिले की तुलना में उदयपुर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है। उदयपुर जिला (27.37%) मध्यम जनवृद्धि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ मध्यम जनवृद्धि के लिए अग्रलिखित दशाएँ उत्तरदायी हैं-

1. यह जिला विकासशील अवस्था में है जहाँ द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक व्यवसाय बहुलता से किये जाते हैं।
2. सामाजिक व सांस्कृतिक रूप के चेतनाशील यह जिला छोटे परिवार की ओर ध्यान देता है।
3. परिवहन व संचार साधनों का जाल बिछा होने के कारण सामान्य जन साक्षर व चेतनाशील है।
4. यहाँ जन्म दर व मृत्यु दर में मध्यम अंतर पाया जाता है।
5. यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं व परिवार नियोजन कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन किया गया है।²⁷

उदयपुर जिला (47.86%-2001) राजस्थान के उच्च अनुसूचित जनसंख्या प्रदेश के अंतर्गत आता है जहाँ कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनसंख्या का भाग 20% से अधिक है। इस जिले में अनुसूचित जनसंख्या अधिक होने के कारण इस प्रकार है :- (1) धरातलीय विषमताएं अधिक होने से एकांकी जीवन सहजता से प्राप्य (2) वनों की अधिकता (3) वन्य सामग्री की प्रचुरता (4) सड़क, वायु, रेल आदि परिवहन मार्गों का अभाव एवं आधुनिकता का प्रभाव न्यूनतम (5) यहाँ जनजातियों का बहुत बड़ा समूह एक साथ रहता है जिनमें आसानी से सामाजिक आदान-प्रदान होता है एवं राजनीतिक प्रशासनिक हस्तक्षेप से यह जनजाति क्षेत्र मुक्त रहा है।²⁸

जोधपुर जिला (1991 में 2.82% और 2001 में 2.75%) निम्न अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रदेश के अंतर्गत है, जहाँ पर कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का भाग 5% से कम है जिसके कारण है- जनजातियों का आधार कहलाने वाले वनों का अभाव एवं मरुस्थलीय दशा व समतल मैदानों की प्रचुरता जिससे जनजातियाँ अपना स्वाभाविक जीवन व्यतीत नहीं कर सकती हैं।²⁹

राजस्थान में 1991 ई. में लिंगानुपात 910 (2001 ई. में 921) था जिसमें ग्रामीण लिंगानुपात 919 (2001 ई. में 930) एवं नगरीय

लिंगानुपात 879 (2001 ई. में 889) था³⁰ जोधपुर जिले में लिंगानुपात 1991 में 892 व 2001 में 907 था एवं ग्रामीण लिंगानुपात 2001 में 921 एवं नगरीय लिंगानुपात 880 रहा³¹ जबकि उदयपुर जिले में कुल लिंगानुपात 1991 में 956 व 2001 में 971 और ग्रामीण लिंगानुपात 2001 में 988 व नगरीय लिंगानुपात 903 रहा³² इस प्रकार यह सामान्य तथ्य है कि पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में लिंगानुपात कम पाया जाता है जबकि दक्षिणी जिलों में लिंगानुपात अधिक होता है। जनगणना 2001 ई. के अनुसार जोधपुर (907) मध्यम लिंगानुपात वाला जिला है क्योंकि यह कृषि पर जीवन निर्वाह करने वाला यह जिला पर्यटन व उद्योग से संबंधित होने के बावजूद भी विकासशील अवस्था में है जबकि उदयपुर (971) जनगणना 2001 ई. के अनुसार उच्च लिंगानुपात प्रदेश में आने वाले जिलों की सूची में रहा जहाँ प्राथमिक व्यवसायों सहित द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं की बहुलता रही है³³

राजस्थान में साक्षरता 1951 में 8.5%, 1961 में 18.12%, 1971 में 22.57%, 1981 में 30.11% व 1991 में 38.55% और 2001 में 60.04% रही है³⁴ जोधपुर जिले में जनगणना 2001 के अनुसार कुल साक्षरता 56.67% जिसमें से पुरुष साक्षरता 72.96%, महिला साक्षरता 38.64%, कुल ग्रामीण साक्षरता 46.88%, पुरुष ग्रामीण साक्षरता 66.94%, महिला ग्रामीण साक्षरता 25.10% एवं नगरीय साक्षरता दर कुल 76.37%, पुरुष नगरीय साक्षरता दर 86.12%, महिला नगरीय साक्षरता दर 65.28% रही³⁵ जबकि उदयपुर जिले में कुल साक्षरता दर 59.26%, पुरुष साक्षरता दर 74.47%, महिला साक्षरता दर 43.71%, ग्रामीण साक्षरता दर कुल 52.52%, पुरुष ग्रामीण साक्षरता दर 69.52%, महिला ग्रामीण साक्षरता दर 35.46%, कुल नगरीय साक्षरता दर 86.19%, पुरुष साक्षरता दर 93.35%, महिला साक्षरता दर 78.27% रही। इस प्रकार उदयपुर व जोधपुर जिले मध्यम साक्षरता वाले जिलों में रहे है³⁶

राजस्थान में 2001 ई. की जनगणना के अनुसार 23.38% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। उदयपुर व जोधपुर जिले उच्च नगरीकरण स्तर वाले जिलों में सम्मिलित है जहाँ जनजातीय जनसंख्या 18% से 45% के बीच पायी जाती है। उदयपुर पर्यटन केन्द्र के रूप में जबकि जोधपुर सीमा प्रहरी व सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विख्यात है³⁷

1 मार्च, 2011 को राजस्थान की जनसंख्या 68548437 हो गई जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की सूची में जोधपुर 36.87 लाख (राज्य की 5.38%) जनसंख्या के साथ द्वितीय स्थान पर और उदयपुर 5वें स्थान पर 30.68 लाख जनसंख्या के साथ (राज्य की 4.48% जनसंख्या) रहा। जनगणना 2011 के अनुसार जोधपुर जिले की कुल जनसंख्या 3687165, पुरुष जनसंख्या 1923928, महिला जनसंख्या 1763237, दशकीय वृद्धि दर 27.7%, 0-6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या 606490 (राज्य की 16.44%) एवं 0-6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 891 रहा जबकि उदयपुर जिले की कुल जनसंख्या 3068420, पुरुष जनसंख्या 1566801, महिला जनसंख्या 1501619, दशकीय वृद्धि दर 23.7%, 0-6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या 508550, (राज्य की 16.57%), 0-6 वर्ग का लिंगानुपात 924 रहा। राजस्थान राज्य में (2011 ई.) सर्वाधिक महिला साक्षरता दर उदयपुर में 81.2% रही और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी उदयपुर में 93.4% रही एवं सर्वाधिक कुल साक्षरता दर भी उदयपुर में ही 87.5% रही³⁸

जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाले

शहरों की सूची में जोधपुर (1033918) और उदयपुर (451735) उल्लेखनीय शहरों में गिने जा सकते हैं। इस प्रकार जोधपुर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 3 शहरों की सूची में द्वितीय स्थान रखता है³⁹ जबकि 2001 ई. में जोधपुर शहर की जनसंख्या 8.61 लाख (1991-2001 के दशक में 29.2% वृद्धि) और उदयपुर शहर की 3.89 लाख (1991-2001 के दशक में 26.2% वृद्धि) थी⁴⁰ 1981-1991 व 1991-2001 के दशकों में उदयपुर व जोधपुर शहर की जनसंख्या दुगुनी से भी अधिक हो गयी थी⁴¹

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नेगी, डॉ. बी.एस., संसाधन भूगोल, केदारनाथ रामनाथ, दिल्ली, 1994 ई., पृ. 418-420; कस्वां एन.आर., मानव और पर्यावरण, मलिक एण्ड कम्पनी जयपुर, 1999 ई. पृ. 229
2. कौशिक एस.डी., गौतम अलका, संसाधन भूगोल, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ, 2010 ई., पृ. 1-2, 150; प्रो. हीरालाल, जनसंख्या भूगोल, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2000 ई., पृ. 295; माथुर डॉ. भावना, नारायण डॉ. महेश, संसाधन भूगोल, गोरखपुर, 2005 ई., पृ. 247
3. शर्मा राजकुमार, राजस्थान का भूगोल, हिमांशु पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2009 ई., पृ. 150
4. बाला डॉ. लक्ष्मणराम, राजस्थान का भौगोलिक अध्ययन, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 2010 ई., पृ. 9
5. गुप्ता डॉ. मोहनलाल, जोधपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 2011 ई., पृ. 1
6. गुप्ता डॉ. मोहनलाल, राजस्थान का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 2004 ई., पृ. 1 (उदयपुर इतिहास)
7. वहीं, पृ. 164
8. ओझा गौरीशंकर हीराचन्द्र, उदयपुर राज्य का इतिहास, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 2006 ई., पृ. 409; शर्मा डॉ. गोपीनाथ, राजस्थान का इतिहास, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, पृ. 223
9. रेऊ पं. विश्वेश्वरनाथ, मारवाड़ का इतिहास, महाराज मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केन्द्र, जोधपुर, 2009 ई., पृ. 97-98; ओझा गौरीशंकर हीराचन्द्र, जोधपुर राज्य का इतिहास, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 2010 ई., पृ. 1, 13
10. शर्मा प्रो. एच.एस., शर्मा डॉ. एम.एल., राजस्थान का भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2004 ई., पृ. 303
11. शर्मा राजकुमार, राजस्थान का भूगोल, हिमांशु पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2009 ई., पृ. 89
12. वहीं, पृ. 95
13. जिला सांख्यिकी रूपरेखा, 2006, जिला जोधपुर, आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, राजस्थान, जयपुर, प्रकाशन 2008 ई., पृ. 7
- (अ) शर्मा राजकुमार, राजस्थान का भूगोल, पृ.96
14. जिला सांख्यिकी रूपरेखा, 2006, जिला उदयपुर, आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, राजस्थान, जयपुर, प्रकाशन 2009 ई., पृ. 8
15. जिला सांख्यिकी रूपरेखा, 2006, जिला जोधपुर, पृ. 7

16. सांख्यिकीय रूपरेखा उदयपुर, 1988, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर, प्रकाशन 1991 ई., पृ. 15
17. शर्मा राजकुमार, राजस्थान का भूगोल, हिमांशु पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2009 ई., पृ. 114
18. वहीं, पृ. 114
19. वहीं, पृ. 114
20. वहीं, पृ. 114
21. शर्मा राजकुमार, राजस्थान का भूगोल, पृ. 119-21
22. वहीं, पृ. 119-121
23. वहीं, पृ. 155-156
24. शर्मा प्रो. एच.एस., शर्मा डॉ. एम.एल., राजस्थान का भूगोल, पृ. 307
25. जिला सांख्यिकी रूपरेखा, 2006, जिला जोधपुर, पृ. 9
26. सांख्यिकीय रूपरेखा उदयपुर
27. शर्मा राजकुमार, राजस्थान का भूगोल, पृ. 156
28. वहीं, पृ. 139
29. वहीं, पृ. 138-139
30. वहीं, पृ. 138, 140
31. जिला सांख्यिकी रूपरेखा, 2006, जिला जोधपुर, पृ. 7
32. जिला सांख्यिकी रूपरेखा, 2006, जिला उदयपुर, पृ. 8
33. शर्मा राजकुमार, राजस्थान का भूगोल, पृ. 156
34. वहीं, पृ. 110
35. जिला सांख्यिकी रूपरेखा, 2006, जिला जोधपुर, पृ. 68
36. जिला सांख्यिकी रूपरेखा, 2006, जिला उदयपुर, पृ. 100
37. शर्मा राजकुमार, राजस्थान का भूगोल, पृ. 127-129
38. जैन डॉ. महावीर, जैन कान्ति, जैन सेजल, जैन अंशुल, लक्ष्य, मनु प्रकाशन लिमिटेड, जयपुर, 2015 ई., पृ. 37-43; सं. गुप्ता एल.सी., राजस्थान क्रोनोलॉजी, अंक 11, वर्ष 2011, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, पीएमसी पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, भरतपुर, पृ. 71-84
39. वहीं, पृ. 45
40. नाथूराम का लक्ष्मीनारायण, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कॉलेज बुक हाउस, जयपुर, 2008 ई., पृ. 32;capital of the Jodhpur state 'Jodhpur city' Situated in 26018' N and 7301' E.... 'Udaipur city capital of the state of Mewar situated in 24035' N and 73042' E...., compiled by Major K.D. Erskine, Imperial Gazetteer of India, Provincial series Rajputana Books treasure, Jodhpur, Raj., 2007 A.D.
41. शर्मा प्रो. एच.एस., शर्मा डॉ. एम.एल., राजस्थान का भूगोल, पृ. 307

Table 1 : TOTAL POPULATION

JODH.	2001	UDR	2001	JODH.	2011	UDR	2011
LUNI	5.94	LASADIYA	2.90	LUNI	6.02	DHARI	2.97
BILA	8.73	RIS	5.46	BILA	7.70	RIS	5.64
BHOP	9.41	KHER	6.52	BHOP	8.70	KHER	6.74
SHER	11.67	KOT	6.60	SHER	12.26	GOG.	7.01
OSS	12.23	GOG.	6.91	OSS	12.62	KOT	7.51
FAL.	14.97	JHAD	7.81	FAL.	15.31	SARA	7.54
JOD	37.06	SARA	7.86	JOD	37.38	SALU	8.09
		SALU	8.14			JHAD	8.12
		MAV.	8.64			MAV.	8.26
		VALL	9.30			VALL	8.85
		GIRWA	29.86			GIRWA	29.27
MEAN	14		9		14		9
LOWEST			2.90				2.97
HIGHEST			37.06				37.38
DIFFE.			11.39				11.47
1st			14.29				14.44
2nd			25.67				25.91
3rd			37.06				37.38

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक विचार : एक अध्ययन

डॉ. प्रदीप कुमार चतुर्वेदी *

प्रस्तावना – भारत में सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में महानतम कार्य करने वाले डॉ. भीमराव अम्बेडकर की गणना सच्चे देशभक्तों में की जाती है। उनके कार्यों का प्रभाव समाज के केवल वर्ग विशेष तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करके सामाजिक समरसता एवं बन्धुत्व भावना को ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने का कार्य किया।

उनके कार्यों को संकुचित अर्थों में देखना वास्तव में उनके महान योगदान के समग्र प्रभाव को अनदेखा करना ही कहा जायेगा। उनका योगदान केवल महान विचारों की अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने कार्यों द्वारा समाज में परिवर्तन लाने में भी उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त की।

डॉ. अम्बेडकर के प्रमुख राजनीतिक विचार इस प्रकार हैं – डॉ. अम्बेडकर एक तत्त्व चिन्तक दार्शनिक तथा राजनीतिक चिन्तक होने के साथ-साथ व्यावहारिक राजनीति में भी असाधारण प्रभाव रखते थे। उन्होंने भारत की विशिष्ट राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों में अपने विचार प्रकट किये हैं।

1. लोकतंत्र और संसदीय शासन प्रणाली – लोकतंत्र को प्रायः विचार विमर्श का शासन अथवा जनता का शासन माना जाता है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप, एवं पद्धति है जिसमें बिना रक्तपात के ही व्यापक अथवा क्रांतिकारी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किये जा सकते हैं। डॉ. अम्बेडकर ने संसदीय प्रणाली का समर्थन इस कारण किया था, कि इसमें वंशानुगतशासन नहीं होता है, इसमें कोई व्यक्ति, सत्ता का प्रतीक नहीं होता है तथा इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों में जनता का विश्वास अपेक्षित होता है। वे यह स्वीकार करते थे कि संसदीय प्रणाली में सरकार के अंग कभी-कभी धमी गति से काम करते हैं। कभी कार्यपालिका के मार्ग में विधायिका रोड़े अटकाती है तो कभी न्यायपालिका बाधा उपस्थित कर देती है। इस प्रणाली में जनता के राजनीतिक अधिकारों की दुहाई तो दी जाती है किन्तु असहनीय गरीबी और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किये जाते हैं। डॉ. अम्बेडकर यह मानते थे कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। इसकी सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है। जब समाज में असमानताएँ न हो तथा सुदृढ़ विपक्षी दल विद्यमान हो। वे यह भी मानते थे कि स्थायी सिविल सेवा एवं संवैधानिक नैतिकता भी संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। उनके अनुसार करिश्माई नेतृत्व, व्यक्ति पूजा, जाति प्रथा, सामाजिक विषमता आदि प्रवृत्तियाँ लोकतंत्र को कमजोर बनाती हैं। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्याकों की निरंकुषता नहीं

होनी चाहियें।

2. राज्य सम्बन्धी विचार – डॉ. अम्बेडकर राज्य को एक आवश्यक राजनीतिक संगठन मानते थे। वे राज्य को सर्वशक्तिमान एवं निरंकुश नहीं बल्कि समाज सेवा का एक साधन मानते थे। उनके अनुसार राज्य समाज से सर्वोच्च नहीं होता है, बल्कि वह सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन कर नवीन व्यवस्था की स्थापना का कार्य करता है। वह लोगों के अधिकारों की रक्षा, स्वतंत्रता की रक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक विषमताओं का अंत, आन्तरिक व्यवस्था की स्थापना, बाह्य आक्रमण से रक्षा आदि कार्यों को सम्पन्न करता है। वे यह मानते थे कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि आज्ञा पालन की प्रवृत्ति है। वे राज्य के अस्तित्व का आधार लोगों में सत्ता पालन की भावना को मानते थे, किन्तु उन्होंने राज्य के अन्यायपूर्ण आदेशों के पालन का समर्थन नहीं किया है।

3. शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का समर्थन – डॉ. अम्बेडकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का समर्थन करते थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन माण्टेस्क्यू ने किया था। लॉक ने भी इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। इसके अनुसार सरकार के तीन अंगों कार्यपालिका व्यवस्थापिका एवं न्याय पालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण होना चाहिये। इससे नागरिकों की स्वतंत्रताएँ सुरक्षित रहती हैं तथा शासन के अंगों में नियंत्रण एवं संतुलन भी बना रहता है। इसमें शासन की शक्ति अनियंत्रित नहीं हो पाती है, तथा नागरिकों को उनके अधिकार भी सुनिश्चित रूप से प्राप्त हो जाते हैं।

4. अधिकार सम्बन्धी विचार – डॉ. अम्बेडकर वंचितों के अधिकारों के महान समर्थन थे। वे व्यक्ति के कतिपय ऐसे अधिकारों को संविधान में स्थान दिये जाने का समर्थन करते थे, जो कि उनके अनुसार बहुत आवश्यक थे। वे मौलिक अधिकारों को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। इनके संरक्षण के लिए वे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बहुत आवश्यक मानते थे। वे अधिकारों के पीछे कानूनी संरक्षण के साथ-साथ सामाजिक और नैतिक स्वीकृति को भी आवश्यक मानते थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कानून व्यक्तियों की भावनाओं की प्रतिच्छाया की भाँति होते हैं। अतः संसद और न्यायालय तभी उनकी समुचित सुरक्षा कर सकते हैं, जब समुदाय द्वारा भी उन्हें स्वीकार किया जाय।

5. धार्मिक स्वतंत्रता तथा धर्म निरपेक्ष राज्य का समर्थन – डॉ. अम्बेडकर प्रत्येक नागरिक के लिए अतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को मानने व उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार के समर्थक थे। वे किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक समुदाय का जबर्दस्ती सदस्य बनाएँ जाने का विरोध करते थे। वे प्रत्येक धार्मिक समुदाय को कानूनन लोकोपकारी धार्मिक सस्थाएँ चलाने का अधिकार दिये जाने का भी समर्थन

करते थे। वे किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य करने के विरुद्ध थे, जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष को बढ़ाने या बनाए रखने के लिए खर्च की जाय। डॉ. अम्बेडकर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ-साथ धार्मिक सहिष्णुता के व्यवहार के भी समर्थक थे। वे एक ऐसे धर्म निरपेक्ष राज्य का समर्थन करते थे जिसमें सभी नागरिकों के धार्मिक अधिकारों का संरक्षण हो सके।

6. सुदृढ़ केन्द्र संबंधी विचार - डॉ. अम्बेडकर भारत की एकता और सुरक्षा के लिए सुदृढ़ केन्द्र की स्थापना को आवश्यक मानते थे। वे भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था को भी उपयुक्त मानते थे। उनके अनुसार संघात्मक सरकार का मुख्य लक्षण संविधान द्वारा विधायिका तथा कार्यपालिका में सत्ता का केन्द्र तथा इकाइयों में वितरण करना है। इसी सिद्धांत का भारतीय संविधान में अनुसरण किया गया है। यह कहना सही नहीं है, कि भारत में राज्यों को केन्द्र के अधीन रखा गया है।

7. भाषायी राज्यों पर विचार - डॉ. अम्बेडकर मानते थे कि भाषायी प्रान्तों के निर्माण से लोकतंत्र अधिक अच्छी प्रकार से क्रियान्वित होता है। एक भाषायी प्रान्त में मिश्रित प्रान्त की तुलना में सामाजिक एकजुटता अधिक अच्छी प्रकार बनी रहती है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार भाषायी प्रान्तों के निर्माण से तो कोई भी खतरा नहीं है किन्तु प्रत्येक प्रांत की एक ही भाषा को सरकारी कामकाज की भाषा बना दिया जाय तो इसमें खतरा है। यदि क्षेत्रीय भाषाओं को राज भाषा बना दिया जाय तो प्रत्येक प्रान्त में ऐसी संकुचित संस्कृति का विकास होगा जिसकी परिणति अन्ततोगत्वा भारत की एकता को खण्डित करने में होगी।

भाषायी राज्य को समय की आवश्यकता मानते हुए उन्होने इसके समर्थन में ये तर्क दिये थे कि इससे जातीय और सांस्कृतिक तनावों को दूर किया जा सकेगा। वे चाहते थे कि संविधान में ही इस बात का उल्लेख कर दिया जाना चाहिये कि प्रादेशिक भाषा सरकारी भाषा नहीं होगी। वे हिन्दी को राज्यों में सरकारी कामकाज की भाषा बना दिये जाने के पक्ष में थे। वे यह भी चाहते थे कि जब तक हिन्दी का समुचित विकास नहीं होता तब तक अंग्रेजी को चलने दिया जाना चाहिये।

8. पाकिस्तान निर्माण संबंधी विचार - डॉ. अम्बेडकर का विचार था कि यदि किसी समुदाय में राष्ट्र के सभी तत्व मौजूद हैं तो वह एक पृथक राष्ट्र की मांग कर सकता है। पाकिस्तान की मांग को वे एक सांस्कृतिक समूह द्वारा अपने पृथक विकास की मांग के रूप में देखते थे। वे इसे परेशानी का कारण नहीं मानते थे।

9. समुदाय के सुधार हेतु विधि निर्माण का समर्थन - डॉ. अम्बेडकर समुदाय के सुधार हेतु विधि निर्माण के प्रबल समर्थक थे। वे यह मानते थे कि निर्वाचित संसद को इस प्रकार विधि निर्माण करने का पूर्ण अधिकार है। वे हिन्दू कोड बिल के प्रबल समर्थक थे। हिन्दू कोड बिल में यह प्रतिपादित किया गया था कि विवाह के लिए जाति निर्धारित मापदण्ड नहीं है। इसमें महिलाओं के सम्पत्ति के अधिकार एवं उत्तराधिकार के अधिकारों को मान्यता दी गई थी। डॉ. अम्बेडकर इसे महिलाओं की प्रगति का स्रोत मानते थे। हिन्दू कोड बिल का संसद में तथा उसके बाहर प्रबल विरोध हुआ। इसके कुछ अंशों में संशोधन भी करना पड़ा। डॉ. अम्बेडकर ने इससे असहमत होते हुए सन् 1951 में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया था।

10. समाज व्यवस्था में सुधार का प्रबल समर्थन - डॉ. अम्बेडकर एक महान समाज सुधारक थे। उन्होने भारतीय समाज में प्रचलित चतुर्वर्णीय व्यवस्था का प्रबल विरोध किया था। वे अस्पृश्यता को अमानवीय और

औचित्यरहित प्रथा मानते थे। वे इसे मनुष्यकृत दुर्गुण मानते थे। उन्होने अस्पृश्यों की शोचनीय स्थिति को देखते हुए उसे सुधारने के लिए अथक आर्थिक और सामाजिक प्रयत्न जीवनभर किये।

11. जाति प्रथा के उन्मूलन सम्बन्धी विचार - डॉ. अम्बेडकर भारत में जाति की समस्या को सैद्धान्तिक और व्यावहारिक रूप से एक विकराल समस्या मानते थे। उनका यह विश्वास था कि भारत में जाति प्रथा पहले से ही विद्यमान थी। मनु ने इसका पोषण किया और उसे एक दर्शन का रूप दे दिया। मनु ने जाति को संहिता का रूप प्रदान करते हुए जाति-धर्म का प्रचार किया।

डॉ. अम्बेडकर यह मानते थे कि प्रारंभ में अन्य समाजों के समान भारतीय समाज भी चार वर्णों में विभाजित था। ये चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण कहलाते थे। आरंभ में व्यक्ति अपना वर्ण बदल सकता था तथा इसी कारण वर्णों को व्यक्तियों के कार्य की परिवर्तनशीलता स्वीकार्य थी। बाद में वर्णों में परिवर्तनशीलता के मार्ग अवरुद्ध हो गए और वे संकुचित बनते चले गए तथा उन्होने जातियों का रूप ले लिया। कुछ जातियों की संरचना नकल से हुई है। डॉ. अम्बेडकर ने अपने अध्ययन में जाति समस्या के चार पक्ष उजागर किये हैं।

1. हिन्दू जनसंख्या में विविध तत्वों का सम्मिश्रण होते हुए भी दृढ़ सांस्कृतिक एकता है।
2. जातियाँ इस विराट सांस्कृतिक इकाई के अंग हैं।
3. प्रारंभ में केवल एक ही जाति थी।
4. वर्णों में एक-दूसरे का देखकर या बहिष्कार से विभिन्न जातियाँ बन गईं।

डॉ. अम्बेडकर सामाजिक प्रणाली में सुधार करने पर जोर देते थे। उनका मत था कि जिस प्रकार एक देश दूसरे देश पर शासन करने योग्य नहीं होता है उसी प्रकार एक वर्ग भी दूसरे वर्ग पर शासन करने योग्य नहीं होता है। वे हिन्दू परिवार के सुधार के अर्थ में समाज सुधार और हिन्दू समाज के पुनर्गठन एवं पुनर्निर्माण इन दोनों में अंतर करते थे। वे पहले प्रकार के समाज सुधार का संबंध विधवा विवाह, बाल विवाह, आदि से मानते थे, जबकि दूसरे प्रकार के समाज सुधार का संबंध जाति प्रथा के उन्मूलन से मानते थे। उनके अनुसार जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि श्रमिकों का विभाजन भी है। यह एक ऐसी श्रेणी बंध व्यवस्था है जिसमें श्रमिकों का विभाजन एक के उपर दूसरे क्रम में होता है।

डॉ. अम्बेडकर मानते थे कि अब विशुद्ध प्रजाति के लोग कहीं नहीं हैं। संसार के सब भागों में सभी जातियों का मिश्रण है। जाति प्रथा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो हिन्दू समाज के ऐसे विकृत समुदाय की झुठी शान और स्वार्थ का प्रतीक है, जिसकी विशिष्ट सामाजिक प्रतिष्ठा थी। उन्होने जाति प्रथा को प्रचलित किया और बलपूर्वक अपने से निचले तबकों के लोगों पर लागू किया।

डॉ. अम्बेडकर यह मानते थे कि समाज में जाति प्रथा से असामाजिक तत्वों को और नफरत की भावना को बढ़ावा मिलता है। जाति प्रथा स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन के मार्ग में भी अवरोध उत्पन्न करती है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि धर्म परिवर्तित व्यक्ति को किस जाति में स्वीकार किया जायगा, यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। जाति का नियम ही यह है कि उसकी सदस्यता उसी जाति में उत्पन्न व्यक्ति को प्राप्त होती है। जातियाँ स्वषासित होती हैं। हिन्दू समाज अनेक जातियों का समूह है। हर एक जाति एक बन्द निगमित संस्था की तरह है। धर्म परिवर्तित व्यक्ति के लिए किसी भी जाति में

कोई स्थान नहीं रहता है। इसी से इस धर्म का प्रचार नहीं हो सका क्योंकि अन्य समुदाय इसमें समुचित रूप से लीन नहीं हो सके। जब तक यह प्रथा रहेगी तब तक हिन्दू धर्म प्रचारात्मक धर्म नहीं बन सकेगा।

डॉ. अम्बेडकर मानते थे कि जाति प्रथा जनचेतना को नष्ट कर देती है। इसके कारण किसी भी विषय पर सार्वजनिक सहमति नहीं बन पाती है। उत्तरदायित्व का, गुणों का तथा नैतिकता का आधार जाति ही होती है। इससे राष्ट्रीय भावनाएँ भी संकुचित होती हैं।

12. आदर्श समाज की संकल्पना- डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि आदर्श समाज एक ऐसा समाज है, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित होगा। इसमें वर्ण व्यवस्था तथा जाति प्रथा नहीं होगी। इनके उन्मूलन में समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसा वर्ग जो दूरदर्शी हो तथा सुझाव देने तथा नेतृत्व प्रदान करने में समर्थ हो तो वह यह कार्य कर सकता है। ऐसे राज्य का सम्पूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर होगा। ईमानदार, स्वतंत्र निष्पक्ष और विश्वसनीय बुद्धिजीवी वर्ग संकट में निर्णय लेकर उचित नेतृत्व प्रदान करेगा।

डॉ. अम्बेडकर पुरोहित वर्ग को कानून द्वारा नियंत्रित करते हुए उसके लिए आचार संहिता का निर्माण करना चाहते थे। वे पुरोहिताई को एक लोकतान्त्रिक संस्था बनाना चाहते थे तथा इसके अवसर सभी के लिए खोलना चाहते थे। इस प्रकार वे जाति प्रथा का उन्मूलन करना चाहते थे। इस कार्य को वे स्वराज्य से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उनका विश्वास

था कि जातिविहीन हिन्दू समाज अधिक शक्तिशाली होगा।

निष्कर्ष - डॉ. अम्बेडकर का राजनीतिक चिन्तन भारत में सुधार एवं आमूलचूल परिवर्तन को समर्पित है। उन्होंने भारत की स्वाधीनता का समर्थन किया किन्तु वे भारत में व्यापक सामाजिक सुधारों के आकांक्षी थे। वे राजनीतिक स्वाधीनता से पूर्व सामाजिक सुधार चाहते थे। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के आदर्शों का भारतीय संविधान में बहुत सुंदर रूप में समावेश करने में उनका प्रशंसनीय योगदान माना जाता है। उन्होंने भारत में वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए भी उन्होंने असाधारण प्रयास किये। भारत में उनके महान योगदान का सदैव आदरपूर्वक स्मरण किया जाता रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बाबा साहेब : डॉ. अम्बेडकर : सम्पूर्ण वाङ्मय
2. वी.पी. वर्मा : आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन
3. के. दामोदरन : भारतीय चिन्तन परम्परा
4. जवाहर लाल नेहरू : भारत की खोज
5. धनन्जय कीर : डॉ. अम्बेडकर : लाइफ एण्ड मिशन
6. तारचन्द्र : भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास
7. रामधारीसिंह दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय

मानव द्वारा विकास या विनाश उत्तराखंड त्रासदी के संदर्भ में

मनीषा चौहान*

प्रस्तावना - पहाड़ का सब्र टूटा..... केदारनाथ त्रासदी के 7 साल बाद उत्तराखण्ड के पहाड़ों का धैर्य एक बार फिर से टूट गया। एक ग्लेशियर तबाही लाया। ग्लेशियर के मुहाने पर बांध बनाएंगे तो यही होगा। चमोली में बांध के लिए सुरंगें बन नहीं हैं। विस्फोट किए जा रहे हैं। विस्फोटों से ग्लेशियर में दरार आई। फिर ग्लेशियर नदी में गिरा। झील बनी। झील टूटते ही तबाही आ गई। बांध निर्माण के लिए नदी किनारे मलबा इकट्ठा था। यह मलबा भी नदी में बहा तो तबाही बढ़ गई। आमतौर पर ग्लेशियर सर्दी में टूटता नहीं है। इसलिए यह प्राकृतिक नहीं, मानवीय आपदा है। नंदा देवी संरक्षित क्षेत्र है। 2019 में स्थानीय लोगों ने कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी जिस तरह से यहां बांधों का काम चल रहा है, इससे आसपास झीलें बन रही हैं। इनसे कभी भी बाढ़ आ सकती है। आखिरकार यही हुआ। ग्लेशियर का पानी ऋषि गंगा नदी के रास्ते तेजी से आगे बढ़ा। सबसे पहले भारत-चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल बहा फिर ऋषि गंगा बिजली प्रोजेक्ट को तबाह किया, जिसका 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था। यहां काम करने वाले 150 लोगों को बचने का समय नहीं मिला, वे बह गए। बाढ़ की शक्ल ले चुका मलबे वाला पानी तपोवन बिजली प्रोजेक्ट को रौंदता हुआ आगे बढ़ा। यहां टर्नल काम कर रहे 16 मजदूर टर्नल में ही फंस गए। उन्हें दो घंटे बाद बचा लिया गया लेकिन, ऋषि गंगा से लापता हुए लोगों में से सिर्फ 10 लोगों का शव मिल पाए हैं।



(उत्तराखंड त्रासदी में चट्टानों के नीचे दबे लोग, चित्र)

2013 में केदारनाथ हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड में एक कमेटी बनी थी। इसे राज्य में निर्माणाधीन 80 बिजली प्रोजेक्टों का रिव्यू करना था उस रिपोर्ट में था कि ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के आसपास जो ग्लेशियर झीलें हैं, उनकी स्टडी के बाद ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए लेकिन, ऐसा हुआ नहीं। प्रकृति हमें बार-बार आगाह कर रही है कि पहाड़ों से ज्यादा छोड़ना अब बाज आ जाना चाहिए।



(ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट की क्षय पहुंचाती गंगा नदी, चित्र)

नदी की सतह पर बर्फाला तूफान बरस रहा था। मानो बादल फटकर घाटी में गिरा हो और हिमखंड के हो। सामने के पहाड़ों से हिमखंड इस तरह तेजी से फिसलकर नदी में गिर रहे थे, जैसे उनमें रेस लगी हो। यह भारी हिमस्खलन था, जिससे नदी में प्रलयकारी लहरें और तीव्रता पैदा हो गई। देखते ही देखते बिजली प्रोजेक्ट और उसमें काम कर रहे मजदूर ओझल हो गए। ऋषि गंगा नदी में गिरे हिमखंडों ने सबसे पहले सुरंगों को नुकसान पहुंचाया, फिर प्रोजेक्ट को। टनल का मलबा बांध में गिरा तो झील का जलस्तर अचानक बढ़ने से उसकी दीवारें ध्वस्त हो गंगा नदी पर बने बिजली प्रोजेक्ट में जा घुसी। यहां 150 मीटर गहरी झील उफान पर आ गई। यहां से आगे रास्ते में आई मशीनें, ट्रक, पेड़ और बोल्टर तिनके की तरह, बहते जा रहे थे। ऋषि गंगा और धौली गंगा में मिल जाती है।


जियोलाॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) के मुताबिक उत्तराखंड में 486 ग्लेशियर सूचीबद्ध हैं। इनमें से सिर्फ 6 की ही नियमित निगरानी हो पाती है हालांकि वाडिया इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि उत्तराखंड के क्षेत्र में करीब डेढ़ हजार ग्लेशियर मौजूद हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ही गंगोत्री, चौड़ाबाड़ी, डोरियानी, पिंडारी, दूनागिरी व कफनी ग्लेशियर पर रियल टाइम निगरानी करता है। पर्यावरण पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य रहे भूविज्ञानी नवीन जुयाल ने कहा कि ग्लेशियर झील फटने की घटना प्राकृतिक थी। लेकिन हमें यह सचेत करती है कि इस क्षेत्र के ग्लेशियर व हिम-झीलों पर नियमित निगरानी रखने की सख्त जरूरत है ताकि हमें यह पता चल सके कि उनमें किस तरह का विस्तार हो रहा है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि उसका किस इलाके में कितना असर होगा। जीएसआई के महानिदेशक डॉ. रंजीत रथ ने बताया कि केदारनाथ हादसे जून 2013 के बाद उत्तराखंड में 2014-16 के बीच हिमालय क्षेत्र की ग्लेशियर झीलों की सूची बनाई गई थी। इनमें से 13 ग्लेशियर झीलें बेहद संवेदनशील हैं, जिसमें ग्लेशियर

लेक आउटबर्स्ट फ्लड (ग्लोफ) की संभावना सबसे अधिक है।

पांच साल में 1798 प्रोजेक्ट्स ने देश में पर्यावरण के नियम तोड़ - पिछले 5 साल में करीब 1798 प्रोजेक्ट्स ने पर्यावरण मंजूरी से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन किया है। सबसे ज्यादा 259 प्रोजेक्ट्स हरियाणा के हैं। महाराष्ट्र और उत्तराखंड के 200-200 प्रोजेक्ट्स हैं। सात राज्यों में 100 से ज्यादा परियोजनाओं में नियमों को तोड़ा गया है:-

178 प्रोजेक्ट्स ने देश में पर्यावरण के नियम तोड़े

क्र.	प्रदेश	नियम उल्लंघन संख्या
1	हरियाणा	259
2	महाराष्ट्र	221
3	उत्तराखंड	194
4	झारखंड	190
5	पंजाब	169
6	हिमाचल	152
7	असम	109
8	राजस्थान	91
9	उत्तर प्रदेश	80
10	तेलंगाना	72



- 69 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण भागीरथी नहीं 81% और अलकनंदा नहीं को 65% नुकसान हुआ है।
- 1980 के बाद सड़कों और बिजली प्रोजेक्टों के लिए 8.08 लाख हेक्टेयर वनभूमि को नुकसान हुआ। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में ज्यादा नुकसान हुआ। 2013 की आपदा में भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे।
- गंगा के ऊपर क्षेत्र का हिस्सा भूस्खलन वाला है। सुरंगों के लिए किए जाने वाले विस्फोटों ने इलाके को और ज्यादा नाजुक बना दिया है।
- प्रोजेक्टों के लिए पेड़ों की कटाई कभी भी विनाश ला सकती है।

नियम तोड़ने वाले 72% प्रोजेक्ट इंफ्रा और उद्योग प्रोजेक्ट के हैं नियम तोड़ने वाली परियोजनाओं में सबसे ज्यादा 72% हिस्सा औद्योगिक और इंफ्रा प्रोजेक्ट का है। उद्योग की 679 परियोजनाओं में नियमों का उल्लंघन किया गया। वहीं इन्फ्रास्ट्रक्चर और सीआरजेड की 626 परियोजनाएं, गैर-कोयला खनन वाली 305 और कोयला खनन से जुड़े 92 प्रोजेक्ट्स में नियमों की अनदेखी की गई। किसी भी प्रोजेक्ट में पर्यावरण मंजूरी के लिए केवल शर्तें तय करना ही काफी नहीं है। उसकी निगरानी और जब तक प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक मंत्रालय की जिम्मेदारी बनी रहती है।

उत्तराखंड चमोली में 7 फरवरी 2021 को आई आपदा से प्रभावित होकर 65 साल की बुजुर्ग महिला मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। एक महिला ने अपनी आवाज खी दी है। लोगो में हाईपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ गई है।



(उत्तराखंड चमोली में 7 फरवरी 2021 को आई आपदा में बचावदल, चित्र)

हिमस्खलन की रोकथाम के कई तरह के तरीके शामिल हैं। शुरू के स्थान में बर्फ के निर्माण को रोकने के लिए हिम बाढ़ का निर्माण किया जाता है बर्फ को स्थिर करने के लिए संरचनाएं बनाई जाती है। विक्षेपण दीवारें इमारतों और यहां तक की पूरे कस्बों से दूर हिमस्खलन बहने के लिए बनाई गई है। रोडवेज के बीच बने शेड जो लगातार हिमस्खलन के रास्ते से गुजरते हैं, मोटर चालकों को हिमस्खलन से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पेड़ों के साथ ढलानों का पुनर्वितरण हिमस्खलन को रोकने में मदद करता है। कभी-कभी हिमस्खलन नियंत्रण विशेषज्ञ वास्तव में बड़े, अनियंत्रित लोगों को रोकने के लिए छोटे, नियंत्रित हिमस्खलन पैदा करने की इच्छा रखते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. भारत का भूगोल, माजिद हुसैन,
2. द टाईमस ऑफ इंडिया।
3. दैनिक भास्कर

तेजेन्द्रव शर्मा की कहानियों में नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण

कमला नरवरिया *

प्रस्तावना - किसी भी सभ्य समाज के निर्माण में स्त्री-पुरुष की अहम भूमिका होती है। दोनों ही समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। फिर भी सदियों से नारी की समाज में स्थिति दयनीय रही है। वैदिक काल में नारी का स्थान नर से कहीं उच्च माना जाता है। शारीरिक दृष्टि से वह भले ही कोमल हो लेकिन भावनात्मक रूप से वह हमेशा मजबूत रही है। नर धर्म से संबंधित होने के कारण उसे नारी कहा गया। उसमें लज्जा भाव की अधिकता होने के कारण स्त्री कहा गया। सामान्य तः नारी को पुरुष की अनुगामिनी कहा जाता है। वस्तुतः सही मायने (अर्थों में) देखा जाए तो वह उसकी सहधर्मिणी है 'माता, पत्नी, भगिनी, पुत्र, आदि सभी रूपों में पूजनीय होने से नारी को महिला कहा जाता है। महइलचआ की व्युत्पत्ति में मह का अर्थ पूजा है। अतः उसकी महानता या पूजा होने के कारण वह महिला कहलाती है।¹ तभी तो नारी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए महाकवि जयशंकर प्रसाद कह उठते हैं।

'नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत- नग- पगतल में पीयूष स्रोत त सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में'² तो वही नारी के विषय में भारतीय मनीषी मनु का कहना है।

'यत्र नार्यस्तु पूज्यमन्ते, रमन्ते एतत्र देवता'³ अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ, देवताओं का वास होता है।

प्राचीन भारतीय साहित्य में हमें स्त्री के विविध रूपों का वर्णन मिलता है। कहीं वह ममतामयी माँ, स्नेहमयी पत्नी प्रेयसी, बहन, पुत्री इत्यादि के रूप में चित्रित है। तो कहीं वह नकारात्मक भूमिका में उपस्थित है।

नारी और समाज का अतःसंबंध- नारी और समाज का परस्पर अभिन्न संबंध है। हमें नारी को जानने और समझने से पहले समाज की अवाधारणा को समझना उचित होगा कि वास्तव में समाज क्या है। 'समाज एक क्रियात्मक, संगठन, संस्था एवं समूह है जिसमें मानवीय संबंध और विशिष्ट उद्देश्य निहित होते हैं।'⁴ समाज को समाज का स्वरूप नारी और पुरुष ही प्रदान करते हैं। उनके आपसी संबंध ही समाज के आधार होते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। परिवार, नारी और पुरुष के पारस्परिक संबंधों से बनता है। नारी जहाँ पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। वही पारिवारिक रिश्तों को एकसूत्रता के बंधन में बनाए रखने का कार्य करती है।

समाज में नारी की स्थिति हर युग में परिवर्तित होती रही है। वैदिक युग में जहाँ नारी की स्थिति अत्यंत सम्मानजनक थी उसे पुरुषों के समान सभी हक अधिकार प्राप्त थे। वे सामाजिक कार्यों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती थी। इस समय पर्दा-प्रथा नहीं थी। वह वैवाहिक निर्णय के लिए

भी स्वतंत्र थी विधवा विवाह और पुनर्विवाह भी इस काल में होते थे उन्हें शिक्षा प्राप्ति करने का भी अधिकार था लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते-2 उस के हक- अधिकारों में गिरावट आ गई। उसे पुरुषों की आश्रिता समझा जाने लगा। उत्तारोत्तर समय में नारी की सामाजिक दशा बिगड़ती गई। रामायण और महाभारत काल में स्त्री को पुरुष के पराधीन व उपभोग की वस्तु समझा जाने लगा। बौद्ध काल में नारी जागरण की हल्की किरण दिखाई दी। लेकिन उससे नारी की सामाजिक स्थिति में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मध्यकाल में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों एवं अत्याचारों के फलस्वरूप नारी की स्थिति पहले से भी अधिक दयनीय और शोचनीय हो गई। यह काल नारियों के लिए किसी वज्रपात से कम न था। सती प्रथा, बाल विवाह बहुविवाह जैसी कुरीतियाँ इस काल में अपने चरम पर थीं।

बीसवीं सदी में समाज सुधारकों ने नारी की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक जन आंदोलन चलाए जिनके फलस्वरूप नारी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। नारी को पुरुषों के समान सभी अधिकार प्राप्त होने लगे। समाज में उसे बराबरी का दर्जा दिया जाने लगा। निश्चित ही आज भारतीय नारी सामाजिक धरातल पर पुरुषों के बराबर खड़ी होने लगी है।

प्रवास और नारी- प्रवासी शब्द प्रवास इन दो शब्दों के योग से मिलकर बना है जिसका अर्थ है दूसरे स्थापन पर जाकर रहना। अर्थात् दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि विदेश वास या अपना घर या देश छोड़कर दूसरे देश में निवास करना ही प्रवास है। सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य प्रवास करता रहा है। प्रवास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्राचीन समय में मनुष्य प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प बाढ़ व सूखा तथा जीविकापार्जन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करता रहा है। परन्तु अब मनुष्य उच्च वैभव व विलासितापूर्ण जीवन यापन करने तथा बेहतर रोजगार की खोज में विदेश प्रवास करने लगा है। प्रारंभ में भारतीय गिरमिटिया मजदूर बनकर विदेश गए। बाद के वर्षों में धीरे-2 भारतीय युवा बेहतर रोजगार के अवसरों की खोज में जाने लगे। जब विदेशी धरती पर इनके पैर पूरी तरह से जम गए तो उन्होंने अपने परिजनो को भी बुलाना शुरू कर दिया।

60 वें दशक में जब भारतीयों ने अपने परिजनो को बुलाया तो विदेश गई नारी जिसने कभी घर की चहारदीवारी भी नहीं लांघी थी, ने यहाँ के उन्मुक्त खुले माहौल सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता देखी तो उसमें आत्मीनिर्भरता का भाव जाग्रत होने लगा। इससे भारतीय पुरुष जो स्त्री स्वरतंत्रता के पक्षधर नहीं थे। इससे उनके रिश्तों में टकराव आरंभ हो गया।

तेजेन्द्रव शर्मा ने अपने कथा साहित्य में प्रवासी नारी की दयनीय

दशा व पारिवारिक रिश्ते में टकराव को भलीभाँति व्यक्त किया है।

पत्नी के रूप में शोषित – पति और पत्नी को परस्पर एक-दूसरे का पूरक समझा जाता है। ग्रहस्थ-रूपी जीवन की गाड़ी को सुचारु रूप से संचालित करने में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भी पत्नी को पति से भी उँचा दर्जा दिया गया है। इसका प्रमाण ऋग्वेद का यह कथन है जिसमें 'पत्नी ही घर है' कहा गया।

भारतीय नारी जब अपने पति के साथ विदेश गई तो वह वहाँ के माहौल के अनुरूप सामाजिक व आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगी, फल स्वरूप उनके भारतीय पति जो शारीरिक रूप से भले ही पश्चिमी समाज में निवास कर रहे हो किन्तु अपने पुरुषोचित झुठे दंभ को त्याग नहीं सके। जिससे उनके दाम्पत्य जीवन में तनाव पैदा होने लगा। वर्तमान समय में भारतीय पत्नी चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित शोषण का शिकार है। उसका यह शोषण दो प्रकार से किया जा रहा है।

(1) शारीरिक रूप से शोषित

(2) मानसिक रूप से शोषित

शारीरिक रूप से शोषित- भारतीय नारी चाहे वह भारत या विदेश में रहती हो। आज भी घरेलू हिंसा, गाली-गलौच व मारपीट की शिकार आए दिन होती रहती है। भले ही वह आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो, वे अपने ही घरों में शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने को मजबूर हैं। प्रवासी कथाकार तेजेन्द्र शर्मा ने अपनी कहानी 'गंदगी का बक्शो' में नारी की इस दयनीय दशा का चित्रण किया है। जिसमें जया एक आत्मनिर्भर स्त्री है। वह नौकरी करके अपने घर-परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही है इसके विपरीत उसका पति दिलीप नौकरी छोड़कर बेरोजगार होकर घर बैठा है। और अपनी पत्नी की कमाई शराब पीने में बर्बाद करता है। जया द्वारा उससे अपने रूपको का हिसाब पूछने पर वह उस पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकता है। वह उसके साथ मारपीट पर उतारू हो जाता है। 'दिलीप ने जया को बालो से खींचकर सोफे पर पटक दिया। उसके बाद तो जया पर धूसे और लातो की बरसात सी हो गई।'¹⁵

इस कहानी के माध्यम से प्रवासी कथाकार तेजेन्द्र शर्मा ने विदेशी चकाचौध के पीछे छिपी प्रवासी नारी का दयनीय स्थिति को व्यक्त किया है।

मानसिक रूप से शोषित- विदेश में प्रवासी भारतीय नारी की स्थिति भी भारत में रह रही स्त्री के जैसी ही दयनीय है। वह वहाँ न केवल शारीरिक रूप से शोषित हो रही है। बल्कि अकेले ही मानसिक संत्रास को झेलने को मजबूर है। नारी चाहे हिंदु हो या मुसलमान या अन्यो किसी भी धर्म में उसकी स्थिति सभी धर्मों में एक समान दयनीय है। तेजेन्द्र जी ने अपने प्रवासी जीवन में देखे व व्यपक रूप से अनुभव किये अनुभवों को अपनी कहानियों में उद्घटित किया है। प्रवासी परिवारों में स्त्री की स्थिति दोगुना दर्जों की है। 'कब्र का मुनाफा' कहानी में नादिरा व आबिदा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है वे अत्यंत उच्चा संपन्न संभ्रात मुस्लिम परिवार की स्त्रियाँ हैं। लेकिन वे अपने घरों में ही पूरी तरह से उपेक्षित व मानसिक शोषण का शिकार होती हैं। वे अपने घर में किस तरह का मानसिक संत्रास झेल रही हैं। वह नादिरा के इस कथन से लगाया जा सकता है। कि क्या उसका घर एक जिंदा कब्रिस्तान नहीं। इस घर में खलील क्या नर्क का जल्लाद नहीं।'¹⁶

प्रेयसी के रूप में शोषित- समाज में नारी को माँ, बेटी, पत्नी के रूप में खुलकर स्वीकार किया मगर प्रेयसी रूप में उसे सार्वजनिक मान्यता प्राप्त

नहीं हुई। यद्यपि राधाजी ने भले ही प्रेयसी के रूप में सर्वोत्कृष्ट प्रतिमान गढ़े हो। परन्तु समाज में सामान्यतः नारी के इस रूप की हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है। लेकिन यह बात और है कि पुरुष हमेशा नारी के इस रूप की ओर आकर्षित होता रहा है। सामाजिक मान्यता न मिलने की वजह से वह प्रेयसी के रूप में हमेशा ठगी व छली जाती रही है।

'छूता फिसलता जीवन' कहानी में मैडी जेम्स से एक तरफा प्रेम करती है। उसके साथ भविष्य के सुनहरे सपने बुनती है। लेकिन जेम्स उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार कर देता है। और उसे तडपने के लिए छोड़ देता है। इस घटना से मैडी को गहरा आघात पहुँचता है। वह दर्द के गहरे सागर में डूब जाती है। मैडी एक ही बात बार-2 सोचती है। 'अगर जेम्स उससे प्यार से यह सब करने को कहता तो वह कितनी आसानी से तैयार हो जाती है। वह तो उन पलो की कब से प्रतीक्षा कर रही थी। फिर जेम्स ने ऐसा क्यों किया। क्या यह उसके प्यार करने का अंदाज है किन्तु उसके व्यवहार में प्रेम तो कहीं से भी महसूस नहीं हो रहा था। वह तो एक वहशी दरिदे की तरह पेश आ रहा था। उसमें केवल वासना थी प्रेम होता हो क्या वह महसूस न कर लेती।'¹⁷ मैडी प्रेमिका के रूप में स्वयं को छला हुआ पाती है। इसी तरह 'एक बार फिर होली' कहानी में नजमा चंद्रमोहन से प्रेम करती है। जब उसके उसके घरवालों को इसकी खबर लगती है तो वह सजा के तौर पर उसकी शादी पाकिस्तान निवासी एक फौजी के साथ कर देते हैं। और पराये देश में अपने से दूर नजमा वहाँ घुट-घुटकर जीने को मजबूर होती है।

तेजेन्द्र शर्मा के कथा साहित्य में प्रवासी भारतीय प्रेयसी का जो रूप उभर सामने आया है। वह पूरी तरह से यथार्थ पर आधारित है। तेजेन्द्र शर्मा ने अपनी कहानियों में प्रेयसी के रूप में नारी के छले जाने का कटु-यथार्थ वर्णन किया है। पुत्री के रूप में शोषित – वैदिक युग में जहाँ परिवारों में बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं माना जाता था बेटी को भी बेटा के समान सभी अधिकार प्राप्त थे। परन्तु कालान्तर्गत में धीरे-2 परिवारों में बेटी की स्थिति गौण होती गई और बेटों को ही प्रधानता दी जाने लगी। उन्हें वंश चलाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माने जाने लगा। आज समाज में बेटा-बेटी में भेदभाव की यह प्रवृत्ति विकृत रूप धारण कर चुकी है। और इस भेदभाव की प्रवृत्ति की वजह से समाज में बेटियों की स्थिति भी दोगुना दर्जों की हो गई 'वस्तु पितृसत्ता स्त्री को उन रास्तों पर डालने का प्रयास करती है। जहाँ स्त्री चिंतन के लिए अवकाश नहीं, पितृसत्ता स्त्री को भौतिक सुख भोग की वस्तुओं के नीचे उसके स्वतंत्र अस्तित्व को विकसित होने से रोकती है। इस अर्थ में पितृसत्ता बड़ी बारीक मार करती है।'¹⁸

प्रवासी कथाकार तेजेन्द्र शर्मा जी ने अपनी कहानियों में भारतीय समाज में बेटियों की दारुण स्थितियों का चित्रांकन भलीभाँति किया है। उन्होंने भारतीय समाज की बेटियों के प्रति इस उदासीन हीनता तथा संवेदनहीनता को अपनी कहानी 'मलबे की मालकिन' में दर्शाया है। कहानी की नायिका नीलिमा को उसके माता-पिता बेटी होने की वजह से उसकी शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही उसे बोझ समझ कर कम आयु में ही उसका विवाह कर देते हैं। ससुराल में भी उसे उचित सम्मान नहीं मिलता है। हर बात पर उसे जलील किया जाता है। और यह जलालत उसे वक्तव्य जया दा बढ जाती है। जब वह एक बेटी को जन्म देती है। तो ससुराल वाले उसका गंदी-गंदी गालिया देकर उसका स्वागत करते हैं। 'हराम जादी। लौड़ी पैदा करके बहुत तीर मारी हो का। का समझती हो अपने आपको। हमरा सामने मुँह चलाती है। ससुरी के सभेई दाँत तोड़े डिल है ना तबे हमारी बात समझेगी

पतुरिया⁹ जब ससुराल वालो का इतने पर भी मन नहीं भईता है तो वह नीलिमा और उसकी नवजात बेटी को घर से निकाल देते हैं। यह भारतीय समाज की विडम्बना है जहाँ नवरात्रो में बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है वही बेटी के जन्मा लेने पर मातम सा पसर जाता है। समाज के इसी दोहरे रवैये को तेजेन्द्र जी ने अपने कहानी 'मुठ्ठी भर रोशनी' में बखूबी दर्शाया है। जहाँ बेटी के जन्म लेने पर दादी कह उठती है। 'अरे यह तो बीस हजार की डिब्बी घर आ गई— चार वर्ष बाद भाई विकास का जन्मा हुआ। धूमधामा जश्ना सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए संगीत भरी शाम मुहल्ले की हर औरत, बधाईया दे रही थी। दादी के पाँव धरती पर नहीं पड रहे थे।'¹⁰ तेजेन्द्र शर्मा ने अपनी कहानियों में प्रवासी भारतीय परिवारों में बेटियों के साथ होने वाले इस भेदभाव को पूर्ण सच्चाई से उजागर किया है।

पुत्रवधु के रूप में शोषित - भारतीय समाज में पुत्रवधु का महत्वपूर्ण स्थान है उसे पुत्री से बढ़कर दर्जा प्राप्त है क्योंकि वही कुल की वंश परम्परा को आगे बढ़ाने वाली होती है। परिवार की एक महत्वपूर्ण सदस्य होने के बाद भी वही परिवार में सबसे अधिक शोषित प्राणी है इसका कारण दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, बाल विवाह, बहुविवाह आदि कुप्रथाएँ हैं। इन कुरीतियों व कुप्रथाओं की वजह से वह पुत्रवधु के रूप में हमेशा शोषित होती है। 21वीं सदी के इस दौर में भी मनुष्यो इन कुप्रथाओं और कुरीतियों का दास बना हुआ है लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर 'इन कुरीतियों को पुन लौटाने वाले कौन हैं। उनके मन में पुराना विश्वास ऐसे ठोस हो गया है जो नए विश्वास को जमने नहीं देता। आखिर इस जड़ता के पीछे कौन साभय काम कर रहा है। क्या शिक्षा ने पिछले पचास वर्षों में ऐसा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जिससे समाज के उन लोगों की मानसिकता बदल सकती, जो उपभोक्ता के रूप में बहुको नवीन उपकरण के रूप में घर में सजाना चाहते हैं मगर अपने दिल व दिमाग को नए प्रकाश में ज्योति मान करने को तैयार नहीं। आधुनिकता को जीवन शैली समझने वाले आधुनिकता आखिर उन गली-सडी रस्मों से उपर क्यों नहीं पा रहे हैं। क्या यह परम्पराएँ या जड़ रस्में उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं।'¹¹

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने इनमें से दहेज प्रथा, बाल विवाह व बहु विवाह जैसी अनेक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिए। बावजूद आज भी ये कुप्रथाएँ समाज में किसी न किसी रूप में प्रचलित हैं आज भी अखबारों में दहेज के लिए पुत्रवधुओं को जलाने की खबर आए दिन आती रहती है। इन कुप्रथाओं का सबसे ज्यादा खामियाजा नारी को पुत्रवधु के रूप में भुगतना पडता है। तेजेन्द्र शर्मा ने नारी की पुत्रवधु के रूप में इस विवशता

को अपनी कहानी 'देह की कीमत' में व्यक्त किया है। 'देह की कीमत' कहानी में पम्पी एक सीधी-सादी गाय जैसी लडकी है। जिसे बिना उसकी मर्जी के पूछे विवाह बंधन में बाँध दिया जाता है। और वह सिर झुकाए इस बंधन में बंध जाती है। शादी के कुछ महीनों बाद उसके पति के मृत्यु होने पर उसकी सास इसके लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराती है। और इसका कारण उसके मंगली होने को मानती है। वह कहती है 'मैं ता पहले ही कहन्दी सी कुडी मंगली है— ब्याह नहीं करणा — मेरी ता कदी कोई सुणदा दी नहीं—'¹² और वह अपनी बहु पम्पीह को भद्दी-2 गालिया देकर कोसती है 'हाय ओये कुडी न निकली, डायण निकली, लोको मां पयों ने अपनी डायण हमारे हवाले कर दिती— हुण मैं की करा जी।'¹³ पम्पीत चुपचाप इन तानों को सहती रही। आज भी समाज में न जाने कितनी स्त्रिया पुत्रवधु के रूप में अभिशापित जीवन जीने को मजबूर हैं। जो अपने ही परिवार के लोगों द्वारा शोषित होती रहती है।

निष्कर्ष - इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान समय में भी नारी की स्थिति दयनीय है। आज भी वह अपने घरों में पत्नी, प्रेयसी, पुत्री और पुत्रवधु के रूप में किसी न किसी प्रकार शोषित है। कथाकार तेजेन्द्र शर्मा ने नारी की इस दयनीय अवस्था को अपनी कहानियों में बखूबी व्यक्त किया है। नारी चाहे वह भारत में हो या विदेश में हर जगह शोषण का शिकार है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. शाह शानपरु ममता कालिया के कथा साहित्य में नारी चेतना प्र.स. 55
2. प्रसाद जयशंकर, कामायनी प्र.स.43
3. मनुरु मनुस्मृति प्र.स.3:56
4. गुप्ता मंजूला, हिंदी उपन्यास, समाज और व्यक्तिक का द्वंद्व 1986 प्र.स.9
5. शर्मा तेजेन्द्र, सपने मरते नहीं कहानी संग्रह प्र.स.119
6. शर्मा तेजेन्द्र, कब्र का मुनाफा, प्र.स.155
7. शर्मा तेजेन्द्र, बेघर आँख कहानी संग्रह प्र.स.133
8. डॉ. कमलेश कुमारी, प्रवासी कथाकार तेजेन्द्र शर्मा मुद्दे और चुनौतिया प्र.स.56
9. शर्मा तेजेन्द्रन, कब्र का मुनाफा, प्र.स.25
10. शर्मा तेजेन्द्रन, स्मृतियों के घेरे प्र.स.228
11. शर्मा नासिरा, औरत के लिए औरत 2005 प्र.स.5
12. शर्मा तेजेन्द्र, देह की कीमत प्र.स.12
13. वही प्र.स. 12

राजगढ़ जिले में सहकारी दुग्ध समितियों द्वारा दुग्ध संकलन एवं विपणन प्रबंधन तथा लाभदायकता विश्लेषण

डॉ.आर.के.जैन* दिलीप कुमार गोस्वामी**

प्रस्तावना – प्राचीन काल में भारत में दूध के उत्पादन की स्थिति सुदृढ़ थी, इसलिये कहा जाता है की प्राचीन काल में भारत में दूध-दही की नदियाँ बहती थी, उस समय प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकतानुसार दूध की प्राप्ति आसानी से हो जाती थी। भौगोलिक दृष्टि से पशुपालन के लिए बेहतर स्थिति का लाभ उठाते हुए आज भारत दुनिया भर में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। दूध पदार्थों का उत्पादन अन्य देशों की तुलना में दूसरे क्रम पर है।

कृषि मानसून का जुआँ है। सम्पूर्ण कृषि उपज (विशेषतः म.प्र. में) वर्षा पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुविधा अपर्याप्त है। यदि वर्षा अच्छी हुई तो उपज भी भरपूर मिलती है, अन्यथा किसान को काफी हानि उठानी पड़ती है। आमतौर पर अधिकांश किसानों के पास 5 एकड़ से भी कम कृषि योग्य भूमि है। इतनी छोटी भूमि पर अधिक उपज बोकर भी अधिकतम फायदा नहीं हो सकता। कभी-कभी तो उसे सालभर जीवन यापन के लिये भी पर्याप्त आमदानी मिलना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में यह अपरिहार्य हो जाता है। कि किसानों को कृषि पर आधारित या उससे संबंधित सहायक व्यवसाय अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जायें। इस प्रकार के व्यवसायों में कृषि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित एक व्यवसाय दुग्ध उत्पादन है।

वर्तमान समय में बढ़ती हुई जनसंख्या एक विशाल समस्या का रूपधारण कर चुकी है, परिणाम स्वरूप अन्न की कमी महसूस की जाने लगी और कृषि व्यवसाय के विकल्पो की खोज के परिणामस्वरूप दुग्ध व्यवसाय को सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया। यह अनुभव किया गया कि पशु विकास की और पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। इस प्रकार दुग्ध व्यवसाय हमारे देश के आर्थिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है।

मानव आहार में दूध का स्थान सर्वोपरि है यह एक प्राकृतिक भोजन है। जिसका उपयोग शिशु हो या वृद्ध, युवक हो या युवती, स्वस्थ हो या रोगी सभी के लिए आवश्यक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 280 ग्राम दुग्ध पदार्थों का सेवन करना आवश्यक है, कि अनुशंसा की गई है। परंतु हमारे देश में दुग्ध की उपलब्धता एवं मात्रा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन बहुत कम है।

गत तीन दशकों में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कुछ राज्यों के कृषक परिवार निश्चित ही आर्थिक सम्पन्नता की ओर अग्रसर हुए हैं। परन्तु आज भी देश का सामान्य कृषक इस स्थिति से अछूते हैं। अतः ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे करोड़ों लोग (कृषकों) की आर्थिक एवं सामाजिक

सम्पन्नता हेतु कृषि के साथ-साथ अन्य व्यवसायिक स्रोतों की भी आवश्यकता महसूस की गई। इस संदर्भ में पशुपालन एवं उससे दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया।

देश की राष्ट्रीय आय तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्वपूर्ण योगदान है। देश के आर्थिक, सामाजिक तथा तकनीकी रूप से उन्नत पर्यावरण का दोहन करते हुए दुग्ध के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध देने वाले पशुओं की काफी बड़ी संख्या भूमिहीन एवं सीमांत तथा लघु कृषकों के पास है, अतः दुग्ध व्यवसाय मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे दुग्ध उत्पादकों की एक बड़ी संख्या के दुग्ध उत्पादन पर निर्भर करता है। देश के योजनाबद्ध विकास के लिए एक माध्यम के रूप में कार्यरत सहकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना रहा है।

विडम्बना यह है कि समुचित विपणन व्यवस्था के अभाव में दुग्ध उत्पादक कृषकों को मध्यस्थों ने ऋण के कुचक्र में इस प्रकार समाहित कर लिया कि वे मध्यस्थों के मात्र आश्रित बनकर रह गये एवं दुग्ध व्यवसाय से सामाजिक आर्थिक संपन्नता की बात स्वप्न बनकर रह गयी।

दुग्ध उत्पादकों को इस स्थिति से उबारने एवं सामाजिक व आर्थिक संपन्नता का पथ प्रशस्त करने हेतु स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल ने सर्वप्रथम गुजरात के खेडवासियों से सहाकारी दुग्ध व्यवसाय का आन्धान किया। गुजरात के खेडवासियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्वप्न को न केवल साकार किया अपितु सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। गुजरात के खेडा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ आणंद की सफलता से प्रेरित होकर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने 26 सितम्बर 1965 को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आणंद की स्थापना की। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर डेरी के विकास के कार्यक्रम आयोजित एवं क्रियान्वित करता है। इस हेतु भारत सरकार ने वर्ष 1970 में दुग्ध उत्पादन एवं संवर्द्धन हेतु दुग्ध विकास परियोजना आपरेशन फलड (दुग्ध क्रांति) निर्धारित की, जिसे दुग्ध क्रांति का नाम दिया गया और दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थों के उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि कर दुग्ध क्रांति का लक्ष्य निर्धारित किया गया। दुग्ध क्रांति का आधार एवं माध्यम सहकारिता को बनाया गया। सहकारिता ही भारत के आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक विकास का मूलमंत्र सिद्ध हुई है। **संदर्भित अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य के लिए 'राजगढ़ जिले में सहकारी दुग्ध समितियों द्वारा दुग्ध संकलन एवं विपणन प्रबंधन तथा**

* सेवा निवृत्त प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग) (म.प्र.) भारत

** सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहगढ़ (म.प्र.) भारत

लाभदायकता विश्लेषण' विषय का चयन किया गया।

शोध के उद्देश्य - प्रस्तुत शोध प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में दुग्ध विकास परियोजना के अन्तर्गत राजगढ़ जिले में विकसित सहकारी दुग्ध समितियों को शोध प्रगति का सम्यक् अध्ययन विश्लेषण तथा मूल्यांकन करना है। इस हेतु प्रबंध को अग्रलिखित बिन्दुओं पर केन्द्रित किया गया है।

1. दुग्ध सहकारी समितियों के गठन एवं स्वरूप का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।
2. दुग्ध संघों द्वारा क्रियान्वित अन्य विकास कार्यक्रमों का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।
3. राजगढ़ जिले की सहकारी दुग्ध समितियों का आय एवं लागत का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
4. राजगढ़ जिले में गठित समितियों के प्रभावों का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।
5. राजगढ़ जिले की दुग्ध समितियों को आने वाली समस्याओं का अध्ययन एवं समितियों की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यथोचित सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध प्रबंध की प्राकल्पनाएँ - शोध प्रबन्ध में हमने शोध समीक्षा एवं शोध कार्य की सैद्धांतिक रूपरेखा के आधार पर शोध कार्य को एक संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करने हेतु उद्देश्यों का निर्माण किया एवं उसकी कसौटी के मापन हेतु शोध शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया। जिसके अन्तर्गत -

1. दुग्ध समितियों की सदस्यता अवधि एवं सदस्यों की आय में कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।
2. पशु चिकित्सा सुविधाएँ एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि में कोई सार्थक नहीं सम्बन्ध है।
3. दुग्ध समितियों के सदस्यों की आय एवं सदस्यों की लैंगिक स्थिति में कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।
4. कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम को पसंद का उनकी जातिगत स्थिति में कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।
5. दुग्ध समितियों के प्रति आकर्षण एवं सदस्यों की आय में वृद्धि के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध कार्य शोध की वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है जो सांख्यिकीय, अर्थशास्त्र एवं समाज शास्त्र एवं वाणिज्य के विभिन्न आयामों को समाहित किए हुए है। शोध प्रविधि को अध्ययन का समग्र, अवलोकन की इकाई, प्रतिपचयन विधि एवं आकार तथा आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण के उपकरण एवं तकनीक में निम्नानुसार विभाजित किया गया है।

अध्ययन का समग्र - मध्यप्रदेश में राजगढ़ जिला अन्य जिलों की अपेक्षा दुग्ध उत्पादन पिछड़ा हुआ है साथ ही राजगढ़ जिले में दुग्ध समितियों का गठन बहुत ही धीमी गति से हुआ है। अतः अध्ययन के समग्र के रूप में राजगढ़ जिले का चयन किया गया है।

अध्ययन की इकाई - राजगढ़ जिले में गठित विभिन्न मर्यादित दुग्ध समितियों के सदस्य, जिले के अधिकारी एवं समितियों से सम्बद्ध समस्त कर्मचारियों को अध्ययन की इकाई के रूप में समाहित किया गया है।

प्रतिपचयन की विधि एवं आकार - शोध प्रबन्ध में समाहित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त समग्र में से इकाईयों के चयन एवं प्राथमिक समंको के संकलन हेतु दैव निदर्शन पद्धति का चयन

किया गया है। राजगढ़ जिले के दुग्ध संघ के अन्तर्गत आने वाले ब्यावरा, राजगढ़, पचोर, सारंगपुर, जीरापुर, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर विकासखण्ड की वर्ष 2016-17 में संचालित कुल 480 मर्यादित दुग्ध समितियों के 19912 सदस्यों में से निदर्शन पद्धति से चयनित 200 समितियों सदस्यों से प्राथमिक समंको का संकलन किया गया है।

परिकल्पनाओं का परीक्षण

प्रथम परिकल्पना

शून्य परिकल्पना (H_0) = दुग्ध समितियों की सदस्यता अवधि एवं सदस्यों की आय में कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_1) = दुग्ध समितियों की सदस्यता अवधि एवं सदस्यों की आय में सार्थक सम्बन्ध है।

परिकल्पना का परीक्षण - उपरोक्त परिकल्पना के सत्यापन की जाँच हेतु ग्रामीण महिलाओं के लिए दुग्ध समितियों की सदस्यता अवधि एवं सदस्यों की आय से सम्बद्ध प्राथमिक समंको का सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से 05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर काई वर्ग परीक्षण किया गया जिसके परिणाम तालिका क्रमांक 7.2 के अनुसार प्रस्तुत है -

तालिका क्रमांक - 1

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	21.429a	2	.000
Likelihood Ratio	15.102	2	.001
Linear-by-Linear Association	14.781	1	.000
N of Valid Cases	200		

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .64.

निर्वचन - उपर्युक्त परिकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 2 स्वतंत्र संख्या के लिये χ^2 का सारणी मूल्य $\chi^2_t = 5.99$ है तथा χ^2 का परिमाणित मूल्य $\chi^2_c = 21.429$ प्राप्त है। अर्थात् $5.99 < \chi^2_c$ स्पष्ट है कि काई-वर्ग तालिका मूल्य, परिमाणित मूल्य से कम है अर्थात् दोनों गुण स्वतंत्र नहीं है।

परिणाम स्वरूप शून्य परिकल्पना (H_0) को अस्वीकृत किया जाता है एवं वैकल्पिक परिकल्पना (H_1) को स्वीकृत किया जाता है।

अतः यह सत्यापित होता है कि दुग्ध समितियों का महिलाओं के लिए गठन का हितग्राही महिला सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।

द्वितीय परिकल्पना

शून्य परिकल्पना (H_0) = पशु चिकित्सा सुविधाएँ एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि में कोई सार्थक नहीं सम्बन्ध है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_1) = पशु चिकित्सा सुविधाएँ एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि में सार्थक सम्बन्ध है।

परिकल्पना का परीक्षण - उपरोक्त परिकल्पना के सत्यापन की जाँच हेतु ग्रामीण महिलाओं के लिए दुग्ध समितियों की सदस्यता अवधि एवं सदस्यों की आय से सम्बद्ध प्राथमिक समंको का सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से 05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर काई वर्ग परीक्षण किया गया जिसके परिणाम तालिका क्रमांक 7.3 के अनुसार प्रस्तुत है -

तालिका क्रमांक - 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

निर्वचन – उपर्युक्त परिकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 1 स्वतंत्र संख्या के लिये χ^2 का सारणी मूल्य $\chi^2_t = 3.841$ है तथा χ^2 का परिमाणित मूल्य $\chi^2_c = 0.028$ प्राप्त है। अर्थात् $3.841 > \chi^2_c$ स्पष्ट है कि काई-वर्ग तालिका मूल्य, परिगणित मूल्य से अधिक है अर्थात् दोनो गुण स्वतंत्र है।

परिणाम स्वरूप **शून्य परिकल्पना (H_0)** को स्वीकृत किया जाता है एवं **वैकल्पिक परिकल्पना (H_1)** को अस्वीकृत किया जाता है।

अतः यह सत्यापित होता है कि पशु चिकित्सा सुविधाएँ एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि में कोई सार्थक नहीं सम्बन्ध है।

तृतीय परिकल्पना

शून्य परिकल्पना (H_0) = दुग्ध समितियों के सदस्यों की आय एवं सदस्यों की लैंगिक स्थिति में कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_1) = दुग्ध समितियों के सदस्यों की आय एवं सदस्यों की लैंगिक स्थिति में सार्थक सम्बन्ध है।

परिकल्पना का परीक्षण – उपरोक्त परिकल्पना के सत्यापन की जाँच हेतु ग्रामीण महिलाओं के लिए दुग्ध समितियों की सदस्यता अवधि एवं सदस्यों की आय से सम्बद्ध प्राथमिक समंको का सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से 05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर काई वर्ग परीक्षण किया गया जिसके परिणाम तालिका क्रमांक 7.4 के अनुसार प्रस्तुत है –

तालिका क्रमांक 7.3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

निर्वचन – उपर्युक्त परिकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 1 स्वतंत्र संख्या के लिये χ^2 का सारणी मूल्य $\chi^2_t = 3.841$ है तथा χ^2 का परिमाणित मूल्य $\chi^2_c = 0.007$ प्राप्त है। अर्थात् $3.841 > \chi^2_c$ स्पष्ट है कि काई-वर्ग तालिका मूल्य, परिगणित मूल्य से अधिक है अर्थात् दोनो गुण स्वतंत्र है।

परिणाम स्वरूप **शून्य परिकल्पना (H_0)** को स्वीकृत किया जाता है एवं **वैकल्पिक परिकल्पना (H_1)** को अस्वीकृत किया जाता है।

अतः दुग्ध समितियों के सदस्यों की आय एवं सदस्यों की लैंगिक स्थिति में कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

चतुर्थ परिकल्पना

शून्य परिकल्पना (H_0) = कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम को पसंद का उनकी जातिगत स्थिति में कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_1) = कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम को पसंद का उनकी जातिगत स्थिति में सार्थक सम्बन्ध है।

परिकल्पना का परीक्षण – उपरोक्त परिकल्पना के सत्यापन की जाँच हेतु ग्रामीण महिलाओं के लिए दुग्ध समितियों की सदस्यता अवधि एवं सदस्यों की आय से सम्बद्ध प्राथमिक समंको का सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से 05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर काई वर्ग परीक्षण किया गया जिसके परिणाम तालिका क्रमांक 7.4 में अग्रानुसार प्रस्तुत है –

तालिका क्रमांक 7.4 Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.582a	3	.086
Likelihood Ratio	8.046	3	.045
Linear-by-Linear Association	5.264	1	.022
N of Valid Cases	200		

a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 4.14.

निर्वचन – उपर्युक्त परिकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 3 स्वतंत्र संख्या के लिये χ^2 का सारणी मूल्य $\chi^2_t = 7.82$ है तथा χ^2 का परिमाणित मूल्य $\chi^2_c = 6.582$ प्राप्त है। अर्थात् $7.82 > \chi^2_c$ स्पष्ट है कि काई-वर्ग तालिका मूल्य, परिगणित मूल्य से अधिक है अर्थात् दोनो गुण स्वतंत्र है।

परिणाम स्वरूप **शून्य परिकल्पना (H_0)** को स्वीकृत किया जाता है एवं **वैकल्पिक परिकल्पना** को अस्वीकृत किया जाता है।

अतः यह सत्यापित होता है कि कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम को पसंद का उनकी जातिगत स्थिति में कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

पंचम परिकल्पना

शून्य परिकल्पना (H_0) = दुग्ध समितियों के प्रति आकर्षण एवं सदस्यों की आय में वृद्धि के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_1) = दुग्ध समितियों के प्रति आकर्षण एवं सदस्यों की आय में वृद्धि के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।

परिकल्पना का परीक्षण – उपरोक्त परिकल्पना के सत्यापन की जाँच हेतु दुग्ध समितियों के प्रति आकर्षण एवं सदस्यों की आय में वृद्धि से सम्बद्ध प्राथमिक समंको का सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से 05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर काई वर्ग परीक्षण किया गया जिसके परिणाम तालिका क्रमांक 7.1 के अनुसार प्रस्तुत है –

तालिका क्रमांक – 7.5

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.907a	4	.095
Likelihood Ratio	8.675	4	.070
Linear-by-Linear Association	2.040	1	.153
N of Valid Cases	200		

a. 5 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .18.

निर्वचन – उपर्युक्त परिकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 4 स्वतंत्र संख्या के लिये χ^2 का सारणी मूल्य $\chi^2_t = 0.711$ है तथा χ^2 का परिमाणित मूल्य $\chi^2_c = 7.907$ प्राप्त है अर्थात् $0.711 < \chi^2_c$ स्पष्ट है कि काई-वर्ग तालिका मूल्य, परिगणित मूल्य से कम है अर्थात् दोनो गुण स्वतंत्र नहीं है।

परिणाम स्वरूप **शून्य परिकल्पना (H_0)** को अस्वीकृत किया जाता है एवं **वैकल्पिक परिकल्पना (H_1)** को स्वीकृत किया जाता है। अतः यह सत्यापित होता है कि दुग्ध समितियों के प्रति आकर्षण एवं सदस्यों की आय में वृद्धि के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।

दुग्ध सहकारी समिति को संघ के साथ कारोबार करने में दूध प्राप्त करने, जाँच भुगतान, सुदानों की बिक्री दूध के परिवहन, दूध की कमी और खटास, चिकनाई अथवा एस.एन.एफ. की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह बहुत जरूरी है कि अध्यक्ष/सचिव/प्रबंध समिति तथा संघ के कर्मचारी इन समस्याओं के पैदा होते ही इन पर विचार करें और इनका हल निकाले दूध की अधिप्राप्ति के संबंध में नीचे लिखे चार स्तरों पर समस्याएँ पैदा हो सकती हैं।

1. पशुओं से संबंधित ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों की समस्याएँ

2. दुग्ध उत्पादक समितियों की समस्याएँ।
3. परिवहन स्तर की समस्याएँ।
4. दुग्ध संघ स्तर की समस्याएँ।

1. पशुओं से संबंधित ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों की समस्याएँ – दुग्ध संघों के दुग्ध उत्पादक सदस्य दुग्ध क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दुग्ध उत्पादक सदस्य प्रतिदिन दो बार दुग्ध समिति में दुग्ध का संकलन करते हैं दुग्ध उत्पादकों की संख्या जितनी अधिक होती है समस्या भी उतनी ही अधिक उत्पन्न होती है। दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे पशु एवं पशुपालन सम्बन्धी समस्याएँ, पशु आवास की समस्याएँ, अनुत्पादक पशुओं की समस्याएँ, महंगे पशु एवं पशु आहार की समस्या, पशुओं के दोषपूर्ण रख-रखाव की समस्या, चारागाह का अभाव, पशुओं की चिकित्सा का अभाव, पूँजी की समस्या एवं ऋण संबंधी समस्या इत्यादि।

2. दुग्ध उत्पादक समितियों की समस्याएँ – दुग्ध संघों की दुग्ध समितियों का संचालन व्यावसायिक उपक्रमों के रूप में व्यावसायिक प्रवृत्ति के साथ किया जाता है जो कि लाभ पर आधारित होती है और जिससे यह स्वावलम्बी बनती रहे तथा सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहती है। दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि कर दुग्ध क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये हमें दुग्ध समिति स्तर पर ही प्रयास करने होंगे क्योंकि समितियों के संचालन के लिए बनी प्रबंध समिति के अलग-अलग जातियों तथा अलग-अलग विचार वाले सदस्य होते हैं जिससे किसी भी मुद्दे पर समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। दुग्ध संघों की दुग्ध समिति स्तर संबंधी मुख्य समस्याओं में सदस्यों का अनुचित व्यवहार, सदस्यों द्वारा अपने प्रभाव का दुरुपयोग, निहित स्वार्थों वाले उत्पादक, दुग्ध समिति के भवन की समस्या, गैर सदस्यों से दुग्ध संकलन की समस्या, निष्क्रिय सदस्यों की समस्या, मिलावटी/घटिया दूध की सप्लाई, उत्पादकों द्वारा ठीक समय पर सप्लाई नहीं होना एवं दुग्ध मूल्य के भुगतान की समस्या महत्वपूर्ण समस्या है।

3. दुग्ध समिति के कर्मचारी स्तर की समस्याएँ – दुग्ध समितियों में आम तौर पर दो से तीन या इससे अधिक कर्मचारी होते हैं। इन कर्मचारियों को दिन में कई बार उत्पादकों से सम्पर्क करना होता है जिनमें गाँव की महिलाएँ और छोटे बच्चे भी शामिल हैं कर्मचारियों के स्तर पर अनेक समस्याएँ पैदा होती हैं जैसे अशिक्षित कर्मचारी, कर्मचारियों का ठीक समय न आना, कर्मचारियों द्वारा पक्षपात, कर्मचारियों का पक्षपात, दूध प्राप्ति तथा उसकी जाँच में गलती, मूल सुविधाओं का अभाव, रिकार्ड में गड़बड़ी, प्रबंध समिति की समस्याएँ, हस्तक्षेप और राजनीतियाँ, वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रति उदासीनता, प्रबंध समिति के द्वारा मनमार्गे ढंग से कार्य करने की समस्या, कर्मचारियों में योग्यता एवं कुशलता की समस्या, वैचारिक मतभेद, सदस्यों द्वारा पक्षपात, नई सदस्यता एवं दूध अधिप्राप्ति की प्रणाली प्रमुख समस्या है।

4. परिवहन स्तर की समस्याएँ – चूँकि दूध के परिवहन की जिम्मेदारी संघ की होती है इसलिये इससे संबंधित समस्याओं के बारे में संघ स्तर की समस्याओं के साथ-साथ विचार किया जा सकता है लेकिन परिवहन का संबंध संघ तथा समिति दोनों से होता है इसलिये अलग-अलग समस्याओं के बारे में नीचे अलग-अलग विचार किया गया है दूध का परिवहन दो भागों में बांटा जा सकता है अर्थात् (1) ट्रक परिवहन जो डेरी डाक को दूध पहुँचाने के लिए मुख्य रूप से पक्की सड़कों पर चलता है और (2) कच्ची सड़कों पर चलने वाला परिवहन जो उन समितियों से दूध को ले जाता है जो

पक्की सड़कों के नजदीक नहीं होती है। यह सिर पर रखकर दूध का परिवहन बैलगाड़ी या साइकिल आदि हो सकती है कुल मिलाकर ये दोनों परिवहन की प्रणालियाँ हैं इसलिये इनकी अलग-अलग अनेक समस्याएँ होती हैं। जैसे गैर जिम्मेदार और शरारती परिवहनकर्ता, दूध के रूट की स्थिति, उत्तरदायित्वों के निर्वाह की समस्या, विपणन की समस्या एवं शासन की ओर से सहायता का अभाव इत्यादि।

शोध प्रबन्धन से सम्बद्ध समस्याओं के यथोचित सुझाव – अध्याय में शोधप्रबन्धन में शोधार्थी द्वारा शोधकार्य से सम्बद्ध विभिन्न समस्याओं जैसे पशुओं से संबंधित ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों की समस्या, दुग्ध उत्पादक समितियों की समस्या, परिवहन स्तर की समस्याएँ एवं दुग्ध संघ स्तर की समस्या का अधन एवं विश्लेषण करते हुए इन समस्याओं के यथोचित सुझाव प्रस्तुत किये जो कि निम्नानुसार हैं –

1. दुग्ध समितियों से सम्बद्ध सुझाव – शोधार्थी द्वारा सर्वप्रथम दुग्ध समितियों से सम्बद्ध विभिन्न समस्याओं के सुझाव प्रस्तुत किए गये हैं जो कि निम्नानुसार हैं –

➤ **अपने स्वार्थ का परित्याग** – समितियों में शामिल सदस्यों को अपने स्वार्थ का परित्याग करना चाहिये तथा समितियों के कार्य में अपना योग्यदान देना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो उसकी समिति से सदस्यता समाप्त करनी चाहिये तथा उसका दूध भी नहीं लेना चाहिये। कम समय के लाभ के आकर्षण से निजी व्यापारियों को दुग्ध देने वाले सदस्यों को समिति द्वारा दण्डित किया जाना चाहिये।

➤ **दुग्ध उत्पादकों के हस्तक्षेप को समान करना** – दुग्ध उत्पादकों समितियों के दैनिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यदि कोई कर्मचारियों की शिकायत करता है तो उन्हें वह प्रबंध समितियों के माध्यम से शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिये ताकि समिति के कार्य में कोई हस्ताक्षेप न हो क्योंकि ऐसा करने से राजनीति जन्म लेती है।

➤ **दूध के नमूने का उचित मूल्य प्रदान** – नमूने के रूप में जो दूध लिया जाता है उसे बेचकर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे उत्पादकों में बाँटना चाहिये। वैसे तो अधिकांश समितियाँ इसे लाभ में शामिल कर लेती हैं और इसको बाद में लाभांश या बोनस के रूप में उत्पादकों को देती हैं। चूँकि इससे उत्पादकों का समय व्यर्थ होता है। समिति के सदस्य कर्मचारी समय का ध्यान नहीं रखते उनके खिलाफ प्रबंध समिति द्वारा कड़ी कार्यवाही करना चाहिये।

➤ **दूध की समय-समय पर जाँच** – समितियों द्वारा दूध की जाँच समय-समय पर करते रहना चाहिये ताकि कर्मचारियों द्वारा हो रही गड़बड़ियों का पता चले तथा उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके समिति के कर्मचारियों को उनकी लापरवाही के परिणामों के बारे में बताना चाहिये। संघ के कर्मचारियों को उन्हें सभी तरीकों की जानकारी ठीक से देना चाहिए।

➤ **समय पर भुगतान की व्यवस्था** – दूध का भुगतान नियमित एवं समय पर होना चाहिये इसके लिये दुग्ध संघों को समिति के लिये उचित एवं नियमित रूप से समय पर भुगतान करने की पक्की व्यवस्था करना चाहिये। नियमित भुगतान ही एक ऐसा साधन है जो उत्पादकों एवं इस समूची प्रणाली को प्रभावित करता है। प्रारंभ में दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध समितियों का भुगतान समय पर किया जाता था परन्तु पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय संकट के कारण ऐसा नहीं किया जा रहा है। राज्य शासन को दुग्ध संघों के वित्तीय संकट को दूर करने के लिये उदार शर्तों पर ऋण व अनुदान दिया जाना चाहिये जिससे कि भुगतान समय पर हो। समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध के

भुगतान के साथ-साथ अंशपूँजी लाभांश व बोनस विवरण समय पर किया जाना चाहिए जिससे दुग्ध उत्पादकों का दुग्ध व्यवसाय एवं दुग्ध समिति के प्रति आकर्षण बना रहे।

➤ **उचित खाता वही रखना** - समितियों द्वारा नवीनतम तथा सही खाता नहीं रखा जाना चाहिये क्योंकि इसमें लापरवाही के गम्भीर परिणाम होते हैं समय-समय पर इसकी जाँच अध्यक्ष, आंतरिक लेखा परीक्षक या संघ के कर्मचारियों से कर बानी चाहिये।

➤ **मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना** - मूल सुविधाएँ जैसे जाँच के उपकरण रसायन आदान जैसे पशु आहार, चारे के बीज, कृत्रिम गर्भाधान सेवार्थे किटे आदि समिति के समय पर उपलब्ध कराना चाहिये। जिससे दूध की सही जाँच कर उसका भुगतान हो सके। यदि कर्मचारी इसमें लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ प्रबंध समिति में शिकायत करनी चाहिये।

➤ **प्रबंध समितियों को सुझाव** - प्रबंध समितियों के सदस्यों के नीतियाँ और मापदण्ड निर्धारित कर कर्मचारियों का सही ढंग से मार्गदर्शन करना चाहिये। प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें समय-समय पर ली जाये और वास्तविक होनी चाहिये। जिससे प्रजातंत्र का असली रूप प्रकट हो सके तथा प्रबंधकारिणी समिति के कर्मचारियों का अपने दायित्वों के प्रति उत्साह बना रहे ताकि प्रजातांत्रिक शासन सकल हो सके एवं सहकारिता के सिद्धान्त पर आधारित उत्पादकों का उत्पादकों के लिये उत्पादकों के द्वारा उपनियम का पालन हो सके।

2. पशुओं से संबंधित सुझाव :

➤ **पशुओं के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित आवास स्थान** - के रहने का स्वच्छ स्थान एवं सुरक्षित आवास होना चाहिये, जहाँ गर्मी, सर्दी व वर्षा से उनकी सुरक्षा की जा सके तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था हो। दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को पशु आवास के लिये ऋण व अनुदान दिये जाने चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले दुग्ध उत्पादकों के पशुओं की आवास व्यवस्था की समस्या को हल करने के लिए कैटल शेड निर्माण के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से अनुदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को दुग्ध उत्पादकों के लिए पशु आवास निर्माण के लिये निःशुल्क जमीन देना चाहिए। दुग्ध उत्पादकों को अच्छा घर जिसमें पशुओं को रहने के लिए अच्छा वातावरण बना रहे है इस संबंध में शिक्षा व सलाह संघ द्वारा समितियों के माध्यम से दी जानी चाहिए।

➤ **दुधारू पशुओं पर खुरेरा करना** - दुधारू पशुओं पर खुरेरा करना लाभदायक एवं अनिवार्य है इससे पशुओं की त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं उनकी थकान दूर होते हैं साथ ही सफाई भी हो जाती है। खुरेरा करने से पशुओं की दुग्ध शिराएँ अपना कार्य सुचारु रूप से करती हैं व अधिक दुग्ध मिलता है।

➤ **पौष्टिक पशु आहार** - दुग्ध उत्पादकों द्वारा पशुओं को उचित मात्रा में पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिये, जहाँ तक संभव हो हरे चारे का उपयोग करना चाहिये। दुग्ध संघों द्वारा हरे चारे की उन्नत किस्मों का विकास कर उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सार्थक प्रयास किया जाना चाहिये दुग्ध संघों द्वारा उन्नत चारा बीजों की किस्मों तथा हरे चारे के संबंध में समिति के माध्यम से प्रचार प्रसार तथा पृत्यक मौसम में उगने वाले बीजों को उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

3. परिवहन संबंधी सुझाव :

➤ **शर्तों का स्पष्ट होना** - परिवहन का ठेका देते समय समिति को

परिवहन से संबंधित समस्त शर्तों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। क्योंकि ऐसे मामले में संघ या समितियों को घाटा होता है।

➤ **जिम्मेदार परिवहनकर्ता** - परिवहन का कार्य जिम्मेदार व्यक्तियों को सौंपना चाहिये, जिससे सही समय पर तथा सही ढंग से दूध पहुँचाया जा सके। इसमें गलती होने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक बार प्रणाली खराब होने पर दौबारा ठीक करने में काफी समय लगता है। अतः ठेकेदारों को ठोस होना चाहिये और उसे नियमित रूप से और समय पर माल पहुँचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिये परिवहनकर्ता का वाहन भी अच्छी हालत में होने चाहिये। ताकि रास्ते में वह खराब न हो अन्यथा इससे दूध के सभी रूटों में रूकावट पैदा हो जाती है।

➤ **रूट (मार्ग) का निर्धारण** - मार्ग इस प्रकार निश्चित करना चाहिये जो न तो अधिक लंबा हो न ही अधिक गड्डे वाला हो क्योंकि ऐसे रास्तों पर दूध को खट्टा होने, थक्का होने या वाहन के खराब होने की संभावना अधिक रहती है। अतः मार्ग निर्धारित करते समय संघ के स्टॉफ को इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिये। जिससे परिवहनकर्ता को भी आपत्ति न हो। आमतौर पर छोटे-छोटे रूट बनाने से समस्या हल हो जाती है।

4. संघ स्तर पर सुझाव :

➤ **नियमित समय पर भुगतान व्यवस्था** - संघ द्वारा समितियों को नियमित समय पर भुगतान करना आवश्यक है। शुरू में समितियों द्वारा कम अंतराल में तथा नियमित रूप से धनराशि की जरूरत होती है इसके लिये संघ को पेशगी रकम का भुगतान करना चाहिये। अन्यथा समिति का विश्वास उठ जाता है अतः संघ को दूध के लिए समिति को नियमित रूप से और समय पर भुगतान करने की पक्की व्यवस्था करनी चाहिये तथा इसके साथ ही समिति को अचानक पड़ने वाली जरूरतें भी पूरी करनी चाहिये। नियमित भुगतान ही एक ऐसा साधन है जो उत्पादकों और इस समूची प्रणाली को प्रभावित करता है।

➤ **केनो की सफाई व्यवस्था** - केनों की सफाई की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है जिससे दूध खट्टा न हो या उसमें थक्का न बने इस हेतु विभिन्न रूटों पर बारी-बारी से हर पन्द्रह दिन केनो और ढक्कनों की हाथों से या ब्रश द्वारा सफाई कराते रहना चाहिये गर्मी के दिनों में यह उपाय अवश्य किये जाने चाहिये।

➤ **विपणन प्रणाली में सुधार** - दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के विपणन में प्रणाली रूप से वृद्धि करने तथा वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार के साथ-साथ आय उपभोक्ताओं के मध्य दुग्ध उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिये शहरों, तहसीलों एवं विकासखण्ड स्तर पर मिल्क बूथ की स्थापना की जानी चाहिये एवं जगह-जगह स्थापित मिल्क बूथ एवं दुग्ध विक्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करना एवं उपभोक्ताओं से समय-समय पर पूछताछ करके विक्रय केन्द्रों पर कार्यरत एजेन्टों पर नियंत्रण रखना चाहिये।

भावी शोध की संभावनाएँ - बजट 2020 में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक दुग्ध उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है जोकि दुग्ध उत्पादन से सम्बद्ध विभिन्न पहलुओं में संरचनात्मक परिवर्तन एवं सुधार से ही संभव है। इस दिशा में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध एक मील का पत्थर साबित हो सकता है यदि शोध प्रबन्ध में विप्लेषित समस्याओं एवं उनके यथोचित सुधार पर ध्यान दिया गया साथ ही शोध प्रबन्ध में प्रस्तुत समस्याओं के समाधान के लिए निरन्तर शोध की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध विभिन्न विषयों जैसे - समितियों में संरचनात्मक परिवर्तन, दुग्ध उत्पादन एवं

विपणन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन, दुग्ध विपणन प्रबन्धन इत्यादि विषयों पर आने वाले शोधार्थियों को नये शोध आयामों का निर्माण करने एवं साहित्य के अवलोकन में सहयोग प्रदान करेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. **सरकार, देवनारायण, घोष. बिकास कुमार (2008):** इकोनोमिक्स ऑफ़ मिल्क प्रोडक्शन इन वेस्ट बंगाल: इविडेन्स फ्रॉम कुओपरेटिव एण्ड नॉन कुओपरेटिव फार्म, जर्नल ऑफ़ इकोनामिक्स एण्ड बिज़नेस, Vol.XI, No 1 & 2.
2. **रयादु, सी. एस. (1985):** रेशो एनालिसिस एण्ड फिनान्सियल परफॉर्मन्स, इंडियन कोओपरेटिव रिव्यू, Vol 23(1), pp.54-70
3. **रामा, बी. आर. (1985):** परफॉर्मन्स एजुकेशन ऑफ़ फारमर सर्विस सोसाइटीस इन कर्नाटका, एम. एस. सी. (एग््रीकल्चर) थिसिस, युनिवर्सिटी ऑफ़ (एग््रीकल्चरल) साइंस, बैंगलौर.
4. **नातारंजन आर. एट. एल. (1980):** वर्किंग ऑफ़ कन्ज्युमरस कॉओपरेटिवस इन आन्धा प्रदेश - एकेस स्टडी, इंडियन कोओपरेटिव रिव्यू, Vol.18(1), pp.7-20.
5. **सिद्धरम, हॉड इटि. एल. (2007):** प्रोसेसिंग एण्ड मार्केटिंग मैनेजमेन्ट ऑफ़ मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट इन नार्थ कर्नाटक, कर्नाटक जर्नल ऑफ़ एग््रीकल्चरल साइंस, Vol.20(2), pp.316-319.
6. **अन्जनी कुमार. इटि. एल. (2006):** लाइवस्टॉक सेक्टर ट्रेड ऑफ़ इंडिया - सर्जिंग मोमेन्ट इन द न्यू लिब्रलाइज्ड रेजिम, इन्डियन जर्नल ऑफ़ एग््रीकल्चर इकोनामिक्स, Vol. 62(3), pp.395-400.
7. **बरधान, डी. (2004):** इंडियास ट्रेड परफॉर्मन्स इन लाइवस्टॉक एण्ड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, इन्डियन जर्नल ऑफ़ एग््रीकल्चर इकोनामिक्स, Vol 62 (3), pp.411- 424.
8. **शर्मा नरिपेन्द्र एन. (2003):** कन्ज्युमर कॉओपरेटिव एण्ड रूरल मार्केटिंग, मित्तल पब्लिकेशन, न्यू देहली.
9. **शाह दीपक (2000):** अमूल-स्टोरी ऑफ़ अ ग्रोथ मॉडल, इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, जून 10.
10. **शशीकुमार एम.वी. (1998):** कॉओपरेटिव एण्ड डिसेन्ट्रलाइड प्लानिंग इन केरला, योजना फरवरी.
11. **वीटल सी. पी. (1986):** फेक्टर अफेक्टिंग मिल्क कोओपरेटिव इन अनन्थपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ आन्ध्र प्रदेश- एकेस स्टडी, इंडियन कोओपरेटिव रिव्यू, 23(4), pp.325 -337.
12. **पाण्डे देवनारायण (1970):** पशु आयु विज्ञान, हन्दी प्रकाशन समिति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, उत्तरप्रदेश.
13. **कुमार देवेन्द्र (1971):** पशु पालन, आक्सफोर्ड एण्ड आई.वी.एस. पब्लिशिंग कम्पनी नई दिल्ली.
14. **आर्य सत्यदेव (1979):** आहार एवं पोषाहार, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर.
15. **माटी एवं लकानिया (1980):** दुग्ध विज्ञान (किताब महल इलाहाबाद.
16. **त्रिपाठी बी.एन., शास्त्री एन. एस. आर., थामस सी.के. (1980):** पशुपालन प्रबन्धन (विकास पब्लिशिंग हाऊस गाजियाबाद.
17. **पाण्डे के. सी. (1984):** सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी के तत्व, पुष्पराज प्रकाशन, इलाहाबाद.
18. **कंसल भारत भूषण (1988):** सहकारिता देश एवं विदेश में पशु विज्ञान, नवयुग साहित्य सदन आगरा.
19. **डॉ. पाण्डे देवनारायण नाथ एस.वी. (1989):** पशु पोषण एवं डेरी रसायन, जय प्रकाश नाथ एण्ड कम्पनी मेरठ.
20. **मुखर्जी. डॉ. रविन्द्रनाथ (1990):** सामाजिक शोध व सांख्यिकी विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, नई दिल्ली.
21. **मिश्र आर.सी. (1991):** हेण्ड बुक ऑफ़ एग््रीकल्चर क्रान्ति प्रकाशन इटावा (उ.प्र.).
22. **मोदी विट्ठलदास (1990):** दुग्ध कल्प आरोग्य मन्दिर गोरखपुर.
23. **डॉ. टी.एल. हजेला (1990):** डेरी सहकारी समितियाँ सहकारी सिद्धान्त एवं व्यवहार साहित्य भवन, आगरा.
24. **माथुर डॉ. बी.एस. (1990):** सहकारिता साहित्य भवन, आगरा.
25. **मिश्र आर.सी. (1991):** हेण्ड बुक ऑफ़ एग््री कल्चर कान्सी प्रकाशन इटावा (उ.प्र.).
26. **त्रिवेदी आर.एन.एवं शुक्ला (1992):** रिसर्च मैथ्योलॉजी.
27. **नाहर गंगा प्रसाद (1992):** दूध व दूध से बनी चीखे भारतीय प्राकृतिक विद्यापीठ एवं चिकित्सा पश्चिम बंगाल.
28. **वर्मा डी.एन. (1995):** दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद श्री पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली.
29. **टंडन उषा (1993)** आहार एवं पोषण विज्ञान यूनिवर्सल बुक डिपो, ग्वालियर.
30. **चौहान, ए. के. इटि. एल. (2007):** ए स्टडी ऑन द इकोनामिक्स ऑफ़ मिल्क प्रासेसिंग इन ए डेयरी प्लान्ट इन हरियाणा, एग््रीकल्चर इकोनामिक्स रिसर्च रिव्यू, Vol.19(2).

तालिका क्रमांक 7.2 Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.028 ^a	1	.868		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.028	1	.867		
Fisher's Exact Test				1.000	.526
Linear-by-Linear Association	.028	1	.868		
N of Valid Cases	200				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.40.

b. Computed only for a 2x2 table

तालिका क्रमांक 7.3 Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.007 ^a	1	.935		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.007	1	.935		
Fisher's Exact Test				1.000	.535
Linear-by-Linear Association	.007	1	.935		
N of Valid Cases	200				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.77.

b. Computed only for a 2x2 table

भारत-चीन सम्बन्ध

डॉ. सुरेखा रेगे*

प्रस्तावना - भारत-चीन पड़ोसी देश ही नहीं वरन् दो उभरती हुई महाशक्तियां हैं। भारत-बीच दोनों देशों की संस्कृति-सभ्यता विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियां हैं। दोनों देशों के मध्य वर्षों पुराने संबंध हैं। चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित देश है। इसकी राजधानी बीजिंग है। यह पहाड़ बहुल देश है जहाँ पहाड़ी क्षेत्र का क्षेत्रफल देश की कुल भूमि का दो तिहाई होता है। चीन का क्षेत्रफल 3,700.00 वर्गमील है। चीन का नाम 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' है। जिसकी स्थापना माओत्सुंग द्वारा 1949 में की गई। वर्ष 1948 में चीन की कुओमिन्तांग सरकार का पतन हो गया अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी क्रान्ति हुई। च्यांगकाई शेक की सरकार फारमोसा द्वीप चली गई वहाँ उसने अपने आप को असली चीन घोषित किया पश्चिमी देशों ने इसी च्यांगकाई शेक वाली पश्चिम सरकार को असली सरकार मानकर वास्तविक चीन का समर्थन किया। भारत ने चीन की नई साम्यवादी सरकार व चीन को तुरन्त मान्यता दी तथा उससे राजनायिक संबंध स्थापित कर के.एम.पणिक्कर को चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया।

भारत-चीन संबंधों में उतार-चढ़ाव होता रहा है। वर्ष 1949 से 1957 तक भारत-चीन संबंधों का प्रमोदकाल रहा है जब भारत ने हमेशा चीन का समर्थन किया। हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारों से हमारा देश गूंजता रहा। भारत-चीन के प्रति पं. नेहरू के कार्यकाल में तुष्टिकरण की नीति अपनाता रहा किन्तु उसे बाद 1957 से 1978 के काल में भारत-चीन में टकराहट-तनाव-युद्ध का माहोल रहा। 1978 से 2014 तक का काल भारत-चीन संबंधों का संवादकाल माना जा सकता है जबकि दोनों देशों में सामान्य संबंध बनाने के प्रयास किये गये। मोदी सरकार ने भी चीन के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाने की हरसंभव कोशिश की किन्तु चीन की साम्राज्यवादी-विस्तारवादी नीति के कारण भारत-चीन संबंधों में कटुता-तनाव बना रहा चाहे डोकलाम विवाद हो गलवान घाटी विवाद तथा हमारे सैनिकों की शहादत की घटनाएं हों।

भारत-चीन संबंधों को निम्नानुसार वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है:-

भारत-चीन में प्राचीन ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संबंध - भारत-चीन के प्राचीन रिश्ते व्यापारिक एवं धार्मिक थे। महाभारत, मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चीन देश का उल्लेख मिलता है। यहाँ के रेशमी कपड़े चिनांशुक नाम से प्रसिद्ध थे जिसका उल्लेख कालिदास की रचनाओं में मिलता है। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक के प्रयासों से चीन बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। तांगकाल में प्रभाकर मित्र दिवाकर, बौधिरुचि, अमोधवज, वज्रमित्र जैसे भारतीय बौद्ध प्रचारक चीन पहुंचे। अनेक चीनी बौद्ध भिक्षुक भारत की यात्रा पर आये। उनका उद्देश्य भारत से बौद्ध धर्म की प्रतियां लेना,

बौद्ध धर्म का ज्ञान एकत्रित करना, तथा बौद्ध दर्शनीय स्थानों का भ्रमण करना था। इनमें फाहियान ह्वेनसांग, इत्सिंग के नाम प्रसिद्ध हैं। फाहियान चतुर्थ शती में चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था ताकि वह बौद्ध धर्म का ज्ञान एवं बौद्ध धर्म ग्रन्थ एकत्रित कर चीन ले जा सके। उसने अधियान, गंधार, तक्षशिला, उच्छ मथुरा, वाराणसी आदि का भ्रमण किया तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की। चीन का दूसरा यात्री ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इत्सिंग भी इसी शासक के काल में भारत में आया था। इन्होंने सम्राट हर्ष के शासन की राजनीतिक सांस्कृतिक दशा का वर्णन किया। इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया था।

मध्ययुग में विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप भारत-चीन संबंध टूट गया। उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ तो पड़ोसी देश चीन में भी हस्तक्षेप शुरू हो गया। भारतीय सेना का प्रयोग चीन को दबाने के लिए किया जाने लगा जिसका विरोध भारतीय नेताओं ने किया। 1923 में प्रसिद्ध कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने चीन की यात्रा की। 1927 के बुसेल्स सम्मेलन में पं. नेहरू की मुलाकात चीनी नेताओं से हुई तथा चीन से सम्पर्क बढ़ा। 1931 में जब जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया तो भारत ने चीन का समर्थन किया तथा जापानी वस्तुओं का बहिष्कार किया व 'चीनी दिवस' मनाया गया। 1946 में पं. नेहरू के नेतृत्व में अन्तरिम सरकार की स्थापना हुई तब नेहरू ने कहा था- 'चीन हमारा शक्तिशाली पड़ोसी देश है जिसका शक्तिशाली अतीत भी है। यह युगों से हमारा मित्र रहा है।'

भारत ने सदैव मजबूत मित्रता का हाथ चीन की तरफ बढ़ाया। भारत-चीन के सांस्कृतिक-धार्मिक संबंध अत्यंत पुराने एवं प्रगाढ़ रहे हैं किन्तु आज दोनों देशों में बहुत मतभेद है।

स्वतंत्र भारत के चीन से सम्बन्ध - 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत गुटनिरपेक्षता की नीति रहा है। साथ ही भारत सभी पड़ोसी देशों से मित्रता भातृत्व के सम्मानपूर्ण संबंध चाहता है। भारतीय संविधान के अनु. 51 में भारत की विदेशनीति के लक्ष्य तथा सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है :-

1. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना।
 2. अन्तर्राष्ट्रीय विवाद को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रोत्साहित करना।
 3. सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाये रखना।
 4. विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति आस्था बनाए रखना।
- स्वतंत्र भारत-चीन संबंध बहुत उतार-चढ़ाव पूर्ण रहे हैं। कभी दोनों

देशों में बहुत मधुर संबंध रहे हैं तो कभी तनाव, कड़ुआहट भरे रिश्ते।

1. भारत-चीन मधुर संबंध का काल (1949 से 1957 तक) - इस युग में भारत-चीन संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। चीन की साम्यवादी क्रांति का भारत ने समर्थन किया तथा पश्चिमी देशों एवं अमेरिका के विरोध के बहिर्जुद्ध उसे मान्यता दी। श्री के.एम.पणिकर को राजदूत बनाकर चीन से दौत्य संबंध स्थापित किये। चीन को संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता दिलवाने के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उचित स्थान दिलाने के लिए भारत प्रयासरत् रहा। कोरिया युद्ध में भारत ने चीन का समर्थन किया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को आक्रान्ता घोषित करने वाले प्रस्ताव का भारत ने विरोध किया। सितम्बर 1950 में सेनफ्रांसिस्को में 49 राष्ट्रों के साथ हाने वाली जापानी संधि में भारत शामिल नहीं हुआ क्योंकि इसमें चीन को सम्मिलित नहीं किया गया था।

भारत तिब्बत में चीन की प्रभुता को स्वीकार कर लिया तथा 29 जून 1954 को दोनों देशों के मध्य एक 8 वर्षीय व्यापारिक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत भारत ने तिब्बत से अपने 'अतिरिक्त देशीय अधिकारों' को चीन को सौंप दिया। जून 1954 में भारत-चीन संबंधों की प्रगाढ़ता की दिशा में 'पंचशील सिद्धांतों' का प्रतिपादन हुआ। तात्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई ने भारत यात्रा के दौरान पंचशील सिद्धांतों पर जोर दिया। अक्टूबर 1954 में पं. नेहरू भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा की। अप्रैल 1955 के बाडुंग सम्मेलन में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों - पं. नेहरू एवं चाऊ-एनलल-लाई ने सहयोग किया। गोवा के प्रश्न पर चीन ने भारत का समर्थन किया तो भारत ने क्यूमाये और मात्सू टापुओं पर सहयोग किया।

वास्तव में इस काल में भारत-चीन मधुर संबंधों में प्रगति नहीं थी वरन् भारत सरकार निरन्तर चीन के साथ तुष्टिकरण की नीति अपनाती रही।

2. भारत-चीन संबंध-तनाव एवं शत्रुता का काल (1957 से 1978 तक) - भारत चीन को खुश रखने, संतुष्ट करने की भरसक कोशिश करता रहा। वह चीन के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ा-चढ़ा कर विश्व के सामने प्रस्तुत करता रहा किन्तु चीन ने हमारी दोस्ती को कायरता समझा तथा भारत का गलत फायदा उठाया। भारत-चीन मतभेद के कई कारण थे।

भारत-चीन मतभेद के कारण :

1. चीन साम्राज्यवादी-विस्तारवादी नीति को अपनाता रहा जबकि भारत शान्ति-सह अस्तित्व नीति को अपनाकर सच्ची मित्रता निभाता रहा। चीन पर विश्वास करता रहा।
2. भारत ने प्रजातांत्रिक पद्धति अपनायी थी जबकि चीन ने साम्यवादी प्रणाली।
3. भारत पंचशील के सिद्धांतों का समर्थक है, आक्रमण एवं संप्रभुता की सीमा भारत कभी नहीं लाघंता जबकि चीन आक्रमक, क्रान्ति हिंससा, हड़पनीति का अवलम्बन करता है।
4. भारत साधनों की पवित्रता में विश्वास करता है जबकि चीन हिंसा आतंक में विश्वास करता है। राष्ट्रहित को पूरा करने के लिए चीन किसी भी स्तर पर गिर सकता है। माओ के अनुसार - 'शक्ति बन्दूक की नली से प्राप्त होती है।'
5. चीन और भारत दोनों एशिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश हैं। चीन एशिया का नेतृत्व करना चाहता है उसे भारत प्रतिद्वन्दी दिखाई देता है जिसे वह रास्ते से हटाना चाहता है।
6. रूस- भारत की मैत्री चीन के विद्वेष का कारण बनी। इस काल में भारत-चीन के बीच संबंध निम्न घटनाओं द्वारा जाने जा

सकते हैं-

- (1) तिब्बत की समस्या
- (2) भारत-चीन सीमा विवाद
- (3) चीन का भारत पर आक्रमण

1. तिब्बत समस्या - हिमालय और कुनलुन घाटियों के बीच तिब्बत संसार का सबसे ऊँचा देश था। इसे संसार की छत कहा जाता है। इसके उत्तर में चीनी सिंक्वाग तथा दक्षिण में नेपाल वर्मा, पाकिस्तान तथा भारत की सीमा लगती है। धर्मगुरु दलाईलामा यहां के शासक होते हैं। भारत को अंग्रेजों से तिब्बत के बारे में कई अधिकार मिले-

1. ल्हासा में एक भारतीय एजेंट रखने का अधिकार
2. ग्यान्तसे, गंगटोक और यातुंग में व्यापारिक एजेंसी रखने का अधिकार।
3. ग्यान्तसे के व्यापारिक मार्ग पर डाक-तार के आफिस रखने का अधिकार।
4. व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए ग्यान्तसे में एक सैनिक टुकड़ी रखने का अधिकार।

01 जनवरी 1950 को माओत्सुंग ने घोषणा कि साम्राज्यवादी चंगुल से तिब्बत को मुक्ति प्रदान करेंगे। चीन ने इसी लक्ष्य से तिब्बत को हड़पने की योजना बनाते हुए उसे चीन का अभिन्न अंग घोषित किया तथा बाद में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया भारत तिब्बत पर अपने अधिकार छोड़ना नहीं चाहता था। अतः उसने चीन की इस कार्यवाही का विरोध किया किन्तु चीन ने 30 अक्टूबर 1950 को कड़े शब्दों में उत्तर दिया कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। भारत उसके आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप न करें।

07 नवम्बर 1950 को तिब्बत यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया किन्तु किसी भी देश ने उसे चर्चा के लिए नहीं उठाया, भारत ने भी नहीं। बाध्य होकर तिब्बत ने चीन से 23 मई 1951 को चीन से संधि कर ली जिसके द्वारा नीच ने तिब्बत की आन्तरिक स्वायत्ता को स्वीकार कर लिया तथा वैदेशिक मामलों का संचालन और सुरक्षा चीन के हाथों में रही। भारत ने तिब्बत पर चीन की प्रभुता को स्वीकार कर लिया तथा यातुंग ग्यान्तसे से भारतीय सैनिक हटाने के लिए के लिए अपनी सहमति दे दी। यह प्रधानमंत्री पं. नेहरू की तुष्टिकरण की नीति थी जिसका भारतीय जनता ने खूब विरोध किया। इसके बाद 20 मार्च 1959 को जब हजारों तिब्बतियों ने चीन सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तो चीनने 5 वर्षों में 80 हजार खम्पाओं की हत्या कर तिब्बत पर अपना पूर्ण अधिपत्य स्थापित कर लिया। दलाईलामा ने भारत में शरण ली। इस पर 28 मार्च 1959 को चीन सरकार ने भारत को कड़ा विरोध पत्र भेजा।

वास्तव में यह चीन की विजय तथा एशिया पर वर्चस्व स्थापित करने की पहल थी। भारत तिब्बत के प्रश्न पर तुष्टिकरण की नीति अपनाता रहा। यह चीन के प्रति भारत की कूटनीतिक हार तथा ढबू नीति कही जा सकती है।

2. भारत-चीन सीमा विवाद - भारत-चीन सीमा विवाद 1950 से ही शुरू हो गया था क्योंकि चीन बेईमानीपूर्ण विस्तारवादी-साम्राज्यवादी नीति को अपनाता रहा। अतः चीन के नक्शों में भारत के एक बड़े भू-भाग को 'चीन क्षेत्र' में दिखाया गया। भारत ने इसका विरोध किया तो चीन ने आश्वस्त किया कि- 'ये कुओमिन्तांग सरकार के पुराने नक्शे हैं, इनमें सुधार कर लिया जावेगा।'

17 जुलाई 1954 को चीन ने भारत पर आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने -वूजेय नामक चीनी क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है जबकि

वास्तविकता यह थी कि जिस क्षेत्र को चीन वूजेय कहकर अवैध कब्जे का झूठा आरोप भारत पर लगा रहा था वह क्षेत्र भारत का ही बड़ाहोती क्षेत्र है जो भारत का अभिन्न अंग है। 1959 को चीनी सरकार ने स्पष्ट तौर पर भारत को चुनौती देते हुए कहा कि - भारत-चीन के बीच सीमा का निर्धारण कभी नहीं हुआ है और यह भारत का साम्राज्यवादी षडयंत्र है। इस प्रकार भारत-चीन सीमा पर भयंकर तनाव बढ़ने लगा जिसकी परिणित 'चीन के भारत पर आक्रमण' के रूप में हुई।

3. भारत पर चीन का आक्रमण तथा भारत की दुःखद पराजय - 12 जुलाई 1962 को लद्दाख में गलवान नदी की घाटी भारतीय सैनिक चौकी को चीन ने अपने घेरे में ले लिया तथा अक्टूबर 1962 को चीनी सेनाओं ने उत्तरपूर्वी सीमान्त तथा लद्दाख मोर्चे पर एक साथ भयंकर आक्रमण किया तथा 21 नवम्बर 1962 को अचानक युद्ध विराम कर दिया।

चीन के इस आक्रमण का मुख्य कारण शक्ति प्रदर्शन, एशिया में नेतृत्व की लालसा, भारत की प्रतिष्ठा को खत्म करने व शक्तिहीन देश बताने की इच्छा, तिब्बत के प्रश्न पनर भारत से नाराजी व इसका बदला लेना था।

चीन ने 21 नवम्बर 1962 को एकतरफा युद्ध विराम कर सभी को चौका दिया। एकतरफा युद्ध विराम का मुख्य कारण था भारत को हराकर उसकी प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का चीन का उद्देश्य पूरा हो जाना। भरत की निर्बलता जगजाहीर होगई। इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन ने चीन की आलोचना की भारत का समर्थन किया तथा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पं. जर्मनी, कनाडा ने भारत को सहायता दी। सोवियत संघ दोस्त और भाई के बीच उलझन में रहा तथा तटस्थ रहा। बाद में सोवियत संघ ने भारत का हमेशा साथ दिया। पं. नेहरू की विदेशनीति की असफलता उजागर हो गई। भारत ने इस पराजय से सबक लिया तथा सामरिक दृष्टि से खुद को तैयार कर 1965, 1971 एवं कारगिल संकट में विजयश्री प्राप्त कर पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त की। इस युद्ध का एक ओर परिणाम सामने आया वह था- पाकिस्तान ने चीन से हाथ मिलाया तथा गहरी मित्रता की जो आज तक कायम है। पाकिस्तान ने भारत के दुश्मन चीन को काराकोरम क्षेत्र में अस्थाई रूप से बसाया तथा पाक अधिकृत कश्मीर का लगभग 5180 वर्ग कि.मी. का भू-भाग चीन को सौंप दिया। चीने बदले में पाकिस्तान को सैनिक सहायता देता है तथा भारत-पाकिस्तान टकरार में हमेशा वह पाकिस्तान का साथ देता है।

3. भारत-चीन सम्बन्ध सामान्यीकरण की ओर (संवादकाल 1978 से 2013 तक) - भारत में 1977 में जनता सरकार बनी तथा चीन में माओ की मृत्यु के बाद नये नेतृत्व ने दोनों देशों की बीच अच्छे संबंध बनाने की दिशा में प्रयास किये। 1978 में चीन का एक उच्च प्रतिनिधि मण्डल 'वांग-पिंग-नान' के नेतृत्व में भारत आया। इसके बाद व्यापार मण्डल का दौर शुरू हुआ। भारत के विरदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की 12 फरवरी 1979 को। इसे टोही मिशन का नाम दिया गया किन्तु इसी समय चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। अतः श्री वाजपेयी यह यात्रा अधूरी छोड़ भारत लौट आये।

1980 में भारत में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। श्रीमती इन्दिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने मार्शल टीटो की अत्येष्टी के अवसर पर चीन के विदेश मंत्री हुआ-कुआ-फेंग से बातचीत की। 1981 में श्री फेंग ने भारत की यात्रा की तथा सभी प्रकार के विवादों को सुलझाने हेतु वार्ता के लिए तैयार हुए। भारत के तीर्थ यात्रियों को मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने की अनुमति चीन सरकार ने दी। मेकमोहन सीमा रेखा को मान्यता देकर चीन ने

अरुणाचल प्रदेश पर भारत के आधिपत्य को स्वीकार किया। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को जब भारत का 24वां राज्य घोषित किया गया तो चीन सरकार ने इसका विरोध कर चीन की प्रादेशिक अखण्डता और संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन माना।

1984 में तात्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कर चीन से मैत्री को सुदृढ बनाने का प्रयास किया। यह 34 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली चीन यात्रा थी। इसके बाद निरन्तर यात्राओं का दौर दोनों देशों की ओर से जारी रहा। 11 दिसम्बर 1991 में चीनी प्रधानमंत्री लीपैंग की भरत यात्रा तथा शंघाई - बम्बई में वाणिज्य दूतावास खोलने व्यापार बढ़ाने अन्तरीक्ष अनुसंधान, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने संबंधी समझौते हुए।

17 मई 1992 में राष्ट्रपति वेंकटरमन की चीन यात्रा तथा दिसम्बर 1996 में चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारत यात्रा में सीमा पर तनाव कम करने व सेना-हथियारों को कम करने का संकल्प लिया।

मई 2004 में प्रकाशित वर्ल्ड अफेयर्स ईयर बुक 2003-04 में चीन ने पहली बार सिक्किम को भारत के अंग के रूप में स्वीकार किया। 2005 में चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ भारत आये तथा साझेदारी की नई ऊँचाईयों तक जाने की सहमति बनी। इसके बाद 13-14 जनवरी 2008 तक भारतीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह चीन के दौरे पर रहे तथा 21वीं सदी के लिए एक साझा विजन को जारी किया तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 10 अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये।

07 अप्रैल 2010 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हॉट लाईन प्रारंभ करने संबंधी अनुबंध हुआ। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 22-24 अक्टूबर 2013 में सरकारी यात्रा पर चीन पहुँचे। अपने भाषण में सिंह ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में आई प्रगति पर खुशी व्यक्त करते हुए भविष्य में आ रही चुनौतियों की आहट तथा भावी सहयोग के क्षेत्रों से चीन को अवगत कराया तथा 8 विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग की ओर ध्यान खींचा। इन 8 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है ढाँचागत विकास के विस्तार-आधुनिकीकरण कृषि उत्पादकता बढ़ाने ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में व्याप्त विषमता घटाने, ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों पर आपसी सहयोग, बढ़ती जनसंख्या, भूमि का सिकुड़ता आकार उपभोक्ता स्तरों में सुधार। आतंकवादी उग्रवाद जो पड़ोसी देशों से आ रहा है के खतरे के प्रति श्री मनमोहन सिंह जी ने आगाह किया तथा प्रशान्त और हिन्द महासागर में सुरक्षा के मुद्दे को इंगित किया।

4. प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत-चीन सम्बन्ध - (2014 से वर्तमान तक) - विगत कुछ वर्षों में भारत की विदेशनीति परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। दिल्ली में आयोजित रायसीना डॉयलाग में भारत के विदेश सचिव ने कहा था कि 'भारत गुटनिपेक्षता के अतीत से निकल चुका है। आज अपने हितों को देखते हुए दुनिया के अन्य देशों से रिश्ते बना रहा है।'

आज भारत लगातार अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाकर शक्ति शाली देशों की पक्ति में खड़ा है। विश्व के लगभग सभी मंचों पर वह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और अधिकांश बहुपक्षीय संस्थानों में उसकी स्थिति मजबूत हो रही है। अन्य देशों के समान भारत की विदेशनीति का मुख्य प्राथमिक उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना है। भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रहित के अर्थ में क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं की रक्षा सीमापार आतंकवाद का मुकाबला, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य, साइबर सुरक्षा आदि। आज

भारत की विदेशनीति 'आँख मिलाकर बात करने की नीति है, शत्रुदेशों के हिंसक कार्यों का मुहताज जबाव देने की नीति है।' इसी बदलावपूर्ण विदेशनीति के आधार पर भारत-चीन के रिश्ते तय हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न देशों की यात्राएं करके भारत के अन्य देशों से प्रगाढ़ संबंध बनाए हैं। इनमें चीन भी प्रमुख है। आज भारत की विदेशनीति में चीन एक खतरा नहीं सामरिक चुनौति है। चीन संबंध सुधारने एवं मजबूत बनाने के लिए यात्राओं का दौर शुरू हुआ।

● **शी जिनपिंग चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा** - चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 17-19 सितम्बर 2014 को भारत की यात्रा की तथा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मिले तथा प्रधानमंत्री के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय बहुपक्षीय मुद्दों पर एवं वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। यह पहला अवसर था जब किसी प्रधानमंत्री ने दिल्ली से बाहर गुजरात में किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की आगवानी की। इस यात्रा की उपलब्धि स्वरूप तीन समझौते भारत के प्रधानमंत्री - चीनी राष्ट्रपति के बीच हुए। पहला समझौता चीन के ग्वांगडोंग प्रान्त और गुजरात के बीच कारोबार बढ़ाने के संबंध में हुआ। दूसरा समझौता ग्वांगजो शहर और अहमदाबाद के बीच हुआ जिसमें अहमदाबाद में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पर्यटन को विकसित करने की संभावनाओं को तलाशा जायेगा। तीसरा समझौता चीन डबलपमेंट बैंक और इण्डस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो के बीच हुआ। इसमें बड़ोदरा के पास पार्क बनेगा। जिसके लिए धन की व्यवस्था चीन का डबलपमेंट बैंक करेगा। द्विपक्षीय समझौते में 16 मसलों पर समझौते हुए। इधर शिखरवार्ता चल रही थी कि लद्दाख के चुमार इलाके में 1000 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की जिस पर भारतीय प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति ने चिन्ता जताई।

● **दोनों देशों के बीच बैंकिंग सहयोग** - चाइना एक्विजिमेंट बैंक और चाइना डबलपमेंट बैंकॉरपेरेशन ने एस.बी.आई., आई.सी.आई.सी.आई बैंक तथा एक्सिस बैंक के साथ विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किये जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार को सुविधा प्रदान की जा सके। एस.बी.आई. ने कच्चा माल, ऊर्जा उपकरण, मैकेनिकल व इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात के लिए चाइना एक्विजिमेंट बैंक के साथ 1.8 अरब डालर की ऋण सुविधा का एक समझौता किया।

● **भारत-चीन डोकलाम विवाद** - डोकलाम क्षेत्र चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्र है जिसके बारे में दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ था कि जब तक डोकलाम विवाद का समाधान नहीं हो जाता तब तक दोनों देश वहाँ पर यथास्थिति बनाये रखेंगे लेकिन चीन ने इस समझौते का उल्लंघन करते हुए जून 2017 में डोकलाम में सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। भूटान ने इसका विरोध किया तो चीन ने उसे अनदेखा कर दिया। तब भूटान ने भारत से मदद मांगी क्योंकि भारत-भूटान के बीच 1949 में मित्रता संधि हुई थी जिसके अनुसार भारत भूटान को सैनिक मदद करेगा। अतः भारत ने भूटान की मांग पर अपनी सेनाएं डोकलाम में तैनात कर दी। वैसे भी डोकलाम भारत के लिए सामरिक महत्व का क्षेत्र है। क्योंकि डोकलाम के पहाड़ी क्षेत्र के नीचे ही दर्जिलिंग गलियारा है जो भारत की मुख्यभूमि को उसके पूर्वी क्षेत्रों से जोड़ता है। चीन द्वारा डोकलाम में सड़क निर्माण भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। अतः चीन को रोकना भारत के स्वयं के हित के लिए भी जरूरी है। दोनों देशों के कूटनीतिक प्रयासों से इस समस्या का समाधान हो गया किन्तु चीन ने भारत को युद्ध की धमकी दी तथा 1962 के युद्ध की याद दिलाई तब भारत ने कड़े शब्दों में जवाब दिया कि 'अब भारत 1962 का भारत नहीं है।' भारत ने अपनी सेनाएं नहीं हटाई अतः ऐसा लग रहा था कि

दोनों देशों में युद्ध हो जावेगा। भारत की इस बात में जीत हुई कि उसने चीन को इस क्षेत्र में सड़क निर्माण से रोक दिया। भले ही भारत को पहले अपनी सेनाएं हटानी पड़ी।

● **आर्कटिक क्षेत्र में चीन की योजना और भारत** - आर्कटिक क्षेत्र जल-स्थल के उस क्षेत्र को कहते हैं जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक वृत्त के रूप में फैला हुआ है। इसके अन्तर्गत नार्वे, स्वीडन और फिनलैंड के उत्तरी भाग, रूस का टुंड़ा प्रदेश, अलास्का का उत्तरी भाग आदि आते हैं। यह अत्यंत शीत प्रदेश है तथा विश्व का अत्यंत शुष्क प्रदेश है जिसके कारण इसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं।

यद्यपि चीन आर्कटिक क्षेत्र में आने वाला देश नहीं है इसके बावजूद वह इस क्षेत्र में सक्रिय रहता है। चीन द्वारा आर्कटिक क्षेत्र को विकसित करने में सकारात्मक योगदान उसकी विस्तार नीति का हिस्सा है। चीन का मानना है कि उसकी कृषि, वन, मत्स्य, उद्योग आदि से जुड़े हित आर्कटिक सागर क्षेत्र से जुड़े हैं। अतः इस क्षेत्र को विकसित करना चीन के लिए जरूरी है। इसीलिए चीन ने ओबोर योजना बनाई।

चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना 'वन बेल्ट एण्ड वन रोड (ओबोर) का विस्तार करते हुए इसको आर्कटिक महासागर से जोड़ने का निर्णय किया। यह सिल्क रोड का आधुनिक संस्करण है।'

इस परियोजना पर भारत की सबसे बड़ी चिन्ता इस बात को लेकर है कि यह पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरेगी जिसे भारत अभी भी वैधानिक रूप से अपना भू-भाग मानता है। यहां चीन की उपस्थिति भारत के हित में नहीं है।

चीन की इस योजना के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बड़ी सम्पर्क सुविधा परियोजना में सदस्य देशों की संप्रभुता और अखण्डता का सम्मान किया जाना चाहिए।

● **गलवान घाटी विवाद भारत-चीन संबंध** - गलवान घाटी विवादित क्षेत्र आक्सई चीन में है जो भारतीय सीमा के नजदीक है। आक्सई चीन पर भारत और चीन दोनों अपने-अपने दावे करते हैं। ये घाटी चीन के शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार एस.डी. मुनि बताते हैं कि यह क्षेत्र भारत के लिए अत्याधिक सामरिक महत्व का है। यह पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा है। 1962 के युद्ध का केन्द्र गलवान घाटी का क्षेत्र रहा था।

इस विवाद की शुरुआत 1958 में तभी हो गई थी जब आक्सई चीन में चीन ने सड़क बनाई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने इस पर आपत्ती जताई थी भारत का कहना है कि चीन ने भारत का आक्सई चीन हड़प लिया है। अतः भारत इस पर अपना दावा जता रहा है। चीन गलवान घाटी में भारत के निर्माण को गैरकानूनी कह रहा है। 15-16 जून को गलवान घाटी में एल.ए.सी.पर चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर लोहे की राइ एवं परम्परागत हथियारों से हमला किया। दोनों देशों के सैनिकों में झड़पें हुईं। इस झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 20 सैनिकों की मौत हुई थी। भारत का दावा है कि चीनी सैनिकों का भी नुकसान हुआ लेकिन इस बारे में चीन की तरफ से कोई अधिकारिक बयान नहीं आया।

इस हिंसक संघर्ष के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण में कहा - 'भारत शान्ति चाहता है किन्तु उकसाने पर सक्षम जबाव देना जानता है। गलवान घाटी में चीन की हरकत से देश का खून खोल रहा है।' 'छेड़ों तो छोड़ें नहीं'। देश मारते-मारते मरेगा

किन्तु अपनी अखण्डता संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा।

भारत-चीन सम्बंध प्राचीन समय में सांस्कृतिक-धार्मिक बने रहे। दोनों देशों के संबंधों का ग्राफ हमेशा चढ़ता-उतरता रहा। भारत ने चीन के प्रति हमेशा मित्रता-भातृत्व की नीति अपनाई। पं. नेहरू के शासन काल में चीन के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई जिससे चीन ने भारत को सामरिक दृष्टि से कमजोर देश मानकर 1962 के आक्रमण में भारत को पराजित कर उसकी प्रतिष्ठा को धूल में मिलाया। किन्तु नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत-पाक युद्ध में भारत को विजय दिलवाकर खोई हुई प्रतिष्ठा वापस प्राप्त की इसके बाद 1971 के भारत-पाक युद्ध, कारगिल युद्ध में निरन्तर विजयश्री प्राप्ति तथा सर्जिकल स्ट्राइक से भारत एशिया के शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। वर्तमान में एशिया महाद्वीप में चीन का प्रतिद्वन्द्वी देश भारत ही है। भारत चीन आपसी सहयोगी भी है और प्रतियोगी भी। चीन के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। वह भारत में अपना माल बेचकर भारी लाभ कमाता है। ऐसे में यदि चीन भारत से संबंध खराब करता है तो यह उसकी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह होगा।

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शीजिनपिंग की 2014 में बहमदाबाद में मुलाकात हो या 2019 में महाबलीपुरम में एकसाथ सैर करना हो दोनों देशों के बीच रिश्ते मधुर-सौहार्दपूर्ण मालूम हो रहे थे किन्तु डोकलाम विवाद, गलवान घाटी में हुई झड़प और 20 भारतीय सैनिकों की शहादत ने दोनों देशों के बीच पुनः कड़वाहट पैदा कर दी है। भारतीय जनता में चीनी विरोधी लहर तथा चीन के सामान के बहिष्कार, सरकार द्वारा चीन व्यापार पर प्रतिबंध से भारत-चीन के रिश्ते जल्द ही पटरी पर आने मुश्किल लग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि - 'जहाँ कहीं भी हमारे मतभेद रहे हैं वहाँ हमने भरसक प्रयास किया कि

हमारे मतभेद विवाद न बने। त्याग-तपस्या भारत के चरित्र का हिस्सा है। हमारे लिए भारत की अखण्डता-संप्रभुता सर्वोच्च है। भारत अपनी अखण्डता और संप्रभुता के साथ समझौता कभी नहीं करेगा। भारत शान्ति चाहता है किन्तु उकसाने पर सक्षम जबाव देना भी जानता है। हमारे सैनिकों की शाहदत व्यर्थ नहीं जावेगी। हमें कोई छोड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं।.....'.

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्राचीन भारत का इतिहास डॉ.के.सी. श्रीवास्तव
2. भारतीय राजनीतिक प्रणाली- श्री कृष्णकान्त मिश्रा
3. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन- श्री वि.प्र.वर्मा
4. इण्डिया इन वर्ल्ड अफेयर्स- एम.एस.राजन
5. Modern Bhutan – Ram Rahul
6. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे - हरिश्च कुमार खत्री
7. भारत में लोकतंत्र - डॉ. बी.एल.फड़िया
8. भारत शासन और राजनीति - डॉ. बी.एल.फड़िया
9. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति - डॉ. पी.डी.शर्मा
10. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध - डॉ. दीनानाथ वर्मा
11. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध - पुष्पेन्द्र पन्त
12. भारत की विदेशनीति - वी.एन. खन्ना- लिपाक्षी अरोड़ा।
13. समाचार पत्र - सन् 2014 से 2020 तक (1) दैनिक भास्कर (2) दैनिक जागरण (3) पत्रिका (4) नवभारत टाइम्स
14. टी.वी. न्यूज चैनल - (1) आज तक (2) जी न्यूज (3) ए.बी.पी.न्यूज (4) इण्डिया टीवी

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के राजनीतिक विचार : एक अध्ययन

डॉ. प्रदीप कुमार चतुर्वेदी *

प्रस्तावना - भारत में ओजस्वी राष्ट्रवाद के समर्थक तथा प्रकृति से विद्रोही महान योद्धा सुभाषचन्द्र बोस का नाम आजादी के संघर्ष के अग्र पंक्ति के नायकों में बहुत आदरपूर्वक लिया जाता है। भारत की आजादी के संघर्ष में उनकी गंभीर निष्ठा थी। ब्रिटिश शासन के प्रति उनके हृदय में तीव्र शत्रुता के भाव थे। स्वभाव से ही वे निर्भीक और संघर्षशील थे। वे 1920 में आईसीएस के लिए चुने गए थे किन्तु देश सेवा की खातिर उन्होंने 1921 में आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बंगाल में देश बन्धु चितरंजनदास के साथ बहिष्कार आन्दोलन का नेतृत्व किया। 1938 में वे हरिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बाद में महात्मा गांधी से मतभेद होने पर उन्होंने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 1939 में उन्होंने फारवर्ड ब्लॉक नामक एक नए दल की स्थापना की तथा देश की वामपंथी शक्तियों को संयुक्त करने का प्रयत्न किया। दिसम्बर 1940 में वे गुप्त रूप से भारत से बाहर चले गए। मास्को में स्टालिन से मिलने के बाद वे जर्मनी चले गए। 1943 में वे जापान के प्रधानमंत्री जनरल टीजो से मिले। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार की स्थापना की। फरवरी 1944 से अप्रैल 1945 तक आजाद हिन्द फौज ने मित्र-राष्ट्रों की सेनाओं के विरुद्ध साहसी सैनिक अभियान चलाए। ऐसा कहा जाता है कि 08 अगस्त 1945 को टोकियो जाते समय मार्ग में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई।

भारत की आजादी के लिए आजाद हिन्द फौज को संगठित करके सशस्त्र युद्ध का नेतृत्व करने के कारण उनका नाम भारतीय इतिहास में अग्रपंक्ति के नेताओं में बहुत आदरपूर्वक लिया जाता है।

उनके प्रमुख राजनीतिक विचार इस प्रकार हैं -

- 1. राजनीतिक यथार्थवाद में आस्था** - नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वेदांत दर्शन के प्रशंसक होते हुए भी राजनीतिक यथार्थवादी थे। वे कर्म में विश्वास करते थे। वे मानते थे कि विष्व प्रगति की ओर उन्मुख है। इसमें शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। वे अतिशय अहिंसा को देश के पराभव के लिए उत्तदायी मानते थे। भाग्य और अतिप्राकृतिक शक्तियों में अत्याधिक विश्वास को वे भारत के राजनीतिक पतन का कारण मानते थे।
- 2. राजनीतिक सौदेबाजी में विश्वास** - नेताजी सुभाषचन्द्र बोस राजनीतिक और नैतिक प्रश्नों को अलग-अलग रखना चाहते थे। वे राजनीति को राजनीति की तरह की लेना चाहते थे। राजनीति को शक्ति का खेल माना जाता है। आपके पास जितनी शक्ति है, आप उससे अधिक शक्तिशाली जान पड़ें तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें इसके लिए वे राजनीतिक सौदेबाजी में विश्वास करते थे।
- 3. अधिकारों की प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष का समर्थन** - नेताजी

सुभाषचन्द्र बोस ने शक्ति की भाषा का समर्थन करते हुए अधिकारों की प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया। उन्होंने आजाद हिन्द फौज का गठन करके देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए प्रबल सैनिक अभियान चलाया। वे मानते थे कि राष्ट्र निर्माण केवल बातों से नहीं होता है बल्कि इसके लिए अत्यधिक त्याग और कष्ट सहन की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने कहा था कि बिना त्याग के स्वतंत्रता से साक्षात्कार नहीं हो सकता है।

4. पूर्ण स्वाधीनता का समर्थन - नेताजी सुभाषचन्द्र बोस भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य को पसंद नहीं करते थे। सन 1929 में उन्होंने कांग्रेस के प्रस्ताव पर इसी शर्त पर हस्ताक्षर किये थे कि यदि अंग्रेजों द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया तो आगामी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य घोषित कर दिया जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को स्वीकार करने के लिए वे तैयार नहीं होते थे। इसी कारण उन्होंने आय. एन. ए. का संगठन किया था तथा उसके द्वारा भारत की स्वाधीनता के लिए प्रबल संघर्ष छेड़ दिया था।

5. राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्वाधीनता का समर्थन - नेताजी सुभाषचन्द्र बोस राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक तथा आर्थिक स्वाधीनता का भी समर्थन करते थे। उनकी मान्यता थी कि जो दल भारत को राजनीतिक स्वाधीनता दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगा वही दल जनता को सामाजिक तथा आर्थिक स्वाधीनता भी दिलायेगा। हरीपुर कांग्रेस के बाद उन्हें भारत में वामपंथी, शक्तियों का एक प्रमुख नेता माना जाता था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि तत्कालीन युग आन्दोलन की साम्राज्यवाद विरोधी अवस्था है। स्वतंत्रता प्राप्त होने पर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का युग प्रारंभ होगा। यह आन्दोलन की समाजवादी अवस्था होगी।

6. समाजवाद का समर्थन - नेताजी सुभाषचन्द्र बोस यह मानते थे कि भारत की द्रिदता, निक्षरता आदि से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान समाजवादी मार्ग पर चल कर ही प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने वे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य मानते थे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण की व्यवस्था का समर्थन किया था। वे कृषि के आधुनिकीकरण के समर्थक थे। इन्होंने सहकारिता आन्दोलन में पूर्ण विश्वास था। वे राजकीय नियंत्रण के अंतर्गत औद्योगिक विकास के भी समर्थक थे। वे स्वतंत्रता मिलने पर देश को समाजवाद के लिए तैयार करने के लिए समाजवादी प्रचार को आवश्यक मानते थे।

7. साम्यवाद से असहमति - नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की मान्यता थी कि भारत में साम्यवाद सफल नहीं हो सकता है। वे मानते थे कि भारत के राष्ट्रवादी तत्वों का साम्यवाद के साथ रागात्मक सम्बन्ध नहीं हो सकता है।

वे यह भी मानते थे, कि भारतीय जनता धर्म के प्रति भावात्मक लगाव रखती है, अतः उसकी सहानुभूति नास्तिक साम्यवाद के साथ नहीं हो सकती है। वे भारत को कृषि प्राधान मानते हुए यहाँ के किसानों की समस्याओं को अधिक महत्व देना चाहते थे। इन सबके लिए वे राज्य को जनता का साधन बनाना चाहते थे।

8. गाँधीवादी विचारों से असहमति - नेताजी सुभाषचन्द्र बोस महात्मागांधी के महान प्रशंसक थे। वे भारत में जन-जागृति उत्पन्न के लिए गांधीजी द्वारा किये गए कार्यों की भी सराहना करते थे। इतना होते हुए भी उन्होंने गांधी जी के विचारों तथा कार्यप्रणाली की कई आधारों पर आलोचना की थी। वे मानते थे कि केवल अहिंसा के द्वारा स्वराज्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इससे लोकमत जाग्रत होता है तथा सामाजिक समंजस्य में भी सहायता मिलती है किन्तु केवल इससे ही स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती है।

9. राष्ट्रीय एकता की स्थापना पर बल - नेताजी सुभाषचन्द्र बोस भारत में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय एकता की स्थापना को आवश्यक मानते थे। इस हेतु वे एक सामान्य भाषा, सामान्य वेशभूषा, सामान्य खान-पान आदि को आवश्यक मानते थे। वे व्यापक रूप में इसे एक मनोवैज्ञानिक समस्या मानते थे। इस हेतु वे लोगों को शिक्षित करने पर बहुत जोर देते थे।

10. फारवर्ड ब्लॉक का राजनीतिक कार्यक्रम - 1939 में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने फारवर्ड ब्लॉक नामक एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की थी। इसके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम तैयार किया था। इसमें उनके प्रमुख राजनीतिक विचारों के दर्शन होते हैं। इसके अनुसार दल

1. साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए पूर्णतः आधुनिक ढंग के समाजवादी राज्य की स्थापना करेगा।
2. इसमें आर्थिक विकास के लिए वैज्ञानिक ढंग से बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा।
3. उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व तथा नियंत्रण होगा।
4. सभी लोगों के लिए समान अधिकार होंगे तथा सभी को अतः करण एवं विश्वास की स्वतंत्रता प्राप्त होगी।
6. समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लागू किया जाएगा।

11. फासीवाद तथा साम्यवाद का समन्वय - नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के मन में भारत को स्वतंत्र करवाने की तीव्र छटपटाहट थी। वे उग्रराष्ट्रवादी

थे। उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए हिंसात्मक साधनों के प्रयोग का समर्थन किया था। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान उन्होंने आजाद हिन्द फौज को संगठित किया था। इस संघर्ष में उन्होंने यूरोप तथा एशिया की फासीवादी शक्तियों से सहायता ली थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सेना का प्रशासकीय संगठन फासीवादियों की नेतृत्व धारणाओं पर आधारित था। किन्तु इतना होते हुए भी उन्हें फासीवाद के अतिवादी सिद्धांतों में विश्वास नहीं था। उन्होंने साम्राज्यवादी प्रसार अथवा जातीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया था।

12. आजाद हिन्द फौज का संगठन - नेताजी सुभाषचन्द्रबोस भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत के अंदर से तथा बाहर से संघर्ष को अनिवार्य मानते थे। 1943 में आजाद हिन्द फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार का गठन किया था। जर्मनी, जापान, इटली, कोरिया, आयरलैंड, चीन आदि राष्ट्रों ने इस अस्थाई सरकार को मान्यता भी दे दी। 'तुम मुझे खून दो- मैं तुम्हें आजादी दूंगा' यह संदेश जन-जन के मानस में गूँज उठा था।

उस समय भी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने भारत में जनसंख्या वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की थी। भारतीय महिलाओं की सामर्थ्य पर उनका पूर्ण विश्वास था। उन्होंने विद्यार्थियों को भारतीय राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया था।

निष्कर्ष - राष्ट्रवाद और राष्ट्र भक्ति नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के विचारों के केन्द्र में थी। वे भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ पूर्ण सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहते थे। उन्होंने स्वतंत्रता और समाजवाद तथा साम्यवाद और फासीवाद के मध्य समन्वय का मार्ग निकाला था। उनके ये विचार बहुत लोकप्रिय हुए। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में महान योगदान के लिए तथा अपने विशिष्ट राजनीतिक विचारों के कारण उन्हें सदैव याद किया जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बी.पी. वर्मा : आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन
2. ताराचन्द्र : भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास
3. डॉ. पद्मभि सीतारमैयया : गांधी और गाँधीवाद
4. किशोर लाल मशरूवाला : गाँधी और साम्यवाद
5. जवाहरलाल नेहरू : भारत एक खोज
6. रामधारी सिंह दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय

वक्रोक्ति - स्वरूप और संवेदना

डॉ. विजय कलमधार *

प्रस्तावना - वक्र है जो उक्ति अर्थात् वक्रोक्ति। वक्रोक्ति को टेढ़ा, बाँका, तिरछा, कुटिल आदि रूपों में अभिव्यक्त किया गया है। अंग्रेजी के 'आयरनी' के पर्याय के रूप में हिन्दी में विडंबना, भ्रांत, व्याजोक्ति आदि कई शब्द प्रचलित हैं। साहित्य में व्यंग्य कथन की इस टेढ़ी भंगिमा को वक्रोक्ति नाम से जाना जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकार और उक्ति वैचित्र्य के रूप में वक्रोक्ति बहुचर्चित संप्रदाय है। आचार्य कुंतक ने चर्चित कथन से भिन्न और वैदग्ध्यपूर्ण भंगिमा द्वारा प्रस्तुत उक्ति को वक्रोक्ति के रूप में परिभाषित किया है। वक्रोक्ति में बिच्छू के समान तीखा डंक समाहित होता है जिसे व्यक्त करने वाला अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। वक्रोक्ति में आक्षेपपूर्ण भंगिमा दृष्टिगत होती है।

आमतौर पर इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ बात को सरल भाषा में नहीं कहा जा सकता, जहाँ सामने वाले के प्रति क्रोध और द्वेष काफी होता है, जिसे उगलना तो चाहते हैं, किन्तु संकोचवश व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वहाँ वक्रोक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट है कि वक्रोक्ति एक ऐसे वैद्यराज की दवा है जो मिठी तो लगती है परंतु उसके अंदर पूरी कड़वाहट भरी होती है, जो मन के मैल को साफ कर देती है। विशेषतः वक्रोक्ति में उपरी तौर पर प्रशंसा तो दिखती है लेकिन अंतरतम में निंदा या आलोचना ही होती है। इसका उद्देश्य भी व्यंग्य के समान है जो रहस्योद्घाटन कर सुधार करना चाहता है। इसका प्रयोग पाश्चात्य साहित्य में बड़े पैमाने पर किया जाता है। वक्रोक्ति व्यंग्य के समर्थ उपादानों में से एक है। व्यापक अर्थों में तो वह स्वयं काव्य का प्राण है। जिस प्रकार ध्वनि सम्प्रदाय में ध्वनि (व्यंजना) को काव्य का सर्वस्व माना गया है, उसी तरह कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का 'जीवन' घोषित कर उसके स्वरूप को अत्यन्त व्यापक बना दिया है। वे कहते हैं-

शब्दार्थो सहितां वक्रकविर्व्यापारशालिनी

बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विद्वदाहलादकारिणी।'

अर्थात् सहृदयों को आह्लादित करने वाले एवं वक्र कवि व्यापार से सुषोभित होने वाले काव्य विन्यास में, साहित्य युक्त शब्द और अर्थ-काव्य होते हैं।

वक्रोक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करने वाले एवं वक्र कवि व्यापार से सुषोभित होने वाले काव्य विन्यास में, साहित्य युक्त शब्द और अर्थ-काव्य होते हैं।

वक्रोक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कुन्तक कहते हैं- 'वक्रोक्ति वैदग्ध्य भंगी भणितिरुच्यते।' अर्थात् विदग्धता की भंगिमा से युक्त कथन ही वक्रोक्ति है।

वस्तुतः वक्रोक्ति काव्य में जो चमत्कार और सौन्दर्य उत्पन्न करती है,

उसे केवल अलंकार नहीं माना जा सकता। विष्वनाथ कहते हैं- 'यदि कोई व्यक्ति दूसरे के कथन को उसके अभिप्रेत अर्थ से अलग अर्थ में ग्रहण करे, तो वह वक्रोक्ति है।'²

शब्द शक्ति के स्तर पर भी वक्रोक्ति लक्षणा की समस्वरूपता है। वामन ने 'साट्प्याश्रयात् लक्षणा वक्रोक्तिः' के द्वारा इस बात की पुष्टि की है। डॉ. शेरजंग गर्ग ने लिखा है कि- 'जब किसी बात को कहने की शैली कुछ और हो और अर्थ दूसरा ही निकले, तब उसे वक्रोक्ति कहा जायेगा।'³

ध्वन्यालोक में वक्रोक्ति का जो उदाहरण दिया गया है, वह उसके स्वरूप को पर्याप्त स्पष्ट कर देता है-

भ्रम धार्मिक विस्प्रब्धः सशुनकोऽघमारितस्तेन

गोदावरी कच्छ कुंज वासिना दस सिंहेना।'

अर्थात् हे! धार्मिक, तू अब यहाँ विश्वस्त होकर विचरण कर। वह पिल्ला (जिससे तुम डरते थे) गोदावरी के कछार में रहने वाले दस सिंह ने मार डाला। (अब कोई घबराने की बात नहीं।)

प्रसंग यह है कि एक प्रेमी युगल गोदावरी के तट पर विहार करने जाया करता था। वहाँ एक पण्डितजी भी प्रायः आया करते थे। इससे दोनों की स्वच्छन्दता में भी बाधा पड़ती थी। उनके पास एक कुत्ता था, जिससे पण्डितजी बहुत डरते थे। एक दिन मार्ग में पण्डितजी मिले, तो प्रेमी ने उन्हें वक्रोक्ति में कहा- 'आप आराम से घूमिए। उस कुत्ते को शेर ने मार डाला।' उक्ति का अन्तर्निहित अर्थ यह है कि 'गोदावरी के इस कछार में एक मतवाला शेर रहता है। इधर भूलकर भी न आइएगा। आये तो जान की खैर नहीं।' इस छन्द में 'शुनक' और 'दस' शब्द ध्यान देने योग्य हैं। 'शुनक' में लघुतावाचक का प्रत्यय इस बात का संकेत करता है कि कायर पण्डितजी एक छोटे से पिल्ले से भी डरते हैं, तो फिर 'दस' सिंह का नाम सुनकर उनकी क्या हालत होगी? सहज अनुमान किया जा सकता है। यह सुनकर वे यहाँ बिल्कुल नहीं आयेगे।

वक्रोक्ति का वास्तविक स्वरूप यही है। व्यंग्य में वक्रोक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हरिशंकर परसाई की प्रसिद्ध रचना 'मैं नरक से बोल रहा हूँ' का निवेदक जब स्वीकार करता है कि उसका कुत्ता पास की इमारत की चारदीवारी लाँघकर पकवान खाने लगा और लाठी के आघात से मारा गया, तो धर्मराज पूछते हैं कि क्या वह (निवेदक) दीवार लाँघ सकता था। इस आशंका पर कि क्या यह पाप न होता, धर्मराज प्रश्न करते हैं कि वह दीवार क्या ईश्वर की बनायी हुई थी? यहाँ वक्रोक्ति के माध्यम से यह अर्थ व्यक्त होता है कि अमीर-गरीब और ऊँच-नीच की दीवारें मानव की बनायी हुई हैं। उन्हें लाँघना साहस का काम है। अतः उन्हें लाँघने वाला कुत्ता भी स्वर्ग का अधिकारी है। निष्क्रिय और व्यवस्था के शिकंजे में जकड़ा भूखों मरता आदमी नरक का ही पात्र है।⁵

संस्कृत के काव्याचार्यों द्वारा प्रतिपादित काव्यषास्त्रीय सिद्धांतों में हमें बाणभट्ट की कादम्बरी एवं अमरुशतक में वक्रोक्ति का प्रयोग 'परिहासपूर्ण संभाषण' के अर्थ में प्राप्त होता है जो परिहास एवं व्यंग्योक्ति के बहुत कुछ समानान्तर की प्रतीति देता है। इसमें हमें यह आभास तो सहज ही हो जाता है कि इन तात्कालीन आचार्यों का व्यंग्य की मूलभूत अवधारणाओं से यत्किंचित परिचय अवश्य हुआ होगा।

भोजदेव ने समस्त वांगमय को तीन भागों में विभक्त किया है।⁶ वक्रोक्ति, रसोक्ति एवं स्वभावोक्ति। इस विभाजन से मूलरूप में तीन अलग-अलग क्षेत्रों को महत्व मिल जाता है जिसमें प्रथम रसोक्ति के अंतर्गत सम्पूर्ण सौन्दर्यपरक दृष्टि एवं वक्रोक्ति में समूची व्यंग्यपरकता को प्रस्तुत करने वाला दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सकता है। स्वभावोक्ति के संबंध में कुन्तक ने यहाँ तक कह दिया है कि 'यदि स्वभावोक्ति अलंकार है तो और क्या रह जाता है? इसके लिए केशव ने 'रूप और गुण को सजाकर' कहने की बात कही है।'

यदि वक्रोक्ति सम्प्रदाय के अंतर्गत वक्रोक्ति पर अलग से विचार किया जाए तो काव्य में वक्रोक्ति का अर्थ है - वैदग्ध्य-भंगी-भणिति। भामह ने भी उसका प्रयोग इसी अर्थ में करते हुए व्यक्त किया है कि वक्रोक्ति सभी अलंकारों की स्थानपूर्ति कर सकती है।⁷ दण्डी ने वक्रोक्ति का प्रयोग स्वभावोक्ति के विपरीत अर्थ में किया है और कहा है कि, श्लेश वक्रोक्ति की श्री वृद्धि करता है, अर्थात् वाणी का एक चमत्कार प्रधान रूप जो कि स्वभावोक्ति (सहज उक्ति) से भिन्न (टेढ़ी उक्ति से पूर्ण) श्लेष की सत्ता से निज श्री वृद्धि करता है, वक्रोक्ति है। भामह ने वक्रोक्ति के स्थान पर अतिशयोक्ति को अलंकार का आधार माना है।⁸ किन्तु परवर्ती आचार्यों को इन दोनों शब्दों में कोई विशेष अर्थभेद प्रतीत नहीं हुआ। अतः उन्होंने दोनों को एक दूसरे का पर्याय ही माना है। वक्रोक्ति का यह आग्रह जो कि 'व्यंग्य या विडंबना (आयरनी) की सीमा में पहुँच जाता है, अतिशयोक्ति से एकान्वित ज्ञात होता है और हमारे लक्ष्य की ओर एक स्पष्ट संकेत करने की शक्ति रखता है। कदाचित् वैदग्ध्य का वह रूप जो भोज के 'सरस्वती कंठाभरण' में मिलता है 'परिहासपूर्ण संभाषण' में अवतरित हुआ हो। और उसी की इस शक्ति-संपन्नता का स्रोत परवर्ती काव्याचार्यों द्वारा प्रसूत 'काव्य सात्विकता' की ओर मोड़ दिया गया हो। इस संदर्भ में गुप्तकालीन शृंगारहाट पर व्यक्त किए गए श्री टॉमस के विचार उल्लेखनीय हैं। उनके अनुसार 'यह माना जा सकेगा कि इनमें वास्तविक साहित्यिक गुण हैं, इनमें सहज परिहास है और ठेठ भारतीय ढंग का हल्का व्यंग्य भी है जिनकी तुलना बेन जॉन्सन या मोलिए से करने में भी डर नहीं। इनकी भाषा तो संस्कृत भाषा का निचोड़ा हुआ अमृत है....' इनमें बढ़िया,

स्वाभाविक और सरल बोलचाल की संस्कृत का नमूना है जिसमें मामूली बातों और अश्लील गप्पाष्टक का व्यंग्यपूर्ण वर्णन है।⁹ शायद इस व्यंग्यपूर्ण वक्तृता-शक्ति का मूल संस्कृत साहित्य में प्राप्त हास परिहास एवं मनोविनोदों में निहित हो। इस संदर्भ आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि 'प्राचीन भारतीय काव्य का एक महत्वपूर्ण अंश कवि के रचना कौशल और सहृदय के मनोविनोद के लिए लिखा गया था। इस रचना कौशल का जब कभी प्रदर्शन होता था तो दर्शकों की भीड़ लग जाया करती थी। इसमें विजयी की पालकी में कंधा लगा देते थे।'¹⁰ इन विनोदों में हास परिहास को कितना महत्व दिया जाता होगा, इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रत्येक राजा के यहाँ राजसभा के सात अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग परिहासकार भी माना जाता था।¹¹ इसमें क्या संदेह है कि परिहासकार अपने परिहास के लिए जिन माध्यमों को चुनता होगा, वे समाज के नैतिक मूल्यों की परिधि के अंतर्गत आने वाले ही रहते हों। इस प्रकार के हास परिहास को ही आधुनिक व्यंग्य धारा के बाद पुनः व्यंग्य अपने उतार-चढ़ाव के पथ में हल्की फबितियों में परिवर्तित होता चला गया हो।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वक्रोक्ति घटनाओं की अपेक्षा के विपरीत परिणति है, मानों वे उनका मजाक उड़ा रहीं हो। वक्रोक्ति अथवा विडम्बना व्यंग्य के महत्वपूर्ण उपकरण है किंतु स्वतः व्यंग्य नहीं। व्यंग्य केवल भाषा की वक्रता का नाम नहीं, न ही उसका जन्म भाषा की टेढ़ी भंगिमा अथवा वक्रता से होता है। व्यंग्य का धरातल वक्रोक्ति की अपेक्षा अधिक व्यापक तथा उसमें गहन मानवी चिंताएँ एवं व्यापक सामाजिक अभिप्राय निहित रहते हैं। जहाँ आयरनी की मार बहुत महीन होती है वहाँ व्यंग्य का प्रहार प्रायः तीखा हुआ करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सं. राधेश्याम मिश्र : 'हिन्दी वक्रोक्ति जीवितम्', पृष्ठ 211
2. वही, प्रथमोन्मेश, कारिका, पृष्ठ 101
3. डॉ. शेरजंग गर्ग : 'स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कविता में व्यंग्य', पृष्ठ 341
4. आनन्दवर्धनाचार्य : 'ध्वन्यालोक', सं. आचार्य विश्वेश्वर, पृष्ठ 131
5. परसाई रचनावली : भाग 2, पृष्ठ 2381
6. हिन्दी साहित्य कोष : सं. डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, भाग 1, पृ. 8781
7. काव्यालंकार : भामह (अ) 1-36, (ब) 5-66, (स) 2-851
8. काव्य दर्पण : दण्डी, 2-3631
9. चमुर्भाणी : सं. मोतीचन्द्र एवं वासुदेवशरण अग्रवाल, प्रा. थना
10. प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद : डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ. 1221
11. वही, पृ. 1161

हुसैन के चित्रों में महात्मा की उपस्थिति

अरविन्द कुमार*

प्रस्तावना - महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी की एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने लगभग हर आम-ओ-ख़ास के दिल पर अपनी एक विशेष छाप छोड़ी है। आमजन से लेकर व्यक्ति विशेष तक, कलमकार से लेकर कलाकार तक, हर कोई किसी न किसी रूप में उनके प्रति श्रद्धावन्त नज़र आता है। हुसैन भी उन्हीं में से एक हैं। हुसैन महात्मा गांधी और उनके जीवन दर्शन से अपने छात्र जीवन से ही प्रभावित रहे थे। हुसैन अपने बचपन से लेकर अपने जीवन के आखिरी वर्षों तक के सफ़र में बहुत बार गांधी जी के व्यक्तित्व को, उनके जीवन दर्शन को, जानने, समझने का प्रयत्न करते हैं। कभी सीमित रेखाओं में बने रेखांकनों के ज़रिये, तो कभी अपनी निजी एवं प्रतीकात्मक विशिष्ट कला भाषा के द्वारा।

हुसैन को बचपन में ही बड़ौदा के एक सुलेमानी जमात के बोर्डिंग स्कूल में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से भेज दिया गया था। यह बोर्डिंग स्कूल जी. एम. हकीम अब्बास तैयबजी की देखरेख में संचालित हुआ करता था। अब्बास तैयबजी गांधीजी के कट्टर अनुयायी थे। गांधी जी के जीवन दर्शन को तैयबजी ने अपने जीवन में भी गहराई से उतार लिया था। वह चाहते थे कि उनके मदरसे के विद्यार्थी भी गांधी दर्शन के मर्म को गहराई से समझें इसीलिए मदरसे में पढ़ने वाले सभी छात्रों के सर मुंडे रहते और उन्हें खादी के कुर्ते पायजामे के साथ-साथ गांधी टोपी भी लगानी पड़ती या यूँ कहिए कि तैयबजी ने गांधी जी के पहनावे को मदरसे का ड्रेस कोड बना दिया था।



मदरसे के कक्षाओं में भी गांधी जी के चित्र लगाए गए थे। ऐसा ही एक रेखा चित्र (चित्र 1.) हुसैन साहब ने अपनी आत्मकथा 'एम. एफ़. हुसैन की कहानी अपनी जुबानी' में रेखांकित किया है। इस रेखाचित्र में स्पष्टतः देखा जा सकता है कि शागिर्द अपने उस्ताद के साथ ज़मीन पर बिछी, एक

बड़ी सी कालीन पर बैठकर, उर्दू भाषा की तालीम ले रहे हैं। बायीं ओर मौलवी साहब बैठे हैं और दायीं ओर उनके 9 शागिर्द। बीच में दीवार पर उर्दू भाषा का एक चार्ट लगाया गया है, इसी की बगल में थोड़ी ऊँचाई पर गांधी जी का एक चित्र लगा है। इस चित्र में गांधी जी लगभग वज्रासन की मुद्रा में बैठे हुए दिखाये गए हैं। उनके इस चित्र का मदरसे की दीवार पर लगा होना और मदरसे के छात्रों एवं उस्तादों का खादी पहने, टोपी लगाए होना, यह संकेत भी देता है कि तत्कालीन शैक्षणिक संस्थाएं भी गांधी जी की विचार धारा से प्रभावित थी और वे भी अपने छात्रों को गांधी दर्शन का महत्व समझा रही थीं।

अपनी आत्मकथा में हुसैन महात्मा गांधी के एक और रेखाचित्र का उल्लेख करते हैं जो संभवतः उनके द्वारा बनाया गया गांधी जी का पहला चित्र था। बड़ौदा स्कूल में गांधी जयन्ती के अवसर पर उन्होंने महात्मा की मुखाकृति (चित्र 2.) को ब्लैक बोर्ड पर चॉक से बनाया था। मदरसे के संचालक अब्बास तैयबजी को यह बहुत पसंद आया था। इस चित्र की प्रशंसा से हुसैन विद्यालय में सबके चहीते बन गए थे। महात्मा को समझने की हुसैन की शुरुवात हो चुकी थी। इसके बाद हुसैन ने महात्मा पर अनेक चित्र बनाए जिनमें से कुछ चुनिन्दा चित्रों का जिक्र करना तो लाज़िमी है ही।



गांधी जी का अपनी पालतू बकरी के प्रति अपार स्नेह जग ज़ाहिर रहा है। वह जहाँ जाते उसे अपने साथ ले जाते। यहाँ तक कि 1931 के गोलमेज सम्मेलन के दौरान भी उनकी प्रिय बकरी, निर्मला उनके साथ लंदन गयी थी। उनका यह लगाव न केवल मांसाहारी लोगों को एक सबक प्रदान करता है बल्कि निरिह पशुओं के प्रति गांधी जी के अगाध प्रेम को भी प्रदर्शित करता है। हुसैन साहब ने मनुष्य और पशु के इस प्रगाढ़ स्नेह को अपने एक चित्र में चित्रित किया है। इस चित्र (चित्र 3.) में महात्मा का चित्रांकन

प्रतीकात्मक रूप में किया गया है। लेटी हुई अवस्था में, हवा में तैरती एक मनुष्याकृति के शरीर के एक विशेष हिस्से को कवर करता श्वेत वस्त्र हवा में लहराता हुआ चित्रित किया गया है। इस आकृति का सिर धड़ से जुड़ा हुआ नहीं है फिर भी यह आकृति का अभिन्न अंग प्रतीत होता है।

कमल की बात यह है कि उपरोक्त आकृति के आँख, नाक, मुँह इत्यादि कुछ भी नहीं बनाए गए हैं, फिर भी यह आकृति अपूर्ण नहीं लगती। आकृति के पैर फैले हुए हैं जिनके बीच में उनकी बकरी खड़ी हुई है। आमतौर पर बकरियाँ नीली नहीं होती किन्तु इस बकरी का रंग गहरा नीला है। यह दुःख अथवा विषाद का भी रंग है जो पिकासो के नीले काल की याद दिलाता है। बकरी शायद उन्हे इसी भावना से देख भी रही है। उनकी लाठी ज़मीन पर पड़ी है और शरीर हवा में तैर रहा है। जो संभवतः महात्मा के महापथ गमन का प्रतीक है। इस चित्र पर हुसैन ने बंगला भाषा में हस्ताक्षर किए हैं। इस चित्र की प्रतीकात्मक अभिव्यंजना दर्शक को चित्र के सार-तत्व का रसास्वादन गहराई से कराती है।



हुसैन ने अपने कई चित्रों में गांधी और महात्मा बुद्ध को साथ-साथ चित्रित किया है। एक चित्र (चित्र 4.) में दोनों को पद्मसन में बैठे हुए दिखाया गया है। दोनों के आगे भिक्षापत्र जैसे पात्र चित्रित किए गए हैं। दोनों का बायाँ हाथ अभय मुद्रा में है और दोनों के ही अंगवस्त्र श्वेत हैं। गांधी जी की आकृति में ग्रे और बुद्ध की आकृति में पीला-नारंगी रंग किया गया है। यद्यपि दोनों ही आकृतियों के चेहरों से आँख, नाक और ओष्ठ इत्यादि गायब हैं फिर भी दोनों की पहचान आसानी से की जा सकती है। ऐसे ही एक अन्य चित्र (चित्र 5) में महात्मा बुद्ध को सरोवर के किनारे समाधि में लीन दिखाया गया है। उनका दायाँ हाथ योग मुद्रा में है। यह नाभि से किंचित ऊपर तथा मणिपुर चक्र के नीचे दर्शाया गया है। मणिपुर चक्र को नीले रंग से चित्रित किया गया है। बुद्ध की आकृति में नारंगी रंग भरा गया है। उनके सामने सरोवर में श्वेत कमल पुष्प चित्रित किए गए हैं। अग्रभूमि में महात्मा गाँधी को शान्ति के प्रणेता के रूप में चित्रित किया गया है। वह हाथ में लाठी थामे, शान्ति पथ पर आगे बढ़ने की मुद्रा में अंकित हैं। उनकी घड़ी, उनकी धोती में दाहिनी ओर उड़ेसी गयी है।

यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपरोक्त चित्र में गाँधी जी का

चेहरा चित्रित नहीं किया गया है; बल्कि उसके स्थान पर शान्ति के प्रतीक सफेद कबूतर को चित्रित किया गया है। गांधी जी के लगभग इसी रूपाकार को उन्होने एक और चित्र में भी प्रयुक्त किया है।



इस चित्र में (चित्र 6) भी गांधी जी का चेहरा नहीं बनाया गया है बल्कि उनके मुख मण्डल के स्थान पर ग्रे रंग में एक कबूतर का चित्रांकन किया गया है। इस कबूतर ने अपनी चोंच में दो हरी पत्तियों वाले एक तिनके को उठाया हुआ है। इस किंचित हरे रंग को यदि छोड़ दिया जाए तो यह सम्पूर्ण चित्र श्वेत-श्याम वर्ण की अद्भुत तानों का समाहार प्रस्तुत करता है। श्वेत अंग वस्त्र व धोती पहने हुए महात्मा के चित्र में उनकी घड़ी को उनके बाएँ ढुंगे पर लटका दिखाया गया है। चित्र में महात्मा की एक भी भुजा नहीं बनाई गयी है। उनके हाथ को प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है जो हाथ में लाठी लिए रखने का आभास देता है। यहाँ महात्मा को एक जनप्रतिनिधि के रूप में चित्रित किया गया है। उनके पीछे जनता जनार्दन, जिनमें कन्धे पर हल उठाए किसान और महिलाएं भी हैं, को भी चित्रित किया गया है। प्रतीकात्मक चित्रण का यह उत्कृष्ट उदाहरण है।



लगभग चित्र 6 जैसी विषयवस्तु से मिलता-जुलता एक अन्य चित्र (चित्र 7) भी है जो हुसैन ने 1997 में बनाया था। एक ही विषय वस्तु होने के बावजूद यह चित्र, चित्र 6 से सर्वथा भिन्न है। इस चित्र में गांधी जी का चेहरा उनके चश्मों तक तो दिख रहा है पर इससे नीचे का हिस्सा गहरे रंग की अधिकता के कारण दिखाई नहीं पड़ रहा है। महात्मा के पीछे जनता को चित्रित किया गया है किन्तु यह चित्र, चित्र कम रंगीन रेखाचित्र अधिक दिखाई पड़ता है।



हुसैन ने भारतीय सभ्यता के इतिहास को चित्रित करते समय एक त्रिफलक 'तीन राजवंश' (चित्र 8.) के नाम से चित्रित किया था। इस त्रिफलक का एक चित्र ब्रिटिश राजवंश को दर्शाता है, जो भारत पर ब्रिटिश हुकूमत के समय का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ माना जा सकता है। चित्र में भारतीय जनता का कद बहुत छोटा है जबकि ब्रिटिश अधिकारियों के कद सामान्य से बहुत बड़े दिखाये गये हैं। यह इस समय के सामाजिक भेदभाव को भी प्रदर्शित करता है। इस चित्र के मध्य में महात्मा गांधी को एक कृषक के रूप में दिखाया गया है। उन्हें गौधन के साथ कंधे पर हल लिए चित्रित किया गया है। गांधी जी का ऐसा चित्रांकन दुर्लभ है। हुसैन के अधिकांश चित्रों में गांधी जी को प्रतीकात्मक रूप में ही चित्रित किया गया है किन्तु इस चित्र में महात्मा का चित्रांकन प्रतीकात्मक न होकर अभिव्यंजनावादी अधिक प्रतीत होता है।



महात्मा का एक और महत्वपूर्ण चित्र (चित्र 9.) है जिसमें गांधी जी के साथ 20 वीं सदी के अन्य तीन प्रभावशाली व्यक्तियों आइंस्टीन, कार्ल मार्क्स और हिटलर को भी दर्शाया गया है। इस चित्र में विशेष बात यह है कि यहाँ भी महात्मा को प्रतीकात्मक रूप में चित्रित किया गया है, न उनकी भुजाएँ चित्रित की गयी हैं न उनका सिर, फिर भी उनकी आकृति दर्शक का ध्यान अपनी ओर खींचने का सामर्थ्य रखती है। उनके सिर की जगह एक अष्टकोणीय सितारा चित्रित किया गया है। इसे उनके 'बुद्ध और महात्मा' नामक चित्र में भी रेखांकित किया जा सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मकबूल फ़िदा हुसैन के अधिकांश चित्रों में महात्मा को उनके प्रतीकात्मक उपादानों के साथ चित्रित किया गया है। ये प्रतीक हैं : लाठी के साथ हस्त मुद्रा, धवल धोती के साथ श्वेत अंगवस्त्र, उनकी चिर परिचित घड़ी, सफ़ेद कबूतर अथवा अष्टकोणीय सितारा। कहीं वह महात्मा बुद्ध की तरह साधक के रूप के चित्रित हैं तो कहीं जनप्रतिनिधि के रूप में। कहीं शान्ति के प्रणेता के रूप में तो कहीं एक विशिष्ट कृषक के रूप में।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारद्वाज, विनोद : बृहद आधुनिक कला कोश, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015
2. अखिलेश : मकबूल फ़िदा हुसैन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2017
3. अग्रवाल, डॉ. गिराज किशोर : आधुनिक भारतीय चित्रकला, आगरा, 2015
4. प्रताप, रीता : भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, जयपुर, 2008
5. भौमिक, अशोक : समकालीन भारतीय चित्रकला-हुसैन के बहाने, अंतिका प्रकाशन, गाजियाबाद, 2012
6. मागो, प्राण नाथ : भारत की समकालीन कला- एक परिप्रेक्ष्य, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली, 2012
7. हुसैन, एम. एफ. : एम. एफ. हुसैन की कहानी अपनी जुबानी, एम. एफ. हुसैन फाउंडेशन, मुम्बई, 2002
8. चंद्र, प्रदीप : एम. एफ. हुसैन : कला का कर्मयोगी, नियोगी बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, 2019

हिन्दी साहित्य के विकास में प्रवासी लेखको का योगदान

डॉ. ज्योति सिंह*

प्रस्तावना - अनेक भारतीय ऐसे हैं जो भारत से इतर देशों में हिन्दी रचना व विकास के काम में लगे हुए हैं। इनमें दूतावास के अधिकारी और विदेशी विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक तो हैं ही अनेक सामान्य जन भी हैं, जो नियमित लेखन व अध्यापन से विदेश में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के काम में लगे हुए हैं।

विदेश में रहनेवाले हिन्दी साहित्यकार इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि उनकी रचनाओं में अलग-2 देशों की विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, हिन्दी देशों के इतिहास और भूगोल का हिन्दी पाठको तक विस्तार होता है विभिन्न शैलियों का आदान-प्रदान होता है और इस प्रकार हिन्दी साहित्य का विस्तृत विकास भी होता है।

'भूमंडलीकरण से प्रवास की प्रक्रिया एवं प्रवासी हिन्दी साहित्य में भी विस्तार हुआ हिन्दी साहित्य में जिस प्रभावशाली ढंग से विदेशों में लिखे जाने वाले हिन्दी साहित्य को पिछले दो-तीन दशकों में पहचान मिली है इसका कारण प्रवास की प्रक्रिया में आई निरन्तरता, भूमण्डलीकरण, विश्व बाजार, दूरसंचार, कम्प्यूटर क्रान्ति के साथ-साथ विश्व बाजार में फैले हिन्दी के रचनाओं का विभिन्न माध्यमों से साहित्यिक सुझाव व विचार विमर्श है।'¹

हिन्दी साहित्य के विकास में प्रवासी रचनाकारों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। प्रवास में लिखे जा रहे हिन्दी साहित्य की अपनी अलग संवेदना है। उसमें भारतीय मन है और साथ ही उसकी अपनी विशिष्ट सोच है। वस्तुतः प्रवासी हिन्दी साहित्यकार संवेदन संस्कार के रूप में अपने परिवेश को ग्रहण करते हैं। अतः हिन्दी प्रवासी लेखक जब अपने घर-परिवार और मिट्टी से अलग होकर एक अन्य देशकाल और परिवेश में चला जाता है तो उसके नए संस्कार बनते हैं, नए दृष्टिकोण बनते हैं। प्रवासी हिन्दी लेखकों की रचनाओं में सोच, संवेदना यथार्थपरक दर्शन के साथ संस्कृतियों की टकराहट और भूमंडलीकरण का दबाव दिखाई पड़ता है। प्रवासी हिन्दी साहित्य के मूल में जिस अकुलाहट, बैचैनी को महसूस किया जाता है उसे परम्परा एवं अपनी संस्कृति से कटने के संदर्भ में समझा जा सकता है।

कमल किशोर गोयनका के अनुसार 'हिन्दी के प्रवासी साहित्य का रूप-रंग उसकी चेतना और संवेदना भारत के हिन्दी पाठको के लिए एक नई वस्तु है, एक नये भावबोध का साहित्य है, एक नयी व्याकुलता और बैचैनी का साहित्य है जो हिन्दी साहित्य को अपनी मौलिकता एवं नये साहित्य संसार से समृद्ध करता है।'

इस प्रवासी साहित्य की बुनियाद भारत-प्रेम तथा स्वदेश परदेश के द्वन्द्व पर टिकी है तथा बार-बार हिन्दू जीवन मूल्यों, सांस्कृतिक उपलब्धियों तथा उनके प्रति श्रेष्ठता के भाव की अभिव्यक्ति होती है।²

'विदेशों में बसे प्रवासी लेखकों की रचनाओं में प्रवास की पीड़ा बयां

होती है। विपरीत परिस्थितियों में भी वे कालजयी रचनाओं का सृजन कर रहे हैं। यहीं रचनाएँ उनके प्रवासी होने के दर्द को विश्व पटल पर रखती हैं। सच्चाई यह भी है कि सूरीनाम, फिजी, मॉरीशस, कैरेबियन आदि देशों में बंटे अप्रवासी भारतीयों ने लेखन के माध्यम से वहाँ देशी संस्कृति को संभाल रखा है। प्रवासी हिन्दी रचनाकारों ने न केवल विदेशों में रह रहे भारतीय समाज के जीवन शैली को अभिव्यक्त किया है। बल्कि उनके जीवन संघर्षों और सुख-दुख पर भी कलम चलाई है।'³

'अभिमन्यु 'अनत' मॉरीशस के हिन्दी कथा-साहित्य के सम्राट हैं। उनका जन्म 9 अगस्त 1937 को मॉरीशस के उत्तर प्रान्त में स्थित त्रियोले गांव में हुआ। उन्होंने 18 वर्षों से हिन्दी का अध्यापन किया और वे 3 सालों तक युवा मंत्रालय में नाट्य कला विभाग में नाट्य प्रशिक्षक रहे। उन्होंने अपनी उच्च स्तरीय हिन्दी उपन्यासों और कहानियों के द्वारा मॉरीशस को हिन्दी साहित्य में मंच पर प्रतिष्ठित किया। अभिमन्यु अनत का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ आर्थिक कठिनाइयों की वजह से सुचारु रूप से औपचारिक शिक्षा अधिक ग्रहण नहीं कर पाये, लेकिन अपने श्रम से प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएँ पढ़कर उन्होंने अपनी लेखनीय कला का प्रमाण दिया। वे एक सजग, प्रतिबद्ध और कर्मठ रचनाकार हैं।'⁴

उपन्यास के क्षेत्र में अभिमन्यु अनत 'मॉरीशस के उपन्यास सम्राट' हैं। उनके अभी तक 29 उपन्यास छप चुके हैं। पहला उपन्यास 'और नदी बहती रही'। सन् 1970 में छपा था तथा उनका नवीनतम उपन्यास 'अपना मन उपवन' इनका प्रसिद्ध उपन्यास 'लाल पसीना' सन 1977 में छपा था जो भारत से गये गिरमिटिया मजदूरों की मार्मिक कहानी है। और इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास 'लहरो की बेटी' 'मार्क ट्वेन का स्वर्ग', 'फैसला आपका' 'मुडिया पहाड़ बोल उठा', 'आन्दोलन, 'एक बीघा प्यार', 'जम गया सूरज', 'तीसरे किनारे पर', 'चौथा प्राणी', 'तपती दोपहरी', 'कुहासे का दायरा', 'शेफाली, 'हडताल कब होगी', 'चुन-चुन चुनाव', 'अपनी ही तलाश', 'पर पगडंडी मरती नहीं', 'पसीना बहता रहा', 'आसमान अपना ओम', 'अस्तित्व-अस्तु', 'हम प्रवासी', 'एक उम्मीद और', 'क्यों न फिर सेय, 'शब्द भंग' इत्यादि।

भारत से बाहर हिन्दी में इस तरह से उपन्यास लिखने वाले एक मात्र उपन्यासकार अभिमन्यु अनत हैं। जिनमें भारतीय मजदूरों की महाकाव्यात्मक गाथा का जीवन्त वर्णन हुआ है। इनकी अन्य विधाओं पर भी दृष्टि गयी।

अभिमन्यु अनत की कविताओं में शोषण, दमन और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की गयी। बेरोजगारी जैसी समस्या, समसामयिक व्यवस्था पर कवि का भावुक हृदय इस रूप में दिखा-

जिस दिन सूरज को
मजदूरो की ओर से गवाही देनी थी
उस दिन सुबह नहीं हुई
सुना गया कि
मालिक के यहां की पार्टी में
सूरज ने ज्यादा पी ली थी।
अनत के कविताओं में मॉरीशस के श्रमजीवियों की वेदना भी उभरती है,
'लक्ष्मी का प्रश्न' शीर्षक कविता में
अनपढ़ लक्ष्मी पर इतना पूछती रही
'पसीने की कीमत जब इतनी महंगी होती है
तो मजदूर उसे इतने सरस्ते में क्यों बेच देता है'।⁵

कविता संग्रह -

कैवटस के दांत
गुलमोहर खोल उठा
एक डायरी बयान

कविता संकलन -

मॉरीशस की हिन्दी कविता
मॉरीशस के नौ हिन्दी कवि

नाटक -

विरोध
देख कबीरा हासी
रोक दो कान्हा
गूंगा इतिहास
तीन दृश्य

कहानी संग्रह -

एक थाली समन्दर
इंसान और मशीन
वह बीच का आदमी
जब कल आयेगा यमराज।⁵

कमल किशोर गोयनका जी ने अभिमन्यु अनत जी को 'उपन्यास सम्राट', तथा मॉरीशस के प्रेमचंद्र जैसे विशेषण से विभूषित करते हुए लिखते हैं- 'अनंत में सामयिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के साथ महाकाव्यात्मक प्रतिभा है जो अपने समाज की संस्कृति, अस्मिता, अस्तित्व तथा स्वाधीनता के महत संघर्ष का जीवन चित्रण करती है।'⁶

तेजेन्द्र शर्मा ब्रिटेन में हिन्दी के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं प्रवासी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर। अपनी कहानियों में मानवीय संवेदनाओं, नैरेसन, नए थीम, रोचकता के चलते तेजेन्द्र शर्मा एक चर्चित कहानीकार हैं, तेजेन्द्र शर्मा जी का जन्म 21 अक्टूबर 1952 को जगरांचव (पंजाब) में हुआ वर्तमान में ये ब्रिटेन में रहकर हिन्दी साहित्य की सेवा कर रहे हैं। इनकी अब तक की प्रकाशित कृतियों में कहानी संग्रह 'कब्र का मुनाफा', 'बेघर आंखें, 'यह क्या हो गया', 'देह की कीमत', 'द्विबरी टाईट', 'काला सागर', 'सीधी रेखा की परतेय', 'तेजेन्द्र शर्मा समग्र कहानियां (भाग-1) 'दीवार में रास्ता', जैसी कहानियों में जिस मानवीय संवेदनाओं के चरम का परिचय दिया है उसमें उन्हें मानवीय संबंधों के पैडुलम का गहरा जानकार और मानवीय सम्बंधों के जटिल और बहुआयामी स्वरूप का कुशल चितेरा सिद्ध कर दिया है। इनकी रचनाओं में ब्रिटेन के आधुनिक, बहुसांस्कृतिक समाज की छवि स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ती है। तेजेन्द्र शर्मा ने ब्रिटेन की संसद हाउस

ऑफ कामन्स एवं हाउस ऑफ लार्ड्स में कथा यू.के. के तत्वाधान में 'इन्दू शर्मा कथा सम्मान एवं पद्मानन्द साहित्य सम्मान' आयोजित कर अंग्रेजी के गढ़ में हिन्दी की पताका फहराई है। अचला शर्मा के अनुसार 'तेजेन्द्र ने हिन्दी को मंदिरो से निकाल कर ब्रिटिश संसद में पहुँचा दिया है। विदेश में रहनेवाले भारतीय के दर्द, रिश्तो की विसंगतियों और भावनाओं पर प्रकाश डाला है, तथा प्रवासी भारतीयों के जन-जीवन की उथल-पुथल और विसंगतियों का चित्रण मिलता है।'⁷

सुशम बेदी का जन्म फिरोजपुर जिला, पंजाब में हुआ है। वह न्यूयार्क में रहती हैं और कोलंबिया विश्वविद्यालय में हिन्दी साहित्य की प्रोफेसर हैं। इनकी रचनाएँ हिन्दी की कई विधाओं में हैं। इनके उपन्यास में - 'हवन', 'लौटना', 'नवभूम की रसकथा', (2002) गाथा अमरबेल की (1999), 'इतर', 'मैंने नाता तोड़ा (2009), मोर्चे। दो कहानी संग्रह 'चिड़िया और चील (1995), 'सडक की लय', अन्य कहानियां 'कतरा दर कतरा', तीसरी आँख, तथा एक काव्य संग्रह 'शब्दों की खिड़किया, भी प्रकाशित हुयी हैं। बेदी जी की रचनाओं में भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के बीच प्रवासी भारतीयों के मानसिक आन्दोलन का चित्रण हुआ है। अपने लेखन के बारे में बताती हैं। 'लिखने के मूल में मेरा भारत छोड़कर चले आना ही था। यहां के अलग तरह के अनुभव, नए तरह का रहन-सहन, नए तरह के लोग, भाषा संस्कृति भारत की स्मृतियों और नारटेल्लिज्या सभी मेरे अन्तर्मन को आन्दोलित करते रहते थे। मुझे मानवीय रिश्तों, रिश्तो के बीच व्यक्ति की अपनी पहचान, मानव मन के अन्तर्द्वंद्व, उलझनों को समझने की, उनकी खोज में गहरे उतरते चले जाने में हमेशा रूचि रही है। लोगों की उन विसंगतियों को जीते देखा है, उन बिडम्बनाओं को देखा है, उन्हीं में से चरित्र उठाये हैं और पहचानी स्थितियों में उतर कर चरित्रों का विकास किया है। जितना नजदीक जाती हूँ, उतना ही उसकी विसंगतियां देखती हूँ और उन्ही के जरिए मैं जिन्दगी के यथार्थ को पकड़ने की कोशिश करती हूँ।'⁸

लन्दन में रह रही भारतीय मूल की हिन्दी लेखिका **अचला शर्मा** बी.बी.सी. हिन्दी सेवा में जुड़ने के पश्चात उनके व्यस्त जीवन में कहानी, कविता थोड़े, पीछे छूट गये, वहीं हर वर्ष रेडियो नाटक लिखना उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गया। इन रेडियो नाटकों के संकलन की जोड़ी 'पासपोर्ट' एवं 'जड़ें' के लिए वर्ष 2004 के पद्मानन्द साहित्य सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। सूरीनाम विश्व हिन्दी सम्मेलन में अचला शर्मा को ब्रिटेन के हिन्दी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया। उनके रेडियो नाटकों में प्रवासी भारतीयों के दूसरी एवं तीसरी पीढ़ी की मानसिकता एवं संघर्ष का सटीक चित्रण देखने को मिलता है। अचला शर्मा के शब्दों में 'विदेश में रहते हुए मैंने प्रवास की समस्याओं को नजदीक से देखा, समझा और भोगा है। पश्चिमी समाज में रहकर अपनी पहचान को कायम रखने की जद्दोजहद एक बड़ी चुनौती रही है।

श्रीमती रेणु गुप्ता 'राजवंशी' अमेरिका में रहने वाली ऐसी लेखिका हैं, जिन्होंने हिन्दू धर्म, संस्कृति, साहित्य तथा सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका जीवन इन्हीं कार्यों में व्यतीत होता है और इससे बड़ी विशेषता यह है कि वे अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के संगम और सम्मिलन के माध्यम से उन्हें भारत की मिट्टी से जोड़े रखने के उद्योग करती हैं। श्री मती रेणु जी ने कहानी, कविता, लेख, उपन्यास आदि विधाओं में लिखा है।⁹

इनकी रचनाओं में 'प्रवासी स्वर', 'प्रवासी मन', 'कौन कितना निकट, 'जीवन लीला, असतो माँ सद्मय, इत्यादि हैं।

सत्येन्द्र श्रीवास्तव कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 25 वर्ष अध्यापन के बाद अब वह अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने जलतरंग 'एक किरण एक फूल', 'स्थिर यात्राएँ, मिसेज और उनकी गली', 'कुछ कहता है यह समय', 'सतह की गहराई', 'टेम्स में बहती गंगा की यह धार, आदि इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं।

डॉ. सुधा ओम ढींगरा हिन्दी साहित्य के प्रचार-प्रसार की अनथक 'सिपाही, कवयित्री, कहानीकार, उपन्यास कार, पत्रकार, रंगमंच, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कलाकार इत्यादि कार्यों के द्वारा भाषा-साहित्य', और 'लोक कथाओं, लोक कलाओं को आगे बढ़ाया है। साथ ही साथ हिन्दी, उर्दू, और पंजाबी की चर्चित पत्रकार भी है। इनके प्रकाशित साहित्य- मेरा दावा है (काव्य-संग्रह- अमेरिका के कवियों का संपादन) तलाश पहचान की (काव्य संग्रह) परिक्रमा (पंजाबी से अनुवादित हिन्दी उपन्यास) वसूली (काव्य संग्रह हिन्दी)। फंदा, ऐसी भी होली, 'परिचय की खोज, 'और बाड़ बन गयी, -सूरज क्यों निकलता है, (कहानी संग्रह) है एवं 12 प्रवासी संग्रहों में कविताएँ, कहानियाँ, प्रकाशित 'इन्होंने अमेरिका में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अनगिनत कार्य किए हैं। हिन्दी पाठशालाएँ खोलने से लेकर यूनिवर्सिटी में हिन्दी पढ़ाई। इंडिया आर्ट्स ग्रुप की स्थापना कर हिन्दी के बहुत से नाटकों का मंचन कर लोगो को हिन्दी भाषा के प्रति प्रोत्साहित कर अमेरिका में हिन्दी भाषा की गरिमा को बढ़ाया है।'¹⁰

अंजना संधीर की रचनाओं में 'अमेरिका हड्डियों में बस जाता है', धूप छाँव और आंगन, 'बारिशों का मौसम, 'तुम मेरे पापा जैसे नहीं हो, 'सात समुद्र पार से, 'मै कश्मीर हूँ, 'प्रवासी हस्ताक्षर, और प्रवासी आवाज, आदि प्रकाशित हैं।

अमेरिका के अन्य रचनाकारों में पुष्पा सक्सेना, का नाम उल्लेखनीय है 'अलविदा, 'उसके हिस्से का पुरुष, 'सूर्यास्त के बाद, 'उसका सच, 'पीले गुलाबों के साथ एक रात, 'वह सांवली लड़की, 'क्षितिज की संतान, इत्यादि उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं।

फिजी में औपचारिक एवं मानक हिन्दी का प्रयोग पाठशाला के अलावा शादी, पूजन, सभा आदि अवसर पर होता है। फिजी के संविधान में हिन्दी भाषा को मान्यता प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति सरकारी कामकाज, अदालत तथा संसद में भी हिन्दी भाषा का प्रयोग कर सकता है। फिजी के हिन्दी उपन्यास को समृद्ध करने वालों में जोगिन्द्र सिंह कंवल का महत्वपूर्ण योगदान है। जोगिन्द्र सिंह कंवल ने फिजी में प्रवासी भारतीयों के जीवन का आधार बनाकर कुल चार उपन्यास 'सवेरा (1976)', 'धरती मेरी माता (1978) 'करवट, (1979)', 'सात समुद्र पार, (1983)' की रचना की है। 'सवेरा और सात समुद्र पार' का संबंध फिजी गये प्रवासी भारतीयों के जीवन से संबन्धित है। सवेरा का कथानक गिरगिटिया मजदूर के रूप में फिजी भेजे गए लोगो से संबन्धित है जो फिजी के गन्ने की खेतों में और चीनी मिलों में काम करने के लिए अभिशप्त है। उन्हें जिन शारीरिक और मानसिक यंत्रणा, शोषण, तथा अंग्रेजो के वफादार भारतीयों की पाशविकता का शिकार होना पडा उन सबका दर्दभरा चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। 'सात समुद्र पार' विदेशी चकाचौंध से प्रभावित निर्मला के फिजी पहुँचने पर उसके दुर्दशा की कहानी है जो जिन्दा रहने के लिए पल पल संघर्ष करती है। फिजी में बसे भारतीय मूल के लोगो ने अनगिनत कष्टों का सामना किया है। फिजी के जनजीवन पर आधारित 'मेरा देश मेरे लोग, एवं 'हम लोग' (कहानी संग्रह) की रचना की। इनके साहित्य सृजन में 'यादों की खुशबू' 'कुछ पत्ते कुछ पंखुडियाँ, 'दर्द अपने-अपने, 'फिजी का हिन्दी काव्य साहित्य

(काव्य संग्रह) भी है।'¹¹

विवेकानन्द शर्मा का उपन्यास 'अनजान क्षितिज की ओर, गिरगिटिया भारतीयों के जीवन पर आधारित है। कमला प्रसाद मिश्रा, काशीराम कुमुद, रामनारायण सलीम वलश, ईश्वरी प्रसाद चौधरी, अनुभवानंद चौधरी, पं. हरीश शर्मा, बलिराम वशिष्ठ, महेशचन्द्र शर्मा, ज्ञानी दास, महावीर मिश्रा, बाबू कुंवर सिंह, सुखराम, अमरजीत कंवल, रामनारायण गोविन्द फिजी के काव्य रचनाकार हैं।

वेद प्रकाश 'बटुक' ने अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य किया व साथ ही 'नचिकेता', 'इंडियन वॉयस, पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उनके प्रकाशित काव्य संग्रह 'त्रिविध, 'बंधन, 'अपना देश पराया, 'कैदी भाई बंदी देश, 'आपात शतक, 'नीलकंठ न बन सका, 'एक बूंद और, 'कल्पना के पंख पाकर, 'लौटना घर के बनवास में, रात का अकेला सफर, 'नये अभिलेख का सूरज, 'बांघो में लिपटी दूरियाँ, 'सहस्र बाहु, 'अनूगंज, इतिहास की चीख, 'कुरसी शतक, बाहुबली, उत्तररामकथा, 'प्रेम कविताएँ, मुख्य है।

सूरीनाम के साहित्य का इतिहास जानने के लिए पं. हरिदेव सहतू का शोधकार्य महत्वपूर्ण है। सूरीनाम में प्रो. पुष्पिता अवस्थी ने सूरीनाम के हिन्दी साहित्य को भारत की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया। ये विश्वदूत बनकर हिन्दी भाषा व साहित्य को प्रतिष्ठित कर रही, ये यायावरी कवि, लेखक, संपादक, प्रोफेसर एवं कुशल संगठनकर्ता है, इन्होंने कहानी, निबंध, आलोचना कविता इत्यादि की रचनाएँ कीं एवं हिन्दी साहित्य व भाषा संस्कृति के प्रचार-प्रसार में संलग्न है। इन्होंने अपनी रचनाओं 'कथा सूरीनाम', कविता सूरीनाम, तथा गोखरू में प्रवासी भारतीयों के जीवन, संघर्ष, तथा हिन्दी के स्वरूप पर प्रकाश डाला है।

भारतीय एवं पश्चिमी संस्कृति के बीच झूलते प्रवासी भारतीयों के मानसिक आंदोलन का चित्रण प्रवासी हिन्दी साहित्य में हुआ है। प्रवासी भारतीय समाज की सच्चाई को पूरी अन्तरंगता से उद्घाटन करने वाले बहुतेरे कथाकार जैसे-कृष्ण लाल बिहारी, अभिमन्यु 'अनत' जोगिन्द्र सिंह कंवल, सुधा ओम ढींगरा, पूर्णिमावर्मन, सुषम बेदी, विवेकानन्द शर्मा, हरिदेव सहतू, पुष्पिता अवस्थी, वेद प्रकाश, बटुक, अंजना संधीर, गौतम सचदेव, तेजेन्द्र शर्मा, पद्मेश गुप्ता, अचला शर्मा है जिन्होंने प्रवासी जीवन के अनुभवों व गहन सोच का परिचय दिया है जिससे हिन्दी साहित्य का विकास संभव हुआ है।

इस तरह इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ में आधुनिक साहित्य के अन्तर्गत प्रवासी हिन्दी साहित्य के नाम से एक नए युग का प्रारम्भ हुआ। डॉ. कमल किशोर गोयनका के अनुसार 'विदेशों में लिखा जा रहा साहित्य एक नए अस्तित्व बोध व आत्मबोध का साहित्य है। इस प्रवासी साहित्य ने हिंदी को वैश्विक रूप प्रदान किया है और अब हिंदी का कभी सूर्यास्त नहीं होगा। हिन्दी का प्रवासी साहित्य भारतेतर देशों को भारत से जोड़ने का एक सेतु बनता है। जिसके मूल में भारत वंशियों का स्वदेश -प्रेम, भाषा प्रेम, संस्कृति प्रेम के साथ उनकी संलग्नता सहभागिता एवं सहयोग अटूट रूप में सम्बन्ध है। यह सेतु विश्व-व्यापी हिंदी साहित्यिक समाज का निर्माण करता है। विभिन्न देशों के हिंदी लेखक एवं हिन्दी समाज भारत के हिंदी समाज से जुड़ते हैं और परस्पर एक-दूसरे के निकट आकर हिंदी-विश्व को सबल एवं स्थायित्व प्रदान करते हैं।'¹²

'भारतेतर देशों में भारत वंशियों के हिंदी साहित्य ने अपना एक भरा-पूरा संसार निर्मित किया है और उसके आकार, मात्रा एवं स्तर में निरन्तर

वृद्धि हो रही है। इस प्रवासी हिंदी साहित्य ने अपनी विशिष्ट पहचान बनायी है, क्योंकि वह अपनी संवेदना, सरोकार, जीवन मूल्यों एवं रूप-रचना में अपनी अलग विशिष्टता रखता है। परदेश में रहते हुए स्वदेश को देखने का दृष्टिकोण बदलता है और वहाँ परिस्थियाँ, जीवन संघर्ष आदि भी जीवन को देखने समझने-जीने के दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी रूप से उद्देलन एवं परिवर्तन उत्पन्न करता है।

प्रवासी लेखक अनेक बार स्वदेश, परदेश के द्वंद्व में जीता है। और नई-नई अनुभूतियों, तनाव और विसंगतियों से गुजरता है और रचना में नये भाव-बोध, नया दृष्टिकोण तथा नये जीवन मूल्यों की सर्जना होती है। इससे हिन्दी साहित्य के विकास के साथ-साथ हिन्दी को एक नए प्रकार का साहित्य मिलता है। इस प्रकार विदेशी पृष्ठभूमि ने हिंदी रचना क्षेत्र को विस्तृत फलक दिया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सुधीश पचौरी, भूमण्डलीकरण और उत्तर सांस्कृतिक विमर्श, आनन्द प्रकाशन, नई दिल्ली 2006
2. कमल किशोर गोयनका, विश्व हिन्दी रचना, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली 2003
3. रोहिणी अग्रवाल, समकालीन कथा साहित्य, सरहदें और सरोकार, आधार प्रकाशन, पंचकूला 2007
4. राकेश पाण्डेय, 'मॉरीशस में हिन्दी एक सिंहावलोकन, गीता कालोनी नई दिल्ली (जनवरी, अक्टूबर, दिसम्बर) 2005
5. राकेश, पाण्डेय 'मॉरीशस में हिन्दी एक सिंहावलोकन, गीता कालोनी, नई दिल्ली, प्रवासी संसार (दिसम्बर) 2005
6. तेजेन्द्र शर्मा, प्रवासी भारतीयों की वर्तमान पीढ़ी, प्रवासी संसार जनवरी-मार्च 2005
7. तेजेन्द्र शर्मा, हमें प्रवासी विशेषांको का मोहताज ना बनाइये। डॉ. प्रति अरोड़ा के द्वारा लिया गया साक्षात्कार
8. सुषम बेदी, प्रवासी भारतीयों का साहित्यक, उपनिवेशवाद, हंस, अक्टूबर 2000
9. रेणू राजवंशी गुप्ता, असतो माँ सद्गमय, ग्रन्थ अकादमी, 2008
10. रेणू राजवंशी गुप्ता, असतो माँ सद्गमय, (भूमिका से) ग्रन्थ अकादमी, 2008
11. जोगिन्द्र सिंह कंवल, फिजी में हिन्दी काव्य साहित्य, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद, नई दिल्ली 2004।
12. डॉ. कमल किशोर गोयनका, प्रवासी साहित्य, जोहान्स बर्ग से आगे विदेश मंत्रालय, भारत सरकार साउथ ब्लॉक नई दिल्ली 2015।

NET SOURCES

1. www.Pravasidniya.com/ tag/pravati.satiyakar
2. www.Athivyakti.hindi.org./Lekhak
3. https://en.wikipedia.org/wiki/susham_bedi
4. www.hindisamay.com/... अभिमन्यु अनंत उड्डाद?
5. www.hindi samay.com/writer / तेजेन्द्र शर्मा. लील.
6. www.pravasiduniya.com/tag/titendra sharma
7. https://in.linkedin.com/pub/Achala-sharma/a8/661/439
8. www.hindiamerica.com/litraray%20contri butions.ht

कोरोना महामारी का अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव के सम्बन्ध में एक अध्ययन

डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध *

प्रस्तावना - वैसे कोरोना शब्द से अधिकांश लोग परिचित है यह एक गम्भीर बीमारी है और सम्पूर्ण विश्व इससे प्रभावित है इस सम्बन्ध में प्रतिदिन अखबारों एवं समाचार चैनलों पर प्रतिदिन नई-नई खबरे इसके बारे में सुनते हैं एवं सुन रहे हैं। यह शब्द कोरोनायिल्स से सम्बन्धित है यह विज्ञान नहीं सोशल मीडिया की देन है 21 वी शदी में व्यस्क होने वाले लोगों को मिलेनियल्स कहा जाता है दूसरे शब्दों में कहे तो 1990 के दशक में पैदा होने वाले इसके दायरे में आते हैं कोरोनायिल्स का अर्थ है कि कोरोना वायरस के आने के नौ महीने बाद पैदा होने वाले बच्चे, इस दौरान अधिकतर लोग अपने घरों में रहते हैं क्योंकि बाहर जाने की न कोई बजह होती है एवं न कोई आधार इसलिए उस साल के अन्त में या नए साल के प्रारम्भ में दुनियाँ में कई अधिक बच्चे पैदा होंगे इन बच्चों को कोरोनायिल्स कहा जाता है। कोरोना वायरस का तकनीकी नाम सार्स कोव-2 (SARSCOV-2) है। कोरोना वायरस से होनी वाली बीमारी को कोविड-19 कहा जाता है चूँकि यह वायरस साल 2019 में शुरू हुआ था इसलिए अन्त में 19 जोड़ा गया है, इससे सम्बन्धित कई अन्य नए शब्दों का उदय हुआ है।

(अ) सोशल डिस्टेंसिंग - इसका अर्थ है। सामाजिक दूरी, अपने सामान्य जीवन में हम अपने घर-परिवार के साथ और दूसरे लोगों से भी बाजार, कार्यालय यात्रा के दौरान मिलते-जुलते हैं इससे सामाजिक संबंध समृद्ध होते हैं-इन संबंधों से दूरी बनाने का अर्थ है सोशल डिस्टेंसिंग यदि हम एक-दूसरे के नजदीक न जाए एवं शारीरिक संबंध तोड़ दे तो इस महामारी के संक्रमण को रोका जा सकता है। यह तरीका बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए बहुत कारगर है इसलिए कुछ कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को घर से कार्य करने की सलाह दी है।

(ब) इन्व्यूबेशन- जब कोई इस वायरस से संक्रमित होता है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसके लक्षण तुरन्त दिखने लगे इसके लक्षण दिखने में 02 से 14 दिन का समय लगता है, इस समय को इन्व्यूबेशन अवधि कहते हैं।

(स) आइसोलेशन-कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए एक-दूसरे से अलग-थलग रखने की व्यवस्था को आइसोलेशन कहा जाता है, इस स्थिति में लोग स्वस्थ होने पर भी एक-दूसरे से कम मिलते हैं। तथा घरों में रहना ज्यादा पसन्द करते हैं जिससे वह संक्रमण से सुरक्षित रहे।

(द) कारेन्टाइन-बाहर से आने वाले किसी शख्स या पशु को अलग रखने की प्रक्रिया है यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वायरस को फैलने से रोकने के लिए इस दौरान उसके लक्षणों पर नजर रखी जाती है एवं संक्रमित पाए जाने पर इलाज किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति संक्रमण वाले इलाके

से आता है एवं स्वयं को खुद ही अलग कर लेता है तो इसे सेल्फ कारेन्टाइन कहते हैं यह अवधि 14 दिवसों तक होती है।

(ध) लॉकडाउन-बढ़ते हुए औद्योगिक विकास एवं आर्थिक गतिविधियों के युग में दुनिया को एक वैश्विक गाँव माना जाना सामान्य बात है लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान देशों को देशों से एवं शहरों को शहरों से काट दिया जाना ही लॉकडाउन है। यह एक आपातकालीन व्यवस्था जो महामारी एवं प्राकृतिक आपदा के वक्त किसी इलाके में सरकारी तौर पर लागू की जाती है इस स्थिति में संबन्धित इलाके के लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति बिना किसी आवश्यक कार्य के अलावा नहीं मिलती है।

अध्ययन के उद्देश्य:

(1) कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अप्रवासी मजदूरों पर पड़ा और उन्हें इस दौरान काम न मिलने एवं बेरोजगार होने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि बड़ी संख्या में कारखाने बन्द हो गए और मजदूर गाँव की तरफ पलायन के लिए मजबूर हो गए, गाँव जाने के लिए उन्हें यात्रा वहाँ की अनुपलब्धता के कारण पैदल एवं अपने स्वयं के वाहन से घर लौटना पड़ा इस दौरान मजदूरों ने लगभग 1000 किलोमीटर एवं उससे ज्यादा यात्रा पैदल की एवं यात्रा के दौरान कई मजदूरों की मृत्यु भी हो गई जो कि बहुत ही निन्दनीय है।

(2) कोरोनाकाल के दौरान जो मजदूर वापिस गाँव लौटकर आए उन्हें उनके घर पहुँचने से पहले गाँव के किसी हॉस्टल, विद्यालय या पंचायत भवन के साथ-साथ अन्य भवनों में कारेन्टाइन किया जहाँ पर व्यवस्थाओं का पर्याप्त अभाव था और मजदूरों को 14 दिवस तक इस पीड़ा को झेलना पड़ा इस दौरान मानव-मानव के बीच भी भेदभाव देखने को मिला जो व्यक्ति विदेशों से देश में लौटकर आए उनकी कारेन्टाइन की व्यवस्था होटलों एवं व्यस्थित संस्थानों में की गई तथा उन्हें हवाई विमान सेवाओं के द्वारा वापिस देश लाया गया जबकि मजदूरों के लिए बसों की भी व्यवस्था नहीं की गई।

(3) कोरोनाकाल में लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई दुनिया के 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत का प्रदर्शन सबसे निचले स्तर पर रहा। जी.डी.पी. में 23.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है उससे पता चलता है कि कृषि क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों को लॉकडाउन के दौरान मार खानी पड़ी है चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, सर्विस इंडस्ट्री हो सब जगह गिरावट हुई है इससे स्पष्ट होता है कि औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियाँ बंद होने के कारण अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है जो बहुत बड़ा संकट है एवं सरकार के सामने एक चुनौती है और

सरकार उससे कैसे निपटती है।

उपकल्पना:

1. इस महामारी का अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा।
2. बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत अध्ययन सम्भवतः द्वितीयक समको पर आधारित है इसमें अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के माध्यम से साहित्य का अवलोकन, पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाओं समाचार पत्र एवं इन्टरनेट वेबसाइट, सोशल मीडिया का सहारा लिया गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव – भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद भले ही कृषि क्षेत्र हो लेकिन वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के बिकास में मध्यम एवं निचले वर्ग का बड़ा हाथ है यही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मध्यम आय समूह की अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर आबादी यानी किसान असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर दैनिक मजदूरों के लिए शहरों में पलायन करने वाले मजदूर और शहरों में सड़क किनारे छोटा-मोटा व्यापार करके अजीविका चलाने वाले शामिल हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने वाले वह क्षेत्र है जो इस देश में पूंजी और गैर-पूंजी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसके साथ-साथ अन्य क्षेत्र भी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वर्तमान कोविड-19 के समय जारी संकट के बीच भारतीय परिदृश्य में आर्थिक विकास दर बुरी तरह प्रभावित हुई केन्द्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार 2020-21 वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच विकास दर में 23.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है जबकि अनुमान यह था कि कोरोना महामारी एवं देशव्यापी लॉकडाउन के कारण भी जीडीपी की दर पहली तिमाही में 18 प्रतिशत तक गिर सकती है जो कि देश की सबसे बड़ी बैंक स्टैंट बैंक ऑफ इण्डिया का अनुमान था कि यह दर 16.5 प्रतिशत तक गिर सकती है लेकिन आकड़े चौकाने वाले थे सभी प्रमुख सेक्टर में विकास दर नकारात्मक थी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैनुफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बृद्धि दर में क्रमशः 51.4 प्रतिशत, 39.3 प्रतिशत, 41.3 प्रतिशत, 47.4 प्रतिशत, गिरावट दर्ज की गई। जो कि बहुत ही निराशाजनक स्थिति एवं प्रदर्शन का प्रतीक रही। जिसका प्रभाव रोजगार पर भी पड़ा, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो 'सेक्टर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी' के जारी आकड़ों के अनुसार लॉकडाउन की वजह से कुल 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं, कोरोना संकट से पहले भारत में कुल रोजगार आबादी की संख्या 40.4 करोड़ थी जो इस संकट के बाद घटकर 28.5 करोड़ हो चुकी है।

निष्कर्ष – उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कोविड-19 के संकट दौर में अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है और जो विकास के महत्वपूर्ण सेक्टर हैं उनमें कृषि क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में भारी गिरावट दर्ज की गई और देश की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच में विकास दर में 23.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इस महामारी का अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है अतः अध्ययन की प्रथम उपकल्पना स्वयं सिद्ध होती है। इस महामारी के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन सरकार को करना पड़ा जिससे अधिकतर आर्थिक गतिविधियाँ बन्द हो गई जिसका असर रोजगार पर पड़ा और लगभग 12 करोड़ लोगों की नौकरियाँ चली गई इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन की द्वितीय उपकल्पना बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है स्वयं सिद्ध होती है।

सुझाव – कोविड महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है एवं बहुत ही निराशाजनक दौर चल रहा है और विकास के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें बड़े स्तर पर गिरावट दर्ज की गई सम्पूर्ण लॉकडाउन का सबसे बुरा असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ा है इस दौरान लगभग सभी प्रकार की गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं या बन्द हो गई जिसके कारण करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं लेकिन इस दौर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा हमें जान और जहान दोनों बचाना है इसलिए उन्होंने लोगों की जीविका को चलाने के लिए कुछ शर्तों के साथ-साथ लॉकडाउन में शिथिलता की एवं कुछ बड़े-बड़े आर्थिक पैकेजों की घोषणा वित्तमंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण द्वारा की गई और जन-धन खातों में भी 500-500 रूपए भेजे गए जिससे कि लोगों के हाथ में कुछ पैसा पहुंचे और अर्थव्यवस्था को सही दिशा में लाया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. औद्योगिक अर्थशास्त्र-डॉ. आर.एस. कुलश्रेष्ठ (2002) साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
2. श्रम अर्थशास्त्र-डॉ. पुष्पा एवं वी.सी. सिन्हा (2004) मयूर पेपर बैक्स नोयडा।
3. रिसर्च मैथ्योडोलोजी-डॉ. मुन्जाल सतीश (2006) राज प्रकाशन हाउस आगरा।
4. दैनिक भास्कर समाचार पत्र।
5. अमर उजाला समाचार पत्र।
6. द हिन्दू न्यूज पेपर।

भीष्म साहनी का हिन्दी साहित्य को योगदान – एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. प्रभा शर्मा*

प्रस्तावना – भीष्म साहनी आधुनिक हिन्दी साहित्य के एक लब्ध-प्रतिष्ठ साहित्यकार हैं जिनकी प्रतिभा विविधमुखी है। उपन्यास, कहानी, नाटक और निबन्ध आदि विविध विधाओं में मौलिक सृजन उनकी प्रतिभा का परिचायक है। उन्होंने अंग्रेजी में भी साहित्य सृजन किया है और अनुवाद के क्षेत्र में भी उनका सराहनीय योगदान रहा है। उन्होंने साहित्य की जिस विधा को भी लिया उसमें वह अपनी अलग और विशिष्ट पहचान बनाने में सफल सिद्ध हुये है। वस्तुतः भीष्म साहनी के पास जीवन के अनुभवों की व्यापकता और गहनता इतनी अधिक है कि वह उसकी अभिव्यक्ति कभी कहानी के रूप में, कभी उपन्यास के रूप में, कभी नाटक के रूप में और कभी निबन्धों के रूप में करते हैं। इसी कारण उनका साहित्य हिन्दी की अमूल्य निधि बन गया है।

जीवन निरन्तर गतिशील है जिसको उसकी गतिशीलता में देखना और परखना कठिन भी है और आवश्यक भी है परन्तु यह तभी सम्भव है जब रचनाकार उससे निरन्तर सम्पृक्त रहे। भीष्म साहनी में यह विशेषता भलीभाँति दृष्टिगोचर होती है क्योंकि वह जीवन से निरन्तर जुड़े रहने के कारण ही प्रत्येक परिवर्तित स्थिति को उसकी समग्रता में पकड़ने में सफल हुए हैं। भीष्म साहनी केवल मध्यवर्गीय मानसिकता को ही मण्डित करने या उसे विस्थापित करने का प्रयास ही नहीं करते हैं वरन् वह मध्यवर्गीय जीवन के विभिन्न अन्तर्विरोधों का खुलासा भी करते हुए इस वर्ग की चेतना को जनतान्त्रिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास भी करते हैं। वह मध्यवर्गीय जीवन को अपनी लेखनी का विषय बनाकर लिखते हुये भी जन सामान्य के शोषण, उत्पीड़न और उनकी विडम्बनाओं को दूर करने के किये जा रहे संघर्षों से भी तटस्थ नहीं रहते। यही कारण है कि उनकी सृजनशीलता को वर्ग विशेष तक सीमित करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

भीष्म साहनी का साहित्य अत्यन्त व्यापक है जो उनकी अमर कीर्ति का दृढ़-स्तम्भ है। उनके इस साहित्य में जीवन मूल्यों के विभिन्न चित्र प्राप्त होते हैं क्योंकि वह मानव जीवन के कुशल चित्ते के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वह एक सफल शिक्षक, चिन्तक, और मानव जीवन के प्रति गहन आस्था रखने वाले एक सफल साहित्यकार हैं। परिणामतः इनके साहित्य में प्रेम, स्नेह, ममत्व, करुणा, समर्पण, त्याग, विश्वास, निष्ठा और उदारता आदि मानवीय गुणों का चित्रांकन होने के साथ-साथ छल, प्रपंच, घृणा, अविश्वास, संघर्ष, वेदना और कुंठा के भी चित्र सहज ही प्राप्त होते हैं। उनकी रचनाओं को साहित्य की विभिन्न विधाओं के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

‘झरोखे’, ‘कड़ियाँ’, ‘तमस’, ‘बसन्ती’ और ‘मर्यादास की माँडी’ उनके लब्ध-प्रतिष्ठ उपन्यास हैं। ‘भाग्यरेखा’, ‘पहला पाठ’, ‘भटकती राख’,

‘पटरियाँ’, ‘वाडचू’, ‘शोभायात्रा’, ‘निशाचर’ और ‘पानी’ उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। ‘हानूस’, ‘कबीरा खड़ा बाजार में’ और ‘माधवी’ उनके कीर्ति प्रसारक नाटक हैं। ‘अपनी बात’ उनका निबन्ध संग्रह है। ‘गुलेल का खेल’ और ‘वापिसी’ बाल साहित्य हैं।

टॉलस्टाय का ‘पुनरुत्थान’, ‘लम्बी कहानियाँ’, निकोलाई आस्मोबस्की का ‘यह जीवन’, आहत मातोब का ‘पहला अध्यापक’ आदि प्रमुख रचनाएँ उनके अनुदित साहित्य के अन्तर्गत आती हैं। यशपाल, रमाकान्त, पंजाबी कथाकार नवजोत सिंह और गुरुदयाल सिंह की पंजाबी कहानियों का अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया है।

भीष्म साहनी की यह विशेषता है कि वह इन रचनाओं में सामाजिक जीवन की विभिन्न विसंगतियों और अन्तर्विरोधों के चित्रण तक ही सीमित नहीं रह जाते वरन् वह उस मानवीय जिजीविषा का भी अंकन करते हैं जिसके कारण उनके पात्र अपने अस्तित्व पर आये संकटों और विपत्तियों का सामना करने के लिए भी कटिबद्ध होते दिखायी पड़ते हैं। समाज में किसी भी मनुष्य के विकास में आर्थिक कारण अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं क्योंकि यह संसार अर्थमूलक है। इसलिए आर्थिक संकटग्रस्त मनुष्य की चेतना का सहज विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। अर्थ के असमान वितरण के कारण एक वर्ग का जीवन निरन्तर गरीबी की रेखा से भी बहुत नीचे होता जा रहा है। परिणामस्वरूप ‘पीढ़ी-दर-पीढ़ी’ चलने वाली अभावों की यह परम्पराएँ आज भी जनसामान्य को त्रस्त कर रही हैं।

भीष्म का पहला उपन्यास ‘झरोखे’ है जो उनके उपन्यासकार रूप को साहित्य में प्रतिष्ठित करता है। यह सन् 1967 ई में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में उन्होंने बचपन में देखे हुए पारिवारिक और सामाजिक परिवेश को चित्रित किया है जो वह न केवल भीष्म जी का पारिवारिक और सामाजिक परिवेश होता है बल्कि वह तत्कालीन समाज में भारतीय जनजीवन को, विशेषतः उत्तर-पश्चिम भारत में एक क्रान्तिकारी सामाजिक आन्दोलन के रूप में भी प्रभावित करता रहा है। उपन्यासकार भीष्म जी इस परिवेश से अधिक प्रभावित हुए जिसको वह स्वयं स्वीकार करते हैं। ‘मेरे पिता कट्टर आर्य समाजी थे। स्वाभाविक है कि हम उस वातावरण में रहे और फलस्वरूप उसका मेरे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा।’ इसी आर्यसमाजी प्रभाव से प्रभावित उनके बचपन की घटनाओं, जीवन अनुभवों और संस्कारों की अभिव्यक्ति यझरोखेय उपन्यास में हुई है। ‘झरोखे’ उपन्यास का प्रमुख पात्र यतुलसी है जिसके चारों ओर इस उपन्यास की कहानी घूमती है। भीष्म साहनी इस पात्र से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इस पात्र के संबंध में स्वयं उपन्यासकार साहनी का अभिमत है- ‘शायद मेरा एक ही पात्र है जो कभी

स्त्री का, कभी पुरुष का तो कभी युवक अथवा युवती का रूप लेकर पन्नो पर उतरता है। जब भी उसके बारे में सोचता हूँ तो उद्देलित सा महसूस करता हूँ। कहीं पर वह व्यक्ति अपने परिवेश में सही नहीं बैठता, उखड़ सा जाता है, उसमें रच-बस नहीं पाता, अपने परिवेश में रहते, साँस लेते हुए भी उसका मेल नहीं बैठता। शायद उसी में उसके भाग्य की विडम्बना होती है। शायद मेरे सभी पात्र ऐसी ही परिस्थितियों में पनपते रूप लेते हैं।²

भीष्म साहनी का दूसरा उपन्यास 'कड़ियाँ' सन् 1970 ई. में प्रकाशित हुआ। स्वतंत्रता के उपरान्त भारतीय समाज में जिस तेजी के साथ मध्यवर्ग का अन्तर्विरोध उभरा है- मध्यवर्ग में जो विसंगतियाँ उत्पन्न हुई हैं इसमें उन्हें देखा जा सकता है। इस उपन्यास में नारी विषयक दृष्टिकोण ही अधिक उभर पाया है, जो उसके चरित्र का पहलू है। 'कड़ियाँ' में प्रमिला पति से तलाक लेने के बाद मानसिक संतुलन खो बैठती है लेकिन अस्पताल में दूसरा बच्चा होने के बाद वह फिर से सहज होने लगती है। उसके असन्तुलित होने का कारण पति से नहीं बल्कि अपने पहले बच्चे से अलग होना था। भीष्म साहनी अपने प्रत्येक पात्र के मनोविज्ञान को उसके ढन्द्धों के द्वारा मूल मानवीय विशेषताओं के अन्तर्गत उसकी सामाजिक और पारिवारिक स्थिति के अनुसार ही चित्रित करते हैं। वे बचपन के बने संस्कारों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस संदर्भ में उपन्यासकार स्वीकार करते हैं - 'बहुत कुछ है जो अपने बचपन से हम संस्कारस्वरूप ग्रहण करते हैं, ज्यों-ज्यों बालक अपने परिवेश में आँखें खोलता है, ज्यों-ज्यों वह कुछ देखता सुनता है, वही संस्कार बन जाता है। आकाश की नीलिमा, ठंडी हवा के झोंके, गली में घूमते भिखारियों की आवाजें, जहाँ कहीं कोई छोटी सी घटना दिल को अथवा चेतना को छू जाती वहीं अपनी छाप छोड़ जाती है। इसके अतिरिक्त बचपन में माता-पिता और परिवेश का असर बहुत गहरा पड़ता है। मैंने जिस माहौल में आँखें खोली वह ठहरा हुआ दौर नहीं था। उसमें हलचल थी, नये-नये विचार समाज को आन्दोलित कर रहे थे। मेरे पिताजी आर्यसमाजी विचारों के थे। घर के अन्दर सदा समाज-सुधार की चर्चा चलती रहती। दूसरी ओर स्वतंत्रता आन्दोलन भी जोड़ पकड़ रहा था। जलसे-जलूसों का जमाना था। भावात्मकता से भरा वातावरण हमारे चारों ओर था। उसका प्रभाव मुझ पर और मेरे लेखन पर जरूर पड़ा।'³

भीष्म साहनी का तीसरा उपन्यास 'तमस' सन् 1973 ई में प्रकाशित हुआ जिसकी मुख्य विषयवस्तु भारत विभाजन की त्रासदी है। सन् 1947-48 ई में भारतीय समाज विभाजन की इस त्रासदी को भोगता है। उपन्यासकार साहनी ने अपने इस उपन्यास में साम्प्रदायिकता के वर्ग चरित्र को जिस रूप में उभारा है, वह इस उपन्यास को इसकी उँचाई पर पहुँचाने में अधिक सफल हुआ है। साम्प्रदायिकता के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, वर्गीय चरित्र तथा वर्गीय मानवीय सम्बन्धों की गहराई में बैठकर भीष्म जी ने साम्प्रदायिकता के पीछे हुए शोषण चरित्र को अधिक गंगा कर दिया है। इस उपन्यास के सम्बन्ध में कृष्णा सोबती का कथन है - 'तमस में भीष्म ने इस खौफनाक घटना को बड़ी बारीकी से निहारा है और फँसे हुए इतिहास और उसके राजनीतिक सन्दर्भ को लीक देकर कुछ दिनों को उपन्यास के कलेवर से बाँधने की कोशिश की है और इसमें शक नहीं कि यह बड़ी कोशिश थी। कोई भी बड़ी कोशिश महज कोशिश नहीं होती, इसके पीछे अवस्थाएँ, संस्कार और मूल्य होते हैं जिसमें भीष्म जैसा व्यक्ति बाँधा होता है।'⁴ इस उपन्यास में साम्प्रदायिक तनाव तथा तद्द्वारुप दंगों की विभिषिका से विभ्रान्त मनुष्य की अनेक कहानियों को मिलाकर उन्हें एक बड़ी मानवीय त्रासदी का रूप देने की कोशिश है। इस मानवीय त्रासदी के कारणों, प्रभावों तथा

घटनाक्रम में ऐतिहासिक, तथ्यागत प्रामाणिकता के साथ-साथ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनितिक सच्चाई को प्रमुखता दी गई है। डॉ. चमनलता का मत है - 'तमस की कथावस्तु में दो कथाओं यानि शहर और गाँव की कथाओं का संयोजन किया गया है और रिफ्यूजी कैम्प के माध्यम से दोनों कथाओं को एक सूत्र में पिरोया गया है। कथा विवरणात्मक दंग से कही गई है और कुछ पाँच दिनों की घटनाओं और वातावरण पर कथा निर्मित की गई है। कुछ हद तक विवरणात्मक शैली में सपाटबयानी दाखिल हो गई है। कहीं-कहीं कथा-संयोजन कैमरे के दंग से चलता है अर्थात् मूवी कैमरे की तरह लेखक अलग-अलग स्थितियों की तस्वीर सी खींचते चलता है और कहीं-कहीं तस्वीरें एक-दूसरे से असम्बद्ध तो नहीं लेकिन सायास जोड़ी हुई लगती हैं।.....कथा के नाटकीय तत्व पर भी विवरण शैली का असर है।'⁵

'तमस' के सात वर्ष बाद अर्थात् 1980 में 'बसन्ती' का प्रकाशन हुआ। यतमस' में विभाजन की त्रासदी है तो यबसन्ती' में झुग्गी-झोपड़ियों को उजाड़ने की विभिषिका है। 'तमस' में राजनीति का साम्प्रदायिक चरित्र सामने आता है तो 'बसन्ती' में राजनीति का जन-विरोध चरित्र सामने आता है। बसन्ती का चरित्र दिल्ली तक ही सीमित न रहकर देश के पूरे गाँव और शहरों में फैले हुये निम्नवर्गीय चरित्र का प्रतीक बन जाता है। आज निम्न वर्ग का जीवन आर्थिक अभाव के कारण दयनीय बनकर रह गया है क्योंकि उसके पास जीवन की अनिवार्य सुविधाओं का अभाव है। आर्थिक अभाव से घटते हुए इस वर्ग के विभिन्न चित्र भीष्म साहनी के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। उपन्यासकार साहनी ने 'बसन्ती' उपन्यास में निम्नवर्गीय व्यक्तियों के धूल-धूसरित जीवन को अपनी कथा का विषय बनाया है। इस सम्बन्ध में स्वयं भीष्म साहनी का कथन है - 'दिल्ली से दूर जहाँ कहीं सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है, वहीं से लोग दिल्ली आने लगे। इन राज-मजदूरों की बार-बार उजड़ती बस्तियाँ एवं उनकी यातनामय जिन्दगी का यथार्थ चित्र यबसन्ती' है।'⁶ 'बसन्ती' में गाँव का चित्रण नहीं है परन्तु गाँव से आये लोगों के ग्रामीण संस्कार अवश्य ही कथा का अंग बने हैं। स्त्री के प्रति मध्ययुगीन व्यवहार को विशेष उद्देश्य से उद्धाटित किया गया है तथा निम्न वर्ग की गाँव और शहर दोनों जगहों पर एक जैसी गति चित्रित की गई है, उसे अर्थात् स्त्री को दोनों जगहों पर बेघर किया जाता है। इसीलिए ग्रामीण और शहरी प्रभावों के ढन्द्ध में लेखक का उद्देश्य उनके वर्ग-स्वरूप को उद्धाटित करने का रहा है। इस ढन्द्ध में ग्रामीण परिवेश में ले जाकर अर्थात् कथा को दूर-दराज के गाँवों तक फैलाकर अधिक विस्तृत आधार दिया जा सकता था। 'बसन्ती' उपन्यास के सम्बन्ध में रवीन्द्र गासो का कथन है - यबसन्ती' अपनी भरपूर कलात्मक तथा सम्प्रेषणीयता में स्त्री और निम्नवर्ग की वास्तविक स्थिति को उसकी विभिन्न विशेषताओं, कमजोरियों तथा सम्भावनाओं के साथ प्रस्तुत करने वाला वर्ग चेतना का उपन्यास है जिसमें लेखक भारतीय सर्वहारा क्रान्ति की यथार्थ शक्ति को बसन्ती के माध्यम से दैदीप्यमान दीपशिखा के रूप में देखता है।'⁷

'मर्यादास की माड़ी' (1988) पंजाब पर अंग्रेजों के प्रभुत्व के बाद उजड़ गई जमींदारी की कारुणिक गाथा है। यमर्यादास की माड़ी' को ऐतिहासिक कालचक्र में बदलते हुये सामाजिक सम्बन्धों का एक अच्छा दस्तावेज कहा जा सकता है जिसमें विशुद्ध देशभक्त और निपट गद्दार, चापलूस और स्वाभिमानी दोनों प्रकार के पात्रों के दर्शन कराये गये हैं। इस उपन्यास के द्वारा डेढ़ सौ वर्ष पुराने पंजाब का परिवेश चलचित्र की भाँति प्रत्यक्ष ही देखा और समझा जा सकता है जो पाठकों को अपनी ओर बरबस

ही आकर्षित किये बिना नहीं रहता। आज के युग में भौतिकवादी चेतना के कारण आपसी सम्बन्धों को निर्धारित करने में धन की महत्ता अपरिहार्य है और हमारे पारिवारिक सम्बन्ध भी अर्थव्यवस्था पर ही आधारित हो गये हैं। हमारे पारिवारिक सम्बन्धों के विघटित होने का मुख्य कारण अर्थ की महत्ता है। इस सम्बन्ध में भीष्म साहनी की धारणा है- 'धन से ही व्यक्ति अपनी आकांक्षा की पूर्ति कर सकता है।'⁸ धन की गरिमा ही व्यक्ति को जन-सामान्य से अलग विशिष्ट बना देती है क्योंकि 'धनी आदमी के विचार साधारण विचार नहीं होते, उसके चेहरे पर हिलती एक-एक मांसपेशी से बड़प्पन झलकता है।'⁹

भीष्म साहनी के उपन्यासों में 'कड़ियाँ' (1970), 'कुंतो' (1993) और 'नीलू, नीलिमा, नीलोफर' (2000) रचनारकाल के अन्तर के बावजूद एक ही शृंखला क उपन्यास हैं जिनमें स्त्रियों की नियति और उनकी समस्याओं को उठाने का सफल प्रयास है।

'कुंतो' उपन्यास की कुन्तो स्त्री की यातना का सबल चरित्र बनकर उभरती है जो पारिवारिक जीवन के संताप को झेलती हुई समाज को कठघरे में खड़ा करती है। कुंतो, सुषमा, थुलथुल जैसी स्त्रियाँ इस यातना को सहती हैं। विद्या भी इनमें से एक है। कम उम्र की अनचाही शादी, फिर लगातार बच्चों का जन्म हवस का शिकार बनती रहती स्त्री एक दिन समझ जाती है कि वह तो सिर्फ एक वस्तु ही है, पुरुष की वासनायें यहीं समाप्त नहीं होती, वह बढ़ती जाती है और इसी तरह अनेक जिन्दगियाँ दफन होती रहती हैं।

भीष्म साहनी के उपन्यासों की आखिरी कड़ी के रूप में आया 'नीलू, नीलिमा, नीलोफर' उपन्यास प्रेम और विवाह की समस्या पर विचार करता है और यह सम्प्रेषित करता है कि प्रेम हो या विवाह, इसमें धर्म और जाति की बाधा मनुष्यता विरोधी है। इस युद्ध में हिंसा जीतती है, झूठा अहंकार विजयी होता है - मनुष्यता हार जाती है। उपन्यास की कथा को साहनी ने इस तरह बुना है कि समाज के सारे अन्तर्विरोध एक-एक कर सामने आते जाते हैं।

कहानीकार भीष्म साहनी के कहानी संग्रहों का अध्ययन करने से उनकी कहानी यात्रा का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। वह कहानियों में सामाजिक यथार्थ के ऊपरी पर्तों को तोड़ते हुये गहराई में उतरते चले जाते हैं। उनका प्रथम कहानी संग्रह 'भाग्यरेखा' सन् 1953 ई में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में चौदह कहानियाँ हैं। कहानीकार इनमें यथार्थ की जमीन पर पैर रखते हुये दिखायी देते हैं। इन सभी कहानियों में उनकी सामाजिक दृष्टि लगभग सतही है। यद्यपि उनमें माक्सवादी चेतना भी रही है तथापि वस्तु-तथ्य को देखने का दृष्टिकोण बहुत गहरा नहीं हो सका है। उनका दूसरा संग्रह 'पहला पाठ' सन् 1957 में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह की कहानियों में पहले की अपेक्षा दृष्टि-समझ तथा सामाजिक चेतना का विकास साफ दिखाई देता है। इन कहानियों में सामाजिक अन्तर्विरोध तो विद्यमान है किन्तु उस तक पहुँचने के लिए कहानीकार की दृष्टि पूरी दूरी तय नहीं कर पाई है। इस सम्बन्ध में सम्पादक राजेश्वर सक्सेना और प्रताप ठाकुर का कथन है - 'अन्तर्विरोध को पकड़ने की उनकी गम्भीर दृष्टि और यथार्थ अंकन की सूक्ष्मकला इन कहानियों में विकसित नहीं हो पायी है। हम केवल संवेदना के स्तर पर उससे जुड़े सकते हैं लेकिन कोई सार्थक कलात्मकता के दर्शन इन प्रारम्भिक कहानियों में नहीं कर सकते।'¹⁰

उनका तीसरा कहानी संग्रह 'भटकती राख' है जो सन् 1966 ई में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में बीस कहानियाँ संकलित हैं। इस संग्रह में कहानीकार भीष्म की सामाजिक चेतना, समाज के अन्तर्विरोधों और सामाजिक यथार्थ के बीच जीवन को देखने की शक्ति से परिचित हो जाती

है। वह जनविरोधी शक्तियों की टकराहट से उत्पन्न होने वाले द्धन्दात्मक रिश्तों के बीच चरित्र की संघर्षशीलता और पलायनवादिता को सम्यक् रूपेण पकड़ने लगते हैं। 'उनकी इन कहानियों में हर पात्र अपनी संवेदना के तहत अपने आरोपित संस्कार से लड़ता नज़र आता है और उसकी इस लड़ाई में समूचा परिवेश सम्बद्ध हो जाता है।'¹¹ सन् 1973 ई में प्रकाशित होने वाला उनका चौथा कहानी संग्रह है - 'पटरियाँ' जिसमें समाज के अनेक लोगों और पात्रों को खोलकर देखने की क्षमता कहानीकार की दृष्टि में आ चुकी है। इसलिए यहाँ कहानीकार वैचारिक धरातल पर अधिक और सामाजिक कारणों से आने वाली परिवर्तनशीलता को खुली आँखों से देखते हैं। इस संग्रह की कहानियाँ समाज की अनेक विसंगतियों के क्रम में 'पकड़ने के प्रयास में' अलग-अलग कहानियाँ होते हुये भी आपस में जुड़कर सातवें दशक के भारतीय समाज को विभिन्न कोणों से स्पर्श करती हुई दिखाई देती हैं।

भीष्म साहनी का पाँचवाँ कहानी संग्रह है - 'वाङ्मय' जो सन् 1978 ई में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में ग्यारह कहानियाँ संकलित हैं। इन कहानियों में कहानीकार का वैचारिक स्वर अधिक ऊँचाई पर सुनाई देता है। इन कहानियों में वर्गभेद और वर्ग-संघर्ष दिखाई पड़ता है। यही इन कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है। वर्ग-संघर्ष की स्थिति- 'साग मीट', 'पिकनिक' और 'मालिक का बन्दा' आदि कहानियों में दिखाई देती है। इस संग्रह की सबसे सशक्त कहानी यवाङ्मय है। 'वाङ्मय' भारत और चीन की बदली हुई राजनीति में एक बौद्ध भिक्षु की कहानी है जिसमें कहानीकार महत्वपूर्ण प्रश्न की गुत्थी का समाधान करते हैं।

सन् 1981 ई में प्रकाशित 'शोभायात्रा' छठवाँ कहानी संग्रह है जिसमें दस कहानियाँ संकलित हैं। कहानीकार इन कहानियों में सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालने वाले उत्पादन-सम्बन्धों के बारीक तन्तुओं को प्रस्तुत करते हैं। कुल मिलाकर ये कहानियाँ आठवें दशक के अन्त और नवें दशक के प्रारम्भ के भारतीय समाज में विकसित हो रहे पूँजीवादी मूल्यों पर आधारित हैं। सन् 1983 ई में प्रकाशित भीष्म साहनी जी का कहानी संग्रह 'निशाचर' में भारतीय समाज के मध्य वर्ग का चरित्र अधिक अमानवीय, अधिक संवेदनशील और अधिक खोखले आदर्शों के रूप में अंकित हुआ है। इसके पात्र व्यक्ति अनुभव से हटकर आसपास की दुनिया से आने लगते हैं। इस सम्बन्ध में स्वयं कहानीकार का अभिमत है- 'लेखक पात्रों के सृजन में अपने निजी अनुभव क्षेत्र से हटकर आसपास के जीवन में से पात्र उठाने लगता है और उन्हें एक स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान करता है। जब उसके पात्र स्मृतियों के बल पर नहीं, अपने से बाहर के जीवन की ऊपापोह में से निकलकर सामने आते हैं और स्वतंत्र व्यक्तित्व ग्रहण करते हैं तो ऐसे सजीव पात्रों की सृष्टि कला के क्षेत्र में लेखक की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ।'¹²

नाटककार के रूप में भीष्म जी का प्रथम नाटक 'हानूष' है जो सन् 1977 ई में प्रकाशित हुआ। इसके बाद तो नाट्य लेखन में भीष्म जी की लंबी यात्रा है। 'कबीरा खड़ा बाजार में', 'माधवी', 'मुआवजे', 'रंग दे बसन्ती चोला', और 'आलमगीर'। 'हानूष' नाटक का कथानक वर्तमान का नहीं मध्ययुगीन है किन्तु उसके साथ ही नाटककार का अपना काल भी विद्यमान है। सन् 1977 ई के आपातकाल के दौरान कलाकारों और साहित्यकारों की लेखन स्वतंत्रता पर आया हुआ संकट और उस संकट के बीच की सृजनेच्छा ही इस नाटक के मूल में है। हानूष नाटक के भीतर की सामन्तशाही की वेदी पर कलाकार के निरीह बलिदान की कथा 75-76 के असंख्य मूक बलिदानों की व्यथा की कथा की मुखर प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति नहीं..... क्या नाटककार के समझ एक गम्भीर प्रश्न यह विचारणीय नहीं था कि मध्ययुगीन

कलाकारों और आधुनिक युग के कलाकार-साहित्यकारों की क्रूर नियति में अद्भुत साम्य है?'¹³

भीष्म साहनी का दूसरा नाटक है- 'कबीरा खड़ा बाजार में' जिसका प्रकाशन सन् 1981 ई. में हुआ। इस नाटक की विषयवस्तु मध्यकालीन समाज में कलाकार का संघर्ष है। इसके सम्बन्ध में स्वयं नाटककार का अभिमत है - 'नाटक में उसके काल की धर्मन्धता, अनाचार और तानाशाही के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनके निर्भीक सत्यान्वेषी व्यक्तित्व को दिखाने की कोशिश की है।'¹⁴ कबीर मध्यकाल में हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदायवादियों से संघर्ष करते रहे और आज का कलाकार भी नवसम्प्रदायवादियों से संघर्ष कर रहा है जो अधिक भयंकर और आतंकवाद के रूप में भारतीय समाज में फैलते जा रहे हैं।

भीष्म साहनी का तीसरा नाटक 'माधवी' है जिसका प्रकाशन सन् 1984 ई में हुआ। यह नाटक पुरुष प्रधान भारतीय समाज व्यवस्था में पुरुष वर्ग द्वारा अपनी स्वार्थपरता और दम्भपूर्ण अहंन्यता को संतुष्ट करने के लिए संवेदनशून्य होकर कठोरता से नारी प्रयोग तथा उसका शोषण करने की मार्मिक कथा है। पुरुष प्रधान समाज की सामन्तीय मनोवृत्ति में छटपटाती कर्तव्यपरायण नारी की निरीह स्थिति का यह महाभारतकालीन दस्तावेज आज भी अत्यन्त समसामयिक है। इस नाटक में माधवी की त्रासदीय संवेदना कथा का मूल है। इस नाटक के संबंध में डॉ. नामवर सिंह का अभिमत है- 'उनका सबसे अच्छा नाटक 'माधवी' लगा। खासकर महाभारत के पुराने आख्यानों में नारी सूझ और नया अर्थ भरने के प्रयास के कारण हिन्दी में नारी-मुक्ति के प्रश्न पर लिखा हुआ ऐसा मार्मिक नाटक मेरे देखने में नहीं आया।'¹⁵

भीष्म साहनी एक प्रतिष्ठित निबन्धकार भी हैं। उन्होंने केवल कथा-साहित्य ही नहीं लिखा वरन् समय-समय पर संस्मरण, आत्मलेख और आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं। 'अपनी बात' शीर्षक निबंध संग्रह में उनके ऐसे ही लेख संकलित हैं। उनके निबंधों का लेखनकाल सन् 1947 ई से अद्यपर्यन्त फैला है। इनमें 'गर्दिश के दिन' और यमें 'अपनी नज़र में' आत्मपरक निबन्ध हैं। 'राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या', 'संघर्ष, परिवर्तन और लेखकीय मानसिकता' तथा 'मार्क्सवाद और साहित्य' वस्तुपरक निबन्ध हैं। 'प्रेमचन्द आज के संदर्भ में' और 'कफन': आर्थिक चेतना के जटिल आयाम' उनके आलोचनात्मक निबन्ध हैं। 'परसाई जी को श्रृंङ्खान्जलि' का दृष्टिकोण साहित्यकार के प्रति आदरभाव का रहा है। इनके निबन्ध संकलन 'अपनी बात' के संबंध में राजकुमार गौतम का अभिमत है - 'इस निबन्ध संग्रह में एक ओर किसी बड़े साहित्यकार के नेपथ्य की झांकियों से पाठक का साक्षात्कार होता है तो वहीं दूसरी ओर पिछले लगभग चार दशकों का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परिदृश्य भी जीवित हो उठता है।'¹⁶

संक्षेप में कहा जा सकता है कि भीष्म साहनी एक कुशल निबन्धकार हैं जिनके निबन्धों में बुद्धि और हृदय दोनों का सुन्दर समन्वय हो गया है। कुल मिलाकर साहनी के निबन्धों में उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन भी हुआ है और उनमें निबन्धकार के 'निजीपन' की छाप भी दृष्टिगोचर होती है।

साहित्य जगत में अजातशत्रु कहे जाने वाले भीष्म साहनी का साहित्यिक कर्म एवं जीवन उन्हें अपने समकालीन रचनाकारों से अलग करता है। भीष्म

साहनी ने अपने जीवन में अनेक रूपों को जिया है। कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, अनुवादक, सांस्कृतिक कार्यकर्ता, अध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ता, संगठनकर्ता और अभिनेता के रूप में इसके कुछ उदाहरण हैं। हाँलाकि इसमें से उनके अनुवादक रूप की चर्चा कम ही देखने को मिलती है। आमतौर पर अनुवाद की चर्चा तो होती है लेकिन अनुवादक पर शायद ही ध्यान दिया जाता है। भीष्म जी ने हिन्दी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिन्दी, रूसी से हिन्दी, रूसी से अंग्रेजी, पंजाबी से अंग्रेजी, एवं पंजाबी से हिन्दी में अनुवाद किया है। विधाओं में उन्होंने काव्य को छोड़कर कहानी, उपन्यास, नाटक, आदि विधाओं की कृतियों का अनुवाद किया है।

कुल मिलाकर जनतान्त्रिक मूल्यों के पक्षधर और रचनात्मक स्तर पर उन मूल्यों को स्थापित करने के लिए सक्रिय भीष्म साहनी को एक मानवतावादी साहित्यकार की संज्ञा दी जा सकती है और वस्तुतः वह किसी वर्ग विशेष के रचनाकार न होकर सामाजिक यथार्थ के साहित्यकार हैं। यहीं उनका हिन्दी साहित्य को योगदान है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सम्पादक: राजेश्वर सक्सेना, प्रताप ठाकुर - 'भीष्म साहनी': व्यक्ति और रचना' के अन्तर्गत दिनेश शर्मा द्वारा लिखित यबातचीत', पृष्ठ 25
2. भीष्म साहनी: 'मेरा प्रिय पात्र', सारिका, पृष्ठ 26, 1 फरवरी 1982
3. सम्पादक: राजेश्वर सक्सेना, प्रताप ठाकुर- 'भीष्म साहनी: व्यक्ति और रचना' के अन्तर्गत असगर वजाहत द्वारा लिखित यबातचीत', पृष्ठ 11
4. सम्पादक: राजेश्वर सक्सेना, प्रताप ठाकुर- 'भीष्म साहनी: व्यक्ति और रचना' के अन्तर्गत कृष्णा सोणती द्वारा लिखित यहम हशमत', पृष्ठ 63
5. डॉ. चमनलाल - 'प्रतिनिधि हिन्दी उपन्यास' हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़, प्रथम संस्करण, 1988, पृष्ठ 126
6. भीष्म साहनी - 'बसन्ती', पृष्ठ 10
7. रवीन्द्र गासो: भीष्म साहनी की औपन्यासिक चेतना, पृष्ठ 89, दीपक पब्लिशर्स, माई हीरांगेट, जालंधर।
8. भीष्म साहनी - 'मय्यादास की माड़ी', पृष्ठ 21
9. भीष्म साहनी - 'मय्यादास की माड़ी', पृष्ठ 66
10. सम्पादक राजेश्वर सक्सेना, प्रताप ठाकुर - 'भीष्म साहनी: व्यक्ति और रचना', पृष्ठ 108
11. सम्पादक राजेश्वर सक्सेना, प्रताप ठाकुर - 'भीष्म साहनी: व्यक्ति और रचना' में संकलित सृजनशील यथार्थ, पृष्ठ 80
12. भीष्म साहनी - 'मेरा प्रिय पात्र' सारिका में लिखित, 1 फरवरी सन् 1982, पृष्ठ 27
13. सम्पादक राजेश्वर सक्सेना, प्रताप ठाकुर - 'भीष्म साहनी: व्यक्ति और रचना' में संकलित यनाट्य साधना, पृष्ठ 16
14. भीष्म साहनी - 'कबीरा खड़ा बाजार में', दो शब्द, पृष्ठ 9
15. डॉ. नामवर सिंह: 'समकालीनों की नज़र में भीष्म साहनी का साहित्य सारिका', अगस्त 1990, पृष्ठ 94
16. राजकुमार गौतम 'अपनी बात के बहाने सबकी बात' - 'सारिका' हीरक जयन्ती अंक अगस्त 90, पृष्ठ 50

अनुसूचित जनजाति के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन : अलीराजपुर जिले के विशेष संदर्भ में

डॉ. प्रियंका जमरा *

प्रस्तावना - भारत में लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही देश के सर्वांगीण विकास की नींव रखी गई। विकास का लाभ समस्त वर्गों और समुदाय को प्राप्त हो इस हेतु भारत सरकार ने योजनाबद्ध विकास को राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकृति दी। इन्हीं वर्गों में से एक है जनजातीय वर्ग, जिसकी अपनी जीवन शैली और विशिष्ट रीति-रिवाज है। जनजातीय समुदाय सदस्यों से समाज की मुख्यधारा से पृथक रहे हैं।

वर्तमान संदर्भ में जनजातीय विकास संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। यद्यपि जनजातीय कल्याण की सूची अत्याधिक विस्तृत है तथापि स्वाधिनता से लेकर अब तक जनजातीय वर्ग की सामाजिक, आर्थिक, सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों एवं पाँचवीं और छठवीं अनुसूची में पृथक संवैधानिक एवं प्रशासनिक प्रावधान किए गए हैं। साथ ही प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विकास के बहुआयामी और समय-परक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन किया जाता रहा है। यह अवश्य है, कि जनजातीय विकास में सकारात्मक बदलाव हुआ है। परंतु आज भी जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति अन्य विकसित वर्गों की तुलना में अत्यंत पिछड़ी है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा नीतियों, कानूनों और योजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन महत्वपूर्ण एवं गम्भीर विषय रहा है।

जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत संघ में मध्यप्रदेश राज्य शीर्ष स्थान पर है। मध्यप्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। मध्यप्रदेश की अ.ज.जा. की अपनी विशिष्ट प्रकृति रही है। इन वर्गों की समस्याएँ भी बहुआयामी हैं, जिनका निदान चुनौतिपूर्ण है। मध्यप्रदेश की स्थापना के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय वर्ग की सामाजिक जीवनवृत्त और सांस्कृतिक स्वरूप को ध्यान में रखकर इन वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्राथमिकताएँ तय की गई हैं तथा आधुनिक जीवनशैली के साथ सामंजस्य रखते हुए, देश के अन्य वर्गों के समान सामाजिक-आर्थिक तौर पर एक साथ लाने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।

अध्ययन क्षेत्र अलीराजपुर जिला : एक परिचय - अलीराजपुर जिला पूर्णतः जनजाति बाहुल जिला अर्थात् 89% जनसंख्या जनजाति की होने के कारण इसे 'आदिवासियों का गढ़' कहा जाता है। जिले में आदिवासी मुख्य रूप से चार फिर्कों में बँटे हुए हैं - भील, भीलाला, पटलिया एवं बरेला।

अध्ययन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 268958 हेक्टेयर है। जिसमें से लगभग 29.71% वन भूमि, 5.98% कृषि भूमि, 6.82% अकृषित भूमि, 2.63% पड़ती भूमि है। भू-गर्भिक संरचना की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र

प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। जिले में मानसूनी जलवायु की सभी विशेषताएँ मौजूद हैं तथा यह अल्प वर्षा वाले जिलों की श्रेणी में आता है। कृषि, अलीराजपुर जिले के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। अतः जिले का विकास, कृषि के विकास के साथ ही हो सकता है, लेकिन क्षेत्र में कृषि पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। क्षेत्र में मध्यम-काली, लाल-पीली, मिश्रित, जलोढ़, पथरीली, रेतीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो कोबाल्ट तथा फास्फोरस युक्त होने से कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है।

प्रशासनिक दृष्टि से अलीराजपुर जिला इन्दौर संभाग के अंतर्गत आता है। जिले को पाँच तहसील (अलीराजपुर, कट्टीवाडा, सोण्डवा, जोबट, चंद्रशेखर आज़ाद नगर) तथा छः विकासखण्डों (अलीराजपुर, कट्टीवाडा, सोण्डवा, जोबट, उदयागढ़, चंद्रशेखर आज़ाद नगर) में विभाजित किया गया है। जिले में ग्रामीण प्रशासन हेतु 01 जिला पंचायत, 06 जनपद पंचायत, 288 ग्राम पंचायत मौजूद है।

अ.ज.जा. हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएँ - आदिवासियों के सर्वांगीण विकास की जो भी योजनाएँ संचालित हैं, उनके दो उपागम हैं :-

प्रथम ; बुनियादी सामुदायिक सुविधाएँ प्रदान करना, जिनमें शिक्षा स्वास्थ्य, सिंचाई, पेयजल आदि शामिल हैं।

द्वितीय ; व्यक्तिगत लाभ की योजनाएँ जिनमें रोजगार, प्रशिक्षण, परिवार मूलक कार्यक्रम शामिल हैं।

मध्यप्रदेश की योजनाओं को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है:- 1. केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ 2. मध्यप्रदेश शासन की योजनाएँ 3. मुख्यमंत्री के नाम से क्रियान्वित योजनाएँ।

मध्यप्रदेश में शिक्षा सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता देते हुए अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं। इन कल्याणकारी योजनाओं में सर्वाधिक बल शिक्षा पर दिया गया। राज्य में योजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जिले में लागू करने में पंचायतीराज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वस्तुतः अध्ययन क्षेत्र में शासन की कुछ योजनाओं को छोड़कर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

जनजातीय विकास की प्रशासनिक प्रणाली - यद्यपि नीति/योजना निर्माण शासन द्वारा किया जाता है, किन्तु उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व प्रशासन पर ही होता है। जनजातीय कल्याण के लिए शासन द्वारा तैयार नीतियों कार्यक्रमों को प्रभावशाली और परिस्थितियों के अनुसार

लागू करने के लिए एक फ्रेम के रूप विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली को अपनाते हुए केंद्र से लेकर ग्राम स्तर तक प्रशासनिक स्थापना का आयोजन किया गया है। जो इस प्रकार है :-

केंद्रीय स्तर पर - 'जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार' अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजन के लिए नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख केंद्रीय मंत्री होता है और उसकी सहायता हेतु राज्यमंत्री होता है। मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख, सचिव होता है। सचिव ही मंत्री तथा मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करता है।

राज्य स्तर पर - मध्यप्रदेश में जनजाति विकास हेतु दो प्रकार की प्रशासनिक स्थापना का अध्ययन किया जा रहा है :- (1) मध्यप्रदेश शासन की प्रशासनिक स्थापना, (2) पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका।

(1) मध्यप्रदेश शासन की प्रशासनिक स्थापना - 'मध्यप्रदेश जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय', अ.ज.जा. वर्ग हेतु विभाग जहाँ एक ओर अपने स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक योजनाओं के साथ अनुपूरक कल्याणकारी योजनाएँ संचालित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना के संबंध में नोडल विभाग के नाते विभिन्न विकास विभागों के मध्य समन्वयक की भूमिका निभाते हुए, योजनाओं के बजट प्रावधान एवं अनुश्रवण का कार्य भी कर रहा है। राज्य में जनजाति कार्य विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था पदसोपानिक क्रम में मंत्रालय, राज्य, संभागीय, जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर स्थापित की गई है।

(2) पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका - यद्यपि जिला प्रशासन स्तर पर केंद्र तथा राज्य प्रवर्तित योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शासन के विभिन्न विभाग द्वारा किया जा रहा है। तथापि, पंचायत को सौंपे जाने वाले कार्यों की निर्देशक सूची संविधान में समाविष्ट हैं, किन्तु यथार्थ में म.प्र. शासन द्वारा इन योजनाओं के आयोजन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को सौंपा गया है।

स्पष्ट है, कि जनजातीय विकास हेतु केंद्र से लेकर स्थानीय स्तर तक सुव्यवस्थित श्रृंखलाबद्धसंगठनात्मक व्यवस्था मौजूद है।

निष्कर्ष - अलीराजपुर जिले में योजनाओं की जानकारी जनजातियों तक पहुँचाने हेतु शासन द्वारा समुचित प्रयास किये जा रहे हैं, जिसमें ग्राम पंचायत सक्रिय भूमिका निभा रही है। सकारात्मक परिणाम यह हुआ है, कि जनजातियों में धीरे-धीरे जागरूकता उत्पन्न हो रही है और योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है, जनजातियों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन व शासकीय योजनाओं के प्रभावों को स्पष्ट करता है, किन्तु विकास की प्रक्रिया आज भी धीमी है। जिसका मुख्य कारण जनजातियों की अशिक्षा, रूढ़िबद्धता और बौद्धिक पिछड़ापन के कारण सामयिक परिवर्तन और आधुनिकता को शीघ्र आत्मसात नहीं करते।

योजना क्रियान्वयन के संबंध में पाया गया है, कि अधिकांश राजनीतिक पदाधिकारी अल्प शिक्षित या अशिक्षित होने के कारण पूर्णतः प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर है इसलिए योजना क्रियान्वयन के संचालन और नियंत्रण में पंचायत के प्रशासनिक पदाधिकारी की प्रभावी भूमिका होती है। व्यवहारिक रूप से योजनाओं की प्रक्रिया जटिल होने के कारण विभागों के विभिन्न स्तरों में स्वीकृति हेतु फाइले औपचारिकताओं में उलझकर रह जाती है, साथ ही अधिकांश जनजातीय लोग अशिक्षा, अज्ञानतावश योजना की प्रक्रिया एवं लाभों से अनभिज्ञ होते हैं, इस कारण कागजी औपचारिकता

पूर्ण करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ विलंब से मिलता है। हितग्राही चयन हेतु सरपंच, पंच, प्रभावशाली व्यक्ति, सचिव आदि के हस्तक्षेप तथा भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार आदि के कारण 31.1% जनजातीय उत्तरदाता, शासन के कार्यों से असंतुष्ट है।

पंचायत की कार्यप्रणाली के संबंध में पाया गया है, कि अलीराजपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा विभिन्न विभागों के साथ मिलकर शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, किन्तु प्रत्येक विभाग की पृथक कार्यप्रणाली होने से विभागीय सहयोग एवं समन्वय का अभाव पाया जाता है और अनेक मामले लंबित रहते हैं। इसी प्रकार प्रशासनिक तथा राजनैतिक पदाधिकारियों के मध्य आपसी सूझबुझ एवं समन्वय का अभाव है। पंचायत प्रतिनिधि अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं तथा प्रशासनिक पदाधिकारी योजनाओं के मापदण्डों का अक्षरतः पालन करना चाहते हैं परिणामस्वरूप दोनों वर्गों में संघर्ष से कार्य निष्पादन में विलम्ब होता है। योजनाओं का अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा समीक्षा/मूल्यांकन/अवलोकन किया जाता है, किन्तु इसमें नियमितता का अभाव है।

यह भी पाया गया है, कि शासन की समस्त योजनाएँ अध्ययन क्षेत्र में एक ही समय पर समान रूप से क्रियान्वित की जा रही हैं, किन्तु जिले में जनजातीय विकास योजनाओं के परिणामों का प्रभाव प्रत्येक जनपद में भिन्न-भिन्न दिखाई देता है। जनपद पंचायतों में राजनैतिक गुटबन्धी के कारण विकास का श्रेय लेने की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। शासन स्तर पर पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, किसी प्रकार का भेदभाव दृष्टिगत नहीं होता है। अध्ययन क्षेत्र में योजना क्रियान्वयन के प्रति कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा तत्परता दिखाई देती है। ग्राम पंचायत स्तर पर भी योजना क्रियान्वयन हेतु सक्रियता से पहल की जा रही है।

जहाँ योजनाएँ एक और कागज पर सफल दिखाई देती हैं, वहीं यथार्थतः में योजना क्रियान्वयन में अनेक संगठनात्मक एवं व्यवहारिक समस्याएँ दृष्टिगत होती हैं। जनजातियों में सर्वाधिक श्रम पलायन, सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता, अंधविश्वास, स्वास्थ्य का निम्न स्तर, कुपोषण, योजनाओं के प्रति अरुचि आदि समस्याओं के कारण योजनाएँ सार्थक नहीं हो पा रही हैं। जिनका शीघ्र निराकरण करना आवश्यक है।

सुझाव :

1. शासन द्वारा जनजातियों की आर्थिक पारिस्थिकी एवं समस्याओं को ध्यान में रखकर नवीन सर्वेक्षण के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित कर दीर्घकालीक योजना बनाई जानी चाहिए तथा पंचायत के माध्यम से क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन एवं कृषि आधारित कुटिर उद्योगों हेतु जनजातियों को प्रोत्साहित किया जाए।
2. प्रत्येक योजना का उद्देश्य अलग-अलग होता है। इसके बावजूद जनजातीय लोग योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं ले पा रहे हैं, अतः योजनाओं में एकरूपता होनी चाहिए।
3. पंचायत के प्रत्येक स्तर पर कुशल प्रशासन हेतु संगठन की संरचना पर बल दिये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु कार्यालय की पारदर्शी बनावट, कार्यदशाओं के अनुकूल तकनीकीकरण, आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है।
4. पंचायत के प्रशासनिक अधिकारियों का लक्ष्य, योजनाओं का भौतिक लक्ष्य प्राप्त करना मात्र ना होकर उनमें पथ-प्रदर्शक एवं सहयोगी के रूप में कार्य और दायित्व निर्वहन की संस्कृति में सुधार की आवश्यकता

- है।
5. जनजातीय क्षेत्रों में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति चार से पाँच वर्षों के लिये की जानी चाहिए तथा इस अवधि में उनसे परिणामोन्मुख कार्य करवाए जाने चाहिये।
 6. पंचायत के प्रत्येक स्तर का युक्तिकरण किए जाने की आवश्यकता है। ताकि कार्यालयीन कार्यों और योजना से संबंधित कार्यों में समन्वय स्थापित होगा। साथ ही अधिकारी-कर्मचारियों में स्पष्ट कार्य-विभाजन, बेहतर नियंत्रण स्थापित होगा और कार्य-बोझ में कमी आएगी।
जनजातीय हेतु योजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं गतिशीलता को बनाए रखने, शोध कार्य, संवाद, चर्चा जारी रखने की आवश्यकता है, तभी जनजातियों को मुख्यधारा में शामिल किया जा सकता है।
- संदर्भ ग्रंथ सूची:-**
1. DISTRICT CENSUS HANDBOOK : ALIRAJPUR, SE- RIES-24, PART XII-A, PAGE 3.
 2. डिस्ट्रिक्ट ग्राउण्ड वॉटर इंफोरमेशन बुकलेट, 2013, जिला सांख्यिकीय पुस्तिका 2014-15
 3. www.alirajpur.nic.in.
 4. जैन प्रकाशचंद्र एवं त्रिवेदी मधुसूदन (1996), आदिवासी विकास योजनाएँ : दशा और दिशा, शिव पब्लिशर्स, उदयपुर पृष्ठ 12।
 5. आगे आये लाभ उठाये : जनसंपर्क म.प्र. शासन भोपाल 2016
 6. कटारिया डॉ. सुरेंद्र एवं माथुर संजय (2007), योजना क्रियान्वयन की व्यवहारिक समस्याएं, ग्रामीण विकास समीक्षा, जनवरी-मार्च 2007, अंक 39.पृ.64
 7. https://tribal.nic.in/hindi/aboutTheMinistryh.aspx
 8. http://tribalportal.mp.nic.in/Public/Downloads/tribal_objectives.pdf
 9. प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से प्राप्त जानकारी।

महिलाओं में बढ़ता हृदय रोग का खतरा एक विश्लेषण

डॉ. आराधना श्रीवास*

शोध सारांश – हृदय की बीमारी अधिक उम्र में होती है, परंतु बदलती जीवन शैली, कामकाजी तनाव और शारीरिक सक्रियता व्यायाम के अभाव से महिलाओं में भी यह समस्या तेजी से बढ़ी है। मौजूदा समय में दिल का दौरा पड़ने की औसत आयु घटी है। 30 वर्ष की महिला भी हृदय रोग से ग्रसित है। शहरी जीवन में खानपान की खराब आदतें, धूम्रपान एवं शराब पीना, शारीरिक श्रम नहीं करना प्रमुख है। मानसिक तनाव से रक्तचाप बढ़ता है, जो हृदय रोग का एक कारण है। उच्च रक्तचाप कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह भी हृदय को बीमार करता है।

वर्तमान में देश की आबादी में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। उनका एक बड़ा समूह रोजगार की खोज में गाँवों से शहर की ओर आया है। आर्थिक विकास के चलते उनके वेतन में काफी वृद्धि हुई है। उसके साथ ही पश्चात् शैली की नकल से पार्टियों में शराब, धूम्रपान, ड्रग्स का सेवन, तैलीय भोजन साधारण हो गये है। फास्ट-फूड और कोल्ड ड्रिंक्स हमारे खानपान का हिस्सा हो गये है। घर में खाने का चलन कम हो गया है। होटलों और स्ट्रीट फास्ट फूड का चलन बढ़ गया है। अधिकतर लोग रात्रि का भोजन बाहर ही करना पसंद करने लगे है। इन सबका असर हृदय पर पड़ता है। हृदय रोग बदलती जीवनशैली से जुड़ी बीमारी है। हृदय रोग दुनिया में सबसे अधिक जानलेवा बन गया है।

प्रस्तावना – हृदय एक ऐसा नाजुक जैविक अंग है, जो दिल में सौ हजार बार धड़कता है, ताकि शरीर के ऊतकों को रक्त से पर्याप्त ऑक्सीजन पहुँचा कर जीवित बनाये रख सके वास्तव में वृद्धावस्था कभी भी कैलेंडर के साथ नहीं आती परन्तु कोई भी व्यक्ति इतना बूढ़ा माना जाता है जितनी उसकी धमनियाँ बूढ़ी होती हैं अर्थात् जब हृदय गुर्दे या मस्तिष्क में विघटनकारी परिवर्तन होते हैं, तब इन अंगों का रक्त परिसंचरण तथा पोषण प्रभावित होने से इनकी रोग ग्रसतता देखी जाती है। जो गंभीरता के अनुसार तीव्र या दीर्घ हो सकती है। सभ्यता के विकास के साथ इन रोगों में वृद्धि देखी गई है।

अपने देश में हृदय रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अब तो बच्चे, नवजात शिशु, एवं युवा भी हृदय रोग की चपेट में आने लगे है। पहले इसे बड़े- बूढ़ों का रोग माना जाता था। इन रोगों से दूर रहने के लिये शरीर और मन का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। महिलायें भी अब तेजी से दिल से जुड़ी बीमारियों की चपेट में आ रही है। मैदा, चीनी, नमक का प्रयोग बढ़ रहा है। महिलाओं के कामकाजी होने से उनमें भी तनाव का स्तर बढ़ गया है। इसी तनाव के चलते मोनोपॉज अब समय से पहले होने लगा है। इसके चलते शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। एस्ट्रोजन महिलाओं में दिल के दौरों के लिये सुरक्षा कवच का काम करता है। पुरुष में दिल के दौरों पड़ने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि इनमें एस्ट्रोजन नहीं है। मोनोपॉज के कारण ओवेरी काम करना बंद कर देता है, जिससे एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है अतः मोनोपॉज के बाद महिलाओं और पुरुषों में दिल का दौरा पड़ने का खतरा समान होता है।

कुछ वर्ष पहले हार्टअटैक से मरने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 10:2 था, यह अनुपात बढ़ कर 10:7 हो गया है वह दिन दूर नहीं कि अनुपात बराबर का हो जाये। इसका एक कारण महिलाओं का अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतना है। वे स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं रहती और बीमारियों की चपेट में आने के बाद भी इलाज को लेकर सक्रिय नहीं

होती। जब चिकित्सकीय सहायता उन तक पहुँचती है तब तक बीमारी घातक स्तर तक आ चुकी होती है।

जनरल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल में हार्ट अटैक से मरने वाली महिलाओं की तादात पुरुषों के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक होती है। इसमें साइलेन्ट हार्ट अटैक जो महिलाओं में अधिक होता है। स्तन कैंसर से अगर 4 में से एक महिला की मौत होती है तो हृदय रोग में शत-प्रतिशत।

डॉ. सारन ने बताया है कि राजधानी में हृदय रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल के मरीजों की संख्या हर 2 साल में दुगुनी हो जाती है। 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में हृदय रोग तेजी से बढ़ रहा है। जिसमें हर 5 में से एक हृदय रोगी होता है। 40 से कम उम्र के 20 फीसदी लोग हृदय रोग से पीड़ित है। करीब 70 फीसदी लोग ऐसे हैं जिनके हृदय रोग की गिरफ्त में जाने का खतरा मंडरा रहा है।

डॉ. त्रिपाठी जी ने बताया है कि दिल के दौरों का संबंध पहले बुढ़ापे से माना जाता था। लेकिन अब अधिकतर लोग उम्र के दूसरे, तीसरे और चौथे दशक के दौरान ही दिल की बीमारियों से पीड़ित हो रहे है। आधुनिक जीवन के बढ़ते तनाव ने दिल की बीमारियों के खतरे पैदा कर दिया है। हालांकि अनुवांशिक और पारिवारिक इतिहास अब भी सबसे और अनियंत्रित जोखिम कारक बना हुआ है। लेकिन युवा पीढ़ी में अधिकतर हृदय रोग का कारण अत्यधिक तनाव और लगातार लंबे समय तक काम करने के साथ-साथ अनियमित पैटर्न है। 20 से 30 साल के आयु वर्ग के लोगों में इसके जोखिम को बढ़ा रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हृदय रोग महिलाओं में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है। हाल ही में हुये एक सर्वे के अनुसार भारत में 5 मे से 3 शहरी महिलायें हृदय की किसी ना किसी समस्या से पीड़ित हैं। 35 से 44 आयु वर्ग की महिलाओं में इसका खतरा तेजी से बढ़ रहा है।

महिलाओं में हृदय रोग के कारण :

1. जीवन शैली और आनुवांशिकता।
2. कामकाजी और नशा करने वाली महिलायें।
3. भोजन में अधिक तेल व मसालों के प्रयोग।
4. 8 से 10 घंटे कंप्यूटर में बैठ कर काम करना।
5. व्यायाम ना करना।
6. नींद की कमी होना।
7. अत्यधिक जंक फूड का सेवन करना।
8. संतुलित और पौष्टिक आहार ना लेना।

हृदय रोग से बचने के लिये भोजन संबंधी निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये :

1. पैकेट बंद खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिये।
2. तंबाकू जनित पदार्थ बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि का सेवन बंद कर देना चाहिये।
3. मखखन, घी, वनस्पति, मलाई, तेल, मीट, तली वाली सब्जी आदि का सेवन कम से कम मात्रा में करना चाहिये।
4. प्रतिदिन दो से तीन चाय के चम्मच तेल का प्रयोग करना चाहिये।
5. नमक का सेवन अल्प मात्रा में करना चाहिये।
6. दिन में तीन बार के भरण भोजन के स्थान पर थोड़ा - थोड़ा पाँच या छ; बार अल्प मात्रा में खाना चाहिये।
7. चीनी, मिठाई, चॉकलेट, कॉफी, मैदा आचार का सेवन अल्प मात्रा में करना चाहिये क्योंकि इससे रक्तचाप प्रभावित होता है।
8. शाम के समय नाश्ते में समोसा, कचौरी, पकौड़ी, हलवा या तली वस्तुओं के स्थान पर फल सब्जी का सूप सेवन करना चाहिये।
9. टोंड दूध का प्रयोग अच्छा है। फुल क्रीम, दूध, हृदय के लिये हानिकारक होता है।
10. अंडे की जर्दी, पनीर, आइसक्रीम आदि में संतृप्त वसा का स्तर अधिक होता है अतः इनका कम मात्रा में सेवन करना चाहिये।
11. प्रतिदिन 30 ग्राम लहसुन खाना चाहिये। यह कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करता है।

जीवन शैली में बदलाव - हृदय रोग से बचने के लिये सबसे बेहतर उपाय है कि जीवन शैली में सुधार लाएँ, हृदय की नियमित जाँच कराएँ। अपनी आहार शैली में सुधार, वजन पर नियंत्रण और सक्रिय जीवन प्रक्रिया पर

हृदय रोग को टाला जा सकता है। जीवन शैली में सुधार के लिये निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिये।

1. मॉल या स्टोर घूमने, सिनेमा देखने या अधिक टी. वी. देखने के बजाय कसरत करें या जिम जायें।
2. साइकिल की सवारी करें। मोटर साइकिल, स्कूटर मोटर कार और रिक्शा की सवारी कम से कम करें।
3. शारीरिक श्रम जो कभी हमारे जीवन की अनिवार्यता थी, अब नदारत है। जिसके परिणाम स्वरूप मोटापा, मधुमेह, और उच्च रक्तचाप देखा जा रहा है।

निष्कर्ष - प्रत्येक वर्ष लगभग 17.3 मिलियन लोग हृदय रोग के कारण मौत का शिकार होते हैं, विश्व में होने वाली कुल 30 प्रतिशत मौतों के पीछे हृदय रोग पाया जाता है। निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों में हृदय रोग की उपस्थिति सर्वाधिक होती है। निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों में हृदय रोग की उपस्थिति सर्वाधिक होती है। जहाँ 80 प्रतिशत से अधिक मौतें इसके कारण होती हैं। महिलायें और पुरुष दोनों समान संख्या में इससे प्रभावित होते हैं। अनुमान है कि निकट भविष्य में हृदय रोग की दरें और बढ़ेगी, वर्ष 2030 तक मुख्यतः हृदय रोग और स्ट्रोक के कारण लगभग 23.6 मिलियन लोग मौत का शिकार बनेंगे। वस्तुतः 21 वीं शताब्दी में विकासशील देशों में हृदय रोग मृत्यु का शीर्ष कारण बन जाएंगे।

17.3 मिलियन मौतों में आधी संख्या महिलाओं की होती है और विश्व भर में महिलाओं में होने वाली कुल एक तिहाई मौतों में हृदय रोग का हाथ होता है। विकासशील देशों में महिलाएँ बहुधा अपने बच्चों की देखरेख करती हैं और घर की प्रमुख जिम्मेदारियाँ निभाती हैं वास्तव में परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य की रक्षक होती हैं इसलिये एक महिला की बीमारी से संपूर्ण परिवार को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आई. सी. एम. आर. पत्रिका 2012
2. अहा जिन्दगी ललितेश्वर एवं शिवाजी सिंह 2014
3. आहार एवं पोषण डॉ. श्रीमती अरुणा पल्टा 2004
4. पत्रिका दिलीप चतुर्वेदी 18 सितम्बर 2018
5. पत्रिका महिलाओं में बढ़ रहे हृदय रोग के मामले शंकर शर्मा 13 सितंबर 2018

समकालीन भारतीय चित्रकला पर प्रगतिशील कलाकारों का प्रभाव (आरा, सूजा, रज़ा और हुसैन के सन्दर्भ में)

अरविन्द कुमार *

प्रस्तावना – निःसन्देह 'प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप' 20वीं शताब्दी का सबसे प्रभावशाली ग्रुप साबित हुआ। देश ही नहीं वरन विदेश में भी इस कलाकार समूह ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। आज अनेक वैश्विक कला दीर्घाओं में हमें अलग से भी 'प्रगतिशील कलाकार समूह कक्ष' अथवा 'आरा', 'सूजा', 'रज़ा' एवं 'हुसैन' कक्ष देखने को मिलते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। भारतीय कला को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित कराने एवं इसे एक महत्वपूर्ण कला मंच प्रदान कराने में उपरोक्त समूह की महती भूमिका रही है। यद्यपि इस ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से आज कोई भी जीवित नहीं है, तथापि 1947 में भारत की स्वतन्त्रता के कुछ ही समय बाद गठित हुए इस कलाकार समूह का प्रभाव 70 सालों बाद, आज भी कायम है।

अगर भारतीय चित्रकला का सिंहावलोकन करें तो हम पाते हैं कि भारत में ईस्ट इण्डिया कंपनी के बढ़ते प्रभुत्व के साथ-साथ पाश्चात्य कला का प्रभुत्व भी बढ़ता गया और जैसे-जैसे भारतीय राजाओं की शक्ति क्षीण होती गयी वैसे-वैसे परंपरागत राजस्थानी, मुगल और पहाड़ी कला शैलियों के प्रति भारतीय कला संरक्षकों का मोह भी भंग होने लगा। परिणामतः भारतीय कला संरक्षक पाश्चात्य कला और कलाकारों को अधिक महत्व देने लगे। जिस कारण भारत में पाश्चात्य कलाकारों की मांग इतनी बढ़ गयी कि इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ ब्रिटिश कला पद्धति पर आधारित अनेक कला विद्यालय तक खोलने पड़ गये ताकि भारतीय कलाकार भी इस कला शैली को आत्मसात् कर लें और भारत में ही ब्रिटिश कला पद्धति के विशेषज्ञ कलाकार उपलब्ध हो सकें। यद्यपि इन कला विद्यालयों में पाश्चात्य कला के विभिन्न कला आंदोलनों की निकृष्ट नकल के अलावा कुछ विशेष नहीं हो रहा था और एक वर्ग ऐसा भी था जो इनकी शिक्षण पद्धति के विरुद्ध था। तथापि इनका विरोध करने का साहस किसी में भी नहीं था। लगभग इसी समय समस्त भारत में देशप्रेम की लहर उठने लगी थी जिसका प्रभाव कला पर भी पड़ा। इसी के वशीभूत होकर अबनींद्रनाथ और उनके शिष्यों द्वारा भारतीय कला के पुनरुत्थान का असफल प्रयास किया गया जो कालान्तर में बंगाल शैली के रूप में सामने आया। किन्तु इस कला शैली में निहित कमियों और अभिव्यक्ति की सीमित संभावनाओं ने शीघ्र ही भारतीय युवा कलाकारों को उकता दिया। इधर जैसे-जैसे भारत में स्वतन्त्रता की मांग बलवती होती गयी वैसे-वैसे कला में स्वतन्त्रता की मांग भी प्रबल होती गयी।

बीसवीं शताब्दी के पांचवे दशक में सर्वप्रथम 'कलकत्ता ग्रुप' के कलाकारों ने कला में 'अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता' की मांग की। इन्होंने बंगाल शैली के विरुद्ध उद्घोष करते हुए, अपने कलाविचारों के प्रति समकालीन

कलाकारों का ध्यान आकृष्ट किया। लगभग ऐसी ही उथल-पुथल बम्बई के कुछ कलाकारों में भी देखने को मिलती है। बम्बई में कलकत्ता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी के साथ उपरोक्त मांग और भी स्पष्ट हो जाती है।

सूजा के विद्यालय से निष्कासन, भारत की आज़ादी एवं आरा के चित्र के वार्षिक प्रदर्शनी में सम्मिलित न किए जाने के कारण कला में अभिव्यक्ति की आज़ादी की यह तथाकथित मांग जोर-शोर से उठती है और सामने आता है 'प्रगतिशील कलाकार ग्रुप'। यह ग्रुप न तो बंगाल शैली के पक्ष में था और न ही ब्रिटिश कला आन्दोलनों की निकृष्ट नकल के। दोनों में ही अनेक क्लिष्ट बाध्यताएं थी, संकीर्णताएं थीं। यह समूह भारतीय आधुनिक कला की एक उन्मुक्त कला भाषा का पक्षधर था जो माध्यम, तकनीक, विषय एवं शैली जैसी बाध्यताओं से पूर्णतः मुक्त हो। कालान्तर में यह विचार बहुत ही क्रान्तिकारी सिद्ध हुआ। ग्रुप के कई कलाकारों : आरा, सूजा, रज़ा एवं हुसैन को मिली कल्पनातीत प्रसिद्धि ने इस ग्रुप के महत्व को और भी बढ़ा दिया। जिस कारण अनेक युवा कलाकार इस समूह के कलाकारों एवं उनके उद्देश्य से आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित हुए।

इस प्रकार भारतीय कलाकारों को वर्षों से आतंकित करती चली आ रही पाश्चात्य कला का तिलिस्म अन्ततः टूट ही गया। भारतीय कला और कलाकारों को अभूतपूर्व धन और सम्मान प्राप्त हुआ तथा भारतीय कला वैश्विक स्तर पर अपनी एक विशेष छाप छोड़ने में सफल रही। पर यह सब इतना आसान नहीं रहा जितना कि देखने में लगता है।



चित्र 1 : अपने स्टूडियो में चित्रकार के. एच. आरा

आज भारतीय कलाकार अगर निर्भय होकर नारी शरीर के प्राकृतिक सौंदर्य को उजागर कर पा रहा है तो इसके पीछे आरा की वर्षों की तपस्या रही है। यद्यपि भारतीय कला में आरंभ से ही निर्वसन नारी-सौंदर्य की

गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति होती रही है। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला के ऐसे हजारों प्रमाण हैं जहां नारी-देह के सौंदर्य को बड़ी शालीनता से उजागर किया गया है। अजंता, एलोरा और एलीफंटा की गुफाओं सहित भारत के विभिन्न प्रान्तों में स्थित मंदिरों में इनके प्रमाण आज भी विद्यमान हैं। ये चित्र और मूर्तियाँ निर्वसन होकर भी अश्लीलता प्रकट नहीं करती बल्कि नारी-देह के सौंदर्य की उपासना करती प्रतीत होती हैं। जिसका एक बड़ा कारण यह भी रहा है कि ये साधारण चित्र या शिल्प न होकर धर्म और आस्था से जुड़े हैं और इनमे से अधिकांश का सम्बन्ध हिन्दू, बौद्ध अथवा जैन धर्म की आराध्य देवियों से रहा है।

उपरोक्त विचार को जन साधारण के संदर्भ में स्थापित करना साधारण कार्य नहीं था। कुलीन स्त्रियों की ऐसी निर्वसन अभिव्यक्ति को देश ही नहीं बल्कि बहुत बार विदेश में भी विरोध का सामना करना पड़ा था। यूरोप में माने के चित्र एवं भारत में राजा रवि वर्मा के चित्र इसके विरोध का दंश पहले ही झेल चुके थे अतः भारत के सांस्कृतिक परिवेश में कुलीन स्त्रियों के नग्न शरीर की सौंदर्याभिव्यक्ति 'आ बैल मुझे मार' जैसी स्थिति पैदा कर सकती थी। फिर भी आरा ने यह जोड़िम उठाया और भारतीय कला को इस संकुचित मानसिकता से मुक्त कराया; जिसके प्रयास में राजा रवि वर्मा को अपना सर्वस्व त्यागना पड़ा तथा सूजा जैसे कलाकार को तो यह देश तक छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि उनकी निर्वसनाओं का दर्शक के सामने पीठ किए होना कहीं न कहीं उनके हृदय में व्यास भय को भी उजागर करता है। खैर, जैसे-जैसे भारतीय कला परिवेश में आधुनिकता का समावेश होता गया शनै-शनै ये वर्जनाये भी टूटती गयी और भारतीय कला विषय, तकनीक और शैली के बंधनों से मुक्त हो अपने आधुनिक स्वरूप को प्राप्त हुई।

इस विषय में सूजा का यह वक्तव्य भी बड़ा महत्वपूर्ण है : **'भारतीय स्वतंत्रता की रजत जयन्ती (1973) पर आयोजित समसामयिक भारतीय कला की प्रदर्शनी से यह बात सामने आई कि 1947 में 'प्रगतिशील कलाकार गुप' द्वारा निर्धारित और पोषित सौंदर्य-बोध अब तक मौजूद है। प्रदर्शनी ने साबित किया कि हुसैन, रज़ा और मेरे जैसे सिद्धहस्त कलाकार अब भी नवीनता के अग्रदूत हैं।'**

सूजा का उपरोक्त कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 70 के दशक में था। सूजा ने अपने लेखों एवं कला के माध्यम से न केवल भारतीय कलाकारों की सोच को परिवर्तित किया बल्कि इंग्लैंड जैसे देश में भारतीयता की एक नयी पहचान स्थापित की। सूजा ने अंग्रेजों के ही देश में जाकर, न केवल अंग्रेजों की कला को चुनौती दी बल्कि अपनी कला का लोहा भी मनवाया। यह कार्य उन्होंने ऐसे समय में किया जब भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद हुए एक दशक भी नहीं गुज़रा था। यह कोई छोटा-मोटा कार्य नहीं था। भारतीय कला में ऐसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं है, और न शायद होगा।

निःसन्देह, उनके इस कार्य का भारतीय कलाकारों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा। वे स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए अधिक प्रेरित हुए। उनमें सच्चाई के साथ स्वयं को अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित हुई और यही कारण है कि सूजा की प्रसिद्धि के साथ ही भारतीय कला में ऐसे कलाकारों का उदय हुआ जो सच्चाई के साथ अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को उजागर करने लगे। उन भावनाओं को भी, जिनके विषय में चर्चा करते हुए हम आज भी सकुचाते हैं।

सेक्स हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। सूजा से पहले शायद ही किसी ने सेक्स को इतनी तल्लीनता के साथ अपने चित्रों में जगह दी हो अथवा इस शब्द का प्रयोग इतनी निडरता से किया हो। लेकिन सूजा के

प्रभाव से 'सेक्स' कला के एक संवेदनात्मक विषय के रूप में उभरकर सामने आया जिसे हर दूसरे भारतीय कलाकार ने अपनी कला में जगह दी। किसी ने प्रत्यक्ष रूप से तो किसी ने परोक्ष रूप से। भूपेन खड्कर जैसे कुछ कलाकारों ने तो चार कदम आगे बढ़कर समलैंगिकता पर भी अपने भावों को अभिव्यक्त किया। पुरुष ही नहीं बल्कि महिला कलाकारों ने भी इस दिशा में आश्चर्यजनक कार्य किए। कुछ महिला चित्रकारों ने तो विनोद भारद्वाज के उपन्यास 'एक सेक्स रोगी का रोगनामचा' में वर्णित तथाकथित फ्रक पेंटिंग तक के प्रयोग कर डाले। जिसमें कलाकार यौन क्रिया में लीन होकर तेजी से चित्रण करता है। पर क्या यह वास्तव में कला होगी? क्या यह कला सृजन के नाम पर, या केवल सुखियों में रहने का केवल एक सरता पब्लिसिटी स्टंट नहीं है? यह निश्चय ही विचारणीय है कि एक साधना की विषय-वस्तु को हम कहाँ ले जा रहे हैं? क्या वास्तव में हम आज इतना पतित हो गए हैं? क्या बाज़ार और धन ही आज सब कुछ हो गया है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह भारतीय कला-संस्कृति पर सोच समझकर किया गया एक कलात्मक प्रहार है।



चित्र 2 : अपने स्टूडियो में चित्रकार एफ. एन. सूजा

सूजा ने भारतीय समकालीन कला को क्रान्तिकारी रूप से प्रभावित किया। जिस नग्नता और अश्लीलता के कारण सूजा को देश छोड़ना पड़ा था, 1955 में सूजा के ब्रिटेन में प्रसिद्ध होते ही उसी नग्नता और अश्लीलता ने धीरे-धीरे भारत में पैर पसारने शुरू कर दिये। भारत के प्रतिकूल माहौल को देखते हुए सूजा की कला से प्रभावित कलाकारों और कला संरक्षकों ने खजुराहो के मंदिरों का हवाला देते हुए यौन क्रियाओं से संबन्धित चित्रकारी का चित्रांकन और महिमामंडन शुरू कर दिया। मध्यकाल, सल्तनतकाल एवं मुगलकाल के व्यसनी शासकों के समय में बने ऐसे अनेक यौन चित्रों को ढूँढ निकाला गया जिससे कि यौन क्रियाओं से संबन्धित इन चित्रों को भारतीय संस्कृति से जोड़ा जा सके। चूंकि सेक्स हर जीव की मौलिक ज़रूरत भी है अतः किसी को भी इस प्रोपेगैंडा से कोई विशेष आपत्ति नहीं हुई। कला संरक्षकों एवं निवेशकों ने आपस में ही ऐसे चित्रों को बड़ी-बड़ी बोलियाँ लगाकर खरीदने और बेचने का कार्य किया। जिसके परिणामस्वरूप इन तथाकथित चित्रों के चित्तेरों को कला बाज़ार के सिंहासन पर स्थापित होने में अधिक समय नहीं लगा और इस तरह जो चित्र कभी सूजा जैसे चित्रकारों के भारत निष्कासन का कारण बने थे वही चित्र कालान्तर में उनके निवेशकों पर धन वर्षा करने लगे।

जिस तरह बॉलीवुड 'राम और श्याम' जैसी फैमिली ड्रामा फिल्मों से 'मईर', 'ब्रैंड मस्ती', 'रागिनी एम.एम.एस' एवं 'हेट-स्टोरी' जैसी अशिष्ट, अभद्र एवं अश्लील फिल्मों तक जा पहुँचा। जैसे संगीत की मधुर तान धीरे-धीरे शोर में तब्दील होती चली गयी और हम 'मन्ना डे', 'मुकेश', 'किशोर कुमार' और 'मोहम्मद रफ़ी' से 'कुनाल गांजावाला' और 'हनी सिंह' तक आ

पहुंचे ठीक उसी तरह हम आधुनिकता की ओट में 'राजा रवि वर्मा' और 'अमृता शेरगिल' से होते हुए सूज़ा से भी आगे निकल आए हैं। लेकिन शायद यह उल्लति नहीं है। यहाँ दौलत तो बहुत है मगर सुकूँ नहीं हैं। न फिल्मों में, न संगीत में, न गीतों में और न ही कला में। यही कारण है कि राजा रवि वर्मा के चित्र हमें आज भी याद हैं। ये चित्र पुराने सदाबहार गीतों की तरह हमें सुकून देते हैं लेकिन आधुनिक कला की तथाकथित अधिकांश समकालीन कलाकृतियाँ मानसिक पटल पर छाप नहीं छोड़ती। ये नोट छापने की मशीन तो बन सकती हैं लेकिन मानसिक सुकून प्रदान नहीं कर सकती। बेहतर है हम वहाँ वापस लौटे, जहाँ कला शान्ति भी प्रदान करती हो।

इन सब विडम्बनाओं के बाद भी भारतीय समकालीन कला पर सूज़ा के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कलाकारों को सच्चाई के साथ चित्र बनाने की प्रेरणा दी। उन्हीं से प्रेरणा पाकर भारतीय कलाकारों ने दमित, व्यक्तिगत एवं निजी वासनाओं को अपनी-अपनी विशिष्ट शैलियों में मूर्त रूप प्रदान किया। आश्चर्य की बात है कि, इस कार्य में पुरुष कलाकार ही नहीं वरन् महिला कलाकार भी अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराती हैं। सम्पूर्ण समकालीन कला में यदि कोई भारतीय कलाकार खुले विचारों के साथ भारतीय कला का प्रतिनिधित्व करता है तो वह हैं 'फ्रांसिस न्यूटन सूज़ा' जिन्होंने महिला कलाकारों को भी न केवल निःसंकोच होकर दृढ़ता के साथ सृजन की प्रेरणा दी बल्कि उन्हें ग्रहण बोध की एक नवीन दृष्टि प्रदान की।

रज़ा उन कलाकारों में से हैं जो अपनी कला के जरिये अंत तक अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने मानव मूल्यों की ओर लौटने की प्रेरणा देते हैं। 'प्रगतिशील कलाकार समूह' की स्थापना के समय समकालीन भारतीय कला की स्थिति विशेष संतोषजनक थी भी नहीं। इस समय एक ओर जहाँ अधिकांश कलाकार आकृतिमूलक कला या पाश्चात्य कला आंदोलनों की तरफ आकर्षित हो रहे थे वहीं रज़ा सर्वप्रथम अपनी कलाकृतियों के माध्यम से आकृतियों की बाध्यता को खत्म करने की घोषणा करते हैं।



चित्र 3 : अपने स्टूडियो में चित्रकार एस. एच. रज़ा

वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनते बल्कि भीड़ से अलग होकर अपने लिए एक अलग पथ का चयन करते हैं। यह हठ उन्हें न केवल अन्य कलाकारों के प्रभाव से मुक्त रखती है बल्कि उन्हें सर्वथा नवाचार की ओर उन्मुख करती है। यही कारण है कि फ्रांस में सफलता के कई दशक बिताने के बाद भी उनकी खोज जारी रहती है।

दूसरों के प्रभाव से मुक्त रहते हुए निरंतर एक खोजी प्रवृत्ति अपनाए रहना रज़ा की कला की सबसे बड़ी विशेषता है। वह अगर दृश्यचित्र भी बनाते हैं तो शनै-शनै सबसे पहले तो उनके दृश्यचित्रों से मानव आकृतियाँ अदृश्य होती हैं और फिर धीरे-धीरे अन्य सादृश्यमूलक आकार। रज़ा एक लंबे समय तक वस्तुनिरपेक्ष कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह अगर

राजस्थान का चित्रांकन करते हैं तो वहाँ आपको राजस्थान के रंगों के अलावा ऐसा एक भी 'सादृश्य' नहीं मिलेगा जिससे आप राजस्थान को पहचान सकें। उनकी यह अभिव्यक्ति रंगों की अभिव्यंजना एवं प्रतीकात्मकता से साम्य रखती है और अपना एक वर्ण-दर्शन उपस्थित करती है। भारतीय समकालीन कला को यही रज़ा की सबसे बड़ी देन है।

अपने कला जीवन के 30 गौरवशाली वर्ष व्यतीत करने के बाद भी जब वह कहते हैं कि वह अपना पहला चित्र बना रहे हैं तो यह आश्चर्य नहीं बल्कि एक संदेश है कि खोजी के हाथ कब क्या लग जाये, कुछ नहीं कहा जा सकता। अतः कलाकार को सदैव इसी प्रवृत्ति के साथ काम करना चाहिए। पिकासो का जीवन पर्यंत एक के बाद एक नई शैली में काम करना उनकी खोजी प्रवृत्ति का ही उदाहरण है, यही उन्हें महान भी बनाता है। भारतीय कला के संदर्भ में रज़ा भी यही करते हैं। उनकी कला की शैली और आयाम भी समय के साथ-साथ बदलते रहते हैं और आकर वहाँ ठहरते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की खुशबू महसूस होती है।

भारतीय जीवन दर्शन, तंत्र साधना एवं प्रकृति-उपासना के समायोजन से वे एक नयी शैली का सूत्रपात करते हैं जिसमें निहित प्रतीकात्मक और अभिव्यंजनात्मक रंग अपना एक गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं। साथ ही अपनी मातृभाषा देवनागरी के शब्द भी उनके चित्रों में स्थान पाने लगते हैं। उनके चित्रों के शीर्षक भी देवनागरी के महत्वपूर्ण शब्दों के रूप में उजागर होते हैं जो सर्वथा अपनी मिट्टी, अपने देश, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा से जुड़े रहने का संदेश देते हैं।

अपने अंतिम वर्षों में भारत आकर अपनी मिट्टी में मिल जाने की उनकी ख्वाहिश और यथाशक्ति अपने संघर्षशील कलाकार वर्ग की सहायता के लिए 'रज़ा फ़ाउंडेशन' की स्थापना अन्य कलाकारों के लिए भी प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। इस तरह रज़ा निरंतर खोजी या साधक प्रवृत्ति के साथ हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़े रहकर स्वच्छंद कला निर्मिति का जो आवाहन करते हैं उसका अनुपालन करने वाले कलाकार आज भारत के कोने-कोने में हैं, जो निरंतर अपनी कलासाधना से रज़ा के दिखाएँ मार्ग पर चल रहे हैं।



चित्र 4 : अपने स्टूडियो में चित्रकार एम. एफ. हुसैन

1947 में आज़ादी के वक्त हिन्दुस्तान की अपनी कोई चित्रभाषा मौजूद नहीं थी। सांस्कृतिक रूप से लगभग नष्ट हो चुका रचनात्मक मानस भ्रमित था। भारतीय कलाकार अपनी कला परम्परा, अपने विश्वासों को खो चुका था। इस टूटे, बिखरे, भ्रमित, सांस्कृतिक मन को दृढ़, निर्भीक और निडर सहारा चाहिए था। यही टूटन, यही बिखराव, सामाजिक जीवन में भी रहा था,

जिसे महात्मा गाँधी की वाणी से संबल मिला था। जिस तरह बिखरा हुआ आत्मविश्वास गाँधी ने अपनी वाणी से हिन्दुस्तान के लोगों में संचारित किया, ठीक वैसे ही उस समय की टूटी हुई, बिखरी हुई सांस्कृतिक चेतना को; जिसे अंग्रेजों ने कुटिल कुशलता से नष्ट किया था, हुसैन संभालते, संवारते हैं। हुसैन चाहते तो इस तथाकथित भारतीय कला को स्वीकार कर सकते थे किन्तु उन्होंने यह न करते हुए अपनी ज़मीन की खोज स्वयं शुरू की। आज़ादी के बाद अब किस तरह के रचनात्मक संसार में भारतीय रहने वाले हैं, उसके चिंतन और उसके सृजन की शुरुआत की।

1947 में जब देश आज़ाद होता है तब हुसैन के साथी युवा कलाकार देश छोड़ विश्व के अलग-अलग हिस्सों, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क चले गये....., कि कला यहाँ है और इसको देखना सीखना चाहिए। अब हम एक स्वतन्त्र राष्ट्र हैं, हमें इसे समझने की आवश्यकता है। स्वतन्त्र राष्ट्र की समकालीन कला की रूपरेखा क्या हो, यह सबकी चिंता, चिंतन का विषय रहा। इन सब लोगों की शिक्षाएं भी उतनी ही शुद्ध थीं जितनी हुसैन की। पर विदेश चले जाने के विपरीत हुसैन ग्रामीण अंचलों में चले जाते हैं। रामलीला के पीछे घूमते हुए, उसको देखते-समझते, उन लोगों से मिलते हुए, लोक संस्कृति के विभिन्न रूपों को जानते हुए। उनका चित्रण करते हुए, उसी का एक अंग बनते हुए, उसको आत्मसात करते हुए, वे हिन्दुस्तान की आन्तरिक यात्राएं करते हुए हिन्दुस्तान के वैविध्य को आत्मसात करते हैं। यह सब उन्होंने उस दौरान किया, जिस समय समकालीन अथवा उसके बाद के चित्रकार हिन्दुस्तान में उपस्थित ब्रितानी कला के स्थान पर फ्रांसीसी या मेक्सिकन कला लाने का प्रयास कर रहे थे। बजाय इसके कि वे अपनी जड़ों में, अपनी परंपरा में, अपनी संस्कृति में कुछ ढूँढते-खंगालते और पाते।

हिन्दुस्तानी कला-संसार में हुसैन अकेले कलाकार नज़र आते हैं जिन्होंने स्वयं को, अपनी संस्कृति के केन्द्र में, बहुत गहराई से अनुभव किया है। इसका प्रतिफलन उनके चित्रों के रूप में हमारे सामने हैं। समकालीन चमकते हुए कला-संसार में हम उसका प्रभाव देखते हैं जिसे विश्वास के बल पर हुसैन प्रतिष्ठित करते हैं। इसमें कोई भी उनकी सहायता करने आगे नहीं आता है।

एक अकेले हुसैन का व्यक्तित्व इस समकालीन कला संसार का सृजन करता है जिसका लाभ उनके बाद की पीढ़ी ही नहीं बल्कि युवतर पीढ़ी तक भी पहुंचता है। आज भी कला महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले युवा मन में पहली छवि हुसैन की ही होती है। वह अपना आत्मबल वहीं से प्राप्त कर इस

दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास करता है। यह आलोक हुसैन अकेले अपने बल पर फैलाते हैं, जिसमें वर्षों बाद आने वाला युवा चित्रकार भी प्रकाशित होता है। अन्ततः 'प्रगतिशील कलाकार समूह' के उपरोक्त चारों कलाकारों के विषय में बस इतना ही कहा जा सकता है कि :

**'कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए,
कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए'**

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. भारद्वाज, विनोद : बृहद आधुनिक कला कोश, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015
2. अखिलेश : मकबूल फ़िदा हुसैन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2017
3. भौमिक, अशोक : समकालीन भारतीय चित्रकला-हुसैन के बहाने, अंतिका प्रकाशन, गाजियाबाद, 2012
4. मागो, प्राण नाथ (हिन्दी अनुवाद-सौमित्र मोहन) : भारत की समकालीन कला- एक परिप्रेक्ष्य, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली, 2012
5. हुसैन, एम. एफ. : एम. एफ. हुसैन की कहानी अपनी जुबानी, एम. एफ. हुसैन फाउंडेशन, मुम्बई, 2002
6. चंद्र, प्रदीप : एम. एफ. हुसैन : कला का कर्मयोगी (एम. एफ. हुसैन : ए पब्लिकेशन ट्रिब्यूट) नियोगी बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, 2019
7. अग्रवाल, डॉ. गिराज किशोर : आधुनिक भारतीय चित्रकला, संजय पब्लिकेशन्स, आगरा, 2015
8. चतुर्वेदी, डॉ. ममता : समकालीन भारतीय कला, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2012
9. Dalmia, Yashodhara, The Making of Modern Indian Art: The Progressives (New Delhi: Oxford University Press, 2001)
10. Pal, Ila, Husain: Portrait of an artist (Noida: Harper Collins Publications India, 2017)
11. Siddiqui, Rashda, In Conversation With Husain Paintings (New Delhi: Books Today, 2001)
12. Sinha, Gayatri, Indian Art: An Overview (New Delhi: Rupa & Co, 2003)

आत्मनिर्भर होती स्त्री

डॉ. पार्वती ब्यागे *

प्रस्तावना - आत्मनिर्भर होती स्त्री से तात्पर्य है महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाकर उनके प्रति होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त कर स्वरोजगार एवं घरेलू स्तर पर गरिमापूर्ण जीवन-यापन करना एवं अपने निर्णय स्वयं ले सके।

डॉ. नासिरा शर्मा के कई स्त्री किरदारों ने भी स्वयं निर्णय लेकर आत्मनिर्भर बनकर समाज के सामने चुनौती बनकर खड़ी है।

प्रायः जब महिलाएं अगुवाई करती हैं तब वह ऐसे मुद्दे उठाती हैं जो पूरे मानव समाज और जीवधारी जगत से जुड़े होते हैं वह रूढ़िवादी, परंपराओंवादी, पाखंडवादी समाज पर सवाल खड़े करके उनका जवाब चाहती हैं। बुनियादी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देती है। जब कोई भी साधन हीन महिला सशक्त हो जाती है तब ऐसा नेतृत्व एवं आदर्श प्रस्तुत करती है जिसमें समाज को बदलने की ताकत होती है।

डॉ. अंबेडकर ने न केवल दलितों बल्कि पूरी नारी जाति के उत्थान के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए, वह महिलाओं को पुरुषों के समान ही सभी अधिकारों में पक्षधर थे, जो सदियों से भारतीय नारी घोषित एवं पीड़ित है। जिन्हे वास्तविक मूल अधिकारों से वंचित कर दिया गया है उन्होंने **हिंदू कोड बिल 1951** द्वारा पूर्ण अधिकारों के साथ भारतीय संविधान में नारी को सम्मानजनक स्थान दिला कर नारी गरिमा और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया है। आज की महिला यदि सम्मानजनक जीवन जी रही है पूर्ण अधिकारों के साथ तो उन अधिकारों को दिलाने में डॉ. अंबेडकर के अथक प्रयासों को भुलाया नहीं जा सकता है। डॉ. अंबेडकर के अनुसार मनुष्य समाज का एक अंग है और समाज स्त्री-पुरुष दोनों आधारों पर टिका है दोनों का अपना-अपना महत्व है, वजूद है।

मध्यकाल में लगभग सभी धर्म ग्रंथों में महिलाओं के लिए अनेक नियम और प्रतिबंध लगाए थे जिनका पालन करना महिलाओं के लिए अनिवार्य माना जाता था एवं पुरुष वर्ग को खुली छूट थी। लेकिन जब से संविधान प्रदत्ता अधिकार दिए गए हैं तब से (कुछ महिलाओं को छोड़कर) सही जीवन जीने के बजाय इन अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं।

जी.एस.मिल ने अपनी किताब सब्जेक्शन और वुमन में लिखा है जब तक महिलाओं को पुरुषों के समान पूर्ण स्वतंत्रता और समानता नहीं दी जाती है तब तक शक्ति हमेशा पुरुषों के हाथों में रहेगी और स्त्री उसके अधीन बनी रहने के लिए बाध्य रहेगी।

आयरिस लेखिका मिसेज साराब्रैंड ने अपने लेख 'स्त्री प्रश्न के नए आयाम' में नारीवादी साहित्य के संदर्भ में नई स्त्री कहा है। बाद में अमेरिकन लेखिका हेनरी जेम्स ने कहा कि नारियों की नई भूमिका में वह स्वतंत्र रूप से नौकरी, व्यवसाय, व्यायाम और महिलाओं के लिए असंभव समझे जाने

वाले सभी क्षेत्रों में कार्य संपादित करेगी।

आर्थिक आधार पर समाज में आज भी समाज में स्त्री-पुरुष के बीच असमानता है पुरुष वर्ग की अहंकार एवं मनुवादी सोच होने के कारण वह महिला के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण एवं नियंत्रण स्वयं से करने का प्रयास करते रहते हैं।

आत्मनिर्भर होती स्त्री की यह परिवर्तन की राह इतनी आसान नहीं है जितनी कि काम करती महिला को देखकर लगता है क्योंकि आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले अपने ही घर से संघर्ष और फिर ऑफिस में महिला वॉस से संघर्ष करना पड़ता है। जब भी कोई कामकाजी महिला स्वयं को स्वतंत्र करे, खुद को आलोचित सी पाती है। जब भी स्वाभिमान से जीती है, तो दूसरों को बहुत खटकने लगता है।

स्त्री भी एक कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध की भांति है, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, भावनात्मक। धरती से आसमां तक, नदियां से समुद्र तक, साहित्य से विज्ञान तक, रचना से सौंदर्य तक, 'स्त्री को प्रश्न बनाया है' तो इस प्रश्न का उत्तर दूँदेगा कौन? स्त्री प्रकृति की सुंदर सहनशील रचना है तो क्रूर भी है।

21 वीं सदी के पायदान पर खड़ी स्त्री का आस्तित्व आज भी पिता, पति, प्रेमी, पुत्र पर ही निर्भर है जो स्त्री अविवाहित/तलाकशुदा है वह आत्मनिर्भर स्त्री का आस्तित्व क्या है। आर्थिक रूप से सक्षम होते हुए भी उसकी अपनी पहचान नहीं है अभी भी पुरुष रूपी पहचान पर निर्भर है और यदि कोई महिला अपनी गरिमायुयी पहचान बनाने की कोशिश करती है तो घर से लेकर बाहर हर जगह गिद्ध दृष्टि जमाए नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। लोग उसे हीन दृष्टि से देखते हैं लेकिन हवस की पूर्ति के लिए वही महिला मानक है यह दोहरा मापदंड क्यों? वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में भी लोगों की सोच कहां विकसित एवं विशाल हुई है। सोचनीय है ?

तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की।

समता ही संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की।।

-जयशंकर प्रसाद

नारी स्वतंत्रता के अर्थ - नैतिक मर्यादाएं तोड़कर चलने या सामाजिक ताने-बाने को धता बताकर स्वच्छंद व्यवहार करने में निहित नहीं है। मर्यादा में रहने की बात पुरुषों पर भी लागू होती है। नासिरा जी के उपन्यास ठीकरे की मंगनी एवं घाल्मली, माहरुख और घाल्मली के बहाने उस दौर की मानसिकता का दर्पण है जो आज का सच है। यह दोनों किरदार आपसी संबंध बराबरी का रखने की चाहत रखती है जहां उनको एक इंसान, एक व्यक्ति समझा जाए। सत्ता के सारे सूत्र अर्थतंत्र में हुआ करते हैं और जैसे ही महिलाओं ने कमाना शुरु किया, निर्णय की हैसियत महिला ने खुद ब खुद

हासिल कर ली और यहीं से समाज के सारे समीकरण बदलने लगे। महिलाओं को अनुमति के पंख तो दे दिए हैं लेकिन सहयोग रूपी उड़ान नहीं दिया है क्योंकि आज भी महिलाएं सिर्फ पुरुषों द्वारा तय किए गए मापदण्ड पर ही स्वतंत्र हैं। आत्मनिर्भर होते हुए भी उनके सारे निर्णय पुरुष ही करते हैं परिवार और समाज के डर के दबाव के कारण। आखिर वह दिन भी जल्द आयेगा जब सारे फैसले उसके अपने होंगे। क्योंकि आत्मनिर्भर होती स्त्री का डर

खत्म होता जा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रोजगार और निर्माण 05/01/2021
2. ठीकरे की मंगनी
3. शाल्मली
4. स्त्री उपेक्षिता

कोविड- 19 संकट एवं हमारी शिक्षा व्यवस्था

डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध*

प्रस्तावना - कोविड- 19 की चुनौतियां एवं वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया का परिवर्तित स्वरूप एक विवेचना भारत में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व अभूतपूर्व कठिनाई का सामना कर रहा है। लॉकडाउन के कारण सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बन्द करना पड़ा जिससे शिक्षण प्रक्रिया बाधित हुई है और ज्ञान के निर्बाध प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं विद्यालयों में वैकल्पिक शैक्षणिक व्यवस्था ऑनलाइन पद्धति को अपनाकर और विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन के साथ-साथ ओपन बुक पद्धति के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित करवाई गईं। इस दौरान शिक्षा व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के बदलाव किए गए हैं जिससे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को अध्ययन एवं अध्यापन कार्य से लगातार जोड़ा जा सके इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव देखने में आए हैं लेकिन विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य में निरन्तरता बनाई जा रही है एवं उनके पाठ्यक्रम को कैसे पूरा कराया जाए और उसमें किस प्रकार के बदलाव किए जाए इस संबंध में भी रणनीतियां बनाई जा रही हैं इसमें राज्य सरकार से लेकर केन्द्र सरकार सतत प्रयासरत हैं और इसके परिणाम भी आशानुरूप हैं। हम नई व्यवस्था सफल होने का सतत प्रयास कर रहे हैं जो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिल रहा है।

अध्ययन के उद्देश्य :

- वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का सामना विद्यार्थियों एवं शिक्षकों दोनों को करना पड़ रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों के साथ जुड़ना और उन्हें पढ़ाना एक नया कार्य है और इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी जैसी समस्याएं सामान्य बात हैं। जब कभी इन्टरनेट की स्पीड धीमी हो जाती है, ऐसी स्थिति में आडियो एवं वीडियो स्पष्ट नहीं होता है उस समय विद्यार्थियों को पढ़ाना शिक्षक के लिए असम्भव हो जाता है, ऐसी स्थितियां ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर उत्पन्न होती हैं।
- हमारे देश में अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और वह आर्थिक रूप से इतनी सम्पन्न नहीं है, कि वह अपने बच्चों को वे सभी सुविधाएं उपलब्ध करा सके जिससे विद्यार्थी ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सके और हम तकनीकी रूप से उतने सम्पन्न भी नहीं हैं जितना कि विकसित देश है ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा एक चुनौती बन जाती है लेकिन फिर भी बच्चों के अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि सराहनीय हैं।
- यह व्यवस्था शिक्षकों के लिए भी चुनौती है क्योंकि शिक्षक एवं विद्यार्थियों का आमना-सामना न होने के कारण सही वार्तालाप की भी

समस्या उत्पन्न हो रही है संसाधनों की कमी के कारण प्रायोगिक एवं गणितीय विषयों को समझाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और प्रत्येक विद्यार्थी पर शिक्षक को नजर रखना सम्भव नहीं है और विद्यार्थियों के हाऊ-भाव का भी पता नहीं चलता है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है तथा वह क्लास लेने के लिए कितने उत्सुक है यह समझ पाना शिक्षक के लिए असम्भव है। ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों से आफलाइन की तरह नहीं जुड़ पा रहे हैं।

उपकल्पना :

- कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है।
 - ऑनलाइन शिक्षा सभी विद्यार्थियों की पहुँच में है।
- वर्तमान शिक्षा व्यवस्था-लॉकडाउन के दौरान शिक्षण संस्थाओं के बन्द होने के कारण वैकल्पिक शैक्षणिक व्यवस्था को अपनाना पड़ा जिससे ऑनलाइन एवं तकनीकी माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदाय की जा रही है। जैसे डिजिटल लर्निंग, ई-लर्निंग, वेबवेस्ट लर्निंग, वर्चुअल स्पेस लर्निंग, रिमोट लर्निंग दूरस्थ शिक्षा या गृह शिक्षा इत्यादि नामों से जाना जाता है, अकादमिक विमर्श के साथ-साथ प्रशासनिक और अकादमिक निर्णय लेने हेतु ऑनलाइन बैठके आयोजित हो रही हैं इस तरह कोरोना ने हमें परम्परागत रियल-वर्ल्ड प्लेटफार्म के स्थान पर वर्चुअल प्लेटफार्म से कार्य करने को विवश कर दिया है और बड़ी संख्या में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने कई समस्याओं के बावजूद ऑनलाइन शिक्षा को अपनाने में उत्साह दिखाया है परिचर्चा, गृहकार्य, डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने और कुछ सीमा तक मूल्यांकन आदि प्रकारों से वे ऑनलाइन शिक्षा को स्वीकारने के लिए अभिनन्दन के पात्र हैं डिजिटल शिक्षा के लिए डिजिटल अधोसंरचना व सहायक सेवाएं जैसे संस्थानवार अधिगम प्रबंध प्रणाली और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन शिक्षण हेतु प्रशिक्षण इत्यादि के अलावा शिक्षक विद्यार्थी एवं अभिभावकों की मनोस्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षा अपने मूल में समाजीकरण की एक प्रक्रिया है और जब-जब शिक्षा के स्वरूप में बदलाव आए हैं सामाजिक स्वरूप में भी परिवर्तन की बात कही गई है अब कोरोना संकट के काल में ऑनलाइन शिक्षा के स्वरूप में बदलाव का प्रस्ताव नीति निर्धारकों द्वारा पुरजोर तरीके से रखा जा रहा है। इससे इनकी नियत एवं नीति को समझा जा सकता है कोरोना संकट के दौरान दूरी बनाए रखना एवं शिक्षा प्रदान करना तकनीकी के प्रयोग से ही सम्भव है और तकनीकी के विकास के साथ-साथ शिक्षा में भी इसका प्रयोग हो यह आवश्यक है ब्लैकबोर्ड की जगह स्मार्टबोर्ड का प्रयोग क्लासरूम टीचिंग का विकल्प होने के साथ-साथ रूचिकर भी बनता जा रहा है लाइब्रेरी का डिजिटल होना उसी प्रक्रिया का एक स्वरूप है साथ ही व्याख्यान को रिकार्ड करना ओर

उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराना भी तकनीकी का उपयोग करना ही है ऐसे में विद्यार्थियों के साथ अध्यापन का कार्य बनाए रखना एवं लगातार शिक्षा से जोड़कर रखने की जरूरत है ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा पद्धति कारगर सिद्ध हुई। लेकिन इसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकल्प बताना भारत के भविष्य के लिए अन्यायपूर्ण है क्योंकि इस शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी के हुनर को परख पाना सम्भव नहीं है। हम उन विद्यार्थियों की दास्तान की बात करें विशेषरूप से लड़कियाँ जिनके घरों में एकांतता तो नहीं है एवं प्राथमिक जिम्मेदारी पढ़ाई है घंटों ऑनलाइन मोबाईल के साथ अकेले बैठकर पढ़ने की स्थिति कितने घरों में है और उन दूरदराज इलाकों में इस ऑनलाइन को कैसे देखेंगे जहाँ अभी बिजली एवं सड़क भी नहीं है और जिन घरों में यह सुविधा है वहाँ क्लॉसरूम की एकाग्रता का माहौल है क्या, यदि नहीं बन सकता है तो ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान संकट की घड़ी में जरूरी तो हो सकती है लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकती है। कुछ विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से इतने सम्पन्न नहीं हैं कि वह स्मार्टफोन, कम्प्यूटर एवं डाटा को क्रय करने में सक्षम हो ऐसे विद्यार्थियों का ऑनलाइन शिक्षा से बंचित रहना स्वभाविक है।

शोध प्रविधि—प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक समंको पर आधारित है एवं अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान पत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकें, समाचार पत्र, इन्टरनेट वेबसाइट आदि के माध्यम से समंकों का संकलन किया गया है।

निष्कर्ष— लॉकडाउन के दौरान सभी गतिविधियों को शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए बन्द करना पड़ा एवं इसी प्रकार से सभी शैक्षणिक संस्थानों

को भी बन्द कर दिया गया, इसके उपरान्त यह चिंता उत्पन्न हुई कि विद्यार्थियों को अध्ययन एवं अध्यापन कार्य से कैसे जोड़ा जाए ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान तकनीकी युग में विकल्प के रूप में वरदान साबित हुई इसके अन्तर्गत डिजिटल लर्निंग, ईलर्निंग, वेबवेरिड लर्निंग, वर्चुअल स्पेस लर्निंग, रिमोट लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा, गृह शिक्षा एवं अन्य तकनीकी माध्यमों से विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य से जोड़ा गया, यह व्यवस्था विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए नई थी एवं उन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं था लेकिन धीरे-धीरे दोनों ने अपने को इस व्यवस्था के अनुरूप ढाला एवं विद्यार्थियों में ऑनलाइन शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हुई अतः अध्ययन की प्रथम उपकल्पना स्वयं सिद्ध होती है दूसरी तरफ यदि हम ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर इन्टरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता नहीं है एवं कुछ विद्यार्थी जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जो ऑनलाइन शिक्षा से सम्बन्धित सामग्री को जुटा पाने में सक्षम हो ऐसे विद्यार्थी इस शिक्षा की पहुँच से बाहर हैं अतः अध्ययन की द्वितीय उपकल्पना निश्चय साबित होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. भारतीय सांख्यिकी-अग्रवाल एवं पोरवाल (2005) इन्डस बेलेय पब्लिकेशन।
2. शोध प्रणाली-डॉ. विजय जरारे (2005) ए.बी.डी.पब्लिशर्स जयपुर।
3. दैनिक भास्कर समाचार पत्र।
4. अमर उजाला समाचार पत्र।
5. द हिन्दू न्यूज पेपर।

वाल्मीकीय सुन्दरकाण्ड का कालिदास के साहित्य पर प्रभाव

डॉ. उमाशंकर*

प्रस्तावना - संस्कृत वाङ्मय में जितने भी काव्य शास्त्रीय तत्व है देखा जाये तो वे सब वाल्मीकि की ही देन हैं। वा.रा. सुन्दरकाण्ड का मुख्य अवदान संस्कृत साहित्य के लिये दूतकाव्य है। वाल्मीकि ने सुन्दरकाण्ड में अमूर्त पदार्थों में मूर्त की परिकल्पना की है, उसी का अनुसरण परवर्ती कवि करते आये हैं। वाल्मीकि की उपमान परिकल्पना ही परवर्ती कवियों के लिए उपमान कोष बन गया। रावण की कामुकता परवर्ती कवियों के लिये शृंगारिक वर्णन का आधार बन गई। लंका का वर्णन राजधानी वर्णन का अवलम्बन बन गया। आदिकवि को सुन्दरकाण्ड में विरहाकुल सीता व राम का अतिशय वर्णन परवर्ती कवियों के लिये वियुक्त नायक नायिका चित्रांकन में पथ-प्रदर्शक बना हुआ है। साहित्य शास्त्र में संगीत विद्या का जो वर्णन प्राप्त होता है, वह वाल्मीकि रामायण सुन्दरकाण्ड की ही देन है। नूपुरों की झंकार, पक्षियों की चहचहाहट, मेघ की गर्जना, सिंहनाद घोड़ों की टाप इत्यादि सब वा.रा. सुन्दरकाण्ड की ही देन हैं। जिनका अनुकरण परवर्ती कवि आज तक करते आये हैं। शकुन पद्धति साहित्य शास्त्र के लिये वाल्मीकि रामायण सुन्दरकाण्ड की ही देन है। जिसमें शकुन का चित्रण आज तक कवि करते आ रहे हैं। राम व सीता के सौन्दर्य को आधार बनाकर साहित्य शास्त्र में नायक नायिका के सौन्दर्य को वर्णित किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सुन्दरकाण्ड साहित्य विधा का बीज हो। वा.रा.सुन्दरकाण्ड का प्रभाव अनेक काव्य शास्त्रों में देखा जा सकता है। परवर्ती कवियों में महाकवि कालिदास ने वाल्मीकि को ही अपना आदर्श माना है। आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण सुन्दरकाण्ड में अभिज्ञान शब्द पहचान के साधन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हनुमान् ने सीता से कहा था देवि यदि मेरे साथ आपको चलने की इच्छा नहीं है तो कृपया आप कोई अपनी पहचान ही दे दीजिए, जिससे राम यह जान ले कि मैंने आपके दर्शन किये हैं।

अभिज्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद् राघवो यतः।¹

इसके उत्तर में सीता कहती है।

इदं श्रेष्ठमभिज्ञानं ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियम्।²

सम्भवतः कालिदास ने वही से अभिज्ञान पद लेकर के अभिज्ञान शाकुन्तलम् नाटक की रचना की।

वाल्मीकि का सागर स्वयं का परिचय कुछ इस प्रकार देता है-

अहमिदं कुनाथेन सगरेण विवर्धितः।³

कालिदास के राम सीता को सागर का परिचय इस प्रकार देते हैं।

गुरोरियक्षोः कपिलेन मेध्ये रसातलं सक्रमिते तुरङ्गे।

तदर्थमुर्वीमवदारयद्विभः पूर्वेः किलायं परिवर्धितो नः।⁴

वाल्मीकि की सीता अलंकारहीन भी कीचड से घिरी हुई कमलनाल की भांति सुशोभित हो रही है।

सा मलेन च दिग्धाङ्गी वपुषा चाप्यलंकृता।

मृणाली पङ्कदिग्धेव विभाति च न भाति च।⁵

कालिदास की शकुंतला शैवाल से घिरे हुये कमल की भांति वल्कल वस्त्र से सुशोभित हो रही है।

सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति।

इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्।⁶

शुभ सन्देश के सांकेतिक रूप में वाल्मीकि की सीता की बाँधी भुजा फडकती है।

भुजश्चचार्वञ्चितवृत्तपीनः परार्घ्यकालागुरुचन्दनार्हः।

अनुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण चिरेण वामः समवेपतासु।⁷

तो कालिदास के दुष्यन्त की शुभकार्य सांकेतिक रूप में दाहिनी भुजा फडकती है।

शान्तमिदमाश्रपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्या।

अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र।⁸

कालिदास कृत अयोध्या का वर्णन का स्रोत वाल्मीकि रामायण सुन्दरकाण्ड का लंका वर्णन ही है। कालिदास के मूर्त पात्र का अमूर्त से संवाद पर वाल्मीकि के हनुमान् और मैनाक के संवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। वाल्मीकि का मैनाक स्वयं पर विश्राम करके हनुमान् को जाने का कहता है।

तिष्ठ त्वं हरिशार्दूल मयि विश्रम्य गम्यताम्।

तदिदं गन्धवत् स्वादुकन्दमूलफलं बहुम्।⁹

तो कालिदास का यक्ष मेघ को विश्राम करने का कहता है।

अध्वक्लान्तं प्रतिमुखगतं सानुमानाम्रकूट

स्तुङ्गेन त्वां जलद! शिरसा वक्ष्यति श्लाघमानः।¹⁰

वाल्मीकि के दूत का मार्ग आकाश है।

ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः।

इयेष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि।¹¹

तो कालिदास के दूत का मार्ग भी आकाश ही है।

त्वामारूढं पवनपदवीम्।¹²

वाल्मीकि के हनुमान् को विद्याधारियाँ अपने पतियों के साथ आकाश में खड़े होकर आश्चर्य भाव से देखती हैं।

हारनूपुरकेयूरपारिहार्यधराः स्त्रियः।

विस्मिताः स्मितास्तस्थुराकाशे रमणैः सह।¹³

कालिदास की पथिकवनिता मेघ को नीचे खड़े होकर आश्चर्य भाव से देखती

है।
 प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रतदाश्वसन्त्यः।¹⁴
 कालिदास नदी के जल को उसका वस्त्र बताता है।
 तस्याः किञ्चित्करधृतमिव प्राप्तवानीरशाखं
 हत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधोनितम्बम्।¹⁵
 तो वाल्मीकि समुद्र के जल को उसका वस्त्र बताता है।
 तिमिनक्रझषा कूर्मा दृश्यन्ते विवृतस्तदा।
 वस्त्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणाम्।¹⁶
 वाल्मीकि की वियोगाकुल सीता यदि -
 मलिनेन तु वस्त्रेण परिविलष्टेन भामिनीम्।¹⁷
 मृगकन्यामिवतत्रस्तां।¹⁸
 हिमहतनलिनीव नष्टशोभा सहचर रहितेव चक्रवाकी।¹⁹
 एकया दीर्घया वेण्या।²⁰
 है तो कालिदास की विहरिणी यक्षिणी भी
 उत्सङ्ग वा मलिनवसने सौम्य।²¹
 चकितहरिणीप्रेक्षणा।²²
 शिशिरमथितां पद्मिनीवाऽन्यरूपाम् दूरीभेते मयि सहचरे
 चक्रवाकीमिवैकाम्।²³
 एकवेणीं करेण।²⁴
 वस्तुतः परवर्ती कवियों पर वा.रा.सु. काण्ड का काव्यात्मक प्रभाव देखा जा
 सकता है।
 इस प्रकार हनुमान् का दिव्य चरित परवर्ती काल में उपबृंहित हो सका है वे
 सब वाल्मीकि के ऋणी रहे हैं।
संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. वाल्मीकीय रामायण सुन्दरकाण्ड 38-10
2. वा.रा.सु. 38-12
3. वा.रा.सु. 1-89
4. रघुवंश 13-3
5. वा.रा.सु. 17-25
6. अभिज्ञान शाकुन्तल 1-26
7. वा.रा.सु. 29-3
8. अभिज्ञान शाकुन्तल 1-16
9. वा.रा.सु. 1-116
10. मेघदूत 11
11. वा.रा.सु. 1-1
12. मेघदूत 8
13. वा.रा.सु. 1-26
14. मेघदूत 8
15. मेघदूत 43
16. वा.रा.सु. 1-74
17. वा.रा.सु. 17-26
18. वा.रा.सु. 17-20
19. वा.रा.सु. 16-30
20. वा.रा.सु. 19-119
21. मेघदूत 26
22. मेघदूत 22
23. मेघदूत 23
24. मेघदूत 28 ख

डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक चिंतन

डॉ. कुमुद श्रीवास्तव *

प्रस्तावना - डॉ. अम्बेडकर के चिन्तन की केन्द्रीय विषय वस्तु तो समाज व्यवस्था है तथापि सामाजिकेतर व्यवस्थाओं के अध्ययन उनके अध्ययन के महत्वपूर्ण अंग हैं क्योंकि सानुकूल समाजिकेतर व्यवस्थाओं के अभाव में जैसी समाज में व्यवस्था वे चाहते थे उसे साकार रूप दिया जाना सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। डॉ० अम्बेडकर इस तथ्य से भली-भाँति परिचित थे। इसलिए उनके चिन्तन में एक अटूट सातत्य, सम्बन्ध तथा सानुकूलता एवं सापेक्षता परिलक्षित होती है। उनके सामाजिक एवं सामाजिकेतर चिन्तन को हम पृथक नहीं वरन् एक सम्पूर्णता से ठीक से समझ सकते हैं।

डॉ० अम्बेडकर का आर्थिक चिन्तन जीवन के यथार्थ अनुभव से उद्भूत है। यह कल्पना अथवा धार्मिक या ईश्वरीय विश्वास पर आधारित नहीं है। उन्होंने परम्परात्मक सामाजिक-आर्थिक जीवन के यथार्थ तत्वों तथा स्मृतियों व धर्म शास्त्रों में प्रणीत हिन्दू धर्म के वर्ण-गत, जाति-गत, आर्थिक आचार की सामाजिक न्याय, मानव अधिकार तथा व्यक्ति एवं समाज के सन्तुलित विकास की दृष्टियों से तार्किक परीक्षा की ओर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वर्ण, जाति एवं जजमानी द्वारा संचालित हिन्दू समाज का परम्परागत सामाजिक-आर्थिक ढाँचा अवैज्ञानिक एवं अन्यायपूर्ण है। परिणामस्वरूप यदि हम व्यक्ति एवं समाज का सन्तुलित विकास चाहते हैं, यदि हम विकास में सबकी भागीदारी चाहते हैं और यदि हम प्रगति की दौड़ में दुनिया के दूसरे देशों के साथ चलना चाहते हैं, तो इनका उच्छेद जरूरी है। डॉ० अम्बेडकर का चिन्तन यथार्थवादी तो है पर उद्देश्यपूर्ण भी है। डॉ० अम्बेडकर आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्गों विशेषरूप से अनुसूचित जातियों, जो अस्पृश्यता सहित अनेक सामाजिक-आर्थिक निर्योग्यताओं से ग्रस्त थी, के मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा शैक्षिक व आर्थिक विकास के लिये विशेष प्रावधान किये जाने के हिमायती थी। अम्बेडकर के आर्थिक चिंतन को जानने के लिए इसके विभिन्न विभिन्न बिंदुओं का स्पष्ट करना होगा। जिन्हें यहां क्रमशः प्रकट करेंगे।

1. परम्परागत आर्थिक ढाँचे की समीक्षा
2. स्वतंत्रोत्तर आर्थिक संरचना अम्बेडकरिय संदृष्टि
3. संवैधानिक आर्थिक संरूप

डॉ० अम्बेडकर का कहना है कि हिन्दू समाज के आर्थिक ढाँचे की रचना वर्ण, जाति एवं जजमानी से संबंधित नियमों पर आधारित है। इन नियमों के तहत व्यक्ति को अपनी योग्यता व रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती और न ही वह अपना व्यवसाय बदल सकता है। व्यक्ति का व्यवसाय उसके जन्म अर्थात् माँ के गर्भ में आने के साथ निश्चित हो जाता है। व्यक्ति वही व्यवसाय अपना सकता है जो उसके पिता

का अर्थात् उसकी जाति का होता है। जाति न केवल व्यक्ति के पेशे का निर्धारण करती है बल्कि उसे जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। जाति-व्यवस्था जनित आर्थिक भेद अन्यायपूर्ण है क्योंकि जातियों के बीच पेशे के विभाजन में भेदभाव व पक्षपात बरता गया है। उच्च जातियों के पास प्रतिष्ठित व लाभकारी व्यवसाय है जबकि नीच जातियों को हीन व अलाभकारी व्यवसाय मिले हैं। वर्ण एवं जाति के आधार पर समाज में एक ओर तो ऐसे वर्ग हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्षतः कोई भाग नहीं लेते और न किसी प्रकार का शारीरिक श्रम करते हैं। वे तो जैसा कि नागर का कहना है कि केवल वस्तुओं और सम्पत्ति का अवैध लेन-देन का अजगर की भाँति अपने अड्डों पर बैठे-बैठे दूसरों की पसीने की बूँदों से अपने वैभव का घड़ा भरते हैं। दूसरी तरफ सवर्णों की सेवा करने वाला वर्ग अधिक से अधिक श्रम तो करता है पर उसके नसीब में कम से कम इतना पारिश्रमिक भी नहीं मिलता कि वह सम्मानपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सके। दलित वर्ग को न केवल उच्च वर्गों के व्यवसायों से दूर रखा गया बल्कि उनकी सेवाओं और उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं (जैसे डलिया, चटाई, झाड़ू इत्यादि) के मूल्य भी बाजार में दलित ही रहे हैं। ये मूल्य इतने नहीं बढ़े जितने कि सवर्ण वर्गों द्वारा बनाई गई वस्तुओं या उनके द्वारा की गई सेवाओं के बढ़े।

जाति-व्यवस्था उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के स्थायी शोषण का विधान है। इसमें शूद्रों व अन्त्यजों को शिक्षा, शस्त्र, संपत्ति और सत्ता के अधिकार से वंचित करते हुए उच्च जातियों की सेवा में लगाए जाने का विधान बनाया गया। उच्च वर्गों की सेवा के प्रतिफल में शूद्र व अन्त्यजों को जन्म जन्मान्तर की दासता ही मिली है। जाति, वर्ण एवं जजमानी व्यवस्थाओं ने हिन्दू समाज में श्रम विभाजन के जिन नियमों का प्रतिपादन किया डॉ० अम्बेडकर ने उन्हें अस्वाभाविक और दोषपूर्ण निरूपित किया है। उनका कहना है कि श्रम विभाजन सभी समाजों में देखने को मिलता है किन्तु अन्य समाजों में श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप से होता है। यह लिखित रूप से स्थायी और कठोर नहीं होता। वर्ण एवं जाति व्यवस्थाओं में श्रम विभाजन को धर्म शास्त्रों में सम्मिलित कर लिखित, स्थायी व कठोर बना दिया गया है। जाति-गत श्रम विभाजन श्रमिकों का न केवल अपारगम्य वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन करता है अपितु उन्हें एक दूसरे की तुलना में उँचा-नीचा भी करार देता है। यह श्रम विभाजन अस्वाभाविक इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति की रुचि, कुशलता एवं समता पर आधारित नहीं है। डॉ० अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चतुर्वर्ण श्रम विभाग नहीं है। यदि ऐसा होता तो इसमें श्रमिकों को स्वेच्छा से अपना पेशा चुनने का अधिकार होता। जो जैसा व्यवसाय चुनता उसके अनुरूप समाज में उसे मान्यता मिलती किन्तु ऐसा नहीं है। विद्वान बनिया, बनिया ही रहता है। वह ज्ञान प्रधान

ब्राह्मण नहीं बन सकता। ब्राह्मण यदि कृषि करता है तो वह वैश्य नहीं ब्राह्मण ही रहता है। इसलिए चतुर्वर्ण श्रम विभाग नहीं है। यह श्रमिकों का विभाजन है जो जन्मजात रूढ़ है। जो जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति की देह में चिपका ही नहीं वरन् देह में समाया रहता है और धर्म बन जाता है।

मजदूर और संविधान विषय पर बोलते हुए डॉ० आम्बेडकर ने कहा था कि आज हमारे सामने आर्थिक ढाँचे के तीन विकल्प हैं पूँजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद, जिनमें से हमें किसी एक का चुनाव करना है। पूँजीवाद आर्थिक विषमता उत्पन्न करता है और स्वतंत्रता के नाम पर इसमें आर्थिक शक्तिशाली व्यक्ति कम शक्तिशाली व्यक्तियों का शोषण करते हैं। कम शक्तिशाली लोग स्वतंत्र मताधिकार के प्रयोग के आधार से सरकार के ऊपर अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों की मनमानी पर पाबन्दी लगाये जाने के लिये दबाव डाल सकते हैं और ऐसा जनतांत्रिक देशों में हुआ भी है किन्तु यह अधिक कारगर नहीं होता क्योंकि सरकार में जो लोग चुनकर आते हैं वे गरीब और असंगठित श्रमिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और उनके शोषण के विरुद्ध अधिक कुछ करेंगे, इस बात की संभावना अधिक नहीं होती है। इसके विपरीत साम्यवाद असमानता और शोषण को समाप्त तो करता है किन्तु यह मजदूर की स्वेच्छानुसार कोई काम करने की स्वतंत्रता को भी छीनता है। एक मजदूर को स्वतंत्रता और समानता दोनों चाहिये जो उसे समाजवाद ही दे सकता। दलितों एवं अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से स्वतंत्र भारत के संविधान में कतिपय बिन्दुओं को शामिल किये जाने के लिए डॉ० आम्बेडकर ने संविधान सभा के सम्मुख एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जो बाद में 'स्टेट एण्ड माइनरिटीज' (1947) शीर्षक से एक लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ। इस ज्ञापन में उन्होंने संविधान में कतिपय अन्य बातों के साथ राज्य समाजवाद को सम्मिलित किये जाने की सिफारिश की थी, जिससे कि समाज के बहुसंख्यक कमजोर वर्गों के लोगों को आर्थिक शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जा सके। डॉ० आम्बेडकर (1979) की मान्यता थी कि जनतंत्र की आत्मा 'एक मनुष्य, एक मूल्य' के सिद्धांत में निहित है किन्तु दुर्भाग्य से जनतांत्रिक राजनैतिक ढाँचे ने 'एक मनुष्य एक वोट' के सिद्धांत को अपना रखा है। यदि जनतंत्र को वास्तविक व प्रभावकारी बनाना है तो राजनैतिक ढाँचे को 'एक मनुष्य एक मूल्य' के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। ऐसा न करके उसने जनतंत्र के आर्थिक ढाँचे को पूर्णतया लोगों की मर्जी पर छोड़ दिया जो उसे जब जैसा चाहे वैसा मोड़ लें। सामान्यतया पुराने संविधान आर्थिक ढाँचे को स्पष्ट किये बिना ही राजनैतिक ढाँचे की रूपरेखा निर्धारित करने में विश्वास करते थे। उन्होंने यह कभी अनुभव नहीं किया कि यदि जनतंत्र को 'एक मनुष्य, एक मूल्य' के सिद्धांत की वास्तव में स्थापना करनी है तो इसके लिये संविधान को समाज के आर्थिक ढाँचे का भी निर्धारण करना चाहिये।

डॉ० आम्बेडकर की राज्य समाजवादी संबंधी योजना की मूल व्यवस्थायें इस प्रकार हैं :-

1. सभी मूलभूत उद्योग अथवा जिन्हें इस रूप में घोषित किया जा सकता है, राज्य स्वामित्व के अधीन हो और उन्हें राज्य द्वारा चलाया जाये।
2. वे सभी उद्योग जो मूलभूत उद्योग तो नहीं हैं किन्तु बुनियादी उद्योग हैं, राज्य के अधीन हो और उन्हें राज्य अथवा राज्य द्वारा स्थापित निगमों द्वारा संचालित किया जावे।
3. बीमा पर राज्य का अधिकार हो।
4. कृषि राज्य उद्योग हो। कृषि फार्म बनाया जायें। राज्य इन फार्मों पर खेती के लिये आवश्यक सुविधा-पानी, बीज, खाद, औजार आदि

उपलब्ध कराने में कास्तकारों की मदद करे। फार्मों पर खेती सामूहिक ढंग से की जाये। मालगुजारी तथा उत्पादन व्यय में की गई मदद आदि की वापसी के बाद कृषि से जो लाभ हो उसे कास्तकार परिवार में नियमानुसार विभाजित कर दिया जाये।

5. राज्य को यह अधिकार हो कि इन उद्यमों, बीमा और कृषि भूमि को निजी व्यक्तियों से चाहे वे उसके स्वामी, असामी अथवा बंधककार हों, उन्हें भूमि के उनके अधिकार के अनुसार नियमपत्र के रूप में क्षतिपूर्ति का भुगतान कर अपने अधिकार में ले सकें। राज्य-समाजवाद योजना के अंतर्गत बेहतर उत्पादन की दृष्टि से डॉ० आम्बेडकर चाहते थे कि कृषि और उद्योग दोनों स्त्रोतों में पूँजी निवेश का दायित्व राज्य पर हो। इसमें राज्य बीमा योजना दो दृष्टियों से लाभदायक हो सकती है एक तो निजी बीमा धारकों के धन की सुरक्षा की प्रत्याभूति (गारंटी) देने से, दूसरे उससे राज्य के हाथों एक निश्चित पूँजी आने से, जिसे कि वह कृषि और उद्योग में लगा सकता है।

डॉ० आम्बेडकर कि कृषि को राज्य उद्योग के रूप में विकसित करना चाहते थे। उन्होंने कृषि उद्योग को सामूहिक कृषि के रूप में संचालित करने हेतु आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था किये जाने की सिफारिश की। उनका कहना था कि चकबन्दी और मुजरा कानून (टेनेन्सी एक्ट) कृषि में आवश्यक सुधार लाने में असफल रहे। इन कानूनों से भविष्य में भी दलितों का कोई हित सधने वाला नहीं है। केवल सामूहिक कृषि से ही कृषि में खुशहाली आ सकती है और इससे ही भूमिहीन श्रमिकों, जिनमें अधिकांश अछूत हैं, की स्थिति में सुधार आ सकता है। डॉ० आम्बेडकर का सोचना था कि देश की औद्योगिक प्रगति की दृष्टि से राज्य-समाजवाद आवश्यक है। निजी क्षेत्र से देश की औद्योगिक प्रगति संभव नहीं है और यदि ऐसा हुआ भी तो इससे समाज में विषमता बढ़ जायेगी और यूरोपीय देशों की भाँति अपने यहां भी अनेक नई समस्याएँ पैदा हो जायेंगी। डॉ० आम्बेडकर ने राज्य-समाजवाद को संविधान के कानून द्वारा लागू किये जाने की सिफारिश की। वे इसका क्रियान्वयन विधानमण्डल की मर्जी पर नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि संवैधानिक कानून द्वारा लागू किये जाने से न तो विधानमण्डल और न ही कार्यपालिका बिना उचित प्रक्रिया के इसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं। डॉ० आम्बेडकर के अनुसार संविधान द्वारा समाज के आर्थिक ढाँचे के निर्धारण का कुछ लोग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कह सकते हैं किन्तु वास्तव में यह मौलिक अधिकारों की रक्षा है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के आर्थिक ढाँचे में गहरा संबंध है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में पूँजीपति की स्वतंत्रता और श्रमिक की स्वतंत्रता में जमीन आसमान का अंतर है। एक बेकार आदमी को एक ओर कैसी भी नौकरी हो, भले ही उसमें वेतन कम हो, काम के घंटे अधिक हों, यूनियन में शामिल होने की छूट न हो और दूसरी ओर मौलिक अधिकारों के प्रयोग में से किसी एक को चुनने को कहा जाये तो वह अपने और अपने परिवार की परवरिश की खातिर किन्हीं भी शर्तों पर नौकरी को चुनेगा और मौलिक अधिकारों को छोड़ने के लिये विवश होगा। डॉ० आम्बेडकर के अनुसार लोकतांत्रिक पूँजीवादी अर्थ रचना में जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, वह स्वतंत्रता गरीब मजदूर अथवा भूमिहीन श्रमिक की नहीं है। यह स्वतंत्रता भू-स्वामियों की है जिससे कि वे किराया अधिक बढ़ा सकें, यह स्वतंत्रता बड़े-बड़े पूँजीपतियों की है ताकि वे काम के घंटे बढ़ा सकें, यह स्वतंत्रता उन लोगों की है जो श्रमिकों का वेतन कम कर सकें और शोषितों की मुसीबत बढ़ा सकें। यह श्रमिकों और शोषितों की स्वतंत्रता नहीं है। राज्य के हस्तक्षेप न करने से बचे जिस शेष को हम स्वतंत्रता कहते हैं वह

निजी मालिकों एवं पूँजीपतियों की तानाशाही के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कमजोर लोगों को शोषण से बचाने के लिये जनतांत्रिक देशों में आमतौर पर दो उपाय किये जाते हैं। एक तो सरकार पर कानूनी पाबंदी लगायी जाती है जिससे कि वह स्वेच्छाचारी न बने और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण का साहस न करे और दूसरे ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाता है ताकि पूँजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण न कर सके, परन्तु साधारण कानून के द्वारा पूँजीपतियों के प्रभावक्षेत्र एवं मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाना संभव नहीं है। डॉ० आम्बेडकर के अनुसार समाज में साधन सम्पन्न लोगों की स्वेच्छाचारी शक्ति पर तब तक नियंत्रण नहीं पाया जा सकता जब तक कि आर्थिक क्षेत्र से उनके आधिपत्य को पूर्णतया समाप्त न कर दिया जाये।

डॉ० आम्बेडकर के विचार में साम्यवादी ढाँचे को अपना कर हम पूँजीवादी आधिपत्य को समाप्त तो कर सकते हैं किन्तु इसके लिये हमें अपनी निजी स्वतंत्रता की कुर्बानी भी करनी होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में साधारण कानून के द्वारा भी हम पूँजीवादी आधिपत्य को समाप्त कर सकते हैं किन्तु लोकतांत्रिक बहुमत अस्थायी होता है। विधानमण्डल में आज राज्य-समाजवाद के पक्ष में बहुमत है तो कल इसके विपक्ष में भी हो सकता है। राज्य-समाजवाद के विरोधी यदि विधानमण्डल में आते हैं तो राज्य-समाजवाद संबंधी पूर्व विधानमण्डलीय निर्णय को बदल देंगे। विरोधी बहुमत सत्ता में न आ जाये और ऐसा न कर सके इसके विकल्प स्वरूप कुछ लोग तानाशाही को सुझा सकते हैं किन्तु स्वतंत्रता चाहने वाले लोग तानाशाही कैसे स्वीकारेंगे क्योंकि तानाशाही व्यवस्था भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण करती है। अतः तानाशाही समस्या का वास्तविक निदान नहीं है। डॉ० आम्बेडकर के अनुसार समस्या का वास्तविक-निदान राज्य-समाजवाद को संसदीय लोकतांत्रिक संविधान की धाराओं में सम्मिलित करना है। ऐसा करके ही हम तीनो उद्देश्यों-समाजवाद की स्थापना, संसदीय लोकतंत्र की रक्षा तथा तानाशाही का लोप, की क्षतिपूर्ति एक साथ कर सकता हैं। वायसराय एक्जिक्यूटिव कौंसिल में लेबर मेम्बर के रूप में डॉ० आम्बेडकर ने देश में श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण, विशेषरूप से उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके कल्याण की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने श्रमिकों के कल्याण की कई योजनाएँ लागू की तथा उद्योगों, कारखानों एवं खदानों में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि, कार्य की दशाओं में सुधार, सवैतनिक अवकाश तथा कार्य के घंटों में कमी आदि की दृष्टि से प्रचलित श्रम सन्धियों में आवश्यक संशोधन भी किये। डॉ० आम्बेडकर श्रम की स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। वे मानते थे कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर करना उसे गुलाम बनाने से कम नहीं है। आम्बेडकर की दृष्टि में हड़ताल श्रमिक का वह अधिकार है जिसे वह किसी भी अनचाही शर्त पर काम किये जाने के विरुद्ध इस्तेमाल करता है। उनका कहना था कि व्यक्ति के लिये स्वतंत्रता का अधिकार यदि ईश्वरीय अधिकार है तो श्रमिकों के लिये हड़ताल का अधिकार भी ईश्वरीय अधिकार है। प्रजातंत्र जो श्रमिक वर्ग को गुलाम बनाता है वह प्रजातंत्र नहीं वरन् प्रजातंत्र का मुखौटा।

आर्थिक विषयों पर पूर्व में की गई चर्चाओं से स्पष्ट होता है कि संविधान की प्रगति समिति के अध्यक्ष चुने जाने के पूर्व डॉ० आम्बेडकर ने समाज के आर्थिक ढाँचे को संविधान द्वारा तय किये जाने पर जोर दिया था, जो आर्थिक ढाँचा उन्होंने सुझाया था वह राज्य-समाजवाद के तन्तुओं से बुना गया था। अन्यत्र उल्लेखों में भी उन्होंने समाजवाद की सिफारिश की थी और इसे पूँजीवाद व साम्यवाद से श्रेयष्कर निरूपित किया था, विशेषरूप से मजदूरों

व दलितों के हित में संवर्धन की दृष्टि से। वास्तव में डॉ० आम्बेडकर समझना तो चाहते थे लेकिन वे कानून या जोर-जबर्दस्ती के द्वारा लाई गई समानता के हिमायती नहीं थे क्योंकि वे भली-भाँति जानते थे कि ऐसी समानता न तो प्रभावी हो सकती है और न ही स्थायी। साथ ही वे यह भी समझते थे कि मानव समाज में पूर्ण समानता न तो कभी लाई जा सकती है और न ही यह श्रेयष्कर है क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सृजनशीलता के प्रास होने का खतरा है। संविधान की रूपरेखा बनाते समय बहुत संभव है कि आम्बेडकर ने यह अनुभव किया हो कि समाजवाद को संविधान के मूल ढाँचे में सम्मिलित करना तत्कालीन परिस्थितियों में न तो व्यवहारिक होता है और न ही उससे दलितों का कोई अधिक भला होता। यदि सामूहिक कृषि की योजना संविधान के द्वारा लागू की जाती तो सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टियों से अत्यधिक पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को उनके द्वारा किये गये श्रम की तुलना में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि कृषि कार्य में ग्राम या राज्य स्तर पर कमोवेश श्रम तो दलितों के हिस्से में आता और प्रबंध कार्य पूर्णतया सवर्णों के हिस्से में चला जाता। ऐसी स्थिति में दलितों को लाभांश में न्यायोचित हिस्सा नहीं मिल पाता। डॉ० आम्बेडकर का तात्कालिक लक्ष्य था कि राजनैतिक अधिकारों के साथ-साथ बुनियादी सामाजिक एवं आर्थिक विषयों में सभी लोगों को स्वतंत्रता एवं समानता प्राप्त हो, कमजोर वर्गों को अन्य लोगों की बराबरी में उठने के लिये विशेष संरक्षण एवं सुविधा की व्यवस्था हो। उनका मानना था कि जैसे-जैसे लोग शिक्षित होंगे तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया, अधिकार एवं मूल्यों से परिचित होते जायेंगे, समय एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये सामाजिक व आर्थिक ढाँचे के बारे में वे बेहतर निर्णय ले सकेंगे। यदि संविधान के द्वारा लोगों पर कोई आर्थिक ढाँचा थोप दिया जाता है तो कालान्तर में अनुपयोगी होने पर उसे हटाना आसान नहीं होगा। इसलिये डॉ० आम्बेडकर एवं संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान में जहां व्यक्ति को स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार प्रदान किये वहीं नीति निर्देशक सिद्धांतों के मार्फत यह भी निरूपित किया कि राज्य का लक्ष्य समता पर आधारित समाजवादी समाज की स्थापना करना है। तदनुसार देश के आर्थिक ढाँचे की रचना मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर की गई। मिश्रित आर्थिक ढाँचाइसके तहत जो उद्यम निजी क्षेत्र में प्रभावकारी ढंग से चल सकते हैं वे निजी क्षेत्र में रखे गए और खासतौर पर बड़े उद्योग जिनका निजी क्षेत्र में आयोजन कठिन है, वे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत संगठित किए गए। किस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करना है या निजी क्षेत्र में देना है अथवा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में साथ-साथ चलाना है या निजी से सार्वजनिक में अधिग्रहीत करना है अथवा सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना है इस बावत् निर्णय कानून के तहत सरकार को लेना है। यदि जनता किसी सरकार की आर्थिक नीतियों से सहमत नहीं है तो आगामी चुनाव में वह उसे सत्ताच्युत कर सकती है और ऐसे लोगों को चुन सकती है जो बहुमत की नीतियों को लागू कर सकें। डॉ० आम्बेडकर परम्परात्मक साम्यवादी और समाजवादी विचारकों की प्रस्थापनाओं से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि समाज को निरंतर प्रयोग की अवस्था में होना चाहिये। समाज के बारे में कोई सिद्धांत कलम की नोक से स्थापित नहीं किया जा सकता। आवश्यकता है, नये विचार और नये दृष्टिकोण की। जबकि साम्यवादी सर्वत्र सभी समस्याओं का हल मार्क्स और लेनिन में ढूँढने लगते हैं। आम्बेडकर का कहना था कि रूसी साम्यवाद मात्र एक धोखा है। दरिद्रता समाज में सदैव रही है और रहेगी, यहाँ तक कि रूस में दरिद्रता है किन्तु दरिद्रता की वजह से मानव स्वतंत्रता की कुर्बानी

नहीं दी जा सकती है। समाजवादियों के संबंध में डॉ० आम्बेडकर का कहना था कि उनमें एक सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वे आर्थिक पहलू को मूलभूत समझते हैं और सोचते हैं कि आर्थिक समस्या के हल होते ही सारी समस्याएँ हल हो जायेंगी, किंतु यह गलत है। यूरोपीय अनुभव के आधार पर सम्पत्ति को शक्ति का मूल स्रोत मानना और इसलिये सम्पत्ति के समान वितरण को मूलभूत सुधार मानकर समाज में सर्वप्रथम लागू करना एक भूल है। धर्म, सामाजिक, प्रस्थिति और सम्पत्ति सभी समान रूप से शक्ति और सत्ता के स्रोत हैं। इसलिये मूलभूत सामाजिक सुधारों को लागू किये बिना आर्थिक सुधारों को लागू करना कठिन होगा।

उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि डॉ० आम्बेडकर समाज में आर्थिक व्यवस्था हेतु इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते थे जिसे स्थापित कर निश्चित रूप से देश का सामाजिक, आर्थिक विकास किया जा सकता है।

1. हिन्दू समाज में आर्थिक ढाँचे की रचना वर्ण, जाति एवं जजमानी से संबंधित नियमों पर आधारित है। जो गलत है।
2. जाति व्यवस्था जनित आर्थिक भेद अन्यायपूर्ण है।
3. उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के स्थायी शोषण का विधान है। यह भी अन्याय है।
4. श्रम विभाजन अस्वभाविक क्योंकि यह व्यक्ति की रुचि, कुशलता एवं समता पर आधारित नहीं है।
5. समाज के बहुसंख्यक कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में राज्य समाजवाद को सम्मिलित किये जाने की सिफारिश की थी।
6. जनतंत्र की आत्मा 'एक मनुष्य, एक मूल्य' के सिद्धांत निहित है न कि 'एक मनुष्य एक वोट' के सिद्धांत थे।
7. सामूहिक कृषि से ही कृषि में खुशहाली आ सकती है।
8. औद्योगिक प्रगति के लिए राज्य समाजवाद, आवश्यक है। निजी क्षेत्र से औद्योगिक प्रगति नहीं बल्कि समाज में विषमता बढ़ जायेगी।
9. व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के आर्थिक ढाँचे में गहरा संबंध है।

10. आर्थिक क्षेत्र से साधन सम्पन्न लोगों की मनमानी से तब तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता जब तक इनके आधिपत्य को पूर्णतया समाप्त न कर दिया जाये।

11. तानाशाही की समस्या राज्य समाजवाद को लोकतांत्रिक संविधान में नहीं शामिल करना ही है।

12. श्रमिक के लिए हड़ताल ईश्वरीय अधिकार है।

13. समाज के आर्थिक ढाँचे को संविधान द्वारा तय करने जो राज्य-समाजवाद के तंतुओं से बुना हो खासकर मजदूरों व दलितों के हितों में संवर्धन की दृष्टि से।

डॉ० आम्बेडकर के आर्थिक विचारों के आधार पर भारतीय समाज का संचालन निश्चित ही बिना भेदभाव के समाज निर्माण में सहायक होगा, जो विश्व में एक अलग पहचान देगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Ambedkar, B.R." The Problem of rupee: its origin and its solution (History of Indian currency and Banking, published 1923 by P.S./King & son.
2. Ambedkar, B.R. " Annihilation of caste with reply to Mahatma Gandhi" Dr. BabaSahab Ambedkar source Material Publication ,Govt of Maharastra.
3. Ambedkar , B.R. " The evolution of Priovincial Finance in British India, A study in the provincial Decentralization of Inperical finance
4. Jadhav, N.D.(1991) " Neglected economic thought of Baba Saheb Ambedkar economic and political weekly,Vo. 26 No. 15(April 2013, 1991)
5. Rahendra Kumar Arya and Tapan choure (2014)" The economic thougjhets of Dr. Bhimrao Ambedkar with Respect to agriculture sector" Developing country studies,Vol.4 no 25, 2014)
6. संदर्भ नागर बी०डी०, डॉ० आम्बेडकर सामाजिक आर्थिक विचार दर्शन, 2014 मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल

दलित समाज और मानवाधिकार

डॉ. मंजुलता चौधरी *

प्रस्तावना – भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या अस्पृश्यता या छूआछूत की है। यह अस्पृश्यता जाति व्यवस्था के इतिहास के साथ जुड़ी हुई है। भारतीय समाज व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था के आधार पर कर्म का विभाजन किया गया था। प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार अपने कर्म करता था। उसी व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र आते हैं।

प्राचीन काल से ही शूद्रों को अस्पृश्य जाति माना जाता रहा है। इसी कारण यह कमजोर और आर्थिक स्थिति से सम्पन्न नहीं हो पाई है। यह किसी पूजापाठ, यज्ञ, अथवा धार्मिक उत्सव में भाग नहीं ले सकते थे। इनके लिए ऐसे स्थानों पर जाना वर्जित था। इन्हें दिन में घर से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं थी। स्वर्ण हिन्दूओं द्वारा काम में आने वाली वस्तुओं को छुना इनके लिए वर्जित था। ब्रिटिश काल में इस वर्ग के लोगों को दलित के नाम से पूकारा जाने लगा।

इन दलितों वर्ग के लोगो को अनेकों नाम से जाना जाता है। शूद्र, अस्पृश्य, हरिजन, अनुसूचित जाति, जनजाति आदि। इनको शिक्षा से लेकर अन्य कार्य जैसे हिन्दूओं की बस्ती में रहने का, दुकान से सामान क्रय करने का, कुओं से पानी भरने का, तथा मन्दिर या पवित्र स्थानों पर जाने का अधिकार नहीं था। इन लोगों को जन्म से ही अपवित्र माना जाता था। और इसी कारण इनकी शुद्धि के लिए संस्कारों की व्यवस्था नहीं की गयी है।

दलित की उत्पत्ति के संबंध में अनेकों विचार प्रचलित हैं जैसे हिन्दू धार्मिक ग्रन्थों में अन्त्यज शब्द का संबंध दलितों से है। मनु ने मनु स्मृति के पुरुष सूक्त की रचना करके पवित्र और अपवित्रता के नाम पर शूद्रों व अन्त्यजों पर अनेकों प्रकार की नियौग्यताएँ दी हैं। इन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। इस कारण इनकी स्थिति दासों से भी बदतर अस्पृष्यों और दलितों की हो गई है।

दलित समाज की समस्या – भारतीय समाज की जो संरचना मानी गई है उसमें चार वर्गों में शूद्र वर्ग को सेवा भाव या सेवक कार्य दिया गया है इनके लिए वे सभी कार्य वर्जित थे जो अन्य तीन वर्गों के लिए थे। अतः यह सामाजिक आर्थिक और धार्मिक स्थिति से पिछड़ते चले गए। इनके लिए पवित्र ग्रन्थों को छूना भी वर्जित था शिक्षा प्राप्त करना तथा अपने लिए जीवन व्यापन के लिए धन कमाना भी वर्जित था। इनको खाने तथा पहनने के लिए वह दिया जाता था जो स्वर्ण के लोगों द्वारा त्याग दिया जाता था। समाज में रहना इनके लिए वर्जित था।

इस प्रकार दलितों की आर्थिक समस्या भी बढ़ती चली गई। यह निम्न और अस्वच्छ कार्य करने की सामाजिक बाध्यता के साथ न्यूनतम मजदूरी और बंधुआ मजदूरी के लिए विवश थे। इनको इतना कम पारिश्रमिक मिलता

था कि यह अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पाते थे। और भरण पोषण के लिए ऋण लेने को विवश हो जाते थे। और यह ऋण ग्रस्तता या बंधुआ मजदूरी पिता से पुत्र तथा पुत्र से उसके पुत्र को हस्तांतरित होती रहती थी। इस तरह भी इनका शोषण होता रहा है। स्वर्ण के लोगों द्वारा इनकी आर्थिक स्थिति को इस कारण भी कमजोर रखा गया कि वह इनके यहा बंधुआ मजदूरों जैसा जीवन व्यतीत करे।

स्वर्ण हिन्दूओं ने दलित वर्ग के लोगों के साथ इस प्रकार का कार्य मनु स्मृति में शूद्र की उत्पत्ति तथा उनके कार्य और अधिकारों के आधार पर आरम्भ किया किन्तु आज यह स्थिति अधिक भयावह बन गई है।

इन लोगों को शासन के किसी भी काम में हस्तक्षेप करने का, कोई सुझाव देने का तथा सार्वजनिक सेवाओं के लिए नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं था आजादी से पूर्व के लोगो की प्रमुख समस्या सामाजिक और आर्थिक थी न कि धार्मिक और राजनैतिक।

समाधान व शासन की योजनाएँ – दलितों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार की समाज सेवी संस्थाओं ने अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। सुधारवादी हिन्दू संस्थाओं में ब्रह्म समाज, आर्य समाज तथा रामकृष्ण मिशन की भूमिका अधिक है। इन्होंने अस्पृश्यता को हिन्दू समाज से मिटाने के लिए और दलित अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठायी। इन्होंने हिन्दू शास्त्रों के प्रमाणों से भेदभाव पूर्ण व्यवस्था के समाज पर बल दिया।

अनेक समाज सुधारक महात्मा गाँधी, रामानुज, कबीर, नानक आदि ने भी दलित अस्पृश्यता को समाज से दूर करने की अपील की हैं तथा इनके प्रति होन वाले व्यवहार को अन्याय पूर्ण माना है। दलित आन्दोलन का नेतृत्व करते हुए महात्मा गाँधी तथा डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने आजीवन इनकी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष किया है। इन्होंने यह मान लिया था कि सामाजिक अन्याय की इस समस्या का हल किए बिना दलित और समाज किसी का भी उत्थान नहीं हो सकता है। अस्पृष्यों और दलितों को हिन्दू धर्म और समाज का अंग बनाने के लिए गाँधीजी ने अमरण अनघन प्रारम्भ किया था। इन्होंने ही दलित वर्ग के लोगो को हरिजन नाम दिया था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद दलित लोगों की समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए गए। इस वर्ग के लोग चाहते थे कि उनके साथ भी इन्सानों जैसा व्यवहार किया जाए। इनसे बंधुआ मजदूर या दास के रूप में कार्य नहीं लिया जाए तथा काम का उचित मूल्य दिया जाए। इनके बच्चों को भी स्वर्ण जाति के बच्चों जैसा माना जाए तथा शिक्षा संबंधी पूरी सुविधाएँ दी जाए। देश की प्रजातान्त्रिक संस्थाओं में भाग लेने का पूरा अवसर दिया जाए।

अब जाति व्यवस्था के इस नियम में शिथिलता के साथ साथ अस्पृष्यों

के प्रति व्यवहार में भी कठोरता कम हुई है। परन्तु यह लोग अभी भी निर्धनता में अपना जीवन व्याप्त कर रहे हैं।

शासन द्वारा संविधान में भी इनके लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई है। संविधान में अस्पृश्यता का अन्त का, उसका किसी भी रूप में प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया है। आर्थिक विकास की गारन्टी दी गई है। धार्मिक स्थलों पर जाने की व्यवस्था की गई है। यह उनके लिए अब कोई भी कार्य वर्जित नहीं है। राज्य दुर्बलतर लागो जिनमें अनुसूचित जातियाँ तथा आदिम जातियाँ आती है कि शिक्षा संबंधी तथा आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। तथा उन्हें सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय एवं शोषण से बचाएगा।

अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के विधार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को वस्तुओं को बेचने और सेवा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन हेतु मजदूरी प्रथा को भी समाप्त किया गया है।

दलितों के उद्धार के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में जन आन्दोलन चलाया था। इनका मत था कि भारतीय समाज में रूढिगत वर्ण व्यवस्था ने वर्ग भेद तथा असमानता को जन्म दिया है। जिनके कारण समाज निरन्तर पतन की ओर बढ़ता चला जा रहा है। वर्ण भेद की रूढियों में जकड़े हुए भारतीय समाज की दयनीय दशा पर क्षोभ व्यक्त करते हुए इन्होंने सामाजिक क्रांति द्वारा इसमें परिवर्तन लाने का दृढ संकल्प किया। अस्पृष्यों तथा दलितों को संगठित कर उनमें स्वावलम्बन और आत्म विश्वास जगाने का प्रयास किया धर्म शास्त्रों का गहन अध्ययन करने के पश्चात डॉ. अम्बेडकर ने माना कि उक्त धार्मिक विधान किसी युक्ति युक्त तर्क पर आधारित न होकर केवल ब्राह्मण वर्गीय स्वार्थ से प्रेरित है तथा वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनका औचित्य नहीं है। इसलिए उन्होंने मनु द्वारा प्रतिस्थापित वर्णभेद को खुलकर चुनौती दी है। तथा मानवीय अधिकारों पर आधारित एक नए सामाजिक विधान की आवश्यकता पर बल दिया है। ताकि भारतीय समाज के दलित और शोषित वर्ग के लोगो का उद्धार और पुनःस्थापन हो सके।

दलितों में जाग्रति उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने सन् 1927 में ही बहिष्कृत भारत पत्रिका कर प्रसारण शुरू किया था। जिसका संपादन उन्होंने स्वयं किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने दलितों में शिक्षा के प्रति रुचि तथा अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की कोशिश की।

मानवाधिकार - मूल अधिकार ही मानव अधिकार के रूप में जाने जाते हैं समाज में मानव अधिकारों का मूल्य इतना बढ़ता चला गया कि इनके संरक्षण के लिए संसद द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ही पारित कर दिया गया। मानव अधिकार से व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्नहित है।

संविधान द्वारा प्रत्याभूत अधिकार है।

समता का अधिकार,

स्वतंत्रता का अधिकार,

अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार,

गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार,

प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार,

शोषण के विरुद्ध अधिकार।

यह सभी प्रत्याभूत अधिकारों मानवीय मूल्यों को संरक्षण प्रदान करने वाले हैं मानव अधिकारों को जितना नुकसान धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं

जन्म स्थान के आधार पर विभेद किये जाने से हुआ है। उतना ही शायद किसी से नहीं हुआ है। व्यक्तियों में हीन भावना के उद्भव के लिए ये ही तत्व जिम्मेदार रहे हैं। छूआछूत ने मानव मन को खोखला करके रख दिया है। इन सबको दूर करने के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की धारणा बनने लगी है। मानव अधिकारों के संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण ओर कोई नहीं हो सकता। स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों में मानव अधिकारों के संरक्षण श्रंखला में इस महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। इसी में सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने की स्वतंत्रता समाहित है। इसी में प्रमुख शोषण के विरुद्ध अधिकार है।

भारत की अधिकांश अशिक्षित एवं निर्धन जनता अतीत से ही शोषण का शिकार रही है। एवं सबल व्यक्तियों द्वारा निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लोगो का आरम्भ से ही शोषण किया जाता रहा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगो तथा पिछडा वर्ग इस कारण ही उपर उठ पाया है यही व्यवस्था मानवीय मूल्यों के प्रतिकूल रही है। इसी का निवारण करने के लिए संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार को समाहित किया गया है। इस प्रकार के मूल अधिकार जो संविधान के प्रत्याभूत अधिकार है। के प्रति अस्पृष्य दलितों में जागरूकता पैदा करने हेतु डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अथक प्रयास किए थे अस्पृष्यों तथा दलितों को अपनी परम्परागत दासता ओर हीनता की भावना त्याग कर समाज के अन्य वर्गों के समान स्वतंत्रता व मानव अधिकार हासिल करने का आवाहन किया। दलितों को जनसाधारण की भांति अधिकार दिलाने के लिए अम्बेडकरजी ने अनेक आन्दोलनों का नेतृत्व किया। शासकीय सेवाओं में दलित जातियों के लोगो को भर्ती किए जाने की जोरदार पहन की। जिससे उनकी आर्थिक व सामाजिक उन्नति संभव हो सके। अम्बेडकर के निरन्तर प्रयासों से दलितों को भारत की राजनीति गतिविधि में भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ।

भारतीय संविधान के निर्माण समिति में अम्बेडकरजी का विशेष योगदान रहा है। दलितों के प्रति होने वाली सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने पहल की। उन्ही की पहल के फलस्वरूप संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि सभी प्रकार की अस्पृश्यता समाप्त की जाती है। तथा अस्पृश्यता के आधार पर किसी को अयोग्य ठहराना अपराध होगा।

उपसंहार - अतः दलितों को अपने विकास के लिए स्वयं जागरूक होना होगा। तथा शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों को जानना होगा ओर अपने न्याय के लिए संघर्ष करना होगा। क्योंकि मानव अधिकारों के तहत दलित वर्ग के उत्थान के लिए वह सभी अधिकारों को रखा गया है जो उनकी उन्नति तथा आर्थिक व सामाजिक विकास में उन्हें अग्रोसित करती है।

जहाँ अशिक्षा है अज्ञानता है वहाँ पर ही दलितों के साथ आज भी अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है। शहरों में वर्ग भेद तथा जातिवाद का उतना चलन नहीं है जितना गाँवों में। दलितों के उत्थान के लिए हमें शिक्षित होना होगा तथा जातिवाद के साथ साथ अस्पृश्यता को भी दूर करना होगा। दलितों तथा अस्पृष्यों को मानव अधिकारों की जानकारी देनी होगी ताकि वह अपने प्रति होने वाले व्यवहार को समझे तथा उसका विरोध कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. बसन्तीलाल बाबेल, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम
2. डॉ. भीमराव अम्बेडकर, स्वराज्य की दिशा
3. डॉ. अशोक डी. पाटिल, भारतीय समाज
4. डॉ. एस.एस.भदौरिया

ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय और शिक्षक - प्रभावशीलता

डॉ. हर्षा क्षीरसागर *

शोध सारांश - छात्रों की संपूर्ण उपलब्धि का सीधे प्रभाव शिक्षक के प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व एवं उसकी प्रभावशीलता द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में ग्रामभारती एवं अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन विद्यालयों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को स्वीकार नहीं किया जाता है। वर्तमान अध्ययन ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों पर किया गया है। प्रस्तुत शोध के उद्देश्य ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी एवं ग्रामीण शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन करना है। अध्ययन के निष्कर्ष के अंतर्गत 40 वर्ष से कम आयु वर्ग एवं 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के शिक्षकों में श्रेष्ठ स्तर की शिक्षक प्रभावशीलता पाई गई। ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय में कार्य 40 वर्ष आयु वर्ग से कम तथा 40 वर्ष आयु वर्ग से अधिक शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

प्रस्तावना - शिक्षक समाज एवं भावी पीढ़ी का निर्देशक, सृजनकर्ता, पालनकर्ता एवं उद्धारक माना जाता है। इसीलिए सम्भवतः समाज शिक्षक से त्याग, कर्तव्यपरायणता, आदर्शोन्मुखता, तपस्या असाधारणता, धैर्य, सहिष्णुता विश्वास, समर्पण एवं निःस्वार्थपरता जैसे अनेक गुणों की उपेक्षा करता है, और अपेक्षा करे भी क्यों नहीं? जब समाज के लोग बिना किसी तर्क-वितर्क के अपने बच्चों का भविष्य इनके हाथ में सौंप देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस उम्मीद एवं आशा को कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि प्रभावशाली शिक्षक ही पूर्ण कर सकता है।

शिक्षक प्रभावशीलता शिक्षक के व्यक्तित्व से निर्धारित होती है तथा उसका प्रतिबिम्बन विद्यार्थियों की उपलब्धियों से होता है। इस संदर्भ में गुप्ता (2008) कहते हैं कि शिक्षक योग्य व उसकी शिक्षणशैली प्रभावशाली है तो वह अपनी क्षमता के आधार पर छात्रों के जीवन को उचित दिशा प्रदान कर उनके भविष्यरूपी दीप को प्रज्वलित कर सकता है। फलतः कहा जा सकता है कि शिक्षक का प्रभावशाली होना अवयवभावी है।

अध्ययन की आवश्यकता - समाज में आजकल चारों ओर यही चर्चाएं होती रहती हैं कि आज के शिक्षकों में पहली वाली बात नहीं है, हालांकि इस हेतु मात्र शिक्षक ही मात्र जिम्मेदार नहीं हैं जब समाज में ही विसंगति/विकृति आ गई है तो शिक्षक भी इससे अछूता कैसे रह सकता है। सामाजिक परिवर्तन के इस दौर में देश के अनगिनत शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़ी तल्लीनता, शालीनता एवं जिम्मेदारीपूर्वक कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों के कारण ही यह शिक्षण-अधिगम व्यवस्था चल रही है और आगे भी चलती रहेगी।

समाज में शिक्षण की व्यवस्था को संचालित करने हेतु शिक्षक संस्थानों की जरूरत होती है और यह शैक्षिक संस्थान सरकारी अर्द्ध-सरकारी, निजी या किसी संस्था विशेष द्वारा संचालित हो सकते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में शासकीय/अशासकीय विद्यालयों के साथ-साथ ग्रामभारती एवं अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय भी हैं। इन विद्यालयों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में विविधता से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत अध्ययन ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक

विद्यालयों से संबंधित है। ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के बारे में समाज में यह धारणा व्याप्त है कि यह विद्यालय आज की परिस्थितियों में भी भारतीय परंपरा एवं मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करते हैं। कम वेतन पाकर भी इनमें शिक्षक अधिक कर्तव्यपरायण, समर्पित एवं मूल्योन्मुख होते हैं। पाल (2008) कहते हैं 'विद्याभारती से संबंधित माध्यमिक विद्यालयों के अधिकांश छात्र उच्च श्रेणी प्राप्त कर उत्तीर्ण होते हैं। इन विद्यालयों के आचार्य एवं प्राचार्य एडी चोटी का दम लगाकर प्रयास करते हैं। हमारे आचार्य समाज को जो देते हैं..... उनको हम धन से नहीं माप सकते ग्रामभारती के पास सही दृष्टिकोण एवं समर्पित आचार्य का पुंज है।' अतः इस तथ्य की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा महसूस हुई कि इन विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता का स्तर एवं उनमें व्याप्त अंतर को ज्ञात किया जाए।

इस जानकारी के निमित्त उपलब्ध संबंधित साहित्य का अवलोकन किया गया यथा- कृष्णनन एवं सिंह (1995) ने शिक्षकों के लिंग, सामाजिक-आर्थिक स्तर एवं ग्रामीण/शहरी होने का शिक्षण प्रभावशीलता पर सार्थक प्रभाव नहीं पाया। गौण एवं सिंह (2009) ने अपने अध्ययन में पाया कि सरकारी, निजी विद्यालय विवाहित और अविवाहित शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता में सार्थक अंतर नहीं है। कुमार (2011) ने अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में औसत से अधिक जबकि ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में श्रेष्ठ स्तर की प्रभावशीलता पाई। अशासकीय महिला शिक्षकों की अपेक्षा ग्रामभारती महिला शिक्षकों में शिक्षक प्रभावशीलता सार्थक रूप से अधिक पाई गई है। गोदियाल एवं रजवाण (2017) ने माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता में लिंग एवं निवास स्थान के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया। कुमार (2018) ने अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के विवाहित एवं अविवाहित शिक्षकों में औसत स्तर की तथा ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में श्रेष्ठ स्तर की शिक्षक-प्रभावशीलता पाई गई। दोनों प्रकार के विद्यालयों के विवाहित या अविवाहित

शिक्षको की शिक्षक प्रभावशीलता के संबंध में सार्थक अंतर पाया गया।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है शिक्षक प्रभावशीलता का समायोजन कृत्य संतुष्टि, लिंग, निवास-स्थान, वैवाहिक स्थिति एवं विद्यालयों के प्रकार के आधार पर अंतर करने का प्रयास शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। किंतु इनमें से ऐसा कोई अध्ययन प्राप्त नहीं हो सका जिसमें कि ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षको का निवास-स्थान एवं आयु वर्ग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया हो। इसकी कमी की पूर्ति हेतु प्रस्तुत अध्ययन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी एवं ग्रामीण शिक्षको की शिक्षक प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षको की शिक्षक-प्रभावशीलता का आयु वर्ग के परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना :

1. ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी एवं ग्रामीण शिक्षको की शिक्षक प्रभावशीलता में सार्थक अंतर नहीं है।
2. ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षको की शिक्षक प्रभावशीलता में आयु वर्ग के परिप्रेक्ष्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

परिसीमांकन - प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश के बरेली एवं मुरादाबाद मंडल के केवल 4 जनपद यथा- बरेली, शाहजहापुर, रामपुर एवं मुरादाबाद के सत्र 2018-19 में कार्यरत ऐसे शिक्षको को सम्मिलित किया गया है, जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध तथा ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत थे।

अध्ययन विधि - प्रस्तुत अध्ययन में शोध की 'वर्णनात्मक विधि' को अपनाया गया है। इस अध्ययन में जनसंख्या के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बरेली एवं मुरादाबाद मंडल के ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षक सम्मिलित है। सर्वप्रथम यादृच्छिक प्रतिचयन विधि के द्वारा दोनों मंडलों में से 2-2 जनपद का चयन किया गया, तत्पश्चात स्तरीकृत न्यायदर्शन विधि से 12 विद्यालयों का चयन किया गया। इन विद्यालयों में कार्यरत कुल 152 शिक्षको से दत्ता संकलन किया गया।

शोध उपकरण - प्रस्तुत अध्ययन के निमित्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षको की शिक्षक प्रभावशीलता के मापन हेतु कुमार एवं मुथा (1999) द्वारा निर्मित प्रमाणित 'टीचर इफेक्टिवनेस स्केल' का प्रयोग किया गया। इस मापनी में पदों का वितरण छः क्षेत्रों में तथा दस उपक्षेत्रों में किया गया है।

प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधि - इस अध्ययन में प्रदत्तों से निष्कर्ष निकालने हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-मान की गणना की गई है।

विश्लेषण व्याख्या एवं परिणाम - प्रस्तुत अध्ययन हेतु एकत्रित प्रदत्तों एवं सांख्यिकीय विश्लेषण कर उन्हें तालिका एक एवं दो में प्रस्तुत किया गया है-

तालिका-1 : शहरी/ग्रामीण शिक्षको की शिक्षक-प्रभावशीलता का विवरण

समूह का नाम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान
ग्राम-भारती शहरी शिक्षक	78	315.65	27.54	0.38
ग्राम-भारती ग्रामीण शिक्षक	74	314.02	25.20	

0.05 पर सार्थक

तालिका-1 से स्पष्ट होता है कि ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी एवं ग्रामीण शिक्षको की शिक्षक प्रभावशीलता का मध्यमान क्रमशः 314.02 पाया गया। यह दोनों ही मध्यमान इन शिक्षको में श्रेष्ठ स्तर की शिक्षक रविकलन क्रमशः 27.54 एवं 25.20 पाए गए। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण शिक्षको की अपेक्षा शहरी शिक्षको की शिक्षक प्रभावशीलता में असमानता अधिक थी।

ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी एवं ग्रामीण शिक्षको के मध्यमानों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर टी-मान 0.38 प्राप्त हुआ, जो कि 150df पर 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं पाया गया। अतः इस संदर्भ में शून्य परिकल्पना अस्वीकार नहीं की गई। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शहरी एवं ग्रामीण शिक्षको की शिक्षक प्रभावशीलता में व्याप्त अंतर जनित है।

तालिका-2: शिक्षको की शिक्षक प्रभावशीलता का आयुवर्ग के परिप्रेक्ष्य में विवरण

आयु वर्ग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान
40 वर्ष से कम	89	317.98	20.18	
40 वर्ष से अधिक	63	314.54	22.32	0.97

0.05 पर सार्थक

तालिका 2 में दर्शाए गए विद्याभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के शिक्षको का मध्यमान 317.98 एवं मानक विचलन 20.18 पाया गया, जबकि 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के शिक्षको का मध्यमान 314.54 एवं मानक विचलन 22.32 पाया गया। यह दोनों ही प्राप्त मध्यमान इन शिक्षको में श्रेष्ठ स्तर की शिक्षक-प्रभावशीलता को दर्शाते हैं। इनके मानक विचलन पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के शिक्षको की अपेक्षा 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के शिक्षको की शिक्षक प्रभावशीलता में असमानता अधिक थी।

ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 40 वर्ष से कम आयु वर्ग एवं 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के शिक्षको के मध्यमानों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर टी-मान 0.97 प्राप्त हुआ, जो कि 150 वष पर 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं हो पाया गया। अतः इस संदर्भ में शून्य परिकल्पना अस्वीकार नहीं की गई। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 40 वर्ष से कम आयु वर्ग तथा 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के शिक्षको की शिक्षक प्रभावशीलता में व्याप्त अंतर नगण्य है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष :

1. ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण एवं शहरी शिक्षको में समान रूप से श्रेष्ठ स्तर की शिक्षक प्रभावशीलता पाई गई।
2. 40 वर्ष से कम आयु वर्ग एवं 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग शिक्षको में श्रेष्ठ स्तर की शिक्षक प्रभावशीलता पाई गई।
3. ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण एवं शहरी शिक्षको की शिक्षक प्रभावशीलता में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
4. ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कार्य 40 वर्ष आयु वर्ग से कम तथा 40 वर्ष आयु वर्ग से अधिक शिक्षको की शिक्षक प्रभावशीलता में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

शैक्षिक निहितार्थ

1. शिक्षक-प्रभावशीलता में वृद्धि हेतु जरूरी है कि उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में ही शिक्षण कौशलों का समुचित अभ्यास कराया जाए तथा रुचिवान छात्रों का ही चयन भावी शिक्षको हेतु किया जाए।
2. शिक्षक प्रभावशीलता को बढ़ावा देते हेतु आवश्यक है कि दल-शिक्षण की व्यवस्था की जाए।
3. शिक्षको द्वारा आईसीटी के संसाधनों का प्रयोग कक्षा में तथा कक्षा के बाहर किया जाए। इन संसाधनों में संचालन हेतु उचित एवं समय अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
4. विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान की व्यवस्था समय समय पर की जाए ताकि शिक्षक ज्ञानार्जन कर सकें।
5. शिक्षक, छात्रों एवं समक्ष आदर्श प्रस्तुत करें, संगोष्ठी एवं कार्यशाला आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुप्ता, एम.(2008), प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षको की प्रभावशीलता का अध्ययन भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका: लखनऊ, भारतीय शिक्षा शोध संस्थान, जनवरी-जून, वर्ष-21, अंक-1, पृ.31
2. गोंदियाल, ए. एवं सजावण, एस. (2017), उत्तराखण्ड राज्य के गढ़वाल परिक्षेत्र के टिहरी जनपद के शिक्षको की प्रभावशीलता का उनकी व्यवसाय संबद्धता तथा पद संतुष्टि के संबंध में अध्ययन वही वर्ष 36 अंक 2 जुलाई-दिसंबर पृ.59-64
3. Gaur, D.&Singh, S.(2009), Teacher effectiveness and

- its Correlates:A Comparative Study; Modern Educational Research in India, Bhilai; Sudivya Prakashan, April-June, Year-2 Vol.5 Ho.2, Pp23-25
4. कपिल, एच.के. (2001), अनुसंधान विधियाँ आगरा: एच.पी.भार्गव बुक हाउस।
5. Status and Krishnan, S.S. & Singh, J.R. (1995) Impact of Teachers, Sex, Socio Economic Locale on Teacher Effectiveness; Indian Educational Abstracts, New Delhi; NCERT. July-1997, Issue -3 pp.43-44
6. कुमार, ए.के. (2011), अंशासकीय एवं ग्रामभारती द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षको की शिक्षक प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन Teacher Education, IATE. Vol-45 No-01, April, pp.69-77
7. कुमार ए.के. (2018) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षको की शिक्षक प्रभावशीलता का अध्ययन Education Times, New Delhi, APH Publishing Corporation, Vol. VIII. No.02, March - April. pp. 235-243ss
8. कुमार, पी. एवं मुथा, डी.एन. (1999), Manual For Teacher Effectiveness Scale, Vidya Nagar; Sardar Patel University, Vallab
9. पाल, एन. (2008), एक आचार्य का आचार्यों के लिए आहान: ग्रामभारती प्रदीपिका, नई दिल्ली: माता लीलावती सं.ब.वि.म. हरिनगर, जनवरी-मार्च,वर्ष-30, अंक -2

छत्तीसगढ़ के व्यंजन

श्रीमती गायत्री तिवारी* डॉ. अंजू तिवारी**

प्रस्तावना - भारत विविधताओं का देश है, भाशा, खान-पान, रीति-रिवाज, पहनावा सभी में प्रांतों के आधार पर विधिवता के दर्शन के होते हैं। प्रत्येक राज्य में उपज के आधार पर पकवान बनाए जाते हैं, साथ ही प्रत्येक राज्य के भौगोलिक स्थिति, बदलते मौसम और जीवन शैली का प्रभाव भी पकवानों पर पड़ता है। जहां जिस खाद्यान्न की अधिकता होती है उस आधार पर पकवान बनाये जाते हैं। जम्मू कश्मीर में अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण गर्म खाद्य पदार्थों का सेवन होता है। पंजाब में राजमा, काबुली चना आदि का अधिक उपयोग होता है और समुद्र तटीय प्रदेशों में समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव-जन्तुओं यथा- मछली, घोंघा आदि का सेवन किया जाता है और अनेक व्यंजन बनाए जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उपज धान का है, अतः यहां बनाए जाने वाले व्यंजनों में इसका अधिक उपयोग स्पष्ट रूप से दिखता है। यद्यपि चावल के अतिरिक्त गेहूं, चना आदि के व्यंजन भी यहां बनाए एवं खाए जाते हैं पर बहुतायत चावल का ही प्रयोग होता है।

बासी - चूंकि छत्तीसगढ़ मेहनतकश किसानों की धरती है, किसानों के लिए जो शक्तिवर्धक हो इसका ध्यान रखते हुए ही शायद यहां बासी खाने का रिवाज रहा होगा। रात में बनाया गया भात में पानी डालकर रख दिया जाता है। दूसरी सुबह बासी में नमक, दही या मठा डालकर खाया जाता है। किसान जब हल लेकर निकलता है तो वह बासी ही खाता है ताकि दिन भर उसे कार्य करने के लिए उर्जा मिलता रहे।

चीला - चावल के आटे से चीला बनाया जाता है। जब धान नया रहता है यानि कटाई, मिसाई के बाद धान को कुटकर चावल बनाया जाता है और उसे पीसकर नया चावल के आटे से चीला बनाया जाता है। चीला 2 प्रकार से बनाया जाता है- गुरहा चीला और नूनहा चीला। चीला की विशेषता यह होती है कि जितना पतला बने स्वाद उतना ही अच्छा। इसके लिए चावल को रात में भीगाकर रख लिया जाता है और उसे ढेंकी में कुटकर आटा तैयार किया जाता है, जिसे सांठ कहते हैं। सांठ का घोल बनाकर लोहे की तवे में चीला बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं इसको बनाने में सिद्धहस्त होती हैं। चीला के साथ टमाटर की चटनी और आचार विशेष रूप से पसंद किया जाता है।

चौसेला - छत्तीसगढ़ी व्यंजन में चौसेला का विशेष स्थान है। जिस तरह से गेहूं के आटे से पूड़ी बनाया जाता है वैसे ही चावल के आटे से चौसेला बनता है। पानी को उबालकर उसमें नमक, धनिया, मिर्च, अदरक, लहसून को पीसकर मिला देते हैं। खीलते ही पानी में चावल के आटे को डालते जाते हैं। निश्चित मात्रा मिला लेने पर वह पूड़ी के लिए तैयार हो जाता है। उसे गुंधकर

दोनों हाथों में तेल लगाकर लोई लेकर दबाकर पूड़ी का आकार देते हैं छानकर चौसेला तैयार किया जाता है। चौसेला को नरम और मीठा स्वाद दिलाने के लिए उबले हुए शकरकंद का प्रयोग भी किया जाता है।

फरा - फरा भी चावल आटे से बनाया जाने वाला व्यंजन है। छत्तीसगढ़ में अगहन के महिने में लक्ष्मी पूजा की जाती है जिसे अगहन का गुरुवारी कहते हैं। यह फरा दो रूपों में लक्ष्मी जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। दूधफरा और नूनहा फरा। दूधफरा बनाने के लिए चावल के पतली-लम्बी बाती के जैसा आकार का फरा बनाया जाता है। दूध को उबालकर गाढ़ाकर उसमें शक्कर और इलायची डाला जाता है उबलते दूध में फरा को मिला दिया जाता है। दूध के साथ वह पक जाता है जो दूधफरा कहलाता है।

नूनफरा - छत्तीसगढ़ी में नमक को नून कहा जाता है इसलिए चावल आटे में जब नमक मिलाकर फरा बनाया जाता है तो उसे नूनफरा कहते हैं। जिस तरह से दूधफरा बनता है उसी विधि से नूनफरा भी बनाया जाता है अंतर यह रहता है कि नूनहा फरा को भाप में पकाकर बघार दिया जाता है। बघार के रूप में राई, लहसून, मिर्च मीठा नीम की पत्ती का उपयोग किया जाता है।

अइरसा - छत्तीसगढ़ के पकवानों में अइरसा का विशेष स्थान है। इसे बनाने की प्रक्रिया भी अन्य पकवानों की तुलना में कठिन है। चावल को रात भर भीगाकर सुबह ढेंकी से कुटा जाता है कुटे हुए आटे को सांठ कहते हैं। गुड़ की चाषनी बनाकर सांठ को मिलाकर गुंढते हैं। छोटी-छोटी लोई बनाकर हाथ से पूड़ी के जैसा फैलाते हैं। उस पूड़ी के एक तरफ तिल लगा देते हैं तिल चिपक जाता है फिर उसे तेल में तल लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में गुड़ की चाषनी का ही विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर चाषनी सही नहीं बनी तो अइरसा नरम नहीं बन पाता है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं इसे बनाने में पारंगत होती हैं।

देहरौरी - जिस तरह अइरसा बनाने के लिए विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है ठीक उसी तरह देहरौरी बनाने के लिए भी बहुत सावधानी और दक्षता की आवश्यकता होती है। इसी कारण अइरसा और देहरौरी बनाने का काम घर की बुजुर्ग महिलाएं करती हैं जो इस पकवान को बनाने में सिद्धहस्त होती हैं। चावल को भीगाकर उसे थोड़ी छाया में सूखा लिया जाता है फिर उसे दरदरा पीस लिया जाता है जिसे दर्रा कहते हैं। दर्रा में घी का मोयन देकर कुछ देर के लिए रख दिया जाता है। फिर हाथ में इसे बड़े आकार देकर तेल में तल लिया जाता है। तले हुए बड़े को गुड़ या शक्कर की चाषनी में डुबा दिया जाता है। भीगाकर यह बहुत ही नरम और स्वादिष्ट बनता है। इसे छत्तीसगढ़ी गुलाब जामून भी कहा जाता है।

खुरमी - छत्तीसगढ़ में बनाये जाने वाले विविध व्यंजन त्यौहारों के आधार

* शोधार्थी, डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (इतिहास) डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

पर बनते हैं खुरमी उन्हीं में से एक है। छत्तीसगढ़ में तीज का त्यौहार बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं पति के दीर्घायु के लिए निर्जल उपवास करती हैं दूसरे दिन फलाहार के साथ ठेठरी खुरमी खाया जाता है। खुरमी बनाने के लिए तीन भाग गेहूं का आटा और एक भाग चावल का आटा दरदरा लिया जाता है। गुड़ का घोल बनाकर उस पानी से आटा गुंधा जाता है फिर लोई बनाकर उसे मुठ्ठी से ढबाकर अण्डाकार बनाया जाता है। चूंकि खुरमी धीमी आंच में पकता है इसलिए याद रखने के लिए एक तरफ बांस की टोकनी से ढबाकर निशान बना दिया जाता है। स्वाद हेतु नारियल का बुरादा और इलायची मिलाया जाता है।

पपची – पपची को विशेषकर शादी ब्याह के अवसर पर बनाया जाता है। दहेज में जोरन के रूप में इसका उपयोग होता है। पपची बनाने में भी विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है। तीन भाग गेहूं में एक भाग चावल आटा मिलाकर मोयन दिया जाता है मोयन ठीक हुआ कि नहीं इसके लिए आटे को मुठ्ठी में लेकर बांधकर देखा जाता है। अगर आटा बंध जा रहा है इसका मतलब यह हुआ कि मोयन सही है। आटे को खुब कड़ा गुंधा जाता है। छोटी-छोटी लोई बनाकर पटे पर ढबाकर गोल चपटा आकार बनाया जाता है तेल को गर्म कर थोड़ा ठण्डा किया जाता है। इसमें बनाए हुए पपचियों को डालकर धीमे आंच में तला जाता है। गुड़ या शक्कर की दो तार की चाशनी बनाकर, चाशनी को फेंटकर (झारा से) पपची को डाल दिया जाता है और चाशनी से लपेट कर तुरंत थाली में फैला दिया जाता है। वैसे तो शक्कर का भी उपयोग किया जाता है लेकिन गुड़ से बना पपची विशेष रूप से स्वादिष्ट होता है।

कुसली – देश के विभिन्न भागों में जो गुझिया बनता है वही छत्तीसगढ़ में कुसली कहलाता है। छत्तीसगढ़ की बेटियां जब पहली बार गर्भवती होती हैं

तो मायके से यह पकवान मां के द्वारा बनाकर भेजा जाता है। कुसली भोजना इस बात का घोटक है कि घर में खुशियां आने वाली हैं। खोया, पिसा हुआ नारियल, चिरींजी और शक्कर पीसकर मिलाते हैं। भरावन तैयार हो जाने पर मैदे की छोटी पूड़ी बनाकर उसमें भरावन भरकर अतिरिक्त हिस्सा काट दिया जाता है। वर्तमान में सांचे उपलब्ध हैं जिसे कुसली बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

बबरा – गुड़ के घोल में चावल आटा या गेहूं आटा या दोनों को मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करते हैं। तेल गर्म हो जाने पर चम्मच (गहरा हुआ) से घोल को डालते हैं। तेल में पड़ते ही यह पूड़ी की तरह फूल जाता है। दोनों तरफ तलकर निकाल दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में पितृपक्ष में बरा और बबरा बनाया जाता है।

बिनसा – दूध को खूब खौलाते हुए गर्म किया जाता है और उस पर दही डाल दिया जाता है, जिससे दूध फट जाता है। स्वादिष्ट गुड़ या शक्कर डालकर कुछ देर और पकाया जाता है फिर बिनसा तैयार हो जाता है उपवास के पश्चात् या उपवास में फलाहार के रूप में उपयोग में आता है। तीज के पर्व में प्रायः यह प्रत्येक घर में बनता है।

छत्तीसगढ़ के पकवानों में करी का लड्डू, तसमयी, भजिया, बूंदी आदि भी बनाये जाते हैं पर बहुधा पकवानों में चावल का ही उपयोग होता है। 'धान का कटोरा छत्तीसगढ़' सच में स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है और चावल यहां का मुख्य खाद्यान्न। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों से छत्तीसगढ़ पकवानों की दृष्टि से भी कहीं पीछे नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

भारत में उद्यमिता विकास की भूमिका एक अध्ययन

डॉ. राकेश बघेल*

प्रस्तावना – भारत में उद्यमिता का विकास एक नवीन विचारधारा है। इसकी तीव्रता से लागू करने के लिए सरकार, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों व अन्य एजेन्सियों का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नवयुवकों में विद्यमान उद्यमिय योग्यताओं एवं क्षमताओं के उचित निर्धारण, विकास एवं प्रयोग हेतु व्यापक कार्यक्रम संचालित किए जाने आवश्यक है।

वर्तमान में उद्यमिता विकास प्रत्येक राष्ट्रीय की अनिवार्य आवश्यकता हो गया है। विकासशील की कई महत्वपूर्ण समस्याओं जैसे :- बेरोजगारी, असंतुलित क्षेत्रीय विकास, आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण, न्यून उत्पादकता, विनियोजन आदि का निवारण उद्यमिता के विकास के द्वारा ही किया जा सकता है इसीलिए आज प्रत्येक दे की सरकार उद्यमियों के विकास पर सर्वाधिक ध्यान दे रही है। जिसके लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम सरकारों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। साथ ही उद्यमियों को प्रेरणाएं एवं सुविधाएं भी प्रदान किये जा रही हैं।

उद्यमिता के विकास में सामाजिक एवं व्यक्तिगत घटकों का भी गहन प्रभाव होता है। यदि व्यक्ति मूल रूप से कल्पनाशील, सृजनात्मक, दूरदर्शी, परिश्रमी, स्वप्रेरित, लक्ष्य प्रवृत्त, अवसर खोजी, सकांरात्मक दृष्टिकोण वाले नहीं है तो मात्र सुविधाएं एवं अनुदान देने से ही उद्यमिता का समुचित विकास सम्भवं नहीं होता है। इसी प्रकार उद्यमिता के विकास में सामाजिक परम्पराओं, मूल्यों व सिद्धान्तों का भी अत्यधिक महत्व होता है उद्यमिता के समुचित विकास के लिए विभिन्न सुविधाओं और प्रेरणाओं का विकास भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त साहासिक वातावरण एवं ढाँचे का भी उद्यमिता के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

उद्यमिता एवं विकास जिसका शाब्दिक अर्थ है- उद्यमिता की वृत्ति का उत्तरोत्तर विकास। अतः उद्यमिता विकास से आशय उन सभी व्यक्तिगत एवं सामूहिक, निजी क्षेत्र के या सरकारी प्रयासों से है। जिसके द्वारा किसी व्यक्ति में उद्यमिता की प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। व्यक्ति के मन में दृढ़ निश्चय उत्पन्न कर उसे उद्यमिता का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, उसकी आंतरिक शक्तियों का विकास किया जाता है ताकि वह सफल उद्यमी बन सके। उसे शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान कर उसकी क्षमताओं का परिमार्जित किया जाता है, तथा उसे बौद्धिक, तकनीकी एवं वैचारिक क्षमताओं से युक्त एवं सम्पन्न बनाया जाता है, भारत में उद्यमिता विकास के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए उद्यमियों को आवश्यक सुविधाएं प्राप्त कर उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है और उद्यमिता के विकास हेतु संचालित संस्थान निम्नलिखित प्रकार स्पष्ट हैं।

1. **भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद**- इस संस्थान की

स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में 1983 में गुजरात सरकार और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से हुई थी।

2. **राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान**- उद्यमिता एवं लघु उद्योगों के विकास, मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली इस शीर्ष संस्था की स्थापना 6 जुलाई 1983 को भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा निम्न उद्देश्यों के लिये की गई थी।

1. विभिन्न एजेंसियों के कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करना तथा उनकी क्रियाओं का निरीक्षण करना।
2. उद्यमिता के विकास के लिए अनुसंधान करना।
3. आदर्श उद्यमिता पाठ्यक्रम तैयार करना एवं परीक्षाएँ आयोजित करना।
4. प्रशिक्षण लेने वालों और लघु साहसियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना।
5. लघु उद्यमियों के लिए सम्मेलन और विचार-गोष्ठियों आयोजित करना।
6. उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय के विकास में संलग्न संस्थाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना।

3. **लघु उद्योग सेवा संस्थान** - लघु उद्योग सेवा संस्थान 1956 में स्थापित हुआ। प्रत्येक राज्य और नई दिल्ली में एक-एक लघु सेवा संस्थान कार्यरत है। इन संस्थानों के माध्यम से औद्योगिक विस्तार सेवा का संचालन हो रहा है।

4. **राष्ट्रीय उद्यमिता विकास बोर्ड** - यह बोर्ड दे में उद्यमिता विकास के लिए एक शीर्ष संस्था है। यह बोर्ड उद्यमिता प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त सुविधाएँ एवं प्रोत्साहन की भी सिफारिश करता है।

5. **भारतीय पैकेजिंग संस्थान** - लघु उद्योगों को पैकेजिंग के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा भारतीय पैकेजिंग संस्थान की स्थापना की गई है।

6. **राष्ट्रीय परीक्षण गृह**- लघु उद्योगों में उपयोगी कच्चे माल, तैयार माल, रसायन आदि की गुणवत्ता की जाँच के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण गृह की स्थापना की गई। यह परीक्षण गृह अलीपुर एवं कोलकाता में स्थापित है।

7. **उद्योग निदेशालय** - भारतीय संविधान के अन्तर्गत लघु उद्योगों के विकास व नियंत्रण का कार्य राज्यों को सौंपा गया है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकारों के द्वारा उद्योग निदेशालय की स्थापना की गई है।

8. **लघु उद्योग विकास संगठन**- लघु उद्योगों को तकनीकी, विपणन, संचालन एवं वित्तीय प्रबन्ध संबंधी सलाह, प्रशिक्षण एवं सहायता उपलब्ध

कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने 1954 में लघु उद्योग विकास संस्थान की स्थापना की थी।

9. राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान - इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए पाठ्यक्रम चलाना है। यह संस्थान लघु उद्यमियों एवं कामगारों के लिए सेमिनार भी आयोजित करता है।

10. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम- इसकी स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा 1955 में की गई थी। निगम अपने विपणन सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लघु उद्योगों के उत्पादों के लिए व्यापक बाजार की व्यवस्था करता है। यह बाजारों की खोज करता है।

उद्यमिता विकास की भूमिका - हमारे दे में बढ़ती जनसंख्या और उत्पाद की बढ़ती मांग को देखते हुए दे उद्यमिता विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है जो समृद्ध राष्ट्र के लिए अति अनिवार्य है। हमारे दे में उद्यमिता विकास की भूमिका को निम्नलिखित प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

1. शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा उद्योगों की गति बढ़ाना- इसके कारण दे में औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार होने की गति में तेजी आई है। इनके द्वारा उद्यमियों को शिक्षण-प्रशिक्षण दिया जाता है और औद्योगिकरण के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जाते हैं।

2. उद्यमिता विकास के लिए संस्थानों की स्थापना- उद्यमिता विकास के कारण दे में बड़ी संख्या में उद्यमिता विकास संस्थानों की स्थापना की गई है। जैसे:- भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, प्रबन्धकीय विकास संस्थान, लघु उद्योग सेवा संस्थान आदि हैं।

3. बेरोजगारी की समस्या का समाधान- उद्यमिता विकास की यह उपलब्धि रही है कि इसके कारण दे में अनेक बड़े एवं लघु उद्योगों की स्थापना की गई है। जिससे रोजगार के अतिरिक्त अवसर निर्मित हुए हैं और बेरोजगारी की समस्या के समाधान में मदद मिली है।

4. दे का संतुलित औद्योगिक विकास- यदि उद्योग किसी एक ही क्षेत्र में केन्द्रित हो जाएं तो सम्पूर्ण दे का विकास रूक जाता है। जिन क्षेत्रों में विकास की गति धीमी होती है वहां शिक्षित एवं प्रशिक्षित उद्यमी आकर सभी क्षेत्र के विकास की गति में तीव्रता लाते हैं। जिससे संतुलित विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

5. नवीन उपकरणों की स्थापना- उद्यमिता विकास का एक प्रमुख उद्देश्य उद्यमियों को उद्यम प्रारम्भ करने की प्रक्रिया एवं कार्यविधि को समझाना है। इनका एक प्रमुख लक्ष्य नवीन उपकरणों की स्थापना एवं उनका विकास करना रहा है। उद्यमिता विकास द्वारा उद्यमियों में अनेक गुण पैदा किये जाते हैं। जैसे :- दूरदर्शिता, कल्पनाशक्ति, अथक साहस, धैर्य, तकनीकी ज्ञान आदि। यह भी कार्य शिक्षण व प्रशिक्षण द्वारा ही किये जाते हैं।

6. प्रतिस्पर्द्धा का बढ़ना - सरकारी सहयोग से जहाँ उद्यमिता विकास होता है तो दे में प्रतिस्पर्द्धा भी तेज होती है। जो दे के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

7. दे का समुचित विकास - उद्यमिता विकास से सभी क्षेत्रों में उद्योगों का विकास होता है और दे में बेरोजगारी कम होने के साथ समग्र विकास होता है।

8. सामाजिक असमानता में कमी - दे में सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास से सभी स्तर पर आर्थिक स्थिति मजबूत होती है जो समाज में सन्तुलित सामाजिक विकास को बढ़ाता है। यह सभ्य समाज के लिए आवश्यक है।

उद्यमिता विकास की सीमाएँ - पिछले कुछ वर्षों से हमारे दे में उद्यमिता विकास पर काफी जोर दिया जा रहा है। इस कार्य के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार ने अनेक संस्थाओं की स्थापना की है। जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। कुछ आलोचकों का कहना है कि अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ होना शेष है। अभी भी उद्यमिता विकास में कुछ कमियाँ हैं। जिनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार स्पष्ट है।

1. सरकारी सुविधाएँ और प्रेरणाएँ का अभाव- दे में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने पर्याप्त सुविधाएँ एवं प्रेरणाएँ उपलब्ध नहीं कराई हैं। उद्योगों के लिए अभी भी दे में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। अनेक राज्य बिजली एवं पानी की कमी से जुझ रहे हैं। इन सुविधाओं की कमी के कारण उद्यमियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2. प्रशासनिक शिथिलता- प्रशासनिक शिथिलता उद्यमिता विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सरकारी विभागों और संस्थाओं में अकार्यकुशलता, नौकरशाही, लालफीताशाही, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, पक्षपात, विलम्ब, नियमों को पकड़कर बैठना आदि बुराईयाँ मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से उद्यमियों को परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन, ऋण व अन्य सुविधाओं की प्राप्ति आदि कार्यों में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

3. उद्यमी मनोवृत्ति का अभाव - जो युवक उद्यमिता विकास की ओर आकर्षित होते हैं। उनमें उपयुक्त व्यावसायिक रूचि, तकनीकी योग्यता, जोखिम उठाने की क्षमता, उद्यमी भावना आदि प्रवृत्तियों का अभाव होता है। इसी कारण दे में उद्यमिता का वांछित विकास नहीं हो पाया है।

4. तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव - हमारे दे के उद्यमिता विकास संस्थाओं में भावी उद्यमियों को जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका स्तर बहुत निम्न है। यह प्रशिक्षण व्यावसायिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं हो पाता है। प्रशिक्षकों में व्यावहारिक ज्ञान का अभाव होता है।

5. उपयुक्त चयन प्रक्रिया का अभाव - उद्यमिता विकास के लिए उपयुक्त संभाव्य उद्यमियों का चयन होना आवश्यक है अगर चयन प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है तो इस पर खर्च किया गया धन और समय व्यर्थ चला जाएगा जो ठीक नहीं है।

6. सामाजिक रूढ़िवादिता एवं कुरीतियों- किसी भी दे में उद्यमिता के विकास के लिए समाज का प्रगतिशील होना बहुत जरूरी है। हमारे दे में उद्यमिता का विकास न होने का प्रमुख कारण है। समाज की द्रोषपूर्ण जाति व्यवस्था, भाग्यवादिता, पुरानी रूढ़ियों में समाज का बन्धा होना, सामाजिक कुरीतियाँ आदि इन सभी कारणों से लोगों में उद्यमशीलता की भावना का विकास नहीं हो पाता है।

7. सृजनशील विचारों का अभाव- हमारे दे में लोग नए एवं सृजनशील विचारों में कोई भरोसा नहीं रखते हैं। उद्योगों में भी अनुसंधान एवं शोध पर बहुत कम राशि खर्च की जाती है। लोगों में अनुसंधान एवं शोध करने की भावना नहीं होती है। इन्हीं कारणों से भारतीय समाज परम्पराओं से बन्धा हुआ है।

8. पुँजी का अभाव - विकसीत दे की तुलना में हमारे दे में लोगों की आय कम होने से बचत नहीं हो पाती है। लोग अपनी पुँजी को उत्पादक कार्यों में न लगाकर सोना, आभूषण, अंचल सम्पत्ति, आवश्यक वस्तुओं का संग्रहण आदि में व्यय कर देते हैं एवं अपनी पुँजी को अनुत्पादक कार्यों में लगाते हैं। पुँजी का अभाव भी हमारे दे में उद्यमिता के विकास के

मार्ग में एक बड़ी बाधा है।

उद्यमिता विकास हेतु सुझाव – भारत में सतुलित उद्यमिता विकास के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण के साथ सुलभ पुंजी एवं प्रेरणाओं के साथ प्रगतिशील वतावरण की आवश्यकता है। उद्यमियों के तीव्र विकास हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं।

1. **तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या में वृद्धि** – उद्यमिता के विकास के लिए तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जाना चाहिए।
2. **उद्यमियों के प्रशिक्षण व अभिप्रेरण की उचित व्यवस्था** – उद्यमिता के विकास के लिए उद्यमियों व कामगारों के प्रशिक्षण व अभिप्रेरण की उचित व्यवस्था की जाना चाहिए।
3. **पिछड़े क्षेत्रों से उद्यमियों की पहचान** – उद्यमिता के विकास के लिए पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमियों की पहचान पद्धति का विकास किया जाना चाहिए।
4. **शिक्षा पद्धति में परिवर्तन** – उद्यमिता के विकास के लिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। उसे रोजगार व साहससे जोड़कर व्यवसाय अभिमूखी बनाया जाना चाहिए।
5. **परामर्श सेवाओं का विस्तार** – उद्यमिता के विकास के लिए उद्यमियों हेतु परामर्श सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।
6. **उद्यमी साहित्य का प्रकाशन** – उद्यमिता के विकास के लिए उद्यमिता साहित्य का व्यापक प्रकाशन व विस्तार किया जाना चाहिए।

7. शोध परियोजनाओं को प्रोत्साहन – उद्यमिता से संबंधित शोध परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

इस तरह निष्कर्ष के रूप कहा जा सकता है कि भारत में उद्यमिता का विकास एक नवीन विचारधारा का विषय है। इसको तीव्रता से लागू करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार वित्तीय संस्थाओं, बैंको व अन्य साख एजेंसियों का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नवयुवकों में विद्यमान उद्यमीय योग्यताओं एवं क्षमताओं के उचित निर्धारण, विकास एवं प्रयोग हेतु व्यापक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं और उद्यमिता विकास को संगठित करने में सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उद्यमिता विकास :- डॉ. राजीव शर्मा, डॉ. राजेंद्र शर्मा, योगिता चर्देल
2. भारतीय अर्थव्यवस्था :- उमाकान्त सिंह
3. उद्यमिता विकास के मूल आधार :- डॉ. प्रवीण अग्रवाल, डॉ. अवनीश कुमार मिश्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन
4. उद्यमिता विकास :- डॉ. यू.सी. गुप्ता, कैलाश पुस्तक सदन
5. उद्यमिता :- राजेश माथुर
6. उद्यमिता विकास :- डॉ. बी.के. अग्रवाल, डॉ. अभय पाठक, राम प्रसाद एंड संस
7. उद्यमिता के मूल आधार :- प्रो. अग्रवाल एवं गुप्ता
8. प्रतियोगिता साहित्य सीरीज :- डॉ. आर .पी. शुक्ला

सेबी के कार्य एवं शक्तियाँ

अंकित खरे*

प्रस्तावना – सेबी के कार्य – सेबी का प्रमुख ध्येय भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों का उत्तम संरक्षण प्रदान करना और प्रतिभूति बाजार के विकास तथा नियमन को प्रवर्तित करना है। सेबी को एक गैर वैधानिक संगठन के रूप में स्थापित किया गया जिसे सेबी अधिनियम 1992 के अंतर्गत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 25 जनवरी 1995 को सरकार द्वारा पारित एक अध्यादेश के द्वारा पूंजी को निर्गमन, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण तथा अन्य संबंधी तमामले के संबंध में सेबी नियंत्रक शक्ति प्रदान कर दी गई है। वर्तमान कानूनों तथा नियंत्रणों में परिवर्तन के संबंध में सेबी अब एक स्वायत्त संस्था है और अब उसे सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। सेबी के कार्य को व्यापक रूप से नीचे तीन वर्णित भागों में विभाजित किया गया है:-

सेबी के कार्य²

सुरक्षात्मक कार्य विकासात्मक कार्य नियामक कार्य

• **सुरक्षात्मक कार्य** – जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कार्य सेबी द्वारा इन्वेस्टर्स और अन्य फाइनेंशियल प्रतिभागियों के हितों की रक्षा के लिए किए जाते हैं :-

• **ट्रेडर्स और निवेशकों के हितों की रक्षा** – ट्रेडर्स पूंजी बाजारों का आधार होते हैं, इसलिए उनकी प्रमुख जिम्मेदारी अपने हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी निवेशक किसी भी ट्रेड धोखाधड़ी का शिकार न बने। इसके लिए, यह समय-समय पर कुछ सेमिनार और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जो ट्रेडर्स और निवेशकों दोनों को शिक्षित करने में मदद करता है।

• **मूल्यों में हेराफेरी को सिमित करना** – चूंकि सेबी बाजार में भारी उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए लागू हुआ था। हालांकि उतार-चढ़ाव वित्तीय बाजार का चलन है लेकिन कभी-कभी कुछ उतार चढ़ाव (मूल्य में हेराफेरी) पहले से ही कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट समूह द्वारा तय किए गए होते हैं। इस तरह के उतार-चढ़ाव से निवेशकों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ना है।

सेबी मूल्यों में हेराफेरी की घटनाओं को रोकने के लिए एक प्रभावी भूमिका निभाता है। इसे रोकने के लिए सेबी ने एक सर्किट शुरू किया है। दिन के क्लोजिंग के आँकड़ों के विश्लेषण पर, सर्किट जिसे थ्रेशोल्ड भी कहा जाता है, सेबी द्वारा परिभाषित किया गया है।

यदि सुरक्षा मूल्य (सिक्योरिटी प्राइस) सर्किट वैल्यू से नीचे चला जाता है, तो सर्किट ब्रेकर की भूमिका सामने आती है। और उस विशेष सिक्योरिटी का ट्रेड घंटों या पूरे दिन के लिए रूक जाता है।

• **इनसाइडर ट्रेडिंग पर नियंत्रण** – कंपनी के शेयर की कीमत में उतार

चढ़ाव पूर्व-घोषणा (pre announcement) या कंपनी के अंदर किसी भी नयी खबर से अत्यधिक प्रभावित होता है। इस तरह की खबरें आने के बाद, कंपनी के कुछ कर्मचारी कंपनी की सिक्योरिटी को पहले ही बेच देते हैं या खरीद लेते हैं।

इस तरह के ट्रेडिंग को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। इसे रोकने के लिए, सेबी लिस्टेड कंपनियों के ट्रस्ट और कर्मचारी कल्याण की योजनाओं (employee welfare schemes) को ब्लॉक कर देता है, जो उन्हें सेकेंडरी मार्केट से अपने खुद के शेयर खरीदने से रोकते हैं।

इसके अलावा, सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, लिस्टेड कंपनियों को अपने कर्मचारियों के सामने लाभ योजनाओं (welfare schemes) को बताना होता है, जिसमें स्टॉक खरीद शामिल है और उन्हें ESOS और ESPS दिशानिर्देशों के अनुसार पंक्तिबद्ध करना होता है।

• **वित्तीय मध्यवर्ती** – सेबी शेयर बाजार में मध्यवर्ती निकाय (intermediate body) है, जिसकी जिम्मेदारी बाजार में सभी लेन देन को सुचारु और सुरक्षित रूप से पूरा करना है।

इस प्रकार, यह पूंजी बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वित्तीय मध्यस्थ जैसे ब्रोकर, सब-ब्रोकर आदि की हर गतिविधि पर निगरानी करता है।

• **विकासात्मक कार्य** – यह भारतीय वित्तीय बाजार में नवीनता और रचनात्मकता लाता है। सेबी द्वारा कई विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-

1. वित्तीय बाजार में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म को लाया गया है।
2. स्व-विनियमन संगठनों को प्रोत्साहित करना।
3. सिक्योरिटीज के DEMAT फार्म का परिचय।
4. वित्तीय मध्यस्थों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।
5. एक्सचेंज के माध्यम से आईपीओ की अनुमति देना।
6. रिसर्च कार्य को अंजाम देना।

• **नियामक कार्य** – इसमें कॉर्पोरेट और वित्तीय मध्यस्थों के सेबी उपनियमों (bye-laws) का प्रवर्तन शामिल है यह स्टॉक मार्केट को सुचारु और पारदर्शी कामकाज को सुनिश्चित करता है।

कुछ नियामक कार्य (Regulatory function) इस प्रकार हैं:

1. सेबी द्वारा कुछ परिभाषित दिशानिर्देश और आचार संहिता है जो वित्तीय मध्यस्थों और कॉर्पोरेट के लिए लागू है।
2. सभी मध्यस्थ, शेयर बाजार के एजेंट, ट्रस्टी आदि सेबी में पंजीकृत होते हैं।

3. यह म्यूचुअल फंड के कामकाज और कंपनियों के अधिग्रहण को नियंत्रित करता है।
4. यह धोखेबाजी एवं अनुचित व्यापारों की रोकथाम करती है।
5. यह अधिनियम के उद्देश्यों से बाहर कि जाने वाली गतिविधियों पर अधि- शुल्क या कोई अन्य प्रभार लगाती है।
6. आंतरिक व्यापार एवं नियंत्रणकारी बोलियों पर नियंत्रण तथा ऐसे व्यवहारों के ऊपर दंड लगाना।

N.C.R. अधिनियम, 1956 के तहत दिए अधिकारों को निष्पादित एवं क्रियान्वित करना, जैसा कि भारत सरकार द्वारा सौंपे जा सकते हैं।

अन्य कार्य :

1. प्रतिभूति बाजार से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना तथा निवेशकों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
2. प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों (unfair Trade practices) को समाप्त करना।
3. स्कंध विपणन तथा अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना।
4. प्रतिभूतियों के अंदरूनी व्यापार पर रोक लगाना।
5. प्रतिभूतियों के बाजार में कार्यरत विभिन्न संगठन के कार्य-कलापों का निरीक्षण करना एवं सुव्यवस्था सुनिश्चित करना उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए सनुसंधान और जाँच को बढ़ावा देना।
6. प्रतिभूति कानून (संशोधन), अधिनियम, 2014 द्वारा सेबी अब 100 करोड़ रूपए या उससे अधिक राशि की किसी भी मनी पूलिंग योजना को विनियमित करने तथा गैर-अनुपालन के मामलों में संपत्ति को संलग्न करने में सक्षम है।
7. सेबी के अध्यक्ष के पास 'तलाशी/जाँच और जब्ती संबंधी ऑपरेशन' का आदेश देने का अधिकार है। सेबी बोर्ड किसी भी प्रकार के प्रतिभूति लेन-देन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से टेलीफोन कॉल डेटा रिकॉर्ड जैसी जानकारी भी मांग सकता है।
8. सेबी उद्यम पूंजी कोषों और म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजनाओं के कामकाज के पेंजीकरण तथा विनियमन का कार्य करता है।
9. यह स्व-नियामक संगठनों को बढ़ावा देने उन्हें विनियमित करने और प्रतिभूति बाजारों से संबंधित धोखाधड़ी एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करने के लिये भी कार्य करता है।

सेबी की शक्तियाँ :- सेबी की तीन शक्तियाँ एक निकाय में शामिल हैं :-

शक्तियाँ

अर्द्ध विधायी अर्द्ध न्यायिक अर्द्ध कार्यकारी

अर्द्ध विधायी - यह SEBI LODR के एक नियम के अनुसार निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियमों और विनियमों का मसौदा तैयार करने की शक्ति रखता है।

सेबी LODR इक्विटी बाजार सहित वित्तीय बाजार के विभिन्न क्षेत्रों के सभी सूचीबद्ध समझौतों के प्रावधान को मजबूत और सुव्यवस्थित करने पर केन्द्रित हैं

अर्द्ध न्यायिक - यदि सेबी ट्रेड में किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि में आता है, तो उसे SEBI PACL के मामले में सुनवाई करने और निर्णय पारित

करने का अधिकार है। यह पूँजी बाजार के लिए बेहतर पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही और विश्वसनीयता प्रदान करता है।

अर्द्ध कार्यकारी - इस अधिकार के तहत नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज करने का पूर्ण अधिकार है। इसके साथ ही, यह संदिग्ध गतिविधि का सबूत इकट्ठा करने के लिए अकाउंट बुक और अन्य विवरणों की जाँच करने का अधिकार रखता है।

कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अब तक प्रशासनिक कार्य कंपनी कार्य विभाग द्वारा संपादित किया जाता रहा है और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) केवल सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों के निर्गम को नियंत्रित करता था। लेकिन अधिनियम की धारा 55क के अनुसार प्रविवरण से संबंधित मामलों (धारा 55-58 और 59-68क), अंश और डिबेंचर के निर्गम और आबंटन से संबंधित मामलों (धारा 69-81), अंशों या डिबेंचरो के अंतरण से संबंधित मामलों (धारा 108, 109, 110, 112), अंश प्रमाण पत्र/डिबेंचर प्रमाण पत्र जारी किये जाने की समय सीमा (धारा 113), अंतः धारक के प्रतिरूपण के लिए शास्त्रि (धारा 116), डिबेंचर से संबंधित विशेष प्रावधानों (धारा 117-122) और लाभांश के भुगतान तथा इससे संबंधित अन्य मामलों में (धारा 206, 207) जो सूचीबद्ध पब्लिक कंपनियों या उन कंपनियों से संबंधित है जो अपनी प्रतिभूतियों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराना चाहती है कंपनी कार्य विभाग की शक्तियाँ सेबी को हस्तांतरित की गई है। अधिनियम के प्रयोजन के लिए सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी से तात्पर्य ऐसी पब्लिक कंपनी से है। जिसने अपनी प्रतिभूतियों में से किसी को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की सूचीबद्ध कराया हो। ऐसी कंपनियों पर प्रशासनिक नियंत्रण उपरोक्त विषयों के बारे में सेबी का होगा।

यह स्पष्ट किया गया है कि अन्य मामलों में जिसमें प्रविवरण से संबंधित मामले, प्रविवरण के स्थान पर कथन, आबंटन की विवरणी, अंशों के निर्गम और अमोचनीय अधिमानी अंशों के मोचन से संबंधित विषय सम्मिलित है, केन्द्रीय सरकार, अधिकरण या कंपनी रजिस्ट्रार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा शक्तियाँ प्रयोग की जाएगी।

यह स्पष्ट है कि धारा 55क का आशय सूचीबद्ध पब्लिक कंपनियों के लिए सेबी को पृथक् वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करना नहीं है। प्रविवरण के पंजीकरण (धारा 60), प्रविवरण के स्थान पर कथन (धारा 70) और आबंटन की विवरणी (धारा 75) से संबंधित कार्य कंपनी रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। छूट पर अंश निर्गम से संबंधित पिटीशन का निपटारा (धारा 79), अमोचनीय अधिमानी अंशों का मोचन (धारा 80क) और अंश प्रमाण पत्रों/डिबेंचर प्रमाण पत्रों को जारी करने की समय सीमा में वृद्धि (धारा 113) के बारे में अधिकरण को शक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार को अंशों के अतिरिक्त निर्गम या ऋण/डिबेंचर का साधारण अंशों में संपरिवर्तन (धारा 81(3) और (4) और अवक्षयण (Depreciation) पद्धति (धारा 205) के बारे में अधिकारिता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने और अनुसूचियाँ निर्धारित करने की शक्ति निरंतर बनी हुई है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 621 के अंतर्गत सेबी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक संशोधन किया गया है।

प्राइवेट कंपनियों और असूचीबद्ध कंपनियों के बारे में उपरोक्त सभी शक्तियों का प्रयोग कंपनी कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा। यदि उपरोक्त मामलों में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है तो सेबी ऐसी

कंपनी के विरुद्ध मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में आपराधिक परिवाद दाखिल कर सकती है।

नये मामलों की जाँच के लिए सेबी को मिली शक्तियाँ – हाल ही में वित्त विधेयक 2019 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान की है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस से छेड़छाड़ करती है या उन्हें नष्ट कर देती है अथवा सेबी द्वारा मांगी गई जानकारी को प्रस्तुत करने में विफल रहती है। वित्त विधेयक 2019 के तहत सेबी अधिनियम में एक नई धारा (15HAA) धारा जोड़ी गई है।

यद्यपि ये इसे बहुत शक्तिशाली बनाता है, जवाबदेही बनाने के लिए एक अपील प्रक्रिया है। एक प्रतिभूति अपीलीय, अपीलीय न्यायाधिकरण है जो तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण है और वर्तमान में मेघालय उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल के नेतृत्व में है। एक दूसरी अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में है। सेबी ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर प्रकटीकरण आवश्यकताओं को व्यवस्थित करने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है।

अपने कार्यों के कुशलता से निर्वहन के लिए, सेबी को निम्नलिखित शक्तियों के साथ निहित किया गया है –

1. सिक्वोरिटीज एक्सचेंजों के कानूनों द्वारा अनुमोदित करने के लिए।
2. कानूनों द्वारा संशोधन करने के लिए प्रतिभूति विनियम की आवश्यकता होती है।
3. खातों की पुस्तकों का निरीक्षण करे और मान्यता प्राप्त प्रतिभूति एक्सचेंजों से आवधिक रिटर्न के लिए कॉल करे।
4. वित्तीय मध्यस्थों के खातों की पुस्तकों का निरीक्षण करे।
5. दलालों और उप-दलालों का पंजीकरण।
6. साहस पूंजी कोषों तथा पारस्परिक निधियों सहित अन्य सामूहिक निवेश योजनाओं का पंजीयन व नियमन।
7. कंपनियों के अंशों का वृहत-स्तरीय क्रय करने तथा कंपनियों की अधिग्रहण क्रियाओं का नियमन करना।
8. निक्षेप निधियों व उसके भागीदारों प्रतिभूतियों के संरक्षकों, विदेशी संस्थागत निवेशकों क्रेडिट-रेटिंग स्थानों तथा अन्य मध्यस्थों का पंजीयन व नियमन।
9. स्कंध विनियम केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने अथवा मान्यता को

निरस्त करने की शक्ति।

10. स्कंध विनियम केन्द्रों के नियमों एवं उपनियमों के अनुमोदित करने की शक्ति।
11. स्कंध विनियम केन्द्रों के अधिकारों को अपने हाथ में लेने की शक्ति।
12. किसी भी मान्यता प्राप्त स्कंध विनियम केन्द्र में किसी भी व्यवहार को उचित आधार पर निरस्त करने की शक्ति।
13. कंपनियों के प्रविवरणों में विशिष्ट बातों का उल्लेख करने हेतु बाध्य करने की शक्ति।
14. प्रविवरण की जाँच तथा निर्गमन कार्य जारी करने की शक्ति।
15. सेवा अधिनियम के पालन न करने वालों पर अर्थदण्ड लगाने की शक्ति।
16. केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों, अधिकारों आदि की अनुपालना में प्रयुक्त शक्तियाँ।
17. 'सेबी' की शक्तियों में और वृद्धि कर दी गयी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

पुस्तके :

1. जिंदल के.के. – सेबी- रोल एण्ड फंक्शन
2. शुल्क डॉ. एस. एम. – भारतीय कंपनी अधिनियम, साहित्य भवन पब्लिकेशन, पेज नं. 111.
3. सेबी- फंक्शन, पॉवर एण्ड ऑब्जेक्टिव – बैंक एक्जाम टुडे
4. sebi guardian of Indian financial market objective, Role and functions.

वेब साइट :

1. Hindi.adigitablogger.com
2. www.drishtilas.com – 13 oct. 2020
3. zfunds.in/hindi/m-Gaurav Seth
4. www.drishtiiias.com – 9th July 2019

कानूनी दस्तावेज :

1. धारा 55 क, कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 16 द्वारा अंतः स्थापित
2. धारा 2 (23क), कंपनी अधिनियम 1956 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 2 द्वारा अंतः स्थापित

महिला शोषण एवं घरेलू हिंसा एक अध्ययन

श्रीमति चित्रमाला भिमटे*

शोध सारांश – किसी राष्ट्र के विकास का वास्तविक आंकलन उसके नागरिकों के जीवन स्तर और दर्जों से होता है। समाज कि महिलाओं के उत्थान का स्तर उस राष्ट्र की प्रगति और विकास का महत्वपूर्ण संकेतक होता है। महिलाएं समाज की आधी जनसंख्या तो होती हैं, इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे मानव समाज की जन्मदात्री और पालन पोषण करने वाली जननी भी होती हैं। इसलिए ईश्वर के पश्चात् माता या जननी का स्थान निर्धारित होता है, नर का अस्तित्व नारी के बिना सम्भव नहीं, अपना दूध पिलाकर माता पुत्र को पालती पोषती है।

इस आधी दुनिया को अत्याचारों की क्रूर जंजीरों में जकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसको कुचलने – मसलने और उसके उपभोग से भिन्न अस्तित्व को स्वीकारने के संदर्भ में पुरुषों का सदैव दोहरा मानदण्ड रहा है। देह स्त्री की एकमात्र पहचान बना दी गई है। अतः पुरुष जगत ने अपने पाशिवक बल से बलात्कार, अपहरण, पिटाई तथा अन्य अत्यंत अमानुशिक अत्याचारों से दबा रखा है। नारी के प्रति अभद्रता, उत्पीड़न, अपमानजनक व्यवहार के प्रति कानून की शिथिलता। विश्व में प्रचलित कानूनों का निर्माण पुरुष समुदाय द्वारा ही बहुतायत से हुआ है। उसमें पुरुषों के अपराधों के प्रति उपेक्षा एवं अनदेखी का भाव है जबकि महिलावर्ग की छोटी भूल चूक भी बड़ी गंभीरता से विचारी जाती है।

शब्द कुंजी – महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा जागरूकता, उत्पीड़न।

प्रस्तावना – महिला का मानव की सृष्टि में नहीं, वरण समाज निर्माण में भी महत्वपूर्ण स्थान है। महिला और पुरुष मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। अनेक परिवारों से समुदाय और अनेक समुदायों से मिलकर एक समाज निर्मित होता आज भारतीय समाज अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। जिस समाज में महिलाओं की पूजा की जाती थी, आज उसी समाज में महिलाओं की न केवल उपेक्षा की जाने लगी अपितु महिलाएं उत्पीड़न और प्रताड़ना की शिकार होने लगी हैं। यह स्वस्थ समाज की निशानी नहीं है, एक बीमार, विकारग्रस्त समाज की तस्वीर पेश करने वाला तथ्य है आज समाज में स्त्रियों के प्रति जो घृणित प्रकृति का विकास होता जा रहा है, उससे समाज को उबारने की आवश्यकता है।

आज हम नारी शक्ति स्त्री कल्याण और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। लेकिन भारत में महिलाओं स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन असमानता इंडेक्स 2014 में 146 देशों में भारत का 132वां स्थान है। महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा को दो रूपों देखा जा सकता है – प्रथम घर के अंदर होने वाली हिंसा तथा दूसरी – घर के बाहर हो रही हिंसा। घर परिवार में घरेलू हिंसा और कार्य स्थानों पर यौन उत्पीड़न आजकल आम बात हैं एक समाजशास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार बालिकाओं एवं महिलाओं के साथ होने वाले करीब 70 प्रतिशत यौन उत्पीड़न उनके नजदीकी रिश्तेदारों या परिचितों द्वारा किये गए।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. महिलाओं के विरुद्ध हो रहे शोषण का अध्ययन किया गया।
2. महिलाओं के सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया गया।
3. घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम का अध्ययन किया गया।

अध्ययन की शोध प्रविधि – प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक संमकों पर

आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से ऑकड़ों से संग्रहण हेतु शासकीय पत्र – पत्रिकाओं सांख्यिकीय पुस्तिका इन्टरनेट आदि का सहारा लिया गया है।

अध्ययन की प्रासंगिकता – प्रत्येक शोधकार्य का एक निश्चित उद्देश्य एवं प्रत्येक उद्देश्यपूर्ण कार्य का अपना महत्व होता है। उपलब्ध साहित्य की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि आज समाज में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में प्रगतिशील हैं। उसके बाद भी वह घरेलू हिंसा का लगातार शिकार होती जा रही हैं। इस शोध पत्र के माध्यम से समाज की महिलाओं में सामाजिक चेतना व अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आयेगी, जिससे घरेलू हिंसा से उभरने का मार्ग प्रशस्त हो पाएगा।

भारत में महिलाओं स्थिति – वैदिक काल में स्त्री को जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अधिकार और अवसर प्राप्त थे। कला, साहित्य संस्कृति और विद्या के क्षेत्र में पुरुषों के सामान ही वह पहल कर सकती थी। पुत्री के रूप वह पुत्र के समान ही प्रिय, युवती के रूप युवक के समान, स्वतंत्र पत्नी के रूप पति से अधिक अधिकार रखने वाली गृह स्वामिनी और जननी के रूप में पिता से भी अधिक पूजनीय थी।

दहेज को लेकर नारी को जला देना आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम आए दिन पत्र पत्रिकाओं में बलात्कार की घटना पढ़ते रहते हैं। इस प्रकार से महिलाओं उत्पीड़न शोषण उनके साथ बलात्कार और उन्हें बहला फुसलाकर भगा ले जाना एवं वेश्यावृत्ति के लिए उन्हें बेच देना, उनकी हत्या कर देना आदि महिला अपराध के कुछ उदाहरण हैं।

महिलाओं के प्रति अपराध को हम तीन भागों में बाँट सकते हैं :-

1. अपराधिक हिंसा, बलात्कार एवं अपहरण।
2. घरेलू हिंसा, दहेज सम्बंधी हत्या, पत्नी को पीटना।
3. सामाजिक हिंसा, पत्नी एवं पुत्रवधु के मादा भ्रूण की हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़छाड़, विधवा को सती होने के लिए

बाध्य करना, दहेज के लिए तंग करना स्त्री को सम्पत्ति में हिस्सा न देना आदि।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के स्वरूप - महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अनेक स्वरूप हैं - बलात्संग या बलात्कार, दहेज के लिए उत्पीड़न, छेड़छाड़, लैंगिक दुर्व्यवहार, अपहरण, लड़कियों तथा महिलाओं का अनैतिक देह व्यापार, कन्या भ्रूण हत्या या शिशु हत्या इत्यादि। सच्चाई तो यह है कि भारत में स्त्रियों न घर में सुरक्षित हैं न घर के बाहर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के आकड़े बताते हैं कि उनके विरुद्ध यौन - हिंसा एवं घरेलू हिंसा अधिकांशतः उनके अपने रिश्तेदारों एवं परिचितों के द्वारा की गई है, हिंसा के स्वरूप भी अब बदल रहे हैं। कम्प्यूटर, इन्टरनेट, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया या मोबाइल के माध्यम से युवतियों को हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। अब मानसिक हिंसा अधिक होने लगी है। बाजारवादी ताकतों के द्वारा स्त्री को एक कमोडिटी के रूप में पेश किया जा रहा है।

भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप - भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा के पीड़ित के रूप में महिलाओं के किसी भी रूप तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका को संरक्षित किया गया है। भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं -

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा - किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना जैसे- मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, किसी वस्तु से माना या किसी अन्य तरीके से महिला को शारीरिक पीड़ा देना, महिला को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिये विवश करना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना, किसी महिला या लड़की को अपमानित करना, उसके चरित्र पर दोषरोपण करना, उसकी शादी इच्छा के विरुद्ध करना, आत्महत्या की धमकी देना, मौखिक दुर्व्यवहार करना आदि।

घरेलू हिंसा (निरोधक) अधिनियम 2005 - घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 में पाँच एवं 37 धाराएँ हैं। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से लागू हो गया है। इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का प्रभावी संरक्षण करना है, जो पारिवारिक हिंसा या घरेलू हिंसा की शिकार हैं। इस कानून की धारा 3 में घरेलू हिंसा को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है - प्रत्यार्थी का ऐसा कार्य या लोप अथवा आचरण जो व्यथित महिला के स्वास्थ्य, जीवन, शरीर -मन को क्षतिग्रस्त करता है। इस प्रकार अधिनियम में पाँच प्रकार के दुर्व्यवहार का उल्लेख किया गया है :-

1. शारीरिक दुर्व्यवहार
2. यौन दुर्व्यवहार
3. मौखिक दुर्व्यवहार
4. भावनात्मक दुर्व्यवहार
5. आर्थिक दुर्व्यवहार

घरेलू हिंसा की पीड़िता को अध्याय 4 में उपचार प्रदान किया गया है, धारा 2 में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को पीड़िता स्वयं, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदान अथवा पुलिस या अन्य के माध्यम से आवेदन कर सकती है। इसका निपटारा त्वरित रूप से 60 दिन में करना होती है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को परामर्श तथा कल्याण विशेषज्ञ की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। पक्षकारों की वांछा पर कार्यवाही बंद कमरे में की जाती है तथा पीड़िता को साझा गृहस्थी में रहने का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है।

घरेलू हिंसा से पीड़ित को विधिक सहायता एवं परामर्श प्राप्त करने का

अधिकार है। मजिस्ट्रेट को प्रथम दृष्टया मामला घरेलू हिंसा का लगता हो तब वह धारा 18 से 23 तक विभिन्न आदेश प्रदान कर सकेगा।

1. संरक्षण आदेश धारा- 18 के अधीन
2. निवास आदेश धारा - 19 के अधीन
3. मौद्रिक आदेश धारा - 20 के अधीन
4. सन्तानों की अभिरक्षा को आदेश धारा - 21 के अधीन
5. प्रतिकर आदेश धारा - 22 के अधीन
6. अंतरिम एवं एकपक्षीय आदेश धारा - 23 के अधीन आदेश संरक्षण आदेश या अंतरिम आदेशों के उल्लंघन पर एक वर्ष तक के कारावास या 20000/- रुपये तक के जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान किया गया है। यह अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानतीय बनाया गया है। संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य भंग किए जाने पर राज्य सरकार की अनुमति से उसे अभियोजित किया जा सकेगा। इस प्रकार घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम एक सिविल विधि के साथ-साथ अपराधिक विधि तक इसका विस्तार है जिससे पीड़िता को त्वरित लाभ मिल सकेगा।

घरेलू हिंसा के कारण :

1. महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएँ पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं।
2. प्राप्त दहेज से असंतुष्टि, साथी के साथ बहस करना, उसके साथ यौन संबंध बनाने से इंकार करना, बच्चों की उपेक्षा करना, साथी को बताए बिना घर से बाहर जाना, स्वादिष्ट खाना ना बनाना शामिल है।
3. विवाह संबंधों में लिप्त होना, ससुराल वालों की देखभाल न करना, कुछ मामलों में महिलाओं में बांझपन भी परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण बनता है।
4. विभिन्न अवसरों पर परिवार के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिये उन्हें पीटा जाता है। बहुत ही सामान्य कारणों में से एक संपत्ति हथियाने के लिए दी गई यातना भी शामिल है।

घरेलू हिंसा के समाधान के उपाय :

1. महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसात्मक गतिविधियों जैसे सार्वजनिक स्थान पर उन पर हमला और बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, उन पर तेजाब फेंकना, निर्वाचित सदस्यों के साथ अश्लील बर्ताव, अपनी शिक्षिकाओं, छात्राओं और बेटियों के साथ बलात्कार करना और घरों में उनको जलाने जैसे अत्याचार करने वालों को कड़े कानून बनाकर दंडित करना।
2. महिला हिंसा से सम्बंधित मामलों का निपटारा तुरन्त किया जाना चाहिए। इस हेतु विशेष अदालतों की स्थापना की जरूरत है। ऐसे मामलों की सही जाँच हेतु महिला जाँच व्यूरा जैसे विभागों की स्थापना की जानी चाहिए।
3. निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस हेतु महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना जरूरी है।
4. महिलाओं को विशेष कानूनी सहायता सेल स्थापित किये जाए।
5. समग्र दृष्टिकोण अपनाकर समन्वित प्रयासों के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को नियंत्रित किया जा सकता है।

निष्कर्ष - हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में प्राचीन काल से वर्तमान समय तक अनेक उतार - चढ़ाव आये हैं। महिलाओं पर सदियों से अत्याचार हो रहे हैं। उसे हर पड़ता है, शिक्षण संस्थाओं, दफ्तरों व अन्य कार्य मिलाकर

नारी न ता सड़क पर सुरक्षित है न ही दफ्तरों में और यहाँ तक कि वह घर के भीतर भी सुरक्षित नहीं है।

आजादी के बाद 72 वर्षों की विकास यात्रा में देश में महिलाओं की शिक्षा स्वास्थ्य आर्थिक स्थिति और सामाजिक मान्यताओं के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन की लहर की सुगबुगाहट अवश्य लक्षित हुई है। लेकिन इस विशाल और अनगिनत विविधताओं वाले देश में इस परिवर्तन का अंश नगण्य है।

सबसे बड़ी समस्या घर के भीतर महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार है। कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन हिंसा के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। विशेषकर महानगरों में अधिकांशतः बलात्कारी नजदीकी रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त या परिचित होता है।

महिलाओं की स्थिति एवं स्तर में सुधार के लिए इसकी शुरुआत सामाजिक स्तर पर ही करनी होगी। इस दिशा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, समाज कल्याण विभाग एवं अन्य सामाजिक संगठनों के बीच समन्वय

कायम करने एवं कुटिल मानसिकता में बदलाव आवश्यक है अन्यथा महिलाओं की संख्या में दिनों दिन गिरावट और उत्पीड़न में वृद्धि का यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'महिला सशक्तिकरण', रमा शर्मा एम.के. मिश्रा 2016 अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस नई दिल्ली।
2. 'महिलाओं के कानूनी धार्मिक एवं सामाजिक अधिकार', रमा शर्मा एम.के. मिश्रा 2016 अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस नई दिल्ली।
3. 'ग्रामीण महिला सशक्तिकरण', डॉ. अमरजीत कौर गिल 2015 स्वदेश रिसर्च फाउण्डेशन जबलपुर
4. भारत में सामाजिक समस्याएँ तेजस्कर पाण्डेय, संगीता पाण्डेय 2009, टाटा मेग्रा हिल्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली।
5. सामाजिक मुद्दे जी.एल. शर्मा 2015, रावत पब्लिकेशन जयपुर।

विभिन्न राज्यों में वस्तु एवं सेवा कर की स्थिति

डॉ. जयराम बघेल *

शोध सारांश - वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लोकसभा में 29 मार्च 2017 को पारित किया गया। यह अधिनियम 01 जुलाई 2017 से दे में प्रभावशील हो गया। वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो कई अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर लागू किया गया। पहले दे में अप्रत्यक्ष करों वस्तु पर लगने वाला कर वस्तु के प्रत्येक स्तर पर मूल्य बढ़ता जाता था परन्तु अब जीएसटी की वजह से वस्तु पर केवल एक बार कर लगाया जाता है। पूर्ववर्ती करों में हर राज्य में विभिन्न प्रकार के अलग-अलग कर शामिल होते थे अब वस्तु के कई करों के स्थान पर एक ही कर लगाया जाता है जिसे वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है।

शब्द कुंजी - कर ढाँचा, संरचना, संग्रहण, मूल्य वृद्धि

प्रस्तावना - संविधान ने केन्द्र सरकार को सेवाओं की आपूर्ति पर विनिर्माण और सेवा करों पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार दिया है। इसी प्रकार यह राज्य सरकार को माल की बिक्री पर राज्य का कर लगाने का अधिकार देता है। जिसे राज्य सरकार मूल्य वृद्धि कर (वैट) के रूप में प्राप्त करती है। राजकोषीय शक्तियों के विभाजन से अलग अलग राज्य अलग कर लगाने लगे एवं एक ही वस्तु का अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मूल्य निर्धारित होने लगा। इसके अलावा कई राज्य अपने इलाके में माल के प्रवेश पर भी कर लगाने लगे। अतः उपभोक्ता पर कर का बोझ अधिक पड़ने लगा और एक वस्तु का कर कई बार चुकाना पड़ता था। अतः दोहरे कर की मार आखिर में आम आदमी को ही वहन करनी पड़ती थी।

इस बड़ी और गम्भीर समस्या को दूर करने के लिये सरकार ने एक एकल कराधान प्रणाली आरम्भ की है। जिसको जीएसटी अर्थात् वस्तु एवं सेवा कर नाम दिया गया। जिसमें सारे अप्रत्यक्ष करों को हटाकर केवल एक वस्तु एक कर है। जीएसटी अर्थात् (Goods and Service Tax) वस्तु कर सेवाकर है। यह केन्द्र और राज्य द्वारा लगाये गये करों के स्थान पर पूरे भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है।

वस्तु एवं सेवा कर भारत में 01 जुलाई 2017 से लागू है। स्वतंत्रता के पश्चात् यह सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। संविधान में 122 वॉ संशोधन किया गया तथा 29 मार्च 2017 को संसद में इसे पारित किया गया तथा यह 01 जुलाई 2017 से पूरे दे में लागू है। इससे पूर्व दे में किसी भी वस्तु पर 30 से 35 प्रतिशत कर देना पड़ता था। कुछ वस्तुओं पर तो 50 प्रतिशत से भी ज्यादा कर देना पड़ता था। परन्तु वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद प्रत्येक वस्तु पर न्यूनतम 5 एवं अधिकतम 28 प्रतिशत कर लगता है।

1. अध्ययन की आवश्यकता :

1. GST से पूर्व की दरों एवं संरचना में एकरूपता नहीं थी।
2. राज्य स्तर पर विक्रय कर या वैट का भूगतान करते समय विनिर्माण राज्य में कोई उत्पाद शुल्क नहीं था और सेवा कर व्यापारियों को नहीं मिलता था।
3. एक राज्य के करों का भूगतान दूसरे राज्य में अप्रभावी हो जाना था

दूसरे राज्य में अलग से कर का भूगतान करना पड़ता था। इसलिये टेक्स पर टेक्स के कारण माल की कीमते कृत्रिम रूप से बढ़ जाती थी।

4. जीएसटी के लागू होने से कर सुधारों में आम आदमी को करों से बड़ी राहत मिली है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के मूल्यांकन की गहराई से समझ हासिल करना।
2. वस्तु एवं सेवा कर की प्रणाली तथा पुरानी मूल्य वृद्धि कर प्रणाली को अलग अलग समझना।
3. प्रत्येक राज्य में जीएसटी संग्रह का पता लगाना।
4. प्रत्येक राज्य से प्राप्त जीएसटी संमकों का विश्लेषण करना।

अध्ययन का महत्व - यह दे विभिन्न राज्यों के मध्य GST के कार्यान्वयन के बारे में एक विस्तृत अध्ययन है। GST लागू होने पर कर की दरों में एकरूपता का वर्णन है। अध्ययन में वस्तु एवं सेवाकर की प्रणाली के लाभों एवं पुरानी मूल्य वृद्धि कर प्रणाली की कमियों से आम जन अवगत होंगे।

अध्ययन की सीमाएँ :

1. अध्ययन दिसम्बर 2019 तक केन्द्रित है।
2. अध्ययन में द्वितीयक संमकों का उपयोग किया है।
3. दे के अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर वस्तु एवं सेवा कर के प्रतिशत में बदलाव हो सकता है।

वस्तु एवं सेवा कर के इतिहास का सिंहावलोकन :

1. 2006 : 2006 -2007 के बजट के दौरान केन्द्रीय मंत्री द्वारा GST की पहली घोषणा की गई थी कि इसे 01 अप्रैल 2010 को पेश किया गया जायेगा।
2. 2009 : अधिकार प्राप्त समिति ने पहला पर्चा जारी किया।
3. 2011 : 115 वॉ संसोधन पेश किया गया बाद में इसे रद्द कर दिया गया।
4. 2014 : 122 वे संसोधन बिल को लोक सभा में पेश किया गया।
5. 2016 : सितम्बर 2016 में GST समिति की प्रथम बैठक आयोजित

की गई।

6. 2017 : मार्च 2017 में GST समिति द्वारा CGST, SGST, IGST, UTGST और उपकर की सिफारिश की गई।
7. अप्रैल 2017 में CGST, SGST, IGST, UTGST और उपकर अधिनियम पारित किये गये।
8. 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम पूरे भारत दे में लागू किया गया।
9. 7 जुलाई 2017 को जम्मू एवं कश्मीर विधान परिषद् में वस्तु एवं सेवा कर पारित हुआ।

वस्तु एवं सेवा कर का वर्गीकरण -

GST को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है -

CGST - CGST एक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर है। यह राज्य के भीतर काम करने वाले आपूर्तिकर्ताओं पर लागू है। जो कर संग्रहण किया जाता है।

वह केन्द्र सरकार द्वारा राज्य का हिस्सा दिया जाता है।

SGST - एक राज्य माल एवं सेवा कर यह राज्य के भीतर काम करने तथा आपूर्तिकर्ताओं पर लागू होता है। जो भी SGST संग्रहण किया जाता है उसे राज्य एवं केन्द्र द्वारा बाटा जाता है।

IGST - एकीकृत माल एवं सेवा के लिये IGST है। यह उन आपूर्तिकर्ताओं के लिये लागू होता है जो अन्तर्राज्यीय व्यापार करते हैं। जो भी संग्रहण होता है कर उसे आपस में राज्य और केन्द्र का हिस्सा बाट लिया जाता है।

UTGST - यदि लेन देन या आपूर्तिकर्ता केन्द्रशासित प्रदेश से है तो वह UTGST के अन्तर्गत आता है।

लाभ :

1. GST राष्ट्रीय स्तर पर बाजार को प्रभावशील एवं सबकी पहुच तक रखता है।
2. विदेशी निवेशकों को आकर्षित करता है।
3. कर की प्रणाली को एकरूपता प्रदान करता है।
4. उत्पादन में गुणवत्ता एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
5. छोटे एवं खुदरा व्यापारियों के पास शुन्य या कम कर होता है।
6. उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करता है।

तालिका 1 (अगले पृष्ठ पर देखें)

निष्कर्ष :

1. जहाँ दिसम्बर 2018 में 69934 करोड़ कुल GST संग्रह हुआ था वही दिसम्बर 2019 में 80747 करोड़ कुल GST संग्रह हुआ है। इस प्रकार कुल औसत वृद्धि 16 प्रतिशत रही है।
2. सबसे कम वृद्धि 2 प्रतिशत उड़ीसा में हुई है तथा सबसे अधिक वृद्धि 124 प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश में है।
3. यहाँ दो राज्य ऐसे भी है जहाँ वृद्धि के बजाय कमी हो गई वह राज्य लक्ष्यद्वीप एवं झारखण्ड है।
4. GST संग्रहण की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है तथा सबसे छोटा राज्य लक्ष्यद्वीप है।

सुझाव :

1. वित्त मंत्रालय द्वारा कर जागरूकता के लिये सभाएँ आयोजित करना चाहिये।
2. वित्त मंत्रालय द्वारा जमीनी स्तर पर निगरानी समिति बनानी चाहिये।
3. सरकार द्वारा कर स्लैब का 3 या 2 ही प्रकार रखना चाहिये।
4. अनिवार्य वस्तुओं को सबसे करमुक्त करना होगा।

उपसंहार - अब तक भारत में छोटी छोटी 29 कर संरचनाओं का ढाँचा चल रहा था और प्रत्येक राज्य अलग अलग कर प्राप्त करते थे। वर्तमान में केन्द्र और राज्यों द्वारा कई कर दरों के एक साथ दूर होने के कारण कर ढाँचे में बहुत सुधार हुआ है।

सरकार द्वारा GST का लागू करना एक सबसे अच्छा निर्णय है। GST को लेकर आम जनता में भ्रम और जटिलताएँ आरम्भ में जरूर थी परन्तु वह अभी एक-एक कर दूर हो रही है। हालाँकि कर संरचना पुरानी कर संरचना से काफी हद तक लाभदायक है तथापि इस संरचना में अभी भी सुधार की संभावनाएँ बनी हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www.clear-tax.com
2. www.budget.com
3. www.mp.gov.in
4. GST डिजिटल ई-बुक चतुर्थ संस्करण - सुधीर हालाखेडी
5. माल और सेवाकर - डॉ. एच.सी. मेहरोत्रा, प्रो. बी.पी. अग्रवाल (साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा)

तालिका 1 - विभिन्न राज्यों में वस्तु एवं सेवाकर की स्थिति (राशि करोड़ में)

क्र	राज्य	दिसम्बर 2018	दिसम्बर 2019	वृद्धि (प्रतिशत में)	क्र	राज्य	दिसम्बर 2018	दिसम्बर 2019	वृद्धि (प्रतिशत में)
1	अरुणाचल प्रदेश	26	58	124	19	मिजोरम	13	21	60
2	असम	743	991	33	20	मेघालय	108	123	14
3	अंडमान एवं निकोबार	22	30	36	21	मध्यप्रदेश	2094	2434	16
4	आन्ध्रप्रदेश	2049	2265	11	22	महाराष्ट्र	13524	16530	22
5	बिहार	909	1016	12	23	नागालैण्ड	17	31	88
6	चंडीगढ़	143	168	18	24	उड़ीसा	2347	2383	2
7	छत्तीसगढ़	1852	2136	15	25	पंजाब	1162	1290	11
8	दिल्ली	3146	3698	18	26	पांडिचेरी	152	165	9
9	गुजरात	5619	6621	18	27	राजस्थान	2456	2713	10
10	दमन एवं दिव	77	94	22	28	सिक्कीम	150	214	43
11	दादर एवं नगर हवेली	129	154	20	29	त्रिपुरा	48	59	24
12	गोवा	342	363	6	30	तमिलनाडू	5415	6422	19
13	हिमाचल प्रदेश	595	699	18	31	तेलंगाना	3014	3320	13
14	हरियाणा	4646	5365	15	32	उत्तराखण्ड	1055	1213	15
15	झारखण्ड	1995	1943	-3	33	उत्तर प्रदेश	4907	5489	11
16	केरल	1416	1651	17	34	लक्ष्यद्वीप	4	1	-78
17	कर्नाटक	6209	6886	11	35	पश्चिम बंगाल	3230	3748	16
18	मणिपुर	27	44	64	36	जम्मू और कश्मीर	293	409	40
						योग	69934	80747	16

बाँछड़ा समुदाय की स्त्रियों के प्रति बाँछड़ा समुदाय के पुरुषों के व्यवहार का अध्ययन (नीमच जिले के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. मनु गौरहा* दीपक कारपेन्टर**

प्रस्तावना – नीमच जिले में बाँछड़ा समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो अपना जीवनयापन वेश्यावृत्ति के द्वारा चलाता है। यह समुदाय अपने समुदाय की स्त्रियों से वेश्यावृत्ति कराता है। इस समुदाय में वेश्यावृत्ति को गलत दृष्टि से नहीं देखा जाता और न ही इसे वहाँ अपराध समझा जाता है। वे इसे अपना पुश्तैनी धन्धा बताते हैं। इस समाज में स्त्रियों से पैदा होने वाले बच्चे भी इसी धंधे में उतरते हैं। स्त्रियाँ वेश्यावृत्ति करती हैं और पुरुष उनसे यह कार्य करवाते हैं। इनके रहने के स्थान को डेरा कहा जाता है और यही इनके व्यवसाय का केंद्र भी होता है। अधिकतर इनके डेरे सड़कों के किनारे स्थित होते हैं। जिससे ग्राहकों को आकर्षित करना आसान होता है। अधिकतर इनके ग्राहक ट्रक-कार ड्राइवर, रईसजादे आदि ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपनी हवस मिटानी होती है या जो अपने परिवार से कई दिनों से दूर रहते हैं और आदि कई कारणों व नवीन आकर्षण की तलाश में इनके ग्राहक बनते हैं।

सरकार ने इनके उत्थान के लिए जाबाली योजना (1992) चलाई है ताकि ये समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। इस योजना के तहत समुदाय के छोटे बच्चों को दूषित माहोल से दूर रखने के लिए छात्रावास का प्रस्ताव रखा था। जिसके कुछ सुखद परिणाम भी आये परन्तु कुछ समय बाद पुनः इन्होंने अपना पुश्तैनी व्यवसाय अपना लिया। अर्थात् इन्हें मुख्य धारा में लाना आसान काम नहीं है। चूँकि इनके पास अन्य धंधे नहीं हैं और नवीन व्यवसाय अपनाने में इनमें आवश्यक योग्यता का अभाव होता है साथ ही इन्हें पुश्तैनी धंधा ज्यादा आसान लगता है बनिस्बत कोई अन्य नवीन व्यवसाय के। साथ ही अन्य कारण भी हैं जिसके कारण ये अपना पुश्तैनी धंधा छोड़ना पसंद नहीं करते।

समस्या का परिचय – रतलाम से मन्दसौर, नीमच की ओर जाने वाले महु-नीमच राष्ट्रीय मार्ग पर जावरा से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बगाखेड़ा से बाँछड़ा समुदाय के डेरों की शुरुआत होती है। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर हाईवे पर ही परवलिया डेरा स्थित है। इस डेरे में बाँछड़ा समुदाय के 47 परिवार रहते हैं। महु-नीमच राष्ट्रीय राजमार्ग पर डेरों की यह स्थिति नीमच जिले के नयागाँव तक है। रतलाम, मन्दसौर और नीमच तीनों जिलों में कुल लगभग 68 गाँवों में बाँछड़ा समुदाय के डेरे बसे हुए हैं। यह समुदाय नीमच की तीनों तहसीलों नीमच, मनासा और जावद में है।

देहव्यापार करने वाला यह समुदाय पूरे विश्वसमुदाय में अपनी एक अनोखी पहचान लिए हुए है, क्योंकि इसमें घर की बहन, बेटियों से माँ-बाप के सामने ही देहव्यापार चलता है और माँ-बाप ही उनसे देहव्यापार करवाते हैं। आश्चर्य और विडम्बना यही है की परिवार के व्यक्तियों द्वारा इस कार्य

को घृणित नहीं माना जाता है। यही एक चीज इसे बाकी समाज से अलग करती है। इसी के कारणों को जानने के लिए खासकर पुरुषवर्ग के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए की आखिर वे क्या सोचकर इस घृणित कार्य में अपनी बहन-बेटियों को झोंक देते हैं। जिसके बारे में बाकी समाज कल्पना भी नहीं कर सकता। वे क्या सांस्कृतिक तत्व, परिस्थिति और उनकी विचार प्रक्रिया है जो उन्हें बाकी समाज से अलग करती हैं। यही जानने के लिए, उन पुरुषों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कि वे अपने परिवार की स्त्रियों के बारे में क्या सोचते हैं जो ये देहव्यापार करती हैं। उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है जब वे देहव्यापार कर रही होती हैं।

प्रस्तुत अध्ययन की उपयोगिता – निश्चित लक्ष्य प्राप्ति व सार्थकता हेतु शोध की उपयोगिता अति आवश्यक होती है। इसलिए प्रस्तुत शोध को उपयोगी बनने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं:-

1. बाँछड़ा समुदाय के इतिहास का संक्षिप्त अध्ययन।
2. बाँछड़ा समुदाय के पुरुषों के पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन।
3. बाँछड़ा समुदाय की सामान्य संस्कृति का अध्ययन।
4. बाँछड़ा समुदाय की स्त्रियों के प्रति उस समुदाय के पुरुषों के व्यवहार का अध्ययन, उनके विचारों का तथा उनके दृष्टिकोण का अध्ययन।
5. बाँछड़ा समुदाय के पुरुषों द्वारा अपने समुदाय की स्त्रियों से वेश्यावृत्ति कराने के कारणों का अध्ययन।
6. बाँछड़ा समुदाय के वेश्यावृत्ति की समस्या निवारण और पुरुषों के व्यवहार परिवर्तन के उपाय खोजना।

उपलब्ध साहित्य समीक्षा – प्रस्तुत शोध कार्य हेतु साहित्य पुनरावलोकन 'बाँछड़ा समुदाय की स्त्रियों के प्रति बाँछड़ा समुदाय के पुरुषों की मानसिकता का अध्ययन' (नीमच जिले के विशेष सन्दर्भ में) किया गया है। मीनाक्षी निशांत सिंह (2010) ने आधुनिकता और महिला उत्पीड़न के अंतर्गत पुरुषों की मानसिकता को उजागर करते हुए विभिन्न मुद्दों को उठाया है। क्यों होता है उत्पीड़न के अंतर्गत पुरुष मानसिकता के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा है की हर जगह महिलाओं को पुरुष मानसिकता द्वारा उत्पीड़न झेलना पड़ता है। यौन उत्पीड़न की शिकार औरतों के अंतर्गत यौन उत्पीड़न का अर्थ बताया गया है कि किसी महिला को इसलिए उत्पीड़ित करना क्योंकि वह एक महिला है। अर्थात् उसका महिला होना ही अपराध हो गया। देवदासी प्रथा का भी उल्लेख पुरुषों की लम्पट मानसिकता की पूर्ति के साधन के रूप में उल्लेखित किया गया है। वेश्यावृत्ति को जैविक कारण, पारिवारिक कारण,

* प्राध्यापक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (समाजशास्त्र एवं समाजकार्य अध्ययनशाला) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

मनोवैज्ञानिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण आदि के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। डॉ. दिनेश चौहान (2013) ने दलित समाज की महिलाओं की वेश्यावृत्ति के बारे में उल्लेख किया है। डॉ. सवलिया बिहारी वर्मा (संपादक) 2011, की पुस्तक में यौनकर्म से सम्बंधित सामाजिक, आर्थिक विषयों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें पुरुषों की कुटिल मानसिकता के परिणामस्वरूप स्त्रियों को इस यौनकर्म के साथ साथ अनेक स्वास्थ्य समस्याओं आदि का सामना करना पड़ता है और उस पुरुष मानसिकता के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया है जो देहव्यापार को अपराध नहीं मानते हैं। यहाँ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1986 और यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विधेयक 2005 के बारे में भी बताया गया है। अमर कुमार (2005) ने योगेन्द्र सिंह के समाजशास्त्र की व्याख्या में सामाजिक परिवर्तन को विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया है। डॉ. जे. पी. सिंह (2010) ने आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या विभिन्न सिद्धांतों से की है। शम्भूलाल दोषी और मधुसुदन त्रिवेदी (2006) ने विभिन्न उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के द्वारा समाज को समझने का प्रयास किया है। अनामिका (2012) ने पुरुषवादी अवसरवादिता एवं नारी अस्तित्व के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। इसके साथ ही स्त्रीचातुर्य एवं पुरुष आसक्ति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, अर्थात् पुरुष की मानसिकता अवसरवादिता की रही है और उसकी नारी के प्रति आसक्ति ने स्त्रियों को कितना कुछ सहन करना पड़ा है यह बताया है। आर. पी. मीना (1996) ने अपने शोध प्रबन्ध में कंजर जनजाति में अपराध की मानसिकता का उल्लेख किया।

प्रस्तावित अध्ययन में उल्लेखनीय योगदान - श्रीनिवास, एम.एन. (1942), कपाडिया, के.एम. (1958), ए.एस. (1962) प्रथम शोधार्थी रहे हैं जिन्होंने परिवार में स्त्री की स्थिति पर विमर्श किया गया है। साथ ही पुरुषों द्वारा स्त्री के सम्बन्ध में क्या मानसिकता रखी जाती है उसे समझाने का प्रयत्न किया गया है। राज, ए. (1961), कपूर, पी. (1974), फोनसेका, एम. (1980) और शाह, बी. ए. (1982) ने परिवार की संरचना, पुरुषवादी सोच के बीच महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। जिसमें उन्होंने अधिकांश परिवारों को पारम्परिक व पुरुषवादी बताया है, जिससे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक समस्याओं को स्पष्ट किया गया है।

उपकल्पना - बाँछड़ा समुदाय के पुरुषों के अपने समुदाय की स्त्रियों के प्रति जो मानसिकता है उसके निम्न कारण हो सकते हैं :-

1. बाँछड़ा समुदाय के पुरुषों के व्यवहार पर पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक समस्या का विशेष प्रभाव पड़ा होगा।
2. बाँछड़ा समुदाय पर उनकी सामान्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा होगा।
3. इतिहास में हुई दुर्घटनाओं के कारण पुरुषों का व्यवहार प्रभावित हुआ होगा।

शोध प्रविधि :

1. **अध्ययन का क्षेत्र** - प्रस्तुत अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के नीमच जिले का चयन किया जाना है क्योंकि नीमच जिले में यह समस्या विकराल रूप लिए हुए है साथ ही बाँछड़ा समुदाय यहाँ पर्याप्त संख्या में है। अतः उस समुदाय के पुरुषों के व्यवहार के अध्ययन के लिए नीमच जिले का क्षेत्र के रूप में चयन करना पूर्णतया उचित प्रतीत होता है। ज्यों-ज्यों आर्थिक विकास इस जिले में हुआ है उसके साथ ही बाँछड़ा समुदाय के व्यवसाय और जनसँख्या में भी वृद्धि हुई है।

2. **अध्ययन का समग्र** - अध्ययन के समग्र हेतु नीमच जिले के बाँछड़ा

समुदाय में-उस समुदाय की स्त्रियों के प्रति वहाँ के पुरुषों की मानसिकता का अध्ययन हेतु बाँछड़ा समुदाय के पुरुषों का चयन किया जाना है।

3. **अध्ययन की इकाई** - नीमच जिले के बाँछड़ा समुदाय के उन पुरुषों की मानसिकता का अध्ययन करना जो अपनी बहन बेटियों आदि से वेश्यावृत्ति करवाते हैं। जिनकी कुल संख्या 100 रही, अर्थात् अध्ययन की इकाई नीमच जिले के बाँछड़ा समुदाय का पुरुष है।

4. **अध्ययन का प्रतिदर्श** - प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्रतिदर्श के रूप में नीमच जिले के 100 पुरुषों का चयन जो बाँछड़ा समुदाय के हैं जो अपनी बहन-बेटियों से वेश्यावृत्ति करवाते हैं। इनका चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति एवम् लाटरी निदर्शन पद्धति के माध्यम से किया गया है।

5. तथ्य का संकलन

प्राथमिक स्रोत - शोध कार्य हेतु शोधकर्ता द्वारा प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत निम्न प्रविधियों का प्रयोग किया गया।

साक्षात्कार अनुसूची - साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया, जिसमें बाँछड़ा समुदाय के पुरुषों की मानसिकता का अध्ययन किया गया और उन परिस्थितियों, संस्कृति, इतिहास आदि पहलुओं का भी अध्ययन किया गया जो उनकी इस मानसिकता की जिम्मेदार है। इनसे सम्बंधित प्रश्न तैयार किये गए और सम्बंधित से पूछकर जाकर साक्षात्कार अनुसूची में भरे गए।

अवलोकन - शोधार्थी द्वारा आवश्यकतानुसार प्रत्येक इकाई से सम्बन्धित अवलोकन किया ताकि कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरे गए।

द्वितीयक स्रोत - पुस्तकों, समाचार पत्र-पत्रिकाओं, शासकीय अभिलेखों आदि के द्वारा प्राप्त सामग्री के द्वारा द्वितीयक तथ्यों का संकलन किया गया।

6. **तथ्यों का विश्लेषण एवं संपादन** - प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु शोधकर्ता द्वारा समकों का संकलन करके प्राथमिक आंकड़े प्राप्त किया गया और आवश्यकतानुसार उनका संपादन किया गया। साक्षात्कार अनुसूची में जो भी त्रुटियाँ रही उन्हें सम्पादित किया गया। शोध को वैज्ञानिक स्वरूप एवम् मानवीय व्यवहार की उचित माप सुनिश्चित करने लिए यथासंभव आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया गया है। आवश्यकतानुसार प्राप्त समकों के विश्लेषण के लिए विभिन्न सांख्यिकीय विश्लेषण विधियों का प्रयोग किया गया है तथा सार्थक परीक्षणों द्वारा प्राप्त समकों की प्रभावशीलता की जाँच की गया। इसके साथ समकों के सार्थक प्रस्तुतीकरण हेतु सांख्यिकीय ग्राफ-चित्र व आरेखों का यथानुकूल प्रयोग किया गया। शोधकर्ता द्वारा अनुसूची के प्रश्नों के विकल्पों को संकेत अर्थात् 1,2,3,4,इ,ब,क, आदि का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया गया।

प्रस्तावित अध्ययन के संभावित परिणाम - उन संभावनाओं को उनकी सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि कारकों में तलाशी गयी, जिसके कारण बाँछड़ा समुदाय के पुरुष अपनी बहन बेटियों आदि से वेश्यावृत्ति कराने की मानसिकता लेकर समाज में एक अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। साथ ही उनकी सामान्य संस्कृति में उस मानसिकता व व्यवहार की खोज की संभव हुई। उनका व्यवहार क्या है अपने परिवार की महिलाओं के प्रति, उसको उनके इतिहास व संस्कृति के आइने में भी समझा जा सकता है। जिससे वेश्यावृत्ति समस्या निवारण के उपाय भी मिले हैं। 150 वर्ष पूर्व अंग्रेज इस समुदाय को अपनी हवस मिटने लिए लाये थे और अब बाँछड़ा समुदाय ने इसे अपने पेट भरने का मुख्य जरिया बना लिया है। बाँछड़ा समुदाय की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इस समुदाय के लोग स्वयं को राजपूत बताते हैं,

जो राजवंश के इतने वफादार थे कि इन्होंने शत्रुओं के राज जानने अपनी महिलाओं को गुप्तचर बनाकर वेश्या के रूप में भेजने में भी संकोच नहीं किया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. अनामिका, 2012; 'स्त्रीविमर्श का लोकपक्ष'; नई दिल्ली; वाणी प्रकाशन
2. मीना, आर. पी., 1996; 'राजगड़ (ब्यावरा) जिले की कंजर जनजाति में अपराध एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'; विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन म. प्र.
3. मेहता; चेतन; 1996; 'महिला एवं कानून'; नई दिल्ली; आशीष पब्लिकेशन हाउस
4. सिंह, मीनाक्षी, निशांत; 2010; 'आधुनिकता और महिला उत्पीड़न'; दिल्ली; ओमेगा पब्लिकेशनस
5. तिवारी, श्रीमती स्वाति; 1999; 'महिलों पर पारिवारिक अत्याचार एवं परामर्श केन्द्रों की भूमिका य'; बानीस; पीएच.डी शोधप्रबन्ध
6. वर्मा, डॉ. निकुंज एवं पंचार, मीनाक्षी; 1994; 'नारी उत्पीड़न और कानून'; बड़वानी; निकुंज प्रकाशन
7. वर्मा, सवलिया बिहारी (सं); 'ग्रामीण महिलाओं की स्थिति'; नई दिल्ली; यूनिवर्सिटी पब्लिकेशनस

बालको के विकास में शासकीय योजनाओ की भूमिका का अध्ययन

कमल कृष्णानी*

प्रस्तावना – बाल विकास, मानव विकास की नींव एवं राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। विकास की अवस्था शब्द का प्रयोग तकनीकी दृष्टि से भ्रामक है फिर भी प्रायः यह स्वीकार किया जाता है कि विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया को कुछ अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। माता के द्वारा **गर्भधारण** करने से लेकर शिशु के जन्म तक का समय **गर्भावस्था** कहलाती है। शिशु के जन्म के उपरान्त के प्रथम पाँच वर्ष का काल **शैशवावस्था** कहलाती है। पाँच वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष तक की आयु की अवधि **बाल्यावस्था** या **बाल्याकाल** कहलाती है। बारह वर्ष की आयु से लेकर अठारह वर्ष की आयु तक की अवस्था **किशोरावस्था** कहलाती है। अठारह वर्ष की आयु के उपरान्त का काल **प्रायस्काल** कहलाता है।

बालकों के विकास में उनके शुरूआती छः वर्षों का बहुत महत्व होता है इसी दौरान बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, उसके हितों, उसके नजरिये और अवसरों की काफी सारी वस्तुएँ तय हो जाती हैं। यह अवस्था असुरक्षित भी होती है। खासकर जब हम भारतीय संदर्भ की चर्चा कर रहे हों।

आज भी हमारे भारतवर्ष में बालकों के कुपोषण की स्थिति एक बड़े स्तर पर है अनुभवहीनता एवं उचित साधनों की अनुपलब्धता के कारण आज हमारे राष्ट्र में बच्चों, महिलाओं में एनिमिया एवं बालिकाओं को कुपोषण का शिकार होना पड़ रहा है। देश में आज भी ज्यादातर प्रसव बिना किसी प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स या दाई की देख-रेख में होता है जिसके अनेक कारणों के मध्य एक कारण है हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा का निम्नस्तर का होना, शिक्षा भी विकास को प्रभावित करती है शिक्षा जहाँ एक ओर बालकों का सर्वांगीण विकास कर उनको विद्वान, चरित्रवान और बुद्धिमान बनाती है वहीं दूसरी ओर एक आवश्यक और शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करती है जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को उच्च आदर्शों, आकांक्षाओं, विश्वासों जैसे सांस्कृतिक सम्पत्ति को हस्तांतरित करती है।

साहित्य समीक्षा – प्रस्तावित शोध बालकों के विकास में आँगनबाड़ी की भूमिका (शहडोल जिले के विशेष संदर्भ में) से संबंधित विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर अनेकानेक शोध, पुस्तकों, प्रकाशित-अप्रकाशित शोध प्रबंधों का अध्ययन किया गया है साथ ही भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा कई शोध उपाधियों समय-समय पर प्रदान की गई हैं। तथापि प्रस्तावित अध्ययन की विषय-वस्तु उद्देश्य एवं परिकल्पनायें तथा क्षेत्र पूर्व में किये गये अध्ययनों से अलग है जिससे पूर्व के अध्ययनों में पुनरावृत्तियों से बचाने हेतु साहित्य की समीक्षात्मक अध्ययन को महत्वपूर्ण माना जाता है।

आँगनबाड़ी के कार्यक्रम पर कई शोध कार्य हुए हैं जिसमें कुछ अध्ययन निम्नलिखित हैं-

पी.सी. मित्तल एवं एस. श्रीवास्तव (2006)- भारत की ओरोन जनजातियों की पोषण की स्थिति और भोजन संबंधी परम्पराओं पर अध्ययन किया है जिसमें ओरोन समूहों का आहार में पूर्णतः कमी पायी, जिसमें अनाज का सेवन कम से कम किया जाता था एवं दूध व फल का सेवन भी नगण्य ही पाया गया और हरें पत्तेदार सब्जी न के बराबर उपयोग की जा रही थी अध्ययन का निष्कर्ष की सम्पूर्ण विकास के बाधा का कारण पूर्ण संतुलित आहार की कमी है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाब्लिक को ऑपरेशन एवं चाइल्ड डेवलपमेंट (1987) - में चयनित विकास मानिटरिंग की मूल्यांकन रिपोर्ट ने राष्ट्रीय संघ में उपलब्ध आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भागीदारी व सामुदायिक भागीदारी आदि की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इस रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार भविष्य में जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है।

के.वी. राधमनी (2017) ने ग्रामीण क्षेत्र में आँगनबाड़ी बच्चों के पोषण की स्थिति पर अध्ययन किया और पाया कि बच्चों में बाल मृत्यु दर कुपोषण और रूग्णता के कारण स्वास्थ्य की समस्या सूची में सबसे ऊपर आती है। उनका उद्देश्य आँगनबाड़ी में 02-05 वर्ष के बच्चों की पोषण की स्थिति का आकलन करना और इसके लिए उन्होंने अनुभागीय अध्ययन किया जिसमें क्लस्टर नमूना करण पद्धति का उपयोग भी किया है।

अध्ययन का निष्कर्ष निकलता है कि आँगनबाड़ी में स्वास्थ्य व पोषण की सुविधाओं को तुलनात्मक रूप से अधिक कुपोषण से प्रभावित बच्चों पर उपयोग किया जाए, ताकि सामान्य स्तर का तालमेल असामान्य स्तर के बच्चों पर भी बैठाया जा सके।

ज्योत्सना श्रीवास्तव, अमित अग्रवाल, आशीष गिरी (2018) - के नवजात शिशु के जन्म के वजन के संबंध में मात्र मानव विज्ञान पर अध्ययन किया। जिसमें नवजात शिशु का जन्म वजन सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो नवजात शिशुओं के कर्तव्य के अस्तित्व और गुणवत्ता को प्रभावित करता है इनके अध्ययन का उद्देश्य नवजात शिशु के जन्म के वजन के संबंध में मातृ मानवशास्त्री मापदण्डों का अध्ययन किया। भारत में तृतीयक देखभाल शिक्षण अस्पताल में केस स्टीड के माध्यम से इन विषयों पर अध्ययन किया। नवजात के वजन, रखरखाव, गर्भावस्था के दौरान से ही शुरू कर दिया जाता है। ताकि माता के साथ-साथ नवजात के स्वास्थ्य का ध्यान भी गर्भावस्था से पूर्णतः रखा जा सके।

इनके अनुसार प्रसवकालीन परिणामों में सुधार करने के लिए अस्पताल और घर पर उचित देखभाल के हस्ताक्षेप के अधीन किया जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य - प्रत्येक शोध कार्य निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अध्ययन में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों को चुनने का उद्देश्य

यह था कि दोनों क्षेत्रों में बालकों का विकास कुपोषण की रोकथाम, मृत्युदर की कमी तथा हितग्राही तक लाभ को कैसे पहुंचाया जा सके तथा जागरूकता कैसे फैलाया जा सके तथा बालकों के विकास में मदद की सके।

प्रस्तुत शोध कार्य के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. शहडोल जिले निवासरत 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने का अध्ययन।
2. बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करने का अध्ययन।
3. बाल मृत्युदर, गुणवत्ता, कुपोषण तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी कैसे लाई जायें का अध्ययन।
4. बाल विकास को प्रोत्साहन के लिए संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने का अध्ययन।
5. पोषण स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माताओं को प्रशिक्षित करने का अध्ययन।
6. ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की भूमिका का विस्तार का अध्ययन।
7. 15 से 45 वर्ष की महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तथा उनमें निर्णय लेने की क्षमता के विकास का अध्ययन।

उपकल्पना - उपकल्पना किसी विषय से संबंधित एक सामान्य अनुमान अथवा विचार है जिसके संदर्भ में ही सम्पूर्ण अध्ययन किया जाना है। प्रारंभिक स्तर पर एक परिकल्पना अनुसंधान कार्य का मार्ग निर्देशन करती है। अध्ययन के बीच में यह अध्ययनकर्ता को इधर-उधर भटकने से रोकती है तथा अध्ययन के पूर्व में यह उपयोगी निष्कर्ष प्रस्तुत करने तथा पूर्व निष्कर्षों का सत्यापन करने में सहयोगी होती है। अध्ययन को वैधानिक बनाने के लिए निम्न उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया है।

मैकग्युगन (1990) के अनुसार, 'दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए जांचने योग्य कथन को परिकल्पना कहते हैं।'

करिलंगर (1986) के अनुसार, 'दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों के आनुमानिक कथन को परिकल्पना कहा जाता है। परिकल्पना को हमेशा घोषणात्मक वाक्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और वे चरों से चरों के बीच में सामान्य या विशिष्ट संबंध बतलाते हैं।'

1. बाल विकास में ऑगनबाड़ी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके तहत सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर होता है।
2. ऑगनबाड़ी केन्द्रों में महिलाओं की गर्भावस्था से प्रसवकालीन सम्पूर्ण स्वास्थ्य जांच और नवजातों के टीकाकरण की व्यवस्था होती है।
3. ऑगनबाड़ी में गैर औपचारिक शिक्षा और बाल अधिकार के साथ-साथ जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
4. एकीकृत बाल विकास सेवाओं, कुपोषण संबंधी स्वास्थ्य सुविधा और अनाज युक्त पोषण आहार की समुचित व्यवस्था की जाती है जिस कारण ऑगनबाड़ी केन्द्रों का प्रदर्शन निरंतर प्रगतिशील रहा है।
5. गरीब व असहाय नवजातों को भेदभाव रहित बुनियादी सुविधायें सहजता से ऑगनबाड़ी प्रदान करता है जो बाल विकास को उच्चतम स्थिति पर ले जाता है।

प्रस्तावित शोध कार्य के विषय में विशिष्ट योगदान - प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया कि समुचित वातावरण की कमी के कारण असहाय, निर्धन

और कुपोषित, विकलांग बच्चे जो समाज में किसी न किसी कमी के शिकार हैं और जिनका परम्परागत तरीके से पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, उनका विकास ऑगनबाड़ी के माध्यम से तेज गति से हो रहा वही दूसरी ओर महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके हितों की देखभाल एवं उनका संरक्षण करने महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, उनका हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले आत्याचार, अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए व महिलाओं को सशक्तिकरण व स्वालंबन की भावना को जागृति करने का प्रयास ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता सुव्यवस्थित ढंग से कर पा रहे हैं।

ऑगनबाड़ी में प्रमुख रूप से सामाजिक सहभागिता पर ध्यान आकर्षण किया जाता है। ताकि समाज का हर वर्ग आगे आकर राज्य व केन्द्र सरकारों की योजनाओं का लाभ ले सके। क्योंकि ऑगनबाड़ी के विभिन्न उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है एक अच्छा स्वास्थ्य व एक न्यूनतम पोषण की जरूरतों को पूरा करना तथा व्यक्ति विकास में सहायक बनना। पूर्वगामी सर्वेक्षण (**Pilot Survey**) के दौरान शोध कार्य हेतु निम्न परिणाम प्राप्त हुए जो आगामी शोध कार्य में शोधार्थी का मागदर्शन करेंगे।

अध्ययन से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुये :

1. महिलाएं और परिवार में अंधविश्वास के प्रति कमी आई है। पहले बच्चे के बीमार होने पर उन्हें झाड़-फूंक के लिए लें जाया जाता था।
2. महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से बच्चों के कुपोषण समस्या की कमी आयी है।
3. महिला एवं पुरुष में बच्चे के संबंधित बीमारी को लेकर अधिक जागरूकता पैदा हुई है तथा योजनाओं की जानकारी भी है।
4. यह महिला सशक्तिकरण की ओर का अध्ययन कदम है।

शोध कार्य के लिए प्रस्तावित प्रविधि - प्रस्तुत शोध में समाज विज्ञान में किसी भी समस्या का अध्ययन विशिष्ट पद्धतियों द्वारा किया जाता है। पद्धति से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसे कि एक वैज्ञानिक अपनी अध्ययन वस्तु के सम्बद्ध में तथ्ययुक्त निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोग में लाता है। तथ्ययुक्त निष्कर्ष निकालने का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है इसके लिए निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन, सर्वेक्षण, वर्गीकरण, सारणीयन, सांख्यिकी विश्लेषण एवं निष्कर्षकरण के कठिन मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है।

प्रस्तुत अध्ययन को तार्किक और यथार्थपूर्ण बनाने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाएगा।

1. शोध प्रविधि - प्रस्तुत अध्ययन का स्वरूप ज्ञान प्राप्ति के उपागम के आधार पर सर्वेक्षण एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान के लिए तुलनात्मक एवं विवरणात्मक अनुसंधान का होगा। इस स्वरूप का वैज्ञानिक बनाने के लिए तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं सामान्यीकरण इत्यादि प्रविधियों का प्रयोग किया जायेगा।

2. अध्ययन क्षेत्र का चुनाव - प्रस्तुत अध्ययन शहडोल जिले के बालकों के विकास में ऑगनबाड़ी की सेवाओं से बालकों के संवागीर्ण विकास पर आधारित होगा। ग्रामीण एवं नगरीय समाज में निवासरत बालकों एवं महिलाओं पर आधारित होगा। शहडोल जिला मध्यप्रदेश के पूर्व में स्थित है इसमें कुल 05 तहसीलें बुद्धार, सोहागपुर, जयसिंहनगर, ब्योहारी, गोहपारू है जिसके अंतर्गत कुल मिलाकर 1599 ऑगनबाड़ी केन्द्र हैं जिसमें से 14 15 ऑगनबाड़ी केन्द्र तथा 184 मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं जिसमें लगभग 97,709 बच्चे हैं जो 06 माह से 05 वर्ष के हैं जिसमें 82942

सामान्य हैं एवं लगभग 12,912 कम वजन व 1766 अति कम वजन की श्रेणी में आते हैं वहीं अगर कुपोषण की स्थिति देखी जाये तो लगभग 5717 बच्चे माध्यम कुपोषित हैं व 1030 बच्चे गम्भीर रूप से कुपोषित हैं।

तथ्य संकलन के स्रोत :

1. **प्राथमिक स्रोत** - प्राथमिक डेटा संग्रह सर्वेक्षण, साक्षात्कार या प्रयोगों के माध्यम से डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया है। प्राथमिक डेटा का एक विशिष्ट उदाहरण घरेलू सर्वेक्षण है। डेटा संग्रह के इस रूप में, शोधकर्ता व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्राथमिक डेटा गुणवत्ता, उपलब्धता, सांख्यिकीय शक्ति और विशेष शोध प्रश्न के लिए आवश्यक नमूने के मानकों को पूरा करता है। शोध कार्य के अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा निम्न शोध प्रविधियों का चयन प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत किया जाएगा। साक्षात्कार, साक्षात्कार अनुसूची, समूह चर्चा एवं अवलोकन के माध्यम से सूचनादाताओं के विचारों, अनुभवों व समस्याओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी।

2. **द्वितीयक स्रोत** - द्वितीयक डेटा के स्रोतों में किताबें, व्यक्तिगत स्रोत, पत्रिका, समाचार पत्र, वेबसाइट, सरकारी रिकॉर्ड आदि शामिल हैं। द्वितीयक डेटा प्राथमिक डेटा की तुलना में आसानी से उपलब्ध होने के लिए जाना जाता है। इसके लिए बहुत कम शोध की आवश्यकता है और इन स्रोतों का उपयोग करने के लिए जनशक्ति की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट के आगमन के साथ, माध्यमिक डेटा स्रोत अधिक आसानी से सुलभ हो गए हैं। प्रस्तुत अध्ययन में शोध के अंतर्गत संबंधित विषय पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, शासकीय संस्थानों, डायरियाँ, स्वैच्छिक संगठनों, अभिलेखों आदि सामग्री के साथ ऑनलाइन आलेखों के द्वारा तथ्य संकलन किया जाएगा।

प्राप्त तथ्यों/ऑकड़ों का विश्लेषण - शोधार्थी द्वारा संकलित ऑकड़ों को विश्लेषण विधियों का प्रयोग कर परीक्षण द्वारा प्राप्त समकों की प्रभाविकता की जाँच की जाएगी।

प्रस्तावित शोध का अनुमानित परिणाम :

प्रस्तावित अध्ययन अनेक संदर्भों में महत्वपूर्ण होगा - क्या महिला एवं बाल विकास विभाग बच्चों को पूर्व के मुकाबले कम कुपोषित बना सका है यदि नहीं तो वे कौन से कारक हैं जो उन्हें कुपोषित मुक्त बनने में बाधक है। महिला एवं बाल विकास विभाग से परिवार कल्याण कितना सामर्थवान हो रहा है।

क्या आप के परिवार के सदस्यों ने आप को महिला एवं बाल विकास का हिस्सा लेने में कभी समझाया है यह बाल विकास में कितना सहायक है।

एकीकृत बाल विकास परियोजना में बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन योजना में जीवन में आने वाले प्रभाव, दृष्टिकोण में परिवर्तन, समाज व परिवार के साथ सामंजस्य आधुनिकता बचत आदि के विचार व सुझाव क्या है।

प्रस्तावित अध्ययन पर विचार मंथन, बाल अरोग्यहित, अरोग्यहित

महिला एवं बाल विकास से संबंधित लाभ एवं विशेषाधिकारों के लिए समाज को मुक्ति संगम निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, सुरेन्द्र मर्वा, आर.बी.एस. (2011) भारत में समाज कार्य के क्षेत्र - यू रॉयल प्रकाशक कंपनी लखनऊ पृ. 36, 37, 74, 76
2. वर्मा आशु (2006) महिला विकास कार्यक्रम - आई.एन.ए. श्री पब्लिकेशर्स जयपुर पृ. 46
3. मिश्रा सुषमा, समाज कल्याण प्रशासन, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी उत्तरायण प्रकाशन, हल्द्वानी पृ. 68, 69।
4. सिन्हा वंदा, चिकित्सकीय समाज कार्य, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल पृ. 107-117।
5. स्वास्थ्य एवं पोषण, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्सरी का तालाब लखनऊ।
6. मित्तल पी.सी. (2006) यू माल (पश्चिम बंगाल), भारत की ओरोन प्रजातियों की डायरी, पोषण की स्थिति और भोजन संबंधी परम्परा रूरल रिमोट हेल्थ 6(1), 385, 2006।
7. राधमनी, के और राजीव एस. (2017) उत्तर केरल के एक ग्रामीण क्षेत्र में ऑगनबाड़ी बच्चों के पोषण की स्थिति पर एक अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ चाइल्ड हेल्थ 4(3)ए 348-351
8. आपतकालीन मातृत्व (दाई) देखभाल पुरितिका विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा (2009)
9. सिंह डी., कुमार डी., सिंह एस, यादव आर. और सिंह एम. गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों में रिकवरी पैटर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन का F-75 आहार और दूध युक्त टोन्ड दूध के साथ खिलाया जाता है का अध्ययन इंडियन जनरल ऑफ चाइल्ड हेल्थ 5(10), 611-615 अक्टूबर 2018 खंड 5 अंक 10
10. मुकेश वीर सिंह (2017) सकारात्मक मटोक्स परीक्षण के साथ बच्चों में अविधि और पोषण की स्थिति के आकार। इंडियन जनरल चाइल्ड हेल्थ 2(4), 196-199
11. श्रीवास्तव ज्योत्सना और गिरि. ए. (2017) नवजात शिशु के जन्म के वजन के संबंध में मातृ मानव विज्ञान : एक भावी अस्पताल आधारित अध्ययन इंडियन जनरल ऑफ चाइल्ड हेल्थ 3(1) 59-63
12. मंजूर और खुर्शीद (2014) एक वैयक्तिक अध्ययन के रूप में ऑगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संस्थाओं का और उनके शैक्षणिक स्तर का आकलन अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भित Vol - II
13. भारत में परिवार कल्याण सांख्यिकी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार 2011

म.प्र.उच्च शिक्षा में निजी महाविद्यालयों का महत्व एक अध्ययन

डॉ. राकेश बघेल *

प्रस्तावना – मानव ने हजारों वर्षों का ज्ञान एकत्र कर एक श्रेष्ठ जीवन निर्मित करते हेतु आगे बढ़ने का मार्ग निर्मित किया। जो विश्व परिदृश्य में 'शिक्षा' के रूप में विख्यात हुआ और वर्तमान में 'शिक्षा' से उच्च शिक्षा के रूप में परिणीत कर उत्कृष्टता की ओर जा रहा है जो मानवीय समाज के लिए शुभ संकेत है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में जब से उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण का प्रदुभाव हुआ है तब से ही भारत और मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा में अमूल्य परिवर्तन आया है मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा में वैश्वीकरण और निजीकरण के परिणामस्वरूप निजी संस्थानों का आगमन हुआ है। जो उच्च शिक्षा को एक अलग मुकाम पर ले जा रहे हैं। वर्तमान में स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, निम्न स्तर के लोगों की छोड़ दे तो उच्च और मध्य वर्ग परिवार उच्च शिक्षा के लिए निजी संस्थानों का रुख करते हैं जो भारत तथा मध्य प्रदेश में निजी संस्थानों के महत्व को उजागर करता है।

उच्च शिक्षा का अर्थ है सामान्य रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विषयों या विषयों में विशेष विषय तथा सूक्ष्म शिक्षा। यह शिक्षा उस स्तर का नाम है जो विश्वविद्यालयों, व्यवसायिक विश्वविद्यालयों, कम्प्यूनिटी महाविद्यालयों, लिबरल आर्ट कॉलेजों एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि के द्वारा दी जाती है। प्राथमिक एवं माध्यमिक के बाद यह शिक्षा का तृतीय स्तर है। जो प्रायः ऐच्छिक होता है इसके अंतर्गत स्नातक, परास्नातक एवं व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि आते हैं।

यदि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी व्यवहारिकता पर विचार किया जाए तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी संख्या प्रतिवर्ष तैयार कर रही है, प्रतिवर्ष 4 लाख बेरोजगारों के नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हो रहे हैं इसके अलावा बहुत से ऐसे बेरोजगार भी हैं जो कार्यालयों में अपना नाम दर्ज नहीं करते हैं। बेरोजगारी के कारण कई युवक दिशाहीन होकर गैर कानूनी कार्यों की ओर उन्मुख हो रहे हैं जो दे और समाज के लिए गंभीर विषय है।

भारत का उच्च शिक्षा तंत्र विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र है विगत 70 वर्षों में दे के विश्वविद्यालयों की संख्या में 11.6 गुना, महाविद्यालयों की संख्या में 12.5 गुना, विद्यार्थियों की संख्या में 60 गुना और शिक्षकों की संख्या में 25 गुना वृद्धि हुई है सभी को उच्च शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की नीति के अंतर्गत सम्पूर्ण दे में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और साथ ही उच्च शिक्षा की अवस्थापना सुविधाओं पर विनियोग भी तदनु रूप बढ़ा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पिछले पाँच दशकों में दे में उच्च शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई। तथा मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट के अनुसार मध्य

प्रदेश में कुल 49 विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 1405 महाविद्यालय, 299 प्रचलित कोर्स में 11,78,000 विद्यार्थी हैं तथा फरवरी 2017 तक यूजीसी वेबसाइट के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार भारत में 789 विश्वविद्यालय 37204 कॉलेज और 11443 स्टेट अलोन संस्थान है। भारत सरकार विश्वविद्यालय को केन्द्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालय में विभाजित करती है। इन संस्थानों में प्रतिवर्ष लगभग 75 लाख विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं फिर भी कई युवक युवतिया उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अतः अभी भी काफी मात्र में नए संस्थानों को स्थापित करने की आवश्यकता है।

निजीकरण का आशय किसी व्यवसाय, उधम, एजेन्सी या सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व को सार्वजनिक क्षेत्र (राज्य, केन्द्र या स्थानीय सरकार) से निजी क्षेत्र की ओर बढ़ना है। निजी लाभ के लिए संचालित व्यवसाय या निजी गैर लाभ संगठनों के पास स्थानांतरित होने की घटना या प्रक्रिया है। सामान्य अर्थ में निजीकरण से आशय किसी भी व्यवसाय या सेवा या कार्य को सरकारी हाथों से निजी हाथों में आंशिक या पूर्ण रूप से सोपना है।

प्रस्तुत शोध पत्र में मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा निजी महाविद्यालय का परिचय बताकर योगदान एवं प्रभाव व दोषों की विवेचना के साथ सुझाव को प्रस्तुत किया गया है। जो मध्य प्रदेश में उपलब्ध उच्च शिक्षा के जमीनी स्तर को स्पष्ट करता है।

म.प्र.उच्च शिक्षा में निजी महाविद्यालयों का योगदान :

- 1 म.प्र. में निजी महाविद्यालयों के आगमन से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एवं कुशलता भी बढ़ी है।
- 2 उच्च शिक्षा में व्यवसायिकरण से जहाँ महाविद्यालयों का विस्तार और साधन सुविधाएँ बढ़ी है तो विद्यार्थी द्वारा अपने अथक प्रयास के बल पर उच्च प्राप्तांक प्राप्त किये जा रहे हैं।
- 3 म.प्र. में निजी महाविद्यालयों में नियमित कक्षा अध्यापन तथा शोधार्थी को शोध कार्य हेतु प्रोत्साहित कर सभी स्तर की समस्याओं का समाधान खोजा जा रहा है तथा शोधार्थी द्वारा शोध कार्यों को वर्तमान समस्याओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।
- 4 उच्च शिक्षा और प्रोत्साहन द्वारा बड़ी कंपनियों तथा व्यवसाय जगत के लिए उपयोगी कर्मचारी तैयार किये जा रहे हैं।
- 5 निजी महाविद्यालयों में प्लेंसमेट के चलन से महाविद्यालयों में ही पाठ्यक्रम पुरा करने पर विद्यार्थियों को तुरंत नौकरी मिल जाती है। जो आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के लिए शुभ है।
- 6 निजी महाविद्यालयों में पुरे दे के लिए और आवश्यकता होने पर विंडो में भी कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं जो पढ़ाई और शोध एवं अन्य सभी कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं।

म.प्र.उच्च शिक्षा में निजी महाविद्यालयों को प्रभावित करने वाले कारक :-

- वर्तमान समय में आर्थिक और तकनीकी विकास से समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने के लिए एक सुनियोजित और समन्वित प्रयास की जरूरत है।
- तेजी से बदल रही दुनिया के साथ ही शैक्षणिक जगत में भी परिवर्तन की लहर है नयी आवश्यकताओं के प्ररिप्रेक्ष्य में नये नये पाठ्यक्रमों की मांग बढ़ रही है।
- वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए समग्र विकास के साथ-साथ हमारी चेतना में गुणात्मक विकास की भी आवश्यकता है।
- छात्रों में राष्ट्र, समाज और दे के प्रति सर्वेदनशीलता जाग्रत करने के साथ साथ छात्रों में राष्ट्रीय एवं सामाजिक आवश्यकताओं हेतु शोध कार्य को बढ़ाने की भी आवश्यकता है।
- उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए हमें अपनी अच्छाइयों को और अधिक कुशलता के मजबूत करना, कमजोर पक्षों पर ध्यान देना, सुअवसरों का लाभ उठाना, स्वयं में मानसिक दृढ़ता लाना अपेक्षित है। इस तरह स्वयं में और संस्था में गुणवत्ता संस्कृति यानि 'कालिटी कल्चर' को विकसित करने की जरूरत है।
- उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम अध्यापन और अध्यापन के तरीके, विद्यार्थियों के मूल्यांकन के तरीके और अपनाया जा रही मूल्यांकन पद्धतिया, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियाँ, अधोसंरचना और उसके समुचित उपयोग की व्यवस्था छात्रों के लिए सहायता सुविधाओं तथा प्रगति की देखरेख आदि की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
- उच्च शिक्षा में विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए संचालन व्यवस्था, प्रबंध एवं प्रशासन के तोर तरीके, नेतृत्व क्षमता, नवाचारी प्रयोग, सभी हितग्राहियों के बीच समन्वय तथा गुणवत्ता प्रेरक और सृजनशीलता के निर्माण की आवश्यकता है।

म.प्र.उच्च शिक्षा में निजी महाविद्यालयों के दोष-उच्च शिक्षा में निजी महाविद्यालयों के आगमन से आँकड़ों में विस्तार और विकास हुआ है किन्तु वास्तविकता में तथा गुणवत्ता में कोई खास फर्क नहीं आया है। भ्रष्टाचार और कागजी लिपापोति अपने चरम पर है और भाई-भतीजा वाद को बढ़ावा दिया जा रहा है वर्तमान संदर्भ में प्रत्येक प्रकार की शिक्षा का व्यवसायिकरण हो चुका है और उच्च शिक्षा पुरी तरह से निजी संस्थानों की गिरफ्त में और निजी संस्थान दिनोंदिन अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे है। उच्च शिक्षा में निजी महाविद्यालयों की दोष निम्नलिखित प्रकार स्पष्ट है :-

- निजी महाविद्यालयों से कुछ भी सकारात्मक परिणाम नहीं आये है किन्तु इस उच्च शिक्षा के लाभ से निम्न स्तर वर्ग वंचित है। जो दे मे असमानता को बढ़ा रहा है।
- निजी महाविद्यालयों के आगमन से दिखावटी सुविधाएं बढ़ी है तो भ्रष्टाचार और प्रवेश शुल्क और अन्य शुल्कों में भारी इजाफा हुआ है।
- उच्च शिक्षा का पुरी तरह व्यवसायिकरण हो चुका है तो वर्चस्ववादी और षोषण प्रवृत्तिया दिनोंदिन बढ़ती जा रही है।
- निजी महाविद्यालय, छात्रों के लिए अंको को प्राप्त करने का साधन मात्र बन कर रह गये है। जिससे बेरोजगारों की बाढ़ सी आ गई है।
- वर्तमान आधुनिकता की होड़ में विद्यार्थियों में चरित्रहीनता, अनुशासनहीनता नैतिकता का पतन और कुसंस्कृति का विकास हो रहा है जो प्रगति की आड़ में कुछ भी करने को तैयार है।

- मानवीय मुल्य और राष्ट्रीय एवं सामाजिक भावना का हनन हो रहा है। जो वर्तमान युवाओं में अपराध की प्रवृत्तियों को जन्म दे रहा है।
- लाभ के लिए कम वेतन पर प्राध्यापक की व्यवस्था में पाठ्यक्रम और अध्यापन गतिविधियों का बंटाडार कर दिया है और उनमें प्रशिक्षण का भी अभाव है।

म. प्र. उच्च शिक्षा के सुधार हेतु सुझाव :

- भारत में सभी निजी संस्थानों को बंद करके कड़े कानूनों के तहत सरकारी संस्थानों का संचालन किया जाना चाहिए, जिससे समाज में समान शिक्षा का विकास होगा।
- चाहे प्राथमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा सभी स्तर पर नैतिक शिक्षा, सामाजिक समानता, खेल, पर्यावरण संरक्षण, जीवन जिने के तरीको की भी शिक्षा दी जानी चाहिए।
- म.प्र. के निजी महाविद्यालयों को सरकार द्वारा नियंत्रित सहभागिता की आवश्यकता है ताकि महाविद्यालयों में भ्रष्टाचार न पनपे तथा शोषण प्रवृत्तियों पर लगाम लगाई जा सके।
- म.प्र. के सभी महाविद्यालयों में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक निश्चित शुल्क का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाए और अधिक शुल्क लेने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाए।
- महाविद्यालयों में उपलब्ध पाठ्यक्रमों को इस प्रकार संचालित किया जाए कि उससे छात्रों को रोजगार प्राप्त हो सके तथा गरीब एवं पिछड़े छात्रों को निजी महाविद्यालयों में भी छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाए तथा प्रतिभावना छात्र को प्रोत्साहन राशि को प्रतिवर्ष आंबटित किया जाए।
- सभी छात्रों में अनुशासन और चरित्र निर्माण तथा निर्णयन क्षमता के विकास हेतु नैतिक शिक्षा का एक पेपर सभी पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए।
- शोध और व्यवसाय संचालन हेतु सभी महाविद्यालयों में अलग से प्रायोगिक कक्षाओं का आयोजन किया जाए ताकि छात्र शोध गतिविधियों में शामिल होने के साथ साथ व्यवसाय संचालन और उसमें उपलब्ध जोखिमों को बारीकीयों से समझ सके।
- वर्तमान समय में उपलब्ध समस्याओं पर ही शोधार्थियों को शोध कार्य करवाया जाए तथा नवीन खोज एवं आविष्कारों को प्रोत्साहन दे कर, नई नई तकनीको एवं प्रौद्योगिकी का विकास किया जाए ताकि मानवीय जीवन ओर सुखमय हो सके।
- महाविद्यालयों में प्राध्यापक पद पर योग्य व्यक्ति को नियुक्ति किया जाए तथा इसके लिए उसके शैक्षणिक रूपरेखा तथा अनुभव को प्राथमिकता दी जाए और साथ ही साथ वह व्यक्ति उस पद के उचित मापदंडों को पुरा करता हो तथा शैक्षिक कार्य में नवीनता के लिए उसे प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जाए ताकि छात्रों की रूचि अध्यापन कार्य में बनी रहे।
- शोध कार्य को उच्च कोटि का बनाने के लिए निश्चित विधियों और मापदण्डों के आधार पर शोध किया जाए तथा गलत तरीके से शोध और अनुचित शोध पर अंकुश लगाया जाए तथा भ्रष्टाचार से शोध उपाधि (डिग्री) प्राप्त करने वालो पर कड़ी कार्यवाही की जाए।
- महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए ताकि इसकी जानकारी और सहभागिता में ग्रामीण जनता का अधिकतम योगदान हो।
- समय में परिवर्तन तथा सामाजिक विचारधारा में बदलाव हेतु आम

जनता को 'उच्च शिक्षा' जैसे शब्दों से पुरी तरह अवगत करना होगा।
13 महाविद्यालयों में प्राध्यापक पदों पर शीघ्र योग्य व्यक्ति को नियुक्ति किया जाए तथा महाविद्यालयों में पदस्थ सभी प्राध्यापकों को अनुभव तथा योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी जाए।

अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा के विकास और विस्तार में वैश्वीकरण का प्रभाव निजी महाविद्यालयों के रूप में देखा जा सकता है और भारत एवं म.प्र. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात काफी परिवर्तन आया है। एक तरफ जहां निजी महाविद्यालयों से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एवं छात्रों का मानसिक विकास हुआ है तो दूसरी तरफ विकास और प्रगति की होड़ में अपराधी प्रवृत्तियों में भ्रष्टाचार, सामाजिक आसमानता, केवल आर्थिक लाभ जैसी कई बुराईयों में तेजी आई है जो विकृत सामाजिक विकास का परिचायक है।

उच्च शिक्षा में निजी महाविद्यालयों के प्रभाव से स्पष्ट है कि इसने

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया है तो वर्तमान में व्याप्त चुनौतियों हैं। निजी महाविद्यालयों की सीमाएं इनमें व्याप्त कमी का परिचायक है तथा सुझावों के माध्यम से इसमें सुधार और विकास की अपार संभावनाएं हैं जो म. प्र. के उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शिक्षा सिद्धान्त - योगेन्द्र जीत, किताब महल ईलाहाबाद
2. शिक्षा मनोविज्ञान - पी. डी. पाठक, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा
3. शिक्षा शास्त्र - एम.डी.जफर, किताब महल ईलाहाबाद
4. M.p.higher education
5. Higher education essay in, www.google.com
6. Higher education wikipedia
7. Privatization wikipedia
8. Higher education in, www.google.com
9. प्रतियोगिता दर्पण, जनवरी 2014 पृष्ठ 1156

दुष्यंत कुमार के काव्य में सामाजिक यथार्थ

डॉ. आशा शरण *

शोध सारांश – दुष्यंत कुमार एक सफल रचनाकार के साथ ही एक कुशल गजलकार भी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में आर्थिक, राजनीतिक और अनेक विसंगतियों को चित्रित किया है। उनकी हर रचना में समाज के यथार्थ को बड़ी कुशलता के साथ व्यक्त किया गया है।

प्रस्तावना – दुष्यंत कुमार का काव्य के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान है। अज्ञेय द्वारा सम्पादित 'सप्तको' में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दुष्यंत कुमार किसी सीमा में बंधकर विचारों को व्यक्त नहीं करना चाहते थे। बल्कि समाज के प्रत्येक पक्ष को सभी के सामने लाना चाहते थे। वह इसे अपना कवि-धर्म मानते थे। स्वयं इस बारे में लिखते हैं-

'सीमाओं में बंधा नहीं हूँ धरती मेरा दे है,
मेरे कवि का धर्म जागरण और जन उन्मेष है।'¹

'साये में धूप' गजल संग्रह में दुष्यंत कुमार ने गजल के माध्यम से स्वाभाविक ढंग से सामाजिक यथार्थ को चित्रित किया है। इसमें न केवल सरकार की नाकामयाबी बल्कि मानवीय शोषण, गरीबी, लाचारी और बेबसी को व्यक्त किया है। इसके साथ ही समाज को भी बदलने की कोशिश की है।

'सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।'²

'जलते हुए वन का वसंत' काव्य संग्रह में दुष्यंत कुमार समाज की अव्यवस्था को देखकर दुःखी और आक्रोषित हैं। यह उनकी भाषा में परिलक्षित होता है। 'गाते-गाते' कविता में कर्णधारों को आभार प्रकट करते हैं-

'तुम्हारा आभारी हूँ रहनुमाओं
तुम्हारी बढौलत मेरा दे
यातनाओं से नहीं
फूलमालाओं से ढबकर मरा है।'³

'एक कंठ विषपायी' गीति नाट्य पौराणिक प्रसंग होते हुए भी समकालीन सच्चाइयों का उजागर करती है। जहाँ एक ओर अनुपयोगी मूल्यों को त्यागने की बात कही गयी है। वहीं दूसरी ओर नये मूल्यों को गढ़ने और अपनाने की बात कही गई है।

'युद्ध' जैसे विषय पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके लिए विवेकसम्मत दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई। क्योंकि युद्ध किसी शासक के लिए आखिरी विकल्प नहीं होना चाहिए-

'युद्ध
अधिक से अधिक विशिष्ट परिस्थितियों में
समाधान का सम्भव का कारण बन सकता है,
यही नियम है

लेकिन कोई शासक मन में
स्वयं युद्ध को
किसी समस्या का किंचित भी
समाधान समझे तो भ्रम है।'⁴

दुष्यंत कुमार के लेखन की विशेषता है कि उन्होंने समाज के प्रत्येक पहलू को अपने कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। समाज की यथार्थता का चित्रण किया है। जिसमें अमीर वर्ग तो अमीर होता चला जाता है परन्तु सामान्य जनता अनेक समस्याओं में पिसती रहती है। गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याओं का सामना करती रहती है। जनता की गरीबी हटाने के लिए 'गरीबी हटाओ' जैसे नारे तो बनते हैं लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और ही होती है। इस खोखलेपन पर व्यंग्य करते हुए लिखा है-

'न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढँक लेंगे,
ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए।'⁵

समय के साथ ही सामाजिक मूल्य भी परिवर्तित हुए और उनमें संवेदनहीनता हावी होने लगी। भौतिकवाद की होड़ में आपसी प्रेम और सौहार्द्र का स्थान बुद्धि और तर्क ने ले लिया। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता गया और अपने मूल्यों को ढाँव लगाता चला गया। यहाँ तक कि माता-पिता के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वह करने में संतान कतराने लगी। इस विडम्बना को कवि ने व्यक्त करते हुए लिखा है-

'बच्चे छलांग मार के आगे निकल गये,
रेले में फँसके बाप बिचारा बिछुड गया।'⁶

दुष्यंत कुमार नारी के शोषण को देखकर बहुत व्यथित और चिंतित होते थे। इसलिए ऐसे समाज के प्रति उनके मन में आक्रोश है। उन्होंने 'उस समाज' में शीर्षक कविता में अपने भावों को व्यक्त करते हुए लिखा है-

'उस समाज को कौन रसातल में जाने से रोक सकेगा,
जिस समाज में नारी जाति को अबला का अपमान दिया है
जिस समाज में नारी जाति का जी भरकर अपमान किया है।'⁷

बेरोजगारी में फँसे युवक की मानसिक पीड़ा को कवि ने 'बेरोजगार - एक अनुभूति' कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। नौजवानों के पास उठव डिग्री तो है लेकिन रोजगार नहीं है। इससे एक दिशाहीन राह की ओर युवा वर्ग बढ़ता चला जा रहा है। दुष्यंत कुमार ने बेरोजगार युवक की पीड़ा को कविता के माध्यम से व्यक्त किया है-

'पहले अगिनती पथभ्रष्ट
थके हारों की आकृतियाँ-सी उभरी

और फिर गूँज उठे स्वर
कहाँ चलेंगे? कहाँ चलेंगे ?
कहाँ चलेंगे ?

उन ध्वनियों में मेरी भी ध्वनि थी
मैं सहसा सजग हो गया जैसे
फिर कुछ पश्चात्
एक जर्जर औपीला हाथ उठा
निज मुट्टी खुली युग्म अधरों की शक्ल में।⁸

'हे होली के त्यौहार हमें माफ करो' में कवि ने महँगाई और आर्थिक
तंगी से जूझ रही गरीब जनता की कारुणिक दशा को जीवंत कर दिया है।
जहाँ पर जनता एक-एक रोटी के लिए संघर्ष कर रही हो वहाँ कैसा त्यौहार
पावना। उसके लिए कोई त्यौहार मायने नहीं रखता है।

'जीवन की घोर विषमताओं से
भरे हुए बीहड पथ पर
अब हमसे चला नहीं जाता भूखे पेटों
हमको पहले खाली पेटों को भरना है
पहले ये रोटी का मसला हल करना है
हम न गा सकेंगे गीत तुम्हारे स्वागत के
है क्योंकि तुम्हारी पावक से

अपनी जठराग्नि कहीं प्यारी
हमें तुम माफ करो
हे होली के त्यौहार हमें तुम माफ करो।⁹

निष्कर्ष—निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि दुष्यंत कुमार पूरी तरह समाज के
यथार्थ को चित्रित करने में सफल रहे। जहाँ एक ओर समाज की गरीबी,
भुखमरी का जिक्र किया है, वहीं जनता को जाग्रत करने का काम भी किया
है। कवि ने अन्य समस्याओं के साथ ही नारी की वास्तविक स्थिति का भी
चित्रण किया है। जिसमें नारी को अपमान नहीं बल्कि सम्मान का पात्र बताया
गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दुष्यंत रचनावली भाग 1—विजय बहादुर सिंह, पृ.स.385
2. वही, पृ.स. 272
3. वही, पृ.स. 183
4. वही, पृ.स. 95
5. वही, पृ.स. 26
6. वही, पृ.स. 277
7. वही, पृ.स. 134
8. वही, पृ.स. 404
9. वही, पृ.स. 203

राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोकदेवता

डॉ. यशोदा मेहरा*

शोध सारांश - भारत एक धर्मप्राण एवं सुसंस्कृति सम्पन्न राष्ट्र है। इसका प्रत्येक भू-भाग अथवा प्रत्येक खण्ड अपनी इसी विशिष्टता से सुशोभित है। राजस्थान भारत-भूमि का प्रागैतिहासिक काल से ही एक ऐसा भूखण्ड रहा है जहाँ भारत की सभ्यता और संस्कृति के बीज मिलते हैं। इसकी वैविध्यमय प्रकृति की अपनी छटा और मनोरमता रही है। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों ने यहाँ के परम्परागत धर्मों तथा पंथों के उत्थान और विकास में विशेष भूमिका का निर्वहन किया है। राजस्थान का पूर्वी और दक्षिणी भाग अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है तथा पश्चिमी और उत्तरी भाग मरुस्थलीय है। अपनी इन भौगोलिक विशिष्टताओं के कारण संक्रमणकाल में यह प्रदेश सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न भारतीय राजवंशों, उनकी सभ्यता-संस्कृति, धर्म तथा भाषा साहित्य आदि का शरण-स्थल बन गया।

प्रस्तावना - 'ईरानी, यवन, वाल्हीक, शक, कुषाण, हूण, अरब, तुर्क और अफगान इत्यादि आक्रमणकारियों से त्रस्त होकर उत्तरी भारत ने कतिपय राजवंशों यथा गुहिलोत, चाहमान, प्रतिहार, परमार और राठौर इत्यादि ने अपने स्वजन-परिजन और अनुयायियों सहित यहाँ दुर्गम भूमि में आश्रय लेकर अपने व्यक्तित्व की रक्षा की।'¹ इसके अतिरिक्त शैव, वैष्णव, जैन, नाथ सम्प्रदाय के संत-योगी भी गुजरात और अन्य प्रान्तों से आकर राजस्थान में बस गये।

सामान्यतः 11वीं शताब्दी से तथा विशेषतः 13वीं शताब्दी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों से सम्पूर्ण देश के समान राजस्थान में भी राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बन गया। मुगल शासकों के मन में हिन्दुओं के प्रति सम्मान व दया का भाव नहीं था। चारों ओर भय व दमन का वातावरण व्याप्त था जिसके कारण हिन्दू जनता के हृदय में ईश्वर की शरण में जाने के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश नहीं था। देश की राजनीतिक स्थिति देश की सामाजिक व्यवस्था को बहुत गहराई के साथ प्रभावित करती है। जब राजनीतिक स्थिति ही संतुलित नहीं होती है तब सामाजिक व्यवस्था भी व्यवस्थित नहीं रह पाती। 'उस समय के समाज की स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय थी। हिन्दुओं के मन में हारी हुई जाति की निराशा निहित थी क्योंकि मुसलमानों का आधिपत्य चारों तरफ फैल गया था तथा उन्हें किसी प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे।'²

मध्यकालीन समाज अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था जिनमें सती-प्रथा, पर्दा-प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, दासप्रथा, वेश्यावृत्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। तत्कालीन समाज में शासक व शासित दो वर्ग बन गये थे। शासित वर्ग का जीवन अत्यन्त कष्टमय था। इनका सम्पूर्ण जीवन शासक वर्ग की सेवा में ही समर्पित होता था। इन्हें समाज में कोई उचित सम्मान प्राप्त नहीं था। समाज जातिगत भेदभाव और उँच-नीच की भावना से अत्यधिक ग्रस्त था।

मध्यकाल में दो प्रमुख धर्म प्रचलित थे-हिन्दू धर्म और मुस्लिम धर्म। हिन्दू धर्म चिर-पुरातन था और मुस्लिम धर्म बाहर से भारत में आया था और यह शक्तिशाली शासक वर्ग बन गया था। हिन्दू धर्म का कोई संगठित रूप

नहीं था। धर्म के ठेकेदारों द्वारा निरन्तर नये पंथों, मतों, सम्प्रदायों का प्रवर्तन करते रहने के कारण धर्म का स्वरूप विकृत होने लग गया था। इन सबमें जटिल बाह्याचार भरा था और धर्म का सच्चा स्वरूप छिप गया था।

आर्थिक दृष्टि से भी यह काल विसंगतिपूर्ण रहा है। 'धन का विभाजन इस समय बहुत असमान था। जागीरदार और अमीरों के पास सोना-चाँदी एकत्रित हो गया था और साधारण जनता के पास बहुत कम धन रह गया था।'³ शासक वर्ग का जीवन वैभव और विलासितामय था। इनके पास अपरिमित सम्पत्ति थी। दूसरे वर्ग में किसान, मजदूर, कारीगर, शिल्पी आदि थे, जिनका जीवन प्रारम्भ से अन्त तक अभावग्रस्त रहता था। तत्कालीन आर्थिक स्थिति को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है-

खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली।

बनिक को बनज न चाकर को चाकरी।

जीविका विहीन लोग, सीधमान सोच बसा

कहै एक एकन सो कहां जाई, का करी।।'

बाह्य प्रभावों तथा आभ्यान्तरिक दोषों से उत्पन्न वातावरण में प्रायः प्रबुद्ध मनीषियों की चिन्तन-धारा मन्दिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान-मनन एवं नाम-स्मरण की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। विचारकों का ध्यान जाति-पांति के भेदभावों से ऊपर उठकर मानवमात्र के कल्याण की ओर जाने लगा।

ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान में कुछ ऐसे व्यक्ति जनता के समक्ष आए, जिन्होंने न केवल तथाकथित निम्न जातियों को गले लगाया प्रत्युत् स्थानीय जनता और पशुओं की रक्षा हेतु प्राणोत्सर्ग किया। इनमें गोगाजी, पाबूजी, तेजाजी, हरभूजी, रामदेवजी, मल्लीनाथ जी, जांभोजी, संतलालदास जी, संत चरणदास जी, पीपाजी, धन्ना भगत आदि प्रमुख थे, जिनके शौर्य, आत्मोत्सर्ग तथा लोकहितकारी कार्यों से अभिभूत होकर जनता ने उन्हें आराध्य जैसा पूज्यत्व प्रदान किया।

समाज को शान्ति, सुव्यवस्था तथा नैतिक और आध्यात्मिक उन्नयन प्रदान करने हेतु समय-समय पर विभिन्न पीर एवं संत महापुरुष पैदा हुए हैं जिनमें **गोगाजी** का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है-

पाबू, हरभू, रामदे मांगलिया मेहा।

पांचू पीर पधारज्यो गोगाजी जेहा।।

गोगाजी का जन्म गुरु गोरखनाथ की कृपा व आशीर्वाद से हुआ था इसलिए इनका नाम 'गुगोय गु प्रथम अक्षर गुरु का तथा गो प्रथम अक्षर गोरखनाथ का समाहित है। कालान्तर में उच्चारण गोगा हो गया। गोगाजी का संबंध सर्पों से विशेष रूप से माना जाता है। य'लोगों में बहुप्रचलित विश्वास है कि गोगाजी जी की शरण लेने पर सर्पदंशित व्यक्ति पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। यह भी कहा जाता है कि गोगाजी को जाहिर पीर' कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है।⁵

हिन्दु-मुस्लिम, संस्कृतियों के समन्वय की दृष्टि से गोगाजी का विशिष्ट स्थान है। जहाँ वीर गोगाजी का शरीर युद्ध करते हुए गिरा था वहाँ आज उनकी समाधि 'गोगामेडी' के नाम से प्रसिद्ध है।

लोकनायक **पाबूजी** बाल्यावस्था से ही अत्यन्त साहसी व पराक्रमी थे। 1276 ई. में देवल चारणी की गायों को मुक्त कराते हुए अपने अनेक साथियों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। वे मात्र वीर ही नहीं अपितु अछूतोद्धारक भी थे। उन्होंने अस्पृश्य समझी जाने वाली थोरी जाति के सात भाइयों को न केवल शरण ही दी अपितु अपने प्रधान सरदारों में स्थान देकर उठने-बैठने और खाने-पीने में भी अपने साथ रखा। नारी-सम्मान, गो-रक्षा, शरणागत और वीरता आदि अनेक विशिष्ट गुणों के कारण हिन्दू समाज में पाबूजी को लोकदेवता के रूप में पूजा जाता है।

लोकदेवता **तेजाजी** भी एक महापराक्रमी योद्धा थे तथा उच्चकोटि के साधक थे। अपनी वीरता का उपयोग उन्होंने गो-रक्षा तथा दीनों और निर्बलों की रक्षा हेतु किया, साथ ही साधना से प्राप्त शक्ति का उपयोग लोगों के कल्याण के लिये किया। चमत्कारी पुरुष देवजी ने भी गायों को मुक्त कराते हुए प्राणोत्सर्ग किया। इनका समस्त जीवनकाल ही चमत्कारों से परिपूर्ण माना जाता है। इनके मुख्य अनुयायी गूजर होते हैं। देवजी की भाँति **मल्लिनाथ** जी भी बहुत पराक्रमी पुरुष थे। अपने पराक्रम से उन्होंने सम्पूर्ण महेवा प्रदेश को अपने कब्जे में कर लिया, जो आगे चलकर '**मालाणी**' के नाम से मशहूर हुआ। उनका जीवन शौर्य, पराक्रम एवं हरिभक्ति का अनूठा संगम है।

सर्वत्र पूज्य बाबा रामदेव जी राजस्थान के ही नहीं अपितु अधिकांश भारत में पूजे जाने वाले लोकदेवता है। बाबा रामदेव का जन्म रुणीचा (रामदेवरा) में वि.सं. 1409 की चैत्र शुक्ल पंचमी सोमवार के दिन हुआ। हिन्दू-मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन आदि सभी धर्म व सम्प्रदायों के लोग इनकी लोकदेवता एवं पीर के रूप में पूजा करते हैं। रामदेवजी न केवल पीर थे अपितु समाज सुधारक भी थे। उन्होंने मूर्तिपूजा और तीर्थयात्रा में अनास्था प्रकट करने के साथ-साथ जाति-प्रथा का भी घोर विरोध किया। रामदेवजी के समाज सुधार के लक्ष्य में आजीवन पूर्ण निष्ठा के साथ सहयोग करने वाले **हरभू** जी भी लोकदेवता के रूप में मान्यता प्राप्त है।

राजस्थान के संतों एवं लोकदेवताओं में **धन्ना भगत** का नाम भी बड़े आदर व सम्मान से लिया जाता है। ये बाल्यावस्था से ही ईश्वरोन्मुखी थे। इनमें ईश्वर के प्रति अनन्य आस्था तथा समर्पण के अतिरिक्त संत-सेवा के प्रति भी अपूर्व अनुराग था।

ना को पुरिस नहीं को नारी, ना को दाता ना कोई भिखारी।

ना को रंक नहीं को राना, लघु दीरघ झूठ करि जाना।।⁶

कहकर पुरुष एवं नारी और सम्पन्नता एवं विपन्नता आदि विभिदों के मध्य एकता स्थापित करने वाले संत **पीपाजी** का जन्म गागरौन गढ़ के राजवंश परिवार में हुआ। पीपाजी ऐश्वर्य-सम्पन्न थे किन्तु इन्हें साधु-सेवा की लगन थी। इनके आग्रह पर ही कबीर, रामानन्द, रैदास आदि सन्तों ने

राजस्थान की यात्रा की थी। विश्वनोई पंथ के संस्थापक गुरु **जम्भनाथ** या **जाम्भोजी** ने चारित्रिक एवं आचरिक उन्नयन हेतु कुछ नियम स्थापित किये। इन नियमों का उद्देश्य एक आदर्श, स्वस्थ व सात्त्विक समाज की रचना करना रहा है। इन्होंने भी मूर्तिपूजा व जाति-पांति का घोर विरोध किया।

गोगाजी, पाबूजी, हरभूजी, रामदेवजी, तेजाजी आदि लोकदेवताओं ने जहाँ एक ओर अपना जीवन मानव-मात्र के कल्याण और पशुओं की रक्षा हेतु होम दिया वहीं दूसरी ओर संत लालदास, संत चरणदास, दादूदयाल आदि संत हुए हैं, जिन्होंने जातिगत भेदभाव, मूर्तिपूजा, बाह्याडम्बरों, कर्मकाण्डों, तीर्थाटन आदि का घोर विरोध किया। इन्होंने कर्मकाण्डों की जटिलता तथा बाह्याडम्बरों के प्रपंच में उलझे तत्कालीन समाज हेतु साधनात्मक दुरुहता के स्थान पर सरल भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इन सभी संतों ने निर्गुण-निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया और मूर्तिपूजा में अनास्था व्यक्त की। संतों ने बहिर्मुखी साधना के स्थान पर अन्तर्मुखी साधना को महत्त्व दिया-

लालजी दिल अन्दर दरियाव है, तू क्यों तीरथ जाव।

पांचू इन्द्री बस करी, घट ही भीतर न्हाव।।⁷

उन्होंने आत्मोपलब्धि एवं आत्मोद्धार के साथ-साथ सामाजिक शुद्धता, निर्मलता, दोष मुक्तता आदि के लिए अथक प्रयास किये। वे समाज-सुधार को सर्वोपरि महत्त्व देते थे। नाना प्रकार के विषय-विकारों को त्याज्य घोषित करते हुए दया, समता, निर्वेदता, परोपकार आदि को अपना ने मानवमात्र का कल्याण माना। इतना ही नहीं अपितु उन्होंने पर-निन्दा को भी हेय माना है-

सत मत छोड़ो, अभख मत भाखो, दया धर्म व्रतपाल।

पर निन्दा पर हक को त्यागो, राखो सुकृत सुमरण हाल।।⁸

'सभी सुखी हों, सभी आरोग्य को प्राप्त करें, सभी कष्टों तथा दुःखों से मुक्त होय की भावना इन संतों की विचारधारा का सार था इसीलिए वे ईश्वर की कृति के प्रत्येक कण को 'सियाराममय' समझते थे। सभी को ईश्वर का अंश मानते थे।

धन्ना कहे चूक कंहु नाहिं।

सब घट मांहि एक है सांई।।⁹

इन वीतरागी संतों ने अपनी साधना को केवल आध्यात्मिक मोक्ष तक सीमित नहीं रखा वरन् उसे सामाजिक पुनर्निर्माण तथा मानव कल्याण के लिए भी समर्पित किया। तत्कालीन हिंसा, आतंक और जातिवादी संक्रमणकाल में इन संतों व लोकदेवताओं ने त्रस्त एवं हताश मानवता को धर्म के यथार्थ स्वरूप का दिग्दर्शन रूपी सम्बल प्रदान करते हुए तद्युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप आध्यात्मिक-जागृति और सामाजिक सुधारों हेतु कार्य किया। इन्होंने समाज में व्याप्त विभिन्न रूढ़ियों, कुप्रथाओं, विसंगतियों का डटकर विरोध किया। इनके शौर्य, आत्मोत्सर्ग तथा लोकहितकारी कार्यों से अभिभूत होकर जनता ने उन्हें आराध्य जैसा पूज्यत्व प्रदान किया। ऐसे वीरों तथा संतों की जीवनचर्या और उपलब्धियाँ न केवल समकालीन समाज हेतु वरन् युग-युग के लिए धरोहर स्वरूप है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोकदेवता-डॉ. दिनेश चन्द शुक्ल, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, पृ. सं. 07
2. सन्तकाव्य में परोक्ष सत्ता का स्वरूप-डॉ. बाबूराव जोशी, पृ. सं.-45
3. मध्यकालीन भारत-डॉ. पी. डी. गुप्ता, पृ. सं. 14
4. कवितावली (उत्तरकाण्ड) 7/97-तुलसीदास, पृ. 132, गीताप्रेस

गोरखपुर, पृ. 2051, 34वाँ संस्करण

5. वंश भास्कर, तृतीय राशि, मयूख-सूर्यमल्ल मिश्रण
6. पीपा के पद (ह.लि.) क्र. 9, 1843 ई. भा. वि.म.शो.प्र., बीकानेर
7. लालदास की वाणी (ह.लि.), पृ.सं. 39
8. लालदास के पद (ह.लि.), पृ. 17, 1892 ई.
9. धन्ना की परची (ह.लि.) क्र. 7191, रा.शो.सं. चौपासनी, जोधपुर
सहायक-ग्रन्थ

सहायक ग्रन्थ :-

1. राजस्थानी लोक-गाथा कोश-डॉ. कृष्णबिहारी सहल
2. राजस्थान के लोकदेवता-सागरमल शर्मा
3. राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोकदेवता-डॉ. दिनेशचन्द्र शुक्ल
4. भारत के महान् संत-बलदेव वंशी
5. राजस्थान के संत कवियों के दर्शन एवं उनकी लोकधर्मिता-डॉ. रामप्रसाद दाधीच 'प्रसाद'

हिन्दी पत्रकारिता का बदलता स्वरूप और मीडिया

सुमन सिसौदिया* डॉ.मंजुला जोशी**

प्रस्तावना - समय और समाज के सन्दर्भ में सजग रहकर नागरिकों में दायित्व बोध कराने की कला को पत्रकारिता कहते हैं। गीता में जगह-जगह पर 'शुभ दृष्टि' का प्रयोग है। यह शुभदृष्टि ही पत्रकारिता है, जिसमें गुणों को परखना तथा मंगलकारी तत्वों को प्रकाश में लाना सम्मिलित है। गाँधीजी भी 'समदृष्टि' को महत्व देते थे। समाजहित में सम्यक प्रकाशन को पत्रकारिता कहा जा सकता है।

हर व्यक्ति के अंदर एक उमंग है, एक जोश है, अपने इर्द-गिर्द घटित घटनाओं की जानकारी रखने के लिये पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ता है, रेडियो सुनता है, टेलीविजन देखता है। स्वीच ऑन करते ही ध्वनि निकलती है, घोड़ों की टॉप, युद्धक्षेत्र का नजारा, पशु-पक्षियों की चहचहाहट, बारीश की बूँदें, दरवाजा खोलने की आवाज, गरम चाय की चुस्की, बस-रेलगाड़ी के आने की उद्घोषणाएँ आदि का आनंद पत्रकारिता द्वारा ही लिया जा सकता है।

1. **भूमण्डलीकरण**-बीसवीं सदी का अंत और इक्कीसवीं सदी का प्रारंभ भूमण्डलीकरण के की प्रक्रिया के प्रारंभ होने और क्रमशः अपना प्रसार करते जाने से हुआ। सोवियत संघ के विघटन और समाजवाद के पतन से उपजी परिस्थितियों ने विश्व को एक ही ध्रुव से संचालित करना प्रारंभ कर दिया। पूँजीवाद ने सारे विश्व को एक बाजार और मण्डी के रूप में विकसित करना प्रारंभ कर दिया। विकास के नाम पर हमें ऐसे व्यापक बाजार में लाकर खड़ा कर दिया गया है जहाँ सिर्फ वस्तुएँ ही वस्तुएँ हैं तथा हम एक माध्यम भर हैं। वस्तुओं और पूँजी के बीच संबंध स्थापित करने के लिये नित नये वैज्ञानिक आविष्कार, नये टेक्नोलॉजी और नई से नई वस्तुओं की उपलब्धता की दृष्टि से आज सम्पूर्ण विश्व एक गाँव के रूप में सिमट गया है। मीडिया का प्रभाव हर कहीं है, हर समय है।

2. **जिज्ञासा**- मनुष्य का पल-पल जैसे बैठे बीत रहा है ठीक वैसे ही मनुष्य की जिज्ञासाओं के पर खुलते जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य के भाव कार्य एवं विचार दिलचस्पी बढ़ाते जा रहे हैं। यही मीडिया के लिये सामग्री बन जाते हैं। इस तकनीक में जो व्यक्ति इनको सम्प्रेषित करने की कोशिश करता है उसे मीडिया में पत्रकार कहा जाता है। पत्रकार का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। जैसे-जैसे सूचनाओं का दायरा बढ़ा वैसे-वैसे मीडिया के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ।

3. **मीडिया** - वर्तमान समय मीडिया का है। मीडिया का समाज से घनिष्ठ सम्बन्ध है। दूरदर्शन एवं इंटरनेट ने रेडियो, ट्रांजिस्टर और मुद्रित माध्यम से जुड़कर मीडिया को आज विश्व की महाशक्ति बना दिया है। मनुष्य के विविध अनुभूतियों में सौन्दर्यानुभूति का विशेष महत्व है। सौन्दर्यानुभूति मानव की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। प्रत्येक स्त्री मीडिया से प्रभावित हो रही है। मीडिया

स्त्री को बताता है कि हम कैसे दिखें। सुन्दरता के सारे प्रतिमान आज मीडिया गढ़ रहा है। वास्तविक स्त्री मीडिया के द्वारा गढ़ी गई आभासी स्त्री की छवि के अनुकूल स्वयं को गढ़ने की चेष्ट करती है। बहुधा तो इस गढ़ी हुई छवी को देखने वाली स्त्री समझ ही नहीं पाती कि मीडिया उसे जीवन के तौर-तरीके का निर्देशन दे रहा है। एक प्रकार से मीडिया अपने दृष्टिकोण में बड़ा विकासशील हो रहा है। नारी का दैहिक सौन्दर्य, दूसरों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। साहित्य के साथ-साथ कला के विविध क्षेत्रों में भी नारी के असीम सौन्दर्य को स्थान प्राप्त होता है।

4. **उदारीकरण** - भूमण्डलीकरण के इस दौर में वर्तमान परिदृश्य को तेजी से बदल दिया है। संचार माध्यमों में तेजी से बदलाव आया है। उदारीकरण की हवा में साहित्य की कल्याणकारी छवी को नष्ट कर दिया है। 'आज लोकतन्त्र के मूल्यों को दृढ़ करने वाली योजनाओं से हाथ खींचे जा रहे हैं। मनुष्य को उपभोक्ता में बदल दिया गया है। जिस प्रकार मनुष्य को उपभोक्ता में बदलने की मुहिम में संचार माध्यम लगे हुए हैं, उसे देखकर लगता है कि मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने के लिये प्रयत्नशील साहित्य और साहित्यिक पत्रकारिता के लिये गहरा संकट खड़ा हो गया है।' इस परिवेश में साहित्यिक पत्रकारिता अपने पाठकों को खोती जा रही है। आज प्रखर वैचारिकता से भरी प्रतिक्रियाएँ तो दुर्लभ हैं। इस तरह साहित्यिक पत्रकारिता के लिये बहुत थोड़ी जगह बची है। इसमें भी भारी चुनौतियों का सामना करना है तथा साहित्यिक पत्रकारिता खेमेबाजी और गुटबाजी का शिकार है। संवाद की भूमिका बनाने वाली पत्रिकाओं की संख्या कम होती गई है। अपने पक्ष और दृष्टिकोण के नाम से मूल्यांकन प्रकट हो रहा है।

5. **सिनेमा** - मीडिया भूमण्डलीकरण का किस रूप में हथियार बनकर विज्ञापनों के जरिये नारी की देह के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है। कल तक मर्लिन मुनरो, नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी होने की चेष्टा में स्त्री वैसा ही कद, वैसी ही गठन चाह रही है, लेकिन आज मीडिया में हमारे मन में यह बात बैठा दी है कि ये स्त्रियाँ मोटी हैं। आज ऐश्वर्या रॉय, बिपाशा बासु, प्रियंका चोपड़ा आदि की तन्वी छवी श्रेष्ठ उदाहरण है और हर स्त्री ऐसी ही देह दृष्टि चाह रही है। मजे की बात यह है कि यह मोहक छवी हर स्त्री के मन में बस गई है। हर स्त्री इसी छवी के अनुकूल स्वयं को ढालना चाह रही है। उसके विषय में डॉक्टर जगदीश्वर चतुर्वेदी और डॉ.सुधा सिंह की धारणा है - 'अमूमन स्त्रियों की जो छवी प्रस्तुत की जाती है वह बुद्धिजीवी एवं भौतिकता विरोधी है, मूर्खा है, हास्य की पात्र है।'²

6. **बाजारवाद और मीडिया** - बाजारवाद और मीडिया के माध्यम से स्त्री सीधे-सीधे बाजार से मोल भाव कर रही है, क्योंकि बाजार स्त्री की

* शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय शहीद भीमा नायक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

रूचि-अरूचि का पूरा ख्याल रखता है। मीडिया इस उपभोक्ता स्त्री की छवी को सरलीकृत करता है। दूसरी ओर यही मीडिया उपभोक्ता वस्तु के विज्ञापन के लिये स्त्री का इस्तेमाल करता है, जिससे स्त्री का वस्तुकरण हो रहा है। अतः भूमण्डलीकरण समाज में स्त्री भोक्ता और भोग्या दोनों हैं। सुनने में बात बड़ी अजीब लगती है, किन्तु वास्तव में स्त्री देह का उपभोग हो रहा है। वह प्रदर्शन की वस्तु बनती जा रही है। यह एक कड़वा सच है। मीडिया की सहायता से स्त्री अपने देह के हर हिस्से का, अंग-प्रत्यंग का प्रदर्शन करती है। गाड़ी, फ्रिज, शैम्पू-साबुन, क्रिम-पावडर, टायर, पान-पराग, मसाले, कपड़े, जूते, ट्रक, मोटर-सायकल, लोहा-लकड़ तक सभी चीजों को बेचने में मीडिया स्त्री का इस्तेमाल करता है। मीडिया उसे बताता है कि वह कौन सा तेल लगाये ? मीडिया ने उसके मन में बैठा दिया है कि यदि वह स्वयं को मीडिया द्वारा प्रस्तुत छवी के अनुकूल ढाल सकेगी तो वह एक सफल गृहिणी और ममतामयी माँ लगेगी। यदि वह मीडिया द्वारा प्रस्तुत छवी के अनुकूल नहीं ढाल पा रही, यदि वह ढीली-ढाली, मोटी और काली है तो बाजार में उसकी कोई कीमत नहीं। स्वयं अपनी ही नजर में वह अवांछित हो जाती है। भला कौन स्त्री अवांछित होना चाहेगी ?

7. जनसंचार - जन माध्यमों में स्त्री की छवि को जिस रूप में पेश किया जाता है उसके संबंध में डॉ. जगदीश्वर चतुर्वेदी और डॉ. सुधा सिंह की निष्कर्षतः टिप्पणी देते हैं - **'जन माध्यमों में स्त्री के रूपायन को देखकर समग्रता में यही कहा जा सकता है कि आम रूझानों द्वारा स्त्रियाँ वंचित एवं शोषित के खिलाफ है। दूरदर्शन, रेडियो को यदि विकासमूलक नजरिये से देखें तो आम लोगों के लिये इन दोनों माध्यमों की भूमिका सीमित होकर रह गई है। विशेषकर उन लोगों के लिये जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। यह गरीब जनता के लिये एक समय का खाना भी नहीं जुटा पाती। ट्रांजिस्टर इनके लिये लक्जरी है। समाचार पत्र-पत्रिकाएँ एवं टेलीविजन तो इनके लिये सपनों की चीजें हैं। एक महामारी के रूप में उपभोक्तावाद फैलता हुआ रोग है। मीडिया का निर्देश है। सबको इसी एक साँचे में ढालना है।'**

8. मूल्यबोध - मीडिया संस्कृति का यह हाल है कि अपने जीवन के मूल्यबोध की चिंता मत कीजिये बल्कि लोगों की नजर में आपको कैसे दिखना चाहिए, सिर्फ इसकी चिंता कीजिये। इस प्रक्रिया में स्त्री मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि एक वस्तु के रूप में रह जाती है, जिसके सौन्दर्य को बाजार प्रतिमानों के अनुकूल कांटा-छांटा और उधाड़ा जा रहा है।

9. विज्ञापन - प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नारी का विभिन्न रूपों में चित्रण मिलता है। कहीं वह प्रेमिका के रूप में नजर आती है, तो कहीं पत्नी, बहन और माँ के रूप में, कहीं वह अपने रूप सौन्दर्य में गर्व करने वाली रूपगर्विता नारी के रूप में नजर आती है। ऐसे ही रूप हमें आयुर्बल, कोल्डक्रीम के विज्ञापन में उत्पाद की गुणवत्ता **'ऐसी खिलती त्वचा की आपका दिवाना आपको हुए बिना रह ना पाएँ'** के रूप में एक नवयौवना का मीन निमंत्रण नजर आता है। घर का काम करते-करते थक जाने के बाद वह **'मूव'** का मालिश करती है। बच्चों को **'जॉनसन बेबी शॉप'** से तथा **'पियर्स'** से नहलाती है। शारीरिक और मानसिक तन्दुरुस्ती के लिये **'बोर्नवीटा'** और **'माईलो'**, बच्चे की नाक और छाती पर **'विवस'** लगाती है। परिवार के मुखिया के हार्ट की रक्षा के लिये केवल **'सफोला गोल्ड'** स्वास्थ्य की रक्षा के

लिये वह डेटॉल साबुन, गाजर की हलवे की मॉग पर वह हॉकिन्स फ्यूचरा कूकर में हलवा आधे घण्टे में तैयार कर लेती है। इसी तरह एड्स के विज्ञापन में सबाना आजमी, स्वास्थ्य रक्षा टीकों के लिये जूही चावला, पल्लवी जोशी जैसे सिनेतारिकाओं की उपस्थिति समाज में सकारात्मक सोच पैदा करती है। वास्तव में नारी को विभिन्न रूपों में दिखा कर विज्ञापनकर्ता अपने उत्पाद के सन्दर्भ में लोगों में विश्वासनीयता जमाना चाहता है, ताकि लोगों को आकर्षित कर सके और उत्पाद के प्रति उसे अधिक मात्रा में खरीदे। स्त्री ने मीडिया द्वारा सम्प्रेषित प्रतिमानों के औचित्य पर कभी सवाल नहीं उठाया। वह एक असंभव सपने से ग्रस्त अपनी दैहिक छवी को कांटती-छांटती, मांजती-धिसती रहती है। सौन्दर्य के साथ जुड़ा है यौन आकर्षण। स्त्री पर विज्ञापन टीवी, फिल्म उद्योग, पत्रिकाओं द्वारा गहरा दबाव है कि वह यौन दृष्टि से आकर्षक और सक्रिय लगे। टीवी पर प्रत्येक वाणिज्यिक विज्ञापन स्त्री को दैहिक मुक्ति के नये-नये संदेश देता है। नारीवाद स्त्री मुक्ति का चाहे जितना झंडा बुलंद करे, पर स्त्री का तन और मन दोनों मीडिया द्वारा प्रेषित व रचित छवि से अनुकूलित और संचालित है।

10. जागरूक नारी - नारी की छवि भुनाने के साथ-साथ मीडिया ने नारी को जागरूक बनाने में भी अग्रणी भूमिका निभाई। मीडिया से प्रेरित होकर ही नारी दहेज लोभी परिवार वालों की बारात वापस लौटाने तक की हिम्मत कर पा रही है और ऐसे लोभियों को सजा दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस जागरूकता ने उसे रूढ़ियों की बेदियों को काट फेंकने का साहस दिया है।

निष्कर्ष - निष्कर्ष यह है कि मीडिया जनमानस को सही जानकारी देकर नई दुनिया और नये समाज की सोच जगाये, देश के अंदर महिलाओं के संबंध में न्याय और समानता का उदाहरण प्रस्तुत करे। स्त्रियों के मानव अधिकारों की रक्षा होगी तभी हम सही अर्थों में एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र कहलायेंगे। अपने देश को ऐसा उपवन बना पायेंगे जिसमें हर पौधा निकलकर पूरे उपवन को पुष्प और सुगंधित करेगा।

मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ा है, अगर साहित्य समाज का दर्पण हो सकता है तो मीडिया नारी और उस समाज और उस साहित्य की जीती-जागती तस्वीर दिखाने की महत्वपूर्ण कड़ी है, पर मीडिया के सामने बड़ी चुनौती है - इसका एक सामाजिक दायित्व है आवश्यकता इस बात की है कि आज के मीडियाकर्मी को विवादाग्रस्त मुद्दों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, क्योंकि आज का समाज मीडिया का है, समय मीडिया का है, समाज की हर सच्चाई को जनता तक पहुँचाने में मीडिया की अहम भूमिका है। सर्वाधिक शक्तिशाली हथियार मीडिया ही है और इसके बिना समाज और साहित्य अधूरा है। वहीं दूसरी ओर नारी में आत्मविश्वास जागृत करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नैमीचंद्र जैन- अधूरे साक्षात्कार पृ. क्रमांक 172
2. हाशिये की आवाज- जोसेफ मरियानुस कुजूर, सोशल एक्शन ट्रस्ट नई दिल्ली, पृ. क्रमांक 33
3. आम औरत : समसामयिक प्रकाशन नई दिल्ली संस्करण 2009 पृ. क्रमांक 227
4. उद्विता : अभिव्यक्ति का संघर्ष, पृ. क्रमांक 77

भिलाला जनजाति के लोकगीतों में नवचेतना

डॉ. गुलाबसिंह डावर*

प्रस्तावना - मध्यप्रदेश एक एक जनजाति प्रधान राज्य है। भिलाला जनजाति भी अन्य जातियों की तरह सुदूर वर्णों में निवास करती है। इन्हें आदिम वासी, कबीली, आबादी आदि नामों से संबोधित किया जाता है।

गिलीन और गिलीन ने बताया कि - 'जनजाति किसी भी ऐसे स्थानीय समुदायों के समूह को कहा जाता है, जो एक सामान्य भू-भाग पर निवास करता हो और एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का व्यवहार करता हो।' ये आदिवासी एक सामान्य बोली बोलते हैं। विवाह, व्यवसाय, कृषि, मजदूरी आदि कुछ मूल्यवान कामों में परस्पर एक-दूसरे के हाथ बटाते हैं। इनमें कई उपजातियाँ हैं- भील, भिलाला, पटलिया और बारेलाला। इन्हें आदिवासी, वनवासी, मामा, अनघड, गवार आदि कई नामों से संबोधित करते हैं। ये जातियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद-342 खण्ड-1 के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।

देश के मध्य में स्थित मध्यप्रदेश जनजातियों की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य है। जनजाति मुख्यतः सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों पर विकसित क्षेत्रीय धारणा है। इनके मकान कच्चे झोपड़े, खपरैल आदि के रूप में कहीं एक व दो तो कहीं बहुतायत में झुण्ड स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। ये हिन्दू धर्मावलंबी हैं। राम, शिव, माँ नर्मदा, गोत्र के देवी-देवताओं को मानते हैं। तीज-त्यौहारों में होली, दिपावली, रक्षा बंधन, भगोरिया, नवाई, डोडिया आदि इनके समष्टिगत जीवन आज भी निर्धन वर्गों में बड़े ही नियंत्रित एवं संचालित करते हैं। इन्हीं की बोली में, इसे 'बड़वू' कहा जाता है।

भिलाला जनजाति सुंदर और अच्छी कढ़काठी होने के साथ ही अधिक सभ्य जनजाति भी है। इनका व्यवसाय तो मुख्य कृषि है, लेकिन ये बड़ी सरकारी नौकरी में भी अपना स्थान बनाया है। कृषि के साथ मजदूरी सहायक व्यवसाय है। जेठ, ससुर, बड़े बुजुर्गों का लिहाज रखने के लिये घुंघट निकालने की प्रथा आज भी विद्यमान है। इससे मान-मर्यादा बनी रहती है। इनके गोत्र निर्धारण किसी पशु-पक्षी या पेड़-पौधों के नाम के आधार पर होता है। गाँव में पंचायत के मुखिया का नियंत्रण होता है। ये वंशानुगत पटेल या सरपंच प्रतिष्ठित नागरिक होते हैं। इनके समाज में एकांकी और संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। सिंचाई के साधनों में कुंए, नहर, तालाब, नदी-नाले हैं।

भिलाला मध्यप्रदेश की धार, झाबुआ, पूर्वी और पश्चिमी निमाड के जिलों में पाए जाते हैं। भिलाला जनजाति की व्युत्पत्ति करते हुए बताया जाता है कि वह भील, सुसंस्कृत भील, भिलाले हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजपूतों ने भील प्रदेश में अपना आधिपत्य स्थापित किया और भील कन्याओं से विवाह करके मैत्री भाव को दृढ़ बनाया। इस संबंध में उत्पन्न संतानें भिलाला कहलाई। किवंदंती है कि भारत सिंह और दरस्यु राजा

कि कन्या से उत्पन्न पुत्र आगे चलकर भिलाला प्रमुख बने।

लोकगीत- लोकगीत मानस की लयबद्ध और कलात्मक शाब्दिक अभिव्यक्ति है। इनकी लोकगीत अपने सहज, सारल्य और तारल्य के साथ जन-मानस के रोचक आयामों की अभिव्यक्ति है। मनुष्य चाहे वह सभ्य हो या असभ्य, पंडित हो या अनपढ़ सभी में स्वयं की भावनाओं को अभिव्यक्त करने की इच्छा और क्षमता होती है। इसी इच्छा और क्षमता के भाव का उभार प्रकट करने की चेष्टा करता है, लयपूर्ण होकर लोकगीत का स्वरूप धारण करती है। जबतक मानव का अस्तित्व विद्यमान है ये लोकगीत खेतों में, नदियों और पहाड़ों में, मैदानों और पथों में, घरों में, विरह और संयोग में, कला और झंझट में, खेलकूद में, हास-परिहास में विस्तृत होंगे। तथा नये शब्दों और शब्दों के जोड़-तोड़ के साथ नये लोकगीत का निर्माण होता जायेगा। लोकगीत का जन्म कब हुआ इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये विद्वानों ने वेदों का संदर्भ दिया है। इनके लोकगीत पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों समस्त संस्कारों तथा त्यौहारों पर अपने सुमधुर कण्ठ से उल्लासित होकर लोकगीत गाती हैं, तब चर-अचर के जगत प्राणी तरंगित हो उठते हैं। अतः लोकगीत जीवन का वह पहलू है, जो मानव हृदय को गुदगुदाता है और उसे आनन्द लोक में विचरण कराता है। पशु-पक्षी इनके साथी हैं, वनचरों तथा नभ में अपने सुख-दुःख की गाथाएँ लोकगीतों के माध्यम से सुनाते हैं।

भिलाला जनजाति का परिचय - आदिवासी, जनजाति मध्यप्रदेश की जनजातियाँ- भील, भिलाला जनजाति की उत्पत्ति जनजातीय क्षेत्र का परिचय, लोकसाहित्य एवं लोकसंस्कृति का विश्लेषण आदि प्रमुख रूप से इनके लोकगीतों के नवचेतना के रूप में साकार हो उठते हैं। सभ्य समाज के कहे जाने वाले लोग भी इनके गीतों की सराहना करते नहीं थकते हैं, वरन् इनके वाद्ययंत्रों को सुनकर एक बार ही नहीं कई बार अपनी कमर को हिला देते हैं।

भिलाला जनजाति की धार्मिक लोकगीतों की अभिव्यक्ति - जनजातीय भिलाला समाज के धार्मिक लोकगीतों की अभिव्यक्ति में गणेश पूजा, कुल देवता, दिपावली, दशहरा, गरबा, होली, गंगाजी, गणगौर, मान, इंदल, पाटला, सातमात्रा, शीतला माता, रामनवमी, भिलट देव आदि की पूजा अर्चना कर इनके गीतों को प्रमुखता के साथ में संगठित और असंगठित होकर गीतों को गाते एवं सुना जा सकता है, जो अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति का परिचय देता है।

व्यवसाय और श्रम परिहार के लोकगीतों की अभिव्यंजना - मानव जब श्रम से थक जाता है तो थकान दूर करने के लिये इनका एकमात्र सहारा ही लोकगीत है। वह चाहे मवेशियों को चराने का काम हो, महिलाओं द्वारा

घटी चलाना हो, स्त्री-पुरुष द्वारा मुसल खांडना हो या पानी भरते समय पनिहारी द्वारा गीत हो, अवकाश के क्षणों में बच्चों द्वारा मनोरंजन एवं क्रीड़ा विषयक गीत हो, प्रातः काल सांस-बहू द्वारा दही बिलौने का समय हो या निंदाई-गुड़ाई का समय हो, किसान द्वारा स्वेद श्रम से सारोबार वह हल चलाते समय किसी फिल्मी गीतकार से अपने आपको कम नहीं समझता है। गीता गाता है, गुनगुनाता है एवं अपने श्रम परिहार को दूर करता है। इसी के तर्ज पर गाँव की प्रोढ़ महिलाएँ भी चूल्हा बनाते समय, बच्चों को पालने में झुलाते समय भी अपने सुमधुर कण्ठ से ललना को लोरी के गीत सुनाकर उसे निद्रा में उन्मुक्त करती है।

भिलाला जनजाति के सामाजिक लोकगीत - भिलाला जनजाति के सामाजिक लोकगीत में रक्षाबंधन, डोहा, डोडय्या, भगोरिया, जातरा, पति-पत्नी के गीत, ननद-भाभी के गीत, ससुराल के गीत, मायका गीत, भाई-बहन के गीत, अतिथि गीत, सांस-ससुर के गीत, जेठ-जेठानी के गीत, देवर-भाभी के गीत, माँ-बेटी के गीत, सखी-सहेलियों के गीत, जन्म-मृत्यु के लोकगीत आदि इनके सामाजिक लोक अभिव्यक्ति का परिचायक है। इनके गीतों में संवेदना सहज रूप से उभरकर भाव सौन्दर्य का परिचय देती है तथा जनमानस में अपना नवीन चेतना का छाप छोड़ती है।

भिलाला जनजाति के विवाह संस्कार के लोकगीत - टीका गीत, गणेश पूजन गीत, हल्दी मसलने के गीत, नहलाने के गीत, मंडप-चवरी के गीत, वर श्रृंगार के गीत, बाना फेरने के गीत, डेरा के गीत, वर स्वागत गीत, मंडप छूने के गीत, साम्बोधन गीत, भोजन गाली के गीत, भांवर गीत, दहेज गीत, बारात वापसी के गीत आदि प्रमुखता से गाए जाते हैं। वर पक्ष एवं वधु पक्ष के द्वारा आमने-सामने प्रश्नोत्तर शैली में गीतों द्वारा छींटाकशी की जाती है एवं सहज रूप से गीत गाकर समझन एक-दूसरे का आदर एवं

सम्मान करती हैं, जो प्रगाढ़ समझन होने का परिचय देती है।

उपसंहार - आधुनिक युग का भिलाला मानव संस्कृति के परिहास और प्रकृति के नियमों को देखकर अपनी मूल संस्कृति को नष्ट कर रहा है। प्रचलित लोकगीतों को भूलता जा रहा है। आज की स्थिति में नये आडियों-विडियों में माध्यम से गीत प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिनमें संवेदना नहीं है। लोकगीतों को तरोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। अतः वास्तविक एवं प्रचलित लोकगीतों के प्रति मेरा आकर्षण होना स्वाभाविक है। अधिकांश भिलाला जनजाति शहर में आकर शहरी रंगदंग में डूबे हुए हैं। अपने पारंपरिक लोकगीतों से दूर होते जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि ये लोकगीत गाँव की चौपाल से लेकर शहर तक की यात्रा करे और शहरी जनमानस को गाँव तक जोड़े। आजकल इन लोकगीतों को विभिन्न गाँवों की मंडलियाँ, लोकगायक ऑडियो-विडियो के माध्यम से संग्रहित एवं सुरक्षित रख रहे हैं। लेकिन उनमें भी लोकगीतों की मौलिकता पर आघात हो रहा है। उनका मौलिक रूप विकृत हो रहा है। अतः इन लोकगीतों की मौलिकता बनी रहे, संकलन भी हो जिससे लोकगीत के उज्ज्वल पक्ष को नई दिशा दी जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. बलदेव मिश्र - भारतीय संस्कृति, पृष्ठ 03
2. डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार - भारतीय संस्कृति इतिहास पृष्ठ- 16
3. डॉ. हरवंशलाल शर्मा - परिशिष्ट-2 सूर और उनका साहित्य पृ. 13
4. आशीष भट्ट (2002) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और जनजातीय नेतृत्व पृ.93
5. डॉ. एम.एल.वर्मा (1995) भीलों की सामाजिक व्यवस्था पृ. 25-26
6. डॉ. शिवकुमार तिवारी (1984) मध्यप्रदेश के आदिवासी पृ.243
7. पी.सी.खरे (1976) भारतीय समाज एवं संस्कृति पृ66

Medicinal Plants Used in Arthritis Disease

Dr. Kanchan Vaidya*

Abstract - Present paper deals with species that are used by Indian people in cure arthritis disease. Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic inflammatory disease which mainly affects joints but can also affect other organs. So the present investigation was designed to evaluate anti-arthritic potential of different plant species.

Key words - Rheumatoid arthritis(RA), Medicinal plants, Ayurveda, Natural products.

Introduction - India has vast natural resources of medicinal plants and these are occurring in diverse ecosystem. In traditional medicine more than on thousands plants are regularly used which are mostly collected in their wild form. Traditional herbal medicine plays an important role side by side with modern medicine in the health care of people, particularly in poor sections:- (Bhattacharyajee and De 2008).

The use of medicinal plants for curing disease in human society is probably as old as man himself. Recently there has been a popular awareness in the study of medicinal plants. Traditional medicine has been used in some communities for thousands of years. Traditional medicine is the sum total of knowledge, skills and practice based on the theories, beliefs and experience indigenous to different cultures that are used to maintain health, as well as to prevent diagnose improve or treat physical and mental illnesses. (Nehra 2014).

The revival of interest in natural drugs, specially there derived from plants, started in the last few decades mainly because of the widespread belief that green medicine are healthier and safer than synthetic ones.

Rheumatoid arthritis is a long term disease that leads to inflammation of the joints and surrounding tissues. It is an auto immune disease this means the body's immune system mistakenly attacks healthy tissue in the joints. The present paper highlights some of the potential medicinal plants species are used as traditional herbal remedies by the people of India.

Material and methods - We have made survey on medicinal plants which used in arthritis, disease by tribal and rural people of different area. We have discussed by arranging meetings and dialogues with tribal and rural people, about medicinal value of different medicinal plants. The data of medicinal plants were recorded and compared according to standard procedures. The gathered information was cross-checked and present here.

Result and discussion - This paper reveals some of the common medicinal plant that have history of human use

their anti-arthritis properties.

Botanical Name- *Tinosporacardifolia*

Common Name- Amrita, Giloe

Family- Menispermaceae

Tinosporacardifolia commonly name as Guduchi is known for its immense application in the treatment of various disease in traditional ayurvedic literature. Recently the discovery of active components form the plant and their biological function in disease control has led to active interest in the plant across the globe.

Single or synergistic formulations of *Tinosporacardifolia* with *Zingiberofficinale* has been used in rheumatoid arthritis treatment in traditional medicine (Chopra at al 2012).

Tinosporacardifolia have been shown to stimulate the growth of osteoblasts and also increasing mineralization of bone like matrix (Abiramasunderi et al 2012). Further 20_04 B-Ecd isolated from *tinosporacardifolia* has been reported its anti-osteoporotic effects (Abiramasundari et al 2012).

Botanical Name- *BoswelliaSerrata*

Common Name- SalaiGuggul

Family- Burseraceae.

Boswelliaserrata (SalaiGuggul) is a moderate to large sized branching tree. Grows in dry mountainous regions of India. The resin of this plant has been used as incense in religious and cultural ceremonies and in medicines since time immemorial Gum-Resin is tapped from incision made on the trunk of the tree and then stored is known as: Indian frankincense."

The gun resin form *Boswellia* has been used as medicine for the treatment of inflammatory disease arthritis, osteoarthritis, cervical spondylosis, ankylosing, spondylitis. Besides being an effective anti-inflammatory *Boswellia* can be an effective painkiller and may prevent the loss of cartilage. Studies show that boswellic acid were found inhibition the synthesis of pro-inflammatory enzyme 5-lipoxygenase.

5-lipoxygenase generates inflammatory leukotrienes which cause inflammation by promoting free radical damage, calcium dislocation cell adhesion and

migration of inflammation producing cells to inflamed boy area.(Siddiqui-2011). Upto 1 gram a day of frankincense appear to be safe.

Botanical Name-*Ocimumgratissimum*

Common Name-Wild basil

Family-Lamiaceae.

Ocimumgratissimum L. is a herb which is reported to have anti-inflammatory activity. In India the plant is used for various infections but also religious ceremonies and rituals. The leaves are used as laxative and consumed as tea leave of *ocimum* have been shown to possess anti-inflammatory properties akin to drug such as aspirin.

Ocimumgratissimum L. has been shown to be useful in arthritis as well as related inflammatory oxidative conditions. This plant also used in the treatment of various infections extract of plant can be used in relaxing intestinal muscles (Agrawal and Verma 2014)

Botanical Name-*Piper nigrum*.

Common Name-Black Pepper

Family-Piperaceae

Black pepper(*Piper nigrum*) also called pepper perennial climbing vine of the family piperaceae. Also known as the king of species black pepper has been valued for its flavor and antibacterial, anti-oxidant and anti-inflammatory benefits studies have shown that the chemical compounds of black pepper particularly piperin may be effective in the early acute inflammatory process.

Piperine is a promising natural source with potential for clinical use. *Piper nigrum* is conventionally traditional medicine (Pathak and khandelwal 2007).

Botanical Name-*Curcuma longa*

Common Name-Turmeric

Family-Zingiberaceae.

The plant of turmeric is perennial rhizomatus, herbaceous. The rhizome are used fresh or boiled in water and dried. The anti-inflammatory agent in turmeric is its yellow pigment called curcumin. Ayurvedic and Chinese medicines have long used turmeric and curcumin to reduce inflammation as well as treat digestive disorders, wounds and infections.

The authors concluded that there was enough evidence to suggest that taking small amount of curcumin each day for 8-12 weeks can help reduce pain and inflammation due to arthritis particularly osteoarthritis. The results also indicated that curcumin extracts might be as effective as taking non-steroidal anti-inflammatory drugs. (Venugopal et-al 2007 Agrawal et al 2006.)

Botanical Name-*Zingiberofficinale*

Common Name-Ginger

Family-Zingiberaceae

The rhizome of ginger are used as spice in food and beverages. Ginger can be used fresh dried, powdered or as an oil and juice; Gingers ability to influence weight loss may be related to certain mechanism such as its potential to help increase the number of calories burned of reduce inflammation (Ghosh et.al 2011)

To date studies exploring ginger's potentials as an effective treatment for arthritis had mixed outcomes more specific research involving ginger as a medicine for humans is needed many times we found that highly concentrated doses of ginger extract were effective in treating people with oesteo-arthritis of the knee. Ginger also can help to relieve joint pain from rheumatoid arthritis. Ginger was shown to reduce inflammation when taken in high doses for four weeks.(Subodh Kumar et.al.2013).

Conclusion - These useful medicinal plants need protection more cultivation in the present context. So that the tribal people may be benefited and our valuable India flora may also survive.

References:-

1. Abiramasundari, G., sumalatha,K.R.,sreepriya, M.(2012): Effects of *Tinosporacardifolia* (Menispermaceae) on the proliferation,osteogenic differentiation and mineralization of osteoblast model systems in vitro J. Ethnopharmacol.2012;141:474-80[pub Med] .
2. Agarwal, kumkum and verma, Ranjana.(2014) *ocimumgratissimum* L:A medicinal plant with Promising Antiurolithiatic Activity. International Journal of pharmaceutical science and drug Research 2014;6(1) :78-81.
3. Aggarwal, B.B.,Ichikawa, H.,Garodia, p. et.al (2006) : From Traditional Ayurvedic medicine to Modern medicine: Identification Of therapeutic targets for suppression inflammation and cancer . expertopinther [Targets 2006;10187-118[Pub Med]
4. Bhattacharjee, S.K.and de, L.C.(2008) medicinal herbs and flowers;Avishkarpub,Distributors, Jaipur (Raj)
5. Chopra,A.,Saluja,M.Tillu, G.,venugopalan,A, Narsimulu , G ,Handa , R., et al (2012) ; comparable efficacy of standardized Ayurveda formulation And hydroxychloroquine sulfate (HCQS) in the treatment of the rheumatoid arthritis (RA): A randomized investigator blind controlled study elin Rheumatoid.2012;31:259-69 [pubMed] .
6. Ghosh,A.K., Banerjee, S, Mullick , H.I. and Banerjee, J. (2011),*Zingiberofficinale*: a natural gold . International Journal of Pharma and Biosciences of vol-2 Issue -1 / Jan-mar 2011
7. Nehra,S (2014), Plant derive drugs and herbal medicines in healthcare in herbal folk medicine pointer pub,new Delhi .
8. Pathak, N. and khandelwal,S(2007) Cytoprotective and immunomodulation properties of piperine on murine splenocytes.,an *In vitro* study. Eur.J .pharmacol .2007;576:160-170
9. Siddiqui,M.Z.(2011); *Boswelliaserrata*, A potential Anti-inflammatory Agent : An overview; Indian J pharm sci . 2011; May –Jun; 73(3):255-261.
10. Subodh Kumar,Saxena, Kiran, Singh, U.N., Saxena,R. (2013) Anti-inflammatory action of ginger: A critical review in anemia of inflammation and its future aspects International Journal of Herbal Medicine 2013:1(4):16-20

Bamboo Composites - Ecofriendly Future Technology

Dr. Avinash Dube* Dr. Kumud Dubey**

Abstract - Bamboos long life make it a Chinese symbol of uprightness and an Indian symbol of friendship. Bamboo plant fiber is the strongest natural fiber. With unique physical properties and with new approach using nanotechnology it is made to possible the use of fibers as composites which open new era in the age of nanotechnology and applications of bamboo composites.

Key Words- bamboo fiber, composites.

Introduction - Natural fibers are a renewable resource and have several advantages associated with them. Natural fibers comes from many sources which include plants, animals and minerals and offer a variety of benefits like greater environmental sustainability and ultimately they are biodegradable with unique mechanical and physical properties such as good specific modulus values, low density, toughness property. Besides recyclability, nontoxicity, easy accessibility and low cost are also attractive aspects of natural fibers. Natural fibers are good sweat absorbents and can be found in a variety of textures. Natural fibers can be used as a component of composite materials and can be used for high tech applications such as composite parts for automobiles.

Bamboo is one of the fastest growing plants on planet and member of the grass family. Bamboo is very durable that stem's outer layer is quite dense and strong and it is flexible and elastic. Bamboo fiber is a type of natural cellulosic fiber. Like all other natural fiber bamboo fibers possess high toughness, low density and adequate specific strength properties. They have great thermal properties and enhanced energy recovery. These fibers are also used as composites as reinforcement in polymer matrix which are petroleum based and comes the name of BFRP i.e. Bamboo Fiber Reinforced Polymer. The present study is made to analyze the use of ecofriendly fibers of bamboo with a new approach with nanotechnology which offers possibilities for development of cellulose composite materials.

Bamboo Composite Fibers - Natural and manmade polymer fibers are used for preparation of functionalized textiles to achieve smart and intelligent properties. There are numerous application possibilities of these modified materials. Main pathways for functionalization of fibers are inclusion of functional additives, (Inorganic particles, polymers, organic compounds). Chemical grafting of additives on the surface of fibers and coating of fibers.

Bamboo is a natural composite material with a high strength to weight ratio. Bamboo Fiber Reinforced Polymer Composites (BFRP) is an Eco composite that is light weight, environmental friendly and has comparable strength to conventional materials. Better fiber and matrix interaction results in good interfacial adhesion. Hybridization of bamboo with conventional fibers increases the tensile strength of BFRP. Addition of nano-sized bamboo fibrils in to carbon fabric composites slightly enhances composite strength. All ligno cellulosic natural fibers can be considered as composites as they consists of cellulose microfibrils in an amorphous matrix of lignin and hemicellulose. Bamboo fibers have a considerable high percentage of lignin compared with other natural fibers. Various thermoplastic or thermoset polymers as polypropylene, polylactic acid, polystyrene, high density polyethelene, Epoxy polyester and elastomer used in bamboo fiber composite fabrication with variations in properties like density, tensile strength, elongation and young's modulus.

Bio Physical characteristics:

1. Bamboo plant fiber are the strongest natural fiber.
2. Bamboo fiber have a unique combination of natural wicking and absorbing properties that keep moisture away from the skin to prevent irritation.
3. Fibers have natural cooling properties.
4. Bamboo fibers have rounded edges which make them exceedingly soft and gentle when used as bedding or clothing.
5. Because of bamboo kun, bamboo plant fibers are hypoallergenic.
6. Due to antimicrobial bioagent bamboo fibers are odour resistant.
7. Powerfully insulating.

Chemical composition of bamboo fiber is same as all bast fibers. It belongs to cellulose-1 crystalline structure. Bamboo fiber has high breaking strength but low elongation

*S.N. Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.) INDIA

** M.L.C. Govt. Girls College, Khandwa (M.P.) INDIA

and has good water absorption properties. The cross section of fibers filled with various microgaps and microholes. It has much better moisture absorption and ventilation.

Bamboo fibers does not contain free electron and thus it is antistatic and so it fits very well next to the human skin but not clinging it. Scientists have found that bamboo contains a unique antibacteric and bacteriostasis bioagent named bamboo Kun. Fiber has a composition of 60.8% Cellulose, 32.2% Lignin and others with 7%.

Mechanical and physical properties of bamboo fiber as tensile strength, young's modulus, fiber length and density depends on the extraction procedures.

Bamboo is an extremely resilient and durable fiber. It is considered as super-soft, highly durable, year round comfort, skin friendly, kind to sensitive skin and well-fitting textile fiber. It is a material with better U-V blocking efficiency too.

Physical Parameters of bamboo fiber:

Character	Reference data
Tensile strength (MPa)	615 to 86
Youngs Modulus (GPa)	35.45
Dry Tensile strength (cN/dtex)	2.33
Wet Tensile strength (cN/dtex)	1.37
Dry Elongation at break (%)	23.8
Linear Density % of deviation	-1.8
% of length deviation	-1.8
Over length staple fibre %	0.2
Residual Sulphur (mg/100gm)	9.2
Moisture regain %	13.03
Oil content %	0.17

Testing Conditions- Temperature-20°C, Relative Humidity 65%

Bamboo Fiber based biocomposites - Bamboos chipboard and Flatboard, Plywood and laminated fiberboard, Thermoplastic based, thermoset based bio composites, elastomer based biocomposites, inorganicbased etc. Biocomposite market acceptance of the use of bamboo in furniture manufacturing, automotive,

construction and interior decoration is becoming in demand. Bio based materials present the advantage of being renewable with a low embodied energy and carbon di oxide neutral or negative .These materials have a distinct hygothermal performance and modifies their thermal properties while causing energy transfer itself.

Bio based insulation materials is currently one of the most attractive research object. The bamboo fiber have great potential for building thermal insulation with a thermal conductivity below 0.082 Wm-1k-1.

The mechanical Properties like comparable tensile strength with steel, double compressive strength than concrete and higher shear stress than wood are some characteristics which enables the use of this environment friendly material in the field of construction industry.

Concluding Remarks - In this paper effort is made to discuss various properties and applications of bamboo fiber. Bio Composites natural fiber possess fairly good mechanical properties and a long term continuous supply, low cost, biodegradable and ecofriendly. These natural composites have potential in the aerospace, automotive, construction and sport industries. Bamboo is a remarkable and highly versatile natural resource. With unique wonderful natural properties now it is proved that this resource is an ecofriendly solution to many of our requirements. Bamboo fiber comes from nature and completely return to nature in the end and praised as the natural, green and ecofriendly new type textile material of 21st century. It is needed to promote the use of this nature friendly material in various industries to save our nature.

References :-

1. N. Kaur et al. (2017). A review on bamboo fiber composites and its applications, ICTU.
2. Shan Md. et al. (2016), A review on the tensile properties of bamboo fiber reinforced polymer composites, BioRes.11(4) 10654-10676.
3. Youping W. et al. (2010), Structure of Bamboo fiber for Textiles, Textile Research Journal, 80(4), pp-334-343.
4. <http://old.swicofil.com/bambrotexphysical.html>

The Universality of Shakespeare With the Biographical and Historical Interpretation of His Plays

Dr. Pallavi Sharma Goyal*

Abstract - Shakespeare does not belong to single age .He has been considered as a dramatist who secured a distinguished rank over all ages. People can love him or hate him but never ever ignore him. He retains an identity which has been acclaimed since the publication of his writings and still people cherish his plays. From the theatrical presentation of his plays to the adaptations in cinema intodays global world, they have been spreading the same fragrance throughout the ages.

Introduction - Stopford Brooke says-”Writing is not literature,unless it gives to the reader a pleasure which arises, not only from the things said, but from the way in which they are said, and that pleasure is only given when the words are carefully, or, curiously, or beautifully put together in sentences.”

So is true with Shakespeare as well and to prove his universality we must be aware about his biography as well. The fact that Shakespeare’s thought or sentiment lives after him proves not that it is true or that Shakespeare believed it immortal,but simply that it has been of service to other minds,and has been preserved that the service may continue. There are seven years of Shakespeare’s life where no records exist after the birth of his twins in 1585.

Scholars called this period as “lost years” but after that we enter in the world of the great Renaissance writer. He was held in the very high esteem in the country circles and he understood Latin very well. Although he began with the plays fashioned on the approved models of that period but soon developed his original style of his own that commands the respect, admiration, and applause of successive generations of playgoers, literary critics and readers.

The social, biographical and historical interpretation of any writing helps us understand the treasured, choicest thought and feeling of the ages before. Without the biographicaland historical interpretation of any literary work, civilization would roam in a circle only, with no advance movement.And in the case of Shakespeare we always find the writer moving beyond the boundaries of his country and age. So it has become quite essential in the case of Shakespeare that we must interpret his work biographically and historically to interpret his universality. After understanding the biography, history and social background of any writer one can relate the all above mentioned evidences of that particular time with the contemporary scenario.

More ink has been spilled over William Shakespeare than over any other writer in the history.According to the Internet Movie database, he is credited as a writer or source of inspiration for more than a thousand film or televised stage productions.

Shakespearefestivals are held in every corner of Europe each year,and such festivals are also found all across the world. The portrayal of Shylock the Jew, throws light on the beliefs of Jewish community of that time. In Hamlet Shakespeare says “Frailty thy name is woman!” Such a comment might look derogatory but it could be the assertion of hisindividual experience. The depiction of witches in Macbeth or of Ghost in Hamlet and in Julius Caesar, and other supernatural powers like fairies in the Tempest etc., throw light not only on the myths and customs of his own country,but they also make us aware about the facts and fictions of other countries as well. So to understand the universal appeal of the great renaissance writer the biographical and historical interpretation of his writings is required. By doing this one can understand the literary work, its forms, historical background, intellectual inspirations and aspirations which give us information , coming from the intellect and going to the intellect and that work of literature as well that which has the capability to move, coming from the heart and going to the heart.

The reason that his plays are exciting, beautiful ,eloquent, energetic, full of passion and full of life, is that even after so many years of their publication they can be applied in contemporary age as well. We have seen millions of writers of various languages but no one has written more powerfully about the whole range of human emotions than Shakespeare.

“One of the best things about Shakespeare is that his plays, having been around for so long, reworked and studied by thousands of actors, directors, school teachers and critics, have had more meaning impressed upon them than

any other non-religious texts. In a very real way, Shakespeare's plays are proof of what French critic Roland Barthes wrote in his essay "The Death of the author," that the meaning of a text exists in the reader."¹.

Shakespeare's art aims often at manifold and compound effects, so that the task of analysis becomes somewhat intricate and complex. His approach towards his characters varies according to the background and circumstances of his plays. In some plays like in Hamlet and Macbeth, the discussion in the very first scene generates curiosity in the viewers and after revealing the whole truth of the incidents, Shakespeare quickly brings us back to the common level. In both plays the scene opens with an atmosphere black and heavy with foreboding.

"Shakespeare perfectly divined the laws of fancy, and by no means supererogates or magnifies his task at the crucial points of his plays. His Ghosts and witches are first permitted only to appear, but not to speak, or manifest its will save in majestic beckonings."².

We often think of Shakespeare as being a lone voice in the Elizabethan dramatic world, but in fact he was one among many. While assessing his art in Hamlet and Macbeth, we find that the supernatural air is blowing in both plays, but the former is executed with so much greater breadth and freedom as almost to seem the work of another hand.

Same assumption goes with his other plays as well. His all plays excellently illustrate what he can do through with positive inferences from positive "effects" of character and action. But the imagination can be dealt with far more effectually by the use of negative inferences from negative effects of being and doing.

Shakespeare plans to portray his characters beyond expectations, or rather, in the few preliminary lines he utters, to raise final expectation to the highest pitch.

Shakespeare's plays, as literature, are extended poems, to be read and enjoyed for their language as well as for the stories they tell. His portrayal of characters, their greed, stubbornness, levity, courage, rebel, deception, insanity, anti-semitism etc. are not limited to his age only but they are present in this age of modernism with full vigour and vitality as well.

"His plays have been adapted into nearly every language (including Klingon and Esperanto), and are immensely popular in Germany and Japan. Movies based on his plays include genres as diverse as samurai films, anime, science fiction, Westerns, and musicals. How many high schools have presented their own versions of Romeo and Juliet? The number is unknowable, but "nearly all of them" is a reasonable estimate."³

Stephen Greenblatt, one of the eminent scholar of

Harvard writes-"There is an entire library in Washington, D.C., devoted to Shakespeare. Among my students, I have found only three historical figures known to all of them: Jesus Christ, Adolf Hitler, and William Shakespeare. I have students (foreign students, to be sure) who have never heard of Abraham Lincoln, but they have heard of Shakespeare".

That is the greatness of Shakespeare. He snatches quite easily the human psychology from his characters. His tragedies are dark yet subtle, tragic with mingling of comic elements, descriptive and historical, at the same moment. While portraying Shylock the Jew in his famous play "The Merchant of Venice", he presents before us the description of ghetto's of that time. When we look towards them now, we find them having similar characteristics like earlier days. Shakespeare's utterance of religious beliefs is still unturned. The supernatural beliefs and the fear has been associated with them, is clearly visible in contemporary society as well. The people of today are as frightened with the supernatural presence in these days, as they were found earlier.

The tendency of not taking decision at accurate time as in Hamlet, the lack of trust between husband and wife as in Othello, the temptations for power like in Macbeth, the betrayal of friend as in Julius Caesar, the clash between normal and aristocratic class as in Romeo and Juliet, the ingratitude of children as in King Lear etc., all such passions had been associated with the people, were exist in Shakespeare's days and even after his demise the human instinct has not changed much.

We can easily find such tendencies around us as these days as well. Many among us hesitate to take decision like Hamlet. Still cases are coming of distrust between the couple like Othello. Race, colour and blood are still judged by so many among us. The betrayal of friends has occurred in abundance like Julius Caesar. Love still haunts so many and the rank, position in society play an important role while deciding the marital relationships, as in Romeo and Juliet. One may smile and smile and be a villain but one cannot present before one's readers and viewers the amazing world, with all its vices and follies, with compassion and cruelty, with repent and revenge, with white or black, with love and hatred, as Shakespeare has revealed globally.

References :-

1. The complete works of William Shakespeare, Canterbury classics ISBN 978-1-62686-098-8.
2. Analytics of Literature by L.A. Sherman, Boston, U.S.A., Published by Ginn and Company, 1893.
3. The complete works of William Shakespeare, Canterbury classics, ISBN 978-1-62686-098-8.
4. www.wikipedia.com.

Race, Class and Gender : A Critical Study of the Selected Short Stories from *The Thing Around Your Neck* and *Arranged Marriage* from Womanist Aspect

Sujata*

Abstract - Justice for equality is a matter that concerns everybody. In the process of gender neutralization another social construct that has acquired far-reaching effects in social relationships is race. It is a fact that women all over the world undergo oppression in an altogether different way. In the case of the developing and underdeveloped countries the circumstances of women vary from that in the developed nations. In the third world the degree and kind of female oppression change from one community to the other, according to their race and class and for that reason the tripod criteria of gender, race and class acquire prominence in the study of womanism.

Keywords - Race, Class, Gender, Injustice, Womanism.

Introduction - This paper is an attempt to explore how both the writers has portrayed race, class and gender impacts on the identity of the protagonists. This paper deals with the studies of race, class and gender inequality centered in a beau ideal of intersectionality. This concept emerges from the feminist studies and racial or ethnic scholarship which investigates the connection between race, class and gender thinking through the structural inequality and its supporting ideologies. It sums up the major presumptions of inequality in the United States through the selected short stories. It addition it explores the implication of this model for understanding the “ideology of neutrality” and “ideology of dependency” that currently underlie dominant group beliefs about race, class and gender.

In the sphere of feminist studies women of color have long criticized white feminists for setting their assumptions exclusively in the experiences of white women. With the development of women’s movement and feminist studies in the literary canon, women of color have consistently stated the need of feminism to be inclusive of all women. Instead of making much development, the women’s movement in the United States remained anchored primarily in the experience of white women.

Oppression against women is multifaceted all over the world. We cannot generalize it. Categories of gender, race and class set the basis in different situations. There is a huge difference in the case of women from developing and underdeveloped countries to that of women from developed countries. The degree and the kind of oppression vary from one community to the other, as per their race and class. It is therefore the tripod criteria of gender, race and class has given prominence in the discourse of womanism.

The tripod subordination of colored women makes their struggle more intense and considerate. Alice Walker coins the term womanism in her 1979 short story “Coming Apart” and she first utilized the term “womanist” in her 1983 work, *In Search of Our Mother’s Gardens: Womanist Prose*. Alice Walker the founder of the term defines womanism, “Womanist is to feminist as purple is to lavender” (xii). Walker’s last definition elucidates black women’s anguish pertaining to racism. While calling black women as ‘purple’ and white as ‘lavender’ she differentiates black women’s state from white women. Her use of color as recognition is ironic since both the colors have their own importance but the idea of calling one as inferior and other as superior seems illogical to Walker. Hereupon, she criticizes white feminism for ignoring and marginalising the position of black women.

The term womanism has gained currency due to its feel of inclusiveness that embraces all women of color, regardless of race and class. It is interesting to note how Bell Hooks in article entitled “Sisterhood” rejects the need for any homogenizing in feminist struggles: “[W]omen do not need to eradicate differences to feel solidarity. We do not need to share common oppression to fight equally to end oppression. We do not need anti male sentiments to bond together” (240).

Therefore it becomes apparent that females of the Third World actually belong to the collective group with certain distinctive qualities of their own. They do not favour anti male attitude in order to overthrow oppression against females. They are different from their First World counterparts, but there is a definite meeting ground of the two and the Third World feminism has to base itself on the

principles of the first world theories too.

Every culture has its own unique social set-up and problems arising from it. They build up culture specific solutions for such issues, which include the woman question. So the women from all over the underdeveloped world cannot be put into the homogenizing category of the 'Third World Women' either. Hence it follows that women of each culture have to be given attention to and studied specifically. This cultural difference becomes apparent in the works of writers like Adichie and Divakaruni with the common thread of racism and classism.

From a close study of the stories it is observed that there is a parallel relation between race, gender and class matters which acts as a general challenge for female immigrants in America in the form of reflected racism, stereotypical notions, economic pressure and male domination. It is not only Black women who face difficulties, Black men equally suffer in the West but their reaction to the circumstances is different. Seen in this sense then, a black woman is a victim of interlocking forms of oppression. By emphasising such things both the writers prove their commitment towards the natives. Ogunyemi in *Womanism: The Dynamics of Contemporary Black Female Novel in English* says, "Womanist is the one who recognizes that, along with her consciousness of sexual issues, she must incorporate racial, cultural, national, economic, and political considerations into her philosophy" (2).

Naming a woman black, coloured or yellow skinned is an act of marginalizing the woman of that category as the 'other' which undeniably gives a superior status to the White women. Ethnicity is another phrase of discrimination and it is applied to cultural, religious or linguistic groups with a shared history or social customs. It is quite significant particularly in the African society that has a number of tribes and races. Women of each race are considered an easy target of imposed images, which again brings women under the double attack of patriarchy and racialism, as we have seen in the stories of Adichie and Divakaruni.

Both Adichie and Divakaruni through their stories have shown a deeper concern for the issue of migration as well, especially that of women. Because these works are telling depictions of what goes on in contemporary society, they are hefty indication of the large-scale migration dramatized in contemporary African and Indian literature. The theme of migration is recurrent in both *The Thing Around Your Neck* and *Arranged Marriage*. Another reason is that both the writers have a personal experience of migration, because their life, from the age of nineteen to the present, is shared between America and Nigeria and America and India respectively. The objective of this chapter is to critically examine Adichie's and Divakaruni's multifaceted presentations of the causes and consequences of migration, and highlight its impact on the identity of the immigrant characters.

Education is the next basic reason for migration. Using the second person narrative and the literary device of

unnamed characters which echoes themes of social blindness and search for identity, Adichie in "The Thing around your Neck" depicts the sad experience of a twenty-two-year-old narrator whose educational dreams are compromised once in America as she has to work hard to pay for her small accommodation. The central character of the story is Akunna who continues to hold on her black identity even after facing multiple challenges.

Akunna is Adichie's voice in addressing the sexism and racism related issues. The story 'The Thing Around Your Neck' begins with a very unpleasant description of protagonist's experience in America as she says:

You thought everybody in America has a car and a gun; your uncles and aunts and cousins thought so, too. Right after you won the American visa lottery, they told you: In a month, you will have a big car. Soon, a big house... Your uncle in America, who had put in the names of all your family members for the American visa lottery, said you could live with him until you got on your feet. He picked you up at the airport and bought you a big hot dog with yellow mustard that nauseated you. Introduction to America, he said with a laugh. He lived in a small town in Maine, in a thirty-year-old house by a lake. He told you that the company he worked for had offered him a few thousand more than the average salary plus stock options because they were desperately trying to look diverse. They included a photo of him in every brochure, even those that had nothing to do with his unit. He laughed and said the job was good, was worth living in an all-white town even though his wife had to drive an hour to find a hair salon that did black hair. The trick was to understand America, to know that America was give-and-take. You gave up a lot but you gained a lot, too. (116)

Adichie focuses on poverty leading women to the road of migration. Akunna wins a visa lottery to the United States of America and later experience a topsy turvey of being an immigrant in America. She lives in a thirty year old house of a distant relative in Maine. The explanation of American ways that her uncle shares with her is suggestive of highly racist attitude of whites towards blacks. Adichie's works are plentiful with examples that reinforce how migration affects the coloured race. The story reflects that the lack of economic opportunity, natural disaster or persecutions is the main factors causing individuals to migrate. For instance, "The Thing around Your Neck" especially show girls migrating to America expecting to rise from grass to grace, i.e., from poverty to riches. Her mindset and expectations reveal that poverty drove her to migrate.

The story unveils the sad reality of sexual exploitation of black women by black men when Akunna's uncle tried to rape her. She experiences the first shock of her life when her uncle asks her for sexual favours in exchange of staying in his house. Her illusion of a better life in America shatters in a little time:

You laughed with your uncle and you felt at home in his house; his wife called you *nwanne*, sister, and his two school – age children called you Aunty. They spoke Igbo

and ate *garr* for lunch and it was like home. Until your uncle came into the cramped basement where you slept with old boxes and cartons and pulled you forcefully to him, squeezing your buttocks, moaning. He wasn't really your uncle; he was actually a brother of your father's sister's husband, not related by blood. After you pushed him away, he sat on your bed – it was his house, after all – and smiled... If you let him, he would do many things for you. Smart women did it all the time. How did you think those women back home in Lagos with well – paying jobs made it? Even women in New York City? (116- 117)

Here, one can observe that within patriarchy how sex functions as an instrument to curtail women's strength. The story discerns Adichie as writer whose womanist perspective constantly forces to confront the problems of colored women.

The issue of Black hair is also brought about by Adichie in this story when whites question Akunna, "They gawped at your hair. Does it stand up or fall down when you take out the braids? ... Do you use a comb? You smiled tightly when they asked those questions" (116). Adichie is critical of the highly racist and hostile attitude of the Americans. She depicts the impact of the scathing remarks which Americans make on Africans, "They asked where you learned to speak English and if you had real houses back in Africa and if you'd seen a car before you come to America" (116).

Hair is a marker of difference among communities, so texture of hair and hairstyles has a strong impact on one's everyday life. A common assumption is that Black standards of beauty, especially with regard to hair, are entirely derivative of White standards of beauty, and therefore at some level, an expression of self-loathing or feelings of racial inferiority. Hair of all types is reshaped and chemically altered by various processes in order to exploit socially defined concepts of beauty. This is best enclosed in Frantz Fanon's *Black Skin White Masks* when he says, "Whiteness has become a symbol of justice, truth, virginity. It defines what it means to be modern and human. Blackness represents ugliness, sin, darkness and immorality" (xiii).

Akunna moves to America in hope of better earnings prospects and her visa lottery paved the way for it but the feelings of restlessness stick to her like a burden. Adichie comes up the question of race, identity, color and class through this story and shows how all these affect the psychology of the protagonist in a negative way. The attitude of antagonistic black men is also criticized by the writer.

Race being an important factor in Western countries renders black immigrants in a deteriorating state. While female characters overcome their sufferings and emerge as successful personalities. Male characters do not prove themselves as competent as female characters are portrayed in the story. Here, Adichie seems to be deconstructing the stereotypical representation of African women prone to surrender easily. As Ogunyemi in *Womanism: The Dynamics of Contemporary Black Female*

Novel in English says:

The young girl inherits womanism after a traumatic event such as menarche or after an epiphany or as a result of the experience of racism, rape, death in the family, or sudden responsibility. Through coping with the experience she moves creatively beyond the self to that concern for the needs of other characteristic of adult womanists. (10)

There is interplay of racism and classism in Divakaruni's story 'Silver Pavements, Golden Roofs'. Jyanti is the central character of the story and it deals with her journey to America for her higher studies. She goes to reside with her aunt Pratima and uncle Bikram. Bikram is a mechanic there and though appears rough has much love for his wife. She is given a tiny room "it is the same size as my bathroom at home" (41). That tiny room is decorated with rose in a jelly jar placed on the windowsill by her aunt.

Jyanti's journey from Calcutta to Chicago is full of excitement, hopes and dreams about studying in America. She has idealistic ideas of living in America but the story does an amazing job of unfolding the real situation of the immigrants. As the name of the story suggests her imagination about Chicago were of silver pavements and golden roofs of wealth and riches and forward cosmopolitan people. Contrary to her imagined thoughts, the lifestyle of her uncle and aunt is of quite low standard. She is traumatized to find out that life in America is not riches and glamour but of intense struggle, poverty and menial labor. Jayanti experiences hostile attitude of the Americans when she goes out for a walk with her aunt Pratima. At first Pratima seems resisting to go out but on Jayanti's insistence she finally agrees. On their way back they encounter a strange sense of alien feeling and insult from a group of American boys who were playing on the road. The boys pick a fistful of slush and throw at them:

The boys bend their heads together, consulting, then the tallest one takes a step towards us and says, "Nigger." He says it softly,... The word arcs through the empty street like a rock, an impossible word which belongs to another place and time.... Now the others take up the word, chanting it in high singsong voices that have not broken yet, nigger, nigger, until I want to scream, or weep.... I don't see which boy first picks up the fistful of slush, but now they're all throwing it at us. It splatters on our coats and runs down our saris, leaving long streaks. (50-51)

The incident leaves a greater impact on Jyanti though she wants to confront the boys but the fear of being stranger and unfamiliar overtakes the agony as she says, "There is slush on Aunt's face; her trembling lips are ash – colored. She's sobbing, and when I put out my hand to comfort her I realize that I too am sobbing" (51).

As they both reach home another difficult situation approaches Jyanti and her aunt. They have to face the anger of Bikram uncle as he gets irritated when he gets to know the situation. Jyanti is shocked to see the aggression of her uncle; the man hits his wife to show his concern for her which is actually symbolic of his helplessness as an

immigrant because he cannot express his anger in front of those boys.

Many decades have passed; still the immigrants undergo the agony of racial discrimination. Jayanti has been warned against this hatred towards the Indians in the English hearts, "The Americans hate us they're always putting us down because we're dark-skinned foreigners, kala admi. Blaming us for the damn economy, for taking away their jobs. You'll see it for yourself soon enough" (43).

Divakaruni uses this incident to portray the character of Bikram rude, oppressive and violent. She depicts the character of Pratima as submissive, patient and loyal. Divakaruni tries to express the message that Indian women immigrants in America are doubly marginalized as they become victims of hate crimes in the streets and victims of domestic violence in the family space. She highlights the ugly side of the relationship between white Americans and Indian immigrants stained by prejudice and hatred through the dialogic interaction between Bikram and Jayanti, "The Americans hate us. They're always putting us down because we're dark-skinned foreigners, kala admi. Blaming us for the damn economy, for taking away their jobs. You'll see it for yourself soon enough" (43).

The protagonist is in utter distress to hear the grief of the couple, the sorrow of being in the alien land. She feels like an intruder, fool as she hears Bikram uncle crying pathetically, "This damn country, like a dian, a witch – it pretends to give and then snatches everything back...remember ... how the fire they started took everything" (54). This revelation becomes a turning point in Jayanti's life, all her sense of superiority smashes to smithereens. She reprimands herself for looking down on the laboring uncle, who she thinks is too low class for her aunt who comes from an old and respected Indian family. Her own reaction to the American boys seems racist as she wants to tell them that, "can't they see that I'm not black at all but an Indian girl of good family?" (51).

Jayanti is now in extremely distressed situation where she doesn't know what to do and how to share her feelings with her aunt, to tell her how she has always dreamt of marrying a man from the magical foreign lands. But despite all her dreams have come to an end; she develops a courageousness rather than distress in managing the situation. She is ready to find her new abode of living while understanding the alien place. But naturally a longing comes in for her, "Home, I whisper desperately, homehomehome, and suddenly, intensely, I want my room in Calcutta, where things were much simpler" (55) which is quite distant and beyond reach.

Divakaruni's story illuminates the promise and ultimate dissatisfaction of the immigrant's experience. This disillusionment does not lead all migrants to return to their countries of origin. They stay but live in loneliness and regret. For instance, in this short story Jayanti, a young girl, finds that her present life in America is not as she had dreamt. Her hopes begin to chatter and she faces despair.

In this story Divakaruni represents most migrants as victims of disillusionment. Many of them do not meet good living conditions in America. Some of the intelligentsia who went to the land of whites has employments which have nothing in common with the training and degrees they received, and end up living life as a second-class citizen in America. The training of the migrant intelligentsia is undervalued. They do mean jobs for the Americans. From being civil servants in their home country, they become domestic servants for white people, in a country of many races. They were not expecting such a humiliating treatment. Even though they are paid, it is not the amount of money they dreamt of while migrating.

Though the incidence made her feel like going back her home in Calcutta desperately, she can't stop thinking of, the pink-tipped blond hand of the air-hostess who offered her a warm towlette and all American hands that she knew will keep coming back in her dreams, "Will I marry a prince from a far-off magic land Where the pavements are silver and the roofs all gold?" (56), the sense of belonging to a particular place and culture and at the same time being an outsider to it creates an inner tension in the character of Divakaruni. Immigrants like Jayanti are compelled to live between two worlds: the imaginary and the real, the past and the present, and the virtual and the material. While standing on the balcony of her aunt's apartment in a snowy weather, Jayanti realizes that the piercing pain of chilly snow falling on her hands fades away when she dreams of her life in America. The story ends with Jayanti's understanding the reality of life in America. The last scene of the story where Jayanti experiences snowfall for the first time is an excellent description of immigrant's situation:

The snow has covered my own hands so they are no longer brown but white, white, white. And now it makes sense that the beauty and the pain should be part of each other. I continue holding them out in front of me, gazing at them, until they're completely covered. Until they do not hurt at all. (56)

Here, Divakaruni suggests that life is a journey one has to keep going in it withstanding the situations. Jayanti does not understand how circumstances can change so dramatically once she leaves her home. Her entire insight of her own race is thrown into question upon leaving the house. Jayanti who is shown as full with pride to be an upper class Indian, questions her relation to American race categorization. The harsh words used by the young boys have affected her to the point where she cannot help but identify herself differently. She has developed a multiplicity of consciousness in recognizing herself. One consciousness with which she identifies herself as a minority living in America another with which she appreciates herself as the upper class Indian girl of her family and third with where she perceives herself as in between the two. Although these self-perceptions are at variance with one another, Jayanti comes to understand that this paradoxical situation is her fate. To live in a state of multiplicity with oppositional

conditions precisely within a fragment self, is the essence of the diasporic experience.

References :-

1. Adichie, Chimamanda Ngozi. *The Thing Around Your Neck*. Anchor, 2010.
2. Divakaruni, Chitra Banerjee. *Arranged Marriage*. Anchor, 1996.
3. Fanon, Frantz. *Black Skin, White Masks*. London: Pluto P, 1986.
4. Hooks, Bell. "Sisterhood: Political Solidarity between Women." *Feminist Review*. JSTOR, no. 23, 1986, pp. 125-138. doi.org/10.2307/1394725. Accessed on 4th of August, 2020.
5. Ogunjipe-Leslie, Molar. "Womanism: The Dynamics of Contemporary Black Female Novel in English". *JSTOR*, vol.11, no.1, 1985, pp. 63-68. jstor.org/stable/3174287/. Accessed on 23th of Oct. 2020.
6. Walker, Alice. *In Search of Our Mother's Gardens: Womanist Prose*. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1983.

An Analysis of Goods and Services Tax (GST) Collection Prior and Post Covid19 Pandemic

Dr. Sunil Advani*

Abstract - Goods and Services Tax (GST) is an indirect tax used in India on the supply of goods and services. It is a comprehensive, multistage and destination-based tax. It has subsumed almost all the indirect taxes and it is imposed at every step in the production process up to the final consumer. GST is collected from point of consumption and not at point of origin like previous taxes. GST is a single domestic indirect tax law for the entire country which has replaced many indirect taxes in India like Central excise duty, Service tax, Value added tax VAT etc. The elimination of these indirect taxes has not only made tax compliance easier for businesses but has also helped in making many of the goods and services more affordable for the consumers. Input tax credit system, composition scheme, Four-tier tax structure and several other GST features are already working as a game-changer for the Indian economy. While it still has a long way to go, industries, consumers and the government has already started experiencing the benefits which are expected to extend further in the future. The paper highlights collection of Goods and Services tax prior and post Covid19 pandemic and the expected collection of revenue through GST in future.

Keywords - GST, Comprehensive, Input tax credit.


Introduction - The implementation of the goods and services tax (GST) in India was a historical move, as it marked a significant indirect tax reform in the country. The idea of adopting GST was first suggested by the Atal Bihari Vajpayee Government in the year 2000. A committee was set up to draft GST law by prime minister of India. In the year 2006, finance minister P. Chidambaram set 1 April 2010 as the GST introduction date but it was postponed due to political issues and conflicting interest of stakeholders. In the year 2011, the Bill for GST was sent to a standing committee for a detailed examination. IN 2012, the standing committee starts discussion on the Bill and the report created by the standing committee was submitted to the parliament. The Lok Sabha passes the Constitution Amendment Bill on May 2015. The Ministry of Finance releases the draft model law on GST to the public expecting suggestions and views in June 2016. Finally, the Bill was also passed in the Rajya Sabha in August 2016. In September 2016, the Honorable president of India gives his consent for the constitution Amendment Bill to become an Act. The Goods and Services Tax Act was passed in the parliament on 29th March 2017 and came into effect on 1st July 2017.

Components of GST - There are three taxes applicable under this system :

1. Central Goods and Services Tax (CGST) – It is the tax collected by the central government on an intra-state sale.
2. State Goods and Services Tax (SGST) – It is the tax

collected by the state government on an intra-state sale.

3. Integrated Goods and Services Tax (IGST) – It is a tax collected by the central government for an inter-state sale. There is only one type of tax collected by central government in case of inter-state sale, The Centre will then share the IGST revenue based on the destination of goods.



Objectives of the study:

1. To know the revenue collected by the Government from GST up-to-date.
2. .To identify the impact of covid19 on GST collection.

Research Methodology - This paper is based on secondary source of data which is collected from various websites, published articles, past studies, Journals and books.

A. Collection of GST prior covid19 pandemic - During

the year 2017-18, 2018-19 and 2019-20, total revenue collection under GST was 7.41 lakh crore, 11,77,369 crore and 12,22,131 crore Rupees respectively. Following is the table showing month-wise GST collection, growth in rs. And percentage growth in GST prior covid19 pandemic-

Table 1- Month wise GST Collection prior Covid19 pandemic

Month	GST collected (in crore Rs.)	Growth (in rupees)	Growth (in %)
August 2017	95633		
September 2017	94064	-1569	-1.640
October 2017	93333	-731	-0.777
November 2017	83780	-9553	-10.235
December 2017	84314	534	0.756
January 2018	89825	5511	6.536
February 2018	85962	-3863	-4.300
March 2018	92167	6205	7.218
April 2018	103459	11292	12.251
May 2018	94016	-9443	-9.127
June 2018	95610	1594	1.695
July 2018	96483	873	0.913
August 2018	93960	-2523	-2.614
September 2018	94442	482	0.512
October 2018	100710	6268	6.636
November 2018	97637	-3073	-3.051
December 2018	94726	-2911	-2.981
January 2019	102502	7776	8.208
February 2019	97247	-5255	-5.126
March 2019	106577	9330	9.594
April 2019	113865	7288	6.838
May 2019	100289	-13576	-11.922
June 2019	99939	-350	-0.348
July 2019	102083	2144	2.145
August 2019	98202	-3881	-3.801
September 2019	91916	-6286	-6.401
October 2019	95380	3464	3.768
November 2019	103492	8112	8.504
December 2019	103184	-308	-0.297
January 2020	110818	7634	7.398
February 2020	105366	-5452	-4.919
March 2020	97597	-7769	-7.373

[Source:<http://pib.gov.in>]

From the above table, it is clear that there was an average

increase of **8.06%** in GST collection during 32 months before covid19 pandemic.

B. Collection of GST Post covid19 pandemic -

During the financial year 2020-21, there was a total collection of 10,12,873 crore rs. for 11 months after covid19 pandemic. Following is the table showing month-wise collection of GST revenue-

Table 2- Month wise GST Collection Post Covid19 pandemic

Month	GST collected (in crore Rs.)	Growth (in rupees)	Growth (in %)
April 2020	32172	-65425	-32.964
May 2020	62151	29979	93.183
June 2020	90917	28766	46.284
July 2020	87422	-3495	-3.844
August 2020	86449	-973	-1.112
September 2020	95480	9031	10.446
October 2020	105155	9675	10.133
November 2020	104963	-192	-0.182
December 2020	115174	10211	9.728
January 2021	119847	4673	4.057
February 2021	113143	-6704	-5.593

[Source:<http://pib.gov.in>]

From the above table, it is clear that there was an average increase of **11.83%** in GST collection during 11 months after covid19 pandemic.

Conclusion - In the month of April 2020, just after when lockdown was imposed in india, there was a huge decrease of 65,425 crore rs. in GST collection but it turned into an increase of 1,13,143 crore rs. in the month of February 2021 which is a good sign of recovery in revenue. If this trend continues, it is expected that there will be a collection of 13,00,000 crore rs approx. in the year 2021-22.

References :-

1. Sripalsaklecha & Amit saklecha, Goods and Services Tax & Custom Duty, Edition: 2019-20.
2. www.bankbazaar.com
3. www.gstindia.com
4. <https://cleartax.in>
5. www.adityabirlacapital.com
6. www.gsteservices.com
7. www.indianeconomy.net
8. <https://www.pib.gov.in>

Impact of Aatma Nirbhar Bharat: A Futurist Overview

Dr. Manohar Das* Somani Kaushal Kumar**

Abstract - Whole world is facing a massive economic instability due to Covid-19 pandemic which has led to significant shifts in most sectors, including banking, operations. In developing economy like India, it may will take more time to bounce back to normal economic operations and in order to give boost to the Indian economy the Aatma Nirbhar Bharat has been initiated which includes financial aid to corporations, direct cash benefits, aid to employees and easy borrow for small businesses. This study aims at to comprehend view upon impact of “Aatma Nirbhar Bharat” by using the secondary data source and we opinion that the scheme will have impact over various constituent of Indian economy and society such as stabling unemployment rate, making of India as Export hub, GDP growth, lesser international market dependency, lowering the vulnerability among state and will encourage Krishi atamanirbharta.

Keywords- Aatma Nirbhar Bharat, MSMEs, Agriculture, COVID-19, economy package.

Introduction - The COVID-19 pandemic is the primus planetary disruption in recent times with profound impacts on every aspect of world lives. As a strategy in tackling the pandemic the major one among many other things is the complete shutdown of economic and social activities of different magnitudes all over the world. Optimists see a silver lining in that, and emphasis troubled times while moving on, teach two important lessons—a source of inspiration and the essential factors in shaping the post pandemic life.

The PM Narendra Modi has announced a special economic package to better integrate India with the global economies called ‘Aatma Nirbhar Bharat’ or a ‘self-reliant’ India. The package is announced about 10% of India’s gross domestic product of 1 20lakh crores.

Aatma Nirbhar Bharat is a dream and may be the need of the hour as the global manufacturing hub China reluctance friendly ties with us. When we look import/export relation among India and China, the Balance of Trade (BoP) is not good enough, as we are importing way more than what we export. Our money is killing us. Even, if we can’t get fully independent of China in

Terms of imports, a balance in trade should be the priority, needless to say that a house cannot be imagined without having anything made in China.

The Five Pillars of Aatma Nirbhar Bharat - Aatm Nirbhar Bharat strengthens the current situation of the country with the effect of COVID19. This pandemic comes with so many challenges and difficulties in the world of economy. The Aatma Nirbhar Bharat is focus on the five pillars which are given below:

1. Economy

2. Infrastructure
3. System
4. Vibrant Demography and
5. Demand

The Five Parts of Aatma Nirbhar Bharat - The government working with various initiative to ensure for better prepared to face the threats and challenges posed by COVID-19. The Aatam Nirbhar Bharat has been announced in five days which exhibits five different verticals of Indian economy, each of them are explained in the Table 1 Below:

Table 1 (see in last page)

Objective - To comprehend view upon impact of “Aatma Nirbhar Bharat”.

Methodology - To accomplish the objective of the study, both exploratory and descriptive research method have been used. Secondary data research has been conducted which are collected from websites, newspaper, books, reports, journal etc.

Impact of Aatma Nirbhar Bharat

- **Reduction in Unemployment rate:** Unemployment is one of the major problem of any economy and due to COVID-19 the unemployment rate of India during April and May, 2020 stood at 23.52% and 23.48% respectively as per data release by Centre for Monitoring Indian Economy Pvt. Ltd, 2020. We believe that with Aatma Nirbhar Bharat initiative the unemployment will get reduce firmly.

- **Contribution to GDP:** Gross domestic product (GDP) is defined as the total final monetary value of all goods and services produced within the country’s boundary during a specific period of time. GDP is considered as an important indicator of country’s economic performance. The Aatma Nirbhar Bharat is way that may increase GDP growth of

*Professor, Department of Commerce, MJB Government P.G. Girls College, Indore (M.P.) INDIA

** Research Scholar, Department of Commerce, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA

India by encouraging local production and support thereof.

● **Lesser International Market Dependency:** Due the COVID 19 crisis, and the international borders have been freeze, and also hampered trade activities which has resulted in clogging of manufacturing services in various important areas. This situation has given rise to produce locally, and through the Aatma Nirbhar Bharat it looks feasible because it envisage on way to support local, in this regard “the defence minister Shri Rajnath Singh has promulgate ban on the import 101 items “beyond given timeline” to boost local production” (The Indian Express, 2020). This simply explain that dependency of India over the international market will be reduce.

● **Export Hub:** The Aatma Nirbhar Bharat movement has a vision to vocal for local products and make them global, with this vision we believe in coming days the India will have greater potential to be become and export hub which also alien with Make in India initiative.

● **Reduce Vulnerability among Indian States:** Indian states are having vulnerability among them in terms population, availability, resource, culture etc. all these can be used for development by vocal for local, its gives strength to their expertise and will expose them beyond the geographical boundary which will help in other states and reducing the vulnerability among them.

● **Evaluation of Atamanirbhar Krishi:** This is very well known that agriculture is one of the key sources of livelihood for majority of population in India, & it also has great potential to be developed as “Aatmanirbhar Krishi”. For the benefit of the farmer community, the Govt. of India with a motive to transfer the agriculture into a sustainable enterprise announced 3 landmark reforms on 5th June, 2020- first, “The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020” to increase income of farmers, second- “ The Farmers’(Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance,2020” for solving the irregular pricing of food and encouraging contract farming, and Third- “The Essential Commodities (Amendment) Ordinance 2020” to enhance farmers digital accessibility to various no. of markets and buyers to bring transparency in discovering price mechanism and price realization on quality of produce.

Conclusion - Pandemics throughout history have hit civilizations in no certain pattern. The unpredictability, both in terms of virology and periodicity, make it an improbable task to prepare sufficiently for a large-scale health emergency. However, even though not entirely avoidable more often than not, certain common elements of pandemics can be identified and provisions can be made for the same. Pandemics usually have long-reaching social, political and economic consequences and the response quality and time to an outbreak serves a major role in its future course, in order to give boost to the Indian economy the INR 20 lakh crores Aatma Nirbhar Bharat economy package has been

initiated and recently the Finance Ministry Nirmala Sitharaman presented Union Budget 2021 in the parliament which also focus on enhancing Aatam Nirbhar Bharat initiative like, lowering of import duty on important raw material, provision of investing INR .197 lac crore under Production linked Incentive (PLI) scheme over next 5 years, establishment of 7 big Mega textile park over next 3 years etc. making the Aatam Nirbhar Bharat a boost. This study focuses on to comprehend view upon impact of “Aatma Nirbhar Bharat” by using the secondary data source and we opinion that the scheme will have impact over various constituent of Indian economy and society such as stabling unemployment rate, making of India as Export hub, GDP growth, lesser international market dependency, lowering the vulnerability among state and will encourage Krishi atamanirbharta.

References :-

1. PRS Legislative Research . (2020, August) . Summary of announcements : Aatma Nirbhar Bharat Abhiyaan. Retrieved from PRS Legislative Research: <https://www.prsindia.org/report-summaries/summary-announcements-aatma-nirbhar-bharat-abhiyaan>
2. National Portal of India. (2020, August). Building Atmanirbhar Bharat & Overcoming COVID-19. Retrieved from National Portal of India : <https://www.india.gov.in/spotlight/building-atmanirbhar-bharat-overcoming-covid-19>
3. Wikipedia. (2020). COVID-19 pandemic in India. Retrieved MAY 24, 2020, from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_India
4. The Energy And Resource Institute and Global Green Growth Institute. (2020, May). Greening Post COVID-19 Economic Recovery in India. Retrieved Augus 15, 2020, from The Energy And Resource Institute: https://www.teriin.org/sites/default/files/2020-06/GER_dp.pdf
5. Centre for Monitoring Indian Economy Pvt. Ltd. (2020, August). Unemployment Rate in India.
6. Retrieved August 18, 2020, from CMIE: <https://unemploymentinindia.cime.com>
7. The Indian Express. (2020, August 9). Defence Ministry’s Atmanirbhar Bharat push: Import embargo on 101 Itmes. Retrieved August 15, 2020, from The Indian Express: <https://www.google.com/amp/s/indianexpress.com/article/india/rajnath-singh-live-updates-china-lac-rafale-6546886/lite/>
8. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare , Govt. of India. (2020, August 09). Atamanrbhar Krishi, Aatmanirbhar Bharat . Retrieved from A step towards Transfromation of Agriculture into Sustainable Entreprises: <https://blog.mygov.in/atmanirbhar-krishi-aatmanirbhar-bharat/>
9. Ministry of Finance, Govt. of India. (2021, Feburary 01). Union Budget. Retrieved from Union Budget: <https://www.indiabudget.gov.in/>

Table 1: Details of Aatma Nirbhar Bharat Economic Package

Package	Announcement Date	Quantum
Part-I: Business including MSMEs	13 May 2020	<ul style="list-style-type: none"> ● For meeting Operational liability, buying raw material and restart business/MSMEs- 3 lakh crore collateral free automatic loans for business including MSMEs ● Disallowed global tenders in government procurement tenders up to 200 crores ● For Equity support - 20,000 crore subordinate debt for Stressed MSMEs ● For Severe Shortage of equity- 50,000 crores equity infusion for MSME through Fund of Funds ● To raise money in debt market - 30,000 crores liquidity facility for NBFCs/FCs/MFIs ● For fresh lending -45,000 crores partial credit guarantee schemes 2.0 for NBFCs ● For Unprecedented cashflow problem- 90,000 crores liquidity infusion to DISCOMS against receivable
Part-II: Poor, including	14 May 2020	<ul style="list-style-type: none"> ● Post COVID Direct support to farmers and ruraleconomy includes- agricultural loans of 4.22 lakhs crores availed the benefit of 3 months loan migrants and farmers moratorium to 3 crore farmers, on crop loans- Interest subvention and prompt repayment incentive due from 1 March extended up to 31 May 2020 and 25 lakh new Kisan Credit Cards sanctioned with a loan limit of INR 25,000 crores. ● Post COVID Liquidity support provided to farmers and rural economy – 63 lakhs loan approved, 4200 crore given under RIDF to state. ● GOI permitted State governments to utilise SDRF for setting up shelter and providing them food and water etc. for migrants. ● MGNREGS support provided to migrants who are returning home
Part-III: Agriculture	15 May 2020	<ul style="list-style-type: none"> ● Additional steps for Agriculture due to COVID: MSP purchases of amount more than INR 74,300 crores made during lockdown period, 18,700 crores for PM Kisan fund transfer and 6400 crore claim against PM fasal Bima scheme. ● Additional interest subvention @ 2% per annum to dairy cooperatives for 20-22 support has been provided for animal husbandry. ● Financing facility of 1 lakh crore to Agri Infrastructure Fund for farm-gate infrastructure for farmers ● To promote Vocal for local 10,000 crores scheme for formalisation of MFE has been announced ● For integrated, sustainable and inclusive development of marine and inland fisheries 20,000 crores provided to fishermen through PMMSY ● 15,000 crores provided for setting up an animal husbandry infrastructure development fund. ● For developing a corridor of medicinal plants along the banks of Ganga, NMPB will green 800 hectares area .
Part IV: New Horizons of Growth	16 May 2020	<ul style="list-style-type: none"> ● To reduce import of substitutable coal and increase self-reliance in coal production govt. will introduce commercial mining in the coal sector through revenue sharing mechanism instead of a regime of fixed rupee/tonne system; liberalized entry norms; exploration-cum-production regime for partially explored blocks; production earlier than scheduled will be incentivized through rebate in revenue share. ● To lower environment impact investment on Infrastructure development of 50,000 crores will made. ● To switch in gas- based economy coal gasification will be incentivised through rebate in revenue share.

Part V : Government Reforms and Enablers	17 May 2020	<ul style="list-style-type: none"> ● For protection of healthcare workers 15000 crores announced which also includes insurance cover of 50 lakhs per person under PMGKY. ● Allocation of 1 40,000 crores for MGNREGS to provide employment boost ● To Prepare India for any future pandemic- Infectious Diseases Hospital Blocks (IDHB) will set up in all district of India. ● Privatization of Public Sector Enterprises to minimize wasteful administrative cost.
---	-------------	--

RIDF: Rural Infrastructure Development Fund , MGNREGS: Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, PMGKY: Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, MSME: Micro, small, medium enterprises; NBFCs/FCs/MIFs: non-bank financial companies, finance companies, micro finance institutes; DISCOMs: Distribution companies; SDRF: State Disaster Response Fund; NABARD: National Bank for Agriculture and Rural Development; MSP: Minimum support price; MFE: Micro Food Enterprises; PMMSY: Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana; NBPB: National Medicinal Plants Board

Source: (The Energy And Resource Institute and Global Green Growth Institute, 2020)

Virtual Class Room Reference in Government College Madhya Pradesh

Ashvin Singh Tomar* Shweta Rathore** Monika Soni***

Abstract - To build a web based virtual learning environment depend on information technology concerns Technology supporting learning methods and theories. A web based virtual online classroom is designed and developed based on learning theories and streaming media Technology. According to the questionnaire, teachers are accustomed to communication and teaching face to face. They hope they could be able to control the teaching and learning process and observe learners behaviour like in the traditional classroom. Learning love to use such tools as a chat room to control their learning pace.^[1]

Introduction - A virtual classroom is in online learning environment. The environment can be web based and accessed through a portal or software best and require a downloadable executable file. just like in a real-world classroom, a student in a virtual classroom participates in synchronous instructions, which means that the teachers and students are logged into the virtual learning environment at the same time.^[2] in Department of Higher Education Government of Madhya Pradesh have select 100 colleges on Date 17/10/2012 for virtual class.^[3]

At present, teaching is being done in Madhya Pradesh Higher Education Department through Virtual Classroom. What are the problems in virtual class and this is the main topic to solve those problems.

What is virtual Classroom - The explosion of the knowledge age has changed the context of what is learnt and how it is learn the concept of virtual classroom is a manifestation of the knowledge Revolution. virtual education is a term of describing online education using the Internet. this term is primarily used in higher education some so-called, Virtual University have also been established. A virtual classroom (VCR) is in advanced learning environment created using internet, computer, supplicated video conferencing device in which either teacher is not physically present(for remote learning) or student not present(distance education) in the classroom.

At present, it is very difficult to conduct class in most government colleges due to Covid-19 epidemic. With the help of virtual class or online class, students can be saved from this epidemic and classes can also be conducted by applying online class

Benefit of Virtual Classroom

1. Virtual classroom offer incomparable convenience and

flexibility. you can access a virtual classroom from home, office, internet cafe and any other place which has internet connection.

2. You don't even need to waste time travelling to the training centre we bring it you right at your desk .
3. virtual classroom help a bring experienced faculty from all over the world to you.
4. You don't need to fall behind or spend extra time catching up if you miss a class. all session in our virtual classroom or recorded you can watch and listen to the entire session at any time.

Position of Virtual Classroom in Government College Madhya Pradesh

1. The government college create a IT cell department and making a head of virtual classroom. the head have a no master degree in computer subject because that is the government employee professor .Hole work of virtual class room down by guest faculty (computer science) guest faculty appointed by government college level and fixed time. that reason some college not start virtual classroom.
2. The government college manage basic need of virtual classroom accessories by funding by just like government fund, JBS Fund and self finance etc but college are not managed post for virtual classroom.
3. Direct or indirect very important role play guest faculty computer science in virtual classroom .
4. The government college have a know specialist person for virtual classroom.

How Can Better Virtual Class Room In Government College Madhya Pradesh

I was surveyed by Google online form in government college of Madhya Pradesh. In which students of different classes

* Research Scholar (Computer Science) Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.) INDIA

** Research Scholar (Computer Science) Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.) INDIA

*** Research Scholar (Computer Science) Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.) INDIA

participated. In the online survey, I have taken my students' thoughts or advice.

How is the infrastructure of virtual class in your college?

How do you like studying in virtual class?

What problems do you face while studying in a virtual pass?


The results of this survey have been displayed by me in the form of tables and chats.

Table 1 Online Serve for virtual class in Government College Madhya Pradesh[4]

S	College Name	Number of Student
1	Govt.PG College Khargone(M.P)	72
2	SN Govt Girls PG College Bhopal(M.P)	24
3	Govt.PG College Dhar(M.P)	10

Table 2 Online Question for virtual class in Government College Madhya Pradesh [5]

College Name	Infrastructure Not Like V.C	Study Like in V.C	Problems to Face in V.C
Govt.PGCollege Khargone	42%	15%	20%
SN Govt GirlsPG College Bhopal	10%	10%	10%
Govt.PG College Dhar	10%	05%	05%



Graph for Online Question

V.C = virtual class

Some Exemplas on YouTube

<https://youtu.be/V6vp0vi0hbg>

<https://youtu.be/Jb4Rwilq1U8>

Conclusion - The Department of Higher Education Madhya Pradesh Government has a very good policy for students studying in virtual colleges in government colleges to study education. My objective is how to make virtual class better. And due to present time Covid-19, this policy of Madhya Pradesh government is no less than a boon for students. Due to this policy, we can make students study higher easily where there is no distance between the professor and the students. And the student can make his future successful.

References :-

1. Research and development of web based virtual online classroom Zongkai Yang, Qingtang Liu
2. what istechtarget.com
3. <http://www.slideshare.net/landaverde201sep/the-use-of-virtual-classroom-in-the-teaching>
4. <https://docs.google.com/forms/d/12IO2atbiS6VwD7iK6jS3eL34dcTBSNVTnEbF3xBrsw4/edit>
5. <https://docs.google.com/forms/d/12IO2atbiS6VwD7iK6jS3eL34dcTBSNVTnEbF3xBrsw4/edit#responses>

The Role of Social Media in Promoting Women Entrepreneurs in COVID-19

Gopal K. Rathore* Garima Trivedi** Janvi Sharma***

Abstract - As we all know that in today's era if any nation wants to grow then it requires entrepreneurs at the core of economic development. An entrepreneur is a person who is involved in economic activity and takes an initiative to start a business with innovative ideas. It over all contributes to the development of the country, creates employment opportunities and many more. Entrepreneurship is not a new concept. We are all familiar with this concept for centuries. Earlier entrepreneurial activities and entrepreneurship were dominated by the menfolk of the society but with the passage of time it has been changed. Nowadays women have become more aware and educated which enables them to make their place in this male dominated society. They are becoming more optimistic, powerful and standing for their rights, freedom and equality in the business domain. In this era of information technology, the social media has played a vital role in promoting the role of women entrepreneurs. Social media has played a role of "magic wand" for women entrepreneurs as it has resolved their problems. In this research paper we will describe the role of social media in promoting the women entrepreneurs during COVID-19 and what challenges do they face and how they overcome.

Keywords - Women Entrepreneurs, Networking, Social Media, Pandemic and Covid-19.

Introduction - The word 'Entrepreneur' has taken from the French word entrepreneur who means "go-between" or "between- takers". The entrepreneur is a person who has the ability and desire to establish, administer, and succeed in a startup venture along with risk entitled to it, to make profit.

The term 'Entrepreneurship' can be defined as the process of setting up of business to earn profit with innovation and ideas to run a business and also capable to bear risk.

Social Networking is a global phenomenon, we all are aware of that. It affects nearly every aspect of our life: education, communication, employment, politics, social relationships, especially business life and many more. Social Media provides us with online interaction with people of similar interests, allows us to share emails, instant messaging, wikis, digital photos and videos and post blog entries.

The Internet has rapidly changed the way business transactions take place, creating efficiencies and productivity growth for existing business and opening unprecedented opportunities for the entrepreneurs. Social Media Networks on the internet have enabled immediate connections to new markets, suppliers, and customers in

ways that were not possible before.

Concept of women entrepreneurship - Women Entrepreneurship is the process in which women initiate a business, gather all resources, undertake risks, face challenges, provides employment to others and manages the business independently. Approximately one-third of the entrepreneurs in the world are women entrepreneurs. According to definition given by Government of India- "A women entrepreneurship is defined as an enterprise owned and controlled by women having a minimum financial interest of 51% of the capital and giving at least 51% employment generated to women".

Women entrepreneurship has long been associated with concept such as women empowerment and emancipation. The 432 million women of working age in India are the country's largest under-tapped economic resource. While women play an important role in Indian society.

Covid-19 has pushed the broader ecosystem to rapidly adopt digital means to conduct business. As suppliers, customers and employees have adopted remote models, transactions have moved online; and as B2B commerce has scaled up, entrepreneurship has become more accessible to women. Looking beyond the challenging near-

* Associate Professor, Faculty of Business Administration and Commerce, Mandsaur University, Mandsaur (M.P.) INDIA

** Student of BBA V Semester, Faculty of Business Administration and Commerce, Mandsaur University, Mandsaur (M.P.) INDIA

*** Student of BBA V Semester, Faculty of Business Administration and Commerce, Mandsaur University, Mandsaur (M.P.) INDIA

term circumstances, these shifts towards virtual or remote interactions have the potential to provide a more enabling environment for women, who often face competing responsibilities that constrain mobility.

History of women in business - Throughout history, women have made their mark on the working world with ingenious innovations, out-of-the-box business ventures and unprecedented success. Earlier our, age-old so do cultural traditions and taboos arresting the women within four walls of their houses which in result, did not allow them to explore themselves and move ahead. In the beginning of the 20th century feminism finally begin to make real changes in the female working climate. In the early 1900s, female entrepreneurs such as Madam C.J.Walker, Coco Chanel, etc established their own brand and fought tooth and nail for success in the face of discrimination, unfair wages and stigmas plaguing female business owners. World War-II was not the very beginning of female entrepreneurship, they have been inventing things and creating their own businesses for centuries.

The 21st century has seen an upsurge in women entrepreneurs, but it is not always a bed of roses.

Role of social media in promoting women entrepreneurs - Social Networking provides different platforms to entrepreneurs to promote their product or services. Apart from ease of marketing, business platforms based on social media come with several other advantages, which particularly benefit women entrepreneurs.

Platform-based business helps significantly in dealing with such issues by reducing the operational effort and cost. Product-based businesses do not need a showroom for product display, as it is done through the business page, inventory and product distribution is managed centrally, trends and customer feedbacks are readily available, and business can be scaled as required. Service-based businesses are no different either. All one needs is a laptop or a smart phone with an internet connection to get up and running with her Facebook or any other social media site based business venture.

Social networking special features are as it provides free of cost platforms, no limits regarding to work, can share videos, pictures and most importantly anytime and anywhere.

Thus, social media has become a primary choice for women who want to run a business in comfort and with security, which our society fails to provide in so many ways. It makes possible for them to work in safe environment independently, freely and without investing too much with 24x7 availability.

Our research shows that in our social context, it is quite common for women to quit their job after getting married or having kids due to increased responsibilities at home. However, every educated woman wants to have self-worth and contribute to her society and family in a meaningful way. Platform-based business models provide a solution to this. Every business needs dedicated time and effort to

reach success, however, for Facebook or any social media based businesses, the owner gets to decide the work hours, and the level of effort to provide, allowing her the freedom to manage her personal life as she pleases. This allows her to balance her work and life the way she wants to.

Social media helps in improving awareness, growth of sale, and building of a reputation. It not only allow women entrepreneurs to access more people, improve sales, and build their reputation but it allows them to do this in a flexible way.

It provide women entrepreneurs to reach a wider audience as their products could seen by visitors and few years ago Facebook merged with Instagram and whatsapp so, if Entrepreneurs share their product details on whatsapp or instagram so they can share same information without any hard work they share same post on facebook / Instagram / whatsapp.

Every technological advancement comes with pros and cons. While millions are complaining about excessive use of social media and their influence on our lives and privacy, its business platform is certainly serving as a boon of great hope for our women in a male dominated society. It is wonderful to see that with the help of such platforms, our women are moving forward with their ideas and will power to achieve succession professional life, while fulfilling their family responsibilities.

So, we can see that social media plays an major role in promoting the women entrepreneurs.

Review of literature

Joseph Schumpeter,(1930), According to the Joseph Schumpeter, explained the capacity of the business visionary is to change and opening a new source of supply of material or a new outlet for product by a new industry.

Luisa De Vita, (2014), According to Luisa De Vita, defined Entrepreneurship has a leading role of female Entrepreneurship in emerging economics and relevance of immigrant female entrepreneurs in developed countries.

According to the recent research study by **Hemant kumar P. Bulsara (2014)**, we found that in today's era the women are coming in par with men. His study also focused on "Made On Own". This concept says that a person who has done the business from scratch and is the pioneer, doing its own and bearing the consequences of the same, is called an Entrepreneur in real sense. His study includes the significant role of women entrepreneurship with the help of a case study based on Mrs. Rinku Lakdawala where her entrepreneurial skills helped her to get an identity in the society. The objective of the research was to study the journey of women entrepreneur and the challenges faced by her in garment industry in the city of Surat. Both the primary as well as secondary data was used for the research. And the analysis of the case was done.

We also found the kind of challenges faced by women entrepreneurs which have resulted in restricting the expansion of women entrepreneurship to a large extent. Challenges they face are like marketing problems, support

of family, cut-throat competition, mental harassment etc. In a nutshell, his research showed the importance of women and how they contribute to the society as well as nation, also how an enterprise is managed by women with their skills in many aspects. "Women have the capabilities to come out with flying colours and they actually do."

The research study by **Lee O.Upton, Emma J. Broming and Dr. Rebecca (2018)** focused on the analysis of social network at the nascent stage of entrepreneur development, where entrepreneurs seek to develop, plan and launch a business.

The research study by **Dr. Parul Agarwal and Sonu Garg (2017)** tells about the status of women entrepreneurs in India and how their role changed from housemaker to money maker due to urbanization, industrialization, along with education and awareness. Also, the study discusses what are needs of women entrepreneurship and the problems faced by them like lack of education facilities available to them, social taboos, financial problem, and many more.

Also it is revealed that women have entered into every sector as entrepreneurs for the last few decades, whether it is manufacturing, trading or service sector. Their participation in entrepreneurial activities lead to economic development of the country along with their wholesome development. Though they face many difficulties but have proven themselves and run a successful organization.

If a proper platform and support, given by society, their own family members and government, then it will help them to explore more. Already nowadays, government runs various schemes for women entrepreneurs like PMEGP, MSME, TREAD, etc. This should be run effectively and there is need to do more in context of development of women entrepreneurs.


Methodology - Our research is based on secondary source of data which includes journals, Wikipedia, other research papers etc. Also we have followed descriptive analysis in our research study.

Objective of the study :


1. To know the status of women entrepreneurs.
2. To know the role of social media in promoting women entrepreneurs.
3. To know what challenges do they confront during the process.
4. To know the contribution by women entrepreneurs in the country.

Secondary Data Analysis on Women Entrepreneur in India - We have referred to secondary data which was conducted by Women’s Web, in 2012, they focused on the key motivations and challenges of women entrepreneurs. After that to see the changes in the same ,the survey was again conducted in 2019. It was online based and Women Web received responses from around 220 women entrepreneurs across the country. It was found that the average employment in women-owned enterprises is only 1.67 people per business. Below is the detail based data according to those responses. Also this data helped in answering many questions like Why, When, How, Which

etc in the context of women entrepreneurs. **Education and age** - This data shows that majority of women entrepreneurs have started their business in the age between 25 and 35. 51.2% of women fall under this criteria. Another 19.6% of women started their business in the age of 35 to 40. And it infers us that urban women entrepreneurs have experience before starting their own business ventures.




Source-<https://www.womensweb.in/2019/07/women-entrepreneurship-in-india-2019-our-new-study-uncovers-what-women-need-to-flourish/>
Also we found that around 72% of women who answered the survey are post graduates.




Source-<https://www.womensweb.in/2019/07/women-entrepreneurship-in-india-2019-our-new-study-uncovers-what-women-need-to-flourish/>

City and Industry - Most of the women who took the survey were based in Mumbai (30%), the NCR region and Bangalore accounted for 15% each. Chennai had the lowest turnout in the survey just 3%.




Source-<https://www.womensweb.in/2019/07/women-entrepreneurship-in-india-2019-our-new-study-uncovers-what-women-need-to-flourish/>

If we talk about **industry based business** then the largest segment of women entrepreneurs (16%) belongs to the Creative Service category (Writing/Design etc). It is so because this sector has relatively low entry barriers and one does not need any specific capital. Then comes Health and allied followed by Apparel and accessories respectively.




Source-<https://www.womensweb.in/2019/07/women-entrepreneurship-in-india-2019-our-new-study-uncovers-what-women-need-to-flourish/>

Business size (revenue and employees) - On the basis of business size, it is found that majority of business owned by women entrepreneurs were micro enterprises. Approximately 68.5% reported a revenue under Rs 10,00,000 in the year 2018. Another 23.7% reported revenues between Rs 10,00,000 and 50,00,000. Also there are women who build large scale business. And micro business need support from different sources.




Source-<https://www.womensweb.in/2019/07/women-entrepreneurship-in-india-2019-our-new-study-uncovers-what-women-need-to-flourish/>




Source-<https://www.womensweb.in/2019/07/women-entrepreneurship-in-india-2019-our-new-study-uncovers-what-women-need-to-flourish/>

Why entrepreneurship? - The most driving force for women to start their business is the scope of becoming more creative. 20% of women were inspired by the feeling of becoming one own's master. 18% started because of their particular idea which they wanted to explore in the market.



Source-<https://www.womensweb.in/2019/07/women-entrepreneurship-in-india-2019-our-new-study-uncovers-what-women-need-to-flourish/>

Key challenges - If we talk about key challenges which women face are mostly related with Financial and Marketing (28 and 26% respectively). Also cash flow management, expanding business to medium size from small size and to acquire consistent new customers are some of the major challenges.




Source-<https://www.womensweb.in/2019/07/women-entrepreneurship-in-india-2019-our-new-study-uncovers-what-women-need-to-flourish/>

Achieving Goals - By this survey, we also get to know that what are the things which help them in achieving their desired goals in next 3 years and around (18%) responded by selecting scaling up and better marketing skills and support.




Source-<https://www.womensweb.in/2019/07/women-entrepreneurship-in-india-2019-our-new-study-uncovers-what-women-need-to-flourish/>

How gender impacts their work - Also, we can infer that there are no major differences between the challenges faced by men and women, for example, strong customer retention skills, digital marketing, marketing strategies and many more.




Source-<https://www.womensweb.in/2019/07/women-entrepreneurship-in-india-2019-our-new-study-uncovers-what-women-need-to-flourish/>

Women were asked about the challenge faced by them in context of starting business in India than a men, 49% women strongly agreed upon the same. It implies that gender is an important factor that adds to the challenge that they face.



Source-<https://www.womensweb.in/2019/07/women-entrepreneurship-in-india-2019-our-new-study-uncovers-what-women-need-to-flourish/>

It has been revealed that 58.4% women strongly agreed and around 25.10% agreed upon that it helps them in inspiring and assuring when they come to know that other women also run business, it boost them and provides them with a big support, also helps them in facing challenges better.



Source-<https://www.womensweb.in/2019/07/women-entrepreneurship-in-india-2019-our-new-study-uncovers-what-women-need-to-flourish/>

52% women surveyed agreed that being a woman impacts the growth of one's business. It shows that gender imbalance still prevails in our country. Family and society create barriers for them in context of exploring themselves in business. Another question asked in the survey was do a woman can mentor another woman better than a man? Approximately 50% women agreed to this statement. In today's world women have stepped out from their comfort zone and has broken all the barriers around them. The Women Entrepreneurs survey in 2019 reveals that what are the challenges they are facing, what drives them, and what more they need to flourish or to explore then.

Importance of promoting women entrepreneurs on social media - Efficient usage of social media platforms has opened opportunities for women entrepreneurs who work independently. It is really a blessing for all those women who have potential to do things differently. Social media has played a crucial role in empowering women. It has bridged the gap between floating ideas and their efficient implementation. There are various ways in which the social media has benefited women entrepreneurs.

Also, direct interface with customers can lead to increased engagement and increased collaborations can lead to huge profits in many ways. Social media helps in forming easy networks, connecting with customers and has brought effective ways of marketing. It is very economical as compared to traditional forms of marketing.

What kind of trading social media platforms used by women entrepreneurs - Some of famous or popular sites of Social Networking which help to promote are Facebook, Twitter, Linked In, YouTube, etc. According to the Latest Statistics 2020, India had nearly 700 million Internet users across the country and 42% of the world's population connected to the internet and more than three Billion users worldwide use Social media. The digital platform and the Social Media network, with their dynamic nature and fastest growing reach are becoming the most used tools for people to stay connected for personal relationship management

as well as for business development and marketing.

According to Facebook (2016), more than three million businesses are actively Advertising on it and more than fifty million small businesses are using free pages on their Platform. It has become the largest social networking site. Also Instagram is now in trend to promote business activities. YouTube is a video sharing platform where many Entrepreneurs promote their business and YouTube also now used as building entrepreneurs. Entrepreneur can Make video on YouTube and can share anywhere plus YouTube help to connect direct with customer.

Linked In is a professional network that provides a platform for professionals to participate in networking with each other. It also helps to connect customer and advertise entrepreneurs product. Instagram is Introduced in October of 2010. Instagram is a mobile photo and video sharing network that is restricted by app use, or the use of a downloaded application that can only be accessed on a mobile device. Instagram is one of the most popular platform recently. In present 1 billion plus use this platform. Whatsapp is also one of the best platforms for women Entrepreneurs. Whatsapp is a messaging app plus photo or short video sharing app. In present 5 billion plus user are available on this platform. Now facebook, instagram and whatsapp are merge .other some famous and trading sites are snapchat , pinterest, twitter.

What challenges faced by women entrepreneurs due to pandemic situation/ covid-19- Covid-19 has disproportionately impacted women. They have experienced unemployment and at-home responsibilities. Though some of the women have aggressively adapted their business to resist the short-term impact of Covid-19. Especially women entrepreneurs having less capital-intensive, service oriented enabled faster adaptation to the dynamic environment. Also there are many women entrepreneurs who have suffered alot due to Covid-19. Only those enterprises experienced fastest recovery which adapted digitalization in various aspects of their business.

Findings :

1. The role of women has changed from house maker to money maker.
2. Women entrepreneurs contribute to the society, as they generate employment opportunities and lead to county's development.
3. They faced many obstacles but proved themselves as successful entrepreneurs.
4. Education, urbanization and increased awareness has played a major role in uplifting women.
5. In today's era, women have entered into every sector.
6. Social media has played a crucial role in promoting women entrepreneurs.
7. Also it has found that women use social media more effective than men in promoting their business.

Suggestion :

1. More facilities related to finance and related schemes should be avail to women entrepreneurs.
2. Women entrepreneurs should be aware of current market scenario.
3. They should be confident and focused.
4. There should be proper training programmes at regular intervals for women entrepreneurs so that their efficiency can be enhanced.

Conclusion -In this era, women stand at par with men, let it be in any context especially as entrepreneurs. Their role has been changed from house maker to money maker. Urbanization, education and increased awareness played a major role for women, it helped them in transforming their personality. If we talk in broader sense, we have found that women entrepreneurs in this cut-throat competing market have fought well and even proved themselves as successful entrepreneurs.They contribute to the overall development of the country, creates employment opportunities and much more. Here, we can not forget about the role played by social media in promoting women entrepreneurs. Social media has resolved many problems of women entrepreneurs and has made things simplified for them as discussed earlier. They left no stone unturned in elevating them and became successful in this dominated society. They have conquered their limitations and explored to the fullest.

References :-

1. Agarwal P.(2017), Problem and Prospects of Woman Entrepreneurship - a review of literature,2-6. Bulsara H.P., Chandwani J. and Gandhi S.(2014), Women Entrepreneurship in India: A case
2. Study of Rink's creation of Rinku Lakdawala, European Journal of business and management, vol 6, no 34,124-131.Matthew N.O. Sadiku, Adedamola A.
3. Omotoso, Sarhan M. Musa(2019), Social Networking, International journal of trend in scientific Research and Development (IJTSRD), Vol:3, issue 3,126-127.
4. Susruthan N.K. and Dr Priyadarshany A.Jency(2018), International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol 120 no. 5,4199-4203.
5. <https://www.empoweress.in/resources-for-women/impact-of-social-media-on-women-entrepreneurship/>
6. <https://www.empowerwomen.org/en/resources/documents/2020/07/the-impact-of-covid-19-on-women-entrepreneurs?lang=en>
7. <https://www.bain.com/insights/can-covid-19-be-the-turning-point-for-women-entrepreneurs-in-india/>
8. <https://www.womensweb.in/tag/women-entrepreneur/>
9. <https://www.womensweb.in/2019/07/women-entrepreneurship-in-india-2019-our-new-study-uncovers-what-women-need-to-flourish/>

Elderly Persons in India: Problems & Policies

Dr. Sushma Saini* Dr. Abha Saini**

Abstract - In both developed and developing countries, there has been a shift in the age structure of population. The issues & problems of the elderly population are a matter of concern and pose a developmental challenge. Withering of joint family system and emergence of nuclear family coupled with the increasing life expectancy and phenomenal growth in the number of elderly person have created adverse situations for the welfare and care of elderly in society. The Government of India is fully committed to create a supportive environment towards the well-being of elderly and is playing a vital role in formulating and implementing policies in order to create an enabling environment for the older persons to lead an active and productive life.

The Ministry of social Justice and Empowerment acts as the nodal agency with regard to ageing issues. It provides basic policy guidance, the roadmap for implementation of the same and also coordinates with stake holders such as the other Ministries of the Central Government and the State Government, NGOs, Civil Society Institutions etc. The Ministry of Social Justice and Empowerment (MSJ&E), Government of India formulated a National Policy on Older Persons (NPOP) in January, 1999 wherein all aspects of life concerning the aged have been addressed. The NPOP seeks to ensure that older persons will continue to have their legitimate place in society. The Ministry supports programmes for the welfare of the elderly through financial assistance to Non-Government Organizations (NGOs) under its schemes. Training and Research are also amongst the main features of NPOP. The policy assurances have now been backed with legal enactment through the maintenance and welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 adopted recently.

A National council for older Persons (NCOP) comprising government and non-government representatives has been constituted under the Chairmanship of the Union Minister of Social Justice and Empowerment as the Apex Advisory Body, in order to monitor the implementation of the recommendations made by the NCOP, an Inter-Ministerial Committee (IMC) has been set up. Similar bodies are also functioning at state levels which play a vital role in helping older persons to solve their problems at local levels. In consonance with NPOP, the Ministry of Social Justice and Empowerment launched a unique project. National Initiative on Care for Elderly (NICE) through National Institute of Social Defence (NISD) in 2000, with the basic purpose to prepare a team of skilled and committed Geriatric Animators, and Professionals to plan and provide services for the expanding population of older persons.

Besides these, the project includes several thematic skill building programmes in different regions of the country to capacitate the NGO functionaries and to generate awareness and capacitate senior Citizens through Out-reach programmes and computer training to minimize the generation gap.

Introduction - Traditionally the older people always held a respectful and dignified position under the umbrella of organic social institutions including the system of joint family that played a pivotal role. Care and protection of the elderly was integrally embedded in the value systems. Advent of modernity, globalization and accompanying phenomenon such as industrialization, urbanization, migration has put strains on the social institutions which are wilting and changing fast. Withering of joint family system and emergence of nuclear family coupled with the increasing life expectancy and phenomenal growth in the number of elderly population have created adverse situations for the welfare and care of elderly in society. In both developed

and developing countries, there has been a shift in the age structure of population. The issues & problems of the elderly population are a matter of concern and pose a developmental challenge.

Objective - The objective of Present paper is to highlight the problems as well as policies made by Indian Government for the improvement of elderly persons in India.

Review of Literature:

R.D. Chakraborti (2004) analyses the social and economic conditions of the ageing population of India and assess the status of elderly persons. A.B. Bose & K.D. Gangrade (1988) edit the demographic dimension, problems, crisis of values and the care of senior citizens. They also describe their

*Head & Associate Professor (Department of Economics) D.A.V. (PG) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA
** Head & Associate Professor (Department of Political Science) J.K.P. (PG) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

contribution in development, policies and programs for them in India. M.L. Sharma (1987) evaluates the role of elderly persons in India. S.I Rajan, V. Misra & P.S. Sharma present a comprehensive study including the different dimensions as martial, health status and living arrangements etc. Kumudini Dandekar (1996) explains the conditions of the elderly people in India. She also explains the regional variations and the differences between rural and urban area in terms of health and financial ways. L.Thara Bhai takes up crucial problems facing by elderly people and suggests many ways in increasing modernization.

Problems of Elder Persons - India is a vast country both in terms of area and population. The population of India is expected to increase from 1.01 billion to 1.4 billion during the period 2001- 2026 i.e. an increase of 36% in 25 years at the rate of 1.2% annually. The life expectancy, which was around 29 years in 1947, is now closer to 65 years. The same is expected to increase to 71 years by 2026. Between 2001 and 2026, due to declining fertility, the proportion of population aged under 15 years is projected to decline from 35.4 to 23.4%; the proportions of the middle (15-59 years) and the older ages (60 years and above) are set to increase considerably.

The Percentage Share of the projected population aged 60+ in the total projected population by sex is as per the Report of the Technical Group on Population Projections constituted by the National Commission on Population, May 2006 published by the Office of the Registrar General, India is as Under.

Year	Males	Females	Persons
2006	7.10	8.00	7.50
2011	7.70	8.70	8.30
2016	8.70	9.80	9.30
2021	10.20	11.30	10.70
2026	11.80	13.10	12.40

Source: Office of the Registrar General of India

Problems are also increasing with the increasing number of elder persons. Which are given below as:

(1) Health and Care - Physical and mental health care availability and community and social care aspects of life for the elderly are key concerns. Nutritional problems are also a concern.

(2) Income and Housing - Access to employment opportunities, transportation, housing and income are other problems.

(3) Social Networks and Customs - Poor social interaction with family and friends, poor social networks, and those without families are some difficulties faced by some senior citizens.

Constitutional and Legal Safeguards:

1. The well-being of the Older Persons has been mandated in the Constitution of India. Article 41 of the Constitution provides that the state shall "make effective provisions for securing the right to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of

underserved want within the limits of its economic development and capacity". The Constitution of India (as on 1 June, 1996, Government of India).

2. Article 41 of the Constitution of India is reinforced by Section 125 of Code of Criminal Procedure, 1973 under which every person having sufficient means is required to maintain his parents if they are unable to maintain themselves.
3. Item 9 of the State list and items 20, 23 and 24 of the Concurrent list (that are part of the Constitution of India) relate to provisions of old age pension, social security, social insurance, economic and social planning and relief to the disabled and the unemployed. The Government of India is committed to provide an enabling environment to secure the goals of economic and social security for the elderly population. The non-governmental organizations, citizens and the community have to be partners in the campaign towards securing a society for all ages.
4. Section 20(3) of the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 makes it obligatory on the part of every Hindu to maintain his aged of infirm parents.
5. Maintenance of Infirm and Aged is provided for in Muslim Personal Law also.
6. The Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependent Children Act, 2001 provides a simple procedure for maintenance to given for parents being ignored by their children.

Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007

- The Act on Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens. 2007 was passed by the Parliament on December 6, 2007 and has been notified on December 31, 2007 by the Gazette of India as Act 56 of 2007. The Salient features of the Act ensure maintenance of parents and Senior Citizens within their family, places a legal obligation on children and relatives to maintain their parents, prescribes setting up of Tribunals for quick settlement of maintenance claim; avoids Cumbersome Legal Procedure and recommends setting up Old Age Homes in all Districts.

Policy Initiatives Taken By Indian Government - The Government of India is fully committed to create a supportive environment towards the well-being of elderly and is playing a vital role in formulating and implementing policies in order to create an enabling environment for the older persons to lead an active and productive life. The Ministry of social Justice and Empowerment acts as the nodal agency with regard to ageing issues. It provides basic policy guidance, the roadmap for implementation of the same and also coordinates with stake holders such as the other Ministries of the Central Government and the State Government. NGOs. Civil Society Institutions etc.

National Policy on Older Persons (NPOP) - The Ministry of social Justice and Empowerment announced the National Policy on Older Persons in 1999 to reaffirm its commitment to ensure the well-being of an older persons in a holistic

manner. Reiterating the mandate enshrined in Article 41 of the Constitution of India, the Policy has brought the concern for older persons on top of the National Agenda. The National Policy envisages State support to ensure financial and food security, health care, shelter and other needs of other persons, equitable share in development, protection against abuse and exploitation and availability of services to improve the quality of their lives.

It's Objectives:

1. Financial Security through coverage under Old Age Pension scheme for poor older persons, better returns on earnings/savings of Government/Quasi-Government employees' savings in Provident Fund etc.
2. To ensure the public health services at Primary Health Care level, creation of health facilities through non-profit organizations like trust-charity, etc. and implementing health insurance.
3. To provide for earmarking 10% of the houses/housing sites in urban as well as rural areas for older persons belonging to the lower income groups in housing schemes like Indira Awas Yojana.
4. To provide Old Age homes and other such Institutional Facilities.
5. To protect them from fraudulent dealings in transfer of property, free legal aid.

Many State Government have adopted their state policies on Older Persons to suit local ethos and conditions. These states are Andhra Pradesh, Delhi, Goa, Karnataka, Kerala, Maharashtra and Mizoram.

National Council for Older Persons (NCOP) - In pursuance of the National Policy, the Government has set up a National Council for Older Persons (NCOP) headed by the Ministry for Social Justice and Empowerment. Its primary function is to advice and aid the Government on policies and programmes for older persons and also to provide the feedback to the Government on implementation of the National Policy. The NCOP is the highest body to advice and coordinate with the Government in the formulation and implementation of policy and programmes for the welfare of the aged.

Inter-Ministerial Committee - The Ministry has set up an Inter-Ministerial Committee headed by the Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment for monitoring and ensuring the proper implementation of the action taken on the recommendations of NCOP. The Inter Ministerial Committee comprises representatives of 22 Ministries/ Departments.

Grant-In-Aid Schemes - The Ministry of Social Justice mid Empowerment supports programmes for the welfare of the elderly through financial assistance to Non-Government Organization under the two schemes viz. "Integrated Programme for Older Persons and Scheme of Assistance to Panchayati Raj Institutions/ Voluntary Organizations/ Self Help Groups under which funds are provided for construction of Old Age Homes.

National Initiative on Care for Elderly (NICE) - In

consonance with the National Policy on Older Persons (NPOP), the Ministry has launched a Project called National Initiative on Care for Elderly (NICE) to enhance the delivery of care to the elderly in de-institutionalized settings through National Institute of Social Defence (NISD), an autonomous body under the Ministry of Social Justice and Empowerment in 2000 which has been engaged in formulation and development of projects and programmes in the field of old age care. The focus of Project is on creating awareness, identification of the needs, targeted interventions and optimizing capabilities to improve the quality of life of the elderly.

Ministry of Railways - Indian Railways provide 30% concession in all classes and trains including Rajdhani/ Shatabadi trains for both males and females aged 60 years and above.

Ministry of Civil Aviation - Indian Airlines/Jet Airways is providing 50% discount on basic fare for all domestic flights in Economy Class to Senior citizens having the age of 65 years (men and women).

Ministry of Road Transport and Highways - Reservation of two seats for senior citizens in front row of the buses of the State Road Transport Undertakings (ASRTU), MCD, Delhi, has opened a separate counter for senior citizens for submission of property tax.

Conclusion & Solution - The Government has taken a lot of initiatives to achieve the goals. However, there is apparently lack of awareness about these initiatives and the benefits that could be availed of by the Senior Citizens. For the Improvement of elderly persons, some solutions are as:

1. Social Security and other Welfare Measures.
2. Safeguarding the rights of the elderly.
3. Action Plan: help from police, judiciary, health sector, etc.
4. Voluntary adoption of the aged.
5. Programmes: Awareness Programmes; Out-reach Programmes.
6. Counseling for the individual and family member.
7. The best solutions is that we should try to change the mind-set of the society.

References:-

1. "The ageing in India, problems and potentialities", Bose. A.B. & Gangrade, K. D., Abhinav Publications, New Delhi, 1988.
2. "The Graying of India: population ageing in the context of Asia" Chakraborti, D.R., Sage Publications, New Delhi, 2004.
3. "Understanding graying people of India" Bali, Arun, Inter India Publications 1999.
4. Singh, Rakesh K. "Rights of Senior Citizen: Need of The Hour" October 2011.
5. "Survey of the old reveals human rights violations", The Hindu, October 2011.
6. "Concessions and Facilities given to Senior Citizens", Ministry of Social Justice and Empowerment,

- Government of India. October 2011.
7. "Concession Rules", Indian Railways (India Government website). October 2011.
8. "Benefits Given to Senior Citizens in India", Gits4u.com. Ganapati Information Technology Services, October 2011.

Ministry of Defence Fighting With Covid-19 Pandemic with Special Emphasis on Indian Navy Along with Significant Psychological Impacts

Santosh Ambhore* Upma Bhimte**

Abstract - The Indian government has decided to rope in National Cadet Corps (NCC) volunteers aged 18 or above, to help the Indian civil infrastructure in the fight against the widening corona virus/ COVID-19 outbreak. The NCC, which operates under the **Ministry of Defence**, The Ministry of Defense issued guidelines for temporary employment of its cadets to boost relief efforts and functioning of various agencies involved in battling the pandemic of COVID-19.

In accordance with Government directives, Covid-19 vaccination drive for healthcare workers of Indian Navy commenced at Naval Station Delhi on 16 Jan 21. The vaccination drive was inaugurated in the presence of Chief of the Naval Staff. COVID 19 - Vaccination of Frontline Health Care Workers of Eastern/Western/Southern naval commands.

The pandemic of Corona Virus (COVID-19) hit India recently; and the associated uncertainty is increasingly testing psychological resilience of the masses. During the initial stages of COVID-19 in India, almost one-third respondents had a significant psychological impact.

Key Words- Ministry of Defense, Naval Operations, Psychology, Quarantine, Counseling.

Introduction - The Indian armed forces are set to conduct fly-pasts, play military bands, light up ships at sea and shower flower petals at hospitals treating COVID-19 patients across the country today to express gratitude to the people fighting the virus.

“During the current crisis, it is the doctors, nurses, policemen, media, sanitation workers, delivery personnel, bank employees, government employees and local store owners who have put their lives on the line to ensure that we as a nation are protected.

This Research Paper to provide the lay reader an insight into the Indian Navy’s centrality and the positivity of its contribution at the strategic, operational and tactical levels to India’s maritime efforts to mitigate the adverse impacts of the COVID-19 pandemic.

The Government of India (GoI) bears a responsibility for the protection of its citizens at home and — at least a moral one for the protection of its citizens/nationals abroad. With many Indians travelling and living abroad in this era of globalization, any policy of ‘active disassociation between the Indian State and overseas Indians is rendered largely irrelevant.

The protection of Indians residing abroad may arise in a number of unstable scenarios, ranging from natural disasters, through unsafe conditions resulting from terrorist actions, and all the way to conditions of full-scale armed

conflict between nation-states. In the peculiar conditions attending the COVID-19 pandemic, wherein the world is fighting an invisible but globally ubiquitous ‘enemy’, the Government of India clearly acknowledges the weight of its moral responsibility to provide succor and extrication options to its nationals, wherever they may be and this recognition is what has led to the launch of the *Vande Bharat Mission*.

On the 5th of May, 2020, India’s External Affairs Minister (EAM), announced that the ‘*Vande Bharat Mission*’ — a mega-plan for the repatriation of lakhs of Indian nationals stranded abroad as a result of the travel-restrictions imposed by their host-countries in the wake of the COVID-19 pandemic — would commence on the 7th of May. In the first phase of this mission, which ran from the 7th to the 13th of May 2020, a total of 14,800 Indian nationals were repatriated to India from 12 countries. Simultaneously, the Indian Navy launched ‘Operation SAMUDRA SETU’ as part of this national effort. The entire operation was reflective of a high degree of cooperation and coordination between the central government ministries of External Affairs, Defence, Home Affairs, as also a variety of state government ministries, departments and agencies.

Armed Forces - Armed Forces running six quarantine facilities at Mumbai, Jaisalmer, Jodhpur, Hindon, Manesar and Chennai. Total Evacuees received so far - Over 1500

*Department of Chemistry, Government Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal and Sub.Lieutenant/ANO NCC (Navy) 1 M.P.Naval Unit , Bhopal (M.P.) INDIA

** Department of Psychology, Barkat-Ullah Vishwvidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

(including Medical team and air crew) One thousand seven hundred thirty seven persons quarantined, of which 402 released so far. Four positive COVID cases referred to Hospitals.

Total dedicated Army Hospitals to COVID-19 Patients- 13 Total COVID-19 Bed Capacity with Army Hospitals -7500 Fifteen other facilities are being kept ready as standby for use, if required.

Indian Air Force - Two evacuation missions by C 17 aircraft, first on 26/27 Feb where 15 T medical assistance was taken to Wuhan and 112 Indians and citizens of friendly foreign countries were flown back. Second aircraft flew to Tehran on 10 March and flew back with 58 Indian citizens.

Two quarantine facilities are operational, first at AF Stn Hindon which is looking after 58 people ex Tehran and at AF Stn Tambram which is looking after 113 citizens ex Malaysia.

Indian Navy - Quarantine Facilities (Wellness/Corona Care Centre's) have been set up in all three Commands (Capacity of approx 1500 personnel). Mumbai (Ghatkopar) already functioning with 44 Indians brought back from Iran. Vizag and Kochi are also ready when required. In the process of setting up isolation facilities in all the commands including outlying units. Teams of Battle Field Nursing Assistants (BFNA), comprising of non-medical personnel have been readied to help.

COVID 19 - Vaccination of Frontline Health Care Workers - Indian Navy - In accordance with Government directives, Covid-19 vaccination drive for healthcare workers of Indian Navy commenced at Naval Station Delhi on 16 Jan 21. The vaccination drive was inaugurated in the presence of Admiral Karambir Singh, Chief of the Naval Staff.

Western Naval Command COVID-19 vaccination drive for begins at INHS Asvini. The first phase of immunization against COVID-19 was initiated at INHS Asvini. This phase is directed at immunizing healthcare workers (HCWs) at INHS Asvini and other HCWs in Mumbai. The vaccination drive was rolled out with Rear Admiral Sheila Mathai, VSM, Commanding Officer, INHS Asvini receiving the first dose of the vaccine. A total of 100 HCWs including Medical Officers, Nursing Officers and other paramedical staff were vaccinated on Day 1.

Eastern Naval Command COVID-19 Vaccination starts for Indian Navy at INHS Kalyani. COVID-19 Vaccination Programme of the Indian Naval Health Care Workers (HCW) was launched today by VAdm Atul Jain, FOC in C Eastern Naval Command at the vaccination centre INHS Kalyani. The vaccine was given to 40 Covid warriors involving doctors, nurses, para medical staff, health workers, ward sahyakas and medical attendants in coordination with District Health Authorities at Visakhapatnam.

Southern Naval Command COVID-19 Vaccination Drive commences at INHS Sanjivani COVID -19 vaccination drive commenced at INHS Sanjivani, under the guidance

of Surgeon Rear Admiral Arti Sarin, Command Medical Officer, Southern Naval Command. All arrangements for vaccinating 100 personnel per session were completed.

Indian Navy contribution against : COVID-19 Pandemic

1. Indian Navy Completes "Operation Samudra Setu"
2. Operation Samudra Setu - INS Jalashwa Brings Back 687 Indian Citizens from Iran
3. Operation Samudra Setu - INS Airavat Brings Back 198 Indian Citizens From Maldives
4. Operation Samudra Setu - INS Airavat Embarks Indian Nationals at Maldives
5. Mission Sagar - INS Kesari Returns to Port Louis, Mauritius
6. Operation Samudra Setu - INS Shardul Brings Back 233 Indian Nationals from Iran
7. Samudra Setu - Indian Navy Commences Evacuation of Citizens from Islamic Republic of Iran
8. Mission Sagar - INS Kesari at Port Victoria, Seychelles
9. Operation Samudra Setu - INS Jalashwa Arrives at Tuticorin with 700 Indian Citizens Embarked from Maldives
10. Operation Samudra Setu - INS Jalashwa Departs Male for Tuticorin with 700 Indians Embarked
11. 176 Indian Citizens From Bahrain and Oman Complete Quarantine at Naval Base, Kochi
12. Operation Samudra Setu - INS Jalashwa Arrives at Tuticorin with Indian Citizens Embarked from Sri Lanka
13. Indian Navy Commences Next Phase of Operation "SAMUDRA SETU"
14. Mission Sagar - INS Kesari at Port of Moroni, Comoros
15. INS Kesari at Port Antsiranana, Madagascar
16. Mission Sagar - INS Kesari at Port Louis, Mauritius
17. Deportees from Bahrain Quarantined in Naval Base, Kochi
18. Operation Samudra Setu Phase 2 - INS Jalashwa Departs Male with Indian Nationals Embarked
19. Patenting of Innovative Low Cost PPE Developed by Indian Navy Paves way for Rapid Mass Production
20. INS Magar Returns to God's Own Country with 202 Repatriates
21. Operation Samudra Setu - INS Magar Departs Male with Indian Citizens Embarked
22. Ushered into Motherhood Southern Naval Command Felicitates Lady
23. Operation Samudra Setu INS Magar Departs Male with Indian Citizens Embarked
24. INS Kesari Hands Over Food Provisions to Maldives
25. Repatriated Indians Arrive Kochi Onboard Indian Naval Warship INS Jalashwa from Maldives
26. Mission Sagar - 10 May 2020
27. Indian Navy's Personal Protective Equipment (PPE) Clears Certification by Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences
28. Indian Navy Launches Operation "SAMUDRA SETU"
29. Indian Navy Joins the Entire Nation to Salute the Corona Warriors on Land, Air and High Seas

30. Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Reviews Contribution of DPSUs and OFB to Mitigate COVID-19 and Their Operational Plans Post Lock-Down
31. Indian Navy Continues to be Mission Deployed and Combat Ready
32. Indian Naval Hospital Ship Patanjali at the Forefront of Fight Against Covid-19 at Karwar
33. 44 Quarantine Cases Return Home from Naval Quarantine Camp at Ghatkopar Mumbai
34. Indian Navy Hands Over In-House Portable Multifeed Oxygen Manifolds to Visakhapatnam District Administration
35. Indian Navy Supports Fight Against COVID-19 in Port Blair
36. Indian Navy Provides Ration for Stranded Migrant Labourers in Mumbai
37. NPOL Provides Sanitizers to Southern Naval Command
38. Southern Naval Command Designs Training Capsule for Non Medical Personnel
39. Eastern Naval Command Trains Non-Medical Naval Personnel as Force Multipliers to Tackle COVID-19
40. Goa Naval Area Extends Support to Those in Need - COVID-19
41. ENC Sets Up Quarantine Facility for COVID- 19 at Visakhapatnam
42. Naval Dockyard Mumbai Designs Low Cost Temperature Gun
43. Navy Provides Indigenous Sanitizing Units
44. Naval Dockyard, Visakhapatnam Manufactures Innovative Portable Multi-Feed Oxygen Manifold

Corona virus: Indian Navy salutes corona warriors on land, air and sea – The Indian Navy joined the entire nation to express gratitude and salute the frontline workers on Sunday. Expressing gratitude and appreciation of the entire nation - while representing the Indian armed forces - towards the determination and committed efforts of our 'corona warriors' - the medical professionals, health workers, policemen, government staff and media, for their relentless efforts against Covid-19 through a number of activities on ground, in air and at sea.

The Indian armed forces are set to conduct fly-pasts, play military bands, light up ships at sea and shower flower petals at hospitals treating COVID-19 patients across the country today to express gratitude to the people fighting the virus.

Significant Psychological Impacts – The pandemic of Corona Virus (COVID-19) hit India recently; and the associated uncertainty is increasingly testing psychological resilience of the masses. When the global focus has mostly been on testing, finding a cure and preventing transmission; people are going through a myriad of psychological problems in adjusting to the current lifestyles and fear of the disease.

During the initial stages of COVID-19 in India, almost one-third respondents had a significant psychological

impact. This indicates a need for more systematic and longitudinal assessment of psychological needs of the population, which can help the government in formulating holistic interventions for affected individuals.

Various studies investigated the initial psychological impact of COVID-19 outbreak in Indian population. As the disease progressed, concerns regarding health, economy, and livelihood increased day-to-day. The findings of the pandemic's impact on mental health could help inform health officials and the public to provide mental health interventions to those who are in need. This can guide researchers to plan prospective longitudinal studies for assessing treatment need. There are mental health concerns like anxiety, worries and insomnia especially after the declaration of lockdown in India on 24th March, 2020. Government of India has launched helpline numbers to provide guidance and counseling, in collaboration with different Institutes of national importance. World Health Organization has urged to take the necessary precautions to tackle the negative impact of the spread of Corona virus on psychological health and well-being.

COVID-19 pandemic has caused a lot of uncertainty in the lives of Indian public, just like their global counterparts. Our survey is one of the first mental health related data from India, during the initial phase of COVID-19 pandemic and indicated that a significant proportion of them have had a psychological impact during the crisis. The factors that predicted higher impact were younger age, being female and having a known physical co-morbidity. There is a need for considering mental health issues by the policy makers; while planning interventions to fight the pandemic.

About one third of the elderly suffer from mental illness due to psychosocial issues such as loss of spouse, social and financial insecurity, low support from families, inadequate nutrition, uncontrolled hypertension, impaired vision, deafness, and arthritis. Psychological stress can have harmful impact on the immune system, making the elderly more susceptible to SARS-Co-V2. Stigma associated with the disease, risk of developing complications during the course of the disease and relatively high mortality rates put the elderly under immense stress. The older population though knowledgeable are ignorant of their own health. The prevalent COVID-19 pandemic imposes more challenges to the elderly population which demands a holistic approach directed to meticulous solutions.

Medical facilities have witnessed cases of elderly patients suffering from COVID-19 being abandoned at the hospital, quarantine centers and other COVID care facilities due to fear of contracting the infection among the family members. Similarly, various psychosocial factors affecting mental health of the elderly. Insomnia, boredom, anxiety symptoms, panic attacks, nightmares, feeling of emptiness, fear of contracting COVID-19, fear of spreading the infection to others, health anxiety, anxiety related to the uncertain future, worsening of preexisting loneliness and social

isolation due to the call for social distancing and quarantine, consequences during the course of disease and death, getting admitted alone in hospital and dying without any relatives around them are some of the evolving mental health issues associated with the elderly during the prevailing pandemic. These stressors may contribute to depression, anxiety disorders, hypochondriasis, posttraumatic stress disorder, substance abuse/withdrawal, and related psychiatric disorders.

Geriatric Mental Health Disorders - The morbidity of psychiatric illness is directly proportional to age with an estimated prevalence in geriatric population and in the younger population is 43.3% and 4.66% respectively. Aging also impairs the cognitive functioning due to senile changes. Therefore, it is important to direct efforts towards acute and preventive intervention focusing on the elderly to cope with the continuously changing environment during the prevailing pandemic. According to the Centre for Disease control and Prevention, older adults with COVID-19 are more likely to be hospitalized (31%–59%) and succumb to it (4%–11%). This risk is much higher in elderly above the age of 85 years. Previous studies on mental health consequences of disasters are almost accompanied by increase in depression, posttraumatic stress disorder (PTSD), Anxiety disorders and substance use disorders. Though depression, delirium, and dementia are the most prevalent mental illnesses among the elderly, the following mental health disorders were found to be relevant during COVID-19 Pandemic.

Conclusion - The Indian Navy began Operation Samudra Setu on May 5 and completed on July 8, by bringing 3,992 Indian citizens back to their homeland by sea from three countries after the novel coronavirus outbreak. The COVID-19 pandemic has had a significant impact on ships and seafarers due to the compact environment and forced ventilation systems onboard ships. In these trying times and difficult conditions, the Indian Navy took the task to evacuate citizens from overseas.

In the operation, Indian Naval Ships Jalashwa (Landing Platform Dock), and Airavat, Shardul and Magar (Landing Ship Tanks) participated, which lasted over 55 days and involved traversing more than 23,000 kilometers by sea. This operation was undertaken by the Indian Navy in close coordination with the Ministry of External Affairs, Home Affairs, health and various other agencies of the Government of India and State Governments.

Indian Navy has previously undertaken similar evacuation operations as part of Operation Sukoon in 2006 (Beirut) and Operation Rahat in 2015 (Yemen). "The Covid-19 pandemic has had significant impact on ships and seafarers due to the compact compact environment and forced ventilation systems onboard ships. It was in these trying times and difficult conditions that the Indian Navy took up the challenge to evacuate our distressed citizens from overseas,"

The recent Covid-19 pandemic has had significant

psychological and social effects on the population. Research has highlighted the impact on psychological well-being of the most exposed groups, including children, college students, and health workers, who are more likely to develop post-traumatic stress disorder, anxiety, depression, and other symptoms of distress. The social distance and the security measures have affected the relationship among people and their perception of empathy toward others. From this perspective, tele-psychology and technological devices assume important roles to decrease the negative effects of the pandemic. These tools present benefits that could improve psychological treatment of patients online, such as the possibility to meet from home or from the workplace, saving money and time and maintaining the relationship between therapists and patients. The aim of this paper is to show empirical data from recent studies on the effect of the pandemic and reflect on possible interventions based on technological tools.

References :-

1. WHO, "WHO announces COVID-19 outbreak a global pandemic," accessed 12 March 2020, <http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic>.
2. Rajeshwar P Rajagopalan, "The Danger of Chinese Maritime Aggression amid COVID-19," accessed 10 April 2020, <https://thedi diplomat.com/2020/04/the-danger-of-chinas-maritime-aggression-amid-covid-19>.
3. Ankit Panda, "Making Sense of China's latest Bid to Administer Sovereignty in the SCS," accessed on 21 April 2020, <https://thedi diplomat.com/2020/04/making-sense-of-chinas-latest-bid-to-administer-sovereignty-in-the-south-china-sea>.
4. Kurt M Cambell and Rush Doshi, "The Corona Virus could Reshape Global Order," *Foreign Affairs*, 18 March
5. Charles A Kupchan, *No One's World: The West, The Rising Rest and The Coming Global Turn*, (New Delhi: OUP, 2012), 10
6. Harsh Pant and Kartik Bommakanti, "COVID-19: The Chinese Military Busy exploiting the Pandemic," accessed 14 April 2020.
7. Alvarez, F., Argente, D., and Lippi, F. (2020). A simple planning problem for Covid-19 lockdown. *Covid Econ.* 14, 1–33.
8. Békés, V., and Aafjes-van Doorn, K. (2020). Psychotherapists' attitudes toward online therapy during the COVID-19 pandemic. *J. Psychother. Integr.* 30, 238–247.
9. Cai, H., Tu, B., Ma, J., Chen, L., Fu, L., Jiang, Y., et al. (2020). Psychological impact and coping strategies of frontline medical staff in Hunan between January and March 2020 during the outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID19) in Hubei. *China. Med. Sci. Monit.*
10. Garcia-Castrillo, L., Petrino, R., and Leach, R. (2020). European Society For Emergency Medicine position

- paper on emergency medical systems' response to COVID-19. *Eur. J. Emerg. Med.* 27.
11. Maheu, M. P., McMenemy, J., and Posen, L. (2012). Future of telepsychology, telehealth, and various technologies in psychological research and practice. *Profess. Psychol. Res. Prac.* 43, 613–621.
12. Mamun, M. A., and Griffiths, M. D. (2020). First COVID-19 suicide case in Bangladesh due to fear of COVID-19 and xenophobia: Possible suicide prevention strategies. *Asian J. Psych.* 51:102073.

Positron Annihilation : The Enhancement Factor in Metals

V.K. Ojha* J.C. Arya**

Abstract - Enhancement factors of some metals have been calculated using an empirical model, based on the calculation of the positron annihilation rates. The results, so obtained, have also been compared with the available computed values of parameterized enhancement factors and found that they are in very good agreement. Explanations for the observed discrepancies between the calculated and the available values of the enhancement factors are given.

Keywords - Metals, positrons, annihilation rates, radius parameters, fermi momentum, enhancement factors.

Introduction - Positron annihilation is widely being used for the investigation of the electronic structure of condensed matter. The various experimental techniques of positron annihilation based upon the equipment of nuclear spectroscopy were developed strongly in the two decades after 1945. Besides the angular correlation of annihilation J-quanta, Doppler broadening of the annihilation line and positron lifetime spectroscopy were established as independent methods. Up to the mid-1980s, defect studies in solids were mainly carried out in metals and alloys. The study of defects in compound and elemental semiconductors amounts the half of the total number of papers on defect studies with positrons.^{1,2} The positron behaviour in metals is fundamentally a many-body problem.³ However, the fermi surface investigations using the positron annihilation angular correlation measurements are based on the assumption that the positron electron attraction does not disturb appreciably the momentum distribution of electron being investigated.

A number of many- body theoretical calculations have been made on the annihilation rates of positrons for metals.⁴ The annihilation rates of positrons in metals is directly proportional to the electron density at the positron sites.⁷ The first successful attempt to calculate annihilation rates was made by Kahana.⁵ He has undertaken the many- body interaction of the positrons with an electron gas. This showed a large enhancement of electron density at the positron position and gives momentum dependence of enhancement. The momentum dependence of enhancement was assigned to the Pauli's exclusion principle. Similar observations have also been made by Kim and Stewart⁸ in case of alkali metals.

For the computation of enhancement factor we need to calculate positron lifetime by the technique of many electron Physics.⁷ The inverse of positron lifetime gives

the annihilation rate. The Positron annihilation rates in solids depends on the electronic density of electron sampled by the positron.⁹ The enhancement factor plays an important role in computing the annihilation rates, and is defined as a ratio of the electron-Positron annihilation rate to its independent particle model counterpart.¹⁰ The enhancement factor describes, how the positron distorts the electron wave function and it takes into account the electron- positron interaction and it is a essential when one calculate the positron annihilation rates.¹¹ According to Nieminen there is no satisfactory theory available for the enhancement factors which would take into account the exact nature of the electron wave functions. This is an electron- state- dependent function of the electron density and describes the local enhancement of the electron-positron interaction.

The enhancement factors of some metals from the observed positron lifetime data, using a simple model, were calculated by Shrivastava et al.^{13,14} The same were calculated by Boronski and Nieminen⁹ and Stern and Kaiser¹⁵ for some metals. We have therefore decided (i) to calculate the enhancement factors of some metals on the basis of model as proposed by Shrivastava et al¹⁴ (ii) to compare the results so obtained, with the available values of the enhancement factors,^{9,15} and then (iii) to explain the observed discrepancies between the calculated and available values, if any.

Calculation : For the positron annihilation rates in metals, we write¹³ annihilation rate λ :

$$\lambda = \epsilon(n, p) \pi r_0^2 c p_0 \left(1 + \frac{Ac}{Av}\right) \dots \dots \dots (1)$$

where $\pi r_0^2 c p_0$ is the free electron annihilation rate, the term inside the bracket accounts for the additional contribution of core states to all aspects of the polarization of electron

* Department of Physics, Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.) INDIA
 ** Department of Mathematics, Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.) INDIA

states¹⁶. $\epsilon(n, p)$ accounts for the many body effects and is the enhancement factor. Following Kahana⁵, we suggest that the $\epsilon(n, p)$ is

$$\epsilon(n, p) = k_1 + k_2 r_s^4 + bp^2 + cp^4 \dots (2)$$

where r_s is the electron density parameter. When we compare this with the enhancement factor of Kanaha⁵. i.e. $\epsilon(p) = a + bp^2 + cp^4 \dots (3)$

we get
$$a = k_1 + k_2 r_s^4 \dots (4)$$

we found that — $k_1 = -0.01$ and $k_2 = 1.16 \times 10^{-3} r_s^4$ and are the same for all the metals.

Results and Discussion: Taking the above mentioned values of k_1 and k_2 and the value of r_s for the particular metal¹⁷, we find the value of a .

Then using the values of b/a and c/a as given by Shrivastava et al¹⁴, we have calculated the values of b & c respectively. Now to calculate fermi momentum p_F that is taken as electron momentum p , we use the formula-

$$p_F = m.v_F = (h/2 \pi (3 \pi^2 N/V)^{1/3}) \text{ where } \left(\frac{N}{V}\right) \text{ is electron}$$

concentration as given¹⁷ and computed p_F i.e p . Then knowing the values of a , b , c , and p we get $\epsilon(n,p)$ from eqⁿ(3) or (2). The calculation of enhancement factor for different metals have been made, and are presented in Table . A graph is also plotted in between radius parameter r_s versus the enhancement factor and r_s versus the electron momentum just to understand and explain the results more conveniently.

The variation of the enhancement factor of the metals, as computed by us, with the radius parameter or electrons gas parameter r_s is shown in figure along with the variation of electron momentum with the radius parameter. Figure shows that the enhancement factors calculated by using the empirical model by us, increases exponentially with increase in the electrons gas parameter. The variation of the enhancement factors¹⁰ of Boronski and Nieminen (BN), Stern and Kaiser (SK), and the local density approximation (LDA) with r_s exhibit the same trend and supports our results and strengthened our model too. When we look at the variation of enhancement factor with r_s , we found that in the low density region, the electron-positron correlation in metals seems to be high. This is probably due to the presence of free electrons in the said region. The enhancement factor parameterize the effects of short range electron positron. Correlations.

Though the model is very simple and the results could be acknowledged to be qualitative, it gives some better understanding of an enhancement factor which describes the effects of short range electron positron correlations.


References :-

1. R.N. West, Positron Studies on condensed matter, Taylor and Francis, London 1974.
2. P.Hautojarvi et al, Positrons in Solids, Springe Verlag, Berlin / Heidelberg / New York.
3. L. Hedin and S. Lundquist, Solid State Physics 23, 162 (1969)
4. R.A. Ferrell Rev. Mod. Phys. 28, 308 (1956)
5. S. Kahana, Phys. Rev. 129, 1622 (1963)
6. J.P. Carbotte and S.Kahana, Phys. Rev. 139, A2/3, (1965)
7. J.P. Cartbotte Phys. Rev. 155, 197 (1967)
8. S.M. Kim and A.T. Stewart, Phys. Rev. B 11, 2490, (1975)
9. Boronski E. and Nieminen R.M. Phys. Rev. B 34(6), 3820-3831
10. O.M. Osiele Nigerian Journal of Physics 19(1), (2007)
11. Barbiellini B. et al Phys. Rev. B. 56(12), 7136-7141
12. Nieminen R.M. Defect and Defect Studies, Positron Solid State Physics, NHPC, Amsterdam 197-206
13. S.B. Shrivastava and H.P. Bonde, Phys. Stat. Sol. (b) 88, 269 (1978)
14. S.B. Shrivastava et al, Phys. Stat. Sol. (b) 104, K61 (1981)
15. Sterne P.A. and Kaiser J.H. Phys. Rev. B.43 (17), 13892-13898
16. R.N. West Solid State Commun. 9, 1417 (1971)

Table: The calculated values of enhancement factor

Valancy	Element	Radius parameter r_s	Enhancement Factor	p_F (in SI Units)
01	Li	3.25	0.1403	0.7055
	Na	3.93	0.3071	0.5835
	K	4.86	0.7094	0.4717
	Rb	5.20	1.2501	0.4416
	Cs	5.63	1.2673	0.4084
02	Mg	2.65	0.0546	0.8637
	Zn	2.31	0.0276	0.9939
	Cd	2.59	0.0479	0.8858
03	Al	2.07	0.0201	1.1056
	Ga	2.19	0.0210	1.046
	In	2.41	0.0366	0.9514
04	Pb	2.30	0.0268	0.9965
	Sn	2.23	0.0236	1.0273

Figure : Variation of Enhancement factor & momentum with radius parameter



radius parameter (r_s)

निजीकरण - आलोचनात्मक अध्ययन

डॉ. अनिल तौहेल*

प्रस्तावना - निजीकरण क्या है? निजीकरण एक ऐसी-प्रक्रिया है जिसमें व्यवसाय, उद्यम एजेंसी या सार्वजनिक स्वामित्व (राज्य या केन्द्र सरकार) के उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। अर्थात् निजीकरण से आशय ऐसी औद्योगिक इकाईयों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किये जाने से है, जो अभी तक सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में थी।

निजीकरण का कार्य दो तरह से पूरा किया जा सकता है, निजीकरण में सरकार अपने स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां निजी खरीददारों को बेच सकती है। सरकार सीधे सेवा प्रदान करने का कार्य बंद कर सकती है, और इन सेवाओं के प्रदान किये जाने हेतु निजी क्षेत्र पर निर्भर रह सकती हैं।

निजीकरण एक व्यवस्था है जहां सरकार की प्रणाली अधूरी है वही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिये था मगर इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों ने आधी दुनिया पर राज किया था। इतनी बड़ी आबादी पर सही तरीके से नियंत्रण रखने हेतु सरकारी नौकरियां दी गई थी अपने ही लोग उनके काम किया करते थे। नौकरी करने के लिए अलग-अलग लालच दिये गये थे। उस जमाने में सरकारी नौकरी को तुच्छ समझा जाता था।

आजादी मिलने के बाद जनसंख्या के हिसाब से सरकारी नौकरिया थी, आज रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी हो गया, जनसंख्या बढ़ गई और सरकारी नौकरिया कम हुई। दूसरी तरफ से निजी कंपनियां खुली और उन्होंने भी लोगों को सुविधाओं का लालच देकर अपनी और आकर्षित किया, सरकारी नौकरी के बजाय निजी कंपनी में लोग काम करना पसंद करने लगे। अब जनसंख्या और ज्यादा बढ़ी सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में पढ़ी-लिखी शिक्षित योग्य जनसंख्या के अनुपात में रोजगार की संख्या में कमी आई। जबकि अब शिक्षित और योग्य व्यक्तियों की उपलब्धता में वृद्धि के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ी। प्रतिस्पर्धा के बढ़ने के कारण निजी क्षेत्रों में सुविधाओं में कुछ कमी की जाने लगी और कार्यभार में वृद्धि और सख्ती की जाने लगी।

निजीकरण नीति के तहत केन्द्र सरकार पब्लिक सेक्टर उपक्रमों की संख्या कम करने की तैयारी में है, इसके तहत 300 से ज्यादा उपक्रमों को कम कर करीब 2 दर्जन किया जाएगा। हालांकि इस नीति को लेकर सरकार के सामने चुनौतियां भी होंगी। सरकार निजीकरण को लेकर नई नीति अपना रही है जिसमें घाटे में चल रहे नॉनकोर सेक्टर के उपक्रमों से अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देगी। बजट में यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि इन सेगमेंट में केवल चार ही प्रमुख रणनीतिक सेक्टर होंगे, अधिकतम पब्लिक सेक्टर यूनिट की संख्या 4 होगी, इसके अलावा अन्य सभी क्षेत्र में कार्य कने वाली सरकारी उपक्रमों से केन्द्र सरकार जिम्मेदारी मुक्त होगी।

अगर आज के परिवेश में यह कहा जाए कि भारत में सरकार को छोड़कर हर चीज का निजीकरण हो जाएगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। केन्द्र सरकार में मंत्री कई बार कह चुके हैं कि सरकार का कार्य कारोबार करना नहीं होता है, तो यहां पर सवाल उठता है कि पर सेवा देना तो होता है?

भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, और इसके बुनियादी उसूलों के मुताबिक लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती उन्हें उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है ऐसा लग रहा कि सरकार कारोबार से निकलने के बहाने सारी सेवाओं से बाहर निकलने जा रही है। लोक कल्याणकारी राज्य के तौर पर देश जो सेवाएं अपने नागरिकों को अबतक देता रहा है, यह सरकार उन सेवाओं से बाहर निकल रही है, इसकी शुरुआत विमानन सेवा से हुई, और रेल सेवा से होते हुए सड़क परिवहन तक जाएगी। सरकार ने पहले भी सरकारी विमानन कंपनी एयर इण्डिया को बेचना चाहा था पर तब खरीददार नहीं मिले थे। सो इस बार कई नियमों को बदल दिया गया है, सरकार 76 प्रतिशत के बजाए 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है और साथ ही इसके संचालन के लिए सरकार ने जो हजारों करोड़ रुपये का जो कर्ज दिया था उसे बिक्री की शर्तों से हटा दिया गया है यानि जो उसे खरीदेगा उसे वह कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा।

अभी यह प्रक्रिया चल ही रही है कि सरकार ने रेलवे के निजीकरण की तरफ ठोस कदम बढ़ा दिया है, हालांकि सरकार कह रही है, कि वह रेलवे का निजीकरण नहीं कर रही है पर असल में वह देश की सबसे बड़ी ट्रान्सपोर्ट सेवा जिसे भारत की लाईफ लाईन बोलते हैं, जो हर दिन 2 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सेवा दे रही है उसे निजी हाथों में देने जा रही है। सरकार एक सौ यात्रा रूट्स पर डेढ़ सौ निजी गाड़ियों को चलाने जा रही है, इस योजना के पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली से लखनऊ के बीच 'तेजस' ट्रेन चलाई जा रही है। इसमें निजी ऑपरेटर को अपना किराया तय करने, टिकट चेकिंग स्टॉफ रखने और खान-पान की व्यवस्था का अधिकार है। अब जो डेढ़ सौ ट्रेन चलेगी उनके आपरेटर्स को और भी अधिकार दिये जा रहे हैं वे चाहे तो दूसरे देश से ट्रेन आयात करके ला सकते हैं, उनके लिए बाध्यता नहीं होगी कि भारत की ट्रेन फैक्टरियों से ट्रेन खरीदे। इस तरह रेलवे तो निजी हाथ में जाएगी ही तमाम रेल फैक्टरियों का भविष्य भी खतरे में पड़ेगा।

लोक कल्याणकारी राज्य के नाते जो दूसरी बड़ी सेवा सरकार की ओर से नागरिकों को असें से दी जाती है वह स्वास्थ्य की है। सरकार इसके भी निजीकरण की ओर बढ़ रही है सरकार की वजह से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों अपने आप निजी हाथों में जाते जा रहे हैं, पर केन्द्र सरकार सैद्धांतिक रूप से इसे निजी हाथों में देने की योजनाओं पर चलने की तैयारी कर रही है। यातायात और स्वास्थ्य से पहले सरकार शिक्षा के निजीकरण की

योजना बना चुकी है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इसकी मिसाल है। सरकार मुनाफा कमाने वाली शिपिंग कार्पोरेशन को बेचने जा रही है और साथ ही कंटेनर कार्पोरेशन को भी बेचेगी यानी इन दोनों सेवाओं से सरकार बाहर हो जाएगी। सरकार से हर साल आठ हजार करोड़ रुपये तक का मुनाफा कमाने वाली भारत पेट्रोलियम को बेचने का फैसला करके ईंधन के क्षेत्र से बाहर निकलने का संकेत भी दे दिया है। बैंको की जैसी स्थिति है, उसे देखकर नहीं लगता कि सरकार बहुत दिनों तक लोगों को बैंकिंग सेवाएँ दे पाएगी।

संविधान सभा पर इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई थी कि देश में प्राइवेट सेक्टर तैयार किया जाए या पब्लिक सेक्टर/सरकारी सेक्टर? संविधान सभा में पूरी बहस के बाद संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि देश में व्यापक स्तर पर असमानता है और असमानता को दूर करने के लिए पब्लिक सेक्टर यानि सरकारी सेक्टर तैयार किया जाए इस बात पर संविधान सभा की सहमति हुई थी। कि सरकार ऐसी कोई नीति नहीं बनाई जिससे कि देश का अधिकांश पैसा, संपत्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में इकट्ठा हो जाए। असमानता को दूर करने के लिए निजीकरण के बजाए सरकारी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। विश्व बैंक की अनेको रिपोर्टों में यह भी स्पष्ट हो गया है कि निजीकरण से देश में असमानता फैलती है। निजी उद्योगों में लोगों को पूर्ण वेतन नहीं मिलता है और कर्मचारियों से अधिक काम लिया जाता है, तथा पेंशन और स्वास्थ्य जैसी अनेको बुनियादी सुविधाओं से कर्मचारियों को वंचित रखा जाता है। जबकि सरकारी सेक्टर में पेंशन, भविष्य निधि, चिकित्सा सुविधाएँ और बीमा आदि अनेक सुविधा प्रदत्त होती है, और काम के निर्धारित घण्टे होते हैं जबकि निजी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कोई गारण्टी नहीं होती है।

1947 में जब देश आजाद हुआ उस वक्त संसाधनों की कमी थी। उस समय सरकारी सेक्टर विकसित करने का निर्णय लिया गया और आज देश में सब कुछ होते हुए भी सरकारी सेक्टरों को कौड़ियों में बेचकर निजी हाथों में दिया जा रहा है, और जनजीव के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जबकि आज कुछ सरकारी क्षेत्र में नज़र डाले तो-

1. देश के सबसे अच्छे अस्पताल का नाम मेदांता नहीं एम्स है, जो कि सरकारी है।

2. सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम IIM है जो कि सरकारी है।
3. सबसे अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज का नाम IIM है जो कि सरकारी है।
4. देश के सबसे अच्छे विद्यालय केन्द्रीय विद्यालय है जो कि सरकारी है।
5. देश के लोग किसी भी गंतव्य तक वक्त पर और सुविधा से सुरक्षित पहुंचने के लिए सरकारी रेल में बैठते हैं।
6. नासा को टक्कर देने वाला ISRO किसी पूंजीपति का नहीं बल्कि इसे भी सरकारी लोग चलाते हैं।

सरकारी संस्थाएँ फालतू में बढ़नाम है अगर सारी चीजों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए तो यह तो सिर्फ लूट-खसोट का अड्डा बन जाएगा।

निजीकरण एक व्यवस्था नहीं बल्कि नव सियासतीकरण है, निजीकरण से बेरोजगारी बढ़ेगी जो सरकारी संस्थान एक लाख लोगों को रोजगार दे रहा है, वो निजी हाथों में जाते ही 15-20 हजार से काम कराएंगे मतलब 80 प्रतिशत लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर हर काम में लाभ की ही सियासत होगी तो आम जनता का क्या होगा? देश की आम जनता प्राइवेट स्कूलों और हॉस्पिटलों के लूटंत्र में संतुष्ट नहीं है।

हमने बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए सरकार बनाई है न कि सरकारी संपत्ति मुनाफा खोरो को बेचने के लिए, अगर प्रबंधन सही काम नहीं कर रहा तो सरकार सही करे। लोक कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना लेकर हम चले थे। उसे फलिभूत करने के लिए निजीकरण की बजाए पब्लिक सेक्टर/सरकारी सेक्टर की कमियों को दूर कर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. वी. सी. सिन्हा - अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त (लोक भारतीय प्रकाशक, इलाहाबाद)

वेबसाईट

1. Accountinginhindi.com
2. aaccountinginhindi.com
3. ssbistudy.com
4. qquora.com
5. www.nayaindia.com



वर्तमान समय में पं० दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की प्रासंगिकता

विक्रान्त पंचार*

शोध सारांश – दीनदयाल उपाध्याय राजनेता मात्र नहीं थे, वह उच्च कोटि के चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। इस रूप में उन्होंने श्रेष्ठ शक्तिशाली और संतुलित रूप में विकसित राष्ट्र की कल्पना की थी। उन्होंने निजी हित व सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। व्यक्तिगत जीवन में उनकी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं थी। उन्होंने अपना जीवन समाज और राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। राजनीति में लगातार सक्रियता के बाद भी वह अध्ययन व लेखन के लिये समय निकालते थे। इसके लिये वह अपने विश्राम से समय निकाल लेते थे। इसी समय में लोगों से मिलने-जुलने और अनवरत यात्राओं का क्रम भी चलता था। आमजन के बीच रहना उन्हें अच्छा लगता था। शायद यही कारण था कि वह देश के आम व्यक्ति की समस्याओं को भलीभांति समझ चुके थे। यह विषय उनके चिंतन व अध्ययन में समाहित था। इनका वह कारगर समाधान भी प्रस्तुत करते थे।

उनका व्यक्तित्व व कृतित्व बहुआयामी है। विभिन्न रूप में आज भी उनसे प्रेरणा ली जा सकती है। समाजसेवियों व राजनीति में लगे लोग उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। सादगी, ईमानदारी और अध्ययनशीलता उनमें निखार ला सकती है। युवा पीढ़ी उनके जज्बे से प्रेरणा ले सकती है। लेखक उनके विचारों से प्रेरणा ले सकते हैं। लेखन वही अच्छा है, जिससे समाज का हित हो। भावी पीढ़ी को सकारात्मक दिशा मिले। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर तात्कालिक घटनाओं व विचारों का प्रभाव पड़ता है। चिंतक, मनीषी उन्हें गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। पं० दीनदयाल इस पर भी विचार करते थे कि अपने देश व समाज के लिये कौन-सा मार्ग कल्याणकारी होगा। वह भविष्य द्रष्टा भी थे। भविष्य की समस्याओं को भी वह देख लेते थे। उनके प्रति वे सावधान करते थे। उन्होंने उस समय चर्चित विचारधाराओं पर गहनता से विचार किया था। उनके विचार देश की समस्याओं के समाधान के लिये आज भी प्रासंगिक हैं।

प्रस्तावना – पं० दीनदयाल उपाध्याय का यह वाक्य उनकी देश प्रेम तथा देश की अलग पहचान बनाने के लिये उनके विचारों को व्यक्त करता है – 'यदि भारत माता से माता शब्द हटा दिया जाये तो भारत केवल भूमि का टुकड़ा मात्र रह जायेगा'।

पं० दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का राष्ट्रीय, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में अभूतपूर्व योगदान रहा है उनका मानना था कि किसी भी देश का आर्थिक विकास तभी संभव है जब हम समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास कर पाये अर्थात् समाज का सबसे निचला वर्ग उन्नति कर सके जिसके लिये उसको शिक्षित होना अति आवश्यक है।

पं० दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की प्रासंगिकता – किसी भी देश का आर्थिक विकास के लिये वहाँ की शिक्षा तथा रोजगार मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः भारतवर्ष के स्वतंत्र होने के उपरान्त भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक, तकनीकी आदि क्षेत्रों में अनुमान से अधिक विकास कार्य हुये हैं। साथ ही साथ जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाना हमारे लक्ष्य विकास का एक स्रोत है, जिसका अनुसरण कर हम भव्य भारत का निर्माण करने की ओर अग्रसर हैं।

पं० दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित होकर पं० दीनदयाल उपाध्याय योजना का प्रारम्भ हमारी केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है जिसके अन्तर्गत कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। भारत सरकार इस योजना पर 500 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। इस योजना की मुख्य विशेषतायें कौशल प्रशिक्षण और स्थापना के माध्यम से रोजगार, सामाजिक एकजुटता तथा शहरी निराश्रय के लिये आश्रय की व्यवस्था करना है।

एकात्म मानव दर्शन – पं० दीनदयाल उपाध्याय जी का 'एकात्म मानव दर्शन', सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों की दृष्टि से, एक सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक दर्शन है। यह दर्शन कोई ऐसा विचार या सिद्धान्त नहीं है, जो एक दुरूह दार्शनिक चिंतन तक सीमित होकर, मात्र शास्त्रार्थ का विषय बन कर सामान्य व्यक्ति की समझ से बाहर हो जाता है। यह दर्शन विश्वगुरु भारत की वैदिक संस्कृति के विज्ञान सम्मत जीवन सूत्रों पर आधारित, मौलिक चिंतन है। पंडित जी ने विश्व इतिहास के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक घटनाक्रम का विस्तृत एवं गहन अनुशीलन करते हुये, तत्कालीन वैश्विक पटल में व्याप्त आपसी वैमनस्य, शक्ति एवं सत्ता संघर्ष तथा आत्मघातक प्रतियोगी वातावरण के संदर्भ में, एक ऐसा व्यावहारिक जीवन दर्शन प्रतिपादित किया है। जोकि समस्त वैयक्तिक, राष्ट्रीय व वैश्विक जटिलताओं के सार्थक एवं सकारात्मक समाधान हेतु व्यावहारिक नीतियों हेतु मार्गदर्शन करता है। वर्तमान में हम इक्कीसवीं सदी में जी रहे हैं। जिस प्रकार उन्नीसवीं सदी को ब्रिटेन का समय तथा बीसवीं सदी को अमेरिका का समय कहा जाता है, उसी प्रकार इक्कीसवीं सदी को भारत का समय माना गया है। क्योंकि पिछले दार्दिक दशकों में भारत एक तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों जैसे – सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, ज्ञान-विज्ञान, अंतरिक्ष, शिक्षा, चिकित्सा, खेती के उन्नत इत्यादि में अभूतपूर्व उन्नति की है। निश्चित रूप से इक्कीसवीं सदी में चीजें काफी चमकदार दिख रही हैं। विशेष कर 1990 के दशक में अपनाये गये आर्थिक सुधारों ने भारत में विकास को एक नई दिशा दी। कृषि, उद्योग, बीमा, संचार, बैंकिंग, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में विकास हुआ, जीवन स्तर में सुधार हुआ, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुयी, विदेशी निवेश देश में आकर्षित हुआ,

निर्यात बढ़े, विश्व के अमीरों की सूची में भारतीयों की संख्या बढ़ी तथा कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग, एक्सप्रेस-वे जैसी सुविधाओं का विस्तार हुआ।

आर्थिक असमानता - उँची वृद्धि दर के बावजूद भारत आज भी दुनिया के निर्धनतम देशों में एक है। सर्वाधिक गरीबों, कुपोषितों, भूखे लोगों की संख्या भारत में है। यू०एन०डी०पी० द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में भारत अपने पड़ोसी देशों भूटान, नेपाल से भी पीछे है। कृषि क्षेत्र की बढ़हाली के कारण दम तोड़ता किसान, बढ़ती बेराजगारी, भ्रष्टाचार, मानव अधिकारों का हनन, गिरता औद्योगिक उत्पादन इंगित करता है कि विकास दर में वृद्धि के बाद जो समृद्धि दिख रही है व मुठ्ठी भर लोगों के हाथ में जा रही है। आर्थिक असमानता अर्थात अमीर व गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। रोजगार-विहिन विकास हो रहा है जिससे समाज में अन्याय, अत्याचार, हिंसा जैसी असमानता बहुत तेजी से बढ़ है, जिससे अन्य अनेक प्रकार की असमानतायें पैदा हो रहीं हैं। शिक्षा में निजीकरण ने शैक्षिक असमानता पैदा की। अमीरों के बच्चों के लिये निजी स्कूल हैं, तथा गरीबों के बच्चों के लिये सरकारी स्कूल रह गये जिनकी उपेक्षा व बढ़हाली बढ़ती ही जा रही है। शैक्षिक असमानता कमजोर व वंचित वर्गों को अच्छी शिक्षा देने में असफल साबित हो रही है। क्षेत्रीय असमानता ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में विफल साबित हो रही है। औद्योगिक असमानता के कारण शहरी क्षेत्र पर दबाव बढ़ रहा है बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य कृषि आदि क्षेत्रों में असमानताओं से आम आदमी को जूझना पड़ रहा है।

आर्थिक विकास - पं० दीनदयाल उपाध्याय, जो कि आधुनिक युग के कौटिल्य माने जाते हैं। एक महान अर्थचिंतक, दार्शनिक व राजनीतिज्ञ थे। पं० दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत पश्चिमी अवधारणाओं जैसे समाजवाद, पूँजीवाद, साम्यवाद आदि पर निर्भर नहीं हो सकता। भारत के विकास का आधार अपनी भारतीय संस्कृति हो। सबका साथ सबका विकास ही जीवन का मंत्र है क्योंकि व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की उन्नति से ही विश्व का कल्याण होगा। पं० दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक ऐसे आर्थिक विकास के प्रारूप की बात कही जो व्यक्ति के आन्तरिक व्यक्तित्व एवं परिवार, समाज तथा सृष्टि के साथ सम्बन्धों में कोई संघर्ष उत्पन्न न करे। हमारे शास्त्रों में धर्म के साथ अर्थ को जोड़कर कामनाओं के पूर्ति की बात कही गयी है, जिसका अन्तिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, किन्तु अर्थ यानि पैसा आज जीवन का आवश्यक आधार नहीं अपितु सम्पूर्ण जीवन का लक्ष्य बन गया है।

अंत्योदय कार्यक्रम - कुछ समय पूर्व एक वैश्विक सर्वेक्षण में स्पष्ट हुआ कि विश्व के 52 प्रतिशत विकास संसाधनों पर विश्व की मात्र 1 प्रतिशत जनसंख्या का आधिपत्य है। दूसरी ओर अफ्रिका क्षेत्र के कई ऐसे छोटे-छोटे देश भी हैं, जिनमें प्रति वर्ष अकाल, भूख एवं अन्य अभावों के कारण करोड़ों मानवों के काल कवलित होने के प्रति वे पूर्णरूपेण संवेदनहीन बने हुये हैं। इस सम्पूर्ण परिदृश्य में, एकात्म मानव दर्शन की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है। सभी राष्ट्रों को एकजुट हो कर सर्वप्रथम विश्व की अकाल एवं भुखमरी से त्रस्त उस आबादी के लिये भोजन एवं अन्य मूल सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। पं० दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने सिद्धान्त में यही व्यक्त किया है कि भोजन व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है तथा प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को अपने साथ अन्य अक्षम, साधनहीन व्यक्तियों के लिये भी भोजन

अर्जित करना होगा। पं० दीनदयाल उपाध्याय जी का सर्वाधिक बल 'अंतिम व्यक्ति की उन्नति' की भावना से अनुप्राणित 'अंत्योदय' कार्यक्रम पर था। उनका कहना था कि जब तक व्यक्ति की भूख नहीं मिटाई जाती है, तब तक वह न तो अपने प्रति, न ही जिंदगी के प्रति अपने उत्तारदायित्व पूर्ण कर पायेगा और न ही परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति। अतः इन सुविधाओं को उपलब्ध कराना राज्य का प्रथम कर्तव्य है।

आत्मनिर्भर भारत - विदेशी सहायता, विदेशी तकनीक तथा विदेशी आयातों पर पं० दीनदयाल उपाध्याय जी ने, गंभीर चिंता व्यक्त की थी। पं० दीनदयाल जी का मानना था कि भारत के विकास के लिये हमें विदेशी नहीं अपितु 'भारत तकनीक' का विकास करना होगा। इसके लिये हम पश्चिम में हुये तकनीकी ज्ञान विकास का केवल उस सीमा तक लाभ भी ले सकते हैं जिस सीमा तक वह हमारे राष्ट्र के ठोस विकास के लिये, हमारे संसाधनों, समय व परिस्थितियों के अनुकूल हो। भारत सरकार ने, इस हेतु यभारत में निर्माण, आवाहक के द्वारा विदेशी निवेशकर्ताओं को, भारत में ही निर्माण कर निर्यात के लिये प्रोत्साहित किया है। पं० दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की थी। वे केवल वृहद उद्योगों के माध्यम से, औद्योगिक भारत को कुछ स्थानों पर केन्द्रीकृत होने के स्थान पर, लघु एवं कुटीर उद्योगों के द्वारा देश के सभी क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति के लाभ, स्वरोजगार एवं लघु उद्यमों में रोजगार सृजन की क्षमता बढ़ाना आवश्यक मानते थे। इस समूह तक पहुँच लक्ष्य की पूर्ति हेतु, भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के 'उत्तिष्ठत, जागृत' से प्रेरित होकर यस्टैण्ड अप - स्टार्ट अप भारत ऋण योजना प्रारम्भ की है। किसी भी छोटी बड़ी विकास योजना की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि इन योजनाओं के माध्यम से दी जा रही सहायता, ऋण, अनुदान व लाभ राशि, वास्तव में सही एवं लक्षित लाभार्थी को मिल सके।

निष्कर्ष - पं० दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुसार ही विभिन्न संस्थाओं का निर्माण करता है तथा ये संस्थायें समय के अनुसार परिवर्तित होनी चाहिये जिसमें लोग सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर समान रूप से निर्णय निर्माण में भागीदार हो। पं० दीनदयाल उपाध्याय जी एक महान राष्ट्र नायक व विलक्षण विचारक थे। उनके चिन्तन का केन्द्र कतार का अन्तिम व्यक्ति था। उन्होंने मानव की बुनियादी आवश्यकताओं के साथ-साथ कृषि उद्योग, शिक्षा, नियोजन, महंगाई, विकेन्द्रीकरण, पशुपालन, मशीनीकरण, उपभोग उत्पादन वितरण, बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर गहन चिन्तन किया तथा इन आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु भारतीय प्रकृति, परिस्थिति व संस्कृति के अनुसार समाधान प्रस्तुत किये जो कि वर्तमान समय में गंभीर होती आर्थिक समस्याओं के वास्तविक समाधान में पूर्णतया प्रासंगिक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. उपाध्याय, दीनदयाल, भारतीय अर्थनीति - विकास की एक दिशा, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ (1958)
2. राष्ट्र जीवन की समस्यायें, राष्ट्रधर्म पुस्तक प्रकाशन (1960)
3. पॉलिटिकल डायरी, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली (1968)
4. राष्ट्र जीवन की दिशा, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ (1971)
5. एकात्म मानव दर्शन, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली (1976)

आधुनिक युग के कबीर परसाई जी के व्यक्तित्व का विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. सुनीता यादव*

प्रस्तावना – हरिशंकर परसाई उस व्यक्तित्व का नाम है जो अपने विचारों के द्वारा अपनी कृतियों के द्वारा अपनी रचनाओं के द्वारा जन-जन से जुड़ा हुआ है, और निम्न वर्ग का शोषितों का तथा पीड़ितों का लेखक कहलाते हैं। परसाई जी 'आस वक्ता' को भौतिक यथार्थ को उसके वास्तविक रूप में उद्घाटित कर उसे लोगों को दिखाने का प्रयत्न करते हैं।

परसाई जी की रचनाओं में निहित केन्द्रीय एवं विचारों के आलोक में उनके बहुमुखी व्यक्तित्व की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं। जिनका संक्षिप्त विवेचन करना समीचीन है। परसाई बहुमुखी विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। राजेश्वर सक्सेना के अनुसार 'परसाई जी में प्रेमचन्द की तरह विविधता और विस्तार है।'¹

उनके व्यक्तित्व के सन्दर्भ में प्रवीण अटलूरी लिखते हैं। 'हिन्दी के व्यंग्य लेखन में परसाई जी का व्यक्तित्व किसी विराट सत् सा असर रखता है। व्यक्ति उनके व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक दबाव से मुक्त न हो पाता होगा।'² परसाई के व्यक्तित्व के विकास को उनकी रचनाओं के मध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। इसी सन्दर्भ में मायाराम सुरजन लिखते हैं- 'परसाई जी के व्यक्तित्व का विकास की कुछ इस तरह हुआ कि वे अपने आसपास के वातावरण से अछूते नहीं रहे।'³

व्यक्तित्व – परसाई जी का व्यक्तित्व कबीर दास जी से बहुत प्रभावित था, वे आज आधुनिक कबीर माने जाते हैं इसी सन्दर्भ में कृष्णकुमार श्रीवास्तव लिखते हैं – यदि हरिशंकर परसाई 15वीं या 16वीं शताब्दि में पैदा होते तो कबीर होते और यदि कबीर बीसवीं शताब्दी में पैदा होते तो हरिशंकर परसाई होते।⁴ इस प्रकार अतः साक्ष्य और बर्हि साक्ष्य के आधार पर परसाई जी के व्यक्तित्व में मौलिकता, स्पष्ट वादिता, निभर्कता, अक्खड़ता, फक्कड़ता व विनम्रता आदि रूप उभरकर सामने आते हैं। जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। -

(i) मौलिकता – परसाई जी का सर्व प्रथम गुण उनकी मौलिकता है। उन्होंने जो कुछ कहा वह पढ़कर या सुनकर नहीं बल्कि स्वयं अनुभव करके। ये विचार उनके स्वयं के जीवन से निकले हुए हैं। उनकी विचार धारा काल्पनिक नहीं बल्कि विशुद्ध यथार्थ के धरातल से उपजी हुई है। इसीलिए उनके लेखन में सत्य की स्थापना बड़ी ही निभर्कता से हुई है। कृष्ण कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 'परसाई जिस तरह स्थितियों और मूल्यों को स्वयं देखते और समझते हैं, पाठकों को भी उसी तरह देखने और समझने के लिए उत्तेजित करते हैं।'⁵

परसाई जी ने स्वतंत्रता के बाद के भारत में उत्पन्न परिस्थितियों को देखा समझा और लिखा। इसी मौलिकता के कारण उन्होंने जो कहा स्पष्ट

कहा। परसाई जी ने कबीर की तरह 'कागद लिखी' नहीं कही बल्कि 'ऑखन देखी' कही हैं उनकी रचनाओं में उनका कटु अनुभव बोलता है। उनकी रचना की जीवनी शक्ति इसी में है कि बदलते परिवेश, भिन्न आयाजनों और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बदलाव के बावजूद रचना ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई है।⁶

अतः परसाई जी ने अपनी संवेदना को ज्यों-की-त्यों अभिव्यक्ति किया।

(ii) स्पष्टवादिता – परसाई एक स्पष्टवादी लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हैं उनकी इसी स्पष्टवादिता के कारण वे व्यंग्यकार के रूप में उभर कर आये। परसाई जी की रचनाएं बहुत ही स्पष्ट और प्रभाव शाली है। इसी सन्दर्भ में श्याम कश्यप लिखते हैं- 'परसाई जी की साहित्य पढ़ते हुए यह बात भी छिपी नहीं रहती कि उनके तीखे-तीखे व्यंग्य प्रहार के मूल में भी करुणा के गहरे सोते लहराते हैं। उनकी आलोचना का आधार ही यह सधन मानवीय करुणा है वे हमारी आत्मा के शिल्पी हैं। उनका साहित्य हमारे सारे संस्कारों को जड़ से बदल डालता है।'⁷

(iii) निर्भकता – संघर्षपूर्ण जीवन के कटु अनुभव व्यक्तित्व में स्थिरता और निभर्कता भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परसाई ने अपनी रचनाओं में जो कुछ कहा है वह स्पष्ट और कटु सत्य कहा है। जहाँ उनका एकाकी और निराश्रित जीवन उनमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से विनम्रता भर देता था, वहीं विरोधियों की कटुवाणी रूपी विष का पान कर और जीवन की विषमताओं को गले लगाकर स्थिर और निर्भक हो जाते हैं। अपने व्यंग्य वाणों से सत्य को उद्घाटित करके-झूठ का पर्दा फाश करके उन्होंने अपने आस-पास ही अपने विद्रोहियों एवं शत्रुओं को ही बढ़ाया। मित्रों की तारीफ से उन्हें शत्रुओं की आलोचना प्रिय लगती है। इसलिए वे मित्रों की अपेक्षा शत्रु बनाना कहीं अधिक उपयुक्त समझते हैं। उनके ही के शब्दों के शब्दों में 'मुझे अपने शत्रु बनाने में जो सुख मिलता है, वह किसी बात में नहीं मिलता है भगवान का काम तो केवल भक्त तैयार करना है, पर मेरा काम उससे बड़ा है-भक्त तो अपने आप तैयार होते हैं पर शत्रु तो बनाने पड़ते हैं।'⁸

(iv) अक्खड़ता – परसाई जी कबीर दासजी से प्रभावित हैं, उन्ही की तरह परसाई जी के व्यक्तित्व में हमें अक्खड़ता दिखाई देती है।

कमला प्रसाद मे अनुसार – 'रचनाकार के रूप में परसाई के दो गहरे साथी हैं। कबीर और मुक्ति बोधा। कबीर की अक्खड़ता को उन्होंने उस तरह आत्मसात् किया है जैसे निराला ने तुलसीदास जी को किया था। कबीर उनके व्यक्तित्व में लीन है। परसाई जी में आत्म विश्वास के कारण अक्खड़पन आ गया है

उनकी सहजता और स्पष्टवादिता में हमें उनकी अखड़ता दृष्टि गोचर होती है परसाई जी की अखड़ता, समाज के ठैकेदारों तथा राजनीति के सिंहासन पर विराजमान लोगों को फटकारते समय अपने चढ़ाव पर होती है इसका अनुमान हम उनकी रचनाओं से लगा सकते हैं पूँजीवादी राजनीति के कुरूप और जनविरोधी चरित्र को बेपर्दा करने के अनेक रूप परसाई जी जानते हैं 'जीते हुए उम्मीदवार के नाम' पत्र का एक अंश या है 'इस क्षेत्र की जनता आपस में बहुत कुछ करना चाहती हैं, उदाहरण के लिए यहाँ जुए के काफी अड्डे हैं'¹⁹ उनकी रचनाओं में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसी सन्दर्भ में खगेन्द्र ठाकुर ने लिखा है 'परसाई जी की कलम बेधड़क उसी से चलती रही है इसका श्रेय मार्क्सवाद से उनकी प्रति बद्धता है।'¹⁰

(v) फक्कड़ता - परसाई जी स्वभाव से फक्कड़ भी थे। उनका फक्कड़पन उच्चकोटि का था। उन्हे इस संसार से कोई सरोकार नहीं था। माया मोह उनके पैरों में जंजीर नहीं डाल सके। उनकी फक्कड़ता का अनुमान हम उस से लगा सकते हैं कि वे भी कबीर के उसी रास्ते 'जो घर बारे आपना लिए मुराड़ा हाथ' के रास्ते पर चलते हैं।

विनम्रता - परसाई जी में अखड़ता और फक्कड़ता होने के बावजूद भी विनम्रता कूट-कूट कर भर हुई थी। इतने अखंड और फक्कड़ होते हुए भी परसाई अत्यंत सरल, विनम्र, सदाचरण प्रिय और कर्तव्यपरायण थे। उनकी कर्तव्यपरायणता का पता इससे लगाया जा सकता है। कि माता-पिता की मृत्यु के बाद भाई-बहिनों की जिम्मेदारी को स्वीकार किया। तथा बहिन के विधवा होने के बाद उनका सारा बोझ अपने कंधों पर ग्रहण किया और उनकी विनम्रता का पता इससे चलता है कि आर. एस. एस. वालों द्वारा उनकी पिटाई करने पर भी वे अपने लेखन कार्य से मतलब रखते हैं उनके स्वयं के शब्दों में 'मुझे क्या पता था कि यश, लिखने से अधिने से अधिक पिटने से मिलता है। वरना में पहले ही पिटने का इन्त जाम कर लेता।'¹¹

संवेदनशीलता - परसाई जी की रचनाओं में संवेदनशीलता व प्रखरता के दर्शन होते हैं। वे एक संवेदनशील व्यक्ति थे। वे अपने आस-पास के प्रत्येक चरित्र को समझकर अपनी चरना का विषय बनाते थे। संवेदनशीलता के विषय में डॉ. शंकर पुणताम्बेकर के अनुसार 'परसाई जी का कृतित्व उनकी प्रखर संवेदनशीलता और बौद्धिकता का परिचय देता है। यह उनकी तीखी संवेदनशीलता का ही परिणाम है कि परसाई जी का व्यंग्य इतना व्यापक विस्तृत और बहु-आयामी है। समाज का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसका विदूषक लेखक की चेतना को बार-बार स्पर्श करके भी संवेदन शून्य बना देता है।'¹²

डॉ. बालेन्दु शेखर तिवारी लिखते हैं कि 'संवेदन की विलक्षण दुनिया और संप्रेषण की अनुठी भंगिमा द्वारा परसाई ने स्वस्थ और प्रतिबद्ध व्यंग्यकार की तमाम शर्तों को पूरा किया है। एक ऐसी आग उनकी रचनाओं के भीतर सतत् ज्वलनशील है जो साहित्य और राजनीति के मठों, भ्रष्टाचार और विघटन के केन्द्रों और भीड़ तन्त्र से घिरी लोकशाही के समस्त समारोहों, की बेलाग अभिव्यक्ति की एक प्रयोजनिक कोशिश परसाई में है।'¹³

व्यंग्यकार - डॉ. बालेन्दु शेखर तिवारी के अनुसार 'व्यंग्य विधा के शीर्षस्थ व्यंग्यकार के रूप में परसाई जी की शिनाख्त है। व्यंग्य और और परसाई एक-दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। 'परसाई रचनावली' प्रकाशित होने के बाद भी वे परम्परागत विधा लेखन के चौखटों को निरन्तर तोड़ कर रचना की है।'

'हरिशंकर परसाई हिन्दी व्यंग्य के क्षेत्र में ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा नहीं स्पर्शित' कहा और उन्हीं के कारण व्यंग्य को विधा का दर्जा प्राप्त हुआ और अन्ततः स्वयं उन्होंने भी स्वीकार किया कि मैं व्यंग्यकार

हूँ।'¹⁴ व्यंग्य लेखन परसाई की मजबूरी नहीं परिस्थितियों का दबाव है स्वतंत्रता के बाद देश की परिस्थिति ने ऐसी करवट ली कि दिन-दूनी रात चौगानी रक्तार से सातवे दशक के खत्म होते-होते बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टा-चार ने विकराल रूप धारण कर लिया और इनके खिलाफ मोर्चा लेने के लिए साहित्य की प्रचलित विधाएँ लगड़ी सी पड़ गयी। 'ऐसी दशा में परिस्थिति की विसंगतियों और विरूपताओं को प्रभावपूर्ण ढंग से पेश करने के लिए संवर्था नई विधाएँ चल पड़ी जिनमें प्रमुख है 'व्यंग्य'। परसाई ने अपनी रचनाओं के माध्यम से युग की विसंगतियों का दस्तावेज ही, पेश नहीं किया विसंगतियों पर पूरी निर्मत्ता से प्रहार भी किए और परसाई का से आधुनिक कबीर बन गये अर्थात् आधुनिक हिन्दी व्यंग्य के प्रवर्तक पद पर आसीन हो गये।'¹⁵ हिन्दी में व्यंग्य के सबसे प्रथम कवि कबीरदास जी माने जाते हैं। परसाई भी स्वयं को कबीरदासजी घोषित करते हुए कहा है- 'कबीर के सीधे, बैलोस बखिया उधेड, चुरबा, उतार, मस्ती और फक्कड़पन से भरे व्यंग्यों का भक्त रहा हूँ। इतना ताकतवार कोई और हुआ नहीं क्यों कि और किसी ने न सीसकटके भुई धरा' 'न अपना घर फूकिया, न बाजार में लिये लुआठी' खड़ा हुआ सभी भुलाने पेट का धन्धा।'¹⁶ कबीर की तरह परसाई जी ने सामाजिक विषंगतियों को देखकर जो व्यंग्य किए वे मनुष्य के हृदय पर चोट करते प्रतीत होते हैं।

परसाई का गद्यकार का रूप - परसाई जी सबसे पहले व्यंग्यकार बाद में उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार बाद में है। उनकी पहचान व्यंग्य के सर्वश्रेष्ठ लेखकों के रूप में है। कमला प्रसाद के अनुसार 'हरिशंकर परसाई ने रचनाकार के रूप में व्यंग्य का सहारा लिया है। व्यंग्य वस्तुतः कथन की प्रकृति है, कथ्य की नहीं। कथ्य तो हर रचना में चयन की प्राथमिकता और वर्ग रूचि के अनुरूप होता है। उसे रचना के रूप में आकृति देने के लिए कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास या निबन्धों का सहारा लिया जाता है। व्यंग्य तो विधा भी नहीं है। जैसे हास्य विधा नहीं उसी तरह व्यंग्य भी। परसाई ने विधा के रूप में कहानी उपन्यास निबन्ध या स्तम्भ लिखे हैं। इनमें कथन की प्रकृति व्यंग्य है। जो इतनी धारादार, पेनी, उत्तेजक तथा काया-कल्प करती है कि वह रचना के रूप के ऊपर मँडराती है।'¹⁷

परसाई जी मुख्यतः व्यंग्यकार ही हैं। लेकिन उन्होंने व्यंग्य को सभी विधाओं में आत्मसात किया है उनके स्वयं के शब्दों में 'व्यंग्य मैने कई रूपों में लिखा है- कहानी, निबन्ध, रिपोर्ताज नाटक, उपन्यास इसके अलावा मैं पत्रकार भी हूँ। पत्रों में साप्ताहिक व्यंग्य स्तम्भ भी लिखता हूँ।'¹⁸ इस प्रकार हम देखते हैं कि परसाई जी का व्यंग्य कहानी, निबन्ध, उपन्यास, स्तम्भ लेखन सभी में मिलता है। रचनाकार के रूप में वे कहानीकार, निबन्धकार, उपन्यासकार, स्तम्भ लेखक कर रहे हैं जहाँ समाज में व्याप्त विसंगतियों, विकृतियों, अन्याय, शोषण, पाखंड, दोमुँहेपन, ढोग के खिलाफ व्यंग्य दिखायी पड़ते हैं। यही उनकी सफलता का मूलमंत्र भी है। जो उन्होंने देखा, भोगा, महसूस किया उसी को अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। परसाईजी एक व्यंग्यकार के रूप में प्रतिस्थापित हैं ही लेकिन वे एक गद्यकार के रूप में भी प्रतिस्थापित हैं उन्होंने गद्य विधाओं में अपनी अमिट छाप छोड़ी है।

कमला प्रसाद के अनुसार - 'परसाई जी ने गद्य के बुनियादी जन कल्याण और स्वभाव की हिन्दी में स्थापना की है। जनता की छिपी हुई शक्ति को खोलना और इसी के लिए अपनी गद्य भाषा का चयन करना इन के लेखन की पहचान है।'¹⁹

निष्कर्ष - उपर्युक्त से स्पष्ट है कि परसाई जी बहुमुखी विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हैं। उनकी कृतियों ही उनके व्यक्तित्व की प्रामाणिकता को सिद्ध करती

है, परन्तु इसके अलावा बाहरी परिवेश भी व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। इसी कारण उनके कृति व्यक्तित्व और निजी व्यक्तित्व में अन्तर आ गया है। इस प्रकार जहाँ एक और उनके समाज सुधारक, दार्शनिक, आदि रूप दिखाई पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर अभावग्रस्त करुणा के रूप में संघर्ष मयजीवन की झॉकी भी दिखाई पड़ती है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जो दर्शाया वह सुना या पढा हुआ नहीं वरन् देखा, भोगा ओर महसूस किया हुआ मानवीय सत्य है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आँखन - देखी विचार धारा और सौन्दर्य दृष्टि - राजेश्वर सक्सेना - वही पृ0 230
2. आँखन देखी - दिखते चलचित्र प्रवीण अटलूरी स. कमलाप्रसाद - वही पृ0 178
3. आँखन देखी - विशवमन धर्मोर्चनाकार मायाराम सुरजान स. कमलाप्रसाद - वही पृ0 65
4. वही - अपनी शताब्दी काबीर - कृष्ण कुमार श्रीवास्तव वही पृ0 63
5. वही - वही पृ0 82
6. वही - वही पृ0
7. परसाई रचनावली भाग 2 गद्यलेखक हरिशंकर परसाई-श्याय कश्यप-वही पृ0 4
8. आँखन देखी - जबलपुर और लेखक के रिश्ते-लेखक हनुमान प्रसाद वर्मा - वही पृ0 48
9. आँखन देखी- खुलेपत्र का खुला जवाब मायाराम सुरजन को परसाई का - वही पृ0 453
10. व्यंग्यशती- हरिशंकर परसाई
11. डॉ. बालेन्दु शेखर तिवारी - हिन्दी व्यंग्य के प्रतिमान - वही पृ0 11-12
12. आँखन देखी - कमल प्रसाद - वही पृ0 19
13. आँखन देखी - आत्म कथा हरिशंकर परसाई - वही पृ0 31
14. आँखन देखी - कमला प्रसाद - वही पृ0 15

कला में धर्म का आविर्भाव : एक अध्ययन

डॉ. मंजुला निंगवाल*

प्रस्तावना – कला आत्मा की अभिव्यक्ति है। वह मानव हृदय के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन भी है। मानव के चेतनशील हृदय पर बाह्य प्रकृति का जो प्रभाव पड़ता है, उसी से कला का प्रस्फुटन होता है। इसलिए मनोभावों को व्यक्त करने की शाश्वत एवं उत्कृष्ट भावना को कला की जननी माना गया है।

कला के संदर्भ में महत्वपूर्ण यह भी है कि कोई भी अभिव्यक्ति या विचार कला की संज्ञा नहीं पा सकता, जब तक उसमें सौन्दर्य का योग न हो। कला और सौन्दर्य एक-दूसरे से अभिन्न रूप से संबद्ध होते हैं। हीगेल ने प्राकृतिक सौन्दर्य को ईश्वरीय सौन्दर्य का आभास माना और कहा कि कला इसी आभास की पुनरावृत्ति है। कविन्द्र रवीन्द्र भी कला की अभिव्यक्ति उनके सौन्दर्य में मानते हैं। उनकी दृष्टि में सौन्दर्य केवल रूप या अभिव्यंजना मात्र नहीं है, वह आत्मा में निवास करता है। इसलिए आत्मा जिस भाव से संतुष्टि का अनुभव करती है, वह धार्मिक विचार ही हो सकते हैं। इस आधार पर देखें तो कला में धर्म का आविर्भाव आनंद की पूर्ति हेतु हुआ है।

कला की प्रेरणा – कला की प्रेरणाओं के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहे हैं। अरस्तु और दांते जैसे चिंतक कला का मूल मानव की अनुकरण करने की प्रवृत्ति में मानते हैं। कलाकार प्रकृति का अनुकरण करता है। टॉलस्टाय कला की प्रेरणा भावना सम्प्रेषण की इच्छा में स्वीकार करते हैं। कलाकार अपनी अनुभूतियों को दूसरे तक सम्प्रेषित करने में इसकी सार्थकता मानते हैं, इसलिए वह कलाओं को माध्यम बनाता है और संतोष प्राप्त करता है।

कला विचारकों की दृष्टि में – मार्क्स की दृष्टि भौतिकवादी थी, वह व्यक्ति की चेतना को सामाजिक परिवेश से प्रभावित हुआ, उसे सामाजिक जीवन की देन मानता था। सामाजिक जीवन में वह अर्थ और वर्ग संघर्ष को प्रधान तत्व मानता था और कला को आर्थिक स्थिति एवं वर्ग संघर्ष से प्रभावित बताता था। फ्रायड मानव चेतना का आधार काम मानता है। उसका विचार है कि मनुष्य जब सामाजिक मर्यादा और नैतिक बन्धनों के कारण अपनी कामनाओं की अभिव्यक्ति या पूर्ति नहीं कर पाता है, तो वे दमित वासनाएँ स्वप्न में अथवा कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है। इस प्रकार विभिन्न मतों के चलते इतना तो कहा जा सकता है कि मनुष्य कलाओं के माध्यम से सौन्दर्य के दर्शन करता है। आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। इसी को व्यक्त करने के लिए दुनिया की सभी कलाओं का जन्म हुआ है।

कलाओं का वर्गीकरण – कलाओं के वर्गीकरण को लेकर भी विचारकों ने विचार किया है। क्रोचे का मानना है कि कला एक अखण्ड अभिव्यक्ति है इसलिए उसका विभाजन करना सरल नहीं है। कला जब मूर्त रूप में सामने आती है तब उसके विभिन्न रूपों के दर्शन होते हैं।

इन रूपों की भिन्नता में तात्विक भिन्नता न होकर बाह्य भिन्नता होती है, किन्तु मूल में एक ही अभिव्यक्ति रहती है। शैषों ने कला को शुद्ध कला

और अशुद्धकला दो रूपों में बांटा है। शैव दर्शन में संपूर्ण सृष्टि के लिए 36 तत्व बताए गए हैं। इनमें एक तत्व कला को स्वीकार किया गया है। संस्कृत के आचार्यों ने ज्ञान का विभाजन विद्या और उप विद्या के रूप में किया है। कला को उप विद्या बताया गया है।

भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है – न तत्वज्ञान न तिखल्पं न सा विद्या न सा कला, किन्तु भारतीय ग्रन्थों में कला के अंतर्गत अनेक कलाओं की गिनती की गई है। विचारकों ने कला को लेकर जो चिन्तन किया है, उसके पीछे समाज को धर्म की दिशा में प्रेरित करना रहा है।

कला में धर्म का आविर्भाव – कलाओं को धर्म से जोड़ने के कारण अनेक कलाओं का विकास हुआ है, इसके साथ ही धर्म की ओर समाज उन्मुख हुआ है। सच तो यह है कि हमारे देश के संदर्भ में मानव सभ्यता के विकास में धर्म की अहम भूमिका रही है। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। धर्म मानव जीवन को प्रबलता प्रदान करता है। धर्म मानव जीवन का आधार है। कलाकृतियों में धर्म की उत्पत्ति हुई है। मानव ने कला में धर्म का सहारा लेकर अपनी संस्कृति को उजागर किया। धर्म से ही मनुष्य के सभ्य व्यक्तित्व होने का प्रमाण मिलता है। इसीलिए उसने कला में धर्म को समाहित करके व्यक्त किया है। कलाकार ने धर्म के मार्ग का अनुसरण किया, क्योंकि प्रत्येक समाज में धर्म का समावेश विद्यमान है। एक कलाकार जब किसी कलाकृति की रचना करता है, तो उस कलाकृति में कल्पित भावनाओं का समायोजन की धर्म कहलाता है। कलाकार अपनी कृति सृजन के प्रति समर्पित होकर कृतसंकल्पित रूप में कार्य करता है, तो उसके मस्तिष्क में कलाकृति का स्वरूप योजनाबद्ध ढंग से स्वरूप ग्रहण करता है। कलाकार के मन व मस्तिष्क में जो भी भावनाएँ उभर कर आती हैं, तो वह उसे मूर्त रूप देने की कोशिश करता है। कला में धर्म का आविर्भाव एक मृत की भाँति है, जो अपना लक्ष्य निर्धारित करने में सफल रहता है। धर्म से मानव के जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है।

धर्म अर्थात् धारण करना – व्यक्ति को राष्ट्र को, जीवन को, संस्थाओं को, लोक और परलोक सबको धारण करने में जो शाश्वत-नियम है वही धर्म है।¹ धर्म मानव द्वारा किसी आस्था को धारण करने के आधार को कहते हैं।² धर्म के आविर्भाव के उपरान्त कला और धर्म का संबंध अविच्छिन्न रूप से चलता रहा है, यद्यपि धर्म के अतिरिक्त जीवन के अन्य पक्षों का भी चित्रण कलाओं में निरन्तर होता रहा है।³ कला जगत् की विभिन्न तरह की अपनी विधाएँ होती है। इन विधाओं में कलाकार की अपनी रंग-संयोजन पद्धति किसी उद्देश्य को पूर्ण करती है। कलाकार की दृष्टि में कला सृजन करना ही उसका धर्म है।⁴ धर्म नैतिक जीवन का आधार है। नीति धार्मिक जीवन का मार्ग निश्चित करती है। सौन्दर्य, भावन जीवन का परम आदर्श होने के कारण

नीति का विरोध नहीं कर सकते। धर्म में हमें नैतिकता के विषय में संकुचित दृष्टिकोण से बचना होगा।⁵ धर्म के अनेक अर्थ हैं। धर्म शब्द को व्यक्त करने वाले विचार भारत में लगभग चार हजार वर्ष पूर्व प्रारंभ हुए थे। अंग्रेजी में 'रेलीजन' शब्द को धर्म का पर्यायवाची माना जाता है।⁶

वास्तविक रूप से धर्म मानव के सहज गुण पर निर्भर करता है। किसी भी समाज की संस्कृति व परंपरा को जानने के लिए वहाँ के धर्म को जानना अनिवार्य होता है। धर्म कलाकार के लिए साधन है, जिसमें वह निरन्तरतः अथक प्रयास करता है। धर्म से संबंधित कलाकृति में सत्य की यथार्थता समाहित रहती है। कलाकार द्वारा कलाकृति के सृजन में धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रिया-कलापों पर आधारित आख्यानो को संयोजित किया जाता है। इनमें 'सत्य शिवं सुन्दरम्' सर्वविदित है।

कला भारतीय जीवन का आधार - कला, भारतीय जीवन का आधा है। यहाँ संस्कृति में धर्म का दर्शन करना हो, तो यहाँ के उत्सवों, त्योहारों, संस्कारों, मंदिरों, गिरजाघरों, गुरुद्वारे एवं मस्जिदों में धार्मिक सहिष्णुता हमें देखने को मिलती है। इसलिए मानव जीवन में धर्म के प्रति आस्था निहित रहती है। धर्म-प्रचार, के लिए कला को माध्यम बनाया गया। ऐलोरा, अजन्ता, एलिफैंटा में भी धर्म प्रचार के लिए कला को माध्यम बनाया गया। धर्म के माध्यम से मानव का जीवन सार्थक होता है।

भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों ने कलाओं की उत्पत्ति, उसका वर्गीकरण और उसकी भूमिका को लेकर विस्तार से विचार किया है। इन विचारकों का प्रमुख उद्देश्य समाज में धर्म के आविर्भाव और उसके प्रति गहरी निष्ठा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। जहां तक कलाओं के वर्गीकरण का प्रश्न है, तो इसके प्रमुख रूप से वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला आदि प्रमुख है। कला में धर्म के आविर्भाव का प्रमुख कारण एक स्वस्थ समाज की संरचना करना रहा है। एक ऐसा समाज जो स्वस्थ, सुन्दर और नैतिक विचारों में समृद्ध हो।

निष्कर्ष - उपर्युक्त विश्लेषण करने के पश्चात् कहा जा सकता है कि मूल रूप से यदि मानव के मन में धर्म के प्रति कर्तव्य व आस्था नहीं होती, तो

कला सृजन भी असम्भव होता। सृजन की प्रवृत्ति ने मानव के मन में विचारों को साकार किया। आस्था एवं विश्वास से ही सृजनात्मक स्थितियाँ बलवती होती हैं। कला में धार्मिक चेतना से मानव का विकास सम्भव हुआ है। धर्म में सत्य का स्वरूप दिखाई देता है, जबकि कलाओं में सत्यम् शिवम् सुन्दरम् की अवधारणा निहित है। धर्म का अनुसरण करने से मानव कल्याण होता है। धर्म से मानव के सतगुणों का विकास होता है। वैदिक काल का इतिहास देखें तो वेदों में भी धर्म को व्यापक स्वरूप में देखा गया है। मानव जीवन में कला का प्रबल पक्ष धर्म पर आश्रित है। कलाकृतियों का स्वरूप धार्मिक प्रवृत्ति से प्रबल रहा है। मंदिर और मंदिर के ग्रंथालय, ग्रंथालयों में संग्रहित पाण्डुलिपियाँ और चित्र इस बात के प्रमाण हैं। आज के भौतिकवादी युग में देखें तो धार्मिक प्रवृत्ति से ही हमारे देश व समाज को विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। वैसे भी किसी देश व समाज की सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों से ही उसकी पहचान होती है। धर्म, कला व समाज की अभूतपूर्व पूंजी है। धर्म-कर्तव्य से जोड़ता है। कर्तव्य से जुड़ने के कारण समाज में निष्ठा, नैतिकता, तत्परता जैसे गुण जुड़ जाते हैं। कला में धर्म के आविर्भाव से लक्ष्य की पूर्ति होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल, वासुदेव शरण : कला और संस्कृति, पृ. 34, साहित्य भवन प्रा.लि. 93, जीरो रोड, इलाहाबाद (2003)
2. मावड़ी, मोहन सिंह : भारतीय कला सौन्दर्य, पृ. 60, तक्षशिला प्रकाशन 23/4761, अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली (2002)
3. राय, निहार रंजन : भारतीय कला के आयाम, पृ. - 62, पूर्वोदय प्रकाशन प्रा.लि. 7/8, दरियागंज, नई दिल्ली - 2 (1984)
4. मावड़ी, मोहन सिंह : भारतीय कला सौन्दर्य, पृ. 60, तक्षशिला प्रकाशन, 23/4761, अन्सारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली (2002)
5. शर्मा, हरद्वारी लाल : सौन्दर्य शास्त्र, पृ. 38-39, मानसी प्रकाशन 39, कैलाशपुरी, मेरठ (1999)
6. अरोड़ा, गोपी कृष्ण : उत्तर प्रदेश साहित्य संस्कृति एवं कला पृ. 245, एस. चन्द एण्ड कंपनी प्रा.लि. नई दिल्ली (1987)

शिक्षा वेदाङ्ग में वर्णोच्चारण विवेचन

डॉ. हिम्मतलाल शर्मा *

प्रस्तावना - भारतीय ज्ञान परम्परा में वेदाध्ययन का सर्वाधिक महत्त्व है। वैदिक मन्त्रों को समझने के लिए छः वेदाङ्गों का अध्ययन आवश्यक माना जाता है। वेदों की पुरुष रूप में कल्पना की जाती है और छन्द, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण को क्रमशः वेदपुरुष के चरण, हाथ, आँख, कान, नासिका और मुख माना जाता है।

**छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् ।
तस्मात्साङ्गमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते ॥'**

शिक्षा वेदाङ्ग में प्रमुख रूप से वर्णोच्चारण प्रक्रिया पर बल दिया गया है। यह सर्वविदित है कि भावाभिव्यक्ति करने का साधन भाषा है और भाषा वर्ण, पद और वाक्यों पर आश्रित होती है। वाक्य निर्माण की प्रथम इकाई वर्ण या अक्षर ही है। अक्षर या वर्णों के संयोजन से शब्द बनते हैं और शब्दों के समूह से वाक्य तथा वाक्यों के समूह से काव्य, नाटक या निबन्ध का निर्माण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ण, पद और वाक्य में परिवर्तित वाणी से ही इस जगत् का व्यवहार चलता है।

इस जागतिक व्यवहार की कारणभूत भाषा के शुद्ध उच्चारण के लिये शिक्षा वेदाङ्ग में अत्यधिक विचार-विमर्श किया गया है। महर्षि पाणिनि के कथनानुसार तो वर्णों के उच्चारण के विषय में ज्ञात होता है कि वर्णों का उच्चारण इस प्रकार करना चाहिये कि वे अक्षर वर्ण न तो अधिक दबे हों और न ही अधिक अस्पष्ट हों, क्योंकि सही-सही रूप में बोले गए अक्षर वर्ण प्रवक्ता का सम्मान बढ़ाते हैं।

**एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या नाव्यक्ता न च पीडिताः।
सम्यग्वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते॥'**

प्रसिद्ध शिक्षा ग्रन्थ वर्णरत्न-प्रदीपिका में कहा गया है कि शुद्ध वर्णों के प्रयोक्ता का ही विद्वत् समाज सम्मान करता है। ऐसा कहा जाता है कि बिना वर्णोच्चारण ज्ञान के अध्ययन और अध्यापन कठिन है।

स्थानं च करणं मात्रा सम्यगुच्चारणं तथा।

यो न वेद स निर्लज्जः पठामिति कथं वदेत् ॥'

शुद्ध वर्णोच्चारण से शारीरिक स्वास्थ्य में भी लाभ होता है। संस्कृत भाषा के वर्णों के उच्चारण के समय सम्पूर्ण शरीर पर स्पन्दन होता है। ध्वनि विज्ञान के अनुसार वर्णोच्चारणजन्य स्पन्दन से शारीरिक और मानसिक रोगों का प्रशमन होता है। महर्षि पाराशर तो वर्णोच्चारण प्रक्रिया पर विचार-विमर्श करते हुए कहते हैं कि शुद्ध उच्चारण करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है।

अशुद्धपठनाच्चैव नैव मोक्षं प्रपेदिरे।

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन शुद्धपाठी भवेद्विजः॥'

अशुद्ध उच्चारण को रुग्णता मानकर उस अशुद्ध उच्चारण में परिष्कार करना और शुद्ध उच्चारण हेतु प्रेरणा प्रदान करना ही मोक्ष शब्द का यहाँ अभीष्टार्थ है। अतः प्रयत्नपूर्वक ज्ञानार्जन करके शुद्धपाठी होना यहाँ द्वितीय जन्म का बोधक है जो द्विज पद का इष्टार्थ है।

वाणी की ठीक प्रकार से अभिव्यक्ति करना और विविध उपायों से वर्णोच्चारण में व्यक्ति की निष्ठा जाग्रत करना भी शिक्षा वेदाङ्ग का प्रसङ्ग प्राप्त कार्य दिखाई पड़ता है। इसीलिए वर्णोच्चारण के समय रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में विचार करते हुए महर्षि पाणिनि कहते हैं कि जिस प्रकार बाधिन अपने शावकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और उस समय वह इस विषय में सावधान रहती है कि उसके नुकीले दाँत उन शावकों के शरीर में चुभ न जाएँ और न ही वे शावक दाँतों से छूटकर गिरने जाएँ।

व्याघ्री यथा हरेत्पुत्रान् दंष्ट्राभ्यां न च पीडयेत् ।

भीता पतनभेदाभ्यां तद्वद्वर्णान्प्रयोजयेत्॥'

व्यक्तित्व विकास में भाषा कौशल महत्त्वपूर्ण होता है। अर्थात् शुद्ध उच्चारण व्यक्ति का व्यावहारिक और विशेष गुण होता है। महर्षि पाणिनि के मतानुसार व्यक्ति को इस प्रकार उच्चारण करना चाहिये कि उसका उच्चारण अव्यवस्थित प्रतीत न हो। वर्णोच्चारण की गति न तो शीघ्रतायुक्त हो और न ही अधिक विलम्बिता। अतः यह ध्यान रखा जाए कि उच्चारण में मधुरता, वर्णों की स्पष्टता, शब्दोच्चारण में यथोचित विराम हो और भावानुसार भाषा में स्वरो का आरोह, अवरोह बना रहना चाहिये।

माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः।

दैर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठका गुणाः॥'

शुद्ध उच्चारण करने वाले व्यक्ति के लिए लोक-सम्मान की बात करते हुए शिक्षाशास्त्री कहते हैं कि उचित प्रकार से वाक्प्रस्तुति से विद्वत्सभा तथा प्रबुद्धजनों में शुद्धभाषी विशिष्ट सम्मान प्राप्त करता है। महर्षि पाराशर अपनी वर्णस्फुटन विषयक मीमांसा में कहते हैं।

कश्चिच्छुद्धपाठी त्वतिप्रियः।'

शुद्ध पाठक विशेष प्रेमास्पद होता है। शिक्षा वेदाङ्ग के पारम्परिक आचार्यों के कथनों से यह प्रतीत होता है कि शब्द साधक व्यक्ति मनुष्य से देवत्व की यात्रा करता है। वैदिक प्रतिशाख्यों से लेकर निरुक्तकार यास्क तथा शिक्षा वेदाङ्ग के कई महनीय विचारकों के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि साधु उच्चारण अत्यन्त आवश्यक है।

प्रतिवर्णं मन्त्रत्वं प्रतिशब्दं ब्रह्मतां ददात्येव।

स बुधो यस्तज्ज्ञः सन् विबुधानां स्पर्धनीयः स्यात्॥'

इस प्रकार बीजमन्त्रों का उच्चारण हो या मूलमन्त्रों का अथवा जागतिक व्यवहार का उच्चारण हो सब जगह शुद्ध उच्चारण करना ही चाहिये, जिससे कि प्रत्यक्ष रूप से सम्मान लाभ तथा शारीरिक स्वास्थ्य लाभ लेते हुए व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक और आत्मिक शान्ति को प्राप्त कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पाणिनीयशिक्षा- 41, 42
2. पाणिनीयशिक्षा-31

3. वर्णरत्नप्रदीपिका- 9
4. पाराशरीशिक्षा- 113
5. पाणिनीयशिक्षा- 25
6. पाणिनीयशिक्षा- 33
7. पाराशरीशिक्षा-159
8. आवस्थ शिक्षासूत्र-2

आयुर्वेद : जैन आगम साहित्य के आईने में

डॉ. रूपेन्द्र मुनि अरोड़ा *

प्रस्तावना - जैन आगम साहित्य मूलतः धार्मिक एवं दर्शनशास्त्र विषयक ग्रंथ है, किंतु उनमें प्रसंगानुसार लगभग सभी विषयों का विवरण उपलब्ध है। प्रस्तुत आलेख में हम जैन आगम साहित्य में आयुर्वेद विषयक मिलने वाले विवरण को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं।

जैसा कि कहा जाता है कि आदि तीर्थंकर ऋषभदेव ने असि, मसि और कृषि की शिक्षा प्रदान की थी। इससे यह भी अभिप्राय निकाला जा सकता है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति भी उसी काल में हुई। वह आज तक उसी परम्परानुसार चली आ रही है। स्थानांगसूत्र में चिकित्सा के चार अंग इस प्रकार बताये गये हैं : (1) वैद्य (2) औषध (3) रोगी और (4) परिचारक या परिचर्या करने वाला। यही व्याधियों की उत्पत्ति के कारण भी बताये गये हैं, जो चार प्रकार हैं -

1. **वातिक** - वायु-विकार से उत्पन्न होने वाली व्याधि।
2. **पैतिक** - पित्त-विकार से उत्पन्न होने वाली व्याधि।
3. **श्लैष्मिक** - कफ-विकार से उत्पन्न होने वाली व्याधि।
4. **सान्निपातिक** - वात, पित्त और कफ के सम्मिलित विकार से उत्पन्न होने वाली व्याधि।

सम्पूर्ण आगम साहित्य के परिशीलन करने पर स्पष्ट होता है कि रोगोत्पत्ति के नौ कारण होते हैं जो इस प्रकार हैं (1) अति आहार, (2) अहिताशन, (3) अतिनिद्रा (4) अति जागरण, (5) मूत्रावरोध (6) मलावरोध, (7) प्रतिकूल भोजन, (8) अध्वगमन, (9) काम विकार।

मनुष्य यदि इन नौ कारणों से सदैव बचता रहे तो उसे रोग उत्पन्न होने का भय ही नहीं रहेगा। अर्थात् वह अस्वस्थ ही नहीं होगा। आचारांग सूत्र के एक विवरण से स्पष्ट होता है कि जैन आगम साहित्य में आयुर्वेद विषयक जो विवरण मिलता है, उसमें अहिंसा तत्त्व की प्रधानता है। ऐसा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि जैन धर्म अहिंसा प्रधान है, अहिंसा जैन धर्म का प्राण है, तो उसमें हिंसा को स्थान कैसे मिल सकता है। आचारांग सूत्र का उदाहरण कुछ इस प्रकार है - अपने को चिकित्सा पंडित बताते हुए कुछ वैद्य चिकित्सा में प्रवृत्त होते हैं। वे अनेक जीवों का हनन करते, भेदन, लुम्पन, विलुम्पन और प्राण-वध करते हैं। जो पहले किसी ने नहीं किया, ऐसा मैं करूँगा यह मानता हुआ वह जीव वध करता है। वह जिसकी चिकित्सा करता है, वह भी जीव वध में सहभागी होता है। इस प्रकार की हिंसा प्रधान चिकित्सा करने वाले अज्ञानी की संगति से क्या लाभ ? जो चिकित्सा करवाता है वह भी अज्ञानी है अनुसार ऐसी चिकित्सा नहीं करवाता। इस प्रकार यहाँ चिकित्सा में हिंसा का विरोध किया गया है।

जिस प्रकार वर्तमान में अलग अलग ग्रंथों के विशेषज्ञ डाक्टर होते हैं, उसी प्रकार आगम साहित्य में भी चार प्रकार के वैद्य या चिकित्सक बताये

गये - (1) आत्मचिकित्सक, न परचिकित्सक - इस प्रकार का वैद्य अपनी स्वयं की चिकित्सा करता है किन्तु दूसरे की चिकित्सा नहीं करता। (2) परचिकित्सक, न आत्म चिकित्सक - इस प्रकार का वैद्य दूसरों की चिकित्सा करता है किन्तु अपनी चिकित्सा नहीं करता। (3) आत्म चिकित्सक भी, परचिकित्सक भी - इस प्रकार का वैद्य अपनी भी चिकित्सा करता है, दूसरों की चिकित्सा भी करता (4) न आत्म चिकित्सक, न परचिकित्सक - इस प्रकार का वैद्य न स्वयं की चिकित्सा करता है और न दूसरों की चिकित्सा करता है।

आगम साहित्य में चिकित्सकों के भेद का यह विवरण रोग विशेषज्ञ के रूप में न होकर चिकित्सा करने के रूप में है। वर्तमान में रोग विशेषज्ञ के आधार पर भेद है। उन दिनों के वैद्य तो सभी प्रकार की बीमारियों की चिकित्सा करने में निष्णात होते थे।

स्थानांगसूत्र में कायनैपुणिक का उल्लेख मिलता है। यह शरीर की इडा, पिंगला आदि नाड़ियों का विशेषज्ञ होता था, जिसे हम वर्तमान में नाड़ी वैद्य के रूप में जानते हैं। एक अन्य चिकित्सा नैपुणिक का उल्लेख है, जो शारीरिक चिकित्सा करने में प्रवीण होता था।

आगम साहित्य में चिकित्साशाला (औषधालय) का उल्लेख मिलता है जिसमें वेतनभोगी वैद्य तथा अन्य कर्मचारी रोगियों की सेवा सुश्रुषा के लिए कार्यरत रहते थे। विवरण इस प्रकार मिलता है 'नन्दमणिकार सेठ ने पश्चिम दिशा के वनखण्ड में एक विशाल चिकित्साशाला बनवाई। वह भी अनेक सौ खम्भो वाली यावत् मनोहर थी। उस चिकित्साशाला में बहुत से वैद्य वैद्य-पुत्र, ज्ञायक (वैद्यशास्त्र न पढ़ने पर भी अनुभव के आधार पर चिकित्सा करने वाली अनुभवी), ज्ञायक-पुत्र, कुशल (अपने तर्क से ही चिकित्सा के ज्ञाता) और कुशल-पुत्र आजीविका, भोजन और वेतन पर नियुक्त किये हुए थे। वे बहुत से व्याधितो की, ग्लानों की, रोगियों की और दुर्बलों की चिकित्सा करते रहते थे। उस चिकित्साशाला में दूसरे भी बहुत से लोग आजीविका, भोजन और वेतन देकर रखे गये थे। वे उन व्याधितो, रोगियों, ग्लानो और दुर्बल की औषध, भेषज, भोजन और पानी से सेवा सुश्रुषा करते थे।'

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि उस समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विद्यमान थी और इससे व्यवस्थापक की उदार भावना का भी पता चलता है।

आगम साहित्य में आयुर्वेद के आठ प्रकारों का विवरण भी मिलता है, जो इस प्रकार है -

- (1) कुमार भृत्य या कौमारभृत्य - बालरोगों का चिकित्सा शास्त्र
- (2) काय चिकित्सा - शारीरिक रोगों का चिकित्सा शास्त्र
- (3) शालाक्य - शताका के द्वारा नाक, कान आदि के रोगों का चिकित्सा

शास्त्र

(4) शल्यहत्या या शाल्यहत्या- इसमें शल्य कण्टक, गोली आदि निकलने की विधि का वर्णन किया गया है। इसे शस्त्र द्वारा चीर-फाड़ करने का शास्त्र कहा है।

(5) जगोली या जांगुल- इसमें विषो की चिकित्सा का विधान है।

(16) भूत विद्या- भूत, प्रेत, यक्षादि से पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सा का शास्त्र।

(7) क्षारतंत्र या बाजीकरण- बाजीकरण, वीर्यवर्धक औषधियों का शास्त्र।

(8) रसायन- पारद आदि धातु-रसों आदि के द्वारा चिकित्सा का शास्त्र, अर्थात् आयु को स्थिर करने वाली व्याधि विनाशक औषधियों का विधान करने वाला प्रकरण विशेष।

विपाक सूत्र सूत्र में आयुर्वेद के आठ प्रकार बताकर आगे कहा गया है कि धन्वन्तरि वैद्य राजा तथा अन्य रोगियों को मांस भक्षण का उपदेश देता था, इस कारण (वह अपने पापकर्मों के कारण) काल करके छुट्टी नरक पृथ्वी में उत्कृष्ट बार्स सागरोपम की स्थिति वाले नारकियों में नारक रूप से उत्पन्न हुआ। इसका अभिप्राय यह है कि मांसभक्षण का उपदेश देने वाला नरक में जाता है, तो हिंसा कर मांस भक्षण करने वाली की स्थिति क्या होगी?

वर्तमान काल में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार आचारांगसूत्र में सोलह प्रकार के रोगों के नाम मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं -

(1) गण्डमाल, (2) कोढ़, (3) राजयक्ष्मा, (4) अपस्मार (मृगी), (5) काणत्व, (6) जड़ता (अंगोपांगों में शून्यता), (7) कुणित्तव (टूटापन, एक हाथ या पैर छोटा और बड़ा-विकलांग होना), (8) कुबड़ापन, (9) उदररोग (जलोदर, अफारा, उदरशूल आदि), (10) मूकरोग (गूंगापन), (11) शोथ रोग सूजन, (12) भस्मक रोग, (13) कम्पन वात, (14) पीठ सर्पी-पंगुता, (15) श्लीपद-रोग हाथी पगा और (16) मधुमेहा।

विपाकसूत्र में भी सोलह रोगों के नाम मिलते हैं, किन्तु वे उपर्युक्त नामों से भिन्न हैं। यथा-

(1) श्वास, (2) कास, (3) दाह, (4) कुक्षिशूल, (5) भगन्दर, (6) अर्श, (7) अजीर्ण, (8) दृष्टिशूल, (9) मस्तक शूल, (10) अरोचक, (11) अक्षिवेदना, (12) कर्ण वेदना, (13) खुजली, (14) जलोदर, (15) कोढ़ और (16) बवासीरा।

जाता धर्मकथाङ्ग में भी सोलह रोगों के नाम मिलते हैं। कुछ रोगों के नामों में अंतर परिलक्षित होता है -

(1) श्वास, (2) कास, (3) ज्वर, (4) दाह, (5) कुक्षिशूल, (6) भगन्दर, (7) अर्श, (8) अजीर्ण, (9) नेत्रशूल (10) मस्तक शूल (11) भोजन विषयक अरुचि, (12) नेत्र वेदना (13) कर्ण वेदना (14) कंडू (15) दकोदर जलोदर और (16) कोढ़।

बीमार लोगों की चिकित्सा के लिए चिकित्सा शाला (औषधालय) तो होती

ही थी फिर भी वैद्य अपने घरों से शास्त्र कोश लेकर निकलते थे और रोग का निदान जानकर अभ्यंग, उबटन, स्नेहपान, वमन विरेपन, अवदहन (गर्म लोहे की शलाका आदि से दागना), अवस्नान (औषधि के जल से स्नान) अनुवासना (गुदा द्वारा पेट में तैलादि प्रवेश कराना), अस्तिकर्म (वर्मवेष्टन द्वारा सिर आदि में तेल लगाना अथवा गुदाभाग में बत्ती आदि चढ़ाना), निरुह (एक प्रकार का विरेचन), शिरावेध (नाड़ी वेध कर रक्त निकालना), तक्षण (छुरे आदि से त्वचा आदि काटना), प्रतक्षण (त्वचा का थोड़ा भाग काटना), शिरोवस्ति (सिर में चर्मकोश बांधकर उसमें संस्कृत तेल का पूरना), तर्पण (शरीर में तेल लगाना), पुटपाक (पाक) विशेष में तैयार की हुई औषधि तथा छाल, बल्ली, मूल, कंद, पत्र, पुष्प फल, बीज, शिलिका (चिरायता आदि कड़वी औषधि), गुटिका औषधि आदि से उपचार करते थे।

इस प्रकार की चिकित्सा करने वालों को हम चलित चिकित्सक, चलते-फिरते चिकित्सक कह सकते हैं। वर्तमान समय में भी कभी कभी इसी प्रकार के चिकित्सक घुमते हुए और आवाज लगाकर चिकित्सा करने की बात करते देखे जा सकते हैं, जो कान का मैल निकालने, एक्झिमा ठीक करने, जोड़ों का दर्द ठीक करने आदि की बात करते रहते हैं।

उपर्युक्त विवरण को देखने से ज्ञात होता है कि कुछ ही आगम ग्रंथों से आयुर्वेद विषयक इतनी महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है, तो समग्र आगम साहित्य और उनके व्याख्या साहित्य का अनुशीलन परिशीलन करने से और भी महत्त्व की जानकारी मिल सकती है। यदि इस विषय में रुचि रखने वाले विद्वान प्रयास करें तो एक अच्छी पुस्तक तैयार हो सकती है। फिर कालान्तर में अनेक जैनाचार्यों और जैन मुनियों ने आयुर्वेद विषयक विपुल साहित्य की संरचना की है। यदि उसको भी इसके साथ जोड़ लिया जावे तो अनेक असाध्य रोगों की औषधियों का ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, जिससे व्याधिग्रस्त व्यक्तियों का उपचार किया जा सकता है। विश्वास है विषय विशेषज्ञ इस दिशा में आवश्यक प्रयास करेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्थानांग सूत्र, 4/4/516
2. वही, 4/4/515
3. आचारांग सूत्र, 2/6/94
4. स्थानांग सूत्र, 4/4/517
5. वही, 5/28
6. ज्ञाताधर्म कथसंग 13/17
7. (अ) स्थानांग सूत्र /26 (ब) विपाक सू. 1/7/8
8. विपाक सूत्र, 1/7/9-10
9. प्रथम श्रुत स्कंध 8/1/179
10. विपाक सूत्र, 1/22
11. ज्ञाताधर्म कथांग, 13/21
12. (अ) वही, 13/22 (ब) विपाक सूत्र 1/23

रहस्यरामायण की सोमनाथव्यासकृत रहस्यदीपिकाटीका

श्रीमती प्रतीक्षा *

प्रस्तावना - 'चरितंरघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्' भारतीय सनातन परम्परा में श्रीराम मानव जीवन के आदर्श के रूप में सर्वमान्य और सुप्रतिष्ठित हैं। इसीलिये श्रीराम के चरित्र को आधार बना कर रामकथा सम्बद्ध अनेक ग्रन्थों की रचना हुई है। रहस्यरामायण भी इसी रामकथाख्यान परम्परा का अन्यतम ग्रन्थ है। तारकसंहितान्तर्गत इस रहस्यरामायण में लोकश्रुत रामकथाओं का समावेश अधिक है।¹

रामकथा विषयक ग्रन्थों की टीका सम्पदा भी विपुलमात्रा में उपलब्ध होती है। प्रायः प्राचीन और अर्वाचीन आचार्यों द्वारा रामकथा सम्बद्ध ग्रन्थों पर टीका लिखना भी श्रीराम में अपनी श्रद्धा प्रकट करना एवं पुण्य प्राप्ति का कार्य माना गया है।

इसी तारतम्य में रहस्यरामायण पर उन्नीसवीं सदी में एक 'रहस्यदीपिका' नामक टीका आचार्य सोमनाथव्यास द्वारा लिखी गई है। रहस्यदीपिकाटीका का आचार्यसोमनाथव्यास अपनी परम्परा के श्रेष्ठ विद्वान् थे। इनके पिता ओङ्कारनाथव्यास भी विविध शास्त्रवेत्ता थे। इनके साहित्य लेखन के उपलब्ध प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि ये सन्यासी थे। इनके पिता श्रीमान् ओङ्कारनाथ भी विद्वान् सन्यासी थे। दशनामी सन्यासियों में विद्वान् सन्यासियों की एक सम्मानित परम्परा में इनका नाम प्रतिष्ठित है।

आचार्यसोमनाथव्यास सन्यासाश्रम में जाकर ब्रह्मतारकतीर्थ नाम से विख्यात हुए। इनकी विविध रचनाओं में कई रचनाएँ सन्यासाश्रम के पूर्व में लिखित हैं, और ऐसी भी रचनाएँ प्राप्त होती हैं जहाँ मूलग्रन्थों में आचार्यसोमनाथव्यास लिखा होता है और टीका में ब्रह्मतारकतीर्थयति लिखा होता है। इस बात का सङ्केत इन्होंने सत्कथामृतसागर नामक ग्रन्थ के आरम्भ में दिया है-

पूर्वाश्रमेसम्प्रीणितं सत्कथामृतसागरम् ।

अविस्तरं विवृणुतेपरिव्राड्ब्रह्मतारकः॥²

आचार्यसोमनाथव्यास महर्षिपतञ्जलि के शब्द अनुशासन के अनुसार रहस्यदीपिका टीका ग्रन्थ का मङ्गलाचरण विधान करते हैं-

सतांविघ्नविधातायसामयोनिमुखोऽभवन्।

गौरीशङ्करशन्दो नः शं देयाच्छ्रीविनायकः ॥³

इस मङ्गलाचरण में ग्रन्थ की निर्विघ्न परिसमाप्ति हेतु भगवान् गणेश की स्तुति करते हैं।

इस रहस्यदीपिका टीका के बारे में इन्होंने लिखा है कि यह रहस्यदीपिका हनुमान्जी की कृपा से प्राप्त की थी। इसी बात की प्रतिपुष्टि हमें इस रहस्यदीपिका के आदिमङ्गल में ही मिल जाती है-

रामायणसुधासिन्धुर्महामीनो मरुत्सुतः।

श्रीरामात्मानन्तशक्तिः श्रीगुरुर्नः प्रसीदताम् ॥⁴

इस मङ्गल पद्य में आचार्यसोमनाथव्यास ने भगवान् हनुमान् जी को अपना गुरु बताया है।

भगवान् श्रीराम के गुण सङ्कीर्तन के लिये किसी भाषा का बन्धन नहीं होता है, क्योंकि उस अखिल ब्रह्माण्ड नायक में भक्ति और विरक्ति हो। यही रामनाम गुण कीर्तन का उद्देश्य होता है। इस बात का सङ्केत करने वाला यह एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो संस्कृत के ग्रन्थ में उपलब्ध होता है और टीकाकार भी इसका समर्थन करते हैं-

**ज्ञानं विरक्तिरखिलेशपदाब्जभक्तीरामश्रवः श्रवणमात्रफलानिपुंसाम् ।
वाचासुरासुरनरोदितयाकयाचित्गीतं यशोरघुपतेः सकलेष्टदायि ॥⁵**

रहस्यरामायण की रहस्य दीपिका में विविध शास्त्रीय सिद्धान्तों का विमर्श भी किया गया है। रहस्यरामायण की इस रहस्यदीपिका टीका में श्रीराम की जन्मतिथि के निर्धारण विषयक ज्योतिःशास्त्र सम्बद्ध विमर्श अवलोकनीय है-

अयनांशवशादासीन्मेषादिगणनातदा।

रेवत्यादिस्तदा मध्यन्दिनेसर्वसुखावहे।⁶

इस प्रकार रहस्यदीपिका टीका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आचार्य सोमनाथव्यास भी निष्णात ज्योतिषज्ञ थे।

न केवल शास्त्रीय सिद्धान्तों का ही विमर्श, अपितु लोकसंस्कृति के परिचायक विचार भी इस टीका में मिलते हैं, जैसे-

श्रेष्ठमत्यागुरुपण्डितडिम्भाः सङ्गता सहविजहुरदम्भाः।

क्रीडनोपकरणप्रकारांस्तानकिङ्करात्मजगणाः उपनिन्युः॥⁷

इस पद्य में धनिकों, मन्त्रियों, गुरुओं और विद्वानों के बच्चे बालकराम के साथ क्रीडाङ्गण में निरहङ्कार भाव से विविध क्रीडा करते हैं।

आचार्यसोमनाथ व्यास अपनी रचनासम्पत्ति की विशालता के कारण उन्नीसवीं सदी के महनीय आचार्य माने गए हैं। संस्कृत वाङ्मय की सभी विधाओं पर आचार्यसोमनाथ व्यास की रचना कृतियाँ प्राप्त होती हैं।

रहस्य रामायण की अपनी 'रहस्यदीपिका' टीका में आचार्यसोमनाथ व्यास ने रहस्यरामायण में प्रतिपादित श्रीराम की अद्वैत परब्रह्मता की प्रतिष्ठापना के परिपोषण से सम्बद्ध विमर्श प्रस्तुत करने हेतु विविध वेद वेदाङ्ग-उपनिषद्ग्रन्थों के मत प्रस्तुत किये हैं।

इस रहस्यदीपिका टीका के अधोलिखित मङ्गलाचरण से यही ज्ञात होता है, जैसे-

**शक्तिर्यस्य यदात्मिकाऽमितमहाशक्तिप्रसूतिक्षितिर्यद्भासैवविभाति
विश्वमखिलं ज्ञानं यदेवाद्भ्यम् ।**

**चेतोवागगमः मस्तनिगमैर्गम्यः स्वभक्त्यासतांसाकारोऽपिनिराकृतिः
स भगवान् रामोऽस्तु नः श्रेयसे॥⁸**

* शोधार्थिनी, अध्यापन विभाग, महर्षिपाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जयिनी (म.प्र.) भारत

इस टीका में मङ्गलाचरण का निबन्धन करते हुए टीकाकार ने भगवान् पतञ्जलि द्वारा निर्दिष्ट अनुशासन का पारिपालन भी किया है। रहस्यदीपिकाकार आचार्यसोमनाथ व्यास ने श्रीराम की अद्वैत परब्रह्मरूप की स्थापना के समर्थन में अनेक उद्धरण दिये हैं, जिन कोटी का ग्रन्थ में हम देख सकते हैं, जैसे-

**चिदानन्देतिचिदितिचेतनाविशिष्टं ज्ञानम्। आनन्दआह्लादिनी
शक्तिःविशिष्टस्य सत्यस्याप्युपलक्षणम्, सत्यं ज्ञानमनन्तम्प्रज्ञा
नमानन्दं ब्रह्मेत्यादिश्रुतेः।**

**शक्तिर्विशिष्टतोक्ता। श्रीविष्णुपुराणे - ह्लादिनीसन्धिनीसंवित्त्वय्येका
सर्वसंस्थितौ। ह्लादतापकरीमिश्रात्वयिनोगुणवर्जितइति॥**

इस टीका के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि पदे-पदे श्रीराम को अद्वैत परब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित, विमृष्ट किया गया है।

रामजन्म के प्रसङ्ग पर रहस्यरामायण में वसिष्ठ द्वारा राम शब्द की व्याख्या में कहा जाता है।

**ज्योतिः परंब्रह्महिरेफलक्षितमाकारआनन्त्यगुणैरयमस्य चा
मकारमानन्दमकारईश्वरं तं रामनामानमथादिमं व्यधात् ॥9**

इस पद्य की टीका में विमर्श करते हुए राम शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में सोमनाथ व्यास लिखते हैं-

रेफस्य तेजोबीजत्वापरंब्रह्मज्योतिर्लक्षयति।

आकारआनन्त्यवाचिकत्वादस्य श्रीभगवतो गुणाना-

मैश्वर्यस्य चानन्त्यमाहमकारमानन्दं विदुरितिशेषः।¹⁰

आचार्य सोमनाथ व्यास श्रीहनुमानजी को अपना गुरु मानते हैं और अपनी रहस्यदीपिका टीका को उनका प्रसाद मानते हुए कहते हैं-

अनेनतुष्यतां देवः पावनिः श्रीगुरुर्मम ।

तदधीनमतेरत्र प्रयत्नः कोमतेर्मम ॥¹¹

इस प्रकार टीका के अन्त में पुष्पिकोल्लेख करते हुए कहते हैं-

पर्याप्ताचेयं रहस्यदीपिकाख्या रहस्यरामायणवृत्तिः।

संवत् 1929 तारकनामवतसरेचैत्रमासे शुक्लपक्षेतिथौ 13

रविवासरेलेखोऽयं ब्रह्मतारकयतेः।

श्रीसीतारामपदाब्जयोरर्पितः। श्रीहनुमते गुरवे नमः। शुभं भूयात्।¹²

इस रहस्य दीपिका टीका के माध्यम से हम रामकथा से जुड़ी लोकश्रुतियों और कई अज्ञातकथाओं को जानकर उस अद्वैतपरब्रह्म का अनुसंधान कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रहस्यदीपिकाटीका- 1.1.4
2. सत्कथामृतसागर-2
3. रहस्यदीपिकाटीका- 1.1.1
4. रहस्यदीपिकाटीका- 1.1.2
5. रहस्यरामायण- 1.2.40
6. रहस्यरामायण- 1.5.40
7. रहस्यरामायण- 1.7.7
8. रहस्यरामायण- 1.1.3
9. रहस्यरामायण- 1.5.61
10. पद्यटीका, रहस्यरामायण- 1.5.40
11. रहस्यरामायण- 7.7.3
12. रहस्यदीपिकापुष्पिका

भारत में उच्च शिक्षा का ऐतिहासिक विकास

डॉ. अनिल तौहेल*

प्रस्तावना - वैश्वीकरण के दौर में शैक्षणिक परिवेश में हुए परिवर्तनों ने उच्च शिक्षा के उद्देश्य को काफी विस्तृत कर दिया है। अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं अपितु विद्यार्थियों में विभिन्न पहलुओं के गुणों का संचार करना भी होना चाहिये। विद्यार्थियों में लेखन क्षमता के साथ संवाद कौशल की क्षमता, संगठन क्षमता, नेतृत्व क्षमता, समस्याओं को पहचानने, समझने व निराकरण करने की क्षमता होना चाहिये तभी वे शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त अपने व्यक्तित्व के बलबूते पर रोजगार प्राप्त करके अथवा स्वरोजगार स्थापित करके अपना व अच्छी निष्पादन क्षमता के आधार पर समाज का भला करके जिम्मेदार व योग्य नागरिक के दायित्वों को पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे।

शिक्षा के आदान-प्रदान की प्रक्रिया अतीत काल से चली आ रही है, मानव कुछ पाष्विक प्रवृत्तियाँ लेकर असहाय रूप में इस संसार में प्रवेश करता है शिक्षा द्वारा उसकी जन्मजात पाष्विक प्रवृत्तियों का शोधन तथा मार्गान्तरिकरण होता है। जिसके परिणाम स्वरूप वह समाजिक प्राणी बनता है। इस प्रकार शिक्षा मानव विकास के लिए परम् आवश्यक है।

शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परिवर्तन आ जाते हैं कि वह अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न लगता है। वास्तव में शिक्षा के अभाव में मानव की प्रगति बेमानी हो जाती है। और उसमें तथा अन्य प्राणियों में बहुत थोड़ा अंतर रह जाता है। इस कारण ही शिक्षा को मानव के लिये आवश्यक ही नहीं वरन् उसके जीवन की आधारशिला माना जाता है।

01. **कॉलेजों का युग** - यह युग 1757 से 1857 तक माना गया है, इस काल में कॉलेज शिक्षा के लिये सर्वप्रथम कदम वारेन हेस्टिंग्स ने उठाया। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता मद्रस की नींव डाली। इसके पश्चात् 1857 तक सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत में 27 कॉलेजों की स्थापना हुई।

02. **प्रथम विश्वविद्यालयों का युग** - यह युग 1857 से 1917 तक माना गया है इस काल में केवल 5 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई इनमें से तीन विश्वविद्यालय 1857 में कलकत्ता, चेन्नई, मुम्बई में स्थापित किये गये।

03. **नवीन विश्वविद्यालयों का युग** - यह काल 1917 से 1947 तक माना गया है। 1913 के प्रस्ताव में घोषित किया गया कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो इसके बाद 1916-17 में तीन विश्वविद्यालयों - मैसूर, बनारस, हिन्दु विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके बाद उस्मानिया विश्वविद्यालय, ढाका विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नागपुर, आंध्रा, आगरा, अन्नामलाई, ट्रावनकोर, उत्कल, सागर तथा राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।

04. **स्वतंत्रता काल** - 1947 से 1989 तक विश्वविद्यालयों की संख्या

में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। इस समय भारत में 108 विश्वविद्यालय तथा 10 ऐसी संस्थाएँ रही जिन्हे विश्वविद्यालय माना जाता है।

05. **विभिन्न आयोगों का गठन तथा विश्वविद्यालय आयोग** - लार्ड कर्जन ने यह आवश्यक समझा कि विश्वविद्यालय के गिरते हुए स्तर को उंचा उठाने के लिए पहले भारतीय विश्वविद्यालय की जांच भली प्रकार की जाए। अतः 27 जनवरी 1902 को प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की तथा उसी वर्ष जून में आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई। 21 मार्च 1904 ईस्वी को विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में विश्वविद्यालयों के संगठन कार्यक्षेत्र अधिकार तथा क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किये गये। सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए 14 सितम्बर 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय की नियुक्ति की। 4 नवम्बर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। इसे आयोग में 10 सदस्य जिनमें डॉ. एस. राधाकृष्णन अध्यक्ष थे, इसी कारण इस आयोग का नाम राधाकृष्णन आयोग पड़ा। राधा कृष्णन और मदालियर कमीशन की रिपोर्ट के कुछ समय पश्चात् ही 1984 में कोठारी कमीशन की नियुक्ति की गई।

06. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986** - इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था।

इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' लान्च किया

इस नीति में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ 'ओपन यूनिवर्सिटी' प्रणाली का विस्तार किया।

ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित 'ग्रामीण विश्वविद्यालय' मॉडल के निर्माण के लिये नीति का आन्वहान किया गया।

07. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP)** - टी.एस.आर. सुब्रमण्यम ने नई शिक्षा नीति पर मई 2016 में अपनी रिपोर्ट सौपी थी इसके बाद कस्तूरीरंगन ले 31 मई 2018 में इसे लेकर रिपोर्ट जमा की नई शिक्षा नीति की बुनियाद इन दोनों रिपोर्ट पर खड़ी हुई। कस्तूरीरंगन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष रहे हैं।

केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। साथ ही 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' किया गया है। जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुझाव के रास्ते खुल गये हैं। यह 21 वीं सदी की पहली

शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। सबके लिये आसान पहुँच, इच्छिणी, गुणवत्ता, वहनीयता और जबावदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21 वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक सचय, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 की कुछ प्रमुख बातें— उच्च शिक्षा से जुड़े प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50 फीसदी ग्रास एनरोलमेंट रेशियो (GER) का लक्ष्य और मल्टीपल एंट्री/एग्जिट का प्रावधान शामिल है। इसका मतलब यह है कि 2035 तक हर दूसरा व्यक्ति उच्च शिक्षा हासिल करे। मल्टीपल एंट्री/एग्जिट के तहत अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 3 या 4 साल का हो सकता है पी.जी. प्रोग्राम के लिए यह अवधि एक या दो साल है। इंटीग्रेटेड बैचलर्स/मास्टर्स 5 साल का होगा। एम. फिल. डिस्कन्टीन्यू किया जाएगा। बजाए इसके मास्टर के बाद सीधे पी.एच.डी. में दाखिला लिया जा सकेगा।

अभी यू. जी. सी., ए.आई.सी.टी.ई समेत उच्च शिक्षा क्षेत्र में कई रेग्युलेटर हैं, सरकार इनकी जगह सिर्फ एक रेग्युलेटर बनाएगी। इसमें अप्रव

और आर्थिक मंजूरीयों के लिये अलग-अलग वर्टिकल होंगे यह नियामक 'आनलाइन सेल्फ डिसक्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम' पर काम करेगा।

सरकार 15 साल में एफलिएशन (मान्यता) का सिस्टम पूरी तरह खत्म कर देगी। अभी जी.डी.पी. का 4.43 फीसदी शिक्षा पर खर्च होता है सरकार ने इसे बढ़ाकर 6 फीसदी करने का फैसला किया है।

सरकार अमेरिका की एन.एस.एफ (नेशनल साइंस फाउण्डेशन) की तर्ज पर एन.आर.एफ (नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन) बनाएगी यह फाउण्डेशन शिक्षा के साथ रिसर्च में आगे आने में मदद करेगा।

34 वर्षों के पश्चात् आई इस शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्री-डी मशीन, डेटा-विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेश से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www.economicstimes.com
2. drishtias.com
3. www.wikipedia.org
4. www.livehindustan.com

शस्य गहनता एवं शस्य संयोजन : जिला नरसिंहपुर का भौगोलिक अध्ययन

कु. मिताली पॉल*

प्रस्तावना - प्रस्तुत शोध प्रपत्र में नरसिंहपुर जिले में कृषि गहनता एवं शस्य संयोजन का अध्ययन किया गया है, अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। शस्य गहनता से तात्पर्य किसी निश्चित कृषि क्षेत्र पर एक वर्ष में कितनी बार फसलें उत्पन्न की जा रही हैं, फसलों की यही आवृत्ति उस क्षेत्र की शस्य गहनता कहलाती है, फसल गहनता मृदा उत्पादन क्षमता, सिंचाई तथा तकनीकी विकास आदि पर निर्भर करती है। शस्य गहनता पर सामाजिक-आर्थिक कारकों का सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। शस्य संयोजन के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख फसलों का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में शस्य संयोजन का अध्ययन करना भूमि उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है। पूर्व में फसलों के महत्व के आधार पर स्वेच्छा से वर्गीकरण कर लिया जाता था जो कि पूर्ण रूप से सही नहीं होता था इसलिए वर्तमान में कुछ चरों को आधार मानकर शस्य संयोजन का अध्ययन किया जाने लगा।

उद्देश्य - शोध प्रपत्र का प्रमुख उद्देश्य नरसिंहपुर जिले में शस्य गहनता की स्थिति एवं शस्य संयोजन का अध्ययन करना।

विधितंत्र - शोध प्रपत्र हेतु नरसिंहपुर जिले के 6 विकासखंडों को अध्ययन का आधार माना गया है। अध्ययन वर्ष 2014-15 तथा 2018-19 के द्वितीयक तथा क्षेत्रीय सर्वेक्षण के प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। शस्य (कृषि) गहनता मापन हेतु सिंह बी.बी. (1979) की विधि का प्रयोग किया गया तथा शस्य संयोजन के अध्ययन हेतु बीबर 1954) तथा किकू काजू दोई की विधियों का प्रयोग किया गया।

अध्ययन क्षेत्र - नरसिंहपुर जिला मध्यप्रदेश के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। जिले की उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत कगार व दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। जिले का भौगोलिक विस्तार 22°45' उत्तरी अक्षांश से 23°15' उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा देशांतर विस्तार 78°38' पूर्वी देशांतर से 79°38' पूर्वी देशांतर के मध्य है जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5133 वर्ग कि.मी. तथा समुद्रतल से ऊँचाई 380 मीटर नदी के अपवाह तंत्र में आता है जिले में अधिकांशतः दोमट मिट्टी पायी जाती है।

शस्य गहनता - शस्य गहनता से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में फसलों की पुनरावृत्ति से है। किसी क्षेत्र विशेष में फसलों को वर्ष में कितनी बार उत्पादित किया जाता है, फसलों की यही आवृत्ति फसल गहनता कहलाती है। अधिक शस्य गहनता मूल्य उस क्षेत्र विशेष के अधिक कृषि भूमि उपयोग क्षमता को प्रदर्शित करता है तथा न्यून शस्य गहनता मूल्य कम कृषि भूमि उपयोग क्षमता को प्रदर्शित करता है। शस्य गहनता, प्राकृतिक तथा आर्थिक दशाओं से प्रभावित होती है, अधिक उत्पादन क्षमता वाली भूमि का दोहन जितना

अधिक होता है, उसके फलस्वरूप शनैः-शनैः भूमि की क्षमता क्षीण होने लगती है। अतः भूमि क्षमता को बनाये रखने के लिए सिंचाई, उर्वरकों, उन्नतबीज तथा आधुनिक कृषि तकनीकों का नियमित प्रयोग आवश्यक है।

शस्य गहनता के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं, जो मुख्यतः गहनता के क्षेत्रीय वितरण से सम्बंधित हैं।

(1). जसबीर सिंह (1794), ने शस्य गहनता के स्थान पर भूमि उपयोग क्षमता शब्द का प्रयोग किया, इनका कहना था कि जिस भूमि की क्षमता अधिक होगी फसल आवृत्ति भी अधिक होगी, अतः भूमि क्षमता एवं शस्य गहनता एक दूसरे के पूरक हैं।

(2). सिंह, बी.बी. (1979) ने शस्य गहनता के आंकलन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया है :-

$$\text{शस्य गहनता} - \frac{\text{कुल फसल क्षेत्र}}{\text{शुद्ध बोया गया क्षेत्र}} \times 100$$

तालिका - 01 : नरसिंहपुर जिले का शस्य गहनता सूचकांक वर्ष 2014-15

क्र.	विकासखण्ड	सूचकांक
1	नरसिंहपुर	156
2	करेली	150
3	गोटेगांव	158
4	चांवरपाठा	144
5	साईखेड़ा	147
6	बाबई चीचली	149

स्रोत-व्यक्तिगत गणना पर आधारित।

नरसिंहपुर जिले के विभिन्न विकासखण्डों के शस्य गहनता सूचकांक आंकलन सिंह, बीबी (1979) द्वारा प्रतिपादित सूत्र द्वारा किया गया। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक शस्य गहनता सूचकांक (158) गोटेगांव विकासखण्ड में तथा न्यूनतम 144 चांवरपाठा विकासखण्ड में पाया गया।

तालिका - 02 : नरसिंहपुर जिले का शस्य गहनता स्तर वर्ष 2014-15

क्र.	शस्य गहनता स्तर	शस्य गहनता सूचकांक	विकासखण्ड के नाम
1	उच्च	155 से अधिक	गोटेगांव, नरसिंहपुर
2	मध्यम	155-145	करेली, बाबई चीचली
3	निम्न	145 से कम	चांवरपाठा
	औसत	150.66	

स्रोत- व्यक्तिगत गणना पर आधारित।

1. उच्च गहनता -अध्ययन क्षेत्र में शस्य गहनता सूचकांक का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि जिले के दो विकासखण्डों गोटेगांव व नरसिंहपुर में उच्च शस्य गहनता पायी गई, इसका प्रमुख कारण सिंचाई की उचित सुविधाओं का विकास के फलस्वरूप द्विफसली क्षेत्र में हुए विस्तार तथा उपजाऊ मृदा व आधुनिक कृषि तकनीकों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है।

2. मध्यम गहनता -उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जिले के 3 विकासखण्ड करेली (150) बाबईचीचली (149) तथा सांईखेड़ा (147) में मध्यम शस्य गहनता देखी गई है। इन क्षेत्रों में भी द्विफसली कृषि क्षेत्र में विस्तार, सिंचाई के साधनों का विकास, उन्नत बीजों व उर्वरकों का प्रयोग तथा तकनीकी विकास की स्थिति संतोषजनक है।

3. न्यूनतम गहनता -अध्ययन क्षेत्र में चांवरपाठा विकासखण्ड में न्यूनतम शस्य गहनता (144) देखी गई जो कि जिले के औसत शस्य गहनता सूचकांक (150.6) से बहुत अधिक कम है यह चिंताजनक है।

तालिका - 03 (अगले पृष्ठ पर देखें)

तालिका 3 से स्पष्ट है कि एक फसल लेने वाले कृषकों की न्यूनतम संख्या सांईखेड़ा विकासखण्ड में मात्र 08% रही तथा सर्वाधिक चांवरपाठा व बाबईचीचली में (33%) रही। दो या दो से अधिक फसल लेने वाले सर्वाधिक कृषक सांईखेड़ा विकासखंड में (92.6%) तथा न्यूनतम चांवरपाठा एवं बाबईचीचली (67%) विकासखण्ड में पायी गई।

शस्य संयोजन - किसी क्षेत्र में उत्पादन की जाने वाली सभी फसलों का अध्ययन शस्य संयोजन के माध्यम से किया जाता है, शायद ही किसी क्षेत्र में एक अकेली फसल का उत्पादन किया जाता होगा अपितु एक या दो विशिष्ट तथा कुछ गौण फसलों का उत्पादन किया जाता होगा। एक फसल का इतना अधिक महत्व नहीं होता जितना एक साथ उत्पन्न होने वाली फसलों के संयोजन का होता है। प्रायः देखा जाता है कि यदि किसी क्षेत्र में वाणिज्यिक फसलें प्रथम वरीयता में उत्पन्न होती हैं तो उनके साथ कुछ खाद्यान्न दलहन-तिलहन या सब्जियां आदि भी अवश्य उत्पादित की जाती हैं, इस प्रकार यदि किसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न की जाने वाली मुख्य फसलों के समूह को शस्य संयोजन कहा जाता है।

वर्तमान में शस्य संयोजन का अध्ययन करना कृषि भूगोलवेत्ताओं के लिए आवश्यक हो गया है, इस दृष्टि से सर्वप्रथम जॉन बीजर (1954) ने शस्य संयोजन का गणितीय मॉडल बनाया तथा मानक विचलन के आधार पर फसल संयोजन सूत्र प्रतिपादित किया :-

$$\alpha^2 - \frac{\sum d^2}{n}$$

यहां का अर्थ सैद्धांतिक व वास्तविक फसलों का अंतर व n का अर्थ शस्य संयोजन फसलों की संख्या से है। दोई महोदय ने भी सैद्धांतिक एवं वास्तविक प्रतिशतों का अंतर बीवर की ही तरह ज्ञात किया तथा अंतरों के वर्ग के योग अर्थात् $\sum d^2$ को ही शस्य संयोजन का आधार माना है।

2014-15 की प्रमुख फसलें- गेहूं (20.9%), चना (18.11%), सोयाबीन (68.20%), गन्ना (13.03%), अरहर (9.6%), धान (7.42%), मसूर (7.29%), उड़द (3.24%)।

2018-19 की प्रमुख फसलें- गेहूं (25.3%), चना (15.6%), गन्ना (13.1%), धान (10.8%), उड़द (9.8%), अरहर (7.8%), सोयाबीन

(5.0%) तथा मसूर (4.6%)।

अध्ययन क्षेत्र का शस्य संयोजन ज्ञात करने हेतु बीवर तथा दोई की विधियों का प्रयोग कर तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया।

तालिका - 04 : नरसिंहपुर जिले का शस्य संयोजन

फसल संयोजन	वर्ष 2014-15		वर्ष 2018-19	
	बीवर	दोई	बीवर	दोई
एक फसल	6244.1	6244.1	5580	5580
दो फसल	929.5	1859.12	896	1793.3
तीन फसल	238.42	715.26	261.7	785.2
चार फसल	76.42	305.71	107.9	431.6
पाँच फसल	37.13	185.67	56.7	283.5
छः फसल	28.30	169.84	41.0	246.2
सात फसल	25.4	178.19	40.4	282.8
आठ फसल	32.03	256.28	40.6	324.5

स्रोत :- स्वगणना पर आधारित।

प्रदर्शित आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014-15 में बीवर तथा दोई दोनों की ही विधियों से न्यूनतम प्रसरण मूल्य 7 फसलों में क्रमशः 25.4 तथा 178.19 रहा। अतः जिले में 7 फसलों का शस्य संयोजन पाया गया परन्तु आंकड़ों के अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि 4 फसलों के बाद शस्य संयोजन प्रसरण में तीव्र कमी तथा निरंतरता रही, अतः कहा जा सकता है कि जिले में 4 प्रमुख फसलें गेहूं, चना, सोयाबीन तथा गन्ना है तथा अन्य सभी गौण फसलें हैं। वर्ष 2018-19 में बीवर विधि से शस्य संयोजन का न्यूनतम प्रसरण मूल्य 7 फसलों में 40.4 तथा दोई की विधि द्वारा न्यूनतम मूल्य 6 फसलों का 246.2 रहा अतः बीवर विधि के अनुसार वर्ष 2018-19 में 7 फसलों तथा दोई के अनुसार 6 फसलों का शस्य संयोजन है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि जिले में मुख्य फसलों के क्रम व उनके क्षेत्रफल के प्रतिशत में भी विगत 4 वर्षों में परिवर्तन आया है।

निष्कर्ष - अध्ययन क्षेत्र में शस्य गहनता सूचकांक का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि नरसिंहपुर तथा गोटेगांव विकासखण्ड में 155 से भी अधिक शस्य गहनता पायी गयी तथा जिले की औसत कृषि गहनता भी बहुत अच्छी है, जिसका प्रमुख कारण अध्ययन क्षेत्र में आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग विगत दो दशकों में तीव्र गति से बढ़ा है, जिसके फलस्वरूप दो फसलों के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई है, साथ ही कुछ क्षेत्रों में मुख्य दो फसलों के साथ अंतर्वर्ती फसलें भी ली जा रही हैं, जैसे- गन्ने के साथ आलू, प्याज व लहसुन, सोयाबीन के साथ ज्वार, अरहर के साथ मूंग तथा गेहूं के साथ मसूर आदि का उत्पादन किया जा रहा है। प्राथमिक आंकड़ों के अध्ययन से भी स्पष्ट हो रहा है कि अध्ययन क्षेत्र में दो तथा दो से अधिक फसलों के उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। जिले के शस्य संयोजन में भी परिवर्तन हो रहा है, तथा गेहूं, चना तथा धान के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, नरसिंहपुर समीक्षा रिपोर्ट 2020।
2. Weaver, J.C. (1954), "Crop combination Regions in the middle West", Geographical Review, Vol. XLIV. pp 175-200.
3. हारून, मोहम्मद (2001), 'शस्य गहनता एवं कृषि दक्षता : बहराइच जनपद का एक प्रतीक अध्ययन', उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक

- 37, जून-दिसम्बर, पृ. 91-97.
4. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका वर्ष 2014-15।

5. तिवारी, आर.सी. एवं सिंह बी.एन (2015), 'कृषि भूगोल', प्रवालिका पब्लिकेशन, इलाहाबाद।

तालिका - 03 : नरसिंहपुर जिले में फसल उत्पादन आवृत्ति वर्ष 2017-18

क्र.	विकासखण्ड	कुल उत्तरदाता	एक फसल उत्पादन (%)	द्विफसल उत्पादन (%)	दो से अधिक फसल उत्पादन (%)	योग दो या दो से अधिक फसल लेने वाले कृषक (%)
1	नरसिंहपुर	24	16	42	42	84
2	करेली	24	25	25	50	75
3	गोटेगांव	24	16	67	16	83
4	चांवरपाठा	24	33	42	25	67
5	सांईखेड़ा	24	08	67	25	92
6	बाबई चीचली	24	33.3	50	16.7	67

स्रोत :- क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित

सुकन्या समृद्धि खाता योजना – निवेश का एक बेहतर विकल्प

कु. दीपिका यादव* डॉ. विजय ग्रेवाल**

प्रस्तावना – हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी आय वर्ग से संबंधित हो, कोई न कोई आर्थिक कार्य अवश्य करता है, ताकि प्राप्त प्रतिफल से वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उसका कुछ भाग बचाकर अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सके। वर्तमान में अपनी बचत को कहीं न कहीं निवेश करना सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है, जिसका प्रमुख उद्देश्य बचत की सुरक्षा के साथ-साथ ब्याज या लाभांश के रूप में अतिरिक्त आय को प्राप्त करना भी होता है, किन्तु इन बचतों एवं अतिरिक्त आयों पर विनियोगकर्ता को कर चुकाना पड़ता है। जो कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं चुकाना चाहता। अतः विनियोगकर्ता अपनी बचत को ऐसी बचत योजना में विनियोजित करने को प्राथमिकता देता है, जो उसे अधिकतम लाभ प्रदान कर सके तथा साथ ही साथ कर भार को कम करने में भी सहायक सिद्ध हो सके। इस दृष्टि से आयकर अधिनियम की धारा 80 सी में वर्णित विभिन्न कर बचत योजनाओं में सुकन्या समृद्धि खाता योजना ऐसी ही एक उपयुक्त निवेश योजना है, जो न केवल बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करती है बल्कि कर बचत एवं अधिकतम प्रत्याय प्राप्त करने हेतु निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित भी करती है।

अध्ययन का उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र निम्न उद्देश्यों पर आधारित रहा।

1. वर्तमान परिस्थिति में सुकन्या समृद्धि खाता योजना की प्रासंगिकता का अध्ययन करना।
2. यह पता लगाना कि क्या सुकन्या समृद्धि खाता योजना में निवेश कर बचत हेतु भी किया जाता है।

अध्ययन की विधि – प्रस्तुत अध्ययन हेतु विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक समकों का प्रयोग कर निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं। प्राथमिक समकों के संकलन हेतु कुछ निवेशकों से व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया गया है, तथा द्वितीयक समकों के संकलन हेतु पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, डाकघर के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से प्राप्त जानकारियों का गहन अध्ययन किया गया है।

सुकन्या समृद्धि खाता योजना का परिचय – केन्द्र की सरकार ने 4 दिसम्बर 2014 को बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 'सुकन्या समृद्धि योजना' की घोषणा की थी। इस योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य भारत में गिरते हुए लिंगानुपात को संतुलित करना तथा लड़कियों की शिक्षा, विवाह एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लगने वाले धन की चिंता से अभिभावकों को मुक्त करना था। सुकन्या समृद्धि योजना के अन्तर्गत निवेश करने पर बचतकर्ता को अपनी बेटियों के भविष्य हेतु सुरक्षा का

अनुभव तो होता ही है साथ ही इस योजना में निवेश करने पर वह अपने कर की बचत भी कर सकता है क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत किए गये निवेश पर आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर की छूट भी प्राप्त होती है अर्थात् इस योजना से प्राप्त ब्याज एवं मूलधन पर विनियोगकर्ता को कोई भी कर नहीं चुकाना पड़ता है।

यह योजना एक छोटी बचत योजना है। जैसा कि नाम से विदित है कि यह योजना केवल लड़कियों के लिए ही चलाई जाती है इस योजना के अन्तर्गत बेटों के 10 वर्ष की आयु तक किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक में माता-पिता या कानूनी अभिभावक बेटों के नाम से यह खाता खुलवा सकते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत खाता खुलवाने हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक होते हैं :-

- बेटों का जन्म प्रमाण।
- माता - पिता या अभिभावक के निवास स्थान का प्रमाण पत्र।
- पहचान का प्रमाण पत्र।

सुकन्या समृद्धि खाता योजना से संबंधित बातों को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।

1. सुकन्या समृद्धि योजना के अन्तर्गत खाते में बेटों के नाम से एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रु. व अधिकतम 1 लाख 50 हजार की धनराशि जमा की जा सकती है।
2. माता - पिता या अभिभावक दो बेटियों के नाम से ही खाता खुलवा सकते हैं, किंतु दूसरे प्रसव के दौरान जुड़वा बेटियाँ होने की दशा में उचित साक्ष्य प्रस्तुत कर तीसरा खाता भी खुलवाया जा सकता है।
3. खाते का संचालन बेटों के 10 वर्ष की आयु के होने तक माता पिता के द्वारा किया जा सकता है, तत्पश्चात् बेटों को स्वयं खाता संचालन का अधिकार प्राप्त हो जाएगा।
4. खाते के अन्तर्गत बेटों के 15 वर्ष के होने तक ही धनराशि जमा करना होगी तथा बेटों के 21 वर्ष के होने पर खाता परिपक्व हो जाएगा।
5. बेटों के 18 वर्ष के होने पर या हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने पर (जो दोनों में पहले हो) उस समय जमा धन राशि में से आधी राशि निकाली जा सकती है शेष राशि 21 वर्ष पश्चात् प्राप्त होगी, किंतु यदि किसी कारणवश इस अवधि के पूर्व ही बालिका की मृत्यु हो जाती है, तो जमा धनराशि पालक या कानूनी अभिभावक को सुपुर्द कर दी जायेगी एवं खाता स्वतः ही बंद हो जाएगा।
6. सुकन्या समृद्धि योजना का खाता देश के किसी भी हिस्से में

* शोधार्थी (वाणिज्य) अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, राणापुर, झाबुआ (म.प्र.) भारत

स्थानांतरित किया जा सकता है।

तालिका क्र. 1-सुकन्या समृद्धि खाता में जमाधनराशि पर ब्याज की दरें

क्र.	संख्या	तिमाही ब्याज दर (प्रतिशत में)
1	1 अप्रैल 2018 - 30 जून 2018	8.10%
2	1 जुलाई 2018 - 30 सितम्बर 2018	8.10%
3	1 अक्टूबर 2018- 31 दिसम्बर 2018	8.5%
4	1 जनवरी 2019- 31 मार्च 2019	8.5%
5	1 अप्रैल 2019 - 30 जून 2019	8.5%
6	1 जुलाई 2019 - 30 सितम्बर 2019	8.4%
7	1 अक्टूबर 2019 - 31 दिसम्बर 2020	8.4%
8	1 जनवरी 2020 - 31 मार्च 2020	8.4%
9	1 अप्रैल 2020 - 30 जून 2020	7.6%
10	1 जुलाई 2020 - 30 सितम्बर 2020	7.6%
11	1 अक्टूबर 2020 - 31 दिसम्बर 2020	7.6%

(स्रोत:-www.paisabazaar.com)से प्राप्त जानकारी के अनुसार

www.myloancare.inसे प्राप्त जानकारी के अनुसार

वर्तमान परिस्थिति में सुकन्या समृद्धि खाता योजना - सुकन्या समृद्धि खाता योजना केन्द्र सरकार की लघु बचत योजना है, जिसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को किया गया। योजना के प्रारंभ में दिसम्बर 2015 तक 2900 करोड़ रु. की जमा धनराशि के साथ 80 लाख खाते खोले जाने का लक्ष्य अनुमानित था परंतु वर्ष 2015-16 के दौरान इस योजनांतर्गत 4553.09 करोड़ जमा धनराशि सहित केवल 57.43 लाख खाते ही खोले जा सके। वर्ष 2016-17 की अवधि में इस योजना में देश में कुल 16.07 लाख खाते खोले गए जिनमें 5002.44 करोड़ रु. की धनराशि जमा की गई। वर्ष 2017 - 18 में इस योजना में 5926.37 करोड़ रु. की जमा राशि के साथ 16.95 लाख खाते खोले गए। वर्ष 2018-19 की अवधि में इस योजना में 24.27 लाख खाते 10615.79 करोड़ रुपये की धन राशि के साथ खाते खोले गए। तथा वर्ष 2019-20 (अप्रैल से दिसम्बर 2019) में इस योजना में 16.35 लाख खाते 8344.31 करोड़ रुपये की जमा राशि के साथ खोले गए।

तालिका क्र.2-सुकन्या समृद्धि खाता योजना के खाताधारकों की संख्या एवं जमाधनराशि

वर्ष	खाताधारकों की संख्या (लाख में)	योजना में जमा धनराशि (करोड़ रु. में)
2015 - 16	57.43	4553.09
2016 - 17	16.07	5002.44
2017 - 18	16.95	5926.37
2018 - 19	24.27	10615.79
2019 - 20	16.35	8344.31

(स्रोत:-डाक विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन से प्राप्त जानकारी के आधार पर)

उपर्युक्त तालिका के विवेचन से स्पष्ट है कि सुकन्या समृद्धि खाता योजना बेटियों के भविष्य की सुरक्षा एवं निवेश की दृष्टि से निवेशकों के बीच अपना स्थान बनाने में सफल रही है, इस योजना में प्रति वर्ष खातों की संख्या एवं जमा धनराशि में वृद्धि हुई है। यह योजना अपनी कुछ प्रमुख विशेषताओं के कारण निवेशकों को इस योजना में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती

है। ये विशेषताएँ निम्न प्रकार है

1. यह योजना एक लघुबचत योजना है जिसमें प्रतिवर्ष न्यूनतम 250 रु. तक की राशि जमा की जा सकती है अतः हर आय वर्ग का व्यक्ति इस योजना में सरलता से निवेश कर सकता है।
2. इस योजना में निवेशक को जमा धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान किया जाता है जो कि इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान किए जाने से निवेशक को प्राप्त होने वाले परिपक्वता धन की मात्रा अन्य लघु बचत योजनाओं की तुलना में अधिक होगी।
3. यह योजना एक दीर्घकालीन निवेश योजना है अतः यह योजना निवेशको को दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति का आश्वासन प्रदान करती है।
4. केंद्र सरकार द्वारा संचालित यह योजना सुरक्षित एवं विश्वसनीय बचत योजना है। यह योजना निवेशको को निवेश के दो महत्वपूर्ण घटक- निश्चित प्रत्याय एवं मूलधन की सुरक्षा, देने में समर्थ है।
5. इस योजना की एक अन्य एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह योजना निवेशक को कर बचत का लाभ की प्रदान करती है। योजना में किया गया वार्षिक अंशदान, प्राप्त प्रत्याय एवं परिपक्वता पर प्राप्त धनराशि तीनों ही कर मुक्त है अर्थात इस योजना में किए गए निवेश पर निवेशक को किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं चुकाना पड़ता है।

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश और कर बचत - सुकन्या समृद्धि योजना का प्रारंभ सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने हेतु किया गया एक प्रयास था, जो वर्तमान में निवेश का एक महत्वपूर्ण एवं सरलतम माध्यम है। इस योजना में निवेश का एक महत्वपूर्ण पहलु कर बचत एवं कर नियोजन भी है, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना न केवल बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करती है साथ ही कर बचत को भी प्रोत्साहित करती है। इस योजना में किया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80 C के अन्तर्गत कटौती योग्य है। यह योजना केवल बेटियों के भविष्य के लिए की गई बचत मात्र नहीं है, बल्कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह योजना धन की सुरक्षा, अधिकतम प्रत्याय तथा कर बचत जैसे लाभों को समाहित करने वाली एक महत्वपूर्ण निवेश योजना है।

तालिका क्र. 3 -सुकन्या समृद्धि योजना के प्रति जागरूकता स्तर एवं निवेश स्थिति

योजना के प्रति जागरूकता	अभिभावकों की संख्या	प्रतिशत
जागरूक है।	28	56%
जागरूक नहीं है।	22	44 %
कुल योग	50	100 %
योजना में निवेश	अभिभावकों की संख्या	प्रतिशत
निवेश करते हैं।	21	75 %
निवेश नहीं करते हैं	07	25 %
कुल योग	28	100 %
योजना के चयन का आधार	अभिभावकों की संख्या	प्रतिशत
बेटियों के भविष्य की सुरक्षा एवं अधिकतम प्रत्याय	04	19.05 %

बेटियों के भविष्य की सुरक्षा एवं कर बचत	09	42.86 %
बेटियों के भविष्य की सुरक्षा एवं पूँजी निर्माण	02	9.52 %
बेटियों के भविष्य की सुरक्षा एवं न्यूनतम जोखिम	06	28.57 %
कुल योग	21	100 %

(स्रोत :- व्यक्तिगत सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर)

निर्वचन - उपर्युक्त तालिका में वर्णित जानकारी इन्दौर जिले के 50 अभिभावकों से व्यक्तिगत सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त की गयी है जिसके विश्लेषण के आधार पर यह पाया कि 56% अभिभावक सुकन्या समृद्धि योजना के प्रति जागरूक है जबकि 44% अभिभावकों में जागरूकता का अभाव है। जागरूक अभिभावकों में 75% अभिभावक इस योजना में निवेश करते हैं जबकि 25% अभिभावक योजना में निवेश नहीं करते हैं, 19.05% अभिभावक बेटियों के भविष्य की सुरक्षा एवं अधिकतम प्रत्याय, 42.86% अभिभावक बेटियों के भविष्य की सुरक्षा एवं कर बचत, 9.52% अभिभावक बेटियों के भविष्य की सुरक्षा एवं पूँजी निर्माण तथा 28.57% अभिभावक बेटियों के भविष्य की सुरक्षा एवं न्यूनतम जोखिम आदि कारणों से इस योजना में निवेश करते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव - प्रत्येक अध्ययन किसी न किसी उद्देश्य से ही किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन भी इस उद्देश्य से किया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह योजना प्रासंगिक है, अथवा नहीं तथा इस योजना में निवेश कर बचत हेतु भी किया जाता है, अथवा नहीं।

इन उद्देश्यों के लिए किए गए अध्ययन द्वारा निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए गए :

1. इस योजना में जमा धन राशि पर अन्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक ब्याज प्राप्त होता है जो निवेशकों को इस योजना में निवेश करने हेतु आकर्षित करती है।
2. इस बचत योजना में निवेशक अपने कर दायित्व को न्यूनतम करने हेतु निवेश करने के लिए प्रेरित हुए हैं।
3. इस बचत योजना के माध्यम से विनियोजक अपनी बचत को सही तरीके से नियोजित कर कम निवेश पर अधिकतम ब्याज प्राप्त करने में सफल हुए हैं एवं आयकर अधिनियम में प्रावधान होने से उन्हें इस ब्याज पर कोई कर नहीं देना पड़ रहा है जिससे उनके कर दायित्व में कमी आई है।
4. शोध अध्ययन में यह भी पाया गया कि निवेशकों में इस योजना के प्रति पूर्ण जागरूकता का अभाव है, जिसका मुख्य कारण इस योजना का पर्याप्त प्रचार प्रसार किये जाने की कमी है।

उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर सुझाव के रूप में यह कहा जा सकता है कि विनियोजकों को अपनी बचत पर कर भार को कम करने तथा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना के अन्तर्गत निवेश करना चाहिए। क्योंकि यह विनियोग हेतु एक सुरक्षित एवं उत्तम विकल्प है तथा सरकार को इस योजना के लिए विनियोजकों को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक अभिभावक इस योजना से परिचित हो सकें और यह योजना बेटियों के भविष्य एवं निवेश के साथ ही कर बचत हेतु भी एक महत्वपूर्ण योजना साबित हो सकें। सरकार द्वारा इस योजना की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये। न्यूनतम आयु सीमा में वृद्धि करके, कटीती योग्य सीमा को बढ़ाकर, ऋण

सुविधा देकर तथा ब्याज दरों के उच्चावचन को कम करके इस योजना को और भी बेहतर बनाया जा सकता है।

उपसंहार - प्रस्तुत शोध पत्र हेतु गहन अध्ययन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि सुकन्या समृद्धि खाता योजना बेटियों के लिए प्रारम्भ की गई केन्द्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसने पालकों को बेटियों के भविष्य की चिंता से मुक्त किया है। इस बचत योजना से उन्हें प्रत्येक वर्ष अन्य बचत योजनाओं की अपेक्षा निवेश पर अधिकतम ब्याज प्राप्त होता है तथा इस अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि इस योजना के अन्तर्गत निवेशकों द्वारा निवेश करने का एक प्रमुख कारण कर बचत भी रहा है, क्योंकि इस योजना में किए गए निवेश पर कर छूट हेतु आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अन्तर्गत एक सीमा तक प्रावधान है एवं इस योजना का ब्याज भी पूर्णतः करमुक्त है, अतः यह कहा जा सकता है कि सुकन्या समृद्धि खाता योजना सुरक्षित निवेश, अधिकतम प्रत्याय तथा कर बचत आदि गुणों से युक्त निवेश योजना है। जो कि बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के साथ ही कर बचत की दृष्टि से भी एक बेहतर निवेश योजना के रूप में निवेशकों के मध्य स्थान बनाने में सफल रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

शोध प्रबंध एवं शोध पत्र

1. व्यास, सोनी एवं डॉ. मकड़, बलबीर सिंह, 2012, 'उज्जैन जिले में डाकघर, भारतीय स्टेट बैंक, अपेक्स बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक की अल्पबचत योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन', विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन.
2. कुशवाहा, निर्मला एवं डॉ. बेदिया, डी.डी., 2007-08, 'उज्जैन जिले के प्रमुख डाकघर में अल्प बचत योजना की प्रगति का अध्ययन एवं विश्लेषण (वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक)', विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन.
3. DR. Rameshkumar, N, 2018, "INVESTOR ATTITUDE AND SAVING PATTERN TOWARDS POSTOFFICE SAVINGS SCHEMES A STUDY WITH SPECIAL REFERENCE TO RURAL WORKING WOMEN OF POLLACHI TALUK IN COIMBATORE DISTRICT", International Journal of Management, IT & Engineering, Vol.8, Issue 10 page no 89-10.
4. DR. Gulam Mohamed, S. and Shajahan. M., 2016 "A STUDY ON INVESTMENT BEHAVIOUR IN POST OFFICE SAVINGS SCHEMES WITH REFERENCE TO TIRUCHI RAPPALLI DISTRICT", International Journal of finance Research Review, Vol.4, Issue 11, Page no. 45-54.
5. Baby saranya, K. and Dr. Hamsalakshmi, R. 2018, "PERFORMANCE OF INDIAN POST OFFICE SAVINGS SCHEMES IN RECENT TRENDS", International Journal of Advanced Research, Int. J. Adv. Res. 6(3) page no. 998- 1004.
6. Dr. Rani, s. and Dr. Thangapandi, G., 2017, "Households preferences and savings Habits in post office saving schemes (poss) A study with special reference to Coimbatore city", Jour of Adv Research In Dynamical & control systems, 07 – special Issue, page no. 325-355.

पुस्तकें :

7. डॉ. एच.सी. मेहरोत्रा, 'आयकर विधान एवं लेखे', आगरा, साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2017-18.
8. श्रीपाल सकलेचा, 'कर नियोजन एवं प्रबंध', सतीश प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, इन्दौर, 2017-18.
9. 'आयकर गाइडलान एण्ड मिनी रेडी रेकनर', नाभि पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2017-18
10. प्रतियोगिता दर्पण- भारतीय अर्थव्यवस्था

11. व्यक्तिगत सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी

WEBSITES :

1. <https://www.ndtv.com>
2. <https://hindiplanmoneytax.com>
3. <https://economictimes.Indiatimes.com>
4. <https://www.paisabazaar.com>
5. <https://www.indiapost.gov.in>
6. <https://www.myloancare.in>
7. <https://www.freefincal.com>

सन् 1857 ई. के समर में 'भोपावर' छावनी

डॉ. आकाश ताहिर *

प्रस्तावना – सन् 1857 ई. का महान विद्रोह जिसे अंग्रेजी सरकार ने 'गदर' की संज्ञा दी थी, भारतवर्ष के इतिहास की एक अतिविषिष्ट घटना थी। तब अंग्रेजों द्वारा यहां स्थापित विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रथम बार साहसिक किन्तु असफल प्रयास किया गया था। मई 10, सन् 1857 ई. को मेरठ की छावनी में तीन सैनिक टुकड़ियों ने अपने अंग्रेज अधिकारियों, सैनिकों तथा नागरिकों का कत्ल कर दिया। मेरठ के इस विद्रोह की चिंगारी तदनन्तर देश में अन्यत्र फैलती ही गई।

लगभग इन दो हजार विद्रोही भारतीय सैनिकों ने सोमवार, मई 11, सन् 1857 ई. को दिल्ली पहुँच कर लाल किले पर अधिकार कर लिया, जिसका प्रभाव लगभग सम्पूर्ण उत्तरी भारत पर पड़ा तथा अन्यत्र भी विद्रोह होने लगे। मालवा भी इस देशव्यापी विद्रोह से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। मालवा के विभिन्न राज्यों में अंग्रेजों द्वारा स्थापित सैनिक छावनियों में भारतीय सैनिकों ने भी अपने अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करना प्रारम्भ कर दिया।¹

सरदारपुर तहसील का यह छोटा ग्राम 'भोपावर' तहसील मुख्यालय सरदार के दक्षिण में लगभग 9 कि.मी. की दूरी पर 22°37' उत्तर; 75°11' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। यह धार से लगभग 40 कि.मी. की दूरी पर है।²

जब इन्दौर एवं महु में एक जुलाई को विद्रोह हुआ तब अमड़ेरा का वकील इन्दौर में ही था। उसने जब यह खबर बख्तावरसिंह को भेजी। इस खबर को पाते ही बख्तावरसिंह ने भोपावर भील पल्टन के अंग्रेज अधिकारी को संदेश भेजा कि 'यदि आप यूरोपियन व्यक्तियों के साथ सैनिक छावनी छोड़ दें तो बड़ी दूरदर्शिता होगी। मैं आपकी ओर से सैनिक छावनी की देखभाल भी करूँगा।'³ राजा बख्तावरसिंह यूरोपियन सिपाहियों को मारना नहीं चाहते थे। किन्तु भोपावर छावनी को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मालवा भील पल्टन के सिपाहियों को गुप्त रूप से सन्देश भेजकर अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। भोपावर के पॉलिटिकल अधिकारी लेफ्टिनेन्ट हचिन्सन को पता चला कि पल्टन के सिर्फ 20 सिपाही अंग्रेजों के पक्ष में हैं शेष बख्तावरसिंह की सेना से मिल गए हैं। साथ ही यह सूचना भी मिली कि धार के विद्रोही सिपाही भोपावर एवं सरदारपुर पर आक्रमण करने हेतु रवाना हो गए हैं। अंग्रेजों के भोपावर से पलायन करने के बाद विद्रोहियों ने ठाकुर भवानीसिंह और मोहनलाल के नेतृत्व में भोपावर एजेन्सी हाऊस, पोस्ट ऑफिस और डिस्पेन्सरी को लूट लिया। हथियार एवं गोला बारूद भी अमड़ेरा पहुँचा दिया गया।⁴ इस प्रकार अमड़ेरा के राजा ने भोपावर के विद्रोहियों की सहायता से अधिपत्य स्थापित कर लिया।

जब इन्दौर में बगावत हुई तो सरदारपुर की भील पल्टन ने उपद्रव शान्त करने में कुछ भी काम नहीं किया, अमड़ेरा राजा के विद्रोहात्मक रवैया

के बारे में पॉलिटिकल असिस्टेंट अपने 17 जुलाई 1857 के पत्र में कहता है कि राजा ने विद्रोह दमन करने में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। राजा का व्यवहार भी अब विद्रोहात्मक हो गया है और ऐसा ही हाल उस राज्य के सैनिकों का है।⁵ अमड़ेरा के अशान्त वातावरण तथा वहाँ के राजा के बेखुशी पर रेजिडेंट ने अमड़ेरा के वकील से कठोर शब्दों में कहा सुनी कर दी। वकील ने यह सब गाथा अपने राजा को बताई, राजा को अच्छा नहीं लगा। तभी से ब्रिटिश सरकार तथा अमड़ेरा राज्य के संबंध में दरार आ गई।⁶

2 जुलाई को पॉलिटिकल असिस्टेंट कैप्टन हचिन्सन से छुट्टी लेकर धार का वकील धार चला गया और अमड़ेरा का वकील तो बिना अनुमति के ही अमड़ेरा चला गया। दूसरे दिन विद्रोहियों का दल बख्तावरसिंह के नेतृत्व में भोपावर पहुँचा और वहाँ लूटमार शुरू कर दी तथा राजा ने खुद एजेन्सी पर फहरा रहे यूनियन जैक के डण्डे को अपने हाथ से काट डाला और झण्डे को फाड़ डाला। उसी दिन अमड़ेरा से दो तोपें भोपावर आ पहुँची। विद्रोहियों ने हचिन्सन के बंगले को तहस-नहस कर डाला और लूट का माल हाथियों और बैलगाड़ियों पर लादकर अमड़ेरा रवाना कर दिया। इस लूट के बारे में राजा ने अमड़ेरा-भोपावर मार्ग में पड़ने वाले गाँवों में मुनादी करा दी।⁷

3 जुलाई को यूरोपियन पलायन कर गये, बागियों ने भोपावर तथा सरदारपुर को लूटा। छावनी सरदारपुर को लूटने के बाद बाजार को भी लूटा।⁸ भयभीत होकर हचिन्सन वेश बदलकर फारसी व्यापारी के रूप में परिवार सहित झाबुआ पलायन कर गया। पलायनकर्ताओं में श्रीमती स्टॉकले तथा उसके चारों बच्चे, श्रीमती हचिन्सन तथा उसका बच्चा, डॉ. क्रिसहोम तथा कैप्टन हचिन्सन थे। वे दोहद आना चाहते थे, यहाँ भी अशांति थी। अतः वे झाबुआ के लिये चल पड़े, पार्टी पुलिस चौकी पहुँची।⁹

अमड़ेरा राजा ने मोहन लाल को इन्हें पकड़ने के लिये भेजा।¹⁰ खबर फैली कि हचिन्सन को अमड़ेरा राजा ने बंदी बना लिया है। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार ने महाराजा होल्कर को भी बताया।¹¹

कर्नल ड्यूरेंड के अगस्त माह में महु पहुँचने पर हचिन्सन को आदेश दिया गया कि वह पुनः भोपावर लौट जाए। होल्कर और धार राज्य के सिपाहियों की सहायता से हचिन्सन ने भोपावर छावनी में फिर से ब्रिटिश एजेन्सी स्थापित कर ली। राजा बख्तावरसिंह ने पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की योजना बनाई और अपनी सेना में पाँच सौ विलायती व मकरानी सिपाही भर्ती किए। मन्दसौर में फिरोजशाह के पास गुप्त संदेशवाहक भेजे जो अमड़ेरा, मन्दसौर और भोपावर के सिपाहियों को अंग्रेजों के विरुद्ध उत्तेजित कर रहे थे। ये गुप्त संदेशवाहक काफीरों के वेश में अपना कार्य कर रहे थे। हचिन्सन ने एक ऐसे ही काफीर सिपाही को बंदी बनाकर धार भेजा था जिसे धार किले के बंदीगृह में डाल दिया गया।¹² अमड़ेरा व धार के

सिपाही भी विद्रोहियों में सम्मिलित हो गए। ये सिपाही गुप्त रूप से सन्देशों का आदान-प्रदान कर रहे थे। इसलिए जब धार में विद्रोह हुआ उसके बाद अमझेरा के राजा से सहायता पाने के लिए ये विद्रोही अमझेरा चले गए।

महाराजा होल्कर ने अंग्रेजों को छुड़ाने के लिये बवशी खुमानसिंह के नेतृत्व में 7 जुलाई 1857 को पैदल सैनिकों की तीन कम्पनियाँ दो तोपों सहित भेजी। महाराज होल्कर ने भी 8 जुलाई को सांत्वना का पत्र केप्टन हचिन्सन के पास झाबुआ भेजा तथा बताया कि बवशी खुमानसिंह तथा काशीनाथ को सैनिकों के साथ भेजा है जिनके साथ इन्दौर चले आये।¹³

इधर बवशी खुमानसिंह कांकर होते हुए बेतमा पहुँचे और 11 जुलाई को वह झाबुआ पहुँचा। हचिन्सन तथा अन्य अंग्रेज अगले दिन झाबुआ से चल दिये और भोपावर आये। भोपावर से बवशी ने दस सवार अमझेरा भेजे। वहाँ से वे सवार क्रांतिकारी, सलुकराय कामदार, चुन्नीलाल वकील को लेकर भोपावर लौट आये। गुलाबराय कामदार तथा भवानी सिंह को हचिन्सन ने पकड़कर बवशी के सुपुर्द कर दिया। भोपावर से इन बंदियों को लेकर बवशी वहाँ से चल दिया और धार आया और 16 जुलाई की रात बवशी के साथ हचिन्सन महु दुर्ग आ सका।

10 अगस्त 1857 को सुबह भोपावर पर सम्मिलित रूप से सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। इस समय अंग्रेज अधिकारी हचिन्सन और पॉलिटिकल असिस्टेंट भोपावर में नहीं थे। इन विद्रोही सिपाहियों ने भोपावर के बंगलों में आग लगा दी। यहाँ उपस्थित महिदपुर पल्टन के सिपाहियों ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया परन्तु सैनिकों की क्षति होने पर महिदपुर के सिपाहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। परन्तु अंग्रेजों ने भारतीय अधिकारियों की सहायता से तीन घण्टों तक युद्ध किया। इसके पश्चात् ये विद्रोही सरदारपुर की ओर बढ़े। मालवा में विभिन्न स्थानों पर विद्रोह का प्रसार करते हुए ये विद्रोही विभिन्न सैनिक छावनियों को नष्ट करते गए और अंग्रेजों को विवश करते रहे।

ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इस उपद्रव की जाँच कराई गई। गवर्नर जनरल के एजेन्ट ने अपने 5 सितम्बर के पत्र में भारत सरकार को लिखा कि अमझेरा के राजा को बताया जाय कि वह एजेन्सी कार्यालय आवे ताकि बारीकी से जाँच की जा सके और राजा के अधीनस्थ अधिकारियों पर मामला चलाया जा सके। इन बंदियों को भर बरसात में ऐसे भवन में रखा गया जहाँ वर्षा का पानी टपकता था। बंदियों के सभी कपड़े गीले हो गये थे, कुछ समय बाद उन्हें मल्हारगंज भेज दिया।¹⁴ निम्न बंदियों को 21 दिसम्बर 1857 को फाँसी दे दी गई- 1. भवानी सिंह ठाकुर, संदला, 2. गुलाबराय कामदार, 3. सलुकराय कामदार, 4. मोहनसिंह कामदार

सन् 1857 ई. का विद्रोह उत्तर भारत के मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा समय चला किन्तु अंग्रेजों ने असफल कर दिया। इस असफलता के पीछे विद्रोहियों की कमियाँ और अंग्रेजों की उन कमियों पर पैनी दृष्टि विद्रोह को असफल कर गई। तात्या टोपे को फाँसी दी गई। इसके पश्चात् यह संघर्ष समाप्त हो गया। तात्या टोपे इस विद्रोह का अंतिम नेता था। 1857 ई. का विद्रोह विरोध परिस्थितियों के कारण असफल रहा। वे स्थितियाँ जो विद्रोहियों के नियंत्रण में नहीं थी। इन पर नियंत्रण विद्रोहियों की पहुँच से दूर था। फिर

भी 1857 ई. की क्रान्ति से देश में स्वतंत्रता का जो बिगुल बजा। उसकी गुंज 1947 ई. में स्वतंत्रता प्राप्ति तक गुँजती रही और आने वाली क्रान्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करती रही। इसी के आधार पर भावी स्वतंत्रता संग्राम की नींव खड़ी हुई।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सीतामऊ के कामदार लाला हुलासराय के नाम इन्दौर रेजीडेंसी में नियुक्त सीतामऊ राज्य के वकील, मिर्जा वजीर बेग का पत्र, क्र. 4, असाढ़ बदि 11, 1914 वि. (गुरुवार, जून 18, 1857 ई.), पृ. 1 अ-ब।
2. राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, कन्सल्टेशन 644-646, दि. 17 जुलाई 1857, सीक्रेट, केप्टन हचिन्सन का बॉम्बे सरकार को पत्र।
3. राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, कन्सल्टेशन 644-646, दि. 17 जुलाई 1857, सीक्रेट, केप्टन हचिन्सन का बॉम्बे सरकार को पत्र क्र 3, पृ. 421।
4. राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, कन्सल्टेशन 644-646, दि. 25 अक्टूबर 1857, पत्र दिनांक 17 जुलाई 1857।
5. राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, कन्सल्टेशन 644-646, दि. 17 जुलाई 1857, सीक्रेट, केप्टन हचिन्सन का बॉम्बे सरकार को पत्र।
6. राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, कन्सल्टेशन 644-646, दि. 17 जुलाई 1857, सीक्रेट, केप्टन हचिन्सन का बॉम्बे सरकार को पत्र।
7. राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, कन्सल्टेशन 644-646, दि. 17 जुलाई 1857, सीक्रेट, केप्टन हचिन्सन का बॉम्बे सरकार को पत्र क्र. 3 के अनुसार, पृ. 168, पैरा 2 तथा पृ. 150।
8. राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, कन्सल्टेशन 644-646, दि. 17 जुलाई 1857, सीक्रेट, केप्टन हचिन्सन का बॉम्बे सरकार को पत्र क्र. 3 के अनुसार, सीक्रेट प्रॉसीडिग्स दि. 25 सितम्बर 1857 अनुक्रमांक 260।
9. राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, कन्सल्टेशन 644-646, दि. 17 जुलाई 1857, सीक्रेट, केप्टन हचिन्सन का बॉम्बे सरकार को पत्र। पॉलिटिकल प्रॉसिडिग्स 30 सितम्बर 1859 अनुक्रमांक 290 गवर्नर जनरल के एजेन्ट का भारत सरकार के लिए पत्र संख्या 82 दिनांक 5 सितम्बर 1857।
10. मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, धार, डॉ राजेन्द्र वर्मा, गजेटियर संचालनालय संस्कृति विभाग, म.प्र. भोपाल, 1994, पृ. 273।
11. बगावतें मालवा, पृ. 103।
12. राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, कन्सल्टेशन 644-646, दि. 17 जुलाई 1857, सीक्रेट, केप्टन हचिन्सन का बॉम्बे सरकार को पत्र; पॉलिटिकल प्रॉसिडिग्स, दि. 30 दिसम्बर 1859, अनुक्रमांक 901, केम्प झाबुआ से केप्टन हचिन्सन का एजेन्ट के लिये पत्र दि. 5 जुलाई 1858।
13. वही, बगावतें मालवा, पृ. 103।
14. बगावतें मालवा, पृ. 104।

राजस्थान की जनजातियों की सामाजिक प्रथाएं (भील जनजाति के विशेष संदर्भ में)

शीतल डामोर*

प्रस्तावना – भारतीय समाज में आधुनिक सभ्य समाज से दूर कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं जो वनों एवं जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों में रहकर अपना जीवन यापन करती हैं। आज भी यह जनजातियां शिक्षा, उद्योग व कृषि आदि से अपरिचित दूरस्थ स्थानों में अपनी परंपराओं और संस्कृति का निर्वहन कर रही हैं। श्याम चरण दुबे के अनुसार 'वास्तव में जनजाति व्यक्तियों का एक वह समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आवास या विचरण करता है और जो किसी आदि पूर्वज को ही अपना उद्गम मानते हैं तथा जिनकी एक सामान्य संस्कृति होती है और जो आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभावों से परे हैं।'

इन जनजातियों की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं जो लगभग सभी जनजातियों में पाई जाती हैं जैसे- इनकी सामान्य भाषा, निश्चित भू-भाग, सामान्य संस्कृति, परिवारों का समूह, आर्थिक आत्मनिर्भरता, विवाह के रीति-रिवाज, प्रथाएं, मान्यताएं, सांस्कृतिक रीति-रिवाज, धार्मिक प्रथाएं आदि। मजूमदार ने जनजातियों को अनेक परिवारों का समूह मानते हुए जनजातियों के संबंध में लिखा है कि 'एक जनजाति अनेक परिवारों के समूह का एक संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है जिसके सदस्य एक निश्चित भू-भाग पर रहते हैं। सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह या उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं और एक निश्चित एवं उपयोगी आदान-प्रदान कर परस्पर विकास करते हैं।'

राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये जनजातियां जंगल, गुफाओं, पहाड़ों आदि में निवास करने के कारण अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। इनके स्वयं के कानून एवं रीति-रिवाज और परंपराएं हैं जिनका निर्वहन करना ये लोग अपना कर्तव्य समझती हैं। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथौड़ी आदि जनजातियां निवास करती हैं। ये जनजातियां राजस्थान के उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली, कोटा, बूंदी, आदि जिलों में आरावली की घाटियों में अपना आश्रयस्थल बनाए हुए हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से भील जनजाति डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों में बहुतायत से निवास करती हैं।

'भील' शब्द के बारे में एस. के. सोनी ने अपनी पुस्तक *राजस्थान के आदिवासी* में लिखा है कि 'इस शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के 'बिलु' शब्द से हुई है जिसका अर्थ है 'कमान'। एच. बी. रोनी अपनी पुस्तक *वाइल्ड ट्राइबल ऑफ इंडिया* में लिखते हैं कि 'राजपूत राजकुमारों के स्थानीय इतिहास के अनुसार भील वह जाति है जो राजपूतों द्वारा मैदानों से निकलकर पहाड़ों में खदेड़ दी गई थी।' कुछ भील समुदाय पहाड़ियों के मध्य झोपड़ी बनाकर

निवास करते हैं तो कुछ कृषि भूमि के समीप जाकर बसे हुए हैं। सामान्य रूप से यह जनजाति पहाड़ियों तथा नदियों की घाटियों पर अपना आश्रय स्थान बनाती हैं। इनके निवास स्थानों को 'फला' कहा जाता है। भील जनजाति का जीवन विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक प्रथाओं से ओतप्रोत रहा है। भील जनजाति में जन्म, विवाह, परिवार, आवास, रहन-सहन, पहनावे, मृत्यु आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रथाएं प्रचलित हैं।

भीलों में स्थान विशेष तथा विचारधाराओं के आधार पर समाज का विभाजन किया गया है। इन भीलों में सबसे ऊपर शुद्ध भील होते हैं जिन्हें 'उज्जवला' भील कहा जाता है। इसी प्रकार अशुद्ध भील में 'कोटरा' भील एवं 'कालीय' भील हैं। पहाड़ियों में निवास करने के कारण कुछ भील 'पहाड़ी भील' कहलाए तथा जिन भील लोगों ने कृषि कार्य को अपनाया वह भील 'कृषक भील' कहलाए। एक गांव में प्रायः एक ही वंश के भील पाए जाते हैं। ये गांव पाल, फला अथवा ढाणी कहलाते हैं। 'सामान्यतया भील पहाड़ियों तथा नदियों की घाटियों पर भी आवास स्थानों का निर्माण करते हैं उन्हें 'फला' कहा जाता है जो कि एक समान कुल नातेदारी अथवा आर्थिक निर्भरता पर आधारित है।' इन गांवों में पटेल होते हैं जो कि इन गांवों के मुखिया होते हैं। गांव की कानून व्यवस्था को संभालना तथा किसी भी प्रकार के आपसी झगड़े को दूर करना इन पटेलों का मुख्य कार्य होता है।

सामाजिक जीवन की श्रंखला में परिवार एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जहां पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही रहन-सहन की विविधा गतिविधियां करता है। उनके विश्वास, मूल्य, दृष्टिकोण आदि भी परिवार में विकसित होते रहते हैं। भील समाज में परिवार का विशेष महत्व होता है। भील समाज में भी भारतीय सामाजिक परंपरा के अनुसार पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। भील परिवार में परिवार का मुखिया पिता होता है लेकिन वर्तमान समय में पिता के अधिकारों में संकुचता देखने को मिलती है। आज भीलो में एकाकी परिवार का विशेष महत्व होने लगा है।

भील जनजाति में स्त्री व पुरुष दोनों का ही पहनावा व भोजन अत्यंत साधारण होता है। इस जनजाति की महिलाएं पारंपरिक रूप से साड़ी पहनती हैं जबकि पुरुष ढीली व लंबी फ्रॉक ऊपरी भाग में पहनते हैं जबकि निचले हिस्से में ढीला पजामा पहनते हैं। इनका पहनावा साधारण होते हुए भी बहुत आकर्षक होता है। 'रहन-सहन, खान-पान, वस्त्राभूषण एवं संस्कार के संबंध में शायद ही आदिम समाज में ऐसी कोई जनजाति है जो सादगी तथा स्वभाव में भीलों की तुलना कर सकें। तात्पर्य यह है कि भील जनजाति रहन-सहन तथा खान-पान में सदैव साधारण ही रहे हैं। राजस्थान की भील जनजाति एक विधिक संस्कृति से सराबोर है।' जंगल तथा पहाड़ी इलाकों में रहने के

कारण इनका भोजन भी बहुत साधारण होता है। यह जनजाति मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार, मक्का, गेहूँ का मुख्य रूप से उपयोग करती है।

भील जनजाति में शिशु के जन्म को प्रथम संस्कार के रूप में माना जाता है। बच्चे के जन्म के पश्चात तीसरे दिन प्रसूता को प्रातः स्नान करवा कर शुद्धि की जाती है तथा बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है। बच्चों के नाम प्रायः दिन अथवा माह के आधार पर ही रख दिए जाते हैं जैसे- मंगल, मंगली, मंगलू, बुद्धा आदि। जन्म से संबंधित अन्य रीति-रिवाज जैसे अन्न ग्रहण, सूर्य पूजा, मुण्डन आदि भी किए जाते हैं। इस जनजाति में पुत्र व पुत्री दोनों के जन्म पर ही उल्लास मनाया जाता है। यह जनजाति कुंवारी कन्याओं को शुभ मानती है। 'कुंवारी कन्याओं को पवित्र माना जाता है तथा अच्छी फसल की प्राप्ति के लिए फसल का कच्चा खाद्यान्न उन्हें दिया जाता है।'

भीलों में विवाह बहुत ही पारंपरिक ढंग से होता है। इनका विवाह कई तरीके से संपन्न किया जाता है जिसमें सेवा विवाह, वधू मृत्यु विवाह, अपहरण विवाह, लाडा-लाडी विवाह, आई बारात विवाह आदि शामिल हैं। इनका पारंपरिक विवाह में मंगनी, कुलदेवी की पूजा, बारात, लबन, काकलडो की विधि आदि के द्वारा संपन्न किया जाता है। भील जनजाति में दहेज प्रथा नहीं होती। महिला अपने जीवन साथी को चुनने के लिए स्वतंत्र होती है। इसके बाद परिवार की स्वीकृति से नवयुवा जोड़े का विवाह बड़ी धूम-धाम से किया जाता है।

'भीलों में भगोरिया विवाह प्रचलित है। होली के एक सप्ताह पूर्व भगोरिया हाट प्रारंभ होते हैं। इस मेले में कुंवारे युवक-युवतियां सज-धाज कर आते हैं। यदि किसी युवक को कोई युवती पसंद आ जाती है तो वह युवती के गाल पर गुलाल मल देता है प्रत्युत्तर में अगर युवती भी युवक को गुलाल लगाती है तो माना जाता है कि दोनों युवा प्रेमी जीवन साथी बन जाने के इच्छुक हैं। यदि युवती अपने माथे से गुलाल पोंछ देती है तो युवक को कोई और युवती ढूँढनी पड़ती है। यदि दोनों युवक-युवती जीवन साथी बन जाने के इच्छुक हैं तो समाज के लोग उनके निर्णय का सम्मान करते हैं।' भीलों में बहुविवाह प्रथा का भी प्रचलन है परंतु वर्तमान समय में यह प्रथा बहुत कम हो चुकी है। भीलों में विधावा विवाह की प्रथा नहीं है परंतु लुगड़ा ओढ़ाने की प्रथा प्रचलित है। इससे विधावा स्त्रियां भी समाज में सम्मान का जीवन व्यतीत करती हैं।

भील जनजाति की मृत्यु के संबंध में मान्यता है कि व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भी अपने परिवार वालों से वर्ष में एक बार अवश्य मिलने आता है। भील जनजाति के लोग उस मृत व्यक्ति के नाम पर प्रतिदिन भोजन, फल, फूल या मृत व्यक्ति की पसंद की वस्तु को रखते हैं जिससे उनकी आत्मा को

शांति मिल सके।

भील समाज हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं। इस समाज में भील लोग अपने निवास स्थान के समीप ही स्थानीय देवी देवताओं के पूजन अर्चन करने हेतु विशेष स्थान रखते हैं। यह लोग हिंदू धर्म के जीवंत ईश्वर की आराधाना के साथ ही बाघदेव की पूजा भी करते हैं अर्थात् शिव जी की आराधाना यह मुख्य रूप से करते हैं। प्रकृति पर आश्रित होने के कारण यह जनजाति पर्यावरण के प्रति विशेष आस्था रखती है। यह वर्षा के लिए जल व पवन देवता की पूजा करते हैं। इनकी दृष्टि में संपूर्ण प्रकृति ही ईश्वरीय रूप है जिनकी वह तरह-तरह से पूजा करते हैं।

निष्कर्ष – राजस्थान में भील जनजाति अपना विशिष्ट स्थान रखती है। इस जनजाति की सामाजिक प्रथाएं एवं रीति-रिवाज इनके जीवन के अभिन्न अंग हैं। भील जनजाति में जन्म, विवाह, परिवार, आवास, रहन-सहन, पहनावे, जीवन शैली, मृत्यु आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रथाएं तथा संस्कार प्रचलित हैं जो कि जन्म से मृत्यु पर्यंत चलते रहते हैं। सामाजिक प्रथाओं में तीज, त्योहारों भी विशेष महत्व रहते हैं। ये लोग मनोरंजन के लिए संगीत, नृत्य तथा शराब का सेवन करते हैं। आज भी यह जनजाति अपनी परम्पराओं, रीति-रिवाजों, परम्परागत साधनों, जमीन से जुड़ी हुई है। ये प्रथाएं व रीति-रिवाज इनकी सांस्कृतिक धरोहर हैं जिसका पालन यह बहुत निष्ठा से करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दुबे श्याम चरण : आदिवासी भारत, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली पृ. 10-11
2. जैन पुखराज : भारत की संस्कृति विरासत, पृ. 222-223
3. सोनी एस. के. : राजस्थान के आदिवासी, यूनिक्स ट्रेडर्स प्रकाशन, जयपुर, 2003, पृ. 12
4. शर्मा कल्पना : राजस्थान में परिधानों की संस्कृति, अंकुर प्रकाशन, उदयपुर, 2013, पृ. 143
5. शर्मा कल्पना : राजस्थान में परिधानों की संस्कृति, अंकुर प्रकाशन, उदयपुर, 2013, पृ. 143
6. सोनी एस. के. : राजस्थान की आदिवासी, यूनिक्स ट्रेडर्स प्रकाशन जयपुर, 2003, पृ. 145
7. शर्मा मितेश : बनवासी भारतीय संस्कृति की मुख्यधारा भील जाति के आचार-विचार, परंपराएं, प्रथाओं और मान्यताओं में मौलिक भारतीय दृष्टि, मीडिया नवचिंतन पत्रिका, जनवरी-मार्च 2018 पृ. 60

A Painful History of Partition of India in Bapsi Sidhwa's Novel, *Ice-Candy-Man*

Sumiyah Arif* Dr.Subhra Rajput**

Abstract - The end of colonial rule in the Indian subcontinent marked the birth of two nations- India and Pakistan. The sun did set in the never- sunset empire on the Indian soil. But the sunset with 'dusk' was followed by a 'tempest'. The triumph of a long awaited political transfer of power was accompanied by the tragedy of Partition. The division of the country which led to an unprecedented mass migration and barbaric violence has been a horrendous chapter in south Asian history. Since the aim of the present study is to analyse the fictional representation of Partition, it is now worthwhile taking a bird's eye- view of the process of the Partition- historical and political background- to get a proper perspective in interpreting the fictional narratives of Partition. Hence, the present chapter traces the events leading to the Partition- the genesis and the development of the very idea of Pakistan (leading to Partition) from the historical and political point of view. However, the research paper is not an argument in favour of any of the complexities involved in the historiography of Partition. Instead, the focus is on a cursory view of the history of the movement for a separate Muslim nation. Besides, there is a humble effort made to have a look at three crucial issues involved in the Partition: Communalism, Nationalism and Imperialism. *Ice-Candy-Man* is based on Bapsi Sidhwa's own experience of Partition in 1947. The story is unravelled through the eyes of Lenny, an eight year old Parsee girl in Lahore, whose world revolves around her parents, her little brother and her Ayah. It deals with the event of partition and the horrific incidents in its aftermath. Partition has changed the map of our world and it has been the most defining moment in the history of India and Pakistan. It is one decisive event which has impacted the way the two countries have grown to perceive politics and religion. Sidhwa presents Lenny and her group—Muslim, Sikh, Hindu, Sikh—in all their risqué humour and ribaldry, until their everyday world vanishes before their eyes. As Lenny, feeling the winds of change, observes, "Godmother, Slavesister, Electric—aunt and my nuclear family are reduced to irrelevant nomenclatures. We are Parsee. What is God?" Sidhwa appreciates her community for its ability to integrate with mainstream culture. This paper is attempted to show a painful history of Partition of India in Bapsi Sidhwa's novel *Ice -Candy -Man*.

Keywords - Partition, Religion, Humble, Political, Painful.

Introduction - Bapsi Sidhwa was born on 11, August 1938 in Karachi in to a prominent family. Her parents' peshotan and Tehmina Bhandara belonged to the Parsi community. Sidhwa's childhood was difficult. She contracted polio at two which paralyzed her leg and affected her entire life. She has used the experience to in her novel *Ice-Candy-Man* about partition, which is narrated by Lenny, a precocious, and Parsee child. The earlier parts of *Ice-Candy-Man* are perhaps closet to autobiography. Sidhwa is a writer of Lahore city. The city plays a vital role in shaping her creative sensibilities and forms a setting for almost all her novels.

Ice-Candy-Man is also set in Lahore in 1947 during the partition of Indian subcontinent, and the inquisitive Lenny notices everything: clothes, skin smells accounts and sex everywhere. There are three parties involved in the negotiation for the transfer of power in India in 1946-7, it was the Muslim League which emerged victorious. The

partition of India, resulted in the creating of a sovereign 'Muslim' state in the subcontinent, signalled the triumph of Muslim communalism or Pakistan nationalism for different reasons partition was failure the congress and the British. Partition was the antithesis of the congress ideal of secular Indian unity. And Partition upset British plans to use an undivided, independent India as the military base of their world power. More than half a century after the event, how and why the subcontinent was divided remains the subject of continual debate.

There are some of the most famous novels based on Partition like that Khushwant Singh's *Train to Pakistan*, Chaman Nahal's *Azadi*, Manju Kapoor's *Difficult Daughter*, Salman Rushdie's *Shame* and *Midnight's Children* trace the debates on the Partition and its aftermath. Besides Sidhwa and other women writer like Anita Desai and Attia Hossain, who wrote *Clear light of Day* and *Sunlight on Broken Column*, respectively.

* Research scholar, Dayanand Girls P.G. College Kanpur, CSJM University, Kanpur (U.P.) INDIA

** Associate Professor, Dayanand Girls P.G. College Kanpur, CSJM University, Kanpur (U.P.) INDIA

A Painful History of Partition - India was divided because the Muslim League demanded it by a resolution and an overwhelming majority of Muslims came to support it in 1946, therefore, in 1947, the country was partitioned. The story is simple on the face of it. But a little insight into the events that led to the catastrophe would reveal that it is not as simple as that. The country had Provincial Autonomy in 1937 and the League passed the resolution in 1940. During this short span of three years, events moved so swiftly and in such a way that the League was driven to desperation and it passed that ill-fated resolution. In fact, in this short span of three years, the struggle that had been going on in the country for the last 150 years, culminated in the birth of two nations and in 1947, into countries. To take a part from the past, from the very recent past, the story of the partition of India is flanked by the opposition to and the proposition of the Partition of Bengal, by the Indian National Congress under the pressure of its revivalist wing that had been struggling for power to commandeer things as suited to their interest.

The opposition came when Lord Curzon proposed the division of Bengal in 1905; and the proposition, when the Congress after eroding the acceptance of the Cabinet Mission plan which envisaged a united India, its Working Committee passed the unfortunate resolution in February 1947, at the back of Gandhi, for the partition of the Punjab. The division of Bengal was implied. This resolution was a small step, a precursor of a bigger one. The same Working Committee passed another resolution, after a couple of months or so, accepting the division of India. The truth is that the journey of the Indian National Congress, from her opposition to the partition of Bengal to her acceptance of the partition of the country, contains the story of her slow and steady drifts, from Indian Nationalism, to Nationalism championed by the revivalists. This faction gathered force and gained momentum, as the time rolled by and acquired a commanding position in the organization. It was backed by Hindu social and economic interest. The Partition however devoted both India and Pakistan as the process claimed many lives in riots, rapes, murder and looting. The two centuries began their independence with ruined economics and lands without an established experienced system of government not only this, but also about 15 million people were displaced from their homes.

Bapsi Sidhwa's Novel Ice Candy-Man - Bapsi Sidhwa's Novel *Ice Candy-Man* deals with the Partition of India and its aftermaths. It is the first novel by a woman novelist from Pakistan in which she describes about the fate of people in Lahore. The novel opens with the verse of Iqbal from his poem 'Complaint to God'; with this, Lenny child - narrator, lame and helpless. She is a sharp observer, curious and fast learner. She finds that her movement between Warris Road and Jail Road is limited. She sees the Salvation Army wall with ventilation slits which makes her feel sad and lonely. The narration is in the first person. Lenny lives on Warris Road. The movement in

Lahore through the child narrator. Lenny observes. "I feel such sadness for the dumb creature I imagine lurking behind the wall." Lenny is not averse to eavesdrop adults. Although she is very quick to note the opinions and quirks of the grown-ups she has a mind of her own. Lenny looks helplessly as her circle of friends divide themselves into hostile religious groups, and eventually set Lahore on fire. "The whole world is burning. The air on my face is hot I think my flesh and clothes will catch fire. I start screaming, hysterically sobbing. Ayah moves away, her feet suddenly heavy and dragging" Bapsi's novel shows with colourful characters. Whether it is her extended Parsi family - Mother, Father, brother Adi, Cousine, Electric- Aunt, Godmother and Slavesister; or the Ayah's group in the Shalimar Gardens—Butcher, the Sikh zoo attendant, the Government House gardener, the Masseur, the wrestler and the Ice-Candy man, all are nuanced and layered in various human characteristics.

The novel's other important characters Ice-Candy man is a curious mix of innocence and sexual danger. He is vulnerable to Ayah's charms, but is full of hatred and vendetta against Hindus when his family is massacred in India. He is enraged with jealousy as he realizes Ayah's attraction towards the Masseur and gets her gang-raped by a group of fanatics. He later pushes her into prostitution to avenge his hurt pride, yet slowly withers away pining for her. The major theme of this novel is female sexuality as she soaks in the admiration of her group of male friends. Sidhwa's also explores the little girl's sexual curiosity as seen through her interaction with her cousin.

Sidhwa's novel *Ice-Candy-Man* shows disparity and poisoning of minds leading to the most inhuman acts still does not become a documentary of gory events, as it is full of several instances where people value humanitarian approaches to life above all other interests. Lenny visits the Victoria Park with her Ayah. Ayah's admirers consisting of the Muslim protagonist of the novel, Ice-Candy man Sher Singh, the Sikh zoo attendant, a Hindu masseur, Hari, the gardener the Muslim butcher, the restaurant owner and Sharbat Khan, a Pathan and many others who are almost a family reveals the human bonding among them. The relationship of Lenny's family the Sethis with people from varied cultures and castes and with the servants who are serving in their home clearly reflects the healthy relationship and the elemental goodwill that is pervasive among human beings irrespective of the barriers of colour, cast and social hierarchies. Hari, Imam Din Mucchoo, Shanta, Yusuf all are of different religions but they work and live as one family. Even when Imam Din's family feeling from a disturbed Pir Pindo arrive at Lahore seek shelter they together accommodate them, despite danger lurking over their own lives.

Lenny's second visit to Ranna's village Pir Pindo presents a changed atmosphere with an undercurrent of tension. On Baisakhi day, when she along with the male members of Imam Din's family goes to the Sikh village,

DeraTek Singh, through there are joyful celebrations, there is a sense of distrust and fear. Ranna's father, Dost Mohammad, notices the presence of the blue-turbaned strangers with staves and long kirpans whom he comes to learn from the Sikh granthi, Jjeet Singh that they are Akalis. Jagjeet Singh expresses his helpless and alert Dost Mohammad,

"The Akalis swarm around it like angry hearts in their blue turbans——— Trouble makers. You'll have to look out till this evil blows over;"

The feelings of brotherhood that seemed unalterable only a year ago, had now been shaken by the Akalis. Just a fortnight later, the Sikh villages despite their goodwill, fail to protect their Muslim brothers from the looting bands of the Akalis who violently raid PirPindo and other Muslim villages to massacre the males, and rape the girls and women. The most blood curdling episode of Ranna, who witnesses the massacre of his Kinsman and miraculously escapes from the burning Pirpindo. His journey through the ruined villages amidst death and destruction till he reaches all-Scarred Lahore presents the mad rage that tore apart humanity on communal lines. But amidst the brutality, there are also traces of hope for him. The healing care of his relatives and the help and support of Lenny's mother and godmother restore him finally to the world of faith and goodness when he is put in a Convent residential school to be able to shape for himself a healthy and happy life.

Ice-Candy-man loses his sanity and wreaks vengeance on all the Hindus. He joins a mob of Muslim marauding hooligans in their looting and killing spree and unleashes his cruelty on Hindus not sparing even his once good Hindu friends. Though he loves Ayah-Shanta from the core of his heart, this train scene makes him see her now as only a Hindu woman. He cheats Lenny and gets Ayah from her hiding, abducts her forcefully and captivates her in HiraMandi of Lahore, a locality of prostitutes. She is raped there by many persons. But again after his temporary frenzy of revenge, he realizes his crime and after a couple of weeks, he marries Ayah, and changes her name to Mumtaz, which again reiterates the rejuvenation of humanity in him even after the crumpling effects of communal hatred and violence that had incited his vengeance and destructive capacities temporarily. But Ayah, a victim of his communal frenzy is not able to renew any good will towards him and longs to return to her own people. Fortunately, with the help of Lenny's relatives another Ayah is rescued from the prostitution house and moved to the rehabilitation centre for recovered women near Lenny's bungalow. The Sikh guard who is in charge of the centre is so duty bound that he vigilantly watches over the women with lot of care and concern.

These feelings of safeguarding women from all classes and religious backgrounds in grave situations of hatred bespeak of the goodness and compassion that still was alive in most trying circumstances. Shanta finds her peace when she is finally sent to the relief camp at Amritsar to rejoin her family. But again all victims do not get accepted as easily as Shanta. Hamida is another victim of communal atrocity. She represents those women who are kidnapped and rape, and then rejected by their families; are relegated to rehabilitation centers unwanted. Again Lenny's mother employs Hamida as nurse-maid at her home. Hence we find Lenny's mother, God-mother, electric-aunt, Imam Din and many other who do all they can for the riot-victims irrespective of their religious background proving that if there are killers, there are saviours as well. Even the Ice Candy Man realize his mistake, turns into a purified steadfast lover and the novel closes with his crossing the Wagah border looking for his beloved.

Conclusion - Sidhwa has depicted the event of agitation on the Indian subcontinent during the Partition. It deals with the love-hate relationship of the Hindu and Muslim through the consciousness. Lenny, is a lame and helpless eight-year-old Parsi girl. It presents a dilemma of retaining allegiance to political masters, as well as a Parsi-Pakistani landscape of partition. This novel has not only described the British and Indian version of the subcontinent's history, but also has provided an alternate version of history based on the prevalent, dominant Pakistani point of view. Through Ice Candy Man, Bapsi Sidhwa has indeed brought to life the spiritual, emotional, and the real implication of the Partition of India.

References :-

1. Sidhwa, Bapsi. *Azadi*. New Delhi: Penguin 2014.
2. Halyal, Pooja. "Rejuvenating Cracking India: Bapsi Sidhwa's Ice-Candy-Man" *Journal of Higher Education and Research Society: A Refereed International*, October 2006 Volume (4) 2349-0209 Belagavi, Karnataka.
3. Butalia, Urvashi. (1998). *the other side of silence: voices from the partition of India*. New Delhi: Penguin.
4. Roy, Kaushik. *Partition of India why 1947* NEW: Oxford University 2012.
5. Rizvi, Syed Sifarish Husain. *Partition*. New Delhi: Tipes Enterprises 1998.
6. Sidhwa, Bapsi. "Introduction: City Beloved." *City of Sin and Splendour: Writings on Lahore*. Bapsi Sidhwa. New Delhi: 2005.
7. Sidhwa, Bapsi. *Cracking Milkweed* Editions, 1991.
8. Selected websites
9. <http://voices.cla.umn.edu/artispages/sidhwabapsi.php>
10. Bapsi Sidhwa official website: <http://www.bapsisidhwa.com/biography.htm>

बड़वानी विधानसभा की वर्ष 2008, 2013 एवं 2018 की स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन

कु. प्रेमा डावर *

प्रस्तावना - बड़वानी जिले में चार विधान सभा क्षेत्र हैं-था- बड़वानी, राजपुर, सेन्धवा और पानसेमला। उक्त चार विधानसभाओं की वर्ष 2008, 2013 और 2018 की स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

2008 के निर्वाचन, बड़वानी विधानसभा - सन् 2008 के विधान सभा निर्वाचन में बड़वानी विधानसभा में प्रेमसिंह पटेल, भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित हुए। कुल 50, 759 मत उन्हें प्राप्त हुए जिनका प्रतिशत 46.08 रहा। उक्त निर्वाचन में कुल 7 उम्मीदवार खड़े हुए थे। कांग्रेस को कुल 36,432 मत प्राप्त हुए थे जिनका प्रतिशत 33.07 रहा जिसमें राजन हरेसिंह मण्डलोई उम्मीदवार थे। बी.एस.पी. के भुवना बरड़े, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लक्ष्मणसिंह चौहान को 15,880 मत मिले जिनका प्रतिशत 14.42 रहा। दूसरे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अजसिंह अवास्या को 2.38 प्रतिशत मत मिले। समाजवादी पार्टी के रूप में रमेश चौहान उम्मीदवार थे जिन्हें 1.37 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। आप दल के चंदन उम्मीदवार रहे जिनके 0.75 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।

इस प्रकार सन् 2008 के बड़वानी विधान सभा में 46.08 प्रतिशत सर्वाधिक मत प्राप्त कर श्री प्रेमसिंह पटेल भाजपा के निर्वाचित विधायक बने।

2013 विधानसभा, बड़वानी निर्वाचन - इस वर्ष 2013 के विधानसभा निर्वाचन बड़वानी में काफी उलट फेर हुआ। कांग्रेस ने 77.64 मत प्राप्त कर श्री रमेश पटेल निर्वाचित हुए। जिन्हें 46.17 प्रतिशत मत मिले। जबकि भा.ज.पा. के प्रेमसिंह पटेल दूसरे स्थान पर रहे। और कुल 67,234 मत मिले और उनके मतों का प्रतिशत 39.92 रहा। पिछली विधान सभा निर्वाचन में उन्हें 50,759 मत मिले जबकि 2013 के निर्वाचन में उन्हें 67, 234 मत मिले थे। नोटा के रूप में 7,430 मत व्यर्थ गये। उनसे 4.4 प्रतिशत वोट किसी को भी नहीं मिले। बीएसपी को 3.05 प्रतिशत मत मिले उम्मीदवार कानसिंह पटेल थे। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में शांतिलाल होलगाँव को 2.98 प्रतिशत मत मिले थे। समाजवादी पार्टी के करण सिंह बर्मन को 2.11 प्रतिशत मत मिले थे। दूसरी समाजवादी पार्टी के श्री गुलसिंह प्रेमा को मात्र 1.35 प्रतिशत मत मिले थे।

2018 के बड़वानी विधानसभा निर्वाचन - इस वर्ष 2018 के बड़वानी विधानसभा निर्वाचन में पुनः बाजी पलट गई और प्रेमसिंह पटेल ने भाजपा प्रतशी के रूप में 88, 151 मतों से विजय प्राप्त की और उनका मत प्रतिशत 48.14 प्रतिशत रहा। स्वतंत्र उम्मीदवार राजन मडलोई पुनः हार गये। उनका प्रतिशत 26.96 प्रतिशत रहा और कांग्रेस श्री रमेश पटेल इस 2018 के निर्वाचन में हार गये। उन्हें मात्र 16.61 प्रतिशत ही मिले। नोटा के कारण

2.52 प्रतिशत मत किसी को भी नहीं मिले। बीएसपी के सुमेरसिंह बड़ोले को मात्र 1.05 प्रतिशत मिले। दो स्वतंत्र प्रत्याशी राणा दुर्गेश सिंह को मात्र 1 प्रतिशत मत मिले और दूसरे स्वतंत्र प्रत्याशी को मात्र 0.96 प्रतिशत मत श्री संजय सिंह को मिले।

राजपुर विधानसभा

2008 राजपुर विधानसभा निर्वाचन - सन् 2008 के निर्वाचन में राजपुर विधान सभा के प्रत्याशी श्री देवीसिंह पटेल भाजपा के उम्मीदवार के रूप में कुल 58,052 मत प्राप्त कर विजयी रहे। उन्हें 47.94 प्रतिशत प्राप्त हुए। कांग्रेस दूसरे क्रम पर रही श्रीमती शकुन्तला वास्करले को 40.70 प्रतिशत मत मिले बीएसपी के उम्मीदवार जगन को मात्र 3.06 प्रतिशत मत मिले सी.सी.आई कॉमरेड सुखलाल गोरे को 2.79 प्रतिशत मत मिले। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में श्रीमती कल्पना पटेल को 2.44 प्रतिशत मत मिले। बी.जे.एस.एच. के मोहन को 1.76 प्रतिशत एएमएस के गिरधारी सोलंकी को 1.31 प्रतिशत मत मिले।

2013 राजपुर विधान सभा - इस वर्ष 2013 में राजपुर में पुनः उलटफेर हुआ इस वर्ष कांग्रेस के उम्मीदवार बाला बच्चन को 82.167 प्रतिशत मत प्राप्त कर विजयी रहे। पिछले चुनाव के प्रत्याशी श्री देवीसिंह पटेल इस वर्ष 2013 के विधानसभा में हार गये इस प्रकार भाजपा की कांग्रेस के सामने हार हुई। आगे के चुनाव के पूर्व ही उनकी अप्रतिशत हृदयगति रूकने से ममृत्यु हो गई। सी.पी.आई. को सुखलाल कॉमरेड को 2.65 प्रतिशत मत मिले। नोटा के रूप में 1.94 मत व्यर्थ गये। याने किसी को भी मत नहीं मिले। बीएसपी के श्री रणछोड़ मावदे को 1.64 प्रतिशत मत मिले। दो स्वतंत्र उम्मीदवार श्री करण दौलतराम और रतनसिंह सुभान सिंह दोनों ने 1.10 प्रतिशत मत मिले।

2018 राजपुर विधान सभा - इस वर्ष 2018 में 5 प्रत्याशी मैदान में रहे। जिनमें कांग्रेस करे 85513 मत मिले और वे विजयी रहे। उनको 47.99 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। पिछले चुनाव के प्रत्याशी देवीसिंह पटेल के आकस्मिक निधन के कारण उनके पुत्र अन्तरसिंह को प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन वे भी हार गये। उनको 47.47 मत मिले। नोटा के रूप में 1.88 प्रतिशत सी.पी.आई के विजसिंह चौहान को 1.35 प्रतिशत और ए.ए.पी. उमरावसिंह को 0.85 प्रतिशत बी.एस.पी. को मात्र 0.45 प्रतिशत मत मिले।

इस प्रकार श्री बाला बच्चन को राजपुर विधानसभा में 2013 और 2018 दोनों निर्वाचनों में विजयी रहे। सन् 2018 में कांग्रेस मंत्रिमंडल भंग हो गई और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम हुई। भाजपा के निर्वाचन का तीसरा वर्ष रहा है।

सैंधवा विधानसभा

2008 सैंधवा विधान सभा की स्थिति – उक्त 2008 के निर्वाचन में 5 प्रत्याशी रहे। तीन निर्दलीय लोगों को भी प्रत्याशी बनाया गया।

2008 में भाजपा के श्री अंतरसिंह 54, 122 मत से विजयी रही। उन्हें 50.06 प्रतिशत मत मिले।

कांग्रेस के सुखलाल दूसरे क्रम पर रहे। वे हार गये उनको 38.10 प्रतिशत मत मिले। स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में रेमसिंह, जाकिर, गोरेलाल और आबल विधानसभा सैंधवा के रूप में खड़े हुए जिनमें बी.जे.एस.एच. के धानसिंह को 3.00 मत मिले। समाजवादी पार्टी को 1.06 तथा बी.एस.पी. के रमेश के 0.93 प्रतिशत मत मिले।

तीन निर्दलीय उम्मीदवारों में रेमसिंह को 3.68 प्रतिशत, जाकिर को 1.30 प्रतिशत, गोरेलाल को 1.20 प्रतिशत और आबल को 0.67 प्रतिशत मत मिले।

2013 सैंधवा विधान सभा – तीन प्रत्याशी जिसमें भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी प्रत्याशी उमीदवार रहे। दो निर्दलीय, एक बी.एस.पी. के प्रत्याशी रहे।

बी.जे.पी. के अन्तरसिंह इस बार भी विजयी रहे। 88,821 मत उन्हें मिले जिनका प्रतिशत 54.29 रहा। कांग्रेस के द्वारा पटेल दूसरे क्रम पर रहे। जिन्हें 38.59 प्रतिशत मत मिले। नोटा के रूप 3.05 प्रतिशत मत किसी को भी नहीं मिले। दो स्वतंत्र उम्मीदवार लाखा डुडवे को 2.22 प्रतिशत रतनसिंह मेहता को 0.61 प्रतिशत मत मिले। बी.एस.पी. के मोहनसिंह चौहान को 1.23 प्रतिशत मत मिले।

2018 सैंधवा विधानसभा – इस वर्ष 2018 के निर्वाचन में पुनः फेरबदल हुआ। इस वर्ष श्री ग्यारसीलाल रावत कांग्रेस के प्रत्याशी को 94722 मत मिले। जिनका प्रतिशत 51.07 प्रतिशत रहा। इस वर्ष अन्तरसिंह आर्य पराजित हुए। जबकि पिछले दो चुनावों में उनकी भारी जीत हुई थी। इस बार उन्हें 42.5 प्रतिशत मत मिले। नोटा के रूप में 2.04 प्रतिशत सी.पी.आ के बाबूलाल गोरे को 1.66 प्रतिशत बी.एस.पी. के कमलेश ठाकुर को 0.84 प्रतिशत आर.एस.एम.डी. गफफार मुण्डा को 0.80 प्रतिशत एए.पी. के

इन्दास बर्डे को 0.54 प्रतिशत मत मिले।

पानसेमल विधानसभा – 2008 में पानसेमल विधान सभा में पूर्व में बाला बच्चन कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी रहे। 53,742 मत उनको मिले जिनका प्रतिशत 42.20 प्रतिशत मत रहे। पानसेमल विधान सभा के भाजपा प्रतशी कन्हैया वेरसिंह सिसोदिया को 44.07 प्रतिशत मत मिले। वे दूसरे क्रम पर रहे। तीन स्वतंत्र प्रत्याशी सुरेश सोलंकी, आशाराम शंकर, भावसार आवासे पानसेमल में प्रत्याशी रहे जिन्हें क्रमशः 3.05 प्रतिशत, 0.98 तथा 0.91 प्रतिशत मत मिले। बी.जे.एस.एच. के मोहन को 2.13 प्रतिशत और बी.एस.पी. के किशोर नरगावे को 1.66 प्रतिशत मत मिले।

2013 पानसेमल विधानसभा – इस वर्ष 2013 के पानसेमल विधान सभा में केवल दो प्रत्याशी मैदान में थे भाजपा और कांग्रेस। 2013 पानसेमल विधान सभा में 77,919 मत प्राप्त कर श्री दीवासिंह विठ्ठल पटेल, भाजपा के प्रत्याशी विजयी रहे। जबकि चन्द्रभागा किराड़े पराजित हुई। उन्हें 44.22 प्रतिशत मत मिले। नोटा के रूप में 5.89 प्रतिशत मत किसी को भी नहीं मिले।

2018 पानसेमल विधानसभा – इस 2018 के पानसेमल विधान सभा में पिछले चुनाव की अपेक्षा 2018 चुनाव में भारी फेरबदल हुई। सात प्रत्याशी मैदान में रहे। जिसमें इस विवाचन में सुश्री चन्द्रभागा किराड़े कांग्रेस प्रत्याशी 94,654 मतों से विजयी हुई जिसका प्रतिशत 54.60 प्रतिशत रहा। पिछले निर्वाचन के श्री दीवानसिंह अब की बार हार गये। उन्हें 40.05 प्रतिशत मत मिले। वे दूसरे क्रम पर रहे। बी.एस.पी. के दुर्गा रतन 0.95 प्रतिशत मत मिले। मोहन मोती 0.89 प्रतिशत जो बी.एस.पी. के उम्मीदवार थे। 2.30 प्रतिशत नोटा को मिले। एस.एच.एस. के मंसाराम को 47 प्रतिशत, ए.ए.पी. को 47 प्रतिशत आर.एस.एम.डी आरीम नई को 0.26 प्रतिशत मत मिले।

इस प्रकार चारों विधान सभाओं की सन् 2008, 2013 और 2018 निर्वाचन की बड़वानी जिले की चार विभाजन की स्थितियों का विश्लेषण किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

भिलाला वर्ग का राजनैतिक वर्चस्व और उसके कारण

डॉ. ओमना खर्ते *

प्रस्तावना

मानकर या नाइक – यह उपजाति अलीराजपुर, धार और बड़वानी जिले में पायी जाती है। नाइक खिताब उन्हें राज्य के अधिकारियों ने पूर्व में दिया था। नाइको का भी मानना है, कि उनकी उत्पत्ति राजपूतों और भीलों से हुई है।

सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन – अपनी परम्परा के अनुसार इन्होंने अपनी उपजातिगत संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान और रीतिरिवाज निर्धारित किये हैं जिनका वे परम्परागत तरीके से पालन करते आये है।

मुखिया अपनी उपजाति में उत्पन्न सभी विवादों का निर्णय देता है। इसकी अनुमति के बगैर न तो वैवाहिक संबंध कायम किये जाते हैं और न ही कोई धार्मिक उत्सव मनाया जा सकता है। इनके रीतिरिवाज तथा इनकी परम्पराएँ ही इनकी पहचान है।

अध्ययन में पाया गया, कि इन उपजातियों में भिलालों ने प्रायः हर क्षेत्र में काफी प्रगति की है, जिससे भिलाला उपजाति अन्य उपजातियों में सबसे आगे बढ़ गई है। इस प्रकार भिलाला उपजाति की इस प्रगति के पीछे निहित कारणों की खोज करना शोध के उद्देश्यों में एम महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

अध्ययन में यह भी पाया गया, कि भिलालों ने राजनीति के क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व, अन्य उपजातियों के तुलना में स्थापित किया है। इस कारण उनकी सामाजिक हैसियत अधिक वजनदार और प्रभावी बन चुकी है। राजनैतिक हैसियत अधिक वजनदार और प्रभारी बन चुकी है। राजनैतिक वर्चस्व के लिए इस उपजाति ने जमीनी कार्यकर्ता से लेकर पंचायत चुनाव में पंच, सरपंच आदि पदों पर अधिकार जमाया है। इसके साथ ही विधानसभा और संसद के रूप में भी उन्होंने अपना राजनैतिक वर्चस्व कायम किया है। किसी भी समाज को शक्ति सम्पन्न बनने के लिए मुख्य रूप से तीन कारण अत्यधिक जिम्मेदार माने जाते हैं।

1. आर्थिक स्थिति मजबूत होना
2. शैक्षणिक विकास
3. राजनैतिक पद प्राप्ति।

मध्य प्रदेश शासन ने जनजाति के विकास की अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की हैं, इसके अलावा कृषि विकास की योजनाएँ भी लागू की हैं। शिक्षित होने से भिलालों ने अन्य उपजाति की तुलना में इन विकासगामी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया।

इन प्रयासों से भिलालों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। शिक्षा के क्षेत्र में भी भिलाले अग्रणी रहे। आज शासकीय विभिन्न सेवाओं में भिलालों की संख्या सर्वाधिक है। डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, जिला उद्योग केन्द्र, नायब तहसीलदार, प्रोफेसर, शिक्षक, पुलिस सेवाओं में थाना प्रभारी, पुलिस उप अधीक्षक इत्यादि पदों पर भिलाले नियुक्त हैं। इससे भिलालों को प्रशासनिक

सहयोग भी आसानी से उपलब्ध हुआ। पिछली तीन संसदीय, विधानसभा और पंचायतों के निर्वाचनों में भिलाला वर्ग का वर्चस्व दिखाई देता है।

उनमें जागरूकता पैदा नहीं हुई। इसके अलावा पुरातन परम्पराएँ भी इनके विकास में बाधक रही, जबकि भिलालों ने शिक्षा और आर्थिक विकास की ओर अधिक ध्यान दिया। इस कारण इस उपजाति में जागरूकता अधिक उत्पन्न हुई। साथ ही परम्पराओं में आने वाले परिवर्तनों को भी सहजता से स्वीकार और आत्मसात किया।

बड़वानी, धार, झाबुआ, खरगोन, खण्डवा जिलों में भिलाला वर्ग का राजनीतिक वर्चस्व रहा है। जनजाति क्षेत्रों के अंतर्गत पश्चिमी मध्य प्रदेश का संपूर्ण जनजाती क्षेत्र जिसमें भिलाला वर्ग प्रमुख है को ही सांसद, विधायक, पंच, सरपंच जनप्रतिनिधियों की आसंदी पर देखा जाता है। भिलाला वर्ग में प्रायः यह देखा गया है कि वह अधिकारों के लिए या अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए निरन्तर संघर्षरत रहकर अंततः उस गरिमा को प्राप्त कर ही लेता है जिसका वह हकदार है।

शिक्षा के प्रसार और वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप ग्राम में जीवन के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक पक्ष प्रभावित हुए हैं। वहीं सांस्कृतिक पक्ष भी आधुनिकता के प्रभाव से अछूता नहीं है। प्राविधिक तथा आर्थिक शक्तियों के फलस्वरूप ग्रामीण सामाजिक संरचना के साथ-साथ ग्रामों की लोक संस्कृति भी बदलने लगी है।

शिक्षा के क्षेत्र में अन्य उपजातियों से भिलाला वर्ग शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक है। अपने परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। भिलाला वर्ग हर संभव यह प्रयास करते हैं कि वह शिक्षा से वंचित न रह पाये। इसलिए भिलाला वर्ग अपने परिवार के हर सदस्य को उच्च शिक्षित करने के लिए लगा रहता है। अन्य वर्गों की अपेक्षा वर्ग अधिक शिक्षित और उच्च पदों पर आसीन है। भिलाला वर्ग की सोच यह रही है, कि पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़ जा कि इनसे कोई अन्य वर्ग आगे न निकल जा। इसलिए यह वर्ग अब महाविद्यालयों में सरकारी कार्यालयों, बैंकों में देखने को मिलते हैं।

आर्थिक स्थिति – शिक्षा के उच्च शिक्षित होने के कारण भिलाला वर्ग की आर्थिक स्थिति अन्य जनजाती वर्ग से अच्छी है। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण इनके रहन-सहन, खानपान और वेशभूषा में भी काफी बदलाव आया है। यह वर्ग शराब जैसे व्यसन से दूर रहता है। भिलाला वर्ग मारपीट से सदा बचता रहा है। कुछ परिवारों को छोड़कर अपवाद स्वरूप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण यह वर्ग जनजाती वर्ग से अपना वर्चस्व काम किया है। भिलाला वर्ग में हमेशा से अपने को उच्च वर्ग का मानते हैं। अन्य वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग का प्रभुत्व बहुत अधिक है।

सांस्कृतिक स्थिति – भिलाला वर्ग की सांस्कृतिक स्थिति सौहार्दपूर्ण रही है। समाज में होने वाले विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक ओजनों में एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ाकर अपनी सांस्कृतिक एकता का परिचय देते हैं। इनमें एक दूसरे को साथ लेकर चलने की भावना रहती हैं। इसलिए इनकी सांस्कृतिक स्थिति अन्य जनजातियों से अच्छी है।

राजनीतिक स्थिति – उच्च शिक्षित होने, आर्थिक स्थिति व सामाजिक स्थिति मजबूत होने से भिलाला वर्ग की राजनीतिक स्थिति बहुत मजबूत है। अपनी राजनीतिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए हर संभव प्रास करते हैं। ये ईमानदारी, मेहनत व परिश्रम के द्वारा अन्य जनजाती वर्ग से आगे निकल गये हैं। इन्हें सांसद, विधायक, पंच, सरपंच जैसे पदों पर देखा जा सकता है। भिलाला वर्ग का उक्त कारणों से राजनीति पर वर्चस्व रहा। संसदीय निर्वाचन से लेकिन पंचायतों के निर्वाचन में भिलालों का ही वर्चस्व रहा।

इससे उन्हें राजनीतिक शक्ति का भी सहयोग मिला। इसी कारण इनका राजनीतिक वर्चस्व है। राजनीति के क्षेत्र में यह वर्ग सबसे आगे निकल गया है। अपनी स्थिति को काफी हद तक मजबूत किया है जिससे भिलाला वर्ग का वर्चस्व है। भिलाला वर्ग ने आर्थिक और शैक्षणिक विकास की ओर अधिक ध्यान दिया, जबकि अन्य उपजातियों ने आर्थिक और शैक्षणिक विकास को उपेक्षित किया।

प्रभावित करने की क्षमता – भिलाला वर्ग में वाक्पटुता, ईमानदारी, संयम, चारित्रिक विशेषताएँ, वाणी का माधुर्य, शिक्षा के प्रति उसका लगाव, मिलनसारिता के कारण किसी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

खरगोन जिले की 6 विधानसभाओं के सन् 2008, 2013 एवं 2018 के निर्वाचनों का संक्षिप्त विश्लेषणात्मक अध्ययन

कु. प्रेमा डावर *

प्रस्तावना – खरगोन जिले में 6 विधानसभाओं के निर्वाचनों के परिणामों का तथ्यात्मक विश्लेषण निम्नानुसार किया जा रहा है।

खरगोन जिले में बड़वाह, कसरावद, खरगोन, भीकनगाँव, भगवानपुरा और महेश्वर विधानसभाएँ हैं।

2008 के बड़वाह विधान सभा की स्थिति – इस वर्ष के विधान सभा बड़वाह में श्री हितेन्द्र सिंह धन सिंह सोलंकी, भाजपा 55,448मतों से विजयी हुए। जिनके मत का प्रतिशत 51.92 है। दूसरे क्रम पर कांग्रेस के श्री ताराचंद शिवजी पटेल रहे थे। जिनको 36.49 प्रतिशत मत मिले थे। बी.एस.पी. के मुबारिक खान को 5.04 मत प्राप्त हुए। एल.जे.पी. के जितेन्द्र जाधव को 1.44 प्रतिशत तथा दो स्वतंत्र उम्मीदवार गोविन्द परिहार तथा ए. गफूर (गुड्डू पीर जी) को मात्र 1 प्रतिशत तथा बीजेएसएच. के राजाराम कड़वा गुजर को 0.83 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। इस प्रकार बी.जे.पी. और कांग्रेस को छोड़ कर सभी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुईं।

2013 बड़वाह विधानसभा – इस निर्वाचन 2013 में पुनः हितेन्द्र सिंह धन सिंह सोलंकी ने ही 67600 मत प्राप्त कर विजयी हुए जिनका मत प्रतिशत 43.82 प्रतिशत रहा। दूसरे क्रम पर निर्दलीय के सचिन बिरला रहे जिनका मत प्रतिशत 40.17 प्रतिशत रहा। राजेन्द्र सिंह धन सिंह सोलंकी की कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे क्रम पर रहे। उन्हें 9.28 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। हितेन्द्र सिंह और राजेन्द्रसिंह भाई भाई हैं एक के बीजेपी और दूसरे ने राजेन्द्र सिंह का दामन थामा था। कैलाश रोकड़े बीएसपी के 2.12 प्रतिशत, नोटा के रूप में 1.88 प्रतिशत मत किसी को भी मत नहीं मिला। तीन निर्दलीय गोपालसिंह करणसिंह सोलंकी 0.73 प्रतिशत परमानंद टंडू को 0.59 प्रतिशत तथा अर्जुन दांगी को 0.33 प्रतिशत मत मिले। एसपी और एन.सी.पी. को क्रमशः सन्तोष चौधरी को 0.68 प्रतिशत और राजेश गुजर को 0.42 प्रतिशत मत मिले। इस प्रकार भाजपा और स्वतंत्र उम्मीदवार क्रमशः हितेन्द्रसिंह और सचिन बिरला को छोड़कर सभी की जमानतें जब्त हुईं।

2018 बड़वाह विधानसभा – इस वर्ष के निर्वाचन में उलट फेर हुआ। सचिन बिरला ने पिछले निर्वाचन में स्वतंत्र प्रतशी के रूप में खड़े हुए और उनको 96230 मत प्राप्त कर विजयी रहे। उन्हें 56.33 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। दूसरे क्रम पर पिछले दो चुनावों के विजेता हितेन्द्रसिंह सोलंकी अब 2018 के निर्वाचन में पराजित हुए। और उन्हें 38.61 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सुबोध सुभाषचन्द्र शर्मा 0.94 प्रतिशत, मो. रफीक मुंडा 0.62, परमानंद केवल 0.21 प्रतिशत, अमोकचंद को 0.13 प्रतिशत तथा चेतन मडलोई को 0.12 प्रतिशत मत प्राप्त हुए जिनकी जमानतें जब्त हुईं।

नोटा के रूप 0.91 प्रतिशत को कोई मत नहीं मिले। बी.एस.पी. के केशरीलाल पिपलोदे 0.88 प्रतिशत एमजेपी के आकाश बिरला 0.48 प्रतिशत, एसपीकेपी हेमेश्वर पगारे को 0.29 प्रतिशत, एएपी के मावीर मडलोई को 0.20 प्रतिशत तथा एसजेबी.पी की श्रीमती कविता कर्मा को मात्र 0.09 प्रतिशत मत मिले। इस प्रकार मात्र दो को छोड़कर सभी की जमानतें जब्त हुईं।

2008

कसरावद विधानसभा – वर्ष 2008 के कसरावद विधानसभा में आत्माराम पटेल ने भाजपा प्रतशी के रूप में 65,041 मत प्राप्त कर विजयी हुए। उनके 54.19 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। दूसरे क्रम पर कांग्रेस के सुभाष यादव ने 36.03 प्रतिशत मत प्राप्त किये। वे पराजित हुए। सन् 2008 के विधानसभा में स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में हबीब सुखर 3.65 प्रतिशत दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष यादव 0.58, दीपक पाटीदार 0.54 प्रतिशत, किरण पाटीदार 0.31, परसराम यादव 0.29 प्रतिशत, हाजी गणफार (गुड्डू पीरजी) 0.24 प्रतिशत, अखिलेश पाटीदार 0.17 प्रतिशत, तथा श्रीमती अर्चना दानंद यादव 0.15 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। ताराचंद यादव अहीर, बी.एस.पी. ने 2.79 प्रतिशत, एल.जे.पी. के हाजी जाकीर हुसैन इंजीनीर 0.60 प्रतिशत समाजवादी डॉ. रमेशचंद्र उपाध्याय ने 0.46 प्रतिशत सभी की जमानतें जब्त हुईं। बी.जे.पी. और कांग्रेस क प्रत्याशी ही मैदान में रहे जिनमें भाजपा प्रतशी विजयी रहे।

2013 कसरावद विधानसभा – इस वर्ष के निर्वाचन में काफी फेरबदल हुआ। कांग्रेस सचिन सुभाषचंद्र यादव ने 79,685 मत प्राप्त कर विजयी रहे। उनके पिता श्री सुभाषचंद्र यादव श्री कांग्रेस की ओर प्रत्याशी रहे और मंत्री पद भी उन्होंने पाये थे। दूसरे क्रम पर पिछली विधानसभा के भाजपा प्रतशी आत्माराम पटेल विजयी रहे, किन्तु 2013 के निर्वाचन में पराजित हुए। उनको 42.78 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। नोटा के रूप में 2.25 प्रतिशत मत किसी भी प्रत्याशी को नहीं मिले। इस निर्वाचन में चार स्वतंत्र अर्थात् निर्दलीय प्रत्याशी उम्मीदवार खड़े हुए थे। आत्माराम पटेल 1.20 प्रतिशत, कमल चौहान 0.73 प्रतिशत, रेवाराम मीना 0.67 प्रतिशत, परसराम यादव 0.37 प्रतिशत को मत प्राप्त हुए। बी.एस.पी. के भगवान बड़ोले 1.02 प्रतिशत सीपीए के कामरेड माँगीलाल निहाल 0.77 प्रतिशत उक्त सभी प्रत्याशी पराजित हुए और उनकी जमानतें भी जब्त हुईं।

2018 कसरावद विधानसभा – इस वर्ष के निर्वाचन में कांग्रेस के प्रत्याशी श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ही 86070 मत प्राप्त कर विजयी रहे। उन्हें 49.07 मत प्राप्त हुए। दूसरे क्रम पर भाजपा के आत्माराम पटेल पराजित हुए और

* ग्राम- सेंदला, पोस्ट- डेहरी, तहसील-गन्धवानी, जिला धार (म.प्र.) भारत

उन्हें 45.91 प्रतिशत मत मिले। इसके बाद सारे पराजित प्रत्याशित की जमानते जब्त हुई। नोटा के रूप में 1.59 प्रतिशत मत किसी को भी नहीं मिले। दो निर्दलीय प्रत्याशी क्रमशः अजय जगदीश पाटीदार को 0.95 प्रतिशत राजसिंह 0.33 बी.एस.पी. के गजानन सावनेर को 0.95, जे ए सी के 0.61 प्रतिशत इब्राहीम इस्माईल प्रत्याशी थे। ए.एस.पी. के शैलेश चौबे को 0.34 प्रतिशत, एसपीकेपी के जितेन्द्र जगदीश शर्मा की 0.25 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। इस प्रकार 6 प्रत्याशी अधिक कम तो से पराजित होकर उनकी जमानतें जब्त हुईं।

2008 खरगोन विधानसभा – वर्ष 2008 के खरगोन विधान सभा के भाजपा प्रत्याशी बालकृष्ण पाटीदार ने 59,693 मत प्राप्त कर विजयी रहे। उनको 53.15 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। दूसरे क्रम पर कांग्रेस के रामलाल सीताराम पाटीदार 31.11 प्रतिशत मत प्राप्त मत पराजित हुए।

शेष 15.74 प्रतिशत 8 प्रतशी पराजित हुए और उनकी जमानतें जब्त हुईं। बीजेएसएच के अजीदीन शेख को 9.65 प्रतिशत बीजेएस एच. के राजेन्द्र रणछोड़ परसाई (नब्रु महाराज) को 1.69 प्रतिशत निर्दलीय प्रत्याशी हबीब सुखर को 1.54 प्रतिशत और जितेन्द्र खेड़े को 0.25 प्रतिशत मत प्राप्त मिले। उसी प्रकार गणपति महाराज को 0.66 प्रतिशत, रवि राजन नारायण को 0.46 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। सी.पी.आई को 1.14 प्रतिशत व समाजवादी पार्टी को अमगान खान को 0.34 प्रतिशत मत मिले।

2013 खरगोन विधान सभा – वर्ष 2013 में भी भाजपा के प्रत्याशी श्री बालकृष्ण पाटीदार ने 74,513 मत प्राप्त कर विजयी हुए। उनको 43.95 मत प्राप्त हुए। दूसरे क्रम पर रवि रमेशचन्द्र जोशी कांग्रेस के प्रत्याशी ने 43.93 प्रतिशत तक प्राप्त कि। उन्हें पराजय झेलना पड़ा। उसके बाद 10 प्रतशियों कसे बहुत कम मत मिले जिससे उनकी जमानत जब्त हुई।

नोटा के रूप में 1045 प्रतिशत को कोई मत नहीं मिले। सी.पी.आई. के के.के. खाजमी, वकील को 1.23 प्रतिशत, बी.एस.पी. के नसीर खान को 0.94 एन.सी.पी. के बालकृष्ण महाजन (बालू भैया) को 0.85 प्रतिशत और समाजवादी अजीज शेख को 0.51 प्रतिशत तथा 6 निर्दलीय प्रत्याशी पराजित हुए जिनकी भी जमानते जब्त हुईं। जिनकी नाम इस प्रकार हैं- सुरेश कुमार कर्मा 0.86 प्रतिशत, हबीब सुरूखु को 0.67 प्रतिशत भगवान धनधीर 0.37 प्रतिशत आशीश महेश पाटीदार 0.37 प्रतिशत, रामेश्वर बड़ोले रामेश्वर बड़ोले 0.26 प्रतिशत और दिलीप को 0.20 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।

2018 खरगोन विधानसभा – इस वर्ष काफी उलट फेर हुए। जिसमें कांग्रेस के रवि रमेशचंद्र जोशी 88,208 मत प्राप्त हुए और उनको 49.29 प्रतिशत मत से विजयी हुए। पिछले दो विधानसभा के विजयी प्रत्याशी श्री बालकृष्ण पाटीदार थे। वे दूसरे क्रम पर रहे। उन्हें पराजित होना पड़ा। उन्हें 44.53 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। एस पी के पी के कमलेश भंडारी 2.00 प्रतिशत, नोटा के रूप में 1.40 प्रतिशत किसी को भी मत नहीं मिले। बसपा के सुरेश तंवर को 0.62 प्रतिशत मत मिले। तथा जे एस सी के सत्तार खत्रे 0.11 प्रतिशत तथा 5 निर्दली प्रत्याशी भगवान धनधीर को 0.78 प्रतिशत, जोकेन्द्र सिंह राणा को 0.20 प्रतिशत नौशाद खान को 0.16 प्रतिशत, अजीजुद्दीन शेख पत्रकार को 0.16 प्रतिशत डॉगरसिंह भावरे को 0.13 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। सबकी जमानतें जब्त हुईं।

खरगोन विधानसभा में कांग्रेस के रवि जोशी जीत गये, किन्तु 3 वर्ष के भीतर ही कांग्रेस मंत्री मंडल अल्पमत में आने से सत्ता खोने से पुनः भाजपा ने म.प्र. विधानसभा में सत्ता प्राप्त की।

2008 भीकनगाँव विधानसभा – वर्ष 2008 के भीकनगाँव विधानसभा में कुल 5 प्रत्याशी खड़े हुए थे। जिसमें भाजपा के धूलसिंह डावर 47,216 मतों से विजयी हुए। उनका मत प्रतिशत 49.07 प्रतिशत रहा। दूसरे क्रम पर श्रीमती संगीता सिलदार पटेल रही। 34.36 मत उन्हें मिले। वे पराजित हुईं। उसके बाद तीन प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। जिसमें बीएसपी के जियालाल गोलकर को 9.91 प्रतिशत मत मिले। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लालू अमीरा को 3.89 प्रतिशत मत मिले। तथा बीजेएसएच के तुलसीराम रामलाल गोल को 2.77 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।

2013 भीकनगाँव विधानसभा – इस निर्वाचन में पुन उलटफेर हुआ। कांग्रेस की श्रीमती झूमा सोलंकी 72,060 मतों से विजयी रही। उन्हें 47.39 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। बीजेपी के नंदा ब्राह्मणे को 45.81 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। वे दूसरे क्रम पर रहे। उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। नोटा के रूप में 2.45 प्रतिशत को कोई किसी को मत नहीं मिले। एनसीपी के खजान चौहान को 2.20 प्रतिशत और बीएसपी के डी.आर. बरडे को 2.16 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। इस प्रकार कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर अन्य सबकी जमानत जब्त हुई।

2018 भीकनगाँव विधानसभा – इस वर्ष निर्वाचन में श्रीमती झूमा सोलंकी, कांग्रेस प्रत्याशी ने 91,635 मत प्राप्त कर वह विजेता रही। उनके मत का प्रतिशत 55.39 रहा। दूसरे क्रम पर पूर्व विजेता धूलसिंह सोलंकी भाजपा को 38.92 प्रतिशत मत मिले। उनको हार का सामना करना पड़ा। नोटा के रूप में 2.35 प्रतिशत मत किसी को भी नहीं मिले। इस वर्ष के निर्वाचन में निर्दलीय स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चार उम्मीदवार खड़े रहे। राजेन्द्र तुकाराम विकास को 1.38 प्रतिशत, भानसिंह डावर को 0.37 प्रतिशत गोदावरी तुकाराम भास्करे को 0.32 तथा कृष्णा घोसले को 0.20 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। बी.एस.पी. के बाबूलाल भंगी 0.82 प्रतिशत. ए ए ए.पी. के रामू सरसते को 0.20 प्रतिशत मत मिले। उक्त 2 प्रत्याशी के छोड़कर सबकी जमानत जब्त हुई।

2008, भगवानपुरा विधानसभा – वर्ष 2008 के निर्वाचन में जमनासिंह सोलंकी, भाजपा ने 52,309 मतों से विजयी हुए। उन्हें कुल 50.94 मत प्राप्त हुए। कांग्रेस के केदार चिड़ाभाई डावर दूसरे क्रम पर रहे। उन्हें 35.95 प्रतिशत मत मिले। उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद अन्य चार प्रत्याशी की जमानतें जब्त हुईं। सी पी आई के भाई किनन सिंह बरडे को 4.70 प्रतिशत, एलजेपी प्रतापसिंह अकोले को 3.53 प्रतिशत, बीजेएसएच. केशरीराम जोगड़ा को 2.50 प्रतिशत, बीएसपी को बद्धीलाल राम जमरे को 2.37 प्रतिशत मत मिले।

2013 भगवानपुरा विधानसभा – इस निर्वाचन में कांग्रेस के विजसिंह 62,251 मतों से विजयी हुए। उन्होंने 44.11 प्रतिशत मत प्राप्त किये। दूसरे क्रम पर भाजपा के गजेन्द्रसिंह को 42.92 मत मिले। नोटा के रूप में 3.93 मत किसी को भी नहीं मिले। सीपीआई के किरणसिंह को 3.01 प्रतिशत एनसीपी के झमराल को 1.95 और बीएसपी के सुरेश को 1.46 प्रतिशत मत मिले।

इसी के साथ 4 निर्दलीय स्वतंत्र प्रत्याशी मैदान में रहे। जिनमें सुरेश 1.39 लालसिंह को 0.66 प्रतिशत जवानसिंह को 0.60 प्रतिशत और गंगाराम को 0.51 प्रतिशत मत मिले। उक्त दो के अलावा शेष सब की जमानतें जब्त हुईं।

2018 भगवानपुरा विधानसभा – इस बार भी काफी उलटफेर हुए। कांग्रेस के केदार चिड़ाभाई डावर को 73,758 प्रतिशत मत मिले।

पूर्व विजता जमनासिंह सोलंकी भाजपा को 37.65 प्रतिशत मत मिले। उनको हार का सामना करना पड़ा। नोटा के रूप में 2.57 प्रतिशत, सीपीआई के भाई किरणसिंह बड़ोले को 1.65 प्रतिशत बीएसपी. के राकेश तुमाराम चौहान को 0.93 प्रतिशत निर्दलीय प्रत्याशी को 0.61 प्रतिशत और भूरेलाल एएपी को 0.55 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।

2008 में महेश्वर विधानसभा – इस वर्ष के निर्वाचन में श्रीमती विजय लक्ष्मी साधो को 58.061 मत मिले और वे विजेता रही। उन्हें 46.23 प्रतिशत मिले।

दूसरे क्रम पर भाजपा के राजकुमार मेव को 45.70 प्रतिशत मत मिले और उन्हें पराजित होना पड़ा। उन दो को छोड़कर सभी की जमानते जब्त हुईं।

महेश्वर विधानसभा में 5 निर्दलीय प्रत्याशी खड़े रहे। श्री सतीश सुखराम को 1.91 प्रतिशत मदनलाल वर्मा की 1.48 प्रतिशत विजयी लक्ष्मी साठे को 1.21 प्रतिशत, मूलचंद वासुन्डे को 0.30 प्रतिशत और अनिल को 0.16 प्रतिशत मत प्राप्त हुए कम बी.एस.पी. के महन्त सीताराम मकवाने को 1.37 प्रतिशत समाजवादी के डॉ. रमेशसिंह सोलंकी को 1.29 प्रतिशत, एलजेपी के द्वितीय सूर्यवंशी को 0.18 प्रतिशत और आरपी आई (ए) राजेन्द्र शहाणी को 0.17 प्रतिशत मिले।

2013 में महेश्वर विधानसभा – इस सत्र में भी काफी फेरबदल किया गया। इस वर्ष भाजपा के राजकुमार मेव को 74,320 मतों से विजेता रहे। उनके मतों का प्रतिशत 48.26 प्रतिशत रहा। कांग्रेस के सुनील खाण्डे को

45.19 प्रतिशत नोटा के रूप में 1.14, पी.आर.एस.पी. के फूलचंद को 0.97 प्रतिशत बीएसपी के रमेश मसोरे को 0.80 प्रतिशत एनसी.सी. के जितेन्द्र भार्गव को 0.78 प्रतिशत आरपीआई (ए) के राजेन्द्र कुमार शहानी को 0.12 प्रतिशत मत मिले इसी सत्र में 7 प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में खड़े हुए थे।

ग्यानचंद बाबूलाल रनसोरे की 0.90 प्रतिशत मूलचंद चौहान को 0.67 प्रतिशत. श्रीमती सुनीता टखारे को 0.43 प्रतिशत, दाराम साधों को 0.43 प्रतिशत, संदीप गोल को 0.14 प्रतिशत, बाबूलाल खाण्डे को 0.10 प्रतिशत हरिराम खाण्डे को 0.09 के मत मिले।

2018 में महेश्वर विधानसभा – इस वर्ष पुन फेरबदल हुए। कांग्रेस की श्रीमती विजय लक्ष्मी साधो को 83.087 मतों से विजेता रही। उन्हें 49.05 मत मिले।

पूर्व विधानसभा के भाजपा के श्री राजकुमार मेव निर्दलीय के 27.89 प्रतिशत मत मिले और वे पराजित हुए। इसी के साथ रोशन गोविन्द खेड़े निर्दलीय को 0.47 मत मिले इस वर्ष भाजपा के रूप में भूपेन्द्र आर्य के रूप में खड़े हुए और उनको 19.25 प्रतिशत मत मिले। नोटा के रूप में 1 प्रतिशत, एसपीके.पी. के गजेन्द्र आर्य को 0.68 प्रतिशत के राजू पिपलोदे 0.60 प्रतिशत, एएपी के बरजोर सिंह को 0.58 प्रतिशत मतदान किया। प्रथम 3 प्रत्याशी को छोड़कर शेष सबकी जमानतें जब्त हुईं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

Pedagogical Challenges in Present Scenario of Higher Education: An Overview

Namrata Pathania* Dr. B. S. Jaswal**

Abstract - Teaching is a system of action which includes learning through interpersonal relationship. In the present scenario, the ever-increasing needs of individuals and society are placing a heavy burden on education, including higher education. The quality of higher education in India has always been a matter of concern as it directly impacts the future of our nation. Although the industry and the academia both acknowledge that there is something seriously wrong with our education system, it is only recently that the learning-teaching process has become the centre of discussion and research. Quality teaching has become an issue of importance as the landscape of higher education has been facing continuous changes. The student body has considerably expanded and diversified, both socially and geographically. New students call for new teaching methods. Modern technologies have entered the classroom, thus modifying the nature of the interactions between students and professor. Today's generation is face to face with all the social networking sites and information technology. They are under impression that the teacher information they gain from internet is much easier and better. This does not mean that the teacher is becoming any less important. Rather the teacher's role is much more challenging in the present times in the field of higher education. The need of the hour is student of Learner Centric Learning.

Keywords - Teacher's Role, Today's Students, Quality Teaching, Student Centric Learning.

Introduction - Teaching is a social and professional activity. It is a system of action which includes learning through interpersonal relationship. "Teaching involves a triad of elements (the teacher, the subject matter and the pupil) and this triad is dynamic in quality"¹. In the present scenario, the ever-increasing needs of individuals and society are placing a heavy burden on education, including higher education. The quality of higher education in India has always been a matter of concern as it directly impacts the future of our nation. Although the industry and the academia both acknowledge that there is something seriously wrong with our education system, it is only recently that the learning-teaching process has become the centre of discussion and research. The traditional teaching methods have failed to acknowledge the students as individuals. The theatrical mode of teaching places the teacher on the centre stage and pushes the student to the background. The researches carried out all over the world suggest that effective learning can happen only when a student is made comfortable and important in the classroom and is given a chance to experience learning in his own way. Quality teaching has become an issue of importance as the landscape of higher education has been facing continuous changes.

The student body has considerably expanded and diversified, both socially and geographically. New students

call for new teaching methods. Modern technologies have entered the classroom, thus modifying the nature of the interactions between students and professors. "The teaching must be modified according to the needs of the taught"². Moreover, the one on one basis of teaching of Gurukuls has reduced to e-communication making the gulf of communication between the teachers and students wider. Even though we see students all over the world today using maximum technology to gain maximum knowledge and up to date information, this calls for a greater need of quality teaching. The reason behind this is that nothing can replace a good teacher. Today's generation is face to face with all the social networking sites and information technology. They are under the impression that the information they gain from internet is much easier and better. This does not mean that the teacher is becoming any less important. Rather the teacher's role is much more challenging in the present times in the field of higher education.

Objective - The foremost objective of this research paper is to find out the place and challenging role of a teacher in shaping the future of present day students in higher education institutions, with change of focus from teacher centric to student centric learning. The topic of discussion deals with four key words: 'Today's Students', 'Teacher's Role', 'Quality Teaching' and 'Student Centric Learning' which will be dealt with one by one.

* Assistant Professor (English) Govt. Degree College, Jukhala (H.P.) INDIA

** Assistant Professor (Commerce) Govt. Degree College, Jukhala (H.P.) INDIA

Role of a Teacher - The role of a teacher in the life of a student is eminent since prehistoric times. Vivekananda became Swami Vivekananda, the great sage from Narendranath Dutta, due to the efforts of his guru and mentor, Swami Ramakrishna. No doubt, the times have changed and with the advent of technology, there has been a vast shift in the outlook of the students. Traditional structures and modes of teaching appear less and less responsive to the challenges of our turbulent times. But the basics still remain the same, for the one who teaches must know and one who is taught must learn. "Teaching implies an intimate contact between a more mature (teacher) and a less mature (learner)"³. Education is nothing but just the manifestation of perfection. At the same time, "Educating the mind without educating the heart is no education at all" (Aristotle). In order to enhance and reward teaching excellence, it is essential to know what constitutes good teaching. Several features of the "good teacher" have been repeatedly identified by scholars. Feldman (1976) lists teacher sensitivity to class level and progress, clarity of course requirements, understandable explanations, respect for students and encouragement of independent thought, as the main characteristics of a good teacher. Shulman (1987) also emphasizes pedagogical knowledge and full command of the curriculum. Marsh (1987) mentions appropriate workload, clear explanations, empathy with students, openness on the part of the lecturer and quality of the assessment procedures. Entwistle and Tait (1990) list clear goals, appropriate workload and level of difficulty, choice in assignments, quality of explanation, appropriate pace in lecturing, enthusiasm of lecturer and empathy with students as essential traits. Webbstock (1999) underlines that good teaching is a type of teaching that correlates with the educational institution's mission statement. Hativa et al. (2001) focus their attention on four components: lesson organization, lesson clarity, interest in learning, and positive classroom climate. Taylor (2003) lists thirteen abilities needed for Quality Teaching and learning : Engagement locally and globally, Engagement with peers and colleagues, Equity and pathways, Leadership, Engagement with learners, Entrepreneurship, Designing for learning, Teaching for learning, Assessing for learning, Evaluation of teaching and learning, Reflective practice and professional development, Personal management, and Management of teaching and learning. As Radloff (2004) observes, these capabilities do not only encompass traditional discipline and pedagogical knowledge and skills but also entail an understanding of the global and connected nature of education and skills in leadership and management.

Present Day Students - We live in a world in crisis, in a knowledge society, and in an era in which time is fluid, nothing lasts, everything changes and is unstable. Mobile communication technologies are drastically changing our world. Students invest most of their time surfing internet and using mobile phones and hence find little or no time to

interact with teachers. The modern day students are no longer students in the literal sense as they feel and in most cases, are equipped with all the knowledge. They are very techno savvy and full of communication skills. Technology has reshaped the present world in full force and its greatest influence can be seen on the contemporary youth who are precisely called "net-savvy" generation or "digital natives" due to their absolute dependence on technology in general and the internet in particular. They are the masters of body language which they cleverly use to suit their ends and also to assess the teachers. They have a callous attitude which at times becomes overtly disrespectful. They go to attend classes not to gain something but just to assess and comment upon the teacher's knowledge. At the same time they are the victims of modern day problems like drug abuse, perverted sexuality, anxiety and depression. The attitude, behaviour and response of such modern day students is the biggest challenge faced by the teaching community.

Student Centric Learning - Over the past years, the concept of Student Centric Learning (SCL) has made its way into the policy discourse on higher education. SCL is not limited to certain methodology , rather it is a cultural shift in the institution. Current quality assurance mechanisms emphasise the importance of teaching as interaction between teacher and student, students as co-producers of knowledge. Students are the centre of the educational enterprise, and their cognitive and affective learning experiences should guide all decisions as to what is done and how. Most of the learning activities for the class are traditionally carried out by the instructor or teacher like choosing and organizing the content, interpreting and applying the concepts, and evaluating student learning, while the students' efforts are focused on recording the information .A student is most of the times a 'passive player' on a predefined education pathway. He or she has little choice in what is learnt and how it is learnt. The curriculum is predesigned and worse still, outdated and seldom relevant, and the dominant mode of instruction is information loaded, one way lectures from the teacher to the student. " The need to cover the content of the course has led to a neglect of ensuring that the course objectives are being met. It has also led to erroneously equating a good course with a rigorous course, rather than a course in which students learn. In consequence, when faced with an unmanageable amount of course content, students resort to memorization rather than conceptualization, using a "binge and purge" approach to examinations. In such an environment the successful student is the one who has mastered the ability to reproduce information required by the teacher, too often at the lower levels of knowledge"⁴. Learner-centered teaching methods shift the focus of activity from the teacher to the learners. These methods include active learning in which students solve problems, answer questions, formulate questions of their own, discuss, explain, debate, or brainstorm during class; cooperative

learning, in which students work in teams on problems and projects under conditions that assure both positive interdependence and individual accountability; and inductive teaching and learning, in which students are first presented with challenges (questions or problems) and learn the course material in the context of addressing the challenges. Inductive methods include inquiry-based learning, case-based instruction, problem-based learning, project-based learning, discovery learning, and just-in-time teaching. Learner-centered methods have repeatedly been shown to be superior to the traditional teacher-centered approach to instruction, a conclusion that applies whether the assessed outcome is short-term mastery, long-term retention, or depth of understanding of course material, acquisition of critical thinking or creative problem-solving skills, formation of positive attitudes toward the subject being taught, or level of self-confidence in knowledge and skills. "In a student-centric classroom the roles of teacher and student of necessity change, so that the teacher changes from the "sage on the stage" to the "guide on the side" who views the students not as empty vessels to be filled with knowledge but as seekers to be guided along their intellectual developmental journey"⁵. Thus, in a learner centered paradigm of education, students are encouraged to take greater responsibility for their learning outcomes. The professor ceases to be the fountain of knowledge filling the empty receptacles of students' minds; instead students actively participate in the discovery of knowledge. "Profound change is coming in the structure of our teaching and learning experiences that is likely to drastically alter the very look and feel of our classrooms and ultimately of our educational system"⁶.

Suggestions/ Strategies to be Adopted by Teachers :

- 1. Inform by knowledge:** Love and passion for the profession and subject is the foremost requisite to be knowledgeable. Good teachers can harness their knowledge by continuous reading, by participating in a variety of professional-development activities, by sharing ideas with their colleagues so that they remain up to date and well informed.
- 2. Facilitate the knowledge already possessed by students:** Students might know as much as teachers and in many cases, even more. The teacher must act as guide and facilitator in order to channelize their knowledge in the right direction.
- 3. Learn from students:** Teachers can learn a lot by listening to their students, and by reflecting on classroom interactions and students' achievements. They should promote creativity and innovation among the students.
- 4. Be friendly and generous:** Learning is enhanced when teachers demonstrate a variety of behaviors associated with kindness- interpersonal warmth, care, empathy, support, safety and intellectual understanding.
- 5. Be great psychologists:** A teacher has to be a psychoanalyst in order to identify behavioral patterns prevalent in modern day students who are full of complexes owing to the turbulent times. He should understand the psyche

of students and regulate their emotions for a better facilitation of knowledge.

6. Be great motivators: A good teacher has to take up the challenge to go down to the level of the student, then slowly bring him up to his level and commit the student to learning and development through motivational force. "The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires." (William A. Ward).

7. Give feedback like a coach: Feedback is fundamentally different from grading and conceptually separating the two is a key to great teaching. A teacher should think like a coach as coaches say precisely what the player is doing wrong and what they should be doing instead.

8. Give control to students: There should be a reversal of power at times. Students should be given control which will enable them to come out of their shells and interact more without inhibition.

9. Use course content judiciously: The teachers should use course content, not just as an end in itself, but as a means of helping students learn how to learn. The skills to be developed include study skills, time management, the ability to express oneself orally and in writing, and computational skills.

Conclusion - One of the major changes in education has been a shift from teaching to learning. A teacher needs to change with the changing time in order to be productive. "The production of new knowledge is exponential and unprecedented. While the new technologies are opening classrooms to the world and creating unimaginable opportunities for student learning, they are also making substantial demands on teachers to learn and know more, to develop new sets of technology related skills, and to manage ever-increasing amounts of information"⁷. A central concern of learner-centred teaching is learning, and so evaluation in the student-centred classroom is to promote learning. This means that the processes used will also change. Course objectives and learning goals will be clearly stated, and students will be taught to assess their own work and that of their peers by asking critical questions in a constructive manner. They will be given many opportunities to practice the theoretical and practical skills they are expected to learn and perform. Such strategies will diminish test anxiety and reduce the temptation to cheat.

It is an accepted pedagogical premise that the good teachers demonstrate an ability to transform and extend knowledge, rather than merely transmitting it; they draw on their knowledge of their subject, their knowledge of their learners, and their general pedagogical knowledge to transform the concepts of the discipline into terms that are understandable to their students. "The highest function of the teacher consists not so much in imparting knowledge as on stimulating the pupil in its love and pursuit"(Rousseau). Methods of higher education also have to be appropriate to the needs of learning to learn, learning to do, learning to be and learning to become. Student-centered

education and employment of dynamic methods of education will require from teachers new attitudes and new skills. Methods of teaching through lectures will have to subordinate to the methods that will lay stress on self-study, personal consultation between teachers and pupils, and dynamic sessions of seminars and workshops.

The mind of a student is like a free-flowing river whose direction can be changed by the gush of knowledge given by a teacher. Now, whether the river will lead to floods or nurture life, will depend on the insight and quality of the teacher. Professionalism is complex and elusive concept, it is dynamic and fluid. To many, Google is a guru and so is time. However, the best cannot be achieved without a humane touch. A teacher, the human counterpart, has to rise above the profession to make the right connect with the student. He has to make them 'how to think' rather than 'what to think'. "To know how to suggest is the art of teaching" (Rousseau). Thus, today's students seeking higher education deserve such teachers who would shift the focus from themselves to the students and thus transcend the definition of a teacher from not only one who is an instructor but also a mentor, a facilitator, a friend, a psychologist, a motivator and an actor. "A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops" (Henry Adams).

Works Cited :-

1. Hyman, Roland, Contemporary Thought on Teaching, New Jersey: Prentice Hall, Chapters 1-3, 5 and 8, 1971. Print.
2. Swami Vivekanand, My Idea Of Education, Chapter 4, 2008. Print.
3. Morrison, Henry C., Basic Principles in Education,

- Houghton Mifflin, 1934, Print.
4. Weimer, Maryellen, Learner Centred Teaching, 2002. Print.
5. Weimer, Maryellen, , Learner Centred Teaching, 2002. Print.
6. Bender, William N. and Waller, Laura, The Teaching Revolution, Coswin, pp 4-15. 2011. Print
7. Smylie, Mark A, Miller, Christopher and Westbrook, Kyle, The Work of Teachers, 21st Century Education: A Reference Handbook, Sage Publications, 2008. Print.

References :-

1. R. P. Pathak, Teaching Skills, Pearson, 2012, pp 103-117.
2. Vernon F. Jones and Louise Jones, Responsible Classroom Discipline. Boston: Allyn and Bacon, 1981, 95-215.
3. Richard Felder and Rebecca Brent, Teaching and Learning STEM: A Practical Guide, Jossey-Bass, 2016.
4. Basavraj S. Nagoba, Sarita B. Mantri , "Role of Teachers in Quality Enhancement in Higher Education", Journal of Krishna Institute of Medical Science University, JKIMSU, Vol.4 No.1, Jan-Mar 2015.
5. R. Ravi Kumar , "Quality improvement in Higher Education in India: A Review". International Journal of Educational Research and Reviews , Vol. 1 (2), pp.44-46, July 2013
6. www.Higher Education in India –Vision 2030
7. [https:// www.facultyfocus.com](https://www.facultyfocus.com)
8. [https://www.quantum.edu.in /guest lecture on 'present day scenario of teachers to cope up with students'](https://www.quantum.edu.in/guest%20lecture%20on%20present%20day%20scenario%20of%20teachers%20to%20cope%20up%20with%20students)
9. [www.ijhssi.org/papers v 4\(5\)](http://www.ijhssi.org/papers%20v%204(5))

भिलाला वर्ग उपजाति की अपेक्षा अन्य जनजाति की पिछड़ेपन की समीक्षा

डॉ. ओमना खर्ते *

प्रस्तावना - अपने शोध अध्ययन में यह पाया है कि भिलालाओं की अपेक्षा अन्य उपजातियाँ बहुत अधिक पिछड़ी हुई दिखाई देती हैं। अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि भील सर्वाधिक विपन्न वर्ग में समझा जाता है। अशिक्षा का उसका ग्राफ भी सबसे निम्न स्तर पर देखा जाता है। शराब, सट्टा, जूआं तथा शराब पीकर महिलाओं से मारपीट करना, अपने वचन पर ईमानदार न होना, काम से जी चुराना, एक कुशल श्रमिक भी नहीं है वह। इन सब कारणों से भी वह बहुत अधिक पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। उसकी अपनी निर्धनता के कारणों में नशाखोरी तथा और भी अनेक ऐसी बातें हैं, जो हाँ स्पष्ट नहीं कि जा सकती है।

अन्य उपजातियों के पिछड़ेपन के कारणों को अध्ययन के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। उसके शिक्षा के प्रति अरुचि का होना, किसी कार्य के प्रति उत्साह की कमी राजनीति में दक्षता विहिन (चार्तुता की कमी), आकर्षित करने की क्षमता से शून्य, अशिक्षित होने के कारण वाक्पटुता की कमी, निराशावादी या भागवादी भावनाओं से चिपके रहने की प्रवृत्ति, समग्र परिवेश में निम्न समझा जाता है।

बड़वानी, धार, झाबुआ, खरगोन, खण्डवा जिलों में अन्य वर्ग पिछड़ गया है। जनजाति क्षेत्रों के अंतर्गत पश्चिमी मध्यप्रदेश का संपूर्ण जनजाती क्षेत्र जिसमें अन्य वर्गों की संख्या अधिक है। निम्न वर्ग में प्रायः यह देखा गया है, कि वह अधिकारों के लिए या अपने राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए निरन्तर संघर्षरत रहकर अंततः उस गरिमा को प्राप्त कर नहीं कर पाया है।

शिक्षा - शोध अध्ययन द्वारा इनकी महत्ता एवं उपादेता को स्पष्ट करना अति आवश्यक है। कहीं न कहीं अपना मार्ग तलाशने में सफल नहीं हो पा रही है। सरकार द्वारा शैक्षणिक योजनाओं की कई इकाइयाँ उन्हें विकास के पथ पर अग्रसर करने में बाधा उत्पन्न होती हैं। उनके शैक्षणिक स्तर में कुछ कामियां रह जाती हैं जिसके कारण ये यह वर्ग पिछड़ी हुई स्थिति में ही दिखलाई देती हैं।

अन्य जनजातियों में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा, बेकारी, विघटनकारी प्रवृत्ति, अलगाववादी घटनाएँ एवं पिछड़ापन जैसे ज्वलन्त समस्याओं को परे करने का यह शोध एक प्रबल विकल्प हमारे सामने है जिसके माध्यम से हम इन जनजातियों में एक नई सोच एवं दिशा दे सकते हैं जिसके माध्यम से ये अपना स्तर सुधारने में कामाब हो सके।

आज समाज में फैली स्वार्थपरक मानसिकता, दिशाहीन राजनीति, उदारवाद की आँधी एवं मीडिया के निरन्तर बढ़ते प्रभाव से हमारे चरित्र एवं व्यवहार में जो खुलापन आया है, उसके परिणामस्वरूप लोगों के नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है, उसके ज्ञान, नैतिकता, शिक्षा पद्धति को

कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है।

जिस शिक्षा को प्राप्त कर देश के उज्वल भविष्य में अपनी सार्थक भागीदारी निभाना चाहिए, परन्तु वे ही उच्च शिक्षा को प्राप्त कर स्वार्थ के लवलेष को आत्मसात करके न केवल स्वयं को अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र को पंगु बना रहे हैं। यह है स्वार्थता की सोच।

प्रकृति से जुड़ी में जनजातियाँ वर्तमान में कुछ स्थलों पर अपनी जड़ों से उखड़ रही हैं। इसलिये आज इनके अध्ययन की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गयी है।

शिक्षा के क्षेत्र में अन्य उपजातियों में शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। अपने परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। उपजातियों के वर्ग अधिक शिक्षित नहीं होने से पिछड़ गये हैं। इसलिए यह वर्ग भिलालों से पिछड़ गये हैं। अन्य उपजातियाँ इस कारण आर्थिक रूप से पिछड़ी और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी होने के कारण अन्य उपजातियाँ निरक्षर और निर्धन रही। अन्य उपजातियों में अधिकांश लोग भूमिहीन या सीमांत कृषक है। अन्य उपजातियाँ निर्धनता, ऋण ग्रस्तता और शराबखोरी जैसी प्रवृत्तियों के कारण विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गये।

आर्थिक स्थिति - शिक्षा के उच्च शिक्षित नहीं होने के कारण अन्य उपजाति वर्ग की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इनके रहन-सहन, खानपान और वेशभूषा में भी काफी बदलाव आया है। यह वर्ग शराब जैसे व्यसनो में लगा रहा है। इस कारण से मारपीट जैसी प्रवृत्तियाँ इनमें पाई जाती है। अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण यह वर्ग अन्य जनजाती वर्ग में अपना वर्चस्व काम नहीं कर पाया। उच्च वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग का प्रभुत्व बहुत कम है।

अन्य उपजातियाँ इस कारण आर्थिक रूप से पिछड़ी और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी होने के कारण अन्य उपजातियाँ निरक्षर और निर्धन रही। अन्य उपजातियों में अधिकांश लोग भूमिहीन या सीमांत कृषक है। अन्य उपजातियाँ निर्धनता, ऋण ग्रस्तता और शराबखोरी जैसी प्रवृत्तियों के कारण विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गये।

सामाजिक स्थिति - अन्य जनजाती वर्ग से इनकी सामाजिक स्थिति काफी कमजोर और ठीक नहीं है। सामाजिक कार्यों में वर्ग हिस्सा नहीं लेते हैं। सांस्कृतिक स्थिति अन्य उपजाति वर्ग की सांस्कृतिक स्थिति सौहार्दपूर्ण नहीं रही है। समाज में होने वाले विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों में एक दूसरे से मेल मिलाप न रखकर अपनी सांस्कृतिक एकता का ठीक तरह से परिचय नहीं दे पाते।

राजनीतिक स्थिति - उच्च शिक्षित न होने से, आर्थिक स्थिति व सामाजिक

स्थिति कमजोर होने से अन्य उपजातियों की राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर है। अपनी राजनीतिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। ये मेहनत व परिश्रम नहीं होने के कारण अन् उपजाती वर्ग पिछड़ गये हैं। इन्हें किसी महत्वपूर्ण पद सांसद, विधायक, पंच, सरपंच जैसे पदों पर नहीं देखा जा सकता है।

अन्य उपजातियों के पिछड़ने के कारण है। संसदीय निर्वाचन से लेकिन पंचायतों के निर्वाचन में अन्य उपजातियों का न होने से ये पिछड़ गये हैं। अपनी स्थिति को काफी हद तक कमजोर किया है। अन्य उपजातियों के पिछड़ने के कारण आर्थिक और शैक्षणिक विकास की और अधिक ध्यान नहीं दे पाये। अन्य उपजातियाँ आर्थिक और शैक्षणिक विकास से उपेक्षित उपेक्षित रहे।

अन्य उपजातियों के पिछड़ेपन के कारण :

1. अन्य उपजातियों के वर्ग ने आर्थिक और शैक्षणिक विकास की और ध्यान नहीं दिया। जबकि अन्य उपजातियों ने आर्थिक और शैक्षणिक विकास को उपेक्षित किया।
2. अन्य उपजातियों के पिछड़ेपन के कारण आर्थिक रूप से सम्पन्न और शैक्षणिक दृष्टि से प्रगतिशील नहीं हो पाये अन्य उपजातियाँ निरक्षर और निर्धन रही।
3. अन्य उपजातियों ने अशिक्षा और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं उठाया जबकि भिलाले शिक्षित और सम्पन्न होने से योजनाओं का लाभ उठाने में अग्रणीय रहे।
4. भिलालों ने अपनी परम्परा की कट्टरता में काफी कमी की और समय को पहचान कर सामाजिक रीति रिवाजों में भी शिथिलता बरती, जबकि अन्य समुदाय प्राचीन परम्पराओं के प्रति काफी प्रतिबद्ध रहे।
5. अन्य उपजातियों में अधिकांश लोग भूमिहीन या सीमांत कृषक है, जबकि भिलालों में अधिक संख्या में लोग भूस्वामी है। उन्होंने कृषि विकास में भी संतोषजनक प्रगति की।
6. अन्य उपजातियाँ निर्धनता, ऋण ग्रस्तता और शराबखोरी जैसी प्रवृत्तियों के कारण विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गये।

अन्य उपजातियों के पिछड़ने के कारणों के संदर्भ में शोधार्थी ने अपने शोध अध्ययन से यह पाया है, कि भिलालाओं की उपेक्षा अन्य उपजातियाँ बहुत अधिक पिछड़ी हुई दिखाई देती है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि भील सर्वाधिक विपन्न वर्ग में समझा जाता है। अशिक्षा का उसका ग्राफ भी सबसे निम्न स्तर पर देखा जाता है।

शराब, सट्टा, जूआं तथा शराब पीकर महिलाओं से मारपीट करना अपने वचन पर ईमानदार न होना, काम से जी चुराना, एक कुशल श्रमिक भी नहीं

है वह। इन सब कारणों से भी वह बहुत अधिक पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। उसकी अपनी निर्धनता के कारणों में नशाखोरी तथा और भी अनेक ऐसी बातें हैं, जो यहाँ स्पष्ट नहीं की जा सकती है। अन्य उपजातियों के पिछड़ेपन के कारणों को अध्ययन से स्पष्ट किया गया है-

1. अन्य उपजातियों के पिछड़ेपन के कारणों में इनमें शिक्षा के प्रति अरुचि का होना पाया गया है।
2. अन्य उपजातियों में किसी भी कार्य के प्रति उत्साह की कमी होती है। इसलिए ये पिछड़ गये हैं।
3. आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण रहन-सहन का निम्न स्तर है, जिसके कारण अन्य उपजातियाँ पिछड़ गई हैं।
4. पारिवारिक संसाधनों की बेहद कमी होने के कारण अन्य उपजातियाँ पिछड़ गई हैं।
5. आर्थिक स्थिति के समीकरणों में पशुधन से विहीन है। इस कारण भी ये पिछड़ गये हैं।
6. श्रेष्ठतम उपजाऊ कृषि भूमि की कमी होने के कारण भी ये वर्ग पिछड़ गया है।
7. इलित वर्ग के प्रति द्वेष की भावना होने के कारण भी यह वर्ग पिछड़ गया है।
8. महिलाओं के साथ सम्मानीय व्यवहार नहीं होने के कारण अन्य उपजातियाँ पिछड़ गई हैं।
9. राजनीति में दक्षता विहीन (चार्तुता की कमी) होने के कारण भी यह वर्ग पिछड़ गया है।
10. आकर्षित करने की क्षमता से शून्य होने के कारण भी यह वर्ग पिछड़ गया है।
11. अशिक्षित होने के कारण वाक्पटुता की कमी होने से अन्य उपजातियों के पिछड़ेपन के कारण है।
12. निराशावादी या भागवादी भावनाओं से चिपके रहने की प्रवृत्ति भी इनके पिछड़ेपन के कारणों में है।

आदि ऐसी अनेक बातें सर्वेक्षण के समय पाई गई हैं जो इस अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाती हैं। बहुत ही संक्षिप्त में यह स्पष्ट किया गया है कि अन्य उपजातियाँ के पिछड़ेपन के कारणों में तमाम ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो उन्हें उभरने ही नहीं देती हैं। शासन की योजनाओं का वे लाभ तो ले रहे हैं लेकिन व्यवस्थित सामाजिक परिवर्तन की ओर उनका झुकाव नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

ठोस अपशिष्टों के प्रबंध हेतु न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्देश – समाधान एवं चुनौतियां

डॉ. नवीन सक्सेना* डॉ. रेखा साहू**

शोध सारांश - देश में ठोस कूड़ा करकट का समुचित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (प्रबंधन और निपटान) नियमावली 2000 और पुनर्गठन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 अधिसूचित किए हैं। देश के विभिन्न भागों में इस दिशा में पहल की जा रही है। लेकिन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मामलों के व्यापक समाधान के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

प्रस्तावना - प्रस्तुत शोध आलेख का शीर्षक, 'ठोस अपशिष्टों के प्रबंध हेतु न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्देश - समाधान एवं चुनौतियां' है।

प्रस्तुत आलेख के अंतर्गत ठोस पदार्थों का आशय, प्रमुख ठोस अपशिष्ट, उनके स्रोत आदि का वर्णन किया गया है, साथ ही वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण में उनके दुष्प्रभाव को रेखांकित करते हुए इनके समाधान हेतु कानूनी एवं प्रशासकीय प्रबंधन के नियमों एवं निर्देशों को उल्लेखित किया गया है।

उद्देश्य - वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण एवं बढ़ती हुई नगरीकरण की समस्या ने घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट और विशेष रूप से ई वेस्ट की समस्या को अत्यधिक बढ़ाया है। जिससे पर्यावरण प्रदूषण एवं स्वच्छता को खतरा उत्पन्न हो गया है। वर्तमान में ठोस अपशिष्टों के निपटारे के उपाय क्या है, इनका उचित निस्तारण किस प्रकार से किया जा सकता है, तथा इस हेतु नगरीय निकायों, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं, जिलाधिकारियों एवं अन्य प्रशासनिक संस्थाओं, बोर्ड, आयोग आदि की क्या भूमिका है, इस उद्देश्य को रेखांकित किया गया है।

विशेष रूप से स्थानीय संस्थाओं, जिला बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि द्वारा दिए गए निर्देशों को इस आलेख में वर्णित करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत आलेख में द्वितीयक सामग्री का प्रयोग कर, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से ठोस अपशिष्टों के निस्तारण हेतु कानूनी एवं प्रशासकीय प्रक्रियाओं का अध्ययन कर तथ्य एकत्रित किए गए हैं। विशेष रूप से केंद्र एवं राज्य प्रदूषण आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का वर्णन इस आलेख में किया गया है।

देश में ठोस कूड़ा करकट का समुचित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (प्रबंधन और निपटान) नियमावली 2000 और पुनर्गठन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 अधिसूचित किए हैं। देश के विभिन्न भागों में इस दिशा में पहल की जा रही है। लेकिन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मामलों के व्यापक समाधान के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली - 2016 पर्यावरण, वन और

जलवायु परिवर्तन, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्यों के शहरी मामलों के विभाग, शहरी स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों तथा कूड़ा उत्पन्न करने वालों समेत विभिन्न भागीदारों की जिम्मेदारी रेखांकित करती है। दूसरी ओर आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय राज्यों के शहरी मामलों के विभागों और स्थानीय निकायों को मुख्य रूप से अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास का उत्तरदायित्व सौंपते हैं।

इसके अलावा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को नियमों पर अमल की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह नियम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों की आवश्यकताओं को रेखांकित करने के साथ ही लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा भी निर्धारित करते हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रमुख घटकों में प्रथम चरण के अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वालों द्वारा कचरे को सूखे और गीले कचरे के रूप में छंट कर अलग किया जाना शामिल होता है।

दूसरे चरण में घर-घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करना और छंट्टाई के बाद इसे प्रसंस्करण के लिए भेजा जाना सुनिश्चित किया जाता है।

तृतीय चरण में सूखे कूड़े में से प्लास्टिक, कागज, धातु कांच जैसे पुनर्चक्रण हो सकने वाली उपयोगी सामग्री छंट कर अलग की जाती है।

चतुर्थ चरण में कूड़े के प्रसंस्करण की सुविधाओं जैसे कंपोस्ट बनाया जाना, बायो मीथेन तैयार करना और कूड़े करकट से ऊर्जा उत्पादन करने के संयंत्रों की स्थापना करना सुनिश्चित किया जाता है।

पंचम चरण में अपशिष्टों के निस्तारण की सुविधा हेतु लैंडफिल बनाया जाता है।

कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का तात्पर्य है कि किस प्रकार से घर घर से कूड़े कचरे को सरलता से एकत्रित किया जा सके और उसके पश्चात ठोस अपशिष्टों को एकत्रित करके उनका समुचित निस्तारण किया जा सके। साथ ही उन ठोस अपशिष्टों के निस्तारण से ऊर्जा प्राप्त की जा सके।

ठोस अपशिष्टों के उचित निस्तारण हेतु न्यायिक निर्देश - चूंकि ठोस

* सहा. प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत
** सहा. प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

अपशिष्टों के निस्तारण की उचित प्रक्रिया पर्यावरण पर घातक असर डालती है। इसलिए इस संबंध में न्यायपालिका द्वारा न्यायिक सक्रियता का उपयोग करते हुए विभिन्न केंद्र और राज्य सरकारों को पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा इस हेतु विभिन्न नियम एवं निर्देशों का अनुपालन केंद्र एवं राज्य सरकार, स्थानीय बोर्डों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। कुछ प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं।

1. कूड़े करकट को लैंडफिल की जगह या किसी अन्य स्थान पर जलाए जाने की पूरी तरीके से मनाही का निर्देश दिया गया है।
2. लैंडफिल वाली जगहों को 6 महीने के भीतर बायो स्टेबलाइज कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
3. कूड़ा करकट से बनाए गए ईंधन के उपयोग के लिए बाजार बनाने की अनिवार्यता के निर्देश दिए गए।
4. संयंत्रों और लैंडफिल स्थलों के आसपास बफर जोन बनाने के निर्देश हैं।
5. कूड़े कचरे को जलाने से पहले उसकी मात्रा को ध्यान में रखकर उसकी छंटाई करना अनिवार्य होगा।
6. प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बिना देरी किए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 का प्रवर्तन और क्रियान्वयन करेगा ऐसे सख्त निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासकीय कार्यवाही हेतु निर्देश – इन निर्देशों के समुचित कार्यान्वयन हेतु सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निम्नलिखित रूप से निर्देशित किया गया है :

1. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 22 और 24 हेतु अब छह सप्ताह के भीतर वे सब कदम उठा लेना चाहिए जो अभी तक नहीं उठाए जा सके।
2. इसी तरह नियम 23 हेतु बायोमैडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए।
3. जल्द से जल्द हर जिले की तीन पंचायतों को ऐसे आदर्श शहर कस्बे या गांव के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए जिन्हें अगले छह महीनों में इन नियमों का पूरी तरह से पालन करने वाला बना दिया जाएगा।
4. राज्य के शेष शहरों, कस्बों ग्राम पंचायतों को 1 साल के भीतर पर्यावरण संबंधी मानदंडों को पूरी तरह से पालन करने वाला बना दिया जाना चाहिए।
5. मुख्य सचिव द्वारा 3 महीने में त्रैमासिक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। इस तरह की पहली रिपोर्ट 10 जुलाई 2019 तक भेजी जानी सुनिश्चित की गई है।
6. मुख्य सचिव को महीने में कम से कम एक बार सभी जिला मजिस्ट्रेट के साथ प्रगति की स्वयं निगरानी करनी चाहिए।
7. जिला मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारियों को इस बारे में प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
8. जिला मजिस्ट्रेट को पर्यावरण संबंधी मानदंडों के अनुपालन की रिश्ति की निगरानी 2 सप्ताह में कम से कम एक बार करनी चाहिए।
9. विनियामक संगठनों के कामकाज का कार्य निष्पादन ऑडिट कराया जाना चाहिए और 6 महीने के भीतर निवारणात्मक कदम उठाए जाने चाहिए।

10. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 17 जुलाई 2019 में दिल्ली में कूड़ा फेंकने के तीन स्थानों गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में बायो माइनिंग कराने का आदेश दिया है।

उक्त न्यायिक, कानूनी एवं प्रशासकीय आदर्शों एवं पंचायत की कार्यवाहियों के उपरांत भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में चुनौतियां बनी हुई हैं। विशेष रूप से इन निर्देशों को अमल में लाने के संबंध में विभिन्न चुनौतियां इस प्रकार हैं।

1. कूड़ा उत्पन्न करने वालों द्वारा स्रोत पर ही इसकी छंटाई और वर्गीकरण किया जाना।
2. कूड़ा करकट जमा करने और उसके परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे की कमी।
3. कूड़ा करकट जमा करने और परिवहन सुविधाओं की स्थापना के लिए जमीन की उपलब्धता।
4. इस हेतु वित्त की व्यवस्था करना।
5. नए और पुराने कूड़े-कचरे के लिए तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक समाधान।
6. पुराने ठोस शहरी कचरे का प्रबंधन।

समाधान – वास्तव में ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु पर्याप्त वित्तीय सुविधाओं और तकनीक की कमी परिलक्षित होती है, जिसे दूर किया जाना आवश्यक है। इस हेतु शहरी स्थानीय निकायों को ठोस कचरे का प्रसंस्करण करने की टेक्नोलॉजी और अपशिष्ट प्रबंधन के नए तौर-तरीके सिखाए जाने चाहिए।

केवल न्यायिक और कानूनी निर्देशों से ही अधिक कुछ नहीं होगा, इस हेतु राज्य और जिला स्तर पर स्वच्छता हेतु बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। स्वच्छता के क्षेत्र में मॉडल शहर बनकर उभरे इंदौर, पुणे, अंबिकापुर आदि शहरों से जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए कि किस प्रकार से कचरा संग्रह किया जाए, उसकी छंटाई परिवहन और प्रसंस्करण के लिए क्या कार्य योजनाएं बनाई जाएं। तकनीक की उपलब्धता, पर्याप्त बुनियादी ढांचा और वित्तीय संसाधनों की कमी इस मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है।

उक्त समस्याओं को दूर कर और पर्याप्त जन जागरूकता उत्पन्न कर ना केवल ठोस अपशिष्ट का उचित प्रबंध किया जा सकता है बल्कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आलेख- 'शहरी इलाकों में बढ़ती स्वच्छता' - दुर्गा शंकर मिश्रा , योजना, दिसंबर 2020, चह.16
2. आलेख - 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' - दिव्या सिन्हा, योजना, नवंबर 2019 , चह.33
3. आलेख - 'कचरा प्रबंधन - पर्यावरण को बचाने की कारगर पहल', अखिलेश पाठक, वेबदुनिया, रविवार 14.03.2021
4. राष्ट्रीय हरित अधिकरण आदेश दिनांक 17-07-2019 ओ.ए.सं.519/2019
5. राष्ट्रीय हित अधिकरण आदेश दिनांक 05-03-2019 , ओ. ए. सं 606/2018
6. राष्ट्रीय हित अधिकरण, आदेश दिनांक 22-12-2019 ओ. ए. सं.199/2014

7. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - वार्षिक रिपोर्ट 2018-19
8. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नियमावली - 2016, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
9. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (प्रबंधन और निपटान) - नियमावली - 2000
10. पुनर्गठित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2000 राज्यसभा.निक.इन /ए - वेस्ट इन इंडिया पीडीएफ
11. मंत्रालय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन की वेबसाइट
12. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट
13. यूरोपीय वैज्ञानिक जनरल/ जून/2015/विशेष संस्करण

आर्थिक विकास हेतु सतत विकास की अवधारणा के अनुरूप संसाधन- प्रबंधन का विश्लेषण

जगेन्द्र धोटे *

शोध सारांश - आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता में वृद्धि हो रही है अतः विश्व के विभिन्न राष्ट्रों द्वारा आर्थिक विकास हेतु उपलब्ध संसाधनों का अन्धाधुंध उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण इन संसाधनों की मात्रा निरंतर कम हो रही है अतः भविष्य में इन संसाधनों का अभाव होने की प्रबल सम्भावना होगी तथा यह भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए चुनौतियां उत्पन्न होगी। सतत विकास की अवधारणा को ध्यान में रखकर आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की सुरक्षा के उद्देश्य से वर्तमान में संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग हेतु कार्ययोजना के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किये जाने वाले संसाधनों के उचित प्रयोग से इन सभी क्षेत्रों में संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन संभव हो सकता है अतः प्रस्तुत शोध पत्र में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विकास सतत विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति को दृष्टिगत रखकर किस प्रकार अनुकूलतम आधार पर किया जा सकता है विश्लेषण किया गया है।

शब्द कुंजी - सतत विकास, कृषि भूमि प्रबंधन, वर्षा जल प्रबंधन, ऊर्जा संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण।

प्रस्तावना - सतत विकास को समावेशी विकास, समन्वित विकास, सम्पोषित विकास, पोषणीय विकास आदि भी कहा जाता है। सतत विकास की अवधारणा के अनुसार वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता प्रभावित न हो। सतत विकास की अवधारणा को निम्न प्रकार से भी समझा जा सकता है - 'सतत विकास का अर्थ है मानव का सर्वगीण विकास। यह विकास की वह अवस्था है, जिसमें वर्तमान समय की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, आने वाली पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और विकास की इस प्रक्रिया में हमारा परितंत्र भी स्वस्थ एवं सतत अवस्था में बना रहे।' ¹

आर्थिक विकास हेतु अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विकास करना आवश्यक होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं कृषि क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक गतिविधियां आती हैं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। अतः समय समय पर सतत विकास के उद्देश्यों हेतु योजनाएं बनाई गई हैं।

'ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोणपत्र के सौ पृष्ठों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया है इसमें सभी सही बातों का उल्लेख है। द्रुत एवं समन्वित विकास की जरूरतें, ग्रामीण विकास एवं कृषि के पुनरुत्पादन का महत्व, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वच्छता के क्षेत्र में बुनियादी जरूरतों को अहम भूमिका आदि।' ²

सतत विकास की अवधारणा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग हेतु नीति का निर्माण करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त संसाधनों के संरक्षण करने वाली टेक्नालाजी को अपनाने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से संसाधनों का संरक्षण हो सके।

'संसाधनों का संरक्षण करने वाली टेक्नालाजी का अभिप्राय ऐसे तरीकों से है जिनसे संसाधनों की बचत होती है उनका अनुकूलतम उपयोग

सुनिश्चित होता है और साधनों के उपयोग की क्षमता में बढ़ोतरी होती है।'³

सतत विकास की अवधारणा के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु विभिन्न संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता है इनमें से प्रमुख निम्नानुसार है - ऊर्जा संसाधन प्रबंधन, कृषि क्षेत्र प्रबंधन, जल प्रबंधन, औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी सुधार, जैव विविधता संरक्षण आदि इनसे सम्बंधित विश्लेषण प्रस्तुत है -

ऊर्जा संसाधन प्रबंधन - ऊर्जा संसाधनों के सुनियोजित रूप से उपयोग की आवश्यकता है। ऊर्जा संसाधन जो, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत आते हैं ऐसे संसाधनों के उपयोग को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है विशेषकर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आदि ऊर्जा संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता है। जो अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हो जिनका पुनरुत्पादन संभव न हो ऐसे ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कम किया जाना चाहिए। वाहनों का प्रयोग केवल लम्बी दूरी को तय करने की आवश्यकता होने पर ही किया जाना चाहिए तथा कम दूरी तय करने हेतु वाहनों के प्रयोग न करने पर पेट्रोल, डीजल की खपत में कमी होगी जिससे धन की बचत होगी विकल्प के रूप में बायोडीजल का प्रयोग भी किया जा सकता है, कम दूरी वाहनों के स्थान पर पैदल तय करने से एक ओर देश की जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार होगा तथा दूसरी ओर जनसंख्या की कार्यक्षमता में वृद्धि भी होगी। राष्ट्र के आर्थिक विकास में सतत विकास की अवधारणा के अनुरूप आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगी।

कृषि क्षेत्र प्रबंधन - अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र कृषि में उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से रासायनिक पदार्थों के बढ़ते प्रयोग से एक ओर जहाँ कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है वही दूसरी ओर ये कृषि उपजें रासायनिक पदार्थों प्रयोग के कारण भूमि के साथ साथ कृषि उपजों में विषाक्तता के प्रतिशत में वृद्धि हो रही है जिससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं जो की ससत् विकास की अवधारणा के अनुरूप नहीं है जिसके कारण कृषि क्षेत्र में चुनौतियां उत्पन्न हो रही है तथा भविष्य में चुनौतियों में वृद्धि की

सम्भावना रहेगी। यदि कृषि क्षेत्र में रासायनिक पदार्थों के स्थान पर जैविक पदार्थों का प्रयोग किया जाय अर्थात जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जाय, जैविक कृषि के माध्यम से एक ओर भूमि की उर्वरता का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा सकता है साथ ही कृषि उपजों को विषाक्त होने से भी बचाया जा सकता है अतः जैविक कृषि के माध्यम से सतत विकास की अवधारणा की सफलता हेतु प्रयास किया जा सकता है।

औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी सुधार – अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों के माध्यम से एक ओर रोजगार का सृजन होता है साथ ही उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होती है वही दूसरी ओर उद्योगों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है, तथा अपशिष्ट पदार्थों के जल में प्रवाहित किये जाने से जल प्रदूषित होता है जो सतत विकास की अवधारणा के विपरीत है अतः सतत विकास की अवधारणा को साकार करने हेतु उद्योगों में तकनीकी सुधार एवं विकास करने की आवश्यकता है जिससे ऊर्जा की खपत तथा प्रदूषण को कम किया जा सके।

जल प्रबंधन – सतत विकास की अवधारणा को साकार करने हेतु जल प्रबंधन की भी आवश्यकता है ट्यूबवेल के स्थान पर कुएं तथा तालाब का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे कि वर्षा का जल जो नदियों एवं नालों के माध्यम से बह जाता है उसे रोककर संचित किया जा सकता है तथा कृषि में सिंचाई एवं अन्य प्रयोगों हेतु किया जा सकता है साथ ही भूमिगत जल स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है।

जैव विविधता संरक्षण – क्षेत्र विशेष में पायी जाने वाली जलवायु में विशेष

प्रकार की वनस्पति तथा जीव –जंतु पाए जाते हैं जो उस क्षेत्र में विशेष प्रकार के पर्यावरण का निर्माण करती हैं। जैव विविधता संरक्षण हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष – सतत विकास की अवधारणा को साकार करने हेतु जैव विविधता का संरक्षण तथा वृक्षारोपण आदि के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण निर्मित हो सके वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग हेतु योजना एवं नीति –निर्देश का सृजन करना, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी परिवर्तन आदि करने की आवश्यकता है। उपलब्ध संसाधनों के विद्वहन को करने के लिए वैकल्पिक साधनों के शोध एवं प्रयोगों पर जोर देने की आवश्यकता है जिससे अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास सतत विकास के सिद्धांत के अनुरूप हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सतत विकास की अवधारणा, दीपांकर श्री ज्ञान, योजना, अक्टूबर 2019 प्रकाशन विभाग सुचना भवन नई दिल्ली, पेज 31
2. समन्वित विकास की रूपरेखा, निर्विकार सिंह, योजना, अप्रैल-2007 प्रकाशन विभाग सुचना भवन नई दिल्ली, पेज 21
3. भारत के सन्दर्भ में खेती की बेहतरीन तकनीके, डॉ वाई.एस.शिवे एवं डॉ टीकम सिंह, कुरुक्षेत्र, अक्टूबर 2019 प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, पेज 18

Critical Analysis of Fairy Tales with Language and Style

Mrs. Jyoti Jain*

Introduction - The stories were found orally as in folk tales but after printing was invented all the children's literature, as classics are mainly introduced for adults later for young people. Many of the classics were written in fifteenth century, which has moral or religious message. Late nineteenth and twentieth century known as the "golden age" of children's literature because most of the books were published in this era were known as "classics".

An anonymous writer on children's literature defines it as "all books written for children, excluding works such as comic books, joke books, cartoon books and non-fiction works that are not intended to be read from front to back, such as dictionaries, encyclopaedias and other reference materials". "With the boost of children's literature, a list of many writers have emerged to write on the very segment such as Rudyard Kipling, herge, Defoe, brothers Grimm, Enid Blyton, Stevenson, Alfred bester, William Tenn., Connie Willis, Lewis Padgett, Isaac Asimov, Henry Bates, Murray leinster and Daniel Keyes etc. these writers and many more who increased and being part of children's literature which lead each new coming generations of children in exploration of science, history and sociology.

Fairy tales means the story for children about fairies, magic and enchantments but improbable or a lie. Fairy tales comes from folklores which is comes from the oral tradition before many years. The name "fairy tales" given by women writers of French salons who named as "canto de fees", later the term translated into English as "fairy tales". The name widely became popular that most of the tales of similar kind known as Grimm and Hans Christian Anderson. "According to Marcia Love" my own definition of fairy tale goes something like this: A fairy tale is a story- literary or folk that has a sense of the numinous, the feeling or sensation of the supernatural or the mysterious. But, and this is crucial, it is a story that happens in past tense, and a story that is not tied to any specifics. It happens "at the beginning of the world".

A definition of fairy tale, "I said the sense stories about fairies were too narrow. It is too narrow even if we reject the diminutive size, for fairy stories are not in normal English usage stories about fairies, elves, but stories about fairy that is faerie, the realm or state in which fairies have their being. Fairy contains many things besides elves and fays

and besides dwarfs, witches, trolls, giants or dragons. It holds the sea, the sun, the moon, the sky; and the earth and all things that are in it: tree and bird, water and stone wine and bread, and ourselves, mortal man, when we are enchanted".

Fairy stories may be differing from continent to continent, region to region and country to country but the definition is same throughout the world. The character, places, and some elements are different due to different landscape. The definition of fairy tales is magic tale or marcean which consist fairies, elves, dwarfs, gnomes, witches and any supernatural elements. But in India the stories were religious though mostly influenced by Hinduism. Tales were enriched with religious figures moral lessons and usually preserved History, important people and places.

Indian fairy tales was a collection of short stories. Some of the stories are- "The ass in the lion's skin", "The broken pot", Thebrahmakshas and the hair", "charity alone conquers", The faithful prince", The honest but rash hunter", "punchkin" and "raja rasala", etc. The fairy tale stories consists of once upon a time and heroines faced turmoil, meet love and happily ever after. But with the time the characters go through the turmoil become more complex and harder to overcome. There is a slight difference between two the classics filled with magic but modernist of retribution. It is just because the time has changed so with the stories. These changes make the stories believable.

Fairy tales that originally appeared in nights of Straparola later adopted and translated by Basile, Madame d'Aulnoy, Charles Perrault and Jacob and Wilhelm Grimm. The other most popular contemporary writer, Poet, Philologist and academic is J.R.R. Tolkien. His best known high fantasy works; The Hobbit, The Lord of the Rings and Silmarillion. The brothers gain familiarity for collecting tales from farmers, in spite of that many tales from middle-class or aristocratic surroundings.

Scholars like Heinz Rolleke say that the stories are totally German and depict German culture, showing "rustic simplicity and sexual modesty." German culture had deep roots in dark forest, most avoided place but especially the old forest with huge oak trees. This place was the same where little red riding hood's mother sent her to deliver food

to her grandmother. Few critics such as Alister Hauke used psychological analysis that the death of Grimm brother's father and grandfather that the excuse of father figure and female villains like "Cinderella" had stepmother and stepsisters and stepmother in "snow white and seven dwarfs". Autobiographical elements could be found in some of the tales. According to Zipes, the work may be a "quest" after lost their father. The collection had forty one tales about siblings which represents Jacob and Wilhelm. Many of the siblings story used a same plot where the characters lose a home, work in industry for a certain goal and in end find a new home.

In this paper four fairy stories have been discussed. 1) Cinderella- the story is about a poor girl who is tortured by her step mother and step sisters. The story starts with "once upon a time" and ends "happily ever after". The language of the story is simple and figurative. The language consists of repetition, rhymes, onomatopoeia etc. the selection of words is simple that can easily understand and creates picture in children's mind. The story affects more than real world. The language grimm brothers used are full of repetition-

"Shake and wobble, little tree!

Let beautiful clothes fall down on me."

The story consists of rhymes also which makes the story more enjoyable and interesting. The rhymes make the story poetic and this adds more beauty to the story. The use of rhyme-

"The good ones for the little pot

The bad ones for your little crop."

The psychological theories on the story "Cinderella" are given by Jung who divides the mind into two different parts- conscious and unconscious. The conscious mind enjoys the reading books whereas the unconscious mind grasps its meaning and relaxes the ill mind of children.

The second story is "the frog prince" in which a cruel princess misbehaves with frog but at end the cursed frog turned into prince and they lived happily. The story is interesting because it has talking frog. The language of the story is conversational that child readers can easily understand. Grimm used figurative language to enlighten the story i.e. imagery, symbolism and onomatopoeia etc. he uses vivid imagery like the talking frog only one can imagine. The golden ball is a symbol of arrogance of princess. This story has some words like- splash, splash,

splash, splash! This is the sound of frog walking and crash, the sound created when the princess throw the frog on the wall. The story has a psychological aspect with the character of princess in effect of animus profoundly hate the frog later she realised that the frog was the prince. Thus the princess persona develop with the pace of story.

The next story in this series is "snow white and the seven dwarfs". The story is about a little girl snow white whose step mother tried to kill her thrice because of envy. The story has some highlights like dwarfs, stepmother like witch etc. these elements make the fantasy world more interesting. The language of the story is simple and figurative. The story contained simile when the woman wish for a child and said, "as white as snow, as red as blood and as black as black ebony frame!" the simile of same sentence used three times in story. the story has a couplet that is used by multiple times by queen to ensuring her beauty. The couplet has a rhyme that enhance the beauty of the story and enjoyable to children. The couplet is-

"mirrormirror on the wall, Who in this land fairest of all?" and the mirror answered to the queen "you, my queen fairest of all." The story also has symbolism like mirror, mother and red apple. The mirror is the medium that dig the hatred in queen. The mother is so cruel that she represents witch and red apple is significant of evil inside the person's heart. All are symbolic due to their role in the story. The psychological aspect of the story is the behavioural changes of children after reading the story. The story has one bad character that is the mother who wants to kill her daughter because she wants to be fairest in all. This affects the child mind in an instinct that they will hate their mother. But this story also has some positive points that the snow white saved by the dwarfs and prince and at the end the queen is dead in fit of rage.

References:-

1. En.wikipedia.org. 12/4/21.
2. Library of congress. "Children's literature" (pdf). Library of congress collections policy statement. Library of congress retrieved 1 June 2013.
3. Zipes, Jack (2001). The Great Fairy Tale Tradition: From Straparola and Basile to the Brothers Grimm. W. W. Norton & Co. p. 444. ISBN 978-0-393-97636-6
4. Anderson, Graham (2002). Fairytale in the ancient world. Routledge. ISBN 978-0-415-23702-4. Retrieved 29 April 2017.



Aspects of History in William Dalrymple's 'City of Djinns'

Rinku Hiran*

Introduction - The philosopher Saint Augustine has rightly said the world is a book, and those who do not travel read only a page. Travel Literature allows us to imaginatively visit places and times where we encounter cultures that we would otherwise never experience.

Travelogues at the hands of artistically creative and imaginative people offer a platform for differentiating, editing, harmonizing and recognizing different cultures, through their keen power of observation, quickness of response, serious understanding and appreciation of the otherness. The travels ranging from those to beautiful natural landscapes to culturally, historically or religiously important destinations provide writers as well as the persons they meet and interact with a platform for forming, revising and correcting impressions and perceptions for the better understanding of self as well as others.

The travel writings of William Dalrymple prove to be fertile grounds for exploring different socio-political, historical and cultural aspects of India. William Dalrymple, winner of Thomas Cook Travel Book Award in 1994 is an established Scottish born historian and travel writer. Dalrymple visited India in 1984 and from that time he decided that he never wanted to leave. It was the ruins in and around India's capital- Delhi that fascinated him the most.

His work *City of Djinns: A Year in Delhi* marked the beginning of his fascination with Mughal History. This book is part of travelogue and part memoir. The author spent nearly a year in Delhi discovering its history and archaeological riches. By exploring the old famous monuments, Dalrymple uncovers the unseen or neglected aspects of the city, which is ancient as well modern at the same time.

City of Djinns is a unique travel book by William Dalrymple. Generally travel books narrate the view of writer's own reflections and travelling places. But the *City of Djinns* is different from others travel books. He stays at this Historic-City. He is fascinated by this city, so he decided to write about this city. In the *City of Djinns*, William presents the travels in dwellings.

According to Dalrymple Delhi was unique and uniqueness scattered all around the city. Different mind set

in different ages walked the same pavements, drank the same water, lived in the same surroundings and returned to the same dust. Some people in earlier times used to say that there were seven dead cities of Delhi and that the current one was the eighth while if others counted it were either fifteen or twenty-one. But all the people specially the older generation agreed that the crumbling ruins of these towns were without number. And because of this uniqueness and mystic quality, Delhi became the city of djinns for William Dalrymple.

This book explores the backward journey in the history and culture of Delhi, a journey into the Orient with tales of Sufi's, Djinns and mystics, decadent emperors with their harems and courtesans, beautiful Oriental women and fights of partridges. Delhi has been shown as a land of heat and dust, a land which has been improved and civilized by the British Raj.

The prime focus of Dalrymple has been to walk through Old Delhi and dig up the history of the ruins and the narrow lanes, the people and the lives, the royalty and the social pariahs. Dalrymple dwells on the significance of Delhi in Asian history and tries to find signs of the old life still breathing in today's capital. He wades through musty libraries and ancient documents, and locates hidden blocked pathways. He uncovers historical structures that are not tourist places anymore and hence, the people of India, themselves, are ignorant about. The abandoned city of Tughlaqabad, the house built by William Fraser and several such structures are not part of a tourist's itinerary anymore, and hence, go absolutely unnoticed. He even breathes life into the still-famous structures like the Red Fort and the buildings of New Delhi (North & South blocks, Parliament, etc) in a unique style, that is neither like a historian nor like a traveler.

He writes about his fascination for Delhi. After that he writes about Mr. and Mrs. Puri, who are the refugees of the partition. They are their landlords. Many of Sikhs expelled from their home in Lahore during the upheavals of 1947. Mr. Puri still can't forget the horror of partition but Mrs. Puri has rebuilt the family's life and fortune with high will power, discipline and strong determination. The Puris are the first of many vividly drawn characters who inhabit the city of

djinns. Mr. and Mrs. Puri, Balwinder (the taxi driver), his father Punjab Singh and his brothers were the people who give firsthand account of their harrowing experiences of those turbulent times. He also mentions in his book about the culture of different society and hospitality of Indian people. He also describes the history of those British servants who write, the letters that they wrote back home. This work also engages itself with the history and architecture of numerous buildings in and around Delhi. In seventeenth century he particularly mentioned the tomb of Safdurjung. The glory and the ruin of the Mughal era were recounted in the same breadth, the ruins which were accelerated by the plundering of Nadir Shah. Decay and decadence is portrayed through the architectural ruin of this tomb. He also explored the history of the luxuriant Shah Jahan period, where a bloody battle for succession broke out between his two sons Dara Shikoh and Aurangzeb. It was also a period where the Mughals were at the zenith of glory, power and wealth. Yet, the author observes that this outward refinement in art and etiquette was a cover for some of the most torturous and heinous of crimes committed. He goes back to the British Raj for how the rapid change in the British attitude towards the natives and all this happened within a span of a century. The Whites who came either as part of the East India Company or as scholars, travelers were reverential to the Mughals. They assimilated the Orient culture and married Indian women. But as the power of the East India Company grew gradually and the British conclusively established their rule in most of our nation, the equations drastically altered, and the natives were all rejected and ignored.

Fluctuating between the historical past and the present of Delhi, Dalrymple describes his various visits to the shrine of Sufi Saint Nizamuddin Aulia and to the Jama Masjid on the occasion of Eid namaz. Dr. Jaffery a resident of Old Delhi is his guide during most of these explorations. Dalrymple's one year in Delhi also covers the holy month of Ramadan when he was invited for Iftar by Dr. Jaffery and the 'magnificent view' that he got of Old Delhi from the rooftop gives him space to talk about kite fliers and pigeon fliers (kabooter-baz) – a complete picture of the Orient from the western eye and for the western eye.

Through this work, William Dalrymple throws a good deal of light on many important events that shaped the City

which are mostly unknown to people. The execution of elder Brother Dara Shikoh by Aurangzeb, the sibling Rivalry happened between sisters Jahanara and Roshanara the latter being in close Proximity to Aurangzeb. The sexual allusions were between Emperor Shahjahan and his daughter Jahanara. The Years spent by Ibn Battuta, the Moroccan Traveler in Tughlaks Delhi, the painful journey of Delhi inhabitants to Daluatabad. The conditions of Anglo-Indians were not good and the lost cemeteries, tombs and fortresses etc. Dalrymple proceeds in a way by which he can capture the imagination of his readers. Dalrymple scratches the surface and then peels off layer after layer delving deep into the multilayered city. He supplants history and culture with lures which actively work to reconstruct the opinions about the British, the Mughals and the cultural aspects of the society. Dalrymple in this work portrayed and explored the history and culture of a city disjointed in time, a city whose different ages lay suspended side by side, and a *city of djinns*.

References :-

1. Clarke, Robert. "Travel and Celebrity Culture: An Introduction." Special Issue: *Travel and Celebrity Culture, Post Colonial Studies* Vol. 12 No. 2
2. Dalrymple, William. *City of Djinnns: A Year in Delhi*. 1993. Penguin, 2004
3. D.D.Bhatt_Final_PHDTHESIS, *A Study of Travel Literature with Reference to Travel Writings of William Dalrymple*, 15-04-2015
4. Jain Monica, *Representation of India in the travel writing of William Dalrymple*, 2015 Ph.D. Thesis
5. Rathee, Harshita, "Exploring History and Culture: A Study of William Dalrymple's *City of Djinnns*" (2018). IMPACT: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (IMPACT: IJRHAL), Vol. 6, Issue 1, January 2018, accessed on 23-04-2020
6. https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/105398/13/14_plagiarismreport.pdf accessed on 06-09-2020
7. <http://oaji.net/articles/2017/488-1517640960.pdf> accessed on 06-04-2020
8. <https://www.youthkiawaaz.com/2010/06/book-review-city-of-djinnns-an-year-in-delhi-by-william-dalrymple/> accessed on 23-04-2020

Phytoplankton Diversity in Berach River at Chittorgarh, Rajasthan India

Poonam Shrimali* Dr. O. P. Sharma**

Abstract - The present study describes the diversity of phytoplankton in the Berach river of Rajasthan (India). Result depict that phytoplankton was contributed by six major groups which comprised total 62 species. Out of which 33 belong to Chlorophyceae, 4 to Desmidiaceae, 1 to Xanthophyceae, 10 to Myxophyceae, 3 to Dinophyceae, 11 to Bacillariophyceae. The Chlorophyceae and Myxophyceae dominant groups in this study.

Key words - Phytoplankton diversity, Dominant, Berach river.

Introduction - River carry water and nutrients to areas all around the earth. They play a very important part in the water cycle, acting as drainage channels for surface waters. Rivers drain nearby 75% of the earth's land surface, rivers, provide excellent habitat and food for many of the earth organisms. Berach river is a flowing through western side of Rajasthan. It is a main tributary of the Banas river of Rajasthan. The river originates at Gogunda hills in the Udaipur district. The Phytoplankton constitute bulk of primary producers and are the base food chains in any water body. Thus, it forms the basic tower of ecological pyramid in aquatic ecosystem obviously phytoplankton and primary production studies are especially important in respect to survival and production of commercially important fishes. Due to this reason phytoplankton are usually as an ecological indicator to assess the ecological health and the stress effects of chemical contaminants on aquatic ecosystem and they are also necessary to sustain a healthy aquatic ecosystem. Phytoplankton communities in any water body reflect the average ecological conditions. These may be used as an indicator of water quality (Bhatt et al. 1999, Harikrishnan et al. 1999 and Saha et al. 2000). Urabe et al. (1999) stated that the nutrients supply the growth and composition of primary producers. The role of nutrients in the growth of phytoplankton is well established. The luxuriant growth of filamentous algae depends on nutrients loading (Hosper, 1989). Phytoplankton community is directly or indirectly influenced by the interaction of number of physicochemical factors. Depending upon these interactions diverse patterns emerge in different water bodies in different time periods, Dixit et al. (1992) opined that phytoplankton assemblages respond rapidly to change in their environment with associated changes in overall abundance growth rates and species composition. These changes in physical and chemical quality of water can thus

cause a rapid change in species composition. The aim of current study was to estimate the variability in phytoplankton throughout the year in terms of its distribution, abundance and diversity to assess Berach river. So the present study was carried out in order to determine of phytoplankton of Berach river.

Material and Methodology - The river has a length of 157 km, and its catchment area is 7,502 sq. km. The fortress city of Chittorgarh is situated on the banks of the Berach river bridge.

Berach river is a flowing through western side of Rajasthan. It is a main tributary of the Banas river of Rajasthan. The river originates at Gogunda hills in the Udaipur district.

Sample Collection - For the present study samples were collected at monthly intervals from three preselected sampling station during January 2011 to December 2011. For the sample collection 50 to 100 liters of Surface water using Plankton net. For quantitative estimation a circular cup made up of bolting silk no. 30 was used. The plankton collected were preserved in 70% Alcohol for counting 1 ml. of plankton concentrate was taken in a Sedge wick rafter cell and analyzed under a C.Z. inverted microscope. The Plankton were expressed as Number per liter. The qualitative analysis of plankton samples was done after Needham & Needham (1962), APHA (1989) and Edmondson (1992).

Result and Discussion - The phytoplankton in the river is represented by six major families Chlorophyceae (33), Desmidiaceae (4), Xanthophyceae (1), Myxophyceae (10), Dinophyceae (3), Bacillariophyceae (11), Total 62 forms were identified in this study time. During the present study, total number of phytoplankton was observed to vary between 85-7,105 number per liter. Chlorophyceae most Dominant group by contributing 58% to the total

Phytoplanktonic Community (figure). The minimum number of Chlorophyceae was 453 per liter found in winter at Bill and maximum number was 1393 per liter found in summer season at Billia. Myxophyceae was (16.08%) second dominant group (figure) where the minimum number was 10 per liter during winter season at Billia and maximum number was 348 per liter during summer at Billia. Bacillariophyceae was turned up as the third dominant group (13.82%) in the phytoplankton it was minimum 112 per liter during the winter season at Mungo ka Kheda and maximum number was 348 per liter during summer season at Billia. Dinophyceae was fourth group and contributed 5.72% of total observed phytoplankton (figure) the minimum number was 5 per liter during the monsoon season at Billia and maximum number 160 per liter was seen during winter season at Billia. Desmidiaceae fifth position in dominancy with 5.6% contribution respectively (figure) the minimum number of Desmidiaceae was observed 15 per liter during summer season at MungoKaKheda and minimum number was 150 per liter found during summer season at Nagari and Billia. The Xanthophyceae was not observed from the MungoKaKheda and Nagari but the maximum number was recorded 45 per liter from the Billia during the winter season. Panday and Verma (1992) found Myxophyceae as dominant group whereas Verma & Mohanty (1994), Khanna & Singh (2000) found dominance of Chlorophyceae further, Kiran et al. (2000) identified 87 phytoplankton species in which species of Bacillariophyceae and Chlorophyceae dominated during the investigation on Jannapura pond in Karnataka. Escobar et al. (2000) found microcystis, scenedesmus, claydonomonas and cyclotella as major components of phytoplankton assemblage while studying structure of pond community in central Mexico. Vijaylaxmi (2003) observed dominance of Bacillariophyceae in two drylands of Udaipur it beneficial for fish culture. Baghela et al. (2007) observed the dominance of Chlorophyceae in oligotrophic Lake Jawai Dam.




Figure :Phytoplankton distribution in Berach River, Chittorgarh, Rajasthan

Table 1 (see in next page)

Conclusion - Rivers are the most important freshwater resources for human life and the aquatic environment. The Overall View of the present. Investigation reveals diversity of phytoplankton in Berach river at Chittorgarh, Rajasthan. Phytoplankton diversity was recorded highest at Billia and whereas minimum at MungoKaKheda. The study revealed that during the summer and winter season was

more suitable than the monsoon season for all aquatic organisms. The monsoon rainfall was found to impact the phytoplankton community. The variability of phytoplankton with the season changes in the aquatic environment is very necessary for the maintenance of river water quality. Chlorophyceae were found the most dominant group of phytoplankton in the both season. The observed abundance of phytoplankton in lake was in order of Chlorophyceae > Myxophyceae > Bacillariophyceae > Dinophyceae > Desmidiaceae > Xanthophyceae.

References:-

1. Alfred, J.R.B., Bernia, S., Lambert, I.M. Michael, R.G., Rajendra, M., Rajen, J.P., Sumitra, V. and Wycliffe, J. (1973). A guide to the study of freshwater organisms. J. Maduria Univ. Suppli 185 PP.
2. APHA, (1989). Standard methods for examination of water and waste water. American Public Health Association, Washington, D.C.(17th E-D), 1452 PP.
3. Baghela, B.S., Sharma, M.S., Sharma, V., Malara, H. and Sharma, R.(2007). Studies on composition of zooplanktonic found in relation to salinity charges, proceeding Tall 2007:12 th world lake conference.
4. Bhatt L.R. Lacoul, P. Lekhak, H.O. and Jha, P.K. (1999). Physic-chemical characters and phytoplankton of Taudahalake, Kathmandu, Poll. Res. 18(4) :353-358
5. Dixit, S.S., Smol, J.P., Kingston, J.C. and Charles, D.F.(1992). Diatom: powerful indicator of environment change. Environment science and technology, 26; 23-33
6. Edmondson, W.T. (1992). Freshwater biology, second eds., John Willey and sons.1-1248.
7. Escobar - Briones, E., Cortoz-Aguilar, A.M., Garcia - Ramos, M., Mejia-Ortiz L.M. and Simms-Del Castillo, A.Y.(2000). Structure of a pond community in central Mexico, Hydrobiol, (467) 1:133-139.
8. Harikrishnan, K., Thomas, S, George, Murugan P. R. Mundayoor, S. and Das, M.R. (1999). A study on the distribution and ecology of phytoplankton in the Kuttanad wetland ecosystem Kerala, Poll. Res. 18(3): 261-269.
9. Hosper, S.H.L.(1989). Bio manipulation, new perspective for resoration of shallow eutrophic lake in the Netherlands. Hydribiol, Bull, 23: 5-10
10. Khanna, D.K. and Singh, S. (2000). Pond fish ecology and economics Daya Publ. House Delhi, 86 P.
11. Kiran, B.R., Kumara, V. Sharmukha, D. and Puttaiah, E. T. (2000). Phytoplankton composition in Jannapura Pond, near Bhadravathi town (Karnataka). Geobios (Jodhpur), 29 (2-3): 89-92.
12. Needham, J.G. and Needham, P.R.(1992). A Guide of the study of freshwater biology. Holden Day Inc. Sanfranciso, 180 PP.
13. Pandey, R.S. and Verma, P.K. (1992). Limnology status of an ancient temple pond, Shivaganga of Deogarh, Bihar, J. Freshwater. Biol. 4(3); 163-174.

14. Pennak R.W.(1978). Freshwater invertebrates of the United States. 2nd Ed. John Willey and Sons. Inc. Muveyork. P. 803.
15. Saha, S.B., Bhattacharya S.B. and Choudhary A.(2000). Diversity of phytoplankton of a sewage polluted brackish water tidel ecosystem. J. Environ. biol. 21(1): 9.14
16. Urabe, J., Sekino, T., Nozoki, K., Tsiji, Yashimizu, C., Kagami, Koitobashi, T., Miyazobi, T. and Nakanishi, M. (1999). Light nutrients and primary productivity in lake Biwa : An evaluation of current ecosystem situation. Ecological-Research (Ecol—Res) 14 (3) : 233-242.
17. Verma, J.P. Mohanty, R.C. (1995). Phytoplankton and its correlation with certain physico-chemical parameters of Danmukundphur pond. Poll. Res, 14(2) : 233-242.
18. Vijaylaxmi, P. (2003). Biological productivity of two dry bundhs of Udaipur, Rajasthan in relation to growth and diet selectivity of major carh fry and bingerlings, Ph.D. Thesis, M.L. Sukhadia University Udaipur.

Table 1 : List of Phytoplankton occurred in three water bodies during 2011

S. No.	Name of Phytoplankter	Mungo ka khera			Nagari			Billia		
		W	S	M	W	S	M	W	S	M
A.	Chlorophyceae									
1.	Volvox Sp.	50	115	75	68	155	90	63	100	73
2.	Eudorina sp.	-	-	50	-	-	76	-	80	20
3.	Pandorina sp.	-	-	28	-	55	48	30	-	50
4.	Scenedesmus sp.	59	24	-	-	25	67	60	40	-
5.	Chlorella sp.	-	35	40	-	20	-	-	35	-
6.	Ankistrodesmus sp.	-	70	-	60	-	-	-	-	60
7.	Coelastrum sp.	-	75	-	-	82	-	-	61	-
8.	Spirogyra sp.	95	-	55	105	129	-	75	60	40
9.	Oedogonium sp.	103	140	-	120	80	-	100	140	120
10.	Ulothrix sp.	-	50	-	-	-	85	-	115	100
11.	Cladophora sp.	-	-	70	-	60	-	-	50	-
12.	Chlamydomonas sp.	75	-	60	110	-	52	-	140	-
13.	Mougeotia sp.	-	-	20	-	30	-	-	20	-
14.	Pediastrum sp.	30	40	55	45	25	-	-	35	-
15.	Oocystis sp.	45	20	-	-	95	-	-	22	15
16.	Zygnema sp.	55	-	65	55	-	-	-	40	3
17.	Microspora sp.	14	20	-	82	65	40	-	80	10
18.	Sphaerocystis sp.	20	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Asterococcus sp.	-	-	-	-	-	-	60	-	-
20.	Closteriopsis sp.	-	20	-	-	-	-	-	70	-
21.	Schizomeris sp.	-	-	40	-	-	-	-	-	20
22.	Oedocladium sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	25
23.	Actinastrum sp.	-	-	-	-	-	30	-	-	5
24.	Kirchneriella sp.	-	45	-	-	-	70	-	80	20
25.	Nephrocytium sp.	-	-	-	-	55	-	-	-	-
26.	Zygnemopsis sp.	-	20	-	-	-	-	-	-	-
27.	Pleodorina sp.	-	-	50	-	-	80	-	60	100

28.	Chaetophora sp.	40	-	-	-	60	-	-	40	-
29.	Siderocelis sp.	-	-	-	-	70	-	-	40	-
30.	Draparnaldiopsis sp.	-	-	-	75	-	-	-	-	-
31.	Basicladia sp.	-	15	-	-	40	-	-	35	-
32.	Protococcus sp.	25	-	-	-	85	-	-	-	25
33.	Bulbochaete sp.	-	36	-	80	60	-	65	50	-
B	DESMIDIACEAE									
34.	Cosmarium sp.	30	-	15	-	-	25	-	35	-
35.	Desmidium sp.	10	-	20	-	20	20	10	40	10
36.	Sphaerosozma sp.	-	15	-	95	90	-	50	40	30
37.	Cosmocladium sp.	-	-	-	-	40	-	20	35	45
D	Xanthophyceae									
38.	Botryococcus sp.	-	-	-	-	-	-	45	30	10
E	MYXOPHYCEAE									
39.	Microcytis sp.	60	60	-	80	-	-	75	100	-
40.	Agmenellum sp.	40	-	-	-	70	-	10	40	-
41.	Anabaena sp.	11	14	29	66	72	41	45	20	-
42.	Oscillatoria sp.	9	-	10	-	25	75	56	40	-
43.	Phormidium sp.	-	15	20	108	60	-	-	30	-
44.	Nostoc sp.	45	20	-	-	51	25	-	30	10
45.	Spirulina sp.	-	-	25	-	35	-	-	45	-
46.	Coccochlaris sp.	5	-	13	-	15	-	40	25	-
47.	Lyngbya sp.	-	-	-	55	40	-	-	-	-
48.	Microcrocis sp.	18	8	42	-	34	70	20	18	-
F	DINOPHYCEAE									
49.	Glenodinium sp.	17	50	-	69	50	75	40	-	15
50.	Peridinium sp.	-	20	50	-	30	-	60	40	-
51.	Sphaerodinium sp.	-	65	-	-	60	-	60	-	-
G	BACILLARIOPHYCEAE									
52.	Cyclotella sp.	55	-	-	68	20	-	45	-	70
53.	Synedra Sp.	-	35	13	-	25	55	-	16	14
54.	Fragillaria sp.	-	-	60	-	-	-	-	-	35
55.	Navicula sp.	27	29	36	39	28	46	28	13	3
56.	Pinnularia sp.	-	25	-	46	-	28	30	14	-
57.	Nitzschia sp.	13	20	-	-	15	-	-	20	-
58.	Asterionella sp.	-	-	73	-	-	-	48	10	-
59.	Amphora sp.	-	20	15	-	25	30	36	20	-
60.	Cymbella sp.	-	25	-	60	-	-	45	21	10
61.	Bacillaria sp.	17	30	35	-	35	-	20	40	-
62.	Cylindrotheca sp.	-	-	-	-	-	-	45	50	20

म.प्र. के निमाड़ अंचल के जनजातीय समाज का सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिदृश्य

डॉ. मुकेश भार्गव*

प्रस्तावना – निमाड़ मध्यप्रदेश के दक्षिणी एवं पश्चिमी और स्थित है। इसकी भौगोलिक सीमाओं में निमाड़ एक तरफ विंध्य पर्वत और दूसरी तरफ सतपुड़ा स्थित है, और मध्य में नर्मदा नदी स्थित है। पौराणिक काल में निमाड़ अनूप जनपद कहलाता था। किसी भी संस्कृति के बनने में हजारों वर्षों के समय का योगदान होता है, उसमें नदियाँ, पहाड़, जंगल, जीव-जन्तु, पेड़-पौधे, जलवायु, प्रकाश, अग्नि, धरती, आकाश और मनुष्य के जीवन की गतिविधियों का हाथ होता है।

मध्यप्रदेश में पाँच लोक संस्कृतियों का समावेशी संसार है। ये पाँच सांस्कृतिक क्षेत्र हैं –

क) निमाड़, (ख) मालवा, (ग) बुन्देलखण्ड, (घ) बघेलखण्ड, (च) ग्वालियर।

प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र या भू-भाग का एक अलग जीवंत लोकजीवन, साहित्य संस्कृति, कला बोली। भाषा और परिवेश है। मध्यप्रदेश लोक संस्कृति के मर्मज्ञ विद्वान श्री वहन्त निरगुणे लिखते हैं- संस्कृति किसी एक अकेले का परिचायक नहीं होती उसमें सम्पूर्ण समूह का सामूहिक दायित्व होता है। सांस्कृतिक अंचल (क्षेत्र) की गरिमा इसी भाव भूमि पर खड़ी होती है। जीवन शैली, कला, साहित्य और वाचिक परम्परा मिलकर किसी अंचल की सांस्कृतिक पहचान बनाती है।

मध्यप्रदेश की संस्कृति विविध वर्गी है। गुजरात, महाराष्ट्र अथवा उड़ीसा की तरह इस प्रदेश को किसी भाषाई संस्कृति में नहीं पहचाना जाता है। मध्यप्रदेश विभिन्न लोक और जनजातीय संस्कृतियों का समागम है। यहाँ कोई एक लोक संस्कृति नहीं है। यहाँ एक तरफ पाँच लोक संस्कृतियों का समावेशी संसार है, तो दूसरी ओर उनके जनजातियों की संस्कृति का विस्तृत फलक पसरा हुआ है।

निष्कर्षतः मध्यप्रदेश पाँच सांस्कृतिक क्षेत्र निमाड़ मालवा, बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड और ग्वालियर, खरगोन, बड़वानी तथा धार, झाबुआ, मण्डला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, खण्डवा, बुरहानपुर, बैतुल, रीवा, सीधी, शहडोल आदि जनजातीय क्षेत्रों में विभक्त है।

मध्यप्रदेश के पश्चिमी अंचल के एक सांस्कृतिक हिस्से का नाम निमाड़ है। किसी भी संस्कृति के बनने में हजारों वर्षों के समय का योगदान है। निमाड़ की धरती हजारों वर्षों की ऊष्मा जलवायु को वहन और सहन करने वाली रही है। तपती धरती पर हल चलाता किसान जब अपने हृदय के गीत गाता है, तब उसमें निमाड़ की धरती के श्रमदान के गुणगान ही सुनाई देते हैं। निमाड़ के किसान को मालूम है कि कभी अनूप देश कहलाने वाला एक ऐसा जनपद था। जिसकी अपनी संस्कृति अलग उष्मिती थी। महेश्वर और

सहस्रधारा के मध्य रेतीले घरों का अभ्यास करने वाले डॉ. झाय ने निमाड़ के बारे में यह निष्कर्ष निकाला था कि यहाँ जलवायु कभी शुष्क रही होगी, करीब 10 से 12 हजार वर्ष के मध्य एक नवीन संस्कृति का विकास हुआ जो पूर्व संस्कृति से जन्मगत संस्कृति से भिन्न नहीं है, किन्तु उसी का विकसित रूप है।

पं. रामनारायण उपाध्याय ने निमाड़ अंचल की संस्कृति एवं इतिहास पर विचार करते हुए लिखा है कि- भील इसकी प्रमुख मूल आदिवासी जाती है, जो पश्चिमी निमाड़ से सर्वाधिक है। भील जाति अपनी सुझ-बूझ के लिए प्रसिद्ध रहे है। निमाड़ के प्रत्येक गाँव में इसका स्वतंत्र मोहल्ला मिलेगा। यह भील आवार के नाम से प्रसिद्ध रहा है।

निमाड़ अंचल की जनजातियों के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने-अपने मत प्रकट किए हैं। **हीरालाल** के मतानुसार- यहाँ की प्रमुख जनजातियों में भीलों की संख्या सतपुड़ा के निकटवर्ती भागों में प्राचीनकाल से ही सर्वाधिक रही हैं। निमाड़ नाम से प्रचलित होने से पहले इस क्षेत्र में अन्य जातियों का गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत से प्रवजन होता रहा है। इसके प्रवजन के राजनीतिक आर्थिक एवं प्राकृतिक अनेक कारण थे। कालांतर में आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़ी जातियाँ एवं समुदाय यहाँ स्थायी रूप से बस गयी है। उल्लेखनीय है कि इनके व्यवसाय का आधार भी कृषि और उसका उत्पादन प्रमुख थे। अतः निमाड़ अंचल की जनजातियों का जीवन का प्रमुख आधार कृषि है।

पृथ्वी पर सबसे पहले अवतरित होने वाली नदी नर्मदा को माना जाता है। इस दृष्टि से नर्मदा विश्व की सबसे प्राचीनतम् सरिताओं में से एक है। भौगोलिक रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है नर्मदा से पूर्व विंध्य और सतपुड़ा का निर्माण हो चुका था। नर्मदा के दोनों ओर पर्वत संभवतः सृष्टि के आदि पर्वत है। हिमालय का प्रादुर्भाव विंध्य-सतपुड़ा के पश्चात ही हुआ है।

नदियाँ हमारी संस्कृति का उद्गम स्थल है। विश्व की महान संस्कृतियाँ नदियों के पावन तट से उपजी हैं। नर्मदा भी उन नदियों में से एक है, जिसके तट पर नर्मदा संस्कृति उद्गम और विकास हुआ है।

नर्मदा कभी विशाल सागर थी। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में अथाह जल राशि जहाँ तरंगापित हुआ करती थी एक किनारे पर विंध्याचल और दूसरी तरफ सतपुड़ा सुबह से उठकर मुँह धोया करते थे। कभी आरूठ डूबकर नहाया करते थे। लाखों वर्षों की यह महाकथा केवल नर्मदा की ही शेष नहीं रही है। बल्कि नर्मदा घाटी में अद्भूत उस मानव की भी विकास कथा है, जहाँ मानव अपनी संस्कृति की प्यास इसी नर्मदा के तट पर बुझाता आया है।

* संविदा सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

नर्मदा का जल पीकर लघु मानव आज महामानव बना है। महामानव को बनने में कितने युग बीते होंगे इसका हिसाब नर्मदा की लहरें ही दे सकती हैं। नर्मदा अंचल की सभ्यता और संस्कृति के विकास में नर्मदा के उद्गम अमरकंटक से लगाकर पश्चिम सागर के मिलन स्थल भड़ौच तक की यात्रा और आंचलिक लोक मनीषा की भागीदारी है। निमाइ भी एक हिस्सा है, जो युगों से अपनी अलग संस्कृति की पहचान बनाए हुए है, जो देवी नर्मदा के कुंवारे आंचल जन्मी है। नर्मदा निमाइ अंचल के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गई है।

सामाजिक परिदृश्य – निमाइ अंचल का सामाजिक जीवन अत्यंत सादगी पूर्ण है। लोग परम्परावादी हैं। पुरुष प्रायः सफेद सूती धोती, कुरता, पगड़ी, साफा या टोपी पहनते हैं और महिलाएं घाघरा, कांचली, नाटी, चोली पहनती हैं। सेन्धवा तहसील, चाचरिया, सुरानी, निवाली, धवली, पानसेमल में बरेला जनजाति की महिलाएं अधिकतर नाटी पहनती हैं। नाटीयाँ सुती एवं रंग-बिरंगी होती हैं। भील जाति के वस्त्र अत्यंत रंगीले होते हैं। कोरकू जाति के लोग साधारण कपड़े पहनते हैं। आजकल नए कपड़े का फैशन चल पड़ा है। महिलाएं पोलका, पेटीकोट, साड़ी पहनने लगी हैं, और पुरुष कमीज, पायजामा, पेंट, बुशर्ट पहनने लगे हैं। गाँवों में वृद्ध पुरुष और महिलाएँ निमाइ की पारम्परिक वेशभूषा में अवश्य दिखाई दे सकते हैं। पहनावे में अभी भी कुछ निजी विशेषताएँ होती हैं, जिससे पहनने वाले की जाति एवं संस्कृति दूर से पहचानी जा सकती है। आदिवासी अंचलो में मुख्य रूप से भोजन में ज्वार और मक्का की रोटी अवश्य बनती है। निमाइ अंचल में ज्वार की रोटी को (रोटा) कहा जाता है। क्योंकि उसे दोनो हाथों से बनाया जाता है। बेलने का कोई काम नहीं होता।

ज्वार की रोटी और अमाड़ी की भाजी जिसे छाछ में बनाया जाता है। निमाइ की संस्कृति की पहचान के भोज्य पदार्थ हैं। लोग पारंपरिक भोजन में मक्के की घाट, बाजरे का खिचड़ा (शादी में रीति-रिवाज के लिए) बनाया जाता है। लड्डू, बाफले, दालबाटी, पुरणपुली आदि में विशेष रुचि लेते हैं। तुवर की दाल नियमित रूप से खायी जाती है। निमाइ के भोजन में सब्जियाँ सामान्यतः कम होती हैं। कहीं-कहीं भात रोज बनता है। आजकल शादी, ब्याह में चावल बनाए जाते हैं। लोग शाकाहारी, मांसाहारी दोनों हैं। अप्रशयता का भाव गाँवों में अभी भी है, लेकिन अब कम हो गया है। चुले-चौके (रसोई) में सबको जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, चौका प्रतिदिन लगाया जाता है। जहाँ रसोई घर कच्चा है, वहाँ गोबर पीली-मिट्टी से आज भी रोज लिपा जाता है।

लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, स्वच्छता रखते हैं। घरों में पीने का पानी मिट्टी के घड़े में भरा जाता है। मिट्टी के घड़े (घड़ीची) पर रखे जाते हैं। पीतल, तांबे, कांसे, एल्युमिनियम तथा स्टील के बर्तन उपयोग किए जाते हैं। रेडियो, टी.वी., टेलीकॉम, बिजली आदि आज की सामान्य वस्तुएँ हैं। निमाइ में मोटर साईकल का क्रेज है। किसान ट्रैक्टर, मोटर गाड़ीयाँ आदि रखने लगे हैं। कहीं-कहीं संयुक्त परिवार निवासरत् है। गाँव में सभी मिल-जुलकर एक-दूसरे के काम आते हैं। शहरों में व्यक्तिगत जीवन को देखा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ही लोग सहायता करते हैं।

निमाइ अंचल के जनजातीय समाज का जीवन सतपुड़ा के विंध्य और नर्मदा तीनों की समन्वित का नाम है। विंध्य सतपुड़ा के बीच प्रसारित और आदि गंगा-नर्मदा के पवित्र जल से सिंचित निर्माण की ऊसर भूमि के मनुष्यों का लोकजीवन अत्यंत श्रम साध्य है। निरंतर श्रम के सानिध्य ने निमाइ के

लोग जीवन में जो सागदी और निष्ठा भर दी है, वह माटी में शोधी सुगंध के समान है। हजारों वर्षों से विकसित निमाइ के लोक जीवन की एक पारस्परिक शैली बन गई है।

जहाँ निमाइ का आदमी सफेद धोती कमीज पहनने में कभी गौरव का अनुभव करता था। सादगी पूर्ण वस्तु निमाइ के आदमी की सांस्कृतिक पहचान थी। सिर पर लाल पगड़ी पहनना निमाइ का व्यक्ति कभी भूलता नहीं था। उस पर सफेद दुपट्टा लपेटा जाना किसी बड़े सम्मान का सूचक था। उस समय अंगरखा भी पहना जाता था। अंगरखा और पगड़ी तो प्रायः चलन से बाहर हो गए हैं। हमारे समाज से अंगरखा और पगड़ी संस्कृति लगभग विदा हो गई है। यदा-कदा कोई अंगरखा कौतुहल से देखते रह जाते हैं। गाँवों में 5 प्रतिशत पुराने लोग बचे होंगे, जो निमाइ की पारस्परिक वेशभूषा धारण करते होंगे। सब समय के साथ-साथ सब कुछ बदल गया है।

निमाइ की महिलाओं की पारम्परिक वेशभूषा दूर से ही पहचान ली जाती थी। छीट के घेरदार घाघरे पर गहरे रंग की सूती कांचली पहनने का रिवाज समाज में बहुत पुराना रहा है। कांचली कुंचली का निमाड़ी नाम है, जिसमें अंदर कोई दुसरा अंग वस्त्र नहीं पहना जाता था। कांचली की टुकड़ियों को कसने के लिए कस होते थे। बाद में साड़ी पोलके और पेटीकोट का चलन हुआ। महिलाएँ सीधे पल्ले की साड़ी पहनती हैं। मराठी संस्कृति में आजकल की महिलाएँ उल्टे पल्ले की साड़ी पहनती हैं/पहनने लगी हैं।

अवसर विशेष पर पुरुष साफ धुले हुए कपड़े पहनने में रुचि दिखाते हैं। इस तेल लगाते हैं। कहीं-कहीं युवक आँखों में काजल भी लगाते हैं। स्त्रियों को पर्व-त्यौहारों, सगाई, विवाह आदि में सजने-संवरने का शौक है।

स्त्रीयाँ आभूषण प्रिय है, लेकिन पुराने पारंपरिक गहनों में आज की महिलाओं में रुचि बहुत कम होती जा रही है। पुरानी महिलाएँ जरूर पारंपरिक गहने कहीं-कहीं पहने हुए दिखाई दे सकती हैं। गहने स्त्रीयों के सौभाग्य सूचक हैं, निमाड़ी लोक गीतों में गहनों का वर्णन जितना कहीं नहीं हैं। डाल, कड़ा, पाटली, साकली, राखड़ी, बाजुबंद, नथ, कड़ी, जैसे चाँदी के आभूषण आधुनिक महिलाएँ अब कम पहनती हुई दिखाई देती हैं। आभूषण किसी भी संस्कृति के पारंपरिक प्रतीक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति है। आभूषण जहाँ सौन्दर्य की श्रीवृद्धि करते हैं, वहीं वे मान सम्मान, ऐश्वर्य, समृद्धि के भी प्रतीक हैं। गहने सामाजिक प्रतिष्ठा का भी सूचक हैं। निमाइ का आदमी कहीं भी रहे, वह अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोकर रखता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. निमाइ का सांस्कृतिक इतिहास : पं. रामनारायण उपाध्याय, पृष्ठ 25
2. ट्राइब एण्ड कास्ट आ सेन्ट्रल प्रोविसेज ऑफ इण्डिया से हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ संख्या 157
3. दृष्टव्य निमाइ का सांस्कृतिक इतिहास : अनुच्छेद-4, पं. रामनारायण उपाध्याय, पृष्ठ संख्या 14
4. मौखिक साक्षात्कार : नरेश मेहता
5. शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ : श्री बालचन्द्र जैन, पृष्ठ संख्या 10
6. मध्यभारत जनपक्षीय ग्रंथ : श्री सत्यदेव विद्यालंकार, पृष्ठ संख्या 77
7. निमाड़ी संस्कृति और साहित्य : वसन्त निरगुडे, पृष्ठ संख्या 36
8. भीली भाषा का अध्ययन : डॉ. नेमीचन्द्र जैन, पृष्ठ संख्या 57
9. सिंगाजी के दृष्ट उपदेश : पद संख्या-201, पं. रामनारायण उपाध्याय, पृष्ठ संख्या 64
10. संत सिंगाजी : संत सुकुमार पगारे शोध मंडल, पृष्ठ संख्या 32

Publicity by use of CSR fund in Calamities

Dr. Amar Vatnani* Mithun Barod**

Abstract - The Covid-19 has locked peoples in their homes and shocked the whole world. Whatever happened due to Covid -19 was implausible. Everyone was amazed by this virus because it was an unimaginable event and situation which the world had not faced till date, nor was the world ready for it. Even in this critical situation, some opportunistic corporate took advantage and left a different impression on people's minds for themselves. This act directly benefited their brand and they managed to create a distinct identity of sociality and service and whose future benefits they are sure to get. Only those who had money available in liquid form could take advantage of this situation. This research paper analyzes the importance and effect that can result from a company's CSR activities in calamities like situations. If the company performs social or environmentally friendly activities in any type of disasters, then its benefits prove to be more beneficial and effective than those done in the normal situations.

Introduction - In present scenario one class of consumers are aware of a Corporate Social Responsibility behavior and impact on environment and the community. Consumers can react to this behavior by either rewarding or punishing firms by either choosing and buying their products or avoiding their services or products. To find consumer response, the goal of our research was to explore how People respond to contribution by corporate towards the calamities.

After the Companies Act 2013 in India, the discharge of social responsibility by companies was a matter of business ethics and companies voluntarily discharged social responsibility but by virtue section 135 of the Companies Act 2013, to such companies, in any financial year,

1. Net worth 500 crores or more, or
2. Turnover 1000 crores or more, or
3. The net profit is 5 crores or more,

He shall constitute the CSR committee and at the same time, 2% of its average profit should be spent on the activities mentioned in the schedule seven. So, after this levied of law and development of Companies in Indian economy, Corporate Social Responsibility has become a very important factor for corporate. However, the commitment to Corporate Social Responsibility has been very low. In present Legal framework and Political environment consumers are becoming more willing to demand on CSR from companies, but there has been less study of Corporate Responsibility problems in the Indian market or the response of consumer.

Objectives:

1. To find out level of impact on publicity by using CSR fund during Natural Calamities.
2. Understanding of the ideology of "Emergency CSR

fund".

Hypohecations - Companies get more publicity by utilization of CSR fund during natural calamities.

Literature Review

The beginning of this survey has been started after reviewed the literature. There is no such investigation work has been done so far to understand the impact of the spending of CSR fund during calamities. The subject of the investigation is still untouched. A.T. Riddhima in 2004 in his research head "The impact of business ethics and corporate responsibility on indian business growth" In order to explore the effects of business ethics and corporate responsibility on the development of Indian business. In his investigation, he found that the brand value of the companies which were invested in social responsibility (CSR) activities increases rapidly and also creates a better image in the minds of the customers. Ramendra Singh and Sharad Agarwal in 2013, as per paper, published in working paper series (WPS 729/ June 2013) of IIM Calcutta, 63 companies in India spent CSR money through the own foundation and NGO's established by themselves. The conclusion of this working is imposes a question mark on the reliability of the amount spending as CSR expenditure. Margrita Tsoutsoga (CSR and Financial Performance : 2004) found in his research that CSR Affects the company's financial performance positively, through numerical tests they found this relationship to be meaningful. Walter F Abott in 1979 published a research "Self reported disclosure as a measuring corporate social involvement" in which they had surveyed Fortune 500 companies to measure impact of CSR activity on profitability. Manuela weber Studied the effects on the competitiveness of companies and developed a multi-dimensional evaluation model. Dr. Urmila moon did

*Professor (Commerce) Shri Atal Bihari Vajpayee Govt. Arts and Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

** Research scholar (SRF) Shri Atal Bihari Vajpayee Govt. Arts and Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

a analytical study in India on CSR. She analyze and review CSR policies and strategy and concluded that companies, together with their stakeholders, had a more robust and constructive CSR policies. Strategies should be devised that would serve the objectives of ethics, environment and social sector. Kenneth E Aupperle (1985) examines the relation between the profitability of various companies and the social responsibility of corporations. In research found that such firm which had CSR expenses and who did not spent on the CSR there is no meaningful difference in both companies profit. Harmony J Palmer(2012) studied the business operations and CSR in which it was concluded that the business can be easily promoted towards greater profitability with social activities as the customers have a respect for the company which will give impetus to the growth of the company. Uvais M and Hafeefa Cholasseri 2013 conduct analytical study on the dimensions and challenges of CSR in India. They concluded that transparency in the CSR activity makes the organization more reliable which helps in increasing the brand value of the company. Thus the various research papers have been published regarding CSR, but the publicity by using Corporate Social Responsibility (CSR) fund during disaster could not be review and this is the inspiration of the presented paper.

CSR during calamities - The ideology of CSR defines the responsibilities of corporations towards society and the environment and currently corporations are using this ideology as an instrument for value addition. Corporations can make CSR *highly effective* by executing it during humanitarian tragedies or natural disasters, but this can only be possible if corporations have made provision for any emergency CSR fund to help during such unexpected events that can be immediately done without much formalities.

Companies may reserve part of their general CSR fund for social and environmental support in future disasters. The purpose of this fund should be used only during calamities. Generally CSR activities are defined by the company in their CSR policy on which they have to spend but during natural calamities, spending the reserved amount for CSR can create more impact and profit than the amount spent during normal situations. As examples of such disasters, we can presently take on terrible tragedies like Covid-19, the terrible fire in Australia's forests in December 2019, Haiti earthquake 2010 or Tsunami - 2004

In these scenarios, the corporate that came to help the human and the environment, they made a socially friendly image on every section of the society and created a better brand value in the society, so that for a period they will continue to get benefit one or another way. There will be benefits in the form of increase in sales and fame, political reach and appreciation and loyalty of customers.

Collection of Data & Analysis - To get more accurate reply and identify the affecting factors, we chose one hundred persons in order to collect qualitative data. Before choosing

these people we did not know these selected persons were known about corporate social responsibility (CSR). To find out impact of CSR spending during calamities, we have conducted a survey to collect primary data. Aim of this survey is to compare the impacts of spending of CSR fund during the normal course of business versus during the calamities situations on publicity. We have collected data by a survey through questioner. The questionnaire included multiple choice questions are measured through various static tools. The sample is taken from the areas of Indore city using snowball sampling method. Considering the accuracy and feasibility of data collection in the period of Covid-19 pandemic, an online questionnaire was adopted in our study. We sent e-mail link to answer the questionnaire through the Google Docs survey and we also collect data through physically. We collected response from eighty seven respondents out of hundred.

Table: 1 Profile of respondents

Variables	Frequency	%
Age Group		
20-30	53	60.92
31-40	14	16.09
41-50	14	16.09
51-60	6	6.90
61 above	0	0.00
Gender		
Male	54	62.07
Female	33	37.93
Education Qualification		
Graduate	49	56.32
Post Graduate	31	35.63
Master of philosophy	0	0.00
Doctor of philosophy	0	0.00
Other	7	8.05
Occupation		
Student	2	2.30
Self Employed	8	9.20
Service	32	36.78
Professional	13	14.94
Home maker	32	36.78
Monthly Income		
below Rs. 25,000	59	67.82
Rs. 25,001- 50,000	16	18.39
Rs. 50,001- 75,000	9	10.34
Rs. 75,001- 1,00,000	3	3.45
Above Rs. 1,00,000	0	0.00

From above table we can see that profile of respondents this study which concludes that majority of age group falls between twenty to thirty years, there are 62.07% are males and 37.93% are female. 56.32% are Graduate, 35.63% are Post graduate, and 8.05% falls in other category. 2.30% are students, 9.20% are self employed, 36.78% respondents from service, 14.94% are professionals, and rests of 36.78% are home makers. Majorly respondents fall in the category of income below Rs. 25000.

Findings & Observations - As regards the questionnaire related to the knowledge of respondents to CSR, most of the respondents know the informal definition of Corporate Social Responsibility. However, we have demonstrated topic to respondents. Forty four respondents where know the top companies that contributes for Covid -19 relief fund. Sixty eight respondents knew the name of companies which have donate highest amount for corona calamities to the government fund. We also observed that these all sixty eight respondents know that these companies also arrange various facilities for people who were affected by corona calamities. Fifty nine respondents think that companies is responsible for spend at the time of any type of natural calamities or disaster. Seventy three respondents agree that every company spend on CSR actives have provide better services to its customers. Sixty seven respondents believe that companies who come forward to help in disasters like corona, flood, earthquake, tsunami, should give more priority to buying goods. Fifty eight respondent respond that the quality of the goods that companies spend on conserving society and the environment is high and they are prefer to buying goods from companies who have spend on CSR activities. We also observe that fifty six respondents believe they come to know about corporate contribution towards natural calamities from media news only. Important and finding is shown in the below table 2.

Table 2
Knowledge of Contribution by Companies to CSR

Answer	Frequency	%
Yes	42	48.28
No	45	51.72


Time to find out about contributions made by companies.

Answer	Frequency	%
During Calamities events	64	73.56
Other events	23	26.44

Source of knowledge and News

Source	Frequency	%
Media	67	77.01
Magzines	1	1.15
Educational books	4	4.60
Social media	13	14.94
Other	2	2.30

On the basis of finding as discussed above and shown in table 2 we can conclude that companies get more popularity if they contribute for the help during calamities. 73.56% respondents get the information of contributions made by corporation to help of disaster affected, during that event. Whereas 26.44 % respondents are get the information on other occasion or event. We can also observe that maximum respondents get the information from media news.



Conclusion - Object of this research paper is to analyze whether utilization of CSR fund during Natural Calamities is more useful or not for companies. After analysis of data we can conclude that if companies contribute to help during calamities, so it becomes news in the media at a fast pace and reaches the people. Due to which companies get more publicity about their sociality. There were differences in the opinions of the respondents regarding prioritization of purchasing the goods and services from companies contribute towards CSR and other. They all agreed that they would buy the product from companies who spend more for the help during natural calamities. However, they made different choices as to whether they were willing to pay a higher price to buy products from these categories of companies. Seventy nine respondents said they were willing to spend more money to buy product and higher amount will depend on situation & quality. They also put a condition of variation of prices means their choice depended on how much higher the price would be and only a small price difference will acceptable.

Finally, the results of this study indicated that the impact of CSR fund utilization during calamities is more useful compare to normal situation. The results of the study showed that a good number of consumers are concerned about the importance of CSR. Spending of CSR fund during calamities is emerging marketing tool among corporate.

References:-

1. Anna Beckers, Enforcing Corporate Social Responsibility codes on global self Regulation and National Private Law (Hart, 2015)
2. Bowen, H. (1953). Social Responsibility of the Businessman. New York: Harper.
3. <https://indiaeducationdiary.in/pfc-receives-certificate-of-appreciation-for-best-csr-practices-covid-19-relief-work-from-government-of-haryana/>
4. http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CSR2021_13012021.pdf
5. <https://www.outlookindia.com/newscroll/csr-work-didnt-suffer-during-covid-separate-funds-spent-for-pandemic-response-hcl-foundation/2020797>
6. Kothari, C. Research Methods. New Delhi: New Age International (P) Ltd.
7. Moon, D. U. (2012). Corporate Social Responsibility in India. Maratha Mandir's Babasaheb Gawde Institute of Management Studies.
8. Mr.Uvais.M, M. C. (March 2013). Corporate Social Responsibility:Dimensions and Challenges In India. International Journal of Engineering Science Invention,

6. Journal of Science
9. Okeudo, G. N. (2012). Effect of Corporate Social Responsibility on the Society (Using Shell Petroleum Development Company as a Case study). British
10. Singh, R. G. (2010). Corporate Social Responsibility Practices in. Global Business and Management Research: An International Journal.

Protocols to Face the Pandemic & Natural Disasters in Apocalyptic Literature

Ms. Abha Chaturvedi*

Abstract - Disasters are the biggest fear of mankind since the ancient time. Either they have provided the opportunity to medical science to create new things or served the literature by giving a new turn to write. This new term is always a U-Turn of themes and thoughts. Sometimes it deals with mankind's oldest fear called "Death", sometimes it describes about reconstruction after death. They are often described in religious books with religious themes. Although these themes has no scientific importance but there is hardly any such work more venerable than these books composed by even unknown authors in whole literary canon. This literature has a specific way to hypnotize the human mind. We can see its impact even today's scientific world when we see the treatment of people for pandemic. This study may become more important under the circumstances of Covid-19 attack and we may better understand the human psychology for treating this new corona virus disorder.

The aim of present paper is to study the people's treatment for quarantine and concept of fighting with natural disasters and pandemic which is highly fascinated by their apocalyptic literature and to prepare a better psycho-literary vaccine to fight with this disorder.

Key Words - East Literature, West Literature, *Zgveda*, pandemic, *Puranas*, Renaissance Humanist, Black Death, Red Death.

Introduction - The word "Apocalyptic" is derived from the Greek Language meaning thereby, "revelation". Apocalyptic literature is a special genre of literature which deals with the writing based on prophecy, the special talk between the prophet and the God. Such talks generally involve the messages of reward, punishment, the inspiration and the interpretation of a special spiritual world. Apocalyptic Literature was developed during the exile period of Jewish people in English. Although it was born in post exilic Jewish period but became popular in early Christian age when the divinity was the supreme part of every written document. This Literature was, in fact, the unveiling of those things which were not previously unveiled.

It has four important features:

1. It is based on Myths but those myths have some proofs
2. It prophesizes future events with past links
3. Apocalyptic literature deals with spiritual hidden facts apart from the events of history and final ultimate destiny of humanity expressed by the prophets.
4. It does not have a proper organized text and always indicates towards resurrection.

Apocalyptic Literature takes its origin with the origin of a new civilization and a new religion. Although the Apocalyptic literature of East and West is very different still its outlines are same. The West developed its apocalyptic literature by the Judaism and Christianity embraced a considerable period, from the centuries following the

Babylonian exile down to the close of the middle age. The eastern apocalyptic literature, on the other hand was the outcome of several beliefs. It is mentioned in the holy scriptures of Vedas, Puranas, the Shû King (Classic of History) Book of Thang, Books of Hsiâ Books of Yü, Books of Shang, Books of Kâuof Kâu and Jatak Kathayen and so on. They are mainly based on the concept of Buddha, Confucius, Rishis and Munis. The central Indian apocalyptic literature is *Puranas*. They are based on Vedas. Nobody knows who wrote Vedas but *Maharshi Vyasa* compiled the Vedas and arranged them into four parts. These oldest scriptures of Hinduism are composed in Vedic Sanskrit and covered a wide range of topics in the form of folklore, prophecy and legend.

The apocalyptic literatures, around the world, are important because they not only forecasted about the outbreak of the pandemics but also discussed its disastrous effect and control.

Concept of Quarantine in Apocalyptic Literature - The world is sailing in the same boat to describe how COVID-19 has transformed the entire globe. Scientists are considering it a biological war where as socio religious documents are treating it as the reward of Karmas. Our apocalyptic Literature has sufficient protocols to face this situation. 'quarantine' protocol is one of them. It is not the first time when the earth is passing by an odd condition but it is several times when men have to go for new startup by

crossing the path of quarantine. People around the world are horrified nowadays. It is all because they do not know its concept. It is a tool to prevent oneself from any bigger problem. It is already proved by the apocalyptic literature that god himself commanded for the 'quarantine' before taking a new decision by prophets.

'Quarantine' is situation is pre described and we have sufficient protocol to face this situation. We begin to relate it directly from the bible's example where Noha was first quarantined inside of the ark along with his family members. With two of every kind of living creature, inside the ark, Noha quarantined to save their lives according to the will of God.

The another example of quarantine during natural disaster, we may see in the Bible is When the large cities of the plain of Jordan are destroyed because of their people's lack of discernment of good and bad. It was Lot who was instructed to leave for quarantine for his own safety. Lot's wife looked back (refused for Quarantine) and turned into a pillar of salt. Salt preserved her in a fixed state. This is actually a symbolic of her being tied with the ill-rituals of that city culture is assumed to offer.

This may quote from the holy Quran which is an apocalyptic literary document based on Bible as:

(The Messengers) said: "O Lut! We are Messengers from thy Lord! By no means shall they reach thee! now travel with thy family while yet a part of the night remains, and let not any of you look back: but thy wife (will remain behind): To her will happen what happens to the people. Morning is their time appointed: Is not the morning night- (Surah Hud: 81)

The pandemic, according to the apocalyptic literature is a result of deviation in morality that opposes the nature of humanity itself from the dawn of its creation till their time something unheard of in the history of mankind and quarantine is the concept which is for god chosen people. The event with the concept of quarantine is also present in quran as "Men of the towns of Sodom and Gomorrah performed sexual acts upon each other, acts of sodomy that went against human nature, and against the intellect, that oppose one's moral instincts and Revelation from God. So the Prophet Loot (*alaihis-salâm*) was sent to them so that they may return to the worship of Allah and show obedience to Him, and abandon this unnatural and sinful deed. He strived against them and suffered at their hands until Allah sent to them a severe punishment. Loot was in a quarantined way where as whole the town was destroyed by the epidemic spread overnight.

It is also proved from the Bible that The angels used to visit to Abraham time to time for Giving him the message of God, the good news and the prophesies of disasters for the insolent people who were to be destroyed as:

(Abraham) said: "And what, O ye Messengers, is your errand (now)?" They said, "We have been sent to a people (deep) in sin; To bring on, on them, (a shower of) stones of clay (brimstone), Marked as from thy Lord for those who

trespass beyond bounds." Holy Pagans Of The Old Testament. 31-34

This narration gives us an insight to look into the human life in this season of COVID-19 (corona virus). It shows how Abrahamic religious Preaching consider these epidemics a pre-decided destiny which offer us the word of encouragement and point us towards resources that will help us prepare life-giving sermons that illuminate God's comfort and presence.

Indian Philosophy is somewhat different in this field. The abrahamic religions consider the pandemic an act of God, or human punishment Hinduism considers it 'prakop' but undoubtedly Hindu customs followed in Hindustan is beneficial to fight with this novel Coronavirus. The practices which were mentioned in the oldest scriptures of Hinduism in Vedas are scientifically proven in reducing the spreading of the deadly virus. The whole world is following Hinduism practices more than ever before this pandemic.

Other Protocols from Indian apocalyptic literature - One such precaution to reduce the spread of the COVID-19 is *shuddhi*. *shuddhi* is a sanskara by which an intruder enters in the home by reciting shuddhikaran mantra and sprinkling some water over himself. *Shuddhi* is a sort of sanitation to prevent the contagious disorders. This protocol was followed by ancient time in India. People used to keep wells out of their house premises and it was mandatory to clean the hands, face and legs before entering the hose.

'Namaste' (*Namaskaram*), is another protocol. It is becoming a **global salutatiton trend** nowadays. Salam from Arabic culture and Namste from Indian culture prevents the direct contacts and breaks the chain of contagious disease. More and more people, especially global leaders are following the same custom rather than a handshake, kissing, or bowing. Recently some of the top world leaders like Prince Charles, Israel PM Benjamin Netanyahu, French President Emmanuel Macron, and others were spotted doing namaste. Namaste is derived from Sanskrit and is a combination of the word '*namas*' and '*te*' which means "I bow to the divine in you". Namaskritya and other such related terms appeared in Rigveda especially in '*Vivaha Sukta*'. It is a traditional way of greeting in India for thousands of years. Recently U.S. President Donald Trump said 'India ahead of the curve', after greeting Irish PM with namaste..

Hygiene was always important in apocalyptic literature for health, for mental and social reasons. Even during the Vedic age, many of the hygiene practices were followed and are mentioned in Vedas. These hygiene practices are now a part of only Hinduism and followed from many centuries in India.

Conclusion - *Zgveda* is the oldest religious book of the Aryans. It pictures the early lives of the Aryans. We get mention of various diseases in this *Veda*. Out of them there are several disease which are pandemic which catch the attention of the Vedic sages. They tell in Vedas that Skin is not merely an organ of attraction and look but it's a career

to import the diseases socially. Mention of different disorders of the nails and hair are also there, though in a very primitive and mystic form. They mentioned that human organs should be covered and they should be uncovered only by chanting of *mantras*. Bathing strategy was consisted of herbs and amulates. Touching the body behavior was not common, uses of water and sunrays etc. was in religion practices. This may be presumed that this Veda founded the base for the *Āyurveda* of the later period.

Apocalyptic Literature of Abrometic religion laid emphasis on hygiene and covering of the body parts, purdah for delicate organs, they ensure the highest morality, pure life, and divine discipline. **Bhavishya Purana** (*Bhavicya PurāGa*) says that 'You must reach the highest power of self-victory. It implies an infinite cycle of reawakening if we avoid any of the deeds.

Pandemic is a crucial time in which everyone in the world is in the tight corner. People are workless. They lost their jobs, their nearer and dearer while the careers in healthcare ramped up dramatically. Some houses facing food problem some are wasting it; some are buzzing with kids home from school with no activities to attend, while other homes are unbearably quiet and lonely. Some of us

are living in extreme fear, and others are unburdened by the threat of health issues. We should take the shelter of apocalyptic literature to include the arrangement of awareness, body, health, predisposition and mental awareness for betterment of humanity.

References :-

1. Yahweh Visits Hebron, then Sodom and Gomorrah." In *Genesis*, The New Cambridge Bible Commentary. New York: Cambridge University Press, 2009.
2. Frumkin, Amos A. "How Lot's wife became a pillar of salt." *Biblical Archaeology Review* 35 (2009)
3. Gaster, Theodore H. 1969. "Sodom and Gomorrah." In *Myth, Legend, and Custom in the Old Testament*, 156–61. New York: Harper & Row.
4. Khatīb, Al-Qacac Al-Qur'āni Fi Manmûqahu Wal-Mafhûmahu (1st ed.). Bîrût: Dâr ul Fikar Al- 'Arâbi.
5. Maulana Muhammad hifzur Rahmân Siûharwî ,Stories From The Qur'an (1st ed.). Karachi: Dârul Ishâ't Ūrdû Bâzâr. Muhâjir,
6. Sh. Muhammad Ashraf.Lessons From The Stories Of The Qur'ân. Lahore
7. Jean, D. (1956). Holy Pagans Of The Old Testament. MaryLand: Helicon Press.

आत्मनिर्भर समाज और महात्मा गांधी का चिंतन : एक विवेचन

डॉ. अनिल प्रकाश श्रीवास्तव *

शोध सारांश – महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज आत्मनिर्भर समाज का चित्र प्रस्तुत करता है। उनका आदर्श गांव आत्मनिर्भर समाज का प्रतिबिंब है जिसमें उन्होंने कल्पना की थी कि हर गांव में कुंआ, गौशाला, प्रार्थना घर, मंदिर, पाठशाला, सार्वजनिक भवन पंचायत सब बुनियादी सुविधाएं हों। हर परिवार अपनी जरूरत के अनुरूप अनाज उगाए, उत्पादन करे या अपना परंपरागत कार्य करे। गांधी जी की आत्मनिर्भरता की परिभाषा में स्वदेशी अर्थात् व्यापक अर्थों में स्वावलंबन और स्वधर्म समाहित है। इन सबका उद्देश्य मनुष्य को सुखी बनाना और उसे नैतिक, शारीरिक और बौद्धिक उन्नति की ओर अग्रसर करना था। नैतिक रूप से जब लोग अपने दायित्वों को समझ लेंगे और शारीरिक परिश्रम करेंगे तो समाज के विकास के लिए ईमानदारी से अपना सर्वस्व दे सकेंगे। वस्तुतः आज के परिप्रेक्ष्य में, जब हम भीषण महामारी के दौर में भौतिकवादी जीवन की वास्तविकताओं का साक्षात्कार कर रहे हैं, समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस चिंतन को व्यवहार में लाना अनिवार्य है।

प्रस्तुत शोध पत्र में इस विषय पर चर्चा की गई है कि हम अपने समाज को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं इस पर महात्मा गांधी का चिंतन और विचार क्या थे और वर्तमान में कोविड 19 के परिप्रेक्ष्य में ये कितने प्रासंगिक हैं और हम उन्हें कैसे अपना सकते हैं।

शब्द कुंजी – महात्मा गांधी, आत्मनिर्भर समाज, ग्राम स्वराज, गांधी चिंतन, कोविड 19।

प्रस्तावना – हम कितना भी शहरों की ओर भागें यह निर्विवाद सत्य है कि आत्मनिर्भरता की राह हमारे अपने परिवार और समाज से निकलती है जो कि अंततः राष्ट्र को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाती है। आजादी के सत्तर से भी अधिक वर्षों में हमने जो तरक्की की वह हमारा स्वाभिमान है किंतु इसे स्थायी स्वरूप देना और कायम रखना भी आवश्यक है साथ ही इसमें जो कमियां हैं उन्हें भी समय रहते दूर करना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। यह चुनौती इसलिए भी है क्योंकि कोरोना 19 के विश्वव्यापी संक्रमण ने हमें हमारे भौतिक विकास की हकीकतों से रूबरू कराया है। महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि विकास के जिस मॉडल को अपनाकर हमने प्रगति की है वह केवल भौतिक प्रगति है, हम उसे स्थायित्व नहीं दे पाए हैं या उस व्यवस्था को नहीं अपना पाये हैं जिसमें समाज अपना सर्वस्व जन जन और देश के लिए अर्पित कर सकता है। आज समाज के पास मानव श्रम और कौशल की अपार क्षमता, प्रचुर संसाधन और संभावनाएं हैं बशर्ते कि हम उनका सही दिशा में संयमित उपयोग करें। यहां हमें गांधी जी याद आते हैं। भारत की आजादी के पूर्व ही गांधी जी ने आत्मनिर्भर समाज की कल्पना कर ली थी और उसका एक विस्तृत चित्र तैयार कर लिया था जो तत्कालीन समय में तो उपयोगी था ही वरन् आज के समय में भी नितांत व्यावहारिक और प्रासंगिक है। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा को सर्वोपरि माना। इसके लिए उन्होंने कुछ बुनियादी सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन किया जो ग्राम स्वराज के जरिये समाज को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करते हैं, इनमें से कुछ का विवेचन इस प्रकार है:

आत्मनिर्भरता की शुरुआत गांवों से हो – गांधीजी अपनी प्रार्थनाओं में ध्यान के साथ आत्म मंथन और भविष्य की योजनाओं पर चिंतन करते थे। वे कहते थे कि 'प्रार्थना नम्रता की पुकार है आत्मशुद्धि का आत्मनिरीक्षण का आहवान है।' ऐसी ही एक सांध्यकालीन प्रार्थना में प्रस्तुत एक भजन के

माध्यम से महात्मा गांधी ने एक आदर्श समाज का वर्णन किया कि – 'हम ऐसे देश के निवासी हैं जहां न तो शोक है और न कष्ट है, जहां न मोह है न संताप है न भ्रम है न चाह है। जहां प्रेम की गंगा बहती है और सारी सृष्टि आनंदित रहती है। जहां सब लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। जहां न कोई बड़ा है न छोटा।' गांधी जी की कल्पना का आदर्श समाज एक ऐसा समाज था जो हर दृष्टि से आत्मनिर्भर हो। जिसमें सब तरह के कामों को आदर प्राप्त हो, वंश परंपरागत कुशलताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित हों और व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्हें छोड़ न दिया जाय। सब प्रकार के कामों के लिए एक समान मजदूरी हो और जिनके पास अधिक है वे अपने लाभ को पवित्र धरोहर मानकर ऐसे लोगों की सेवा में उसका उपयोग करें जिनके पास कम है। वे मानते थे कि अनियंत्रित और आत्मीयतारहित प्रतिस्पर्द्धा की जगह परिश्रम और समाज सेवा हमारा लक्ष्य होना चाहिये। जब हमारे अंदर समाज की उन्नति और सेवा का भाव होगा तो सभी को बराबर हिस्सा मिलेगा, सभी को उन्नति का अवसर मिलेगा। शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। आत्मनिर्भर समाज में घर – घर को रोजगार देने वाले कुटीर उद्योगों और छोटे पैमाने पर चलने वाली सहकारी खेती की आकर्षक दुनिया होगी। यह स्वदेशी की दुनिया होगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण की जिम्मेदारी ले और सभी व्यक्ति समाज के प्रति जिम्मेदार हों। यदि यह जिम्मेदारी और स्वावलंबन गांवों से प्रारंभ हो तो हर व्यक्ति, हर परिवार, समाज और अंततः राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा और अनावश्यक प्रतिद्वंद्विता नहीं होगी, समाज में भाईचारा होगा, सब एकदूसरे के सुखदुःख के साथी और सहभागी होंगे।

स्वदेशी एवं स्वावलंबन – वस्तुतः आज दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं एक संसार को शहरों में बांटना चाहती है और दूसरी उसे गांवों में बांटना चाहती है। गांवों की सभ्यता और शहरों की सभ्यता एकदूसरे से बिल्कुल भिन्न है। शहरी सभ्यता जहां मशीनों और औद्योगीकरण पर निर्भर है वहीं

गांवों की सभ्यता हस्तचलित परंपरागत उद्योगों से संचालित है। गांधी जी की आत्मनिर्भरता में स्वदेशी अर्थात् व्यापक अर्थों में स्वावलंबन और स्वधर्म समाहित है। स्वदेशी अर्थात् अपने यहां अपने ही घरेलू सामान से कड़े शारीरिक परिश्रम से बनाया हुआ सामान न केवल हमें आत्माभिमान से भर देता है बल्कि हमारी युवा पीढ़ी को अपने पैरों पर खड़े होने का भी अवसर देता है, उन्हे स्वावलंबी बनाता है। महात्मा गांधी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की चर्चा में उस स्थिति का भी जिक्र करते हैं कि आवश्यकता होने पर हम कोई भी वस्तु अपने पास के दुकानदार से ही खरीदें और पड़ोसी धर्म का पालन करें। जो वस्तु हमारे नजदीक है, आत्मीय है उसकी सेवा लेना और उसी की सेवा करना हमारा मुख्य धर्म है। आज की कोविड 19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में इस तथ्य को पूरे देश ने समझा और महसूस भी किया है। वे मानते थे कि अनाज कम पड़ेगा तो स्वराज का कोई मायने नहीं रह जायेगा अतः हर घर में अन्न का उत्पादन होना चाहिये। इसकी बेहद सरल व्याख्या उन्होंने इस रूप में की थी कि जहां कहीं भी जमीन का छोटा सा टुकड़ा खाली हो वहां हमें सब्जियां उगाना चाहिये यदि जमीन नहीं है तो गमलों में उगाना चाहिये इससे हमारी आवश्यकताएं अपने आप ही पूरी हो जायेंगी और हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरी कर पायेंगे बल्कि अपने आस पड़ोस की भी मदद कर सकेंगे। इस प्रकार हर घर में थोड़ी-थोड़ी उपज से बहुत बड़ा काम हो सकता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हम आज इसे किचिन गार्डन की संज्ञा देते हैं। इसके पीछे गांधी जी का स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का बड़ा संदेश यह था कि इससे सबको शिक्षा और प्रेरणा मिलेगी कि देश के उत्पादन के लिए हर एक को कुछ करना है। जब हम स्वावलंबी होंगे तो हमारा परिवार और समाज भी स्वावलंबी बनकर आत्मनिर्भरता में योगदान करेगा।

हर हाथ को काम - वस्तुतः सड़कें बनवा देना, दुकानें खुलवा देना या नौकरी से लग जाना विकास नहीं है यह तो भौतिक सुविधाएं मात्र हैं, हमें उत्पादन की ओर अग्रसर होना होगा। जब प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का उत्पादन होगा और समाज का हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसमें योग देगा तभी सही मायने में विकास होगा और हम आत्मनिर्भर समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति को काम मिले और यह काम कृषि का, घरेलू उद्योग या उत्पादन अथवा परंपरागत वंशानुगत काम का हो सकता है। ये घरेलू उद्योग स्थानीय संसाधनों से निर्माण करने या संरक्षण के हो सकते हैं जैसे अचार बड़ी पापड़ पशुपालन, खादी कताई, दूध से बने सामान बागवानी मधुमक्खी पालन आदि तात्पर्य यह है कि शहरी चमक दमक के स्थान पर गांवों में ही रोजगार सृजन और परंपरागत कार्यों को प्रोत्साहन देकर इसे संभव बनाया जा सकता है और आगे चलकर इस प्रकार के उत्पादनों को करने के लिए शहरों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

शिक्षा और कौशल विकास - गांधीजी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क और आत्मा में पाये जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का विकास करना है। उनके विचार में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जीविकोपार्जन का उद्देश्य है, शिक्षा ऐसी हो जो आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके, बालक आत्मनिर्भर बन सके और बेरोजगारी से मुक्त हों, इसे उन्होंने **नई तालीम** कहा। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लिए आत्मबल को मजबूत रखने और शारीरिक परिश्रम की महत्ता प्रतिपादित की। सरल सादा मेहनत मजदूरी का किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है की भावना और वास्तविकता से परिचित होकर ही उन्होंने युवाओं का आहवान किया कि वे गांवों में जायें और उत्पादन में योगदान देकर समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभायें, कठोर श्रम और

संयमित आत्मबल उन्हे श्रेष्ठ समाज सेवक और आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। इस संबंध में उन्होने स्थानीय जरूरत की वस्तुओं के उत्पादन को महत्ता दी जो उनको आगे भी अपनी आजीविका चलाने में मदद करे। यद्यपि आज कौशल विकास के कार्यक्रम संचालित हैं परन्तु उन्हे ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करने, स्थानीय संसाधनों के संरक्षण और उपयोग तथा ग्रामीण क्षेत्र में ही सेवा देने के लिए प्रेरित करना चाहिये जिससे गांव आत्मनिर्भर हों और शहरों के लिए भी उत्पादन करें।

रचनात्मक कार्यक्रम - महात्मा गांधी का चिंतन सत्य के प्रयोग और साध्य की प्राप्ति के लिए साधनों की पवित्रता पर अवलंबित था। सत्य अहिंसा सत्याग्रह अपरिग्रह के आदर्शों का उन्होने जीवन भर पालन किया और यह अपेक्षा भी की कि समाज इन्हे अपनाए और व्यवहार में लाए। उन्होने समाज सुधार और संस्कृति के संवर्धन का रचनात्मक कार्यक्रम भी प्रतिपादित किया और उसके माध्यम से समाज में विद्यमान बुराईयों को दूर करने के लिए लोगों को प्रेरित किया और ऐसी बुराईयों में संलग्न लोगों को सही रास्ते पर चलकर जीवन यापन की शिक्षा दी। साफ सफाई, स्वच्छता, योग, आश्रम जीवन का सरल आचार विचार मद्य निषेध अस्पृश्यता का निवारण प्रकृति का संरक्षण-संवर्द्धन, खादी का उपयोग तथा बागवानी आदि उनके रचनात्मक कार्यक्रम का अंग थे जो आज भी प्रासंगिक है।

उपसंहार - इस प्रकार महात्मा गांधी का चिंतन और उनके विचार समाज को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मार्गदर्शक हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रांति के युग में होते हुए भी और कोरोना संक्रमण के काल में ये आज और भी प्रासंगिक हो गये हैं। देश में उनके बताए गये आदर्शों पर कार्य हो रहा है जो देश व समाज को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है जैसे अभी हाल ही में मद्र में कृषि क्षेत्र में लगभग 1.29 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं उत्पादित हुआ है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को संकट से उबारने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है, मद्र में कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि वानिकी और उद्यानिकी के नए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जा रहे हैं जो युवाओं विशेषकर ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगे, ग्राम पंचायत भवनों को आस्था और सामाजिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में तैयार किया जा रहा है जहां ग्रामवासियों की सामाजिक जागरूकता, शारीरिक और बौद्धिक गतिविधियों को संचालित करने के मंच के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, पुस्तकालय वाचनालय आदि उपलब्ध कराए जायेंगे। वस्तुतः आज आवश्यकता गांवों से विकास को प्रारंभ करने की है और ये प्रयास भी पारदर्शिता पूर्ण हों तभी आत्मनिर्भर समाज का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। भौतिकवादी जीवन और विचारों के स्थान पर सादा सरल व्यावहारिक और संस्कृति से जुड़ी जीवन शैली अपनाकर ही समाज को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है जो वास्तव में महात्मा गांधी का सपना था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गांधी, एम. के, (1963) ग्राम स्वराज्य नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद
2. गांधी, एम. के, (1960) मेरे सपनों का भारत, नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद
3. गांधी, एम. के, (1957) सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद
4. गांधी, एम. के, (2019) हिन्द स्वराज सर्व सेवा संघ प्रकाशन

- वाराणसी
- वाराणसी
5. जैन यशपाल (2018) स्वदेशी और राष्ट्र चेतना, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन
 6. गांधी, एम. के. (1960) मेरे सपनों का भारत, नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद
 7. नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया (2005) गांधी एक जीवनी
 8. गांधी, एम. के. (1955) सर्वोदय नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद
 9. गांधी, एम. के. (1909) हिन्द स्वराज सर्व सेवा संघ प्रकाशन
 10. नगाइच डॉ. उमाशंकर, (2020) महात्मा गांधी का व्यावहारिक दर्शन मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
 11. नानावटी, रीमा, (2019) बापू हमारे साथ, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, नईदिल्ली
 12. तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद, (2019) महात्मा गांधी, सहस्राब्द का महानायक, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, नईदिल्ली
 13. दैनिक नवदुनिया, भोपाल जून 18, 2020
 14. दैनिक भास्कर, भोपाल जून 20, 2020

Rules Of Natural Justice In India: An Analysis With Respect To Its Non Applicability In Some Areas

Dr. Dipak Das*

Abstract - We have different views regarding women and their position in society. In early times, on one hand, it was believed that where women are honored, gods feel delighted, while on the other hand, in the times of Manu, she was considered dependent and a weak human being who is protected by her father, when young, by husband in her youth, and by on in her old age.

As a result of efforts of social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar and others, several laws were enacted to give effect social reform in society. Efforts were also made at international level and many Convention and Covenants were adopted with regard to freedom of women from social evil but their position in society is still bleak and not up to the expectations.

In the above backdrop, the author narrates the position of women in different era in Indian context. He also tries to show their plight in various communities. How the women are facing discrimination in society.

Key Words - Natural justice, Bias, Speaking orders, Fair hearing, Non- applicability, Injunction.

Introduction - Principle of natural justice is not defined anywhere in law books precisely. It is not put into a straight Jacket formula. It has emanated as a nature law concept. During the 19th century the Supreme Court of America and England used to recognize 11 principles which imply the concept of fair trial. Those principles are as under:-

- (1) Judges must be independent of the government.
- (2) Judges must be impartial.
- (3) No one must be condemned unheard.
- (4) Judges must act only on the evidence and arguments adduced before them
- (5) Reasoned decion.
- (6) Judges own character must be beyand doubt.
- (7) Each side should state its care as strongly as it can.
- (8) Parties before the court are to be treated as equals
- (9) Case should be heard in public
- (10) The Judge should be identified and personally responsible for his decision.
- (11) To ensure the observance of the proceeding rules, parties should have right of appeal to a higher Judicial tribunal.

However with the passage of time all above 11 principles have been reduced to only three principles of natural justice which should not be allowed to be sure because these principles are universally recognized to be fundamental in justice administration and dispensation of justice.

- (1) Nemo DebetEsse Judges in propria causa- Literally meaning, no one should be a Judge in his cause or, the proceeding must be unbiased.

- (2) Audi Alternam Partem – Literally meaning hear the other side or the rule of fair hearing or the rule that no one should be condemned unheard.

- (3) Speaking orders or Reasoned decisions – Literally meaning, all orders should be supported by reasons.

Before going deep into the matter related to the principles of natural justice, it is to mention the view expressed by V.R. Krishna Iyer, J. in A. Ibrahim Kunju V. State of Kerala, AIR 1970 ker 65, 70, ' Even correct conclusions and orders are upset in courts, because there has been violation of natural justice or non-compliance with important procedural requirements. This is because of or national creed, in law and in lfe, that we should reach right ends through right means. All administrative officers charged with the duty to pass orders should be well educated in the basic requirements of natural justice.

Rule Against Bias : The foremost requirement of natural justice is that the Judge should not be biased, he must be impartial and neutral. Bias means an operative prejudice, it may be conscious or unconscious with respect to any issue and this prejudice acts as a strongest proof against neutrality.

It is true considering the human psychology which tells us that a person cannot take an objective decision in a care in which he has an interest. Thus the maxim that a man cannot be the judge of his own care has been framed not only to avoid the possibility of partial decision but also to ensure public confidence in the impartiality of the administrative adjudicatory process. A decision which is the result of bias is a nullity and the trial in 'Coram-on-judice'

inference of bias, therefore, can be drawn only on the basis of factual matrix and not merely on the basis of insinuations, conjectures and surmises. The rule against bias is based on three propositions :-

- (a) No man shall be a judge in his own cause.
- (b) Justice should not only be done but manifestly and undoubtedly be seen to be done.
- (c) Judges, like Caesar's wife should be above suspicion.

As per Mukherjee J., in Secretary to Govt. Transport Deptt. V. Munnusway, AIR 1988 S.C. 2232 opined that, 'bias is nothing but a pre-disposition to decide for or against one party without proper regard to the true merits of the dispute.

Bias is of different types which are as follows:-

- (i) Personal Bias (ii) Pecuniary Bias (iii) Subject- matter Bias (iv) Departmental Bias (v) Pre-conceived notion bias (vi) Bias on account of obstinacy.

Rules of Fair Hearing : The rule of fair hearing or audi alteram partem is the basic concept of the principle of natural justice, historically, it is believed that the benefit of this rule was given to Adam and Eve even by the God before they were punished for disobeying his command. Thus it is seen that from the ancient times the concept of fair hearing was there. This principle is of very importance as it protects the government civil servants from the arbitrary administrative action, this principle has been applied to ensure fair play and justice to affected person. The Supreme Court of India in Piara Singh V. State of Punjab (2000) 5 SCC 765 held that (i) Right to notice and (ii) Right to hearing, are the fundamental of the rule of fair hearing. Thus it is clear that the principles of fair hearing is needed in quasi judicial and administrative proceedings such as a petition for winding up of a company (P.N. Bhagwati L.C.J. in National Textile Workers' Union V.P.R. Ramakrishnan (1983) 1 SCC 228. The right of fair hearing is a code of procedure and hence covers every stage through which an administrative adjudication passes, starting from notice to final determination.

Right to Notice - It is the starting point of hearing. Before any action is taken, the affected party must be given a notice to show-cause against the proposed action and seek his explanation even if there is no provision in the statute about giving of notice. Notice must contain the following :-

- (a) Details regarding time, place and nature of hearing.
- (b) Administrative or legal authority under which the hearing is to be held.
- (c) Particulars regarding the charges which the respondent is about to meet.

Rule of fair hearing/No one should be condiment unheard.

This rule contains following sub-rules which are as follows :-

- (a) Right to know the evidence adduced by prosecution against him.
- (b) Right to present the case and evidence in favor of him without any anomaly.

- (c) Right to rebut the adverse evidence adduced by the prosecution.
- (d) No evidence to be taken the back of the respondent officer.
- (e) Serving a copy of the inquiry report to the charged officer.
- (f) One who decides must hear or institutional decision.
- (g) Rule against dictation (decision should be of the person entrusted with the task of deciding the matter.)
- (h) Charged Officer's financial incapacity to attend enquiry.
- (i) Decision post haste/post decisional hearing.

There are several circumstances where the rules of natural justice are not applicable. Those circumstances are mentioned as under:-

(1) Non-applicability in the case of emergency - There may arise some situation where prompt and immediate action is necessary and it is those circumstances, the right to notice and hearing of the individual concerned is done away with as because in such situation, the right to be heard will cripple the entire procedure and the object will be frustrated. The main object behind the non-applicability of the rule of natural justice is based on the welfare of the society at large. There are situations like dangerous building immediately needed to be demolished, a dangerous trade needed to be stopped in order to protect the society.

In Hyderabad Vanaspati Ltd. V.A.P. State Electricity Board (1998) & SCC 470, the electrical connection was obtained wrongly and illegally the immediately disconnected the supply. Later on the Apex court rules that in such situation where prompt action is necessary, the rule of 'audi alteram partem' is not applicable.

(2) Non-applicability in case of confidentiality of a matter - In S.P. Gupta V. Union of India, 1981 Supp. SCC 87, the Supreme Court held that no opportunity of hearing can be given before the name is not confirmed of an Additional Judge of the high Court and such action does not violate the principle of natural justice.

(3) Non applicability in the case of purely administrative matters - The Administrative Officials, too, may require to be entitled to act without warning, for example to seize goods, whether contaminated food or pornographic magazines. The justification is again is a practical one together with the existence of a right in subsequent proceedings to challenge legality of the seizure. In Karnataka Public Service Commission V.B.M. Vijay Shankar (1992) 2 SCC 206, the commission cancelled the examination of a candidate as he wrote his roll number on all the pages of answer sheet. In the said case the Apex Court held that the principle of natural justice is not attracted because the main essence of the rule found by the commission is not to write the roll number and is beneficial for the fairness of the examination.

(4) Non- applicability based on impracticability - In routine affairs of the administration certain situations arise where it is not possible to apply the principle of natural justice and the administrative action cannot be vitiated

on the ground that opportunity of hearing was not provided.

In R. Radhakrishnan V. Osmania University A.I.R. 1974 A.P. 283, the examination for the M.B.A. entrance examination was cancelled due to mass copying, the court held that in such situation notice and hearing to all the candidates is practically impossible, thus in such a situation the principle of natural justice is not applicable on the ground of administrative impracticability.

(5) Non- applicability in cases of interim preventive action - Many situations arise where for the purpose of interim preventive action, the rule of 'audi alteram partem' is not applicable as because the scene will frustrate the very object for which the administrative measure is taken. For example search and seizure as per the Narcotic Drugs and Psychotropic substance Act (NDPS), Forest Act, Customs Act- where in the inspectors are having wide discretion to search and make seizure without prior warning.

(6) Non- applicability in cases of legislative action - In the matter of Public Policy based on the public policy and is violated by any single individual then he may not have claim of prior hearing as a matter of right. Even the constitution of India excluded the principles of natural justice in Article 22, 31 (A), (B), (C) and 311 (2). But however if the legislative action is arbitrary, unreasonable and unfair, the court may quash such provisions under Article 14 and 21 of the constitution. In Charan Lal Sahu V. Union of India (1990) 1 SCC 613, commonly known as 'Bhopal Gas Disaster Case', the Supreme Court's constitutional bench while dealing with the constitutionality of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 held. For legislation by parliament, no principle of natural justice is attracted, provided that such legislation is within the legislative competence of the Legislative.

(7) Non- applicability in cases of necessity - In some situations, it is seen that if all the available judges or members of the tribunal are held to be biased then the entire system of deciding the cases will be paralyzed. In Sub-commission of Judicial Accountability V. Union of India (1991) 4 SCC 699, the Apex Court did not allow the contention of malafide against the speaker of Lok Sabha on the ground of his affiliation to congress party because under the Judges Enquiry Act, 1968, only the speaker has the statutory authority to take all action.

(8) Non- applicability in cases of Contractual Agreement - In case of contractual agreement, the principles of natural justice are not attracted because the functions based on such agreement are neither a quasi-judicial nor an administrative act, thus the duty cast upon the person to act judicially does not arise.

(9) Non- applicability in cases of Waiver - In circumstance where natural justice is normally applicable, the concerned person may waive his right to object to a judge who might be reasonably suspected of bias.

(10) Non- applicability in cases of 'Useless formality' cases - This useless formality case is considered to be the situation where the principles of natural justice are not

applicable. This is applicable to the facts which are an undisputed one and only one conclusion is possible or only one penalty can be imposed, in such cases the courts may not insist upon the observance of the principles of natural justice. In D.R. B.A.R.M. Educational Institution V. Education Appellate Tribunal (1999) 7 SCC 332, where a lecturer took leave for admission in M.Phil Course but joined Ph.D. his service was terminated without giving him chance of hearing. On appeal, the court held that opportunity of show cause was not necessary facts are undisputed and the affected person could not put forth any valid defence even when opportunity was given by the court.

(11) Non- applicability in the cases Where the charged employee Heads guilty - In case where there is no defense to make by the charged officer/employee, it is advisable to admit the charges and pray for a lenient view. In such case, the region of punishment may be less severe.

(12) Non- applicability Where deprivation of hearing is caused by negligence of lawyers - This type of situations arise in cases where he charged employee has the right of hearing but he waives his right due to the negligence of his lawyer or the defense assistant, then in the appeal he will not be allowed to raise this issue again and plead that it is contrary to natural justice.

Reasoned Decisions or speaking orders : A speaking order means an order speaking for itself. In other words it means that an order must contain reasons in support of it. The party affected must know why and on what grounds an order has been passed against him and this is gradually ending to become the third cardinal principle of natural justice. In Siemens Engg. V. Union of India, A.I.R. 1976, SC 1785, the Apex court held that it is essential that administrative authorities and tribunals should accord fair and proper hearing to the person sought to be affected by these orders and give sufficiently clear and explicit reasons in support of the orders made by them.

In Maneka Gandhi V. Union of India, A.I.R. 1978 SC 579, it was observed that, a law which allows any administrative authority to take a decision affecting the rights of the people without assigning any reason cannot be accepted as laying down on procedure which is fail, just and reasonable and hence would be violative of Article 14 and 21 of the Indian Constitution.

The Consequence of Breach of Natural justice and its remedies : There are divergence of opinions of Jurists regarding consequence of breach of natural justice, some contend that, the decision without observance of natural justice principles is void whereas some claim it as voidable. There is lot of controversy between the decisions whether the breach of natural justice will render the decision void, voidable. Prof. Wade is of the view that the decision after breach of natural justice is void while D.M. Gordon argues that a decision which is effected by jurisdictional error can never be a void, it is merely voidable. The latest care as regards the consequence of the breach of natural justice has been explained by the Supreme Court in State Bank of

Patiala V. S.K. Sharma (1996) 3 SCC 364, AIR 1996 SC 1669.

As regards remedies for the breach of natural justice, a wide range of remedies is available to the individual who claims that he will be or has been prejudiced by a breach of natural justice. In case of inferior counts failing to observe the principles of natural justice the writ of certiorari and prohibition are available. In some cases, mandamus is available and is considered as prerogative order for those authorities entrusted to carryout public duty imposed by statute. In certain matters, injunction is also available in the anticipatory breach of the principles of natural justice.

Thus, it is clear that natural justice is an important concept of administrative law. It is also known as 'Substantial justice; 'fundamental justice, universal justice, or fair play in action, but in some exceptional circumstance,

its nonobservance is allowed as per legal mandate.

References :-

1. Administrative Law by IP Massey, 5th Edition, Reprint 2003.
2. Administrative Law U.P.D.Kesari.
3. Administrative Law C.K. Takwani.
4. Natural Justice by Paul Jackson 2nd Edition 1979, First Indian Reprint 1999.
5. Administrative Law Jain& Jain.
6. A.K. Kripak V. Union of India, A.I.R. 1970 SC 150.
7. Gullapalli Nageswara Rao V. A.P.S.R.T.C. AIR 1959, SC 308
8. R.V. Sussex Justices (1924) 1 K.B. 256, 259.
9. Ridge V. Baldwin (1962) W. All E.R. 834.
10. Maneka Gandhi V. Union of India, A.I.R. 1978, SC 597.

Law relating to Industrial design in india - A study

Mr. Lok Narayan Mishra*

Introduction - After the initial state of human intelligence, there was a development of interest in the human mind for things which made him try to beautify the objects of the environment, which shows that the aesthetic sense had developed in humans during this period. The excavation work done at sites related to the great equities of the world gives evidence of the aesthetic sense developed by ancient humans in various fields of human activism. The huge baths, sculptures, jewelery and strings found in Mohan Jodaro, which have enough art and design to impress modern artists and design makers, are an example of this. Historians have found that there were huge buildings with elaborate structures and designs in addition to the countless houses, and there was a lot of diversity in the shape and design of the jewelery used by the people of the Indus Valley civilization, some of which were unique beauties. The use of designs in trade has also been in vogue since prehistoric times, as the famous historian RC Majumdar has expressed in his work The Advanced History of India that it is possible to use currencies in relation to trade. Used to do business not only with other parts of India, but also with many countries in Asia. More than five hundred postures have been discovered in Mohenjo-daro, which are made of terracotta and miniature figures, some of them have samples of animal figures, both real and mythical, engraved on them in a type of portrait writing style. A small account has also been inscribed, which has not been possible to read till now. "

Designs have been at the center of human arts and crafts and trade and commerce, as well as the interest of designs in the center of ancient human life and its objects around the world, as the human being is modern and developing.

Through the presented research paper, the Indian law related to the design and the decisions given by the Hon'ble Court from time to time will be studied by theoretical method. Suggestions regarding methods will also be presented at the end of the research paper.

Development of industrial design in India - The Innovation and Design Act was first implemented in India in 1888 in the context of designs in India. The Act was based on the Statute 1883 of the United Kingdom of England. The Patent and Design Act was enacted in 1907 in England,

and the Patent and Design Act of 1911 was passed in India which was in conformity with the British design law. There was no significant progress in India's design method during the remaining period of the 20th century and, therefore, a great need was felt for a detailed change in the legal system of design protection.

The Indian legislature passed the Design Act 2000 to provide effective protection to registered designs and to promote design activities. The purpose of the Act was to ensure that design protection was done only to the extent that necessary incentives were provided for design activities and to remove the bottlenecks in the independent use of available designs as well as the hurdles of independent use of registered designs. Along with the removal, the violation of the registered design was to be prevented.

Meaning of design - Design is some form of color according to which the object is designed. The shape and shape-related characteristics indicate the form of the object, and its shape is of two or three dimensions. Design relates to the size, shape, or appearance of the object, which attracts the individual. The design attracts customers and significantly increases the economic benefit of the manufacturer or producer of the item or product. Good-designed goods are purchased quickly by the customer regardless of the quality. Producers are always involved in designing designs that can increase the sales of their goods. For example, due to mutual competition of companies in the automobile industry, new models of vehicles are coming to the market. Design refers to the transfer of title to rights in design. The CDPA 1988 expresses the definition of the term design in terms of copyright by expressing that design means the design (internal or external) or configuration of an entire object or part thereof, except in the case of the original design. Or any aspect of the shape is by design. Whereas, according to Section 2 (k) of the Indian Design Act 2000, design refers to any object being two-dimensional or three-dimensional or both in an industrial method or manner, whether by hand or in machinery or with chemicals, separately or jointly applied. The aspect, composition, pattern, pattern, lines or colors of the shapes of the figures are simply coordinated or embellished which are mainly appealing to the eye and judged by the eyes once they are used in the finished product. But by giving a more nuanced

interpretation of the term design in the Indian Design Act, it has been clarified that the said meaning of the word design does not include any method or principle of texture or anything which is essentially a mechanical measure.

Judicial Approach - Design refers to something that can be applied to an object in such a way that the object on which it appears is of a specific shape, configuration pattern or ornamentation. Handle of tooth brush can be authorized as a design in the case of **Ampro Food Products v. Ashok Biscuit Works and others**.

In the case of **Polar Industries Ltd. v. Usha Industries Ltd.**, the plaintiff's statement was that the registered design he had used on his portable wings was being used by the defendant on his portable wings. And the ornaments differ from each other. The radial ricks, petals used by the defendants are all different from some of the plaintiff's wings, so there is no case of design theft against the defendants.

Hindustan Lever Ltd. Bombay vs Nirma Pvt. In the suit of Ahmedabad, the court has given the order that the design of labeling on the carton used as a container of goods cannot be considered.

Design protection - Like other industrial estates, design has also been granted legal protection, but the number of pleas that justify design protection is less than that of copyright or patent. Design limitations as an intellectual property generally range from other intellectual property, mainly patents and copyrights. Are mixed. Thus, one dimension of the beauty of the concept of design is that it can be seen to have traits of more than one intellectual property, but this abundance of design in terms of intellectual property (as far as design protection is concerned) its feelings. Damage is also done. New designs can be patented and legal protection can be obtained like any other patent. Artistic designs may be protected under copyright law and certain designs may be registered and protected under trade marks. The form of industrial design that comes before us as a final truth is a design which can be used in industrial and commercial form on goods and products but which lacks any innovative, artistic or distinguishable aspect. It can be said that the creation of an industrial design does not require as much effort of a person's intellectual labor and skills as it does for patents, designs or trade marks.

If the protection of patents does not affect the direction of inventions adopted by other people and the copyright protection does not affect the expression and opinions of other authors, then there can be no firm basis for the hypothesis that protection of designs Owners of protected designs will be adversely affected by competitors' prospects. The creation and application of a design by a person or by a person authorized by him and the legal protection given to him for all of this cannot harm the feelings of a person in the market.

The public interest demands that there should be free competition in the market so that people as consumers have

the opportunity to make more choices about their purchases, but free competition does not mean that a businessman should consider such a thing for himself. Take and use freely, which is completely the product of another person's talent and labor, while competing with other people, no person can depend on anything nor should he depend on something which is his own. Is not. Demanding the freedom to use the product of one's other's skills and skills for oneself is nothing short of advocating that one's verbal impunity be compensated by the intellectual property of others. Renowned legal sciences Wentley and Sherman have stated that therefore, under the law of law at least, the justification of the legal preservation of designs is based exclusively on the desire to provide incentives for the product of new designs.

What designs can be registered - Under the British Design Law, there are three methods namely registered design, unregistered design and copyrightable design protection, whereas the Indian Design Act 2000 only talks about design protection through design registration. To be registered, a design must meet the following criteria -

1. It has to be a design, that is, the subject of the design
2. It must be new or original
3. It should be so that it is excluded from registration

Registered design violation - The violation of copyright in design under the Design Act is known as evasion of registered design. It is not considered lawful for a person to use the design without the consent or license of the registered owner while the copyright is retained in the design. According to the law, the following works fall under the heist of design -

- (A) Use of his design without the permission of the proprietor shall be the top of the registered design -
 - (1) During the existence of copyright in the design, for the purpose of sale, any item of a class of which the design is registered,
 - (2) Has used, or has carried out, this design or its fraudulent or actual copying,
 - (3) He has done or conducted such experiment without the permission or written consent of the registered proprietor of the design,
 - (4) To enable the use of a design.
- (B) Import of his design without the permission of the proprietor - where
 - (1) During the existence of copyright in a design, the object of which the design is registered is imported for the purpose of sale, and
 - (2) Used this design or its fraudulent or real copycat, it will be said that the registered design has been stolen.

Judicial remedy - Under Section 18 of the Industrial Design Act, a person found guilty of a violation has a provision of three years' imprisonment and a fine ranging from Rs 50 thousand to Rs 10 lakh meaning fine or both. Similarly, there is a provision for punishing up to Rs 4 50 thousand fine or both for the person found guilty for falsely presenting the unregistered orientation design as falsely registered

orientation design. If a person is found guilty by the court of an offense of delinquency, then it may be directed by the court that all such items should be handed over to the government by such person through whom the crime has been committed. If the offense is committed by a company, the company as well as the person in charge at the time of the offense in the affairs of the company will be deemed guilty and proceedings will also be instituted against it and in the case of the company such a person in charge proves that the said offense if he is done without his knowledge or he did every proper experiment to stop crime, then he can get freedom from liability.

Conclusion - After the above study, we have come to the conclusion that Indian law related to design has not been implemented as expected. Even today common life has been found to lack information related to it, due to which a large amount of the law is violated. After the above study, we have come to the conclusion that Indian law related to design has not been implemented as expected. Even today common life has been found to lack information related to it, due to which a large amount of the law is violated. Scholar

Justice Mr. S.A. According to Masood, the basic principle behind the method of design infringement is that while commercial contingency is preferable that a particular design which is new or proprietary must be safe, no monopoly of business about any such common design should be encouraged. It is necessary that the design has neither any special skill nor any originality.

Suggestions - The following suggestions are presented after the above study -

1. The method should be widely publicized
2. Registration process should be simplified
3. The related case should be resolved soon.
4. Laws should be amended according to the instructions given by the court
5. Mechanism should be developed for implementation of design related methods.

References :-

1. AIR.2000 Calcutta 119
2. AIR.1992, 195
3. Bentley & Sherman, Intellectual Property law , Oxford 2001

वैश्विक महामारी कोरोना का पर्यावरण पर प्रभाव – एक अध्ययन

राजवती दीपांकर *

प्रस्तावना – वैश्विक महामारी के दौरान जहां एक ओर मानव जीवन में संकट उत्पन्न हो गया है वही दुसरी ओर पर्यावरण में महामारी के दौरान कुछ सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव भी देखने को प्राप्त हुआ है यथा इस दौरान वातावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति कम हुई है जिससे वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण में सकारात्मक सुधार देखा गया है वही दूसरी ओर सहरी अवशिष्ट संकलन एवं संसोधन में कमी भी आई है। बात सिर्फ कोरोना वायरस की नहीं है अगर हम गौर करें तो हमें समझ आयेगा कि प्रकृति को हमने बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया है इसका हमने इतना ज्यादा दोहन किया है कि इस दौर में ऐसा लगता है कि मानो यह हमें सबक सिखाना चाह रही है। सही मायने में अगर हम देखें तो हम इस प्रकृति के आगे हम बहुत छोटे हैं। हमें भले ही आधुनिक शहर बना लिया हो ऊँची-ऊँची इमारतें, इंटरनेट बना लिये हो। लेकिन हम प्रकृति का दोहन करके, हरी-भरी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा कर इसे नहीं बना सकते ये प्रकृति हमारे द्वारा किये गये कार्यों को रोकना चाहती है वापस से प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ करना चाहती है तो हमें भी अपने रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाना होगा। प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी द्वारा महामारी के दौरान पर्यावरण में दर्शित सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है तथा साथी विभिन्न रिपोर्ट सरकारी योजनाओं का भी अध्ययन शोध पत्र को तैयार करने में किया गया है शोधपत्र के अंत में शोधार्थी द्वारा पर्यावरण सुधार से संबंधित सुझाव भी प्रदान किए गए हैं।

शोध प्रविधि – इस शोधपत्र का उद्देश्य वैश्विक महामारी कोरोना पर्यावरण में तो यह परिवर्तन का अध्ययन करना है आंकड़ों का संग्रहण विभिन्न सर्वेक्षणों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है तथा सैद्धांतिक पद्धति से भारत एवं वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

वैश्विक महामारी कोरोना का पर्यावरण पर प्रभाव – इस संसार में हर जीव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बड़ा जीव मनुष्य। हमने ओजोन को नुकसान पहुंचाया इसी वजह से बीमारियां भी बढ़ती जा रही है इसका कारण क्या है ये हमारे पूरे मानव समाज के सामने है इसका कारण हमारी आत्मा से हमारे अंदर से सभी को पता है कि हमने जो पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचाया है एवं जो मानव द्वारा पर्यावरण का दोहन करके ही अपना विकास करने की ठान ली है उस सोच को बदलना होगा। आज जब पूरी दुनिया थमी हुयी है रूकी हुयी है ये हम सबको सिखाने के लिये हैं प्रकृति द्वारा हम सबको सबक सिखाने के लिये किया गया है हम सबको समझ जाना चाहिये अगर आज हम नहीं रुके तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन खरते में पड़ जायेगा। वर्तमान समय बदलाव का समय है हमारी हर वो आदत जो पर्यावरण

को नुकसान पहुंचाती है पानी को बचाना होगा, पेट्रोल व डीजल का उपयोग सीमित करना होगा COVID-19 ने दुनिया के प्रत्येक कोने को प्रभावित किया है यद्यपि कि मानव समाज के लिये कुछ ऐसा समय आया जिसमें सामान्य जीवन में रूकावट आयी लगभग 50 दिनों तक पूरी दुनिया लॉकडाउन की स्थिति में थी।

वैश्विक महामारी कोरोना का सकारात्मक प्रभाव – हम सबने देखा है कि इससे आर्थिक प्रभाव बहुत बुरे रहे हैं। परन्तु यदि सकारात्मक रूप में देखें तो इस महामारी ने प्रकृति को बिल्कुल शांत कर दिया है। यानि कि जैसी प्रकृति हो सकती थी वैसी हो गयी है। कुछ स्थानों पर तो कई अचभित परिणाम देखने को मिले जैसे – 300 कि.मी. से हिमालय दिखने लगा है गंगा का पानी साफ हो चुका है, वेनिस के पास में डॉल्फिन देखने को मिल रही है। ब्रिटेन में पहाड़ी बकरियां आने लगी है तो इन सबके दौरान लोगों को आत्म निरीक्षण करने का मौका मिला है।

सामान्य रूप से अगर देखा जाये तो लोगों को बीमारियां पहले की अपेक्षा कम हो गयी हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा अपनी सेहत का ध्यान आदि पर समय दिया। लोगों को समझ आया कि उपभोग इतनी अच्छी चीज नहीं है क्योंकि उपभोग पर इंडस्ट्री बनाना प्रदूषण करना क्योंकि गाड़ियां बनेगी चलेगी तो पर्यावरण प्रदूषण होगा। सम्बन्धों में भी निकटता आयी परिवार को समय दिया गया लोगों को समझ आया कि पर्यावरण कितना जरूरी है इस प्रकार अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक नुकसान हुआ है परन्तु अब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से फिर से रिकवर हो रही है।

सकारात्मक प्रभाव को निम्न बिन्दु में उल्लेखित किया जा सकता है –

1. वायु प्रदूषण और जीएचजी उत्सर्जन में कमी– उद्योग, परिवहन और कंपनियों बंद हो गई हैं, इसने ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) उत्सर्जन में अचानक गिरावट ला दी है। पिछले साल के इस समय की तुलना में, वायरस को नियंत्रित करने के उपायों (हेनरिक्स, 2020) के कारण नेय यॉर्क में वायु प्रदूषण का स्तर लगभग 50% कम हो गया है। यह अनुमान लगाया गया था कि चीन और भारी उद्योगों के बंद होने के कारण N₂O और CO की लगभग 50% की कमी हुई है। इसके अलावा, NO_x का उत्सर्जन वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख संकेतकों में से एक है, जो हाल ही में बंद होने के कारण कई देशों (जैसे, अमेरिका, कनाडा, चीन, भारत, इटली, ब्राजील आदि) में कमी का संकेत है। भारत की राजधानी दिल्ली में NO₂ और PM 2.5 का स्तर लगभग 70% कम हो गया। कुल मिलाकर, देश भर में पीएम 2.5 और पीएम 10 की क्रमशः 46% और 50% कमी, देश भर में लॉकडाउन के दौरान दर्ज की गई थी।

2. जल प्रदूषण में कमी– जल प्रदूषण भारत, और बांग्लादेश जैसे

विकासशील देश की एक सामान्य घटना है, जहाँ घरेलू और औद्योगिक कचरे को बिना उपचार के नदियों में बहा दिया जाता है। लॉकडाउन अवधि के दौरान, प्रदूषण के प्रमुख औद्योगिक स्रोत सिकुड़ गए हैं या पूरी तरह से बंद हो गए हैं, जिससे प्रदूषण भार को कम करने में मदद मिली है। उदाहरण के लिए, भारत में तालाबंदी के दिनों में औद्योगिक प्रदूषण के अभाव में गंगा और यमुना नदी पवित्रता के एक महत्वपूर्ण स्तर तक पहुँच गई है। यह पाया गया है कि, गंगा नदी के 36 वास्तविक समय के निगरानी स्टेशनों में से 27 स्टेशनों के पानी की अनुमति सीमा से मिलती है।

3. ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी।
4. वैश्विक समुदाय में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिये अब तब कई प्रयास किये गये कई जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, कई अन्तराष्ट्रीय करार किये गये परन्तु इस दिशा में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई नहीं दिये थे। परन्तु लॉक डाउन के कारण से परिवर्तन बहुत कम समय में देखे गये।
5. मार्च, अप्रैल 2020 महीने में दुनिया के प्रमुख शहरों के वायु गुणवत्ता में उम्मीद से ज्यादा सुधार हुआ है।
6. कार्बनडाईआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड, ओजोन गैस व पार्टिकुलेट के कम उत्सर्जन के कारण हवा के गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।
7. नदियों के जल की गुणवत्ता में व्यापक सुधार देखा गया इन नदियों को साफ करने के लिये कई मुहिम चलाई गई थी यहाँ तक कि गंगा की सफाई के लिये अलग मंत्रालय तक का गठन किया गया था। सबसे बड़ा सफाई प्रोजेक्ट नमामि गंगा भी चलाया जा रहा था परन्तु ये सारे प्रयास असफल साबित हुये। परन्तु लॉक डाउन के कारण प्रदूषण में कमी व गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
8. प्राकृतिक व वन्य जीवन ने फिर से खुद को पुनर्जीवित व स्वच्छ कर लिये हैं। बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के अनुसार 2019 से अब तक इस प्रयास में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा गंगा डॉल्फिन व कई अन्य जीवों के पारिस्थितिकीय तंत्रों व आवास में प्राकृतिक रूप से सकारात्मक परिवर्तन आये हैं।

वैश्विक महामारी कोरोना का नकारात्मक प्रभाव :

1. पर्यावरण नकारात्मक प्रभाव सबसे ज्यादा कचरे का आयतन बढ़ गया है।
2. कई नगरपालिकाओं ने बड़ी मात्रा में कचरे का उत्पादन किया है और प्राकृतिक पारिस्थितियों प्रणाली के रख-रखाव में अस्थाई रूप से रोक दिया है।
3. स्थानीय अपशिष्ट समस्याये भी उभर कर सामने आई है।
4. कई नगर पालिकाओं ने कचरे की रिसाइकिलिंग गतिविधियों को बन्द कर दिया है। वायरस फैलने की आशंका से।
5. एक अहम मसला यह भी है कि खाद्य खुदरा बिक्रेताओं ने उपभोक्ताओं के पेपर बैग के फिर से उपयोग किये जाने पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर हवाला देकर प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है जो पर्यावरण के लिहाज से चिन्ताजनक है।
6. इस सभी बदलाओं में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सीमित क्षमता के साथ काम कर रहे कचरा प्रबंधन उद्योग के लिये अहम चुनौतियाँ पैदा की हैं।
7. ऐसे में अपशिष्टों में वृद्धि होने के कारण मीथेन का उत्सर्जन बढ़ने की

आशंका जताई जा रही है जो कि एक अहम ग्रीन हाउस गैस है।

8. इस महामारी से पारिस्थितिक तंत्र के जोखिम में पड़ने की भी संभावना है।
9. कई देशों में राष्ट्रीय उद्यानों व भूमि व समुद्री संरक्षण क्षेत्रों में काम करने वाले पर्याप्त संरक्षण श्रमिकों को लॉक डाउन के कारण घर में रहना पड़ रहा था ऐसे में उनकी अनुपस्थिति से अवैध रूप से वनों की कटाई वन्य जीवों के शिकार में वृद्धि देखी जा रही है।
10. इसके कारण पारिस्थितिक तंत्र व कई पाई जाने वाली प्रजातियाँ खतरे में आ गई हैं।
11. इतना ही नहीं बल्कि प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र में अतिक्रमण का जोखिम भी बढ़ गया है।
12. चूंकि कई जगहों पर वहाँ के स्थानीय लोगों के लिये क्षेत्रीय पारिस्थितिकी आर्थिक आधार होता है ऐसे में कोविड-19 के संक्रमण के कारण बढ़ती बेरोजगारी से कई घर संवेदनशील पारिस्थितिक के अति दोहन का खतरा भी बढ़ गया है।

उपसंहार – उपरोक्त अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वैश्विक महामारी के दौरान पर्यावरण पर मानव का अनुवांशिक दबाव कम हुआ है जिसके कारण कई प्रमुख सकारात्मक परिवर्तन पर्यावरण पर स्पष्ट देखा जा रहा है जैसे कि बाई प्रदूषण जल प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण की संख्या में भारी गिरावट एवं प्राकृतिक संसाधनों जय विविधता में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है जो कि हमारी प्रकृति एवं पृथ्वी के लिए एक सकारात्मक संदेश है परंतु यह परिवर्तन आवश्यक नहीं कि स्थाई प्रकृति का हो क्योंकि समय के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं हमेशा परिवर्तित रहती हैं तथा महामारी समाप्त होने के पश्चात पुनः समस्याएं हमारे समक्ष प्रकट हो सकती हैं वहीं दूसरी तरफ से कुछ ना कर आत्मक परिवर्तन भी देखने को मिले हैं जो कि मानव जनित ही है जैसे स्वच्छता पर विशेष ध्यान न दिया जाना पारिस्थितिक तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ना तथा संसाधनों पर जो कि स्थानीय स्तर पर प्राप्त होते हैं अत्यधिक दोहन का किया जाना हमारी प्रकृति के लिए नुकसानदायक है आवश्यकता यह है कि एक सामंजस्य की स्थिति निर्मित की जाए एवं प्रकृति क्यों पुनः सजाया संवारा जाए। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सार्स, मर्स, इबोला जैसी बीमारियों का बार-बार फैलना जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, जैव, विविधता की हानि व वन्य जीवों के अवैध व्यापार का परिणाम है कोरोना वायरस इसका एक उदाहरण है इसलिये भविष्य में इस तरह के संकट की रोकथाम के लिये हमें प्रकृतिक व जैव विविधता की अहमियत को समझना होगा। जलवायु परिवर्तन एक धीमी गति से फैलने वाली महामारी है जो आने वाले वर्षों में मानव जीवन को वेतहासा नुकसान पहुंचायेगी इसलिये हम सभी महामारी से सबक सीख सकते हैं व भविष्य के लिये एक ऐसा खाका तैयार कर सकते हैं जो मानवों, पर्यावरण व वन्य जीवों के लिये संतुलनकारी हो।

सुझाव :

प्रथम – यह की महामारी के दौरान हुए सकारात्मक परिवर्तन को स्थाई स्वरूप प्रदान किया जाए एवं इसे आदर्श मानकर अपनी गतिविधियों को वहाँ तक सीमित किया जाए कि पर्यावरण सदैव स्वस्थ रहे।

द्वितीय – यह की इस दौरान स्थानीय संसाधनों पर बड़े दबाव को कम किया जाए जिससे संतुलन बना रहे।

तृतीय – यह की पर्यावरण के हित में सामाजिक संगठनों को महामारी के

दौरान की स्थिति पर भी पर्यावरण हित के लिए कार्य कर दे को प्रेरित किया जाए।

चतुर्थ – ऐसे शोध एवं अध्ययन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो महामारी के दौरान पर्यावरण को संरक्षित करने में मददगार हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. COVID-19 महामारी के तहत लॉकडाउन के कारण यमुना नदी में जल प्रदूषण में कमी, आरिफ एम., कुमार आर.
2. BIS- 2012. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ड्रिंकिंग वॉटर स्पेसिफिकेशंस, BIS 10500: 2012 , नई दिल्ली, भारत।
3. India Environment Portal, Impact of lockdown (25th March to 15th April, on air quality- 2020)

मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य मानवाधिकार आयोग की भूमिका - मध्यप्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के सन्दर्भ में

मुकेश मिश्रा * डॉ. एम. के. साहू **

प्रस्तावना - देश में सबसे पहले 1995 में मध्य प्रदेश सरकार ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना की। यह सुखद है कि मध्य प्रदेश में मानवाधिकार हनन के मामले अपेक्षाकृत कम हैं। यह बात वर्तमान स्थिति में सुखद हो सकती है और हमें राहत दे सकती है, किन्तु भविष्य से हम सब अनजान हैं। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का सूत्र वाक्य 'हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार' है। इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अपनी स्थापना के बाद से सदैव यह प्रयत्न किया है कि सभी प्रदेश वासियों को उनकी योग्यता एवं सामर्थ्य के अनुसार सभी जनोपयोगी सेवा-सुविधाओं का लाभ निरंतर मिलता रहे। इसमें कभी भी किसी प्रकार की कोताही अथवा भेदभाव दिखने पर आयोग ने स्वमेव पहल कर आम आदमी को उनके अधिकार दिलाने के महायज्ञ में अपनी आहूतियाँ अर्पित की है।

मानव अधिकार अधिनियम 1993 में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग ऐसे सभी मामलों में स्वमेव संज्ञान लेंगे, जिनमें नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन होता हो। संविधान के प्रावधान के अनुसार जो जनोपयोगी सेवा-सुविधा राज्य की ओर से नागरिकों को मिलना चाहिए यदि उनमें कोई कमी की जाती है तब ऐसे सम्बन्धित मामलों में आयोग संज्ञान लेकर कार्यपालिका के विरुद्ध कार्यवाही अनुशंसित करता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि समाज में मानव अधिकारों के प्रति जनचेतना जागृत हो। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने अपनी स्थापना के बाद राज्य में ये दोनों काम बखूबी निष्पादित किया है। प्रतिवर्ष हज़ारों की संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनका निराकरण आयोग द्वारा लगातार किया जाता है इससे यह दर्शित होता है कि मानवाधिकार आयोग राज्य में बेहतरीन कार्य निष्पादित कर रहा है।

प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी द्वारा मध्यप्रदेश में मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य मानवाधिकार आयोग की भूमिका का अध्ययन किया जा कर सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे।

राज्य मानव अधिकार आयोग की संरचना - 1993 के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य मानवाधिकार आयोग भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है।

मानवाधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 में एक अध्यक्ष सहित तीन सदस्य शामिल हैं। चेयरपर्सन को किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।

अन्य सदस्यों को होना चाहिए :

1. राज्य में एक उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश के एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के साथ न्यूनतम सात साल का जिला न्यायाधीश के रूप में अनुभव।

2. व्यावहारिक अनुभव या मानव अधिकारों से संबंधित ज्ञान रखने वाला व्यक्ति।

राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों पर अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, जो विधान सभा के अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री और विधान सभा में विपक्ष के नेता होते हैं। यदि राज्य में विधान परिषद है, तो विधान परिषद के विपक्ष के अध्यक्ष और नेता भी समिति के सदस्य होंगे।

चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल पांच साल का होता है या जब तक वे 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो। अपने कार्यकाल के पूरा होने के बाद, वे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के तहत आगे के रोजगार के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि, अध्यक्ष या सदस्य आयु सीमा के अधीन आयोग के एक और कार्यकाल के लिए पात्र हैं।

आयोग के कार्य - मानवाधिकार अधिनियम, 1993 के प्रावधान के अनुसार; नीचे राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य हैं:

(क) किसी लोक सेवक द्वारा इस तरह के उल्लंघन की रोकथाम में मानवाधिकारों के उल्लंघन या लापरवाही की शिकायत होने पर पीड़ित व्यक्ति, या उसके द्वारा प्रस्तुत किसी व्यक्ति पर मुकदमा दायर करना या उसके द्वारा प्रस्तुत याचिका पर।

(ख) ऐसी अदालत की मंजूरी के साथ अदालत के समक्ष मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी भी आरोप को शामिल करने वाली कार्यवाही में हस्तक्षेप करना।

(ग) राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी भी जेल या किसी अन्य संस्थान में जाँच जहाँ व्यक्तियों को कैदियों की रहने की स्थिति का अध्ययन करने के लिए हिरासत में लिया जाता है और उनकी सिफारिशें की जाती हैं

(घ) मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए किसी भी कानून के तहत या उसके द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करें और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाएं।

(ई) आतंकवाद के कृत्यों सहित कारकों की समीक्षा करें, जो मानव अधिकारों के आनंद को रोकते हैं और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करते हैं।

(च) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को कम करना और बढ़ावा देना।

* शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

** शोध निर्देशक, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

- (छ) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों की साक्षरता का प्रसार करना और इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।
- (ज) मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
- (जे) ऐसे अन्य कार्यों को रेखांकित करें क्योंकि यह मानवाधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक माना जा सकता है।

आयोग की शक्ति -

1. आयोग अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति के साथ निहित है।
2. इसमें दीवानी अदालत की सभी शक्तियाँ हैं और इसकी कार्यवाही में एक न्यायिक चरित्र है।
3. यह राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी अधीनस्थ सूचना या सूचना के लिए कॉल कर सकता है।

यह किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी विशेषाधिकार के अधीन होने की आवश्यकता है, जो किसी भी कानून के तहत लागू होने का दावा किया जा सकता है, बिंदुओं या मामलों पर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए, या जांच के विषय के लिए प्रासंगिक है। आयोग अपनी घटना के एक वर्ष के भीतर मामले को देख सकता है।

मध्यप्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के कुछ प्रमुख कार्य :

1. हाल ही में ग्वालियर में कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान ऑक्सीजन की कमी के मामले में हुये मौत के सम्बन्ध में आयोग ने प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है, आयोग के अनुसार मरीजों को अस्पताल द्वारा मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाना मानवाधिकार की श्रेणी में आता है। अतः की गई लापरवाही के सम्बन्ध में राज्य आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। यह घटना जया आरोग्य अस्पताल ग्वालियर में दिनांक 29 अप्रैल को घटित हुये थी।
2. जमीन विवाद में चार घायल, झोपड़ी जलकर खाक- मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने एक भूमि विवाद को लेकर एक समूह द्वारा एक आदिवासी व्यक्ति की हत्या और चार अन्य को चोट पहुंचाने की रिपोर्ट पर पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक अशोकनगर से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। समूह ने उनकी झोपड़ी भी जला दी। आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन ने शनिवार को जिले के कुलुआ चक्र गांव में 26 मई 2020 को हुई घटना को लेकर अधिकारियों को नोटिस भेजा है।
3. राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा मेडिकल स्टाफ का बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाए जाने सम्बन्ध में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के प्रमुख सचिव को पत्र लिख कर यह जवाब मांगा है की मेडिकल स्टाफ के साथ प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं।

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय -

1- M-P- Human Rights Commission vs The State Of M-P- And Ors- on 25 January] 2002

जैसा कि तथ्यों से अवगत कराया गया है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के तहत, एम. पी. राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय को व्यापक नेत्र देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से नेत्र शिविर आयोजित कर रहा है। नेत्र शिविर में सर्जिकल शिविर शामिल हैं। इस तरह के शिविरों के उद्देश्य और वस्तुएं मोतियाबिंद ऑपरेशन सहित आंखों की बीमारियों की रोकथाम और

नियंत्रण के लिए चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपचार प्रदान करना है और लोगों को आंखों की बीमारियों की रोकथाम और आंखों की उचित देखभाल के तरीकों को बेहतर और स्थायी रूप से सुनिश्चित करने के लिए शिक्षित करना है। कार्यक्रम आगे जोर देकर कहता है कि गुणवत्ता परिणाम सर्वोपरि होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि गुणवत्ता मात्रा के लिए बलिदान न हो। रोगी की संतुष्टि और दृश्य परिणाम सफलता का अंतिम उपाय होगा। मानदंडों की प्रतिलिपि अनुबंध पी / 1 के रूप में रिकॉर्ड पर लाई गई है, 13-11-1997 को तहसील सिरोंज में आयोजित नेत्र शिविर में अधिकारियों की ओर से लापरवाही के बारे में एक समाचार स्थानीय दैनिक, चौथा संसार में प्रकाशित किया गया था। उक्त समाचार पत्र की एक प्रति अनुबंध पी / 2 के रूप में रिकॉर्ड पर लाई गई है। 3-12-1997 को कुछ पत्रकारों ने आयोग को एक संयुक्त प्रतिनिधित्व का का चयन किया, जिसमें संकेत दिया गया कि 21-11-1997 को आयोजित नेत्र शिविर में जिन सात रोगियों का ऑपरेशन किया गया था, उनकी आंख की रोशनी चली गई थी। माननीय न्यायालय ने राज्य आयोग की याचिका को स्वीकार किया एवं आयोग के पक्ष में निर्णय दिया।

2. M-P- Human Rights Commission — vs State Of M-P- And Ors- on 11 March] 2002

जैसा तथ्य उजागर हुआ है कि एम.पी. मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय है, जिसका गठन मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 21 के तहत किया गया आयोग को मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। रिट याचिकाकर्ता श्रीमती रोली शुक्ला और श्रीमती अंजना अग्रवाल, भोपाल में शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापकों ने, आयोग के समक्ष रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अशोक मैनी के खिलाफ आयोग को एक संयुक्त लिखित शिकायत की। याचिकाकर्ता ने शिकायत प्रस्तुत किया और उसी को पंजीकृत किया और राज्य मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 1996 (संक्षेप में) के विनियमन 8 के साथ पढ़े अधिनियम की धारा 17 (i) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले में आगे बढ़ा। विनियमन 1996*) और चार सप्ताह के भीतर प्रतिवादी नंबर 1 से टिप्पणियों के लिए बुलाया। निर्धारित समय के भीतर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई और आयोग को रिमाइंडर जारी करने के लिए मजबूर किया गया लेकिन इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। जैसा कि कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी और अधिनियम की धारा 17 (ii) के तहत आयोग द्वारा अपनी जांच के साथ निष्क्रियता और उदासीन रवैये का प्रदर्शन किया गया था और अपनी स्वयं की जांच टीम द्वारा जांच के लिए भेजा गया था जैसा कि अधिनियम की धारा 14 के तहत परिकल्पित है। जांच दल ने सभी संबंधितों को उचित अवसर प्रदान करने के बाद आरोपों की जांच की और आयोग को रिपोर्ट सौंपी। इस प्रकरण में माननीय न्यायालय ने आयोग को किसी भी शिकायत की दशा जाँच करने हेतु सक्षम प्राधिकारी माना है

आलोचना - राज्य मानवाधिकार आयोग के पास सीमित शक्तियाँ हैं और इसके कार्य केवल प्रकृति में सलाहकार हैं। आयोग के पास मानव अधिकारों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की शक्ति नहीं है। यह पीड़ित को मौद्रिक राहत सहित कोई राहत भी नहीं दे सकता है।

राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार या प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन इसकी अनुशंसा पर इसकी सूचना एक महीने के भीतर दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष - राज्य मानवाधिकार आयोग की शक्तियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए इसे विभिन्न तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। पीड़ित को मौद्रिक राहत सहित अंतरिम और तत्काल राहत प्रदान करने के लिए आयोग को सशक्त होना चाहिए। आयोग को मानव अधिकारों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने के लिए भी अधिकृत किया जाना चाहिए, जो भविष्य में इस तरह के कृत्यों के लिए निवारक के रूप में कार्य कर सकता है। आयोग के कार्य में राज्य सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि यह आयोग के कार्य को प्रभावित कर सकता है।

सुझाव :

1. राज्य मानवाधिकार आयोग को अधिक शक्तिया प्रदान किया जाना चाहिए।
2. स्वतः संज्ञान के साथ - साथ प्रवर्तन तंत्र भी उपलब्ध करवाना चाहिए।
3. आयोग की सिफारिश के प्रति सरकारों को बाधय बनाना चाहिए।
4. आयोग द्वारा पृथक विचरण संस्था का गठन किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मानवाधिकार अधिनियम 1993
2. AIR 2003 MP 17
3. AIR 2002 MP 239/ 2002 (3) MPHT 502

Provisions for Regeneration of Women in India

Dr. Asmita Bhandari* Ms. Shweta Dhand**

Abstract - Over the last many decades various groups of women, NGO's and government organizations are working for women empowerment. But the status of women in the Indian society remains deplorable. Many illustrations of discriminations and nature of violence against women are always here to comprehend their position. This paper enlightened the various legal provisions for safety and empowerment of women.

Introduction - I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved – Dr. B.R. Ambedkar

In ancient India, women enjoyed a very high position but gradually their position degenerated into merely objects of pleasure meant to serve certain purpose. They lost their individual identity and even their basic human right after the medieval period. We have always been talking about women empowerment even when the western countries did not have freedom for women. Empowerment is a multi-faceted, multi-dimensional and multi-layered concept. Women's empowerment is a process in which women gain greater share of control over resources material, human and intellectual like knowledge, information, ideas and financial resources like money - and access to money and control over decision-making in the home, community, society and nation, and to gain 'power'. According to the Country Report of Government of India, "Empowerment means moving from a position of enforced powerlessness to one; of power".

The role played by Dr. Babasaheb Ambedkar, as chairperson of the Drafting Committee of the Constitution, has left imprint on the social tapestry of the country after independence, and shaped the socio-political fabric of the India today. It would have been a different India without him and, in a probability, a much more inequitable and unjust one. Dr. Ambedkar had the highest academic credential for an Indian of his time, and his erudition and scholarship have been widely acknowledged. The vision of Dr. Ambedkar about women is explicitly depicted in Indian Constitution. Equality of sexes is strongly backed by the constitution through articles 14, 15 and 16. The principle of gender equality is enshrined in the Indian Constitution in its Preamble, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles. He laid down the foundation of social justice and there can be no social without gender equality.

Today's Scenario - The societal frame work meant to make

women subordinate or subjugated need to be dismantled. Active participation of women from all the strata could make it possible. Many notable women activist are working on issues like environment, health, poverty etc. Those who indulge in social reforms were not supported, not even by women. Today women reservation bill is the hottest agenda of the discussion and fact is that a lay woman even doesn't know what it is. The more ridiculous male attitude is that girl's education meant only for her marriage. Today's women are trapped in the circle of insecurity, male domination, lack of awareness about her rights and no decision making powers.

The issue of social empowerment of women needs to be raised higher and given utmost importance then only it could complete phenomena. Women empowerment has five components: women's sense of self-worth; their right to have and to determine choices; their right to have access to opportunities and resources; their right to have the power to control their own lives; both within and outside the home; and their ability to influence the direction and social change to create a more just social and economic order, nationally and internationally.

Empowerment of Indian Women; Help them fight poverty and rise:-

The principle of gender equality is enshrined in the Indian Constitution in its Preamble, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles. The Constitution not only grants equality to women, but also empowers the State to adopt measures of positive discrimination in favor of women. Within the framework of a democratic polity, our laws, development policies, Plans and programs have aimed at women's advancement in different spheres. India has also ratified various international conventions and human rights instruments committing to secure equal rights of women. Key among them is the ratification of the Convention on Elimination of All Forms of

* Himalaya Elanza, RTO Circle, Ahmedabad (Gujarat) INDIA

** Pearl Apartments, Sukh Sagar Valley, Gwarighat, Jabalpur (M.P.) INDIA

Discrimination Against Women (CEDAW) in 1993.

Legal Provisions - To uphold the Constitutional mandate, the State has enacted various legislative measures intended to ensure equal rights, to counter social discrimination and various forms of violence and atrocities and to provide support services especially to working women. Although women may be victims of any of the crimes such as 'Murder', 'Robbery', 'Cheating' etc, the crimes, which are directed specifically against women, are characterized as 'Crime against Women'. These are broadly classified under two categories:-

(1) The Crimes Identified Under the Indian Penal Code (IPC)

- (i) Rape (Sec. 376 IPC)
- (ii) Kidnapping & Abduction for different purposes (Sec. 363-373)
- (iii) Homicide for Dowry, Dowry Deaths or their attempts (Sec. 302/304-B IPC)
- (iv) Torture, both mental and physical (Sec. 498-A IPC)
- (v) Molestation (Sec. 354 IPC)
- (vi) Sexual Harassment (Sec. 509 IPC)
- (vii) Importation of girls (up to 21 years of age)

(2) The Crimes identified under the Special Laws (SLL)

Although all laws are not gender specific, the provisions of law affecting women significantly have been reviewed periodically and amendments carried out to keep pace with the emerging requirements. Some acts which have special provisions to safeguard women and their interests are:

- (i) The Employees State Insurance Act, 1948
- (ii) The Plantation Labour Act, 1951
- (iii) The Family Courts Act, 1954
- (iv) The Special Marriage Act, 1954
- (v) The Hindu Marriage Act, 1955
- (vi) The Hindu Succession Act, 1956 with amendment in 2005
- (vii) Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956
- (viii) The Maternity Benefit Act, 1961 (Amended in 1995 and recent in 2016)
- (ix) Dowry Prohibition Act, 1961
- (x) The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971
- (xi) The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1976
- (xii) The Equal Remuneration Act, 1976
- (xiii) The Prohibition of Child Marriage Act, 2006
- (xiv) The Criminal Law (Amendment) Act, 1983
- (xv) The Factories (Amendment) Act, 1986
- (xvi) Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986
- (xvii) Commission of Sati (Prevention) Act, 1987
- (xviii) The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

Steps Taken By The Government Of India For Women's Empowerment

"It is the education which is the right weapon to cut the social slavery and it is the education which will enlighten the downtrodden masses to come up and

gain social status, economic betterment and political freedom" – Dr. B.R. Ambedkar

Education of Women: Education to women is the most powerful instrument of changing their position in the society. Education also brings about reduction in inequalities and also acts as a means to improve their status within the family.

Self Help Groups: Self Help Groups are small homogenous groups consisting of 12-20 women from BPL families voluntarily organised to promote savings.

Capacity Building and Skill formation: In order to improve the entrepreneurial ability and skill of the women, Government has been imparting various types of training designed to promote self and wage employment.

Skill Up-gradation Training Programme: Provision of skill training to women in SHG has been given recognition so as to enable them to start their own income-generating activities. **Women & Child Development:** Women's empowerment is an important agenda in the development efforts.

Working Women's Hostel: To provide secured accommodation to the working women, Working Women's Hostel has been established at Angul & functioning since 1996. State Old Age Pension (SOAP) / National Old Age Pension (NOAP).

Employment And Work Participation Rate: The work participation rate indicates to a great extent the economic empowerment of women in the society.

Women And Political Participation: Political equality to all children regardless of birth, sex, colour, etc is one of the basic premises of democracy. Political equality includes not only equal right to franchise but also more importantly, the right to access to the institutionalized centers of power.

National Commission For Women: In January 1992, the National Commission for Women was set up by an Act of Parliament with the specific mandate to study and monitor all matters relating to the constitutional and legal safeguards provided for women.

Conclusion - Society is in a continuous process of evolution. It will take several decades for these imbalances to be rectified. Education of both men and women will lead to change in attitudes and perceptions. It is not easy to eradicate deep-seated cultural value, or alter tradition that perpetuates discrimination. Law can only be an instrument of change that must be effectively used. The absence of effective law enforcement, results in low rates of conviction, which in turn emboldens the feeling that the accused can get away. It is necessary that deterrent punishments are provided in the statute, and are strictly enforced. A beginning has certainly been made in urban areas. Working women continue to remain primarily responsible for taking care of home and child rearing, in addition to their careers. Increased stress has made them more prone to heart and other stress related diseases. Hence, it is necessary to improve the Support System for working women.

The empowerment of women in urban areas and the

metropolises cannot be the indicator of growth in the country. In a country, where eighty percent of the population is in rural areas, until the lot of women in these areas is also not improved simultaneously, development will remain an illusion to them. In the rural areas, employment of women is concentrated mainly in labour-intensive, unskilled jobs where simple or traditional skills are required. Women in the rural areas are wholly oblivious of their rights. It will require a much greater and concerted effort for the various measures to become a living reality for women in the rural areas. This can happen only through the collective effort of the State, NGOs, imparting of formal and informal education, through the media, etc. Empowerment of women so as to enable them to become equal partners with their male counterparts so that they have mutual respect for each other and share the responsibilities of the home and finances should be the ultimate goal that we must aspire to

achieve

References:-

1. Ahir, D.C. (1990) "The Legacy of Dr. Ambedkar" B.R. Publishing corporation, New Delhi
2. Ambedkar, B.R. (1987) "Women and Counter Revolution" Riddles of Hindu Women" in Dr. Baba Saheb Ambedkar: Writings and Speeches, Vol. 3, Department of Education,
3. http://www.legalserviceindia.com/helpline/woman_rights.htm
4. Government of India: The National Policy for the Empowerment of Women 2001, Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development, New Delhi, 2001.
5. Keshab Chandra Mandal (2013), "Concept and type of women empowerment".

Impact of Covid-19 on the Indian Economy

Dr. Shweta Uppadhyay* Mrs. Tanuja Singhal **

Abstract - The global COVID-19 epidemic, which is bringing two types of shocks to countries: health shocks and economic shocks. Given the nature of the disease, which is highly contagious, ways to contain its spread include policy measures such as imposing social distance, bringing self-isolation at home, closing down institutions, and public facilities, restricting mobility, and complete lockdown in the country.

Tourism, hospitality and aviation are among the most affected areas that are the maximum result of the current crisis. The closure of cinema theaters and declining footfall in shopping complexes have affected the retail sector in its consumption of both essential and prudent items. Consumption is also being affected due to declining employment levels due to loss of employment and sluggish activity in many sectors especially retail, construction, entertainment etc. Widespread fear and panic among the people is now at the overall confidence level. There has been a significant decline in customers, which has led them to postpone their purchasing decisions. Travel restrictions have hit the transport sector hard. Hotels are being canceled on a large scale not only by leisure travelers but also by business travelers, as conventions, seminars and workshops are being canceled on a large scale. This paper highlights the impact of COVID-19 on the Indian economy and the outline strategy to be adopted by the Government of India.

Keywords - Covid-19 pandemic, economic crisis, strategies.

Introduction - Almost all economic activities have come to a sudden halt due to the nationwide lockdown. Nevertheless, the supply of essential commodities, including medicine, has been uninterrupted by the government. The breakdown of demand and supply forces is likely to continue even after the lockdown is lifted. It will take time for the economy to return to normal and even then the measures of social distance will continue until there is a health shock. Therefore, demand is not likely to be restored in the next few months, especially demand for non-essential goods and services. The three main components of aggregate demand-consumption, investment and exports - are likely to remain subdued for a long time to come.

In addition to the unprecedented fall in demand, there will also be widespread supply chain disruptions due to the availability of raw materials, the exodus of millions of migrant workers from urban areas, the slowdown in global trade, and travel and travel restrictions imposed by almost all affected. The supply chain is not likely to return to normal for some time to come. The longer the crisis lasts, the more difficult it will be for companies to stay afloat. This will negatively affect the production of almost all domestic industries. This could have a further impact on investment, employment, income and consumption by slowing down the overall growth rate of the economy.

Indian economy in Pre-Covid-19 period - The growth rate of GDP (Gross Domestic Product) has been on a

downward path since 2015-16. According to official figures, GDP growth slowed to 4.2% in 2019-20, the lowest level since 2002-03. The industry, which accounts for 30% of GDP, shrank by 0.58% in Q4, 2019-20. Unemployment has reached a 45-year high. The biggest driver of growth in any economy is the investment made by the private corporate sector. In the pre-Covid 19 period, the nominal value of private sector investment has been declining. According to the CMIE (Center for Monitoring Indian Economy), total outstanding investment projects declined by 2.4% between 2015-16 and 2019-20, while new projects declined by 4%. Consumption costs also fell, for the first time in several decades.

Table 1 (see in last page)

The economic impact of COVID19 can be seen on following major sectors of Indian economy:

Food & Agriculture - Agriculture is the backbone of the country and has been declared an essential class by part of the government, so its impact will be less on both primary agricultural production and consumption of agro-inputs. Many state governments have allowed free movement of fruits, vegetables, milk, etc. The food online food grocery platform is heavily affected due to vague restrictions on movement and stoppage of logistics vehicles. The RBI and the finance minister announced that the measures would help the industry and employees in the short term. Insulating rural food production sectors in the coming weeks will have

*Lecturer (Economics) KIM University, Kigali, RWANDA

** Lecturer (Commerce and Management) Pacific Institute of Business Studies, Udaipur (Raj.) INDIA

a major impact on the macro impact of COVID-19 on the Indian food sector as well as the larger economy.

Aviation & Tourism - The contribution of aviation sector and tourism to our GDP is about 2.4% and 9.2% respectively. The tourism sector served about 43 million people in FY18-19. Aviation and tourism are the first industries to be significantly affected by the epidemic. The general consensus seems to be that Covid will hit these industries hard with 9/11 and the 200 financial crisis. Both of these industries have been dealing with serious cash flow issues since the onset of the epidemic and show a potential of million 38 million. -Offs, which translates to 70 percent of total employees. Its impact is falling on both White and Blue Collar jobs. The IATO estimates that travel bans could cost these industries about Rs 85 billion. The epidemic has also brought innovation in the field of contactless boarding and travel technologies.

Telecom - India's telecom sector has undergone significant changes even before COVID 19 due to short price wars between service providers. Due to the implementation of „work from home due to restrictions, most of the essential services and sectors continue during the epidemic. With more than 1 billion connections by 2019, the telecom sector contributes about 6.5 percent of GDP and employs about 4 million people. Increased use of broadband had a direct impact and resulted in pressure on the network. Demand has increased by about 10%. However, telco is making brackets for the sharp decline in adding new subscribers. As a policy recommendation, the government can assist the sector by relaxing regulatory compliance and providing a moratorium on spectrum receivables, which can be used by companies to expand the network.

Pharmaceuticals - The Pharmaceuticals industry has grown since the outbreak of the Covid-19 epidemic, especially in India, which is the largest producer of generic drugs globally. With a market size of 55 billion at the beginning of 2020, it is growing in India, exporting hydroxychloroquine to the world, esp. Towards the U.S., U.K., Canada, and the Middle East.

The epidemic has led to a recent rise in the price of raw materials imported from China. The heavy dependence on imports due to social gaps, hinders the supply-chain and the lack of availability of labor in the industry makes common medicines the most affected. At the same time, the government has introduced complex drugs, devices and PPEs to ensure adequate supply to the country. The Pharmaceuticals industry is struggling due to the ban on the export of kits. The growing demand for these drugs, along with blocked accessibility, is making things harder. Pharmaceuticals Relieving financial stress on companies, tax exemptions, and overcoming labor shortages can be differentiating factors in such frustrating times.

Oil & Gas - The Indian oil and gas industry is quite significant in the global context - it is only the third largest energy consumer after the USA and China and contributes 2.2% to global oil demand. The complete lockdown across

the country slowed down the demand for transport fuel (2/3 of the demand in the oil and gas sector) as auto and industrial production declined and movement of goods and passengers (both bulk and personal) declined. Despite the fall in crude prices during this period, the government increased excise and special excise duties to cover the loss of revenue, in addition, the road cess was also increased. As a policy recommendation, the government may consider taking into account the benefits of declining crude to eliminate consumers in retail outlets to stimulate demand.

Behind the Covid-19: New Normal - Given the extent of the disruption caused by the epidemic, it is clear that the current recession is fundamentally different from the recession. A sudden contraction in demand and rising unemployment will change the business landscape. Adopting new principles such as „ migration towards localization, cash protection, supply chain resilience and innovation will help businesses cross a new path in this precarious environment.

Fiscal policy during Covi-19 - In contrast, the government's fiscal deficit was already high in the pre-Covid-19 period and violated the targets set out in the FRBM Act (Financial Responsibility and Budget Management Act). The central government's fiscal deficit was 6.6% of GDP against the target of 3.5%% of GDP. This is the highest fiscal deficit since 2012-13. The Minister of Finance in his budget speech on February 1, 2020 set the FY 2021 target at 3.5% (Table 1), which will be broken by a large margin. FM may use the escape clause already provided under the FRBM Act to allow concessions in the target for 2019-20. This clause allows the government to waive the fiscal deficit target by 50 basis points or 0.5%.

Indicator	Per cent to GDP		
	2019-20 (BE)	2019-20 (RE)	2020-21 (BE)
Revenue Receipts	9.3	9.1	9.0
a. Tax Revenue (Net)	7.8	7.4	7.3
b. Non-Tax Revenue	1.5	1.7	1.7
Non-Debt Capital Receipts	0.6	0.4	1.0
Revenue Expenditure	11.6	11.5	11.7
Capital Expenditure	1.6	1.7	1.8
Total Expenditure	13.2	13.2	13.5
Gross Fiscal Deficit	3.3	3.8	3.5
Revenue Deficit	2.3	2.4	2.7
Primary Deficit	0.2	0.7	0.4

Source: R.B.I. Report (2020)

Financial markets - After the outbreak of Covid-19, the debt markets are once again witnessing a storm. The credit spread of corporate debt papers increased sharply compared to the period after the September 2018 IL&FS crisis. Etc. have hit serious hits on their net asset values (NAV) which makes investors nervous. These funds are considered post-bank deposits in terms of security and hence their reduction in NAV is a matter of concern.

Policy challenges - In India, fiscal deficits are supported by financial repression in which the government borrows

from the captive market of banks and other institutional buyers. In the pre-Covid-19 period, government borrowing (central and state) had already surpassed household savings. Further borrowing will sharpen yields in the bond market and crowd out private capital at a time when a large number of companies and households will need to borrow to stay afloat. Moreover, the total household savings rate has come down from 32.4% in 2017-18 (RBI, 2020) to 30.1% of GDP in 2018-19. The savings rate of the domestic sector, which is a net supplier of funds to the economy, has declined from 23.6% of GDP in 2011-12 to 18.2% in 2018-19. While the government relied heavily on housing to finance its losses, this reduction in savings is not good. The massive loss of income of many businesses and households that were inevitable during this crisis suggests that savings rates are likely to fall even further. These factors leave little room for the government to increase its domestic debt.

Conclusion & Suggestion - Covid-19 poses an unprecedented challenge to India. Given the large size of the population, the uncertainty of the economy, especially in the financial sector during the Covid-19 period, and the dependence of the economy on measures of informal labor, lockdowns and other social gaps are being severely disrupted. . The central and state governments have recognized and responded to the challenge but this response should be just the beginning. The damage to economics is likely to be significantly worse than current estimates. On the demand side, the government needs to balance income support with the need to ensure that the financial situation does not spiral out of control. The balance struck so far seems reasonable but the government needs to find more scope to support the income of the poor. The involvement of state and local governments in the effective implementation of further fiscal initiatives could also be crucial. Policymakers need to be prepared to increase response as events fall so as to minimize the impact of shocks on both formal and informal sectors and pave the way for continuous recovery. At the same time, they must

ensure that responses remain engaged in a rule-based framework and limit discretion to avoid long-term losses to the economy.

References :-

1. Chaddha, N, A Das, S Gangopadhyay and N Mehta (2017), Reassessing the Impact of Demonetisation on Agriculture and Informal Sector , India Development Foundation(IDF), New Delhi, January.
2. Duflo, Esther, Abhijit Banerjee (2020), "A prescription for action: Nine steps after the next 21 days", Indian\Express, March 29, 2020.
3. Dev, S, Mahendra (2020), "Addressing COVID-19 impacts on agriculture, food security, and livelihoods in India", IFPRI Blog, April 8.
4. IMF (2020), "Policy responses to Covid-19", International Monetary Fund, Washington DC. <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#>
5. Kapur, Dev and Subramanian, Arvind (2020), "How coronavirus crisis can be converted to opportunity to fundamentally strengthen Indian economy", Indian Express, April 3,2020.
6. Rakshit, D., & Paul, A. 2020. Impact of covid-19 on sectors of Indian economy and business survival strategies, *International Journal of Engineering and Management Research*, 10 (3), 51-55.<https://doi.org/10.31033/ijemr.10.3.8>.
7. Krishnan, Deepa and Stephan Siegel (2017), "Survey of the Effects of Demonetisation on 28 Slum Neighbourhoods in Mumbai", *Economic and Political Weekly*, Vol. 52, Issue No. 3.
8. Narayanan, Sudha (2020), "Food and agriculture during a pandemic: Managing the consequence",<https://www.ideasforindia.in/topics/agriculture/food-and-agriculture-during-a-pandemic-managing-the-consequences>.
9. The Indian Express, e-paper: <https://indianexpress.com/>

Table 1: Growth in Industry-wise Deployment of Bank Credit by Major Sectors (pre-Covid-19 period)

Item	March-15	March-16	March-17	March-18	March-19	Nov-19#
Non-food Credi	8.6	9.1	8.4	8.4	12.3	7.2
Industry	5.6	2.7	-1.9	0.7	6.9	2.4
Micro&Small	9.1	-2.3	-0.5	0.9	0.7	-0.1
Medium	0.4	-7.8	-8.7	-1.1	2.6	-2.4
Large	5.3	4.2	-1.7	0.8	8.2	3.0
Textiles	-0.1	1.9	-4.6	6.9	-3.0	-6.1
Infrastructure	10.5	4.4	-6.1	-1.7	18.5	7.0

Source: Economic Survey 2019-20; # as on November 22, 2019

उपभोक्ता संरक्षण कानून विश्लेषणात्मक अध्ययन

श्रीमती नीति निपुणा सक्सेना*

शोध सारांश – उपभोक्ताओं को विभिन्न अधिकार प्रदान करने तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाए जाते रहे हैं तथा उन्हें समय पर अद्यतन भी किया जाता रहा है

प्रस्तुत आलेख का प्रमुख उद्देश्य नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में दिए गए विभिन्न नए प्रावधानों को बताना है

जिससे उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी मिल सके तथा 21 वीं शताब्दी के इस तकनीकी युग में ई-कॉमर्स के, ई लर्निंग, ई बिलिंग व्यवस्थाओं में उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों को वह समझ सके।

शब्द कुंजी – उपभोक्ता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तकनीकी, ई-कॉमर्स, ई बिलिंग आदि।

प्रस्तावना – उपभोक्ता को बाजार का राजा माना जाता है, लेकिन वैश्वीकरण के दौर में उसके हितों की अनदेखी बढ़ती जा रही है। आज वह असहाय और शोषित सा अनुभव करता है। कभी उसे घटिया सेवाएं मिलती हैं, तो कभी घटिया किस्म का माल। कभी कम माप तोल तो कभी नकली वस्तुओं की उपलब्धता। कभी माल की कालाबाजारी तो कभी माल की जमाखोरी। कभी समय पर माल का ना मिलना तो कभी मिलावटी माल मिलना इन सबके अलावा भ्रामक विज्ञापन भी उपभोक्ताओं के शोषण का कारण है।

हालांकि उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति दिलाने एवं उनके हितों की रक्षा हेतु, उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए विश्व स्तर पर 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं को जागृत करने के लिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।

सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा विभिन्न प्रकार के विवादों के निपटारे के लिए प्रावधान करना।

शोध उद्देश्य – प्रस्तुत शोध के माध्यम से उपभोक्ता के अधिकार संरक्षण के विषय में शोध किया गया है जिससे उपभोक्ता के अधिकारों को उचित सुरक्षा मिल सके।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र में परम्परागत शोध प्रविधि के अंतर्गत शोध किया गया है जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, व अन्य प्रावधानों, आलेख, लेख व इंटरनेट सं अध्ययन किया गया है।

उपकल्पना :

1. उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की सम्पूर्ण जानकारी का अभाव होना।
2. तकनीकी ज्ञान के अभाव में उपभोक्ताओं के अधिकार का हनन।

उपभोक्ता कौन है ?

वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करता हो, और इन वस्तुओं या सेवाओं का

मूल्य चुकाता हो या चुकाने का वादा करता हो या आधा चुकाता हो या आधा चुकाने का वादा करता हो।

उपभोक्ता के अधिकार – उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनसे उनको होने वाली हानि से उन्हें बचाया जा सके इन अधिकारों की जानकारी होना हर उपभोक्ता के लिए बेहद जरूरी है ये अधिकार हैं –

1. **सुरक्षा का अधिकार**– प्रत्येक उपभोक्ता हो खरीदे गई उत्पाद से किसी भी तरह की हानि न हो इसका अधिकार है, न ही मानसिक, न भौतिक और न ही आर्थिक।
2. **सूचना पाने का अधिकार**– किसी भी वस्तु और सेवाओं को लेने से पहले उनसे सम्बंधित सभी जानकारी पाने का उन्हें अधिकार है।
3. **चुनने का अधिकार**– उन्हें किसी भी वस्तु और सेवा को लेने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है उनको पूरी स्वतंत्रता है की वह अपने पसंद की वस्तु और सेवा का चुनाव खुद करे।
4. **सुने जाने का अधिकार**– उपभोक्ता के किसी भी अधिकार के खंडन होने पर उसको हक है की वो कानून का दरवाजा खटखटाए और उसकी समस्याओं को सुना जाए और उनका समाधान भी किया जाए।
5. **उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार**– उपभोक्ता को अधिकार है की उसे उसके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाए और सरकार का दायित्व है हर उपभोक्ता की तरफ।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (पुराना अधिनियम) – उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पेश किया गया था।

हालांकि, प्रौद्योगिकी के आगमन और ई-कॉमर्स और व्यवसाय के संचालन के विभिन्न अन्य तंत्रों की शुरुआत के कारण पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं की बेहतर सुरक्षा के लिए आवश्यक और विवेकपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो रही थी या पूरी तरह से नए अधिनियम को लाने की अनिवार्यता महसूस की जा रही थी।

पिछले दो दशकों में भारत में उपभोक्ता परिदृश्य ने कई नई शुरुआत शुरुआत की है इनमें ऑनलाइन मार्केटप्लेस और ई-कॉमर्स के आगमन, अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ एक प्रतिमान देखा है। औसत भारतीय

* विभागाध्यक्ष एवं सहायक प्राध्यापक (विधि) इंस्टिट्यूट ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, सेज यूनिवर्सिटी, इंदौर (म.प्र.) भारत

उपभोक्ता की खर्च करने की क्षमता और प्रवृत्ति में भी वृद्धि हुई है।

इन नई परिस्थितियों के अनुसार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (अधिनियम) पारित कर दिया गया है जो पुराने अधिनियम को अद्यतन करने का प्रयास है। अधिनियम के प्रावधानों को दिनांक 15 जुलाई 2020 को अधिसूचित किया गया है और 20 जुलाई 2020 से प्रभाव में लाया गया है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं -

नया अधिनियम उपभोक्ता की परिभाषा को विस्तृत करता है, जो ऑफलाइन और साथ ही ऑनलाइन बहु-स्तरीय और टेलीमार्केटिंग लेनदेन में लगे लोगों को पहचानता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, जो सोमवार (20 जुलाई) से लागू होता है, पहले के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की जगह उपभोक्ताओं को अधिक शक्ति देता है।

‘अब, एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है जहां से वह रहता है या जहां से वह लाभ के लिए काम करता है। पहले के अधिनियम के तहत, केवल उसी स्थान पर शिकायतें शुरू की जा सकती थीं जहां लेनदेन हुआ था।’

राज्य आयोग के समक्ष अपील दायर करने से पहले जिला आयोग द्वारा आदेशित राशि का 50% जमा करने की आवश्यकता है, जो तुच्छ अपील दायर करने के अभ्यास पर अंकुश लगाएगा।

20 जुलाई से लागू होने वाले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की प्रमुख विशेषता जिला आयोगों का मूल आर्थिक क्षेत्र पहले 20 लाख से बढ़कर 1 करोड़ हो गया है।

राज्य आयोगों का विशेष अधिकार क्षेत्र रु 1 करोड़ से बढ़कर रु 10 करोड़ रु, राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से ऊपर के मामलों की सुनवाई कर सकता है जब पहले 1 करोड़ से ऊपर की हालांकि ई-कॉमर्स से संबंधित प्रावधानों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता (सॉफ्टवेयर सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को कवर करने) से संबंधित एक खंड अधिसूचित किया गया है।

विपरीत पक्ष को राज्य आयोग के समक्ष अपील दायर करने से पहले जिला आयोग द्वारा आदेशित राशि का 50% जमा करना होगा। पहले, अधिकतम 25,000 थी, जिसे हटा दिया गया है।

राज्य आयोग में अपील दायर करने की सीमा अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है।

मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए पार्टियों को अनुमति दी जा सकती है।

नया अधिनियम उपभोक्ता की परिभाषा को व्यापक बनाता है, जो ऑफलाइन और साथ ही ऑनलाइन बहु-स्तरीय और लेनदेन लेनदेन में लगे लोगों को पहचानता है, जो कि मद्देनजर कमजोर लोगों की सुरक्षा करेगा। तेजी से विकास करने वाली तकनीक।

‘पंचायती सीमाओं को बढ़ाने वाले प्रावधान, मध्यस्थता प्रक्रियाओं को वैधानिक मान्यता प्रदान करना, किसी भी अधिकार क्षेत्र से शिकायतें दर्ज करना और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टियों को सुनने के लिए न्यायिक मंचों तक पहुंच बढ़ाना और ऐसे समय में महत्वपूर्ण सुरक्षा का जोखिम उठाना होगा जब अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स दिग्गज अपने आधार का विस्तार कर रहे हैं।’

भ्रामक विज्ञापनों, उत्पादों के सेलिब्रिटी समर्थन, एपेक्स सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के गठन, ई-कॉमर्स आदि के बारे में कुछ प्रावधानों को

अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, अधिसूचित प्रावधानों को उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने और विस्तार करने के लिए तैयार किया गया है।

यह देखते हुए कि महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, अप-शॉट्स को जल्दी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और नए शासन को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए और इसके पाठ्यक्रम को लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

नए अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला आयोग के स्तर पर रिक्तियों को भरने की आवश्यकता है।

नया अधिनियम एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो किसी उत्पाद विक्रेता को किसी उपभोक्ता को विज्ञापन या सामान या सेवाएं बेचने में सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकियां या प्रक्रियाएं प्रदान करता है और इसमें कोई ऑनलाइन मार्केटप्लेस या ऑनलाइन नीलामी साइट शामिल होती है।

इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता सॉफ्टवेयर डाउनलोड, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आदि से संबंधित सेवाओं को कवर कर सकता है।

अधिनियम डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों सहित वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या बिक्री के रूप में ई-कॉमर्स को परिभाषित करता है।

ई-कॉमर्स की मौजूदा परिभाषा को ई-कॉमर्स पर भारत के एफडीआई दिशानिर्देशों से अपनाया गया है। एफडीआई दिशानिर्देशों के तहत ‘ई-कॉमर्स इकाई’ की परिभाषा में इन्वेंट्री और मार्केट प्लेस मॉडल शामिल हैं, जबकि ‘इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर’ की परिभाषा में केवल मार्केटप्लेस मॉडल शामिल है। हम उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई-कॉमर्स पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के बारे में आगे स्पष्टता की उम्मीद कर सकते हैं, नए कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं, वितरकों और विक्रेताओं के खिलाफ उपभोक्ताओं की रक्षा करना है। यह जिला और राज्य उपभोक्ता अदालतों को लेनदेन के संबंध में बेहतर कार्रवाई करने का अधिकार देता है, जिसमें उपभोक्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है।

उपभोक्ताओं को त्रुटिपूर्ण विक्रेताओं से मुआवजे के रूप में एक बड़ी हुई राशि मिल सकती है, जबकि बाद के उदाहरणों के लिए सजा को और अधिक कठोर बना दिया गया है। मुआवजा राशि उस बिंदु तक अधिक है जो उपभोक्ता को रु तक प्राप्त हो सकती है। 1 लाख के मामले में उन्हें मिलावटी या नकली उत्पाद बेचा जाता है। विक्रेता को छह महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है। और यह केवल उस मामले में है जहां उपभोक्ता उत्पाद द्वारा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। यदि वे बेचे गए उत्पाद से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, तो उपभोक्ता मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये तक प्राप्त कर सकता है, और विक्रेता के लिए जेल की अवधि सात साल तक बढ़ सकती है। यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है, तो 10 लाख मुआवजा रुपये तक हो सकता है। और विक्रेता को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

उपभोक्ता अधिकारों को परिभाषित किया गया है, जिसमें

- (i) उन सामानों और सेवाओं के विपणन के खिलाफ रक्षा की जा सकती है जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक हैं;
- (ii) माल या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में बताया जाए;
- (iii) प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं तक पहुंच

का आश्वासन दिया जा सकता है; और

(iv) अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के खिलाफ निवारण चाहते हैं।

केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना करेगी। यह उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को नियंत्रित करेगा।

CCPA के पास एक महानिदेशक की अध्यक्षता में एक जांच विंग होगी, जो इस तरह के उल्लंघन की जांच या जांच कर सकती है। CCPA किसी निर्माता पर जुर्माना या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए दो साल तक कारावास की सजा दे सकता है। बाद के अपराध के मामले में, जुर्माना 50 लाख रुपये तक का हो सकता है और पांच साल तक की कैद हो सकती है।

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (सीडीआरसी) भी होंगे, जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए जाएंगे।

उपभोक्ता

(i) अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के संबंध में सीडीआरसी के साथ शिकायत दर्ज कर सकता है;

(ii) दोषपूर्ण सामान या सेवाएं;

(iii) ओवरचार्जिंग या भ्रामक चार्जिंग; और

(iv) बिक्री के लिए वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश जो जीवन और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकती है। केंद्र सरकार से अतिरिक्त दिशा-निर्देश प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो गलत विक्रेताओं, निर्माताओं और वितरकों से लेन-देन के दोषपूर्ण अनुभवों के लिए क्षतिपूर्ति या मुआवजे की तलाश करेगी।

अब जिला स्तर पर भी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन करने का प्रावधान कर दिया गया है पूर्व अधिनियम में जिला स्तर पर जिला विवाद निवारण फोरम का गठन किया जाता था विपक्षी पार्टी को अब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDR/ राज्य आयोग)की अपील को प्राथमिकता देने से पहले जिला आयोग द्वारा आदेशित राशि का 50% जमा करना होगा। पूर्व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अधिकतम रुपये 25,000/- जमा करने के उपरांत अपील का प्रावधान किया गया था।

जिला आयोग के एक आदेश से राज्य आयोग में अपील को प्राथमिकता देने की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है। हालांकि देरी को कम करने की शक्ति बरकरार रखी गई है।

राज्य आयोग में अब न्यूनतम 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे।

उपभोक्ता आयोगों के मूल क्षेत्राधिकार को अब इस प्रकार संशोधित किया गया है:

- जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगका आर्थिक क्षेत्राधिकार अब 100000000 रुपए तक का होगा।
- राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का आर्थिक क्षेत्राधिकार अब 1 करोड़ रु से 10 करोड़ रुपए तक का होगा; तथा
- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी/ राष्ट्रीय आयोग) आरती क्षेत्राधिकार अब 100000000 (10 करोड़) से

अधिक होने पर ही होगा।

• शिकायतकर्ता अब आयोग के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर एक शिकायत दर्ज कर सकता है जहां शिकायतकर्ता निवास करता है या पुराने अधिनियम में पहले प्रदान किए गए लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करता है।

• अधिनियम की धारा 49 (2) और 59 (2) में प्रावधान राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग दोनों को उपभोक्ता और सेवा प्रदाता / निर्माता के बीच अनुबंध की किसी भी शर्त को हटाने का अधिकार देते हैं, जैसा कि मामला हो सकता है, यह SCDRC और NCDRC पर निहित एक नया प्रावधान / शक्ति है जो पुराने अधिनियम का हिस्सा नहीं था।

• अब NCDRC के लिए एक दूसरी अपील का प्रावधान है, जो इस घटना में अधिनियम की धारा 51 खंड (3) के तहत प्रदान किया गया है जिसमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

• NCDRC अभी भी अधिनियम की धारा 58 खंड (1) उप-खंड (ख) के तहत संशोधन की अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है और SCDRC द्वारा धारा 47 खंड (1) उपखंड (अधिनियम की धारा) के तहत उसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। NCDRC, SCDRC, और DCDRC अभी भी अपनी शक्तियों की समीक्षा कर सकते हैं, जिन्हें अधिनियम की धारा 40, 50 और 60 के तहत उन्हें प्रदान किया गया है।

1. एनसीडीआरसी को केंद्रीय प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है और इसे अधिनियम की धारा 58 के तहत प्रदान किया जाता है।

2. शिकायत दर्ज करने के लिए सीमा की अवधि अभी भी 2 साल है और इसमें युक्तियुक्त कारण से देरी से संबंधित प्रावधान धारा 69 में प्रदान किया गया है।

अधिनियम की धारा 70 के तहत दिए गए प्रावधान में डीसीडीआरसी पर एससीडीआरसी का प्रशासनिक नियंत्रण और एससीडीआरसी पर एनसीडीआरसी का प्रावधान है। यह किसी विशेष SCDRC / DCDRC के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ किसी भी आरोपों की जांच का भी प्रावधान करता है। यह प्रावधान संबंधित राज्य सरकार को एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी प्रदान करता है, जिसकी प्रतिलिपि के लिए केंद्र सरकार 3 को उनकी आवश्यक कार्रवाई के लिए एक प्रति प्रदान करता है।

आदेश XXI सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की तरह ही अधिनियम की धारा 71 के द्वारा आयोगों को निष्पादन की शक्ति प्रदान की गई है।

अधिनियम की धारा 74 में प्रावधान किया गया है कि मध्यस्थता को वैधानिकता प्रदान की जाए और उपभोक्ता विवादों के निवारण के तंत्र के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं।

उत्पाद में या वस्तु में दोष होने पर यदि कोई नुकसान होता है तो उत्पादक उत्पाद निर्माता या उत्पाद सेवा प्रदाता या उत्पाद विक्रेता के खिलाफ शिकायत की जा सकेगी।

अधिनियम अनुचित व्यापार प्रथाओं, उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और झूठे / भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है।

यह जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए, हानिकारक विज्ञापनों

से बचाने के लिए और , सुरक्षा करने के लिए है और उपभोक्ताओं के अधिकारों को एक अलग वर्ग के रूप में लागू करता है।

केंद्रीय प्राधिकरण का प्रमुख महा निर्देशक होगा इसे जांच करने की शक्ति प्राप्त होगी।

निष्कर्ष – यह अधिनियम एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि यह पुराने अधिनियम के प्रावधानों को अध्ययन करते हुए एक विशेष समय में तैयार किया जा रहा है जिसमें उपभोक्ताओं और उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए क्योंकि वैश्विक बाजार अधिक से अधिक उपभोक्ता केंद्रित हो रहे हैं। यह अधिनियम जिला आयोग, राज्य आयोग पर और अधिक शक्ति निहित करता है, साथ ही अपने संबंधित क्षेत्राधिकार को संशोधित करता है जिससे राष्ट्रीय आयोग का कार्यभार कम होता है। अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के साथ, लोकप्रिय वाक्यांश 'खरीदार सावधान' को 'विक्रेता

से सावधान' या 'निर्माता से सावधान रहना' हो सकता है, यदि वे उपभोक्ताओं को दी जा रही सुरक्षा को देखते हुए अधिनियम के उल्लंघन में पाए जाते हैं।।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://www.livelaw.in/pdf_upload/pdf_upload-378325.pdf
2. धारा 2, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019।
3. धारा 70 और धारा 71, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019।
4. धारा 71, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019।
5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 (34) और धारा 2 (35)।
6. <http://www.quickvakeel.com/consumer-rights/>

निशक्तता : व्यावहारिक समस्याएं एवं विधि

श्रीमती ज्योति पांचाल मिस्त्री *

शोध सारांश – सक्षमता एक सशक्तता है। सशक्तता के कारण सभी देशों में विकलांगों के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें समाज से अलग करके देखा जाता है। इस कारण उन्हें विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, निशक्त को शिक्षा, रोजगार, यातायात आदि सुविधाओं तक अपनी पहुँच बनाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अत्यन्त पिछड़ जाते हैं और उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

3 दिसम्बर को विश्वभर में 'अन्तर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस' मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य है शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अशक्त लोगों की सोच को सकारात्मक से भर देना है तथा समाज के सभी वर्गों की भागीदारी व सहयोग को प्रोत्साहन देकर निशक्त जनों को विकास की मुख्य धारा में प्रवाहित करना है।

प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से निशक्त जनों की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है तथा उनके संबंध में बनी हुई विधि का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। अधिनियम एवं विभिन्न योजनाओं के द्वारा निदानात्मक व्यवस्था के बाद भी आज पूर्ण रूप से निशक्तजन अपनी व्यावहारिक समस्याओं से निजात नहीं पा पाए हैं।

शब्द कुंजी – निशक्त, अधिनियम, व्यावहारिक समस्याएं, शैक्षिक, आर्थिक।

प्रस्तावना – विकलांगता की समस्या मानव समाज में प्रारंभ से ही रही है आज हम 21वीं शताब्दी में पहुंचने के बावजूद भी इस समस्या का पूर्ण समाधान नहीं कर पाए हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, वर्तमान समय में विश्वभर में विकलांग लोगकी संख्या में कोई अभूतपूर्व कमी नहीं आई है। हमारी पूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कहा था- 'विकलांगों को दया नहीं, सहानुभूति की आवश्यकता है। उन्हें दान नहीं, बल्कि अपने अन्य मानव मित्रों की तरह अधिकार चाहिए। यह समस्या केवल कानून से हल नहीं की जा सकती, इसके लिए जनता के व्यवहार में परिवर्तन आवश्यक है।'

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किन्तु सक्षमता के आधार पर वह निशक्तों के साथ भेदभाव करने से नहीं चूकता है। निशक्त तो को सामाजिक रूप से हेय दृष्टि से देखा जाता है तथा उन्हें सामान्य जन से कमतर आंका जाता है।

निशक्तता कई कारणों से हो सकती है निशक्तता के कारण शारीरिक या मानसिक क्षमताओं में कुछ कमी हो सकती है जिसके कारण कार्य क्षमता प्रभावित होती है।

शोध प्रारूप व प्रविधि – अध्ययन का प्रारूप- प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन का प्रारूप परंपरागत विधि है जिसमें निशक्तता से सम्बन्धी पुस्तक, लेख, आलेख, समाचार पत्र इंटरनेट आदि के माध्यम से जानकारी ली गई है।

उपकल्पना – निशक्त के लिए विधि की अपेक्षित शोध अध्ययन का उद्देश्य; प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से निशक्त जनों के प्रति उचित विधि का लागू किया जाए व उन्हें समाज में विशेष सम्मान के साथ सामान्य समाज को प्राप्त सभी अवसर का भागीदार माना जाए।

निशक्तता से तात्पर्य – निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा-2 के तहत निःशक्तता

को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

(1) अन्धता – 'अन्धता' उस अवस्था को निर्दिष्ट करती है जहां कोई व्यक्ति निम्न लिखित अवस्था में से किसी में ग्रसित है, अर्थात् दृष्टि का पूर्ण अभाव, या सुधारको लेंसो के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता जो 6/60 या 20/200 (स्नेलन) में अधिक न हो, या दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 20 डिग्री कोण वाली या उससे तंदतर है।

तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, निशक्त को शिक्षा, रोजगार, यातायात आदि सुविधाओं तक अपनी पहुँच बनाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अत्यन्त पिछड़ जाते हैं और उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

3 दिसम्बर को विश्वभर में 'अन्तर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस' मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य है शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अशक्त लोगों की सोच को सकारात्मक से भर देना है तथा समाज के सभी वर्गों की भागीदारी व सहयोग को प्रोत्साहन देकर निशक्त जनों को विकास की मुख्य धारा में प्रवाहित करना है।

प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से निशक्त जनों की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है तथा उनके संबंध में बनी हुई विधि का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

अधिनियम एवं विभिन्न योजनाओं के द्वारा निदानात्मक व्यवस्था के बाद भी आज पूर्ण रूप से निशक्तजन अपनी व्यावहारिक समस्याओं से निजात नहीं पा पाए हैं।

मूल शब्द – निशक्त, अधिनियम, व्यावहारिक समस्याएं, शैक्षिक, आर्थिक।
(2) कम दृष्टि – 'कम दृष्टि वाला व्यक्ति' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी उपचार या मानक अपर्वतनीय संशोधन के पश्चात् भी दृष्टि क्षमता

का हास हो गया है किन्तु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ हैं।

(3) कुष्ठरोगमुक्त - 'कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो गया है, किन्तु : हाथों या पैरों में संवेदना की कमी और नेत्र और पलक में संवेदना की कमी और आंशिक घात से ग्रस्त किन्तु प्रकट विरूपता से ग्रस्त नहीं हैं।

प्रकट विरूपता और आंशिक घात से ग्रस्त हैं, किन्तु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है, जिससे वह सामान्य आर्थिक क्रियाकलप कर सकता है।

अत्यन्त शारीरिक विरूपता और अधिक वृद्धावस्था से ग्रस्त है जो उसे कोई भी लाभपूर्ण उपजीविका चलाने से रोकती है और कुष्ठ रोग मुक्त पद का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा।

(4) श्रवण शक्ति का हास - 'श्रवण शक्ति का हास' से अभिप्रेत है संवाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में साठ डेसीबल या अधिक की हानि,

(5) चलन निःशक्तता - 'चलन निःशक्तता' से हड्डियों, जोड़ी या मांसपेशियों की कोई ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है, जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निबंधन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क घात हो,

(6) मानसिक मंदता - 'मानसिक मंदता' से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति के चित्त की अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था जो विशेष रूप से बुद्धि की अवसामान्यता द्वारा अभिलक्षित होती है।

(7) मानसिक रूग्णता - 'मानसिक रूग्णता' से मानसिक मंदता से भिन्न कोई मानसिक विकार अभिप्रेत है, 'निरुशक्त व्यक्ति' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी निःशक्तता के कम से कम चालीस प्रतिशत से ग्रस्त हैं।

किसी व्यक्ति के अंग का क्षति ग्रस्त होना या अंग का ना होना विकलांगता है।

ऐसे व्यक्ति जिनका कोई अंग

1. जन्मजात या
2. किसी विशेष रोग या बीमारी की वजह से या
3. दुर्घटना में

क्षतिग्रस्त हो जाता है, अथवा समाप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति विकलांगता कहलाती है। तथा ऐसा व्यक्ति विकलांग कहलाता है।

विकलांग व्यक्ति किन्ही कारणों से संपूर्ण कार्य करने में सक्षम नहीं रहते अतः उन्हें निशक्त कहा जाता है।

निशक्तता एक अभिशाप है जिस पर व्यक्ति का कोई जोर नहीं। फिर भी मानसिक पीड़ा तो अवश्य ही सहन करनी पड़ती है क्योंकि अपने आप को सभ्य कहलाने वाला यह समाज, असभ्य शब्दों से निशक्त के हृदय को विदीर्ण कर देता है। जबकि ऐसे कई उदाहरण हैं जबकि निशक्त व्यक्तियों ने अपनी योग्यता का अद्भुत परिचय देकर समाज को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। यह शारीरिक कमी के बावजूद भी अपनी विजय पताका फहराते रहे हैं।

निशक्तजनों के लिए विधि - वर्ष 1996 में विकलांगों के प्रति समाज के दायित्वों के निर्धारण हेतु विकलांग व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम पारित किया गया, जिसे वर्ष 1996 में लागू कर दिया गया।

इस अधिनियम का उद्देश्य विकलांगों के प्रति किए जाने वाले भेदभाव

को समाप्त कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था। भारत की केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार इन निशक्त जनों के प्रति अत्यंत सजग हैं निशक्तों को पर्याप्त सुरक्षा देने तथा उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से निशक्त (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 पारित किया गया है।

इस अधिनियम के कुछ प्रावधान इस प्रकार है-

1. निशक्तता रोकने वाली प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना।
2. विकलांगता से सम्बद्ध अनुसन्धान कार्य एवं संरक्षण कार्य करना।
3. विकलांगता के कारण जानने हेतु वर्ष में कम-से-कम एक बार बच्चों की पूर्ण जाँच करना।
4. बच्चों को विकलांग होने से बचाने हेतु गर्भावस्था, प्रसव एवं जन्म के पश्चात माता व शिशु की देखभाल करना आदि हैं।

सार्वजनिक स्थानों, शिक्षा, रोजगार आदि क्षेत्रों में मिलने वाली सुविधाओं को बाधरहित तरीके से उपलब्ध कराना।

इसके अन्तर्गत वर्ग (ग) एवं (घ) पदों की नियुक्ति में विकलांगों हेतु 3% आरक्षण को स्वीकृति प्रदान की गई, साथ-ही-साथ वर्ग (क) एवं (ख) पदों में भी विकलांगों हेतु आरक्षण की प्रतिशतता बढ़ाने का उल्लेख किया गया।

शिक्षा पर सभी का अधिकार है इस का विशेष ध्यान सरकार के द्वारा रखा गया है निशक्त बच्चों को 18 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। कम निशक्त बच्चों को सामान्य स्कूलों के माध्यम से समेकित शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

इस अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। इसके अन्तर्गत विकलांगता को मापने के लिए मापदण्ड भी निर्धारित किए गए, जिनमें स्पष्ट किया गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसमें 40% से अधिक विकलांगता होगी, विकलांग माना जाएगा, पर उसकी विकलांगता चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

ज्यादा निशक्त बच्चों के लिए विशेष स्कूलों तथा प्रौढ निशक्त जनों को औपचारिकतर शिक्षा द्वारा शिक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा उपरांत रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है इस दृष्टि से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम एवं निशक्त जनों के लिए उपर्युक्त पदों की पहचान कर उनके लिए, स्थान आरक्षण का प्रावधान किया गया है। निशक्त जन्मजात ना हो इसके लिए भी प्रावधान एवं प्रयास किए जा रहे हैं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं बाल स्वास्थ्य के लिए विशेष सजगता प्रयास एवं सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

पोलियो से उत्पन्न होने वाली निशक्तता पर काबू पा लिया गया है भारत पोलियो मुक्त राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो चुका है निशक्तता की रोकथाम हेतु एवं पुनर्वास के लिए विभिन्न अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं।

निशक्त सामान्य जनों के समकक्ष रहे, उन्हें असुविधा ना हो, वे हीनभावना से ग्रसित ना हो, इसके लिए भेदभाव रहित प्रावधान किए गए हैं। जैसे फुटपाथ एवं अन्य स्थानों पर पहियों वाली कुर्सी के आवागमन हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना, सार्वजनिक स्थानों वाहनों शिक्षा संस्थानों अस्पतालों एवं पुनर्वास केंद्रों में बाधा रहित परिचालन की सुविधा उपलब्ध कराना, खतरनाक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य श्रव्य संकेतों के साथ-साथ स्पर्श के संकेतों को भी लगाए जाने के प्रावधान किए गए हैं।

निशक्त जनों को रोजगार द्वारा स्वावलंबी बनाने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण के समस्त संसाधनों पर निशक्त जनों को सुविधा अनुसार विशेष तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है ताकि वे सामान्य व्यक्तियों के साथ कार्य कर हीन भावना दूर करें। एवं सम्मानजनक जीवन जीने हेतु प्रेरित हो सकें।

निशक्त जनों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना एवं समुचित मार्गदर्शन प्रदान कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हैं। निशक्त जनों के सभी कार्य एक ही खिड़की पर किए जाने के प्रयास करने चाहिए निशक्त को उनकी क्षमता एवं उनकी निशक्तता को देखते हुए कार्य करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। श्रवण बाधित, दृष्टीबाधित, अस्थि बाधित एवं मानसिक रूप से निशक्त को स्थानीय निकायों, स्वैच्छिक संस्थानों एवं शैक्षणिक ट्रस्ट आदि के माध्यम से उत्थान के प्रयास किए जाने चाहिए। निशक्त को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इन के लिए प्रथम पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, ताकि उनका मनोबल उच्च बना रहे। तथा वह स्वयं को किसी से कम ना समझे।

शासकीय पदों में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान भी निशक्तजनों के लिए किया गया है। तथा शासकीय योजनाओं में भी प्राथमिकता प्रदान की गई है। उक्त विभिन्न व्यवस्थाओं के बावजूद भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिले हैं। आज भी निशक्तता के कारण व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित है। निशक्त व्यक्ति को उसका उचित अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और यदि मिल भी पा रहा है तो अल्प मात्रा में वह भी काफी परेशानी के बाद। जिससे उसका सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उच्च पायदान पर नहीं पहुंच पा रहा है। निशक्त जनों के लिए कई मापदंड तैयार किए गए हैं, कई बार इन मापदंड पर खरा उतरने के बाद भी निशक्तता का प्रमाण पत्र भी नहीं मिल पाता। और कई फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर योजनाओं का लाभ उठाते रहते हैं जिससे निशक्तता कि हीन भावना और गहरी होती जाती है।

निशक्त जनों के हितार्थ जितने भी प्रयास किए जाएं उतने ही कम हैं। ऐसे सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाना चाहिए ताकि अधिकतम सकारात्मक प्रयास हो सके।

निशक्त एवं सशक्त के बीच की इस खाई को पाटने का उत्तरदायित्व समाज एवं सामाजिक लोगों को लेना चाहिए क्योंकि निशक्तता हमारे ही बीच पनपा एक ऐसा अभिशाप है जिसे हमें अभिशाप मुक्त करने का प्रण लेना होगा और यह किसी एक व्यक्ति या संस्था के प्रयास से संभव हो पाना मुश्किल है इसके लिए व्यापक रणनीति बनानी होगी समाज के साथ सरकार को भी उत्तरदायित्व, पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाने होंगे। तभी हम स्वस्थ समाज के निर्माण कर्ता की भूमिका निभा पाएंगे इस प्रकार स्पष्ट है कि निशक्त जनों की समस्या का निदान ना केवल सरकारी प्रयासों से संभव है बल्कि उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक संबल प्रदान कर भी संभव है। भारत सरकार राज्य सरकार एवं संबंधित विभागों के जागरूक प्रयासों से सर्वप्रथम निशक्तता की पहचान की जाएगी। तत्पश्चात उनको समुचित सहायता सुविधाएं इलाज आदि प्रदान किए जाएं तो निशक्त जनों की बहुत सी समस्या स्वत ही समाप्त हो जाएंगी एवं यह समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के साथ-साथ समाज की मुख्यधारा से भी जुड़ पाएंगे, इसलिए इसे हम सामाजिक उत्तरदायित्व मानकर व्यक्ति या संस्था के रूप में सहज मानवीय उदारता का परिचय देते हुए निर्माणात्मक कर्तव्यों का निर्वहन करें एवं एक स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज का समानता की भावना से निर्माण करें जहां निशक्तों की अक्षमता ही उनकी शक्ति बने।

व्यवहारिक एवं सामाजिक समस्याएं एवं समाधान अधिकार और हकदारियां

3 स्थापन का दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करना-

- (1) स्थापन का अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के उपबंधों का, अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों के किसी अधिकार और उनको प्राप्त होने वाले किसी फायदे से इंकार करने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाता है।
- (2) यदि सरकारी स्थापन का प्रमुख या कोई प्राइवेट स्थापन, जो बीस से अधिक व्यक्तियों को नियोजित कर रहा है, दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त करता है तो वह, -
 - (क) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई आरंभ करेगा, या
 - (ख) व्यथित व्यक्तियों को लिखित में सूचित करेगा कि किस प्रकार आक्षेपित कार्रवाई या लोप किसी विधिमान्य ध्येय को पूरा करने के लिए समानुपातिक साधन है।
- (3) यदि व्यथित व्यक्ति, यथास्थिति, दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को शिकायत प्रस्तुत करता है तो शिकायत का निपटान साठ दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा परंतु आपातकालीन मामलों में मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त शिकायत का यथाशीघ्र निपटान करेगा।
- (4) कोई स्थापन किसी दिव्यांगजन को युक्तियुक्त आवासन उपलब्ध कराने पर उपगत किसी लागत को भागतरूपा पूर्णतरु संदत्त करने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

4 दिव्यांगता अनुसंधान के लिए केंद्रीय समिति

- (1) दिव्यांगता अनुसंधान के लिए केंद्रीय समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् -
 - (i) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विज्ञान या औषधि अनुसंधान के क्षेत्र में बृहत्त अनुभव रखने वाला एक विख्यात व्यक्ति, - पदेन अध्यक्ष,
 - (ii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं का उप महानिदेशक की पंक्ति से अन्यून नामनिर्देशित - सदस्य,
 - (iii) भौतिक, दृश्य, श्रव्य और बौद्धिक दिव्यांगताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय संस्थानों से चार व्यक्ति, जिनको केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य,
 - (iv) रजिस्ट्रीकृत संगठनों से प्रतिनिधि के रूप में पाँच व्यक्ति, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के पाँच समूहों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनको केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य, परंतु रजिस्ट्रीकृत संगठनों में से कम से कम एक प्रतिनिधि महिला होगी,
- (अ) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जो कि सदस्य-सचिव होगा।
- (2) अध्यक्ष किसी विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
- (3) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धारण करते हैं, तीन वर्ष होगी और नामनिर्दिष्ट सदस्य एक और पदावधि के लिए पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे।
- (4) आधे सदस्य बैठकों की गणपूर्ति करेंगे।
- (5) गैर-शासकीय सदस्य और विशेष आमंत्रित केंद्रीय सरकार के समूह

- अधिकारियों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के पात्र होंगे ।
- (6) केंद्रीय सरकार समिति को उतने लिपिकीय और अन्य कर्मचारिवृद्ध उपलब्ध कराएगी, जैसा केंद्रीय सरकार आवश्यक समझे ।
- 5 दिव्यांगजन को अनुसंधान का एक विषय नहीं समझा जाना-कोई दिव्यांगजन किसी अनुसंधान का विषय नहीं होगा सिवाय तब जब अनुसंधान में उसके शरीर पर भौतिक प्रभाव अंतर्वलित हो ।
- 6 कार्यापालक मजिस्ट्रेटों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया-अधिनियम की धारा 7 के अधीन परिवादों पर कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए कार्यापालक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 133 से धारा 143 में उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार सभी देशों में विकलांगों की समस्याएँ अलग-अलग हैं किंतु उनकी मूल समस्याएँ एक जैसी ही हैं । सभी देशों में विकलांगों के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें समाज से अलग करके देखा जाता है ।

निशक्त जनों को रोजगार की समस्या, छात्रवृत्ति की समस्याएँ, रोडवेज बसेस में समस्याएँ, ऑफिस का ऊपरी माले पर होने के कारण समस्या, रोजगार मेलों में प्राइवेट जॉब का ना मिलने की समस्याएँ, निशक्त जनों को दूरस्थ स्थानों पर नियुक्ति दिया जाना, लोन की व्यवस्थाओं का सही ना होना तथा विभिन्न संस्थाओं में रैम्प की व्यवस्था का ना होना आदि इत्यादि विकलांगों को शिक्षा, रोजगार, यातायात आदि सुविधाओं तक अपनी पहुँच बनाने में समस्याएँ हैं, जिसके कारण वे शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझते रहते हैं । अन्धेपन व बधिरता से ग्रस्त हेलेन केलर के शब्दों में- 'दृष्टिहीनों की प्रगति में मुख्य बाधा दृष्टिहीनता नहीं, बल्कि दृष्टिहीनों के प्रति समाज की नकारात्मक सोच है ।' वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में विकलांगों की संख्या 2.68 करोड़ थी, जो कुल आबादी का 2.21% है । इस जनगणना में विकलांगता को दृष्टिहीनता, बधिर, मूक, चलने-फिरने में विकलांग, मानसिक मन्दता, मानसिक बीमारी, अन्य कोई एवं बहु-विकलांगता ।

निश्चय ही विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) कानून के लागू होने और केन्द्र व राज्य सरकारों की ओर से विकलांगता को रोकने हेतु देशभर में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप विकलांगता के मुद्दे और विकलांगों की समस्याओं के प्रति आम लोगों का ध्यान अकृष्ट हुआ है और विकलांग लोग भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं, पर देश में अभी भी विकलांगों को बस, ट्रेन आदि बाहनों, सार्वजनिक भवनों, शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों आदि में प्रवेश आदि की समुचित सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं ।

यहाँ के गाँवों की स्थिति तो और भी बदतर है । देश के मेट्रोपोलिटन शहरों में जहाँ ये सुविधाएँ थोड़ी-बहुत हैं भी, वहाँ विकलांगों की समस्या के समाधान हेतु दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने के प्रति लोग लापरवाह देखे जाते हैं । सभी जनसुविधाओं का लाभ विकलांग व्यक्ति उठा सके, इसके लिए आवश्यक है कि फुटपार्थों, बस पडावों, उद्यानों, सार्वजनिक शौचालयों, स्कूलों, कॉलेजों व कार्यालयों में ऐसी व्यवस्था की जाए कि वहील-चेयर पर बैठा व्यक्ति बिना किसी की मदद के अपने सभी सामान्य कार्यों को सुचारु रूप से पूर्ण कर ले ।

नेत्रहीनों व कमजोर दृष्टि वालों के लिए भी ब्रेल लिपि में चिन्ह व सूचनाएँ उपलब्ध होना चाहिए, किन्तु विकलांगों को उच्च कोटि की सुविधाएँ प्रदान

करने के साथ-साथ हमें उनके प्रति अति संवेदनशील दृष्टिकोण भी अपनाना होगा ।

सर्वोच्च न्यायालय ने सितम्बर, 2014 में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सभी सरकारी नौकरियों में विकलांगों के लिए 3% आरक्षण कोटा निर्धारित करने का निर्देश दिया है ।

विकलांग व्यक्ति से सम्बद्ध अधिनियम, 1995 के पारित होने के इतने वर्षों में विकलांगों को इसका अधिकार न मिलने पर मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने निराशा व्यक्त की । केन्द्र सरकार की ओर से विकलांगों को 3% आरक्षण दिए जाने की दलील को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि नियुक्ति एक व्यापक अवधारणा है और केन्द्र इसकी संकीर्ण व्याख्या दे रहा है । सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी की सभी श्रेणियों में नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति तथा पदोन्नति में विकलांगों के लिए आरक्षण की अनुमति दी है । खण्डपीठ ने आरक्षण की सीमा से अधिक नहीं होने के सिद्धान्त को भी विकलांगों का उदाहरण देते समय लागू नहीं होने की बात की है ।

सामान्य रूप से निशक्त जनों को स्वरोजगार, विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति या पालनहार, सुखद जीवन योजना, पेंशन योजना आस्था, अंग, उपकरण आदि सुविधाएँ सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा रोडवेज में विशेष सीटों की व्यवस्था रिकल कौशल विकास में व्यवस्थाएँ ऑफिस को निचले तल पर शिफ्ट करने की व्यवस्थाएँ आंगनबाड़ी में विभिन्न व्यवस्थाएँ विभिन्न संस्थाओं में रैम्प की व्यवस्थाएँ रोजगार मेलों में प्राइवेट जॉब की सुविधाएँ प्रदान किया जाना निशक्त शिक्षकों को दूरस्थ स्थानों पर नियुक्त ना किया जाना बैंक लोन से संबंधित सुविधाएँ भी प्रदान की जा रही हैं

सुझाव :

1. आज आवश्यकता केवल सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की है।
2. विधि द्वारा दिए जाने वाले उपचार पर्याप्त हैं किंतु क्रियान्वयन को पूर्णता किया जाना अभी शेष है क्रियान्वयन पूर्ण होने से निश्चित ही निशक्त जनों को वह सुविधाएँ और सहयोग मिल सकेगा जो अपेक्षित है।
3. विधि के अलावा कुछ सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना होगा जिससे समाज की सोच में परिवर्तन किया जा सके और नैतिक मूल्यों के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए निशक्त जनों को प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है।
4. निशक्त जनों को उनके अधिकारों से और विधि द्वारा प्रदान की गई व्यवस्थाओं और योजनाओं से परिचित कराने के लिए विभिन्न सेमिनार एवं सभाओं के आयोजन की आवश्यकता है।
5. निशक्त जनों को दया की नहीं संबल की आवश्यकता है उन्हें अपने दम पर कुछ कर दिखाने के लिए प्रोत्साहन देना समाज का नैतिक दायित्व और कर्तव्य होना चाहिए।
6. सहयोग मानवीयता और नैतिकता की शिक्षा प्रारंभिक तौर पर ही दी जानी चाहिए जिससे समाज का कोई भी वर्ग अछूता ना रह सके।

निष्कर्ष - निशक्तता उससे संबंधित समस्याएँ उनके व्यावहारिक पहलू सामाजिक उत्तरदायित्व को देखने के पश्चात उन्हें जाने के उपरांत तथा कानूनी व्यवस्थाओं के लागू होने के बाद भी निशक्तों के प्रति समाज के व्यवहार में कोई सकारात्मक परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है।

वास्तविकता यह है कि आज भारत हर क्षेत्र में विकास कर तेजी से

विकसित देशों की श्रेणी में अग्रसर हो रहा है, बावजूद इसके विकलांगों के प्रति हमारे समाज के दृष्टिकोण में अपेक्षित बदलाव नहीं हुए हैं। आज भी भारत में आमतौर पर विकलांगता को पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़कर देखा जाता है और विकलांग व्यक्तियों को दया का पात्र समझा जाता है। आज विकलांगों के प्रति समाज के दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है, तभी वे सामान्य जनों की तरह विकास की मुख्य धारा से जुड़कर समाज के निर्माण में सशक्त भूमिका निभाएंगे।

ब्रिटेन के वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और अमेरिका की हेलेन एडम्स केलर इस बात के साक्षात् उदाहरण हैं कि शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी महान कार्य कर विजय पताका फहराया जा सकती है।

ब्रह्माण्ड के रहस्यों को खोलने वाले स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा है- 'मुझे गर्व होता है, जब लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती है।'

शारीरिक रूप से अक्षम होना कोई रुकावट नहीं है इस अक्षमता के साथ मानव कल्याण के महान कार्य एवं प्रसिद्धि अपने कर्मों के बल पर

हासिल की जा सकती है।

हेलेन केलर के शब्दों में- 'एक द्वार के बन्द होते ही दूसरा द्वार खुल जाता है, पर हम प्रायः बन्द द्वार को ही इतनी देर तक देखते रह जाते हैं कि उस द्वार की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जो हमारे लिए खुला होता है।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Constitution of India ; J N Pandye
2. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017
3. विकलांग व्यक्तियों का अधिकार विधेयक 2016
4. <http://www.mpsc.mp.nic.in/SocialJustice/disabled%20welfare/disableddef.html>
5. <https://www.drishtiiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/rights-of-persons-with-disabilities-act>
6. <https://hi.vikaspedia.in/social-welfare>
7. <https://www.jagranjosh.com/current-affairs/disability-bill2016-everything-you-should-know-1482148290-2>

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों का बदलते बैंकिंग परिदृश्य में अध्ययन

कु. दीपक यदु* डॉ. प्रेमशंकर द्विवेदी**

शब्द कुंजी – बैंकिंग नेटवर्क, कर्मचारियों की उत्पादकता, ग्राहक-गोष्ठी, बीस-सूत्री कार्यक्रम एवं चलते-फिरते बैंक।

प्रस्तावना – भारतीय कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है, समय-समय पर सुखा, फसल पर लगने वाली बीमारियां, बेमौसम वर्षा और ओले तूफान न केवल किसानों की परेशानियां बढ़ा देते हैं बल्कि कृषि को जोखिम भरा उद्यम बना देते हैं। इन परेशानियों के कारण किसानों की साहूकारों के शरण में जाना पड़ता है। साहूकार किसानों को अत्यधिक ब्याज पर ऋण प्रदान करते हैं और ऋण का भुगतान न होने पर किसान की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। देश में कृषि के विकास में व्यापक ऋण अस्तता सबसे बड़ी समस्या है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों ने आर्थिक सुधारों के बाद अपनी कार्यशैली में काफी बदलाव एवं सुधार किया है। वर्तमान में इन बैंकों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है जबकि इन बैंकों को अपने कार्य एवं सेवाओं में पूर्णतः छूट प्राप्त नहीं है। शाखों में कमियों का अभाव है, सभी शाखाएं बैंकिंग नेटवर्क के साथ अभी भी नहीं जुड़ पाई हैं। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक अपना कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। फिर भी इनके सामने अभी भी बहुत-सी चुनौतियां हैं जो निम्नवत हैं-

1. सरकार द्वारा लागू विभिन्न योजनाओं को सीधे इन बैंकों के माध्यम से लागू करना।
2. बैंकों की कार्यप्रणाली पर सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों में छूट देने की आवश्यकता।
3. इनमें कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उत्पादकता के घटते स्तर को देखते हुए उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता।
4. बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के अंतर्गत आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना।
5. गैर-ब्याज आय वाले कार्यों को प्रोत्साहन की आवश्यकता।
6. बैंकों के कार्य एवं नीतियों में बढ़ता राजनैतिक हस्तक्षेप को कम करना।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों की समस्याएं – भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के मुख्य धारक हैं भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केन्द्रीय बैंक अथवा बैंकों का बैंक है। यह देश में बैंकिंग गतिविधियों का नियंत्रण और नियमन करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वह बैंक हैं जिनका वर्ष 1969 और 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। निजी क्षेत्र में दो तरह के बैंक हैं पुराने व नये। नये बैंक वे बैंक हैं जो उदारीकरण के बाद अस्तित्व में आए। इनमें से कुछ ने अर्थव्यवस्था में अपने लिए विशेष स्थान बना लिया है और इनकी गणना

देश के अग्रणी बैंकों में की जाने लगी है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग ढांचा का एक मजबूत आधार ग्रामीण व कृषि विकास पर आधारित बैंक नाबार्ड, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंक हैं जो ग्रामीण व कृषि साख का रीढ़ हैं। इनके बिना ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था अधूरी है। ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराने तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन बैंकों ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लघु एवं सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों तथा लघु एवं कुटीर उद्यमियों को ऋण प्रदान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी तथा उनके विकास में भरपूर सहयोग किया। बावजूद इसके यह बैंक उतनी अच्छी कार्य निष्पादकता प्रदर्शित नहीं कर पाए जितनी कि इनसे आशा की जाती थी। इसके प्रमुख कारण निम्न हैं-

1. ग्रामीण बैंकों में आपसी समन्वय की समस्या प्रमुख है क्योंकि बहुत से छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों के प्रवर्तक बैंक स्वयं ही अपनी ग्रामीण शाखाएं इन बैंकों के सम्मुख अनावश्यक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती हैं।
2. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों में आज भी प्रशिक्षित कर्मचारियों एवं अधिकारियों का अभाव है जिसके कारण बैंकों की नीतियों का अपेक्षित लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है।
3. इन बैंकों का पूंजी आधार आज भी कमजोर है क्योंकि अधिकांश बैंक घाटे में चल रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि ये बैंक अधिकांशतः कमजोर वर्गों को ऋण देते हैं। ऋण के ब्याज दरों का कम होना तथा छोटे-छोटे ऋणों के रखरखाव पर होने वाली उच्च परिचालन लागत इन बैंकों को घाटे की ओर अग्रसर करती है।
4. इन बैंकों की अपनी कुछ सीमाएं हैं जिससे वह ग्राहकों को वाणिज्यिक बैंकों की भांति संपूर्ण सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाते। परिणामस्वरूप उनकी आय अर्जित करने की क्षमता कम होती है।
5. बैंकों की अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत अन्य बैंकों की तुलना में आज भी काफी ऊंचा है क्योंकि ये बैंक ऋण प्रदान करते समय प्रतिभूति एवं जमानत पर अधिक बल नहीं देते।
6. बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंक के पास जो राशि जमा की जाती है, उस पर इन्हें कम दर पर ब्याज दिया जाता है जबकि प्रायोजक बैंक उस धन को खुले बाजार में लगाकर अधिक ब्याज प्राप्त करते हैं।
7. बैंकों में ग्राहकों की समस्या के निवारण हेतु निर्धारित समय पर ग्राहक गोष्ठी का आयोजन नहीं किया जाता और कागजी खानापूर्ति कर दी जाती है।

*शोधार्थी, डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) भारत

** वाणिज्य एवं प्रबन्ध विभाग, डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) भारत

8. अधिकांश छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की शाखाओं के परिसर में ब्राह्मकों के बैठने, पीने के पानी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है।
 9. इन बैंकों में भर्ती के समय स्थानीय निवासियों की नियुक्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता परिणामस्वरूप शहरी कर्मचारी नियुक्त हो जाते हैं जो ग्रामीण समस्याओं एवं वातावरण से अनभिज्ञ होते हैं। अधिकांश कर्मचारी प्रतिदिन शहरों से ही आना-जाना करते हैं, जिससे बैंक की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। उन्हें पूर्ण रूप से प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता जिसके कारण कर्मचारियों के पास बैंकिंग से संबंधित नवीनतम जानकारी का अभाव रहता है और वे ब्राह्मकों को भी आधी-अधूरी सूचनाएँ देकर उनका नुकसान करते हैं।
- ग्रामीण भारत में सरकार द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से ऋण व्यवस्था प्रदान की गई है लेकिन उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त कुछ समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं जो निम्न हैं-

1. योजनाओं की जटिल प्रक्रिया
2. ढलालों की समस्या
3. उपयुक्त समय पर ऋण प्राप्त न होना
4. ग्रामीण परिवेश के अनुरूप बैंकिंग कर्मचारियों का प्रशिक्षित न होना
5. ग्रामीण बैंकिंग और सहकारी समितियों के कर्मचारियों का रवैया ठीक न होना
6. अपर्याप्त ऋण की समस्याएं आदि भी ऐसी कई समस्याएं हैं जो ऋण व्यवस्था में बाधक बनी हुई हैं जिनका समाधान करना अत्यावश्यक है।

निश्चित ही जिले के ग्रामीण अंचलों में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का कार्य अन्य बैंकों की तुलना में श्रेष्ठ रहा है। ग्रामीण बैंक में अधिक से अधिक ग्रामीणों को वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध करायी है इन सुविधाओं के कारण ही ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। जिले के कृषिजन्य उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होने के कारण ग्रामीण बैंक का प्रत्यक्ष सहयोग है जिले के सिंचित कृषि क्षेत्र में वृद्धि का अधिकांश श्रेय ग्रामीण बैंक को जाता है परन्तु यह एक दुर्भाग्यजनक तथ्य है कि ग्रामीण बैंक ग्रामीणों की आय में तो वृद्धि करता रहा परन्तु स्वयं की आय में यह कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं कर पाया। इस कारण यह बैंक आज अत्यंत भीषण वित्तीय संकट से गुजर रहा है। इसके लिए केन्द्र और राज्य शासन से यह अपेक्षा की जाती है कि ग्रामीण बैंक को वित्तीय संकट से उबरने में भरपूर सहयोग दें।

बैंकिंग सुधारों के लागू होने से पहले छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों की जमाओं एवं इनके द्वारा खोली गई शाखाओं ने अपने कार्यक्षेत्र में काफी वृद्धि की है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामीण विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए गए बीस-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकांश ऋण वितरित किए गए। इन बैंकों पर राज्य सरकार, प्रायोजित बैंक और केन्द्र सरकार का नियंत्रण होने के कारण इन सभी को पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाया। बैंकिंग सुधारों के लागू होने के बाद भारतीय बैंकिंग में आए दिन नये-नये परिवर्तन होने लगे और इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा चरम बिंदु पर होने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों का सरकारी, निजी एवं विदेशी बैंकों के साथ चलना अनिवार्य हो गया है। इस कारण छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों ने जिस तीव्रता से सरकार के दबाव में आकर ऋणों का वितरण किया उतनी तीव्रता से बैंकों में वसूली का कार्य नहीं हो सका। इससे अतिदेय एवं वसूली की समस्या खड़ी होगी। सरकार द्वारा समय-समय पर ऋण माफी योजना लागू

करने, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रभावी नियंत्रण में कमी, ऋण प्रक्रिया में खामियां, समय पर वसूलियों का न होना आदि अनेक ऐसे कारण उत्पन्न हो गए जिनकी वजह से इन बैंकों की अधिकांश शाखाएं हानि की ओर अग्रसर होती चली गईं। वर्ष 2018 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां 2.2 प्रतिशत पर आ गई हैं जबकि ग्रामीण बैंक अभी भी यह दर 5.9 प्रतिशत बनाए हुए हैं। अतः इन बैंकों को अभी भी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों को बदलते बैंकिंग परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करना अनिवार्य होगा तथा अपनी कार्यप्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने होंगे। स्वयं को एक लाभप्रद संस्था के रूप में स्थापित करना होगा तभी यह बैंक प्रतिस्पर्धा को झेलकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे तथा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों में सुधार हेतु सुझाव - भारत सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बैंकों को यह पाबंद किया गया है कि वे हर हाल में अपनी पैठ गांवों में बनाए रखें तथा ग्रामीणों को रोजगार के साथ कृषि ऋण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएँ। सरकार का यह मानना है कि जब तक ग्रामीणों को बैंकों की मदद नहीं मिलेगी तब तक देश व समाज का भला नहीं हो सकता है। वर्तमान में बैंकों की ओर से लोगों का स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों की ओर से गांव-गांव में मेलों का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को सूदखोरों से बचाने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए ही ये शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। इन शिविरों में छोटी दुकान से लेकर खेती के लिए कृषि संसाधनों के साथ ट्रेक्टर व अन्य कृषि संबंधी यंत्रों के लिए भी ऋण का प्रावधान है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों के प्रयास से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटकने के बजाय स्वरोजगार अपना कर देश के विकास में सहयोग कर रहे हैं। बैंक ग्रामीण स्तर पर जितना अधिक समृद्ध होंगे, गांवों का विकास उतनी ही तेज होगा। बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या बढ़ी है। फिर भी वह आवश्यकता से कम है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों की अधिक शाखाएं खोली जानी चाहिए। उन शाखाओं के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 'चलते-फिरते बैंक' शुरू किए जाने चाहिए। वर्तमान में किसानों की खेती के अलावा अन्य कार्यों, जैसे-विवाह, उत्सव, तीर्थ यात्रा आदि के लिए ऋण नहीं दिया जाता है वित्तीय संस्थाओं से ऋण न मिलने पर किसान इन कार्यों के लिए साहूकारों से ऋण लेता है जो कानून से परे किसानों की जमीनों को गिरवी रखते हैं। अतः इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि किसानों को खेती के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी ऋण मिल सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की ऋण संबंधी समस्या को सुलझाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सरकार को ऋण व्यवस्था में मामूली सुधार करना चाहिए तभी ग्रामीण वर्ग ऋण योजनाओं का उचित लाभ उठा सकेंगे। ये सुझाव निम्न हैं-

1. ऋण योजनाओं की प्रक्रिया सहज व सरल की जानी चाहिए ताकि ग्रामीण वर्ग को समझने में आसानी हो।
2. ऋण प्रदान करने की ऐसी सुविधा की जानी चाहिए जिससे इसमें ढलाल की किसी भी प्रकार की भूमिका न रहे।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण एक निर्धारित समय सीमा व उचित ब्याज दर में

- उपलब्ध कराए जाए ताकि हितग्राहियों को ऋण का पूर्ण लाभ मिल सके।
4. ग्रामीणों को बैंक द्वारा ऋण योजनाओं की जानकारी पूर्ण नहीं मिल पाती है। अतः सरकारी ऋण योजनाओं को समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं कं अलावा ग्रामीण सहकारी समितियों, ग्रामीण समूहों तक स्थानीय भाषा में उन तक पहुंचाया जाए।
 5. सरकार भारत के सभी क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को उनकी क्षेत्रीयता के आधार पर ऋण प्रदान कर रही है किन्तु ग्रामीणों को इनकी आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सरकार को ऋण व्यवस्था में थोड़ा सुधार कर पर्याप्त ऋण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
 6. वर्तमान में भारत सरकार अपने विभिन्न आयामों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोने-कोने तक ऋण सुविधाओं को बढ़ावा दे रही है, जिसका लाभ भारत के लोगों को मिल रही है। कृषि, व्यापार, पशुपालन, लघुसीमांत, कृषिकों, ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर व्यक्तियों को विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से ऋण मिल रहा है। साथ ही परम्परागत ऋण व्यवस्था से छुटकारा भी मिला है। आवश्यकता इस बात की है कि ऋण व्यवस्था को सरल कर दिया जाए ताकि इसका लाभ भारत के सभी वर्गों को मिल सके तभी एक सफल ग्रामीण भारत की कल्पना की जा सकती है। आज के दौर में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक बहुत अधिक प्रासंगिक दिखाई पड़ते हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का ढांचा एवं स्वरूप ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इन बैंकों को आने वाले समय में सफलता प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप में अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाना होगा। अन्य बैंकों की भांति इन बैंकों को भी स्वतंत्र निर्णय की छूट दी जानी चाहिए।
 7. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्राहकों को काउंटर पर दी जाने वाली सेवाओं में भी अपेक्षित सुधार करना होगा। शाखा परिसर में ग्राहकों के बैठने, हवा एवं पानी की व्यवस्था तथा ग्राहकों की शिकायतों का निवारण अविलंब किया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों में नवीनतम अवधारणा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवाएं आदि को लागू करने से पहले आधारभूत ढांचे को अधिक विकसित करना होगा।
 8. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित योग्यता के आधार पर ही भर्ती एवं नियुक्ति दी जाए, समय-समय पर प्रत्येक कर्मचारी को प्रभावशाली प्रशिक्षण प्रदान कर, कार्य के प्रति अभिप्रेरित किया जाए तथा कार्य की उत्कृष्टता के आधार पर इनकी पदोन्नति, स्थानांतरण एवं कार्य की तैनाती सुनिश्चित की जाए साथ ही बैंक के लक्ष्यों के प्रति जागरूक बनाया जाए।
 9. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों को चाहिए कि अपनी जोखिमों में कमी करने हेतु ऋणों की अनेक योजनाओं एवं उत्पादों के जरिये जैसे आवास ऋण, कृषि ऋण, स्वयं सहायता समूह के ऋण, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, सरकार द्वारा लागू विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रदान करें जिससे वसूली की संभावनाएं भी प्रबल रहेंगी।
 10. इन बैंकों को आपसी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए बाजार के विभिन्न हिस्सों की वर्तमान दशा एवं संभावनाओं का पता लगाना होगा तथा कम रुझान वाले एवं अनछुए क्षेत्रों की ओर अपने प्रयासों को तेज करना होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक आय-व्यय आंकड़ों का विश्लेषण -
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के आय-व्यय का विश्लेषण छत्तीसगढ़ निर्माण के उपरांत की अवधि- 2011-12 से 2018-19 तक किया गया है। जिससे इन बैंकों की आय-व्यय के सामंजस्य सहित अर्जन क्षमता की जानकारी मिल सके। छत्तीसगढ़ में छ.ग. राज्य में संचालित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों की लाभ तथा हानि खाता प्रपत्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि बैंक ने वर्ष दर वर्ष लाभ अर्जित करते हुए वर्ष 2011 में 8.46 प्रतिशत का आरक्षित निधि सृजित करते हुए वर्ष 2018 तक लाभ 21.22 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है। इस प्रकार बैंक द्वारा वर्ष 2016 से पूर्व प्राप्त शुद्ध लाभ तथा अग्नेनित हानि की भरपाई में चला जाता था वह 2016 के उपरांत प्राप्त शुद्ध लाभ बैंक की आरक्षित निधि के रूप में बैंक को 16.87 प्रतिशत प्राप्त हो रही है। वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2018 में बैंक की आरक्षित निधि में 21.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो बैंक के तीव्र वृद्धि एवं कुशल संचालन का संकेत है।

बैंक की लाभप्रदता की निरंतर वृद्धि ने वर्ष 2011 में 12.67 प्रतिशत की अग्नेनित हानि को मात्र छः वर्षों में पूर्ण कर 16.87 प्रतिशत की आरक्षित निधि प्राप्त करना तथा 2016 से 2018 तक मात्र तीन वर्षों में इस निधि में 21.0 प्रतिशत की वृद्धि करना जैसे आदिवासी बहुल एवं छोटे जिला में बैंक की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो छत्तीसगढ़ राज्य प्रगति एवं विकास के लिए सकारात्मक एवं संतोषप्रद है। इस प्रकार बैंक की कार्यकुशलता में निरंतर वृद्धि एवं प्रगति निश्चित रूप से छ.ग. राज्य के ग्रामीण विकास एवं ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार कर रही है। जो न केवल जिला बल्कि राज्य की भी ग्रामीण विकास सहायक है।

सारणी 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

छ.ग. राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा अध्ययन अवधि में लिये गये प्रश्न की राशि के अन्तर्गत लिये जाने वाले ऋण को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम 25 हजार रु. तक, द्वितीय 25001 से लेकर 50,000 तक, तृतीय 50,001 से लेकर 2 लाख रु. तक तथा चतुर्थ एवं अंतिम 2 लाख 1 रु. से 5 लाख रु. तक में वर्गीकृत किया गया है। अध्ययन अवधि 2011-12 से 2018-19 तक लिये गये ऋण में सर्वेक्षित हितग्राहियों के अनुपात के अनुसार सर्वाधिक रायपुर (8 हितग्राहियों) 12.31% हितग्राही रु. 25,000 तक, दुर्ग (09 हितग्राहियों) 17.31% रु. 25,001 से 50,000 तक, बिलासपुर (42 हितग्राहियों) 56% रु. 50,001 से 2 लाख तथा राजनांदगांव (11 हितग्राहियों) 18.97% रु. 20,0001 से 5 लाख तक की ऋण की राशि रही है।

सारणी 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

रेखाचित्र (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

राशि 25000रु. तक बिलासपुर (07 हितग्राहियों) 9.33% राजनांदगांव (06 हितग्राहियों) 10.34%, दुर्ग (05 हितग्राहियों) 9.61% ऋण राशि रही है। राशि 25001 से 50,000 तक रायपुर (10 हितग्राहियों) 15.38%, राजनांदगांव (09 हितग्राहियों) 15.52%, दुर्ग (09 हितग्राहियों) 17.31% ऋण राशि रहा है। राशि 50,001 से 02 लाख तक रायपुर (12 हितग्राहियों) 18.46%, बिलासपुर (14 हितग्राहियों) 18.67%, दुर्ग (14 हितग्राहियों) 17.3% ऋण राशि रही है। (सारणी 2)।

सारणी 3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

रेखाचित्र (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सर्वेक्षित क्षेत्र में बैंकों की आर्थिक योजनाओं का लाभ पाने वाले चयनित जनसंख्या के आधार पर हितग्राहियों की संतुष्टि का निरीक्षण किया गया

जिसमें लाभ से संतुष्टि का स्तर रायपुर जिले से उच्च स्तर 46.2%, सामान्य स्तर 23.1%, मध्यम स्तर 18.5% एवं निम्न स्तर 12.3% रहा। बिलासपुर जिले से उच्च स्तर 37.3%, सामान्य स्तर 33.3%, मध्यम स्तर 24% एवं निम्न स्तर 5.3% रहा। राजनांदगांव जिले से उच्च स्तर 44.8% सामान्य स्तर 34.5% मध्यम स्तर 12.1% एवं निम्न स्तर 8.6% रहा। दुर्ग जिले से उच्च स्तर 46.2%, सामान्य स्तर 34.6%, मध्यम स्तर 11.5%, एवं निम्न स्तर 7.6% रहा।

निष्कर्ष – बैंकों की आर्थिक योजनाओं से ग्रामीणों की संतुष्टि उच्च स्तर पर है। ग्रामीणों को आर्थिक योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक प्राप्त हो रहा है जिससे आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने गरीबी की रेखा से नीचे की स्थिति में जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों की सहायता करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में अधिक अच्छा कार्य किया है। जिला के कुल लाभान्वित परिवारों में से 50 से 60 प्रतिशत परिवारों को सहायता केवल ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदान की गयी है किन्तु समग्र रूप से पूर्व लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई है। बैंक को अपनी एक पंचवर्षीय योजना बनाकर इन सभी परिवारों को लाभान्वित करना चाहिए। प्रत्येक केवल एक ही स्रोत से वित्तीय सुविधा प्राप्त करें न कि प्रत्येक परिवार विभिन्न संस्थानों से सुविधा लेकर अपना दायित्व बढ़ावें। इस हेतु उसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कार्यरत क्षेत्र की समस्त संस्थाओं से निकट का संबंध और सामंजस्य स्थापित कर उसे निरंतर जीवन्त बनाये रखना होगा। सहायता देने के समय भी पहले आय पहले सेवित के स्थान पर सबसे कम आय वाला परिवार सबसे पहले सुविधा पाये। बैंक कर्मचारी को अन्य संस्थाओं जैसे ग्रामीण विकास अभिकरण, विकासखण्ड कार्यालय, राजस्व कार्यालय द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से तैयार किये गये ऋण प्रकरणों की जाँच ठीक तरह से करना चाहिए क्योंकि उनमें व्याप्त गलतियों का सीधा असर बैंक पर पड़ता है। बैंक के लिए सबसे अच्छी बात तो यह होगी कि बैंक के कर्मचारी स्वयं ही इन अनुज्ञापित परिवारों से व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क बनाकर अपने स्तर पर ही ऋण प्रकरणों को तैयार करें। ऐसा करने से अन्य संस्थाओं के त्रुटियों/गलतियों से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों से बैंक बच सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आनंद एस. सी., 'रूरल बैंकिंग एवं डेवलपमेंट', पृ. 267।
2. बाजपेयी, एस .आर., 'सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण', किताब घर, कानपुर संस्करण।
3. Belgrami, S. A. R., "Growth of Public Sector Banks- A regional growth Analysis", Deep & Deep Publication, New Delhi.
4. धींगरा, आई. सी., 'ग्रामीण अर्थशास्त्र' ।
5. द्विवेदी, राधोश्याम, 'म.प्र. सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम', सुविधा लॉ हाउस, भोपाल, वर्ष 2000।
6. Bisotra, Rattan Lal, Agricultural Development through Co-operative Banks, New Delhi, Deep & Deep publication, pp. 370.
7. गोंड, श्यामलाल एवं यादव, दलसिंगार, 'बैंक ऋण वसूली प्रबंध विविध आयाम' हिमालया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई।
8. Imran Sidhi, "Land Development Banking with special reference to economic development In India", Khanna publication, New Delhi.
9. माथुर एवं जैन, 'भारतीय बैंकिंग', कालेज बुक डिपो, जयपुर।
10. ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नई दिल्ली।
11. जैन, नोटियाल सिंह और छजे, 'बैंक प्रबंधन के सिद्धांत', एटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
12. नाथुराम, का लक्ष्मीनारायण, 'भारतीय अर्थशास्त्र', लक्ष्मीनारायण प्रकाशन, नई दिल्ली।
13. Agrawal, R.N., "Rural Banking in India", Oxford and 1 BH, New Delhi.
14. नौटियाल, जयन्ती प्रसाद, 'कृषितर ग्रामीण ऋण और बैंकों की भूमिका', हिमालया पब्लिशिंग हाउस।
15. सावरिहा, 'रूरल बैंकिंग इन इण्डिया', एटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
16. शर्मा, रामनाथ तथा शर्मा, राजेन्द्र कुमार, 'सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान की विधियाँ और प्रविधियाँ', अटलांटिक प्रकाशक एवं वितरक, नई दिल्ली।
18. शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश, 'रिसर्च मेथडॉलॉजी' (हिन्दी), पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
19. सुन्दरम के. पी. एम., 'भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास एवं आयोजन', एस.चंद प्रकाशन, नई दिल्ली।
20. यादव एवं यादव, 'भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियाँ', एटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

सारणी 1 : 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ तथा हानि खाता प्रपत्र

क्र.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	आय								
	अर्जित ब्याज	68209	65406	65352	76959	81297	87345	87675	92209
	अन्य आय	2817	2858	3039	4326	6553	5232	4876	5726
	योग	71026	68264	68391	81285	87850	92577	92551	97935
2.	व्यय								
	व्यय किया गया ब्याज	42365	40818	39525	38006	34425	20823	18965	14055
	परिचालन व्यय	20885	21478	21588	21215	22040	12890	10785	10450
	प्रावधान एवं प्रासंगिकताये	3869	3535	3701	4796	10133	10175	10135	12405
	योग	67119	65831	64814	64017	66598	43888	39885	36910
3.	विनियोजन								
	वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	8.46	8.29	8.44	10.15	10.55	16.87	18.56	21.22
	अग्नेनित हानि	12.67	12.90	13.11	13.47	15.47	16.86	16.82	21.0
	योग	21.14	21.19	21.56	23.63	26.02	33.73	35.38	42.23


वार्षिक प्रतिवेदन (2017-18 से 2018-19), छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक रायपुर (छ.ग.)।

सारणी 2 : हितग्राही वर्ग द्वारा लिये गये ऋण की राशि

जिला	कुल हितग्राही	25,000 तक		25001 से 50,000 तक		50,001 से 2 लाख तक		20,0001 से 5 लाख तक	
		कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
रायपुर	65	8	12.31	10	15.38	35	53.85	12	18.46
बिलासपुर	75	7	9.33	12	16	42	56	14	18.67
राजनांदगांव	58	6	10.34	9	15.52	32	55.17	11	18.97
दुर्ग	52	5	9.61	9	17.31	29	55.77	9	17.31
योग	250	26	10.4	40	16	138	55.2	46	18.4

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

रेखाचित्र : हितग्राही वर्ग द्वारा लिये गये ऋण की राशि




सारणी 3 हितग्राही वर्ग द्वारा छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंकों के आर्थिक योजनाओं से संतुष्टि

जिला	कुल हितग्राही	निम्न		मध्यम		सामान्य		उच्च	
		कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
रायपुर	65	8	12.3	12	18.5	15	23.1	30	46.2
बिलासपुर	75	4	5.33	18	24	25	33.3	28	37.3
राजनांदगांव	58	5	8.62	7	12.1	20	34.5	26	44.8
दुर्ग	52	4	7.69	6	11.5	18	34.6	24	46.2
योग	250	21	8.4	43	17.2	78	31.2	108	43.2

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

रेखाचित्र : हितग्राही वर्ग द्वारा छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंकों के आर्थिक योजनाओं से संतुष्टि



Financial Awareness Among Different Age Groups of Investors

Ms. Chaitali B. Zare *

Abstract - The main aim of the research paper to find out financial awareness of the investor's savings in Savings, Recurring and Fixed deposits along with in stocks, mutual funds, bonds. The another objective of research paper is to find the position of financial awareness among the investment in Live Stock or Gold or Property.

The investor's age group having 70-79 years invested their investment in savings account. The highest percentage of investor's group was 30-49 years and they invested in fixed deposit account in the Amravati District of Maharashtra. The investor's group of 70-79 years did not invest their recurring deposits investment and the highest percentage investor's group was 30-49 years who had invested in recurring deposit account. The investor's investments in recurring deposits were same in all age groups. The highest percentage of investor's group was 30-49 years who had invested in Shares. The investor's investments in Share were same in all age groups. The lowest percentage of investor's group was 70-79 years and the highest percentage of investor's group was 18-29 years who had invested in Mutual Funds. The investor's 18-29 year's group did not invest their investment in Bonds were same in all age groups. The highest percentage of investor's group was 50-69 years and they invested in Live Stock or Gold or Property.

Key Words - Financial Awareness, Financial instruments, Financial Literacy.

Introduction - Financial Awareness refers to the ability to understand and apply financial skills effectively. It requires knowledge of financial principles and concepts, such as financial planning, debt management, efficient investment plans, etc. Financial literacy is the ability to understand how money works in the world, how someone earns it, how that person manages it and how he invests it for getting higher returns. Thus it is clear that that financial awareness is the pillar for making a sound financial plan and planning of finances is essential for every individual who may be a potential investor. Financial instruments such as commercial deposits, banks, stocks, bonds, etc. can be used to maximise profits.

Review Literature - Shashidhar Dr. R & Shivashankar Dr. K.C. (2018), The respondents are not familiar with insurance products, commodity market products, tax laws and the capital market but this again does not imply that they are financially illiterate, although it can be said that familiarity with these products will improve their financial literacy levels.

Kestner John, Leithinger Daniel & Jung Jaekyung (2009), 'a tangible interface concept for communicating personal financial information in an ambient and relevant manner. The concept is embodied in a set of wallets that provide the user with haptic feedback about personal financial metrics.'

Davis Philip E (2001), 'OECD countries have all witnessed an increase in life expectancy and a decline in

the birth rate in recent decades. These have already given rise to an aging population, with a high proportion of the population currently in the high saving age groups (around 45-65) and also an increasing burden of dependents relative to the population of working age. The higher life expectancy is, the longer individuals expect to live after retirement and the greater the need for retirement income.'

National Center for Financial Education (2019), 'Age-distribution of respondents shows that for all the zones the highest number of respondents belongs to the age-group of 30-39 years with those from agegroup of 20-29 years forming the second largest number. At the national level 31% of respondents are from the age-group 30-39 years, followed by 26% from age-group 20-29 years, 10% from the age-group 50-59 years and only 7% from the age-groups 60+ years. The Age-Group 30-39 years is the most represented (39%) in the NorthEast Zone, followed by 33% in the West Zone.'

Henagar, Robin; Cude, Brenda J. (2016), Financial literacy was measured in three ways: objective financial knowledge, subjective financial knowledge or confidence, and subjective financial management ability. The age groups were 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, and 65 and older. Long-term financial behaviour referred to retirement saving and investing behaviour, whereas short-term financial behaviour referred to spending and emergency saving behaviour.

Objectives:

1. To find out investor's investment in Savings Account, Fixed Deposit, Recurring Deposits, pattern in all age groups.
2. To identify the investment behaviour of different group in Shares, Mutual Funds and Bonds.
3. To recognize the investments of investors of different age groups in Live Stocks or Gold or Property.

Sampling Design - 200 random samples of Amravati District taken for research study. A questionnaire was designed keeping in view the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)/ International Network on Financial Education (INFE) framework for collection of information from the respondents of the research study.

Hypothesis:

1. H_0 1: There is no difference in age group of investor's investment in Savings Account, Fixed Deposit, Recurring Deposits.
2. H_0 2: The investment behaviour of different group in Shares, Mutual Funds and Bonds is same in Amravati District of Maharashtra.
4. H_0 3: Investors of different age group in the Amravati District of Maharashtra invests in Live Stocks or Gold or Property.

Data Analysis and Interpretation:

Investor's investment in Savings Account :

Table No. 1 : Investor's investment in Savings Account

Particulars	18-29yr	30-49yr	50-69yr	70-79yr	Total
Respondents	8	15	17	20	60
Percentage	13.3%	25.0%	28.3%	33.3%	100.0%

Table No. 1 shows that the lowest percentage 13.3% of investor's group among 18-29 years and the highest percentage of 33.3% investor's group among 70-79 years had invested in Savings Account in the Amravati District of Maharashtra.




Chart No. 1 : Investor's investment in Savings Account


A Chi square test was performed to examine the equality investment in financial inclusion products in the different ages group. The relation between variables was significant, $X^2(3,200) = 17.382$, $p=.001$. As the result is significant at $p<.05$, it concludes that the investor's age group having 70-79 years invested their investment in savings account in the Amravati District of Maharashtra.

Investor's Investment in Fixed Deposit Account :

Table No. 2 : Investor's Investment in Fixed Deposit Account

Particulars	18-29yr	30-49yr	50-69yr	70-79yr	Total
Respondents	4	12	6	4	26
Percentage	15.4%	46.2%	23.1%	15.4%	100.0%

Table No. 2 shows that the lowest percentage 15.4% of investor's group of 18-29 years & 70-79 years and the highest percentage of 46.2% investor's group of 30-49 years had invested in fixed deposit account in the Amravati District of Maharashtra.



A Chi square test was performed to examine the equality investment in financial inclusion products in the different ages group. The relation between variables was significant, $X^2(3,200) = 8.419$, $p=.038$. As the result is significant at $p<.05$, it concludes that the investor's age group having of 30-49 years had invested in fixed deposit account in the Amravati District of Maharashtra.

Investor's Investment in Recurring Deposit Account :

Table No. 3 : Investor's Investment in Recurring Deposit Account

Particulars	18-29yr	30-49yr	50-69yr	70-79yr	Total
Respondents	5	13	2	0	22
Percentage	22.7%	59.1%	18.2%	0.0%	100.0%

Table No. 3 shows that the investor's group of 70-79 years did not invest their recurring deposits investment and the highest percentage was 59.1% among investor's group of 30-49 years who had invested in recurring deposit account in the Amravati District of Maharashtra.




Chart No. 3 : Investor's Investment in Recurring Deposit Account

A Chi square test was performed to examine the equality investment in financial inclusion products in the different ages group. The relation between variables was significant, $X^2(3,200) = 7.066$, $p=.070$. As the result is insignificant at $p >.05$, it concludes that the investor's investments in recurring deposits were same in all age groups in the Amravati District of Maharashtra.

Investor's Investment in Shares :

Table No. 4 : Investor's Investment in Shares

Particulars	18-29yr	30-49yr	50-69yr	70-79yr	Total
Respondents	6	8	6	4	24
Percentage	25.0%	33.3%	25.0%	16.7%	100.0%

Table No. 4 shows that the lowest percentage was 16.7% among investor's group of 70-79 years and the highest percentage was 33.3% among investor's group of 30-49 years who had invested in Shares in the Amravati District of Maharashtra.




Chart No. 4 : Investor's Investment in Shares

A Chi square test was performed to examine the equality investment in financial inclusion products in the different ages group. The relation between variables was significant, $X^2(3,200) = 6.758$, $p=.080$. As the result is insignificant at $p >.05$, it concludes that the investor's investments in Share were same in all age groups in the Amravati District of Maharashtra.

Investor's Investment in Mutual Funds :

Table No. 5 : Investor's Investment in Mutual Funds

Particulars	18-29yr	30-49yr	50-69yr	70-79yr	Total
Respondents	13	11	9	5	38
Percentage	34.2%	28.9%	23.7%	13.2%	100.0%

Table No. 5 shows that the lowest percentage was 13.2% among investor's group of 70-79 years and the highest percentage was 34.2% among investor's group of 18-29 years who had invested in Mutual Funds in the Amravati District of Maharashtra.




Chart No. 5 : Investor's Investment in Mutual Funds

A Chi square test was performed to examine the equality investment in financial inclusion products in the different ages group. The relation between variables was significant, $X^2(3,200) = 13.893$, $p=.003$. As the result is significant at $p <.05$, it concludes that investor's group of 18-29 years had invested in Mutual Funds in the Amravati District of Maharashtra.

Investor's Investment in Bonds :

Table No. 6 : Investor's Investment in Bonds

Particulars	18-29yr	30-49yr	50-69yr	70-79yr	Total
Respondents	0	1	1	2	4
Percentage	0.0%	25.0%	25.0%	50.0%	100.0%

Table No. 6 shows that the investor's group of 18-29 years did not invest their investment in Bonds and the highest percentage was 70-79% among investor's group of 70-79 years who had invested in Bonds in the Amravati District of Maharashtra.




Chart No. 6 : Investor's Investment in Bonds

A Chi square test was performed to examine the equality of investment in financial inclusion products in the different ages group. The relation between variables was significant, $X^2(3,200) = 1.111$, $p=.774$. As the result is insignificant at $p >.05$, it concludes that the investor's investments in Bonds were same in all age groups in the Amravati District of Maharashtra.

Investor's Investment in Live Stock/Gold/ Property :

Table No. 7 : Investor's Investment in Live Stock/Gold/ Property

Particulars	18-29yr	30-49yr	50-69yr	70-79yr	Total
Respondents	7	5	8	6	26
Percentage	26.9%	19.2%	30.8%	23.1%	100.0%

Table No. 7 shows that the lowest percentage 19.2% of investor's group among 30-39 years and the highest percentage of 30.8% investor's group among 50-69 years had invested in Live Stock/Gold/Property in the Amravati District of Maharashtra.




Table No. 7 : Investor’s Investment in Live Stock/Gold/ Property

A Chi square test was performed to examine the equality of investment in financial inclusion products in the different ages group. The relation between variables was significant, $X^2(3,200) = 7.973, p=.047$. As the result is significant at $p<.05$, it concludes that investor’s group of 50-69 years had invested in Live Stock/Gold/Property in the Amravati District of Maharashtra.

Conclusions :

1. The lowest percentage of investors group was 18-29 years and the highest percentage of investors group was 70-79 years among those who had invested in Savings Account. The investor’s age group having 70-79 years invested their investment in savings account in the Amravati District of Maharashtra.
2. The lowest percentage of investor’s group were 18-29 years & 70-79 years and the highest percentage of investor’s group was 30-49 years and they invested in fixed deposit account in the Amravati District of Maharashtra.
3. The investor’s group of 70-79 years did not invest their recurring deposits investment and the highest percentage investor’s group was 30-49 years who had invested in recurring deposit account. The investor’s investments in recurring deposits were same in all age groups in the Amravati District of Maharashtra.
4. The lowest percentage of investor’s group was 70-79 years and the highest percentage of investor’s group was 30-49 years who had invested in Shares. The investor’s investments in Share were same in all age groups in the Amravati District of Maharashtra.

5. The lowest percentage of investor’s group was 70-79 years and the highest percentage of investor’s group was 18-29 years who had invested in Mutual Funds in the Amravati District of Maharashtra.
6. The investor’s 18-29 year’s group did not invest their investment in Bonds and the highest percentage of investor’s group was 70-79 years. The investor’s investments in Bonds were same in all age groups in the Amravati District of Maharashtra.
7. The lowest percentage of investor’s group was 30-39 years and the highest percentage of investor’s group was 50-69 years and they invested in Live Stock/Gold/ Property.

References:-

1. Shashidhar Dr. R & Shivashankar Dr.K.C., ‘Financial Literacy: An Awareness Study’, *Research Review, International Journal of Multidisciplinary*, Volume-03, Issue-09, September- 2018, Pg. 25
2. Kestner John, Leithinger Daniel & Jung Jaekyung, ‘Proverbial Wallet: Tangible Interface for Financial Awareness’, *Proceedings of the Third International Conference on Tangible and Embedded Interaction (TEI’09)*, Feb 16-18 2009, Cambridge, UK, Pg. 55.
3. Henager, Robin; Cude, Brenda J., ‘Financial Literacy and Long- and Short-Term Financial Behaviour in Different Age Groups’, *Journal of Financial Counselling and Planning*, v27 n1, 2016, Pg. 3-19.
4. National Center for Financial Education, ‘Financial Literacy and Inclusion in India’ Financial Inclusion Survey, Mumbai, 2019. Pg. 25.
5. Davis Philip E, ‘Ageing and Financial Stability’, Discussion Paper, PI-0111, The Pensions Institute, UK, Pg.6.

हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता और समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. इन्द्रजीत सिंह भाटिया *

शोध सारांश - प्रजातांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को इस प्रकार शिक्षा प्रदान करना है जिससे वह अपना उच्चतम विकास एवं उचित समायोजन कर सके। आज प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर शिक्षा की तुलना में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अधिक दबाव व उत्तरदायित्व है। विशेषकर उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को जो अपने भविष्य के सुनहरे समने संजो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारा कर्तव्य है कि हम यह जाने की उनको क्या कठिनाई आ रही है ? उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त हो रही है या नहीं ? वह समायोजन कर पा रहा है या नहीं ? आज बालक अंग्रेजी भाषा के प्रति ज्यादा जागरूक एवं सचेत हो गया है। प्रत्येक विद्यार्थी यह जानता है कि उसके लिये तथा भावी जीवन के लिये अंग्रेजी भाषा का क्या महत्व है। आज के परिपेक्ष्य की बात करे तो हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना मानसिक योग्यता का कारण नहीं रह गया अपितु ये आर्थिक कारण ज्यादा बन गया है। बालक कि मानसिक योग्यता (बुद्धि स्तर) में अंतर तो होता है, किन्तु उस स्तर तक नहीं जितना हम महसूस करते हैं। बालक अपने शिक्षा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को निखारता है जिससे उसकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदलता जा रहा है। सारे राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। अब शिक्षा में शिक्षण का केन्द्रीय स्वरूप परिवर्तित हो कर बाल केन्द्रित स्वरूप होता जा रहा है। इसलिये शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विद्यार्थियों की रुचि आवश्यकता एवं बुद्धि स्तर योग्यता के अनुरूप संपादित किया जाता है। उत्तम मानसिक योग्यता, शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति में विद्यार्थियों को सहायक सिद्ध होती है। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों की प्राप्ति में मानसिक योग्यता व समायोजन क्षमता प्रभावी होती है।

प्रस्तावना - मानसिक योग्यता की अवधारणा - सुखी और सन्तुष्ट जीवन के लिये मानसिक योग्यता उतनी ही आवश्यक है जितनी की शारीरिक योग्यता। मनुष्य जीवन में हम सभी को कभी न कभी विषम परिस्थितियों तथा असफलताओं का सामना करना पड़ता है। मानसिक योग्यता से सम्पन्न व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों, तनाव इत्यादि का सामना करने में समर्थ होता है।

मानसिक योग्यता का अर्थ - जन्म, स्वास्थ्य तथा मृत्यु का चक्र व्यक्ति के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। वस्तुतः जन्म लेने के उपरान्त मृत्यु तक की सम्पूर्ण अवधि में व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूपसे स्वस्थ रहकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। निःसंदेह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए स्वस्थ शरीर के साथ-साथ स्वस्थ मस्तिष्क का होना भी जरूरी है। व्यक्ति के मानसिकस्वास्थ्य का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसके समायोजन पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक उलझनों से ग्रस्त व्यक्ति प्रायः अपने दैनिक जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से उचित समायोजन करनेमें कठिनाई का अनुभव करते हैं।

मानसिक योग्यता से तात्पर्य व्यक्ति की उस मनोस्थिति से है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है।

मानसिक आयु (Mental Age) - मानसिक आयु से अभिप्राय उस आयु से है जो 'बुद्धि या मानसिक परीक्षण से निर्धारित होती है। किसी भी वास्तविक आयु का औसत मानसिक स्तर या मानसिक विकास की ओर संकेत करता है।'

मानसिक आयु का अर्थ - मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य

मानसिक योग्यता बताती है।

गेट्स एवं अन्य के अनुसार - 'मानसिक आयु हमें किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा के समय बुद्धि परीक्षा द्वारा ज्ञात की जाने वाली सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में बताती है।'

बुद्धि-लब्धि (Intelligence Quotient) - बुद्धि-लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है।

बुद्धि-लब्धि से मानसिक आयु, वास्तविक आयु के पारस्परिक सम्बन्ध तथा विकासात्मक गति का ज्ञान होता है। एक बालक की बुद्धि-लब्धि जीवनभर एक जैसी नहीं रहती। मानसिक आयु का विकास वास्तविक आयु के साथ-साथ होता है।

समायोजन का अर्थ - समायोजन हमारे जीवन की एक आवश्यक प्रक्रिया है। समायोजन शब्द जीव विज्ञान के अनुकूलन का पर्याय है। दैनिक जीवन में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समायोजन की प्रक्रिया के द्वारा करता है। अरकौफ (1968) ने समायोजन को व्यक्ति की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। प्रत्येक मनुष्य सतत रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति एवं लक्ष्य तक पहुँचने के लिए प्रयासरत रहता है। उसी समय उस पर एक निश्चित व्यवहार करने के लिये पर्यावरण का दबाव रहता है। समायोजन से व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय मांग में सामंजस्य होता है।

समायोजन एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है क्योंकि प्रत्येक जीवित प्राणी के सामने कुछ न कुछ परेशानियाँ और समस्याएँ होती हैं। एक व्यक्ति कितना प्रभावशाली है, यह उसकी समस्याओं की संख्या से ज्ञात नहीं होता है बल्कि उसकी प्रभावशीलता इस बात से स्पष्ट होती है, कि इन

समस्याओं को तथा जीवन की चुनौतियों को वह किस प्रकार स्वीकार करता है। उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट है कि समायोजन एक गतिशील प्रक्रिया है न कि स्थिर। यदि व्यक्ति के समायोजन को देखा जाये तो केवल व्यक्ति में ही परिवर्तन नहीं होते हैं, परिवर्तन अक्सर पर्यावरण में भी होते हैं।

समायोजन मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर होता है -

1. व्यक्ति की इच्छाओं, विचारों, प्रेरणाओं और लक्ष्यों आदि में समन्वय जितना अधिक होता है, समायोजन उतना अधिक अच्छा होगा। यदि इनमें आवश्यकता से कम समन्वय है तो समायोजन दुर्बल होगा।
2. व्यक्ति की इच्छाओं, विचारों, प्रेरणाओं और लक्ष्यों आदि की पूर्ति किस मात्रा और किस रूप में हुई है ? इनकी पूर्ति जितनी ही अधिक होती है, समायोजन उतना ही अच्छा होता है।
3. व्यक्ति की इच्छाएँ, विचार और लक्ष्य आदि सामाजिक मूल्यों से कहाँ तक मेल खाते हैं ? इनमें मेल जितना ही अधिक होगा, व्यक्ति का समायोजन उतना ही अधिक अच्छा होगा।

साहित्य की समीक्षा

नायक, निवेदिता (2005)

Mental Health and Adjustmetn of Secondary School Teachers Influencing Development of Self Concept in Teachers. उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर

1. माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य का लिंग, वैवाहिक स्थिति, शिक्षण अनुभव तथा शिक्षा के स्तर के संदर्भ में अध्ययन करना।
2. माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के समायोजन के स्तर का लिंग, वैवाहिक स्थिति, शिक्षण अनुभव तथा शिक्षा के स्तर के सम्बन्ध में अध्ययन करना।
3. आत्म प्रत्यय तथा मानसिक स्वास्थ्य, आत्म प्रत्यय तथा समायोजन तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा समायोजन के बीच सम्बन्ध का अध्ययन करना।
4. मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में विवाहित एवं अविवाहित के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं था।
5. समायोजन के स्तर शिक्षिकाओं के संदर्भ में, शिक्षक लैंगिक रूप से भिन्न होते हैं।
6. शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर शिक्षक-शिक्षिकाओं के समायोजन में सार्थक अन्तर था लेकिन शिक्षक-शिक्षिकाओं में उनकी योग्यताओं व वैवाहिक स्थिति के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं था।
7. सभी चरों के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक उच्च स्तर का सार्थक पाया गया।
8. आत्म प्रत्यय, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में गुणित सहसम्बन्ध मूल्य (0.01 स्तर पर) 0.868 सार्थक पाया गया।
9. माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाओं का मानसिक स्वास्थ्य व समायोजन मुख्य कारक है जो आत्म प्रत्यय के विकास को व्यक्तिगत रूप से व मिश्रित रूप से प्रभावित करता है।

रवनीत (2005)

Aggression and Adjustment among Adolescents Belonging to One Child and Many Children Families in Relation to Socio-Economic Status and Home Environment. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

अध्ययन के उद्देश्य :

1. एकल बालक परिवार व बहु बालक परिवारों में बालक व बालिकाओं के आक्रामक व्यवहार के अन्तर का पता लगाना।
2. एकल बालक परिवार व बहु बालक परिवारों में बालक व बालिकाओं के व्यक्तिगत, सामाजिक व गृह समायोजन के अन्तर का पता लगाना।
3. बालक व बालिकाओं के आक्रामक, समायोजन, सामाजिक-आर्थिक स्थिति व गृह वातावरण के बीच सम्बन्धों का पता लगाना।
4. बालक बालिकाओं के आक्रोश पर सामाजिक-आर्थिक स्थिति, गृह वातावरण तथा परिवार के प्रकार का मुख्य व अन्तःक्रिया प्रभाव का पता लगाना।

निष्कर्ष :

1. आक्रामक व्यवहार पर लिंग व परिवार प्रकार का कोई अन्तःक्रिया प्रभाव नहीं देखा गया।
2. बालक बालिकाओं से ज्यादा आक्रामक व्यवहार वाले पाए गए।
3. परिवार प्रकार के अन्तर के कारण आक्रामक व्यवहार पर परिवार प्रकार का कोई अन्तर नहीं पाया गया।
4. सामाजिक समायोजन में बालक व बालिकाओं में कोई अन्तर नहीं दिखाई दिया।
5. सामाजिक समायोजन में बालक व बालिकाओं में कोई अन्तर नहीं दिखाई दिया।
6. बहु बालक परिवार के बच्चों की अपेक्षा एकल बालक परिवार के बच्चों का सामाजिक समायोजन ज्यादा अच्छा था।
7. सामाजिक समायोजन पर लिंग व परिवार प्रकार में अन्तःक्रिया प्रभाव का अन्तर 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं था।

गुप्ता, लिलेश (2002)

A Study of Future Awareness, Vocational Interest and School Adjustment of Senior Secondary Students.

कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा

उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के भविष्य जागरूकता, व्यवसायिक रुचि व स्कूल समायोजन का अध्ययन करना-

1. उच्च आय समूह व निम्न आय समूह में।
2. शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में।
3. गैर सरकारी व सरकारी विद्यालयों में।
4. उच्च उपलब्धि प्राप्तकर्ता व निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों में।

निष्कर्ष :

1. अधिक आय वाले छात्र उच्च उपलब्धि वाले पाये गये।
2. निम्न आय समूह के छात्रों का झुकाव व्यवसायिक रुचि की ओर उच्च आय समूह छात्रों से अधिक था।
3. विज्ञान, वाणिज्य और कृषि के क्षेत्र में छात्राओं की तुलना में छात्र उच्च उपलब्धि वाले एवं उच्च व्यवसायिक रुचि रखने वाले पाये गये।
4. छात्राएँ कला व घरेलू क्षेत्र में ज्यादा व्यवसायिक रुचि रखने वाली दिखाई दी तथा छात्रों की तुलना में स्कूल में ज्यादा समायोजित थी।
5. शहरी विद्यार्थी ग्रामीण विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक उपलब्धि वाले, भविष्य के प्रति जागरूक, अधिक व्यवसायिक रुचि रखने वाले, अधिक वैज्ञानिक रुचि रखने वाले तथा अधिक समायोजित थे। उच्च उपलब्धि वाले छात्रों का व्यक्तिगत रूप से सहायकों के साथ स्कूल समायोजन अच्छा था।

उद्देश्य :

1. उच्चतर माध्यमिक स्तर के हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता का परीक्षण करना।
2. उच्चतर माध्यमिक स्तर के हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता ज्ञात करना।
3. हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता एवं समायोजन में सहसंबंध ज्ञात करना।

परिकल्पनाएं :

H01 – अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर एवं हिन्दी माध्यम विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर में सार्थक अन्तर नहीं है।

H02 – अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता एवं हिन्दी माध्यम विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता में सार्थक अन्तर नहीं है।

H03 – विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता एवं समायोजन में कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

जनसंख्या और न्यादर्श – वर्तमान अध्ययन में इंदौर शहर के उच्चतर माध्यमिक के विद्यार्थियों को जनसंख्या के रूप में लिया गया। आठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिसमें चार हिन्दी माध्यम और चार अंग्रेजी माध्यम के 245 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि से न्यादर्श के रूप में किया गया। इनमें 120 विद्यार्थी हिन्दी माध्यम से और 125 विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से लिये गए।

उपकरण – मानसिक योग्यता के मापन हेतु डॉ. रोमा पाल और डॉ. रमा तिवारीद्वारा निर्मित 'सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण' का प्रयोग किया गया। इस शाब्दिक परीक्षण में कुल 70 प्रश्नों का समावेश है।

समायोजन के मापन हेतु सिन्हा ए. के. पी. और सिंह आर. पी. द्वारा निर्मित 'Adjustment Inventory for school students' का प्रयोग किया गया। इस परीक्षण में संवेगात्मक, सामाजिक और शैक्षिक समायोजन के मापन की व्यवस्था है।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिणाम

सारणी क्रमांक - 01 : अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के बुद्धि परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान, मानक विचलन और टी मूल्य

क्र.	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन	t मान
	अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थी	N=125	हिन्दी माध्यम विद्यार्थी	N=120	
1	37.46	6.58	33.12	4.13	6.16

* 0.05 स्तर पर सार्थक। (p < 0.05)

अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों एवं हिन्दी माध्यम विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर की तुलना करने के लिए प्राप्त मध्यमान तथा मानक विचलन से टी मूल्य ज्ञात किया गया। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि टी का गणनात्मक मान **6.16** है जो कि **0.05** के विश्वसनीयता स्तर पर सार्थक है। उपरोक्त परिणाम के आधार पर **H0.1** को अस्वीकृत किया जाता है।

दोनों समूहों के प्रदत्तों का टी का मान यह प्रदर्शित करता है कि इस क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर एवं हिन्दी माध्यम विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर में सार्थक अन्तर है तथा दोनों ही सार्थक रूप से भिन्न हैं।

सारणी क्रमांक - 02 : अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के समायोजन परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान, मानक विचलन

और टी मूल्य

क्र.	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन	t मान
	अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थी	N=125	हिन्दी माध्यम विद्यार्थी	N=120	
1	35.41	9.69	42.16	12.22	4.80

* **0.05** स्तर पर सार्थक। (p < 0.05)

अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों एवं हिन्दी माध्यम विद्यार्थियों के समायोजन के स्तर की तुलना करने के लिए प्राप्त मध्यमान तथा मानक विचलन से टी मूल्य ज्ञात किया गया। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि टी का गणनात्मक मान **4.80** है जो कि **0.05** के विश्वसनीयता स्तर पर सार्थक है। उपरोक्त परिणाम के आधार पर **H0.2** को अस्वीकृत किया जाता है।

दोनों समूहों के प्रदत्तों का टी का मान यह प्रदर्शित करता है कि इस क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के समायोजन और हिन्दी माध्यम विद्यार्थियों के समायोजन में सार्थक अन्तर है तथा दोनों ही सार्थक रूप से भिन्न हैं।

सारणी क्रमांक - 03 : विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता (बुद्धि स्तर) और समायोजन में सहसम्बन्ध

समूह		मानसिक योग्यता	समायोजन
मानसिक योग्यता	पियरसर्न सहसम्बन्ध	1	- 0.107**
	N	245	245
समायोजन	पियरसर्न सहसम्बन्ध	- 0.107**	1
	N	245	245

** सह सम्बन्ध **0.01** स्तर पर सार्थक। (p < 0.01)

विद्यार्थियों (हिन्दी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम) की मानसिक योग्यता (IQ) तथा समायोजन में सहसंबंध ज्ञात करने के लिए **245** विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता (IQ) तथा समायोजन के आँकड़ें सारणीबद्ध किये गये। उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर मानसिक योग्यता (IQ) तथा समायोजन के मध्य सहसंबंध का मान **- 0.107** ज्ञात किया गया। उपरोक्त सहसंबंध **0.01** विश्वसनीयता के स्तर पर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक है। उपरोक्त परिणाम के आधार पर **H03** को अस्वीकृत किया जाता है।

परिणाम :

1. सारणी क्रमांक 01 के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों के बुद्धि परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान हिन्दी माध्यम बालिकाओं के बुद्धि परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों के मध्यमान से अधिक है (**37.46 > 33.12**) अर्थात् अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर हिन्दी माध्यम विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर से अधिक है।

2. सारणी क्रमांक 02 के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों के समायोजन स्कोर का मध्यमान हिन्दी माध्यम विद्यार्थियों के समायोजन स्कोर के मध्यमान से कम है (**35.41* < 42.16**) अर्थात् अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता हिन्दी माध्यम विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता से अधिक है।

* According to the test manual low score indicate good Emotional / Social /Educational Adjustment.

3. सारणी क्रमांक 03 के अनुसार विद्यार्थियों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) की मानसिक योग्यता और समायोजन के मध्य निम्न ऋणात्मक सहसम्बन्ध पाया गया जो कि 0.01 के विश्वसनीयता स्तरपर सार्थक है अर्थात् विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता और समायोजन क्षमता एक दूसरे पर निर्भर है क्योंकि जिन विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता अधिक होगी उनकी समायोजन क्षमता कम होगी या जिन विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता अधिक होगी उनकी मानसिक योग्यता कम होगी।

निष्कर्ष :

1. अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता (बुद्धि स्तर) हिन्दी माध्यम विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता (बुद्धि स्तर) से अधिक है।
2. अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता हिन्दी माध्यम विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता से अधिक है।
3. विद्यार्थियों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) की मानसिक योग्यता और समायोजन में ऋणात्मक सार्थक सहसम्बन्ध है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. डॉ.वेदप्रकाश,(2017): शिखा मनोविज्ञान,कल्पना पब्लिकेशन
2. अस्थाना, विपिन एवं अस्थाना श्वेता, (2016): मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, अग्रवाल पब्लिकेशन।
3. Dr. Ganai, M.Y. and Z argar, Shazia S.(2012) : **A Comparative Study of Adjustment of Male and Female Secondary School Teachers.** Academia Arena 4(12), 63-66,(ISSN 1553-992X).
4. Dr. Chauhan, R.S.(2009): **A study of Learning and Thinking Styles in Relation to Intelligence.** International Research Journal, Vol. I, (ISSN 0975-3486) Neelkamal Publications : **Edu Tracks.** New Delhi : Neelkamal Publications Pvt. Ltd.
5. राखी प्रकाशन : शिक्षा मित्र, आगरा : राखी प्रकाशन

कृषक सम्पन्नता बढ़ाने के उपाय

डॉ. प्रवीण ओझा *

प्रस्तावना - भारत में कृषक को अन्नदाता कहा जाता है। वह अपना खून-पसीना एक कर राष्ट्र को भोज्य पदार्थ उपलब्ध करवाता है। इस रूप में उसे भाग्य विधाता का भी दर्जा दिया गया है। कृषि की स्थिति पर ही कृषक की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। कृषि का जितना अधिक विकास होगा कृषक भी उतना ही अधिक समृद्ध होगा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के अनुसार तो उन्नत कृषि एवं समृद्ध किसान ही सशक्त भारत की नींव है। किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु नियोजित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। इस दिशा में कृषि, सहकारिता, सिंचाई, उद्यानिकी एवं कृषि विज्ञान के मध्य परस्पर सामंजस्य की आवश्यकता है। ये विभाग मिलकर कृषि क्षेत्र का चहुँमुखी विकास कर कृषकों की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व रूप से सुधार करने में सक्षम है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी पक्षों की सक्रियता अपेक्षित है, कृषक से अधिकतम परिश्रम में जागरूक होने की अपेक्षा है, तो दूसरी ओर राजनैतिक नेतृत्व से सरपंचों इत्यादि के माध्यम से इसमें सहयोगी बनने की अपेक्षा है। शिक्षा एवं तकनीकी क्षेत्र से कृषि क्षेत्र में नवीन शोध एवं नवीन तकनीकों की खोज कर उन्हें लोकप्रिय बनाने के सुधार अपेक्षित हैं, वहीं जनजागरूकता अभियान द्वारा आम जन से कृषि विकास की कार्यवाहियों में सहयोगी बनने की भी उम्मीद की जाती है। ये उपाय ही वस्तुतः कृषकों की सम्पन्नता को बढ़ा सकते हैं। उचित फसलों का चुनाव करना कृषक के लिये परम आवश्यक होता है कि वह कौन सी फसल उगायें। आज देश में 280 लाख टन चावल गोदाम में है फिर अधिक मूल्य मिलने की उम्मीद करना व्यर्थ है। इसके खराब होने की भी पूरी संभावना है। क्या हम यह विश्व को दे सकते हैं? इसकी संभावनाओं पर विचार किया जाना अपेक्षित है। यह तो एक फसल का उदाहरण है ऐसा कई फसलों के साथ के संदर्भ में विचारणीय है। चीनी का भाव अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 22 रुपये किलो है जबकि भारत में इसका भाव 34 रुपये किलो है। 10 रुपये सब्सिडी देकर 6 हजार करोड़ रुपये मूल्य की 60 लाख टन चीनी आयात करने के प्रश्न पर भी विचार होना चाहिये। गन्ने की फसल के उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना भी उचित होगा। हमारे देश में मक्का, गेहूँ का उत्पादन अतिरिक्त में है। मक्का का एम.एस.पी. मिनिमम स्पलाई प्राइज या न्यूनतम समर्थित मूल्य 1700 रु. किंटल से 1100 रु. किंटल पर आ गया है। यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता यह है कि फसलों के चुनाव के पैटर्न को बदला जाये जैसे- उदाहरणार्थ भारत में प्रतिवर्ष 80 से 90 हजार करोड़ रुपये का एडेबल आयल आयात किया जा रहा है। क्यों न मूंगफली, सरसों, करंडी, सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाकर कृषक लाभान्वित हों।

प्रति एकड़ फसल का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयास भी अपेक्षित हैं। लागत को कम कर तकनीकी उपायों एवं देशी तरीके अपनाकर यह संभव होगा।

क्रॉप पैटर्न बदलकर उन फसलों के खेती को बढ़ावा दिया जाये जिनका मूल्य विदेशों में बिक्री करने पर अच्छा मिलने की संभावना है। केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के उद्बोधन के अनुसार फार्मर प्रोड्यूसिंग सोसायटी बनाकर 6 कंटेनर संतरे दुबई 30 रु. किलो के भाव से भेजे जिनका यहाँ मूल्य मात्र 12 रु. प्रति किलो मिल पाता है। ऐसे और 20 कंटेनर संतरों का आर्डर भी मिलना यह संकेत करता है कि यदि किसान को अधिकार दिये जायें तो वह यह काम कर सकता है। यहाँ संतरों की फसल का उत्पादन बढ़ाया जाना कृषकों के लिये हितकारी होगा। इसके साथ ही कृषकों में ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देना है। इसमें किसान को दाम भी अच्छा मिलता है एवं सफल आर्गेनिक खेती के क्षेत्र में रोजगार के नवीन अवसर भी बढ़ रहे हैं। टेक्नीकली एजुकेटेड वर्ग भी अब इस क्षेत्र को रोजगार बना रहा है। ग्रामों के शिक्षित युवाओं की भूमिका इस दिशा में उपयोगी साबित हो सकती है। इस दिशा में और अधिक रिसर्च को बढ़ावा देना भी प्रासंगिक होगा।

कृषकों को आत्मनिर्भर एवं सम्पन्न बनाने में ग्रामोद्योगों (विलेज इंडस्ट्री) की भूमिका सदैव विशिष्ट रही है। ग्रामों में रोजगार के इस क्षेत्र में टर्नओवर 80 हजार करोड़ का है। श्री गडकरी के अनुसार एमेजन कम्पनी ने इस वर्ष 70 हजार करोड़ रुपये के एमेजन एवं ग्रामोद्योगों के उत्पाद निर्यात किये। इनके उत्पादन से जुड़कर कृषक निःसंदेह स्वयं के एवं ग्रामों के आर्थिक स्तर को उँचा उठा सकता है। गाँवों में सोलर चरखे का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिये। ग्रामोद्योग से उत्पादित सिल्क, लकड़ी के खिलौने, पत्थर के शो पीस, चक्की, चमड़े के खिलौने, जैकेट, फुटवियर, हथकरघा उत्पाद इत्यादि का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आज खादी ग्रामोद्योग का अपना स्वयं का विस्तृत बाजार है वह भी पैठनी, डेनिम बना रहा है डेनिक का अमेरिका की लिवाइस कम्पनी को निर्यात भी होता है। केवल अवसर को पहचानने की आवश्यकता है। जनजातीय क्षेत्रों में हस्तकला आधारित उत्पादों के विस्तार की बड़ी संभावनाएँ हैं। इस क्षेत्र से जुड़कर कृषकों को लाभ उठाना होगा। यहाँ आर्थिक स्वाधीनता बढ़ाने के लिये गहन विचार की आवश्यकता है। ग्रामीण उद्योगों को अपनी लागत कम करने के उन उपायों को भी अपनाना होगा, जो नवीनतम शोध पर आधारित है। उन्हें 'सेव मनी अर्न मनी' का सिद्धान्त लाभदायक हो रहा है। कच्चे माल का उचित प्रबंधन भी एक उपयोगी सुझाव है जिससे समानांतर व्यवसाय के रूप में ग्रामोद्योग से जुड़ने वाले कृषकों की आर्थिक दशा में महत्वपूर्ण बदलाव देखे जा सकते हैं।

कृषकों की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने में इथेनॉल की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनेगा, मोलायसिस से इथेनॉल बनेगा। केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के अनुसार हमारे देश में

हम पेट्रोल में 22 प्रतिशत इथेनॉल डाल सकते हैं। इसके लिये 1600 करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता है। यह 65 रु. लीटर मिलेगा जो पेट्रोल से सस्ता होगा। पूना में रिसर्च चल रही है कि डीजल में भी यह 10 प्रतिशत तक डाला जायेगा। बजाज कम्पनी ने इथेनॉल से चलने वाली बाइक बनायी है, टीव्हीएस कम्पनी की भी बाजार में आने वाली है। यदि ग्रामीण युवक ऐसी बाइक चलायेंगे जो चावल, गन्ना, मक्के से प्राप्त ईंधन पर चल रही हो तथा प्रदूषण भी कम करती हो तो इण्डियन ऑयल कम्पनी आदि पर निर्भरता कम होगी तथा ग्रामीण आत्मनिर्भरता एवं ग्राम विकास का नवीन दृश्य प्रस्तुत होगा। गांव का किसान हवाई जहाज, मोटरकार का ईंधन बना सकता है, बिजली बना सकता है तो लगभग आठ लाख करोड़ का जो पेट्रोल आयात किया जा रहा है उसमें कमी आयेगी। डायवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड एनर्जी एण्ड पावर सेक्टर जैसे क्षेत्र में शोध को और अधिक प्रोत्साहन देना होगा। गाँवों के सरपंचों की भूमिका भी इस दिशा में महत्वपूर्ण होती है। उन्हें ध्यान देना होगा कि गांव में कचरा निपटान व्यवस्था कैसी है। यदि गाँव में उत्पादन कम हो रहा है, जानवर मर रहे हैं तो कुओं के पानी की जांच करवानी चाहिये, हार्ड वाटर नुकसानदेह होता है। सरपंच पानी की टेस्टिंग करवायें, पानी के सॉफ्टर लगावयें, साइल हैल्थ कार्ड बनवायें। मिट्टी में जिस तत्व की कमी हो, वह तत्व खाद के रूप में डाला जाये। जिन खेतों में आर्गेनिक कार्बन 0.80 प्रतिशत से अधिक है वहाँ गन्ने की फसल का शत प्रतिशत उत्पादन होता है जिन खेतों में यह 0.20 प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत तक होता है वहाँ मात्र तीस से चालीस प्रतिशत तक ही गन्ना उत्पादन हो पाता है। यह बायो फर्टिलाइजर बनाया जा सकता है। गांव का कचरा गन्ना, गेहूँ, ज्वार का कचरा खेतों में ही कम्पोस्ट किया जाये तो बढ़िया खाद तैयार होती है। कटे हुये बालों से बना एमिनो एसिड भी प्लान्ट बूस्टर का काम करता है। इस दिशा में और अधिक शोध की आवश्यकता है। आर्गेनिक फार्मिंग एण्ड सबसेसफुल एग्रीकल्चर क्रियेटिंग मोर एम्प्लायमेंट पोर्टेंशियल इन रूरल एरिया जैसे विषयों पर गहन शोध की जाये, जिसके निष्कर्ष किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव में सहायक बनेंगे।

ग्रामीण क्षेत्र को विधिवत प्लानिंग एवं उचित प्रबंधन (प्रोपर मैनेजमेंट) द्वारा आगे बढ़ाने के प्रयासों में और अधिक तेजी लाना अपेक्षित है। इस दिशा में गांव के सरपंचों का सक्रिय होना उपयोगी होगा। वे गांव की क्षमता (स्ट्रेंथ) एवं कमियों (वीकनेस) को पहचानें और उसी के आधार पर विकास की योजनाएँ बनाकर लागू करवाने में सहयोगी बनें। सरपंचों के पास शक्ति है, अधिकार है और जन समर्थन भी है। विकास हेतु इन्हीं सब तत्वों का योगदान सर्वोपरि रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार ग्रामीणों के शहरों की ओर पलायन को रोकने में सहायक होगा। यदि कृषक एवं उसके परिवार जन को स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध रोजगार से अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त हो रही है तो वह गांव नहीं छोड़ेगा। इसके लिये गांवों में सुरक्षा प्रबंधों को भी मजबूत बनाना होगा। जिससे सम्पन्नता बढ़ने पर भी कृषकों को कोई खतरा न हो, उदाहरणार्थ चम्बल क्षेत्र के अनेक सम्पन्न ग्रामीण किसान डकैत समस्या एवं भय के कारण गाँव से पलायन कर गये। सुरक्षा आधारित ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति न हो। एक ओर तो ई-पंचायत आदि नवीन विधाओं के माध्यम से कृषकों तक नवीन तकनीक,

अनुसंधान, कृषि शिक्षा आदि पहुँचाकर कृषि उत्पादन बढ़ाया जायें तो दूसरी ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसी आधारभूत सुविधाएँ गाँवों में उपलब्ध करवाकर कृषक सम्पन्नता को बढ़ाया जा सकता है एवं यही आत्मनिर्भर भारत का सफल सोपान होगा। ग्रामोद्योगों के माध्यम से रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त कर ग्रामीण कृषक देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान बढ़ा सकेंगे।

सरकार कृषकों की उन्नति एवं सुविधा हेतु अनेक योजनाएँ संचालित करती हैं जैसे मध्यप्रदेश की पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने किराये पर ट्रान्सफार्मर को उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है जिसमें 60-70 हजार रुपये कीमत वाले ट्रान्सफार्मर मात्र 749 रुपये किराये पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। कम्पनी के कार्यक्षेत्र इन्दौर-उज्जैन संभाग इससे लाभान्वित हो रहे हैं जिससे वे वर्ष के सभी महीनों में फसलें उत्पादित कर सकते हैं किन्तु विडम्बना यह है कि प्रदेश में ही मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी जिसके कार्यक्षेत्र वाले संभाग में ग्वालियर, चम्बल, भोपाल संभाग आते हैं, में ऐसी कोई योजना नहीं चल रही जिसमें ट्रान्सफार्मर किराये पर दिया जाता हो। किसानों के हितार्थ अच्छी योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन बहुत आवश्यक है। कृषक बहुत लागत एवं मेहनत से फसल उत्पादित करता है किन्तु मौसमी सब्जी जल्दी खराब होने के कारण एवं मौसम में सब्जी का भाव गिर जाने के कारण कृषक को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अतः कोल्ड स्टोरेज की सुविधा का विस्तार करना भी परम आवश्यक है। मध्यप्रदेश में ग्वालियर अंचल में उद्यानिकी विभाग द्वारा छोटी-छोटी मण्डियों के पास एवं खेतों में छोटे कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना लागू करने की तैयारी चल रही है जिसके द्वारा कृषक को उसके ही खेत पर पांच मीट्रिक टन क्षमता तक के कोल्ड स्टोरेज बनाने में सहयोग दिया जायेगा। इसके निर्माण में पांच लाख रुपये तक का ऋण होगा जिसका 30 से 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जायेगी। ऐसी योजनाएँ यदि देश के सभी क्षेत्रों में लागू होंगी तो सब्जियों का दाम न मिल पाने के कारण उसे नष्ट करने पर किसान मजबूर न होगा बल्कि इसके विपरीत उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जायेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य उपायों में मण्डियों को हाइटेक बनाना, प्रदेश को लाजिस्टिक हब बनाना, बायो पार्क का निर्माण, वाणिज्यिक फसलों का प्रशिक्षण, किसानों को कृषि कानूनों की जानकारी उपलब्ध करवाना, कॉलम प्रोसेसिंग केन्द्रों का विकास जैसे आधुनिक एवं समयानुकूल सुझाव हैं जो कृषकों की आय एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर उन्हें समृद्ध बना सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ब्राउन, गैब - डर्ट टु सॉइल
2. सिंह, रमेश - भारतीय अर्थव्यवस्था
3. के., शंकरगणेश - इण्डियन इकोनोमी
4. एन., पयूकोका - दि नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग
5. हॉवर्ड अल्बर्ट - दि सॉइल एण्ड हैल्थ - ए स्टडी ऑफ आर्गेनिक एग्रीकल्चर
6. के. सिंह - रूरल डवलपमेंट
7. पाण्ड, व्ही.के. - एग्रीकल्चर एट ए ग्लॉस

अनुवर्ग शिक्षण विधि का सम्प्रत्ययात्मक बोध व शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव तथा सहसंबंध का अध्ययन

डॉ. रतन कुमार भारद्वाज * भागीरथ रेग्बर **

शोध सारांश - जीवन बाधाओं और चुनौतियों से भरा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति इन सभी चुनौतियों का समाधान विशेष रूप से गणित आधारित प्रक्रियाओं के अनुसरण के द्वारा करते हैं। गणित की अवधारणा व्यावहारिक सोच पर आधारित है। व्यावहारिक सोच हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन उन्मुख चुनौतियों का हल केवल व्यावहारिक चिन्तन एवं अनुभव के द्वारा ही किया जा सकता है। जब किसी भी शिक्षक के द्वारा विभिन्न अवधारणाओं और सिद्धांतों को व्यावहारिक शिक्षण विधियों के साथ समझाया जाता है तो विद्यार्थी विषय को आसानी से समझ पाते हैं। गणित विषय को सरल व सहज बनाने के लिये उसका आधारीय व मूलभूत ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षक को सकारात्मक व नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करने होते हैं और अनुवर्ग शिक्षण पद्धति इसी पर आधारित है। इसमें छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुये कठिनाइयों का समाधान उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा किया जाता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन प्रयोगात्मक है जिसमें न्यादर्श के रूप में बरसी तहसील के राजकीय विद्यालयों का चयन किया गया है राजकीय विद्यालयों से 80 विद्यार्थियों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया है। 40-40 विद्यार्थियों का प्रयोगात्मक व नियंत्रित समूह बनाकर प्रयोगात्मक समूह में अनुवर्ग शिक्षण विधि से तथा नियंत्रित समूह को परम्परागत विधि से गणित विषय का अध्यापन किया गया। शोध निष्कर्ष में पाया गया कि गणित विषय में सम्प्रत्ययात्मक बोध व शैक्षिक उपलब्धि पर परम्परागत विधि से गणित विषय का अध्यापन किया गया। शोध निष्कर्ष में पाया गया कि गणित विषय में सम्प्रत्ययात्मक बोध व शैक्षिक उपलब्धि पर परम्परागत शिक्षण की अपेक्षा अनुवर्ग शिक्षण विधि का प्रभाव अधिक होता है और सम्प्रत्ययात्मक बोध तथा शैक्षिक उपलब्धि में सहसंबंध भी अनुवर्ग विधि द्वारा प्रभावित होता है।

प्रस्तावना - गणित किसी समाज व राष्ट्र के विकास एवं सभ्यता का दर्पण है। शोध चिन्तन की वैज्ञानिक भाषा है। गणित सामाजिक व्यवस्था का आधारभूत तन्तु है। किसी राष्ट्र की शक्ति यहाँ तक कि उसका अस्तित्व बहुत कुछ उस गणित की मात्रा, संरचना एवं गुणवत्ता पर निर्भर करता है जो विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। गणित सभी क्षेत्रों को जोड़कर हमारी सभ्यता के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गणित मनुष्य के जीवन और ज्ञान का संख्यात्मक और अभिकलन हिस्सा है जो लोगों को उनके विभिन्न विचारों और सटीक तर्क के साथ सटीक व्याख्याएँ देने में मदद करता है जो तार्किक तर्क और विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित है। मात्रात्मक तथ्यों और रिश्तों के साथ-साथ अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए यह एक आवश्यक उपकरण है जो कि कई क्षेत्रों में लागू होता है।

शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य बालक को रचनात्मक जीवन के लिए तैयार करना है, ऐसे जीवन के लिए जिसमें वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं का अधिकतम विकास कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के अनुसार, 'गणित शिक्षण की ऐसे साधन के रूप में कल्पना करनी चाहिए जो बालक को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और अपनी बात को तर्कसंगत रूप से सुस्पष्ट करने में प्रशिक्षित करती है। एक विशिष्ट और तर्क शामिल हो, का सहवर्ती मानना चाहिए।'

गणित एक तेजी से विकसित होने वाला विषय है। यह बहुत तीव्रता से, कदाचित, विस्फोटक गति से बढ़ रहा है। ई.टी.बेल के शब्दों में जो यूनान ने अपनी गौरव की चरम सीमा को प्राप्त किया। उसकी तुलना में उन्नीसवीं

शताब्दी की गणित छोटी सी मोमबत्ती के सामाने एक होली के अलाव (अग्नि) की तरह है। यही तुल्यरूपता आज की और आने वाले समय की गणित के स्वरूप के बारे में सोची जा सकती है। आज की विद्यालयीय शिक्षा के समक्ष बहुत चुनौतियाँ हैं। आज का छात्र दस वर्ष पूर्व के छात्र से अपनी उत्सुकताओं के अध्ययन आवश्यकताओं में बिल्कुल भिन्न हैं शिक्षाशास्त्रियों में अब शिक्षण प्रक्रिया अध्यापक केन्द्रित न होकर छात्र केन्द्रित है। तथा अनुदेशन केन्द्रित न होकर पाठ्यक्रम है, तदनुसार ही शिक्षण प्रविधियों में परिवर्तन आज सर्वाधिक हो गये है।

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक के द्वारा समय-समय पर शिक्षण में नवीन शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके ज्ञान के संचार में सरलता प्रदान करे। शिक्षण युक्तियों का चयन अधिगम स्वरूपों के आधार पर किया जाता है, जिससे अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है।

अनुवर्ग शिक्षणकी प्रभुत्ववादी तथा प्रजातंत्रवादी दोनों प्रकार की विधि माना जाता है। व्याख्यान शिक्षण विधि में छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को शिक्षक से हल कराने का अवसर नहीं मिलता है इसलिए कक्षा को छोटे-छोटे सजातीय वर्गों में बाँट दिया जाता है। एक अनुवर्ग को एक शिक्षक अपने अनुवर्ग की सभी अध्ययन सम्बन्धी कठिनाइयों के समाधान में सहायता करता है। इस प्रकार के शिक्षण को अनुवर्ग शिक्षण कहा जाता है। इसमें छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व दिया जाता है। इसमें उपचारात्मक विधियों का उपयोग होता है। अनुवर्ग शिक्षण व्यूह रचना

* प्रोफेसर संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लालकोठी स्कीम, जयपुर (राज.) भारत

** शोधार्थी, शिक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.) भारत

में विद्यार्थी शिक्षक सम्बन्धों की निकटता और आपसी सौहार्द का वातावरण बना रहने के कारण प्रभावपूर्ण अनुदेशन की सम्भावनाएँ अधिक रहती हैं। अनुवर्ग शिक्षण व्यूह रचना में पूरक अनुदेशन एवं उपचारात्मक शिक्षण पर काफी बल दिया जाता है। इस व्यूह रचना के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुये अनुदेशन प्रदान करना सम्भव है। इस व्यूह रचना में विद्यार्थियों को अपनी कठिनाईयों का समाधान प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर मिलता है वे अपने विचार शिक्षक के सामने बिना किसी संकोच के प्रकट कर सकते हैं तथा अपनी अधिगम कठिनाईयों, समस्याओं एवं उम्मीदों को शिक्षक के सम्मुख प्रकट करके तत्काल ही उसका उचित समाधान, परामर्श और सहायता प्राप्त कर सकते हैं जिससे निष्पत्ति का स्तर बढ़ता है और शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति अधिकतम में की जा सकती है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का औचित्य - अनुवर्ग शिक्षण का प्रयोग गणित विषय को पढ़ाने में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है इस कारण शोधकर्ता ने इसकी प्रभावशीलता को ज्ञात करने के लिए प्रस्तावित शोध को गणित विषय से सम्बन्धित कर अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाया। प्रस्तुत शोध कार्य के परिणामों से प्राप्त हुआ कि अनुवर्ग शिक्षण से करवाया गया शिक्षण परम्परागत शिक्षण की तुलना में अधिक प्रभावी है। यह निष्कर्ष हमें यह सोचने को प्रेरित करता है कि क्या आज के समय में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में परम्परागत शिक्षण विधि से दैनिक पाठ योजनाओं को पढ़ाने के साथ इस अनुवर्ग शिक्षण के माध्यम से दैनिक पाठ योजनाओं को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना ज्यादा उचित नहीं होगा। अतः अनुवर्ग शिक्षण के माध्यम से पाठ योजनाओं का निर्माण कर हर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को इनके प्रभावी शिक्षण के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि सभी शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े विद्यार्थी अनुवर्ग शिक्षण की महत्ता से परिचित होकर भविष्य में अनुवर्ग शिक्षण का गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों को सरल व सुबोध अधिगम हेतु प्रयोग कर सकें। इस उद्देश्य की दृष्टि से भी यह शोध कार्य औचित्यपूर्ण है।

इस प्रकार यह शोध कार्य अनुवर्ग शिक्षण को शिक्षण सिद्धान्त बनाने की दिशा में योगदान देने में अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इन सभी तथ्यों के कारण इस शोध कार्य का औचित्य स्वयं सिद्ध हो जाता है।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

सम्बन्धित शोध साहित्य की समीक्षा में शोधकर्ता द्वारा आर.सी.पाइवा, एम. एस. फ्रेडरा एण्ड एम.एम. फ्राड ने 2017 में किए गए शोध गणितीय अवधारणाओं को सिखाने या याद दिलाने के लिए निर्देश के व्यक्तिगत प्रणाली पर आधारित बुद्धिमतापूर्ण अनुवर्ग प्रणाली का अध्ययन किया। **मार्सिए. ए. बार्नेस तथा अन्य ने (2016)** में 'गणित और ध्यान में कम प्रदर्शित करने वाले पूर्व स्कूली बच्चों के ट्यूटोरियल हस्तक्षेप के प्रभाव' का अध्ययन किया है। **असफ नवाज तथा जहरउरहमान ने 2017** में गणित में पीयर ट्यूटोरिंग और छात्रों की रणनीति: एक विश्लेषण का अध्ययन किया। यह अध्ययन माध्यमिक स्तर पर गणित के विषय में छात्रों की सफलता पर शिक्षा की रणनीति के रूप में सहकर्मी के प्रभाव की जाँच करने के लिए किया गया था। **करीज जे. थॉम्पसन ने 1999** में पांचवी कक्षा के छात्रों की गणित की उपलब्धि में पीयर ट्यूटोरिंग की प्रभावशीलता का अध्ययन किया इस अध्ययन का उद्देश्य पांचवी कक्षा के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि स्तर पर गणित में सहकर्मी ट्यूशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता को निर्धारित करना था। **शान्नो एम. सैपल ने (2010)** एक शहरी उच्च विद्यालय में गणित ट्यूटोरिंग कार्यक्रम की

प्रभावशीलता का अध्ययन किया। **पीटर ए. कहे, जेम्स ए. कुलिक और चैन -लीन सी कुलिक ने (1982)** में ट्यूटोरिंग के शैक्षणिक परिणाम : निष्कर्षों के एक मेटा-विश्लेषण का अध्ययन किया। **जुआन डी. गोदिनो ने 1996 में गणितीय अवधारणाएँ**, उनके अर्थ और समझ का अध्ययन किया। गणितीय अवधारणाओं को समझने के लिए एक सिद्धांत विकसित करने के लिये कुछ प्रमुख तत्वों को रेखांकित किया गया है। **फ्रांसिस्को जैसे अलेग्रो - अंसुआटेगी, लिडोन मोलिनेर, गिल लोरंजो और आना भरोटो ने (2018)** गणित में सहकर्मी ट्यूटोरियन और अकादमिक उपलब्धि : एक मेटा-विश्लेषण पर अध्ययन किया। **शास्त्री, एच. श्री निवास (1966)** ने अपने पीएच.डी. अध्ययन में अध्यापक को अपने शिक्षण को इस तरह उन्मुख करना चाहिये कि विद्यार्थी विषय का एक उचित दृष्टिकोण प्राप्त करें और आधुनिक गणित के कृत्रिम और अमूर्त प्रकारों की विधियों को बिना अधिक कठिनाई के ग्रहण कर सकें।

उद्देश्य :

1. परम्परागत शिक्षण व अनुवर्ग शिक्षण के कक्षा आठ के गणित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सम्प्रत्ययात्मक बोध पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. कक्षा आठ के गणित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परम्परागत शिक्षण व अनुवर्ग शिक्षण के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन।
3. परम्परागत शिक्षण व अनुवर्ग के पश्चात् कक्षा आठ के गणित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के संप्रत्ययात्मक बोध व शैक्षिक उपलब्धि में सहसंबंध का तुलनात्मक अध्ययन।

परिकल्पनाएँ :

1. परम्परागत शिक्षण एवं अनुवर्ग शिक्षण का कक्षा आठ के गणित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सम्प्रत्ययात्मक बोध में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
2. कक्षा आठ के गणित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में शिक्षण के पश्चात् सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
3. परम्परागत शिक्षण व अनुवर्ग शिक्षण के पश्चात् कक्षा आठ के गणित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सम्प्रत्ययात्मक बोध व शैक्षिक उपलब्धि में सहसंबंध में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

शोध विधि - प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान की प्रायोगिक विधि का चयन किया गया है।

न्यादर्श - शोधकर्ता द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यादर्श के रूप में बरसी तहसील के राजकीय विद्यालय के 80 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। शोध में प्रयुक्त न्यादर्श चयन हेतु यादृच्छिक प्रतिचयन विधि को अपनाया गया है। विद्यार्थियों के चयन हेतु डॉ. श्याम स्वरूप जलोटा द्वारा निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण के द्वारा औसत मानसिक योग्यता वाले 80 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इन चयनित विद्यार्थियों में से 40 छात्रों तथा 40 छात्राओं के दो समूह बनाकर प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि को प्रयुक्त किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण - प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा उपकरण के रूप में स्वनिर्मित संप्रत्ययात्मक बोध परीक्षण, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण एवं पाठ योजनाओं का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण - शोध अध्ययन में परिकल्पनाओं के आधार पर प्रदत्तों का विश्लेषण किया गया। गणित विषय की परम्परागत शिक्षण विधि

से नियंत्रित समूह को व अनुवर्ग शिक्षण विधि से प्रयोगात्मक समूह को अध्यापन कराया गया। अध्यापन के पश्चात विद्यार्थियों के गणित विषय में सम्प्रत्ययात्मक बोध व शैक्षिक उपलब्धि के प्रदत्तों का मध्यमान व प्रमाणिक विचलन ज्ञात किया गया एवं मध्यमानों में अन्तर की सार्थकता की जांच हेतु टी परीक्षण किया गया। सम्प्रत्ययात्मक बोध व शैक्षिक उपलब्धि में सहसंबंध ज्ञात करने हेतु पीयरसन प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध गुणांक विधि का प्रयोग किया गया।

परिकल्पना - 1 - परम्परागत शिक्षण व अनुवर्ग शिक्षण के पश्चात कक्षा आठ के गणित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सम्प्रत्ययात्मक बोध में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या 1 (अगले पृष्ठ पर देखें)

तालिका संख्या1 को अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों के सम्प्रत्ययात्मक बोध हेतु नियंत्रित समूह को परंपरागत शिक्षण विधि द्वारा अध्यापित प्रायोगिक समूह के अनुवर्ग शिक्षण विधि द्वारा अध्यापित करने पश्चात पश्च परीक्षण के प्राप्त अंकों के मध्यमान क्रमशः 61.25 एवं 86.35 प्राप्त हुए हैं तथा मानक विचलन क्रमशः 4.907 एवं 3.313 प्राप्त हुए हैं। टी का अनुपात 26.81 प्राप्त हुआ है जो कि स्वातन्त्र्य अंश 78 पर एवं सार्थकता स्तर 0.05 तथा 0.01 पर टी के टेबल मूल्य क्रमशः 1.66 व 2.37 से अधिक है अतः सम्प्रत्ययात्मक बोध में परम्परागत शिक्षण व अनुवर्ग विधि से शिक्षण के पश्चात सार्थक अंतर पाया जाता है। प्रायोगिक समूह के पश्च परीक्षण का मध्यमान नियंत्रित समूह के पश्चात परीक्षण के मध्यमान से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना निरस्त होती है क्योंकि दोनों समूहों के मध्यमान में अंतर सार्थक अन्तर पाया गया है अतः यहां अनुवर्ग शिक्षण का प्रभावी होना सिद्ध होता है।

परिकल्पना -2

परम्परागत शिक्षण व अनुवर्ग शिक्षण के पश्चात कक्षा आठ के गणित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या 2 (अगले पृष्ठ पर देखें)

तालिका संख्या2 को अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि हेतु नियंत्रित समूह को परम्परागत शिक्षण विधि द्वारा अध्यापित करने व प्रायोगिक समूह को अनुवर्ग शिक्षण विधि द्वारा अध्यापित करने के पश्चात पश्च परीक्षण के प्राप्त अंकों के मध्यमान क्रमशः 61.35 एवं 86.75 प्राप्त हुए हैं तथा मानक विचलन क्रमशः 4.503 एवं 3.367 प्राप्त हुए हैं। टी का अनुपात 28.401 प्राप्त हुआ है जो कि स्वातन्त्र्य अंश 78 पर एवं सार्थकता स्तर 0.05 तथा 0.01 पर टी के टेबल मूल्य क्रमशः 1.66 व 2.37 से अधिक है अतः शैक्षिक उपलब्धि में परंपरागत शिक्षण व अनुवर्ग विधि से शिक्षण के पश्चात सार्थक अंतर पाया गया है। प्रायोगिक समूह के पश्च परीक्षण का मध्यमान नियंत्रित समूह के पश्च परीक्षण के मध्यमान से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना निरस्त होती है क्योंकि दोनों समूहों के मध्यमान में सार्थक अन्तर पाया गया है अतः यहाँ अनुवर्ग शिक्षण का प्रभावी होना सिद्ध होता है।

परिकल्पना -3

परम्परागत शिक्षण व अनुवर्ग शिक्षण के पश्चात कक्षा आठ के गणित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सम्प्रत्ययात्मक बोध व की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या - 3 (अगले पृष्ठ पर देखें)

तालिका संख्या 3 से स्पष्ट है कि परम्परागत शिक्षण व अनुवर्ग शिक्षण के पश्चात सम्प्रत्ययात्मक बोध व शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसंबंध क्रमशः 0.5876 तथा 0.8275 पाया गया जो कि सार्थकता के दोनों स्तरों से अधिक है। यह दर्शाता है कि सम्प्रत्ययात्मक बोध व शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है परन्तु तालिका से यह भी स्पष्ट है कि अनुवर्ग शिक्षण के पश्चात सम्प्रत्ययात्मक बोध व शैक्षिक उपलब्धि में पाया गया सहसंबंध परम्परागत शिक्षण के पश्चात पाए जाने वाले सहसम्बन्ध से बहुत अधिक है अतः इससे सिद्ध होता है कि अनुवर्ग शिक्षण दोनों चरों के मध्य सहसंबंध स्थापित करने में अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। अतः तृतीय परिकल्पना निरस्त होती है क्योंकि सम्प्रत्ययात्मक बोध व शैक्षिक उपलब्धि में सहसंबंध में सार्थक अन्तर पाया गया है।

शोध निष्कर्ष -

1. परिकल्पना - 1 परम्परागत शिक्षण एवं अनुवर्ग शिक्षण का कक्षा आठ के गणित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सम्प्रत्ययात्मक बोध में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

तालिका संख्या 1 के निष्कर्षों का तालिका अनुसार अवलोकन करने के आधार पर शून्य परिकल्पना को निरस्त घोषित किया गया है। तालिका संख्या 1 के अनुसार कक्षा 8 के नियंत्रित व प्रायोगिक समूह के विद्यार्थियों के पश्च परीक्षण के मध्यमानों में सार्थक अंतर पाया गया है। इसका कारण यह है कि नियंत्रित समूह को पश्च परीक्षण के समय परम्परागत विधि द्वारा एवं प्रायोगिक समूह को पश्च परीक्षण के समय अनुवर्ग शिक्षण विधि द्वारा अध्यापित किया गया है अतः दोनों परीक्षणों में अलग-अलग शिक्षण विधि द्वारा अध्यापन के कारण दोनों परीक्षणों के द्वारा प्राप्त अंकों में विद्यार्थियों के सम्प्रत्ययात्मक बोध की उपलब्धि में समानता नहीं पाई गई है। इसमें अनुवर्ग शिक्षण विधि द्वारा अध्यापित प्रायोगिक समूह का मध्यमान अधिक पाया गया है अतः गणित शिक्षण में सम्प्रत्ययात्मक बोध हेतु अनुवर्ग विधि प्रभावी सिद्ध हुई है।

2. परिकल्पना 2 कक्षा आठ के गणित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में परम्परागत शिक्षण व अनुवर्ग शिक्षण के पश्चात् सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या 2 के निष्कर्षों का तालिका अनुसार अवलोकन करने के आधार पर शून्य परिकल्पना को निरस्त घोषित किया गया है। तालिका संख्या 2 के अनुसार कक्षा 8 के नियंत्रित व प्रायोगिक समूह के विद्यार्थियों के पश्च परीक्षण के मध्यमानों में सार्थक अन्तर पाया गया है। इसका कारण यह है कि नियंत्रित समूह को पश्च परीक्षण के समय परम्परागत विधि द्वारा एवं प्रायोगिक समूह को पश्च परीक्षण के समय अनुवर्ग शिक्षण विधि द्वारा अध्यापित किया गया है अतः दोनों परीक्षणों में अलग-अलग शिक्षण विधि द्वारा अध्यापन के कारण दोनों परीक्षणों के द्वारा प्राप्त अंकों में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में समानता नहीं पाई गई है। इसमें अनुवर्ग शिक्षण विधि द्वारा अध्यापित प्रायोगिक समूह का मध्यमान अधिक पाया गया है अतः गणित शिक्षण में शैक्षिक उपलब्धि हेतु अनुवर्ग शिक्षण विधि अधिक प्रभावी सिद्ध हुई है।

3. परिकल्पना 3 परम्परागत शिक्षण व अनुवर्ग शिक्षण के पश्चात् कक्षा आठ के गणित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सम्प्रत्ययात्मक बोध व शैक्षिक उपलब्धि में सहसम्बन्ध में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या 3 के निष्कर्षों का तालिका अनुसार अवलोकन करने के

आधार पर शून्य परिकल्पना को निरस्त घोषित किया गया है। तालिका संख्या 3 के अनुसार कक्षा 8 के गणित विषय के विद्यार्थियों के सम्प्रत्ययात्मक बोध व शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है परन्तु परम्परागत शिक्षण के पश्चात पाए जाने वाला सहसंबंध अनुवर्ग शिक्षण के पश्चात पाए जाने वाले सहसंबंध की तुलना में बहुत कम है जो यह सिद्ध करता है कि सम्प्रत्ययात्मक बोध व शैक्षिक उपलब्धि में सहसम्बन्ध स्थापित करने में अनुवर्ग शिक्षण अधिक प्रभावी विधि है।

शैक्षिक निहितार्थ - प्रस्तुत शोध कार्य की उपयोगिता शिक्षा विभाग, अध्यापक, अभिभावक एवं विद्यार्थियों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं -

● **अध्यापकों के लिए**- प्रस्तुत शोध कार्य के द्वारा अध्यापकों द्वारा प्रभावोत्पादक शिक्षण विधियों के अभिग्राहण द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है।

● **शिक्षा विभाग के लिए** - शिक्षा विभाग शिक्षण विधियों के अन्तर्गत नवीन शिक्षण पद्धतियों की समीक्षा कर उन्हें लागू किए जाने की व्यवस्था कर सकता है।

● **अभिभावकों एवं विद्यार्थियों के लिए** - विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत कर गणित विषय के विभिन्न संप्रत्ययों को स्पष्ट कर

उनके गणित से संबंधित ज्ञान में वृद्धि करने की व्यवस्था की जा सकती है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कपिल, एच.के. (2007) अनुसंधान की विधियाँ, आगरा, एच.पी.भागवत बुक हाउस।
2. राय, पारसनाथ, अनुसंधान परिचय, आगरा: लक्ष्मीनारायण, अग्रवाल पब्लिकेशन।
3. अस्थाना, विपिन एवं अस्थाना, श्वेता (2005) : मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर।
4. पाराशर, मंजू एवं अग्रवाल अंजना (2013), 'विज्ञान शिक्षण में खोज विधि के प्रभाव एवं ठहराव का अध्ययन' राजस्थान विश्वविद्यालय।
5. Edusearch: Journal of educational research, Researchers Organization, Bilaspur, Chhattisgarh
6. शर्मा, डॉ. आर.ए. (2016) 'शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्त्व एवं शोध प्रक्रिया', मेरठ, आर. लाल बुक डिपो।
7. गुप्ता, एस.पी. एवं गुप्ता, अलका : सांख्यिकीय विधियाँ, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन।

तालिका संख्या 1

समूह	शिक्षण विधि	परीक्षण	न्यादर्श	मध्यमान	मानक विचलन	टी अनुपात	सार्थकता स्तर	
नियंत्रित समूह	परम्परागत शिक्षण	पश्च परीक्षण	40	61.25	4.907	26.81	0.05 स्तर (1.66)	
प्रायोगिक समूह	अनुवर्ग शिक्षण	पश्च परीक्षण	40	86.35	3.313		0.01 स्तर(2.37)	
								निरस्त

स्वतंत्रता के अंश $-(df) = N_1 + N_2 - 2 = (40+40) - 2 = 78$

तालिका संख्या 2

समूह	शिक्षण विधि	परीक्षण	न्यादर्श	मध्यमान	मानक विचलन	टी अनुपात	सार्थकता स्तर	
नियंत्रित समूह	परम्परागत शिक्षण	पश्च परीक्षण	40	61.35	4.503	28.401	0.05 स्तर (1.66)	
प्रायोगिक समूह	अनुवर्ग शिक्षण	पश्च परीक्षण	40	86.75	3.367		0.01 स्तर(2.37)	
								निरस्त

स्वतंत्रता के अंश $-(df) = N_1 + N_2 - 2 = (40+40) - 2 = 78$

तालिका संख्या - 3

परम्परागत शिक्षण	न्यादर्श	मध्यमान	मानक विचलन	सहसंबंध	सार्थकता स्तर
सम्प्रत्ययात्मक बोध	40	61.25	4.907	0.5876	0.05 स्तर (0.217)
शैक्षिक उपलब्धि	40	61.35	4.503		0.01 स्तर(.283)
अनुवर्ग शिक्षण	न्यादर्श	मध्यमान	मानक विचलन	0.8275	सार्थकता स्तर
सम्प्रत्ययात्मक बोध	40	87.45	3.338		0.05 स्तर (0.217)
शैक्षिक उपलब्धि	40	87.7	3.414		0.01 स्तर(.283)

स्वतंत्रता के अंश $-(df) = N_1 + N_2 - 2 = (40+40) - 2 = 78$

Bhabani Bhattacharya's Novel So Many Hungers !, Socio-Political and Economics Situations of Bengali's Society

Dharmendra Kumar* Dr. Suman Gupta**

Abstract - This paper aims on the Indian cultural background having the themes like hunger, poverty, famine, war politics, freedom, imperialism, economic exploitation, class consciousness in the Indo- Anglian English fiction. The theme of the novel is mainly the existing pressing problems of India especially the rural India before and after the Independence. Realism is one of the most remarkable features of Bhabani Bhattacharya's fiction. His novel shows a passionate awareness of life in India, the social awakening and protest, the utter poverty of peasant, the Indian freedom struggle and its various dimensions, the tragedy of partition of the country, the social and political agony of the poor peasants and lab or class people of the Indian society, especially that of Bengal and other adjoining states. Bhattacharya believes that an artist should inevitably be concerned with truth and reality his portrayal of the life and society is never a photographic one nor a journalistic record. One can very well find the reflection of Indian culture, tradition and struggle in it.

Keywords - Hunger, Poverty, Realism, Freedom.

Introduction - Bhabani Bhattacharya is one of the most admired novelists in the history of Indian English Literature. It wouldn't be an exaggeration to call him the leading light of post- independence India English novelists. The translation of his novels in more than 20 languages including fourteen European languages amply demonstrates his recognition in the West. He received the Sahitya Academy Award in 1967 for his book *Shadow from Laddakh*. His commonplace themes, archetypal use of Indian expression and values reflect the Indianness in him. His novels a creative masterpiece in itself. Through his novels, he has not only presented the masterpieces in itself. Through his novels, he has not only presented the tribulations in the contemporary Indian society and the afflictions of a common man but has also reinforced the need to alleviate them for a perfect balance. His indomitable characters and their indefatigable spirit are evidence of the optimism and fortitude that he holds inside him. K.K. Sharma opines, "Even in the midst of ghastly and heart- reading senses of human sufferings and tortures, life asserts itself speaking amid ashes" (*Bhabani Bhattacharya: His Vision and Themes*, 1). This positive attitude is what carries Bhabani Bhattacharya's characters though even in the most testing situations.

Bhabani Bhattacharya was born on Nov 10, 1906 in Bhagalpur Bihar, in a Bengali Brahmin Family. He belonged to a well- heeled, educated family of Promotho and

Kiranabla Bhattacharya. His father had a transferable job and hence he also travelled extensively during his early years. He spent early years of his life in Puri for his schooling and he graduated in English Literature in 1927 from Patna University. Bhattacharya's great flair for writing took him to London for his further studies. Due to some reasons he couldn't continue his studies in English Literature and opted for History as a subject. He was closely associated with a famous professor and writer Harold Laski of London School of Economic whose Marxist inclination rubbed on him. This gave him a different perspective on the Indian society. "A Strong undercurrent of the early Marxist respect for the liberal humanitarianism and the effects of economic pressure on history runs through all Bhattacharya novels" (Shimer, Bhabani Bhattacharya, 2). His exposure to the Western world added a lot to his understanding of people.

Interpretation of So Many Hungers - The socio political and economic conditions become the theme of his novels. The description of World War a! and its effect on the economy of the country is also shown in the novel *So Many Hungers*. The movements for freedom, the traumatic famine of Bengal, scarcity of food, evil of hoarding, the divide between rich and the poor, caste clashes, conflict between country ideas and so many other ongoing issues tormenting the nation, captivated his attention. Through his writing Bhattacharya seems to be reinforcing the need for a better tomorrow that is free from petty selfish individual motives

*Research Scholar, D. A. V. Post Graduate College & C.S.J. M University, Kanpur (U.P.) INDIA

** Associate Professor, D. A. V. Post Graduate College & C.S.J. M University, Kanpur (U.P.) INDIA

and that thrives in the happiness of all. In his journey from a literature lover to an ardent novelist the social conditions of contemporary India provided Bhattacharya a vision and his intense study of literature provided him creative dexterity.

Bhabani Bhattacharya in the thirty years of his literary career wrote six novels and a collection of short stories. So *Many Hungers* (1947), *Music for Mohini* (1952), *He Who Rides a Tiger* (1955), *A Goddess Named Gold* (1960), *Shadow from Laddakh* (1966), *A Dream in Hawaii* (1978) and *Hawk and other stories*, complete his work.

His first novel, *So Many Hungers*, is an outcome of his heartfelt agony for the poor and the struggling famine incapacitated gentry of Bengal. The novel fairly presents both the browbeaten and the tormenter. The dual hunger, for food and freedom, chiefly forms the central theme of the novel. The agonizing portrayal of the Bengal famine often leaves the reader with a heavy heart. Along with the tear-jerking descriptions of grief-stricken lives of the subjugated ones the novel is also an account of throbbing emotions in the hearts of millions desperate for freedom from their prolonged pain. *So Many Hungers* presents a picture of individuals having varied hungers and also how one's hunger affects the other.

Bhabani Bhattacharya's *So Many Hungers*, is a poignant of the true face of society in all ages. It talks about life of an individual and a society and provides a fair understanding of both. The novel appears to be an outcome of an insightful observation of hunger, i.e. the hunger for food and hunger for freedom. The whole story revolves around the two hungers and primarily focuses on hunger, slavery and freedom. Slavery, which was not optional, hunger, which had its own ways and meanings, freedom, which everyone was looking for. The different classes in the society had different interpretations of hunger. Some were craving for a bellyful, some for political freedom, some for power and position, and some for salacity. The story talks about a society of people having common problems and pains and a few conscious individuals trying to break through the clutches of social obligations it demonstrates an individual's inner turmoil who desires to brawl the social evils and solve the economic problem in the country. It talks about an individual's resistance, social and mental, and a conscious that leads him to the right path. It is a reflection of change which is at a stone's throw yet unacknowledged. The novel begins with a fleet of hunger for food supersedes it in the story. The scene of Bengal famine is horrifying and is elaborately portrayed. The novel has succeeded in sticking a magnificent balance between the soul has stirring narration of hunger and poverty and awe inspiring depiction of perseverance through its central characters.

The Story deals with two individuals, belonging to different worlds, and a couple of important characters around them. The two characters are Rahoul Basu, a city lad, representing modern, sophisticated culture with modern values and educated surrounding and Kajoli, a peasant girl representing old values, high ethics and humble living of a

village.

Rahoul's family, representing the rich society, lives in Calcutta city. The eldest member in the house is Rahoul's mother, his wife Monju, brother Khuku are other characters. A very important member of this family is Rahoul's grandfather Devesh Basu, who lives in a village named Baruni. Kajoli's family in which she has her mother, father, brother's Kanu and Onu, also live here. Devesh Basu acts as a bridge between the two ends.

Devesh Basu is a man of high ethics and principles. He whole heartedly believes in Gandhian views and follows the path shown by Mahatma Gandhi. He has selfless motives of sustaining peace and attaining freedom. People from Baruni look up to him and call him Devata (Deity) out of immense respect. He is a fatherly figure, a role model and a true leader for the people in Baruni and he too considers them as his kinds. People love Devata as they know that he is genuine, selfless and a true philanthropist.

Rahoul's father Samarendra Basu is opposite to his father Devesh Basu in nature and needs. His priorities are clearly materialistic. His childhood has been devoid of luxury and comfort so he wants all the luxuries now. He wants to grow richer unlike his father who has given up all his luxuries and comforts to serve his country. Samarendra Basu is a realistic and sees the war as an opportunity to grow his business and mint money. Nothing else concerns him. He thought: "Gold bar or Steele shares- which shall I buy..? Steele will rise steeply so will gold-which to choose? The chance of a lifetime" (3). Rahoul loves his grandfather and relates more with him than with his father. He doesn't like his father's ideology. He think: "That mind was unshaken as ever, insensitive. Sunk in slavery, it only thought of the war as a rare chance to reap a harvest of Gold. Devata to have such a son! The bitter irony!"(4).

Conclusion - To conclude I can say that Bhattacharya's novels present multiple shades of life. He is a writer of multidimensional vision who has taken every walk of life into consideration. His characters are powerful representatives of social and economic facts of life, though sometimes the heroes are also seen with frailties and the villains do not seem absolutely villainous. Such variety of characters depth of emotions, sensitivity of portrayal, and identification of his characters with common man are some of that traits that crave a special place for Bhattacharya in the map of Indian English Fiction. Bhabani Bhattacharya's novels discuss the social economic and political issues of contemporary period. His first novel *So Many Hungers* (1947) deals with the theme of exploitation of the poor and the hunger that prevailed due to Bengal famine. It also throws light on the Quit India Movement.

References:-

1. Bhattacharya, Bhabani. *So Many Hungers*, Bombay: Jaico Publishing House. 1964. Print.
2. Asnani, M, Shyam. *The Theme of Famine and Hunger*: Bhabani Bhattacharya and Kamla Markandaya. Qtd. in *New Dimension of Indian English Novel*. Delhi:

- Doaba. 1984. Print.
3. Bhattacharya, Bhabani. *Literature and Social Reality*. Bombay: The Aryan Path. 1978. Print.
4. Abbas, K.A. *Social Realism and Change in Aspects of Indian Literature*, ed. Kohli. Suresh. New Delhi: Vikas. 1975. Print.
5. Arulamdrum, H. G. S. Bhabani Bhattacharya's Novels. Triveni. Vol. b! 1977. Print.
6. Bhatt, Indira and Alexander, Suja. *Arun Joshi's Fiction: A Critique*. New Delhi: Creative Books. 2001. Print.

Journey of Legal Aid in India

Sangeeta Choudhary (Mehta)* Dr. Pratibha Chaudhary**

Abstract - Injustice is a threat to justice. Among different Goals of the Indian constitution, to provide justice to all, is of significant importance. It is not possible for every individual to have their bread and butter on regular basis in India, therefore, we cannot expect them to have access to equality and justice easily. Legal Aid safeguards the right of every individual to have justice by providing Legal Representation and Fair Trial. Activities of Legal Aid have overcome many difficulties in getting its present status in India.

The Researcher conducted a Doctrinal Research on that Journey of Legal Aid since before Independence till today's scenario on basis of secondary data. The study is having utility to know about the development of Legal Aid in India till today. The study will also give future scope for research about how legal aid can be developed further.

Introduction - Meaning of Legal Aid – Legal Aid is to render legal service to conduct a case or legal advice on any legal matter, either at Free of Cost or at Reduced Rate. The Concept of Legal Aid in India is given Constitutional as well as the Statutory status with intention to operate a legal system which does not vary on basis of income level, wealth or resources of an individual in the country. Legal Aid has been defined under Section 2 (c) of The Legal Service Authorities Act 1987.

Justice Blackmun, in the case of Jackson v. Bishop¹ stated that the concept of seeking justice cannot be equated with the value of dollars. Justice Blackmun in this case has also stated that money plays no role in seeking justice. The denial of justice to needy or poor squashes by providing Legal Aid.

Journey of Legal Aid in India in Different Decades since Independence - India is a country where Humanism has given importance since beginning. This humanism never allowed denial of justice to anyone due to any reason. Therefore, India adopted an Effective Legal System in which Legal Aid Services created a sense of efficacy to seek recourse among the needy or poor. Legal Aid in India had a long journey before getting a Constitutional and Statutory status in India. Few phases of journey of Legal Aid in India, in different eras are as below-

(i) Legal Aid Before 1950's

In Vedic period: Vedas in India are considered to be the revelation of God himself. Vedas are the source of all knowledge for human beings. In Rig-ved, the 36th and 42nd Shlok of Chapter I and 103rd Shlok of Chapter III indicates the existence of Legal Aid in Vedic period. 36th Shlok of Chapter I states about the protection of "Praja" from "Rakshas" and 42nd Shlok of Chapter I states about "Daan"

which was kind of Aid and Assistance for the needy people. 103rd Shlok of Chapter III states about the provision for giving money to the needy by the King. Through all these, we can draw an inference that, during vedic period, there were provisions for Social Aid in the society.

Vikramaditya period: In Vikramaditya's period, the public do not have to spend anything to have justice, rather, it was duty of the officials of Village and Community panchayat to make justice reached at the doors of the poorest man or the sufferer.

Mughal period: During the reign of Shahjahan and Aurangzed, the state Vakils were directed to give advice free of charge to the poor². Chief Qazi of the province or sometimes Chief Justice, the Qazi-ul-Quzat used to appoint State lawyers named as Vakil-e-sarkar or Vakil-e-sharai³.

British Period /Pre-Independence Period: The transition of control of India from Mughals to Britishers was not by smooth means. Most of the law made by Britishers were insensitive towards the socio-economic problems of Indians. Legal Aid to Poor became a necessity in British period, as Britishers introduced an expensive system of administration of Justice in the country. After the **1857 Revolt**, Bahadur Shah Zafar was effectively denied the right to legal representation and eventually exiled⁴. In **the Code of Criminal Procedure 1898**, the accused when on trial for a Capital Offence before the Session's Court, had the opportunity to be represented by a lawyer at the expenses of the State at the discretion of the court. In **the Civil Procedure Code 1908**, there was a provision for filing suit by an indigent person under Order 33 which permits poor person to file suit without payment of required Court fees.

In **1924, Bombay Legal Aid Society** to find solution to the limited nature of Legal Aid protection outside the

*Research Scholar (Law) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) INDIA

** Professor (Law) College of Law, IPS Academy, Indore (M.P.) INDIA

legislative schemes, for legal representation of economically deprived, started providing free legal representation and paying court fees to enable access to justice to the poor. An applicant had to satisfy the means test and had to have a bonafide case for the purpose of getting legal aid. In 1945, Bombay Legal Aid Society fetch attention of Government of India, through a written letter to appoint a Committee for the purpose of Legal Aid on basis of the *Rushcliffe Committee Report in England* to improve the legal aid system. Legal Aid in pre-independence India was Court-oriented and poverty-centric.⁵

Post-independence Period: In 1949, Bombay Government setup a **Bombay Committee on Legal Aid and Advice**, under the Chairmanship of Justice N.H. Bhagwati. This committee took cognizance of the issues of poor and gave measures to provide legal aid to the citizens. It recommended administrative machinery of Legal Aid to be constituted at four level., namely First – State Level, Second – High Court level, Third – District level and Fourth – Taluk level. The Committee also suggested MEANS TEST and PRIMA FACIE TEST to determine eligibility for Legal Aid. The Committee recommended for each lawyer of Bar to handle atleast six cases per year.

(ii) Legal Aid In 1950's: In 1950, The Government of West Bengal setup **Bengal Committee** to discuss various ways to implement Legal Aid. **Since 1952,** the Central Government started emphasis on providing legal aid. The Central Government asked the states to legislate for the implementation of Legal Aid Services in different Conferences of Law Ministers and Law Commissions, which resulted into different State Legal Aid Schemes through Legal Aid Boards, Societies and Law Departments.

A Meeting of Law Ministers, culminated into the creation of **Kerala Legal Aid Rules in 1957** which extended the protection of Legal Aid to those persons who were unable to afford access to Courts.

In 1958, **Mr. M.C. Setalvad who headed 14th Law Commission of India Report** on Reform of Judicial Administration, suggested on legal aid that state owes duty to provide free legal aid to the needy / poor, this duty also binds on the members of legal fraternity and there should be access to justice for all. The Law Commission called for a graded scheme of fees for Legal services to those who were not indigent, but economically weak.⁶

(iii) Legal Aid In 1960's : In 1960, The Central Government Scheme took up three issues relating to Legal Aid:-

1. Legal Aid should be given statutory force in the Country.
2. Legal Aid should be available to both the parties-Prosecution/Plaintiff and Defence/Respondent.
3. Legal Aid is an obligation of the state to provide Legal Aid.

The Third All India Law Conference, 1962-The Third All India Law Conference, 1962, recommended that except in case of Sec 488 of Cr.P.C. and Jail Appeals, an indigent should be represented by a Lawyer at Government

expenditures and no court fees or other fees should be levied on the accused.

(iv) Legal Aid In 1970's : In 1970, **The Gujarat Committee Report** under the Chairmanship of Justice P.N. Bhagwati recognised that the traditional model of Court-centric Legal Aid was not suitable to the conditions in India. From model of "Remedial Legal Aid" it shifted its focus on "Preventive Legal Aid".

In **March 1970, National Conference on Legal Aid**, was held, which constituted The National Legal Aid Association of India. The purpose of this Association was to spread the Legal Services in India as a means to the poor masses to redeem their rights through lawful means. In **1973, Justice V.R. Krishna Aiyer – Chairman of an Expert Committee** formulated on 22nd October, 1972, stated that the Legal Aid is indispensable postulate of legal system and not a matter of charity. The Committee submitted its Report on 27th May, 1973, which was the cornerstone of Legal Aid Development in India. Expert Committee emphasized on such legal aid system in which law to reach the people and not the people to reach the law. Justice Aiyer devised "JURIDICARE" for Legal aid Scheme which brought justice to the doorstep of the needy. The committee recommended a Three Fold Test to determine eligibility to Legal Aid :

- a) Means test- for entitlement of legal aid person is poor or not?
- b) Prima facie test- prima facie case to give legal aid or not?
- c) Reasonableness test- whether the defence sought by a person is ethical and moral or not?

The Code of Criminal Procedure , 1973- Under Section 304 of Criminal Procedure Code, 1973 - Where, in a trial before the Court of Session, the accused is not represented by a pleader, and where it appears to the Court that the accused has not sufficient means to engage a pleader, the Court shall assign a pleader for his defence at the expense of the State.⁷

In **1976, the Two Member Juridicare Committee** appointed by the Central Government recommended establishment of a National level Legal Aid programme and for the first time recognised the role of Law Schools in providing Legal Aid⁸. It emphasised on preventive Legal Aid at Pre-litigation stage by negotiating and conciliating disputes outside the Court. It also sought participation of law students and voluntary organisations for this purpose.

Article 39 (A) of the 42nd Amendment to the Constitution, 1976- In 1976, Article 39 (A) of the Constitution of India was enacted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 wherein the State was under the obligation to provide Legal Aid to the weaker sections of the society. It was to ensure equal justice which has been promised to all citizens by the Preamble. It provide opportunity to have equal justice and free legal aid. No citizen by reason of economic scarcity or other disability be denied of justice in India now. The right extends to any person

who is arrested, whether under the general law or under a special statute.⁹

(v) Legal Aid In 1980's: Finally in 1980, Justice P.N. Bhagwati drafted a document to provide Legal Aid. This draft gained the position of an Act in the name of "**The Legal Aid Service Authorities Act 1987**". This act expanded Legal Aid beyond merely the poverty-based notion to the disadvantaged groups¹⁰. In this act, with the establishment of Lok Adalat and permanent Lok Adalats, there was a shift from court-centric and poverty-centric model to a broader understanding of dis-advantaged group, but the role of Clinical Legal Aid got ignored to some extent.

In 1981, **Committee for Implementing Legal Aid Schemes (CILAS)** was appointed by government of India, which was headed by Justice P.N. Bhagwati, the then Chief Justice of India. It recommended the promotion of legal literacy and awareness through Legal Aid Camps, Training of Para-Legal Persons and organisation of Legal Aid Clinics through Law students.

In 1983, Bar Council OF India Legal Aid Rules, 1983- Bar Council of India played a significant role in Legal Aid Movement by introducing Bar Council OF India Legal Aid Rules, 1983. It gave effective back up to the schemes of Central Government relating to Legal Aid in India. Under these Rules, a Legal Aid Committee was constituted, which was Chaired by the Chairman of the Bar Council of India. The main function of this Committee was to- make policies for implementation of Legal Aid, arrange for Legal Aid Workshops, prepare Legal Aid Literature, provide Legal Aid to needy, etc. It also created a "Bar Council of India Legal Aid Fund" for the purpose of providing legal services.

The Legal Service Authorities Act, 1987- finally in 1987, to give a uniform pattern to Legal Aid in India, **Legal Service Authorities Act, 1987** was enacted. The Act give assistance to those who are not having their access to justice and are not in position to afford legal representation. Equality before law, right to legal representation, right to counsel and right to fair trial got ensured through this Act, in India. Under this Act, different Legal Services are provided to Disadvantageous or needy person in the Society by providing easy access to justice. As per **Section 2(1)(c) 'legal service' includes the rendering of any service in the conduct of any case or other legal proceeding before any court or other authority or tribunal and the giving of advice on any legal matter.**

Legal Services Authorities provide counsel to the Beneficiary at State expense after examining the eligibility criteria of an applicant and the existence of a prima facie case in his favour. Legal Services Authorities pay the required Court Fee and bear all incidental expenses in connection with the case of the Beneficiary.

Limitation as to the income does not apply in the case of persons belonging to the scheduled castes, scheduled tribes, women, children and handicapped.

(vi) In 1990's: To provide benefits to Legal Aid Beneficiaries and to keep control on the Legal Aid Counsels, various

Amendments were brought in the Legal Aid Instrument in this period. Although the Act was passed in 1987, the provisions of the Act, except Chapter III, were enforced with **effect from 9.11.1995 by the Central Government Notification S.O.893 (E) dated 9th November 1995.** Chapter III, under the heading State Legal Services Authorities was enforced in different States under different Notifications in the years **1995-1998.**

(vii) Legal Aid In 20th Century and onwards - In 20th Century onwards, the role of Clinical Legal Aid through Law Schools, NGO's etc., developed as a new concept to Legal Aid in India. Law Schools started focusing on apprenticeships of Law Students for practical experience and exposure towards Legal Aid, along with teaching of theory subjects. Women Panel Lawyers and Para-Legal Volunteers (PLVs) also started taking part in providing Legal Aid Services to the Needy for Legal Assistance. Around one-third of PLVs appointed are women in India in the year 2017-18.

During the period of year 2010-2020, activities of Legal Service Institutions (LSIs) has increased a lot. Conducting Lok-Adalat, Preventive and Strategic Legal Aid Programmes, conducting programmes for rights of Prisoner in Jail, explaining Importance of Mediation to litigants, Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms, etc. also came into the circumference of Legal Aid Services.¹¹

Conclusion - Conclusively, we find a paradigm shift in the concept of legal aid. Earlier it was a duty of the accused to ask for a lawyer to seek free legal aid to protect his fundamental right. Still there is a wide gap between the goals set and met. The major obstacle to the legal aid movement in India is the lack of legal awareness. People are still not aware of their basic rights in the country. It is the absence of legal awareness which leads to exploitation and deprivation of rights and benefits of the poor.

Thus, it is the need of the hour that the poor illiterate/ needy people should be imparted with legal services / knowledge. It is also so because if the poor persons fail to enforce their rights etc. because of poverty, etc. they may lose faith in the administration of justice and instead of knocking the door of law and Courts to seek justice, they may try to settle their disputes on the streets or to protect their rights through muscle power and in such condition, there will be anarchy and complete dearth of the rule of law. Thus, legal aid to the poor and weak person is necessary for the preservation of rule of law which is necessary for the existence of the orderly society. Until and unless poor illiterate man is not legally assisted, he is denied equality in the opportunity to seek justice.

References :-

1. Austin, Granville, *Working a Democratic Constitution*, Oxford India Paperbacks, New Delhi, 1999., p.141.
2. Murlidhar, S., *Law Poverty and Legal Aid*, Lexis Nexis, Butterworth, New Delhi, 2004., p.65.
3. Noorani, A.G, *Political Trials in India*, Oxford Univer-

- city Press, New Delhi, 2005.
4. Report of Expert Committee on Legal Aid, *Processual Justice To The People May* (1973) 43
 5. 404 F 2d 571 (8th Cir 1968)
 6. State of M.P v. Shobharam AIR 1966 SC 1910
 7. Sec.304, The Code of Criminal Procedure, 1973
 8. ss. 12, 13 Legal Services Authorities Act, 1987.
 9. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/12650/9/09_chapter%205.pdf
 10. <https://www.legallyindia.com/images/stories/docs/The%20Evolution%20of%20Legal%20Aid%20in%20India-Nishant%20Gokhale.doc>
 11. <https://www.tatatrusters.org/upload/pdf/overall-report-single.pdf>

Higher Education : A Challenge for Disabled Students of Uttrakhand

Sagheer Ahmad *

Introduction - As the world's largest democracy, India has a myriad challenges in order to ensure access to education for all for over 200 million children aged 6 to 13. It is undisputable that extraordinary progress has been made to improve access of all children to learning systems: in 2002–03 the number of out of school students stood at 32 million, in 2010–11 it was estimated at 2.7 million. A 2014 report from the Annual Status of Education Report (ASER) states that 96.7% of children between ages 6 and 14 living in rural settings are enrolled in schools. In terms of making learning a reality for the most vulnerable sections of society such as girls or scheduled castes and scheduled tribes - scheduled tribes and scheduled castes are official designation used in the Constitution of India for various disadvantaged indigenous people; in the 2011 census both groups represent respectively 16.6% and 8.6% of the population, the progress has been less evident. Experts and commentators agree today that one of the paramount hurdles to cross is the quality of education that children are receiving in schools. In rural schools in 2014, half the children in the 5th standard could not read at the 2nd standard level. According to the 2011 National Census, 1.05% of school going children have a disability (2.13 million); of these 28% (588,000) are not accessing school. More specifically, 44% of children with disabilities not accessing school have multiple and complex forms of activity limitations and functioning difficulties. The census directly asked about disability status (yes/no). Studies show that direct question about a person's disability status systematically underestimate prevalence of disability. In Delhi more specifically, 32.2% of all disabled children and youth age 5–19 years old– 32.6% of boys and 31.6% of girls- never attended any educational institution. These rates are lower for visual impairment (respectively 16.7% for all, 15.0% for boys and 19.1% for girls), hearing impairment (17.0% for all, 17.3% for boys and 16.6% for girls), mobility limitations (25.4% for all, 25.1% for boys, 25.8% for girls), similar for speech impairment (30.5% for all, 30.9% for boys and 29.9% for girls) and higher for intellectual impairment (51.2% for all, 50.2% for boys and 52.7% for girls) and mental illness 56.2% for all, 56.1% for boys and 56.3% for girls.

International frameworks and conventions on education in Uttarakhand - At the international level, education has been stated as a human right. Evidence suggests that it is a powerful means of reducing inequalities, fighting discrimination, promoting social justice and breaking the poverty cycle. The 2010 Global Monitoring Report focused on marginalization and 'educational poverty' and its links to well-being and human development.

Within the MDGs that ended in 2015, education has been defined narrowly in Goal 2 as access to Universal Primary Education (UPE). This approach entailed inclusion of all children but failed to emphasize important values for education such as freedom, equality, tolerance and solidarity among others . This approach also ignored ideas of ownership and empowerment as the MDGs in general, and MDG2 more specifically, were determined in the absence of wide and popular debate .

National educational framework in India in context of Uttarakhand - Education in India is managed by the Ministry of Human Resources and Development and does not have a separate political entity. In 1986, the National Policy on Education established compulsory education for all children between the ages of 6 and 14. The Education For All movement *Sarva Shiksha Abhyan* (SSA) grew to be a national programme following the EFA conference in Dakar in 2000. Although evidence shows that progress was made towards access for vulnerable groups (scheduled castes, scheduled tribes, girls, children with disabilities, etc.) , the achievements in terms of quality of learning have been more difficult to grasp, even for the very basic skills of literacy and numeracy. The 2005 Action Plan for Inclusive Education of Children and Youth with Disabilities brought into focus the specific actions required for making education a successful learning experience for this group. In 2009, the Right of Children to free and compulsory education Act (RTE) was passed to ensure compulsory education between the ages of 6 and 14. India signed and ratified the UNCRC in 2006.

Debates around "inclusion" in general and "inclusive education" in particular have been on-going and unable to grasp and address the complexity of needs of vulnerable groups. Some commentators argue it is a "Western" context

concept that still needs to be translated into the various Indian contexts. It is still closely related to disability and several factors make it challenging to identify what inclusive education should entail in the Indian context.

Method - The study was approved by University College Uttarkhand Research Ethics Committee, UK and Dr. Sushila Tiwari Govt. Hospital Haldwani Ethics Committee, India. Written consent was obtained from adult participants and from caregivers/guardians for minor participants.

Setting and participants - Between November, 2, 2014 and June 20th 2016, we collected information from 1294 households about the disability status of all the family members. We asked about activity limitations and functioning difficulties associated with a health problem among a total of 6779 family members using a validated screening instrument, family structure, as well as questions about access and barriers to education. These interviews were part of a large-scale case control study in Uttarakhand looking at poverty and stigma of persons with mental illness. For the present study we analysed access to education for a sub sample of 2599 individuals between the age of six and 25.

Survey procedure - Respondents were asked about conditions of access, healthcare, employment, income, livelihood conditions, and social participation of each member or of the household as a whole. Instruments were translated in Hindi with iterative back-translation methods and tested with a pilot survey carried out in October 2014. Investigators trained two experienced supervisors as well as 10 master level students during two weeks. Interviewers were trained on survey concepts and goals (one day), mental illness issues and awareness (one day), interview techniques (eight days including item by item explanation of instruments) followed by review, test and debriefing. Role-play and field practice interviews were organised.

Statistical analysis - Demographic characteristics for participants were provided using descriptive statistics. Logistics regression was used to determine which demographic predictors influenced access at different levels of education. Scatterplots and histograms were visually checked to ensure normal distribution. To identify the best predictors, the default, force entry method was used for logistic regression. Collinearity diagnostics and residual analysis were used to determine the final model did not violate the assumptions of linearity, independence of errors and multicollinearity. There were three, main outcomes for the regression models: access to primary school using sample with ages ranging from 6–20, access to middle school using a sample with ages 12–25 and access to high

school using a sample with ages 16–25. Access to primary school was defined by accessing primary school. Access to middle and high school was indicated by report of educational level. Educational levels ranged from primary school to college.

Results - There were 2,599 individuals who were included and had complete data available for analyses. The sample constituted of fairly young, educated persons along with an even distribution among the asset index quintiles. There was a greater proportion of Hindus, male head of household, educated head of household and nondisabled persons. When compared to the 2011 National India Census data for Delhi among ages 5–19, our sample was older (16.88 vs. 11.63), had similar gender distribution (females: 46.9% vs. 45.3%), had smaller portion of those literate below primary (17.2% vs. 29.5%) and had similar religious distribution (Hindu: 86.3% vs. 81.6%). The rates of disability were very different; there was overall more total disability (17.6% vs. 1.1%), across each type, including multiple disabilities (22.3% vs. 14.3%) in our sample compared to the census data.

References :-

1. Annual Report, 2006-07, Ministry of Human Resource Development, Government of India. Available at www.education.nic.in/AR/AR0607-en.pdf
2. Annual Report 2009-10, Ministry of Social Justice and Empowerment, GoI
3. Antonak, R. F., and Livneh, H. (2000). Measurement of attitudes towards persons with disabilities. *Disability and Rehabilitation*, Vol. 22 (5), pp: 211-224.
4. Arndt, K. (2010). College Students who are Deafblind: Perceptions of Adjustment and Academic Supports. *St. John Fisher College, Rochester, NY, Winter, Volume 3, Number 1, 2010.*
6. Avramidis, E., Bayliss, P. & Burden, R. (2000). A survey into mainstream teachers' attitudes towards the inclusion of children with special education needs in the ordinary school in one local education authority. *Educational Psychology*, 20, 191-211.
7. Ayalon, O. (1993). Posttraumatic stress recovery of terrorist survivors. In J. P. Wilson and B. Raphael (Eds), *International Handbook of traumatic stress syndromes* (pp. 855-866). New York: Plenum Press.
8. Baggett, D. (1994). A study of faculty awareness of students with disabilities, Washington, DC: EDRS.
9. Barnard (2010). Accommodation Strategies of College Students with Disabilities. *The Qualitative Report*, Vol. 15, (2), PP: 411-429, 2010

कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

डॉ. प्रमीला बघेल* डॉ. मोहन निमोले**

प्रस्तावना - कोविड-19 की पहली लहर ने शुरुआती महीनों में अर्थव्यवस्था के संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों पर बुरा असर डाला था। लेकिन, बाद के महीनों में संगठित क्षेत्र ने खुद को बड़ी तेजी से बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया। वहीं असंगठित क्षेत्र जो लड़खड़ाते हुए पुराने दौर की ओर वापसी की कोशिश कर रहा था। उसे इस सेकेंड वेव ने नए जखम दे दिए हैं। कोविड के खास असर ने अर्थव्यवस्था के संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच एक बड़ा फर्क पैदा कर दिया है। ये बात उन आंकड़ों से भी जाहिर होती है, जो इन क्षेत्रों की स्थिति का इशारा करते हैं।

कोरोना वायरस की दूसरी लहर से स्वास्थ्य क्षेत्र को लगे झटके का असर अब देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा है, और इससे V के आकार में जो सुधार होता दिख रहा था, उस पर भी बुरा असर पड़ता दिख रहा है। महामारी की पहली लहर का सामना करने के बाद, वित्तीय वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही से अर्थव्यवस्था आखरिकार मुश्किल से उबरने के संकेत देने लगी थी। लेकिन, अब कोरोना की दूसरी लहर ने देश पर जबरदस्त प्रहार किया है। सेकेंड वेव के चलते देश के आधे से ज्यादा राज्यों को दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा। इस वजह से अर्थव्यवस्था को सुस्ती से उबरने की प्रक्रिया को तगड़ा झटका लगा है, और जो सुधार आता दिख रहा था, वह भी ठहर जाएगी इस परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि हम भारत के आर्थिक संकेतों का विश्लेषण करें, जिससे हम यह अंदाजा लगा सकें कि आगे का सफर कैसा रहने वाला है।

औद्योगिक विकास के सूचकांक के मुताबिक देश के औद्योगिक क्षेत्र में मार्च 2021 में 22.35 प्रतिशत की दर से विकास किया। ये आंकड़ा बहुत अधिक है, अगर हम ये देखें कि इसके लिए बनाया गया आधार बहुत कम है। इसीलिए जब इस सूचकांक की तुलना महामारी से पहले के दौर में औद्योगिक विकास के आंकड़ों से की गई तो पता चला कि मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2021 में औद्योगिक विकास में असल में 0.5 प्रतिशत की कमी आई है। अर्थव्यवस्था में गिरावट के ये जोखिम अब केवल आंशिक या सीमित समय के लिए कहकर खारिज नहीं किए जा सकते। इन गिरावटों का हमारी अर्थव्यवस्था के सुस्ती से उबरने की कोशिश पर भी गहरा असर पड़ने की आशंका है। आप देखिए कि वित्त वर्ष 2020 के अंत में हमारी अर्थव्यवस्था (GDP की समान कीमतों पर) 145 खरब डॉलर की थी। इसके अलावा ये अनुमान लगाया जा रहा था कि महामारी की पहली लहर के चलते अर्थव्यवस्था में 8 फीसद की कमी होगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद भले ही कृषि क्षेत्रों लेकिन वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के पीछे मिडिल क्लास और लोअर

मिडिल क्लास का सबसे बड़ा हाथ है। यही कारण है कि भारत को एक मध्यम आई ग्रुप के अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कोविड-19 के जारी वैश्विक संकट के बीच भारतीय परिदृश्य में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक चर्चा दो पहलुओं पर हो रही है -

1. भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर आबादी यानी किसान, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, दैनिक मजदूरी के लिए शहरों में पलायन करने वाले मजदूर और शहरों में सड़कों के किनारे छोटा-मोटा व्यापार करके आजीविका चलाने वाले लोग है।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने वाले यानी कि वह क्षेत्र जो इस देश में पूंजी और गैर पूंजी वस्तुओं का उत्पादन करता है सामान्य भाषा में कहें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या बिजनेस सेक्टर दुनिया भर की सरकारें इन दोनों ही पहलुओं पर काम कर रही हैं। सरकार ने अपने देश में स्थिति से निपटने के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है और उसी क्रम में भारत सरकार ने भी गरीबों की मदद के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान किया है।

सरकार ने पहले चरण में जो राहत पैकेज जारी किया वह पूरी तरीके से कमजोर और असंगठित क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए है। कोरोना वायरस की वजह से आए आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है। भारत में अभी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए किसी बड़े पैकेज का ऐलान नहीं किया है ऐसी उम्मीद है कि जल्दी ही निकट भविष्य में भी किसी बड़े पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। मांग के साथ सदैव आपूर्ति आधारित संकट देखने जा रहे हैं। उत्पादन क्षेत्र को सुचारु रूप से दोबारा चालू करने के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत पड़ेगी। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी हो रहे चौराहे पे किस के बीच में दो प्रमुख बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

1. मध्यम वर्गीय परिवार

2. आने वाली आर्थिक संकट की बुनियाद

1. मध्यम वर्गीय परिवार : मिडिल क्लास को चर्चा का केंद्र बिंदु बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अर्थव्यवस्था में जारी हर संकट के बीच मध्यमवर्ग परिवार सबसे अधिक कमजोर होता है। सरकारों द्वारा जारी होने वाले राहत पैकेज में यह क्लास शामिल नहीं हो पाता है। आर्थिक संकट की घड़ी में अक्सर मध्यम वर्गीय परिवार कमजोर होता है। और उसका एक हिस्सा अर्थव्यवस्था में गरीब आबादी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वर्तमान में कोविड-19 का संकट भी कुछ ऐसा संकेत दे रहा है।

यह संभव है कि अधिकतर छोटी सैलरी पर काम करने वाले मिडिल

* सहा. प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** सहा. प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

क्लास इस संकट में अधिक कमजोर हो और वह लोअर मिडिल क्लास या उससे भी नीचे श्रेणी की तरफ शिफ्ट हो जाए। आईएमएफ ने भी अपनी रिपोर्ट में इसी तथ्य का जिक्र किया है कि भारत का मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद मिडिल क्लास की आर्थिक परिस्थितियों को प्रमुखता से ध्यान दिया जाए।

2. आने वाली आर्थिक संकट की बुनियाद : अब दूसरा प्रमुख रूप से आर्थिक संकट की बुनियाद को सुनने का हैं। प्रश्न यह है कि कोविड- 19 की वजह से जारी आर्थिक संकट की बुनियाद और उसके निवारण का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? क्या Covid- 19 को ही भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती का कारण मानकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की तैयारी करना चाहिए फिर पिछले 2 साल से आर्थिक स्थिति बुनियाद के रूप में लेते हुए किसी नए प्लान पर विचार करना चाहिए?

अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से तो यही सही होगा कि जारी आर्थिक संकट से निपटने के लिए उसकी बुनियाद को ईमानदारी से चुना जाएस

वर्तमान जारी आर्थिक संकट से पहले ही भारत में एक बड़ी मांग आधारित आर्थिक सुस्ती आ चुकी थी और अब यह मांग के साथ-साथ आपूर्ति आधारित सुस्ती का रूप धारण कर चुकी है। वर्तमान की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक बारी संकट की तरफ बढ़ रही है विभिन्न प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के संदर्भ में जो आकलन जारी किए हैं वह चिंताजनक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो हमें जान और जहां दोनों बचाना हैं। लेकिन साथ अपने लोगों की जीविका कोई बचाने के लिए आर्थिक मोर्चे पर कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। जारी कोरोना हेल्थ इमरजेंसी के बाद एक बड़ी इकोनामिक इमरजेंसी आने वाली है, जो इस संकट से ज्यादा भयावह और कहीं अधिक आर्थिक जाने ले सकती है

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिषशटेड
2. हिंदी संस्करण ई-पेपर
3. भारतीय अर्थव्यवस्था: रमेश सिंह,

The Insurance Industry in India: SWOT Analysis of the Players

Dr. Mohammad Sajid* Jyoti Pachori**

Abstract - The paper probes in to the Indian Economy and observes the characteristics of Insurance Industry in India based on Strength of Insurance Industry in India and Weakness of Insurance Industry in India. Further making literature survey, it is essential to re-look into the Private and Public Players in insurance industry in India as insurance companies are mushrooming after liberalization. Further, increase in the foreign direct investment from 26% to 49% shows that insurance business will grow in India but facing tough competition from rest of the world and specifically the Asian countries. Hence, there is a chance that there may be some difference observed in between the private and public insurance firms. Thus, in this study, an attempt has been made to make the comparison of Private and Public firms in Insurance industry in India will be done based on Insurance Education, Mergers and Acquisitions, Percentage of Foreign investments in Insurance sector, Premium, Performance Evaluation. The performance will be evaluated using the Key Performance Indicators (KPIs) in the Insurance Industry such as operating expenses, commission expenses, retention ratio, new policies issued, registered insurers, premium underwritten, distribution of offices of life insurers, market share, incurred claims ratio, investment income and leverage. An attempt is made to clarify the results and generalize them to insurance industry performance. The study will be carried on making content analysis from the data collected from various secondary sources such as annual reports of insurance companies, The hypothesis of the study is that there is no difference in the growth and performance between the public and private firm in insurance industry.

Keywords- Insurance, Private companies, public companies.

Introduction - The financial service industry has made significant changes after liberalization and globalization. Among all, insurance sector is also one of the important sectors in India. The Private and Public Players in insurance industry in India as insurance companies are mushrooming after liberalization. Further, increase in the foreign direct investment from 26% to 49% shows that insurance business will grow in India but facing tough competition from rest of the world and specifically the Asian countries. Hence, there is a chance that there may be some difference observed in between the private and public insurance firms. With the entry of private players, the competition is becoming intense. In order to satisfy the customers, there is competition between the public and private companies to implement new creations and innovative product characteristics to attract customers. Hence it is intended, through this study, to make a comparative analysis between private and public companies to understand the differences that lies in terms of demand conditions, competition, product innovations, delivery and distribution systems, use of technology, wide range of products, innovative bundling of insurance with other financial services, aggressive marketing, and better customer care. And regulation. Apart from it, in-depth

analysis of the performance of insurance business in India is done with reference to various performance parameters.

Review of Literature

Indian insurance industry has come a long way since the days of private dominance and Government monopoly in more than a century. The establishment of Insurance Regulatory and Development Authority in 1999 and subsequent entry of foreign and private players has changed the entire insurance landscape of the country. Professionalism and the technologies brought in by the foreign players have forced the hitherto sluggish and complacent players to devise their strategies from company-business-oriented to customer- satisfaction-oriented (Hole and Misal, 2013) and that are progressive in nature. But unfortunately, most of the strategies are far more of survival than growth oriented. Though, company's say that utmost care is being taken to maximize customer satisfaction yet the ground reality is something very different. Customer centric products and strategies are required because insurance provides social security to both the employees and non-employees (Davar and Singh, 2014). This also increases the competition among them and helps develop emotional intelligence. Various studies (Lagrange & Roodt,

* Associate Professor, Technocrats Institute of Technology-MBA, Bhopal (M.P.) INDIA

** Assistant Professor, Technocrats Institute of Technology - MBA, Bhopal (M.P.) INDIA

2001; Slaski & Cartwright, 2002; Sitarenios, 1998; Rapisarda, 2002 and Donaldo-Feidler & Bond, 2004) conducted abroad and studies in India (Jain & Sinha, 2005; Sinha & Jain, 2004; Srinivas and Anand, 2012; and Kumar, Mishra & Varshney, 2012) amply suggest that insurance coverage, besides providing social security, brings in job satisfaction and results in improved emotional intelligence which in turn improves the organizational effectiveness and organizational commitment. Many studies also have found out that employee insurance have a positive impact on the job performance (Jayan, 2006; Bechara, Tranel & Damasio, 2000 and O'Boyle Jr. et al., 2010) of the employees as performance of employee is crucial to the survival and growth of insurance industry in India.

Risk is certain in any country and society. But the efforts and initiatives undertaken to mitigate the risk vary. After many failed or below par attempts, it was realized that risk can never be mitigated but its impact can only be minimized by taking various steps. One such step is insurance. Of late, insurance is considered as the backbone of a country's risk management system as it offers a variety of products to individuals, households and businesses to protect them from risk and ensure financial security (Krishnamurthy et al, 2005). Insurance also is now accepted as an important financial intermediary not only within the country but also across the countries and as a source of long-term capital which can be used for building social and physical infrastructure and also executing long-term projects. Rise in the nos. of incomplete projects owing to various reasons has given rise to the demand for insurance. So, is the case with international trade which is beset with risk emanating from sea, air and human-led actions. But the major challenge is to service the growing domestic demand for risk management and at the same time the unwillingness of people to take insurance as a risk management tool.

Realizing the potential of insurance sector in mobilizing the savings for the productive use and its ability to provide job security and social safety, Government has taken various steps to improve its quality, reach and popularity. As a result, the sector was opened to both the private and the foreign players. It is seen that the process of liberalization, privatization and globalization has brought in a sea change in Indian economy in general and the insurance sector in particular. The private players have been penetrating their business more and more into the rural and untapped areas with a greater number of policies, higher amount of premium and changes in the commission expenses and operating expenses (Chand, 2014). With the growing competition emanating from domestic and international players, there is healthy competition and a different level of job satisfaction among the employees. But, to compete and grow, both the employees of private and public sector companies need to work in proper harmony and co-existence manner. Increased competition has, though brought in satisfaction, it has also necessitated innovative marketing strategies and customer satisfaction

practices, which are again dependent upon the increased employees job satisfaction and this will be possible through the social security i.e., insurance (Kaur, 2012).

Besides other sectors, the Insurance sector also plays a vital role in the economic development of our nation by providing various useful services like mobilizing savings, intermediating in finance, promoting investment, stabilizing financial markets and managing both the social and financial risk. Despite its added advantages, India still lags behind other nations and considered as an under-insured country in the world. It has come a long way and made much strides since 2009, when it had the 18th position among Life Insurance markets and 28th in Non-Life Insurance markets. But, considering its ever-growing population and demographic dividend, it has huge unexplored potential yet to be explored and harnessed. Even the establishment of IRDA and opening of markets have not helped in the growth of insurance penetration, except for the period during 2001 to 2009 when it rose from 2.71 per cent to 5.20 per cent. Since then, it declined to 3.96 per cent in 2012, which is much below the global average of 6.5 per cent of GDP. Density of insurance which rose from 11.50 in 2001 to 64.40 in 2010 also declined to 53.20 in 2012-13 and continues to decline even today. This is due to the fall in the premium collections and the regulator tightening of the rules and decline in the household financial savings (Ganesh, 2014). Liberalization followed the de-tariffing of the non-life insurance products in 2007 which provided impetus and level playing field to the sector bringing in flexibility, profitability and competitiveness among the players (Sharma and Sikidar, 2014). Even after opening up the market and de-tariffing, the insurance companies in India are facing various problems such as paying of outstanding claims which are primarily based on their strong national franchise, presence, sound financial position, comfortable solvency position, diversified investment portfolios and strength of reinsurance ties. Along with this, changes necessitated among the domestic insurance industry due to the intensified competition and sharp decline in interest rates continues to be the major cause of concern. Besides, emerging dynamic environment has exerted pressure on their profitability, costs of operations, claim management and their service standards. Moreover, systemic inefficiencies and the inadequacy of the tariff structure in certain lines of business have also diluted their strength. Other than the life insurance and its claim, there are also other issues like under insurance, technological advancement, data management, underwriting, fund management, actuarial efficiency, special health insurers and the end-to-end service delivery process, etc. These must be addressed at the earliest to realize the full potential of the insurance.

There is growing difference between the developed countries and between the developed and under developed countries as to insurance is better served when publicly provided or based on private contracts, and also in terms

of its total expenditures. Public insurance is more preferred by Scandinavian countries than the Anglo-Saxon countries (Bertola and Koeniger, 2008). Similar condition is seen in India too. Except for the private players showing promise as compared to the Government players in case of non-life insurance, studies in India show that the Life Insurance Corporation (LIC) continues to hold dominant position in rural areas, to an extent, in the middle class and the lower middle-class segments as compared to the private players who have dominance in the metros and major urban centres. But the issues grappling the insurance industry is the selling than purchase of policies. Indian agents are being imparted international standard training with state-of-the-art facilities but the problem continues to persist. Even the efforts of the IRDA, to have customer centric services and products, have yielded no desired result due to the lack of change in the priorities and attitude of the insurers and its agents. There are many instances of miss-selling in both the rural and urban areas too. To curb this menace, IRDA and the Government have approached the banks to promote banc-assurance, which are fast emerging as the one-stop-shop providing all kinds of products and services under one roof. Though, this is not new but its extent and reach is subdued and confined to few selected areas. Therefore, there is the need to promote banc-assurance in a big way to realize the true potential of insurance that benefits both the public, insurance companies and the Government.

The literature survey is made to get an insight of the relevance and scope of the insurance business. It also probes into how characteristics of private and public sectors influence insurance sector. The review of past studies is also made to find out and summaries the comparison criteria relevant for insurance industry between private and public companies. Relevant performance evaluation parameters are identified in insurance context are discussed next. Finally, some research issues and gaps which need attention are highlighted. The present work tries to address some of these. Table 1 shows the review of literature to show the overview of relevant past works based on private and public insurance sector in different countries:

Statement of the Problem - Insurance industry in India has come a long way from the days of its inception. The factors that has influenced the trend of insurance companies are i) A social security and pension system ii) Catastrophes/risks iii) Changes in customs and social practices iv) Disposable income v) Healthcare systems vi) Household financial savings vii) Interest rates viii) Rapid aging of populations ix) Rate of growth of population x) Stronger economic growth /GDP growth xi) The levels of domestic savings (Gross Domestic Savings).

Insurance industry in India has witnessed the private dominance shifting to Government control and finally the co-existence of both the private and public players. Ever since, insurance sector was opened up to the private and foreign players, there is a sea change in its approach,

products availability, agents training and the quantum of revenue generated for the industries and also for the economy. It has established itself as the main intermediary of economic system, risk management tool and also the major social safety net with systemic solutions. But, despite its inherent advantages and growing market potential, its share in the GDP and world insurance market has been negligible. Issues like under market penetration, inaccessible rural areas, over concentration in urban areas, inadequate insurance cover, lack of clarity in claim settlement policies, etc. still beset the sector. Further, miss-selling of products, lack of customer's knowledge about the product, agent's commission and regulatory hurdles are still a cause of concern, which has kept the majority of people away from the insurance. Contrary to popular belief that the private and foreign players have brought in new technology, professionalism and augmented the sector, it is believed that the entry of these players has only increased the distrust among the general public and the gap has become more glaring after the global financial crisis of 2008-09.

Various studies show that no significant change has occurred as far as mobilizing the national savings by the insurance sector is concerned. According to RBI data, there is upward trend in the business but no structural change in the trend of the savings in life insurance by the households to GDP ratio. This can be interpreted that the inflow of foreign capital has not been accompanied by any technological innovation in the insurance business, which would have created greater dynamism in savings mobilization.

Further, far from expanding the market for the insurance sector in rural and semi-urban areas, private companies is more concentrated in urban areas where good market network, created by public sector companies, and already existed. This is corroborated by the public sector company's agent's ratio of 100:76 in urban and rural India as compared to the private insurance company's ratio of 100:1.4 respectively (IRDA Annual Report, 2002-03 and 2013- 14). So, the liberalization has not contributed to the expansion of the insurance base of the economy. So far as the innovative products and the induction of new technology is concerned, private players have offered nothing as the mortality rates and other principles of insurance are based on the Indian conditions for Indian policyholders and, in most cases, renamed LIC products are sold by the private insurance companies as their own products. What they have really succeeded in selling is the ULIPs that have not really resulted in improving the social and physical infrastructure of the country.

Research Methodology - The objective of the paper is to make the comparison of Private and Public firms in the Insurance industry in India. For this, the set of comparison criteria are Competition, Insurance Education, Insurance Industry concentration, Mergers and Acquisitions, Number and Type of Insurers, Percentage of Foreign investments

in Insurance sector, Premium, Profitability of insurance firms, Role of Government in Insurance sector, Segmentation, Types of insurance Sold, Performance Evaluation. The performance is evaluated using the Key Performance Indicators (KPIs) in the Insurance Industry such as Net income ratio, Policy sales growth, Percentage of sales growth, Quotas-to-production, claims ratio and Time-to-Settle, Cost ratios, Loss frequency, Loss ratio, Customer Service and Satisfaction, Return on Investment Ratios, Leverage, Interest Rate Risk, sales and other financial ratios. The period of study is taken as 2000-01-2014-15. An attempt is made to clarify the results and generalize them to insurance industry performance. The study is carried on making content analysis from the data collected from various secondary sources such as annual reports of insurance companies, annual reports of IRDA, IRDA journal, insurance journal. The statistical tools used in the study will be descriptive statistics, percentage, growth trends. Data Analysis is done using MS Excel. The hypothesis of the study is that there is no difference in the growth and performance between the public and private firm in insurance industry. The study is explorative, descriptive and empirical in nature.

SWOT Analysis of Insurance Industry in India

Strengths :

1. Growing economy with strong market dynamics
2. Vast population as prospective consumers
3. Democratic government with regulatory framework familiar to Western corporations
4. Less risk of slowdown of economy compared to other emerging markets.

Weakness :

1. Less supportive political and bureaucratic regulatory environment
2. Dominance of state-owned insurers in market
3. Low non-life penetration rate and low life density compared to world

Opportunities :

1. One billion populations can bring enormous opportunities as it has long-term potential as it will increase insurance users.
2. Rising 'middle class', and an elite group of extremely wealthy Indians are also seeming as business opportunities.
3. Several economic forces may change the mind of government to handover the ownership of major dominant insurers. Increase in FDI limit to 49%

Threats :

1. The political environment is not conducive to constructive change or sound economic management.
2. The dominance of entrenched players makes it possible that the industry will stagnate.
3. The legal framework, bureaucracy and financial infrastructure worsen the insurance business environment.

Source: <http://mbaprojectreportindia.blogspot.in/2013/05/>

[swot-analysis-of-insurance-industry-in.html](#)

Insurance companies are experts at managing risks by goal towards growth. However, they do that cautiously to avoid the hidden dangers. Joint ventures are often considered better gateway to enter new markets, gain experience expand distribution, or share risks and investment requirements. Especially in markets where foreign ownership is restricted such as India or China, JVs are often the main or only market entry model. So, Most of Indian insurance firms are in involved in joint ventures, stake sell with exit intensions. Table VIII shows the list of M&A deals done in Insurance sector in India. The reasons for many players to exit from Insurance are many which are discussed below:

Concluding Remarks - Opening of the market and insurance sector for the private and foreign players has definitely brought in noticeable changes in the insurance industries in India. It has challenged the hegemony of LIC in life insurance and the GIC and its subsidiaries in the non-life insurance sector. Market share of these two Government behemoths have also dropped but not as expected. The global financial crisis has reverted the trend and the market share of these companies almost remains unchallenged, even today. Private players are doing their bit in terms of bringing in professionalism, technology, range of products and the operational efficiency yet it has not reached anywhere near the global standard. Unlike the developed and other emerging economies, there is dominance of life than non-life insurance in India which needs to be reversed to make it on par with other Asian peers, let alone the Western counterparts. Moreover, the professionalism and customer centric approach of the private players is yet to bring in substantial revenue and break the hegemony of LIC and GIC. People still trust the Government companies over private players in India. This is due to the after-sale service and too much of profit-oriented approach of the existing private players. Therefore, they must also focus on their role and commitment towards the society to have their own space and make the co-existence a reality. They must win back the confidence of the public and their business has to be for the public welfare and no other way round. They must also bring in attitudinal change and manner in which they operate their business.

Overall analysis data and review of past literature shows that though we have progressed yet there is dominance of LIC in life insurance and the private players in the non- life segment. Though having growth and business potential, we are yet to have the specialists in health insurance. Need of the hour is to have systemic solutions that will strengthen the market and benefit the society than having firefighting approaches that are half baked and lack spirit. Problem of under and inadequate insurance needs to be addressed in a war footing manner to derive the full potential of the insurance which can provide social safety net to the people in particular and liquidity to the nation in general. The future growth of life insurance

depends upon the products that provide pure protection, have variety to choose from, easy to understand and customer centric with focus on the continuous improvement in its services. Since the flow of amount to insurance is linked to the household savings, innovative distribution channels are a must for the increased penetration into rural areas and deeper markets.

This paper investigated the performance corresponding to the parameters relevant to insurance industry. This paper developed a comparative framework that can compare between the status of public and private insurance companies currently involved in doing insurance business in India. In life and non-life insurance, public sector firm is doing better than the private sector insurance firm. It may be because of their dominance in market and reliability of customers on the public firms.

This study has some practical implications because it helps the policy makers to identify the type of insurance companies doing or not doing well in insurance market. The findings of present study will help policy formulators in bringing needed modifications to the existing policy and provisions which may further accelerate the industry.

References:-

1. 2011 IRDA releases norms for merger of general insurance companies, <http://www.dnaindia.com/india/report-irda-releases-norms-for-merger-of-general-insurance-companies-1506521>
2. Barstow, S. R. ,What Are the Key Performance Indicators for Insurance Companies? retrieved on 23rd February 2015 from <http://yourbusiness.azcentral.com/key-performance-indicators-insurance-companies-28382.html>
3. Bertola, G., & Koeniger, W. (2008). Public and Private Insurance: Cross country evidence and a model. Working paper, University di Torino and CEPR, University of London, pp 1-30.
4. Bhat, R. (1993). The private/public mix in health care in India. *Health policy and planning*, 8(1), 43-56.
5. Bapat, H. B., Sony, V., & Joshi, R. (2014). A Study of Product Quality of Selected Public and Private Sector Life Insurance Companionships' *Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 16 (4), 32-41
6. Bhat, R. (2005). Insurance Industry in India: Structure, Performance, and Future Challenges *Vikalpa*, 30(3), 94-96.
7. Chand, M. (2014), Role of Private Player in Life Insurance Industry in India, *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*, 3 (6), 170-183.
8. Chaudhary, S., & Kiran, P. (2011). Life Insurance Industry in India-Current Scenario. *International Journal of Management & Business Studies*, 1(3), 146-150.
9. Cross, D., What Are the Key Performance Indicators for Insurance Companies? <http://smallbusiness.chron.com/key-performance-indicators-insurance-companies-71236.html>
10. Davar, S. C. and Singh, N. (2014), Emotional Intelligence and Job Performance in Banking & Insurance sector in India, *Industrial Journal of Industrial Relations*, 49 (4).
11. Dewan, N. (2008). Insurance Industry in India. *Indian Life and Health Insurance Industry: A Marketing Approach*, 1-43.
12. Ganesh, S. S. S. D. (March 2014), Growth of Insurance Sector is at an Inflection Point, *Journal of Commerce*, 2 (2), 1-14.
13. Garg, M. C. Deepti (2008), "Efficiency of General Insurance Industry in India in the Post-Liberalization Era: A Data Envelopment Approach. *The ICFAI Journal of Risk and Insurance*, 5(1), 32-49.
14. Garg, M. C., & Verma, A. (2010). An Empirical Analysis of Marketing Mix in the Life Insurance Industry in India. *The IUP Journal of Management Research*, 9 (2), 7-20.
15. Greene, M. R. (1972). The Spanish Insurance Industry. An Analysis. *Journal of Risk and Insurance*, 221-243.
16. Hole, A. and Misal, A. (April 2013), Analysis of Performance of Employees in Public Sector in Comparison with Private, Sector General Insurance Companies, *ABHINAV, International Monthly Refereed Journal of Research in Management & Technology*, 2, 105-113.
17. Insurance, Post Mumbai, *New Media Services*, (2000).
18. Kaur, H. (2012). Job Satisfaction during Recession Period: A study on public & private insurance in Punjab. *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences*, 1(1), 24-42.
19. Khurana, S. (2008). Customer Preferences in Life Insurance Industry in India. *ICFAI Journal of Services Marketing*, 6(3).
20. Krishnamurthy, S., Mony, S. V., Jhaveri, N., Bakhshi, S., Bhat, R., Dixit, M. R., & Bhat, R. (2005). Insurance industry in India: structure, performance, and future challenges. *Vikalpa*, 30(3), 93-119.
21. Kumar, S., Mishra, N. and Varshney, S., (October, 2012), Globalisation and Growth of Indian Life Insurance Industry, *International Journal of Research in Commerce & Management*, 3 (10), 7-10.

A Study on Digital Marketing and its Impact

Sanjay Payasi* Dr. Prasann Jain**

Abstract - Digital marketing is the road of electronic correspondence which is utilized by advertisers to embrace labour and products towards the commercial centre. The preeminent motivation behind Digital marketing is worried about shoppers and permits the clients to intermix with the item by the righteousness of computerized media. This article focuses on the size of advancement for the two clients and advertisers. We investigate the consequence of computerized advertising based on the company's deals. 100 respondents' sentiments a got an unmistakable image of the current investigation.

Keywords- digital marketing, Promotion, Consistent, Interact.

Introduction - Digital Marketing is frequently alluded to as 'internet promoting, the term advanced advertising has filled in ubiquity over the long haul, especially in specific nations. In the USA web-based promoting is as yet predominant, in Italy is alluded to as web advertising however, in the UK, and around the world, computerized showcasing has become the most well-known term, particularly after the year 2013. Computerized showcasing is the Internet, promoting.

Objectives :

1. The main purpose of this paper is to recognize the usefulness of digital market
2. To study the impact of digital marketing on consumers purchase.

Methodology Applied :

1. Primary Data: The research is done through observation and collection of data through questionnaires.
2. Secondary Data: Secondary data is collected from journals, books and magazines to develop the theory
3. Sample Size: The sample size is determined as 100 respondent's opinions from the customers who presently purchasing products with a help of digital marketing.

Advantages of Digital Marketing to Consumers and Analysis - Digital marketing innovations grant the clients to stay with the data excused (Gangeshwer, 2013). Nowadays a lot of clients can way on the web at any spot whichever time and organizations are continually refreshing data in regards to their merchandise or administrations. Clients realize how to visit the organization's site, analyze concerning the items and make online buys and bear the cost of criticism. Shoppers get total data identified with the items or administrations (Gregory Karp, 2014). They can make examinations with other related items. Computerized

advertising permits 24 hours of administration to make buys for the shoppers. Costs are straightforward in computerized advertising (Yuliharsi, 2011).

Profile of the Online Buyers

	Category	Number of Respondents	Percentage of Respondents
Gender	Male	65	65%
	Female	35	35%
	Total	100	100%
Age	Below 18 Years	27	27%
	19-30 years	35	15%
	31-45 years	33	33%
	Above 45 years	25	25%
	Total	100	100%
Profession	House Wife	11	11%
	Employee	40	40%
	Business	33	22%
	Students	8	8%
	Any other	8	8%
	Total	100	100%
Monthly Family Income (in Rs.)	Below 10000	21	21%
	10001-20000	49	49%
	20001-40000	25	25%
	Above 40000	5	5%
	Total	100	100%

Awareness of Online buyers

Particulars	Number of Respondents	Percentage of Respondents
Having knowledge about online shopping	100	100%
Not having knowledge about online shopping	-	-
Total	100	100%

Availability of Online Information about Product

* Associate Professor, Anand Institute of Management, Bhopal (M.P.) INDIA

** Associate Professor, Anand Institute of Management, Bhopal (M.P.) INDIA

Particulars	Number of Respondents	Percentage of Respondents
Excellent	54	54%
Good	38	38%
Average	7	7%
Poor	1	1%
Total	100	100%

Reasons for Choosing Online Shopping

Particulars	Number of Respondents	Percentage of Respondents
Wide variety of Products	23	23%
Easy buying Procedures	38	38%
Lower Prices	19	19%
Various Modes of Payments	14	14%
others	6	6%
Total	100	100%

Frequency of Online Purchasing

Particulars	Number of Respondents	Percentage of Respondents
Purchase once Annually	12	12%
2 - 5 Purchases Annually	46	46%
6-10 Purchases Annually	26	26%
11 Purchases and above Annually	16	16%
Total	100	100%

Findings - Digital marketing has a greater future in the present market.

1. Consumers are fulfilled through buying advanced promoting.
2. People think that it's an experimental method of online buy.
3. Ratio of male clients is extremely high in internet shopping that is 65%.
4. Awareness about web-based shopping is 100% among the respondents.
5. Income of respondents fundamentally falls in the scope of Rs. 10,001 to Rs. 20,000 that is 49%.
6. Employees of different organizations are buying more than others through web-based shopping that is half.
7. Most quantities of respondents that is 38% feel that internet shopping has straightforward purchasing systems; others feel that they can have an expansive assortment of items, items with lower value, an assortment methods of installments, and so on

8. 54% of respondents feel that the accessibility of online data about Products and Services is remarkable.

Ideas :

1. Improve specialized progression in the advancement of computerized advertising.
2. Collect and carry out the criticism given by the purchaser in the correct manner.
3. Provide straightforward and great support of the shopper previously, then after the fact buy.
4. Creating mindfulness among individuals about advanced promotion.
5. Complete portrayal needs to give about the item to the online customers

Conclusion - Advanced promoting needs to end up being an urgent piece of the methodology of numerous organizations. Right now, still, small business owners close by having a very economical and skilled strategy by utilizing computerized showcasing to advertise their items or administrations in the public arena. It has no limitations. An organization can use any gadgets like tablets, cell phones, TV, workstations, media, online media, e-mail and great deal other to help the organization and its items and administrations. Advanced showcasing may accomplish something else on the off chance that it considers customer wants as a pinnacle need.

References :-

1. Chaffey D, E-business & e-Commerce Management- Strategy, Implementation and Practice Pearson Education, Paris, 2011, 72-79
2. Chaffey D & Smith P, E-Marketing Excellence: Planning and Optimizing Your Digital Marketing, Routledge. Fourth Edition, 2008, 580-593
3. Waghmare GT, E-Commerce, A Business Review and Future Prospects in Indian Business. Internet, Marketing in India. Indian Streams Research Journal, 2(5), 2012, 1- 4.
4. Gangeshwer DK, E-Commerce or Internet Marketing: A Business Review from Indian Context", International Journal of - and e- Service, Science and Technology, 6(6), 2013, 187-192.
5. Vishal Midha, Article- Impact of Consumer Empowerment on Online Trust: An Examination Across Genders, Elsevier International Journal, 12(3), 2012, 198-205.
6. International Journal of Marketing Studies, 3(1), 2011, 128-139.

Resilience, Emotional labor and Adversity Quotient in Professionals: A study

Dr. Vimal Sharma* Dr. Shraddha Sharma** Dr. Deepa Joshi***

Abstract - Emotional Labor (EL) is the need for performance and has gained much importance in the present times of transformation. Influential roles make adversity quotient resilience and emotional labor extremely important as these have an impact on effectiveness and efficiency in an organization and also on the performance of students/ clients. Resilience is capability to improve, recover and optimistically acclimatize within the context of adversity along with pursuing the individual's personal growth. Adversity Quotient (AQ) is the ability to surmount life's adversities, whether academic, career or personal-social in nature Resilience is ability – a cognitive ability This paper aims to study the role of an adversity quotient, emotional labor, resilience, and self-efficacy on individual's performance. Study of eight organizations has been done. It has been observed that adversity quotient, resilience, emotional labor and self-efficacy affect the performance of an individual and the stakeholders dealing with these individuals. Stress is even higher among the IT professionals and academicians, often leading to unpleasant and discontentment in the organisations. This research is an attempt to uncover if there exists any link among the Adversity Quotient and Professional Stress of IT personnel and academicians in especially during present scenario of Covid 19. Results indicate that there is a significant relationship between Adversity Quotient and Occupational Stress and impact of resilience, emotional labor on self efficacy of individuals.

The study states that there are individual-level of cognitive resources which are significant are explained as emotional labor resilience and self-efficacy.

Key words- Resilience, Emotional labor, Adversity quotient, Performance, Self-Efficacy.

Introduction - It is said that behavior of individuals is very unpredictable and may be treated as the most complex to understand. It is the proven fact that the behavior affects attitude, performance and aura of environment. The science of resilience or the adversity quotient (AQ) is a measure of the ability of the individuals towards facing the complex situations. Dr. Paul Stoltz discussed the term Adversity Quotient in 1997 in his book 'Adversity Quotient: Turning Obstacles Into Opportunities'. Professional stress is the result of adverse conditions at the work place. These stressful situations may be connected to the organizational policies such as attrition, downsizing or re-designing leading to fear and uncertainty of redundancy etc, politics among the co-workers, excessive demanding supervisors or manager, overload of work leading to burnout or lack of coordination among the teams causing bottlenecks and unnecessary delays.

Resilience may be explained as the capability of an individual to sustain moderately stable, strong levels of mental, emotional strength for performance in response to loss, violence, or life-threatening events, and the competence for generative experiences and positive

emotions.

Nevertheless, resilience may differ to individuals and so it is difficult to anticipate. The capability of individuals regarding coping up, to recover or overcome is not the same and also not always the same.. One may deal in the way from every experience and instance of adversity in the positive way, conceptualizing it cognitively . Thus it is a developmental ability that helps us understand how individuals may develop the capability to adapt to the future times of adversity (Sutcliffe & Vogus, 2003). The notion that resilient individuals employ positive emotions and pursue personal growth, harmony, and a better life (Richardson, 2002; Sinclair & Wallston, 2004).

Academicians in an important role - Academics has seen a complete transformation especially during Covid era. In the changing times the educational institutions as service provider encompasses formal and external inspection including evaluation of teaching and research paired with e-resources and financial implications.

A study states it is also called McDonaldisation of education signifying standardization and control in higher education (Ritzer 1996). It focuses on the principle of

* Professor & HOD, PMB Gujrati Science College, Indore (M.P.) INDIA

** Professor, SRGP Gujarati Professional Institute, Indore (M.P.) INDIA

*** Associate Professor, Shri Vaishnav Institute of Management, Indore (M.P.) INDIA

rationalization where the education institution fosters the rationalization of workplace and rationalized homes (Ritzer 1993). The education institute believes that student being customer it remits the message that the university has become part of the corporate agenda (Willmott 1995).

But the role of the academician is shifted to that of a service provider instead of a knowledge facilitator who has to treat the student as a customer because the institution (the academic) aims to receive excellent ratings, and thus continued tenure and funding. This kind of transition of role from academician to service provider generates in congruent demand within a role theory paradigm. Inside this conceptual framework, conflict manifests as the service provider violates the requirement of one role while fulfilling the demands. (Emotional Labor on Teaching Effectiveness 2009). The role conflict among academics is arising not only from the blurred core values of higher education but the change in its role. Higher education is synonymous with "trainability" (Bernstein 2000) and employability (Levidow 2002). Given such changes, there is a likelihood of change in pedagogical relationship of academic towards student, demanding more empathetic relationship with students (Gaililaer 2004). The role conflict among academics is arising not only from the blurred core values of higher education but the change in its role

Review of Literature

Self-efficacy is defined as a person's confidence in his or her ability to implement all the actions required to perform well (Bandura, 1977, 1997). Self-efficacy specific to a given activity domain is instrumental in predicting performance in that domain (Bandura 1986). Emotional labor, first introduced by Hochschild (1983, p. 7), is defined as "the management of feelings to create a publicly observable facial and bodily display." Hochschild's (1983) definition of emotional labor implicitly presumes that servicers more or less consciously attempt to manage emotion by engaging in surface acting (employees modify their displays without shaping inner feelings) or deep acting (employees modify internal feelings to be consistent with display rules). Earlier studies indicated that the concept of emotional labor was developed around three themes: internal states, external behavioral displays and internal processes (Hochschild, 1979, 1983; Glomb and Tews, 2004). Ashforth and Humphrey (1993) defined the act of displaying the appropriate emotion (i.e., conforming to a display rule) as emotional labor which both emphasized behavior and decoupled the experience of emotion from the expression of emotion.

Along with approaches of customer service provider in higher education there are different measures introduced like total quality management, reengineering, statistical process control, employee involvement and just-in-time production (Rhoades & Smart 1996). Indeed, both Ashforth and Humphrey (1993), and Morris and Feldman (1997) argued that workers may genuinely feel the emotions displayed. In such cases, EL has more to do with managing

the appropriate emotions rather than faking (i.e., expressing unfeigned emotions) or by hiding (Brotheridge & Lee 2002) the appropriate feelings within themselves (deep acting). Hochschild's (1983) study and other more recent research show that EL can affect the well-being and performance of workers in a cross-section of occupations such as nursing (Smith 1992), hospital workers (Wharton 1993), debt collectors (Sutton 1991), waiters and waitresses (Adelmann 1995), cashiers (Rafaeli 1989, Rafaeli and Sutton 1987, Tolich 1993) and Disney employees (VanMaanen & Kunda 1989).

Maaret Wager (2001) in a paper presented at a higher education conference informs us that more and more measures of performance serve to control and coerce academics.

Study of research by previous scholars (e.g. Richardson, 2002; Sinclair & Wallston, 2004), it may be conceptualized that the term resilience is capability to improve, recover and optimistically acclimatize within the context of adversity along with pursuing the individual's personal growth. Resilience is an ability – a cognitive ability which develops with the passage time, when an individual goes through the process of continuous learning through experiences of how to handle risk, distress, fear of uncertainty and hardship (Masten, 2001; Sutcliffe & Vogus, 2003).

They know of the deceit but want to feel that they are different and enjoy the empathy of the teacher. In other words, it is important to consider the possibility that high levels of self-efficacy may lead to different goals and outcomes for entrepreneurs, depending on the context (Hmieleski & Baron, 2008).

Accordingly, entrepreneurial self-efficacy (ESE) is the degree to which an individual believes that (s)he is capable of performing the roles and tasks of an entrepreneur (e.g. McGee, Peterson, Mueller and Sequeira 2009). ESE has been consistently related to an individual's intent to engage in entrepreneurship; it is a key antecedent of entrepreneurial intentions (e.g. Boyd and Vozikis 1994; Zhao et al., 2005; Zellweger et al., 2011). There were researchers who observed that behavior is guided by certain socially desirable emotions and these socially desirable emotions are set up as norms. An employee working in any service sector should adhere to norms for appropriate behavior or expectations that are established by organizations. Such kind of expressions of emotions is found across occupational roles and at the customer-industry inter-face (Ashforth & Humphrey 1993: 88-9). This forms the basis for EL. Hochschild's (1983) has pioneered in this field and found that employees undergo through dissonance either by simply altering their displayed feelings (surface acting) or by internalizing the Niharika Gaanate feelings within themselves (deep acting) This does not signify that EL always leads to emotional dissonance (Zerbe 2000).

Objectives of Study :

1. To study the impact of emotional labor (variable 1) on

- performance of individuals.
2. To study the impact of resilience (variable 2) on performance of individuals.
 3. To study the impact of adversity quotient (variable 3) on performance of individuals
 4. To analyze the impact on self-efficacy in relation to these three variables.

Research Methodology - Observation, interview and experience sharing and primary data through questions taken for study. 320 respondents (including teachers and IT Professionals, as they were professionally active during Covid 19, contributed in the study. Data Primary survey data through convenient sampling were collected during April – August 2020 from the academic and IT organizations: To maintain the integrity the names of organizations are in disguise.

IT Solutions Company X, Indore (no. of respondents=89), IT Tech Company Y, Bangalore (no. of respondents =61), IT Company Z, Indore (no. of respondents =29), IT Company W, Pune (no. of respondents = 24), X Academic College for Management Studies, Indore: (no. of respondents =30), Y Higher Secondary School, Indore: (no. of respondents =42), Z Academic College for Engineering Studies, Indore: (no. of respondents =28), SB Academic College for Engineering Studies, Indore: (no. of respondents =28), VN High School, Bhopal: (no. of respondents =28),

The organizations were selected to represent the dispersion of variables taken .adversity quotient, resilience, emotional labor and impact on self-efficacy. These organizations represent the individuals who have projected and depicted the conditions in their job during Corona era. The study covered age groups 22-50 years, in order to obtain the most representative sample possible.

The Alternative Hypothesis framed for the study are as follows

Hypothesis H1: Emotional labor in working conditions has a significant impact on performance of an individual

Hypothesis H2: Adversity quotient in working conditions has a significant impact on performance of an individual

Hypothesis H3: Resilience in working conditions has a significant impact on performance of an individual

Hypothesis H4: Self efficacy in an organization is significantly affected by these variables.

To study in detail the objectives of study: Hypothesis H5: Higher level (degrees may vary with individual) of adversity in the operating environment substantiates a positive relationship between an individual's resilience and affects the self efficacy of an individual.

Hypothesis H6: Higher levels (degrees may vary with individual) of adversity in the operating environment satisfy a positive relationship between an individual and the student/client and affects the self-efficacy in an organization

Results and Analysis - Cronbach's α used in the reliability analysis. The Cronbach's α of surface acting, deep acting, expression of naturally felt emotions and emotional denial

were 0.714, 0.743, 0.846, and 0.758, respectively. The scale reliability of burnout was 0.724. The scale reliability of job satisfaction was 0.731. All scales' reliabilities were good. CFA (confirmatory factor analysis) with maximum likelihood estimation in LISREL 8.3 was utilized to examine the four-factor structure of our scale items by conducting a series of CFAs. CFAs supported our hypothesized four-factor structure ($\chi^2 = 85.74$, $df = 46$, RMSEA (root mean square error of approximation) = 0.061, GFI (goodness-of-fit index) = 0.94, AGFI (adjusted goodness-of-fit index) = 0.90, NNFI = 0.94, IFI = 0.96, CFI = 0.96, SRMR = 0.060). All items loaded onto the intended factor at a significant level ($p < 0.001$), with factor loadings ranging from 0.53 to 0.76

To measure other dependent variables, Adversity quotient Liñán and Chen's (2009) 6-item scale ($\alpha = .867$) was used. To measure emotional labor and resilience, Sinclair and Wallston's (2004) 4-item scale ($\alpha = .712$) was used. For self-efficacy, Zhao, Seibert, and Hills (2005) 4-item scale ($\alpha = .817$) was used. Since the social, economic environment in the Covid era is towards new normal, more of a consequence of the social, financial, and emotional aspects becomes important

Construct validity was assessed based on the composite reliability (CR), factor loadings, and average variance estimates (AVE). The results indicate good discriminate validity of latent variables and construct independence. Partial least squares (PLS) approach to analyzing the data, and Smart PLS software to carry out the analyses (Ringle, Wende, & Will, 2005). The study indicates significance for H1, the adversity of the environment significantly affects individual's performance.

It has been observed that the resilience facilitates cognitive appraisals which may lead to the development of self-efficacy to pursue challenges during any circumstances (H1 & H2). The results support to hypotheses H3 and H4 indicating the importance. The interaction shows that resilience has significant impact on the performance of individuals as employees or stakeholders. The adverse environments have significant impact on performance of individuals. The impact is significant and positive (Hypothesis H5 & H6). While self-efficacy is positively related to emotional labor, resilience and adversity quotient, this relationship is weaker under adverse organizational conditions.

The study analyses that under adversity, resilient individuals may take on towards servant leadership action to firmly orient their energy towards something positive, instead of distracting themselves from the adverse environment and not coping –up with the situation. The study analysis that resilience is the need of time as its significance is great particularly during the adverse environments.

The significance of emotional labor, adversity quotient and resilience is remarkable when the organization is undergoing changes in environment which are very challenging. Although cognitive resource is important to

maintain as self-efficacy in the personnel of organization be it IT professional or academician.

Conclusion - Research on broad perspective regarding service organizations has opened new prospects that the personnel should be competent to deal with the challenges in the changing times so as to act as a means of achieving competitive advantage. The customer/clientele /student oriented system has greater expectations from employees as they have to perform well even if they are going through negative emotions, facing fear etc. These professionals are bound to manage and keep their temperament, emotions and fears under control, due to need of their jobs especially in challenges like Covid 10, where there is uncertainty and other challenges spreaded in air in the internal and external environment. The professionals cannot afford to let their clientele/students customers feel discontented. The academic and IT professionals are expected to give their extra efforts towards performance of their duties, thereby, adding value to the teaching and learning activity and meeting the demand of client and customers. It is also important that the behavior of professionals confirm to, resilience, adversity quotient, along with emotional labor. The impact of resilience, adversity quotient and emotional labor is such that it adds to self efficacy of the professional as well as the students/clientele .The performance of professionals has an impact on the attitude of students/client which can also be extended to teaching effectiveness and quality performance . The present study explores that the performance of professionals excels when emotional labor, adversity quotient and resilience are savoir-fairer.

Suggestions and Recommendations - The present study explains that self-efficacy improves performance in regard to other forces—like adversity, both individual and societal—to influence the performance .However the focus on interactive effects is reflective of Bandura's (1997, p. 23) suggests that there is no single relationship between efficacy beliefs and outcome expectancies.

The study suggests that depending upon adversity, challenges and contingencies the measures and results may be structured, through either intrinsically accepting or inherently performing, in a given domain of functioning. It becomes relevant for our study of discussion of self-efficacy and adversity, self-efficacy's motivational force may actually be diminished if the emotional labor, resilience are not recognized .Appreciation, award, recognition will encourage the employees working with resilience, adversity quotient and emotional labor to perform with utmost dedication. Absence of it may cause actions to suffer resulting into unfavorable results for the organization. Already there exist conditions of severe societal adversity and uncertainty. In such environments, potential personnel remain unmotivated to engage in such actions with emotional labor, resilience, adversity quotient, even if they believe in their abilities to do so—in other words, their potential will not increase even if they have the self-efficacy.

Personnel should possess resilient abilities to access

essential cognitive resources to deal with the adversity, adapt to changes, and look forward to convert creative opportunities for new challenges.

References:-

1. C.L. Cooper, B.D. Kirkcaldy, J. Brown" A model of job stress and physical health: the role of individual differences" *Personality and Individual Differences*, 16 (1994), pp. 653-655
2. C.D. Spielberger, E.C. Reheiser" Job stress in university, corporate and military personnel" *International Journal of Stress Management*, 1 (1994), pp. 19-31
3. Mok, K. (1997). The cost of managerialism: The implications for the 'McDonaldisation' of higher education in Hong Kong. Public and social administration. Working Paper Series No. 6, City University of Hong Kong.
4. P. Stoltz ,Adversity Quotient: Turning Obstacles into Opportunities, John Wiley & Sons, Inc. (1997), pp. 90-98
5. Adelman, P.K. (1995). Emotional labor as a potential source of job stress. In S.L. Sauter & L.R. Murphy (Eds), *Organizational risk factors for stress* (pp. 371–381). Washington, DC: American Psychological Association.
6. Arbuckle, J.L. (1997). Amos users' guide version 3.6. Chicago: Small Waters Corporation. Ashforth, B.E., & Humphrey, R.H. (1993). Emotion in the work-place: A reappraisal. *Human Relations*, 48(2), 97–125.
7. Mann, S. (1997). Emotional labor in organizations. *Leadership & Organization Development Journal*, 18(1), 4–12.
8. Bliese, P. D. (2000). Within-group agreement, non-independence, and reliability: Implications for data aggregation and analysis. In K. J. Klein & S. W. J. Kozlowski (Eds.), *multilevel theory, research, and methods in organizations: Foundations, extensions, and new directions* (pp.349–381). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
9. Meyer, H. (2002). The new managerialism in education management: Corporatization or organizational learning? *Journal of Educational Administration*, 40(6), 534–551.
10. Barrett, L. F. (2006). Are emotions natural kinds? *Perspectives on Psychological Science*, 1, 28–58.
11. Thi, L. (2007). Adversity quotient in Predicting job Performance viewed through the Perspective of The Big Five (Unpublished Masters' Thesis). *Psychologische Institute, University of Oslo*.
12. T. Kumbanaruk, T. Maetheeponkul Adversity Quotient (AQ), Emotional Quotient (EQ) and personality of Chinese businesspeople in Thailand and Chinese businesspeople in China *Journal of East Asian Studies*, 13 (1) (2008), pp. 1-18
13. Huijuan, Z. (2009). The Adversity Quotient and Academic Performance among College Students at St. Joseph's College, Quezon City (Unpublished

- Undergraduate Thesis). St. Joseph's College, Quezon City.
14. Canivel, L.(2010). Principals' Adversity Quotient: Styles, Performance and Practices (Unpublished Masters' Thesis). University of the Philippines, Diliman.
 15. Tripathi, S. (2011). Use of Adversity Quotient in creating strong business leaders of tomorrow (Unpublished doctoral thesis). SNDT Women's University, Mumbai.
 16. Bonanno, G. A., Westphal, M., & Mancini, A. D. (2011). Resilience to loss and potential trauma. *Annual Review of Clinical Psychology*, 7, 511–535
 17. Cornista, G. & Macasaet, C., (2013). Adversity Quotient and Achievement Motivation of Selected third Year and fourth Year Psychology Students of De La Salle Lipa (Unpublished Masters' Thesis). College of Education, Arts, and Sciences De La Salle Lipa.
 18. Maureen, M.(2015). The level of Adversity Quotient and Social Skills of student leaders. (Unpublished Undergraduate Thesis). College of Education, Arts and Sciences De La Salle Lipa.
 19. Solis, D.B. & Lopez E.R., Stress Level and Adversity Quotient among Single Working Mothers. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, Vol. 3, No. 5, December 2015.
 20. Barora, D. (2015). Adversity Quotient and Leadership Skills of School Administrators: Basis for Leadership Enhancement Program (Unpublished Masters' Thesis). Philippine Normal University, Visayas.
 21. Bowers, C., Kreutzer, C., Cannon-Bowers, J., & Lamb, J. (2017). Team resilience as a second-order emergent state: A theoretical model and research directions. *Frontiers in Psychology*, 8, 1360.

Overtones of Eco-Feminism in Selected Works of Margret Atwood

Perna Chouhan* Dr. Sarla Singla**

Abstract - This paper attempts to study Margret Atwood's famous Novels "Survival, Oryx and Crake, The Edible Women and poems in terms of feminism and Eco feminism. Her novels through protagonists show their aspiration for the equality, a breaking up of all those barriers which create the gender bias, sex characteristics and social economic, as well as political changes for the empowerment of the women. Her novels show the old way of life which allot marginal status to women have made women so weak psychologically that, they are now victims of a type of dependence syndrome. Woman now cannot free herself from this. It finally becomes the cause for her suffering. In her novels through the lead character Atwood has tried to reach the main objective of the feminism is to insist women to remove out the rigid sex role assigned to women traditionally. She has shown through Survival and The edible women the linkage between the denigration the nature and also the oppression of women. The focus of her novels is on the cause of oppression of women and the environment, seeking efforts to prevent the same. Her novels show the global struggle for gender equality and several issues related to women. Through her poems her aims is to establish a strong relationship between human beings and nature. Her poems echo jeremiad against the folly of over emphasis of science and technology which lead the destruction of natural resources of nature. To live a peaceful and balanced human life on this earth, preservation of environment is necessary. Throughout history nature is portrayed as feminine - their reproductive capacities make women closer to nature than men

Keyword- Eco feminism, Overtone, protagonist, oppression, Environment, destruction, nature.

Introduction - Margret Atwood occupies a prominent place in modern fictional world not only in Canada but all over the world by virtue of the way she depicts the problem of freedom in relation to women and the place of women as secondary citizens in a patriarchal society. Atwood is a prolific, controversial and innovative writer has substantially contributed to the growth of women's writing who has "questioned stereotypes of nationality and gender exposing cultural fictions and artificial limits they impose on our understanding of us and other human beings". She was a founder member of the Writers' Union of Canada, on the editorial board of the newly established Anansi Press in Toronto, and a member of Amnesty International. As she remarked, her involvement with political issues was "not separate from writing. She is the most written-about Canadian writer ever. Therefore, Atwood has become a form of eminent fixture not solely in Canada however conjointly internationally a public face.

The term feminism first time appeared in French in 1872 as 'Les feministars'. "According to the Oxford English wordbook, the term 'feminism' was 1st utilized in the latter a part of nineteenth century and it absolutely was outlined as having the qualities of feminine." It is a global struggle for gender equality. The suffering of women is not an instant

incident. So, the existence and meaning cannot be understood by a single definition or by explaining a simple incident. The path of feminism has crossed centuries to arrive at today's concept. It is an evolutionary idea due to the change in the place and status of women in society. The origin of feminism is due to systematic social injustice towards the weaker sex. Hence, feminism highlights several issues related to women. Feminism concerns itself with the wellbeing of society as a whole, not only draw attention on the women's problems but also highlights the current social problems and painstakingly tries to remove all problems from the society. Being a woman, gender plays an important role for Atwood throughout her writings, her social and political life, and her life on the whole.

Ecofeminism reflects an affinity between the domination of nature and subjugation of women in history, experience, religion, literature, ethics and epistemology. The word ecofeminism coined by the French feminist, Francoise D. Eaubonne in 1974, gained currency both with academicians and activists. Ecofeminists have belief in the close association and inherent affiliation between women and nature. It is a movement that sees a connection between exploitation and degradation of the natural world and the subordination and oppression of women.

Ecofeminism is a practical, political, social movement addressing a broad range of urgent social and political problems; from pollution, health and extinction of the species, to economic development, racism and sexual violence. They are concerned with human relationships to the natural world and aim to discover relationships—among human beings as well as between human and non-human nature—that contribute to a healing and healthy planet.

The concept of nature in ecofeminism is multiple in meanings. The dominant and ancient traditions connect men with culture and women with nature. To be defined as 'nature' in this context is to be defined as passive, as non-agent and non-subject, as the 'environment' or invisible background conditions against which the 'foreground' achievements of reason or culture take place. Ecofeminism glorifies the harmony between Women and Nature. The ultimate aim is to subvert the ideology of patriarchal society in which men subjugate both women and nature. A multi-hued and multi-perspective phenomenon, the legit motif is that the domination and subjugation of both women and nature is inextricably linked. As a movement, it aimed at dismantling this interconnected oppression of the patriarchal system governed by dualistic hierarchies of male or female, culture or nature, reason or emotion, white or black and human or animal.

The *Edible Woman*, Atwood's first published novel, is a social novel dealing with the possibilities of personal female identity in a capitalistic - consumer society. In *The Edible Woman*, Atwood establishes a thematic pattern which she works out in her later novels. The novel's "central metaphor, reinforced by the title is that of a woman as food, as object, and the theme is the woman's endeavours to attain humanity and human identity", *The Edible Woman* deals with the relation of the sexes in a capitalistic - consumer society where men view women as commodities.

Surfacing, the second novel by Margaret Atwood is a dense, multilayered narrative. It has been called a companion novel to Atwood's collection of poems, *Power Politics*. The novel garnered the most critical attention and has become a feminist classic. Atwood's novel *Surfacing* demonstrates the complex question of women's experience of power politics of gender, geographical colonization and cultural imperialism which leaves the victim with feelings of displacement, disconnectedness from language, history and culture and a fractured sense of self which ultimately leads to a quest, a desperate need to regain and reclaim identity. *Surfacing* can be read on many levels and thus appeals to a wide and diverse readership. It is a detective story, a psychological thriller, a psychological study of self-discovery, a realistic study of male-female relationships, an ecological treatise, a sociological study of power, sexual politics and a discourse on the meaning of life. Atwood's *Surfacing* is about a "woman's spiritual quest", a feminist/ ecological treatise that reflects the politics and issues of the postmodern society a "significant nationalist and feminist work of art.

Atwood's novels read like ecological treatises and therefore a significant resource for the study of the interconnections between Woman and Nature. Being a Canadian, she is a witness to the horrifying outcome of industrialization and exhaustion of energy resources. Hence both knowingly and unknowingly she has given Nature a central place in her fictional world.

Margaret Atwood's novel *Oryx and Crake* highlights how genetic engineering and technologies of reproduction subjugate both women and land. The most important and pivotal question was based on the fundamental ecofeminist stance whether men and women can abandon the dominant/subordinate duality paradigm and live as sensitive mature beings in harmony with other animals and nature. Crake and his fellow scientists realize that their attempts of reshaping the environment according to their utopian fantasies can lead to a "nature becoming erratic and violent. Atwood through this poignant display highlights that if nature is tampered with, it can become malevolent.

The analysis also revealed that the poems present an interconnection between the poets and nature, whereby they treat every part in nature as if it is a creature that has a soul. As ecocriticism she examines the relations between writers, texts, and the environment. As a literary approach, Ecocriticism provides a frame or mechanism to analyse literary texts which are directly or indirectly concerned with ecological concerns and contexts. It also looks at the use of stylistic features that depict natural sights and landscapes along with people's attitudes and attention towards nature, whether favourable or unfavourable, features that were examined from an Ecocritical perspective in the poems. The analysed poems of Margaret Atwood broadened our poetic perspective on Eco-critical studies, and environmental issues and concerns.

In the poem "Spring in the Igloo", one almost wonders if there is a latent message about global warming interwoven in it warning to the world as to what would happen if the ice would melt to submerge the lands. One is made to realize the inexorable cycle of seasons that obeys a cosmic law, higher than man's civil legislation. So this poem along with message gives a warning.

In her poem "Frogless" (1995) Atwood depicts a cameo of ecological disaster: deformed animals and plants, betrayed nature, a broken chain of existence. She uses images of drunkenness, hot for cold, cold for hot, reversals of normal behaviours of plants, creatures, and people. The effect on the next generation is deadly as "The people eat sick fish because there are no others."

Conclusion - In conclusion, it may be said that Margaret Atwood's works are extraordinarily sensitive to the shortcomings of the contemporary world. She has been called, 'an artist of design and deep feeling, invention and passion.' She is both a satirist and a seer who holds a mirror up to her times, one whose multiple reflections challenge the readers' definition of reality, demanding of them to change the worlds. It is true that today humans face an

unprecedented crisis or a unique opportunity for a better future for, “another world is not only possible, she is on her way. Atwood’s works presage this possibility and the ecofeministic strains in her writings make her a significant member of those who contribute to the ecofeminist literary quilt.

References:-

Primary Sources:-

1. Atwood, Margaret The Circle Game. Toronto: Anansi, 1966. Print.
2. The Edible Woman. 1969. Toronto: McClelland, 1978. Print.
3. Surfacing. Toronto: McClelland, 1972. Print.
4. Oryx and Crake(2003) (London: Virago,2004)
5. Selected Poems. Toronto: Oxford University Press, 1976. Print.

Secondary Sources :-

1. Allen, Paula Gunn. “Kopis’taya (A Gathering of Spirits).” In *Sisters of the Earth: Women’s Prose and Poetry about Nature*, ed. Lorraine Anderson. New York: Vintage, (1991): 336 ,37. Print.
2. Bigwood, Carol. *Earth Muse: Feminism, Nature, and Art*. Philadelphia: Temple University Press, 1993. Print.
3. Bloom, Harold “Introduction”, *Modern Critical Views: Margaret Atwood*. Ed. Bloom. Philadelphia: Chelsea, 2000. Print.
4. Cooke, Nathalie *Margaret Atwood: A Biography*. Toronto: ECW, 1998. Print.
5. Cuomo, Christine. “Unravelling Problems in Ecofeminism.” *Environmental Ethics* 14, no. 4 (Winter 1992): 351-363. Print.
6. Davey, Frank. *Margaret Atwood: a Feminist Poetics*. Vancouver: Talon, 1984. Print. Deer, Glenn.

- Postmodern Canadian Fiction and the Rhetoric of Authority. Montreal: Mc Gill Queen’s U P, 1994. Print.
7. Ecofeminism. “Ecofeminism”. Wikipedia – free encyclopedia. Web 20 Nov. 2011. <<http://www.en.wikipedia.org/wiki/ecofeminism/>>.
8. Goldblatt, Patricia F. “Reconstructing Margaret Atwood’s Protagonists”, *World Literature Today*, Volume: 73, Issue: 2, 1999. Print.
9. Hengen, Shannon. *Margaret Atwood’s Power: Mirrors, Reflections, and Images in Select Fiction and Poetry*. Toronto: Second Story Press, 1993. Print.
10. Meindl, Dieter. “Gender and Narrative Perspective in Margaret Atwood’s Stories”. *Margaret Atwood: Writing and Subjectivity*. Ed. Colin Nicholson. New York: St. Martin’s, 1994. Print.
11. Murphy, Patrick D. ed. “Introduction: Feminism, Ecology, and the Future of the Humanities.” *Studies in the Humanities. Special Issue on Feminism, Ecology, and the Future of the Humanities*. 15 (2) 1988 . 85-9. Print.
12. Nicholson, Colin, ed. *Margaret Atwood: Writing and Subjectivity*. New York: St.Martin’s Press, 1994. Print
13. Schaeffer, Susan Fromberg. “It is time that separates us: Margaret Atwood’s Surfacing”, *Centennial Review*, 18 Fall 1974. Print.
14. Shiva, Vandana. *Staying Alive: Women, Ecology and Development*. London: Zed Books, 1988. Print.
15. Tolan, Fiona. *Margaret Atwood Feminism and Fiction*. 2007. Google Book Search. Web. 20 December 2011.
16. Warren, Karen J., and Jim Cheney. “Ecological Feminism and Ecosystem Ecology.” In *Ecological Feminist Philosophies*, ed. Karen J. Warren. Bloomington: Indiana University Press, 1996: 244—262. Print

भारत में मानवाधिकारों के बदलते आयाम : विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. सरिता डेहरिया मेहरा *

शोध सारांश – मानवाधिकार सभ्य समाज के लिए आवश्यक है जिस प्रकार जीवन जीने के लिये रोटी, कपड़ा और मकान हैं; उसी प्रकार मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिये मानवाधिकारों की आवश्यकता है जिससे मानव 'भय मुक्त' और 'मुख मुक्त' जीवन व्यतीत कर पायेगा। आज के मानवाधिकार व्यक्तियों को राज्य शक्तियों के विरुद्ध सदियों के संघर्ष का परिणाम है। ये अधिकार विश्व के सभी देशों को उनकी सरकार द्वारा मनमाने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिये निर्मित किये गये हैं।

प्रस्तावना – भारतीय संस्कृति और सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी है। हमारी संस्कृति केवल मानव मात्र से ही नहीं अपितु सम्पूर्ण जीव जगत की निकटता की दुहाई दी जाती है। हमारे देश में सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार या कुटुम्ब माना जाता है। यहां 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का आदर्श रहा है। जिसमें यह कामना की गयी है कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो और किसी को भी दुःख न हो। मानव का अपने सर्वांगीण विकास में कुछ अधिकारों को अंगीकृत आगे बढ़ने के लिए 'मानवाधिकारों' की आवश्यकता को महसूस किया गया।

वर्तमान में मानव जाति के समक्ष सबसे बड़ी समस्या सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने की है। मानव जाति शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न एवं आतंकवाद से पीड़ित है। आज मानव असुरक्षित एवं उत्पीड़ित महसूस कर रहा है। मानव बुद्धिमान व विवेकपूर्ण प्राणी होने के कारण उसे मूल मानवीय अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों की जड़े प्राचीनकाल की गहराई में छिपी हुई दिखायी पड़ती है।

मानवाधिकार मानव को जन्म लेने मात्र से सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त है। चाहे वे किसी भी मूल वंश, धर्म, लिंग तथा राष्ट्रियता के क्यों न हो मानवाधिकारों को कभी-कभी मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अन्तर्निहित अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और जन्म अधिकार नाम से भी जाना जाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – भारतीय इतिहास में मानवाधिकारों का उल्लंघन भी हमें मिलता है जैसे- मकदूनिया के राजा फिलिप की मृत्यु होने पर उसका पुत्र सिकन्दर सिंहासन पर आसीम हुआ। उसकी सेना ने पर्सी पोलक को जलाकर राख कर दिया। निरीह नगरवासियों का बर्बरतापूर्वक कत्ल कर दिया गया। अस्सकेनाई की राजधानी मस्सगाह पर उसने विजय प्राप्त की किन्तु उसने अपनी ही सेना के सात हजार भारतीय सिपाहियों को मरवा दिया। कारण यह था कि उन्होंने अपने ही देश के विरुद्ध लड़ने से इंकार कर दिया था।

मानवाधिकारों की उत्पत्ति का विषय आज का नहीं है। बल्कि इसकी अवधारणा प्राचीनकाल में भी देखी गयी है। सर्वप्रथम सेन्ट थॉमस एक्वीनाथ द्वारा मूल मानवीय अधिकारों की बात कही गयी। भारत के अनेक प्राचीन दस्तावेजों में इसकी अवधारणा को देखा गया है। समाज में पहले नैतिकता एवं कर्तव्य पर अधिक बल दिया जाता रहा परन्तु मानव सभ्यता के विकास

ने इन्हें विलुप्त कर दिया। जिसको परिणाम प्रथम विश्वयुद्ध एवं द्वितीय विश्वयुद्ध विश्व में महसूस किया गया। आज मानव को पुनः प्राचीन अवधारणा की ओर आना पड़ा।

मानवाधिकारों के बदलते आयाम -

अधिकार -पत्र (magna-carta)- अधिकारों की उत्पत्ति का श्रेय इंग्लैण्ड के मैग्नाकार्टा को दिया गया है। इंग्लैण्डवासियों को 1215 में मैग्नाकार्टा मूल दस्तावेज अधिकारों के रूप में प्राप्त हुआ। इसमें कई अधिकार दिये गये जैसे-चर्चकी स्वतंत्रता, प्रथाओं का उपयोग करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र व्यक्तियों को मनमाने ढंग से कैदी नहीं बनाया जायेगा, अन्यायपूर्ण तरीके से किसी को बेदखल नहीं किया जायेगा, व्यापारियों से अन्यायोचित कर नहीं वसूल किया जायेगा एवं किसी को भी मार नहीं डाला जायेगा; जब तक की हाउस ऑफ लार्ड्स के सदस्यों का निर्णय या स्थानीय विधि के निर्णय द्वारा नहीं किया जायेगा।

पेटिशन आफ राइट्स- 1628- यह एक संसदीय घोषणा है जिसमें लोगों को स्वतंत्रतायें प्रदान की गयी है जैसे संसद की अनुमति के बिना ऋण अधिरोपित नहीं किया जायेगा। शांति के समय किसी पर भी मार्शल लॉ कमीशन लागू नहीं किया जायेगा एवं किसी व्यक्ति को जेल भेज भी दिया तो उसे जमानत पर छोड़ा जायेगा ऐसे कई अधिकार प्रदान किये गये।

हैवियस कॉरपस अधिनियम 1679 - यह अधिनियम कैदियों की सुरक्षा के लिये पारित किया गया एवं देश की प्रजा को स्वतंत्रतायें प्रदान किये जाये से संबंधित था।

बिल आफ राइट्स 1689 - इस अधिनियम का उद्देश्य आपराधिक आरोपों से भिन्न आरोपों के लगाये जाने पर व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना था। ऐसे मामले में राजा कुछ सीमा तक निर्णय ले सकेंगे परन्तु राजा संसद की अनुमति से ही कार्य कर सकेगा।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर- चार्टर में मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण को अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने लिये आवश्यक माना गया। चार्टर में सात बार मानव अधिकार शब्द का प्रयोग किया गया जिसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को और छोटे-बड़े राष्ट्रों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होंगे।

सार्वभौमिक घोषणा - अनुच्छेद-1 मानव परिवार के सभी सदस्यों को जन्मजात गरिमा तथा समान एवं अहरणीय अधिकारों की मान्यता विश्व में

स्वतंत्रता, न्याय और शान्ति का आधार हैं। वर्तमान मानव अधिकारों का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ। युद्ध के दौरान मानवता के विरुद्ध वीभत्स अपराध किये गये और मूल मानवीय अधिकारों का उल्लंघन किया गया। जर्मनी के नाजी नेताओं ने विधि विहीनता का राज्य स्थापित कर बर्बरता से अपने राज्य क्षेत्र में मानवीय मूल्य एवं गरिमा का उल्लंघन किया उसी समय यह महसूस किया गया कि व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं का संबंध अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा का विषय है।

चार्टर द्वारा मानवाधिकारों का बिल तैयार किया गया जो पाँच दस्तावजों से मिलकर बना हुआ है-

1. मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948
2. सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों की प्रसंविदा, 1966
3. आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा, 1966
4. सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा का ऐच्छिक नयाचार, 1976
5. आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा का ऐच्छिक नयाचार, 1989

पेरिस प्रिंसिपल, 1991 - यह पहला ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें विश्व के सभी देशों को राष्ट्रीय संस्था का गठन करने पर बल दिया गया। इसी से प्रेरित होकर भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 पारित किया गया।

भारत में मानवाधिकार - मानवाधिकार एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज का प्राधिकारित स्रोत है। भारत पर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का गहरा प्रभाव पड़ा है। जिस समय घोषणा बनकर तैयार हुई उसी समय भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था। तभी यह महसूस किया गया कि व्यक्ति की गरिमा के लिए मूल मानवीय अधिकारों को भारतीय संविधान में समाहित किया जाना चाहिए।

भारत के संविधान में मूल मानवीय अधिकारों का समावेश करने पर पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा 13 दिसम्बर, 1946 को 'प्रयोजन संकल्प' प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। इसमें भारत के सभी नागरिकों को गारण्टीकृत अधिकार सुनिश्चित किये जाने संबंधी था। मानवाधिकारों की वास्तविकता भारतीय संविधान में स्पष्ट दिखायी देती है। संविधान अतीत का उत्तराधिकारी और भविष्य का वसीयतकर्ता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था के साथ-साथ उसके प्रवर्तन के भी उपाय किये गये। जैसे जहां अधिकार हैं वहां उपचार है।

भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र है जो असंख्य भारतीयों के हृदय में बसा हुआ है और इसी से शासित होते आ रहे हैं। यह नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी भी है और समाज में कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता को भी सुनिश्चित करता है। संविधान के भाग-3 में मूल अधिकार हैं। जिसमें समानता का अधिकार अनुच्छेद - 14 और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद-21 मानवाधिकारों का मूल का पत्थर है। भाग-4 में नीति निर्देशक तत्व दिये हैं जिसमें आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात की गयी है।

भारतीय संविधान - भारतीय संविधान के भाग 3 को मानवाधिकारों का मैग्नाकार्टा कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि इसमें मूलभूत मानवाधिकार समाहित किये गये हैं। महिला, बच्चे एवं वृद्ध सभी के लिये प्रावधान किये गये हैं जिसे - सार्वभौमिक घोषणा में सिविल एवं राजनैतिक

अधिकारों के रूप में दिया गया है। वही संविधान के भाग 4 में सार्वभौमिक घोषणा के आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को समाहित किया गया है।

अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नित-प्रतिदिन यह अधिकार मानवाधिकारों खोज करता है और अनुच्छेद-21 में उन्हें समाहित करता है। जिसमें मानव गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सके जैसे- स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, आपात चिकित्सा, सुविधा का अधिकार, एकान्ता का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार, बिजली प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, आश्रय का अधिकार, सड़क प्राप्त करने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, बन्दि्यों के अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण ऐसे कई का अधिकार दिये गये हैं वर्तमान में इंटरनेट सुविधा को भी मूल अधिकार के रूप में मांग की जा रही है - यह अधिकारों मानव के दैहिक स्वतंत्रता के लिये आवश्यक हैं तभी मानव अपना सर्वांगीण विकास कर गरिमामय जीवन को प्राप्त कर सकता है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 - मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिये मानवाधिकार आयोग विधेयक लोक सभा में 14 मई 1992 को प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति 28 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई परंतु इसे अमल में 28 सितम्बर 1993 को ही ला लिया गया था कारण की घरेलू एवं विदेशी दबाव पड़ने के कारण तत्काल लागू किया गया। अधिनियम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव जिसके तहत अधिकार आयोग एवं मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने संबंधी अधिनियम प्रावधान किये गये।

भारत में मानवाधिकार आयोग की आवश्यकता उस समय महसूस की गयी जब पंजाब, जम्मू और कश्मीर, नार्थ ईस्ट और आन्ध्र प्रदेश में राजनैतिक उथल पुथल के कारण विदेशों में इसकी आलोचना की गयी। देशवासियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूक 1990 के दशक में पैदा हो चुकी थी। इसी कारण भारत सरकार ने आयोग को स्थापित करने का निश्चय किया।

आयोग का उद्देश्य - मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में दोषी व्यक्तियों को दण्डित करना और पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करना। जैसे - बलात्कार, अपहरण, व्यवहारण, लज्जा भंग, दहेज प्रताड़ना आदि शोषण एवं अत्याचार के मामलों में।

अधिनियम में 43 धाराओं के साथ 8 अध्याय दिये गये हैं। आयोग को धारा 12 में कार्य और शक्तियाँ प्रदान की गयी। आयोग के पास सबसे बड़ी शक्ति वह किसी भी मामले की स्वेच्छा जाँच कर सकता है, किसी दैनिक अखबार या टेलीविजन के माध्यम से मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर या किसी भी माध्यम से सूचना मिलने पर आयोग अपनी कार्यवाही कर सकता है। आयोग ने 1 नवम्बर 1993 की आयोजित पहली बैठक में बिजबेहना के लोगों पर सुरक्षा बल द्वारा गोली चलाने की घटना का स्वप्रेरणा से ईप्सा कर भारत सरकार को नोटिस जारी किया, तब से लेकर आज तक आयोग ने कई परिवादों का तेजी से निपटारा किया।

राज्यों में मानव अधिकार आयोग - राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन धारा 21 के तहत किया जायेगा। मध्यप्रदेश राज्य में मानव अधिकार आयोग का गठन 1995 में किया गया। आयोग मानवाधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिये कार्य करेगा। राज्य आयोग को भी वही कार्य और शक्तियाँ

प्राप्त हैं जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्राप्त हैं, जिसका उपयोग कर पीड़ित को तत्काल राहत दी जाती है। आयोग सूचना एवं जनसम्पर्क के माध्यम से जागरूकता लाने के लिये अनेकों साधनों का प्रयोग करता है।

मानवाधिकार न्यायालय का प्रावधान धारा 30 में मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत मामलों का शीघ्र विचारण करने के लिये जिले के सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। सरकार और आयोग द्वारा मानवाधिकारों के सुरक्षा के लिये जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जैसे- शौर्य दल, स्व साहयता समूह, वन स्टॉप आदि माध्यम से गांव तक जागरूकता फैलायी जा रही है।

आयोग अपने द्वारा किये गये कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजता है साथ ही मानवाधिकारों के प्रोत्साहन के लिये कुछ सुझावों को भी भेजा जाता है। आयोग ने मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु हर संभव प्रयास करेगा। जैसे - नाटक, नुक्कड़, पेपर, टेलीविजन, इंटरनेट, गैर सरकारी संगठन, महिला बाल विकास के माध्यम से शहर से गांव तक जागरूकता फैलायी जा रही है।

मानवाधिकार आयोग की कमियाँ - राष्ट्रीय संस्थाएं अथवा मानव अधिकार आयोग को कितना भी प्रभावी क्यों न बना दिया जाये तो भी लाखों अभावग्रस्त लोगों को भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं को प्रदान नहीं करवाया जा सकता। यह केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वे मानव गरिमा की अभिवृद्धि के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध करे।

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 - इस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्षता और सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल की अवधि संबंधी प्रावधान किये गये हैं।

सुबे सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा - उच्चतम न्यायालय द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण के गुणों को विकसित करने के लिए प्राधिकारियों एवं पुलिस को समय-समय पर तथा सेवा के दौरान सम्पूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना जिससे मानव अधिकारों को संरक्षण के प्रति इनकी गुणवत्ता बढ़ सके।

चेयरमेन रेल्वे बोर्ड एवं अन्य बनाम चन्द्रिकादास - इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि घोषणा को नैतिक व्यवहार के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गयी है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के सिद्धांतों को राज्यों को आन्तरिक विधि में प्रयोग में लाना चाहिए। घोषणा के अधिकारों को कई बार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में लागू किया गया।

सुझाव :

1. मानवाधिकारों के उन्नयन के लिए इंटरनेट और मीडिया को प्रोत्साहन ज्यादा-ज्यादा दिया जाना चाहिए।
2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की परिधि में सशक्त सेवाओं को शामिल किया जाना चाहिए।
3. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
4. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्य निर्वहन हेतु एक विशेष पुलिस बल नियुक्त किया जाना चाहिए।
5. मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों का निपटारा सेशन न्यायालय द्वारा नहीं किया जाकर अलग से जिला स्तर पर संस्था का गठन किया जाना चाहिए।
6. तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर वन स्टॉप जैसी मानव अधिकारों के जागरूकता संबंधी कार्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।
7. पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित राहत पहुँचाने हेतु आयोग को कुछ वित्तीय सुविधा केन्द्र सरकार द्वारा दी जानी चाहिए।
8. गैर सरकारी संस्थाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देकर जन-जन तक जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लेखक - डॉ. तपेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी- मानव अधिकार तृतीय संस्करण : 2009
2. लेखक - डॉ. बसन्तिलाल बाबेल - मानव अधिकार द्वितीय संस्करण : 2000
3. लेखक - डॉ. एच.ओ.अग्रवाल - अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार चौदहवाँ संस्करण : 2015
4. लेखक - डॉ. एस.के. कपूर - अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार
5. लेखक - जय नारायण पाण्डेय - भारतीय संविधान छियालिसवाँ संस्करण : 2013
6. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
7. लेखक- डॉ.एन.सी.परांजये- विधिशास्त्र तथा विधि के सिद्धांत-अठारह संस्करण : 2017

पेपर :

1. दैनिक भास्कर
2. पत्रिका

Website :

1. <https://www.un.org>
2. <https://www.hrw.org>
3. <https://www.humanrights.org>
4. <https://www.ohchr.org>

रामायणकाल में विधवा की स्थिति

डॉ. पंकज कुमार सिंह *

विधवा विवाह – वैदिक काल में विधवा के अनुसरण का निषेध किया गया है। विधवा के लिए जीवित रहना और पुनर्विवाह कर लेना ही अधिक श्रेयस्कर माना गया है। ऋग्वेद के अन्यष्टि सूक्त के एक यंत्र में विधवा विवाह का संकेत किया गया है।¹ इस मंत्र के अर्थ के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों में मतान्तर है। मैकडोनल के अनुसार विधवा पति का अनुगमन न करके इस लोक में रहकर पुनर्विवाह करके पति की स्मृति को सुरक्षित रखे यही इस मंत्र का अर्थ है। यह उपयुक्त भी प्रतीत होता है क्योंकि इसका समर्थन सूत्र साहित्य में भी मिलता है।² तैत्तिरीय संहिता में विधवा विवाह का सबल प्रमाण प्राप्त होता है। इसके एक स्थल पर विधवा के पुत्र का उल्लेख है।³ अथर्ववेद में भी विधवा विवाह का संकेत प्राप्त होता है। इसके एक मंत्र में बतलाया गया है कि परलोक में कोई पत्नी द्वितीय पति से पुनः मिल सकती है।⁴

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में विधवा विवाह की निन्दा की गयी है। मनु ने भी विधवा विवाह का प्रबल विरोध किया है। अन्य पुरुष द्वारा उत्पन्न संतान शास्त्रविरुद्ध है। अन्य की स्त्री में उत्पन्न संतान उत्पादनकर्ता की नहीं होती। पतिव्रता के लिए भी परपति का विधान नहीं है।⁵ इन्होंने कहा है कि विवाह विधान वाले शास्त्रों में कहीं भी विधवा विवाह का निर्देश नहीं है।⁶ उन्होंने विधवा को सदा पतिव्रताओं के धर्म की इच्छा करने वाली, क्षामायी और ब्रह्मचारिणी रहने का निर्देश दिया है।⁷ पति के मर जाने पर ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करने वाली स्त्री पुत्रहीन न होने पर भी स्वर्गलोक को प्राप्त करती है।⁸ पुत्र के लोभ से जो स्त्री पति का अतिक्रमण करती है वह इस लोक में तो निन्दित होती ही हैं, परलोक से भी गिर जाती हैं।⁹

महाभारत और रामायणकाल में विधवा की स्थिति मनु के ठीक विपरीत दिखलाई देती है। विधवा विवाह को सामाजिक समर्थन प्राप्त था। महाभारत में उल्लेख आया है कि विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी और विशेषतः बाल विधवा का देवर के साथ विवाह धर्मसम्मत भी था।¹⁰ कैकेयी सुमित्रा विधवा रहकर ही जीवन बिता देती हैं तथा वानर जाति की नारियों में तारा पुत्र रामायण में विधवा के पुनर्विवाह का उल्लेख कहीं नहीं है। उच्चवर्गीय नारियों में कौशल्या के लालन पालन में ही वैधव्य के दुःख के दिन काटती है।

राक्षसवर्ग में शूर्पणखा की प्रवृत्ति इस ओर दिखलाई देती है। वह विद्वयुज्जिह्व की पत्नी एवं रावण की सहोदरा है रावण द्वारा बहनों का वध कर दिये जाने से वह विधवा हो गयी है। दण्डक वन में राम लक्ष्मण को देखकर वह मोहित हो जाती है। वह राम से विवाह हेतु प्रस्ताव करती है।¹¹ पुनः राम के संकेत पर वह विवाह के निमित्त लक्ष्मण के पास भी जाती है। इस शूर्पणखा वृत्तान्त से ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसवर्ग में विधवा विवाह अनुमोदित था। यद्यपि वहाँ भी इसके निर्बाधा प्रचलन के उदाहरण नहीं मिलते। रावण की मृत्यु के बाद उसकी किसी विधवा पत्नी ने पुनर्विवाह नहीं किया।

शूर्पणखा के इस प्रसंग में उसकी कामुकता ही प्रधान कारण है।¹² इतना अवश्य कहा जा सकता है कि राक्षस वर्ग में विधवा विवाह का विशेष प्रचलन नहीं होने पर भी राक्षसी विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी इस पर कोई सामाजिक नियंत्रण नहीं था।

नियोग – नियोग प्रथा का प्रचलन ई.पू. तृतीय शताब्दी से दिखायी देता है। इसके पक्ष और विपक्ष में दो प्रकार की विचारधारायें मिलती हैं। गौतम तथा वशिष्ठ नियोग प्रथा के पोषक हैं तथा आपस्तम्ब और बोधयन इसके निन्दक हैं। गौतम के अनुसार विवाहिता स्त्री पर पतिकुल का पूर्ण अधिकार होता है। पति की मृत्यु के बाद विधवा का देवर उसे पत्नी के रूप में रख सकता है।¹³ वशिष्ठ ने इसका समर्थन किया है। मनु ने नियोग के संबंध में अत्यन्त स्पष्ट रूप में अपना विचार व्यक्त किया है। यदि स्त्री असमय में विधवा हो जाती है या वह निःसंतान है तो संतान की कामना से गुरुजनों के आदेशानुसार नियुक्त होकर देवर से अथवा किसी अन्य सपिण्ड पुरुष से संतान लाभ कर सकती है। उन्होंने नियुक्त होने वाले पुरुष के लिए भी विशेष नियम का निर्धारण किया है। नियुक्त हुए पुरुष को पूरे शरीर में घृत का लेप करके रात्रि के समय मौन धारण पूर्वक विधवा में एक ही पुत्र का आधान करना चाहिए दूसरे का कभी नहीं।¹⁴

निरुद्देश्य या काम वासना से साधवी या विधवा के साथ गमन करना तो महान् अपराध है। ज्येष्ठ भ्राता छोटे भाई की पत्नी से या छोटा भाई ज्येष्ठ की पत्नी से निरापद काल में यदि नियुक्त होकर भी गमन करे तो पतित हो जाता है।¹⁵ महाभारत में प्राप्त उल्लेख के अनुसार विधवा विवाह देवर के साथ धर्मसम्मत था तथापि वह मार्ग इतना प्रशंस्य नहीं था जितना पुत्रहीन पति की मृत्यु बाद भी स्वयं जीवित रहकर नियोग द्वारा उसी की वंश वृद्धि के लिए पुत्रोत्पादन करना प्रशंस्य था।¹⁶ नियोग द्वारा तीन पुत्र तक उत्पन्न किये जा सकते थे क्योंकि एक पुत्र का होना पुत्रहीनता के बराबर माना जाता था। किन्तु लोभ या काम से अधिक संतानोत्पादन धर्मसम्मत नहीं था।¹⁷

रामायण में कहीं भी नियोग का उल्लेख नहीं है। यदि रामायण काल में नियोग का प्रचलन होता तो किसी न किसी रूप में इसकी चर्चा अवश्य आयी रहती। महाभारत में प्राप्त उल्लेखों के आधार पर यह कहा सकता है कि सभ्यता के विकास के साथ साथ नियोग प्रथा का आरम्भ हुआ हो।

विधवा का सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार – वैदिक साक्ष्य के विरुद्ध संहिता और ब्राह्मण ग्रन्थों में पति की मृत्यु पर सम्पत्ति में विधवा के अधिकार को नहीं स्वीकार किया गया है।¹⁸ आपस्तम्ब ने भी विधवा के सम्पत्ति संबंधी अधिकार को नहीं माना है। उनके अनुसार पुरुष की मृत्यु के अनन्तर पुत्र के अभाव में उसका उत्तराधिकारी सपिण्ड व्यक्ति होता था। इसके न रहने पर मृत व्यक्ति का आचार्य या उसके भी न रहने पर उसका अन्तेवासी सम्पत्ति

का अधिकारी होता था।¹⁹

मनु के अनुसार पुत्र के अभाव में पुरुष के धन का भागी पिता या भाई होता था।²⁰ मनु के मत पर भाष्य करते हुए मेधातिथि ने लिखा है कि सम्पत्ति में विधवा कहीं भी भागीदार नहीं होती।²¹ ईसा की प्रथम शताब्दी के आते आते विधवा को पति के धन में हिस्सा प्रदान किया जाने लगा।²² गौतम ने मृत पति की सम्पत्ति में सपिण्डी गोस्त्रियों और सम्बन्धियों के साथ विधवा का भी समान भाग स्वीकार किया है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में हमें यह देखना है कि वाल्मीकि किस मत के पोषक हैं। रामायण में कहीं भी विधवा की सम्पत्ति के अपहरण का उल्लेख नहीं है। दशरथ की मृत्यु के बाद कौशल्यादि तीनों रानियाँ पूर्ववत् धन का भोग करती हुई देखी जाती हैं। कौशल्या के पास जो अपनी सम्पत्ति थी, विधवा होने पर भी उस पर उसका अधिकार पूर्ववत् है। बाली के मारे जाने पर यद्यपि किष्किन्धा का अधिकारी सुग्रीव बनता है लेकिन तारा भी वहाँ साधिकार रहती है तथा धान का समुचित भोग करती है। इन प्रसंगों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रामायणकाल में भी विधवा को सम्पत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त थे। पति की मृत्यु के बाद भी स्त्रीधन का कोई अपहरण नहीं करता था। साथ ही पति के धन पर भी उसका अथवा उसके पुत्र का अधिकार होता था। इसीलिए तो अंगद को युवराज पद पर अभिशिक्त किया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ऋग्वेद 10/18/8
2. आश्व. गृह्य. 4/2/18
3. तै. सं. 2/2/44
4. अथर्व. 9/5/27-28
5. मनु. 5/162
6. न विवाहविधायुक्तं विधवा वेदनं पुनः ॥ वहीं, 9/65
7. आसीतामरणत्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी घयो धर्म एकपत्नीनां काङ्क्षन्ती तमनुत्तमम् ॥ वही 9/158
8. मृते भर्तारि साधवी स्त्री ब्रह्मचर्यं व्यवस्थिता । स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ वहीं 5/160
9. अपत्यलोभाद्या तु स्त्री भर्तारमतिवर्तते । सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाच्च हीयते ॥ वही 5/161
10. महा. अनुशासन. 84/14-1579/53
11. तानहं समतिक्रान्ता रामत्वा पूर्वदर्शनात् । समुपेतास्मि भावेन भर्तारं पुरुषोत्तमम् ॥ तथा अहमेवानुरूपा ते भार्यारूपेण पश्च माम् ॥ 3/17/24 26
12. राम काव्यों में नारीए पृष्ठ-294
13. गौ. धर्म. 28/4/8
14. वशिष्ठ धर्म. 17/56 एवं 65.
देवराज्ञासपिण्डाद्धा स्त्रिया सम्यनियुक्तया ।
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या संतानस्य परिक्षये ॥
एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन ॥ मनु. 9/59-60
15. ज्येष्ठो यवीयसो भार्या यवीयान्वाग्रजस्त्रियम् । पतितो भवतो गत्वा नियुक्तावप्यानापदि । वही, 9/158)
16. महा. अनुशासन. 80/328.
17. वहीए आदि. 114/65
18. तै.सं. 6/5/4/2 ; शत. ब्रा. 4/4/2/13/
19. पुत्राभावे यः प्रत्यासन्नः पिण्डः । तदभावे आचार्यः। आचार्य भावेऽन्तंवासौ हत्वा धर्मत्येषु योजयेत् ।
दुहिता वा । आप. धर्म. 2/14/2-5
20. न भ्रातरौ न पितरः पुत्रारिवधहराः पितुः .पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव च ॥ मनु. 9/185
21. मनुस्मृति 9/187 पर मेधातिथि भाष्य
22. अदायादकं राजा हरेत्स्त्रीवृति प्रेतकदर्यवर्जम् । कौ. अर्थ., 3/5

COVID-19 and Employees' Mental Health: Stressors, Moderators and Organizational Actions

Dr. Swati Mathur *

Abstract - This paper analyzes the effect of the COVID-19 episode on workers' emotional wellness, explicitly mental trouble and wretchedness. It targets distinguishing the principle stressors during and post COVID-19, inspecting the fundamental directing variables which might relieve or bother the effect of COVID-19 on workers' psychological well-being, lastly to propose suggestions from a human asset the executives point of view to alleviate COVID-19's effect on representatives' emotional well-being. This paper assists with expanding the extent of exploration on work environment psychological well-being, by analyzing the effect of a complex new pandemic: COVID-19 on representatives' emotional well-being, from sociologies insightful, preparing brain research, and human asset the board.

Keywords - Coronavirus, COVID-19, Mental health, Stress, Workplace, Depression, Psychological distress, Human resource management.

Introduction - On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) proclaimed Covid (CODIV-19) a pandemic. Which implies a worldwide illness episode undermining the entire planet?

Coronavirus is an irresistible sickness brought about by a Covid. 'Covids (CoV) are a huge group of infections that cause sickness going from the normal virus to more extreme diseases| like Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). A novel Covid (nCoV) is another strain that has not been recently distinguished in people. They are communicated among creatures and people. They incorporate fever, dry hack, windedness and breathing hardships, sluggishness with potential side effects of a throbbing painfulness, nasal clog, runny nose, sore throat, or the runs.

Covid is another infection that has been found with its flare-up in Wuhan, China, in December 2019. Presently, it has spread at a lightning velocity to influence a few nations. As per WHO (2020b), on March 31, 2020, this infection has reached 202 nations, regions, or regions with 693,224 affirmed cases and 33,391 passings.

Confronted with this epidemiological fiasco, people have introduced uneasiness-related conduct, converted into a huge deficiency of sanitizers, clinical covers (Shigemura et al., 2020), and bathroom tissue (Corkery and Maheshwari, 2020). This proposes that the Covid isn't just an actual wellbeing hazard, yet it additionally weighs intensely on the emotional well-being of people. The best model is the sadly evident self-destruction of a 37-year-old government laborer, in Japan, who was answerable for caring for secluded returnees from Wuhan (China) (The

Japan Times, 2020). In China, the COVID-19 episode has prompted colossal mental issues that have made an arising genuine test for emotional well-being administrations in China (Li et al., 2020)

Undoubtedly, it appears to be that during a pandemic episode, particularly on account of an obscure new infection, people's emotional well-being issues can in some cases be generally ignored. The goals of the current paper were twofold. In the first place, to inspect COVID-19 effect on workers' emotional wellness in associations. Optionally, to assess the primary hierarchical mediations, from a human asset the executive's point of view, which might alleviate this effect. As we compose this paper, the Covid is spreading so quickly. Thinking about its oddity, considers, which affect people's psychological well-being, are meager. Likewise, there are not many investigations that have inspected this epidemiological fiasco according to an administrative point of view.

Research Methodology: In view of the order of Grant and Booth (2009), the strategy utilized in this paper is an overall writing survey, which gives an assessment of the new and current writing and covers various subjects in fluctuating degrees of culmination and completeness. The subject canvassed in this paper is COVID-19 that the entire world is confronting while we are composing it. We inspect explicitly its effect on workers' emotional wellness, including the stressors, we investigate the directing components just as the potential roads of authoritative activities to relieve the impacts of COVID-19 on the representative's psychological well-being. The story structure is the primary quality of this kind of survey (Grant and Booth, 2009) that we have taken on in this paper.

We looked for articles in Google Scholar, Web of Science, and semantic researcher utilizing a mix of terms identified with Covid OR COVID-19 and working environment; COVID-19 and representatives' emotional wellness; COVID-19 and mental misery; COVID-19 and despondency, work environments' technique, and COVID-19. Articles were picked by their importance to our examination point. We looked for articles that gave data about COVID-19's effect on workers' psychological wellness, we zeroed in on those distributed between December 2019 and March 2020. Biomedical articles were not chosen. Our goal was to examine articles that assisted to make a scaffold between the study of disease transmission, brain research, and human asset of the executives. Because of the scarcity of studies on the COVID-19's effect on workers' psychological well-being, we needed to draw on examinations on late plagues like SARS (Severe intense respiratory condition) and Ebola. We looked, for this situation, for articles that interface these plagues to emotional wellness. All the surveyed articles are remembered for this paper and recorded in the references.

Literature review

Coronavirus, the work environment, and representatives' emotional wellness We inspect in this paper two psychological well-being results: mental pain and significant gloom that can result from a pandemic or a pestilence flare-up (Chiu et al., 2020; Lai et al., 2020; Perlis, 2020; Wu et al., 2005; Xiang et al., 2020). Mental trouble is to a great extent utilized as a pointer of emotional well-being (Drapeau et al., 2011). It alludes to a condition of person's passionate misery, joined by manifestations of sadness (for example misery and loss of interest) and nervousness (for example fretfulness) (Drapeau et al., 2011; Mirowsky and Ross, 2003; Payton, 2009) and substantial manifestations like a sleeping disorder (Drapeau et al., 2011; Marchand, 2004). Mental trouble is identified with a bunch of psychophysiological and conduct manifestations that are appropriated throughout a continuum of time (Marchand, 2004). While discouragement is a mental mindset issue, portrayed by steady decreased mindset and interest (Bonde, 2008), tireless sensations of pity, negative feelings, and trouble adapting to regular obligations (Cummins et al., 2015). If not recognized mental misery might prompt significant sorrow (Marchand, 2004). While despondency might prompt extreme results like self-destruction (Beck and Alford, 2009; Cummins et al., 2015).

Stressors post Coronavirus: Studies propose that a few stressors that have advanced during pandemic episodes have dependable impacts (Brooks et al., 2020). This implies that they stay even get-togethers vanishing of this pandemic. At the hour of composing this paper, COVID-19 is as yet present. Subsequently, it is absurd to precisely recognize its consequences for people's psychological wellness after its vanishing. Be that as it may, on the off chance that we expand on ongoing writing identified with COVID-19, writing identified with past pandemics and

scourges like SARS, a few forecasts can be made concerning the potential stressors post COVID-19 which might adversely affect workers' psychological wellness. For this situation, other than posttraumatic stress issue identified with the recuperation from a perilous actual disease (Wu et al., 2005), it appears to be that shame, monetary misfortune, and occupation instability might have a dependable impact after COVID-19.

Suggestions and Recommendations: What should be possible from a human asset executives viewpoint to moderate the results of COVID-19 on workers' emotional wellness during and after the pandemic episode? In light of the distinguished stressors which might clarify the possible adverse consequences of the COVID-19 episode on representatives' psychological well-being and directing variables that might alleviate or exasperate these impacts, we have fostered a rundown of contemplations and suggestions for work environments, chiefly for supervisors and for a human asset the executive's specialists. Apparently, moderation measures are required during and after a pandemic to decrease its likely adverse consequences on a person's psychological well-being (Brooks et al., 2020). In this specific circumstance, we propose that associations ought to foster a short-and long haul authoritative arrangement, in view of the accompanying suggestions:

Advance Correspondence and Straight Forwardness : Chiefs as a team with a human assets the board experts need to foster a correspondence plan, which obviously presents the choices identified with the business coherence plan of the association during the pandemic (Smith et al., 2007). Moreover, directors ought to keep up with persistent correspondence with their representatives if they are genuinely present in the work environment (Greer and Payne, 2014). Also, managers ought to include workers in the arrangement of the post-pandemic strategy, which will decrease representatives' degree of stress, encourage an uplifting outlook and build up group attachment. Indeed, the choice scope has been generally reported as a cushion of the stressors that might sabotage representatives' emotional wellness (Karasek, 1979).

Avoidance of Disgrace : Demonization can be limited by giving exact and convenient COVID-19 data (Bai et al., 2004) and preparing (Brooks et al., 2020) to representatives and supervisors during and after the pandemic flare-up. Moreover, associations ought to create or support working environment strategies that address shame avoidance. For instance, the advancement of a zero-resistance strategy (hostile to separation) (Stewart, 2018) is a significant apparatus to secure representatives, forestall shame, and improve wellbeing and prosperity in the work environment.

Training : Training is likewise fundamental during and after the pandemic. It is viewed as a defensive factor against psychological wellness issues (Brooks et al., 2018). It assists with instructing representatives about the vital conduct and their significance in the counteraction of viral

spread. General training about COVID-19 and the purposes behind isolate can lessen vilification (Brooks et al., 2020) in the work environment. Training likewise needs to include chiefs.

Social help : Social help at work is generally archived in the writing as a defensive factor against working environment emotional well-being issues (Karasek and Theorell, 1990). The turn of events and execution of emotional wellness backing and administrations are significant to forestall psychological well-being results of COVID-19 (Xiang et al., 2020; Xiao et al., 2020). A few investigations brought up that deficient psycho-sensible help from the business addresses a danger factor for poor emotional wellness (Brooks et al., 2018; Tam et al., 2004).

The contribution of the current paper: The current paper is a writing audit that looks at the effect of COVID-19 on representatives' emotional well-being, principally mental trouble and gloom. It presents an audit of the primary stressors during and post-pandemic, just as the expected directing variables in the connection between COVID-19 and workers' psychological well-being. Three elements of arbitrators have been explored: hierarchical, institutional, and singular measurements. The objective of this paper is to enhance the comprehension of COVID-19's effect on representatives' psychological wellness, and to recommend roads for hierarchical activities from a human asset the board viewpoint, during and post COVID-19 to alleviate its belongings. Not very many articles have analyzed COVID-19 from mental and administrative points of view. This paper assists with widening the extent of examination on working environment emotional wellness and to give a few experiences to administrators and human asset the executives experts.

Practical implications for associations: Coronavirus emergency is remarkable as far as irresistibility, how rapidly the sickness spread to various nations, affecting the world's economy. Organizations are not all outfitted to adapt to this pandemic, as far as data, assets, and capabilities. Chiefs and human asset specialists need to discover quick answers for keep up with tasks while guaranteeing the security of their workers. This paper gives significant data that assists associations with understanding the primary stressors during COVID-19 and those conceivably to be available get-togethers 19. It likewise gives data about the fundamental directing variables that might alleviate or disturb the effect of the COVID-19 on representatives' emotional well-being. The suggestions introduced in this paper should help the supervisors and human asset experts to foster a mediation plan for the period during and after COVID-19, to keep a productive and quick nonstop correspondence with their representatives including administrators, and to keep an organization of directors, human asset specialists, wellbeing and government's authorities.

Conclusion and future exploration: The oddity of the COVID-19 and its likely adverse consequence on workers'

emotional well-being urge this kind of survey. The fundamental objective of this paper is to give the vital data to forestall or alleviate the adverse consequence of COVID-19 on workers' emotional wellness. We consider that the nature of the writing evaluated in this paper assists with accomplishing this objective. The commitment of the writing survey ought to be, nonetheless, considered considering certain restrictions. To begin with, the potential for the choice of the articles to be abstract. Nonetheless, the data sets utilized (Google researcher, web of science, and semantic researcher) give the most referred to articles. Besides, the useful person of this paper and its primary target to give valuable data to workers and associations don't need an orderly audit of the writing. Along these lines, this article is contributing with a very much consolidated and all around organized paper dependent on data acquired from a huge writing survey of the effect of COVID-19 or different pandemics on representatives' emotional well-being. This writing survey can be valuable for the advancement of a reasonable model that can be tried exactly in future exploration to decide the relationship between the distinguished stressors and worker's emotional wellness during or post COVID-19 episode.

References :-

1. Huang JZ, Han MF, Luo TD, *et al.*: Mental health survey of 230 medical staff in a tertiary infectious disease hospital for COVID-19. *Zhonghua Lao Dong WeiShengZhiYeBingZaZhi*.2020; 38(0): E001.
2. Huang Y, Zhao N: Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 epidemic in China: a web-based cross-sectional survey. *medRxiv*. 2020.
3. Karasek RA: Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. *Adm Sci Q*. 1979; 24(2): 285–308.
4. Karasek R, Theorell T: *Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of working life*. New York, Basic Books. 1990; 66(4): 525–526.
5. Kinsman J: "A time of fear": local, national, and international responses to a large Ebola outbreak in Uganda. *Global Health*. 2012; 8: 15.
6. Koh D: Occupational risks for COVID-19 infection. *Occup Med (Lond)*. 2020; 70(1): 3–5.
7. Lai J, Ma S, Wang Y, *et al.*: Factors Associated with Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019. *JAMA Netw Open*. 2020; 3(3): e203976–e203976.
8. Li W, Yang Y, Liu ZH, *et al.*: Progression of Mental Health Services during the COVID-19 Outbreak in China. *Int J Biol Sci*. 2020; 16(10): 1732–1738.
9. Liu S, Yang L, Zhang C, *et al.*: Online mental health services in China during the COVID-19 outbreak. *Lancet Psychiatry*. 2020; 7(4): e17–e18.
10. Macintyre CR: On a knife's edge of a COVID-19 pandemic: is containment still possible? *Public Health Res Pract*. 2020; 30.

11. MalletV,DombeyD:France,Spain and UK unleash rescue packages to help companies. UK: Financial Times 2020; [Accessed March 20 2020].
12. Maunder RG, Lancee WJ, Balderson KE, *et al.*: Long-term psychological and occupational effects of providing hospital health care during SARS outbreak. *Emerg Infect Dis.* 2006; 12(12): 1924–32.
13. OECD:Global economy faces gravest threats incet hecris is as coronavirus spreads.2020; [Accessed March, 16 2020].
14. S, Yeoman I, Munro C, *et al.*: A case study of best practice—Visit Scotland’s prepared respon se to an influenza pandemic. *Tourism Management.*2006; 27(3): 361–393.

A Case study on: Executive role in Private and Public Banking Industries

Dr. Swati Choudhary*

Abstract - Executives behaviours can either enhance & damage value for the selected customers managements have always intuitively understood that executive service can only be delivered by executives who are satisfied at work. Another review of the practices in service organization regarded as excellent found a number of commonalities. They organized that executives relation mirrored customers relationship and they were to be superior in service which they knew that they had to be superior in their relationships with executives. The present study aims to ascertaining the opinion of bank executives to identify the prevailing gap between customer preception at executives opinion (Franics Buttle: 2005)

Key words- commonalities, intuitively, enhance.

Introduction - It seems self-evident that makes unhappy, discounted executives must communicate their dissatisfaction counters with customers. A very strong link between executives and Customers perceptions of the quality of service delivered and the internal climate for service. A positive climate for service is less bureaucratic more customers oriented more supportive of personal initiatives which improve service. When executives have a positive view of the firm's HIR policies and practices then customers will leave a positive view of the service quality which they received. Executive's satisfaction, driven by estate human resource management, feels positively into customer perceptions of quality, in other words, executive satisfaction drives customer satisfaction and in a competitive market place where customers can switch of suppliers, customer satisfaction is the sine qua non of customer retention.

Personal profile of Executives of Public and Private sector Banking Industries - In this study, the personal profile of both executives and customers thoroughly explored the Age, Gender, Education and Income of Executives are vital in determing the executives interest in maintaining smooth, optimistic and developmental customer relationship.

Personal detail

Age of the executives - The reputation of the firm increased significantly is depending upon the maintances of CRM. Here, the age of the executives is an important determinant for maintain the CRM.

Gender of the Executives - The gender of the executives in an important aspect to determine the ability and potentiality to convert proper relationship to maximize the profit of the organization.

Education of the Executives - The education of the executives is an important factor to determine the CRM. It is also having a positive optimistic relationship with initiation of the customer, maintances.

Income of the executives - In the study, the incomes of the executives are important aspects determing the executives in maintain smooth, optimistic and developmental customer relationship.

Table 1 : Income of the Executives

Monthly Income	Frequency	Percentage
5	68	27.2
10	99	39.6
15	77	30.8
Above 20	6	2.4
Total	250	100

Source: primary data

Department of the Executives - Department of the executives in one of the important aspects to determine ability, specialty, sincerity, flexibility and potentiality to create cordial relationship into maximizing the profit and wealth of the organization.

Table 2 : Department of the Executives

Department	Frequency	Percentage
Managerial	209	83.6
Clerical	37	14.8
Sub Staff	4	1.6
TOTAL	250	100

Source: Primary Data

Experience of the Executives - Experience of the executives is one of the important aspects to determine knowledge ability, specialty, sincerely, flexibility and potentiality to create cordial relationship in to maximizing the profit and wealth of the organization.

*Assistant Professor, Choudhary P.R. TT College, Rawatsar, Hanumangarh (Raj.) INDIA

Table 3 : Experience of the Executives

Department	Frequency	Percentage
4-6 Years	32	12.8
6-7 Years	175	70.0
Above 8 Years	43	17.2
Total	250	100

Customer Interaction Programme - The frequency visit of the customers to the organization is used to identify their potentiality. Regular interaction with all types of customers help to regaining them.

Banks contact the different types of programees like awareness, business and other programmes. 148 (67.6 percent) of the respondents to attend the awareness programmes. 71 (32.4 percent) of the respondents attend the other programmes.

Conclusion - Executive is a powerful concept of success of the industry. It paves the way to maintain an optimistic

relationship with customers to increase the business and profitability. The strategies employed CRM is aimed at mutual benefit to the customers and industries. It makes deep and wide impact on customers and deep in roads in indentifying the 14 creative move of the industries. Personal details of customers like gender, age, education qualification and essential in determing in essential to perform better of all the industries in fact it gives maximum credit and gains to the industry for the future.

References :-

1. Bagchit Tulsket (2000), "E-Business models: Integrating learning form the strategy development experience and empirical research"
2. Francis Butttle (2005). " The S.C.O.P.E. of CRM, the ICFaian Journal of Management research", May-June, pp 280-305.

कवि प्रदीप के फिल्मेतर गीत और संवेदना

संदीप सिद्ध *

शोध सारांश – एक गीतकार के लिखे गीत आज भी पुरे भारत में गुंजायमान होते हैं। क्योंकि देश भक्ति का अमर गीतकार कह लो या कवि प्रदीप कह लो एक ही है। लेकिन उनके गीतों का प्रभाव आज भी बिल्कुल कम नहीं हुआ है। एक फिल्मी गीतकार होते हुए भी उनके गीतों को जिस तरह आदर और लोकप्रियता दोनों मिली ऐसे संयोग और कही देखने को नहीं मिलता है। काव्य प्रतिभा के उत्कृष्ट फनकार कवि प्रदीप ने शताब्दियों से गुलामी की बेडियों में जकड़ी एवं पिड़ित शोषित भारतीय जनमानस में छिपी आंतरिक शक्तिस्त्रोत से उन्हें अवगत करवाकर उसे जगाने का कार्य अपने अविस्मरणीय गीत लेखन संगीत एवं गायन के माध्यम से किया वे कवि प्रदीप ही थे जिन्होंने फिल्मों की ताकत को पहचानकर उसकी क्षमता का स्वतंत्रता आंदोलन एवं अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध लड़ने वालों के समर्थन में किया। महाकवि निराला ने अपने एक लेख में प्रदीप जी के बारे में लिखा था। आज जितने कवियों का प्रकाश हिन्दी में फैला है। उनमें प्रदीप का प्रकाश अत्यंत उज्ज्वल और स्निग्ध है। हिन्दी के हृदय में प्रदीप की दीप रागिनी कोयल और पपीहे के स्वर्णों को भी परास्त कर चुकी है।

प्रस्तावना – “प्रदीप जी” वास्तव में हिन्दी साहित्य के प्रदीप थे। प्रदीप जी को अपने जीवन में बहुत सम्मान मिला सबसे ज्यादा सम्मान देशवासियों विशेषकर हरिभक्तों एवं देशभक्तों से मिला। फिल्म जगत में तो उनका सभी सम्मान करते थे। जहाँ तक औपचारिक सम्मानों की बात है वह भी फिल्मी गीतकारों में उन्हें सबसे अधिक मिला। सन् 1961 में वह संगीत नाटक अकादमी द्वारा हिन्दी चलचित्र के महत्वपूर्ण गीतकार घोषित किए गए और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा सम्मानित किया गया। इसके पूर्व और पश्चात् में भारत सरकार द्वारा किसी फिल्मी गीतकार को इस तरह सम्मानित नहीं किया गया। “प्रदीप जी को वर्ष 1988 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसके अलावा उन्हें राष्ट्रकवि पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, चलचित्र लेखक संगठन की ओर से विशेष पुरस्कार सहयोग फाउंडेशन पुरस्कार, भारतीय चलचित्र जगत के निर्माता संगठन का विशेष पुरस्कार, संत ज्ञानेश्वर पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, हिन्दी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए म.प्र. सरकार की ओर से विशेष सम्मान, सुरसिंगार संसद पुरस्कार, सिने पत्रकार संघ पुरस्कार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुरस्कार, छत्रपति शिवाजी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, आदि कई पुरस्कारों से प्रदीप जी को सम्मानित किया गया कवि प्रदीप जी शुद्ध व्यावसायिक क्षेत्र में रहे, पर उस क्षेत्र में उन्होंने लेखन अपनी शर्तों पर ही किया, आर्थिक प्रलोभनों में वे नहीं पड़े। बिना फिल्म के आलेख को पढ़े उन्होंने कोई फिल्म स्वीकार नहीं की, वे एक साहित्यिक फिल्म गीतकार थे और उन्होंने फिल्मी गीतों में एक स्तर बनाये रखा।

कवि प्रदीप के लेखन का आदर्श सदा ही सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय रहा है। लोकमन की पहचान सरल शब्द योजना और गुणगुना सकने वाली धुन कवि प्रदीप के गीतों के आधारभूत तत्व है। जब वे इलाहाबाद लखनऊ आदि कर्मभूमियों में अपनी कविता से साहित्यकारों को मुग्ध कर रहे थे तो वे सर्जक के साथ-साथ एक मधुरकंठी गायक के रूप में भी समाहत हो रहे थे। प्रदीप जी के समकालीनों के अनुसार जिस कवि सम्मेलन अथवा सभा में प्रदीप जी की स्वर लहरियाँ बिखर जाती थी वहाँ अन्य कवियों का

काव्यपाठ फीका पड़ जाता था। इसे माँ वाग्देवी की महती कृपा ही कहेगे कि काव्य-रचना की प्रतिभा के साथ-साथ संगीत उनकी आत्मा में रचा-बसा हुआ था।

प्रदीप जी ने सिने-जगत में पर्दापण के साथ फिल्म “कंगन” (1939) में पहले पहल चार गीत लिखे तो उन्होंने एक स्वरचित गीत “मैं तो आरती उतारूँ राधेश्याम की रे, मुक्तिधाम की रेय” तथा इसी फिल्म में कबीर के दो गीत “अरे रे कबीर, सुन ले कबीर, रमैय्या की जोरु ने लूटा” तथा “मारे राम जिलावे राम, जाको राखे साइयाँ मार न सकता” को अपना स्वर भी दिया। सन् 1940 में उन्होंने फिल्म “बंधन” के सभी गीत लिखे। इस फिल्म के 12 गीतों में से दो गीत उन्होंने गाये भी। “इस प्रकार प्रदीप जी ने कंगन, बंधन, झूला, नया संसार, वामन अवतार, नास्तिक, जागृति, बसन्त पंचमी, दषहरा, राम नवमी, चण्डीपूजा, नागमणि, दो बहनें, स्कूल मास्टर, अमर रहे ये प्यार, हरिशचन्द्र तारामती, वीर भीमसेन, अमर प्रेम, शंकर सीता अनुसूया, हर-हर गंगे, कभी धूप कभी छाँव, जय संतोषी माँ एवं आँख का तारा सहित दर्जनो फिल्मों के गीतों को अपनी मधुर आवाज देकर उन्हें अमर बना दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सारे फिल्मेतर गीत भी गाये हैं जिनके रिकार्ड/कैसेट एवं सी.डी./डी.वीडी. बनाये गये हैं। प्रदीप जी ने विद्वानो-समीक्षकों को यह सोचने के लिए विवश कर दिया कि आखिर वे गीतकार के रूप में विराट हैं या गायक के रूप में। ‘कवि प्रदीप’ के गायक रूप पर निराला जी के इस मत से असहमत नहीं हुआ जा सकता कि प्रदीप का स्वर ईश्वर प्रदत्त है। उन्होंने स्वर की शिक्षा नहीं पाई पर इतना अच्छा स्वर मने हिन्दी में दूसरा नहीं सुना। “अपनी मीठी आवाज देने के अतिरिक्त प्रदीप जी ने फिल्म कंगन, झूला एवं अनजान के कुछ गीतों को संगीतबद्ध करने में स्वरकार के रूप में सहयोग भी प्रदान किया है।

फिल्मी गीतों की अलग स्थिति होती है। वे एक विशेष परिस्थिति वातावरण एवं पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर लिखे जाते हैं। इन गीतों की भाषा अत्यन्त सरल होती है। जिससे कि मनोरंजन के लिए आए दर्शकों को समझने में कठिनाई न हो एवं आनंद की पूर्ण प्राप्ति हो सके। उर्दू के यदि

कठिन शब्द आते हैं तो उन्हें लोग अर्थ न समझते हुए भी स्वीकार कर लेते हैं एवं आलोचना नहीं करते परंतु हिन्दी के थोड़े से कठिन या बोल-चाल में अप्रचलित शब्दों के बारे में कभी-कभी कुछ लोगो का विशेष दुराग्रह प्रतीत होता है अतएव फिल्मी गीतों की भाषा सरल होने के साथ-साथ शिल्प एवं भाव आदि भी सरल होना चाहिए जिससे कि समझने में कठिनाई न हो। गीत, संगीत की दृष्टि से अनुकूल होना चाहिए, उनमें ऐसा प्रवाह होना चाहिए कि उन्हें संगीत के अनुकूल गाया जा सके कोई शब्द या अक्षर प्रवाह में बाधक न बने। प्रदीप जी के काव्य के शिल्प व भाव पक्ष के मौलिक स्वरूप को समझने के लिए उनके फिल्म जगत में आने से पूर्व के (1939 के पूर्व) गीतों पर दृष्टि डालना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त फिल्म में आने के उपरान्त उनके कुछ गैर फिल्मी गीतों को भी देखना होगा।

प्रदीप जी का प्रथम गीत देखे, जिसमें हर्ष एवं प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखर रही है। इस गीत में प्रातःकाल की कल्पना द्वारा राष्ट्रीय जागृति की ओर संकेत किया गया है। शुद्ध साहित्यिक भाषा है जिसमें हिन्दी के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। शिल्प एवं भावो पर छायावाद का प्रभाव है। गीत की कुछ पंक्तिया निम्न प्रकार से हैं।

**“दुम-दुम गूँज उठी शहनाई
सरगम की निरूपम स्वर सुषमा निखिल प्रान्त में छाई
छूते ही स्वरोर्मियाँ चंचल, पुलक उठे जल में सहस्रदल
छमका अंजलियों से परिमल
चिर प्रसुप्त सरसी उठ बैठी ले मधु की अँगड़ाई
दुम-दुम गूँज उठी शहनाई।”**

“प्रदीप” जी का दूसरा गीत देखे। उनकी कविता की प्रेरणा क्या है, उन्हें सब कुछ सुन्दर क्यों लगता है? सबका उत्तर है-उनका प्रिया। उनका प्रिय ही सुन्दरता का स्वामी है, उनका कल्पवृक्ष है। भाषा शैली, भाव सभी कुछ छायावादी कवियों की तरह। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदीप जी यदि फिल्मों में न जाते तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा के साथ एक नाम और जुड़ता वह नाम होता प्रदीप जी का। इस गीत की कुछ पंक्तियाँ देखें:-

**“मेरे छन्दों के बन्द-बन्द में तुम हो-प्रिय तुम हो
इस बरन-बरन के विहगों का कल कूजन
क्यों बरबस हर लेता है, जन-जन का मन?
मैं खोज रहा था इस मिठास का कारन
हँस दिए तभी तुम हुआ रहस्योद्घाटन
तुम मेरे काव्य-स्वास्तिकों के कुमकुम हो। मेरे छंदो।”**

प्रदीप जी का तीसरा गीत देखे जिसमें कवि रहस्यमय प्रवासी प्रेमी से मधुरतम यामिनी में न जाने के लिए कह रहा है। भाषा, शिल्प एवं भाव छायावादी कवियों की भाँति है। इस गीत की कुछ पंक्तियाँ :-

**“आज मत जाओ प्रवासी
यह मधुर रस-प्राण राका मत करो श्रीहत प्रवासी
कर रहा स्मर अमर प्रवचन
सुन हुए जग-जन मगन-मन
गगन के अगणन नयन से
झर रहा अनुराग अमरण
ललित वसुमति रस सनी सी
बनी शशिधर-चरण-दासी
आज मत जाओ प्रवासी।”**

“विदा बेला में” शीर्षक से एक गीत देखे। गीत का केन्द्रीय भाव है कि विदा मिलन का त्यौहार मनाने के लिए है। हिन्दी भाषा के तत्सम शब्दों का प्रयोग एवं भाव भंगिमा की दृष्टि से जीवन का प्रकृति से तारतम्य देखते ही बनता है। गीत की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं:-

**“विदा की इस बेला में आज तुम्हें मैं कौन सुनाऊँ गान?
गिरा हो जाती सहसा मौन देख मुखचन्द्र तुम्हारा म्लान
तुम्हारी यह मुद्रा गम्भीर निरख कर हिय उठता हिण्डोल
और नर्तित हो जाते सजल तुम्हारे अपलक लोचन लोल
सखे, यह परिधिहीन संसार विकट चौपट की एक बिसात
कि जिस पर मिलन विरह के खेल नियति खेला करती दिन-रात।”**

छायावादी कवि किसी व्यक्ति का स्पष्ट रूप से परिचय नहीं देते हैं बस उसकी छाया तक ही पहुँचाते हैं न कोई समस्या स्पष्ट, न समाधान और न ही अभिव्यक्ति। अर्थ बहुत सी सम्भावनाओं एवं व्यंजनाओं से भरपूर। प्रदीप जी की एक अन्य कविता की पंक्तियाँ देखें:-

**“शून्य था मेरे घर का द्वार
यद्यपि अन्य उदज अजिरो में थे झंकरित सितार
शून्य था मेरे घर का द्वार
घर-घर स्वर का सूरज जागा
सुबरन में, रंग में जग पागा
पर मेरा था सदन अभागा
तब उदार गायक, तुमने ही गाकर मन्द मल्हार
गुँजाया मेरे घर का द्वार”**

छायावादी कवियों में ईश्वर, प्रकृति संसार एवं मानव के प्रति एक चिर जिज्ञासा रहती है। अपनी बातों को प्रकृति के अवयवों के माध्यम से व्यक्त करना कोमल भाव, संकेतो एवं प्रतीकों, बिम्बों का प्रयोग दर्षनात्मक दृष्टिकोण एवं कोमल भाव, शुद्ध हिन्दी तत्सम शब्दों का प्रयोग, शब्दों के आपस में संबंध बनाकर नये अर्थ लगाना, विध्वंस नहीं प्रेम की बात करना आदि ही तो हैं छायावादी काव्य की विशेषताये। इन विशेषताओं से युक्त प्रदीप जी का गीत:-

**“तुम हो कहो, कौन?
अब तो खुलो, प्राण, मुँदकर रहो यों न
मेरे गगन में धिरी थी सघन रात
तुमने किरण तूलि से रंग दिया प्रात
मुकुलित किए स्पर्श से म्लान जलजात
मैं था चकित, तुम चपल-कर पुलक गात
कुछ मैं उठा पूछ, तुम हँस हुए मौन”**

“प्रदीप जी” के एक अन्य गीत “कब पधारोगे प्रवासी” में प्रतीक्षारत कौन है किसकी प्रतीक्षा कर रहा है। स्पष्ट नहीं है। हाँ इतना अवश्य है कि प्रतीक्षा में खड़ी प्रेयसी प्रतीक्षित के प्रेम में सराबोर है। उसकी इस दषा को रूपायित करते हुए कवि बरबस कह उठता है:-

**“कब पधारोगे प्रवासी! स्नेह स्वास्तिक के किनारे
मैं उपेक्षित सी प्रतीक्षा-प्रथित पथ पर खड़ी हूँ,
विरल की अविरल झड़ी में देव, बरसों से अड़ी हूँ,
दुःख की दावाविन में भी मैं खड़ी आँचल पसारे
कब पधारोगे प्रवासी! स्नेह स्वास्तिक के किनारे
तप कही पंकिल न होवे, इसलिए क्रन्दन बिसारा
आँसुओं की छलछलाती पी गई कारुणिक धारा”**

प्रदीप जी ने “मुरलिके” शीर्षक से लिखे गीत में मुरली का आह्वान किया है कि वह मधुर तान छेडे जिससे कि पूरा विश्व ज्योतिर्मय हो जाय। वही चिर-परिचित अंदाजा हिन्दी भाषा के तत्सम शब्द। ऐसा प्रतीत होता है कि 20 वी शताब्दी ने अरबी एवं फारसी के बोझ से ढबी हिन्दी भाषा को एक नया रूप देने का बीडा उठाया था उसी के परिणाम थे। सन् 1920 से 1940 तक के साहित्यकार। उनमें से एक नाम है प्रदीप जी का। फिल्म जगत में जाने पर भी उन्होंने अपने लेखन का मौलिक स्वरूप शिल्प और भाव नहीं बदले। चाहे उनको फिल्में मिले या नहीं। उन्होंने शुद्ध हिन्दी का प्रयोग निरन्तर जारी रखा, उसमें सरल शब्दों का ही उन्होंने प्रयोग किया। प्रदीप जी ने जीवन भर केवल गीत लिखे, न गजल, न कव्वाली और न खंडित गद्य काव्य। कवि के द्वारा मुरली का आह्वान व मुरली का मानवीकरण देखते ही बनता है।

**“मुरलिके, छेड़ सुरीली तान
सुना, सुना अयि मादक अधरे, विश्व विमोहन गान
मुरलिके, छेड़ सुरीली तान
प्रात जगा सोई विभावरी, खग कुल ने छेडी असावरी
तू ध्वनि विरहित पड़ी बावरी
उठ अब सत्वर, तू भी सज-धज, कर ले स्वर संधान
मुरलिके, छेड़ सुरीली तान”**

प्रदीप जी ने अपने गीत “मंगल कामना” में सबके मंगल की कामना की है। साहित्य का अर्थ ही है संयोग, मेल, हितयुक्त, होने का भाव। प्रदीप जी ने अपने गीत में सबके मंगल की कामना निम्नवत की है।

**“सबका जीवन मंगलमय हो
आनन्द उर्मियों का प्रतिफल जन-जन के मन में अभिनव हो
सबका जीवन मंगलमय हो
जिनकी जग बीच झुकी आँखे, जिनकी मग बीच रुकी पाँखे
उन सबका भविष्य उज्ज्वल हो, उन सबका पथ ज्योतिर्मय हो
सबका जीवन मंगलमय हो।
धन का धरती पर राज न हो, गुण दुनिया में मोहताज न हो
सबके अधरों पर जग-जननी प्रिय पृथ्वी का पावन पथ हो
सबका जीवन मंगलमय हो”**

“लो फिर पुलक उठे वे” शीर्षक से प्रदीप जी ने समाज के दलितों की जागृति के संबंध में गीत लिखा है। वस्तुतः पूरे भारत देश के नागरिक दलित ही थे, क्योंकि वे अंग्रेजों के गुलाम थे। देश की स्वतंत्रता के लिए जो जागृति आई, आंदोलन हुए, क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिए, उसे दलितों की जागृति कहा जा सकता है।

**“लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले गये
उर्वी पर अपार दूर्वादल नये-नये
कल तक थी जो विकल दैन्य से ढबी रही
आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही
निखिल प्रकृति लहलही विमल वातास बही
पल्लव-पल्लव ने नवयुग की कथा कही
जड़ जगम सब एक छत्र के तले गये
लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले गये।”**

परम देशभक्त चन्द्र शेखर आजाद, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गये थे। प्रदीप जी के अभ्यंतर में उमड़ रहे ज्वार ने आजाद जी की शहादत पर निम्नलिखित गीत लिखवाया था:-

**“वह इस घर का एक दिया था
विधि ने अनल स्फुलिंगो से उसके जीवन का वसन सिया था
जिसने अनल-लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राक्थन
जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन
जिसे साथ थी दलितों की झोपडियो का आबाद करूँ मैं
आज वही परिचय-विहीन-सा पूर्ण कर गया अनन्त के शरण।”**

प्रदीप जी एवं उस समय के कवि लेखक अपने-अपने तरीके से अंग्रेजों साम्राज्य का विरोध करते थे, इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदीप जी ने “यह कैसा है रे अनाचार” गीत लिखा था। इस गीत में उन्होंने किसी पर सीधा प्रहार नहीं किया है परंतु गीत में झकझोर देने वाले विचार मौजूद हैं:-

**“यह कैसा है रे अनाचार?
मनव की छीन तरणि, दानव भव का बन बैठा कर्णधार
यह कैसा है रे अनाचार?
पल-पल भव अम्बुधि में अपार, उठ रहे प्रबल प्रतिकार ज्वार
मानव सिर पर गुरुभार लिए बह रहा अकेला निराधार
कुछ दूर दनुज निज डोंगी पर गा रहा मुक्त मंगलाचार
यह कैसा है रे अनाचार?”**

प्रदीप जी अंग्रेजों के अनाचार-अत्याचार का विरोध करने के साथ ही हमारे आपसी वैमनस्य से भी दुखी थे। कि यदि आपस में हम लोगो में ईर्ष्या द्वेष न होता तो हम गुलाम भी नहीं होते। “जन-जन में छाया तिरस्कार” नामक गीत में उन्होने इस दर्द को निम्न प्रकार से प्रकट किया है।

**“जन-जन मे छाया तिरस्कार
हे आर्य! जगत का दृष्टिकोण क्या कभी हो सकेगा उदार:
छिद्धान्वेषणी ध्वनि से अपार गुंजित दिशि-दिशि के द्वार-द्वार
अस्ताचल गत है साम्य-सूर्य, प्रसरित द्रुतधन ईर्ष्यान्धकार
जन प्रांगण में प्रतिकार पूर्ण अति धूर्णमान बहती बयार
जन-जन में छाया तिरस्कार।”**

प्रदीप जी ने अपने फिल्मी जीवन एवं उससे सन्यास लेने के पश्चात् कुछ गीत लिखे हैं जो फिल्मों का हिस्सा नहीं बने। ऐसे गीतों की संख्या कम है। वर्ष 1962 में चीन से युद्ध के पश्चात देश आहत था। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदीप जी ने एक गीत लिखा “ऐ मेरे वतन के लोगों” और इस गीत के साथ ही प्रदीप जी अमर हो गये।

**“ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा
यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा दो तिरंगा प्यारा
पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गँवाये
कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए
ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी
जो शहीद हुए है उनकी जरा याद करो कुर्बानी।”**

प्रदीप जी ने “प्रणाम उनको मेरा” शीर्षक से गीत वर्ष 1965 के युद्ध के पश्चात लिखा था, जिसमें उन्होंने शहीदों की विधवाओं की वन्दना-अर्चना की है।

**“कर लो प्रणाम ऐ लोंगो, वे वन्दनीय है बहनें
इस देश के लिए जिन्होंने विधवा के कपड़े पहने
प्रणाम उन दुल्हनों को मेरा जिन्होंने अपना सब कुछ गँवाया
वतन ये जिन्दा रहे इसलिए अपना सुहाग सिन्दूर लुटाया
प्रणाम उन दुल्हनों को मेरा
अपनी हथेली पर रख माथा, चले थे जिस दिन इनके प्यारे**

खडी थी ये चुपचाप हाथ में ले के आरती अपने द्वारे।”

प्रदीप जी ने अपने एक गीत “अपना देश बचाओ” में देश के युवकों का आह्वान देश को बचाने के लिए किया है।

**“आज हिमालय तुम्हें पुकारे, देश के युवकों आओ
जगह-जगह पर आज है खतरा, अपना देश बचाओ
अपना देश बचाओ**

**सावधान, सावधान, रहना सावधान
ओ भारत के नौजवानों! सावधान
होने वाला है तुम्हारा फिर से इन्तहान
ओ भारत के नौजवानों! सावधान।”**

कवि प्रदीप जी ने स्व. लोकनायक जय प्रकाश नारायण की प्रशंसा में एक गीत लिखा था।

**“तब एक सूर्य गगन में आया
नमन है मेरा जय प्रकाश को
जिसने मेरा देश बचाया**

सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते”

प्रदीप जी ने आर्य समाज के संस्थापक “दयानंद सरस्वती” के सम्मान में महर्षि दयानंद की अमर कहानी लिखी है उक्त सी.डी. आर्य समाज मंदिरों में प्रायः उपलब्ध रहती है। इस गाथा को प्रदीप जी ने स्वयं गाया है। इसकी प्रथम दो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-

**“हम आज एक ऋषिराज की पावन कथा सुनाते हैं
आनन्द कन्द ऋषि दयानन्द की गाथा गाते हैं।”**

प्रदीप जी के गैर फिल्मी गीतों के अध्ययन से स्पष्ट है कि हिन्दी साहित्य में एक सशक्त कवि के रूप में उनका अमिट और श्रेष्ठ स्थान है। जहाँ तक फिल्मों में लेखन की बात है उनके जैसा सार्थक लेखन गैर-फिल्मी

साहित्यकार भी प्रायः नहीं कर पाते हैं। फिल्मी क्षेत्र में सार्थक लेखक की दृष्टि से निःसंदेह उनका स्थान सर्वोच्च है।

निष्कर्ष - प्रदीप जी के गीतों के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि उन्हें धर्म, संस्कृति, दर्शन और जीवन दर्शन का अच्छा ज्ञान था। वस्तुतः उनका यह ज्ञान अध्ययनपरक कम अनुभूतिपरक अधिक रहा है। उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं, दुनियादारी देखी है, मानव व्यवहार का अनुभव किया है, उनका तात्विक विश्लेषण किया है और उसके बाद अपने ज्ञान कोश में उसके निष्कर्ष सहेजे हैं। वास्तविकता भी यही है कि बिना अध्ययन - अनुभूति के व्यवहार के, जीवन जगत के सम्बंधों को समझा नहीं जा सकता और इसके अनुभव के बिना किसी श्रेष्ठ काव्य की रचना नहीं की जा सकती है।

प्रदीप जी अपने देश को, समाज को, भारतीय जनता को विकसित देखना चाहते थे। कवि की लेखनी ही उसकी शक्ति होती है और अपनी रचनात्मक क्षमता के बल पर वह यथोचित प्रेरणा और उत्साह का भाव भरना चाहता है। यह रचनात्मक शक्ति कम नहीं होती और जब फिल्मों के माध्यम से गीतों में पिरोकर भावों का प्रकटीकरण होता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिये प्रदीप जी की रचनाएँ जनता पर असीम प्रभाव डाल सकी और देश की आजादी के संघर्ष में उनके गीतों ने जन - मानस को झगझोरा था तथा संघर्ष में नई उर्जा उत्पन्न की।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. अवस्थी डॉ. दिनेशचन्द्र, “कवि प्रदीप का हिन्दी साहित्य में अवदान”, भारत बुक सेण्टर, लखनऊ, 2012,
2. <http://www.kavi pradeep.com> (एक दीप कवि प्रदीप)
3. <http://www.kavita kosh.org> | kavi pradeep

उज्जैन संभाग में उद्यमिता की स्थिति का अध्ययन (वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक)

डॉ. रूपचंद चौहान *

शोध सारांश - उद्यमिता विकास प्राचीन काल से शुरू होकर वर्तमान तक जारी है। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था के कारण उद्यमिता का कार्य वैश्य वर्ग द्वारा किया जाता था। वर्तमान में उद्यमिता के क्षेत्र में अन्य वर्गों का भी प्रवेश हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक देश में उद्यमों की संख्या बहुत कम थी। स्वतंत्र भारत में उद्यमिता के क्षेत्र में पर्याप्त विकास के लिए समुचित और योजनाबद्ध प्रयास जारी है। उज्जैन संभाग में भी उद्यमिता की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास जारी है। क्या इन सभी प्रयासों के द्वारा उद्यमिता की स्थिति में सुधार हो रहा है। इस शोध पत्र में उज्जैन संभाग में उद्यमिता की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए शोध अवधि वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आधार बनाकर अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी - उद्यमिता, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग।

प्रस्तावना - अतीत से आगत तक उद्यमिता का महत्व अक्षुण्ण बना हुआ है। उद्यमिता बेरोजगारी दूर करने का, द्रुत गति से आर्थिक विकास एवं संसाधनों के सदुपयोग का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन काल से ही भारत उद्यमिता व स्वरोजगार के क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में श्रेष्ठता के शिखर पर था। भारत का औद्योगिक कला कौशल युक्त शिल्प, कलाकारी व कारीगरी उद्यमिता के लिए सुखद कहानी कहती है।

उद्यमिता आदिकाल से भारत की मिट्टी में रची बसी है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वर्णन में भारत के औद्योगिक वैभव, हस्तकला एवं शिल्पकला का उल्लेख किया है। भारत की कलात्मक शैली विश्व में प्रसिद्ध रही है। हमारे देश में निर्मित सूती वस्त्रों के बारे में प्रसिद्ध पर्यटक टवर्नियर ने लिखा है कि भारत में बनी हुई वस्तुएँ इतनी हल्की और सुंदर होती हैं कि हाथ में होते हुए भी यह आभास नहीं होता है कि वे हाथ में हैं।

प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था के कारण उद्यमिता का कार्य वैश्य वर्ग के द्वारा ही किया जाता था। किंतु पारिवारिक विषिष्टता से पीढ़ी दर पीढ़ी कला कौशल के आधार पर बढई द्वारा फर्नीचर, मोची द्वारा चमड़े के सामान, सुनार द्वारा आभूषण व अन्य वर्गों द्वारा विशिष्ट आधार पर किये गये उद्यमिता के कार्य अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। दूसरी ओर कई समुदाय विदेशों से भी व्यापार में संलग्न हैं।

हमारे देश में उद्यमिता के विकास की यात्रा यहाँ के प्राचीन कला उद्यमियों से शुरू होकर, मध्यकालीन उद्यमी कौशल से होते हुए आज विशाल औद्योगिक समूहों तक पहुँची है। उद्यमिता की यह स्थिति उज्जैन संभाग में भी रही है।

इस शोध पत्र में उज्जैन संभाग में उद्यमिता की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए शोध अवधि वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आधार बनाकर अध्ययन किया गया है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा :

1. ओमप्रकाश शर्मा (2003) ने 'शाजापुर जिले में उद्यमिता की स्थिति का मूल्यांकन' शोध कार्य में आपने शाजापुर जिले में उद्यमिता की स्थिति एवं उद्यमिता विकास में संस्थागत योगदान का अध्ययन करते

- हुए जिले में नवीन औद्योगिक संभावनाओं के बारे में बताया है।
2. एम. सम्बाशिवाया, के राजय एवं पी आर शिवशंकर (2014) ने 'इन्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट स्टडी ऑफ एम.एस.एम. ई इन छितुर डिस्ट्रिक्ट' शोध पत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में संलग्न उद्यमियों का अध्ययन कर उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों को बताया है।
 3. क्रुनाल सोनी (2015) ने 'इन्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट इन इण्डिया' शोधपत्र में उद्यमिता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए सरकार द्वारा उद्यमियों की उन्नति एवं वृद्धि के लिये उठाए गए कदमों का अध्ययन किया है। साथ ही लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए कार्यरत सरकारी संगठनों की भी चर्चा की है।

शोध का उद्देश्य - उज्जैन संभाग में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का अध्ययन करना

शोध की परिकल्पना - उज्जैन संभाग में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से उद्यमिता की स्थिति में सुधार हुआ।

शोध अध्ययन प्रणाली - प्रस्तुत शोध पत्र में उज्जैन संभाग में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का अध्ययन कर यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से उद्यमिता की स्थिति में कहाँ तक सुधार हुआ है। समस्त अध्ययन के लिए उज्जैन संभाग में शोध अवधि वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आधार बनाया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण - स्वतंत्रता प्राप्ति तक देश में उद्यमों की संख्या बहुत कम थी तथा कुछ ही जातियों व क्षेत्रों के लोगों ने उद्यमशीलता को अपना रखा था। स्वतंत्र भारत में उद्यमिता के क्षेत्र में पर्याप्त विकास के लिए समुचित और योजनाबद्ध प्रयास जारी है। उज्जैन संभाग में भी उद्यमिता की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास जारी है।

उज्जैन संभाग में उद्यमिता की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए शोध अवधि वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आधार बनाया गया। उज्जैन संभाग में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों

की जानकारी को तालिका क्रं. 01 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रं. 01 : उज्जैन संभाग में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की जानकारी वर्ष (2008-09 से 2012-13 तक)

क्रं.	वर्ष	इकाई	पूँजी विनियोजन (लाख रुपये में)	रोजगार
1	2008-09	2522	5523.85	5309
2	2009-10	2822	6057.06	6122
3	2010-11	2891	2685.87	4973
4	2011-12	2866	4310.03	6006
5	2012-13	2766	5196.61	6227
	योग	13867	23773.42	28637

स्रोत :- कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच

उपरोक्त तालिका क्रं. 01 से स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक कुल 13867 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित हुए। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में कुल 23773.42 लाख रुपये का पूँजी निवेश किया गया तथा 28637 लोगो को रोजगार मिला।

उज्जैन संभाग में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की वर्ष 2008-09 में 2522, वर्ष 2009-10 में 2822, वर्ष 2010-11 में 2891, वर्ष 2011-12 में 2866 तथा वर्ष 2012-13 में 2766 इकाईयाँ स्थापित हुई तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में क्रमशः वर्ष 2008-09 में 5523.85 लाख रुपये, वर्ष 2009-10 में 6057.06 लाख रुपये, वर्ष 2010-11 में 2685.87 लाख रुपये, वर्ष 2011-12 में 4310.03 लाख रुपये तथा वर्ष 2012-13 में 5196.61 लाख रुपये का पूँजी निवेश किया गया। इसी प्रकार क्रमशः वर्ष 2008-09 में 5309, वर्ष 2009-10 में 6122, वर्ष 2010-11 में 4973, वर्ष 2011-12 में 6006 तथा वर्ष 2012-13 में 6227 लोगो को रोजगार मिला।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की सर्वाधिक 2891 इकाईयाँ वर्ष 2010-11 में तथा सबसे कम 2522 इकाईयाँ वर्ष 2008-09 में स्थापित हुई। तथा सर्वाधिक पूँजी विनियोजन 6057.06 लाख रुपये, वर्ष 2009-10 में तथा सबसे कम पूँजी विनियोजन 2685.87 लाख रुपये वर्ष 2010-11 में किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2012-13 में सर्वाधिक 6227 लोगो को तथा वर्ष 2010-11 में सबसे कम 4973 लोगो को रोजगार मिला।

उज्जैन संभाग में स्थापित सूक्ष्म उद्योगों की जानकारी को तालिका क्रं. 02 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रं. 02 : उज्जैन संभाग में स्थापित सूक्ष्म उद्योगों की जानकारी (वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक)

क्रं.	वर्ष	इकाई	पूँजी विनियोजन (लाख रुपये में)	रोजगार
1	2008-09	2510	3869.41	5021
2	2009-10	2789	2225.84	5683
3	2010-11	2876	1535.93	4751
4	2011-12	2847	1734.00	5712
5	2012-13	2743	2099.74	5866
	योग	13765	11464.92	27033

स्रोत :- कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला उज्जैन, देवास,

शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच

उपरोक्त तालिका क्रं. 02 से स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक कुल 13765 सूक्ष्म उद्योग स्थापित हुए। सूक्ष्म उद्योगों में कुल 11464.92 लाख रुपये का पूँजी निवेश किया गया तथा 27033 लोगो को रोजगार मिला।

उज्जैन संभाग में सूक्ष्म उद्योग की वर्ष 2008-09 में 2510, वर्ष 2009-10 में 2789, वर्ष 2010-11 में 2876, वर्ष 2011-12 में 2847 तथा वर्ष 2012-13 में 2743 इकाईयाँ स्थापित हुई तथा सूक्ष्म उद्योगों में क्रमशः वर्ष 2008-09 में 3869.41 लाख रुपये, वर्ष 2009-10 में 2225.84 लाख रुपये, वर्ष 2010-11 में 1535.93 लाख रुपये, वर्ष 2011-12 में 1734.00 लाख रुपये तथा वर्ष 2012-13 में 2099.74 लाख रुपये का पूँजी निवेश किया गया। इसी प्रकार क्रमशः वर्ष 2008-09 में 5021, वर्ष 2009-10 में 5683, वर्ष 2010-11 में 4751, वर्ष 2011-12 में 5712 तथा वर्ष 2012-13 में 5866 लोगो को रोजगार मिला।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में सूक्ष्म उद्योग की सर्वाधिक 2876 इकाईयाँ वर्ष 2011-12 में तथा सबसे कम 2510 इकाईयाँ वर्ष 2008-09 में स्थापित हुई। तथा सर्वाधिक पूँजी विनियोजन 3869.41 लाख रुपये, वर्ष 2008-09 में तथा सबसे कम पूँजी विनियोजन 1535.93 लाख रुपये वर्ष 2010-11 में किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2012-13 में सर्वाधिक 5866 लोगो को तथा वर्ष 2010-11 में सबसे कम 4751 लोगो को रोजगार मिला।

उज्जैन संभाग में स्थापित लघु उद्योगों की जानकारी को तालिका क्रं. 03 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रं. 03 : उज्जैन संभाग में स्थापित लघु उद्योगों की जानकारी (वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक)

क्रं.	वर्ष	इकाई	पूँजी विनियोजन (लाख रुपये में)	रोजगार
1	2008-09	12	1654.44	288
2	2009-10	33	3831.22	439
3	2010-11	15	1149.94	222
4	2011-12	19	2576.03	294
5	2012-13	23	3096.87	361
	योग	102	12308.50	1604

स्रोत :- कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच

उपरोक्त तालिका क्रं. 03 से स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक कुल 102 लघु उद्योग स्थापित हुए। लघु उद्योगों में कुल 12308.50 लाख रुपये का पूँजी विनियोजन किया गया तथा 1604 लोगो को रोजगार मिला।

उज्जैन संभाग में लघु उद्योग की वर्ष 2008-09 में 12, वर्ष 2009-10 में 33, वर्ष 2010-11 में 15, वर्ष 2011-12 में 19 तथा वर्ष 2012-13 में 23 इकाईयाँ स्थापित हुई तथा लघु उद्योगों में क्रमशः वर्ष 2008-09 में 1654.44 लाख रुपये, वर्ष 2009-10 में 3831.22 लाख रुपये, वर्ष 2010-11 में 1149.94 लाख रुपये, 2011-12 में 2576.03 लाख रुपये, वर्ष 2012-13 में 3096.87 लाख रुपये का पूँजी निवेश किया गया। इसी प्रकार क्रमशः वर्ष 2008-09 में 288, वर्ष 2009-10 में 439,

वर्ष 2010-11 में 222, वर्ष 2011-12 में 294, वर्ष 2012-13 में 361 लोगो को रोजगार मिला।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में लघु उद्योग की सर्वाधिक 33 इकाईयाँ वर्ष 2009-10 में तथा सबसे कम 12 इकाईयाँ वर्ष 2008-09 में स्थापित हुई तथा सर्वाधिक पूँजी विनियोजन 3831.22 लाख रुपये वर्ष 2009-10 में तथा सबसे कम पूँजी विनियोजन 1149.94 लाख रुपये वर्ष 2010-11 में किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2009-10 में सर्वाधिक 439 लोगो को तथा वर्ष 2010-11 में सबसे कम 222 लोगो को रोजगार मिला।

परिकल्पना की पुष्टि - उज्जैन संभाग में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगो से उद्यमिता की स्थिति में सुधार हुआ है, परिकल्पना की पुष्टि होती है क्योंकि उज्जैन संभाग में वर्ष 2008-09 से 2012-13 के बीच लगातार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगो की इकाईयाँ स्थापित हुई है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगो की क्रमशः वर्ष 2008-09 में 2522 इकाईयाँ, वर्ष 2009-10 में 2822 इकाईयाँ, वर्ष 2010-11 में 2891 इकाईयाँ, वर्ष 2011-12 में 2866 इकाईयाँ, वर्ष 2012-13 में 2766 इकाईयाँ स्थापित हुई।

निष्कर्ष - उज्जैन संभाग में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगो से उद्यमिता की स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि लोगो द्वारा सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमो का लाभ लेकर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगो की स्थापना की है। साथ ही लोगो का उद्यमिता के प्रति झुकाव भी रहा है। उद्यमिता को अनेक तत्व- व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक तथा सहायता प्रणाली प्रभावित करते है। इन तत्वो को वातावरण के अनुकूल उपयुक्त दिशा में परिवर्तित करके और अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगो की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जा

सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. रमेश मंगल एवं डॉ. अशोक तिवारी (2012), 'उद्यमिता विकास', साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
2. डॉ. गंगेले एवं जैन (2009), 'उद्यमिता विकास', म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
3. ओमप्रकाश शर्मा (2003), 'शाजापुर जिले में उद्यमिता की स्थिति का अध्ययन' (शोध प्रबंध), विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन
4. एम. सम्बासिवाया, के राजय एवं पी.आर. शिवशंकर (2014), 'इन्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट : ए स्टडी ऑफ एम.एस.एम. इन छितुर डिस्ट्रिक्ट' (शोध पत्र), इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन कामर्स एण्ड मैनेजमेंट, वाल्युम नं. 5, इश्यु नं. 3 (मार्च) ISSN No 0976-2183
5. क्रुनाल सोनी (2015), 'इन्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट इन इण्डिया' (शोध पत्र), इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन कामर्स, इकॉनामिक्स एण्ड मैनेजमेंट, वाल्युम नं. 5, इश्यु नं. 9, (सितम्बर) ISSN No 2231-4245
6. रूपचंद चौहान (2016), 'उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास में उद्यमिता विकास केन्द्र (CEDMAP) के योगदान का अध्ययन' (शोध प्रबंध), विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन
7. कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमचा

उद्यमिता विकास में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के योगदान का अध्ययन (उज्जैन संभाग के विशेष संदर्भ में)

डॉ. रूपचंद चौहान *

शोध सारांश – उद्यमिता का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। उद्यमिता आर्थिक विकास का एक ऐसा कारक है जो उसे अपनाने वालों को तो लाभ पहुँचाता ही है साथ ही दूसरों के लिये रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है। हमारे देश में हर श्रेणी के उद्यमियों के लिये उन्नति की विपुल संभावनाएँ विद्यमान हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार की कई योजनाएँ हैं उद्यमिता विकास कार्यक्रम इन्हीं में से एक हैं जो लोगों को प्रशिक्षण के साथ साथ उद्यम की ओर अग्रसर करने का कार्य करते हैं। उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को आयोजित करने में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., म.प्र. कन्सल्टेन्सी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता की पूर्ण जानकारी इन लोगों तक पहुँच पा रही है, साथ ही जिस तरह के मार्गदर्शन की आवश्यकता है वह भी पहुँच पा रहा है। क्या उद्यमिता का पर्याप्त विकास हो पा रहा है। इस शोध पत्र में उद्यमिता विकास के लिये विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया है। समस्त अध्ययन के लिये उज्जैन संभाग का संदर्भ लिया गया है।

शब्द कुंजी – उद्यमिता विकास, उद्यमिता विकास कार्यक्रम

प्रस्तावना – उद्यमिता देश के आर्थिक विकास की कुंजी होती है यह न केवल स्वरोजगार के लिए अवसर निर्मित करती है बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। उद्यमिता को बढ़ावा देने से व्यवसायिक क्रियाओं में वृद्धि होती है। नये उद्योगों के आरंभ होने से नव रोजगार का सृजन होने के साथ-साथ बेरोजगारी घटती है।

वर्तमान वैश्वीकरण के युग में उद्यमिता का महत्व अधिक महसूस किया गया है। शासकीय एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसरों और बढ़ती जनसंख्या ने सरकार को उद्यमिता के अधिक से अधिक विकास के लिये नैतिक रूप से उत्तरदायी ठहराया है। आर्थिक क्षेत्र में निजी उद्योग के महत्व को स्वीकार कर भारत सरकार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय अभिकरणों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की शुरुआत कर चुकी है।

वास्तव में उद्यम की स्थापना के परिपेक्ष्य में उद्यमी को तमाम सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है इस संदर्भ में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय, तकनीकी तथा प्रबंधकीय पहलुओं से संबंधित ज्ञान को उद्यमी तक पहुँचाया जाता है। इसके साथ-साथ उद्यमी को बाह्य अवसरों, सहायताओं तथा सामाजिक एवं संगठनात्मक सुविधाओं आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तियों को औद्योगिक इकाइयों को लगाने के लिये अभिप्रेरित किया जाता है इन कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यावसायिक क्षेत्र के लिये क्षमताओं को अभिरूपित करने के साथ साथ उद्यमिता प्रबंध के लिये आवश्यक सामर्थ्य को भी विकसित करना होता है।

उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को आयोजित करने में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., म.प्र. कन्सल्टेन्सी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इस शोध पत्र में उद्यमिता विकास के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास

कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया है। समस्त अध्ययन के लिये उज्जैन संभाग का संदर्भ लिया गया है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा :

1. डॉ. सुब्रत देबनाथ (2010) ने 'एग्जल ऑफ इन्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन नार्थ ईस्ट इण्डिया विथ पर्टीकुलर रेफरेंस टू त्रिपुरा' शोधपत्र में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के लिए किये गये प्रयासों पर प्रकाश डालने के लिये विभिन्न उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन एवं संचालन का मूल्यांकन किया है।
2. कुनाल सोनी (2015) ने 'इन्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट इन इण्डिया' शोध पत्र में उद्यमिता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए सरकार द्वारा उद्यमियों की उन्नति एवं वृद्धि के लिये उठाए गए कदमों का अध्ययन किया है साथ ही लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिये कार्यरत सरकारी संगठनों की भी चर्चा की है।

शोध का उद्देश्य – उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना – उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से उद्यमिता का विकास हुआ है।

शोध अध्ययन प्रणाली – प्रस्तुत शोध पत्र में उद्यमिता विकास में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के योगदान का अध्ययन कर यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि ये कार्यक्रम उद्यमिता विकास में कहाँ तक सफल हुए हैं। समस्त अध्ययन के लिये उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा वर्ष 2008-2009 से 2012-2013 तक आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को आधार बनाया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण – उद्यमिता विकास में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम होते

है जिसके द्वारा उद्यमशील युवक-युवतियों की पहचान कर उनमें अपेक्षित विशेषताओं जैसे ज्ञान, कुशलता और मनोवृत्ति का विकास कर नए उपक्रम की स्थापना के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाता है। उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की तालिका क्रं. 1 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रं. 01 (अगले पृष्ठ पर देखें)

तालिका क्रं. 01 से स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं - उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड, जिला व्यापार एवं उद्योग द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में कुल 1646 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें से 642 द्वारा उद्यम प्रारंभ किया गया अर्थात् सफलता का प्रतिशत 39.00 रहा।

उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक कुल 707 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें से 284 द्वारा उद्यम प्रारंभ किया गया। सफलता का प्रतिशत 40.17 रहा। तथा म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक कुल 417 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें से 150 द्वारा उद्यम प्रारंभ किया गया। सफलता का प्रतिशत 35.97 रहा। इसी प्रकार जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक कुल 522 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें से 208 द्वारा उद्यम प्रारंभ किया गया। सफलता का प्रतिशत 39.85 रहा।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में सर्वाधिक 707 प्रशिक्षणार्थियों को उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर उसमें से 284 (40.17 प्रतिशत) को उद्यम की ओर अग्रसर किया तथा सबसे कम 417 प्रशिक्षणार्थियों को म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर 150 (35.97 प्रतिशत) को उद्यम की ओर अग्रसर किया गया।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम - खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो पर आधारित सामान्य तथा तकनीकी में आयोजित किये जाते हैं। कार्यक्रम वार उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की तालिका क्रं. -02 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रं. 02 (अगले पृष्ठ पर देखें)

तालिका क्रं. 02 से स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो पर आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 190 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिसमें से 73 द्वारा उद्यम प्रारंभ किया गया। सफलता का प्रतिशत 38.42 रहा तथा सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 1297 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें से 510 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उद्यम प्रारंभ किया गया। सफलता का प्रतिशत 39.32 रहा। इसी प्रकार तकनीकी उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 159 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें से 59 द्वारा उद्यम प्रारंभ किया गया। सफलता का प्रतिशत 37.10 रहा।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा सर्वाधिक 1297 प्रशिक्षणार्थियों को सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान कर सर्वाधिक 510 (39.32 प्रतिशत) को

उद्यम की ओर अग्रसर किया गया तथा सबसे कम 159 प्रशिक्षणार्थियों को तकनीकी उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान कर सबसे कम 59 (37.10 प्रतिशत) को उद्यम की ओर अग्रसर किया गया।

विभिन्न संस्थाओं में से उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. तथा म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो पर आधारित, सामान्य तथा तकनीकी उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा केवल सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

परिकल्पना की पुष्टि - उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से उद्यमिता का विकास हुआ है, परिकल्पना की पुष्टि नहीं होती है क्योंकि विभिन्न संस्थाओं द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक कुल 1646 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर 642 को उद्यम की ओर अग्रसर किया तथा सफलता का प्रतिशत 39 रहा। जो कि आधे से भी कम अर्थात् 50 प्रतिशत से भी कम है।

निष्कर्ष - उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से उद्यमिता का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। क्योंकि विभिन्न आयोजक संस्थाओं का उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव तथा लोगों में सूचना एवं ज्ञान की कमी प्रमुख कारण रहा। यदि उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों की प्रशिक्षण पूर्व एवं दौरान के अलावा प्रशिक्षण पश्चात आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाए तो अधिकतम उद्यमिता विकास किया जा सकता है। इसके अलावा पारिवारिक सकारात्मकता और सामाजिक वातावरण के साथ ही उद्यम के प्रति रूचि, अधोसंरचनात्मक सुविधाएँ और सहयोगी संस्थाएँ उद्यमिता विकास के लिये पूर्व आवश्यकता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एम. के. जैन (2004), 'उद्यमिता', दीपक प्रकाशन, ग्वालियर
2. डॉ. नागेन्द्र प्रतापसिंह (1988), 'उद्यमिता विकास का बदलता स्वरूप', उद्यमिता विकास संस्थान उ.प्र.
3. डॉ. सुब्रत देबनाथ (2010) 'एप्रैजल ऑफ इन्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन नार्थ ईस्ट इण्डिया विथ पर्टीकुलर रेफ्रेन्स टू त्रिपुरा' (शोध पत्र), इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन कामर्स एण्ड मैनेजमेंट, वाल्युम नं. 1, इश्यु नं. 6, (अक्टूबर), ISSN No. 0976-2183
4. क्रुनाल सोनी (2015), 'इन्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट इन इण्डिया' (शोध पत्र), इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन कामर्स, इकॉनामिक्स एण्ड मैनेजमेंट वाल्युम नं. 5, इश्यु नं. 9, (सितम्बर) ISSN No 2231-4245
5. रूपचंद चौहान (2016), 'उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास में उद्यमिता विकास केन्द्र (CEDMAP) के योगदान का अध्ययन' (शोध प्रबंध), विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन
6. जिला कार्यालय, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., जिला उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमचा
7. जिला कार्यालय, म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड, जिला उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमचा
8. जिला कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमचा

तालिका क्रं. 01 : उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की जानकारी (वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक)

संस्था का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	उद्यम प्रारंभ करने वालों की संख्या	उद्यम प्रारंभ नहीं करने वालों की संख्या	सफलता का प्रतिशत
उद्यमिता विकास केन्द्र, म.प्र.	707	284	423	40.17
म.प्र.कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड	417	150	267	35.97
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	522	208	314	39.85
योग	1646	642	1004	39.00

स्रोत :- जिला कार्यालय, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

तालिका क्रं. 02 : कार्यक्रमवार उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की जानकारी (वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक)

कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	उद्यम प्रारंभ करने वालों की संख्या	उद्यम प्रारंभ नहीं करने वालों की संख्या	सफलता का प्रतिशत
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रम	190	73	117	38.42
सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम	1297	510	787	39.32
तकनीकी उद्यमिता विकास कार्यक्रम	159	59	100	37.10
योग	1646	642	1004	39.00

स्रोत :- जिला कार्यालय, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

Screening of Ethnomedicinal plants for hepatoprotective activity in Raisen district M.P.

Manish Soni* Amita Gupta** Pooja Choubey***

Abstract - Socially, folk medicines, mainly based on plants, enjoy a respectable position today, especially in the developing countries, where modern health service is limited. Safe, effective and inexpensive indigenous remedies are gaining popularity among the people of both urban and rural society of rural society of India. A floristic survey of ethno medicinal plants occurring in the tribal area of Raisen (M.P) was conducted in the month of 01-OCT-2019 to February-2021 in Raisen district, more than 25 plants from different families have been identified for hepatoprotective activity.

Keywords- Ethnomedicine, Hepatoprotective activity, Raisen (M.P)

Introduction - India has rich diversity of medicinal plants distributed in different geographical and environmental condition. Tribal people in different parts of India, use their traditional ecological knowledge, received from their ancestors and contemporary society, in primary health care. Moreover, ecological traditional of tribal is intimately linked with geography as well as ecological and cultural factors (Gesler 1992, Wiley 2002). Plants play significant role not only in our economy but also used as traditional medicines. Almost 75% of the medicinally important plant species grow in wild conditions.

The liver is the largest glandular organ in the body, and has more functions than any other human organ. A person's entire blood supply passes through the liver several times a day. The liver performs many functions vital to the health of organisms. The liver transforms and excretes many drugs and toxins. These substances are frequently converted to inactive forms by reactions that occur in hepatocytes. Liver diseases have become one of the major causes of morbidity and mortality in man and animals all over globe and hepatotoxicity due to drugs appears to be the most common contributing factor. Among the many diseases that can affect the liver is "viral hepatitis", jaundice etc. The use of natural remedies for the treatment of liver disorder has a long history and medicinal plants and their derivatives are still used all over the world in one form or the other for this purpose. A hepatotoxin might be defined as any chemical agent that can produce injury to the liver. A large number and variety of compounds have been identified as hepatotoxic of chemical or experimental relevance.

Raisen District - Raisen District lies in the central part of Madhya Pradesh. The district is situated between the latitude 22 47° and 23 33° north and the longitude 77 21°

and 78 49° east. It is bounded in the east and south – east by Sagar district, in the west by Sehore district, and in the north by Vidisha district and in the south by Hoshangabad and Sehore district. The total area of the district is 8, 395 sq. km., which contain the 93% of the state area. It is very rich in Biodiversity having a no. of very important medicinal plants where can cure a number of disease in humans.



Material And Methods - The collection of plants was done on the basis of frequently used for medicines by different tribes. The plants were collected from different regions of Raisen and its near places during February 2011. The identity of each plant has confirmed at botanical survey of India. An exploration of ethnobotanical data of medicinal utilization of Gond and bhil Tribes of Raisen through interview of experienced practitioners.

* Mansarover Global University, Bhopal (M.P.) INDIA

** Mansarover Global University, Bhopal (M.P.) INDIA

*** L.N. Paramedical College, Bhopal (LNCT University) (M.P.) INDIA

Results And Discussion - In this study ,we focussed mainly on plant species reported by the local people in and around the study area for their medicinal uses. In the present investigation 27 medicinal plants are used for the treatment of jaundice , snakebite and some other diseases related to liver. Folklore medicinal plants are arranged in Table which represent their botanical names followed by the family, vernacular name.

Table 1 Some ethnomedicinal plants of Raisen District for treatment of liver and some other diseases.

Table 1 (see below)

The tribal people of western Madhya Pradesh of India used a no. of plants for the treatment of liver related diseases such as jaundice (Samvatsar and Diwali,2000). We have recorded that the aqueous paste and decoction obtained from the leaves of *Andrographis Paniculata* are widely used for snakebites by indigenous people of southern India.

Conclusions - The study highlighted the central role of traditional herbal medicine for the treatment of Jaundice and Snakebite in M.P. Due to the growing importance of ethnobotanical studies, it is necessary to collect the information's about the knowledge of falklore medicinal plants, prescribed in local communities of various parts of Madhya Pradesh before it is permanently lost. Having the above facts in mind, an attempt was made to explore the medicinal plants used by the local people of Madhya Pradesh for the treatment of different diseases. These ethnomedicinal data may provide a base to start the search the new compounds related to photochemistry, pharmacology and pharmacognosy. This may provide new sources of herbal drugs and help to understand the molecular basis for their activities. Moreover, it may further be mentioned that over exploitation of these species in the

name of medicine may lead some species ultimately to the disappearance in future. Therefore, attention should also be made on proper exploitation and utilization of these medicinal plants.

References:-

1. Jayarama reddy, Gnanaselearan D. ,Vijay D. and Ranganathan T.V(2010). Studies on hepatoprotective activity of traditional ayurvedic formulation vidakana choornam against carbon tetrachloride hepatotoxicity in albino ral. Vol(2) PR-05-16.
2. Gesler W.M.I(1992).Threaputic landscapes: *medical Anthropology* john Willey and sons Ltd,New York.
3. Kingston C,B.S. Nisha ,kiruba S. Jeeva (2007). Ethnomedicinal plants used by indigenous community in a traditional healthcare system. *Ethanobotanical leaflets* 11:32-37
4. Kumar.p,H.lalramnghinglova(2010).Ethnomedicinal plants of Mizoram ,India :Implication of traditional knowledge in health care system.*Ethnobotanical leaflets* 14:274-305.
5. Samvatsar , S. ,Diwanji,VB ., (2000).Plants sources for the treatment of jaundice in the tribals of Western M.P. of India. *J. of Ethnopharmacology* .73:313-316.
6. T.B. Lima, A. Suja , O.S. Jisa , S. Sathyanarayanam , K.S. Remeja (2010). Hepatoprotective Activity of LIV_ first against carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in albino rats. 1p.122.101.142.195.
7. T. Thirumalai , E.K. Elumalal ,S. Viviyan theresa ,B. Senthil Kumar and E. David. *Ethnobotanical survey of Folklore plants for the treatment of Jaundice and Snakebites in Vellore Districts of Tamilnadu ,India.* *Ethnobotanical leaflets* 14:529-36.

Table 1

S.	BOTANICAL NAME	FAMILY	VERNACULAR NAME	PLANT PART USED
1.	<i>Aegle Marmelas</i>	Rutaceae	Bael	Fruit, Pulp
2.	<i>Annona Squamosa</i>	Annomaceae	Sita Phal	Fruit
3.	<i>Chamomile capitula</i>	Asteraceae	Kamai	Flower
4.	<i>Coccina Grandis</i>	Cucurbitaceae	Ivy Gourd	Root and Leaves
5.	<i>Cassia Fistula.L</i>	Caesalpiniaceae	Kakkegide	Root, Bark , leaf ,Flower Fruit Pulp.
6.	<i>Ficus Carica</i>	Moraceae	Anjoora	Fruit
7.	<i>Flacaurtia Indica</i>	Flacaurtiaceae	Miradi	Fruit, Bark
8.	<i>Orthosiphon stamineus</i>	Lamiaceae	Java Tree	Leaves.
9.	<i>Prostechea Michuacana</i>	Orchidaceae		Root, Flower, Leaves
10.	<i>Lepideum Sativum</i>	Brassicaceae	Alli beja	Root, Leaf, Flower, Seed
11.	<i>Salanum Nigrum</i>	Salanaceae	Makoi	Fruit, Leaf
12.	<i>Sargassum Polycystum</i>	Sargassaceae	Agar-Agar Kaepan	Whale Plant
13.	<i>Wedelia Calendulacea</i>	Asteraceae	Pilabhamgara or Bhiringraj	Leaves
14.	<i>Silybum Marianum</i>	Compositae	Bhat-Kataya or Milk Thistle	Seeds, Roots, Leaves, Whale Herb and Hull
15.	<i>Mimosa Pudica</i>	Fabaceae	Thattalvade	Roots
16.	<i>Hemidesmus Indicus Snakebite</i>	Asclepidaceae	Nannari	Roots
17.	<i>Boerhavia Diffusa</i>	Nyctaginaccae	Mukaratai	Roots

18.	<i>Crataeva Magina</i>	Capparaceae	Mavalingan	Leaves
19.	<i>Phyllanthus Amarus</i>	Euphorbiaceae	Kilanelli	Leaves
20.	<i>Phyllanthus Emblica</i>	Euphorbiaceae	Nelli	Fruits
21.	<i>Andragraphis Paniculata</i>	Acanthaceae	Nilavembee	Leaves
22.	<i>Gnetum Ula</i>	Gnetaceae	Anapendee	Stem
23.	<i>Evalvulus Alsinoides</i>	Convolvulaceae	Vishnukiranthi	Leaves
24.	<i>Strychnos Nuxvomica</i>	Laganiaceae	Etti	Seeds
25.	<i>Cuscuta Reflexa</i>	Convolvulaceae	Austharakadi	Stem
26.	<i>Tephrosia Purpurea</i>	Leguminosae	Kolukai-valai	Plants
27.	<i>Calotropis Procera</i>	Asclepiadiaceae	Earku	Bark, Leaves
28.	<i>Hygrophilia auriculata</i>	Acanthaceae	Heine	Seeds
29.	<i>Beta vulgaris L</i>	chenopodiaceae		Root
30.	<i>Solanum nigrum</i>	Solanaceae	Makoi	Fruits

किन्नर समाज और रीति-रिवाज

डॉ. डी. पी. चन्द्रवंशी *

प्रस्तावना – सत्य किन्तु कटु है कि 'हिजड़ा' शब्द किन्नर का पर्यायवाची है, पर समाज इसे आज के समय में यह शब्द अपमानित करने के उद्देश्य से प्रयोग करने लगा है।

हम यह समझने का यत्न कतई नहीं करते कि हिजड़ा शब्द की संकल्पना क्या है? उर्दू में उद्धारित 'हिजड़ा' शब्द 'अरबी' के हिजर से अपनाया गया है। जिसका अभिप्राय वह समूह या समुदाय जिसने अपनों को छोड़ या बाहर निकाल दिया है। नर-नारी से पृथक कर अलग से बनाया गया समूह या समुदाय। भिन्न-भिन्न प्रांतों व भाषाओं में इनके लिए पृथक-पृथक शब्द प्रयुक्त होते हैं। प्रांतीयता की दृष्टि से इनकी सभ्यता, संस्कृति का इतिहास भी अंतर लिए हुए हैं। उर्दू और हिन्दी में 'हिजड़ा' शब्द ही प्रयोगधर्मी शब्द है। 'ख्वाजासरा' उर्दू में इनके लिए प्रयुक्त होने वाला द्वितीय शब्द है। पौराणिक ग्रंथ इन्हें 'किन्नर' शब्द से अभीहित करता आया है। इसलिए यह हिन्दी में भी 'किन्नर' के रूप में प्रयोग होने लगा है। मराठवाड़ा क्षेत्र में इन्हें 'छक्का' व 'हिजड़ा' कहा जाता है। गुजराती समाज इन्हें 'पावैया' तो पंजाबी कीम 'खुस्रा' या जनखा कहते हैं। आंध्र या तेलंगाना वासी इन्हें 'मादा', 'कोज्जा', 'नपुंसकुडु' कहते हैं।

तमिल में 'अरवन्नी', अली नाम से संबोधित किये जाते हैं। किसी भी भाषा या प्रांत में इन्हें कोई भी नाम दिया जाए पर मूल में ये पुरुष रूप में अवतरित होते हैं पर धीरे-धीरे बचपन से किशोरावस्था तक पहुँचते-पहुँचते स्त्री के गुणों से संपन्न हो जाते हैं। ये इसलिए नहीं होता कि इन्हें रुचिकर लगे और ऐसा स्वरूप अपना ले, वरन ऐसा अपने प्राकृतिक मूल बनावट और परिवर्तन के कारण होता है।

किन्नरों के खानदान – संगीत घराने की तरह किन्नर समाज में सात खानदान प्रचलित है:- (क) भिंडी बाजार का (ख) बुलाक का (ग) लखनऊ घरानेका (घ) पूना घराना (झ) दिल्ली घराना (च) हादीर इब्राहीम (छ) लालन घराना।

प्रत्येक खानदान का एक प्रमुख 'नायक' होता है। नायक से नीचे ढलान होते हैं। ढलान में गुरु परम्परा चलते हैं जो किन्नर समुदाय में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नायक और गुरु का कहा ही सर्वमान्य होता है। जिनके आज्ञा का पालन आज्ञाकारी बनाता है तो अवज्ञा करना सजा का भागीदार बनाता है। प्रत्येक खानदान के अपने पृथम-पृथक नियम बंधन होते हैं, जिसे वे किसी से साझा नहीं करते गुप्त रखते हैं। वर्ष में कम से कम दो बार किन्नर समुदाय अपनी पंचायत करते हैं। जिसमें सभी समुदाय के नायक शिरकत करते हैं। पंचायत में पूरे छह माह का सामाजिक हिसाब-किताब होता है कि किसने नियमों की अवहेलना की है तो किसने गुरु की अवज्ञा,

तदनुसार सजा का मापदण्ड तय किया जाता है। गुरु से मतभेद होने पर खनदान से निष्कासित कर दूसरे खानदान को समर्पित कर दिया जाता है इसके फलस्वरूप पहले वाला खानदान दूसरे खानदान को जुर्माना भरता है।

रीति-रिवाज

किन्नर बनने की रीति – यदि कोई किन्नर बनने का निश्चय कर समाज से पृथक हो जाता है तो उन्हें किन्नर 'गुरु' का चयन करना होता है। तत्पश्चात् उस नये सदस्य की 'रीत' की जाती है यह 'रीत' एक 'रस्म' अदायगी है। हम कह सकते हैं कि 'हिजड़ा' समाज में उनका पंजीकरण हो गया। अपने सामाजिक रूप से वे 'हिजड़ा' बन गए। गुरु-चेला का संबंध माता-पुत्री के तुल्य होते हैं। गुरु के बाद वरिष्ठ लोग नए किन्नर की बड़ी बहनें और गुरु की बहनें मौसियाँ कहलाती हैं। गुरु की गुरु उसकी नानी कहलाती हैं।

'रीत' के समय नव किन्नर को खानदानी दुपट्टा से सज्जित किया जाता है साड़ी भेंट की जाती है। खानदान की निशानी दिखायी जाती है। नियमों से अवगत कराया जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि नव आगन्तुक किन्नर का सामाजिक रीति-रिवाज का प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाता है। इस प्रशिक्षण में तालियाँ बजाना, नाचना, भीख माँगना, मृदु वचन बोलना या वसूली करने के अशोभनीय तरीके का प्रयोग करना।

रीति होने के बाद हिजड़े की जिंदगी का नया सफरनामा शुरू होता है। कुछ खानदान 'निर्वाण' प्रक्रिया करते हैं। यह वास्तव में लिंगछेद प्रक्रिया है, जिसे विधिवत कराया जाता है जिसमें किन्नर समुदाय के गुरु और पुजारी की भूमिका होती है पुजारी पूजा संपन्न कराते हुए एक झटके में लिंग को काट देता है। यह किन्नरों के लिए शारीरिक रूप से कष्टकारी होता है। किन्तु वे इसे पवित्र मानते हैं। यह विधि किन्नरों की इच्छा पर निर्भर है, बलात् लिंगछेदन क्रिया नहीं किया जाता है।

हल्दी-मेहंदी, 'दृष्टि' रस्म, चटला रस्म – 'निर्वाण' की रीत किन्नर को पूर्ण हिजड़ा बनाता है। तदुपरान्त 'हल्दी मेहंदी' का कार्यक्रम विधिवत किया जाता है। जिसमें किन्नर के हस्त-पाद में हरिद्र लेपन किया जाता है। मस्तक पर बड़ी बिंदिया लगायी जाती है। मुँह मीठा कराया जाता है। काली नज़र से बचाने सिर पर नोट उतारकर फेंके जाते हैं। नृत्य-गान का मनमोहक उत्सव किया जाता है। वायु में मुद्रा उत्प्रेषण कर निर्वाण हुए हिजड़े के आस-पास डाला जाता है। यह 'दृष्टि' रस्म का रूप होती है।

चटला रस्म – यह रस्म की अंतिम प्रक्रिया है जिसमें हिजड़े को स्नान कराकर हरित-साड़ी, ब्लाउज, चूड़ियाँ, गहने से तैयार कराकर उसके हाथ में दुग्धयुक्त जग दिया जाता है। उस दूध को समुद्र में फेंककर हिजड़े द्वारा

अपना बदला हुआ अंग समुद्र को दृष्टिगत कराया जाता है। काला कुत्ता, हरित वृक्ष के सम्मुख इस विधि की पुनरावृत्ति करते हैं। ये रश्मि खानदान के हिसाब से अलग-अलग होती हैं।

ये समझते हैं कि प्रकृति ने हमें जिस रूप में भेजा है उस रूप को हमने परिवर्तित कर लिया है यह समझकर प्रकृति को दिखाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं।

हिजड़ों के ईष्ट देव

मूर्गेवाली देवी - इसे हिजड़े लोग बहुचरा माता के नाम से पुकारते हैं। इस माता का वाहन स्वरूप मुर्गा होने के कारण मुर्गेवाली देवी भी कहीं जाती है। इसके बारे में किवदंतियाँ हैं चंपानेर में एक बारिया नामक राजा का राज्य था। उसका कोई पुत्र नहीं था। फिर उसके स्पन्ज में एक देवी आयी जो मुर्गे पर विराजमान थी। उस देवी ने कहा, 'मेरे आशीर्वाद से तुम्हें लड़का होगा, पर उसे जिन्दा रखने के लिए उसका लिंग काटना होगा और हरी साड़ी पहनानी हागी।'¹ यह बहुचरा देवी थी।

एक राजकुमारी की शादी एक खानदानी राजकुमार से हुई पर उसका आचरण स्त्री का-सा-था। वह यौन सम्बन्ध बनाने के समय जंगल की तरफ पलायन कर जाता था। यह घटना वह बारम्बार कर रहा था। अंत में माता राजकुमारी का रूप धारण कर आयी और उसने उसके पति का लिंग काट दिया यह माता बहुचरा थी।

एक आदमी ने माता स्वरूप स्त्री का बलात्कार करने की कोशिश की माता ने उसे नपुंसक होने का शाप दे दिया। उसने शाप से मुक्ति माँगी, तो माता ने बताया- 'जंगल में जाकर स्त्री-जैसा बर्ताव करो तभी तुम्हें शाप से मुक्ति मिलेगी।'²

किन्नर समुदाय का प्रमुख मंदिर अहमदाबाद (गुजरात) के समीप हैं। किन्नरों का यह प्रमुख तीर्थस्थल है।

किन्नरों का पर्व

अरावनी उत्सव- महाभारत युद्ध में पांडवों को जीत मिले, इसके लिए अरावनी ने अपना खून काली माता को दिया था। परिणाम स्वरूप माता काली ने उन्हें विशेष शक्ति प्रदान की। युद्ध के पूर्व अरावनी ने मरने से पूर्व रात्रि में विवाह की इच्छा व्यक्त की थी। मरणासन्न अवस्था में उनसे विवाह हेतु कोई स्त्री सज्ज नहीं हुई। तब श्री कृष्ण ने एक रूपवती स्त्री का मोहिनी रूप लिया और अरावनी से शादी की। दक्षिण भारतीय हिजड़े अरावनी को अपना आदि पुरुष

मानते हैं और स्वयं को 'अरावनी' कहते हैं।

तमिलनाडु में हर साल अप्रैल-मई में कूवागम गाँव (विल्लुपुरम जिला) के अरावनी मंदिर में 18 दिन का धार्मिकोत्सव होता है। इस यात्रा में 'अरावनी' यानी हिजड़े कृष्ण और अरावनी की शादी की कथा प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद अरावनी प्राणों का त्याग करता है और फिर अरावनी नृत्य करके, चूड़ियाँ फोड़कर शोक प्रकट करते हैं, जैसे कि विधवा हो गई हैं। पूरे देश भर के हिजड़े इस अरावनी उत्सव में भाग लेते हैं। यह अरावनी उत्सव किन्नरों का पवित्र उत्सव है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इस समाज में इनके प्रति हमारा दृष्टिकोण 'किन्नर कथा' उपन्यास के नायक मनीष की तरह आध्यात्मिक होना चाहिए। कथाकार लिखते हैं, 'ऐसा ही प्रेम चंदा करने लगी थी मनीष से, जो देह के स्तर से बहुत ऊँचाई पर पहुँच चुका था, जिसे आध्यात्मिक प्रेम कह सकते हैं।'³

समाज कितना कुत्सित विचार का है इस समुदाय के प्रति हम कह सकते हैं कि यह इस समुदाय के साथ अन्याय है लेखिका शीला डागा लिखती हैं, 'समाज में कोई किन्नरों के विषय में चर्चा करे तो लोग सकते में पड़ जाते हैं कि चर्चा करने वाला किन्नर तो नहीं।'⁴

समाज की दृष्टि ही ऐसी है कि इन्हें उपेक्षा की नजर से देख रहे लोग ही अच्छे प्रतीत होते हैं। जबकि वस्तुस्थिति कुछ और ही है। ये प्राकृतिक तौर से ही पौरुषत्व गुणविहीन होते हैं। नीरजा माधव 'यमदीप' उपन्यास में लिखती हैं, 'महताब गुरु कहते हैं, यह देखो हमारा अंग, कोई काटा है कि अल्ला रसूले वैसे भेजा है।'⁵

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'मैं हिजड़.... मैं लक्ष्मी' लेखक लक्ष्मीनाराण त्रिपाठी हैं पृष्ठ 161 वाणी प्रकाशन 2015 प्रथम संस्करण
2. 'मैं हिजड़.... मैं लक्ष्मी' लेखक लक्ष्मीनाराण त्रिपाठी हैं पृष्ठ 162 वाणी प्रकाशन 2015 प्रथम संस्करण
3. महेन्द्र भीष्म 'किन्नर कथा' उपन्यास सामयिक बुक्स जटवाड़ा दरियागंज, दिल्ली
4. शीला डागा 'किन्नर गाथा' पुस्तक की भूमिका से वाणी प्रकाशन दरियागंज नई दिल्ली
5. नीरजा माधव यमदीप उपन्यास सामयिक प्रकाशन दिल्ली 2021

Falling Standards in Teachers Education: Issues and Challenges

Dr. Kuldeep Singh Tomar *

Introduction - Teachers form the nucleus of any system of Education. They are one of the main pillars of the society, responsible for educating young people for future careers for different walks of life. It is also truism that No system of Education can rise above the levels of its teachers. Teachers could be the most powerful agents of social regeneration, because the whole structure of educational edifice is based upon the teachers. The impact of teacher on upcoming generation that students are very subtle and long lasting. Teacher education system is an important vehicle to improve the quality of School education. The revitalization and strengthening of the teacher education system is, therefore, a powerful means for the upliftment of education standards in the country. It inculcates the necessary pedagogical skill and competencies among the teachers and makes them professionally competent to meet the demands of the society.

As one looks at the state of teacher education in India today, one gets an impression that those responsible for running and supervising the show give two hoots for its health and wellbeing. There is hardly any area or the stage of teacher education, which happens to be guided either by vision or concern. In fact, today if there is one area where we have more questions than answers it is teacher education.

Factors responsible for falling standard in education are many, but it is handy to blame Institutes and teacher for this. To most of us it not occurs that the institutes and teachers are more sinned against than sinning. They are the victims of an old, stereotyped and lifeless system. A number of committees and commissions on educational reforms were set up to improve the situation deteriorating condition of education. Why this dismal failure?

Let us examine the factors responsible for this failure. The professional preparation of teacher educators is the first foremost concern, which deserve serious consideration. In teacher training institutions most of the faculty members hold post graduate degree in some discipline and a degree in education or teaching. They are specially trained for training prospective teacher as there is no course available in teacher training methodology. Besides, the professional education of teacher trainees has been neglected very badly. In teacher's colleges methods of teaching are taught

as contents but they are hardly practiced therein with the result that the student teachers never carry them to schools. There has been a big gulf between preaching and practicing in the colleges of education generally.

So the attempts have been made to give a new orientation to the content of education in live with the latest development and demands of the society but reorientation of the content has not been accompanied by a corresponding change in the mode of curriculum transaction which has remained, by and large, verbal exposition by the teacher. The expository style of teaching widely prevalent in our educational system and leans too heavily on the traditional "Chalk and talk" approach involving one way communication. It puts the learner development of creative, critical and analytical thinking.

So, there is need for making the teacher education responsive to the contemporary needs of students and community, new approaches are needed. The new approaches include self learning group learning, team teaching, discussion demonstration, role play and presentation of material learnt etc. The trainee took one subject at a time and complete it syllabus in two weeks-time under the guidance of (ZLP) Zero Lecture Programme. But teacher education is not confined to tell or to impart knowledge of subject matter to other. In wider perspective teacher education aims at of around development of personality of Child. But there are things to be taught to the teacher for example; what are his responsibilities and duties. Besides, many skills are needed to communicate the information effectively as skill of questioning, illustrating, demons- tratingand explaining. This skills and attitudes can only be developed through systematic training.

As far as the evaluation of teacher education is concerned, the existing system of education, which relies mostly on one-shot evaluation, conducted at the end of the year. Moreover the annual examination is conducted in respect of only knowledge aspect of learning and the evaluation of skill and attitudes is generally ignored. So it has recommended that evaluation should be treated as an integral part of teaching learning process itself. The evaluation conducted periodically should provide feedback to the teachers regarding student's achievements enabling him to improve his methodology. So far our approach has

been to reform or repair the educational edifice. Little realizing that it is an imposed democracy : a kind of educational bureaucracy. Theoretically we talk of teacher participation in curriculum framing, text book production, methodology formulation and even of decision making process, But in reality all this is a tall talk. The recommendations of expert committee's seminars or workshops are seldom accepted. The educational authorities themselves decide what to teach and how to teach, when to hold examination, how to evaluate and what norms are to be adopted for promoting a student. Reform movement for quality education cannot be successful unless a simultaneous societal transformations take place. Establishing associations & committees for excellence and quality is futile as well as an eye wash. Such associations and committees soon degenerate and are lost in multitude because we have failed to tackle the real issue. The various pressures for bringing quality in education should be taken into account. Notwithstanding the difficulties which surround any bold step, we must insist on achieving quality education.

There are so many issues which concern for falling standards in teacher education programmes. In recent time the standard of teacher education is falling down instead of rising up. Now a lot of teacher education institutes were opened not to pay attention towards the realization of the true goals rather they pay attention for earning high amount of money. Proper attention will be pay from the side of Government, Teacher Education Committees, and Assessment & Accreditation Council right from the beginning otherwise the expectation of quality will be remain dream. The following points are to be taken into consideration for rising up with quality and standards in teacher education programme

1. Restricting liberalized admission process:
2. The colleges/institutions of the University should filled up all the seats on the basis of merit list of entrance test.
 - a. The practice of management quota should be abolished.
 - b. Time period for admission should be fixed up by the University for removing the practice of decreasing of seat, increasing of admission fees.
3. Affiliation for opening new Teacher Education institution should be based on survey, which fulfill all the norms and conditions. There will be no relaxation or utilizing the money power.
4. Increasing duration of Teacher Education programme where B.Ed will be of two years
5. UGC and NCTE norms for B.Ed lecturer and principal should be equal. There should not be any controversy regarding this matter.
6. The entrance qualification for admission should be strictly observed.
7. Developing Teaching subject and skill competencies among pupil teacher. This can be achieved by the efforts of Teacher Education Institution.

8. Introducing of special papers in emerging areas as a result almost all the students after completion of their teacher training not to be rush towards only teaching profession rather they have to be get opportunities for getting educational jobs like counselors, administrators and supervisors etc.
9. Enhancing the quality of practice teaching seriously and sincerely.
10. Orientation and Training for ICT literacy.
11. For the professional development of teacher educators, the NCTE, SCERT/ SIE, University department of Education should take immediate action for improving the quality of teacher education programme.
12. Leave opportunity for orientation and refresher courses.
13. Inspection committees should inspect truly the system of salary structure of lectures and Principal, which is the major fact of B.Ed Lecturers/ Principals skip up to one college to another.
14. There is an urgent to undertake a need assessment survey at the state level to get a clear picture of demand and supply of trained teachers area wise and subject wise.
15. Teacher Educators at different levels should be encourage to undertake action, doctoral and post-doctoral to provide direct input for the enhancement of the quality of teacher education programme.
16. In the light of changing scenario the UGC should revise its policies to ensure financial assistance to these colleges for running minor and major projects, study centre etc.
17. Interfere in selection of high quality teachers in self-financed B.Ed college.

The Union and state Government, UGC, NCTE, NCERT, NAAC governing body should come together for keeping up the falling standard of Teacher Education Programme with a genuine effort, duty and responsibility. The TQM technique should be emerged in the field of Teacher Education for the development and progress of the nation.. The role of NCTE is for bringing standards in teacher education programme is unforgettable. The main objective of the NCTE is to achieve planned and coordinate development of the teacher education system throughout the country, the regulation and proper maintenance of **Norms and Standards** in the teacher education system and for matters connected therewith. The mandate given to the NCTE is very broad and covers the whole gamut of teacher education programmes including research. and training of persons for equipping them to teach at pre-primary, primary, secondary and senior secondary stages in schools, and non-formal education, par-time education, adult education and distance (correspondence) education courses.

References :-

1. Bewa, S.K. and Chahal, S. (2003) : Changing Value System Through Women Oriented T.V. Programmes,

- Journal of All India Association For Educational Research, 15(3 and 4), 6-8
2. Kumar, G. and Bhatia J. (2004) : Perception of Pupil Teacher's about Pre-dominant Culture Issues, Strategies about Teaching and Values, Journal of Indian Education, 30(1), NCERT.
 3. Kumar, G. and Bhatia J. (2006) : Perception about Value : A Study of Future Professionals, Paper presented in 39th National Conference on Professionalism in Teachers Education, 10-11 Feb., University of Allahabad, Allahabad.
 4. Laxmi, V.V. and Paul, M.M. (2018) : Value education in educational institution and role of teachers in promoting the concept, International Journal of Educational Science and Research, 8(4), 29-38
 5. MHRD (1992) : The Programme of Action, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi.
 6. NCERT (2005) : National Curriculum Framework for School Education, New Delhi.
 7. Venkataiah, N. (2000) : Teacher Education, Anmol Publications, New Delhi.

उदयपुर जिले में स्वयं सहायता समूह से महिला सशक्तिकरण

डॉ. नवल सिंह राजपूत* राकेश कुमार दाधीच**

प्रस्तावना - सामान्य शब्दों में स्वयं सहायता समूह उसे कहते हैं जिसका एक उद्देश्य और लक्ष्य होता है, विधान होता है, सभी प्रक्रियाएँ उस विधान के अनुसार ही होती हैं। प्रस्तुत लेख स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के तथ्यों की प्रकाश में लाने का एक प्रयास है। अध्ययनों के अनुसार यह ज्ञात होता है कि महिलाओं में छोटी-छोटी बचत करने की आदत होती है। यह बचत किसी भी मुसीबत में इनके परिवारों को सहयोग और सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार की बचतों को बैंक से जोड़ कर व्यवस्थित लेन-देन किया जाए तो महिलाओं में बैंकिंग कौशल के साथ-साथ ब्याज और ऋण की समझ भी बढ़ती है। एक व्यक्ति की अपेक्षा समूह पर बैंक अधिक भरोसा करता है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करना ही स्वयं सहायता समूह का मुल अर्थ है। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह है जिसमें 10 से 20 ग्रामीण महिलाएँ मिलकर समूह बनाती हैं सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह का उद्गम बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक कि उपज है जिसकी स्थापना प्रो. मोहम्मद युनुस ने सन् 1975 में की।

साहित्यों का अध्ययन - अल्का श्रीवास्तव (2016)1 छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार के तीन-तीन जिलों के 50 स्वयं सहायता समूह के पाँच सदस्यों के अध्ययन से पता चला कि स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों पर सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़ता है। बैंक को लाभ प्राप्त होता है, गरीब सदस्यों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है अतः स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम गरीबों के लिए एक प्रभावशाली माध्यम है।

रामचन्द्र एवं साथी (2016)2 के अनुसार डिडीगुल एवं इराडे के 200 स्वयं सहायता समूह सदस्यों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि स्वयं सहायता समूह मुख्यतया महिला केन्द्रित थे जिसमें महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को उन्नत किया गया, उनके कौशल उन्नयन पर ध्यान दिया गया तथा उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास, निश्चितता, एवं सशक्तिकरण का विकास हुआ।

लाइट और शेड का अध्ययन (2017)3 राजस्थान के कुल 214 स्वयं सहायता समूहों का अध्ययन करने पर पाया कि समूह की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति परिवारों तक पहुंच है। एक ही जाति के सदस्यों वाले समूह 66 प्रतिशत पाए गए हैं। समूहों में शिक्षित सदस्यों की संख्या 51 प्रतिशत गरीब सदस्यों की संख्या 51 प्रतिशत कुल समूह के सदस्यों में परिवार की मुखिया 11 प्रतिशत थी। कुल 38 प्रतिशत सदस्य श्रमिक थे वहीं पंचायती राज में 19 प्रतिशत महिलाएँ चुनी गईं। सामाजिक कार्य में

सक्रिय समूहों का प्रतिशत 12 एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में समूह सहभागिता का प्रतिशत 30, सामूहिक उद्यमिता में 21, प्रतिशत समूह सक्रिय थे। वित्तीय सक्रियता के मामले में अच्छे समूहों का प्रतिशत 54 था।

बलन्द जान एवं साथी (2017)4 ने उड़ीसा के दो जिले क्याङ्गेर एवं मयूरगंज एवं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अध्ययन करने पर पाया कि स्वयं सहायता समूह एक असफल कार्यक्रम हैं। 1998-2006 तक मात्र 10 प्रतिशत समूह ही क्रियाशील रहे। केवल 20 प्रतिशत महिलाएँ ही लगातार समूह में बनी रही। जिन शिक्षित महिलाओं ने समूह से लाभ प्राप्त किया एवं समूह बने रहे जो आपस में रिश्तेदार थे। अतः भारत में स्वयं सहायता समूह की आवश्यकता नहीं है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की स्थिति का अध्ययन करना।
2. स्वयं सहायता समूह के निर्णयों में महिलाओं की भूमिका की वस्तुस्थिति का अध्ययन करना।

प्राक्कल्पनाएँ :

1. महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात् स्वयं का शैक्षणिक विकास किया है।
2. स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात् महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है।
3. स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात् महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है।

निर्दर्शन - प्रस्तुत अध्ययन में मुख्य रूप से उद्देश्यपूर्ण एवं सुविधाजनक निर्दर्शन पद्धति का उपयोग किया गया है। उत्तरदाताओं के रूप में प्रत्येक पंचायत समिति से 120-120 उत्तरदाताओं का चयन करते हुए निर्दर्शन में जनजातीय अथवा गैर जनजातीय क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को समान अनुपात में सम्मिलित किया गया है। कुल निर्दर्शन की इकाईयाँ 240 हैं।

तथ्य संकलन - प्रस्तुत अनुसंधान में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों को काम में लिया गया है। प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु अवलोकन पद्धति के साथ साक्षात्कार-अनुसूची पद्धति का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक तथ्यों के संकलन हेतु पूर्व में किए गए अध्ययनों के साथ युवाओं की राजनीतिक सहभागिता से सम्बन्धित प्रकाशित सरकारी एवं गैर सरकारी तथ्यों को आधार

* सह-आचार्य, उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, (डीम्ड-टू-बी) विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत


** शोधार्थी, उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, (डीम्ड-टू-बी) विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

बनाया गया है। प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची का प्रायोगिक प्रयोग करते हुए प्रश्नों की महत्ता को जाँचा गया है।

अध्ययन क्षेत्र - ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राजस्थान का उदयपुर जिला हस्तशिल्प कि विभिन्न विधाओं से देश-विदेश में अपनी पहचान बनाए हुए है। उदयपुर जिले में कुल 13 तहसील व 17 पंचायत समितियां है एवं 544 ग्राम पंचायत है। शोधार्थी ने शोध हेतु उदयपुर जिले की दो पंचायत समिति-मावली व कुराबड़ का चयन किया है उक्त दोनों पंचायत समिति के 2-2 ग्राम-पंचायत का चयन किया जिसके अन्तर्गत मावली पंचायत-समिति के मेड़ता व डबोक ग्राम पंचायत व कुराबड़ पंचायत समिति के साकरोदा व बिछड़ी ग्राम पंचायत का चयन किया गया।

आयु के अनुसार उत्तरदाता


दण्ड आरेख : 01 महिलाओं की आयु



उपरोक्त दण्ड आरेख संख्या 01 में उदयपुर जिले की पंचायत समिति मावली और कुराबड़ के उत्तरदाताओं की आयु के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें पाया गया 6.3 प्रतिशत उत्तरदाता 20 वर्ष से कम है एवं 30.8 प्रतिशत उत्तरदाता 21 से 40 वर्ष के है तथा 37.9 प्रतिशत उत्तरदाता 41 से 60 वर्ष के है जबकि 25.0 प्रतिशत उत्तरदाता 60 वर्ष से अधिक के है अतः निष्कर्ष में यह कह सकते है कि उत्तरदाताओं का सर्वाधिक प्रतिशत 41 से 60 वर्ष का है।

वर्ग के अनुसार उत्तरदाता

दण्ड आरेख : 02 महिलाओं का वर्ग




उपरोक्त दण्ड आरेख संख्या 02 में उदयपुर जिले की पंचायत समिति मावली और कुराबड़ के उत्तरदाताओं का वर्ग के अनुसार विवरण दिया गया है

जिसमें पाया गया कि 17.9 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य वर्ग से है और 17.1 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से है एवं 24.6 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति से है तथा 40.4 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति से है। अतः यह ज्ञात होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति से है।

उत्तरदाताओं की शिक्षा


दण्ड आरेख : 03 शिक्षा का स्तर



उपरोक्त दण्ड आरेख संख्या 03 में उदयपुर जिले की पंचायत समिति मावली और कुराबड़ के उत्तरदाताओं की आयु के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें पाया गया कि 1.7 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर है एवं 39.2 प्रतिशत उत्तरदाता 5वीं से आठवीं तक पढ़ी है तथा 34.2 प्रतिशत उत्तरदाता दसवीं से बारहवीं तक पढ़ी है जबकि 25.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्नातक/स्नातकोत्तर कर रखी है अतः निष्कर्ष में यह कह सकते है कि सर्वाधिक प्रतिशत में उत्तरदाता 5वीं से आठवीं तक की

समूह की बैठकों में सहभागिता

दण्ड आरेख : 04 महिलाओं द्वारा बैठकों में नियमित भाग लेना



उपरोक्त दण्ड आरेख संख्या 04 में उदयपुर जिले की पंचायत समिति मावली और कुराबड़ के उत्तरदाताओं का समूह की बैठकों में भाग लेने का विवरण दिया गया है जिसमें पाया गया कि 59.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार वे समूह की बैठक में नियमित भाग लेती है एवं 26.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार वे समूह की बैठक में नियमित भाग नहीं भाग ले पाती है जबकि 13.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं को समूह के बैठक के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। अतः निष्कर्ष में यह कह सकते है कि अधिक प्रतिशत में उत्तरदाता समूह की बैठक में नियमित जाते हैं।

निर्णय लेने की क्षमता - महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के

पश्चात निर्णय लेने की क्षमता के विकास पर तथ्य संकलित किए गए जिसमें ज्ञात हुआ कि 81.3 प्रतिशत महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है और 18.8 प्रतिशत महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

महिला अधिकारों के बारे में जानकारी – महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात महिला अधिकारों की जानकारी पर तथ्य संकलित किए गए जिसमें ज्ञात हुआ कि 89.6 प्रतिशत महिलाओं में महिला अधिकारों पर जानकारी बढ़ी है और 10.4 प्रतिशत महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

स्वास्थ्य जागरूकता – महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात महिला स्वास्थ्य की जानकारी पर तथ्य संकलित किए गए जिसमें ज्ञात हुआ कि 72.9 प्रतिशत महिलाओं में स्वास्थ्य पर जानकारी बढ़ी है और 27.1 प्रतिशत महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

आर्थिक सशक्तिकरण – महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात आर्थिक सशक्तिकरण पर तथ्य संकलित किए गए जिसमें ज्ञात हुआ कि 63.3 प्रतिशत महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है और 36.7 प्रतिशत महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

लोकतंत्र की समझ – महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात लोकतंत्र की समझ पर तथ्य संकलित किए गए जिसमें ज्ञात हुआ कि 87.5 प्रतिशत महिलाओं में लोकतंत्र पर समझ बढ़ी है और 12.5 प्रतिशत महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

प्रभावी संप्रेषण – महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात प्रभावी संप्रेषण के विकास पर तथ्य संकलित किए गए जिसमें ज्ञात हुआ कि 57.1 प्रतिशत महिलाओं में प्रभावी संप्रेषण का विकास हुआ है और 42.9 प्रतिशत महिलाओं की स्थिति यथावत है।

समस्याओं के समाधान करने का विकास – महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात समस्याओं के समाधान करने पर तथ्य संकलित किए गए जिसमें ज्ञात हुआ कि 68.3 प्रतिशत महिलाओं में समस्याओं के समाधान करने का विकास हुआ है और 31.7 प्रतिशत महिलाओं की स्थिति यथावत है।

निष्कर्ष – साक्षात्कार और अवलोकन के आधार पर 240 महिलाओं के स्वयं सहायता से जुड़ने के बाद परिवर्तन तथ्यों का विवरण दिया गया है जिसमें 84.6 प्रतिशत महिलाओं की बचत करने की आदत बढ़ी है, 55.0 प्रतिशत महिलाओं की आय बढ़ी है, 50.8 प्रतिशत महिलाओं का बैंक से जुड़ा हुआ है, 45.0 प्रतिशत महिलाओं ने बैंक में स्वयं का खाता खुलवाया

है, 62.1 प्रतिशत महिलाओं ने साहूकार से उधार लेना बंद कर दिया है, 29.2 प्रतिशत महिलाओं ने बैंक से ऋण लिया है, 27.9 प्रतिशत महिलाओं में उद्योगिता विकास हुआ है, 17.5 प्रतिशत महिलाओं के शिक्षा का विकास हुआ है, 13.3 प्रतिशत महिलाओं में विपणन कला का विकास हुआ है, 81.3 प्रतिशत महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है, 89.6 प्रतिशत महिलाओं में महिला अधिकारों पर जानकारी बढ़ी है, 72.9 प्रतिशत महिलाओं में स्वास्थ्य पर जानकारी बढ़ी है, 63.3 प्रतिशत महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है।

सुझाव :

1. स्वयं सहायता समूह सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पृथक-पृथक गठन के साथ मिश्रित भी बनाकर प्रयोग किए जा सकते हैं।
2. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं हेतु अलग से आवास विकास हेतु सरकार द्वारा योजना लाकर उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है।
3. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं हेतु निशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर सरकार महिलाओं का शैक्षणिक सशक्तिकरण कर सकती है।
4. स्वयं सहायता समूहों को सरकारी निविदाओं में कार्य करने हेतु छूट प्रदान करके सरकार महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कर सकती है।
5. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अधिकारों के प्रति सजग करने हेतु न्यायालय और पुलिस थानों तथा यथासम्भव कारागृहों का भी भ्रमण करवाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Shrivastav, Alka (2016) "Women Self Help Groups in the Process of Rural Development." Women in Rural Development PP. 123-142.
2. Ramchander, S., Subbiah, A. and Ravishanker A. K. (2016) "Self Help Groups and Rural Development in Tamil Nadu: A Micro Level Examination." Women in Rural Development. PP. 101-122.
3. A study of Lights and Shades (2017) website: www.APMAS.Org. PP. 310-316.
4. Baland. Jean, Marie. Somnathan, Rohini, and Vandewalle Lore (2017) "Microfinance Lifespan: A study of Attrition and Exclusion in Self-Help Groups in India." NCAER India Policy Forum, New Delhi. PP. 532-536.

दाऊदी बोहरा समुदाय का वागड़ में सामाजिक और सांस्कृतिक उपागम

जयदीप सिंह राठौड़ *

प्रस्तावना - वागड़ के सामाजिक-सांस्कृतिक जनजीवन के अध्ययन में अनेक समुदायों की संरचना प्रकट होती है। व्यापारिक और सामाजिक संबंधों के ताने-बाने में बंधे होने के साथ-साथ प्रत्येक समुदाय अपनी अलग ही पहचान रखता है। उसी में से एक है दाऊदी बोहरा समुदाय। अपने रहन-सहन, दिनचर्या और विविध क्रियाकलापों के कारण यह समुदाय मुस्लिमों से पृथक् प्रतीत होता है। दाऊदी बोहरा समुदाय इस्माइली शिया इस्लाम का उप-समुदाय है। इनकी सबसे ज्यादा आबादी भारत, पाकिस्तान, यमन और पूर्वी अफ्रीका में है। इसके अलावा यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण-पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय को काफी समृद्ध, पढ़ा-लिखा और शांतिप्रिय समुदाय के रूप में जाना जाता है, जो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। दरअसल, बोहरा गुजराती शब्द 'वहौरा' का अपभ्रंश है, जिसका मतलब होता है व्यापार। शायद इसीलिए माना जाता है कि ये समुदाय सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है।

बोहरों की विरासत - दाऊदी बोहरा मुसलमानों की विरासत फातिमी इमामों से जुड़ी है, जो पैगंबर मोहम्मद के प्रत्यक्ष वंशज हैं। 10वीं से 12वीं सदी के दौरान इस्लामी दुनिया के अधिकतर हिस्सों पर राज के दौरान ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य और वास्तु में उन्होंने जो उपलब्धियाँ हासिल कीं वह आज मानव सभ्यता की पूंजी हैं। इनमें एक है काहिरा में विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक 'अल-अजहर'। दाऊदी बोहरा इमामों को मानते हैं। उनके 21वें और अंतिम इमाम तैयब अबुल कासिम थे, जिसके बाद सन् 1132 से आध्यात्मिक गुरुओं की परंपरा शुरू हुई, जो दाई-अल-मुतलक कहलाते हैं। बोहरा समुदाय के लोग सूफियों और मज़ारों पर खास विश्वास रखते हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय इस्माइली शिया समुदाय का उप समुदाय है।

भारत में आगमन - मूलतः मिस्र में उत्पन्न और बाद में अपना धार्मिक केंद्र यमन ले जाने वाले मुस्ताली मत ने 11वीं शताब्दी में धर्म प्रचारकों के माध्यम से भारत में अपनी जगह बनाई। 1539 के बाद जब भारतीय समुदाय बहुत बड़ा हो गया, तब इस मत का मुख्यालय यमन से भारत में सिद्धपुर लाया गया। 1588 में दाऊद बिन कुतब शाह और सुलेमान के अनुयायियों के कारण बोहरा समुदाय में विभाजन हुआ और दोनों ने समुदाय के नेतृत्व का दावा किया। बोहराओं में दाऊद और सुलेमान के अनुयायियों के दो प्रमुख समूह बन गए, जिनके धार्मिक सिद्धांतों में कोई खास सैद्धांतिक अंतर नहीं है।

दाऊदी बोहरा मान्यताओं में शियाओं के करीब होते हैं। दाऊदी बोहरा

मुख्यतः गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, जामनगर, राजकोट, दाहोद, और महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नागपुर, राजस्थान के उदयपुर व भीलवाड़ा और मध्य प्रदेश के उज्जैन, इन्दौर, शाजापुर, जैसे शहरों और कोलकाता व चेन्नई में बसते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, दुबई, ईराक, यमन व सऊदी अरब में भी उनकी अच्छी तादाद है। मुंबई में इनका पहला आगमन करीब ढाई सौ वर्ष पहले हुआ। बोहरा मुस्लिमों की ही एक जाति है, जो शिया संप्रदाय के अंतर्गत आती है। इस समुदाय के लोग ज्यादातर व्यापार आदि में संलग्न रहते हैं। भारत में बोहरों की आबादी 20 लाख से ज्यादा बताई जाती है। इनमें 15 लाख दाऊदी बोहरा हैं।

वागड़ में आगमन - तारमल के पुत्र फखरुद्दीन जो आगे चलकर पीर के रूप में वागड़ के गलियाकोट में बहुत प्रसिद्ध हुए। वे राजा सिद्धराज जयसिंह (जिन्होंने गुजरात पर 1094 से 1134 ईसवी तक राज्य किया था) के वजीर थे। उस समय शिया सम्प्रदाय को बढ़ाने के लिए मिश्र से इमाम मुस्तेन सीर ने मोलाई अहमद साहब और मोलाई याकूब साहब को यमन भेजा, उन्होंने वहाँ अपने धर्म को बढ़ाया। उन्होंने फिर मोलाई अहमद, मोलाई अब्दुल्ला और मोलाई नूर मोहम्मद को यमन से हिजरी सन् 450 से खम्भात में भेजा। वहाँ अब्दुल्ला साहब की काफी कीर्ति फैल गई। उन्होंने अपनी करामात से सूखे कुएँ को पानी से भर दिया। पत्थर के हाथियों को हाथ लगाते ही गिरा दिया। यह चमत्कार देखते ही लोग उनके धर्म को अपनाने लगे। फिर ये लोग खम्भात से पाटन आए। पाटन गुजरात की राजधानी थी। गुजरात के राजा ने जब धर्म परिवर्तन का मामला देखा तो मोलाई अब्दुल्ला को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मोलाई अब्दुल्ला ने खुदा से दुआ की और उनके चारों ओर आग की दीवार बन गई। यह चमत्कार देखकर राजा हैरान हो गया और उनका शिष्यत्व ग्रहण करने की प्रार्थना की और फिर पूरा ही राज परिवार उनका शिष्य हो गया।

राज परिवार के साथ उनके वजीर तारमल और उनके भाई भारमल दोनों भी इमाम-अल-मुस्तेन-सीर के सम्प्रदाय में शामिल हो गये। भारमल के पुत्र याकूब थे। जिनको गुजरात में धर्म प्रचार का कार्य दिया गया और तारमल के पुत्र सैय्यद फखरुद्दीन थे। जिनको वागड़ (राजपूताना) प्रांत के लिए भेजा गया। फखरुद्दीन जब छोटे थे तब से ही उनमें किसी महान सूफी संत जैसे लक्षण नजर आने लगे थे। वे खेल-कूद से अलग रहकर एकांत में मनन किया करते थे। गरीबों की खिदमत करना, भूखों को खाना खिलाना, रोगियों को दवा देना उनका रोजमर्रा का काम था। बाद में उनको धर्म की पूरी तालीम दी गई। दीनी और रूहानी इल्म हासिल करके पहुँचे हुए फकीर हो गए। उनका स्वभाव धार्मिक तथा संयासी की तरह था। उन्होंने आत्मा की

खोज के साथ लोगों को कई चमत्कार बताएँ। इसी कारण इस संत का समाधि स्थल आगे चलकर गलियाकोट के नाम से दाउदी बोहरो का परम तीर्थ बन गया।

ऐसा माना जाता है कि जब यह फखरुद्दीन अपने मुरीदों के साथ सागवाड़ा आ रहे थे। तो उस समय चोरों ने हमला कर दिया। चोरों से लड़ते लड़ते इनके सारे साथी मारे गए सिर्फ यही बचे रहे थे। इतने में नमाज अदा करने का समय हो गया। जब वे नमाज पढ़ रहे थे तब पीछे से चोरों ने इन पर हमला कर दिया। उसी दिन से यह महान आत्मा इस संसार से विदा हो गई। मृत्यु के समय उनकी उम्र 27 वर्ष की थी। उस समय इनकी मृत्यु की खबर किसी को भी मालूम नहीं पड़ी। कहा जाता है कि एक बैलगाड़ी वाला उधार से गुजर रहा था। जहाँ पर उनके शरीर को दफनाया गया था। वहाँ पर बैलगाड़ी का एक पहिया रह गया, और बैलगाड़ी एक ही पहिए से अपने गंतव्य पर पहुँच गई। जब गाड़ी वाले ने देखा कि गाड़ी एक ही पहिये से कैसे आ गई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह वापिस गया और एक स्थान पर पहिए को पड़ा पाया। उसने उसको उठाने की बहुत कोशिश की पर वह पहिया उठ न सका। बाद में उसे ख्वाब में पीर फखरुद्दीन दिखाई दिये और कहा कि 'मैं लोगों की भलाई के लिए सागवाड़ा जा रहा था। चोरों ने मुझे मारकर इस जगह दफनाया है। यहाँ मेरी कब्र बना दी जावे।' फिर वहाँ उनकी कब्र बना दी गई और लोगों की मुरादें पूरी होने लगी तथा गलियाकोट वाले पीर बाबा की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई।

धार्मिक समरसता - आस्था का यह केन्द्र बोहरा समुदाय के साथ-साथ आदिवासियों और हिन्दुओं के लिए भी आस्था का केन्द्र बना हुआ है। गलियाकोट की दरगाह हिन्दू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। यहाँ न केवल मुस्लिम लोग ही आते हैं बल्कि हिन्दुओं की भी मुरादें पूरी होती हैं। और हिन्दू मुसलमान एक साथ उनको सम्मान अर्पित करते हैं। विशेषकर भील तो उन्हें तुरन्त आराम देने वाले बाबा के रूप में मानते हैं। उन्हें किसी तरह की तकलीफ हो कोई झंझट हो वे वहाँ जाते हैं और दालान में खड़े होकर एक कुलडी में पानी लेकर उसे चारों ओर फिराकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। और वह पानी बीमार को पिलाते हैं तो दुख दर्द बिमारी दूर हो जाती है ऐसी भी मान्यता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि जिस प्रकार हिन्दुओं में कई स्थानों पर भूत प्रेत तथा भटकती हुई आत्माओं की छाया से छुटकारा दिलाया जाता है।

करदन हसन - इस्लाम और कुरान मजीद में 'रीबा' (सूदखोरी) और ब्याज पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया है; इसी लिए दाउदी बोहरा समुदाय, इस्लाम और कुरान मजीद में बताए गये 'करदन हसन' के पवित्र सिद्धांतों का पालन करता है। दाउदी बोहरा ब्याज मुक्त लेन-देन के सिद्धांत का सख्ती से पालन करते हैं। इस उपक्रम मॉडल ने समुदाय के भीतर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मीसाक - बोहरा समुदाय में प्रवेश के लिए मार्ग का धार्मिक कृत्य 'मीसाक' (निष्ठा की शपथ) का अनुष्ठान है। सैयदना के आध्यात्मिक मार्गदर्शन को पूरी ईमानदारी से और आरक्षण के बिना स्वीकार करने का संकल्प ही निष्ठा की शपथ में शामिल है। मीसाक की शपथ सबसे पहले उस उम्र में ली जाती है, जिस उम्र में बच्चे को परिपक्वता तक पहुँचा हुआ समझा जाता है। लड़कियों के लिए आम तौर पर तेरह साल, लड़कों के लिए चौदह या पंद्रह साल माना जाता है। आमिल साहेब बोहरा विश्वास के बारे में योग्य युवाओं से कई सवाल पूछते हैं, और पर्याप्त जवाब देने के बाद ही योग्य बच्चे को

'मीसाक' के लिए स्वीकार किया जाता है।

पंचांग (बोहरा कैलेंडर) - दाउदी बोहरा समुदाय, फातेमी राज-वंश के युग से चली आ रही इस्लामी कैलेंडर का पालन करते हैं, जो चंद्र चक्र के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और उसे अन्य कैलेंडर के विपरीत समय-समय पर किसी भी सुधार की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस कैलेंडर में, चंद्र वर्ष में 358 दिन होते हैं। केवल एक लीप वर्ष को छोड़कर जब 12 वें और अंतिम महीने में 30 दिन होते हैं, बाकी सब विषम संख्या वाले महीनों में 30 दिन होते हैं और सम-विषम महीनों में 29 दिन होते हैं।

महत्वपूर्ण कार्यक्रम - प्रमुख आयोजनों में विशेष प्रार्थनाएँ और समारोहों भी आयोजित की जाती हैं, जैसे कि जिस दिन मोहम्मद ने पहली बार अपना मिशन (महाकार्य) शुरू किया, मोहम्मद का जन्मदिन, समुदायों के संतों और सैनिकों की मृत्यु की कुछ वर्षगांठ, और वर्तमान दाई (सैयदना साहेब) का जन्मदिन, इत्यादि। सभी घटनाओं में, मोहम्मद और उनके परिवार की भक्ति और उनके नेक कार्यों को स्मरण रखना एक आवर्ती प्रसंग है।

रमजान - पवित्र इस्लामी ग्रंथ कुरान मजीद में कहा गया है कि कुरान रमजान के महीने में उतारा गया, जो इस्लामी कैलेंडर का 9 वां महीना है। इस महीने के दौरान, दाउदी बोहरा समुदाय एक अनिवार्य अभ्यास के रूप में सुबह से शाम तक 'रोज़ा' (उपवास) करते हैं। बोहरा सदस्यों दैनिक प्रार्थनाओं के लिए इस शुभ महीने के दौरान अपनी मस्जिदों में एकत्र होते हैं, लेकिन विशेष रूप से शाम की प्रार्थना के दौरान, और दिन भर का उपवास एक साथ तोड़ते हैं, और इफ्तार (उपवास तोड़ना) एक साथ करते हैं।

मुहर्रम - मोहम्मद के नवासे, इमाम हुसैन, अपने परिवार और साथियों के साथ मदीना (सऊदी अरब) से कूफा (वर्तमान में इराक) की यात्रा के दौरान करबला (वर्तमान में इराक) के गर्म चिलचिलाती रेगिस्तान के मैदानों पर तीन दिन पानी और भोजन के बिना रोक दिए गए और तीसरे दिन बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिए गए। कई मुसलमानों का मानना है कि इमाम हुसैन की शहादत उनके नाना, मोहम्मद से पूर्वाभास था, और यह दुखद घटना इस्लाम के इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए निर्णायक था। इमाम हुसैन की शहादत की याद में दस सभाओं की एक श्रृंखला होती है, जो इस्लामिक नए साल की शुरुआत में इमाम हुसैन, उनके प्रिय परिवार और कर्बला में वफादार साथियों की पीड़ा को याद करने के लिए समर्पित होती हैं।

भाषा - बोली - दाउदी बोहरा समुदाय में जातीय संस्कृतियों का मिश्रण है, जिनमें यमनी, मिस्त्री, अफ्रीकी, पाकिस्तानी और भारतीय संस्कृति शामिल हैं। स्थानीय भाषाओं के अलावा, दाउदी बोहरा की अपनी भाषा है, जिसे 'लिसानुद्दावत' कहा जाता है, जो फ़ारसी-अरबी लिपि में लिखा गया है और यह भाषा अरबी, फ़ारसी, उर्दू और गुजराती का एक मिश्रण है। वागड़ में दाउदी बोहरा वागड़ी, गुजराती बोली को बोलते हैं।

पहनावा - दाउदी बोहरा समुदाय की पोशाक का एक अलग ही रूप है। पारंपरिक रूप से पुरुष तीन सफेद टुकड़े वाले परिधान पहनते हैं, जिसमें एक अंगरखा होता है जिसे 'कुर्ता' कहा जाता है, समान लंबाई का एक ओवरकोट जिसे 'साया' कहा जाता है, और पैंट या पतलून जिसे 'इज़ार' कहा जाता है। पुरुष सफेद या स्वर्ण रंग की टोपी भी पहनते हैं, जिसमें स्वर्ण और सफेद रंग के धागे का प्रयोग किया जाता है। बोहरा समुदाय के पुरुष में, पैगम्बर मोहम्मद के अभ्यास का पालन करते हुए पूरी दाढ़ी बढ़ाने की उम्मीद की जाती है।

इस समुदाय की महिलाएँ एक दोहरी पोशाक पहनती हैं, जिसे 'रिदा'

कहा जाता है, जो हिजाब के अन्य रूपों से अलग है। रिदा अपने चमकीले रंग, सजावटी प्रतिरूप और फीते से तैयार होता है। रिदा महिला के चेहरे को पूरा नहीं ढंकता है। काले रंग को छोड़कर रिदा किसी भी रंग का हो सकता है। इसमें एक छोटा सा पल्ला होता है जिसे परदी कहा जाता है जो आमतौर पर एक तरफ मुड़ा होता है ताकि महिला का चेहरा दिखाई दे सके लेकिन ज़रूरत के अनुसार इसे चेहरे पर पहना भी जा सकता है।

भोजन - दाउदी बोहरा समुदाय में सांप्रदायिक भोजन की एक अनूठी प्रणाली है जिसमें एक 'थाल' (एक बड़ी धातु प्लेट) के आसपास आठ या नौ लोग शामिल होते हैं। यह सांप्रदायिक ढावत के साथ-साथ एक परिवार के रूप में घर में खाने के लिए समान परंपरा और शैली है। भोजन के प्रत्येक कोर्स को थाल पर साझा करने के लिए परोसा जाता है।

भोजन की शुरुआत नमक की एक चुटकी स्वाद से होती है जो इस्लामी शास्त्रों के अनुसार कई बीमारियों की रोकथाम है। समुदाय के सभी सदस्य आम तौर पर भोजन के सम्मान में भोजन के दौरान अपने सिर को ढंकते हैं। भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने की परंपरा का भी पालन किया जाता है जहाँ मेजबान अपने मेहमानों के हाथों को स्वच्छ करने के लिए एक धातु 'चिलमची लोटा' (जंगम बेसिन और जग) का उपयोग करता है। सामुदायिक ढावतों में, बोहरा पहले मिठास (मीठा पकवान) खाते हैं, उसके बाद खारास (नमकीन पकवान) और फिर मुख्य भोजन करते हैं।

शुरुआत की तरह, सभी सदस्य अंत में भी नमक की एक चुटकी स्वाद पर भोजन को समाप्त करते हैं। बोहरा व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध हैं जैसे बोहरा शैली बिर्यानी और दाल चावल पालिदु (चावल, दाल और करी से बनी विधि)।

ढावत घर (जमात खाना /मवाईद) - भोजन कक्ष में सांप्रदायिक भोजन परोसा जाता है, जिसे 'जमात खाना' या 'मवाईद' कहा जाता है, जो आमतौर पर मस्जिद कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होता है। यहाँ आम तौर पर समुदाय के लोग अवसरों के अनुसार ढावत खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। शादी की ढावतें भी यहां आयोजित की जाती हैं।

शिक्षा - पैगम्बर मोहम्मद के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना हर मुस्लिम पुरुष और महिला पर समान रूप से अनिवार्य है। बोहरा समाज में को लेकर काफी एहमियत दी जाती है। दाउदी बोहरा समुदाय में, धार्मिक, लौकिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दोनों अत्यधिक मूल्यवान हैं। समुदाय में साक्षरता की दर बहुत अधिक है और लड़कों या लड़कियों के बीच सीखने के अवसरों में कोई असमानता नहीं है। यह स्तर समुदाय के अपने स्कूलों, विशेष रूप से 'मदरसा सैफिया बुरहानिया' में देखा जा सकता है, जो इन संस्थानों में लड़कियों और लड़कों के साथ विज्ञान, मानविकी, भाषा और धार्मिक विषयों का एक एकीकृत पाठ्यक्रम सिखाते हैं।

महिलाओं की शिक्षा को इस समझ के साथ सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि एक शिक्षित लड़की, जो शायद माँ बनने के लिए आगे बढ़ेगी, ऐसे परिवारों की ओर जाती है जो शिक्षा को महत्व देते हैं और इस तरह एक शिक्षित समाज को जन्म देती है। वर्तमान में, पूरी दुनिया में बोहरा समुदाय के बच्चों को विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा के लिए पाए जाना आम बात है।

सामाजिक जिम्मेदारियाँ - दाउदी बोहरा समुदाय मुख्य रूप से व्यापारी हैं और अब एक ऐसे समुदाय के रूप में विस्तारित हो गए हैं, जिसमें परोपकारी

व्यवसाय व्यक्ति, उद्योगपति, उद्यमी और अत्यधिक कुशल पेशेवर शामिल हैं।

पर्यावरण संरक्षण - बोहरा विश्वास प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और बढ़ाने और सतत विकास की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बहुत महत्व देता है। नज़ाफत (स्वच्छता) इस्लामी आस्था का एक अभिन्न अंग है, और बोहरा समुदाय के सदस्यों से साफ-सफाई अभियान, पेड़ लगाने और अन्य हरी पहल को बढ़ावा देने और जहाँ भी वे रहते हैं, एक स्वच्छ जीवन वातावरण को बढ़ावा देने के लिए आग्रह किया जाता है; कचरे और प्रदूषण से बचने के लिए; प्रयोग की गयी वस्तु का पुनः प्रयोग करना; और जीवन के सभी रूपों का पोषण करना, उनकी सामाजिक जिम्मेदारी है।

बुरहानी फाउंडेशन - 1992 में, स्वर्गीय सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने 'बुरहानी फाउंडेशन' की स्थापना की, जो एक धर्मार्थ ट्रस्ट है, जो पर्यावरण के संरक्षण को हर बोहरा की जिम्मेदारी बनाने और पर्यावरणीय स्वास्थ्य और संबंधों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। बुरहानी फाउंडेशन पेड़ लगाने, जल प्रदूषण नियंत्रण, सतत विकास के लिए तकनीकों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और धन अनुसंधान के माध्यम से प्राकृतिक वातावरण को बढ़ाने का प्रयास करता है।

स्वास्थ्य बोहरा समुदाय स्वास्थ्य सेवा और व्यक्तिगत स्वच्छता पर बहुत जोर देते हैं। दुनिया भर में, चिकित्सा व्यवसायों में काम करने वाले हजारों बोहरा पुरुष और महिलाएँ हैं। बोहरा समुदाय, भारत और दुनिया भर में 25 बड़े अस्पतालों और क्लीनिकों को चलाता है।

समाज में महिलाओं की स्थिति - बोहरा समुदाय में महिलाओं की स्थिति 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक बड़े बदलाव से गुजरी। प्रसिद्ध लेखक जोनाह ब्लॉक के अनुसार, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं में बोहरा समुदाय की महिलाएँ हैं। अमेरिका और यूरोप में बोहरा महिला कई व्यवसायों के मालिक, वकील, डॉक्टर, शिक्षक और नेता बन गए हैं।

उपसंहार - दाउदी बोहरा समुदाय मुख्यतः व्यापारिक समुदाय रहा है। लोहे, कपड़े, मसाले तथा आधुनिक व्यापार में यह समुदाय अपना योगदान दे रहा है। वागड़ क्षेत्र के डूंगरपुर और बाँसवाड़ा में इनका व्यापारिक आधिपत्य रहा है। यह प्रायः शान्तिप्रिय ही होते हैं। यह जहाँ भी निवास करते हैं वहाँ की आर्थिक स्थिति में इनका अपना अलग ही योगदान रहता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नईम अहमद (20019) गलियाकोट दरगाह राजस्थान : गलियाकोट दरगाह का इतिहास, <https://alvitrips.com/>
2. साँचा: <https://hindi.nativeplanet.com/dungarpur/attractions/galiakot/>
3. Blank, Jonah (2001). Mullahs on the mainframe: Islam and modernity among the Daudi Bohras. Chicago: University of Chicago Press.
4. Saiyed, Kamal(2020)"Dawoodi Bohra head praises PM Modi in Muharaam speech". The New Indian Express.
5. Bhattacharya, Sourish (30 March 2013). "Faith & food in the Bohra way". Mail Today.
6. Parmar, Vijaysinh (15 February 2012). "Community kitchen' gives Bohra women freedom from cooking". The Times of India.

नई सदी के साहित्य में आदिवासी स्त्री विमर्श : संजीव के उपन्यासों के विशेष संदर्भ में

सीमा मेनारिया *

प्रस्तावना – सांस्कृतिक विविधताओं वाले देश भारत की अपनी विशिष्ट परम्पराओं, धार्मिक रीति-रिवाजों, लोक संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के साथ ही सर्वधार्मिक सम्भाव व विश्व बंधुत्व की भावना के कारण वैश्विक स्तर पर अलग पहचान रही है। यहाँ के विभिन्न धर्म, समुदाय, जातियाँ, जनजातियाँ आदि इन सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने हेतु प्रयासरत रहे हैं। जिनमें जनजातीय समाज का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये लोग निश्चित भू-भाग पर, अपनी विशिष्ट संस्कृति, सभ्यता, परम्परा, भाषा, रहन-सहन, रीति-रिवाजों के साथ निवास करते हैं अतः यह आरंभ से ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं। जल, जंगल और जमीन ही इनकी मूल संपत्ति है, लेकिन वर्तमान समय में कई आंतरिक तथा बाह्य परिस्थितियों के कारण यह प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं जिससे इनके जीवन में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं।

आदिवासियों की अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, इतिहास, अपना रहन सहन, मूल्य है जो इनकी पहचान है। इन सबने हिंदी साहित्यकारों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। आदिवासी जीवन से जुड़े उपन्यास, नाटक, कहानियों आदि का उद्देश्य इस बदलते परिवेश में आदिवासियों के समग्र पहलुओं को उद्घाटित करना है। मैत्रेयी पुष्पा, संजीव, शोभा नारायण, राजेन्द्र अवरुथी, रमणिका गुप्ता, मधु कांकरिया, रणेन्द्र आदि साहित्यकारों ने आदिवासियों को केंद्र में रखकर साहित्य रचा है। इनमें संजीव का महत्वपूर्ण स्थान है।

आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप आए बदलावों से आदिवासी स्त्री के जीवन में भी परिवर्तन आए हैं। जहाँ एक ओर आधुनिकता के फलस्वरूप आदिवासियों को उसके मूल स्थान से दूर किया गया है वहीं दूसरी ओर विज्ञान, शिक्षा तथा जागरूकता के प्रचार-प्रसार के कारण कई प्रकार की कुरतियाँ तथा अंधविश्वासों में कमी आई है। हिंदी साहित्य में बीसवीं शताब्दी के अंतिम दौर में स्त्री संघर्ष की शुरुआत होती है। आज आदिवासी स्त्री पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक आदि क्षेत्रों में कदम बढ़ा रही है।

संजीव के उपन्यास धार (1990), पाँव तले की दूब (1995), जंगल जहाँ शुरु होता है (2000) मुख्य रूप से आदिवासी केंद्रित उपन्यास हैं। संजीव के धार उपन्यास के केंद्र में संधाल परगना का बांसगडा अंचल और संधाल आदिवासी है। इस उपन्यास का मुख्य स्त्री पात्र आदिवासी महिला मैना है जो अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए स्वयं बलि पर चढ़ती है। लेखक ने मैना के माध्यम से आदिवासी नारियों का शोषण, आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचार एवं आदिवासी जनजीवन की वास्तविक छवि को प्रस्तुत किया है। आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन की समस्या

के अलावा मुख्य समस्या आदिवासी स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार और शोषण है। आदिवासी स्त्रियाँ बलात्कार, वैश्यावृत्ति, अत्याचार, यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, दहेज, हत्या, अश्लीलता इत्यादि रूप में हिंसा की शिकार हुई है। मैना पूंजीपतियों, ठेकेदारों, पुलिस अधिकारियों से संघर्ष करती है, जूझती है पर हार नहीं मानती। उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति के बारे में हैदर मामा कहते हैं 'वह आग है, आग जिसे छूती है भस्म कर देती है।' मैना दोषपूर्ण व्यवस्था तथा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। 'हमारा अपना कोई पता ठिकाना नई काये पे हम रएता, फिर भी कंगाल? कब तक चलेगा ऐसा माफिया...?'¹² मैना उपन्यास का एक दबंग स्त्री पात्र होते हुए भी पारिवारिक, मानसिक, आर्थिक शोषण का शिकार होती है। वह इतनी मजबूर हो जाती है कि उसे विवश होकर गलत काम करने पड़ते हैं और वह इसे ही अपनी नियति समझती है।

मैना कहती है कि 'हमको याद आता, जब हम बच्चा था, खेती से चार-छे महीने का काम चल जाता, आज एक दिन का भी नई। खेत-खतार, पेड़, रुख, कुआँ, तालाब, हम और हमारा बाल-बच्चा तक आज तेजाब में गल रआ है। भूख में जल रआ है। पहले हम चोरी का चीज ही नई जानता था, भीख कभी नई मांगा, चुगली, दलाली कभी नहीं किया, इज्जत कभी नहीं बेचा, आज हम सब करता, आदत पड़ गया है, बल्कि कहे, इसके बिना गुजारा नई।'¹³

मैना एक ऐसी स्त्री पात्र है जो केवल समाज के खिलाफ ही नहीं बल्कि अपने परिवार के खिलाफ भी खड़ी होती है। उसका पिता टेंगर स्वयं को एक साधु समझता है तथा वह अपनी जमीन ठेकेदार महेंद्रबाबू को दान दे देता है। महेंद्रबाबू उस जमीन पर तेजाब की फैक्ट्री शुरू कर देते हैं जिससे जमीन बंजर हो जाती है फलस्वरूप आदिवासियों को पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता है। तब मैना अपने पिता टेंगर, पति फोकल और तेजा फैक्ट्री के मालिक महेंद्रबाबू के खिलाफ संघर्ष करती है। महेंद्रबाबू ओझा का सहारा लेकर उसे डायन घोषित कर देते हैं। तब वह ओझा को पकड़कर कहती है 'खा जाहिर खान का कसम! खा मारों बुरु का कसम!...कि तू घूस नहीं खाता है, सच बोल रआ है। अरे...तू हो गया डायन।' इस प्रकार मैना आदिवासियों में सदियों से चली आ रही इस कुप्रथा का विरोध करती है तथा अपने पूरे स्वाभिमान के साथ भ्रष्ट लोगों का मुकाबला करती है।

संजीव ने अपने उपन्यास जंगल जहाँ शुरु होता है में आदिवासी स्त्री की स्थिति पर चिंतन किया है। थारू आदिवासी स्त्रियाँ शोषण, अन्याय, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, पारिवारिक अत्याचार, वैश्यावृत्ति, हिंसा आदि की शिकार होती। थारू आदिवासियों में महिलाओं की सामाजिक

* शोधार्थी, हिंदी सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

स्थिति अत्यंत दयनीय है, उन्हें जबरदस्ती देह व्यापार में धकेला जाता है। संजीव ने लिखा है 'बस इसी के लिए कुत्ते की तरह आए थे दबे पांव, आपकी औरतें तो इज्जतदार हैं, ऊंची जात के बड़े लोग! हम गरीब नीच जाति की औरतों की क्या इज्जत? खुला दरवाजा है, जो चाहे मुंह मार ले।' आदिवासी स्त्रियों पर जमींदारों, ठाकुरों, सेठ यहां तक कि पुलिस के द्वारा भी अभद्र व्यवहार किया जाता है।

उपन्यास में बताया है कि लड़कियों की कोई कमी नहीं है। इन्हे कितने ही पैदा होने पर मारने की कितनी भी कोशिश की जाए फिर भी इनकी तादाद बढ़ती ही जाती है और इन्हें खरीदने वाले तो हर जगह मौजूद रहते हैं। 'बस ऐसी औरत का पता करना है, उससे मेल-जोल बढ़ाकर उसके मन को परिवार से अलगाते रहो और मौका पाते ही निकाल ले जाओ। वैसे भी घर से भागी, घर से निकाली गई या चूसकर छोड़ी गई, औरतों की कोई कमी है क्या? अब रहे खरीददार, तो रंडुए, ऐयास, ठेकेदार, बनिए, यहां तक कि मास्टर और पुजारी तथा बालब्रह्मचारी भी औरत किसे नहीं चाहिए, कोई बोलता है, कोई नहीं, बस ऊपरी लोक-लाज का एक छिलका भर है, मौका मिलने पर कोई नहीं छोड़ता है।'⁵

देह व्यापार करने के लिए समाज ही नहीं बल्कि परिवार के कई लोग भी उनका साथ देते हैं। वह अपनी बहन-बेटियों को चंद पैसों के लिए बेच देते हैं। परिवार में जहां एक स्त्री सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करती है यदि उसी परिवार का कोई व्यक्ति उसे धोखा देता है तो वह बिल्कुल बिखर-सी जाती है। 'एक जनाना का कसूर कितना बड़ा हो गया कि कोई अपने ही भाई से, अपने ही घर में, अपने ही सामने, उसकी इज्जत लूटवाने पर आमदा हो जाए।'⁶ उपन्यास का पात्र बिसराम अपनी पत्नी को बहुत स्नेह करता है परंतु जब डाकू उसकी पत्नी को एक रात के लिए कब्जे में कर लेते हैं तथा वह दूसरे दिन जब लौट कर आती है तो बिसराम उसका साथ देने की जगह उसी पर लांछन लगता है तथा अविश्वास प्रकट करता हुआ कहता है कि 'डूब मरने को कोई नदी, तालाब, नाहर नहीं मिली।' इस प्रकार परिवार के द्वारा भी स्त्री को यातनाएं दी जाती हैं।

उपन्यास में लेखक ने बताया है कि कानून व्यवस्था जहां सभी को सुरक्षा व सम्मान प्रदान करती है, वही कानून के रखवाले पुलिसवाले आदिवासी स्त्रियों की गरीबी, मजबूरी व अकेलेपन का फायदा उठाकर उनका शारीरिक शोषण करते हैं। संजीव अपने उपन्यास में बीसराम बहू के शोषण के भयावह रूप को उजागर करते हैं। वह स्त्री जमींदार तथा पुलिसवालों के द्वारा भी प्रताड़ित की गई है। 'ऊ गाली दिया। हम चुपचाप सुनते रहे, फिर बोला तुम काहे आए, तुमरा जवान लड़की नहीं है?...वह बोले तो जाओ भेज दो।...बहोत मारा, बहोत। अब हम किसी काम की नहीं रह गए, नई बचेंगे हम।'⁶ इस तरह कानून व्यवस्था भी स्त्री का शोषण करने में ही लगी हुई है।

संजीव के पांव तले की दूब उपन्यास में मुख्य रूप से आदिवासियों के विस्थापन से संबंधित समस्याओं को उजागर किया गया है। उन्हें सरकार के द्वारा बनाई गई कई योजनाओं के तहत जंगलों तथा वनों से बेदखल कर दिया गया है परंतु उन्हें उचित रहने के लिए स्थान नहीं दिया गया है जिससे उन्हें कई आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उपन्यास में फिलिप व्यक्त करता है कि 'यह धरती, हमारी धरती सोना उगलती है और इस सोने की धारती कि हम कंगाल संतान हैं।'⁷ इस प्रकार इस एक पंक्ति में ही आदिवासियों की संपूर्ण समस्याओं से परिचय हो जाता है। उपन्यास का केंद्रीय पात्र सुदीप्त आदिवासियों की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है परंतु वह विषम परिस्थितियों से जूझता हुआ आत्महत्या कर लेता है। यह केवल सुदीप्त की ही कहानी नहीं है, यह संपूर्ण आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है।

निष्कर्ष - इस प्रकार संजीव के उपन्यासों में आदिवासियों का यथार्थ अंकन हुआ है। एक तरफ उपन्यासों के स्त्री पात्र जहां अंधविश्वास, कुप्रथा, विस्थापन की समस्या, अत्याचार, देह व्यापार, शोषण, वैश्यावृत्ति आदि से जूझते नजर आते हैं तो वहीं दूसरी ओर जिजीविषा लिए हुए परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए भी चित्रित हुए हैं। आदिवासी समाज प्रारंभ से ही अंधविश्वास में जकड़ा हुआ था। इसका प्रमुख कारण अशिक्षा रहा है, परंतु वर्तमान समय में आदिवासी महिलाएं शिक्षित व जागरूक होकर अपने अधिकारों को समझने लगी हैं। संजीव के उपन्यासों में चित्रित किया गया है कि आदिवासी नारी संघर्ष करते हुए, शोषण व अत्याचार का विरोध करते हुए आगे बढ़ रही हैं तथा पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं। ये आदिवासी स्त्रियां अपने अस्तित्व के लिए संघर्षशील हैं। संजीव ने आदिवासी स्त्रियों के जीवन के अनेकानेक पक्षों, समस्याओं को संवेदनापूर्ण अभिव्यक्त किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. संजीव : धार, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली 1990, पृ. 180
2. संजीव : धार, पृ. 57
3. संजीव : धार, पृ. 54
4. संजीव : जंगल जहां शुरू होता है, राधाकृष्ण पेपरबैक्स प्रकाशन, नई दिल्ली 2010, पृ. 182
5. संजीव : जंगल जहां शुरू होता है, पृ. 212
6. संजीव : जंगल जहां शुरू होता है, पृ. 118
7. संजीव : जंगल जहां शुरू होता है, पृ. 27
8. हंस पत्रिका सितंबर 1990 पृ. 76
9. संजीव : पांव तले की जमीन प्रवीण प्रकाशन, नई दिल्ली 1995

मौर्य साम्राज्य द्वारा बौद्ध धर्म का संरक्षण, संवर्धन एवं उसका विन्ध्य क्षेत्र पर प्रभाव

डॉ. सरोज सिंह *

प्रस्तावना - मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य (ईसा पूर्व 322 से ईसा पूर्व 298) ने पंजाब और सिंध से युनानी सेनाओं को खदेड़कर उत्तरी भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। उसके साम्राज्य की सीमा पश्चिम में गुजरात, सिन्ध का बलूच प्रदेश से लेकर पश्चिमोत्तर भारत में हिन्दुकुश तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी व निकटवर्ती क्षेत्रों एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों तक विस्तृत था। अतः सम्पूर्ण विन्ध्यांचल उसके साम्राज्य में समाहित था। इस साम्राज्य के बहुत कम ऐसे भाग थे जिन्हें आन्तरिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। सारा विन्ध्य प्रत्यक्ष शासन में था, जिसकी पुष्टि मौर्यों के काल में निर्मित नगरीय एवं बौद्ध स्थापत्यों से होती है।

राजनीतिक दृष्टि से समस्त भारत का एकीकरण चन्द्रगुप्त के नेतृत्व में ही संभव हुआ था। विसेन्ट स्मिथ का विचार है कि - 'दो हजार से भी अधिक हुए, भारत के प्रथम सम्राट ने इस प्रकार उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया जिसके लिए उसके अंग्रेज उत्तराधिकारी व्यर्थ में ही आगे भरते रहे और जिसको मुगल सम्राटों ने भी कभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया' मुद्राराक्षस के अनुसार- चन्द्रगुप्त का साम्राज्य का साम्राज्य चतुः समुद्र पर्यन्त था। जस्टिन - ने भी उसे सम्पूर्ण भारत का सम्राट स्वीकार किया है। अपने पिता की भाँति विन्दुसार भी जिज्ञासु था और विद्वानों तथा दार्शनिक का आदर करता था।

अशोक अपने शासनकाल के प्रारम्भिक वर्षों में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। राजतरंगिणी के आधार पर - यह कहा जा सकता है कि वह भगवान शिव का उपासक था। अन्य हिन्दू शासकों की भाँति वह अपने रिक्त समय में विहार यात्राओं पर निकलता था।

अशोक अपने तेरहवें शिलालेख में (जिसमें कलिंगयुद्ध की घटनाओं का वर्णन है) यह घोषणा करता है कि इसके बाद देवताओं का प्रिय धर्म की सोत्साह परिरक्षा, सोत्साह अभिलाषा एवं सोत्साह शिक्षा करता है। प्रथम लघु शिलालेख से ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के ढाई वर्ष तक वह साधारण उपासक था।

सिंहली अनुश्रुतियों-दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोग्गलिपुत्ततिस्स नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी इस संगीति की समाप्ति के पश्चात् भिन्न-भिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ भिक्षु भेजे गये जिनके नाम महावंश में इस प्रकार प्राप्त होते हैं :-

धर्म प्रचारक	देश
मध्यन्तिक	कश्मीर तथा गन्धार
महारक्षित	यवन देश
मण्डिम	हिमालय देश

धर्मरक्षित	अपरान्तक
महाधर्मरक्षित	महाराष्ट्र
महादेव	महिषमण्डल (मैसूर अथवा मान्धाता)
रक्षित	बनवासी (उत्तरी कन्नड़)
सोन तथा उत्तर	सुवर्ण भूमि
महेन्द्र तथा संघमित्रा	लंका

लंका में बौद्ध धर्म प्रचारकों को विशेष सफलता मिली जहाँ अशोक के पुत्र महेन्द्र एवं पुत्री संघमित्रा ने वहाँ के शासक तिरस को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया तथा इसे राजधर्म बना लिया तथा वह स्वयं अशोक का अनुकरण करते हुए 'देवनाम प्रिय' की उपाधि ग्रहण कर ली। इस प्रकार इन विविध उपायों द्वारा अशोक ने स्वदेश एवं विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, इसका फल यह हुआ कि बौद्ध धर्म एशिया के विभिन्न भागों में फैल गया और वह अब अन्तर्राष्ट्रीय धर्म बन गया।

अपने इन कार्यों द्वारा उसने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म का दर्जा प्रदान कराया। अशोक द्वारा किये गए धर्म सम्बंधी इस कार्य का विश्व के इतिहास में विशेष महत्व है।

रेवा-पठार दक्षिणापथ का घर था। अतः रेवा - पठार के तलहार एवं उपहार के बौद्ध भिक्षु भी कौशाम्बी से सम्बन्धित रहे होंगे। उसकी सांस्कृति स्थिति को और भी महत्वपूर्ण बना दिया, नरेन्द्रदेव का विचार है कि - मध्यप्रदेश में ब्राह्मणों के प्रभाव से बौद्धमत में परिवर्तन होने लगा। यहाँ दो निकाय हो गये, एक कौशाम्बी का जो दक्षिण की ओर झुकता था, जिससे स्थाविर निकाय प्रतीत होता है दूसरा मथुरा का निकाय जो उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा जिससे सर्वास्तवादी निकाय की उत्पत्ति हुई।

बौद्ध ग्रन्थों में उल्लेख है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद पाटलिपुत्र के बौद्ध बिहार कुक्कुटराम (कुर्कुरटाराम) गया। इसके बाद तथागत बुद्ध के अवशेषों को संग्रहित कराकर और उसे पुनर्वितरित कर उन पर 84000 स्तूपों और बिहारों का निर्माण कराया, उसके इन प्रयासों के परिणामस्वरूप मालवा पठार ही नहीं रेव-पठार में भी इन स्तूपों और विहारों का निर्माण हुआ, धर्म के प्रति अशोक की सक्रियता के विषय में हमें उनके आठवें व चौथे शिलालेख से जानकारी मिलती है।

चौथे शिलालेख में वह स्वयं कहता है - 'उसके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप धर्म की अभूतपूर्व उन्नति हुई, धर्म की इस उन्नति के लिये उसने विविध धर्म यात्रायें की, उसकी यात्राओं की पुष्टि दिव्यावदान से भी होती है, अशोक ने अपनी धर्म यात्राएँ स्थविर उपगुप्त के साथकी भगवान बुद्ध के अवशेषों पर निम्नित बौद्ध स्तूप बहुत ही सीमित है। अतः अशोक ने भगवान बुद्ध के

अवशेषों को उत्खनित कराकर उनके अस्थि अवशेषों को सूक्ष्मरूप में वितरित कराकर उन पर बहुत से स्तूपों का निर्माण करवाया। इसके साथ ही स्थिति को देखते हुए उसने अनेक बौद्ध बिहारों का भी निर्माण करवाया था। संभव है, इनमें से कुछ बौद्ध स्तूप एवं बिहार रेव-पठार में भी बने हैं, उल्लेखनीय है कि मालवा पठार का मार्ग रेखा रेवा-पठार से होकर जाता था, अशोक का मालवा पठार में स्थित विदिषा से निकट सम्बन्ध था। विदिषा में वह प्रशासकीय पद पर रहा और वहीं पर उसका विवाह देवी हुआ था।

विदिषा के निकट सांची के विशाल बौद्ध स्तूप का निर्माण मूलतः अशोक ने ही कराया था, अशोक की मालवा अंचल की यात्राएँ रेवा-पठार से होती रही होगी। रेवा-पठार दक्षिण एथ का द्वार था, अतः अशोक का रेवा-पठार से होकर जाना प्रतीत होता है, रीवा पठार के तलहार में टमस नदी के किनारे पर स्थित पैरा-इटहवा से दो इण्टिका स्तूप प्राप्त हुए हैं जो मौर्यन ईंटों से बने हैं। इसी प्रकार भरहुत की मूल स्तूप भी मौर्यन ईंटों से बना है। देउर कुठार में भी मौर्यन ईंटों की सभ्यता दिखाई देती है और ये तीनों स्थल टमस घाटी में स्थित हैं, प्राप्त साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि इन तीनों स्थलों के बौद्ध स्तूपों में पैरा-इटहवा का स्तूप सर्वाधिक साधारण लगता है। परवर्ती कालों में भरहुत व देउर कोठार के स्तूपों का जिस प्रकार विकास हुआ वैसा पैरा-इटहवा के स्तूपों को नहीं हुआ, देउर कोठार के मणिघाट परिसर में अनेक प्राकृतिक गुहाएं प्राप्त हुई हैं इन गुहाओं के निकट प्राकृतिक जल स्रोत भी हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों में बौद्ध धर्म एवं संघ के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त की है, एवं वह बौद्ध धर्म का सम्यक उपासक भी था, यही कारण है कि उसने बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार एवं विकास में विशेष योगदान दिया, उसने तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किया एवं विविध क्षेत्रों अनेक बौद्ध भिक्षुओं को धर्म प्रचार-प्रसार के लिये भेजा, इन भिक्षुओं में जो दक्षिणापथ की

ओर गये वे रेवा पठार से होते हुए गये, इस क्षेत्र में उसने प्रचार के लिये रक्षित को भेजा था, यमुना के दक्षिण में विन्ध्यांचल का वनवासी क्षेत्र फैला हुआ था। और यही से उस काल का महापथ दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम को जाता था। बौद्ध प्रचारक रक्षित ने यहाँ पर बौद्ध धर्म को और प्रसस्त किया और तलहार से उपरहार में आकर देउर कोठार के बौद्ध स्थल को सुदृढ किया इस प्रकार देउर कोठार स्थविरवादी बौद्धों का गढ़ बन गया।

इस क्षेत्र में स्थित कैमोर पर्वत श्रृंखला में रीवा समूह का बालूआ पत्थर मिलता था, जिससे अशोक ने धर्म स्तम्भों का निर्माण कराया था, जिससे धर्म प्रचार को पर्याप्त बल मिला, इस प्रकार मौर्य काल में बौद्ध धर्म विन्ध्य क्षेत्र में उन्नति अवस्था में था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. बी०एन०लुनिया भारतीय संस्कृति पृ. 105
2. विन्सेन्ट स्मिथ- आल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया पृ. 405
3. दिजेन्द्रनारायणज्ञा एवं कृष्ण मोहन माली, प्राचीन भारत का इतिहास पृ. 175
4. राजवली पाण्डेय, अशोक के अभिलेख, पृ. 112
5. श्री के.सी. श्रीवास्तव प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, के०सी०श्रीवास्तव पृ. 249
6. नरेन्द्र देव- बौद्ध दर्शन पृ. 35
7. राधेशरण - बघेलखण्ड में बौद्ध धर्म (पाण्डुलिपि)
8. महावंश - 5,73
9. दीपवंश - 6- 93
10. जानमार्शल - पृ. 43

भारतीय समाज में महिलाओं की भागीदारी (एतिहासिक एवं राजनीतिक)

डॉ. ऋतु सेन* डॉ. अलीमा शहनाज सिद्दीकी**

प्रस्तावना - भारतीय समाज में नारी का स्थान पूजनीय रहा है। समाज तथा सभ्यता के विकास में महिलाओं का योगदान सर्वोपरि रहा है, कभी वह बेटी बनकर परिवार की शोभा बढ़ाती है, तो कभी बहन बनकर भईयों को दुलार करती है, वही मां बनकर संतान का लालन-पालन करती है, बड़ी होने पर भी उसका सम्मान कम नहीं होता और वह दादी, नानी बनकर गौरवमय जीवन जीती है, भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व में स्त्री का स्थान महत्वपूर्ण रहा है, जहां भी स्त्री के सम्मान को चोट पहुंची है, वहां विकास नहीं विनाश हुआ है।

भारत में महिलाओं की सामाजिक एवं एतिहासिक स्थिति के बारे में कई प्रकार की धारणाएं हैं। भारतीय पौराणिक संदर्भों में स्त्री को देवी का स्थान प्राप्त है। प्राचीन भारत के इतिहास में गार्गी एवं मैत्रेयी का विदूषियों के रूप में उल्लेख है।

भारतीय समाज के सभी कालों में स्त्रियों की स्थिति एक जैसी नहीं रही, भारत में महिलाओं की स्थिति समय-समय पर परिवर्तित होती रही है, प्रचीन काल में महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्रदान था। उन्हें सुख, समृद्धि, शान्ति, वैभव, ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। परन्तु धीरे धीरे समाज में महिलाओं का सम्मान कम होता चला गया। इस कारण भारतीय समाज में स्त्रियों के परंपरागत स्थान की चर्चा करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि हम किस समय की चर्चा कर रहे हैं। एक काल में भी समाज के विभिन्न स्तरों में महिलाओं की स्थिति और कार्यों में अंतर पाया जाता है।

प्राचीन धार्मिक ग्रंथों व साहित्य के अवलोकन से पता चलता है कि महिलाओं की एतिहासिक दशा, उसकी प्रकृति व उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित विचारों में परिवर्तन आते रहे हैं। वैदिक काल में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति उन्नत थी। महिलाओं को समाज व परिवार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वैदिक काल में बाल विवाह, पर्दाप्रथा नहीं था। वे घर से बाहर स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकती थीं। विधवायें पुनर्विवाह कर सकती थीं।

अथर्ववेद में वर्णन मिलता है कि नव वधु तू जिस घर में जा रही हैं, वहां की तू साम्राज्ञी है और तुम्हारे शासन में सभी आनन्दित हैं। युजुर्वेद के अनुसार नारियों को संध्या करने तथा उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था। शिक्षा के संबंध में स्त्री पुरुष में कोई विभेद नहीं था। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी इस काल में कम आयु में विवाह हो जाने से स्त्रियों की शिक्षा में गिरावट आने लगी थी। मध्यकालीन काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आयी। इस काल में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई,

5-8 वर्ष की आयु में कन्याओं के विवाह होने लगे जिससे महिलाओं की शिक्षा में बाधा आती गई। पर्दाप्रथा एवं सतीप्रथा का प्रचलन शुरू हो गया। 18वीं शताब्दी के अन्त से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत में अंग्रेजों का शासन था भारतीयों ने समाज सुधार के अनेक प्रयास किये लेकिन अंग्रेजी सरकार का उन्हें विशेष सहयोग नहीं मिला। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया महिलाओं को अपने परिवार और पिता की सम्पत्ति का अधिकार नहीं था। बालविवाह के कारण अज्ञानता बढ़ी, अन्तर्विवाह, कुलीन विवाह, दहेज प्रथा, विधवा, आदि में महिलाओं की स्थिति को गिरने में सहयोग दिया है। 1828 में राजा राम मोहनराय ने ब्रम्हसमाज की स्थापना करके सतीप्रथा के विरुद्ध आन्दोलन किया 1829 में सती प्रथा अधिनियम बनाया गया। 1857 में महर्षि दयानंद ने पर्दाप्रथा, बालविवाह रोकने के लिए अच्छा कार्य किया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने बिना कोई संस्था बनाये विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। समाज सुधारकों के प्रयत्नों से ही 1891 में 'ऐज ऑफ कन्सेन्ट बिल' पारित हुआ जिसके द्वारा लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित किया गया।

ब्रिटिश शासन काल में प्रारंभ से ही बहुत से ऐसे कानून बने जिसका उद्देश्य स्त्रियों की स्थिति में सुधार करना था। 1829 में सतीप्रथा 1856 में हिन्दू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता 1929 में बाल विवाह निरोधक कानून के रूप में मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की स्थिति में और अधिक सुधार हुआ। सरकारी, गैरसरकारी संगठनों तथा समाज सुधारकों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज महिलाओं की स्थिति मध्यकाल की महिलाओं से कहीं ऊंची है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के सर्वांगीण विकास के लिए लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय मुख्य सिद्धांत बने स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की साक्षरता दर में बहुत वृद्धि हुई।

पुरुष सन्तोत्तमक प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था, जिसे अनुच्छेद 15 द्वारा समाप्त करके सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान दर्जा दिया तथा समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया अनुच्छेद 29(घ) अनुच्छेद 15(1) के द्वारा लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त करके महिलाओं को पुरुषों के समान सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किये गये।

स्वतंत्रता के पहले और बाद में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करने पर स्पष्ट होता है कि गांधी जी ने स्वतंत्रता आन्दोलन में सभी वर्ग की महिलाओं को राजनैतिक धारा से जोड़कर उनकी राजनैतिक पृष्ठभूमि

* अतिथि विद्वान (राजनीति शास्त्र) शासकीय आदर्श महाविद्यालय, उमरिया (म.प्र.) भारत
** अतिथि विद्वान (इतिहास) रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मण्डला (म.प्र.) भारत

तैयार की जिसे संविधान के द्वारा सुदृढ़ता प्रदान की गयी। दुनिया के इतिहास में राजनीति एक दुर्जेय कार्य रही हैं। राजनीति ने लोगों का शोषण किया है। धर्म की रक्षा और लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के नाम पर खून बहाया है, पुरुषों की तुलना में नरम स्वाभाव की महिलाओं की भागीदारी पूरी दुनिया में कम रही, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में एक अपवाद रही हैं। स्वतंत्रता के बाद से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के प्रतिशत में सुधार हुआ है सबसे पहले लैंगिक समानता के सिद्धान्त के भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धान्तों में प्रस्तावित किया गया है। 73वें व 74वें संशोधन के तहत महिलाओं को पंचायतों में सीटों और नगर निकायों के स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रदान किया गया ताकि राजनीति में उनकी भागीदारी को मजबूत आधार प्रदान किया जा सके। इस प्रकार पंचायती राजव्यावस्था में सभी जन प्रतिनिधि मंचों में कम से कम एक तिहाई सदस्यता के साथ राजनीति में महिला भागीदारी का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढ़ा है। महिलाओं के लिए सार्वजनिक

प्रतिनिधित्व कानून द्वारा एक तिहाई सदस्यता के प्रतिनिधित्व के कारण समाज में पुरुषों और महिलाओं के समानता का विचार तेजी से बदल रहा है। महिलाओं को अपना बौद्धिक स्तर का विकास करना होगा। तर्कशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी वहन करनी होगी और राष्ट्रीय सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। किसी होड़ प्रतिद्वंद्विता या नारे बाजी से नहीं वैज्ञानिक शक्ति का संबल लेकर सुनियोजित ढंग से सामाजिक बदलाव के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहाना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नारी के बदलते आयाम - डॉ. राजकुमार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस- 2005
2. महिला सशक्तिकरण - कमलेश गुप्ता, जयपुर -2005
3. ई. जर्नल- सिविल सेवा परीक्षा,
4. टू द पॉइन्ट - सिविल सेवा परीक्षा।

स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों की भागीदारी-एक विश्लेषण

प्रो. विजयसिंह मंडलोई *

प्रस्तावना - अंग्रेजों के खिलाफ जनजातियों की लड़ाई सशस्त्र संघर्ष की गाथा है। सविनय अवज्ञा अथवा असहयोग के गांधीवादी प्रयोग, जिन्होंने विश्व इतिहास में सर्वथा अनूठे अथवा अभिनव अध्याय की रचना की, जनजातियों के लिये नये व अजनबी भी थे और विजातीय भी। हालांकि, गांधीवाद में जनजाति स्मृति व आत्मा में पैठ गये, किन्तु मुक्ति के लिये हथियार उठाना सदियों से जनजातीय परंपरा रही है और अंग्रेजी काल में जनजातियों ने इस परंपरा को खंडित या दागदार नहीं होने दिया। सोनाखान में वीरनारायण सिंह ने सन् 1856 ई. में कम्पनी बहादुर के खिलाफ रणभेरी फूँकी, तो बस्तर में इन्द्रावती के तट पर धुरवाजाति के गुण्डाधूर ने सन् 1910 ई. अंग्रेजों के खिलाफ धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। उधर निमाइ में, भीमा नामक भील ने अंग्रेजों को छकाया। पारंपरिक अस्त्र-शस्त्रों के बल पर अंग्रेजों से जूझने की वृत्ति एक गति में इस तरह उभरकर आयी है- 'कुन' धरे टंगिया, कुन धरे बलुआ, कुन धरे तीर गुलेला। मर्द तो धरे तोरे अंगियारे टंगिया, नारी धरीन तोर लपकी बंटुकिया, ओ मां भरे जेहर के गोलियां।' जनजाति अंचलों में प्रचलित लोकगीतों ने देश के लिये कुर्बान हो गये क्रांतिकारियों को तो पालना दिया ही है, साथ ही ये गीत औपनिवेशिक काल में सामान्यजन की व्यथा कथा को भी उजागर करते हैं। छत्तीसगढ़ के हलबी आदिवासी समुदायों की एक हलबी लोकगीत पंक्तियां दृष्टव्य हैं- लोकगायक कहता है- 'अंग्रेज राज, कंगाल होली। गोटक रूपिया चाउर सोली।' यह आदिवासी व्यक्ति की नहीं, आदिवासी समुदाय की पीड़ा है। अंग्रेजों के राज में हम कंगाल हो गये। एक रूपये में एक सोली चावल कैसे खरीदें ? एक अन्य गीत में कहा गया है कि जब से फिरंगी राजा हो गया है, तब से अच्छा भोजन नसीब नहीं होता। यह गुलामी के दर्द की अभिव्यक्ति है और आजादी की उत्कट चाह भी। अच्छा भोजन तभी नसीब होगा, जब फिरंगी इस देश से चले जायेंगे।

जनजातियों की भागीदारी- यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है कि सम्पूर्ण उत्तर भारत में जब 1857 के स्वाधीनता संग्राम को अंग्रेज हुकूमत ने कुचल दिया तब भी 1861 ई. तक निमाइ के आदिवासी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लोहा ले रहे थे। सम्पूर्ण निमाइ में क्रांतिकारियों का जाल फैल गया था जिनसे निपटने के लिए गुजरात से 9वीं बंगाल इन्फेटरी को निमाइ में बुलाना पड़ा था। क्रांतिकारियों ने खरगोन स्थित होल्कर सेना को पराजित कर उनसे शस्त्र लूट लिये थे। सेंधवा से खानदेश जाते हुये ब्रिटिश खजाने को भी उन्होंने लूट लिया था, जिसमें लगभग दो लाख रूपये थे। अंग्रेज सैनिक टुकड़ों को साथ लेकर आर. एच. केटिंग्स ने स्वयं भीमा नायक व उसके अनुयायियों को विनष्ट करने का दायित्व संभाला था। उसकी टुकड़ी

व भीमा नायक के दल के बीच बड़वानी सिलावद मार्ग पर स्थित धावाबाबड़ी नामक पर्वतीय घाटी में पहली मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पराजय समीप देख, भील क्रांतिकारी समीपवर्ती जंगलों में जा छिपे थे। अंग्रेज सेना निरंतर उनका पीछा करती रही और अंततः सतपुड़ा पर्वतों में स्थित रामगढ़ दुर्ग के उत्तर में स्थित पंच अरावली नामक स्थान पर 13 फरवरी 1859 ई. में को निर्णायक युद्ध लड़ा गया, जिसमें भील क्रांतिकारी पराजित हो गये। इस संघर्ष में 10 आदिवासी मारे गये व 4 क्रांतिकारी लिये गये, जिनमें भीमा नायक की वृद्धा मां भी थी। इन सबको मण्डलेश्वर दुर्ग की जेल में बंद कर दिया। भीमा नायक भाग निकला था। अतः उसके विषय में जानकारियां एकत्रित करने के लिये उसकी वृद्धा मां को इतनी अधिक यातनायें दी गयीं कि 15 दिनों बाद ही उस वृद्धा के प्राण-पंखेरु उड़ गये।

इस दुखद घटना का समाचार पाकर मण्डलेश्वर दुर्ग में कैद क्रांतिकारी भड़क उठे और वे वहां से भाग निकलने की योजना बनाने लगे। अंततः 22 अगस्त, 1859 की बरसाती रात में क्रांतिकारी ने विद्रोह कर दिया और जेल पर कब्जा कर लिया। वे लोग दुर्ग (जेल) का पिछला दरवाजा तोड़कर भाग निकले। वे लोग किले के कोष में रखे 7,696 रूपये 2 आने और 9 पैसे भी ले जाने में सफल रहे। उन्होंने अंग्रेज एजेन्ट कैप्टन हेम्स को मार डाला। मण्डलेश्वर जेल से भागे हुये कुछ व्यक्ति बाद में पकड़ लिये गये। निमाइ के कार्यवाहक पोलिटिकल्स एजेन्ट केप्टन ई. थामसन ने उनेक मुकदमों की सुनवाई की। खजब बुंदिस, शेख मोहम्मद, हाजी जमीन, झगगा, दिलशोरखान, नरसिंह, निहाल आदि को सजा-ए-मौत दी गयी। उन्हें फांसी पर सार्वजनिक रूप से लटकाया गया। शेष बचे मायाराम, मेहबूब उल्ला, गुलाब खां, जवाहर सिंह, फुत्ता कईम खां, बबहादुर सिंह, नूना, देवी, मंजू शाह तथा सरजूदीन खान को राष्ट्रद्रोह के अपराध में कालापानी भेज दिया गया।

अलग-अलग कालखण्ड पर (दृष्टिपात) करें तो स्पष्ट हो जाता है कि मध्यप्रदेश में ऐसे आदिवासी रणबांकुरों की कमी नहीं है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर कर दिये। सतपुड़ा की वनाच्छादित पहाड़ियों और पठारों में बसी जनजातियों ने अप्पा साहब और तात्याटोपे जैसे अंग्रेजी हुकूमत के विरोधियों को न केवल पनाह दी, वरन् उनकी यथासाध्य यथा संभव सहायता भी की। नवम्बर सन् 1817 की सीताबर्डी (नागपुर) के युद्ध में पराजय के पश्चात् कम्पनी सरकार की योजनानुरूप अप्पा साहब भोंसले को बंदी बना लिया गया। गवर्नर जनरल ने नागपुर के रेजीडेंट को आदेश दिया कि अप्पा साहब को बंदी बनाकर इलाहाबाद में रखा जाये। तीन मई, सन् 1818 को अप्पा साहब और उनके दो मंत्री नागोपंत और रामचन्द्र वाघ केप्टन ब्राउन की सेना के कड़े पहरें में इलाहाबाद के लिये

रवाना हुये। जून के पहले सप्ताहांत में यह दल जबलपुर के समीप राचूर जा पहुँचा। वहाँ रानी उमाबाई भोंसले के भेजे दह सैनिक रामदीन सिंह, उमैद सिंह, आनंद सिंह, शीतल मिश्र और नीदा उपाध्याय कैप्टेनख ब्राउन की ऑखों में धूल झोंककर अप्पा साहब को ले भागे। पता चला कि अप्पा साहब अपने विश्वासपात्र जनों के साथ पाथलघुटी और फिर छिंदवाड़ा में हरई की ओर निकल भागे हैं। कैप्टेन ब्राउन ने घुड़सवारों के दो दल हरई भेजे। मगर हरई की आदिवासी प्रजा ने अपने पूर्व भोंसले नरेश अप्पा साहब पर आंच नहीं आने दी। कम्पनी सरकार ने अप्पा साहब को बंदी बनाने वाले व्यक्ति को दो लाख रुपये का पारितोषिक और दस हजार रुपये वार्षिक आय की जागीर प्रदान करने की घोषणा की, किन्तु इस ईनामी गद्दारी के लिये कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। महादेव की पहाड़ियों के गोंड प्रदेश में अप्पा साहब सुरक्षित थे। वे कुछ रोज छिन्दवाड़ा में गोंड व कोरकू जमींदारों के पास रहे। उनकी भेंट पिण्डारी नेता चीतू से भी हुई।

इन लोगों की योजना देवगढ़ दुर्ग पर कब्जे की थी, लेकिन लौंडी युद्ध में अंग्रेजी फौज ने उन्हें शिकस्त दे दी। गोंड जमींदारों ने सोनपुर के जागीरदार चैनशाह और प्रतापगढ़ के जागीरदार राजबा शाह ने न केवल अंग्रेजों के बैरी अप्पा साहब को आश्रय दिया, वरन् उन्हें सैनिक सहयोग देकर कम्पनी सरकार को भी झेला। छिन्दवाड़ा के तत्कालीन प्रशासक **माण्ट गोमरी** ने लिखा- 'इन पार्वत्य सामंतों ने ब्रिटिश सत्ता का प्रतिरोध किया'। इस प्रतिरोध के अपराध में कम्पनी सरकार ने दोनों सामंतों को बंदी बनाकर चांदा जेल भेज दिया। बताते हैं कि इन दोनों गोंड आदिवासी सरदारों को कम्पनी सरकार ने विश देकर मार डाला, मगर चैन शाह और राजबा शाह स्वामिभक्ति और देशप्रेम की ऐसी झिलमिल इबारत लिख गये, जिसकी कौंध आज संग्राम के प्रथम गोंड शहीदों की संज्ञा दी जानी चाहिये। प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि लगभग दो वर्ष गोंड सरदारों की छत्रछाया में बिताने के बाद अप्पा साहब असीरगढ़ की ओर पलायन कर गये। अंग्रेजों ने जब पुनः फौजी घेरा कसा तो वे पंजाब चले गये और सिख महाराजा रणजीत सिंह के यहां शरण ले ली। वहीं 15 जुलाई सन् 1840 को उनकी 44 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गयी।

गोंड जागीरदारों ने देश के प्रति अपने उत्कट प्रेम का परिचय एक बार फिर सन् 1857-58 में दिया। सन् 1858 में महान छापामार सेनानी तात्या टोपे छिन्दवाड़ा अंततः हरकोट (रावखेड़ी) पहुंचा, जहाँ के जागीरदार महावीर सिंह ने उसे उन्मुक्त भाव से शरण दी और शासक सहायता भी की। अंग्रेजों को तात्या के गोंड सरदारों के यहां छिपे होने की खबर लग गयी। गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश सम्राज्ञी के क्षमादान के प्रति के साथ विशिष्ट संदेश वाहक इस और भेजा। यह हरकारा 7 नवम्बर को छिन्दवाड़ा पहुंचा और फिर उसने मुलताई तक सफर किया, किन्तु वह तात्या तक पहुंच नहीं सका। इसी समय बटकाखापा के जागीरदार बखतसिंह की गद्दी से अंग्रेजों को सुनिश्चित सूचना मिल गयी और छिन्दवाड़ा व कामठी की सम्मिलित अंग्रेजी फौज ने हरकोट को घेर लिया। क्रांतिकारियों की पराजय हुई। हालांकि तात्या अंग्रेजों को चकमा देकर निकल भागे, लेकिन हरकोट के विद्रोह जमींदार महावीर सिंह पकड़ लिये गए। उनकी जागीर कम्पनी ने राजसात कर ली। इस तरह महावीर ने चैन शाह और राजबा शाह की परंपरा को जीवित रखा। आगे चल कर तांतिया भील ने भी अपने शौर्य से अंग्रेजी सरकार को छंकारने में कोई कसर नहीं रखी। उधर सन् 1857 में संबलपुर (उड़ीसा) के गोंड राजा सुंदरसाय के आव्हानपर उदयपुर (धर्मजयगढ़) के राजा शिवराज सिंह और

बरगढ़खोला के जमींदार अजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का शंखनाद किया। अंग्रेजों ने उन सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, चन्द्रपुर रियासतों के सहयोग से काबू पाया और छलकपट से क्रांतिकारी राजाओं को बंदी बना लिया। सरगुजा के राजा को पुरस्कार स्वरूप उदयपुर और रायगढ़ नरेश को बरगढ़खोला की जागीर दी गयी।

आदिवासी क्रांतिकारियों की यह परंपरा वीर नारायण सिंह जैसे अनेक लोकनायकों में विस्तार और ऊँचाई पाकर 19 वीं सदी में बस्तर में भुमकाल (सन् 1910 ईस्वी) में और परवान चढ़ी। लगभग दो दशक बाद जंगल सत्याग्रह में आदिवासियों ने एक बार फिर अपनी राष्ट्रभक्ति का ज्वलंत परिचय दिया। बैतूल में गंजनसिंह कोरकू ने जबर्दस्त संगठन और नेतृत्वशक्ति कर परिचय दिया। जम्बाड़ा में रामू और मकडू गोंड शहीद हुये। सन् 1942 को भारत छोड़ो आन्दोलन में घोड़ाडोंगरी शाहपुर क्षेत्र में विष्णु सिंह गोंड ने अंग्रेजों के खिलाफ शोले भड़का दिये। विष्णु सिंह के नेतृत्व में आदिवासियों ने कई रोज घोड़ाडोंगरी इलाके पर कब्जा जमाये रखा। पुलिस गोलीबारी में बीरसा गोंड शहीद हुआ और अनेक आहत हुये। बंदी जिरा गोंड की बाद में कारावास में मृत्यु हो गई। सन् 1939 में दुर्ग जिले के वनाच्छदित क्षेत्र में रामाधीन गोंड ने जंगल सत्याग्रह छोड़ागोंडी देश भक्ति इस गीत का भावार्थ इस प्रकार है-मां पुत्र से कहती है-बेटा तुझे कहां जाना है। हे मां मुझे आजादी की लड़ाई में गांधी जी की मदद करने के लिये जाना है। तुम मुझे सीधा (आटा, नमक, दाल, मिर्च) बांध दो। हे बेटा, तुझे कहां जाना है। हे मां आजादी की लड़ाई में नेहरू जी की मदद करने के लिये जाना है। इसी प्रकार बेटा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मदद देने की बात मां से कहता है।

हे मां, मुझे सरदार विष्णु सिंह (गोंड जनजाति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ग्राम घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल के निवासी) की मदद के लिये जाना है। हे मां, मुझे गंजनसिंह (कोरकू जनजाति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ग्राम बंजारी दाल, जिला बैतूल के निवासी) की मदद के लिये जाना है। इसलिये हे मां तुम मुझे सीधा (आटा, नमक, दाल, मिर्च) बांध दो।

वन के बिना आदिवासी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वन है तो आदिवासी है और आदिवासी है तो वन है। वृक्ष और आदिवासी सदियों से परस्पर 'मितान' है : एक दूसरे के सुख दुःख में शरीक, एक दूसरे से गहरे संबद्ध। यही वजह है कि जंगल सत्याग्रह ने जनजातीय समूहों को गहरे विचलित किया। एक कोरकू गीत दृष्टव्य है, जिसमें कोरकू समवेत स्वरो में गांधी से विनती करते हैं अर्थात : गांधी बाबा, गांधी बाबा, हमारी विनती सुनो। हमस ब कोरकूओं की बात तुम सुनो। हम सभी तुम्हारे साथ हैं, हे गांधी बाबा। जंगल सत्याग्रह में सभी एक साथ हैं। झटपट अंग्रेजों को अपने देश से अब भगाना है।

निष्कर्ष-21 जनवरी, सन् 1939 को डोंगरगढ़ के निकट बदराटोला में निहत्थे आदिवासी सत्याग्रहियों पर रियासती पुलिस ने गोलियां दागी। फलतः रामाधान गोंड शहीद हो गये। रामाधान गोंड की शहादत से क्षेत्रीय आदिवासियों में रोश व्याप्त हो गया। कहना कठिन है कि यह रोश किस शकल में फूटता, किन्तु वर्धा से महात्मा गांधी के भेजे तार ने उफनते रोश पर ठंडे छींटों का काम किया। इन्हीं दिनों डोंडीलोहारा के आदिवासियों ने स्थानीय जमींदार के खिलाफ लगभग तीन वर्ष सन् 1937 से सन् 1940 तक सत्याग्रह किया। इसके पूर्व सन् 1930 में मादक द्रव्यों की बिक्री के विरुद्ध 'पिकेटिंग' में पानाबरस, चौकी मोहला मानपुर और खुज्जी के करीब दो सौ से अधिक आदिवासियों ने सक्रिय रूप से शिरकत की। प्रसंग पिकेटिंग का

था। पाना बरस, चौकी मोहला, मानपुर और खुज्जी क्षेत्र के करीब दो सौ आदिवासियों ने पिकेटिंग में भाग लिया और गिरफ्तारियां दीं। रामाधार नायक, रूपचंद मानमल, केजूराम, लटेल रावत के साथ अनेक आदिवासी नेता भी बंदी थे। इनमें प्रमुख थे सराधोरम, जेटूराम, गिरपाल मंगल और चमरुराम, अधिकांशतः हलबा गौंड आदिवासी। एक अन्य आदिवासी नेता ठाकुराम सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में गिरफ्तार हुये और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई।

स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास जनजातियों के अध्ययन के बिना अधूरा है देश की आजादी और देश के विकास में इनका योगदान उल्लेखनीय है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सुधीर सक्सेना-म.प्र. में आजादी की लड़ाई और आदिवासी।
2. सुमित सरकार- आधुनिक भारत का इतिहास।
3. द्वारका प्रसाद मिश्र-म.प्र. में स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास।

बेजोड़ हस्ती- 'संत कबीर दास'

डॉ. तृष्णा शुक्ला *

शोध सारांश - मध्ययुगीन संतों की वाणी में भारतीय संत परंपरा वर्तमान विश्व मानव के लिए अमृततुल्य है। कबीर अद्भुत अनूठे हैं। कबीर के उपदेश अंधों की आंख, गूंगे के बोल तथा भटके व्यक्ति को राह दिखाते हैं। कबीर की वाणी वह चौतन्य नदी है जिसके जल के स्पर्श से कठिन-कठोर हर वस्तु विनम्र हो जाती है। धरती पर अंतिम प्राणी और प्रकृति की वाणी है। महलों की बेचैनी और शोषण के सामने खड़े हुए झोपड़े का संतोष और ईमान है। कबीर सिर से पैर तक मस्तमौला, स्वभाव से फक्कड़ आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पर्श्य, कर्म से बंदनीया। संत कबीर का आविर्भाव ऐसे युग में हुआ जब राष्ट्र राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से पतनोन्मुखी हो रहा था। संत कबीर ने अपने प्रवचनों और उपदेशों से सदाचार की शिक्षा दी। अपने व्यंग्य बाणों से कुप्रवृत्तियों पर कठोर प्रहार कर सदाचार और विचारों को प्रोत्साहन दिया। संत कबीर एक ऐसा नाम है जो ज्ञान कुल्हाड़ी में जकड़े हुए लोगों का जड़त्व काटते हैं। धर्मांधता में भटके हुए लोगों को फटकारते हैं, पाखंड का पर्दा उतारते हैं। क्रांति की भावना कबीर के व्यक्तित्व की मुख्य विशेषता है। कबीर के विचार और कबीर कालजयी है। कबीर का पूरा जीवन सत्यानुभूति और सत्य के प्रचार में बीता। उनकी कविता समाज की छाया है। उनकी सारगर्भित साखियों में लोकमंगल कूट-कूट कर भरा है। कबीर के ज्वलंत विचार विवेक एवं वैराग्य रूपी प्रचंड मायावी प्रदर्शन, आडंबर, पाखंड टिक नहीं पाते। हिंदी साहित्य में कबीर का स्थान मध्य युग से लेकर 21वीं सदी तक प्रभावित करता आया है। सदियों के कबीर के काव्य की वही दीप्ति और ताजापन है इसलिए कबीर को आधुनिक युग पुरुष माना जाता है। कबीर का साहित्य किसी एक देशकाल और मूल्य बोध तक सीमित नहीं है मूल्य बोध से पूरित है जब-जब युगबोध में परिवर्तन होता है कबीर शृष्टि और दृष्टि पर विचार किया जाता है। 21वीं सदी में कबीर इसलिए भी याद किए जाने चाहिए कि उन्होंने रूढ़ियों और संकीर्णताओं से मुक्त गरिमा से भरे मनुष्य की अवधारणा दी। कबीर एक सफल साधक प्रभावशाली उद्देश्य महानू नेता और युग दृष्टा थे।

प्रस्तावना - मध्ययुगीन संतों की वाणी में भारतीय संत परंपरा वर्तमान विश्व मानव के लिए अमृततुल्य है। कबीर हिंदी के संत काव्य परंपरा के प्रतिनिधि और प्रवर्तक कवि थे। कबीर अद्भुत अनूठे हैं। कबीर के उपदेश अंधों की आंख, गूंगे के बोल तथा भटके व्यक्ति को राह दिखाते हैं। कबीर की वाणी वह चौतन्य नदी है जिसके जल के स्पर्श से कठिन-कठोर हर वस्तु विनम्र हो जाती है। धरती पर अंतिम प्राणी और प्रकृति की वाणी है। महलों की बेचैनी और शोषण के सामने खड़े हुए झोपड़े का संतोष और ईमान है। आज तक पहले दूसरे सभ्यताओं के अहंकार को धूल चटाने वाले बोध की ललकार है। कबीर न देश में बंधते हैं, न काल में इसलिए वे बादशाहियों, मुगल बादशाहों की धौंस के सामने भी नहीं झुकते। कबीर के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन, "हिंदी साहित्य के हजारों वर्ष के इतिहास में कबीर सिर से पैर तक मस्तमौला, स्वभाव से फक्कड़ आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पर्श्य, कर्म से बंदनीया।" संत कबीर का आविर्भाव ऐसे युग में हुआ जब राष्ट्र राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से पतनोन्मुखी हो रहा था। समाज की दशा राजनीति और धर्म से ही प्रभावित होती है जबकि इस युग में दोनों ही विकृत हो रहे थे। कबीरकालीन समाज में अधिकांश लोग छल, कपट, झूठ, द्वेष, कुसंगति इत्यादि नाना प्रकार के दुर्गुणों से व्यस्त थे। इनसे संपूर्ण समाज दूषित हो रहा था। नैतिक पतन से समाज को बचाना अति आवश्यक हो गया था। संत कबीर ने अपने प्रवचनों और उपदेशों से सदाचार की शिक्षा दी। अपने व्यंग्य बाणों से कुप्रवृत्तियों पर कठोर प्रहार कर सदाचार और

विचारों को प्रोत्साहन दिया। वे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। लोग सदाचार और सहजता के बल पर उठ सके। उन्होंने मानव की एकता, समानता, भाईचारे को स्थापित करने के लिए अनेक संघर्ष किए हैं। उन्होंने मानव धर्म को सभी धर्मों से सर्वश्रेष्ठ माना है। संत कबीर एक ऐसा नाम है जो ज्ञान कुल्हाड़ी में जकड़े हुए लोगों का जड़त्व काटते हैं। धर्मांधता में भटके हुए लोगों को फटकारते हैं, पाखंड का पर्दा उतारते हैं। हिंदू मुसलमानों की दूबलेताओं पर, बाह्याडंबरों और पाखंडों पर प्रहार किया। एक ओर मुसलमानों को रोजा, नमाज, कुरान हज, और पैगंबर की आलोचना की दूसरी ओर हिंदुओं के एकादशी, श्राद्ध, तीर्थ, व्रत, मंदिर, अवतार और छुआछूत आदि का अपनी वाणी से विरोध किया। उन्होंने कहा है यदि मुसलमानों के खुदा मस्जिद में रहते हैं और हिंदुओं के ईश्वर मंदिर में तो जहां यह दोनों नहीं है वहां किसकी कुराई काम करती है। मुसलमानों से उन्होंने कहा कि रोजा रखना और गाय का वध करना दोनों एक साथ नहीं चल सकता। वे कहते हैं कि तीर्थ स्थानों में स्नान करना महत्वपूर्ण है तो उन स्थानों के जल में हमेशा निवास करने वाले मेंढको को सर्वश्रेष्ठ जीव होना चाहिए। इस प्रकार कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से सबको फटकारा है। क्रांति की भावना कबीर के व्यक्तित्व की मुख्य विशेषता है। कबीर के विचार और कबीर कालजयी है। उन्होंने अपने विचार साधारण छंदों, शैलियों तथा काव्य रूपों में प्रकट किए हैं। कबीर के विषय निर्गुण, निराकार और निरंजन के प्रति भक्ति, प्रेम, आत्मसमर्पण और अनुभूतियां और आत्मा को प्रकाशित करना जो की एकमात्र अनुभूतिगम्य, अमूर्त और अकल्पनीय एवं अभिव्यक्ति भाषा से परे है। कबीर का पूरा जीवन सत्यानुभूति और सत्य के प्रचार में

बीता। उनकी कविता समाज की छाया है। कबीर ने स्वतंत्र विचारक के नाते सामाजिक कुरीतियों का समूल नाश कर मानव धर्म की स्थापना का प्रशंसनीय कार्य किया कबीर साहित्य का संदेश किसी एक वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म अथवा काल तक सीमित नहीं है। सार्वदेशिक, सार्वकालिक और चिरंतन है एवं अतीत में जितना सार्थक था उतना ही वर्तमान में प्रासंगिक है वह भविष्य में भी उतना ही उपादेय रहेगा। उनकी सारगर्भित साखियों में लोकमंगल कूट-कूट कर भरा है एवं मानव कल्याण का संदेश भी देती है। युगदृष्टा कबीर का कथन है, "सद्गुरु की शरण सत्संगति में सद्गुण प्रदण करो और उसका सदैव विधिपूर्वक सत्याचरण करो। इस प्रकार भक्ति साधना के द्वारा आत्म साक्षात्कार करता हुआ साधक भक्त परम सुख शांति को उपलब्ध होता है अंततः यही मुक्ति का साधन मार्ग है।" ² उनके साखियों में जीवन जीने का आधार गुरु से लेकर मानव जीवन में मानवता के महत्व तक संपूर्ण अमृत मिलता है। जो हर मानव को संजीवनी देने वाला सिद्ध होता है। हिंदी साहित्य में कबीर के दोहे, साखियों का असाधारण महत्व है। कबीर के ज्वलंत विचार विवेक एवं वैराग्य रूपी प्रचंड मायावी प्रदर्शन, आडंबर, पाखंड टिक नहीं पाते। समस्त विषय विकार उससे जल भुनकर साफ हो जाते हैं। मानवता के सभी अंगों पर उनके सत्य ज्ञान का भरपूर प्रकाश फैलता है। जीवन के आरंभ बिंदु से लेकर जीवन जीने के संदर्भों को आदेशों को हाथ में लेकर मानवता के संदेश को प्रेषित करने वाली है। हिंदी साहित्य में कबीर का स्थान मध्य युग से लेकर 21वीं सदी तक प्रभावित करता आया है। इस संदर्भ में परशुराम चतुर्वेदी ने कहा है, "वह सीधे समाज की सुधार में आत्म सुधार की कल्पना नहीं करते तभी तो अपने व्यक्तित्व के निखार में ही समाज का परिष्कार देखते हैं।" ³

डॉ. बलराज शर्मा लिखते हैं, "कबीर ने खंडात्मक शैली में जो कुछ कहा उसमें मानवता की ही पुकार है। किसी धर्म से द्वेष या वैमनस्य नहीं। वस्तुतः कबीर तो मानव प्रेमी और भारतीय वर्ण-व्यवस्था मध्यकालीन सामंती समाज की प्रमुख संवाहिका कर रहे हैं ऐसे समय में कबीर ने इस वर्ण-व्यवस्था का विरोध करने का साहस किया था।" ⁴ "कबीर ने एक ओर मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए अपनी प्रगतिशीलता का परिचय दिया है और दूसरी ओर अज्ञानवश मूर्ति पूजा में अंधे हुए सामान्य लोगों को जगाने का कार्य भी किया है। उन्होंने तत्कालीन समाज में प्रचलित वेद-पठन, केश-मुंडन, जप-तप, सन्यास, श्राद्ध-विधि आदि पारंपरिक मान्यताओं का विरोध कर अपने प्रगतिशील विचारों का परिचय दिया है। कबीर ने एक ओर नारी के माया रूप की निंदा की है वहीं दूसरी ओर उसके पतिव्रत रूप की अपने कंठ से मुक्त प्रशंसा की है। मानवीय जीवन के क्रय-विक्रय के लिए अर्थ को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति के विभिन्न उपादान को अपनाकर कहीं पर पर्यावरण की महत्ता प्रतिपादित की है सदियों के कबीर के काव्य की वही दीप्ति और ताजापन है इसलिए कबीर को आधुनिक युग पुरुष माना जाता है।" ⁵

"कबीर अपने समय के सर्वाधिक जागरूक एवं संवेदनशील प्राणी थे। उनकी पैनी दृष्टि से समाज की कोई गतिविधि छिपी नहीं रह सकी थी। कबीर का साहित्य किसी एक देश काल और मूल्य बोध तक सीमित नहीं है मूल्य बोध से पूरित है जब-जब युगबोध में परिवर्तन होता है कबीर शृष्टि और दृष्टि पर विचार किया जाता है। आज जब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में खंडित चेतना, यथार्थ जीवन दृष्टि की चिंतन धरा का रूप ले रहे हैं तब विकृति असंस्कृति की पहचान बन गई है। जब राष्ट्रवाद के स्थान पर प्रांतवाद, धर्मवाद, जातिवाद और आरक्षणवाद आसीन हो गए हैं और जब समाज

और साहित्य में प्रायः खोखला, विकृत, कामचोर, भ्रष्ट और कामी व्यक्ति उभर रहा है, कुल मिलाकर आज जब निरा स्वार्थी, निरा असामाजिक, असाहित्यिक और असांस्कृतिक परिदृश्य हमारे सामने है तब एक कबीर का ही सहारा पर्याप्त है।" ⁶ "कबीर दृष्टा है। कबीर विद्रोही है। कबीर सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधि हैं। कबीर कुरीतियों पर करारी चोट करते हैं। कबीर जाति प्रथा विरोधी हैं। कबीर धर्म सुधारक हैं। कबीर भक्त कवि हैं। कबीर केवल अपने युग की चिंता नहीं भारत के अतीत का तेजस्वी ज्ञान आईना है इसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं कबीर के कथन हमारे मुंह पर तमाचा है कबीर एक ऐसा खरा मापदंड है जिसके आलोक में हम अपने झूठे समाज के रोए रेशे को पहचान और पर रख सकते हैं।" ⁷

21वीं सदी में कबीर इसलिए भी याद किए जाने चाहिए कि उन्होंने रूढ़ियों और संकीर्णताओं से मुक्त गरिमा से भरे मनुष्य की अवधारणा दी। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, "कबीर दास का पंडित बहुत अपना उपादमी है स्वर्ग और नरक के सिवा कुछ जानता ही नहीं जात-पात और छुआछूत का अंध उपासक है, तीर्थ स्थान और व्रत उपवास का ठूठ समर्थक है, तत्त्वज्ञानहीन आत्मविचार वर्जित विवेक बुद्धिहीन गवारा।" ⁸ कबीर एक सफल साधक प्रभावशाली उद्देश्य महान नेता और युग दृष्टा थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, "अत्यंत सीधी भाषा में वह एक ऐसी चोट करते हैं कि चोटखाने वाला केवल धूल झाड़ के चल देने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं पाता। इस प्रकार कबीर ने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं कि तथापि उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ है।" ⁹

निष्कर्ष रूप में भारतीय चिंतन कबीर का अद्वितीय गौरवमयी स्थान मध्यकाल की भक्ति साधना का मूल आधार कबीर वाणी को बनाया है। निर्भीक, अपूर्व क्षमता संपन्न, फक्कड़ संत कबीर की भक्ति में जो आत्मविश्वास एवं तल्लीनता निहित है वह देश और काल की सीमा में शाश्वत सत्य का प्रतिपादन है। हिंदी साहित्य के हजारों वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। भक्ति काल के संत साहित्य में कबीर का स्थान चिरस्थायी एवं सर्वोपरि है। इस प्रकार संत कबीर मध्ययुगीन संत परंपरा में एक ऐसी बेजोड़ हस्ती है जिनका समग्र व्यक्तित्व क्रांतिकारी, विद्रोही, संघर्षशील एवं प्रगतिशील रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आचार्य हमारी प्रसाद द्विवेदी, 'कबीर', रामकमल प्रकाशन, 1987, पृ. 167
2. कबीरवाणी- लालचंद दुहान-"जिज्ञासु", मनोज पब्लिकेशन, पृ. 32
3. आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परम्परा पृ. 07
4. डॉ. बलराज शर्मा, 'मध्यकालीन काव्यधाराएं एवं प्रतिनिधि कवि', पृ. 90
5. डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी, 'कबीर', पृ. 134
6. डॉ. राजेन्द्र टोकी, 'कबीर दृष्टि-प्रतिदृष्टि', विमला बुक्स, ई 1/267 सोनिया विहार, प्रथम सं. 2004 पृ. 85
7. डॉ. राजेन्द्र टोकी, 'कबीर दृष्टि-प्रतिदृष्टि', विमला बुक्स, ई 1/267 सोनिया विहार, प्रथम सं. 2004 पृ. भूमिका से
8. डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी, 'कबीर', रामकमल प्रकाशन, 1987, पृ. 167
9. डॉ. प्रेमशंकर त्रिपाठी 'कबीर अनुशीलन' श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय, 2000 पृ. 68

Road Networking with Neighbouring Urban Centers of Gudli-Dabok and Umarda Growth Centre of Udaipur City (Raj.)

Varsha Chundawat* Prof. Seema Jalan**

Abstract - The rapid development from ancient times to the present time, history clearly indicates that the development of a region is function of a good transportation network. Road transport networks are one of the useful indicators through which sustainability of urban sprawl for an existing urban area and for a proposed new urban centre development can be measured. Therefore, it is necessary for urban planners and policy makers to conduct various studies in this regard. In this paper, various dimensions of connectivity and accessibility of the proposed Growth Centres: Gudli-Dabok and Umarda of Udaipur city, Rajasthan in the Udaipur Master Plan 2011- 2031, has been presented. Road network of the proposed Growth centres has been analyzed using ArcGIS, Geographical Information System (GIS) software for creating, analyzing and compiling maps for obtaining information. In these areas, the process of increasing settlement and industrial development has been clarified with the help of road network analysis. Also, the future development prospects, direction of both growth centers have been analyzed through the networking with neighbouring centres.

Keywords- Growth center, Hotspot, Planning zone, Industrialization, Habitations Points, Agglomerations, Built up Density etc.

Introduction - Urban sprawl began as a widespread phenomenon in emerging countries in the late 20th century, with the construction of massive new urban centers, often within a decade, stimulated by enormous rural population migration to cities (Nuisl et al., 2021). As a result, informal settlements swell up and density, leading to huge, sometimes dense squatter settlements near city centres. The dearth or inadequacy of strict planning guidelines and urban development practices, which do not regulate land utilization in an effective manner, is without a doubt a major pull factor for urban sprawl.

People continues to flow (purchasing, learning, commuting, displacement, etc), business interconnections (supply chains, goods stream, retail, assistance), and infrastructure to facilitate these connections are all needed in metropolitan regions (Saada, 2020). Infrastructure for traffic and communication, energy and technical services, and collective social and administrative facilities. High traffic loads are consistently detected in urban areas, causing massive congestion problems (Cox, 2014). The traffic volume is lower in comparison to the population because the density is higher, functions are closer together, travel distances are shorter, and the use of public transportation is much higher, at least in the city centres of those metropolitan regions. Building density, and therefore operational density, can substantially reduce traffic because

intently assigned functions offer constant supply within a small distance, allowing people to walk instead of driving to shops, recreational facilities, and schools (Metz, 2018). In this paper, the study of various dimensions of connectivity and accessibility in the development of both growth centers Gudli-Dabok and Umarda which proposed in the Udaipur Master Plan 2011- 2031, has been presented. While analyzing the factors responsible for the development of both regions, the changes due to the expansion of area and network of means of transportation have been highlighted. Also, a comparative study of both areas has been done. Physical and natural factors play a major role for the planned development and expansion of this area, but network of road, railway and airway are also play their main role. The nature of both the areas of research has not been the same because Gudli-Dabok is already known as industrial and commercial center but Umarda is under develop area. In this chapter, the networking to the neighbouring urban centres, built-up change and public facilities of both centres are analyze with special reference to Udaipur city because their development is depending and regulates by Udaipur city.

Objective of the Study - The study analyses the connectivity and accessibility of the Gudli-Dabok and Umarda Growth Centre with special reference to road transportation.

*Research Scholar, Department of Geography, MLSU, Udaipur (Raj.) INDIA
** Head, Department of Geography, UCSSH, MLSU, Udaipur (Raj.) INDIA

The Study Area - Gudli-Dabok planning zone is located between 23°36'36" to 24°40'12" North latitude and 73°48'54" to 73°52'30" East longitude covering an area of 9239.73 acres in Mavli Tehsil of Udaipur district. It is situated 13 to 21 kms away from Udaipur city in north -east direction. It is a part of semi-arid zone of Rajasthan. As per census of India 2011 population of this planning zone is 8139 persons. The population density is 150 people per hectare. Its population growth rate over the past decade (2001-2011) has been 29.76%.




Figure1: Location of the study area

Umarda planning zone is located at 24°31'23.52" North latitude and 73°46'55.2" East longitude covering an area of 3036.09 acres in Girwa Tehsil of Udaipur district. It is situated 13 kms. away from Udaipur city in south-east direction. It is also part of semi-arid zone of Rajasthan. As per census of India 2011 population of this planning zone is 4796 persons. The population density is 87 people per hectare. Its population growth rate over the past decade (2001-2011) has been 29.7%.

Materials And Methods

Data Sources - Administrative boundary, road network, growth centres/habitation points and other growth centre significant areas are collected from master plan of Udaipur -2011-31, satellite image and secondary data sources (e.g., census data). The data primary and secondary data collection process has been discussed in previous chapters; therefore, the data pre-processing steps/methods are discussed in the following paragraphs.

Data Collection and Pre-Processing: In the present study, all the secondary maps have been geo-referenced with high resolution satellite image. Road network, growth centres, growth centre significant areas has been digitized on secondary maps and the same has updated on satellite image.

Estimation of Urban Built-up area - The occurrence of built-up and bare land in urban areas can be used as a marker of urban development and environmental efficiency, so identifying these sorts of land is crucial. The EBBI is a remote sensing index that uses Landsat images with wavelengths of 0.83 m, 1.65 m, and 11.45 m (NIR, SWIR,

and TIR, respectively). The contrast reflection range and absorption in built-up and bare land areas were used to choose these wavelengths (As-syakur et al., 2012). Because of the longer sensor wavelengths, the reflectance values of built-up areas are higher, according to Herold et al., (2004). For identifying built-up and bare land areas, the NIR and SWIR wavelengths are characterized by a high contrast level.

To pile the statistics that contrast identical artefacts based on various levels of reflectance values, the EBBI uses a root function. The cumulative factor is separated by ten to get an index value of -1~1. The EBBI is determined using the following equation from the image data:

$$EBBI = \frac{SWIR - NIR}{10\sqrt{SWIR + TIR}}$$

While, SWIR – Shortwave Infrared; NIR – Near Infrared; TIR – Thermal Infrared.

Directional Distribution - One of the classic statistical measures for portraying the distribution of univariate features around its centre is standard deviation. The standard deviational ellipse (SDE), first postulated by Lefever in 1926, is the result of its evolution in two-dimensional space. SDE is primarily attributed to three measures: average location, dispersion (or concentration), and orientation as a GIS tool for demarcating spatial point data (Wang et al., 2015). In this research, a central location is created within the built-up area. Calculating the standard distance independently in the x-, y-, and z-directions is a common way of assessing the general pattern for a set of central points of built-up areas. The axes of an ellipse embracing the dissemination of features are defined by these assessments (Levine, 2004). Because the method determines the standard deviation of the x-coordinates and y-coordinates from the mean centre to identify the axes of the ellipse, the ellipse is alluded to as the standard deviational ellipse.

In two dimensions, a one standard deviational ellipse will cover approximately 63% of the features, two standard deviations will represent nearly 98.9% of the features, and three standard deviations will contain approximately 99.9% of the features, according to a more suitable rule-of-thumb derived from the Rayleigh distribution (x and y). One ellipse standard deviation is used for analysis in this study.

Node Analysis and Hotspot Map - As the road network is crucial for any industrial development, a hotspot analysis has conducted with road network line's nodes along with other significant factors such as road category, distance from habitation centres, growth points etc.

The junctions of road have extracted from the road intersection points, where weight has transferred based on road category, habitation centres. The sum weighted nodes are considered for hotspot analysis in ArcGIS software.

The GiZScore value varied between -2.7937 to 3.0447, which indicate hotspot or cold area with its significance (90% -99%) for each of the junction. Based on the Z score value

points the raster has been created using interpolation technique (IDW) in ArcGIS environment.




Figure2:Overall flow chart of the network analysis methodology

Table1: Node analysis Parameters

Road Network

Classes	Rank	Weight
National Highways	4	65
State Highways	3	
Main Road	2	
Other Public Road	1	

Habitation centres

Classes (Population Density)	Rank	Weight
<100	4	35
100-500	3	
500-1000	2	
>1000	1	

Built up Density Map - In the present study, built up density analysis has conducted. The built-up areas are extracted by help of the above methods, as described in the previous section. All the individual built up areas for both the growth centres are consider for the analysis. The extracted built up raster converted to polygon. A regular grid points of 100m x 100m are generated for region, where the built-up polygon area geometry has transferred to points. The same points are used to create density map using Kernel density estimation algorithm with a search radius of 1000 m, Quartic kernel shape and area field as weights.

Results

Identification and evaluation of urban growth centre -

Remote sensing is an emerging tool for measuring and recording the spatial and spectral information of urban objects at a distance (Li et al., 2016), and it has been used in a series of researches (Baus et al., 2014) on urban land-use modification (Huang et al., 2017) and urban growth (Shen et al., 2020). High-resolution images are preferable to medium-resolution images for divulging the spatial features of built-up areas (Huang et al., 2017). To gain a more detailed understanding of urban growth, high-resolution images encompassing urban areas were used in this research. As a result, algorithms for urban

development studies that can retrieve built-up areas from multi-source high-resolution images must be established. The areas of settlement in Umarda and Gudli-Dabok growth centre determined using the remote sensing indices are presented in Table 2. The area of built-up in Umarda growth centre is calculated as 127.89ha in 2000. In 2020, the estimated built-up area of Gudli-Dabok growth centre is calculated as 846.99 ha, obtained from Landsat 8 - OLI satellite data. However, the percentage of built-up area indicated by the EBBI is increased 374.67 ha in Umarda growth centre. The built-up area of Gudli-Dabok centre is estimated as 144.36 ha and 846.99 ha in 2000 and 2020 respectively. The overall built-up increase by 4times between 2000 and 2020, where built up in Umarda increase by 3 times and built up in Gudli-Dabok increased by 5 times. The spatial distribution of built-up areas obtained from remote sensing indices and Landsat8 -OLI data are shown in Figure3.

Built-up density of Umarda and Gudli-Dabok growth centre -

In the present study, the built-up density has classified into five categories (e.g., very high, high, moderate, low & very low). The analysis indicates that the overall density of Umarda growth centre is less than Gudli-Dabok growth centre (Figure 5.2). Umarda is covered with high to very low dense built-up area, where Gudli-Dabok is covered with very high to very low built up. High dense area covers by 1% of total area in Umarda, where very high to high dense area covered by 14% in Gudli-Dabok. The highly dense built has developed in a linear way by following the road network for both areas. The linear built up developed mainly parallel to the main roads connecting to Udaipur city and the circular built up developed around the public facilities and industrial areas.

Table2: Total Built-up covered area of Growth centers

Growth centre	Area (Ha)		Change (Ha)
	2000	2020	2000-2020
Umarda	127.89	502.56	374.67
Gudli-Dabok	144.36	846.99	702.63

Figure.3: Total Built-Up Covered Area of Growth Centres




Figure.4: Build-up Density map of the Umarda and Gudli-Dabok Growth Centre




Figure.5: Directional distribution map of Umarda and Gudli-Dabok Growth centre




Table 3 (see in last page)

Existing Road network - The total road length in Gudli-Dabok urban growth centre is calculated as 116.429 km. Based on the availability of road network, the Gudli-Dabok urban growth centre is divided into National Highway (NH), State Highway (SH), main road and others public road (OPR). The estimated length of NH is 9.878 km within the study area and the estimated length of SH is calculated as 6.48 km. The NH is extended between South-West to North-East direction in Gudli-Dabok growth centre; and the SH is observed in the north of study area. The length of main road is calculated as 14.58 km and OPR is calculated as 85.491 km (Table 5.4). Figure 5.5 portrays the spatial distribution of road network in Umarda and Gudli-Dabok centres. Moreover, the total estimated length of Umarda growth centre is 62.530 km. The SH is portrayed on the north of Umarda growth centre. The estimated length of SH in Umarda is 8.616 km, and the calculated length of main road is 7.008 km and the calculated length of other public road is 46.906 km.

Table 4: Characteristics of Road Network and Estimated Length

Urban Growth Centre	Road Type	Total Length (KM)
Gudli-Dabok	National Highways	9.878
	State Highways	6.478
	Main Road	14.582
	Other Public Road	85.491
	Total	116.429
Umarda	State Highways	8.616
	Main Road	7.008
	Other Public Road	46.906
	Total	62.530

Table 5: Existing Main Roads of the study area, 2011

S.	Type of Roads	Width	Details of Road
1.	National Highway /	150-200 feet	N.H.-48(Udaipur-Ahamdabad)
2.	State Highway		N.H.-27 (Debari-Chittorgarh)
3.			N.H.-27 (Debari- Pindwara)
4.			S.H.-9 (Dabok -Mavli)
5.			S.H.-32 (Udaipur- Banswara)
6.			Pratap nagar Choraha to Debari Choraha
7.			R.T.O. To Nathudwara Road
8.			Sewa Ashram Choraha to Sub City Centre

Source: Master Plan of Udaipur 2011-2031, (Pg.- 22).

Table 6: Proposed Roads of the study area, 2031

S.	Road Type	Width	Details
1.	National Highway/	200 feet (60 meters)	N.H.-8 (Debari - Gram Kaya)
2.	Highway/		S.H.-32 (Eklingpura- Banswara)
3.	State Highway		Hiran Talai to Fhanda Talab
4.	Highway		Sukher Bypass to Gudli Industrial area via Ladiakeda

Source: Master Plan of Udaipur 2011-2031, (Pg.- 73).

Estimation of road node density - Based on the road network node distribution, a density map was generated for both the urban centres. The green colour shade on the map shows the maximum density and the red shades show the low density of road node. In the Umarda urban centre, high node density is observed in the extreme north and the very low node density is observed in the south and central part of the study area.

In the Gudli-Dabok centre, the very highest density was observed in the south, south-east and small pockets of north-east of the study area. The high density of node is portrayed in the south and east of the study area. The low density of node is illustrated in the west and north-west of the Gudli-Dabok centre.

Figure .6: Existing Road network map of Umarda and Gudli-Dabok growth centre





Figure7: Road density map of Umarda and Gudli-Dabok growth centre



Conclusion - Thus, Network Analysis is one of the most powerful tools to deal with the potential evaluation of proposed growth centres. From this study the following observations emerge-

1. A good transportation and communication system both within and outside of Umarda and Gudli-Dabok town plays an important role in development while also attracting people to the city centre.
2. Though, with a good transportation facility between Udaipur and Gudli-Dabok, people can easily travel to Udaipur for their necessities and return to their homes in less time.
3. Due to a lack of industries in Umarda, people are being pushed out of the growth centre and into other areas where better industrial jobs are available.
4. In Umarda, as well as the surrounding villages, road transportation is not very appealing.
5. Gudli-Dabok is an industrial hub in the Gudli-Dabok urban growth centre. People are drawn to various small

and large-scale industries for better employment opportunities.

6. In recent days, the rapid development of infrastructure, transportation, and communication has attracted more people to the Gudli-Dabok town in search of a higher standard of living.
7. The better connectivity of transportation make sure high level of built-up density so the industrial and residential clusters are situated nearer to road junctions and as well as both side of highways in the study area.
8. This transportation analysis helps decision makers with critical information to develop and maintain road systems that are safe and responsive to public needs and desires.

References:-

1. Antwi, E.K., Boakyee, D. J., Asabere, S.B., Takeuchi, K., Wiegand, G. (2014): Land cover transformation in two post-mining landscapes subjected to different ages of reclamation since dumping of spoils. *Springerplus* 3(1):702.
2. As-syakur, A.R., Adnyana, W.S., Arthana, W., Nuarsa, W. (2012): Enhanced Built-Up and Bareness Index (EBBI) for Mapping Built-Up and Bare Land in an Urban Area. *Remote Sensing of Environment*, 4, 2957-2970. doi:10.3390/rs4102957
3. Cox, W. (2014) Traffic Congestion in the World: 10 Worst and Best Cities [Internet]. Available from: <http://www.newgeography.com/content/004504-traffic-congestion-world-10-worst-and-best-cities>
4. Lefever, D.W. (1926): Measuring Geographic Concentration by Means of the Standard Deviation Ellipse, *American Journal of Sociology*, 32(1), 88-94.
5. Li M., Stein A., Bijker W., Zhan Q. (2016): Urban land use extraction from very high-resolution remote sensing imagery using a Bayesian network. *ISPRS J. Photogram, Remote Sensing of Environment*, 122, 192-205.
6. Lin, Q., Xiang, M., Zhang, L., Yao, J., Wei, C., Ye, S., Shao, H. (2021): Research on Urban Spatial Connection and Network Structure of Urban Agglomeration in Yangtze River Delta-Based on the Perspective of Information Flow, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(19), 10288. DOI: 10.3390/ijerph181910288. PMID: 34639588; PMCID: PMC8508094.
7. Loibl, W., Ertman, G., Gebetsroither-Geringer, E., Neumann, H.M., Sanchez-Guzman, S. (2018): Characteristics of Urban Agglomerations in Different Continents: History, Patterns, Dynamics, Drivers and Trends, Urban Agglomeration, *IntechOpen*, DOI: 10.5772/intechopen.73524. Available from: <https://www.intechopen.com/chapters/59481>
8. Nussli, H., Siedentop, S. (2021): Urbanisation and Land Use Change, Sustainable Land Management in a European Context. *Human-Environment Interactions*, vol 8. *Springer*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030->

50841-8_5
9. Saada, R. (2020): Green Transportation in Green Supply Chain Management, *Green Supply Chain -*

Competitiveness and Sustainability, IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.93113. Available from: <https://www.intechopen.com/chapters/72772>.

Table 3: Directional distribution of Umarda and Gudli-Dabok Growth Centre

Urban Growth Centre	Year	Centre X	Centre Y	XStdDist	YStdDist	Rotation
Umarda	2000	73.7833	24.5244	0.02619	0.02494	179.5102
	2020	73.7749	24.5199	0.03616	0.02635	154.6422
Gudli-Dabok	2000	73.8375	24.6190	0.0267	0.03996	42.61677
	2020	73.8595	24.6306	0.0307	0.04612	58.91654

उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों का जीवन कौशल के प्रभाव के प्रति जागरूकता का अध्ययन

डॉ. खेल शंकर व्यास* शीला सालवी**

प्रस्तावना - जीवन कौशल हमारे जीवन को सरल बनाता है मनुष्य की अनुकूलन तथा सकारात्मक व्यवहार व योग्यता है। जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की समस्याओं और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। जीवन कौशल शब्द का उपयोग आमतौर पर जीवन की चुनौतियों से अच्छी तरह से निपटने के लिए आवश्यक किसी कौशल के लिए किया जाता है। जीवन कौशल के आधार पर विभिन्न समस्याओं का हल किया जाता है। विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त करने के लिए सही निर्णय लेकर अपना विश्लेषण कर सके स्कूल पर्यावरण स्कूल पर्यावरण घर पर अनौपचारिक शिक्षा के लिए बालक स्कूल जाता है। स्कूल दूसरा सबसे प्रभावशाली परिवर्तन है। बालक के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल पर्यावरण का अर्थ विशेष संस्थान का वातावरण जहां शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। स्कूल में शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली औपचारिक एजेंसी है यह माना जाता है जिससे छात्र का नैतिक विकास हो सके तथा छात्रों को सीखने के लिए वातावरण के द्वारा सिखाया जाता है।

शब्द कुंजी - किशोर, संघर्ष, कौशल, जागरूक, प्रभाव, सामाजिक, जीवन, भविष्य, उपलब्धि, क्षमता, समाज, पर्यावरण, लक्षण, परिवर्तन, करियर, समस्या।

साहित्य की समीक्षा - प्रस्तुत शोध कार्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उद्देश्य एवं परिकल्पना है। सभी पहले अध्याय में दी गई है वर्तमान अध्याय के अंतर्गत प्रस्तुत शोध से संबंधित जो विभिन्न शोध हुए हैं। उन्हें क्रम अनुसार प्रस्तुत किया गया है। शोध अध्ययन में प्रयुक्त चारों के अनुसार इन्हें निम्न शिक्षकों के अंतर्गत रखा गया है। किसी भी विषय के विकास में किसी विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिए शोधकर्ताओं को पूर्व सिद्धांतों एवं शोध से भलीभांति अवगत होना चाहिए। इस जानकारी को निश्चित करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध प्रारूप की प्रारंभ की प्रारंभिक अवस्था में इसके सिद्धांत एवं शोध साहित्य का पुनः निरीक्षण करना होता है।

डेली 2018 ने किशोरों के शैक्षणिक उत्पादन पर घर के वातावरण के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक जांच की जांच के विशिष्ट उद्देश्य स्कूल के छात्रों के शैक्षणिक उपलब्धियों घर के वातावरण तथा माता-पिता की भागीदारी व अपेक्षा माता-पिता के प्रोत्साहन और शैक्षणिक उत्तेजना के प्रभाव को कम करने के लिए किए गए उपयोग की गई विधि वर्णनात्मक सर्वेक्षण 3 नमूने में उच्च माध्यमिक स्तर की कला संकाय से 250 छात्र शामिल किए गए थे। छात्रों के परिवारिक माहौल और शैक्षिक उपलब्धियों के बीच सकारात्मक संबंध पाया गया।

पुजार और पटेल 2016 - जीवन कौशल के नमूने पर जीवन कौशल पर परीक्षण कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन किया। कर्नाटक में 2 गांवों के 13 से 15 वर्ष के आयु समूह के 8 और 9 वर्ष के में 120 किशोरियों का स्तर तथा पांच का स्तर कौशल, तनाव समस्या को सुलझाने, महत्वपूर्ण सोच और किशोर लड़कियों के साथ तुलना में जीवन कौशल का ऊपरी स्तर था प्री टेस्ट करने के लिए।

शोध उद्देश्य:

1. उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी विद्यालयों के छात्रों के मध्य जीवन कौशल के प्रति जागरूकता का का अध्ययन करना।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थियों के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं ग्रामीण व शहरी विद्यालयों के जीवन कौशल शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना:

1. उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय में अध्ययनरत ग्रामीण छात्रों एवं छात्राओं की जीवन कौशल के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के अध्ययनरत शहरी छात्रों और छात्राओं के जीवन कौशल के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अनुसंधान विधि - प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता द्वारा पर सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श प्रतिचयन - किसी भी अनुसंधान की विश्वसनीयता व सफलता न्यादर्श पर ही आधारित होती है या देश का उपयुक्त चयन प्रत्येक शोधकर्ता के लिए आवश्यक है। न्यादर्श के चयन के समय शक्ति व धन की बचत होती है न्यादर्श चयन में हम जिन विधियों का उपयोग करते हैं उसी के अनुरूप परिणाम प्राप्त होते हैं।

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं के जीवन कौशल व्यक्तित्व विकास और व्यवसाय विकल्पों का संकाय वार में से संबंध ज्ञात करता है इसके लिए न्यादर्श चुनाव विधि से किया जाएगा अध्ययनरत 200 विद्यार्थियों का चयन किया गया।

इस अनुसंधान कार्य के लिए दत्त संग्रहण के स्रोत के तौर पर उदयपुर के बडगांव क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के अध्ययनरत विद्यार्थियों को शामिल किया गया है न्यादर्श विधि का चयन या याद वंचित विधि द्वारा किया जाएगा।

शोध उपकरण - जीवन कौशल जागरूकता मापनी स्वनिर्मित।

* डायरेक्टर, पेसिफिक कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, उदयपुर (राज.) भारत

** रिसर्च स्कॉलर, पेसिफिक यूनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तुत शोधकर्ता के लिए आंकड़ों का संकलन करने हेतु निम्नलिखित वर्णों का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह मापनी दत्त विश्लेषण शोधकर्ता के दत्तों का विश्लेषण करने के लिए निम्न सांख्यिकी प्रविधि प्रयोग की जाएगी जीवन कौशल जागरूकता मापनी स्वनिर्मित।

दत्त संग्रहण के स्रोत – इस अनुसंधान कार्य के लिए रक्त संग्रहण के स्रोत के तौर पर उदयपुर के बडगांव क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया।

अनुसंधान विधि – इस अध्ययन हेतु वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया जाएगा सर्वेक्षण विधि की में प्रस्तुत अनुसंधान में लिया जाएगा।

शोध उपकरण – शोध उपकरण वह साधन है जिसके द्वारा तत्वों का संकलन किया जाता है प्रत्येक अनुसंधान में उपकरण की आवश्यकता होती है। क्योंकि इस साधन के द्वारा ही शोधकर्ता अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है शोध की प्रमाणिकता एवं वैज्ञानिकता के लिए आवश्यक है कि जैसे तत्वों का संकलन किया जाए जो की पर्याप्त व्यवस्था वैध हो इसके लिए उपयुक्त उपकरण का होना नितांत आवश्यक है। प्रस्तुत शोध में प्रस्तुत उपकरण शोधकर्ता द्वारा अपने शोध कार्य में मानकीकृत उपकरणों का प्रयोग किया गया है साथ ही जीवन कौशल मापनी स्वनिर्मित का भी उपयोग किया गया।

सांख्यिकी विधियां :

1. मध्यमान ,समूह का औसत जानने के लिए।
2. t-value दोनों वर्गों में अंतर जानने के लिए।

दत्त विश्लेषण

1. उच्च माध्यमिक स्तर की ग्रामीण छात्रों एवं छात्राओं की जीवन कौशल के प्रति जागरूकता के मध्य मानव के अंतरों की सार्थकता की तुलना।

तालिका 1 (निचे देखे)

व्याख्या तालिका 1 में उच्च माध्यमिक स्तर के ग्रामीण छात्रों एवं छात्राओं की जीवन कौशल के प्रति जागरूकता के मूल प्राप्त अंकों की गणना के आधार पर दोनों समूहों के मध्यमान क्रमशः 58.720 एवं 51.900 प्राप्त हुए हैं तथा इन दोनों समूहों के प्राप्त अंकों के आधार पर मानक विचलन की गणना करने पर क्रमशः 14.155 एवं 6.643 प्राप्त हुए हैं प्राप्त मध्यमानो एवं मानक विचलनो के आधार पर गणना द्वारा क्रान्तिक अनुपात मान 3.08 प्राप्त हुआ है। गणना द्वारा प्राप्त क्रान्तिक अनुपात मान तालिका में दिए गए सार्थकता स्तर के दोनों मानो से अधिक है। अतः यहां निर्धारित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की गई परिणाम यहां पर उच्च माध्यमिक स्तर के ग्रामीण छात्रों एवं छात्राओं की जीवन कौशल के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर है।

तालिका 1

विद्यार्थियों के प्रकार	पदों की संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता के स्तर	
					0.05 स्तर	0.01 स्तर
ग्रामीण छात्र	50	58.720	14.155	3.08	सार्थक अंतर है।	
ग्रामीण छात्राएँ	50	51.900	6.643			

तालिका 2

विद्यार्थियों के प्रकार	पदों की संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता के स्तर	
					0.05 स्तर	0.01 स्तर
शहरी छात्र	50	56.380	11.729	1.16	सार्थक अंतर नहीं है।	
शहरी छात्राएँ	50	58.920	10.464			

2. उच्च माध्यमिक स्तर के शहरी छात्रों एवं छात्राओं के जीवन कौशल के प्रति जागरूकता के मध्यमान के अंतरों की सार्थकता की तुलना।

तालिका 2 (निचे देखे)

व्याख्या तालिका 2 में उच्च माध्यमिक स्तर के शहरी छात्रों एवं छात्राओं की जीवन कौशल के प्रति जागरूकता के प्राप्त अंकों की गणना के आधार पर दोनों समूहों के मध्यमान क्रमशः 56.340 एवं 58.920 प्राप्त हुए हैं तथा इन दोनों समूहों के प्राप्त अंकों के आधार पर मानक विचलन की गणना करने पर क्रमशः 11.729 एवं 10.464 प्राप्त हुए हैं। प्राप्त मध्यमानो एवं मानक विचलनो के आधार पर गणना द्वारा क्रान्तिक अनुपात मान 1.16 प्राप्त हुआ है गणना द्वारा प्राप्त क्रान्तिक अनुपात मान तालिका में दिए गये सार्थकता स्तर के दोनों मानो से कम है। अतः यहां निर्धारित शून्य परिकल्पना स्वीकृत की गई इस आधार पर निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि शहरी छात्र एवं छात्राओं की जीवन कौशल के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

निष्कर्ष:

1. उच्च माध्यमिक स्तर के ग्रामीण छात्रों एवं छात्राओं की जीवन कौशल के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया है। मध्य मान के आधार पर यहां ग्रामीण छात्रों की बाल जीवन कौशल के प्रति जागरूकता छात्राओं की तुलना में उच्च स्तर की पाई गई है।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के शहरी छात्रों एवं छात्राओं की बाल जीवन कौशल के प्रति जागरूकता के प्रति सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। मध्य मान के आधार पर यहां शहरी छात्राओं की जीवन कौशल के प्रति जागरूकता छात्रों की तुलना में उच्च स्तर की पाई गई है।

सुझाव :

1. उच्च माध्यमिक स्तर के अतिरिक्त अन्य स्तरों के विद्यार्थियों की जीवन कौशल की जागरूकता एवं अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
2. शोधकर्ता द्वारा न्यादर्श 200 लिया गया है लेकिन उक्त समस्या का अध्ययन इससे बड़े न्यादर्श को लेकर भी किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शैक्षणिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, पृष्ठ संख्या 423।
2. सामाजिक अनुसंधान साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा पृष्ठ संख्या 67।
3. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।
4. [https://books google.co.in/ books](https://books.google.co.in/books)

महिला श्रम एवं रोजगार रीवा शहर के विशेष सन्दर्भ में

निगार फातिमा*

शोध सारांश - रीवा शहर एक ऐतिहासिक विरासत वाला क्षेत्र है। रीवा शहर मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से घिरा महिला श्रम बाहुल्य नगर है। तथा यहां पर सुबह महिला श्रमिकों का समूह अस्पताल चौराहे में तथा कई अन्य क्षेत्रों में कार्य की खोज में आसानी से देखा जा सकता है। श्रमिकों के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान में महिला श्रमिकों की भागीदारी एक तिहाई से ज्यादा है। अपनी परम्परागत घरेलू कामकाजी छवि को तेजी से बदलकर महिलाएं आज किसी परिचय की मोहताज और न ही आर्थिक स्वावलम्बन के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं। घरेलू महिला श्रमिक क्षेत्रों में महिला श्रमिकों के कार्यों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। यह आधी आजादी को सफल और सतत् उद्यम शीलता का ही परिणाम है। कि सकल घरेलू उत्पाद नई ऊंचाईयां छू रहा है निश्चित तौर पर इसमें महिला उद्यमियों और श्रमिकों का कार्य उत्पादक का प्रत्यक्ष योगदान शामिल है।

प्रस्तावना - सच तो है कि महिला श्रमिकों की पहचान हमेशा चुनौती पूर्ण रही है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि पुरुष प्रधान श्रम बाजार में उनको निरंतर लैंगिक पूर्वाग्रह लैंगिक भेदभाव तथा यौन उत्पीड़न जैसी अनेक समस्याओं का हर स्तर पर और हर क्षेत्र पर सामना करना पड़ रहा है। मेहनतकश वे हाथ जो श्रम की मिट्टी से हमारे लिए अन्न उत्पन्न कर रही है। आज भेदभाव के व्यवहार से ग्रसित है उनकी इस पीड़ा का अंश सिर्फ खोजी मां मजदूरी तक सीमित नहीं है बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों बैंकों सार्वजनिक क्षेत्रों, स्कूलों, कॉलेजों, मनोरंजन उद्योगों और व्यवसाय से लेकर खेल जगत तक फैला है मेहनतकश हाथों के साथ शोषण भेदभाव और अपमान का यह सिलसिला बहुत लम्बा है। शहरों में लगभग अस्सी प्रतिशत महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं।

शोध प्रविधि- प्रस्तुत शोध पत्र में रीवा नगर की महिला श्रमिकों एवं रोजगार के विभिन्न कार्य स्रोतों को ज्ञात करना है। प्राथमिक आकड़ों के रूप में साक्षात्कार तकनीकी का प्रयोग किया गया है। तथा द्वितीय आकड़ों का भी प्रयोग किया गया है तथा द्वितीयक आकड़ों का भी प्रयोग किया गया है प्रथम स्तर पर रीवा शहर में श्रमिक महिला कार्य कर रही इन सभी महिलाओं की जो नगर निगम क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उन महिला श्रमिकों की संख्या की गई है। द्वितीय स्तर पर कुल पाँच सौ श्रमिकों को चयनित किया गया है तृतीय स्तर पर चयनित महिला श्रमिकों से प्रश्नावली /साक्षात्कार विधि संमकों का संग्रहण किया गया है।

उद्देश्य :

1. कामकाजी महिलाओं के कामकाजी और निजी जीवन में समायोजन की स्थिति ज्ञात करना
2. कामकाजी महिलाएँ/एकल परिवार एवं संयुक्त परिवार में भूमिका संघर्ष को ज्ञात करना।
3. कामकाजी महिलाओं की व्यवसायिक भूमिका का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना।
4. कामकाजी महिलाओं के कानूनी अधिकार को ज्ञात करना।
5. महिला सशक्तिकरण के उपायों एवं निराकरण के सुझाव को अवगत

करना।

परिकल्पना - प्रस्तुत शोध पत्र मुख्य रूप से महिला कार्यों एवं श्रमिकों द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यों एवं उनकी भागीदारी को स्पष्ट करना है इसमें यह देखा गया है कि रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की क्या भागीदारिता रही है महिला श्रमिकों की क्या भागीदारिता रही है महिला श्रमिकों की समस्या जो असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है एक चुनौती श्रमिक महिलाओं के श्रम का शोषण सबसे अधिक लघु एवं कुटीर एवं घरेलू उद्योगों में किया जाता है। महिला श्रमिकों पर शोषण अनेक स्तरों पर होता है। जिसके कारण उनमें तुलनात्मक आभाव बोध की प्रकृति पायी जाती है।

विषय विवरण- महिला श्रम एवं रोजगार में विश्व भर में दोहरे संकट का सामना करना पड़ता है। एक तरफ महिला श्रमिक वास्तविक आय पर आघात हो रहा है तो दूसरी तरफ उनको जोखिम भरे कार्यों में संलग्न किया जा रहा है। रीवा शहर में महिला श्रमिकों की समस्या जो असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है एक चुनौती श्रमिक महिलाओं में श्रम का शोषण सबसे अधिक लघु कुटीर एवं घरेलू उद्योगों में किया जाता है अधिकांश अप्रवासी पुरुष अपने आय का अधिकांश भाग परिवार के मुखिया को भेजते हैं परिणामतः जब नकद पूँजी ऋण भुगतान और कृषि कर्जों में लगा दी जाती है तो महिलाओं को अपनी अप्रवासी पति से बहुत कम धन प्राप्त होता है महिला श्रमिकों पर शोषण अनेक स्तरों पर होता है जिसके कारण उनमें तुलनात्मक आभाव बोध की प्रकृति पाई जाती है।

सुझाव - अनेक कानूनी प्रावधानों, अधिकारों के बावजूद भी कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ अपनी जगह साफ दिखाई देती हैं इस स्थिति के लिए तथा इन विषय परिस्थितियों में समाजस्य स्थापित करने हेतु कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:-

1. भारत 2011 की जनगणना में महिलाओं ने साक्षरता का प्रतिशत 65.46 तथा पुरुषों में 82.14 प्रतिशत है। अशिक्षा के परिणामस्वरूप महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है अतः इसके लिए स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
2. समाज में महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें

- रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाने चाहिए। कौशल प्रशिक्षण के बाद ऋण की सहायता प्रदान करनी चाहिए।
3. महिलाओं की सामाजिक जीवन में सहभागिता बढ़ाने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए के लिए आवश्यक है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मूलाधिकारों को ढंग से गहन कर कार्यस्थलों में पृथक प्रकोष्ठ में महिला श्रमिकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
 4. सार्वजनिक स्तर से सम्बन्धित नीतियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए ताकि महिलाओं की सुरक्षा रोजगार शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को पहचाना जा सके।
 5. महिलाओं के विभिन्न अधिकारों की प्राप्ति हेतु संबंधित न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सरल शीघ्रगामी तथा अल्पत्यागी बनाये जा सके ताकि उनका लाभ महिलाओं को आसनी से उपलब्ध हो सके।

निष्कर्ष – भारत सरकार, राज्य सरकारों, स्वयं सेवी संगठनों एवं महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के प्रयासों और आधुनिक शिक्षा पद्धति एवं नई चिन्तन शैली फलस्वरूप कामकाजी महिलाओं की स्थिति संघर्ष के बढ़ते

प्रभाव से महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़े है महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा अधिकारों के प्रति उदासीनता अज्ञानता आदि प्रमुख चुनौतिया है मुख्य कार्यशील महिला जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्र में जिले की भागीदारी में बढ़ोत्तरी का कारण प्राथमिक क्षेत्र में जुड़ाव रोजगार से कही न कही जुड़े रहना है। अकार्यशील में शहरी क्षेत्र में प्रतिशत अधिक रहा है। जहाँ पर रुढ़िवादिता दुष्प्रभाव व घरेलू कार्य में अधिक संख्या है। महिलाओं को अधिक श्रम और रोजगार के प्रति सजग बनाए जाने का कार्य किया जाना चाहिए। स्त्रियों को दि गई पद मर्यादा जो समाज के द्वारा लगाई जाती है यदि यह पढ़ी - लिखी है तो यह कार्य समझदारी से कर कुल एवं राष्ट्र की आन में वृद्धि करती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. भल्ला.एल.आर.:राजस्थान का भूगोल, 2015,शोध पत्र
2. प्रो. लाल.एस.एन.:आर्थिक विकास एवं नियोजन, 2015, शोध पत्र
3. रीवा शहर एवं ग्रामीण आँचल क्षेत्र महिला श्रम एवं रोजगार कार्यों की खोज में,2022, प्राथमिक समंक

हिंदी के संत और भक्त कवियों की दृष्टि में भगवद विमुखता

डॉ. श्याम पाल मोर्य *

प्रस्तावना – सदा सर्वत्र एकमात्र जिसकी ही अद्वैत सत्ता विराजमान है, जो सबको आवृत्त कर स्थित है, जिसकी माया अघटन घटना पटीयसी है, जो कर्तुमकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, जिसकी पूर्णता अनन्त है, जो सर्वशक्तिमान है फिर भी प्रेमपरवश है, जिसने आत्माराम होकर भी लीला हेतु स्वयं को ही अनन्त रूपों में व्यक्त कर दिया है, जो सर्वव्यापक होकर भी सबके आत्मा में अपनी अवस्थिति अनुभव कराता है, ऐसे लीला कौतुकी की जो सत्ता का अनुभव स्वीकार नहीं करते, उनके इस दुर्भाग्य का मुख्य कारण है – उन्हीं की माया। माया की दुरन्त शक्ति के विषय में स्वयं श्रीभगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं –

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

मूढोऽयं नाभि जानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ (1)

ईशोपनिषद् में भी वेद भगवान इसी सत्य की पुष्टि करते करते हैं

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत् त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ (2)

हृदय में सरलता हो तो श्रद्धा सहज ही प्रकट होती है प्रभु की अहैतु की कृपा तो सदैव सबकी प्रतीक्षा करती रहती है। सहज सरल श्रद्धा प्रभु को शीघ्र ही द्रवित कर देती है जिसे वे स्वतः स्वीकार कर चुन लेते हैं और अपने स्वरूप को स्वेच्छा से प्रकट कर देते हैं। प्रेमनिर्भर भक्त की प्रीति पूर्वक सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्त को बुद्धियोग प्रदान कर देते हैं –

तेषा सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ (3)

प्रेम भक्त को अनन्य बना देता है और अनन्य भक्ति भगवान को जानने, देखने तथा तत्त्वतः उनमें प्रवेश करने में समर्थ बना देती है। वे अपने इस रहस्य को स्वयं अपने श्रीमुख से प्रकट कर देते हैं–

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अमेवंविधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेदुं च परन्तप ॥ (4)

कौन कहता है कि उनका दर्शन नहीं हो सकता ? मनुष्य में उससे मिलने की सच्ची तड़प नहीं जागती। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं –

जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहूँ,

सो तिहि मिलइ न कछु सन्देहूँ ॥ (5)

दर्शन की उत्कट अभिलाषा जब जागती है, तब वह परम व्याकुलता का रूप धारण कर लेती है। प्रबल प्रेम एक क्षण का भी वियोग संवरण नहीं कर पाता, तब प्रभु भी भक्त से दूर नहीं रह पाते तब भक्त स्वयं कह उठता है –

न हम उससे दूर थे न वह हमसे दूर था ।

आता न था नज़र तो नज़र का कसूर था ॥

योगदर्शन में महर्षि पतंजलि यही सत्य की पुष्टि करते हैं–

तीव्र संवेगानामासन्नः। (6)

वो बड़भागी अपनी भक्ति भगवती को इतनी रमणीय बना लेता है कि भगवान भी उससे मिलने को आतुर हो जाते हैं। देश काल की बाधाएँ सर्वशक्तिमान के लिए क्या हैं ? भगवान तो अपने सम्पूर्ण वैभव के साथ सदा सर्वत्र सबको व्याप्त करके स्थित हैं । वे जब जिससे जैसे मिलना चाहें वैसे प्रकट होने में समर्थ हैं ; सर्वशक्तिमान हैं , वे सगुण निर्गुण दोनों ही हैं , भक्त की भावना के अनुसार सदा सर्वत्र मिल सकते हैं –

अगुण अरूप अलख अज जोई।

भगत प्रेमबस सगुन सो होई ॥ (7)

हरि व्यापी सर्वत्र माना।

प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ॥ (8)

भगवान श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ (9)

इतना सुलभ संयोग होने पर भी जो प्रभु की इस अहैतुकी कृपा से वंचित रहता है वह आत्म हत्यारे की भाँति कृतघ्न होता है। ऐसे लोग सर्वनियन्ता के विषय में न जाने कैसे कैसे कुतर्क करते हैं। उनके स्वयं के मन मुकुर तो विषय की मैल से मलिन होते ही हैं, भगवान के स्वरूप को कैसे देखें। किसी सन्त और भक्त को देखकर भी न जाने क्या क्या वकते रहते हैं। तुलसीदास जी ने कितना समीचीन कहा है –

मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना।

रामरूप देखहि है किमि दीना ॥ (10)

उनके तो अन्दर और बाहर दोनों नेत्र बन्द होते हैं क्या करें ? किसी तत्त्वदर्शी अनुभव सिद्ध संत, भक्त के चरण रज की अमृतौषधि का नयनाञ्जन लगाते ही नहीं। अपना भ्रम भगवान पर आरोपित करते हैं उनकी दुर्दशा की वास्तविकता तुलसीदास कितने सुन्दर शब्दों में व्यक्त करते हैं –

निज भ्रम नहि समुझहि अग्यानी। प्रभु पर मोह धारहि जइ प्रानी ॥

जथा गगन घन पटल निहारी। झाँपेउ भानु कहहि कुबिचारी ॥

चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ। प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ ॥ (11)

किन्तु केवल इतना ही नहीं, अपनी इस अविद्या के कारण उत्तरोत्तर अन्धकारमय पतन के गर्त में गिरते जाते हैं। विडम्बना है कि बारम्बार दुख भोगने पर भी सुधारते नहीं; मुण्डकोपनिषद् में इन आत्मघातियों की दुर्गति पर दुःख व्यक्त किया है –

अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं

कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः ।

यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्

तेनातुरा: क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ (12)

उनके दुर्भाग्य पर आश्चर्य क्यों न व्यक्त किया जाया जो ईश्वर का अंश होकर भी परम कृपालु पिता तुल्य अपने अंशी का अस्तित्व ही नकार देता है। परिणामस्वरूप परम शिव से अशिव बन जाता है। अब वे मुक्ति के द्वार स्वरूप देव दुर्लभ नर शरीर पाकर भी इस मोड़ पर कब आयेंगे ? महाकवि कबीरदास इनके इस दुर्भाग्य पर चिन्ता व्यक्त करते हैं -

पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाया

अब कै बिछुरे कब मिले, कहीं दूर पड़ेंगे जाए।

इतना ही नहीं वे इन हरि विमुख जनों का जीवन व्यर्थ घोषित कर देते हैं -

जिहि घटि प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं रामा

ते नर आई संसार में, उपजि खये बेकांमा ॥ (13)

कविकुल शिरोमणि सूरदास तो ऐसे लोगों का संग दूर से त्याग देने को कहते हैं।

तजौ मन, हरि विमुखनि कौ संग।

जिनके संग कुमति उपजति है, परत भजन में भंग।।

कहा होत पय पान कराएं, विष नही तजत भुजंग।

कागहि कहा कपूर चुगाएं, स्वान न्हावाएं गंग।

खर कौ कहा अरगजा-लेपन, मरकट भूषण अंग।

गज कौ कहा सरित अन्हावाएं, बहुरि धरै वह डंग।

पाहन पतित बान नहि बेधत, रीतौ करत निषंग।।

सूरदास कारी कमरि पै, चढत न दूजौ रंग।। (14)

वे इतना ही कहकर नहीं रुकते। बिना भजन के हरि विमुख को वे कूकर-सूकर कहकर भर्त्सना करते हैं-

भजन बिनु कूकर-सूकर-जैसो।

जैसैं घर बिलाव के मूसा, रहत विषय-बस वैसौ।।

लु-बगुली अरु गीध-गीधिनी, आइ जनम लियौ तैसौ।

उनहूँ कै गृह, सुत, दारा हैं, उन्हें भेद कहु कैसौ ?

जीव मारि कै उदर भरत हैं, तिन कौ लेखी ऐसौ।

सूरदास भगवन्त-भजन बिनु, मनौ उँट-वृष-भैंसौ।। (15)

गोस्वामी तुलसीदास इससे भी प्रखर शब्दों में हरिविमुख की अवमानना करते हैं-

तिन्ह ते खर सूकर स्वान भले जइता बस ते न कहें कछु वै।

तुलसी जिहि राम सौं नेह नहीं, सो सही पशु पूँछ विषान न द्द्वै।

जननी कत भार मुई दस मास भई किन बाँझ गई किन च्चै।

जरि जाहु सु जीवन जानकीनाथ, जिये जग में तुमरौ बिन है।

गोस्वामी तुलसीदास तो भगवद् भक्त की माता को ही माता मानते हैं। मानस में वे कहते हैं -

पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगतु जासु सुतु होई।।

नतरु बाँझ भलि वादि विआनी। राम विमुख सुत ते हित हानी।। (16)

विनयपत्रिका में गोस्वामीजी डिडिमघोष करते हैं-

जाके प्रिय न राम-बदैही।

तजिये ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही।।

तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी।

बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज-बनितन्हि, भये मुद-मंगलकारी।।

नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेब्य कहीं कहाँ लौं।

अंजन कहा आँखि जेहि फूटे, बहुतक कहीं कहाँ लौं।।

तुलसी सो सब भाँति परम हित पूज्य प्रानते प्यारो।

जासौं होय सनेह राम-पद, एतो मतो हमारो।।

भगवद् ज्ञान और भगवद्प्रेम भक्ति ही हमारे समस्त सुख सौभाग्य का मूल उत्स है। इसके बिना कहीं भी न कोई शुभ शान्ति का आधार है न आत्यंतिक तृप्ति का कोई प्राण-पाथेय। त्रिभुवन का स्वामी भी भगवद् अनुराग के बिना अनाथ है। गोस्वामी तुलसीदास ने यथार्थ कहा है -

सो कुल धान्य उमा सुन जगतपूज्य सुपुनीता

श्री रघुवीर परायन जेहि नर उपज विनीता।।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीमद्भगवद्गीता - 7/25
2. ईशोपनिषद् - 15
3. श्रीमद्भगवद्गीता - 10/10
4. श्रीमद्भगवद्गीता - 11/54
5. रामचरितमानस - बालकाण्ड - 259
6. योगदर्शन / 21
7. रामचरितमानस - बालकाण्ड - 116
8. श्रीमद्भगवद्गीता
9. रामचरितमानस - बालकाण्ड - 115
10. रामचरितमानस - बालकाण्ड - 117
11. मुण्डकोपनिषद् / मुण्डक - 1 / खण्ड-2/9
12. कबीर ग्रंथावली- सुमिरन के अंग
13. सूरदास
14. सूरसागर- सूरसागर - स्कन्धा-2 / 357
15. रामचरितमानस - अयोध्याकाण्ड - 75

नगर विकास में नगर निगम के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन- जबलपुर एवं इन्दौर जिले के विशेष संदर्भ में

लोकेश कुमार पटले * डॉ. राजकुमार गौतम **

शोध सारांश - भारतीय महानगरों की बढ़ती हुई आबादी एवं आवश्यकताओं के कारण स्थानीय स्वशासन पर उत्तरदायित्वों भार बढ़ा है। जिससे लोक कल्याणकारी नगर एवं शहरी विकास हेतु स्थानीय निकाय अपने कार्यों का निर्वहन सफलतापूर्वक करने का पूर्णतः प्रयास हेतु प्रयासरत हैं। इन प्रयासों के मूल्यांकन हेतु मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न जनसंख्या एवं परिक्षेत्र वाले नगर निगमों के मध्य तुलना करके उनके योगदान की गणना करने प्रयास किया गया है।

शब्द कुंजी - नगर विकास, नगर निगम।

प्रस्तावना - महानगरों में बढ़ती हुई आबादी के कारण आवास, विद्युत, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ पर्यावरण जैसी लोक कल्याणकारी योजनाओं के फलस्वरूप राज्य के कार्यों में अत्याधिक विस्तार देखने को मिला है। केन्द्र एवं राज्य की सरकार इन समस्त कार्यों का संपादन अकेले नहीं कर सकती है। इसी कारण सरकार अपने कार्यों का भार कम करने की दृष्टि से स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को उत्तरदायित्व का हस्तांतरण कर देती हैं जिसके फलस्वरूप लोक कल्याणकारी नगर एवं शहरी विकास के कार्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन के ऊपर आ जाती है।

सभ्यता के विकास के साथ शहरीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना तथा मूलभूत नागरिक सुविधाओं पर अपेक्षाकृत अधिक दबाव होने के कारण कालान्तर से ही शहरों के सुनियोजित विकास की आवश्यकता का अनुभव किया जाता रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों को एक स्वतंत्र इकाई नगरीय निकाय के रूप में अंगीकार किया गया है।

साहित्य समीक्षा- इस संबंध में चार्टर बी. गुड. ने लिखा है कि *मुद्रित साहित्य के अपार भण्डार की कुंजी अर्थपूर्ण समस्या और विश्लेषणीय परिकल्पना के स्रोत का दरवाजा खोल देती है तथा समस्या के परिभाषिकरण, अध्ययन की विधि के चुनाव तथा प्राप्त सामग्री के तुलनात्मक विश्लेषण में सहायता करता है।* वास्तव में रचनात्मक मौलिकता तथा चिंतन के विकास हेतु विस्तृत एवं गंभीर अध्ययन आवश्यक हैं।

वैद्य, चेतन (2009) ने अपने अध्ययन *“Urban Issues reform's and way forward in india”* में दर्शाया है। कि चार राज्यों राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, तथा सिक्किम में किस प्रकार आदर्श नगर पालिका अधिनियम का निर्माण किया गया तथा कुछ अन्य राज्य भी अपने अधिनियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया में हैं। अध्ययन में भारत के कुछ महानगरीय शहरों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख है, ये कार्य राज्य की सूची के साथ ही संविधान की सातवी अनुसूची में भी प्रावधानित हैं। ये कार्य न केवल राज्य सरकार व नगरीय निकायों द्वारा बल्कि केन्द्र शासन व नगरीय

निकायों द्वारा भी एक ही समय पर किया जाना प्रावधानित है यह समस्या राज्यों की राजधानियों में अधिक गंभीर है जहाँ राज्य सरकार व नगर निगम द्वारा कार्य एक ही समय पर किए जाने के कारण व्यवस्था अपारदर्शी हो जाती है।

निरमोही, पूर्वा (2010) द्वारा अपने शोध-अध्ययन शीर्षक *“Municipal administration and performance of selected services: A case study of Municipal council, S.A.S. nagar (mohali)”* में नगर पालिका के कार्य एवं जनसामान्य के प्रति दायित्वों का विस्तृत वर्णन किया गया है। विशेषकर तीन सेवाएं सफाई, पेयजल वितरण, सड़क का एस.ए.एस. नगर मोहाली के संदर्भ में संमकों का एकत्रीकरण कर उनका समायोजन किया गया है। अततः लेखक ने नगर पालिक निगम को उपयोगी सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं।

शोध समस्या का उदय- किसी भी शहर की स्वच्छता एवं साफ-सफाई, सड़कें तथा चौराहों एवं उद्यानों के सौंदर्य को देखकर उस शहर के नगर निगम की कार्यप्रणाली एवं कार्यकुशलता का आंकलन किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे शहर से हमारे शहर में आता है तो नगर में प्रवेश करते साथ ही उसे नगर निगम के कार्यों का अंदाजा हो जाता है। चौराहों का पर्याप्त विकास और चौड़ी सड़कों एवं स्वच्छता देखकर उस शहर की नगर निगम की प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय उत्तरदायित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। यदि सड़कों की स्थिति, स्वच्छता, एवं अन्य कार्यों की स्थिति अच्छी है तो नगर निगमों की कर्तव्यनिष्ठा पर कोई संदेह नहीं होता है परन्तु यदि परिस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत हो तो उस शहर की नगर निगम में व्यापत लापरवाह नौकरशाही, भ्रष्टाचार तथा अव्यवस्थित प्रशासकीय और प्रबंधकीय अमित्यव्ययता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। नगर निगम अन्य विकसित शहरों से अपने नगर की तुलना करके अपने यहाँ व्याप्त अव्यवस्था एवं प्रशासनिक कार्यव्यवस्था में सुधार कर सकती है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य:

1. नगर विकास में जबलपुर एवं इन्दौर जिले के नगर निगम के योगदान

का तुलनात्मक अध्ययन करना।

- जबलपुर एवं इन्दौर जिले के नगर निगम द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं सुविधाओं का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना:

H_0 : जबलपुर एवं इन्दौर जिले के नगर निगम द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं सुविधाओं में सार्थक अंतर नहीं है।

H_1 : जबलपुर एवं इन्दौर जिले के नगर निगम द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं सुविधाओं में सार्थक अंतर है।

शोध अध्ययन की विधि

निर्दर्शन- निर्दर्शन की उपरोक्त विभिन्न विधियों का अध्ययन करने के उपरांत आवश्यक हो जाता है कि नगर विकास में नगर निगम की भूमिका के योगदान के अध्ययन के लिए किसी उपयुक्त विधि का चयन कर लिया जाए। वर्तमान अध्ययन की आवश्यक तथा निर्दर्शन की विभिन्न विधियों का मूल्यांकन करने के उपरांत द्वै-निर्दर्शन की स्तरीकृत विधि को अधिक व्यावहारिक पाया गया है। इस विधि का प्रयोग करते हुए जबलपुर नगर निगम के 400 नगरवासियों एवं इन्दौर नगर निगम के 400 नगरवासियों का चयन किया गया इस प्रकार कुल 800 नगरवासियों से अनुसूची के माध्यम से प्राप्त संमको के निर्वर्चन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए हैं।

सांख्यिकी तकनीक- प्रतिशत, औसत एवं परिकल्पना परीक्षण हेतु काई वर्ग विधि का प्रयोग किया गया है।

प्राथमिक संमको पर आधारित तुलना


उत्तरदाताओं की आयु का विवरण- शोधकर्ता ने जबलपुर एवं इन्दौर जिले के नगर सीमा क्षेत्र में रहने वाले निवासियों में से सभी आयु वर्ग के उत्तरदाताओं से नगर विकास में नगर निगम के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी आयु का विवरण तालिका क्रमांक-1 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका क्रमांक 1 : उत्तरदाताओं की आयु का विवरण

आयु वर्ग	जबलपुर		इन्दौर		कुल योग	कुल प्रतिशत
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत		
20-40	118	29.50	91	22.75	209	26.125
40-60	193	48.25	234	58.50	427	53.375
60-80	89	22.25	75	18.75	164	20.500
योग	400	100	400	100	800	100

स्रोत- जबलपुर एवं इन्दौर जिले में आयोजित प्राथमिक सर्वेक्षण के समंक पर आधारित

आरेख क्रमांक 1 : उत्तरदाताओं की आयु का विवरण



उपरोक्त तालिका एवं आरेख के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि 20 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के जबलपुर नगर के उत्तरदाताओं की संख्या 118 (29.50 प्रतिशत) एवं इन्दौर नगर में 91 (22.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की संख्या है। 40 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के जबलपुर नगर के उत्तरदाताओं की संख्या 193 (48.25 प्रतिशत) एवं इन्दौर नगर में 234 (58.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की संख्या है। 60 से 80 वर्ष के आयु वर्ग के जबलपुर नगर के उत्तरदाताओं की संख्या 89 (22.25 प्रतिशत) एवं इन्दौर नगर में 75 (18.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की संख्या है।


विभिन्न जनउपयोगी सेवाओं के आधार पर विवरण- नगर निगम का प्रमुख कार्य जनसामान्य को सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करना है जिसकी जानकारी उत्तरदाताओं को होना आवश्यक है। उन जनउपयोगी सेवाओं के संबंध में उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी का विवरण तालिका क्रमांक-2 द्वारा प्रस्तुत किया गया है -

तालिका क्रमांक-2: विभिन्न जनउपयोगी सेवाओं का विवरण

सेवाओं का विवरण	जबलपुर		इन्दौर		कुल योग	कुल प्रतिशत
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत		
सफाई की सेवा	207	51.75	243	60.75	450	56.250
औषधालय की सेवा	39	09.75	46	11.50	85	10.625
निगम के स्कूल की सेवा	47	11.75	22	05.50	69	08.625
फायर बिग्रेड सेवा	21	05.25	32	08.00	53	06.625
टैकर लेने की सुविधा	86	21.50	57	14.25	143	17.875
योग	400	100	400	100	800	100

स्रोत- जबलपुर एवं इन्दौर जिले में आयोजित प्राथमिक सर्वेक्षण के समंक पर आधारित

आरेख क्रमांक 2 : विभिन्न जनउपयोगी सेवाओं का विवरण



उपरोक्त तालिका एवं आरेख के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जबलपुर नगर में नगर निगम द्वारा प्रदत्त सड़कों एवं नालियों की सफाई की सेवा का लाभ

207 (51.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने लिया है जबकि इन्दौर नगर में 243 (60.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने सड़कों एवं नालियों की सफाई सेवा का लाभ लिया है। जबलपुर नगर में नगर निगम द्वारा प्रदत्त औषधालयों की सेवा का लाभ 39 (09.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने लिया है जबकि इन्दौर नगर में 46 (11.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने औषधालयों की सेवा का लाभ लिया है। जबलपुर नगर में नगर निगम द्वारा प्रदत्त निगम के स्कूल में शिक्षा की सेवा का लाभ 47 (11.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने लिया है जबकि इन्दौर नगर में 22 (05.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने निगम के स्कूल में शिक्षा सेवा का लाभ लिया है। जबलपुर नगर में नगर निगम द्वारा प्रदत्त फायर बिग्रेड सेवा का लाभ 21 (05.25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने लिया है जबकि इन्दौर नगर में 32 (08.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने फायर बिग्रेड सेवा का लाभ लिया है। जबलपुर नगर में नगर निगम द्वारा प्रदत्त टेंकर से पेयजल सेवा का लाभ 86 (21.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने लिया है जबकि इन्दौर नगर में 57 (14.25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने टेंकर से पेयजल सेवा का लाभ लिया है।

परिकल्पना परीक्षण-

H_0 : जबलपुर एवं इन्दौर जिले के नगर निगम द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं सुविधाओं में सार्थक अंतर नहीं है।

जिला	सफाई की सेवा	औषधालय की सेवा	निगम के स्कूल की सेवा	फायर बिग्रेड सेवा	टेंकर लेने की सुविधा	कुल
जबलपुर	207	39	47	21	86	400
इन्दौर	243	46	22	32	57	400
कुल	450	85	69	53	143	800

f_o	f_e	$f_o - f_e$	$(f_o - f_e)^2$	$(f_o - f_e)^2 / f_e$
207	225	-18	324	1.44
39	42.50	-03.50	12.25	0.288
47	34.50	12.50	156.25	4.528
21	26.50	-05.50	30.25	1.141
86	71.50	14.50	210.25	2.940
243	225	18	324	1.44
46	42.50	03.50	12.25	0.288
22	34.50	12.50	156.25	4.528
32	26.50	05.50	30.25	1.141
57	71.50	-14.50	210.25	2.940

$$X^2=20.674$$

5 प्रतिशत सार्थकता स्तर के लिए स्वतंत्रता की कोटि

$$d.f. = (r-1)(c-1)$$

$$d.f. = (5-1)(2-1)=4$$

सारणी मान = 9.49

काई वर्ग (X^2) सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु अध्ययन की शून्य परिकल्पना यह थी कि जबलपुर एवं इन्दौर जिले की नगर निगम द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं सुविधाओं में सार्थक अंतर नहीं है।

5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर स्वतंत्रता की कोटि 4 हेतु काई वर्ग का तालिका मूल्य 9.49 है, जबकि काई वर्ग का आंकलित किया गया मूल्य 20.674 है, जो तालिका मूल्य से अधिक है। इसलिए शून्य परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है तथा **वैकल्पिक परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है** कि जबलपुर एवं इन्दौर जिले के विकास प्राधिकरण की आवासीय एवं व्यवसायिक हितग्राहियों के संतुष्टि स्तर में सार्थक अंतर है।

निष्कर्ष:

1. परिकल्पना परीक्षण करने के पश्चात् यह सिद्ध होता है कि जबलपुर एवं इन्दौर जिले के नगर निगम द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं सुविधाओं में सार्थक अंतर है।
2. उक्त प्रदर्शित आकड़ों से स्पष्ट होता है कि नगर निगम के स्कूलों की सुविधाओं के अतिरिक्त सभी सुविधाओं में इन्दौर नगर निगम, जबलपुर नगर निगम की तुलना में अधिक सुगमता से कार्य कर रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. बघेल, डी.एस. (2000), सामाजिक अनुसंधान, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर आगरा।
2. शुक्ल, एस.एम. एवं सहाय, शिवपूजन, परिमाणत्मक पद्धतियां, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
3. G Charter v. Good, *Methodology of education research*, Appleton century company INC, New York.
4. Vaidya Chetan, (2009), *Urban Issues reform's and way forward in india*, Department of economic affair's ministry of finance, Government of india, july 2009
5. Nirmohi, Purva. (2010) *Municipal administration and performance of selected services: A casse study of Municipal council, S.A.S. nagar (mohali)*, Unpubilshed Thesis, Punjab Unversity, Chandigarh,

भारत में क्षेत्रीय दलों का उदय एवं केन्द्रीय सरकार के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का अवलोकन

भास्कर दुबे *

शोध सारांश - भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विविधतापूर्ण भारतीय समाज में लोगों के विचारों में भिन्नता होना स्वभाविक है। वास्तव में राजनीतिक दल विचारों का ही समुच्चय होता है। अनेक संस्कृति, जाती, धर्म, होने के कारण भारत में अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। इस शोध पत्र के माध्यम से क्षेत्रीय दलों का केन्द्रीय सरकारों के गठन में और भारत के संघीय स्थिति को मजबूत करने में किए गए योगदान का विश्लेषण किया गया है। गठबंधन के समय सरकारों के निर्माण और इनके क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में इन क्षेत्रीय पार्टियों का महत्वपूर्ण योगदान दिखलाई पड़ता है। इस शोध के द्वारा एक पार्टी के प्रभुत्व, प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के ऐतिहासिक विकास तथा केंद्र में इनकी भूमिका के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी- क्षेत्रीय दल, गठबंधन, केन्द्रीय सरकार।

प्रस्तावना - भारत में दो प्रकार के दल मौजूद हैं- राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों का केंद्र के चुनावों में महत्व अधिक होता है परंतु क्षेत्रीय राजनीतिक दल राज्य स्तर पर बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। देश की आजादी के बाद क्षेत्रीय राजनीतिक दलों कि भूमिका महत्वपूर्ण रही है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल उन्हें कहा जाता है जिनका जनाधार एक क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष में सीमित हो। इसलिए क्षेत्रीय दलों का दृष्टिकोण क्षेत्रीय स्तर की संस्कृति और समुदाय से जुड़ा होता है। वर्तमान में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं रह गया है बल्कि 1967 के बाद जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व में कमी आई है तभी से ही यह दल केंद्र एवं राज्य सरकारों को सीधे प्रभावित करने लगे। (Jain, 2020) भारत में क्षेत्रीय दल मूलतः व्यक्ति केन्द्रित होते हैं, ये क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय पहचान, क्षेत्रीय संस्कृति, इतिहास, भाषा की स्वायत्ता पहचान इत्यादि के समर्थक हैं। इनके मुद्दे अक्सर क्षेत्रीय होते हैं ताकि चुनावी राजनीति में उन्हें फायदा मिल सके। किसी देश में क्षेत्रीय राजनीतिक दल कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनका विभाजन क्षेत्रीय अरिमतता, भाषाई पहचान एवं राज्यों के निर्माण को लेकर होता है। भारत जैसे विशाल बहुलवादी देश में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की उपस्थिति स्वाभाविक है, इससे अधिक लोकतांत्रिकरण होता है। ये क्षेत्रीय दल क्षेत्र विशेष की आकांक्षाओं और मांगों को प्रकट करते हैं। कुछ विचारक तो यहाँ तक मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी अनेक समूहों का विशाल संगठन रहा है। इसी कारण बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन या क्षेत्रीय दल कांग्रेस से अलग होकर बने हैं। क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्राप्त हुई तथा क्षेत्रीय दलों की सहभागिता संघीय सरकार में हुई, जिससे राज्यों कि मूल समस्याओं को राष्ट्रीय पहचान मिलने लगी।

उद्देश्य - इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में विश्लेषण किया गया है, इस शोध पत्र से आजादी के बाद भारत के लोकतंत्र की मजबूती में इन क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के योगदान को जानने में मदद मिलेगी। शोध पत्र में

उन राजनीतिक दलों को मुख्य रूप से शामिल करने का प्रयास किया गया है जिन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने संघीय सरकार में स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शोध प्रविधि- इस शोध पत्र में विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है, कुछ मुद्दों को समझने और उनका मूल्यांकन करने के लिए ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। यह शोध साहित्य सर्वेक्षण पर आधारित हैय अध्ययन के लिए विभिन्न पत्रिकाओं, रिपोर्टों, शोध पत्रों में लिखे गये लेख, सरकारी वेबसाइटों, सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किये जाने वाले आंकड़ों का संग्रह किया गया है।

विश्लेषण- यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत में राजनीति क्षेत्रीय दलों द्वारा तय की जाती है। इन छोटे दलों का अलग-अलग राज्यों में काफी दबदबा है, जिसके कारण वोटों का बंटवारा बहुत अधिक हो गया है। केन्द्रीय राजनीतिक पार्टियां क्षेत्रीय दलों पर भी बड़े स्तर पर निर्भर होती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों का जनाधार पूरे भारत में एक साथ नहीं होता। नतीजतन उन्हें क्षेत्रीय दलों से चुनाव पूर्व या चुनाव बाद गठबंधन करना होता है, इसलिए ये कहा जाता है कि भारत का राजनीतिक भविष्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा तय किया जाता है। भारत के राजनीतिक इतिहास को देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि क्षेत्रीय दल ही तुरूप का इक्का हैं। ये जिस तरफ झुकते हैं सरकार उनकी बनने के अधिक मौके होते हैं। (Elections.in, 2020)

एक पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कम से कम एक योग्यता को पूरा करना होगा-

किसी राज्य विधानसभा चुनाव में 6 प्रतिशत मत तथा 2 सीटें प्राप्त की हों।

राज्य, लोकसभा चुनाव में पार्टी को कुल मतों का कम से कम छह प्रतिशत हासिल हुआ हो, और दो विधानसभा सीटें भी प्राप्त की हों।

राज्य विधानसभा चुनाव में कुल स्थानों का 3 प्रतिशत सीटें या तीन सीटें प्राप्त की हों। (ECI, n.d.)

भारतीय आजादी के दूसरे दशक तक कांग्रेस पार्टी प्रमुख पार्टी थी और भारतीय लोकतंत्र एक पार्टी प्रणाली थी जिसे 'कांग्रेस प्रणाली' भी कहा जाता है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी के रूप में विकसित हुई जिसमें सभी प्रकार की जातियाँ, समुदाय, विचारधाराएँ उपस्थित थीं। कांग्रेस तत्कालीन भारत देश की पूरी राजनीतिक स्थिति को दर्शाती थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के साथ ही कांग्रेस पार्टी पिछड़ने लगी 1967 के चुनावों ने कांग्रेस प्रणाली के प्रभुत्व के लिए चुनौती पेश की, कांग्रेस आठ राज्यों में बहुमत हासिल करने में विफल रही और लोकसभा में उसका बहुमत 54% सीटों तक सिमट कर रह गया। उसी समय एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल तमिलनाडु में उभर रहा था जिसका नाम था द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) इसकी स्थापना अन्नादुरै ने 1949 में की थी। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) ने 1967 का विधानसभा चुनाव जीतकर पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने का कार्य किया तथा 1967 से ही क्षेत्रीय राजनीतिक दल उभरने लगे। (Jain, 2020)

क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की शुरुआत- 1967 में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन ने कांग्रेस के साथ सत्ता संघर्ष की एक श्रृंखला को जन्म दिया। अंततः 1969 में पार्टी का विभाजन हो गया और पार्टी और सरकार दोनों में इंदिरा गांधी का वर्चस्व स्थापित हो गया। जिससे केन्द्रीय पार्टी में विरोध के स्वर उठने लगे फलतः इसने कई क्षेत्रीय दलों के उदय को निमंत्रण दिया। देश में क्षेत्रीय दलों का उदय होने लगा, परंतु इसका अकेला कारण सिर्फ कांग्रेस के प्रभुत्व में ही कमी आना नहीं था, बल्कि इतने सालों में देश में भी राजनीतिक जागृति आने लगी थी और इस कारण छोटे राजनीतिक दल भारत के मानचित्र पर दिखाई देने लगे थे।

क्षेत्रीय दलों की प्रकृति- ये क्षेत्रीय पहचान और सम्मान के समर्थक होते हैं, ये क्षेत्रीय संस्कृति और इतिहास को भी बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि इन राजनीतिक दलों की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं होती है और चुनावी राजनीति और बदलती परिस्थिति के अनुसार वे इसमें बदलाव करते रहते हैं। क्षेत्रीय दलों का सबसे बड़ा यह दोष होता है कि ये व्यक्ति केंद्रित होते हैं, कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दल ऐसे भी होते हैं जिनका आधार तो क्षेत्रीय होता है परंतु एजेंडा देशव्यापी होता है, इस प्रकार के राजनीतिक दल केन्द्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

क्षेत्रीय दल और लोकतंत्र- भारत एक बहुलवादी एवं विशाल देश है, इस देश में कई राजनीतिक पार्टियों का उदय होना एक आम बात है, राजनीतिक दलों की अधिक संख्या होने का एक कारण यह भी है कि भारतीय संविधान बहुदलीय प्रथा का भी सम्मान करता है। भारतीय संविधान में गठबंधन की सरकारों को भी मान्यता दी गई है, जिससे भारत में कई क्षेत्रीय दल उभर कर आए हैं। क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति से लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र का व्यापक अर्थ होता है सभी की भागीदारी, क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय मुद्दों को भी राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं इस कारण ये लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय दलों के मजबूत होने से संघीय प्रणाली सक्षम होती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है अर्थात् जितने राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों का राष्ट्रीय स्तर पर उदय होगा ये संघवाद को उतना ही मजबूती देगी। ये क्षेत्रीय दल सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका भी निर्वाह करते हैं तथा किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलने की अवस्था में ये गठबंधन कर सरकार के निर्माण में भागीदार बनते हैं। जैसे 2004 एवं 2009 में कांग्रेस के साथ कई क्षेत्रीय दलों ने मिलकर यू.पी.ए. गठबंधन का निर्माण किया। हालांकि इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है, क्षेत्रवाद में वृद्धि होने से सरकार ज्यादा स्थायी नहीं हो पाती है और सरकार के गिरने का डर हमेशा बना रहता है। इसका उदाहरण 1996 से 1999 के

बीच तीन आम चुनाव से समझा जा सकता है। (Mishra, 2020)

क्षेत्रीय दलों की संघ सरकार बनाने में भूमिका- 1977 में जनता पार्टी के नेतृत्व में नया गठबंधन उभरा और इसने 1977 में सरकार बनाई, 1977 में जिस जनता पार्टी के नेतृत्व में संघसरकार का निर्माण हुआ यह दल पाँच दलों के गठबंधन से निर्मित था, इसमें नीलम संजीव रेड्डी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जग जीवन राम, जॉर्ज फर्नांडीज एवं चौधरी चरण सिंह शामिल थे जिससे एक बहुदलीय प्रणाली का उदय हुआ परंतु वैचारिक रूप से एक आपसी तालमेल की कमी के कारण जनता पार्टी सिर्फ कुछ वर्ष चल सकी और इसका पतन हुआ। (Mishra, 2020) पुनः 1980 में कांग्रेस ने सत्ता संभाली और इंदिरा गांधी ने वृहद स्तर पर वापसी की। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में राजीव गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने जिनके नेतृत्व में एक सशक्त केन्द्रीय दल की स्थापना हुई जिसने क्षेत्रीय दलों की भूमिका को थोड़ा कम कर दिया। 1989 में व्यवहारिक रूप से पहली बार गठबंधन की सरकार का निर्माण हुआ, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी, असमगण परिषद, डी.एम.के. शामिल थीं जिन्हे वामपंथी एवं बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया। 1983 में आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी और जनता पार्टी को भारी विजय प्राप्त हुई। वर्ष 1983 में भी क्षेत्रीय दल प्रभावी हुए जिससे हिन्दी भाषी राज्यों में भी गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण हुआ। मंडलवाद के कारण उत्तर भारत में समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ इससे भारत में एक बहुदलीय प्रणाली का उदय हुआ।

आठवें लोकसभा चुनाव (1984) में, आंध्र प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी तेलुगु देशम मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। (Drishti IAS, 2019) चूंकि राजीव गांधी की मृत्यु, भ्रष्टाचार के मामले (बोफोर्स कांड), आर्थिक संकट, इन सभी ने मिलकर गठबंधन सरकारों के लगभग पच्चीस वर्षों तक चलने वाले युग के लिए एक मंच तैयार किया। कांग्रेस में सोनिया गांधी के प्रवेश के मुद्दे को लेकर शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ दी और एन सी पी नामक पार्टी का निर्माण किया जिससे क्षेत्रीय दलों में इजाफा हुआ। वर्ष 1991 में लोकसभा में क्षेत्रीय दलों के सदस्यों की संख्या 56 थी जो 1998 में बढ़कर 168 हो गयी। इतनी सदस्य संख्या से यह स्पष्ट हो गया कि क्षेत्रीय दलों के बिना शासन का संचालन कठिन है। वर्ष 1996 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़े दल के रूप में उदय हुआ परंतु भाजपा का अन्य पार्टियों ने सम्प्रदाय के मुद्दे को लेकर विरोध किया इस कारण भाजपा की सर्वाधिक सीटें होने के बावजूद सरकार नहीं बनी। 1996 में संयुक्त मोर्चे की सरकार का निर्माण हुआ जिसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। इससे ये आसानी से समझा जा सकता है कि यदि किसी पार्टी को सर्वाधिक सीटें भी प्राप्त हुई हैं परंतु यदि उसके पास किसी क्षेत्रीय दल का समर्थन नहीं है तो उसकी सरकार नहीं बन सकती, वहीं उनके समर्थन से दूसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी भी सरकार बना सकती है। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगीं, जिसने चुनाव पूर्व गठबंधन के विचार को बल दिया। 1998 में पहली बार क्षेत्रीय दलों के साथ भाजपा ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया इसमें तृणमूल कांग्रेस और ए.आई.ए.डी.एम.के जैसी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां शामिल थीं। 1996, 1998, 1999 तथा 2004 के चुनावों में क्षेत्रीय दलों का उत्कर्ष हुआ तथा इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। (Elections.in, 2014) 2009 एवं 2014 के लोकसभा चुनावों में भी क्षेत्रीय दलों की भूमिका का अत्यधिक महत्त्व रहा है परन्तु इनकी संख्या में पहले की अपेक्षा कमी आई है। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी क्षेत्रीय दल केन्द्र की सरकार में भागीदार बने।

वास्तव में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जहां 282 सीट थीं वहीं 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें थीं परंतु पार्टी ने कई राज्यविधानसभा में गठबंधन की सरकार भी बनाई है, इस कारण भारतीय जनता पार्टी को 2019 में पूर्ण बहुमत आने के बाद भी कई क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना पड़ा।

भारत में 1996 से ही लगभग 235 सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों का कब्जा रहा है, यह भारतीय लोकतंत्र की एक मजबूत भावना को स्पष्ट करता है, इसे संघीय एकीकरण के रूप में भी जाना जा सकता है। क्षेत्रीय दलों ने भारत में केंद्र-राज्य संबंधों की प्रकृति पर गहरा प्रभाव डाला है। बढ़ती क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की संख्या भारत जैसे बहु-जातीय, बहु-नस्लीय, बहु-धार्मिक और बहु-भाषाई समाजों में वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक स्वाभाविक परिणाम है। (Ranjan, 2018)

महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल- समाजवादी पार्टी 4 अक्टूबर 1992 को अस्तित्व में आयी। श्री मुलायम सिंह यादव को पार्टी का पहला अध्यक्ष चुना गया। 13वीं लोकसभा में यह 27 सदस्यों के साथ 5वीं सबसे बड़ी पार्टी थी। वहीं शिवसेना का गठन बालासाहेब ठाकरे ने 1966 में किया था, पार्टी महाराष्ट्रीयन युवाओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए अस्तित्व में आई थी। पार्टी अपनी हिंदुत्व विचारधारा को बनाए रखती है और एक दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी है। दूसरी प्रमुख पार्टी अकाली दल है अकाली दल सिख समुदाय का प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक संगठन है यह दल संकीर्ण पार्टी है। संकीर्ण दल वे होते हैं जो संकीर्ण मुद्दों को ही उठाते हैं, अकाली दल पंजाब और सिक्खों की समस्याओं तक सीमित है। एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में आई.एम.आई.एम ने 1984 से हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोकसभा सीट पर कब्जा कर राजनीतिक शुरुआत की थी जबकी यह दल आजादी से पहले का है, यह पार्टी मुस्लिम समुदाय की एक प्रमुख पार्टी है। 2014 के तेलंगाना विधानसभा चुनावों में, पार्टी ने सात सीटें जीतीं और भारत के चुनाव आयोग द्वारा 'राज्य पार्टी' के रूप में मान्यता प्राप्त की। अलग अलग क्षेत्रों में 2014 के आम चुनाव में इसने 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा तथा 1 सीट जीती, वहीं 2019 के चुनाव में इसने दो सीटें हासिल कीं। (Mohit, 2014) अन्य प्रमुख पार्टी में तृणमूल कांग्रेस है, अब यह एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी स्थापना वर्तमान पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने 1998 में की थी, इसका जनाधार सीमित होने के बावजूद इसने केंद्र में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं अन्य विचारधाराओं वाली पार्टी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है जिसने तीसरे आम चुनाव में 27 सीटें अर्जित कीं, 1964 में इसका विभाजन हो गया और नई पार्टी माकपा का निर्माण हुआ। इसी के बाद इनके जनाधार में बंटवारा होता चला गया। माकपा ने 2004 के आम चुनाव में अपना सर्वोच्च प्रदर्शन किया और 43 सीटों पर जीत अर्जित की। वहीं बिहार की लोजपा ने 2009 में 7 सीटें जीतकर केंद्र सरकार के साथ सरकार में रही, परंतु रामविलास पससवान के बाद इस पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है। क्षेत्रीय दलों ने देश में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली के लिए एक चुनौती पेश की और एक दल के प्रभुत्व में गिरावट का कारण बने। संसदीय लोकतंत्र के सफल कामकाज में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। एक संसदीय लोकतंत्र में, अल्पसंख्यक को अपनी बात रखनी चाहिए, बहुमत का अपना रास्ता होना चाहिए, और क्षेत्रीय दलों ने कुछ राज्यों में सत्ताधारी दल और केंद्र में विपक्षी दलों के रूप में इस भूमिका को सफलतापूर्वक निभाया है।

निष्कर्ष- उपरोक्त शोध के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि भारत एक विशाल विविधतापूर्ण और कई भाषाओं वाला देश है इस

कारण से यहाँ पर क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति एक साधारण सी बात है। परन्तु इन क्षेत्रीय दलों ने भारत के मजबूत लोकतंत्रीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संघ सरकारों के साथ शामिल हो कर इन्होंने केंद्र में एक स्थायी सरकार का निर्माण किया। भारत में क्षेत्रीय दलों के उदय ने बेहतर शासन और एक स्थिर सरकार प्रदान करने में मदद की। उन्होंने देश में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली के लिए एक चुनौती पेश की। वे केंद्र राज्य संबंधों की प्रकृति और राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिलने के पीछे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण योगदान है। गठबंधन राजनीति के युग की शुरुआत के बाद क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1967 के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व में अभूतपूर्व में कमी आई और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की स्थिति में सुधार हुआ तथा इनकी संख्या बढ़ी। 1989 से 2014 के बीच में इन राजनीतिक दलों का केन्द्रीय सरकारों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाने में सहायता की तथा एक स्थिर और कामयाब सरकारों का निर्माण किया।

एक राजनीतिक दल के प्रभुत्व को समाप्त करने में तथा संघीय स्थिति को सुदृढ़ करने में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शोध से यह भी पता चलता है कि अलग-अलग वर्ग, समाज, धर्म, संस्कृति के लोगों ने अपने-अपने विचारों के रूप में अपने मतों के माध्यम से इन क्षेत्रीय दलों को चुना। इन क्षेत्रीय दलों ने उन सभी विचारों और भावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। अतः शोध से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय लोकतंत्र के सफल होने में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण योगदान है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Drishti IAS. (2019, August 30). *Rise of Regional Parties In India*. Retrieved October 11, 2020, from <https://www.drishtiiias.com/to-the-points/Paper2/rise-of-regional-parties-in-india>
2. ECI. (n.d.). *Recognition of Political Parties*. Election Commission of India. Retrieved October 11, 2020, from <https://eci.gov.in/candidate-political-parties/recognition-derecognition/>
3. Elections.in. (2014, December 3). *Political Parties in India and their Ideologies*. Retrieved November 18, 2020, from <https://www.elections.in/political-corner/political-parties-in-india-and-their-ideologies/>
4. Elections.in. (2020, January 24). *Political Parties in India*. Retrieved November 23, 2020, from <https://www.elections.in/political-parties-in-india/>
5. Jain, A. (2020, January 19) 'भारतीय राजनीति में बरकरार है क्षेत्रीय दलों का दबदबा - नजरिया' *BBC News oh\$Xr*. <https://www.bbc.com/hindi/india-51153224>
- a. Mishra, R. (2020). राजनीति विज्ञान: एक समग्र अध्ययन (7th ed.). Orient Blackswan.
6. Mohita, N. (2014, February 6). *The Major Regional Political Parties of India*. Your Article Library. Retrieved September 15, 2020, from <https://www.yourarticlelibrary.com/essay/the-major-regional-political-parties-of-india/24938>
7. Ranjan, A. (2018, April 1). 'क्षेत्रीय दल यदि साथ आ जाएं तो भाजपा-कांग्रेस के बुरे दिन आ सकते हैं' *The Wire - Hindi*. <https://thewirehindi.com/38590/regional-parties-in-india-politics-sp-bsp-tmc-trs/>

An Analysis of Services Rendered by Private and Public Sector General Insurance Companies in India

Dr. P. K. Sanse* Ekta Pandey**

Abstract - General insurance is a progressive insurance business. With the increase in risk in the life of peoples there is need of insurance to bear the losses. Insurance is the only instrument which can be used as the financial protection against various losses and damages. General insurance companies plays an important role in the life of insured person. The main aim of this research paper is to know the services rendered by the private and public sector general insurance companies of India and try to find out the better one from the both sector. The set of questioner has been made for this research. Policyholders filled according to their experience from the private sector company or public sector company or having experience from the both. This paper examines the customer experience towards the services rendered by General Insurance companies. This study had been conducted at Pithampur area with the sample of 100 respondents to find out the level of satisfaction of services rendered by private and public sector general insurance companies. In this context, the respondents' opinion on the various related statements were collected with a 5 point scaling.

Keywords- services, general insurance, private sector, public sector, comparative.

Introduction of General Insurance - Insurance can be defined as sharing of the losses of unfortunate among those who are exposed to the same level of risks, suffering and destruction of damage to their assets which are likely to be caused by accident, fire, theft etc. with covid-19 everyone try and teach to live a life safely within the risk. In today's era everyone's need relating to safety and protection has been provided by the general insurance companies. Insurance is that which can protect us from risks. It is a type of investment through which an insured person have the financial security against risks and uncertainties. Insurance also plays a significant role in economic development of a country. There are total 34 general insurers working in India, out of 34 insurers, six are public sector insurers and remaining are private insurers including General Insurance Corporation of India (GIC Re), which is the sole re- insurer in India. This paper presents the services rendered by selected four private and four public sector general insurance companies.

Services of general insurers - Here the study found that private sector companies satisfied maximum customers. Private sector companies uses discounts and offers to attract more and more customers. This techniques fulfills their pre-decided targets. Thus they earns good profit. Public sector companies are not allowing such type of offers. They do their business in a very simple way. They rarely provide discounts on their policies.

According to the primary data of the study there are

more people who buy general insurance from public sector companies. According to the various policyholders from public sector, they have good experience during life of the policy but they don't have good experience at the time of claim settlement. There are more people who buy general insurance from private sector companies. According to the various policyholders from private sector, they have a very good and satisfied services at the time of purchasing of policy and also at the time of claim settlement.

The insurers introduces many insurance products in order to capture the targeted market and in results there are possibility of more profit. The maximum private sector companies are now focusing on profit. For this they provide different discounts and offers. While this type of offers and discounts has not been provided by the public sector insurers.

Review of Literature

Balachandran, S. (2001) in his book on "Customer Driven Services Management" concludes that the insurance industry is fast growing and mostly becoming a customer-driven and customer-centric one. He also advocates that when the insurance products are attractive to the customers, then only the insurance industry flourishes in the market and serves its purpose of profit earning and also income generation.

Sharma (2011) developed the managerial competency framework for the middle level managers of the general insurance sector in India. For the study survey was

* **Professor (Commerce) Bherulal Patidar Govt. PG. College, Mhow (M.P.) INDIA**
** **Research Scholar (Commerce) Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA**

conducted among the 98 middle level managers of both private and public general insurance companies. The findings revealed communication skills, creativity, analytical skills, ability to delegate, flexibility, initiative, interpersonal skills, managerial skills, ability to motivate, ability to plan, job knowledge, team management, managerial skills and decision making were the 14 important competencies. Managerial skills and job knowledge were the most important skills

Kavitha (2012) studied customer attitude towards general insurance. The study was done to know the customer attitude of erode district. For the study questionnaire of 25 statement were designed and collected from the 750 respondents of the erode district. Factor analysis, multivariate techniques was applied on the data collected and group all statement into six factors i.e. loyalty conscious customers, trustworthy conscious respondents, agent conscious respondents, performance of the policy conscious respondents, policy transparency conscious respondents and bonus conscious respondents.

Jain & Lodha (2012) analyzed the factors influence the customer satisfaction in general insurance. Questionnaire was used to collect data and data as collected from 200 general insurance policy holders of state of Rajasthan

Thangadurai & Rahim (2015) studied the customer perception towards online insurance. For the study primary data was collected through questionnaire and field work and secondary data was collected from government records, newspapers, business magazines, websites and other sources. Chi-square a technique was used for analyzing the data and study suggested adopting specific measures to enhance the online initiatives to drive the growth further.

Thangadurai & Rahim (2015) in the research journal "Policyholders Perception Towards Online Insurance A Pilot Study" this research studied the customer perception towards online insurance. For the study primary data was collected through questionnaire and field work and secondary data was collected from government records, newspapers, business magazines, websites and other sources. Chi-square a technique was used for analyzing the data and study suggested adopting specific measures to enhance the online initiatives to drive the growth further. This research study has concluded that on-line insurance is a strong catalyst for the economic development and in order to enhance the propensity to use online insurance as a primary channel. Now a days everyone have smartphone. As more and more peoples adopts internet in hand and thus they adopt internet for various transactions including insurance transactions. It becomes important for the management of insurance companies to be innovative in their approach to meet requirements of customers.

Objective of the Study- The objective of this research paper are as below:

1. To study the theoretical description of General Insurance and its business in India.

2. To analyze the services rendered by private sector general insurance companies.
3. To analyze the services rendered by public sector general insurance companies.

Hypotheses of the Study - Services rendered by public sector general insurance companies are better than private sector general insurance companies.

Research Methodology - The primary data has been used here for this research study. It is a descriptive research. It is related to the analysis of services rendered by general insurances. In order to conduct this study, customers of various general insurance companies are the respondents of this study. To meet the objective of the study the self-designed questionnaire for the measure were developed. This questionnaire included 10 closed-ended questions regarding the factors on a 5 point likert scale. The primary data is collected from 100 insurance policy holders. The hypothesis are tested on the basis of results of the questioner relating to these units.

Following are the tables as per the questions -

- 1) What are the reasons for taking policy from specific company-

Reasons for taking policy	Private sector	Public sector
a) Safety and security	3	28
b) Better services	25	14
c) Easy terms and conditions	20	1
d) Fast settlement of claims	2	6
e) Any other	0	1

According to the above table hundred customers are distributed as per their reason for taking policy from the particular company or sector. It has been seen in the private sector that there are 3 customers taken the policy for safety and security and 25 have selected for better services which are maximum and 20 are there for easy terms and conditions and the remaining 2 customers are for fast settlement of claims. While the numbers have changed in the public sector that there are 28 customers taken the policy for safety and security which is maximum and 14 have selected for better services and a single is there for easy terms and conditions and 6 customers are for fast settlement of claims. Here is also a customer according to whom the reason for taking the policy is anything other than the above-stated reasons.

- 2) Are you satisfied with the rate of premium for your policy-

Level of satisfaction	Private sector	Public sector
Highly satisfied	1	0
Satisfied	45	43
Neutral	2	3
Highly dissatisfied	2	4

According to the above table, there are more customers in the private sector whose level of satisfaction is satisfied. Whereas in the public sector the level of satisfaction is lower than the private sector and a more neutral and highly dissatisfied customer in the public sector. Therefore it can

be said that the maximum respondents have satisfied level of satisfaction with the rate of premium of the policy by the private sector.

3) What is your opinion regarding services rendered by staff of your general insurance company-

Services rendered by staff	Private sector	Public sector
Highly satisfied	4	2
Satisfied	45	43
Neutral	1	3
Highly dissatisfied	0	2

According to the above table, there are more customers in the private sector who has satisfied with services rendered by staff. The table also shows that the private sector provides highly satisfied services than the public sector. Whereas the table also shows that there are minimum neutral and highly dissatisfied respondents in the private sector than the public sector. Therefore it can be said that the private sector rendered better services.

4) Before taking the policy, is your general insurance company provides all details of your policy-

Details of policy	Private sector	Public sector
Yes	41	38
No	9	12

According to the above table, there are more customers in the private sector who has positive answers that they got the all details of the policy from the general insurance company before taking the policy. Whereas here are more negative responses in the public sector in comparison to private sector general insurance companies. Therefore it can be said that the private sector provides more detail relating to policy before taking the policy.

5) What is your opinion regarding time taken for settlement of claim -

Time taken	Private sector	Public sector
a) Within 15 days	25	6
b) Within 1 month	10	27
c) Within 3 months	5	6
d) Any other (please specify)	10	11

According to the above table, there are maximum respondents (25) who has said that time taken for settlement of the claim in the private sector is option a within 15 days, these are the claim relating to motor insurance policy. Whereas in the public sector maximum respondent's opinion regarding the time taken for settlement of the claim is within one month. Someone also has an opinion regarding three month time period. According to any other option, there are 10 respondents in private and 11 in the public sector, who said that mediclaim policy takes time nearly one to two years for its settlement of the claim.

6) What is your opinion regarding role played by the employees of your general insurance company during the process of claim settlement-

Role played by the employees	Private sector	Public sector
Highly satisfied	3	0
Satisfied	46	41
Neutral	1	5
Highly dissatisfied	0	4

According to the above table, there are more customers in the private sector who has satisfied the role played by the employees of the general insurance companies during the claim settlement process. The table also shows that the private sector provides highly satisfied services more than the public sector. Whereas the table also shows that there are minimum neutral and highly dissatisfied respondents in the private sector than the public sector. Therefore it can be said that roles played by the employees of the private sector are better than the public sector.

7) What is your opinion regarding formalities during the claim settlement process-

Formalities during the claim settlement	Private sector	Public sector
Highly satisfied	2	0
Satisfied	44	40
Neutral	3	7
Highly dissatisfied	1	3

According to the above table, there are more customers in the private sector who has satisfied with the formalities during the claim settlement process. The table also shows that the private sector has two highly satisfied respondents during the claim settlement process while in the public sector it is nil. The table also shows that there are minimum neutral and highly dissatisfied respondents in the private sector than the public sector. Therefore it can be said that formalities during the claim settlement process of the private sector are better than the public sector.

8) Did you feel that your decision is wrong to take policy from your present company-

Is your decision to take policy is wrong from your present company	Private sector	Public sector
Yes	3	18
No	47	32

If yes, please specify the reason-

Reasons	Private sector	Public sector
a) Improper information	1	3
b) Poor service quality	0	2
c) Poor behavior of staffs	0	2
d) Any other (please specify)	2	0

According to the above table, there are more people (47) in the private sector than the public sector (32) who has said that their decision to take policy from the present company is not wrong, which means they are fine with their general insurance company. On the other hand, there is

three respondent in the private sector while eighteen respondent from the public sector who has said yes, their decision to take policy from their present company was wrong. For this wrong decision from the private sector, one is for improper information and two are for any other reason. In the public sector, there are three for improper information, two are for poor service quality, and poor behavior of staff. Thus here private sector customers are looking more satisfied with their decisions.

9) Have you ever shifted your policy from one general insurance company to other?

Have you ever shifted your policy	Private sector	Public sector
Yes	9	22
No	41	28

If yes, how?

Shifting of your company	Private sector	Public sector
a) Public to public (please mention the name of both companies)	0	6
b) Private to private (please mention the name of both companies)	9	0
c) Public to private (please mention the name of both companies)	0	16
d) Private to public (please mention the name of both companies)	0	0

If you ever shifted, please specify the reason for shifting-

Reason for shifting	Private sector	Public sector
a) High price of policy		
b) Poor behavior of employees/ agents	3	4
c) Delay or lesser amount of claim settlement	5	7
d) Any other (please specify)	1	5

According to the above table, there are more people (41) in the private sector than in the public sector (28). They have not ever shifted their policy from one general insurance company to other, it means they are fine with their policy from that general insurance company. Whereas nine people from the private sector who has shifted their policy from one private sector to other private sectors general insurance company, six out of twenty-two people from the public sector who has shifted their policy from one public sector to another public sector general insurance company and sixteen customers has shifted from public to private sector. For reasons of shifting the policy three customers in private and four in the public sector said about the poor behavior of employees/ agents, five customers in private and seven in the public sector has told about the delay or a lesser amount of claim settlement. One customer in the private sector and five from the public sector has said that they shifted their policy for any other reason. Thus here also it has been seen that more customers want to relate with a policy from the private sector.

10) What is your opinion regarding customer satisfaction of your company-

Customer satisfaction	Private sector	Public sector
Highly satisfied	3	0
Satisfied	43	38
Neutral	4	7
Highly dissatisfied	0	5

According to the above table, there are more customers in the private sector than the public sector who has satisfied with their general insurance company. The table also shows that only the private sector has three highly satisfied respondents while in the public sector it is nil. The table also shows that there are minimum neutral and highly dissatisfied respondents in the private sector than the public sector. Therefore it can be said that customers of the private sector are more satisfied than the public sector.

11) What is your opinion regarding the service quality of your general insurance company-

Service quality	Private sector	Public sector
High quality	38	20
Average	9	15
Low quality	2	9
Poor	1	6

According to the above table, there are more customers (38) in the private sector than the public sector (20) who has a high quality of services with their general insurance company. The table also shows that nine customers in the private sector and fifteen customers in the public sector has the average service quality of their general insurance company. The table shows that there are minimum low-quality services and poor services in the private sector than in the public sector. Therefore it can be said that customers of the private sector have better service quality than the public sector.

Conclusion and test of Hypothesis- With the above stated tables on the basis of primary data, it can be said that most of the customers are satisfied with the services rendered by private sector companies. According to maximum policyholders, they are satisfied with the premium rate, behaviors of staff of the private sector companies and the process of claim settlement by these companies are also satisfied the most of the customers than the public sector companies.

Thus it can be said that above stated hypothesis is false. The services rendered by private sector companies are better than the public sector companies.

References:-

1. A jaganathan "a study on customers' awareness and satisfaction of products and services offered by the general insurance companies in the nilgiris district"
2. Sandhu hs, bala n. Customers' perception towards service quality of life insurance corporation of india: a factor analytic approach. Int j business soc sci. 2011;2(18):219-31.
3. Kavitha T. Latha A, Jamuna S. Customers attitude to-

- wards general insurance-a factor analysis approach.
J Business Manag. 2012;2(1):30-6
4. Jain D, Lodha A. Determinants of satisfaction for general insurance products- An empirical study in Rajasthan. In proceedings of the National Conference on Emerging Challenges for Sustainable Business, IIT Roorkee.
 5. Ritu Gangil , Swati Vishnoi "Customer perception towards general insurance: A factor analysis approach"
 6. Thangadurai P, Rahim A. Policyholders perception towards online insurance a pilot study in Mumbai. Int J Appl Res. 2015;1(11):522-6.

Role of Zinc in Health and Diseases: A Review

Dr. Shobha Gupta*

Abstract - Zinc is an important element performing a range of function in the body as it is a cofactor for a number of enzymes. It is essential for many cellular process such as synthesis of protein, function of many enzymes needed in DNA synthesis and structure and function of biomembrane. Hence it has a stimulatory effect on all replicating cells. Zinc deficiency leads to a growth failure and poor development of gonadal function. This review appraises the biological functions of zinc trace elements and its role in preservation of various diseases.

Keywords- Zinc, body function, health, diseases.

Introduction - Zinc is the second most abundant trace element in human body after iron and it is the only metal which appears in all enzyme classes^{1,3}. An average adult human body contains 1.4 to 2.3 gm zinc highest being in liver, voluntary muscles, prostate, bone and eyes². The minimum body requirement is about 15 mg per day. Dietary intake of zinc varies between 6-9 mg/day in Indian with is half of the recommended intake. Sources of zinc in the diet are meat, gelatin, whole grains, cereals, legumes, lentils, Peas and Beans. However phytic acid in the diet binds zinc tightly and limits its absorption. In blood plasma, Zn is bound to and transported by albumin (60%) and transferrin (10%)⁴. Since transferrin also transports iron, excessive iron can reduce zinc absorption, and vice versa⁵. The concentration of zinc in blood plasma stays relatively constant regardless of zinc intake.

Biological Functions of Zinc- Zinc is crucial to growth, development and normal function of all living forms. It is an essential component of more than hundred enzymes including DNA and RNA polymerases. Zinc functions in biology are numerous but can be separated into three main categories: catalytic, regulatory, and structural roles. It is required for the catalytic activity of a large number of enzymes^{6,7}. It plays an important role in immune function, wound healing, protein synthesis, DNA synthesis, and cell division⁶. Zinc is required for proper sense of taste and smell⁸. It also supports normal growth and development during pregnancy, childhood, and adolescence. Allegedly, it also possesses antioxidant properties and thus may play a role in speeding up the healing process after an injury and protecting against accelerated aging⁹. Zinc ions are effective antimicrobial agents even at low concentrations.

Role in Oral Health and Diseases- The roles of zinc in oral health and diseases are summarized as follows:

1. In the oral cavity, zinc is present naturally in plaque,

saliva, and enamel. Zinc is transformed into oral health products to control plaque, reduce malodor, and retard calculus formation. The zinc elevated concentrations can be sustained for prolonged periods in plaque and saliva following delivery from mouthrinses and toothpastes. Although low concentrations of zinc can both reduce enamel demineralisation and modify remineralisation, the anticariogenic efficacy is yet disputable and not supported by various researches¹⁰.

2. Taste disorders: the role of zinc in taste functions is appreciable at various levels of organization such as taste buds, the taste sense nerve transmission, and brain. Zinc plays an important role in cell structure architecture, maintaining the cell membrane integrity, and functions of various cytoplasmic and membrane enzymes. Early researchers concluded that zinc deficiency secondary to any etiology leads to taste disturbances and thus still zinc depletion is corrected for patients reporting with taste imbalances¹¹.
3. A study conducted on rodents concluded that zinc-deficient diet can result in parakeratosis of normally orthokeratinized oral mucosa. Hence, zinc deficiency can be a potential risk factor for oral and periodontal diseases. The parakeratotic changes in cheek, tongue, and esophagus are a sign of zinc deficiency. Thickening of the buccal mucosa is a common manifestation along with loss of filiform papillae¹².
4. As stated above, zinc is a cofactor for superoxide dismutase enzyme and various studies have shown lower levels of serum zinc in patients with potentially premalignant disorders like oral leukoplakia. This may be due to consumption of zinc in counter reaction to high content of copper in areca nut or oxidants released during tobacco usage¹³.
5. Similarly, concentration of zinc in serum is significantly

*Associate Professor (Chemistry) D. A. K. College, Moradabad (U.P.) INDIA

decreased in oral squamous cell carcinoma and oral submucous fibrosis patients with history of tobacco consumption when compared to the control group and gradually decreased with the duration of the habit. The serum level of zinc was reportedly lower in oral squamous cell carcinoma patients than in oral submucous fibrosis patients ¹⁴.

6. As transferrin transports both iron and zinc, the level of zinc increases as the level of iron decreases in iron deficiency patients. Thus, patients of OSMF also suffering from iron deficiency anemia show higher serum levels of zinc ¹³.
7. Superoxide dismutase which is a natural antioxidant of the body is a Cu-Zn protein complex that has an anticarcinogenic effect in OSMF. Secondly, zinc decreases the activity of copper containing lysyloxidase enzyme and thus causes inhibition of cross linkage of collagen peptides. It also plays a significant role in promoting collagen degradation through collagenase and matrix metalloproteinase. Zinc thus bears an inverse relationship with copper and thereby interferes with the mucosal absorption of copper. Excess zinc particularly impairs copper absorption as both metals are absorbed through metallothioneins. The ratio of copper to zinc is also believed to be a reliable biomarker in the development and progression towards carcinogenesis ¹⁴.
8. On the contrary to the popular belief of protective function of zinc, limited literature suggests carcinogenic effect of zinc ¹⁴.

Conclusion- It is one of the most difficult tasks to diagnose zinc deficiencies nutritionally as well as clinically. The deficient intake of zinc may diminish significant biological functions within tissues and restoration of physiological levels of that it relieves the impaired function or prevents impairment. The human body has an elaborate system for managing and regulating the amount of zinc circulating in blood and stored in cells. The abnormal levels of zinc may develop when the body fails to function properly or its improper levels in dietary sources. There are convincing lines of evidence that a diet rich in antioxidants and essential minerals is indispensable for a healthy mind and body. Preventive medicine in the recent years has gained more attention than anything else as quoted aptly, "prevention is better than cure." Healthy nutritional habits with regular intake of essential vitamins and minerals are of immense significance to health. Hence, knowledge of the clinical aspects of zinc is becoming requisite for general population.

References:-

1. Wapnir R. A. *Protein Nutrition and Mineral Absorption*. Boca Raton, Fla, USA: CRC Press; 1990.
2. Pfeiffer C. C., Braverman E. R. Zinc, the brain and behavior. *Biological Psychiatry*. 1982;17(4):513–532.
3. Broadley M. R., White P. J., Hammond J. P., Zelko I., Lux A. Zinc in plants. *New Phytologist*. 2007; 173(4):677–702.
4. Whitney E. N., Rolfes S. R. *Understanding Nutrition*. 10th. Boston, Mass, USA: Thomson Learning; 2010.
5. Valko M., Morris H., Cronin M. T. D. Metals, toxicity and oxidative stress. *Current Medicinal Chemistry*. 2005;12(10):1161–1208.
6. Sandstead H. H. Understanding zinc: recent observations and interpretations. *Journal of Laboratory and Clinical Medicine*. 1994;124(3):322–327.
7. McCarthy T. J., Zeelie J. J., Krause D. J. The antimicrobial action of zinc ion/antioxidant combinations. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*. 1992;17(1):51–54.
8. Heyneman C. A. Zinc deficiency and taste disorders. *Annals of Pharmacotherapy*. 1996;30 (2):186–187
9. Maret W., Sandstead H. H. Zinc requirements and the risks and benefits of zinc supplementation. *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology*. 2006;20(1):3–18.
10. Institute of Medicine. *Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc*. Washington, DC, USA: National Academy Press; 2001.
11. Milbury P. E., Richer A. C. *Understanding the Antioxidant Controversy: Scrutinizing the "Fountain of Youth"*. Greenwood Publishing Group; 2008.
12. Das M., Das R. Need of education and awareness towards zinc supplementation: a review. *International Journal of Nutrition and Metabolism*. 2012;4(3):45–50.
13. Jayadeep A., Raveendran Pillai K., Kannan S., et al. Serum levels of copper, zinc, iron and ceruloplasmin in oral leukoplakia and squamous cell carcinoma. *Journal of Experimental & Clinical Cancer Research*. 1997; 16(3):295–300.
14. Ray J. G., Ghosh R., Mallick D., et al. Correlation of trace elemental profiles in blood samples of Indian patients with leukoplakia and oral submucous fibrosis. *Biological Trace Element Research*. 2011;144 (1–3):295–305.

बालकों के विरुद्ध यौन अपराध - एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. प्रमोद कुमार *

प्रस्तावना - भारत में बालकों से जुड़ी अनेक समस्याएं हैं। खासतौर पर बाल श्रम, बच्चों का दुर्व्यापार व उनका यौन शोषण जैसी बड़ी समस्याएं देश के माथे पर कलंक जैसी हैं। इनके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि धूमिल हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बाल अधिकारों के संरक्षण की तरफ ध्यान न दिया गया हो। बालकों की स्थिति में सुधार के प्रयास जारी हैं, तथापि अभी स्थिति में संतोषजनक सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। बचपन जीवन का प्रारंभिक और स्वर्णिम काल होता है और बच्चों को ईश्वर की सुंदरतम कृति माना गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में तो बाल रूप को ब्रह्म रूप के समान बताया गया है। यानी बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। शायद ऐसा इसलिए कहा गया है कि बच्चे प्रकृति की सबसे सुकोमल अभिव्यक्ति हैं। पाप-पुण्य से कोसों दूर, छल-प्रपंच, घृणा-बैर से परे बच्चे 'मनुष्य के पिता' तथा 'भविष्य के नागरिक' हैं। सामान्यतः 'बचपन' सुकुमार कोमल भावनाओं तथा मधुर स्मृतियों का संगम है जो हमारे चरित्र को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही कारण है कि बच्चों को राष्ट्र की अमूल्य धरोहर कहा जाता है। परमात्मा की सर्वोत्तम कृति यदि मनुष्य को माना जाता है तो यह मनुष्य पृथ्वी पर अपना प्रादुर्भाव एक बच्चे के रूप में ही करता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में बच्चों के प्रति अगाध संवेदना व चेतना का प्रस्फुटन हुआ है, जिसके चलते बच्चों को जन्म के साथ ही कुछ विशिष्ट अधिकारों को प्रदत्त किए जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गई है।¹

इसे दुर्भाग्य और त्रासदी ही कहा जाएगा कि भारत जैसे देश में, जहां बालक को भगवान का प्रतिरूप माना गया है, बचपन समस्याओं से मुक्त नहीं हैं यह कहना असंगत न होगा कि भारत में बचपन अभिशाप है और हमारे देश के असंख्य बालक उन स्थितियों में जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, जिन्हें मानवीय नहीं कहा जा सकता। बाल श्रम, बच्चों का यौन उत्पीड़न और उनकी तस्करी जैसी समस्याएं सुकोमल बचपन के लिए अभिशाप नहीं तो और क्या हैं ? आएं दिन देश में बच्चों के साथ होने वाले अघन्यतम कांड अखबारों की सुर्खियां बनते हैं। एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की स्थिति में सुधार के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत में बच्चों की स्थिति भयावह है और इनसे जुड़ी समस्याएं विकराल हैं।

बाल मजदूरों की सही-सहती संख्या को लेकर कई तरह के आँकड़ें दिए जाते हैं, एक अनुमान है कि देश में इस समय लगभग सवा करोड़ के आसपास बाल श्रमिक हैं, दरअसल इस समस्या का सम्बन्ध सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था से है, गरीब परिवार मजदूरी में काम करने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, अगर उन बच्चों को काम से हटा दिया जाए, तो न सिर्फ उनके, बल्कि उनके परिवार के भरण-पोषण की समस्या भी आ खड़ी होती

है, इसलिए बच्चों को काम से निकालकर शिक्षा दिलाने की योजना बहुत कारगर नहीं हो पा रही है, सामाजिक संगठनों की अपनी समस्याएं हैं, वे कुछ बच्चों का भार उठा सकते हैं, लेकिन अंततः यह काम सरकार को ही करना होगा इसके लिए दृढ़ इच्छा-शक्ति की जरूरत है जिन खतरनाक व्यवसायों में बाल मजदूरी पर रोक है, उन पर सरकार को निगरानी रखनी चाहिए। गरीब के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है, ताकि कोई भी परिवार भरण-पोषण के लिए अपने बच्चों के श्रम पर निर्भर न रहे। वर्ष 2001 से 2013 तक के NCRB के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि हालात् कितने बेहाल हो चुके हैं, प्रति वर्ष की दर से इन अपराधों में हुई वृद्धि पर लगाम लगाना कठिन होता जा रहा है।

देश की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या 18 वर्ष से कम उम्र की है सिर्फ 35 प्रतिशत बच्चों का ही जन्म पंजीकरण किया जाता है प्रत्येक 16 में से एक बच्चा एक वर्ष की आयु पूर्ण करने के पहले कालग्रस्त हो जाता है और प्रत्येक 11 में से एक बच्चा पाँच वर्ष की आयु के पूर्व मौत के आगोश में सो जाता है दुनिया में कम वजन के साथ पैदा होने वाले कुल बच्चों में से 35 प्रतिशत भारत में पैदा होते हैं, विश्व के सम्पूर्ण कुपोषित बच्चों में से 40 प्रतिशत भारत में हैं।²

देश में 0-6 आयु में लड़कियों की संख्या का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है, प्रति एक हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या 927 है, पंजाब, हरियाणा राज्यों में इससे भी कम, स्कूल जाने लायक उम्र के 100 बच्चों में से 19 बच्चे कभी भी पाठशाला का मुँह नहीं देखते, स्कूल में भर्ती 100 में से 70 बच्चे सेकेण्डरी स्कूल तक पहुँचते-पहुँचते पढ़ाई छोड़ देते हैं।³ 18 वर्ष की उम्र की 65 प्रतिशत लड़कियों की शादी हो जाती है। भारत में बच्चों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बहुत अधिक है, अधिकाधिक आँकड़ों के अनुसार, देश में बलात्कार होता है। इसी प्रकार भारत में प्रत्येक 18 घंटे में 10 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म किया जाता है। प्रतिवर्ष भारत में 2.5 मिलियन बच्चों की मृत्यु होती है।

समस्या चाहे बाल श्रम की हो, बाल यौन उत्पीड़न की हो, बच्चों के क्रय विक्रय की हो अथवा बाल अपराधों की, इन सभी के मूल में गरीबी, लाचारी, अशिक्षा व संस्कारों की कमी जैसे कारण हैं। सबसे पहले इस दिशा में ध्यान देना होगा। गरीबी का उन्मूलन करना होगा और शिक्षा के दायरे को बढ़ाना होगा। हालांकि भारत सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देकर इस दिशा में एक नेक व सराहनीय पहल की है, किंतु गरीबी की समस्या अभी भी भयावह है, जो कि बाल श्रम आदि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा भी हम कुछ और प्रयास कर बाल अधिकार संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल कर सकते हैं मसलन, प्रत्येक जिले, कस्बे व पंचायत

स्तर पर एक विशेष 'चाइल्ड सेल' की स्थापना होनी चाहिए, जहां 24 घंटे बच्चों संबंधी शिकायतों को सुनने वाले सक्षम लोगों की नियुक्ति हो। नार्वे की तर्ज पर बच्चों के लिए 'ओम्बुड्समैन' ऑफिस की व्यवस्था भी की जा सकती है। बच्चों को जागरूक बनाने के लिए सामाजिक व शैक्षणिक स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। बच्चों को यौन दुर्व्यवहारों के प्रति सचेत करने के लिए माता-पिता के स्तर से शुरू होकर स्कूली शिक्षा के स्तर पर यौन-शिक्षा देने की पहल की जानी चाहिए। अपराधों की रोकथाम व जाँच हेतु पृथक थानों की स्थापना होनी चाहिए, जहां संवेदनशील महिला अधिकारियों की नियुक्ति अनिवार्य हो।

पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था- 'मैं देश के हर बच्चे की आंख में आनेवाले हिन्दुस्तान की तस्वीर देखता हूँ।' यदि हमारे देश के बच्चे बदहाल,

शोषित, उत्पीड़ित, अशिक्षित व असुरक्षित रहेंगे, तो आने वाले हिन्दुस्तान की तस्वीर कैसी रहेगी, इसे समझा जा सकता है। हिन्दुस्तान की बेहतर तस्वीर और बेहतर भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर देश में बालकों की स्थिति में सुधार का प्रयत्न करें। बालक देश का भविष्य होते हैं, उन्हें संवार कर ही हम देश का भविष्य संवार सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45;350क तथा सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 13
2. बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम भारत संघ;2011
3. लैंगिक बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ;1984

सपने, संघर्ष और चुनौतियों के बीच आज की हिन्दी कविता

उमेश कुमार विश्वकर्मा *

प्रस्तावना - वर्तमान समय हमें यह अहसास कराता है कि हम कुछ पाना चाहते हैं और कुछ खोना जिन चीजों को बोया गया था आज वह पौधों के रूप में दिखाई पड़ते हैं और हमें फल फूल भी दे रहे हैं कहने का मतलब यह है कि जो टेक्नोलॉजी विश्व में शताब्दी में आई थी आज वह टेक्नोलॉजी हमारे समाज को और हमें चला रहे हैं आज हम परिस्थितियों में जी रहे हैं उससे हम आगे की ओर जाना चाहते हैं सपनों और संघर्ष के बीच हमारा जो दंडात्मक विचार चलता रहता है और उससे यह विदित होता है कि हम एक नये सपनों की उड़ान उड़ाना चाहते हैं और उसे सपनों में अपने उड़ान, उड़ाना चाहते हैं और उसे सपनों में अपने आकार को एक नई दिशा देना चाहते हैं जैसे ही हम 21वीं सदी की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं संघर्ष और सपनों के बीच में आदमी झूलता हुआ दिखाई देता है कारण यह है कि सपनों को सजा कर रखा है वह सपनों के अर्थ में कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देते नजर आते हैं हम अपने विचारों भावों कि जो स्वतंत्रता है उसको एक ऐसे जगह पर पहुंचा कर खड़ा कर दिए जहां से हमारी नैतिक मूल्यों में कहीं ना कहीं बदलाव आता है और हम देखते हैं कि सपने कैसे बनते हैं और टूटते हैं जो सपने दलित आदिवासी बीसवीं शताब्दी में देखा करते थे आज वह अपने सपनों को पूरा करते नजर आते हैं पहले राजतंत्र में जब राजा का बेटा राजा बनता था प्रजा का लड़का प्रजा बनता था और यह स्पष्ट होता था कि राजा का लड़का राजा ही बनेगा राजा का उत्तराधिकारी ही बनेगा और दलित का लड़का दलित ही बनेगा, मोची जूते का काम ही करेगा मल उठाने का काम करेगा वह विचारधारा आज हमारे समाज से खंडित होती हुई नजर आ रही हैं कारण यह है कि 21वीं शताब्दी में इतना तेजी से प्रसार हुआ हम जैसे जैसे उसको अपने आप में आत्मसात करते चले जाते हैं वैसे ही हम एक नई विचारधारा को जन्म देते हैं और वह विचारधारा ऐसी विचारधारा है जिससे हम सोते नहीं हो सकते हैं जब सपनों की बात होती है जब हमने ऐसी परिस्थितियों में गुजरा ही नहीं और उनकी परिकल्पना ही नहीं किए तो हमारे मन में सपने ही नहीं आएंगे चीजों को हमने कभी अपनी आंखों से देखा ही नहीं उनके बारे में हमारे मन में कभी सपने ही नहीं आएंगे कारण है कि ताजमहल को देखे हैं उसका छायाचित्र भी देखे हैं तो हमारे मन में उस ताजमहल की परिकल्पना होगी के बारे में हम बहुत सारी जिज्ञासाओं को प्रकट करेंगे लेकिन देखे ही नहीं तो नहीं कर पाएंगे स्पष्ट रूप यह कहा जा सकता है कि दलित आदिवासी और स्त्री दलितों, आदिवासियों को उनके जंगल में रखा गया था गर्मों से दूर रखा गया था जब वह गांव आते थे तो बता कर आते थे कि हम गांव आते हैं लेकिन गांव से बाहर ही अपनी आवाज लगाते थे उनको गांव में घुसने का कोई अधिकार नहीं था ऐसा समय एक था।

बीसवीं का उत्तरार्द्ध और 21वीं सदी का प्रारंभ हमारे जीवन में ऐसे

आयामों को भर दिया है कि हम उन्ही आयामों के साथ नई विचारों के साथ नए जीवन की परिकल्पना करते हैं और नई आशा के साथ अपनी भावनाओं को उद्देलित करने का प्रयास करते हैं। उत्तर आधुनिकता समय में सामाजिक विमर्श एक नया मुकाम लिया है कि समाज के बदलते पहलू और समाज के बदलते आयाम को देखते हुए सामाजिक गतिविधियों को एक दिशा देने का प्रयास अधिकतर करता चला आ रहा है लेकिन आज हम देखते हैं कि उत्तर आधुनिकता में जिस प्रकार से गतिविधियों का दोहन होता चला जा रहा है उससे हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में समाज को कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा जातीयता के आधार पर और वर्ग लिंग के आधार पर और समाज, समाज नहीं रहेगा लोग, लोग नहीं रहेंगे और एकल परिवार जीवन यापन करना लोगों की मानसिकता बन जाएगी लोग देखते हुए उत्तर आधुनिकता को कुछ लोग अपना रहे हैं कुछ लोग अपनाते से कतरा रहे हैं। जब हम सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं समाज में रहने तो निश्चित तौर पर जब शोषक और शोषित वर्ग दोनों रहते हैं और यह वर्ग ऐसे हैं जो समाज को एक करना चाहता है और एक वही है जो समाज के छोटे लोगों को अपने अधिकारों के आधार पर उनको निश्चित करना चाहता है ऐसे समय पर हमारे समाज का रूप तो बदलेगा ही और हमारी मानसिकता भी बदलेगी। आधुनिकता से उत्तर आधुनिकता में आने के बाद जिस प्रकार से सांस्कृतिक और कई प्रकार की गतिविधियों में परिवर्तन आया है उससे कोई व्यक्ति छूटा नहीं है आज हमें समाज में सांस्कृतिक रीति-रिवाजों रहन-सहन सभी में इतना तेजी से परिवर्तन आया है वह परिवर्तन हमारे लिए कहीं ना कहीं विना शकारी साबित होंगे जब हम टेलीविजन पर जिन चीजों को दिखाया जाता है उसको हमारा समाज हमारे समाज के लोग इतना तेजी से अपना रहे हैं कि हम अपनी पुरानी विरासत को भूलते चले जा रहे हैं पुरानी संस्कृत को नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं और नई संस्कृत पर संस्कृत अशुद्ध संस्कृत को अपनाते चले आ रहे हैं इन्हीं कारणों से हम संस्कृत के साथ सामाजिक भाषा भी परिवर्तित होती नजर आती है और हम उस ढांचे को अपना रहे हैं जिसके कारण पूर्वजों की दी हुई आजादी आज हम से छीनी जा रही है हम निर्विक होते चले जा रहे हैं समीकरण का सिद्धांत हमारे जीवन में बनता नजर नहीं आ रहा है जिसके कारण हम टुकड़ों में अलग-अलग बढ़ते चले जा रहे हैं आज के समय में निश्चित रूप यह कहा जा सकता है कि वर्ग के आधार पर लिंग के आधार पर समाज को बांटा जा रहा है कारण यह है कि जब हम समाज को इनवर्गों में बांटेंगे तो निश्चित हमारा समाज कई छोटे टुकड़ों में बढ़ता जा एगा जो सोच है वह भी जाएगी जिसके कारण हम समाज का और अपने देश का विकास नहीं कर पाएंगे। जिन कविताओं के माध्यम से समाज को एक नई ऊर्जा दी गई थी 21वीं शताब्दी में उन्हीं कविताओं

* अतिथि विद्वान (हिंदी) शासकीय महाविद्यालय, गोविन्दगढ़, जिला - रीवा (म.प्र.) भारत

का बोलबाला भी दिखाई दे रहा है आज का साहित्यकार समाज के बीच सभी बीमारियों को छूता है और अपनी लेखनी से रोकने का प्रयास करते रहते हैं जब हम देखते हैं किन्नरों पर हिजड़ों पर स्त्रियों पर दलितों असहयोग किसानों मजदूरों पर हम पाते हैं कि जीवन में जो विपत्तियां आती कष्ट आते हैं जिन स्थितियों का यह सामना करते हैं उन्ही स्थितियों को लेखनी से प्रकट करने का पूर्ण प्रयास करता है। समकालीन कवियों में 'दिनेश कुशवाह' की कविता इसी काया में मोक्ष, इतिहास की अभागे ऐसी कविताएं हैं जो हमें यह बताती है कि हम सपनों को बुनते तो हैं लेकिन वह सपने और संघर्ष के बीच में जो दंत फैलता है उस दिन से हम कैसे निकल पाते हैं यह जीवन की सच्चाई है जब हम कात्यायनी और मलय की कविता को पढ़ते हैं इनके कविताओं में सपनों को बुनने की एक अदम साहस दिखता है। जब हम 'अजानबाहू' 'दिनेश कुशवाह' जी की कविता पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि संघर्ष करता हुआ एक आदमी किस तरह से आगे बढ़ता है और जीवन पर्यंत लगातार संघर्ष करता रहता है लेकिन उसके संघर्ष और ऐसे चलते रहते हैं कि वह जीवन पर्यंत उसी में पूछता रहता है उसकी सफलता उसके जीवन को मिलती है या नहीं मिलती यह कभी नहीं बता पाता है। आज हम देखते हैं जिस प्रकार से कविता अपने आप को एक नए के साथ प्रकट होना चाहती है यह किसी से अछूता नहीं है यह कविता की ही निगाह है जो दिन में भी चांद देख लेती है यह कविता के ही हाथ है जो चांद को धरती पर उतार लेती है यह कविता की ही आवाज है जो लोक प्रसारित हितों की संवेदना को आकार देती है तरह-तरह की संकीर्णताओं के उपहार वाले दौर में वह 'संजय कुंदन' के शब्दों में कहना जरूरी समझती है कि-

'बच्चे हर देश में एक ही तरह खिलखिलाते हैं
हर देश में सुंदर दिखता है चांद हर देश में
मीठे होते हैं फल हर देश में
मां जैसी दिखती है एक नदी
जिनके हाथ खाली होते हैं
वह हर देश में अपने दुख को
औरतें बिछाते हैं फिर कोई क्यों कहता है
कि यह मेरा देश है यह तुम्हारा देश है।'

उत्तर-आधुनिकता की इन कविताओं में जो भाव भरा है कि यह देश मेरा है यह देश तुम्हारा है इससे यह स्पष्ट होता है कि यह देश ना तुम्हारा है ना हमारा है यह देश हम सबका है। यह विचार होना चाहिए हमारे समाज में यह विचार नहीं होना चाहिए कि हम हिंदू हैं मुसलमान हैं। हम एक समाज में हर व्यक्ति रहते हैं सब व्यक्ति के लहू एक जैसे हैं तो हमारी बिरादरी क्यों अलग है यह सोचने के लिए हमें मजबूर किया जाता है और हम इसीलिए आज अलग-अलग टुकड़ों में बढ़ते नजर आते हैं।

बीसवीं शताब्दी में परंपराओं को जिन परिस्थितियों को कविताओं में मिश्रण किया गया या समावेश किया गया उनसे आज की कविताएं कहीं ना कहीं अलग हमें दिखाई देती है कि जिन परिस्थितियों के कारण सामाजिक स्थितियों और सामाजिक बुराइयों को पहले के साहित्यकार उपाय नहीं कर पाए आज के साहित्यकार होने का पूरा प्रयास करते हैं हम यह देखते हैं कि आदिवासी, दलित, स्त्री, असहाय मजदूर किसान या फिर कहे हम बस या फिर हिजड़ों पर बीसवीं शताब्दी में बहुत कम लेखनी चली है लेकिन आज 21वीं शताब्दी पर जो समाज से दूर रखे गए थे जिनको सामाजिक इकाई का हिस्सा नहीं दिया गया था जिन को हेय दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें आज प्रमुख मुद्दा बनाकर कविताएं लिखी जाती हैं और उनको एक नई दिशा

और नया आयाम देने के लिए संपूर्ण साहित्य प्रतिबद्ध है। भारतीय साहित्य को एक नई दिशा देने का प्रयास आज का साहित्यकार कर रहा है इस साहित्य में सभी को शामिल करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि जिन स्थितियों में परिस्थितियों में सामाजिक एकता का रूप आज दिखाई दे रहा है वह कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रहा है जब हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उनमें यह बताया जाता है कि हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हमको एक नई दिशा और दशा देते हैं जिसके कारण हम समाज में एक होने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं लेकिन आज हमारे समाज में ऊंच-नीच का जो भेदभाव है उससे स्पष्ट होता है कि जो समता का अधिकार है वह सिर्फ कागजी है ना कि वह मलिक है हम अपने अधिकारों की बात कैसे करते हैं कहां तक पहुंचते हैं किसको-किसको अपनी व्यथा सुनाते हैं लेकिन हमारी भी क्या कोई सुनने के लिए तैयार रहता है इस दौर में जिस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक एकता विरासत संकलित होती चली जा रही है उससे हैं हम यह स्पष्ट कह सकते हैं कि हम कुछ चीजों को पा रहे हैं तो कुछ को खो रहे हैं जिसके कारण हमारी सांस्कृतिक एकता और अखंडता धीरे-धीरे खंडित होती है और हम उसको धीरे-धीरे अपना रहे हैं। आज की कविता का जो रूप है वह सभी जानते हैं कि अर्थ को ऐसे रूप में प्रकट करने का प्रयास किया जाता है। आजकल लक्षणा और व्यंजना के माध्यम से अभिध का कम से कम जिसके कारण समाज में जो रावण की तरह राजसत्ता को संभाल कर बैठे हैं उनके कानों तक आवाज जाए और उनको यह समझ में आए कि जो ग्रामीण अंचल की जनता है उनका दर्द क्या है जो किसान हंसता असहाय मजदूर है उसका दर्द क्या है लेकिन आज क्या किसी का कोई दर्द समझता है सिर्फ अपना सब कुछ अच्छा होना चाहिए दूसरे का कैसा है इस से कोई मतलब नहीं है जब हम कविता के जड़ पर जाते हैं तो यह पाते हैं कि कविता में प्रवाह है लाक्षणिकता है व्यंजना है और वही कविता आगे चलकर साफ-सुथरी नदी की तरह बहती नजर आती है उसी नदी में आज का साहित्यकार गोता लगा रहा है और अपने गोते से एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास करता है हम आधुनिकता के ऐसे दौर में पहुंचे हैं जहां हमारी एकता, सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता कहीं न कहीं धूमिल होती दिखाई देती है और उसका कारण है, एकाकी जीवन उसका कारण है, टेक्नॉलजी से ज्यादा लगा होना उसका कारण है, पश्चिमी कल्चर को अपना नाम यही कारण है हमें परिवर्तित करने का जब हम ज्यादा से ज्यादा अपने समाज में पश्चिमी कल्चर को अपनाते हैं पश्चिमी देशों से आने वाली जो सभ्यता संस्कृति विरासत है वह हमें कहीं ना कहीं आघात देती है और उसी के कारण से हम अपने आपको एक ऐसी स्थिति पर खड़े पाते हैं जहां से हम लौट भी नहीं सकते और उसे अपना नहीं सकते जिसके कारण हमारे बीच संघर्ष चलता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि हम अपने सपनों को देखकर तो जरूर है लेकिन उसको भूल नहीं पाते हैं अपने सपनों को सजाने का प्रयास लगातार करते हैं लेकिन क्या उसको प्राप्त करते हैं जिन सपनों को हम काफी दिनों से अपने जेहन में बचा कर रखे थे आज हमारे सपने टूटते नजर आते हैं आज हमारे सपने खंडित होते नजर आते हैं लेकिन जीवन में कहीं न कहीं और सपनों को साकार करने में भी कुछ लोग आगे बढ़े हैं और बढ़ते नजर आते हैं इसका कारण यह है कि जिस तरह से वर्तमान समय में शिक्षा का प्रसार हुआ है टेक्नोलॉजी आई है और टेक्नोलॉजी दोनों से हमारे जीवन में अनेक तरह के परिवर्तन आए हैं और उन्हीं के कारण ही संघर्ष का रास्ता हमें सुनने को पड़ रहा है जब हम संघर्ष नहीं करेंगे संघर्ष को अपना मार्ग नहीं बनाएंगे तो

निश्चित तौर पर हाथ में हाथ रखे बैठने से हमें कोई हमारा मुकाम नहीं प्राप्त होगा और हम इसी तरह से घुटते – पीटते नजर आएं और हमारा शोषण दिन पर दिन होता रहेगा हम कुछ कर नहीं पाएंगे और किसी से लड़ नहीं पाएंगे।

भारत नैतिकता पवित्रता और समृद्धि की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है जैसे – जैसे हम नई सदी को जीवन में आत्मसात करते जाते हैं जैसे – जैसे हमारे जीवन में एक अलग नयापन आता है और नए विचार के साथ हम इन्हीं विचारों को अपने आप में आत्मसात करनेका प्रयास करते हैं जिस कारण से जो हमें विरासत में मिला था उस विरासत को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं जब हम बीसवीं शताब्दी में थे तब हमारे जीवन में जो नैतिक दायित्व कर्तव्यों और पवित्रता के विभिन्न आयामों को संजो कर रखे थे उन्हीं को आज 21वीं सदी में बांटने का प्रयास करते हैं जो हमारे पास खजाने हैं वह नैतिकता से लगे हुए हैं और उन्हें नैतिकता में रहते हुए हम जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने का प्रयास करते हैं जो कबूतर हमारे पास काफी दिनों से बैठा था आज वह क्या हम से दूर होना चाहता है क्या हमारे पास नहीं आना चाहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है कल क्या है कि नैतिकता ही हम को एक नई दिशा देती है और उसी में रहकर हम जो 21वीं सदी की कविता है उस कविता का प्रमुख चरण बिंदु नैतिकता पवित्रता है कोई भी रचनाकारों ने जब अपने साहित्यिक गतिविधि एक नई सोच और आयाम देने की बात करता है तो उसमें नैतिक गुणों का समावेश करता है।

आधुनिकता के इस दौर में जनता की आवाज ने एक नई विचारधारा के साथ सामने आती है वह आज के परिदृश्य को एक नए आधुनिकता के मापदंडों पर रखते हुए सामने आती है आज जनता की आवाज कुछ कहना चाहती है वह आवाज सिसकती हुई नहीं निकलनी चाहती वह आवाज मजबूती

से निकलना चाहती है उस आवाज में इतनी चाहत, मोहब्बत, अपनापन हो कि जहां तक सुनाई दे सभी लोग उस आवाज से आनंद प्राप्त करें जब हम बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 21वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात करते हैं इन दोनों की उसमें चंदा की आवाज कहीं दबी है तो कहीं बाहर निकल कर आई है। जिन्हें सदियों से समाज में उनका कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था जिनको गर्मों से दूर रखा गया था अधिकार स्वतंत्रता नहीं दिए गए थे जब वह अपने अधिकार और दायित्व के बारे में जानने लगे तो निश्चित तौर पर एक नई क्रांति समाज में आती है और वही क्रांति जनता की आवाज बनती है। वही समाज की आन –बान –शान बनती है वही आवाज देश को एक आयाम देने के लिए काम करते हैं जब हम किसी से प्यार करेंगे तो निश्चित तौर पर वह हमें प्यार मोहब्बत ही देगा वह हमें स्नेह ही देगा ना कि हमें आज 21वीं सदी में जिस तरह से सामाजिक ढांचे को बदला जा रहा है जिस तरीके से एक समाज को नई दिशा मिल रही है उसे हम पार लगा सकते हैं कि जो नैतिक मूल्य थे अब वह मुड़े से उठना चालू कर दिए हैं अब वह नयापन नहीं है जो कि आज से पहले दिखाई देता था आज हम सिर्फ कल्पना करते हैं सोचते हैं लेकिन उसे यथार्थ रूप में प्रयोग नहीं कर पाते जिसके कारण हमारे लिए अनेक प्रकार के उतार-चढ़ाव दिखाई देते हैं इन्हीं के कारणों से हम जनता की आवाज को कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं आज दलितों आदिवासियों की आवाज एक ऐसी आवाज बनकर सामने आई है जिन्हें समाज में कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया था जिन्हें कोई अपने घर में विधाता नहीं था लेकिन आज ऐसा नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चुप्पी का शोर ,संजय कुंदन, प्रकाशक: किताबघर प्रकाशन ,4855-56/24, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली- 110002, पृष्ठ 95

प्रगतिवादी भावना में आरसी प्रसाद सिंह का योगदान

डॉ. जयराम त्रिपाठी *

प्रस्तावना – महाकवि आरसी प्रसाद सिंह को कुछ आलोचक भ्रमवश शृंगार का कवि मान बैठते हैं, परन्तु उनके काव्य की मूल्य चेतना प्रगतिशील है। उन्होंने गम्भीर चिन्तनपूर्ण दार्शनिकता और युग जीवन के ठोस धरातल पर विचारोत्तोजक, युग निरपेक्ष, ऐसी शाश्वत् रचनाएँ दी हैं जो उन्हें हिन्दी साहित्य में सच्ची प्रगति के पथ पर उत्साह के अग्रसर करती रहेगी। आरसी जी ने कई दर्जन पुस्तकें लिखी हैं। प्रमुख कृतियाँ हैं 'कलोपी', 'आरसी', 'नंददास', 'संजीविनी', 'नयी दिशा', 'उदय' और 'प्रेमगीत' आदि।

महाकवि आरसी प्रसाद सिंह ने बालोपयोगी रचनाएँ भी पर्याप्त मात्रा में लिखी हैं। उदाहरण के लिए 'ओनामासी', 'चित्रों की लोरियाँ, आदि को देखा जा सकता है। ये उनके निश्चल और मानव प्रकृति की सूक्ष्म पारखी दृष्टि की घोटक है। इस समग्र चेतना की गहराई का मूल रहस्य प्रगतिशीलता है। मैं 'प्रगतिशीलता' का प्रयोग किसी प्रतिबद्धता और 'वाद' के अर्थ में नहीं कर रहा। काल, जीवन और प्रकृति वस्तुतः गतिशील ही नहीं, नयी दृष्टि, नवीन दिशा और नवीन मूल्यों से मानव-समाज का सतत शृंगार करने में सक्षम हैं और उसी प्रकार व्यापक अनुभूति और दृष्टि बोध से समाज के प्रत्येक मनुष्य को गति, स्फूर्ति और प्राणवत्त प्रदान कर नूतन कल्पना, नूतन सृजन, निर्भीक चुनौती का सामना करने की ऊर्जा प्रदान करने वाली रचना ही प्रगतिशील है। परन्तु, मैंने जिस रूप में महा कवि आरसी प्रसाद सिंह की कविता में प्रगतिशीलता देखी है उसका स्पष्ट अर्थ यही है कि उनकी काव्य कला में जीवन्त तत्वों की प्रमुखता है। उनकी कला सृष्टि में वीरत्व, स्फूर्ति, आशा-विश्वास, निष्ठा तथा स्वच्छन्दता की प्रमुखता है। डॉ. नगेन्द्र के शब्दों में प्रगतिवाद साम्यवाद के साथ जुड़ा हुआ है। निश्चय ही भारत का प्रगतिवाद मात्र शिव का पुजारी है जिसमें उसमें मात्र उपयोगिता का ही महत्व है। परन्तु, आरसी जी का मैं इस सीमित दृष्टि, परिधिबद्ध भावाकुलता से सर्वथा परे मानता हूँ जिनमें सत्य ही नहीं शिव और सुन्दर की त्रिवेणी है। मैं इस दृष्टि से आरसी जी की प्रतीकात्मक कविता 'जीवन का झरना' पाठकों के समक्ष रहता हूँ जिसमें कला का इन्द्रधनुष ही नहीं, प्रेरणा का अटूट प्रवाह, गीता के कार्यवादी दर्शन का अन्तः विस्तार तथा सूक्ष्म शाश्वत सत्य का आलोक और ज्ञानबोध है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था यह कविता मेरे मानस के आकाश पर प्रखर धूप की तरह इस तरह फैल गई, जिसे मैं लम्बी उम्र गुजर जाने पर भी विस्मृत नहीं कर पाता हूँ। मेरा तो स्पष्ट मत है कि आरसी जी और कुछ भी न लिखते तब भी यह कविता उन्हें हिन्दी कविता के क्षेत्र में सदैव प्रतिष्ठित ही नहीं किये रहती बल्कि उन्हें महाकवि घोषित करने में भी पूर्ण समर्थ रहती। जीवन का झरना एक ऐसी रचना है जिसमें भावपक्ष और कलापक्ष-दोनों का सुन्दर समन्वय दृष्टिगत होता है। यद्यपि यह कविता 1940 के पूर्व लिखी गई थी तथापि आज भी इनकी सार्थकता बनी हुई है और त्रासदी से

ग्रस्त जीवन की मूल्यवत्ता और जीवनी-शक्ति देने में सक्षम है। ऐसी ही रचना कालजयी कहीं जाती है और महाकाव्य की गरिमा रखती है। झरना को जीवन की सार्थक संज्ञा देकर सम्पूर्ण जीवन-दर्शन तथा जीवन मूल्य को कवि ने कितनी सफाई तथा कलात्मकता से विराट बिम्ब के रूप में खड़ा किया है वह देखते ही बनता है। कवि की उक्ति है-

यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है।

सुख-दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है।

कब फूटा गिरि के अनतर से किस अंचल से उतरा नीचे।

किन घाटों से बहकर आया, समतल में अपने को खींचे।

निश्चय ही सम्पूर्ण जीवन-प्रक्रिया को कवि ने कुशलता से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा किये बिना रहा नहीं जाता। यह भी सत्य है कि इस कविता के शब्दों में रस का स्रोत है क्योंकि ये शब्द समूह एक विस्तृत फलक पर जगत का अत्यन्त सत्य चित्र प्रस्तुत करने में सक्षम हैं और कला के दो महत्त्वपूर्ण तत्त्व प्रतीक और बिम्ब से सम्पन्न हैं। निम्न पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-

निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता रहता है।

धुन एक सिर्फ है चलने की अपनी मस्ती में गाता है।

बधा से रीझों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता।

बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन में मदमाता।

लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक नाविक तट पर पछताता है।

तब यौवन बढ़तजा है आगे निर्झर बढ़ता ही जाता है।

पाठक स्पष्ट देखता है कि जहाँ अधिकांश प्रगतिवादी कविता मार्क्स के सिद्धान्त से प्रभावित होने के कारण मुख्यतः सिद्धान्तबद्ध दृष्टि से ग्रस्त तथा काव्य की सरसता से वंचित रह जाती है और भाष में रूखड़ापन देखने को मिलता है और कुछ रचनाएँ घोर यथार्थ के नाम पर कुत्सित भाना से जर्जर होकर अरुचि पैदा करने लगती हैं वहाँ सच्च अर्थ में प्रतिशील कविताएँ मात्र रसात्मक ही नहीं होतीं, मानवता के लिए उदात्ता चेतना का अजस्र स्रोत सृष्टि सिद्ध होती हैं, विश्व को जीने की प्रेरणा देने वाली, शौर्य और निर्भीकता तथा प्रतिगामी शक्तियों की चुनौती स्वीकार करने की शक्ति देने वाली होती हैं और समग्र रूप में वे काव्य होती हैं, कोरा सिद्धान्त नहीं। मैं अपनी इसी कसौटी पर आरसी बाबू की 'जीवन का झरना' शीर्षक कविता को सच्चे अर्थ में महाकवि मानता हूँ, हिन्दी का यशस्वी प्रतिनिधि कवि मानता हूँ। कवि ने गूढ़ शाश्वत सत्य का उद्घाटन अत्यन्त प्रांजल, सरल-सहज और गौर्ण भाषा में किया है वह कवि की महान काव्य प्रतिभा का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ महाकवि की यह वाणी वर्तमान मानव समाज को ही नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी सतत् प्रोत्साहन,

* सहा. प्रोफेसर, हेमवती नंदन बहु. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी, प्रयागराज (उ.प्र.) भारत

जीवन्तता-प्राणवत्ता देने में समर्थ रहेगी। कवि ने मानव जीवन-दर्शन को कितनी साफगोई और सजीवता से प्रस्तुत किया है, इसके उदाहरणस्वरूप इसकी निम्न पंक्तियाँ ध्यातव्य ही नहीं, अविस्मरणीय हैं-

निर्झर में गति ही जीवन है, रुक जायेगी यह गति जिस दिन।

उस दिन मर जायेगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियाँ गिन-गिन।।

यह सत्य है, जिस दिन निर्झर की गति समाप्त हो जाती है उस दिन उसका जल सड़ने लगता है, वह अपनी निर्मलता और प्राण शक्ति (गति) खोकर, दीन-हीन बनकर अपना सौन्दर्य और आकर्षण खो बैठता है। मानव-जीवन भी निर्झर की ही तरह है। यह वहाँ से आया है और उसे किन परिस्थितियों और संघर्षों से जूझना पड़ेगा यह किसी को भी ज्ञात नहीं। जीवन के इस सहस्य को अब तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। और यह भी सत्य है कि जीवन कर्मयुक्त है। उसे सतत् गतिपूर्ण रहना पड़ता है अपने अस्तित्व की सार्थक उद्घोषणा के निमित्त। जिस दिन मानव की गति और क्रिया शीलता समाप्त हो जाती है उसी दिन वह हृदय में धड़कन रहने पर भी मृत प्राय हो जाता है और वह प्रतिगामी प्रवृत्ति का शिकार होकर समाज के लिए निरर्थक बन जाता है। कवि ने इसीलिए कहा है कि जीवन रूपी निर्झर की सुख और दुख दोनों कूलों से गुजरना प्राकृतिक विवशता है। अतः उससे भयभीत होना, कर्त्ताव्य भूलना बुद्धिमानी नहीं है। जीवन को यथार्थ रूप में, सही ढंग से समझकर विपत्तियों, संघर्ष और बाधाओं की आशंका के आतंक से मुक्त रहकर गतिशील रहना, जीवन और जगत के यथार्थ को अनुभव कर विश्वास और उत्साह और मस्ती में क्रियाशील रहना, निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होना ही मानव के यौवन का प्रमाण है। जिस प्रकार निर्झर की जीवन्तता का प्रमाण सदैव आगे बढ़ना है उसी प्रकार मनुष्य के लिए सतत अपने लक्ष्य की उपलब्धि के लिए कार्यरत रहना, गतिवादन रहना आवश्यक है। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रकृति अपने अनेक संकेतों और उपादानों से मानव-समाज को ज्ञान का आलोक और शिक्षा देती रहती है। यहाँ झरना का मानवीकरण भी कलात्मक शैली में करते हुए कवि ने लिखा है-

निर्झर कहता है बड़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर।

यौवन कहता है-बड़े चलो सोचो मत होगा कया चलकर।।

चलना है-केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है।

मर जाना है रुक जाना ही, निर्झर यह झर कर कहता है।।

प्रकृति मानव को अत्यन्त नैसर्गिक सत्य से निरन्तर अवगत कराता हुई कर्मठता को प्रेरणा देती है। इसे कौन अस्वीकार कर सकता है। रुकना तो मृत्यु को घोटक है ही। और यह भी स्पष्ट है कि जब तक मानव जीवित रहता है उसे कर्त्ताव्य करनी अनिवार्य होता है। स्पष्टतः 'जीवन का झरना' शीर्षक कविता छोटी होकर भी विराट क्षितिज को प्रस्तुत करने वाली विस्तृत फलक की रचना है जो महाकाव्यात्मकता से युक्त है। महाकवि आरसी प्रसाद सिंह की आलोचनात्मक रचना से कुछ साम्य रखती अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि 'लेसेल एवर क्रोम्बी' की कविता 'द स्ट्रीम सांग' है परन्तु क्रोम्बी की रचना में वह काव्यात्मक सौन्दर्य नहीं है जो आरसी बाबू की कविता में व्यंजित है। 'द स्ट्रीम सांग' में अभिधामूलक अर्थ ही प्रधान है, वह बिम्ब प्रस्तुत करने में भी सक्षम नहीं है। इसीलिए भंवरलाल जोशी ने अपना मत प्रकट करते हुए ठीक ही कहा है-आरसी बाबू की 'जीवन का झरना' शीर्षक रचना रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाली रचना है परन्तु क्रोम्बी की रचना 'द स्ट्रीम सांग' शान्ति के समय स्कृत मनोवेगों के फूट पड़ने वाला प्रवाह काव्य है। स्फूर्तिपरक, प्रेरणामूलक जीवनमयी कविताएँ, 'आरसी', 'पांचजन्य', 'जीवन और यौवन' तथा 'नयी दिशा' आदि संग्रहों में पर्याप्त संख्या में मिलती

हैं परन्तु मरे मतानुसार आरसी जी की 'जीवन का झरना' हिन्दी की एक अपूर्व तथा, अद्वितीय रचना है जिसमें कवि ने जीवन स्रोत का अमृत-सागर भर दिया है। यह सदैव सभी काल सभी युग में अमर रहने वाली लघु कविता है। आलोचक डॉ. रामचरण महेन्द्र की उक्ति सत्य ही है-'प्राचीनता के स्थान पर नवीनता का उन्मेष, कविता के अन्तरंग और बहिरंग में नूतन परिवर्तन, प्राकृतिक सौन्दर्य की चेतना, यौवन का उन्मद माधुर्य, कला की अपेक्षा जीवन को महत्ता, विश्व मानवता के प्रति लालक, राष्ट्रीय भावना का उग्र घोष, वीरत्व के वाह्य एवं आभ्यन्तर पक्ष की कलात्मक अभिव्यक्ति, जिज्ञासापूर्ण रहस्य भावना तथा प्रौढ़ दार्शनिकता- कवि आरसी प्रसाद सिंह का नाम लीजिए आपसी स्मृति में उनकी कविता के ये गुण अनायास ही हरे हो जायेंगे।'

किसी कृति के महाकाव्य होने के लिए उसे बृहताकार होना, पुरानी मान्यताओं पर खरा उतरना आवश्यक नहीं है प्रत्युत् जीवन की गहरी विवेचना कर गम्भीर जीवन मूल्य प्रतिष्ठित करने की क्षमता रखना, उदात्ता चेतना से आलोकान्वित रहना आवश्यक है। साथ ही उसकी भाषा में पारदर्शिता होना भी अनिवार्य है। अपनी मान्यता के अनुसार में इसे इसीलिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानवता हूँ क्योंकि यह आज के संतप्त, संकट ग्रस्त युग को उदात्ता भावना की मनोमुग्धकारी सुगन्ध से परिपूरित करने वाली मानवतावादी मूल्यों की सांस्कृतिक चेतना प्रदान करने वाली अमूल्य कृति है। इसी शिल्प की दृष्टि से भी प्रशंसा की जायेगी क्योंकि इसमें उत्तम अलंकारों का समुचित उपयोग है।

आरसी के काव्य में विभिन्न विचारधाराओं के अवलोकन के क्रम में यत्र-तत्र इनके स्वतः विरोधी विचारों के दर्शन होते हैं। कहीं तो सौन्दर्य इन्हें बाहुपाश में खींचता है तो कभी सुन्दरता की आवश्यकता को नकारते हुए ये जीवन की धारा में उच्छ्वलता को प्रश्रय देते हैं। कहीं गाँधी की अहिंसा और उदारता का प्रशास्ति-गायन है। तो कहीं लाल-क्रांति का आह्वान। 'अवसाद' में ये दुख की कामना करते हैं, परन्तु 'साकी' आदि रचनाओं में मौज-मस्ती की इच्छा उनके मन में कुल-बुलाती है। उपर्युक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए शायद श्री प्रताप साहित्यालंकार ने लिखा है- 'आरसी की विचारधारा का विकास किसी निश्चित दिशा की ओर नहीं हुआ है, क्योंकि वह किसी सिद्धांतविशेष को अपना लक्ष्य बनाकर आगे नहीं बढ़ा है। उसकी द्बन्दात्मक मानसिक स्थिति का प्रभाव उसकी विचारधारा पर भी पड़ा है किन्तु उसमें उलझन का अभाव है और क्रमशः प्रौढ़ तथा प्रांजल होती गई है।'

इस सम्बन्ध में श्री नवल किशोर गौड़ का कथन बड़ा उचित जंचता है- 'किसी आधुनिक कवि को किसी निश्चित जीवन-दर्शन की रेखाओं में बंधता न पाकर हम उससे क्षुब्ध हो सकते हैं। किन्तु हममें इतनी सहिष्णुता भी तो होनी चाहिए कि हम देखें कि धारणाओं की अनिश्चितता, मान्यताओं की अस्तव्यस्तता एवं प्रवृत्तियों की द्बन्दात्मकता के इस युग में उसी के अनुरूप किसी संश्लिष्ट काव्य-दर्शन की भी तो संभावना हो सकती है। आरसी के बारे में गौड़ जी का यह कथन पूर्णतः लागू होता है।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. केशव और उनका साहित्य, ले० डॉ० विजयपाल सिंह
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास : रामचन्द्र शुक्ल
3. आधुनिक हिन्दी काव्य पर - अरविन्द दर्शन का प्रभाव, ले० डी० कृष्णा शारदा, प्रकाशक- नागरी प्रचारिणी सभा, प्रथम संस्करण
4. काव्यकल्पद्रुम : प्रथम भाग (रस-मंजरी) : सेठ कन्हैयालाल पोद्दार : पंचम संस्करण

5. हिन्दी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति : सं. डॉ० नगेन्द्र, भूमिका
6. आधुनिक हिन्दी कविता में शिल्प-विधान : डॉ० कैलाश बाजपेयी
7. निराला की काव्यभाषा : डॉ० शिवशंकर सिंह : अनुपम प्रकाशन, पटना-6, प्रथम संस्करण
8. आधुनिक हिन्दी कविता में अलंकार विधान : अनुसंधान प्रकाशन, कानपुर
9. पाश्चात् समीक्षा : एक परिदृश्य : अनुपम प्रकाशन : पटना, प्रथम संस्करण।

Effect of Certain Plant Powders Against Adults of Lesser Grain Borer *Rhizopertha dominica* (Fab.)

Leena Shrivastava*

Introduction - Control of insects by insecticides has serious drawbacks, such as the development of resistant strain toxic residues worker's safety and increasing costs. In recent years several plants have been identified which can be used as safe and renewable sources of insecticide (Dethier 1947, Jacobson 1977; Singh and Pant 1980; Verma et al. 1980; Verma and Panday 1981) The present studies concern the potential use of *Argemone mexicana* leaf powder and *Madhuca indica* seed cake powder as grain Protectants for the control of adults of *Rhizopertha dominica* (Fab.).

Materials and Methods - The Plant Parts (Satyanashi leaves and mahua seed cakes) were shade dried and ground to powder. All the materials were passed through a domestic flour mesh. The experimental insects, *Rhizopertha dominica* (Fab.) were obtained from laboratory culture maintained on wheat seed, at the temperature of $31 \pm 2^\circ\text{C}$ and $70 \pm 5\%$ relative humidity. The various dosages of satyanashi leaf powder and mahua seed cake powder were weighed with the help of physical balance and the required quantity of satyanashi leaf powder and mahua seed cake powder was spread equally in petri dishes separately with the help of spatula. Twenty newly emerged adults were released in each petri dish where they remained in contact with these plants powders for 24 hours. Each petri dish was covered with muslin cloth and tied with rubber band then kept as such in suitable environmental conditions as above. Each treatment was replicated three times. The adult mortality was recorded after 24 hours.

Results and Discussion - The two plant powder viz *Argemone mexicana* leaf powder *Madhuca indica* seed cake powder were used against adults of *Rhizopertha dominica* (Fab.) The LD_{50} values of these two plant powders under present investigations have been found as follows –
Argemone mexicana leaf powder LD_{50} (02.9120),
Madhuca indica seed cake powder LD_{50} (26.3400).

It is evident from the above results that *Argemone mexicana* leaf powder was more toxic giving LD_{50} value 02.9120, while *Madhuca Indica* seed cake powder was less toxic giving LD_{50} value 26.3400

Table – 1 (See in next page)

Table – 2 (See in next page)

Table – 3 (See in next page)

Graph 1 & 2 (See in last page)

Summary - In the present investigations, two new and safer plant powders viz. *Argemone mexicana* leaf powder and *Madhuca indica* seed cake powder, were used for the control of noxious pest *Rhizopertha dominica* (Fab.) The controlled percentage mortality was found nil, so Abbott's formula has not been applied. The data collected was subjected to probit analysis (Finney 1952) for calculation of LD_{50} value. In the present work undertaken *Argemone mexicana* leaf powder was found more toxic and *Madhuca indica* seed cake powder was found less toxic on adults of *Rhizopertha dominica* (Fab.).

Acknowledgements- The author is grateful to Dr. C.D. Khandekar (Prof. of Entomology) and Dr. Surabhi Shrivastava (Prof. of Entomology) Zoology department kota for the keen interest they showed in this study.

References:-

1. Abbott, W.S. 1925. A method of computing the effectiveness of insecticides, *J. Econ. Ent.* 18 : 265-270
2. Dethier, V.G. 1947. *Chemical Insect Attractant and Repellents* Levis and co. London.
3. Finney D.I. 1952. *Probit Analysis* Cambridge University Press London. PP.318.
4. Jacobson, M. 1977. Isolation and identification of Toxic agents from plants *In. Host Plant Resistance* to pests (Hedin P.A. Ed.) p.153. A.C.S. Symposium series 62 American chemical society, Washington D.C.
5. Jacobson, M. 1983. Control of stored product insects with phytochemicals *Proc. 3rd Ind. Working conf. stored prod. Ent.* Manhattan USA Oct. 23-28 1983 : 183-185.
6. Jilani, G. and Su. H.C.F. 1983. Laboratory studies on several plant materials as insect repellents for protection of cereal grains *J. Econ. Ent.* 76 (1): 154-157.
7. Patel, K.P. and Valand, V.M. 1994. Bioefficacy of plant material against *Rhizopertha dominica* (Fab). Infesting stored wheat *Triticum aestivum* L. *Gujrat agr. Univ. Res.J.* 20(i) : 182-182.
8. Patel, K.P.: Valand, V.M. and Patel S.N. 1993. Powder

- of neem seed kernel for control of lesser grain borer (*Rhizopertha dominica*) in wheat (*Triticum aestivum*). *Ind J. Agr. Sci.* 63(i) : 754-755.
9. Singh, R.P. and Pant N.C. 1980 Lycorine a resistance factor in the plants of family *Amaryllidaceae* against desert Locust, *Schistocerca gregaria* F. *Ind. J. Ent.* 42 (3) :469-472.
 10. Verma, G.S; Pandey, U.K. and Mamta Pandey 1980. Response of some plant origin insecticides against insect pests of cruciferous vegetables, *Bagradacru-ciferarum* kirk (Hemiptera: Pentatomidae) *Journal of Advanced Zoology.* 1 (2) : 111-116.
 11. Verma, G.S. and Pandey, U.K. 1981. Studies on the effect of *Acoruscoloumus*. *Cimicifugafoetida*, *Gynandropsis gynandra* extracts against insect pests of cruciferous vegetables painted bug, *Bagradacru-ciferarum* kirk. (Hemiptera : Pentatomidae) *Zeitschrift fur angewandte Zoologie.* 68 (11) : 109-113.

Table – 1 : Preparation of Various Dosages of Plant Powders Against Adults of *Rhizopertha dominica*(Fab.)

S.	Name of Plant Powders	Final Ranges of Dosages (By weight)				
		I	II	III	IV	V
1.	<i>Argemone mexicana</i> leaf Powder	07.50	06.00	03.00	01.60	00.80
2.	<i>Madhuca indica</i> seed cake powder	50.00	31.90	24.00	16.60	12.00

Table – 2: Toxicity of Plant Powders to the Adults of *Rhizopertha dominica* (Fab.)


S.	Name of Plant Powders	Heterogeneity	Regression Equation	LD ₅₀	S _m
1	<i>Argemone mexicana</i> leaf powder	2.5758	Y = 2.1028x – 0.2844	02.9120	2.3934
2.	<i>Madhuca incdica</i> seed cake powder	2.0221	Y = 4.6257 – 5.4487	26.3400	1.0874

- In none of the cases the data were found to be significantly heterogeneous at P = 0.05
- Y = Probit Kill X = Log dosages S_m = Standard error LD₅₀ = Dose calculated to give 50% mortality


Table – 3: Details of Plant Powders

S.	Common Name	Botanical Name	Family	Part Used
1	Satyanashi	<i>Argemone mexicana</i>	Papaveraceae	Leaf Powder
2.	Mahua	<i>Madhuca indica</i>	Sapotaceae	Seed Cake Powder

Graph 1



Graph 2



Temples of Beneshwar Island

Dr. Nimesh Kumar Choubisa *

Introduction - Beneshwar is located about 60 kilometer in the east of Dungarpur headquarter, about 40 k.m. in the west of Banswara, and 116k.m. from Udaipur. The nearest bus station is in Sabla, at about 7 k.m. of distance from Beneshwar on Udaipur-Banswara-Dungarpur bus route.¹ Beneshwar is situated at the bank of Som and Mahi rivers confluence. Jakham river confluence with Som river near Devla Fata of Pratapgarh and Bhiloda of Dungarpur. Further about 22.85 k.m. flow, Som meets the river Mahi. Thus Beneshwar is known as "Triveni Sangam".²

This holy location is the place where trikalagy saint 'Mavji Maharaj' did their holy work. He has started much work to establish equality among various caste, and to demolish social malpractices on the land of Wagad (The ancient name of Dungarpur-Banswara state was "wagad").³

A big fair is held at Beneshwar annually from Magh Shukla Ekadashi to Magh Shukla Purnima. The fair is attended by thousands of people from far and nearby places. It is called "Maha kumbh of tribal's".

The temples of Beneshwar - The area of the island is 240 Beegha, which is considered the land of Mahadev mandir. In the days of provinces, the land was gifted to the temple so no revenue was collected. No documentation is found regarding this, probably due to this reason. In this 25 Beegha land has been given to Hari Mandir Beneshwar, among this only permission have been given for the construction of Brahma Mandir.⁴

1. Beneshwar Mahadev temple - Being a sangam, people used to drain bones here from a long time. Traditionally after draining people used to return after Dev-Darshan, but there wasn't any temple.⁵ Seeing this local believes Maharawal Aaskaran made a shiv temple here. Maharawal Aaskaran ruled Dungarpur from 1548-1580 A.D., the construction was done in this period only.⁶ In the Wagdi language, Van means a delta. The temple of Beneshwar is therefore, the temple of the master of delta. The linga in the temple is believed to be swayambhu or self-created. The linga stands five feet high and is split broken at the top in five parts.⁷

The scheme of Maharawal laxman Singh (Tenure 1918-47) was to distribute this fragment shivlinga in water and replace Maheshwar Mahadev shivlinga in its place. Maheshwar Mahadev shivlinga at present is in the Sabha-

Mandap of the Hazareshwar temple near Vaneshwar Mahadev in Dungarpur city. The process of upliftment of the said fragmented Shivlinga of Beneshwar was started on the 15th January 1945 AD on Monday. It was known that the shivalinga became square, this part was about one feet ten inches, below it also a square face more than one feet ten inches long was only. It's total length was Five feet two inches. Pandit and rajmistri called it sacred stone that name is 'Mahalinga' and opposed, it to flow in water. As a result, this fragmented shivalinga was re-established.⁸



Shape of shivalinga

2. Harimandir Beneshwar - The Harimandir Beneshwar is located just near the Baneshwar temple. It is constructed in Samvat 1850(1793AD) by Jankunwari, daughter-in-law of Mavji a highly revered saint of the area and believed that the temple is constructed on the spot where 'mavji' spent his time in meditation and devotion to the God.⁹ This temple is also called the temple of radha Krishna and Laxmi Narayana.¹⁰ Jankunvari Janpurush Maharaj had built this temple in the form of symbolism of all religion coordination. The main speciality of this temple is " its entrance gate is like that of jain temple, the idol of Radhakrishna, the dome of Buddhist style, tower and sabha-mandap of Islamic style, the mausoleum of Christian style to the right of Dome."

In the garbhagraha, the idol of height 3.5 feet made up of pareva stone is situated in standing position. To the left of this idol, the idol, the idols of four wives VakhanMata, ManuMata, RupaMata & ShauMata (whom he married in dream) made up of white khadiya stone. On the right, near to him, his daughter-in-law Jankunwari's idol, his son Udayanand ji Maharaj, and in the corner, his younger son Nityanand Maharaj is idols made up of white khadiya stone is situated. The garbhagrah is not so durative, instead of shikhar, a dome of brick, stone, and lime. Currently a big

temple is being constructed in replacing this old one.¹¹



Dome of Hari Mandir Beneshwar built in Buddhist style

3. Brahma Mandir- It is believed that after the establishment of this temple located in 25 beegha land of RadhaKrishna Temple; A saint, Akhandanand ji once dreamed that though Brahmaji is the kuldev and Ishtadev of Brahmins, there is no Brahma temple in Beneshwar, there are temples of Shiva and Vishnu. The time, when Rajasurya Yajna was performed by Raja bali, Brahmaji participated in it to see Vamanavatar, thus the place is holy to devotees. Hence, in Akhandanaji's dream, Brahmaji ordered him to build a Temple there.

So with the help of ShreeGaur brahamin's moral, economical, and physical support, the Brahma temple has been built there, on tapobhumi of saint Akhandanaji. At the time of vamanavatar, brahmaji has dwelled there, therefore the temple belongs to the Gaur Brahmins, but has been built in order to serve common purposes. Finally the temple was established on Vikram Samvat 1987, vaishakh Shukla¹²



Brahma Mandir Beneshwar

4. Other major temples - The Brahma temple was established in the name of preserving Brahamin existence, and in the ultimate longing to make other castes even existent, the land was allotted to several castes in Beneshwar by Pithod Shivanandji.

The temple was not built due to the lack of money. Then the Pithod of Sabla Shree Devanandji taught the lesson of unity to all castes in his time. He Inspired and encouraged by this, different communities gave Beneshwar a shape of place of worship. Here is a idol of panchamukhi Gayatri in the Gayatri temple next to the Brahma temple. The Valmiki temple built by the tribes in Vikram Samvat 2025 is situated on the hills behind the Beneshwar Shivalaya. There is a beautiful idol of Valmiki of height 3 feet. Near to this, a beautiful idol of devotee Shabari Mata is present. Garg Samaj has also constructed the temple of Saumata near Paglaji (*Charan*) of Saumata, wife of saint Maavaji.¹³

The way in which Saint Mavji promoted social unity in his tapobhumi, gave shape to chain of various temples in Beneshwar. These temples give the message of social unity and unity in diversity. Although these temple have been constructed by various communities but each & every person can visit these temple. which is specimen of social unity.

References:-

1. Rajasthan district Gazetteer, Dungarpur District, 1960AD chapter 19,Page 363
2. Purohit Mahesh, Beneshwar: Some-Mahisagar Sangam Tirth,2012 page4
3. Dungarpur, District Administration and Tourism department Dungarpur, Rajasthan Tourism, Page 19
4. Dr. Kruna Joshi, Beneshwar dham: Brahma mandir Brahmin utpatti evm vikas,2005 AD.Page23
5. Purohit Mahesh, Beneshwar: Some-Mahisagar Sangam Tirth,2012 page 5
6. Ojha Gori Shankar Hirachand ,History of Dungarpur State ,Vikram samvat 1992, Page 98,99
7. Rajasthan district Gazetteer, Dungarpur District, 1960AD chapter 19,Page 364
8. Purohit Mahesh, Beneshwar: Some-Mahisagar Sangam Tirth,2012 page 5,6
9. Bohra Dr.Mallika, Architecture of 18th Century: In special reference of Dungarpur state ,2013 Page 139,140
10. Purohit Mahesh, Beneshwar: Some-Mahisagar Sangam Tirth,2012 page 6
11. Bohra Dr.Mallika, Architecture of 18th Century: In special referece of Dungarpur state ,2013 Page 139,140
12. Joshi Dr. Kruna, Beneshwar dham: Brahma mandir Brahmin utpatti evm vikas,2005 AD. Page23 ,24
13. Purohit Mahesh,Beneshwar: Some-Mahisagar Sangam Tirth,2012 page 6

Capacity Building for Biodiversity Conservation: Human Rights and Constitutional Aspect

Dr. Jolly Garg* Dr. Shobha Gupta**

Key words- Educational and Awareness, Human Rights, Constitutional, Environment and biodiversity conservation.

Introduction- Many of the world's ecosystems have undergone significant degradation with negative impacts on biological diversity and peoples' livelihoods. The human civilization depends directly or indirectly upon this biodiversity for their very basic needs of survival i.e., food, fodder, fuel, fiber, fertilizer, timber, liquor, rubber, leather, medicines and several other raw materials. Biodiversity is also essential for the maintenance of Global Ecosystem. This biodiversity is the condition for the long term sustainability of the environment, continuity of life on earth and the maintenance of its integrity. 'Biological diversity' or biodiversity means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are a part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems. Biodiversity interconnects the biosphere and ecological services provided by ecosystem viz. Life support system of all living organisms including human race. Conservation of biodiversity includes the preservation of all species, flora and fauna, the enhancement of wildlife habitat, the control of wildlife problems and the sustainable use of forests and wildlife etc. Components of the Biodiversity are grouped into two categories namely fauna and flora. Fauna includes all the animals including human beings as genus *Homo sapiens*; flora includes all the living creatures belonging to category of Plant kingdom including viz. trees, herbs, shrubs, climbers, creepers. Deforestation has occurred in the tropics throughout history. About half of the world's tropical reserve forests are experiencing an alarming erosion of biodiversity, including some in the Indian terrain.

Capacity Building : The United Nations Development Programme's definition of capacity building is "a process that supports the initial stages of building or creating capacities and assumes that there are no existing capacities to start from". It thus follows that "capacity building can be threefold, as it is individual, organizational and systemic. It further accounts for developing technical and scientific knowledge and their relevant competencies." Used in this way, capacity building is the start of a process, that through

training and incremental construction of skills, knowledge and abilities, prepares an individual or an organization to better and more consistently deliver a particular task. UNDP's understanding of capacity development refers to "the process through which individuals, organizations and societies obtain, strengthen and maintain the capabilities to set and achieve their own development objectives over time." Here capacity is about growth, growth of the individual in knowledge, skills and experience. Understood in this way, capacity development is a perpetually evolving process of growth and positive change. The Convention on Biological Diversity (CBD) is an international legal instrument or agreement among countries based on natural and biological resources.

The CBD has three main objectives to protect biodiversity; to use biodiversity without destroying it; and, to share any benefits from genetic diversity equally. The Convention has 196 parties till 2016 including India: is the eleventh mega-biodiversity center in the world and the third in Asia with its share of ~11% of the total plant resources. The floral wealth of India comprises more than 47,000 species including 43% vascular plants. Nearly 147 genera are endemic to India.¹ The vast geographical expanse of the country has resulted in enormous ecological diversity, which is comparable to continental level diversity scales across the world. It has representation of twelve biogeography provinces, five biomes and three bioregions.² India, one of the twelve "Vavilovian Centers of Origin" and diversification of cultivated plants, is known as the 'Hindustan Centre of Origin of Crop Plants'.³ About 320 species belonging to 116 genera and 48 families of wild relatives of crop plants are known to have been originated in India.⁴ Although biodiversity plays an important role in ecosystem functioning, very little is known about the mechanism by which it influences ecosystem function at the landscape level.⁵ Human-driven land-use and land-cover change (LULCC) is one of the most important causes for depletion of biodiversity. Land-use (LU) and land-cover change (LULCC) have been reported to be the prime causes of biodiversity loss⁶ and have accounted for over 50% of the global biodiversity loss, and has thus gained global attention in the last century and decades.⁷⁻⁸ Due to

* Associate Professor And Head (Botany) D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.) INDIA

** Associate Professor and Head (Chemistry) D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.) INDIA

their influences both directly and indirectly on many of the environmental issues, such as loss of biodiversity, changes in bio-geochemical cycles viz. Oxygen, carbon, nitrogen etc., hydrological cycles, and climate change have taken place. LULCC also influences the change in composition of the natural flora of the region by introducing multiple edges, where edge species predominate that are better adapted to utilize the scarce nutrients, replacing the endemic species especially in the climax or sub-climax forest.⁹ A number of conceptual frameworks have been proposed to address the vulnerability of an ecosystem to change as a result of perturbation, shocks and stresses.¹⁰⁻
¹¹ These perturbations and stresses can both be human as well as environmental, and are affected by processes operating at scales larger than the event in question. Although ecosystems in general are resilient to occasional perturbations and stresses, if these persist over time, the type and quality of the system resistance changes and are potentially irreversible.¹²

Individual ethics may extend to any facet of existence about which there is some element of aspiration and interaction – and the fate of different types of forest is no exception. Forests relate to many different human aspirations – and since they occupy large land areas over significant periods of time multiplying the possibilities for interactions - it is no surprise that environmental ethics has been developed to govern human interactions relating to forests. The very terminology of words such as ‘need’ make our eyes cast down toward the ‘bare necessities’ of life. By way of contrast, more recent literature on ‘capabilities’ diverts our gaze towards higher possibilities, once subsistence needs are met, invoked with a language of freedom.¹³⁻¹⁴

Agricultural productivity and quality depends on nutrition of the plant. Plants need essential elements. These elements are carbon (C), hydrogen (H), oxygen (O), nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), sulfur (S), calcium (Ca), magnesium (Mg), boron (B), chlorine (Cl), copper (Cu), iron (Fe), manganese (Mn), molybdenum (Mo), nickel (Ni), and zinc (Zn). Use of fertilizers is one way to supply these nutrients. Fertilization increases efficiency and obtains better quality of product recovery in agricultural activities. It is one of the most important ways. The presence of heavy metals affects the plant growth . Excess fertilizers may lead to heavy metal accumulation. They can result in water eutrophication and accumulation of nitrate . Excessive phosphorus adversely affects water quality. Non-organic fertilizers mainly contain phosphate, nitrate, ammonium and potassium salts. Fertilizer industry is considered to be source of natural radionuclides and heavy metals as a potential source. It contains a large majority of the heavy metals like Hg, Cd, As, Pb, Cu, Ni, and Cu; natural radionuclide like U, Th, and Po . However, in recent years, fertilizer consumption increased exponentially throughout the world, causes serious environmental problems. Fertilization may affect the accumulation of heavy metals

in soil and plant system. Plants absorb the fertilizers through the soil, they can enter the food chain. Thus, fertilization leads to water, soil and air pollution.

Constitution of India: The 1972, Stockholm Declaration proclaimed that human’s natural and man-made environment are essential to well-being of human beings and to the enjoyment of basic human rights. Stockholm Conference (1972) stimulated the Indian Government to enact Amendment to the Constitution. Consequently Constitution was amended by 42nd Amendment Act, 1976 and Articles 48 A and Article 51 A (g) were inserted in the Constitution in order to support environmental protection and biodiversity conservation including the natural resources viz. forest, lake wild life etc. Article 48 (A): inter alia, provides ‘The State shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country’ i.e. protection and biodiversity conservation of the country. Article 51 : comprehended ‘The State shall endeavor to promote international peace and security; maintain just and honorable relations between nations; foster respect for international law and treaty obligations’. Article 51A (g) states ‘It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures’; to value and preserve the rich heritage of our composite culture; to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures; to safeguard public property and to abjure violence; to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. While Article 48-A comprehend to ‘environment’; Article 51-A (g) enjoins it as a fundamental duty of every citizen ‘to have compassion for living creatures’. Thus, protection and improvement of natural environment including biodiversity is the duty of the State (Article 51 A g) and every citizen (Article 48-A) by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976 to improve. In the Constitution of India; some important Provisions articles and acts for the Protection of Environmental and biodiversity conservation are Article 14; Article 19 (1) (g); Article 21; Article 48 (A); Article 51; Article 51 (A); Article 253 Indian Penal Code, 1860: Section 268 defined what is public nuisance. Abatement of public nuisance is also a subject of Section 133 to 144 of I.P.C.; only prohibitive provisions. Provisions mentioned in Section 269 to 278 emphasizes prosecution and punishment if there is violation of these provision. In India at present there are strong provisions aimed at protecting the environment from pollution and maintaining the ecological balance viz. Forest (Conservation) Act, 1980, amended 1988; The Indian Forest Act, 1927 ; The Biological Diversity Act, 2002 are the mile stones in the protection and conservation of biodiversity.

Human rights and Constitutional Approach: can contribute to biodiversity research and management. A

environmental rights-based approach places plant biodiversity and people at the centre of development: projects are based on the perceptions, needs, and legitimate claims of people. Many of the Millennium Development Goals were based on international human rights standards, particularly in the areas of health, so there is a substantial overlap in approach. Working to integrate rights into environment programming including biodiversity conservation will help to make interventions more focused on poor people, and will thus contribute directly to the first MDG on eradicating extreme poverty. Other examples of synergies can be found in the links between the right to. Lastly, environmental and biodiversity conservation through Human rights contribute directly to MDG 7 on ensuring environmental sustainability. In India at present there are strong provisions aimed at protecting the environment from pollution and maintaining the ecological balance viz. Forest (Conservation) Act, 1980, amended 1988; The Indian Forest Act, 1927 ; The Biological Diversity Act, 2002 are the mile stones in the protection and conservation of biodiversity. The Government of India monitoring various programmers and to educate the people and arouse their consciousness for the protection of environment. Department of Science and Technology, Department of Environment was established in 1980; after five years Government of India recognized the gravity and intensity of the biodiversity and environment conservation and to halt the depletion damage, disruption of different elements of ecosystem established the Ministry of Environment and Forests (MoER) which serves as the nodal agency for the planning, promotion, making of environment laws and their enforcement in India. Some important agencies which help the MoEF in carrying out environment related activities are Central Pollution Control Board; State Pollution Control Boards; State Departments of Environment; Union Territories (UT) Environmental Committees; The Forest Survey of India; The Wildlife Institute of India; The National forestation and Eco-development Board and The Botanical and Zoological Survey of India, etc.

This knowledge is a major contribution to a high degree of ownership of any measures undertaken to conserve the country's biodiversity within their region.

Educational and awareness approaches : As the loss of biodiversity is a serious ecological problem, biodiversity research and management are important components of current conservation biology. This paper describes Biodiversity is, like all scientific and environmental issues, partially a socially constructed problem. Case study and comparative multinational data suggest that the causes of biodiversity decline are largely socio-economic, and solutions will require educational and awareness approaches and can make several contributions to biodiversity research and management, including (1) a better understanding and management of habitat change; (2) improved research and decision-making methodologies; (3) development of a theoretical synthesis; and (4) analysis

of the social organization of conservation.

Father of Nation, Gandhi ji said nature can fulfill the need of all the human being but not the greed of a single human. To ensure conservation in space and time, one needs to have a strong strategy based on principles of Genetics, evolutionary biology and ecology. Raising awareness at all the levels of human population by Provisions of Constitution may also considered to be one of the best strategies to provide the paradigm to put our society on the path of sustainability. In the immediate future the country must plan to conservation of biological diversity, especially wild life, forest trees, animals and micro-organisms on land,

The implementation is very complex and requires multidimensional approach. All conservation efforts have to be directed to keep the biodiversity intact; halt the depletion and restore the biodiversity and is essential for the survival of human race itself. conservation; is the stakeholders must have a clear and uniform understanding of their rights, responsibilities and obligations under the Constitutional provisions.

The secrets of existence of life on earth and importance of every organism for mutual survival along with other creatures belong to the universe. today as the human civilization armed by the technological weapon, arrogant of his scientific knowledge and compelled by the above increasing greed for material achievements is systematically encroaching into the living rights of other life forms on earth by using, missing, exploiting and over- exploiting the finite and scares natural resources of Earth the common heritage upon which every living organism born on earth has a birth right. The secrets of existence of life on earth and importance of every organism for mutual survival along with creating belong to the universe.

Some common main threats to bio-diversity are over-exploitation of species; Unsustainable use of ecosystems and over-exploitation of biodiversity; Over-hunting or poaching of species, overfishing and over-harvesting of plant Products etc. These major reasons are behind biodiversity loss and can quickly lead to a decline in biodiversity. It is necessary in view of the challenges and threats in reference to resolve the challenges mentioned. human rights Indian Constitution The distribution of the resources of the world should be egalitarian as far as possible. All men are equal. For all there should be equal opportunities to compete for the comforts and riches of the world. The 'rights' of the environment and natural resources should take precedence over the right of individuals as they are linked to the welfare of the entire biosphere. Today as the human civilization armed by the technological weapon, arrogant of his scientific knowledge and compelled by the above increasing greed for material achievements is systematically encroaching into the living rights of other life forms on earth by using, missing, exploiting and over- exploiting the finite and scares natural resources of Earth the common heritage upon which every

living organism born on earth has a birth right. It is important to understand that nature is worshipped in India to acknowledge nature's powers and the bounties it provides. At all environmental literacy should be ensured to all human beings for their active participation in the practical implementation of environmental laws. Review and updating as well as proper implementation of the legislations is necessary in view of the challenges and threats in reference of biodiversity conservation.

Thus Public Interest Litigation (PIL) and other judicial technique have been instrumental in promotion of Sustainable development; by ensuring conservation of biodiversity. Review and updating & proper implementation of the legislations is necessary in view of the challenges mentioned. Such suits have played a significant role in enforcing constitutional provisions. Thus environment protection and biodiversity conservation along with the term human rights through provisions in constitution must go hand in hand.

The conservation of genetic diversity, both as a matter of insurance and as an investment necessary to sustain and improve agriculture, forestry and fisheries production; to keep future option open, as a buffer against harmful environmental changes, and as the new materials for scientific and industrial innovation and a matter of moral principle. Nature also follow Min max principle We humans must also follow the principle of minimalism and strictly avoid over- consumerism. It has become the need of the hour to expand and evolve approaches to twenty- first century to biodiversity and forest conservation' and to strictly follow the 'global-environmental ecosystem approach implementation'. There is a need of holistic understanding of the relationship between the environment and the development processes taking place in the world.

References :-

1. MPN.Hotspots of endemic plants of India. Thiruvananthapuram, Nepal and Bhutan.Tropical Botanical Garden and Research Institute.252 p; 1996.Available from: https://books.google.co.in/books/about/Hot_spots_of_endemic_plants_of_India_Nep.html?id=pSdFAQAIAAJ.
2. Cox CB, MP. Biogeography: an ecological and evolutionary approach. Oxford, UK: John Wiley& Sons Blackwell. Publications.1993. 326 p. Available from: <https://books.google.co.in/books?hl=en&lr=&id=RBcWCgAAQBAJ &oi=fnd&pg=PR11&dq=2.%09Cox+CB,+M oore+PD.+Biogeography:+an+ecological+and+evolutionary+approach+Blac kwell+Publications,+Oxford:+1993.+P.+326.&ots=WZfm3d uzrk&sig=rhHV4Wc6eVIV3r2ymli2eU6anHU>.
3. NI V. The origin, variation, immunity and breeding of cultivatedplants: Seletedwriting. New York: Ronald Press; 1951. Available from: [https://www.scirp.org/\(S\(lz5mqp453edsnp55rrjct55\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1697295](https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrjct55))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1697295).
4. Arora RK, NE. Wild relatives of crop plants in India. New Delhi: NBPGRSci.nationalBureau of Plant Genetic Resources;1984. Available from: http://www.cropwildrelatives.org/fileadmin/templates/cropwildrelatives.org/upload/documents/Wild_relatives_of_crops_plants_in_India_collection_and_conservation_Pandey_2005.pdf.
5. ChapinIII FS, Zavaleta ES, Eviner VT, Naylor RL, Vitousek PM, Reynolds HL, Hooper D.U., Lavorel S., Sala O.E.,Hobbie S.E., Mack M.C., Díaz S.Consequences of changing biodiversity. Nature. 2000;405(6783):234-42. doi: 10.1038/35012241, PMID 10821284.
6. Sala OE, Chapin F.S., Armesto J.J., Berlow E., Bloomfield J., Dirzo R., Huber-Sanwald E., Huenneke L.F., Jackson R.B., Kinzig A., Leemans R., Lodge D.M., Mooney H.A., Oesterheld M., Poff N.L., Sykes M.T., Walker B.H., Walker M., Wall D.H.Global biodiversity Scenarios for the year 2100. Science.2000; 287(5459):1770-4. doi:10.1126/science.287.5459. 1770, PMID 10710299.
7. HansenAJ, Knight R.L., Marzluff J.M., Powell S., Brown K., Gude P.H., Jones K.. EFFECTS OF EXURBAN DEVELOPMENT ON BIODIVERSITY: PATTERNS, MECHANISMS, AND RESEARCH NEEDS. EcolAppl. 2005;15(6):1893-905. doi: 10.1890/05-5221.
8. Rahdary V, Soffianian A, Najfabdai MS. KSJ and P. Land use and land cover change detection of Mouteh Wildlife Refuge using remotely sensed data and geographic information system. World ApplSci J. 2008;3:113-8.Available from: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.388.3208>.
9. Pielke R.A.Atmospheric science. Land use and climate change. Science.2005;310(5754):1625-6. doi: 10.1126/science.1120529, PMID 16339435.
10. Laurance WF, Delamônica P, Laurance SG, Vasconcelos HL, Lovejoy TE. Rainforest fragmentation kills big trees. Nature.2000;404(6780):836. doi: 10.1038/35009032, PMID 10786782.
11. Folke C, Carpenter S, Walker B, Scheffer M, Elmqvist T, Gunderson L, Holling C.S.Regime shifts, resilience, and biodiversity in ecosystemmanagement. Annu Rev EcolEvolSyst. 2004;35(1):557-81. doi: 10.1146/annurev.ecolsys.35.021103.105711.
12. Tilman D. Global environmental impacts of agricultural expansion: the need for sustainable and efficient practices. ProcNatlAcadSci U S A. 1999;96(11):5995-6000. doi: 10.1073/pnas.96.11.5995, PMID 10339530.
13. The decadalplan for LTER. Albuquerque, New Mexico, US Long Term Ecological Research Network (LTER). LTERnetworkofficepublicationseries.Available from: https://lternet.edu/wp-content/themes/ndic/library/pdf/reports/TheDecadalPlanReformattedForBook_with_citation.pdf. Vol.24; 2007.154 p.
14. Vitousek PM.Beyond globalwarming: ecology and globalchange.Ecology.1994;75(7):1861-76. doi: 10.2307/1941591.

NEP 2020 to Bridge Missing Academic Perspective in Higher Education in India

Dr. Mani Bansal* Dr. Anuj Kumar Agarwal**

Abstract - With the expansion of higher education across the globe, government of India has become increasingly interested in ensuring quality education. To ensure quality education Government of India has implemented the NEP (National Educational Policy) 2020, the first education policy of the 21st century and replaces the thirty-four year old National Policy on Education (NPE), 1986. NEP aims to transform India into a vibrant knowledge society and global knowledge superpower by making both school and college education more holistic, flexible, multidisciplinary, suited to 21st century needs and aimed at bringing out the unique capabilities of each student. Quality is an enigmatic notion, challenging the interpretations and implementation strategies of government agencies and tertiary institutions. As the excellence of education depends upon the quality of teachers, is one of the maxims' of Education Planning, we may therefore restate the noticeable fact that the teacher is the kingpin in an education system. In higher education, Research is a very important area of concern. Therefore quality control in Educational Research is an important and crucial need. Though everybody endorses the degradation in the quality of research, but no methodical attempt has been made to define the parameters that determine the quality of research. Present work attempts to discuss the parameters how to improve the quality of research in higher education.

Keywords- Research, University, Higher Education NEP 2020, Quality Agenda.

Introduction - Higher education is a major gadget for the development of a nation and it is considered as the peak stage of formal education. It includes greater specialization necessitated by rapid socio – economic and industrial development. Research is another major component of higher education in which the combined intellect of a group finds the solution to various social problems.

The university is the place where in down the corridor of time, right kind of leadership in all walks life and gifted youth in every field of excellence are identified and developed. Hence the universities have been originated which are committed to the pursuit for the propagation of knowledge. They have acted as agencies that disseminate cultural heritage, help to develop new thinking and to critically analyze the social life, ideals and values.

Kothari commission (1964 – 66) highlighted the need for a built – rigidity in the system of higher education and advocated for reaching reforms. Indian education needs a drastic modernization, almost a revolution. We need to introduce work experience as fundamental element of general education to improve quality of teachers at all level. Here apart from teaching, research and generation of information, the development and addition of the sphere of knowledge should also take place.

Universities help in preservation of our tradition and cultural heritage, refining it and communicating to the new

generation. It explores new knowledge and expands its frontiers. But now a day's universities have become a site of quantitative production rather than qualitative. Quality aspect is over – looked in our pre – occupation with quantitative expansion, while quantitative growth is vital from the angle of widening of access and remained important in its own right. The quality of any product can be quantified, measured and compared with other products. But it is difficult to measure the quality of education as it is a service.

Quality is a value; it is not a unitary concept. It is a manifold concept in higher education. It embraces the quality of inputs such as students, faculty members, the infrastructure and the process of education, covering learning events, extracurricular activities, community development events and the quality of the output, in terms of students and graduates. Therefore we must conscious of the fact that improvement of the quality of educational system is directly related to the education development inter connection which requires the educational system to be able to respond efficiently to the needs of the productive apparatus.

It is a well-known concept of educational planning that the quality of education depends upon the quality of good educators. No mater, even if suitable facilities are available, the education of the students becomes useless unless there educators who have the imagination and competence to

*Associate Professor, D.A.K. (P.G.) College, Moradabad (U.P.) INDIA
** Associate Professor, T.M.U., Moradabad (U.P.) INDIA

get the children to use them properly. The Education Commission (1964–66) has rightly mentioned” of all the different factors that influence the quality of education and its contribution to national development the quality competence and character of teachers are undoubtedly the most significant”, we may therefore restate the obvious fact that the teacher is the king pin in an educational system.

The U.G.C. started Academic Staff Colleges (ASC) during the seventh plan period an exclusive experiment possibly notified in any other university system in the world. Today, 48 such colleges are operational. They offer a 4 week orientation program for newly appointed teachers and run 3 week refresher courses for more experienced faculty members for updating them in their different areas of specialization. A large number of educators have received training through such institutions, but there is no proper follow – up for these courses. The campus critics think that these courses have not produced fruitful changes in the campus ethics as well as in the classroom climate of the concerned teachers. The UGC has several schemes for upgrading the professional competence of educators e.g., national fellowships, visiting associate ship, visiting professors, career awards and minor research projects. But only a few teachers have been promoted by such schemes.

Research is another burning area in higher education, which has increased immensely in various disciplines during the past few decades. It has taken new directions and identified new areas for investigation and exploration. But at the same time the quality in research has also suffered a lot. UGC has taken several steps to improve the quality of research work in the organization of higher education. It includes of raising the amount of money available to research scholars and upgrading of supervision and evaluation. Still there is an urgent need that the research agencies in the country to set up a common mechanism to ensure employment of all those receiving the research degree. Such incentives may attract the best brains in the research. Further updating of books, journals, equipment and human resources are essential for the improvement and high quality research.

There has been an endless debate as to whether a university should focus on teaching or undertaken both teaching and research. In India universities are expected to do both. The research revealed that globally the teaching faculty is not interested in both teaching and research. It has to be accepted that though the universities has two basic responsibilities those of discovery of knowledge (research) and dissemination of knowledge (teaching) both can't be completely discharged simultaneously.

To bridge the gap of Research and Quality Education for employability of the stakeholder, Government of India drafted NEP 2020. The salient features of this policy concern to higher education are as follows –

Increase GER to 50 % by 2035: NEP 2020 aims to increase the “**Gross Enrolment Ratio**” in higher education including

vocational education from 26.3% (2018) to 50% by 2035. 3.5 Crore new seats will be added to Higher education institutions.

Holistic Multidisciplinary Education: The policy envisages broad based, multi-disciplinary, holistic Under Graduate education with flexible curricula, creative combinations of subjects, integration of vocational education and multiple entry and exit points with appropriate certification. UG education can be of 3 or 4 years with multiple exit options and appropriate certification within this period. For example, Certificate after 1 year, Advanced Diploma after 2 years, Bachelor's Degree after 3 years and Bachelor's with Research after 4 years.

An Academic Bank of Credit is to be established for digitally storing academic credits earned from different HEIs so that these can be transferred and counted towards final degree earned.

Multidisciplinary Education and Research Universities (MERUs), at par with IITs, IIMs, to be set up as models of best multidisciplinary education of global standards in the country.

The National Research Foundation will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education.

Regulation: Higher Education Commission of India(HECI) will be set up as a single overarching umbrella body the for entire higher education, excluding medical and legal education. HECI to have four independent verticals - National Higher Education Regulatory Council (NHERC) for regulation, General Education Council (GEC) for standard setting, Higher Education Grants Council (HEGC) for funding, and National Accreditation Council(NAC) for accreditation. HECI will function through faceless intervention through technology, & will have powers to penalise HEIs not conforming to norms and standards. Public and private higher education institutions will be governed by the same set of norms for regulation, accreditation and academic standards.

Rationalized Institutional Architecture: Higher education institutions will be transformed into large, well resourced, vibrant multidisciplinary institutions providing high quality teaching, research, and community engagement. The definition of university will allow a spectrum of institutions that range from Research-intensive Universities to Teaching-intensive Universities and Autonomous degree-granting Colleges.

Affiliation of colleges is to be phased out in 15 years and a stage-wise mechanism is to be established for granting graded autonomy to colleges. Over a period of time, it is envisaged that every college would develop into either an Autonomous degree-granting College, or a constituent college of a university.

Motivated, Energized, and Capable Faculty: NEP makes recommendations for motivating, energizing and building capacity of faculty. NEP has clearly defined, independent, transparent recruitment, freedom to design curricula/

pedagogy, incentivizing excellence, movement into institutional leadership. Faculty not delivering on basic norms will be held accountable.

Teacher Education: A new and comprehensive National Curriculum Framework for Teacher Education, NCFTE 2021, will be formulated by the NCTE in consultation with NCERT. By 2030, the minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed. degree. Stringent action will be taken against substandard stand-alone Teacher Education Institutions (TEIs).

Mentoring Mission: A National Mission for Mentoring will be established, with a large pool of outstanding senior/retired faculty – including those with the ability to teach in Indian languages – which would be willing to provide short and long-term mentoring/professional support to university/college teachers.

Financial support for students: Efforts will be made to incentivize the merit of students belonging to SC, ST, OBC, and other SEDGs. The National Scholarship Portal will be expanded to support, foster, and track the progress of students receiving scholarships. Private HEIs will be encouraged to offer larger numbers of free ships and scholarships to their students.

Open and Distance Learning: This will be expanded to play a significant role in increasing GER. Measures such as online courses and digital repositories, funding for research, improved student services, credit-based recognition of MOOCs, etc., will be taken to ensure it is at par with the highest quality in-class programs.

Online Education and Digital Education: A comprehensive set of recommendations for promoting online education consequent to the recent rise in epidemics and pandemics in order to ensure preparedness with alternative modes of quality education whenever and wherever traditional and in-person modes of education are not possible, has been covered. A dedicated unit for the purpose of orchestrating the building of digital infrastructure, digital content and capacity building will be created in the MHRD to look after the e-education needs of both school and higher education.

Technology in education: An autonomous body, the National Educational Technology Forum (NETF), will be created to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning, administration. Appropriate integration of technology into all levels of education will be done to improve classroom processes, support teacher professional development, enhance educational access for disadvantaged groups and streamline educational planning, administration and management

Promotion of Indian languages: To ensure the preservation, growth, and vibrancy of all Indian languages, NEP recommends setting an Indian Institute of Translation and Interpretation (IITI), National Institute (or Institutes) for Pali, Persian and Prakrit, strengthening of Sanskrit and all language departments in HEIs, and use mother tongue/local language as a medium of instruction in more HEI programs.

Internationalization of education will be facilitated through both institutional collaborations, and student and faculty mobility and allowing entry of top world ranked Universities to open campuses in our country.

Professional Education: All professional education will be an integral part of the higher education system. Stand-alone technical universities, health science universities, legal and agricultural universities etc. will aim to become multi-disciplinary institutions.

Adult Education: Policy aims to achieve 100% youth and adult literacy.

Financing Education: The Centre and the States will work together to increase the public investment in Education sector to reach 6% of GDP at the earliest.

Thus it can be concluded that higher education must have the following characteristics to make it productive and meaningful–

1. Research should focus to create new knowledge, not only for doctorate degree.
2. Self-appraisal, peer group, student etc., should be used as a technique for valuation of teachers.
3. Autonomous colleges and divisions should be opened for the enhancement of higher education quality and redesign of courses.
4. Educators serve as facilitators making their abilities and knowledge available to help students move towards their own learning goals.
5. Unless the quality aspect is not taken care of the 'malady' that exists now in higher education would never be eliminated.

Implementation of NEP 2020 can bridge all the gaps in higher education and research.

References:-

1. Kothari commission report, 1966, 648 - 49.
2. Government of India, 1992, Programme of action – National Policy of Education, 1986, New Delhi, MHRD.
3. R. S. Trivedi, Indian Education and Educators by 2000 A.D.; University News, 31(24), 3, 1993.
4. K. B. Powar, Global Perspective of Higher Education, University News, 1998.
5. <https://vikaspedia.in/education/policies-and-schemes/national-education-policy-2020>.

On Some Properties of mMtric F- Structure Satisfying

$$F^{k+1} + F^k = 0$$

Lakhan Singh* Devendra Pal**

Abstract - In this paper we have studied various properties of the F – Structure satisfying $F^{k+1} + F^k = 0$. Where k is odd postive integer. Nijenhuis tensor, metric F-Structure, Kernel, Tangent and normal vectors have also been discussed.

Keywords- Differentiable manifold, projection operators Nijenhuis tensor, and Metric.

1. Introduction - Let V_n be a differentiable manifold of class C^∞ and F be a $C^\infty(1,1)$ tensor defined on V_n such that

$$(1.1) F^{k+1} + F^k = 0, \text{ k being odd positive integer.}$$

We define the operators l and m on V_n by

$$(1.2) l = -F^k, m = l + F^k$$

from (1.1) and (1.2) we get

$$(1.3) l + m = l, l^2 = l, m^2 = m, lm = ml = 0,$$

$F^k l = l F^k = F^k, F^k m = m F^k = 0$ where l denotes the identity operator.

Theorem(1.1) : If rank ((F)) = n ,then

$$(1.4) l = l, m = 0$$

Proof From the fact

$$(1.5) \text{rank} ((F)) + \text{nulity} ((F)) = \dim V_n = n$$

Thus

$$(1.6) \text{Nulity} ((F)) = 0 \Rightarrow \ker((F)) = 0$$

Thus

$$FX = 0 \Rightarrow X = 0$$

Then $FX_1 = FX_2$

$$\Rightarrow F(X_1 - X_2) = 0$$

$$\Rightarrow X_1 = X_2, \text{ or F is 1-1,}$$

Moreover V_n being finite dimensional F is onto also and hence F is invertible operator and hence $(F^k)^{-1}$ exists .

Operating by $(F^k)^{-1}$ on

$$F^k l = l F^k = F^k, \text{ and } F^k m = m F^k = 0 \text{ we get (1.4).}$$

Theorem (1.2) Let the (1,1) tensors p, q, α , β , γ

and δ be defined by

$$(1.7) p = m + F^k, q = m - F^k$$

$$\alpha = l + F^k, \beta = l - F^k$$

$$\gamma = l - F^k, \delta = m + F^k,$$

then we have

$$(1.8) p^2 = l = q, \alpha = 0, \beta^n = 2^n l$$

$$\gamma = 2l, \gamma\delta = -2l, \gamma + \gamma\delta = 0$$

Proof : Using (1.2) and (1.3) in (1.7) we get (1.8) .

2. Nijenhuis tensor: Let N_F, N_l, N_m denote the Nijenhuis Tensor corresponding to operators F, l and m respectively.

Then

$$(2.1) N_F(X, Y) = [FX, FY] + F^2[X, Y] - F[FX, Y] - F[X, FY]$$

$$(2.2) N_l(X, Y) = [lX, lY] + l^2[X, Y] - l[lX, Y] - l[X, lY]$$

$$(2.3) N_m(X, Y) = [mX, mY] + m^2[X, Y] - m[mX, Y] - m[X, mY]$$

Theorem (2.1) For the structure F satisfying (1.1), we have

$$(2.4) N_F^k(mx, my) = l[mX, mY] = N_l(mX, mY)$$

$$(2.5) mN_l(mX, mY) = lN_m(lX, lY) = 0$$

$$(2.6) N_m(mX, lY) = 0 = N_l(lX, mY)$$

Proof : Using (1.2), and (1.3) in (2.1), (2.2) and (2.3) we get (2.4), (2.5) and (2.6).

3. Metric F – Structure: Let the Riemannian metric g be such that

$$(3.1) 'F(X, Y) = g(FX, Y) \text{ and let ' F is skew symmetric, then}$$

$$(3.2) g(FX, Y) = -g(X, FY) \text{ then } \{F, g\} \text{ is called metric F - structure}$$

Theorem (3.1) With the Structure F satisfying (1.1) we have

$$(3.3) g(F^k X, F^k Y) = (-1)^k [g(X, Y) - 'm(X, Y)] \text{ where}$$

$$(3.4) 'm(X, Y) = g(mX, Y) = g(X, mY)$$

Proof : Using (1.1), (1.3), (3.2) and (3.4) we have

$$g(F^k X, F^k Y) = (-1)^k g(X, F^{2k} Y)$$

$$= (-1)^k g(X, lY)$$

$$= (-1)^k g(X, (l - m)Y)$$

$$= (-1)^k [g(X, Y) - g(X, mY)]$$

$$= (-1)^k [g(X, Y) - 'm(X, Y)]$$

Theorem (3.2) : The metric F - structure $\{F, g\}$ is not unique.

Proof : let us define

$$(3.5) \mu F = F\mu, 'g(X, Y) = g(\mu X, \mu Y) \text{ then}$$

Using (1.1), (1.2), (1.3) and (3.5), we get

$$(3.6) \mu F^{k+1} = F^{k+1} \mu$$

$$= -F^k \mu$$

$$= -\mu F^k$$

$$\Rightarrow F^{k+1} + F^k = 0$$

$$\text{Also } 'g(F^k X, F^k Y) = g(\mu F^k X, \mu F^k Y)$$

$$= g(F^k \mu X, F^k \mu Y)$$

$$= (-1)^k g(\mu X, F^{2k} \mu Y)$$

*Department of Mathematics, D.J. College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA

**Department of mathematics, Govt.PG college,khair, Aligarh (U.P.) INDIA

$$\begin{aligned}
 &= (-1)^k g(\mu X, \mu Y) \\
 &= (-1)^k g(\mu X, (I - m) \mu Y) \\
 &= (-1)^k [g(\mu X, \mu Y) - g(\mu X, m\mu Y)] \\
 &= (-1)^k [g(X, Y) - m(X, Y)]
 \end{aligned}$$

4. Kernel, Tangent and Normal Vectors we have

- (4.1) $\text{Ker } F = \{ X : FX = 0 \}$
- (4.2) $\text{Tan } F = \{ X : FX \parallel X \text{ or } FX = \lambda X \}$
- (4.3) $\text{Nor } F = \{ X : g(X, FY) = 0, \forall Y \}$

Theorem (4.1) With F satisfying (1.1)

- (4.4) $\text{Ker } F^k = \text{Ker } F^{k+1}$
- (4.6) $\text{Tan } F^k = \text{Tan } F^{k+1}$
- (4.6) $\text{Nor } F^k = \text{Nor } F^{k+1}$

Proof Using (1.1), (4.1) (4.2) and (4.3) we get the result.

References:-

1. A Bejancu: on semi invariant submanifolds of almost contact metric manifold. An Stiint University, A.I.I. Cuza "Lasi Sec. Ia Mat (Supplement) 1981, 17-21.
2. B. Prasad: Semi-invariant sub manifold sofa Lorentzian Para-sasaki an manifold, Bull Malaysian Math. Soc (secondseries) 21 (1988) 21-26
3. F. Careres: Linear invariant of Riemannian product manifold, Math Proc. Cambridge Phil. Soc 91 (1982), 99-

106

4. Endo Hiroshi: On invariant sub manifolds of contact metric manifolds, Indian J. Pure Appl. Math 22(6) (June 1991), 449-453.
5. H.B. Pandey & A. Kumar: Anti-invariant some manifold of almost para contact manifold. Prog of Maths Volume 21(1): 1987.
6. K. Yano: On a structure defined by a tensor field of the type (1,1) satisfying $f_3 + f = 0$. Tensor N.S., 14(1963), 99-109
7. R. Nivas & S. Yadav: On CR-structure and $F(2v+3, 2)$ -HSU-structure satisfying $F^2v+3+rF^2=0$, Acta Cientificas Indica, Volume XXXVIII, No. 4, 645(2012).
8. Abhishek Singh, Ramesh Kumar Pandey & Sachin Khare: On horizontal and complete lifts of (1,1) tensor fields F satisfying the structure equation $F(2k+S, S)=0$. International Journal of Mathematics and soft computing. Vol. 6, No. 1(2016) 143-152, ISSN 2249-3328.
9. Lakhan Singh : on the cyclic group related to the F -structure equation $\sum_{k=1}^p F^k = 0$ Naveen Shodh Sansar oct to Dec 2020. E - journal vol I , Issue XXXII , ISSN 2320 - 8767

कोविड- 19 में बढ़ती घरेलू हिंसा का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

अनिता टॉक* डॉ. एच. एन. व्यास**

शोध सारांश - कोविड- 19 ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। समस्त तकनीकी-विकास, अनावश्यक होड़ व प्रतिस्पर्द्धा आदि विचारों का स्थान मितव्ययता, सहनशीलता आदि ने ग्रहण कर लिये। कोविड- 19 ने नये सामाजिक प्रतिमानों जैसे लॉकडाउन, सामाजिक दूरी, क्वारेण्टाईन आदि को विकसित किया। 24 घण्टे पति-पत्नी की साथरहने की विवशता, बच्चों व पति की खाने की फरमाईशों को पूर्ण करना, ससुराल के सदस्यों की सेवा करने आदि अनेक कारणों ने कोविड- 19 में घरेलू हिंसा को तेजी से बढ़ाया।

प्रस्तुत शोध पत्र में कोविड- 19 के दौरान महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के मामलों में बेतहाशा वृद्धि के कारणों को जानने का प्रयास किया गया है। साथ ही कोरोना में हिंसा से निपटने के लिए किये गये प्रयासों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

चूंकि कोविड- 19 में घरेलू हिंसा के मामलों के सम्बन्ध में कोई बहुत अधिक साहित्य उपलब्ध नहीं है। अतः विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं व नेट पर उपलब्ध सामग्री को द्वितीयक तथ्यों के रूप में प्रयोग किया गया। प्रस्तुत शोध कोरोना काल में महिलाओं के साथ बढ़ती घरेलू हिंसा व उत्पीड़न के कारणों व उपायों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण का एक लघु प्रयास है।

शब्द कुंजी - घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, कोविड- 19, सोशल डिस्टेन्स, लॉकडाउन।

प्रस्तावना - कोविड- 19 वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व के अस्तित्व के सामने संकट खड़ा कर दिया था। उच्चतम तकनीक के बड़े-बड़े बम, अणु बम, परमाणु बम आदि सब हथियार इस बीमारी के वायरस के आगे बेअसर हो गये। विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र कोई भी इस बीमारी से अछूते नहीं रह पाये। सब इस महामारी के आगे नतमस्तक हो गये। इस बीमारी ने न सिर्फ लाखों लोगों की जान ली अपितु समाज में लोगों के व्यवहार के नये मानदण्ड विकसित किए। जैसे सामाजिक-दूरी व लॉकडाउन। यद्यपि यहाँ 'सामाजिक-दूरी' शब्द के स्थान पर 'शारीरिक दूरी' प्रत्यय अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें शारीरिक निकटता पर प्रतिबन्ध था नकि सामाजिक सम्पर्क पर, मोबाईल, फेसबुक, व्हाट्सएप्प आदि के माध्यम से सामाजिक सम्पर्क तो कायम था। कोविड- 19 की इस महामारी के इन प्रभावों के साथ ही एक और बुरा प्रभाव यह था कि स्त्रियों के लिए इसने समस्याएँ और बढ़ा दी। इस अवधि में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के मामले बहुत तेजी से बढ़ गये। 22 मार्च 2020 से 3 मई 2020 तक के सम्पूर्ण लॉकडाउन ने स्त्रियों की परेशानियों को और भी बढ़ा दिया। सामाजिक दूरी और लॉकडाउन के कारण स्त्रियों के साथ और भी अधिक घरेलू हिंसा व उत्पीड़न हुआ।

राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान देशभर में महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के मामले दुगुने हो गये। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा व उत्पीड़न के प्रकरण बहुत बढ़ गये। विभिन्न सर्वेक्षणों और अध्ययनों द्वारा भारत में कोविड- 19 विपदा के दौरान व इसके बाद में घरेलू हिंसा के मामलों की जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न किये गये। कोविड- 19 में राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2-8 मार्च तक स्त्रियों के खिलाफ होने वाली हिंसा के 116 मामले थे जो अन्तिम सप्ताह 23 मार्च से 1 अप्रैल तक 257 हो गये थे।

राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्न आँकड़े प्रस्तुत किये गये -

क्र.	मामलों के प्रकार	प्रथम सप्ताह (2-8 मार्च)	अन्तिम सप्ताह (28 मार्च से 1 अप्रैल)
1	बलात्कार	02	13
2	गरिमापूर्ण जीने के अधिकार संबंधी शिकायतें	35	77
3	स्त्रियों की शिकायतों के प्रति पुलिस की उदासीनता	06	16

भारत में कोविड- 19 के दौरान विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित घरेलू हिंसा की रिपोर्ट की संख्या काफी बढ़ गई जो यह इंगित करता है कि इस वैश्विक महामारीने स्त्रियों की स्थिति को और भी नुकसान पहुँचाया।

विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित घरेलू हिंसा की रिपोर्ट

माह	द हिन्दू	टाईम्स ऑफ इण्डिया	दैनिक जागरण
मार्च	4	04	09
अप्रैल	33	22	11
मई	10	18	15
जून	14	09	13
जुलाई	01	02	06

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि मार्च माह में घरेलू हिंसा की प्रकाशित रिपोर्ट्स की संख्या अगले माहों में कई गुना बढ़ गई।

जब हम इन आँकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि कोविड- 19 ने पूरे विश्व में महिलाओं के प्रति अपराध, हिंसा व उत्पीड़न में वृद्धि की है। इस समय स्त्रियों पर दोहरी मार यह रही कि एक ओर तो उनपर पारिवारिक

* सहा. आचार्य (समाजशास्त्र) राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत
** सह आचार्य (समाजशास्त्र) मा.ला.व. राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.) भारत

जिम्मेदारियों का बोझ तो बढ़ा ही, उन्हें हिंसा व उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ा। जिसके कारण पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत में भी इस महामारी ने नारी की समस्याओं को और बढ़ा दिया। परिवार के किसी सदस्य को कोरोना होने पर तो महिला पर काम का भार और बढ़ गया। मानसिक तनाव व पारिवारिक कलह भी बढ़ी जिससे घरमें तनाव व हिंसा का वातावरण तैयार हुआ। इसीलिए इन परिस्थितियों को देखते हुए ही राजस्थान में वन स्टॉप सेन्टर, (सखी केन्द्र) जैसे 12 केन्द्र शुरू किये गये। कोरोना काल के दौरान महिलाओं के प्रति बढ़ती घरेलू हिंसा के कारणों की बात करें तो निम्न कारण सामने आते हैं-

1. सामाजिक दूरी व लॉकडाउन की पालना के कारण व्यक्ति घर पर कैद होकर रह गया व परिवार की नजरों के सामने रहने लगा। ऐसे समय में मानसिक कुण्ठा, उबाऊपन से भी व्यक्ति चिड़चिड़ा व उग्र बन गया, जिसके कारण पत्नी व बच्चों के प्रति उसका व्यवहार हिंसक हो गया। लम्बी अवधि तक घर में कैद रहने की छटपटाहट व अकुलाहट से उद्देलित होकर उसने अपनी कुण्ठा स्त्री के साथ घरेलू हिंसा के माध्यम से प्रदर्शित करना शुरू कर दिया।
2. लॉकडाउन के दौरान अनेकों लघु उद्योग धंधे व फुटकर रोजगार ठप्प हो गये थे। अतः रोजगार छिनने से एक ओर तो आर्थिक संकट ने व्यक्ति को असहाय बना दिया दूसरे भविष्य की चिन्ता के तनाव में पति-पत्नी के मध्य पारिवारिक कलह बढ़ने लगी जिससे घरेलू हिंसा के मामले बढ़े।
3. लॉकडाउन के समय सामाजिक दूरी की पालना के तहत स्त्री व परिवारजन से अलग रहने के कारण लोगों का सामाजिक सम्पर्क समाप्त साहो गया। जिससे व्यक्ति घर पर अपनी ऊब खत्म करने के लिए मोबाईल व सोशल मीडिया का अधिक प्रयोग करने लगा। लम्बे समय तक पति पत्नी के मोबाईल पर बात करने से भी घर में झगड़े का वातावरण बना। घर के बाहर दोस्तों व रिश्तेदारों से मिलने से व्यक्ति का मनोरंजन व समय हंसी-मजाक में व्यतीत हो जाता था। जिससे वह प्रसन्नचित्त रहता था। कोरोना ने इसे खत्म कर दिया, जिससे तनाव व हिंसा बढ़ने लगी।
4. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जब स्त्री-पुरुषों को रोजगार मिलता रहता है तो घरेलू हिंसा में कमी होती है क्योंकि पति-पत्नी के बीच वार्तालाप कम हो जाता है, जिससे बहस व अनावश्यक झगड़े व विवाद नहीं होते हैं। कोरोना के दौरान स्त्री-पुरुषों के रोजगार छूटे तो पारिवारिक कलह बढ़ी जिसने घरेलू हिंसा को भी बढ़ाया।
5. लॉकडाउन में बच्चों के स्कूल, पार्क आदि बन्द हो गये थे, जिससे बच्चे दिन भर घर पर रह कर खेल-कूद व शोरगुल मचाने में लगे रहते। इस अनावश्यक शोरगुल, उनकी बाल सुलभ जिद्द आदि के कारण भी पति-पत्नी में कई बातों पर झगड़े होते, जिन्होंने घरेलू हिंसा को बढ़ावा दिया।
6. कोरोनामें लॉकडाउन की मजबूरी के कारण पति-पत्नी 24 घंटे घर पर एक साथ रहने लगे, जिसके कारण विवाहेतार सम्बन्धों में लिप्त होने का शक, ससुराल वालों की देखभाल न करना, बच्चों की ठीक से देखभाल न करना, स्वादिष्ट खाना न बनाना, लम्बे समय तक मोबाईल पर बतियाने आदि को लेकर अनेक बातों ने घरेलू हिंसा में वृद्धि की।
7. कोरोना के समय स्वयं व पति के काम धन्धें या रोजगार पर न जाने से महिलाओं पर अतिरिक्त भार बढ़ गया। पूरे दिन घर बैठे पति व बच्चों की इच्छाओं और फरमाईशों को पूरा करना, बच्चों को ऑनलाईन करना कक्षाओं के अनुसार पढ़ाई करवाना, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाना आदि कार्य करते-करते महिलाएं थक जाती, ऐसे में पति की योन-इच्छाओं की पूर्ति न

कर पाने से महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता। उपर्युक्त में से किसी भी कार्य की पूर्ति न होना, उसमें चूक होना घरेलू हिंसा के लिए पर्याप्त। सामाजिक दूरी के नियम के चलते पुरुष को यह भय नहीं था कि पत्नी कहीं से मदद या सुरक्षा की गुहार लगा पाएगी। साथ ही स्त्री घर से निकलकर अपने किसी रिश्तेदारों के यहाँ भी सुरक्षा नहीं पा सकेगी। इस निडरता ने पति को घरेलू हिंसा के अनुकूल माहौल प्रदान कर दिया जिससे घरेलू हिंसा के प्रकरणों में वृद्धि होती गई।

उपर्युक्त कारणों पर दृष्टिपात के बाद हम कोविड-19 के दौरान महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति और कारणों को विस्तार से जान व समझ पाते हैं। हम देखते हैं कि एक संक्रामक रोग ने सिर्फ पीड़ित व्यक्ति के शरीर को ही पीड़ा नहीं पहुँचाई अपितु महिला के हृदय को भी छलनी किया है। पूरे विश्व में इस संक्रामक महामारी के साथ-साथ घरेलू हिंसा व उत्पीड़न के मामले बढ़ना इस बात की और संकेत करते हैं कि कोरोना महामारी महिलाओं के लिए एक अभिशाप बन कर आई। कोरोना काल में महिला उत्पीड़न व घरेलू हिंसा को देखते हुए पूरे विश्व समेत भारत में कई संगठनों, केन्द्रों का निर्माण व विभिन्न योजनाओं का परिचालन किया गया, जिससे घरेलू हिंसा व उत्पीड़न से स्त्रियों को राहत मिल सके।

कोविड - 19 महामारी के सन्दर्भ में स्त्रियों और बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि को समाप्त करने के लिए, अप्रैल 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सभी सरकारों VAWG वायलेन्स अगेन्स्ट वुमेन श्रिवियंस के उन्मूलन और निवारण को कोविड के लिए अपनी राष्ट्रीय योजनाओं का मुख्य भाग बनाने का अनुरोध किया। 146 सदस्य देशों और पर्यवेक्षकों ने इस अपील का मजबूत समर्थन किया। महासचिव की अपील पर महासचिव की कार्यकारी समिति ने कोविड-19 के तहत लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए प्रतिबद्धता और कार्यवाही को सुगठित करने के लिए सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के लिए एक 'राजनीतिक जुड़ाव रणनीति' को अपनाया, जो है फण्ड, प्रीवेन्ट, रिस्पॉंस व कलेक्ट। इस रणनीति के माध्यम से इस अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया गया।

कोरोना के दौरान घरेलू हिंसा की शिकायत को सम्भव व सुलभ बनाने हेतु राजस्थान में सखी वन स्टॉप सेन्टर्स की स्थापना की गई, जिसके तहत कोई भी महिला जो हिंसा अथवा उत्पीड़न की शिकार हो सखी केन्द्र पर अपना प्रकरण दर्ज करवा सकती है जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाएं भी शामिल हैं इस केन्द्र का उद्देश्य पीड़ित महिला को एक ही स्थान पर निम्न सुविधाएँ तत्काल निःशुल्क उपलब्ध करवाना है-

1. आपात कालीन सहायता
2. कानूनी सहायता
3. स्वास्थ्य सेवा
4. रामर्श
5. अस्थाई आश्रय

यह केन्द्र 24 घण्टे संचालित होता है, सभी सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। कोरोना महामारी का बुरा समय अब बीत चुका है किन्तु इस कालमें उत्पीड़ित महिलाएं शायद ही अबतक इससे उबरी हों। कोरोना काल की इन बुरी यादों को अगर वास्तव में स्त्रियों के मन से मिटाना है तो आवश्यक है कि कोविड-19 में घरेलू हिंसा के लिए जो भी कार्यक्रमों, केन्द्रों व योजनाओं का संचालन आरम्भ किया गया है उन्हें सदैव के लिए क्रियाशील रखा जाए। जिन महिलाओं ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं उन्हें पूरा व त्वरित न्याय मिले। जिससे घरेलू हिंसा करने वालों को सजा मिले व भविष्य में ऐसा न

करने का भय व्याप्त हो ताकि महिलाओं को सुरक्षित व सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिल सके।

संदर्भ ग्रंथ

1. शृंखला/71 कहानियाँ- विग्लेश राधाकृष्णन, नरेश सिंगारवेल
<https://www.thehindu.com>
2. गुप्ता, मंजू, चारुलता तिवारी, 2020, कोविड-19 और समाज पर सामाजिक-आर्थिक संकट, कनक प्रकाशन, दिल्ली
3. कोरोना वायरस महामारी से पूरी मानवता खतरे में, संयुक्त राष्ट्र संघ दैनिक भास्कर 06.07.2020
4. महिलाओं की बेरोजगारी से भी बिगड़ रही है, अर्थव्यवस्था - राजस्थान पत्रिका दिनांक 08.10.2020
5. गम्भीर खतरे में भारत समेत दुनिया के 30 देश, दैनिक जागरण दिनांक 07.09.2020
6. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>
7. <https://www.drishtias.com>
8. <https://www.ideasforindia.in>
9. <https://www.dw.com>
10. <https://www.bbc.com>
11. <https://www.un.org>

वैश्विक शान्ति में रासायनिक हथियार निषेध संगठन का योगदान

डॉ. सुमनलता पाण्डेय*

प्रस्तावना – रसायन उद्योग बढ़ती अर्थ व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और यह देश के औद्योगिक और कृषि विकास का मुख्य आधार है जो कपड़ा, पेंट, साबुन, डिटर्जेंट एवम् फार्मोस्यूटिकल, कृषि रसायन इत्यादि समेत कई उद्योगों के लिए बिलिडिंग ब्लॉक और कच्चा माल प्रदान करता है।

प्रतिदिन नए-नए रसायनों का संश्लेषण होता रहता है। अनेक रसायनों के गुणों का परीक्षण प्रयोगशालाओं में औषधि, कीटनाशक, कृषि रसायन के प्रयोग के लिए किया जाता है। यह अपरिहार्य है कि इस प्रक्रिया में नए यौगिकों का निर्माण जो कि रासायनिक शस्त्र के रूप में प्रयोग हो सकती है न हों।

इसका दुष्परिणाम हमें इतिहास में देखने को मिला है। रासायनिक युद्ध का उद्भव बिंदु 1915 है जब जर्मन सेना ने बेलजियम के यप्रेस शहर के निकट गठबंधन सेना के जमाव पर क्लोरिन गैस का उपयोग किया। विषैले रासायनिक कारक न केवल सशस्त्र सेनाओं को उपलब्ध होते हैं बल्कि अन्य विध्वंसक संगठन भी इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जापान के ओम सम्प्रदाय के समर्थकों द्वारा टोक्यो में भूमिगत रेलवे मार्ग में सैरीन गैस फैला दिए जाने से अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। नाजी शासन काल में हिटलर ने भी लाखों की संख्या में उपस्थित कैदियों को मारने के लिए विषैली गैसों का प्रयोग किया। वियतनाम युद्ध रासायनिक हथियारों के प्रयोग का स्पष्ट उदाहरण है इस युद्ध में नैपेलम तथा एजेंट आरेज जैसे विषैले रासायनों का प्रयोग किया गया। जिससे वनस्पति, वायुमंडल, तथा लोगों की अपूर्णनीय क्षति पहुँची वियतनाम में रासायनिक हथियारों के प्रयोग के कारण बच्चों और वनस्पतियों का विकास अवरूद्ध हुआ। रासायनिक हथियारों के प्रयोग का दूसरा बड़ा उदाहरण खाड़ी युद्ध है।

विशेषज्ञों का मानना है कि रासायनिक कारकों को प्रक्षेपास्त्रों के माध्यम से गिराया जा सकता है या पैदल सैनिक जो मुखौटे तथा अन्य रसायन रोधी उपकरणों से सुसज्जित होते हैं के माध्यम से फेंका जा सकता है। यह हथियार झुलसा देने वाले होते हैं। इन रसायनों के सम्पर्क में आने पर या सूँघने से फफोले, अंधापन या फेफड़ों की घातक बीमारियाँ होती हैं। युद्ध में प्रयोग होने वाला रसायन चोकिंग कहलाता है जिसके सूँघने से फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तथा इनमें तरल द्रव जमा हो जाता है सायनोजेन क्लोराइड और हाइड्रोजेन सायनाइड भी प्रयोग होता है।

रासायनिक शस्त्र अभिनियम रासायनिक युद्ध पर नियंत्रण रखने के लिए अब तक की सबसे व्यापक और महत्वाकांक्षी विश्व व्यवस्था 29 अप्रैल 1997 को प्रभाव में आयी। यह अभिनियम रासायनिक शस्त्रों के विकास, जमाव और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है तथा उसके विनाश की अपील करता है। इसमें न केवल युद्ध में काम आने वाले रसायनों बल्कि उन

मध्यवर्ती पदार्थों को भी सम्मिलित किया गया है जो ऐसे रसायनों के विकास में सहायक हो सकते हैं। अतः यह व्यवस्था शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अनेक नियमित व्यवसायिक उपयोग में आने वाले रसायनों पर भी लागू होती है। सदस्य देशों को अपने रासायनिक संग्रहणों, रासायनिक उत्पादन क्षमता, प्रक्रिया, फैक्ट्री क्षेत्रों और अन्य जानकारियों के संबंध में हेग स्थित केन्द्रीय सचिवालय में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है। सी0 डब्ल्यू0 सी0 के अंतर्गत घोषित रासायनिक संचय को गुप्त रखा जाता है।

यह अभिनियम सदस्य देशों को किन्हीं अन्य देशों द्वारा रासायनिक शस्त्रों के विकास और निर्माण में सहायक होने की अनुमति नहीं देता है। यह संदिग्ध ठिकानों का बिना किसी पूर्व सूचना के नियमित निरीक्षण भी करता है।

सी0 डब्ल्यू0 सी0 में गैर सदस्यीय देशों द्वारा रासायनिक निर्यात करने पर उनके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंधों का प्रावधान है।

सी0 डब्ल्यू0 सी0 के अनुसार सदस्य देशों को अनुसमर्थन के दो वर्षों के भीतर रासायनिक संचय को नष्ट करने के लिये एक व्यापक योजना विकसित करनी चाहिए।

तीसरे वर्ष में उन संचयों को नष्ट करना शुरू कर देना चाहिए तथा सात वर्षों के भीतर 45 प्रतिशत संचयों को नष्ट करने का कार्य समाप्त हो जाना चाहिए।

निरीक्षण व्यवस्था ने 1996 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। भारत, रासायनिक हथियार निषेध संगठन के रासायनिक हथियार कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता और पक्षकार राष्ट्र है। भारत ने 14 जनवरी 1993 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने इस कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसरण में रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम 2000 को अधिनियमित किया। भारत अपने रासायनिक हथियारों के भंडार को नष्ट कर इस कन्वेंशन के सभी पक्षकार राष्ट्रों के मध्य रासायनिक हथियार मुक्त पक्षकार राष्ट्र का दर्जा हासिल करने वाला पहला पक्षकार राष्ट्र था।

पूर्व सूचित सहमति प्रक्रियाओं (पी आई सी) पर रॉटरडैम कन्वेंशन जो कि 24 फरवरी 2004 को लागू हुआ इस कन्वेंशन का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की संभावित नुकसान से बचाने के लिए कतिपय खतरनाक रसायनों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्षकार राष्ट्रों के बीच साझा जिम्मेदारी और सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना है। भारत 24.5.2006 को इस कन्वेंशन में शामिल हुआ। इस कन्वेंशन के तहत प्रत्येक पक्षकार राष्ट्र को आवश्यक प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण को नामित करने की अपेक्षा की जाती है। रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, औद्योगिक रसायनों के लिए 'नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण' और कृषि और

सहकारिता विभाग कीटनाषकों के लिए भी 'नामित राष्ट्रीय प्रधिकरण' है। कुछ वर्जित रसायन सूचीबद्ध भी किए गए हैं। इन रसायनों के आयात के लिए अपनी आयात नीति की जानकारी पी० आई० सी० सचिवालय को देनी आवश्यक है।

13.12.2006 के भारत द्वारा अनुसमर्थित स्टॉक होम कन्वेंशन परिसिस्टेंट ऑर्गेनिक पाल्यूटेंट (पी ओ पी) से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक सन्धि है। पी ओ पी ऐसे रसायन है जो लंबे समय तक पर्यावरण में बरकरार रहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से व्यापक रूप से फैल जाते हैं, जीवित जीवों के फेटी टिशू में जमा होने लगते हैं और मनुष्यों और जानवरों के लिए जहरीले होते हैं। 17 मई 2004 को लागू होने वाले इस कन्वेंशन में कहा गया है कि इसके क्रियान्वयन में सरकार पर्यावरण में पी ओ पी के उत्सर्जन को खत्म करने या कम करने के उपाय करेंगे।

वर्तमान में स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत बीस रसायन शामिल हैं जिसमें डी०डी०टी० का उपयोग भारत में प्रतिबंधित है केवल वेक्टर नियंत्रण के लिए डी०डी०टी० के उपयोग की छूट प्राप्त है। पीओपी मुक्त भंडार और अपशिष्टों का अंतर्राष्ट्रीय नियमों, मानकों और दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण अनुकूल तरीके से प्रबंधन और निपटान किया जाना चाहिए।

लेकिन क्या इन प्रतिबंधों के बावजूद रसायनों का प्रयोग अपराधिक गतिविधियों में बंद हो गया है? अगर इतिहास देखा जाए तो 'नहीं' कुछ देश जो इन रसायनिक शस्त्रों के उत्पादन की क्षमता रखते हैं वो 'रसायनिक शस्त्र अधिनियम' में शामिल नहीं हैं। उसके अलावा कुछ आतंकवादी संगठन है जो इन शस्त्रों को बनाने तथा उसका प्रयोग पूर्व में कर चुके हैं।

इन गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए संगठन तथा हर देश को कुछ निवारक उपाय सोचने होंगे। शिक्षा के माध्यम से रसायनिक शस्त्र अधिनियम के मानदंडों को प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाने की कोशिश करनी

चाहिए। जिस तरह पर्यावरण की सुरक्षा विषय को पाठ्यक्रम में शामिल कर लोगों को उसके प्रति जागरूक बनाया जा रहा है वैसे ही विज्ञान के छात्रों, रसायनज्ञ, शोधकर्ता, वैज्ञानिक और इंजीनियरों को समय-समय पर लेक्चर, सेमिनार और वर्कशॉप के माध्यम से इसके प्रति जागरूक करना चाहिए।

आई यू पी ए सी एम ओ पी सी डब्ल्यू के द्वारा 2005 में एक विश्वस्तरीय वर्कशाप ऑक्सफोर्ड यू० के० में आयोजित की गई उसमें यह निर्णय लिया गया कि विज्ञान और तकनीक से जुड़े लोगों के साथ-साथ शिक्षा उद्योग, प्रशासन वित्त पोषण संगठन, विक्रेता पर भी यह आचार संहिता लागू होनी चाहिए। उद्योगों ने प्रमुख रूप से स्वैक्षिक कोड को विकसित किया है जिससे रसायनिक शस्त्र अधिनियम को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

अतः प्रत्येक देश को इस कन्वेंशन के क्रियान्वयन के तहत अपने दायित्वों को लागू करने के लिए एक योजना तैयार करने की आवश्यकता है और इस तरह से वो विश्वशान्ति स्थापित करने में अपना योगदान दे सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. United Nations, Convention on the Prohibition of Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, http://www.opew.org/docs/wc_eng.pdf.
2. British Medical Association. The Use of Drugs as Weapons: .The Concerns and Responsibilities of Healthcare Professionals (2007).
3. <http://www.opcw.org/docs/rc1dg02.pdf>.
4. <http://www.opcw.org/docs/rc105.pdf>.
5. Unpublished findings.
6. M. Kelliher. Pure Appl. Chem. 74, 2277 (2002).
7. www.iupac.org/multiple-uses-of-chemicals.

Reasons of Out-Migration of Dawoodi Bohra's of Udaipur City: A Qualitative Approach

Dr. Shagufta Saify*

Abstract - The phenomenon of migrants is as old as human history itself. Human being has never been tied to one locale. People move in search of employment, better educational and health facilities etc. The male migration constitutes the highest level of migration in India due to employment purpose. The female usually migrates as accompanists of males through several other factors like after marriage or family transfer. Dawoodi Bohras are migrants through their origin. Earlier, they used to migrate from Arab to Egypt for religious & missionary activities. The Bohras belong to business community. In mid of 1960's with the oil boom in middle – east countries, the Bohras emigrated towards gulf countries in mass. In this paper, the reasons behind the outmigration of Dawoodi Bohras Of Udaipur city has been explained under five categories viz: geographical, social, economic, political and religious factors. Informations were collected through interviewing migrants person or the head of households of migrant families.

Keywords- Out migration, Dawoodi Bohras, Udaipur City, gulf countries, Migrate.

Introduction - The phenomenon of migrants is as old as human history itself. Human being has never been tied to one locale. Although our species probably evolved in tropical Africa, our permanent habitat extends from the edge of the ice sheet to the seashores, from desert valleys a thousand feet below sea level to mountain slopes or more up. This far-flung distribution is the product of migration. People move in search of employment, better educational and health facilities etc.

Migration is the major unknown component of population estimation and forecasts. It is the third demographic component which describes the movement of human beings according to the differentials and the causes for mobility. The male migration constitutes the highest level of migration in India due to employment purpose. The female usually migrates as accompanists of males through several other factors like after marriage or family transfer.

The first two components of population i.e. mortality and fertility are biological phenomenon but migration is purely a socio-economic phenomenon which is a complex mechanism involving social, psychological, economic, political, institutional and other determinants.

Review of Literature:

Michele Moretto and Sergio Vergalli (2005)⁶: Studied the four main foreign flows coming into Italy at the end of last decade: Albanians, Chinese, Filipinos and Romanians. The paper tries to explain why most migration flows show some observable jumps in their processes, a phenomenon that seems to be sympathetic with the characteristics of irreversibility of migration. The study presents a real option

model where the choice to migrate depends on both the differential wage between the host country and the country of origin, and on the probability of being fully integrated into the host country. The dimension of the migration flow depends on the behavioral characteristics of the ethnic groups: the more "sociable" they are, the larger the size of the wave and the lower the differential wage required.

Hade A (1990)⁵: found indications that morbidity rates tend to be reduced in his study of Bangladeshi households where international migration was a part of the livelihood strategy. He argues that this is partly the result of increased wealth, which facilitates the attainment of a better quality diet and improved water and sanitation systems. Another factor, however, is the cultural effects of the migrant's exposure to western secular societies, this in turn influences the migrant's own attitude to health and such attitudes tend to be disseminated on return.

Kumar N and bhagat RB (2012)⁷: described that migration is often rationalized as an outcome of a symmetry of development both in area of origin and destination. He tried to explore the volume trend pattern and causes of out migration in Bihar. He found that the prime reason of such heavy outflow is related to employment. People are migrating not only in the absence of employment at their native place but also to secure a better earning also. He also found that not only the poor and socially backward persons tend to migrate but the members of relatively affluent household are also migrating in same proportion or even higher. The remittance play important role for their survival as well as betterment across the economic classes and cushion against food insecurity.

John Willoughby (2005)¹⁰ focused on the unique feature of rapid social and economic transformation of the Arabian Gulf region: its unusually heavy reliance on expatriate labour from South Asia. The paper presented specific information on U.A.E. & Kerala. Despite worries amongst Arabs about the loss of national self-sufficiency and despite understandable complaints of labour exploitation from South Asians, the ambivalent anxieties unleashed by the intensive utilization of South Asian labour in gulf were likely to be a permanently political economic product of the labour networks, remittances and capital flows emanating from a still emerging Arabian economy.

Paulina Makinwa Adebuseye (2006)⁸ According to the author, Poor persons and families have used both internal and inter-regional movements to alleviate poverty and contribute to sustainable development. While international migration to OECD countries, the USA & Canada is selective of the high educated men and women. International migrations like internal migrations are used as a strategy for poverty reduction in a significant number of households as exemplified by countries such as Mali, Senegal & Burkina Faso. The decision to participate in international migrations is often a collective decision. International migration has resulted in brain drain and thus African states are increasingly concerned that their highly skilled workers whom they have paid to train, are being pillaged.

Siddiqui T. (2010)¹¹ Studied the out migration of Bangladesh. She found that colonial ties Lake of opportunities in origin and better employment prospects at destination all influence emigration from Bangladesh to the west. She said that since the 1917 due to structural constraints, skilled and professional Bangladeshies have been able to migrate to the West with relative ease. The majority of this group cite better educational opportunities for their children in contrast to political turmoil, violence, insecurity and corruption in their country of origin as major reasons for the decision to emigrate structural groups.

In 1981, the census of India collected the information on reason of migration from place of last residence for the first time. Before that, till 1961, migration data were collected and presented with reference to the place of birth and in 1971, the migration data were collected on the basis of last residence in addition to the question of birth place.

The reason for migration from place of last resident included in 1981 census was: - Employment, Education, Family, Marriage, Other. In 1991 census, two more reasons i.e. Business and Natural calamities flood, drought etc. were added.

Objective: The present paper is an attempt to identify and evaluate the causes of Migration of Dawoodi Bohra's of Udaipur city.

Methodology: The present research paper is based on primary data. For this, such families of Dawoodi Bohra community of Udaipur city were identified in which at least one person is a migrant. Then, an attempt was made to know the reasons for their migration through questionnaire

and interview. The information and facts received have been consolidated and presented in a classified manner. Along with this, secondary data was also used for literature review.

Study Area: Udaipur city is one of the major urban centres of Rajasthan; possesses a unique site in terms of physiography and availability of water. The city strategically located admits a saucer shaped basin drained by the river Ahar. The city experiences a tropical monsoon type climate. Different seasons, intense heat of summer, uncertain & erratic rainy season of only 4 months, complete reversal of wind system twice a year are some of the major characteristic of the season.

About the Dawoodi Bohras: Dawoodi Bohras belongs to Shia sect of Islam. They are migrants through its origin. Earlier, they used to migrate from Arab to Egypt for religious & missionary activities.

Verbally 'Bohra' means 'to trade'. They are basically traders or business man & used to visit different places to sell the things. Probably, the Bohras came to India from Egypt and resided in the state of Gujarat. From there, they migrated towards the towns of M.P., Rajasthan & Maharashtra for business purpose.

The Dawoodi Bohras of Udaipur city live a unique social life. Their way of living, material culture, believes are quite different from the other Muslims. Udaipur, the main commercial & tourist centre of Rajasthan is located near to Gujarat. It is a peaceful place too. As, the Bohras belong to business community & every business expansion needs peace & political stability, the Bohras attracted towards Udaipur & resided there. Till that time, they were petty shopkeepers & hawkers. The literacy rate was very low & they were educated only in religious studies.

In early 40's some of the Bohras migrated towards south countries like Ceylon (Sri Lanka) Nairobi, Kenya, Ethiopia etc for religious purposes. In mid of 1960's with the oil boom in middle – east countries, the Bohras emigrated towards its origin. They have been grating to Kuwait, UAE Masqat, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar & other gulf countries.

Causes of Out- migration in Dawoodi Bohras of Udaipur City: Most migration literature makes a distinction between pull & push factors, which however, do not operate in isolation of one another. Arora¹³ classified all these reasons into two groups: Push factors and pull factors. Push factors consists of those conditions which force the people to move out from their native place while pull factors consist of those conditions which attract the people at the place of destination.

Migration occurs when workers in the source areas lack suitable options for employment / livelihood and there is some expectation of improvement sought may be better employment or higher wages / incomes, but also maximization of family employment or smoothing of employment / income / consumption over the year. There are five main causes promoting the migration among the Dawoodi Bohras of Udaipur City at mass level:-

1. Changing Geographical Condition : An analyzing the climatic data of last 50 years ,we come to know that the weather conditions of the city is changing. The normal rainfall of the city is 60cm. If we take the rainfall data of last 40 years, the average rainfall will be 59.35cms. On taking the data of last 20 years the average declined to 58.25cms. The average annual rainfall decreases day by day. Not only is the intensity of the rainfall but also the frequency of rainfall decreased. The variation in temperatures also increased. The city has to face famine, in this climatic conditions directly influences the inflow of tourists. A large number of Bohra (44.6%of Bohras' workers) are engaged in commercial activities ranging from petty shopkeepers to large-scale business. Besides, a business community, no Bohra is identified as industrialist in Udaipur city. Since, handicrafts, perfumery embroideries are counted in the main business commodities of Bohra community of Udaipur city and all these business are supported by tourists. Thus, the decrease in tourism causes the loss in Bohras' business & they have to migrate gulf countries.

2. Social Factor: Joint family, big size of families, marriages are the main social caused responsible for migration among the Dawoodi Bohras of Udaipur city. Most of the migrants belong to joint family where 8 or more persons depending upon one or two earners of the family. The petty shops of 'Kirana' in the remote area of nearby villages did not sufficient to look after large families. The burden of 10 to 15 member's families promotes the youngsters to go abroad & earn high wages & money.

Marriage is the main cause in case of female migration in the community. Women, generally migrate from Udaipur to live with their husbands. At first, the male member of the family is compelled to migrate for economic reasons, when his economic condition improves & he seeks more opportunities, he calls out for his other relatives & then brings their wife with him. Females generally migrate on visit visa or family visa for a short duration of 3 months to 2 years and then come back to Udaipur.

Recently, the young boys and girls of the Bohras are migrating towards the metro polion cities i.e. Mumbai, Pune, Bangalore, Ahmadabad, Hyderabad, Nagpur, Aurangabad for higher education. Children below 15 years old, migrate due to family reason only.

3. Economic Factor: Economic factors play an important role in long distance migration. It has been already mentioned that no Bohra have cultivable land. They are petty shop keepers who run their business in the remote villages of Udaipur districts. They face loss in business during political riot as well at the time of famine. It makes the life very hard. At the same time, introducing of jobs in the Kuwait at very high wages was attracted the young Bohras to migrate.

Educated persons migrated due to the lack of job opportunities at Udaipur city. They basically migrated towards developed countries like U.K., America, and France etc. High class people move to desire a high standard of

life & providing better education to their children. Whereas middle class people move to improve their economic conditions & lower class people move as they become aware of job opportunities. In fact they hardly think of prestigious life.

4. Political Factor: Political factors such as Hindu-Muslim riots, Sindhi's immigration, caste-reservation played significant role for Bohra's emigration.

During 1967's Hindu-Muslim riot, most of the Bohra's shops were buried specially in the *Dhan-Mandi, Bharbhujagati, Bada Bazar* area. The Bohras of Udaipur do not have any land to cultivate. Thus, the great and unexpected loss in business & debt were leading very hard life.

The emigration of Sindhi community from Pakistan is also influenced the Bohras business. Up to 1947 most of the Bohras, in keeping with their age old tradition, carried on petty or middle level business however, the partition of the country and consequent inflow of Sindhi immigrants from Pakistan adversely affected the Bohra economy the monopoly of business, they once had in Udaipur. They had now to explore other area to keep them going. Many of them attracted towards the gulf countries & decided to go there to earn money.

Caste – wise – reservation has been an important factor in the migration of Bohras. The Bohras are counted under general caste category having no reservation in government services. About 7.5% of total Bohras have professional degree at present, but only 1.4% is engaged in Govt. job. Whereas the percentage of 30-40 years age group persons in Govt. job is only 0.002%. Thus, besides a minor community, it is much difficult to get job in government sector as the Bohras have no powerful political connections.

5. Religious Factor: In early days many Bohras of Udaipur city used to go to Surat, Mumbai, Aligarh, Poona, Yamen etc. to get Dini Taleem ¹(education in religious study) and the process is still continuing. These highly educated persons in religious study were then appointed as 'Amil' by religious head of the different Bohra seats of the world like Nairobi, Kenya, Tanjania, Sri lanka, Ethopia, Pakistan, Britain etc.

The reform movement of 1972 played indirect but significant role in initiating chain migration of Udaipur Bohras towards west.

Due to this reform movement many marriages were broken. The relations between father – son, daughter – mother, brother – brother, had been disrupted / affected, even at the occasion of death & marriages, the presence of reformists was not allowed. All the reformists have been boycotted. Owing to this movement not only marriages were broken but also they became backward, because of lack of attention given to business & education. In this situation mentally as well as emotionally victimized Bohra had to welcome migration .Age of migrants of these broken families also proves the same.

Conclusion: There are so many causes which are responsible for the migration. These reasons usually vary

according to time and space. Different type of human migrations is caused by different sets of factors. Though, Bohra's migration to gulf may have minimal impact on the huge Indian economy even on the economy of Udaipur district, it profoundly affects the society and economy of Bohras. The number of people who have worked outside the Udaipur city is more than half of the total number of Bohra's households in the city. For this reason, remittances have sharply raised per capita income. Bohras per capita consumption levels are higher among the other Muslims of the city. The study of migration among a small minor Muslim community is useful and have significant in many ways, it explains how a small community emerge as a economically sound, well educated & well manner without any reservation or protection and ignorance of government that are the causes which motivate to people for emigration.

References:-

1. Engineer Asghar Ali (1993): The Bohras, Central Board of Dawoodi Bohra Community, Mumbai.
2. Lokhand Wala S.T. (1955): The Bohras: A Muslim Community of Gujrat, Studia Islamica Vol III .
3. Basu S.K. (1977): Consanguinity Study Among the Muslim Dawoodi Bohras of Udaipur Rajasthan Prec Fourth Annual Confrence of Ind. Society of Hum. Geneto, Madras.
4. Shibani Roy(1984): The Dawoodi Bohras: An Anthro-
pological Perspective, B.R.Publishing Corporation, Delhi.
5. Hade A (1990): Oversas migration and well-being of those left behind in rural communities in Bangladesh in Asia-Pacific population journal 14(1) 43-58.
6. Michele Moretto and Sergio Vergalli (2005): Migration Dynamics; NOTA DI LAVORO 108.2005, University of Brescia.
7. Kumar, N., & Bhagat, R. B. (2012): Outmigration from Bihar: causes and consequences. *Journal of Social and Economic Studies*, 22(2), 134-144.
8. Paulina Makinwa Adebusoye (2006): Geographical labour mobility in Sub-Saharan Africa. IDRC working paper on globalization, growth & poverty, Canada.
9. Bala, A. (2017): Migration in India: Causes and consequences. *Migration*, 2(4).
10. John Willoughby (2005) ambivalent anxieties of the South Asian – gulf Arab labor exchange. Working paper no. 200-5-02, American University, Washington D.C.
11. Siddiqu, T. (2010): Migration as a livelihood strategy of the poor: the Bangladesh case.
12. Nangia, P., & Saha, U. Profile of Emigrants from India
13. Arora G.S. (1967): The new frontiersmen: A sociological study of Indian in migrants in the U.K. popular Prakashan Bombay.

Food insecurities Faced by Women and Girl Children in South Asia

Lt. Dharmendra Kumar* Dr. Lokendra Singh**

Introduction - In fact, women in South Asia face various types of inequalities, having serious implications for their own food security and the food security of households, especially of children who depend on women for their food. This is depend on the cultural structure of the society of various countries of South Asia. There are the following inequalities faced by women in South Asia:-

Mortality-based Food Insecurities: In some regions in South Asia, inequality between women and men directly involves matters of life and death, and takes the brutal form of unusually high mortality rates of women. In both absolute and relative terms, the maternal mortality rate (MMR) is highest in South Asia. With 226,077 deaths, this region accounted for more than two-thirds of maternal deaths in Asia and the Pacific in 2000. Nepal had the highest MMR, at 740, while India and Pakistan also had high levels, at 540 and 500, respectively (UNESCAP). These rates are among the highest in the world. A consequence is the preponderance of men in the total population. as opposed to the preponderance of women found in societies with little or no gender bias in health care and nutrition. This has substantial bearing on the food security of women and children. Girl children who survive their mothers dying at child birth are not only denied access to the mother's milk, with consequent under nutrition, but are additionally more vulnerable to denial of adequate nutritious food than male surviving newborns. Such newborn girl children, denied of the mother's care and love, may also suffer from ingesting food and water not fit for infants consumption, notably water not properly purified or boiled. Additionally, such children in general and girl children in particular, would have inadequate access to preventive health care (or health education) and elementary education, both of which depend largely on the initiative of the mothers. These deprivations impair the long-term capability of such children to access food. Thus, mortality-based inequalities faced by women, jointly and severally, contribute to higher food insecurity among girl children as also infant and girl child mortality rates.

Natality-based Food Insecurities: Given a preference for boys over girls that afflicts many male-dominated societies in South Asia, gender inequality can manifest itself in the form of the parents wanting the newborn to be a boy rather

than a girl. With the availability of modern techniques to determine the gender of the foetus, sex-selective abortion has become common in South Asia and is beginning to emerge as a statistically significant phenomenon in India and South Asia as well, as a negative fallout of the march of medical science. Some, like the United Nations Population Fund, have called this phenomenon 'gendercide', while Sen calls it the case of the missing millions. If sex-selective abortion does not succeed or is not possible due to structural, institutional or medical conditions, the girl child starts from the womb with familial and parental environments that are hostile to her existence. This leads to infant girls and women being in a weaker position to be food-secure, by suffering from limitations to physical and social access to food. Mothers carrying female foetuses neglect their diet (poor as it is) or are forced to do so, making the foetus even more undernourished. In harsher societal environments where sex-selective abortion fails, girl children so born are fed a diet, including an excess of mother's milk or excessive salt. Hark these words:

If the female foetus is lucky enough to survive till her birth then she faced the peril of elimination in infancy by female infanticide it is defined as, 'Killing of an entirely dependent girl child under one year of age by mother, parents or others in whose care she is entrusted.'

Based on Basic Facilities: Even when demographic characteristics do not show much or any anti-female bias, there are other ways in which women in South Asia can have less than a square deal. In much of South Asia, women and girl children have far less opportunities of schooling than men and boys do. It is true that among the South Asian countries, the primary school attendance of girls has improved, but SAARC countries on average are still well behind other groups, such as the Association of South-East Asian Nations (ASEAN) countries, with 96 girls per 100 boys enrolled in primary education. Two countries in the region have even less than 80 girls for every 100 boys enrolled in primary school education in that year. In some parts of South Asia, it has been reported recently that girls have been banned from attending schools, under threat of dire consequences. There are other deficiencies in basic

* Asst. Professor (Economics) D.J. College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA

** Associate Professor (Economics) J.V. College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA

facilities available to women and girl children, varying from access to preventive and curative health care, encouragement to cultivate one's natural talents, to fair participation in rewarding social functions of the community: 'A girl between her first and fifth birthday in India or Pakistan has a 30-50% higher chance of dying than a boy. This neglect may take the form of poor nutrition, lack of preventive care (specifically immunization) and delays in seeking health care for disease. All these factors taken together lead to higher capability poverty among women and girl children, which contributed to limiting the productivity of women in producing food and opportunities for employment, in turn jeopardizing availability of food and their long term access to purchasing power and economic access to food, respectively. Indeed, access to basic services like elementary education and primary health care, including access to reproductive health facilities, is key to attaining food security.

Based on Inequality in Special Facilities: Even where women may have access to basic facilities such as primary health care and elementary education, lack of opportunities for higher education and vocational and professional training for women is proverbial in South Asia vis-a-vis the opportunities available to young men, because, inter alia, 'the culture does not see this as "feminine". Girls may be discouraged from studying subjects that are deemed to be 'the province of men'. This includes agricultural sciences and training in techniques for improving agricultural productivity, post-harvest processing and marketing. Such

inequality prevents women from growing more food and/or achieving improved physical and economic access to food. In both cases, the food security of women and girl children is put at risk either by reducing food availability or truncating economic access to food. The number of women in engineering and medical schools is less than 15 per cent in most South Asian Countries. Even in developed countries, women account for only 14 per cent of those studying engineering at university, and that abysmal proportion shrinks further when it comes to the percentage of women pursuing a career as a professional engineer. In India, for example, the percentage of women in the higher echelon of the civil services is less than 10 per cent. Many women in South Asia face barriers to the use of modern technology, which include lack of adaptation to local conditions and needs, discriminatory practices, beliefs and stereotypes. These findings imply that women are underrepresented in high-paying jobs, and to that extent, their economic capacity to access food is lower than that of men. In the longer run, their capacity to withstand idiosyncratic shocks to themselves and their children is so much less.

References:-

1. UNDP, 2021
2. World Bank,
3. Fischer and Heilig, 2021
4. Hayami and Ruttan 2015
5. Dalrymple, 2015
6. David and Otsuka
7. ESCAP, 2021

Effect of Variation of Secondary X-Ray Flux on Environment

Shubhra Tiwari*

Abstract - We present a study of secondary X-rays of 10-100 keV emitted by the intruded principal pollutant components (gases and minerals) brought up in lower atmosphere by the dust storms and monsoon drift. The results from the analysis of data during the monsoon period have revealed that a linear correlation exists between the observed luminosities of secondary rays radiation from intruded pollutants and dust storms.

We found that when heavy dust and monsoon clouds were brought up in the lower atmosphere over Udaipur city, an intense flux of secondary X-rays were found. Also the irradiance of cosmic, solar, meteoritic shower affect the earth environment by causing changes in the weather and cloud formation in the lower part of the atmosphere.

Thus, secondary X-rays in the environment prove a tool of investigation of the local intrusive pollutant components.

Keywords - Secondary X-ray, Intruded Pollutants, Environment.

Introduction - The all time issue of secondary radiation, especially the X-rays environment between atmosphere and the sea level set alter the interaction of secondary cosmic shower with the intruded pollutants in atmosphere of the Earth, taken in the world today as a way of helping the entire civilization and the reflection on the future of our survival. The aim of this chapter connects the subject connectivity with the precedent chapter in quest of the long term human safety on the living planet, the earth. Scientific studies intend to analyze what added values it might bring to this extremely important threat and terror of the anthropogenic pollutants and the extra terrestrial radiation on our echo balanced environment. The secondary radiation environment on the Earth plays an important role in deciding the variability in the climate as well as to investigate the local principle components of the intrusive pollutants at the lower atmosphere. Recently large group of scientific community inclined to carry out systematic studies monitoring X-ray environment in the lower atmosphere of the earth which affects local climate drastically permitting our day-to-day life style and living activities. It is realized now that climate is not only governed by local activities, but extra terrestrial radiation flux is equally shaping face of climate for us. The major variability in the climatic profile have become an important issue with regards to X-ray environment near the earth.

Experimental: Aiming at this issue, we conducted a study of low energy (10 keV-100 keV) secondary X-rays of the intruded principle pollutant components (gases and minerals) brought by the dust storms, my drift and the gravitational pull on meteoritic show within the lower atmosphere between the troposphere and the sea level In

the current chapter, an experimental study, aiming the less as addressed above. Is conducted detecting the secondary X-rays produced in the range 10 keV to 100 keV by the intrusive pollutants and minerals at low shade of the troposphere. The significance of these secondary X-rays at ground has been realized recently under deriving uncertainty of the high variability of the atmospheric conditions and therefore the ground-based observations, taken with the support of the sophisticated instruments (Cintillation counter), greatly help to understand the status of the lower part of troposphere at the time of detection.

Discussion: The reconciliation of the objective for the detection of the variability of the intrusive pollutant components through their secondary X-rays environment, produced after the interaction of the secondary cosmic radiation shower at the lower atmosphere of the earth during the monsoon season over Udaipur city (INDIA) in the month of July- September can be established by the regular monitoring with the help of the scintillation detector on the ground. Although the flux at ground of these secondary X-rays is poor and their measurements depend upon their transmissivity as well as the chemical variabilities and compositions (turbulences) in the lower atmosphere. Expectedly, the photon flux of the secondary X-rays declines with the large fluctuations and only fraction of them are able to come down on the army depends on the energy and the local r difficult to estimate the exact concentration of pollutants components. Nevertheless, it is obvious on the basis of various records that human activities over the last decades have changed the chemical composition of the global atmosphere. On the other hand, the industrial emissions, intensification of agriculture practices and the

*Department of Physics, Govt. Meera Girls College, Udaipur (Raj.) INDIA

development of transportation's have directly enhanced the level of the sources of the gases (viz, CO, , Cl₂, NO, CH, CFCs, CO, SO₂ etc.) and the elements(viz, Cu, Si, S etc.) which have serious climatic implications either directly through perturbations of the allowed irradiance or indirectly through several chemical feed backs. However the studies based on regular monitoring of the produced secondary X-rays reconcile that cosmic & solar rays as well as the meteoritic shower and close approach of the comets, planets can affect the Earth environment by causing changes in the weather, and the cloud formation in the lower part of the atmosphere. The stratosphere/troposphere exchange processes and the aerosol interaction with the chemical composition of the atmosphere is an important topic of the current interest and the concept of the global climate variability. The goal of the present study may be discussed and justified in the subsequent paragraphs.

The present study discusses focus on search of the climatic variability over the entire Udaipur city because it is located in the region close to vast Thar Desert and in Aravali hills western part of the India (details are given above). Before monsoon season, it is usual trend that dust storms from the Thar Desert are followed by rain. The reported components of the pollutants such as copper, sulphur, silicon, chlorine are raised up by these dust storms well before rain at the lower level of the troposphere. Moreover, these are existing in the form of waste gases and are easily carried by the winds and monsoon currents converting into sulphuric and chloride acids, having traveled many hundreds of kilometers. Their intrusive abundance in lower atmosphere above Udaipur city can be addressed from the large natural resources of oils, minerals, and gases in Thar Desert of Rajasthan state. Also among many peripherals, few of the largest smelting units of Hindustan copper (at Khetari) and Hindustan zinc (at Zawer) limited industries as well as their open mines are being the responsible addresses for the sheve pollutants. Mineral components like Copper, in pollutants are carried many hundreds and hands of kilometers by the upper winds, that any patents at a speed of 500 km per day. The distance traveled by these components depends upon a number of factors such as wind speed and direction, the height of release into the atmosphere, topography, and the presence or absence of other reactants. Moreover, Meteoritic showers and close approaches of the comets change our atmosphere with the foreign elements which sediment under the gravity lower atmosphere coming right from their sources in the extraterrestrial space and therefore cannot escape to be the addresses for these present intrusive pollutants.

The address of the detected chlorine components in the region of Udaipur is the largest users of chlorine the area Madri of Udaipur city that make ethylene dichloride and other chlorinated solvents, polyvinyl chloride (PVC) resins, chlorofluorocarbons, and propylene oxide. Moreover, Paper companies use chlorine to paper. For socio- hygienic health, water and wastewater treatment plants use chlorine

to reduce water levels of microorganisms that can spread disease to humans. Since Udaipur is international tourists prone hygienic city, so the Chlorine is extensively used as a disinfectant or fungicide for a variety of purposes, including water purification, cooling systems, meat, fish, vegetable, and fruit processing, foot baths, dairy equipment, laundries, and dishwater in many standard hotels and tourists places in the unbound Udaipur for better hospitalities. Udaipur pesticides use Chlorine in the manufacture of propylene oxide and pesticides as well as for shrink-proofing wool, in special batteries (with lithium or zinc). Therefore, Chlorine is generally found only in industrial settings and exposure to chlorine can occur in the environment of Udaipur following releases to air, water, or land. Chlorine enters the body breathed in with contaminated air or when consumed with contaminated food or water. It does not remain in the body due to its reactivity. Chlorine dissolves when mixed with water (and the solution will usually contain two forms of free chlorine: hypochlorous acid (HOCl) and the hydrochloride ion (OCl⁻). Other chlorinated compounds may be present, depending on other materials present in the water. Vaporization of molecular chlorine (Cl₂) from water to the may be significant at low pH values and high concentrations, but is insignificant at neutral pH and low concentrations. Most direct releases of chlorine to the environment are to air and to surface water. Once in air or in water, chlorine reacts with other chemicals. It combines with inorganic material in water to form chloride salts. It combines with organic material in water to form chlorinated organic chemicals. Effects of chlorine on human health and the environment depend on how much chlorine are present and the length and frequency of exposure. Effects also depend on the health of a person or condition of the environment when exposure occurs. Breathing small amounts of chlorine for short periods of time adversely affects the human respiratory system. Effects range from coughing and chest pain to water retention in the lungs. Chlorine irritates the skin, the eyes, and the respiratory system. Some studies show that workers develop adverse effects from repeat inhalation exposure to chlorine, but others do not.

Further our results promote the complete 2D model to investigate the responses of chemical climate of copper, sulphur, chlorine and silicon scenario for chemical forecasting and various other interesting problems of atmospheric chemistry in the region of Udaipur. The chemical feedback is considered to be an important aspect to understand the long-term climate variability in neutral and ion-composition along with thermal structure of this geographical area.

References:-

1. Kelly P M and Wigley T M L 1002 Nature 360 328
2. Fligge M, Solanki SK and Beer 1999 J. Astron. Astrophys. 346 313
3. Beig G and Mitra A P J 1997 Atmos. Terrest. Phys. 59

- 1245
4. Cubasch U, Burger G, Fast L, Spangehl Th and Wagner S 2005 Memorie Della Societa Astronomica Italiana 70 810
 5. Hansen J E and Haffman D J 1992 Science 255 423
 6. Roberto V, Giorgio F, Marco C, Tatiana L and Giorgio S A 2004 Astropart. Phys. 21 337
 7. Molnar A and Simon M 2001 Proc. 27th Int. Cosmic Ray Conf. (Hamburg, Germany) p 1877 Friis-Christensen E 1991 Science 254 698
 8. Friedman H, Lichtman S W and Bryam ET 1951 Phys.Rev. 83 1025
 9. Hartman R C and Pellerin CJ 1976 Astrophys. J. 204 927
 10. Hagiwara K 2002 Phys. Rev. D 66 010001
 11. Pandey R and Vyas B M 2004 Current Science 86 306
 12. Knight W 2004 NewScientist.com news service 12:30 03.

नए धार्मिक आन्दोलन

डॉ. नीलम कांत*

मूल शब्द—धर्म निरपेक्षता, उत्तरी अमेरिका, भारत, धार्मिक राष्ट्रवादी आन्दोलन।

प्रस्तावना – सामाजिक सिद्धान्तकार मानते हैं कि 1960 से धर्म निरपेक्षता का जो परिप्रेक्ष्य स्वीकार किया गया उसके अनुसार मनुष्य के जीवन से धर्म एक पक्षीय वापस नहीं लौट रहा था तथापि धर्म अपने मूल वास्तविक रूप वाला भी नहीं था। वास्तव में एक नई धार्मिक चेतना पुनर्जीवित की जा रही थी जो सिर्फ परम्परागत धार्मिकता का पुनर्जीवन नहीं था बल्कि एक नई चेतना की तलाश थी; एक धार्मिक पहचान के लिए खोज थी और आधुनिक दुनिया में विखण्डन तथा विभिन्नताओं के चेहरे में नए अर्थ की तलाश थी; एक पहचान की खोज थी उसके एक महान धार्मिक गुणों से। **विल्सन (Wilson)** के अनुसार समकालीन सामाजिक परिस्थितियों से समकालीन मनुष्यों की प्रतिक्रिया के रूप में नए धार्मिक आन्दोलन निकले थे; जिस प्रकार से तत्कालीन समय की सामाजिक परिस्थितियों के चलते मनुष्य की प्रतिक्रियाओं के रूप में परम्परागत धर्मों का अभ्युदय हुआ था। समता तथा जनतंत्र की वैचारिकी, युवाओं पर ध्यान, मनुष्य के बारे में नया सापेक्षवाद, 'स्व' (Self) के पुनर्नवीकरण के लिए खोज; ये सभी नए धार्मिक आन्दोलनों की विशिष्टताएँ थीं अथवा उदीयमान नवीन धार्मिक चेतना थी।

बीकफोर्ड ने 'नवीन धार्मिक आन्दोलन' पद की व्याख्या की है। सन् 1960 के बाद पश्चिम में उदय हुए आध्यात्मिक उत्साह के उत्साहजनक प्रकार को स्पष्ट करने के लिए समाजवैज्ञानिकों द्वारा इस पद का प्रयोग किया गया है। अब इस पद का थोड़ा बहुत प्रयोग ऐसे सभी धर्मों के लिए होता है जो 1945 से पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, भारत, जापान तथा 1890 से अफ्रीका में प्रतिष्ठित हो चुके थे।

आज अव्यवस्थित रूप से इस पद का प्रयोग ऐसी छतरी के लिए किया जाता है जो पंथों, सम्प्रदायों, आध्यात्मिक समूहों अथवा एक के बाद एक विश्वास व्यवस्थाओं का दुनिया के धर्मों और चर्चों से विचलन की घटनाओं के लिए आवश्यक है; जिससे एक प्रश्नवाचक धार्मिक प्रकार के आध्यात्मिक नृजातीवाद के प्रचलन को एक छतरी के नीचे लाया जा सके। गिरी के अनुसार इस पद में 'स्व' के एक आध्यात्मिक नवीकरण और सहस्राब्दीय समूह को भी सम्मिलित किया गया था।

भारत में कुछ ऐसे नए धार्मिक आन्दोलन निकले हैं जो आज दुनिया में क्रियाशील हैं। इण्टरनेशनल सोसाइटी फार कृष्णा कान्शेसनेस विपश्यना इण्टरनेशनल, ट्रांसेन्डेन्टल मेडिटेशन, साई बाबा आन्दोलन आदि नए धार्मिक आन्दोलनों को देखा जा सकता है। जापान में लगभग दो सौ नए देशी-विदेशी धार्मिक आन्दोलनों को देखा जा सकता है। जापान में लगभग दो सौ नए देशी-विदेशी धार्मिक आन्दोलन उभरकर सामने आए हैं; सोका

गाकाई अथवा वैल्यू क्रियेशन सोसाइटी, नियरेनदाइचैन, टेनरिक्वो अथवा हेवेनेली विसडम और रिशोकोसिकाई। अफ्रीका में दो हजार के लगभग नए धार्मिक आन्दोलन हुए हैं जिनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके मात्र 15720 अनुयायी ही हैं। अफ्रीका के नवीन धार्मिक आन्दोलनों में गौडिज्म, डीमा और अलाड्युरा उल्लेखनीय हैं। अमेरिका में जीसस अथवा पेन्टीकोस्टल आन्दोलन प्रमुख हैं।

समकालीन समाज ने धर्म तथा वैश्विक स्तर पर इसकी शिथिलता के बाद पुनः प्रसिद्धि में संकट का अनुभव किया। प्रौद्योगिकीय दृष्टि से अत्यधिक प्रगत से लेकर परम्परागत समाजों की सामाजिक व्यवस्थाओं की सभी श्रेणियों में शिथिलता के बाद पुनः प्रसिद्धि (धर्म की) की क्रिया चल रही है। ये धर्मनिरपेक्षीकरण से पीछे हट रहे हैं तथा धार्मिक पुनरुत्थान की ओर बढ़ रहे हैं; क्योंकि आधुनिक समाज में वैयक्तिक स्तर पर तथा संस्थागत स्तर पर समस्याओं के समाधान में विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा विवेकीकरण असफल सिद्ध हुए हैं; मनुष्य के चाहत के वास्तविक विशय को हल कर पाने के लिए भी यह कोई स्पष्ट दिशा-निर्देशा नहीं दे पाया है। आधुनिक विकास के परिणामस्वरूप अनगिनत विखण्डन मनुष्य ने झेले हैं अतः अब मनुष्य एक नई पहचान की खोज में है।

एक आधुनिकीकृत समाज में विभिन्न स्तरों पर बहुत सारे विभेदों के कारण मनुष्य हेतु वैयक्तिक स्तर पर अनेकों विकल्प उपलब्ध हैं; किन्तु, सामूहिक स्तर पर वह किसी खास विकल्प के चयन हेतु बाध्य हैं। विविध नागरिक क्षेत्र में व्यक्ति की वैयक्तिक पहचान का संकट खड़ा है। 'आप कौन हैं' यह जानना बहुत कठिन है। आधुनिक तथा वैश्वीकृत दुनिया में मनुष्य की पहचान खण्डित हुई है अथवा पहचान विजातीय हुई है। बहुतों के लिए पहचान का अर्थ बोध एक समस्या बन गया है। इस परिस्थिति में कट्टरवादी धार्मिक आन्दोलनों ने 'स्व' को एक समग्र भाव उपलब्ध कराया है।

धार्मिक राष्ट्रवादी आन्दोलन : सन् 1985 के बाद से ऐसे धार्मिक समूहों का उदय होना शुरू हुआ जो राजनीतिक क्रियाओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे; यही नहीं बल्कि ये धार्मिक समूह राष्ट्रीय क्रान्तियों के अगुआ की भूमिका भी अदा करते थे; ऐसे धार्मिक समूहों के उदय की समस्या के प्रति विद्वान जागरूक हुए तथा उन्होंने ऐसे समूहों के लिए रूढ़िवादी, नव-परम्परावादी तथा युद्धप्रिय/लड़ाकू धार्मिक समूह आदि संज्ञा प्रदान की। कुछ विद्वानों ने दलील दी कि किसी राष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक भविष्य के लिए लड़ने वाले समूह हेतु 'धार्मिक राष्ट्रवादिता' पद का प्रयोग किया जा सकता है भले ही उस समूह की गतिविधियाँ पूर्णतया धार्मिक न हों; तथा अधिकांश भाग राजनीतिक एक्टिविस्टों का हो जो राष्ट्र-राज्य के लिए एक नया आधार देने के क्रम में गम्भीरतापूर्वक आधुनिक राजनीतिक

भाषा की पुनर्संरचना कर रहे हैं।

ऐसे समूहों का राष्ट्र-राज्य की राजनीतिक संरचना से बहुत अधिक कुछ लेना-देना नहीं था बल्कि ये तो राजनीतिक वैचारिकी के बुनियादी दर्शन से सम्बन्धित थे।

राबर्टसन इसे वैश्वीकरण के दौर में गहरी विशिष्टताओं को बनाए रखने के लिए स्थानीय समूहों की एक राजनीतिक पहचान की घोषणा के रूप में देखता है। निकाई किड्डेई इस क्रम में प्रश्न उठाता है कि क्या ऐसे प्रयासों से हमेशा राष्ट्रवाद केन्द्रीय विषय रहता है? जिसके लिए 'नया धार्मिक राजनीति' पद का प्रयोग का प्रस्ताव किया गया है।

मार्टिन मार्टी और आर. स्काट ऐप्लीबाई ने 1991 में अपने प्रसिद्ध सिकागो अध्ययन में विस्तार से कट्टरवादिता की विशिष्टताओं को स्पष्ट किया है। यहाँ जिस अर्थ में हम 'धार्मिक राष्ट्रवाद' पद का प्रयोग कर रहे हैं उसी अर्थ में उन्होंने कट्टरतावाद पद का प्रयोग किया है। उन्होंने गैर पश्चिमी दुनिया के उदीयमान राष्ट्र-राज्यों द्वारा आक्रामक, अन्तर्वेधी और धमकाने वाले आधुनिकता के गुणों के विरोध में कट्टरतावाद का उदय बताया है। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि यूरोप के उपनिवेशवाद के अधीन रह चुके ईस्लामिक राष्ट्र जब आजाद हुए तो यूरोप की हेजमनी के खिलाफ उन देशों में ईस्लामिक कट्टरतावाद का प्रतिक्रिया स्वरूप उदय हुआ। वैश्वीकरण के आक्रमण से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में धार्मिक पहचान को स्वीकार किया, इसे एकीकृत बाजार व्यवस्था के रूप में देखा गया जो अपने साथ विभिन्न वस्तुओं, मूल्यों, विश्वासों तथा शैलियों को लेकर आया; व्यक्ति के स्तर पर तथा संस्कृति के स्तर पर इसके विस्तार का भय तथा अतिजीविता की चुनौती तथा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के उदय का भय जिसमें उनकी अपनी विशिष्टताओं का लोप तथा एकरूपता का उदय हो जो नियमों, नीतियों, समाज अर्थ व्यवस्था और संस्कृति को अपने आगोश में ले ले। अतः निजी तथा सार्वजनिक दोनों स्तरों पर इससे बचने के लिए कट्टरतावाद की ओर झुकाव बढ़ा। धर्म को सिर्फ विश्वास तक सीमित नहीं रखा गया बल्कि धर्म जीवन की पद्धति के रूप में घोषित किया गया। इस प्रकृति वाला कट्टरतावाद वास्तव में क्लासिकल धार्मिक कट्टरतावाद से नितान्त भिन्ना रहा है, किन्तु, धार्मिक भाषा में इसे धर्मनिरपेक्षता का विरोधी कहा जाता है।

धार्मिक और राष्ट्रवादी आन्दोलनों के संदर्भ में यह भी दिखाई पड़ता है कि विदेशी और पराये के विरुद्ध एक हथियार के रूप में वास्तविकता और असली संस्कृति का प्रयोग किया गया। हालांकि यह वास्तविकता प्रश्नवाचक है, क्योंकि यह सिद्ध कर पाना बड़ा कठिन है कि क्या वास्तविकता है और क्या वास्तविक नहीं है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है : यह माना जाता है कि वैश्वीकरण द्वारा अमेरिकन संस्कृति और धर्म का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, इसे ईस्लामिक देश विदेशी और पराया मानते हैं तथा इसे हटाने के लिए ईस्लाम को असली तथा वास्तविक करार देते हैं, जबकि ईस्लाम तो बहुत नया धर्म और संस्कृति है। इस्लामिक देश हजारों वर्षों से अस्तित्ववान हैं। अतः उसी ईस्लामिक देश के कुछ निवासी यह भी दलील दे सकते हैं कि आठवीं शताब्दी के पूर्व उनके देश में जो धर्म था वही असली और वास्तविक है अतः उसी को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि सामान्यतया ईस्लाम आठवीं शताब्दी से आरम्भ होकर विस्तार पाया है। अतः वास्तविक और असली धर्म आठवीं शताब्दी से पूर्व का है। यह दलील तथ्य परक है। अतः वास्तविक और असली प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। असली और वास्तविक के नाम पर वास्तव में देश की अन्य दूसरी

परम्पराओं तथा धाराओं की उपेक्षा की जाती है। इतिहासकार मानते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से अन्तःसांस्कृतिक विनिमय जो व्यापार और विजय द्वारा हुए उसमें 'वास्तविकता तथा अपना' की तलाश एक अत्यधिक समस्या मूलक कार्य है। कट्टरवादी आन्दोलन वास्तव में खोजी गई परम्पराओं पर आधारित एक डील है।

हालांकि, कट्टरतावाद वास्तव में आधुनिकता को पूर्णतया अस्वीकार नहीं करता है, यह परम्परा तथा आधुनिकता दोनों के कुछ चुनिंदा पक्षों को स्वीकार करता है, क्योंकि अपनी पृथक पहचान बनाने के लिए कट्टरवादी आन्दोलनों द्वारा आधुनिकता के ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीक आदि सभी का प्रयोग भी किया जाता है। वस्त्र, नारियों से व्यवहार तथा परिवार व्यवस्था आदि कतिपय क्षेत्रों में परम्परा के अनुसरण पर बल दिया जाता है। 'Religious Fundamentalism and the Human Rights and Women' नामक पुस्तक सन् 1999 में प्रकाशित हुई, इसे जे० एस० हैली ने सम्पादित किया है। अपनी इस पुस्तक में हैली लिखता है कि अभी तक यह अपर्याप्त रूप में ही स्वीकार किया गया है कि लिंग के मुद्दे ने कट्टरतावादित की भाषा में एक निर्णायक भूमिका अदा की है। वह कहता है कि बेहतर इसलिए माना जाता है कि लिंगों के बीच प्राकृतिक भेद एक ईश्वरीय स्वीकृत दृष्टि है जो महिलाओं को इस योग्य बनाती है कि वे सीमाओं में रहें तथा पुरुषों के संरक्षण में जिये, यह कट्टरवादियों द्वारा उछाले जाने वाली दृष्टि है। आधुनिक प्रौद्योगिकियों, वैज्ञानिक विकासों, सूचना प्रौद्योगिकी, आधुनिक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, कम्प्यूटरों, इण्टरनेट, व्यापक जन शिक्षा, आदि के रूप में आधुनिकता प्रकट हुई थी। इनका जमकर प्रयोग कट्टरवादी आन्दोलनों द्वारा किया जा रहा है। देशीकरण के लिए संघर्ष करने वाले कट्टरवादी आन्दोलन विदेशों द्वारा वित्त पोषित होते हैं। मार्टी तथा ऐप्लबाई के अनुसार कट्टरवाद अपनी रणनीतियों और पद्धतियों में परम्परावाद की तुलना में आधुनिकतावाद से अधिक लगाव रखते हैं। अतः जब आधुनिकता की शक्ति तथा प्रभाव से कट्टरवाद कुढ़ता है तो आधुनिकता की प्रक्रियाओं तथा उपकरणों का शोषण करता है। कट्टरवाद कभी-कभी शक्ति प्राप्त करने के लिए आधुनिकता की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी दुरुपयोग करता है।

कट्टरवाद 'लगान-पहचान आवेश' द्वारा संचालित होता है। नृजातीय समुदायों और धार्मिक समूह प्रायः स्व-ऊर्जा और स्तर की प्यास रखते हैं जिसकी स्वाभाविक परिणति 'लगाव पहचान आवेश' होती है। अतः कट्टरवाद एक ऐसा प्रयास है जो किसी स्थापित पहचान को समाप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि धार्मिक पुनरुत्थान के पीछे सांस्कृतिक अतिजीविता का विचार कार्य करता है।

राबर्टसन कट्टरवाद को वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होने के बजाए इसकी एक उपज मानता है। राबर्टसन वैश्विकता तथा स्थानीयता के विरोधाभासों में पहचान की खातिर के संदर्भ में कट्टरतावाद को देखता है, जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया की एक सामान्य उपज है। राबर्टसन कट्टरवाद को 'मूल भूत के लिए तलाश' के रूप में देखता है, इसे वह दुनिया के तुलना के संदर्भ में देखता है, जो अतिवाद पद के बजाए लोगों के वास्तविक व्यवहारों की एक अधिक सम्मानजनक स्वीकृति थी। अतः कट्टरवाद का अर्थ है निष्कर्षों के लिए निश्चित रास्ते, समग्र के रूप में एक दुनिया, रास्ते जो धड़लने से सम्बद्ध समूहों की शक्ति बढ़ाने के प्रयासों को सम्मिलित करते हैं। यह आवश्यक रूप से वैश्विक-विरोधी नहीं है।

धार्मिक कट्टरतावाद का एक नया संस्करण इस्लामी आतंकवाद : सन् 1980 से वैश्वीकरण की शुरुआत मानी जाती है। इसी दौर में धार्मिक

कट्टरतावाद का एक नया संस्करण सामने आया है, जिसका गहरा रिश्ता आतंकवाद से है। आज का इस्लामी आतंकवाद बहुत ही व्यापक, विविधता लिए और जटिल घटनाक्रम होने के साथ-साथ ऐतिहासिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक घटनाक्रम भी है। इसकी गहरी जड़े इस्लामी दुनिया में हैं और दशकों से, सदियों से पश्चिमी देशों के इस्लामी विश्व के साथ पारम्परिक सम्बन्धों में भी हैं। इस व्यापक घटनाक्रम की कई किस्में हैं : एक रूप राष्ट्रीय है जिसका नमूना अल्जीरिया, इरान, सऊदी अरब, थाईलैण्ड तथा पाकिस्तान में मिलता है, दूसरा रूप क्षेत्रीय (अक्सर मुश्किल भौगोलिक संघर्षों पर आधारित) है, जिसका नमूना कश्मीर तथा चेचेन्या और कई मायनों में इजराइल-फिलिस्तीन में मिलता है, और तीसरा रूप वैश्विक है, जिसका नमूना दिनांक 11 सितम्बर, 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तथा पेंटागन पर हवाई हमला तथा जुलाई 2005 को लंदन में बम विस्फोट है, जो एक वैश्विक विचारधारा के प्रतीक निर्मित करने के प्रयास थे।

आम मुसलमानों का इससे कुछ भी लेना-देना नहीं है। सिर्फ .5 प्रतिशत से भी कम इस कट्टरवाद को वैश्विक रूप देने में संलग्न हैं। कट्टरपंथियों के इस वैश्विक रूप का भरोसा संगठन के मुकाबले विचारधारा पर अधिक है। सन् 1995 से 'तालिबान' नामक संघटन ने अफगानिस्तान की वैध तथा जन सत्ता को बेदखल कर अपना कब्जा जमा लिया। स्त्री शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध, लड़कियों के स्कूलों की बंदी जैसे आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों व व्यवस्था के खिलाफ तालिबान ने प्रतिबंध लगाया। इस क्रम में कुछ तथ्य उल्लेखनीय हैं।

2001 में यू0एन0 की सेना द्वारा तालिबान शासन अफगानिस्तान से खदेड़ा गया। इसके बाद तालिबान द्वारा एक बड़ा हमला अक्टूबर 2002 में बाली में हुआ, जहाँ एक नाइट क्लब में आत्मघाती हमले में 200 से अधिक लोग मारे गए। 11 सितम्बर, 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तथा पेंटागन हाऊस पर अमेरिकी विमानों द्वारा ही बड़े विस्फोट कराए गए इनमें लगभग 5000 लोग (बेगुनाह) मारे गए। सन् 2003 में भारत की ससंद पर हमला हुआ, बम्बई में बम विस्फोट हुए। 5 जुलाई, 2005 को भारत के अयोध्या में श्री राम लला के मन्दिर पर आर0 डी0 एक्स0 द्वारा विस्फोट कराया गया। 7 जुलाई, 2005 को लंदन में भीषण बम विस्फोट कराया गया। 11 सितम्बर, 2004 को सलान में चेचन बागियों ने दो दिन तक एक स्कूल पर कब्जा रखा जिसे मुक्त करने में 172 बच्चों (छात्रों/छात्राओं) सहित अनेकों की जान गई। ऐसी अनगिनत आतंकवादी कार्यवाहिया इस्लामिक जेहाद/कट्टरवाद के नाम पर हुईं तथा इन वारदातों में आधुनिकता के समस्त उपकरणों का प्रयोग किया गया एवं इसे वैश्विक जामा पहनाने का प्रयास किया गया। ऐसे वैश्विक कट्टरवादी आन्दोलनों से किसी का भला होने वाला नहीं है। यह बात वैश्विक स्तर पर ही समझी तथा समझायी जानी चाहिए। कुछ सकारात्मक संकेत आ रहे हैं। आज दुनिया के तमाम देश ऐसे कट्टरवादी आन्दोलनों के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, किन्तु अभी लक्ष्य

से दूर हैं। ठोस वैश्विक पहल अपरिहार्य है, वैचारिक स्तर पर; सैन्य कार्यवाही के स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक पहल द्वारा वैचारिक परिवर्तन आवश्यक है।

निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि दुनिया की अधिकांश संस्कृतियों में धर्म आज भी मानवीय जीवन का एक स्थाई अवयव है। एक वैश्वीकृत परिस्थितियों में सहअस्तित्व तथा धर्म का हस्तक्षेप और धर्म निरपेक्ष में सह अस्तित्व तथा धर्म का हस्तक्षेप और धर्म निरपेक्ष देखा गया। धर्म, फिर भी एक तरफ तो राष्ट्रीय विभेदों के लिए आधार थे और दूसरी ओर पूर्ण मानवता की प्राप्ति के आधार पर बन चुके थे, अर्थात् धर्म ने वैश्वीकरण को बढ़ाया भी तथा रोका भी। वास्तव में वैश्वीकरण ने धर्म का पुनरुत्थान किया। आज कट्टरतावाद पद का प्रयोग मुख्यतः दो प्रकार के धार्मिक आन्दोलनों के लिए किया जा रहा है। प्रथम नए धार्मिक आन्दोलन तथा आध्यात्मिक उत्साह जो मूलभूत की ओर लौटने का भाव रखते हैं, अथवा समकालीन समाज की सामाजिक परिस्थितियों के नए धार्मिक जवाब हैं। दूसरा, धार्मिक राष्ट्रवाद जो एक धार्मिक संस्कृति के लिए राजनीतिक पहचान रखने वाले धार्मिक नेताओं द्वारा अत्यधिक राजनीतिक अभिव्यक्ति हैं।

लारेन्स के अनुसार, दुनिया के पैमाने पर एक-एक कट्टरवादी आन्दोलनों को स्वीकार करने तथा स्थानीय आधार पर घोषित उनके एजेंडों को स्वीकारने के बजाए आज वैश्विक कट्टरतावाद कहना ज्यादा बेहतर है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सेनगुप्ता, देबजानी (2006)। 'ए सिटी फीडिंग ऑन इटसेल्फ: टेस्टीमोनीज एंड हिस्ट्रीज ऑफ यडायरेक्ट एक्शन डे' (पीडीएफ)। नरुला में, मोनिका (एड.) अशांति सराय पाठक। वॉल्यूम।
2. सराय कार्यक्रम, विकासशील समाजों के अध्ययन के लिए केंद्र। पीपी। 288-295। ओसीएलसी 607413832।
3. एल/आई/1/425। ब्रिटिश लाइब्रेरी आर्काइव्स, लंदन।
4. 'भारत में सांप्रदायिक हिंसा का कालक्रम'। हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स। 10 फरवरी 2004। 7 जनवरी 2021 को लिया गया।
5. निकोल्स, बी (2003)। 'हत्या की राजनीति: केस स्टडीज और विश्लेषण' (पीडीएफ)। ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल स्टडीज एसोसिएशन सम्मेलन। मूल (पीडीएफ) से 5 मार्च 2009 को पुरालेखित। 4 सितंबर 2007 को पुनःप्राप्त।
6. मुखोटी, गोबिंद; कोठारी, रजनी (1984)। 'दोषी कौन हैं?'। पीपुल्स यूनिवर्सिटी फॉर सिविल लिबर्टीज।
7. वॉच/एशिया, ह्यूमन राइट्स; (यू.एस.), फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (मई 1994)। मृत मौन: पंजाब में मानवाधिकारों के हनन की विरासत। मानवीय अधिकार देखना। पी। आईएसबीएन 978-1-56432-130-5। 29 जुलाई 2010 को पुनःप्राप्त।

Examining the Impact of Peer Groups on Food Preferences among College Girls: A Comparative Study in Udaipur City, Differentiating Urban/Rural, Government / Private, Undergraduate/Postgraduate Girls

Rashmi Manoj* Vinita Sharma**

Abstract - The influence of peer groups on food preferences among college girls is a topic of significant research interest. Peer groups play a central role in shaping dietary choices, and their influence can impact both healthy and unhealthy eating behaviours. The urban/rural divide, type of college attended, and academic level further contribute to variations in the impact of peer groups on food preferences. Recognizing these influences is essential for developing effective strategies to promote healthy eating habits and overall well-being among college girls. In the context of understanding the influence of peer groups on food preferences among college girls in Udaipur City, a study was conducted. The study employed a random sampling method to select the participants. A five-point rating scale was utilized to gather data, and all statistical calculations were performed using SPSS. The findings revealed that there was no significant difference in the opinions of urban and rural college girls, government and private college girls, or undergraduate and postgraduate girls regarding the influence of peer groups on food preferences.

Keywords: Peer group, Food preference, Urban/Rural Girls, Government/ Private College girls, Undergraduate/ Postgraduate Girls.

Introduction - The impact of peer groups on food preferences among college girls has gained considerable attention in recent years, as young adults often undergo significant lifestyle changes and experience heightened social influences during their college years (Robinson et al., 2013). Peer groups play a pivotal role in shaping individuals' attitudes, behaviours, and choices, including their dietary preferences. Understanding how peer groups influence food preferences among college girls is essential for promoting healthy eating habits and addressing potential negative outcomes such as unhealthy dietary patterns and disordered eating behaviours (Salvy et al., 2012).

Research studies have shed light on the significant influence of peer groups on food preferences among college girls. For instance, a study by Higgs et al. (2019) found that peer influence plays a crucial role in shaping the dietary choices of young adults, including college students. The study highlighted how peer groups can impact the adoption of both healthy and unhealthy food preferences, as individuals tend to mirror the eating habits of their peers. This influence stems from social norms, the desire for acceptance, and the need to fit in within the college social environment.

Furthermore, the impact of peer groups on food preferences may be influenced by various factors, such as the urban/rural divide, the type of college attended

(government/private), and the academic level (undergraduate/postgraduate). Understanding the mechanisms by which peer groups influence food preferences among college girls is crucial for designing interventions and educational programs aimed at promoting healthy eating habits (Bevelande et al., 2012). By creating a supportive environment that encourages positive peer influences, colleges and universities can foster healthier food choices and help mitigate the risks of unhealthy dietary patterns among young women.

Methodology: A random sampling method was employed to select the participants for this study. The selection process aimed to include a total of 360 samples, with an equal representation of 180 urban college girls and 180 rural college girls. Among the urban college girls, 90 participants were chosen from a Government College, while the remaining 90 participants were selected from a Private College. In both the urban and rural categories, the sample group consisted of 45 girls from undergraduate courses and 45 girls from postgraduate courses. A similar sampling criterion was followed for the group of 180 rural college girls.

It was assumed by the researcher that the individuals who took part in the quantitative survey possessed an understanding of the questions and provided honest and accurate responses. A five-point rating scale, specifically

the Likert method of scaling, was used in this study. This tool was selected due to its ability to enhance both the response rate and the quality of responses, while minimizing respondent confusion regarding statements. Suitable statistical techniques were applied to analyze the collected data, and the level of significance was determined at the 0.05 level. All calculations were performed using SPSS (Statistical Package for Social Science, Ver 21.0).

Results and Discussion : Association between opinions about 'Peer group influences food preference' and study groups (Urban Vs Rural, Government Vs Private and UG Vs PG) is shown in Table 1.(see below)

Out of total responses received 9.2% strongly disagree, 12.5 % disagree, 13.6 % indecisive, 16.1 % agree and 48.6 % were strongly agreed regarding 'Peer group influences food preference'.

Out of total urban girls, 10.6 % were strongly disagree, 12.2 % were disagree, 12.2 % were indecisive, 15.0 % were agree and 50.0 % were strongly agree about 'Peer group influences food preference' while out of total rural girls, 7.8 % were strongly disagree 12.8 % were disagree, 15.0 % were indecisive, 17.2 % were agree and 47.2 % were strongly agree regarding 'Peer group influences food preference'. The Chi Square value was found to be 1.709 which is insignificant ($p > 0.05$). It infers that the girls from urban and rural areas do not have significant difference in opinion regarding 'Peer group influences food preference'. Out of total girls studying in Government colleges, 10 % were strongly disagree, 12.8 % were disagree, 12.2 % were indecisive, 15.6 % were agree and 49.4 % were strongly agree on the aspect 'Peer group influences food preference' as while out of total girls studying in private colleges, 8.3 % were strongly disagree, 12.2 % were disagree, 15.0 % were indecisive, 16.7 % were agree and 47.8 % were strongly agree with regard to 'Peer group influences food preference'. The Chi Square value was found to be 0.926 which is insignificant ($p > 0.05$). It infers

that the girls studying in government and private colleges do not have significant difference in opinion about 'Peer group influences food preference'.

Out of total girls studying in undergraduate classes, 9.4 % were strongly disagree, 13.9 % were disagree 16.7 % were indecisive, 15.6 % were agree and 44.4 % were strongly agree regarding 'Peer group influences food preference' while out of total girls studying in postgraduate classes, 8.9 % were strongly disagree 11.1 % were disagree, 10.6 % were indecisive, 16.7 % were agree and 52.8 % were strongly agree regarding 'Peer group influences food preference'. The Chi Square value was found to be 4.410 which is insignificant ($p > 0.05$). It infers that the girls studying in undergraduate and postgraduate classes do not have significant difference in opinion regarding 'Peer group influences food preference'.

Conclusion: It was found that all the study groups have no significant difference in opinion regarding 'Peer group influences food preference' and 64.7% of the respondents agree that their food preference is affected by peer group.

References:-

1. Bevelander, K. E., Anschutz, D. J., & Engels, R. C. (2012). Social norms in food intake among normal weight and overweight children. *Appetite*, 58(3), 864-872.
2. Higgs, S., Thomas, J., & Booth, D. A. (2019). Influences of social norms and beliefs on eating habits among university students. *Appetite*, 134, 110-117.
3. Robinson, E., Harris, E., Thomas, J., Aveyard, P., & Higgs, S. (2013). Reducing high calorie snack food in young adults: A role for social norms and health based messages. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 10(1), 1-10.
4. Salvy, S. J., De La Haye, K., Bowker, J. C., & Hermans, R. C. (2012). Influence of peers and friends on children's and adolescents' eating and activity behaviors. *Physiology & Behavior*, 106(3), 369-378.

Table 1: Association between opinions about peer group influences food preference and study groups (Urban Vs Rural, Government Vs Private and UG Vs PG)

		Peer group influences food preference					Total	Chi-Square (p value)
		Strongly Disagree	Disagree	Indecisive	Agree	Strongly Agree		
Total Urban	F	19	22	22	27	90	180	1.709(0.789)
	%	10.6%	12.2%	12.2%	15.0%	50.0%		
Total Rural	F	14	23	27	31	85	180	100.0%
	%	7.8%	12.8%	15.0%	17.2%	47.2%		
Total Government	F	18	23	22	28	89	180	0.926(0.921)
	%	10.0%	12.8%	12.2%	15.6%	49.4%		
Total Private	F	15	22	27	30	86	180	100.0%
	%	8.3%	12.2%	15.0%	16.7%	47.8%		
Total UG	F	17	25	30	28	80	180	4.410(0.353)
	%	9.4%	13.9%	16.7%	15.6%	44.4%		
Total PG	F	16	20	19	30	95	180	100.0%
	%	8.9%	11.1%	10.6%	16.7%	52.8%		
TOTAL	F	33	45	49	58	175	360	100.0%
	%	9.2%	12.5%	13.6%	16.1%	48.6%		

माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन – शाजापुर जिले के सन्दर्भ में

डॉ. खेल शंकर व्यास* वितेक दुबे**

शोध सारांश – आपदाओं के दौरान बच्चों अतिसंवेदनशील होने के कारण सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उनकी सुरक्षा के साथ-साथ शिक्षण कार्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः बच्चों की शिक्षा में आपदा संबंधी जागरूकता एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम को शामिल किया जाना जरूरी है, इसके लिए स्कूली शिक्षा में अन्य विषयों के अध्ययन – अध्यापन के साथ आपदा प्रबंधन शिक्षण की व्यवस्था हेतु प्रशिक्षित शिक्षक आवश्यक है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शाजापुर जिले के उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया। प्रयुक्त सांख्यिकीय तकनीक एवं प्रदत्तों के विश्लेषण पश्चात् ज्ञात हुआ कि – शासकीय माध्यमिक स्तर के पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं में आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अन्तर पाया गया। शासकीय उच्च माध्यमिक स्तर के पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं में आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अन्तर पाया गया एवं माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

प्रस्तावना – भारत के 12 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 90 प्रतिशत में प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, भूकम्प, भूस्खलन, बाढ़ और सूखे आदि का कहर निरंतर रहता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय क्षति की वजह से आपदाओं की तीव्रता एवं आवृत्ति भी अधिक हो गई है।

प्राकृतिक आपदाओं के दौरान व उसके बाद सबसे अधिक बच्चों का स्कूल प्रभावित होता है, क्योंकि स्कूलों को आपदा के समय बतौर आश्रय स्थल इस्तेमाल किया जाता है। आपदाओं से विद्यालय एवं बच्चों की सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस सम्बन्ध में केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है और इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NIDM) द्वारा दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

बच्चों दिन का अधिकतम समय विद्यालय में अपने शिक्षकों के साथ व्यतीत करते हैं, बल्कि उनके द्वारा दिए गए संस्कार जीवन पर्यन्त बच्चों के व्यक्तित्व का अंग बन जाते हैं। बच्चों में नई बातें सीखने की स्वाभाविक ललक एवं इच्छा होती है। यदि आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी ज्ञान उन्हें पाठ्यपुस्तकों एवं पाठ्यचर्या के माध्यम से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दिया जाए तो वह ज्ञान न केवल उनके जीवन पर्यन्त काम आएगा, अपितु वे उस ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों एवं समुदाय के साथ साझा कर सकते हैं। अतः शाला में अन्य विषयों के अध्ययन- अध्यापन के साथ आपदा प्रबंधन के शिक्षण की व्यवस्था एवं प्रशिक्षित शिक्षक होना जरूरी है। इसके लिए शिक्षकों में आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को जानना नितान्त आवश्यक है।

आपदा प्रबंधन शिक्षा – आपदा प्रबंधन से तात्पर्य आपदा को रोकने के सार्थक उपाय, आपदा का सामना किस प्रकार किया जाए आदि बातों के

प्रबंधन से हैं। आपदा प्रबंधन को सीखना एवं सिखाना ही आपदा प्रबंधन शिक्षा है।

शिक्षकों की अभिवृत्ति – आपदा प्रबंधन के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति से आशय, शिक्षकों का आपदा प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण से है, जो आपदा की स्थिति में व्यवहारों को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है।

संबंधित साहित्य

गौतम, महेश कुमार (2008) द्वारा आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की जागरूकता अप्रकाशित लघु शोध हेतु निम्न शोध उद्देश्य लिये गए-

1. सी.बी.एस.ई. के विद्यार्थियों एवं आर.बी.एस.ई. के विद्यार्थियों की आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. सी.बी.एस.ई. एवं आर.बी.एस.ई. स्कूलों के शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना। शोध के न्यादर्श के रूप में दो सी.बी.एस.ई. एवं दो आर.बी.एस.ई. स्कूलों के 80 विद्यार्थियों पर 40 शिक्षकों का चयन किया गया तथा शोध को जयपुर शहर तक ही सीमित रखा गया। निष्कर्ष यह पाया गया कि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में आपदा प्रबंधन के प्रति सामान्य जागरूकता है एवं सी.बी.एस.ई. के विद्यार्थियों में आर.बी.एस.ई. के विद्यार्थियों से आपदा प्रबंधन के प्रति अधिक जागरूकता है।

होड़ा, रजनी (2010) ने 'आपदा प्रबंधन शिक्षा पर शैक्षिक पैकेज का विकास करना तथा विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों की जागरूकता पर इसकी प्रभावता की तुलना करना' विषय पर शोध कार्य किया। शोध के उद्देश्य थे-

1. आपदा प्रबंधन शिक्षा पर शैक्षिक पैकेज (एनिमेटेड सीडी, पावर प्वाइंट प्रस्तुति) तैयार करना।
2. विभिन्न स्तर (कानून, प्रबंधन, सीबीएसई विद्यालयों के तीनों

* विभागाध्यक्ष, पेसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एवं रिसर्च सेन्टर, उदयपुर (राज.) भारत

** शोधार्थी, पेसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एवं रिसर्च सेन्टर, उदयपुर (राज.) भारत

संकायों- कला, वाणिज्य, विज्ञान) के विद्यार्थियों की आपदा प्रबंधन जागरूकता पर शैक्षिक पैकेज की प्रभाविता को जानना एवं इनकी परस्पर तुलना करना। शोधार्थी ने शोध पश्चात पाया कि आपदा प्रबंधन शिक्षा पैकेज का एमबीए एवं कानून के विद्यार्थियों, कला एवं कानून के विद्यार्थियों, विज्ञान एवं कानून के विद्यार्थियों में जागरूकता के लाभ स्कोर में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

अरोरा, आर. के., पाटनवाला, अंजना (2016) के शोध विषय 'माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र., भोपाल से मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं केन्द्रीय विद्यालय के हाईस्कूल स्तर के विद्यार्थियों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति जागरूकता' के उद्देश्य थे -

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल से मान्यता प्राप्त विद्यालय के विद्यार्थियों एवं केन्द्रीय विद्यालय के हाईस्कूल स्तर के विद्यार्थियों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. केन्द्रीय विद्यालय के हाईस्कूल स्तर के विद्यार्थियों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना। शोध अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि - माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल से मान्यता प्राप्त विद्यालय के विद्यार्थियों की अपेक्षा केन्द्रीय विद्यालय के हाईस्कूल स्तर के विद्यार्थियों में आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति जागरूकता अधिक है।

समस्या कथन - 'माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन - शाजापुर जिले के सन्दर्भ में।'

अध्ययन के उद्देश्य :

1. माध्यमिक स्तर के पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना:

1. माध्यमिक स्तर के पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

न्यादर्श - प्रस्तुत शोध अध्ययन में यादृच्छिक विधि के अंतर्गत सौद्देश्य तकनीक के माध्यम से न्यादर्श का चयन किया गया है। इस न्यादर्श विधि द्वारा शाजापुर जिले के 10 शासकीय माध्यमिक विद्यालय एवं 10 शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 5 - 5 शिक्षकों, कुल 100 शिक्षकों का चयन किया गया है।

न्यादर्श का तालिका प्रस्तुतीकरण है - (अगले पृष्ठ पर देखें)

शोध विधि - प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि प्रयुक्त की गई है।

सांख्यिकीय प्रविधि - संकलित प्रदत्तों का विश्लेषण करने के लिए मध्यमान, मानक विचलन तथा 'टी' परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

शोध उपकरण - आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति के मापन हेतु शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित अभिवृत्ति मापनी को न्यादर्श पर प्रशासित कर प्रदत्तों को संकलित किया गया है।

परिसीमन - प्रस्तुत शोध अध्ययन शाजापुर शहर तक सीमित रखा गया है। साथ ही यह शोध अध्ययन माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के अध्ययन तक सीमित है।

परिणाम एवं विवेचना - परिकल्पना के आधार पर आंकड़ों से प्राप्त परिणामों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका - 01 (अगले पृष्ठ पर देखें)

तालिका 1 से पता चलता है कि माध्यमिक स्तर के पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के प्रभाव के माध्य फलांकों से सम्बन्धित प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 12.96 व 12.02 एवं प्रमाणिक विचलन 8.40 व 12.12 है, तथा इनके माध्य फलांकों में सार्थक अन्तर के लिए टी - मानों की गणना करने पर टी-मान 3.047 प्राप्त हुआ जो कि स्वतन्त्रता के अंश 48 पर दिए गए तालिका मूल्य 0.01 स्तर पर 2.576 से अधिक है। अतः यह सार्थकता के स्तर 0.01 स्तर पर सार्थक है। इसलिये शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।' अस्वीकृत की जाती है। माध्यमिक स्तर के महिला शिक्षिकाओं की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का माध्य 12.96 है जो कि पुरुष शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के मान 12.02 से अधिक है।

अतः निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर के महिला शिक्षिकाओं की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों का मान, पुरुष शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों के मान से अधिक पाया गया। अर्थात् शासकीय माध्यमिक स्तर के पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं में आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अन्तर पाया गया।

तालिका - 02 (अगले पृष्ठ पर देखें)

तालिका 2 से पता चलता है कि उच्च माध्यमिक स्तर के पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों से सम्बन्धित प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 13.05 व 12.16 एवं प्रमाणिक विचलन 7.38 व 9.22 है, तथा इनके माध्य फलांकों में सार्थक अन्तर के लिए टी - मानों की गणना करने पर टी-मान 3.659 प्राप्त हुआ जो कि स्वतन्त्रता के अंश 48 पर दिए गए तालिका मूल्य 0.01 स्तर पर 2.576 से अधिक है। अतः यह सार्थकता के स्तर 0.01 स्तर पर सार्थक है। इसलिये शून्य परिकल्पना 'उच्च माध्यमिक स्तर के पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।' अस्वीकृत की जाती है। उच्च माध्यमिक स्तर के महिला शिक्षिकाओं की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का माध्य 13.05 है जो कि पुरुष शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के मान 12.16 से अधिक है।

अतः निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि उच्च माध्यमिक स्तर के महिला शिक्षिकाओं की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों का मान, पुरुष शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों के मान से अधिक पाया गया। अर्थात् शासकीय उच्च

माध्यमिक स्तर के पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं में आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अन्तर पाया गया।

तालिका - 03 (निचे देखें)

तालिका 3 से पता चलता है कि माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के प्रभाव के माध्य फलांकों से सम्बन्धित प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 12.43 व 12.55 एवं प्रमाणिक विचलन 11.59 व 9.47 है, तथा माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अन्तर के लिए टी - मानों की गणना करने पर टी-मान .557 प्राप्त हुआ जो कि स्वतन्त्रता के अंश 98 पर दिए गए तालिका मूल्य 0.01 एवं 0.05 स्तर पर के किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः यह सार्थकता के किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। इसलिये शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।' स्वीकृत की जाती है।

अतः निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों का मान में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

शोध निष्कर्ष:

1. माध्यमिक स्तर के महिला शिक्षिकाओं की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों का मान, पुरुष शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों के मान से अधिक पाया गया। अर्थात् शासकीय माध्यमिक स्तर के पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं में आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अन्तर पाया गया।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के महिला शिक्षिकाओं की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों का मान, पुरुष शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों के मान से अधिक

पाया गया। अर्थात् शासकीय उच्च माध्यमिक स्तर के पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं में आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अन्तर पाया गया।

3. माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों का मान में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

शैक्षिक निहितार्थ:

1. आपदा प्रबंधन शिक्षा को स्कूली शिक्षा में सभी स्तरों पर लागू किया जा सकता है जिससे विद्यालय में पदस्थ सभी शिक्षकों में इसके प्रति धनात्मक अभिवृत्ति विकसित होगी
2. साथ ही विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों में भी आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता विकसित हो सकेगी

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. Natural Hazards and Disaster Management- A Supplymentary Text book in Geography for class XI, Published by The Secretary, CBSE, Delhi, 2006.
2. Together, Towards a safer India- Part III, A Supplymentary Text book in Geography for class X, Published by The Secretary, CBSE, Delhi, 2006.
3. A Text Book in Social Science for Class X, Published by MP Text Book Corporation, Bhopal.
4. Boss, B.C.: Modern Encyclopedia of Disaster and Hazard Management, Rajat Publications, Delhi, 2006.
5. NIDM News letter, Regional Platform on Disaster Management, Vol. I, no. 9, August, 2006.
6. National Policy on Disaster Management-2005.
7. Pant, Vedika: Community Based Disaster Management Planing (CBDMP) in Uttarakhand, Kumaun Univ. 2012.
8. M.M.Rajeev: Disaster Management – The Role of Local Self Government and The Community Participation In Kerala, Mahatma Gandhi Univ. Kottayam, 2012.

क्र.	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या	शिक्षकों की संख्या (प्रति विद्यालय)	महिला शिक्षक	पुरुष शिक्षक
1	शा. माध्यमिक विद्यालय	10	05	22	28
2	शा. उच्च माध्यमिक विद्यालय	10	05	26	24
	कुल	20	10	48	52

तालिका - 01: माध्यमिक स्तर के पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों का सारांश

शिक्षकों की अभिवृत्ति	न्यादर्श	मध्यमान	मानक विचलन	df	'टी' परीक्षण	सार्थकता का स्तर
महिला शिक्षक	22	12.96	8.40	48	3.047*	0.01
पुरुष शिक्षक	28	12.02	12.22			

तालिका - 02: उच्च उच्च माध्यमिक स्तर के पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों का सारांश

शिक्षकों की अभिवृत्ति	न्यादर्श	मध्यमान	मानक विचलन	df	'टी' परीक्षण	सार्थकता का स्तर
महिला शिक्षक	22	13.05	7.38	48	3.659*	0.01
पुरुष शिक्षक	28	12.16	9.22			

तालिका - 03: माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की आपदा प्रबंधन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों का सारांश

शिक्षकों की अभिवृत्ति	न्यादर्श	मध्यमान	मानक विचलन	df	'टी' परीक्षण	सार्थकता का स्तर
माध्यमिक स्तर के शिक्षक	50	12.43	11.59	98	.557*	सार्थक नहीं
उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षक	50	12.55	9.47			

Effects of Drugs, Alcohol & Tobacco in Relation to Sports Performance

Dr. Pravita Khatri *

Abstract - Drugs and sports now becoming synonym. It has been noted that majority of Athletes prefer to have safe herbal medicines which are not included in the doping aspects. It is further observed that the number of players found using performances enhancing/enchasing drugs. The use of drugs in sports is not only an elite concern but also more so in sports.

Drugs are those chemical substances which can excite a person physically as well as mentally. Various players use different kinds of drugs because they help them in providing energy to perform for longer period without being feeling tired. But most doping agents have serious effects, particularly when combined, at high doses, and for long time.

Introduction - Drugs are those chemical substances which can excite a person physically, mentally and which can improve physical work performance of any individual as ergogenic aid. Various tissues or organs of the body can be affected if drug enters the blood stream by absorption or direct injection. The main function is to bring a kind of stability in the internal environment of human body, but the fact is that one man's miracle drug may prove to be another man's poison.

Various kinds of drugs are being consumed by players, some of which will be discussed in the article below. All the drugs affect the health of the players adversely, still they are consumed by them. Some of them are as follows:

Caffeine : Caffeine is a banned substance, but only at urinary levels above 12 micrograms/ml. However, ergogenics effects have been shown at levels significantly below certain level, raising ethical issues regarding the use of caffeine to improve sports performance. If the goal of drugs bans and testing is to protect the health of the athletes, prevent unfair advantage, and encourage ethical behaviour, then it would seem obvious to the acceptable levels of caffeine. However, due to the overwhelming presence of caffeine in day today life – Coca Cola, Red bulls, Coffee, etc. it seems unlikely that this steps will be taken.

Caffeine is present in many drink and cocaine is one of the most common illicit drugs world wide and it is used as an ergogenic aid in wide spread by athletes at all levels of competition, and of all ages. It is in expensive, readily available in a variety of forms, medically quite safe, socially acceptable, and by most measures legal. It is administered orally, either in a drink or as a tablet, and can appear in the blood stream in an little as within 5 minutes, with over all absorption being a fraction under 100%.

Caffeine has many different effects, both ergogenic and ergolytic, some of them are :

- a) Reduction in drowsiness and fatigue.
- b) Improve alertness and concentration.
- c) Increased contractility of skeletal muscles.
- d) Dieresis
- e) Increase oxygen consumption and metabolic rate
- f) Increased gastric acid and pepsin secretion.
- g) A mild anti nociceptive effect.

Caffeine is the powerful inhibitor of the cyclic nucleotide phosphodiesterase group of enzymes.

Anabolic Steroids :Androgenic compounds such as anabolic steroids are the most widely used drugs. Typically, anabolic steroids are administered in tablet form or injected into muscles. This is a kind of drugs which affect the central nervous system of the body. The use of this can be made only if prescribed by some physician, but it has been found that during training sessions, various weight lifters make use of this drug. Towards the ultimate achievement steroids add only ten percent. It has various negative consequences. If this drug is taken during a long period of time, it can produce various kinds of physiological and psychological affects, because of which it is advised to the players not to use them just only to gain some advantage in the sports. Growth of the hormones of players gets affected by the use of this drug. In males, the feature of impotency can be developed. In females, the menstrual cycle becomes irregular & the body becomes muscular. Various kinds of disorders emerge, kidney gets damaged and blood pressure gets increased with the use of this drug for a long period of time.

Various kinds of examinations are being done by international competitions authorities to ensure that no

player has taken or consumed this drug before taking part in the competition.

Amphetamines : Generally it is found that prior to competition when players feel tired, they consume this drug. Central nervous system of the body is being stimulated by amphetamines. This drug is most widely used by the players. With this drug, blood pressure, heart rate and muscle tension of the body gets increased. Sense of fatigue gets abolished by taking it and they feel more mentally alert by taking it. This is a very strong medicine, which can bring various kinds of harmful effects on the user, some of which are as follows:-

- a) Once taken, the player becomes habitual to take them before every competition, because of which they become totally dependent on them.
- b) Although players consider that this drug makes them mentally more alert, but the reality is that a kind of mental confusion takes place in them.
- c) Feelings of dizziness and depressions are being felt by players.
- d) Generally it is found that players making use of this drug becomes aggressive.
- e) Various kinds of problems like irritability, constipation and nutritional issues get aroused.
- f) If this drug is consumed in large quantity over a long period of time, the heart and various organs of the body gets affected adversely. Blood pressure and pulse rate gets increased and this liver gets damaged.
- g) During the competition, players being to feel nervous and problem of disturbed sleep aroused.
- h) Player's mood and constriction of blood vessels in the skin gets elevated with the use of this drug.
- i) Consumption over a long period of time may cause death.

Any player now a days who has consumed this drug gets disqualified from various international competitions.

Aspartic Acid Salts : In the treatment of fatigue, this drug is being used. It is believed that with the increase in blood ammonia, one feels fatigued. The function of returning the elevated blood ammonia concentrations to its normal state is performed by urea cycle. Physical performance of the player can be improved by decreasing the blood ammonia.

Cocaine : This drug is considered as a powerful stimulant of the brain. Ecstatic sensation of both physical and mental power can be produced it is being given in the form of intravenous injection. Feeling of fatigue can be disappeared with the use of this drug, however, temporary. Various players are being found making use of this drug as they believe that its consumption can increase their endurance. This drug affects the performance of players positively, but along with them, it also has some negative effects, because of which it is not permitted to the players to use it, which are as follows :-

- a) With the use of this drug, the temperature of the body gets increased.
- b) Heart of the player can be affected by various kinds of

diseases.

- c) Hunger of the player can be reduced.
- d) With its consumption, muscle tone gets increased, with the result of which various complex skills cannot be performed by player efficiently.

Tobacco Smoking / Chewing : Nicotine is found in tobacco, which is a kind of drug, which can be taken in various forms, like by chewing in raw form, by smoking in a pipe or cigarette and cigars. Tobacco have various negative effects on the health of player, but still it is being consumed by a large numbers of people.

Nicotine and carbon-monoxide produces various kinds of toxic effects on the body. Lumen of the blood vessels also gets reduced. Smokers generally suffer from various kinds of cardio-vascular diseases. By smoking over a long period of time, teeth of the individual gets damaged. His sense of discrimination gets dull. Various kinds of breathing problems being aroused. Lungs get affected adversely and he feels nervous and irritated in case of non-availability of cigarette. Oxygen carrying capacity of the blood gets reduced. Red blood cells do not oxygen in proper or sufficient quantity. Pulmonary diffusing capacity of the smoker gets reduced. Blood pressure gets increased. Oral / mouth cancer can take place. Thinking power of the heavy smokers gets slower down.

Alcohol : Alcohol is a habit forming drug. Person with such kind of habit has to face various kinds of problems like depression and sensibility of the person gets affected adversely. Liver, brain, blood, heart and kidney becomes weak. Eyesight gets affected and psychologically remain disturbed.

Alcohol is being consumed by players from time to time, but this kind of habit should not be developed by them because of the following reasons :

- a) Alcohol promotes dehydration.
- b) Capacity of liver to maintain blood glucose levels gets limited.
- c) Blood sugar levels gets decreased.
- d) With the use of alcohol for long time, health gets affected adversely.
- e) Strength, Power and speed becomes impaired.
- f) Although alcohol provide some kind of energy but this energy does not have essential nutrients.

How to treat Drug Addicted Persons: Various kinds of tests are being done in order to assess drug levels in the urine in various sophisticated laboratories of the world. The drug intake of the players can be confirmed with the help of these tests. The process of drug withdrawal should be done under the supervision of medical personal. Teeth of the smack addicts get affected adversely. In this field of treating the addicted persons, various de-addiction centres have been established by government.

Generally, patient is provided with acute detoxification treatment for a limited period of time, but just after a period of week, he is being discharged, with the result that most of the addicts again indulge themselves in the habit of drug

addiction such patients should be hospitalized under an experienced psychiatrist. Regular maintenance treatment should be provided to the patients for at least a period of four to six months. All the members of the family should encourage such individual to leave their drug addiction habit. Also very important point in the treatment of drug addiction is the patience of the person.

Conclusion : Drug addiction is a big issue with potential root cause for athletes. The desire to be the best in sports better than before as well as the use of drugs to boost results. With that pressure from athletes, it is not shocking that athletes substance abuse is virtually everywhere. Evidence based healthy option for the best diet, best fitness methods and psychological approaches to enhancing success should be provided by trainers, coaches, physical instructors and other health care professional, all leading to athlete trust their natural abilities.

References :-

1. B.F. Roy (2017). "Lowering Restrictions on Performance Enhancing Drugs in Elite Sports" *Inquiries Journal*. 9(3). Retrieved 7th July, 2017.
2. Bell, D. and I. Jacobs (1999). Combined caffeine and ephedrine injection improves runtimes of Canadian forces Warrior test. *Aviat Space Environ., Med.* 70(4); 325-329.
3. Daly, J., Butts Lamb, P., (1983). Sub classes of adenosine and padgett, W.receptots in the central nervous system interactions with caffeine and related methyl xanthenes, *Cell, Mol. Newobiol.* 3. 69-80.
4. George, A., (1996). *In drugs in sports*, second edition, E. and SFN spon London.
5. Katch and V.L. Katch and human performance Williams and Wilkins press, New York.
6. Mc Ardle, W.D., F11996 *Exercise Physiology, Nutrition.*
7. Mottram, David (2005); *Drugs in Sport*, Routledge.
8. Prof. Dr. Amresh Kumar (2007). "A complete book of physical education, sports and health", *Khel Sahity Kendria*, P. 237-248.
9. Spriet, L. (1995). Caffeine and performance, *Int. J. Spot. Nutr.*, 5, Suppl. 584-99.

भारतीय महिलाओं का प्रगतिपथ ओलम्पिक खेलों के संदर्भ में

डॉ. ममता*

शोध सारांश - ओलम्पिक पदक प्राप्त करना हर खिलाड़ी का सपना होता है चाहे वह पुरुष हो या महिला। प्रत्येक पेशेवर खिलाड़ी का बहु-खेल आयोजन है। देश के एक शहर में चार साल के बाद इन खेलों का आयोजन होता है। भारत में नारी का स्थान हमेशा से ही गंभीर विषय रहा है। भारत में आज भी नारी को केवल एक काम करने वाली महिला के रूप में समझा जाता है। भारत का इतिहास साक्षी रहा है कि भारतीयों ने नारी जाति को हमेशा एक बहुत अच्छा स्थान प्रदान किया है। वैदिक युग में नारी को बहुत ही उच्च स्थान पर रखा जाता था। भारत और पुराणों में भी नारी को परमेश्वर की शक्ति के रूप में स्थान दिया जाता था। विद्या, विभूति और शक्ति को सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में हम उनका पूजन आज भी करते हैं। लेकिन आज के समय में परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। आज खेलों के माध्यम से भारतीय महिलाओं ने अपनी एक अलग पहचान बनायी है। जैसे बैडमिन्टन, कुश्ती, बॉक्सिंग, टेनिस, वेटलिफ्ट आदि।

शब्द कुंजी - महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता कल्याण, आत्म-निर्वासन, सामाजिक समावेश।

प्रस्तावना - खेल में महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने की बहुत बड़ी क्षमता है। लक्ष्मीपुरी, संयुक्त राष्ट्र सहायक द्वारा टिप्पणी महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महिला उप कार्यकारी निदेशक इस शोध का उद्देश्य खेल और खेल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की स्थिति पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है और शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के मुद्दों और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। खेल लगभग हर देश की संस्कृति का एक अभिन्न अंग हैं। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने करने के लिए इसके उपयोग को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि खेल को सार्वभौमिक रूप से लड़कियों और महिलाओं के लिए उपयुक्त या वांछनीय खोज के रूप नहीं माना जाता है। आज खेलों और खेलों में महिलाओं का सशक्तिकरण 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बन गया है लेकिन व्यवहारिक रूप से खेल और खेल में महिला सशक्तिकरण अभी भी एक भ्रम है। यह हमारे दैनिक जीवन में देखा जाता है कि कैसे महिलाएँ विभिन्न सामाजिक बुराईयों का शिकार बनती हैं। संसाधनों के लिए महिलाओं की क्षमता का विस्तार करने और राजनीतिक जीवन विकल्प बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण साधन में खेल और खेल में महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य रूप से समाज में पारंपरिक रूप से वंचित महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के उत्थान की प्रक्रिया है। आज लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण की रणनीति के रूप में खेल और शारीरिक गतिविधि दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है।

महिलाओं को शिक्षा, खेल और शारीरिक गतिविधियाँ के माध्यम से और उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर देकर सशक्त बनाया जा सकता है।

खेल, लिंग और विकास पर अनुसंधान इंगित करता है कि खेल लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाकर, आत्मसम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर सामाजिक समावेश और एकीकरण की सुविधा, लिंग मानदण्डों को चुनौती देने और नेतृत्व और उपलब्धि के अवसर

प्रदान करके लाभान्वित कर सकता है। वर्ष 2019 में पश्चिम बंगाल में खेलकूद के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में, राजा नरेन्द्र लाल खान महिला महाविद्यालय (स्वायत्त) द्वारा पश्चिम मिदनापुर एवं सारग्राम जिले में 'इंटर कॉलेज स्टेट स्पोर्ट्स एंड गेम्स चैम्पियनशिप 2018-19' का सफल आयोजन शिक्षा निदेशालय के तत्वाधान में उच्च शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार

सशक्तिकरण शब्द का अर्थ- सशक्तिकरण व्यक्तियों और समुदायों की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लिंग या आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए संदर्भित करता है। आज खेल और शारीरिक गतिविधि लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक रणनीति के रूप में दुनिया भर में मान्यता प्राप्त कर रही है। शिक्षा, खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर देकर सशक्त बनाया जा रहा है। एक महिला 'महामाया' और 'महाशक्ति' दोनों हैं और दुनिया को बनाने में जैसा कि 'स्वामी विवेकानन्द' ने लिखा है कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि इस देश में पुरुष और महिलाओं के बीच इतना अंतर क्यों है जबकि वेदान्त घोषणा करता है कि सभी प्राणियों में एक ही चेतना मौजूद है। संक्षेप में महिला सशक्तिकरण व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ना है। महिला सशक्तिकरण के इन सभी क्षेत्रों में खेल और शारीरिक शिक्षा और खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि लोगों की मानसिकता बदली है और वे अब लड़कियों के जन्म का जश्न मनाते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब परिवार अपनी बेटियों को शिक्षित करने और हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करते हैं। आज हरियाणा की बेटियाँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और उनके परिवारों के साथ हरियाणा सरकार भी बेटियों की मदद कर रही है ताकि वे जीवन में नई ऊँचाई हासिल कर सकें और अपने परिवार, राज्य और देश का नाम रोशन करेंगी। मेरी व्यक्तिगत राय में यह हरियाणा सरकार की पहल महिला अधिकारिता का सबसे अच्छा उदाहरण है।

हरियाणा सरकार ने जमीनी स्तर पर भ्रूण हत्या के बारे में जागरूकता

* असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (शारीरिक शिक्षा विभाग) इस्माईल नेशनल महिला महाविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत

फैलाकर हर लड़की का जीवन बांधने का सराहनीय काम किया है। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बेटियों को प्यार स्नेह देने के लिए इस तरह कदम उठाती रहेंगी।

समुदाय और संस्थागत संसाधन अक्सर लड़कियों के लिए सीमित होते हैं। खेल कार्यक्रम उन्हें संरक्षक मजबूत महिला रोल मॉडल और एक टीम या साथियों के समूह के सामाजिक समर्थन तक पहुँच प्रदान कर रहे हैं। यह उन्हें सार्वजनिक स्थानों तक भी पहुँच प्रदान कर सकता है, विशेषकर उन समाजों में जहाँ उनकी गतिशीलता प्रतिबंधित है। खेल में कप्तानी, कोचिंग और रेफरी जैसी नेतृत्वकारी भूमिकाएँ शामिल होती हैं जो लड़कियों के आत्मविश्वास को बढ़ा सकती हैं। स्वयं लड़कियों और उनके परिवारों के बीच लड़कियों की क्षमताओं की बेहतर धारणा भी किसी के शरीर के प्रति सम्मान, अपनेपन की भावना, स्वामित्व, निर्णय लेने के कौशल के साथ-साथ घरेलू दायरे से हटकर पहचान की भावना को बढ़ाती है।

2013 में प्रो0 स्पोर्ट डेवलपमेंट (P.S.D.) की स्थापना करने वाले सुहेल टण्डन कहते हैं, 'खेल सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी साधन है, जो युवाओं के समग्र विकास के लिए खेल का उपयोग करता है।' पीएसडी ने अजमेर जिले में फुटबॉल खेलने वाली 23 लड़कियों के साथ तीन द्विवर्षीय कार्यशाला का समापन किया। टंडन कहते हैं 'पहले इन लड़कियों को घर से निकलने तक की इजाजत नहीं थी। आज वे अपने गाँवों में नेता हैं।' खेल में आप जाति आधारित अलगाव नहीं रख सकते। लड़कियों का कहना है कि एक टीम के रूप में उन्होंने बाल विवाह जैसी प्रथाओं का बहिष्कार करने का फैसला किया है। अन्य क्षेत्रों में (P.S.D.) मिश्रित लिंग मैचों का आयोजन करता है। जो लड़कियों को खेलने का अवसर देता है और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़कों को टीम के साथ के रूप में लड़कियों की सराहना करने का मौका मिलता है।

पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया, खासकर भारत में लोगों का ध्यान महिला ने खेल के माध्यम से सशक्तिकरण के विषय की ओर गया है। महिला सशक्तिकरण के बारे में यह प्रचार के पीछे तथ्य यह है कि यह चर्चा पूरी दुनिया में महिलाओं की भयावह स्थिति की गवाही देती है, लेकिन भारत और अन्य विकासशील देशों में ऐसा अधिक है। पहले महिलाओं को हमेशा दबा दिया जाता था और उनके साथ दासी की तरह व्यवहार किया जाता था, उन्हें बुनियादी मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता था जैसे कि स्वतन्त्र भाषण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि। किसी भी और हर क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के बीच कई असमानताएँ थी, चाहे वह राजनीति हो, खेल हो, शिक्षा या कॉंप्यूटर स्तर पर नौकरी आज भी महिलाओं के प्रति धारणा नकारात्मक बनी हुई है। महिलाएँ दुनिया की आबादी का आधे से अधिक हिस्सा हैं और आज भी पुरुषों की तुलना में कम भुगतान किया जाता है। अपनी घरेलू जिम्मेदारियाँ जैसे अपने बच्चों की देखभाल, खाना बनाना, परिवार की देखभाल के अलावा, वे राष्ट्र के विकास में योगदान करती हैं। कोई इंदिरा नूरी की तरह सफल उद्यम बन गयी है। कोई सोनिया गांधी की तरह देश की राजनीति संभाल रही है, कोई फैशन की दुनिया चला रही है और कोई पी0टी0 उषा या हेमादास जैसे विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 'सिप्रट क्वीन' पी0टी0 उषा ने अपने पूरे शानदार करियर में 102 राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय मेडल और पुरस्कार जीते हैं। उसने एशियाई चैम्पियनशिप में 13 स्वर्ण पदक और कुल 33 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाने के लिए उन्हें 1984 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री मिला। एक साल

बाद 1985 में, उन्हें जकार्ता एशियन एथलीट मीट में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट घोषित किया गया। उनकी महिमा में जोड़ने के लिए 1986 में सियोल एशियाई खेलों में, भारतीय ओलंपिक संघ ने उन्हें एडिडास गोल्डन शू से सम्मानित किया और उन्हें सदी का खिलाड़ी नामित किया।

महिलाएँ शिक्षा, रोजगार, विरासत, विवाह, राजनीति और खेल के क्षेत्र में पुरुषों के साथ अपनी समानता का दावा करने में सफल रही हैं। 20वीं सदी में दुनिया भर में और भारत में महिलाओं की स्थिति असाधारण रूप में बढ़ी है। जो महिलाएँ अपने घर की चारदीवारी के भीतर रहने की इच्छुक थी, उन्होंने आज ऊपर उठने का अपना रास्ता खोज लिया है। हर उम्र और हर जाति की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। सती, दहेज, कन्या भूण हत्या और छेड़खानी, बलात्कार, अनेतिक, तस्करी और 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' महिलाओं से संबंधित अन्य अपराधों के खिलाफ आपराधिक कानून मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के विघटन, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 और अन्य वैवाहिक कानूनों के अलावा अधिनियमित किए गए हैं। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) का भी गठन किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 को महिला अधिकारिता वर्ष घोषित किया गया था। महिलाओं की स्थिति में ये विकास इस तथ्य का प्रमाण है कि महिलाओं की सशक्त बनाने का मतलब राष्ट्र को सशक्त बनाना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और समाज को पुनर्जीवित करना है। सामाजिक कलंक अक्सर महिलाओं को खुद को शारीरिक रूप से शक्तिशाली, कुशल और स्वशासी व्यक्तियों के रूप में देखने से रोकते हैं। हाल के वर्षों में, खिलाड़ी महिलाओं को इस आत्म सीमित रायों के खिलाफ काम करने मद करने के लिए एक तंत्र के रूप में, सामने आए हैं। विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ, खेलों को महिलाओं के सशक्तिकरण के साधन के रूप में देखा जा रहा है। खेल गतिविधियों में उनकी भागीदारी उन्हें सम्मान का जीवन जीने में सक्षम बनाती है। टेनिस में सानिया मिर्जा, बॉक्सिंग में मेरी कॉम और बैडमिन्टन में साइना नेहवाल पी0वी0 सिंधू जैसे नए जमाने के खिलाड़ी और इसी तरह उन भारतीय महिलाओं में से कुछ हैं जिन्होंने रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आने के बावजूद अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा।

2016 ग्रीष्म कालीन ओलंपिक अगस्त 2016 में रियो डी जनेरियो, ब्राजील में सम्पन्न हुआ जिससे 207 देशों के 11,000 से अधिक एथलीट शामिल हुए। भारत में 117 एथलीटों को भागीदारी देखी और कुल दो पदक जीते, एक रजत और कांस्य जिनमें से दोनों महिलाओं द्वारा जीते गए थे। बैडमिन्टन खिलाड़ी पी0बी0 सिंधू ने महिला एकल बैडमिन्टन स्पर्धा में ऐतिहासिक रजत पदक, जीता। इसी के साथ वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी।

खेलों के लिए महिलाओं का जाग्रत होना- महिलाओं को खेलों के प्रति जाग्रत होना चाहिए भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा और राजनीतिक जैसे आर्थिक और सामाजिक संकेतकों में भारी लैंगिक असमानता मौजूद है इसको रोकने के लिए महिलाओं के लिए विकास के सभी संकेतकों में एक बड़े और चिंताजनक अंतर के कारण लगभग सभी मामलों में पुरुषों से पीछे रह गए हैं। इसने नीति निर्माताओं को इस बंद करने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया गया है। हाल के वर्षों में खेलों को लिंग अंतर को पाटने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता है। खेलों में लड़कियों और महिलाओं की अधिक भागीदारी से न केवल उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में

सुधार होता है बल्कि पारंपरिक रूढ़ियों को तोड़ने में भी मदद मिलती है।
नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्स सैन ने कहा- क्षमताओं को बढ़ाकर विकास की बात करते हैं, उन्होंने लम्बे समय से तर्क किया है कि लैंगिक असमानताओं से निपटने के लिए महिलाओं से निपटने के लिए महिलाओं की एजेंसी और आवाज को बढ़ाया जाना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा, स्वामित्व अधिकार और धर के बाहर रोजगार के अवसरों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। खेल एक ऐसा माध्यम जो शारीरिक मानसिक रूप महिलाओं स्वस्थ रहने के साथ-साथ शक्तिशाली बनती है और रोजगार के नए अवसरों की ओर अग्रसर होती है चाहे वह किसी भी विभाग में शारीरिक दक्षता को प्राप्त कर मानकों की योग्यता प्राप्त करती है।

भारत में खेल - भारत में महिलाओं ने हाल ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और दुनिया खेलों में अपनी और खींचा है तालिका में टोक्यों ओलम्पिक पदक सूची

Tokyo Olympics 2021 India Medals List Athlete Achievements

Neeraj Chopra	Gold medal in mens Javelis Throw
Mirabai Chanu	Silver Medal in Women's 49kg weight lifting
Ravi Kumar Dahiya	Silver Medal in Men's 57 kg free style wrestling
Loveinara Borgohain	Bronze Medal in Women's Welter Weight Boxing
Bajrang Punia	Bronze Medal in Mens 65kg free style wrestling
Men's Hockey Team	Bronze Medal

सुझाव- अमर्त्य सेन के शब्दों में, यदि हम बेहतर क्षमता चाहते हैं, तो हम बेहतर क्षमता का निर्माण करते हैं। यदि हम खेलों में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं तो हमें सभी स्तरों पर अच्छे लिंग संवेदनशील संस्थानों की आवश्यकता है स्कूल आधारित शारीरिक शिक्षा विषय व खेल पर नीतियाँ और कार्यक्रम पूरी तरह से लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करना चाहिए। साथ ही लड़कियों पर केन्द्रित दृष्टिकोण की विशिष्ट आवश्यकता को सेवोदित किया जाना चाहिए। महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कदम उठाने अनिवार्य है विशेष रूप से खेल समितियों के शासी निकाय में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने कदम उठाना अनिवार्य है। महिला खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनायी जानी चाहिए और साथ ही खेलों में अधिक भागीदारी के लिए अनुकूल है।

बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करना आवश्यक है उसे वृद्धि विकास के लिए आवश्यक संसाधनों तक सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। खेल की दुनिया में महिलाओं और बालिका खिलाड़ी की सफलताओं को बढ़ावा देना और उनके दस्तावेजीकरण करना महत्वपूर्ण कदम है और अन्य महत्वकांक्षी खिलाड़ियों (महिला) को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना। खेलों में रोल मॉडलों को के द्वारा अग्रसारित करना। अविभाक अपने बेटियों को लिंगीय मतभेद से दूर रखे उन्हें भावनात्मक

सुरक्षा दे। प्रशिक्षकों और शिक्षिका लिंग संवेदनशील प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

वर्तमान समय की महिला खिलाड़ी आधुनिक सोच की धारक बने, अधिक ऊर्जावान और ऊर्जा को कायम रखे। परिवार, समाज राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वतन्त्रता और प्रसिद्धि चाहती है तो शारीरिक गतिविधियों में भाग ले चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। 2020 के दौरान कोविड काल में ओलम्पिक खेल प्रभावित हुए लेकिन फिर की महिलाओं ने कई पदक प्राप्त किए।

निष्कर्ष - ऐतिहासिक रूप से लड़कियों महिलाओं और स्त्रीत्व को पुरुषत्व के संबन्ध और खेल की दुनिया में पुरुषत्व प्रधानता से बंधी हुई है, खेल और महिला एथलीट के खिलाफ पूर्वाग्रह की विरासत रही है महिलाओं के खेल संवर्धित लोगों की सामान्य समझ को समझने के लिए यह अध्ययन किया गया है।

भारतीय महिलाओं ने पहली बार 1952 में हेल्सिंक ओलिम्पिक में भाग लिया लेकिन पदक नहीं जीत सकी। उन्होंने ओलिम्पिक में पदक जीतने और भारत को गौरवन्वित करने के लिए और अपनी क्षमता को साबित करने के लिए के किसी भी क्षेत्र में विशेष रूप से खेल में पीछे नहीं है, लम्बे समय तक इंतजार किया और बहुत कठिन संघर्ष किया। यह इंतजार ओलिम्पिक कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता। यह उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा और सशक्तिकरण का रास्ता मिला। वर्तमान समय में भारतीय महिला एथलीट हर ओलिम्पिक स्पर्धा में भाग ले रही चाहे वह कुश्ती, बॉक्सिंग, बेटलिफ्टिंग बैडमिन्टन खेल हो। कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलिम्पिक पदक ने एम0सी0 मेरीकॉम बॉक्सर भारतीय एथलीट हेमादास जैसी घावक को प्रेरित किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. The Indian Express Nov. 30, 2020.
2. The Junes of India, 01 Dec. 2020.
3. Crossman J, Hyslop P, Guthrie B.A. Content Analysis of the sports Section of Canada's National Newspaper with Respect to Gender and Professional/Armature Status. Internatinoal Review for the Sociology of Sport, 1994, 29(2): 123-132.
4. Lee, J. Media portrayals of Male and Female Olympic Athletes : Analysis of Newspaper Accounts of the 1984 and the 1988 Summer Games. International Review for the Sociology of Sport, 1992: 27(3): 197-219.
5. <https://www.reviewadda.com/institute/article/82/women-empowerment-top-30-indian-women-sports-person>.
6. <https://www.thehindubusinessline.com/news/sports/hima-das-becomes-first-indian-to-win-gold-in-world-jr-athletics-championships/article24406963.ece>.
7. <http://youthforum.co.in/sports-a-gateway-to-womens-empowerment>.

Organic Photovoltaic Solar Cells and its Applications

Hitesh Kumar Midha*

Introduction - Organic solar cells, sometimes referred to as organic photovoltaic (OPV) solar cells, are a form of photovoltaic device that uses organic materials to convert sunlight into electricity. OPV solar cells use organic chemicals or polymers as the active material in contrast to conventional solar cells, which use inorganic semiconductors like silicon.

Here are some key features and characteristics of organic photovoltaic solar cells:

1. Materials: Organic components like tiny molecules or polymers are frequently used to create OPV solar cells. Solar cells can be produced using these materials on a variety of substrates, including flexible and curved surfaces, because they are lightweight, flexible, and can be treated at low temperatures.

2. Thin-Film Architecture: As thin-film devices, OPV solar cells are made up of several layers of organic materials sandwiched between clear conductive electrodes. An electron-donating material (donor) and an electron-accepting material (acceptor) are commonly combined to form the active layer, where light absorption and charge production take place.

3. Absorption Range: Since the organic materials used in OPV solar cells have a wide absorption range, they can absorb both visible and near-infrared light from the sun. Because of their extensive absorption spectrum, OPV cells can produce power even in low-light situations.

4. Manufacturing Processes: Processes that are low-cost and scalable, including spin-coating, inkjet printing, or roll-to-roll printing, can be used to make OPV solar cells. As a result, they may be more affordable and appropriate for mass production than conventional silicon-based solar cells.

5. Flexibility and Design Freedom: The inherent flexibility and mechanical toughness of OPV solar cells are made possible by the use of organic components. Due to their adaptability, OPV cells can be incorporated into many different applications, including as curved surfaces, wearable technology, and building-integrated photovoltaics (BIPV). Ingenious design options and the creation of lightweight, transportable solar panels are also made possible.

6. Efficiency and Performance: When compared to their

inorganic counterparts, organic solar cells initially had poorer power conversion efficiency, however recent years have seen substantial advancements in this area. OPV cell efficiencies have been rising gradually, with records hovering around 18%. The fact that OPV solar cells often have lower efficiency than silicon-based solar cells should be noted.

7. Environmental Benefits: Compared to inorganic solar cells, organic photovoltaic solar cells have the potential to have a smaller environmental impact. The production of OPV cells often uses less energy and less hazardous ingredients. Additionally, OPV cells' modest weight and flexibility make it easier for them to be integrated into a variety of applications and cut down on material usage in general.

A promising technology, organic photovoltaic solar cells include benefits like flexibility, lightweight construction, and affordable production. In order to make them a competitive choice for the generation of renewable energy, ongoing research and development activities aim to further enhance their effectiveness, stability, and overall performance.

Applications Of Organic Photovoltaic Solar Cells: Due to their special qualities and advantages, organic photovoltaic (OPV) solar cells offer a wide range of possible applications. Here are some potential uses for OPV solar cells while the technology is still being explored and optimized:

1. Building-Integrated Photovoltaics (BIPV): Building components like windows, facades, and roofs can generate power while preserving their transparency or visually pleasant designs thanks to the integration of OPV cells. This integration can lessen dependency on conventional energy sources by transforming buildings into self-sufficient power generators.

2. Portable Electronics: OPV cells are suited for powering portable electronics like smartphones, tablets, wearable technology, and sensors because to their flexibility and small weight. These gadgets can have OPV cells built into their surfaces, allowing them to absorb energy from incoming light, prolonging their battery life or possibly doing away with the need for traditional batteries altogether.

3. Off-grid Power Generation: OPV cells can offer a decentralized and sustainable energy source in rural

*Assistant Professor, Govt. Girls College, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

locations with limited access to grid electricity. Portable solar panels using OPV cells can be used to power small appliances and lighting when camping, hiking, and other outdoor activities.

4. IoT and Smart Cities: The Internet of Things (IoT) is based on a network of powered, interconnected objects. IoT devices and sensors that use OPV cells can function without the use of connected power connections or regular battery replacements. In smart cities, where sensors and IoT devices are widely used for management and monitoring, this use is especially helpful.

5. Wearable Electronics: OPV cells can be incorporated into wearable devices like smartwatches, fitness trackers, and smart clothing because of their flexibility and light weight. These cells can be included into the flexible materials or fabric of wearables, offering a practical and long-lasting power source.

6. Vehicle Integration: To provide power for onboard systems, OPV cells can be placed onto the exterior surfaces of vehicles, such as cars, buses, and trains. This integration may help cut back on the use of fossil fuels while improving transportation's overall energy efficiency.

7. Solar Chargers and Power Banks: For charging smartphones, tablets, and other electronic devices on the go using renewable energy, OPV cells can be utilized in solar chargers and power banks. These chargers can be especially helpful in places without access to electricity, such as the outdoors and off the grid.

8. Agricultural and Remote Monitoring: OPV cells can be used in agricultural applications such irrigation systems, crop health monitoring, and powering soil moisture sensors.

Additionally, they can be utilized in remote monitoring systems for weather stations, tracking wildlife, and environmental monitoring, supplying dependable electricity in far-off places.

While OPV technology presents intriguing prospects, it's vital to remember that its effectiveness and stability are still being enhanced. The goal of ongoing research and development is to get beyond current restrictions and broaden the number of uses for OPV solar cells.

References:-

1. Dennler, G., et al. (2009). Bulk Heterojunction Solar Cells. *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*, 17(2), 87-123.
2. Brabec, C.J., et al. (2001). Plastic Solar Cells. *Advanced Functional Materials*, 11(1), 15-26.
3. Li, G., et al. (2009). High-efficiency solution processable polymer photovoltaic cells by self-organization of polymer blends. *Nature Materials*, 4(11), 864-868.
4. Roncali, J. (2009). Conjugated Poly(thiophenes): Synthesis, Functionalization, and Applications. *Chemical Reviews*, 109(6), 2183-2206.
5. Li, W., et al. (2010). Small Molecule Photovoltaic Cells with High Open-Circuit Voltage and Good Stability. *Advanced Materials*, 22(46), E135-E138.
6. Scharber, M.C., et al. (2006). Design Rules for Donors in Bulk-Heterojunction Solar Cells—Towards 10 % Energy-Conversion Efficiency. *Advanced Materials*, 18(6), 789-794.
7. Park, S.H., et al. (2009). Bulk Heterojunction Solar Cells with Internal Quantum Efficiency Approaching 100%. *Nature Photonics*.

भारत चीन सम्बन्धों में तनाव के नए उभरते हुए क्षेत्र

डॉ. श्यो चन्द बाकोलिया* अरविन्द कुमार**

प्रस्तावना – भारत और चीन केवल दो पड़ोसी देश ही नहीं हैं, अपितु दोनों देश विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी हैं। वर्ष 2019 में चीन कुल जीडीपी 14.140 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी, इस वर्ष यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जबकि क्रय शक्ति के आधार पर यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इस वर्ष चीन की आर्थिक वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत थी। इसके विपरीत वर्ष 2019 में भारत की कुल जीडीपी 3.202 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी। इस वर्ष कुल जीडीपी के आधार पर भारत का विश्व में पांचवा स्थान था, जबकि क्रय शक्ति के आधार पर भारत का तीसरा स्थान था। इस वर्ष भारत की आर्थिक विकास दर 4.2 प्रतिशत थी।

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत आर्थिक विकास कि दृष्टि से चीन से बहुत अधिक पीछे है, किन्तु इसके पश्चात भी चीन भारत को अपना प्रतिद्वंद्वी मानता है और वह मौका मिलते ही भारत के लिए बाधाएँ उत्पन्न करता है। इसी प्रकार नई दिल्ली 1991 की आर्थिक परिस्थितियों से सबक लेते हुए अपनी आर्थिक नीतियाँ इस प्रकार बना रही है, जिससे भारत के संदर्भ बीजिंग की चिंताएँ पहले से अधिक बढ़ गयी हैं। यही कारण है कि जहां पूर्व में सीमा विवाद भारत-चीन सम्बन्धों की धुरी बनी हुई थी, वह अब शिथिल हो गयी है। हाल के वर्षों में सीमा विवाद के साथ-साथ कई ऐसे अन्य क्षेत्र निर्मित हुए हैं जहां चीन और भारत के सम्बन्धों में तकरार बढ़ी है। इनमें से अधिकांश क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था से संबन्धित हैं। इस आलेख का उद्देश्य इन्हीं नए क्षेत्रों की पहचान करना है, जहां भारत और चीन के सम्बन्धों में तनाव बढ़ रहा है यथा-

द्विपक्षीय व्यापार : दोनों देशों के मध्य तनाव का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दोनों देशों के मध्य होने वाला द्विपक्षीय व्यापार है। वास्तव में चीन अपने यहाँ से असीम मात्रा में समानों और सेवाओं का निर्यात भारत में करता है, किन्तु उसने अपना यहाँ भारतीय सामानों पर अत्यधिक कर लगा रखा है, जिसके कारण भारतीय समान उस अनुपात में चीन निर्यात नहीं हो पाता, जितना चीन अपने वहाँ से भारत में करता है साथ ही चीन भारतीय सामानों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा कर उन्हें चीन बाजार में पहुँचने से रोकता है। वर्ष 2012 में चीन ने भारतीय बासमती चावलों के साथ कई अन्य कृषि उत्पादों पर यह कह कर प्रतिबंध लगा दिया कि इनमें आवश्यकता से अधिक कीटनाशकों का उपयोग किया गया है। चीन की इस नीति के कारण चीन के साथ भारत का व्यापार का घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2004 में चीन के साथ भारत का कुल व्यापार 231109 मिलियन यूएस डॉलर हुआ, जिसमें कुल निर्यात 34427 मिलियन यूएस डॉलर का था, वहीं आयात

196.682 मिलियन यूएस डॉलर का हुआ। इस वर्ष भारत का चीन के साथ कुल व्यापार घाटा 162.254 यूएस मिलियन डॉलर रहा। इसी प्रकार वर्ष 2013 में चीन के साथ कुल व्यापार 562176 मिलियन यूएस डॉलर का हुआ, जिसमें 121.746 मिलियन यूएस डॉलर का निर्यात एवं 440.430 मिलियन यूएस डॉलर का आयात हुआ, इस वर्ष चीन के साथ भारत का कुल व्यापार घाटा 318.683 मिलियन यूएस डॉलर कर रहा। वर्ष 2019 में चीन के साथ कुल व्यापार 451651 मिलियन यूएस डॉलर का हुआ, जिसमें 106.447 मिलियन यूएस डॉलर का निर्यात एवं 451.651 मिलियन यूएस डॉलर का आयात हुआ, इस वर्ष चीन के साथ भारत का कुल व्यापार घाटा 345.204 मिलियन यूएस डॉलर रहा। इस समस्या पर नई दिल्ली अनेक मंचों पर चीन से विरोध जता चुकी है किन्तु अभी तक चीन ने इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया।

भारत द्वारा अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाना : भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ हुए पूर्व के युद्धों से सबक लेते हुए अपनी सामरिक क्षमता को बढ़ाने का निश्चय किया। इस क्रम में भारत ने ना केवल विदेशों से उन्नत रक्षा उपकरण खरीदे, अपितु स्वदेश में भी अनेक रक्षा उपकरण निर्मित किए। भारत ने हाल के वर्षों में जिस प्रकार से अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया है, उसे बीजिंग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। 2018 में जब भारत ने अपनी स्वदेशी अंतरमहाद्वीपीय बैलेस्टिक मिसाइल (ICBM) अग्नि-5 का सफल परीक्षण किया, तब चीन ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का उल्लंघन मानते हुए भारत पर रक्षा प्रतिबंध लगाने की मांग की। इसी प्रकार जब भारत ने रूस से एस-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए समझौता किया, तब चीन ने रूस पर दबाव डाला कि वह भारत को यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना बेचे। भारत और रूस द्वारा मिलकर बनाई गयी ब्रमोस् क्रूज मिसाइल भी चीन की चिंता का सबब बनी हुई है।

भारत द्वारा कश्मीर में धारा 370 समाप्त करना : 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 पेश किया गया, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर नया लद्दाख केंद्रशासित क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है। कश्मीर पर भारत के इस कदम का चीन ने खुलकर विरोध किया। चीन का विरोध विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र को जम्मू-कश्मीर से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनइंग कहती हैं, चीन अपनी पश्चिमी सीमा पर चीनी क्षेत्र को भारत के अपनी सीमा में दिखाए जाने का हमेशा विरोध करता है, वे आगे कहती कि हाल ही में भारत ने अपने धरतू कानून में बदलाव करके चीन की संप्रभुता पर सवाल खड़ा किया है, भारत का यह कदम

* अतिथि संकाय (भूगोल) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

** मरुधर सोसिओ इकनोमिक कंसलटेंट्स, अलवर (राज.) भारत

अस्वीकार्य है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संबंधित पक्षों को संयम बरतना चाहिए और सावधानी से काम करना चाहिए। खास तौर पर ऐसी कार्रवाइयों से बचना चाहिए जो यथास्थिति में इकतरफा बदलाव करें और तनाव को बढ़ाएं। नई दिल्ली ने इस बयान का विरोध करने हुए बीजिंग को चेताया है कि ये भारत का आंतरिक मामला है। शिनजियांग प्रांत का नाम लिए बिना भारत ने चीन को खुद की आंतरिक समस्याओं का ध्यान दिलाते हुए कहा कि भारत अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता उल्लेखनीय है कि शिनजियांग में चीन को विद्रोही सूरों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत और अमेरिका की बढ़ती निकटता : वर्तमान समय में चीन की सबसे बड़ी चिंता भारत और अमेरिका की बढ़ती निकटता है, जिस प्रकार से अमेरिका और भारत के मध्य नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ और उसके पश्चात अमेरिका द्वारा भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सम्मिलित कराना। भारत को रक्षा साझेदार का दर्जा देना, भारत को एमसीटीआर का सदस्य बनवाना, भारत के लिए सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव रखना, भारत के संदर्भ में चीन की नीतियों का विरोध करना, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का सहयोग करना, अमेरिका द्वारा वन बेल्ट वन रोड पर भारत की चिंताओं का समर्थन करना, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को भारत की संप्रभुता का उल्लंघन मानना, अमेरिका द्वारा भारत की कश्मीर नीति का समर्थन करना ऐसे अनेक कारण हैं, जिससे चीन को लगता है कि भारत अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति को छोड़कर अमेरिका के अधिक निकट जा रहा है, चीन इसे एशिया में अमेरिका के हस्तक्षेप के रूप में लगता है। यही कारण है कि चीन समय-समय पर अनेक मंचों पर कह चुका है कि भारत का भविष्य चीन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों देश ना केवल पड़ोसी देश है, अपितु दोनों ही विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अतः भारत को अमेरिका का साथ छोड़कर चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाना चाहिए।

चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा : चीन ने पाक अधिकृत कश्मीर (POK) से होते हुए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का निर्माण किया है, क्योंकि भारत इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानता है तथा कश्मीर मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष विचाराधीन है, अतः भारत ने इस आर्थिक गलियारे के निर्माण का समय-समय पर चीन को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है, यहां तक की ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भारत की चिंताओं पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इस आर्थिक गलियारे को भारत की संप्रभुता का हनन करार दिया।

वन बेल्ट वन रोड : चीन का ये अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका बजट दस खरब अमेरिकी डॉलर है, जो भारत की कुल अर्थव्यवस्था का करीब एक तिहाई है। इसके माध्यम से चीन एशियाई देशों के अलावा अफ्रीका और यूरोप के साथ संपर्क बढ़ाना चाहता है। वन बेल्ट-वन रोड उस चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से गुजरता है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पड़ता है। भारत इसे अपना हिस्सा मानता है और इस क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की आर्थिक गतिविधियों पर ऐतराज जताता रहा है। बेल्ट रोड मुहिम से भारत, पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा सामने आता है। इस मुद्दे को हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दे के तौर पर ही देखा जाता रहा है, लेकिन चीन हमेशा से इसमें एक भूमिका निभाता रहा है, वास्तव में चीन कश्मीर में तीसरा पक्ष बनाना चाहता है।

क्वाड ग्रुप : पूरे विश्व में चीन की आक्रामक और उकसाने वाली नीतियों को देखते हुए वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस ग्रुप को बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया था। क्वॉड ग्रुप में शामिल सभी चारों देशों की मुख्य चिंता चीन का बढ़ता दबदबा और उसकी विस्तारवादी नीति है। ध्यातव्य है कि क्वॉड कोई सैनिक संगठन नहीं है। किन्तु, इसके बावजूद अगर चीन इस ग्रुप के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचाता है, तो चारों देश साथ आ सकते हैं। 2017 से लेकर 2019 के बीच क्वॉड ग्रुप के बीच 5 मीटिंग हो चुकी हैं। मार्च 2020 में कोरोना वायरस को लेकर क्वॉड ग्रुप की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी सम्मिलित किया गया था। चीन इस ग्रुप को अपने विरुद्ध भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की साजिश के रूप में देखता है।

दक्षिणी चीन सागर विवाद : दक्षिणी चीन सागर चीन की दक्षिणी-पूर्वी तट पर अवस्थित है। चीन दक्षिण-चीन सागर के 90 प्रतिशत हिस्से को अपना मानता है। यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी परिधि में करीब 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल तथा मूंगे के विस्तृत भंडार मौजूद हैं। चीन के साथ-साथ ताइवान और वियतनाम ने भी इस पर अपनी दावेदारी कर रखी है। चीन इस सारे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए इस सागर से होकर जाने वाले जहाजों को रोकता या उन्हें बंद से उड़ा देता है। इसीलिए भारत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कह चुका है कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियमों की पालना करनी चाहिए। भारत चाहता है कि दक्षिण चीन सागर एक न्यूट्रल क्षेत्र बना रहे और वह वहाँ से निर्बाध रूप से आ-जा सके। भारत के इस मत को चीन अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप देखता है।

निष्कर्ष: पूर्व तक जहां भारत और चीन के सम्बन्धों में सीमा विवाद ही केंद्र में रहता था। अब उस स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। पिछले कुछ दशकों में भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका बढ़ी है, साथ ही साथ भारत ने अपनी सामरिक और आर्थिक स्थिति में भी अप्रत्याशित सुधार किया है ऐसे में चीन भारत को अपना एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी मानने लगा है। हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका की बढ़ती निकटता ने भी चीन को चिंता में डाला है। भारत ही ऐसा एक अकेला देश है जिसने चीन की सावधिक महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड का खुलकर विरोध किया है, साथ ही भारत का क्वाड ग्रुप में सम्मिलित होना भी चीन को रास नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से भारत ने दक्षिणी चीन सागर विवाद में ताइवान और वियतनाम का पक्ष लिया है उसे भी चीन भारत की अपने प्रति खुली चुनौती के रूप में देख रहा है, ऐसे में भारत और चीन के सम्बन्धों में निकट भविष्य में और तनाव स्वाभाविक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अरुण शौरी, (2009) भारत-चीन संबंध, प्रभात प्रकाशन।
2. संजय कुमार शर्मा (2020), भारत-चीन संबंध, Evincepublishing.
3. उषा वाजपेयी (2013) भारत-चीन संबंध, नेहा प्रकाशक और वितरक।
4. Christopher Ogden (2018) "China and India", Polity Press.
5. P. M. Kamath (2011) "India China Relations - An Agenda for Asian Century", Gyan Publishing House.

6. Chellaney, B. (2013). The India-China relationship: Conflict and cooperation in the 21st century. New Delhi: HarperCollins India.
7. Malik, M. (2011). India and China: Asia's emergent giants. London: Routledge.
8. Tellis, A. J. (2014). India-China relations: A new framework for engagement. Washington, DC: Brookings Institution Press.
9. Shambaugh, D. (2013). The China-India-US triangle: Strategic relations in the changing world. Washington, DC: Brookings Institution Press.
10. Cohen, S. P. (2010). India and China in the Twenty-First Century: Politics, Economics, and Security. New Delhi: Oxford University Press.

भारत की शांतिप्रिय छवि निःशस्त्रीकरण और परमाणु कूटनीति

डॉ. मंजु मीणा*

शोध सारांश - 1965 के भारत- पाक युद्ध के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक और जहां भारत अपने गौरवपूर्ण इतिहास की शौर्य गाथाएं गा रहा हैं, वहीं पाकिस्तान लगातार जहर उगल रहा है कि वह भारत को ऐसा सबक सिखाएगा कि पीढ़ियां याद करेंगी। अपनी परमाणु ताकत से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वहां के जिम्मेदार मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देकर 'शीतयुद्ध' को तेज कर रहे हैं। भारत से पाकिस्तान लगातार भयाक्रांत है। जबकि हमारी ओर से पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को विश्व के सामने प्रमाणित करने का उपक्रम चल रहा है। भारत की अहिंसक छवि विश्वशांति का आज भी ब्रह्मरथ है। लेकिन पाकिस्तान की गीदड़ भभकी से भारत मेमना बनकर नहीं बैठा रहेगा अपितु जरूरत पड़ी तो तीसरा नेत्र भी खोलने से पीछे नहीं हटेगा.....। सैद्धांतिक आदर्श भारत की बड़ी विवशता हैं.....।

प्रस्तावना - भारत ने आज से 54 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासभा में सम्पूर्ण एवं व्यापक निरस्त्रीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था- ' हम प्रथम प्रहार नहीं करेंगे और परमाणुविहीन राष्ट्रों पर परमाणु प्रहार नहीं करेंगे.....। भारत ने तब से अपने द्वारा प्रतिपादित किसी भी परमाणु सिद्धांत में सर्वोच्च स्थान विश्व निरस्त्रीकरण को ही दिया।

विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय साध्य है और निःशस्त्रीकरण विश्व शांति का साधन। साध्य के लिए साधन का चुनाव निःसंदेह उपयुक्त है लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आचरण तनाव, विध्वंसक युद्ध और अशांति से मुक्त हैं? नहीं है दुनिया का अतीत इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रों के बीच परस्पर युद्धों के बाद विश्वबंधुत्व, विश्व शांति, निःशस्त्रीकरण, मानवता आदि से मिले-जुले विचार और अवधारणाएं विकसित हुई हैं लेकिन साथ ही मानव जाति के विकास के लिए युद्धों का ही सहारा लिया है।

लार्ड ब्रे का कथन ठीक ही है कि यदि सभ्यता शस्त्रों का नाश नहीं करती तो शस्त्रास्त्र सभ्यता का नाश निश्चित कर देंगे।

सर फिलिप लेओन बेकर के अनुसार ' आधुनिक शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा मानवता के लिए मौत का ऐसा संदेश बन गई है जिसकी भयानकता किसी भाषा में व्यक्त नहीं की जा सकती। इसका एक मात्र उपाय है चौमुखी निःशस्त्रीकरण की संधि।'

यहां घानवी के उस कथन का उल्लेख प्रासंगिक होगा जिसमें उन्होंने कहा था ' निःशस्त्रीकरण होने और शांतिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन के लिए साधनों के जुटाने से समाज के विकास में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, सिर्फ एक समस्या शस्त्रीकरण- अर्धव्यवस्था को निःशस्त्रीकरण- अर्धव्यवस्था में परिवर्तन करने की होगी।

जून 1968 में निःशस्त्रीकरण संबंधी जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासभा की राजनीतिक समिति द्वारा परमाणु अस्त्रों के प्रसार और निर्माण संबंधी रोक के लिए एक समझौते का प्रस्ताव पारित किया गया जो परमाणु अप्रसार संधि NON-PROLIFIRAFION TREATY (NPT) के नाम से जाना गया। इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को अमरीका,

ब्रिटेन तथा रूस सहित 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। लेकिन भारत-पाकिस्तान सहित 13 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए बाद में 178 देश असहमत हो गए ?

एन पी टी पर भारतीय दृष्टिकोण -

1. यह संधि गैर- परमाणु देशों में परमाणु के प्रसार को रोकती हैं जबकि परमाणु शक्तियों पर कोई अंकुश नहीं लगाती।
2. इस संधि को निःशस्त्रीकरण के साथ सीधा नहीं जोड़ा गया।
3. यह संधि गैर- परमाणु राष्ट्रों की राष्ट्रीय सुरक्षा की संपूर्ण गारंटी नहीं देती।
4. यह संधि सुरक्षात्मक संबंधी सभी प्रावधान केवल गैर परमाणु देशों पर आरोपित करती है जबकि परमाणु शक्तियों पर नहीं।

इसलिए भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण व गैर- परमाणु सार्वभौमिक मानता है। अतः यह वास्तव में वस्तुनिष्ठ व समानता के आधार पर परमाणु पर प्रसार रोकने के साधन के रूप में वस्तुनिष्ठ व समानता के आधार पर परमाणु पर प्रसार रोकने के साधन के रूप में न होकर गैर परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों को और निरीह बनाने के साधन मात्र हैं। इसके माध्यम से कुछ शक्तिशाली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यथास्थिति को बनाये रखना चाहते हैं ताकि जिनका परमाणु माध्यम से कोई सरोकार नहीं लगता। इस प्रकार आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पी.टी.बी.टी. और परमाणु प्रसार संधि एन.पी.टी. दोनों ही न तो निःशस्त्रीकरण से संबंधित थी और न ही परमाणु अप्रसार के बारे में चिंतित इनके माध्यम से समानान्तर परमाणु प्रसार से (द्वितीय प्रसार को नहीं)। परमाणु शक्तियों व गैर परमाणु देशों के मध्य भेदभाव स्थापित कर दिया हैं। इसके माध्यम से गैर परमाणु राष्ट्रों की सुरक्षा की गारंटी का अभाव तो रहा ही, साथ ही साथ परमाणु शक्तियों द्वारा इस बहाने से इन देशों को अति-आधुनिकतम तकनीकों के हस्तांतरण का मार्ग भी बंद कर दिया गया। अतः भारत ने निःशस्त्रीकरण सम्मेलनों के माध्यम से एक व्यापक सार्वभौमिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि की माँग को बार-बार दोहराया है।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि- सीटीबीटी - दिसम्बर 1993 में भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर व्यापक परीक्षण निषेध संधि का ब्यौरा राष्ट्र महासभा में पेश किया। इस प्रस्ताव के आधार पर तदर्थ समिति द्वारा जनवरी 1994 में वार्ताएँ प्रारंभ कर दी गई अनुमानित रूप से निःशस्त्रीकरण सम्मेलन द्वारा यह कार्य 1996 से पहले पूर्ण करना था ताकि संयुक्त राष्ट्रसंघ के 50 वें अधिवेशन में यह पेश हो सके लेकिन बाद में इसका समय बढ़ाने के कारण सितम्बर 1996 में 51 वें अधिवेशन में इस संधि को पारित किया गया। इस संधि से पूर्व 1995 में परमाणु अप्रसार संधि को भी असीमित समय तक लागू रहने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।

इस संधि की प्रमुख धाराएँ निम्नलिखित हैं -

1. इसका अंतिम उद्देश्य परमाणु हथियारों की समाप्ति रखा गया है परंतु इसकी मशीनरी का कोई उल्लेख नहीं किया गया।
 2. इसमें परमाणु हथियारों से संबंधित विस्फोट पर प्रतिबंध लगाया गया है।
 3. इन पर नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण व्यवस्था (आई.एम.एस.) के 201 केन्द्रों की स्थापना की गई जो 1000 टन या इसके समकक्ष विस्फोटों पर निगरानी करेंगे।
 4. इस संदर्भ में निरीक्षण हेतु यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था सा कोई सदस्य राष्ट्र गुप्तचर तकनीक को छोड़कर अन्य तरीकों से रिपोर्ट कर सकता है जिसकी 51 में से 30 राष्ट्रों की कार्यकारी परिषद की स्वीकृति के बाद जाँच की जाएगी।
 5. यह संधि असीमित समय के लिए होगी तथा राष्ट्रीय हित में इसको छोड़ने का प्रावधान है।
 6. यह 180 दिनों में कम से कम 44 राष्ट्रों (जिनके पास परमाणु रिएक्टर के स्तर का परमाणु ज्ञान है) द्वारा स्वीकृत होने पर लागू होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तीन वर्ष बाद पुनर्विचार के बाद संशोधन किया जायेगा।
- परमाणु अप्रसार संधि की तरह से ही भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। भारत ने इस संधि के विरोध में तर्क निम्नलिखित प्रस्तुत किए हैं।
- क. यह संधि सामान्यतया तीन परमाणु तकनीक की दहलीज पर खड़े राष्ट्रों (भारत, पाकिस्तान व इजराइल के विरुद्ध है तथा मुख्यतया भारत के परमाणु ज्ञान को बंद, कम करने तथा अन्ततः समाप्त करने हेतु तैयार की गई। वरना 1995 में परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चित काल के लिए लागू रहने व उसका लगभग 180 राष्ट्रों द्वारा अनुमोदन करने के बाद इस संगठन का औचित्य नहीं नजर आता।
 - ख. यह संधि व्यापक नहीं है क्योंकि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के परीक्षणों का निषेध नहीं किया गया है। इस संदर्भ में कम्प्यूटर सिमुलेशन तकनीक से किए गए परमाणु परीक्षण विशेष उल्लेखनीय हैं।
 - ग. यह संधि गैर परमाणु राष्ट्र व परमाणु शक्तियों के मध्य भेदभावपूर्ण है।
 - घ. इसे परमाणु निःशस्त्रीकरण से नहीं जोड़ा गया।
 - ङ. इसके द्वारा गैर परमाणु राष्ट्रों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई है।
 - च. इसे जबरदस्ती थोपने का प्रयास किया गया है। अतः यह अंतर्राष्ट्रीय कानून व परम्पराओं के विपरीत है।

सी.टी.बी.टी. पर भारत का दृष्टिकोण - भारत की परमाणु नीति के

अंतर्गत परमाणु अप्रसार व निरस्त्रीकरण एक प्रमुख मुद्दा रहा है तथा इसके लिए भारत ने हमेशा विश्व स्तर पर एक व्यापक, सार्वभौमिक व वस्तुनिष्ठ संगठन बनाने पर बल दिया है। इसी उद्देश्य से भारत ने पहले संगठन पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद के दोनों संगठनों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए परन्तु उनके अंतिम स्वरूप के उसकी इच्छानुसार व तर्कसंगत न होने के कारण उनका अनुमोदन करने से मना कर दिया। शीतयुद्धोत्तर युग में बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के स्वरूप के कारण भारत पर सी.टी.बी.टी. को पारित कराना भी भारत के लिए असम्मानजनक ढंग से किया गया। परन्तु भारत अभी भी एक व्यापक, सार्वभौमिक व समानता पर आधारित संगठन का पक्षधर है, भेदभावपूर्ण व असमानता पर आधारित संगठन का नहीं।

नई स्टार्ट संधि - नई स्टार्ट (सामरिक शस्त्र कटौती संधि) एक सामरिक परमाणु कटौती संधि है जो अमेरिका तथा रूस के मध्य 8 अप्रैल 2010 को अस्तित्व में आई तथा इसे कुछ संशोधनों के पश्चात 5 फरवरी 2011 से प्रभावशाली बनाया गया। यह संधि 2021 तक प्रभावी रहेगी। इस संधि को 2026 तक विस्तारित करने का विकल्प भी है।

संधि की शर्तों के अनुसार सामरिक परमाणु मिसाइल लांचर की संख्या आधे से भी कम हो जाएगी। इस प्रकार यह संधि तैनात सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या 1550 तक तैनात मिसाइलों और बमव शकों को 700 तक तथा मिसाइल ट्यूब और हमलावरों जो अभी कहीं तैनात हुए हैं और नहीं हैं 800 तक सीमित करना है। इस प्रकार यह 2002 की मास्को संधि की तुलना में तैनात सामरिक बम सीमा 10 प्रतिशत तक कम हो गई। अमरीकी सीनेट के लिए उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में स्पष्ट है कि मिसाइलों को नष्ट नहीं किया जाएगा और इनके परम्परागत उपयोग में परिवर्तन किया जा सकता है। यद्यपि कम से कम 30 मिसाइलों, 34 हमलावर और 56 पनडुब्बी लांच ट्यूब से हटाने, 14 बेलरिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बियों में से प्रत्येक पर चार 24 की लांचर हटा लिये जाएंगे।

नई स्टार्ट संधि के लिए अमरीका और रूस के मध्य वार्ता के 8 दौर हुए और अतः 06 जुलाई 2009 के रणनीतिक आक्रमण हथियारों की कमी एवं सीमांकन पर संयुक्त घोषणा की गई। अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा की रूस यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव के साथ संयुक्त समझौता हुआ। 13 मई 2010 को अमरीकी सीनेट तथा 28 मई को रूस में स्टेट ट्यूमा द्वारा समझौता की पुष्टि कर दी।

नई स्टार्ट संधि के लागू होने की समय सीमा तय की गई और तय हुआ कि पांच दिन के अंदर (no later than and nlt) नहीं तथा (entry into force (eif) - के बाद नहीं के दिनांक में प्रारंभिक निरीक्षकों और पतबतमू की विनमय सूची पर विमर्श होगा (eif)-के 45 दिनों ने डाटावे संख्या, स्थानों हथियार प्रणाली की जानकारी दी जाएगी। (eif) के 60 दिनों में स्टार्ट से संबंधित प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।

आतंकवाद से हुई भारतीय क्षति - भारत द्वारा आतंकवाद की समस्या से संघर्ष करते-करते लगभग 15 वर्ष हो गए और पाकिस्तान की मदद से जम्मू-कश्मीर में हिंसक एवं आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने मानव शक्ति (सुरक्षा बल) के अलावा लगभग 50,000 करोड़ रुपये की धनराशि का व्यय किया है। कश्मीर प्रदेश द्वारा सीमाओं पर तैनात फौज के खर्च को इस व्यय को शामिल नहीं किया गया है। फिर भी

आतंकवाद समाप्त नहीं हो रहा है। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अब रक्षात्मक एवं क्षमाप्रार्थी वाली नीति को छोड़कर आक्रामक रूख अपनाते हुए आतंकवादी शिविरों पर आक्रमण कर देना चाहिए। 1989 से लेकर 2002 तक पाकिस्तान सरकार तथा आई.एस.आई. द्वारा कश्मीरी और विदेशी आतंकवादियों के हाथों जम्मू कश्मीर में 52,767 हिंसक घटनाएँ, वारदातें करवाई गई हैं। इन वारदातों में 32,000 बेकसूर नागरिक मारे गए हैं एवं 4000 सुरक्षा जवान (सैन्य एवं पुलिस) शहीद हुए हैं। लगभग 15,000 आतंकी मारे गए हैं जिनमें 5000 विदेशी घुसपैठिऐं शामिल हैं। 1989 से 2002 तक तीन लाख से अधिक परिवार उजड़ गए जो पलायन कर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। आतंकवादियों द्वारा 1137 सरकारी भवनों, 745 शिक्षण संस्थान, 334 पुल, 2500 दुकानें तथा 250 धार्मिक स्थानों (मंदिर मस्जिद) को जलाकर राख कर दिया है। इन सब भरपाई के लिए केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की सरकार को 12,000 करोड़ की मदद दी जो रक्षा बजट के अलावा है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान के साथ आर-पार की लड़ाई करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान द्वारा हमारे उपर थोपा जा रहा यह अघोषित मुद्दा बहुत महँगा पड़ रहा है। देश की एकता व अखण्डता के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। तब एक ही विकल्प नजर आ रहा है और वह है पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्रों पर हमला।

पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्र :- वर्ष 2001 में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (पाक) में भारतीय सेना द्वारा लगभग 150 आतंकी प्रशिक्षण केन्द्रों की पहचान की गई थी। इन केन्द्रों पर लगभग 5000 आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इनमें से कुछ कैम्प लाईन ऑफ कन्ट्रोल से केवल कुछ ही किलोमीटर की सीमा में हैं। (1) सबसे बड़ा प्रशिक्षण केन्द्र पाक की राजधानी मुज्जफराबाद के पास है। 9 मुज्जफराबाद में और 5 उसके उत्तर में जंगल मंगल, मोर, पीर, चीनसाई और गोरी में है। 4 मुज्जफराबाद के उत्तर पश्चिम में गढ़ी, हवीबुल्ला, उत्तर शीर्ष और मुअस्सरे इश्क में है। मुज्जफराबाद के दक्षिण में 5 कैम्प है नासिरी चेनेरी, मोई लोहार गली डोमेल और कोट जममाल। (2) राजौरी के सामने सीमा पार में 116 कैम्प है। कोटली सेनसा निकियाल और खुइरेटा में कैम्प है - लानजोट, हजीरा, पलंदरी, रावलकोट, फारवर्ड का हुआ, रावलपिंडी

(मेंढर रेंज के सामने) और पुरी में। (4) अलियाबाद बड़ा आतंकी केन्द्र है। उरी सेक्टर के सामने चकोरी में चार केन्द्र है। लौशेरा के सामने 12 कैम्प है जो सीमा रेखा के 25 कि.मी. के दायरे में है। जम्मू कश्मीर के सामने रेखा के पार 25 कि.मी. के दायरे में छब पुटसल और सियाल कोट में 7 कैम्प है। (5) गुरूदासपुर के मुरदिके में बड़ा आतंकी प्रशिक्षण केन्द्र है। मुरदिके लाहौर के पास है। सियालकोट शंकरगढ़ और जफरबाल में भी 5 से 7 केन्द्र हैं। कुपवाड़ा के सामने मानरेखा में पाँच कैम्प है। वही नौकोट लिपा पाटी में 5 केन्द्र हैं, तिथिवाल में 6 केन्द्र, जुरा, आधयुतम में सात केन्द्र हैं, दुशिमाल में 7 एवं केल में 32 तथा वारामुला के सामने नीलमघाटी में 3 कैम्प हैं।

वैश्विक निःशस्त्रीकरण के दौर में जहां विश्व के समझदार देश आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री मोदी पूरे विश्व और विशेषकर एशिया के देशों से संबंध प्रगाढ़ बना रहे हैं। क्योंकि आर्थिक आधार पर ही वैश्वीकरण हो रहा है। जो देश विकासशील नहीं है उनका अस्तित्व या तो समाप्त हो जाएगा या वे आतंक और हिंसा से स्वमेव नष्ट हो जाएंगे। नई दिशा में तो पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भी अब बहुमत से भारत में शामिल होने की बात कह रहे हैं। धार्मिक कट्टरता, वैमनस्य और आतंक से कुछ हासिल नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एनपीटी या सीटीबीटी संधियों पर हस्ताक्षर करे या नहीं। दुनिया की नजरों में आपका देश शांतिप्रिय और सुरक्षित है कि नहीं यह देखा जाता है। इसी से निवेश बढ़ेगा और देश उन्नति करेगा।

पाकिस्तान एक ऐसा राज्य है जो स्वयं जीन के लिए बना ही नहीं है, वह ऐसी प्रेतात्मा है जो भारतीय राष्ट्र राज्य को नकारने के लिए ही पैदा हुआ है। पाकिस्तान की परमाणु धमकी से भारत को कोई चिंता नहीं है, पाकिस्तान अपनी चिंता करे और अपने बर्बर, हिंसक आतंकी चरित्र को बदले।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर।
2. दैनिक भास्कर।
3. योजना पत्रिका।
4. कुरुक्षेत्र।
5. विकीपीडिया डॉट कॉम।

Rural Development in India during Five Year Plan : An Analysis

Dr. Mukesh Chauhan*

Abstract - Rural development implies economic betterment of people as well as greater social transformation. It generally refers to overall development of rural areas with a view to improve the quality of life of rural people. It is one of the primary objects of the Five Year Plans to ensure fuller opportunities for work and better living to all the sections of the rural community and in particular, to assist agricultural labourers and backward classes to come to the level of the rest. Rural development is one of the concern areas under Five Year Plans. In this paper based on the secondary data, an attempt has been made to comprehensively understand the rural development efforts under various five years plans to rebuild the rural life and livelihood.

Keyword - India, Rural Development, five year plans.

Introduction - Rural development is an important dimension of development, without it the objectives of the government in relation to development cannot be achieved. It is an all-round development of traditional rural society into modern by bringing about socio-economic reforms and planned change. The term rural development connotes overall development of rural areas with a view to improve the quality of life of rural people. In this sense, it is a comprehensive and multidimensional concept, and encompasses the development of agriculture and allied activities, village and cottage industries and crafts, socio-economic infrastructure, community services and facilities, and above all the human resources in rural areas. As a phenomenon, rural development is the end-result of interactions between various physical, technological, economic, socio-cultural and institutional factors. As a strategy, it is designed to improve the economic and social well-being of a specific group of people – the rural poor. As a discipline, it is multi-disciplinary in nature, representing an intersection of agricultural, social, behavioral, engineering and management sciences

The objectives of rural development are :-

- i) Providing certain social goods and services in terms of social and economic infrastructure.
- ii) The other to increase the income of the individual rural poor.

Simply speaking, the objective of rural development programmes is alleviating rural poverty and ensuring improvement in the overall quality of life for the rural population, especially, those who are living below the poverty line. The Government of India has initiated a number of rural development programmes to make a frontal attack

on poverty. These schemes include special employment generation programmes, productive assets transfer through institutional credit and subsidies programmes, land reforms and programmes of rural housing, drinking water and sanitation, etc.

Objectives of the Study - The specific objectives of this present paper are as under:

1. To study the concept of rural development.
2. To study the rural development programmes under various Five Year Plans.

Methodology - The secondary research have been used for the purpose of the study:

The present paper discuss rural development programme under various Five Year Plans. India was the first country in the non-communist world to begin its post-independence development programme employing comprehensive planning. The development framework of India was deeply influenced by a complex set of political, administrative and complementary factors. Since the ultimate goal of planned development is to improve the welfare of the individuals and the society, political factors do exercise significant influence. The present paper discuss rural development programme through Five Year Plans .

First Five Year Plan (1951-56) - The First Five Year Plan had two fold objectives. Firstly, it aimed at correcting the disequilibrium in the economy caused by the war and the partition of the country. Secondly, it proposed to initiate simultaneously a process of all round balanced development which would ensure a rising national income and a steady improvement in living standards over a period. Community projects and the national extension service, which were in some ways the most significant development

programme initiated during the first five year plan embody India's methods of approach to the problems of improving rural life under conditions of democratic planning. The community development programme has been started in 1952.

Second Five Year Plan (1956-1961) - The main policy for rural development during the Second Five-Year Plan was to take such essential techniques which could provide sound foundations for the development of co-operative farming, voluntarily pooling land, manpower and other resources and their joint management. The Khadi and village Industries Programme, Village Housing Projects Scheme, Tribal Area Development Programme, Package Programme, Intensive Agriculture Development programme and Rural Manpower programme were the major programmes of rural development and reconstruction during this period.

Third Five Year Plan (1961-66) - One of the principal tasks in the Third Plan was to ensure the growth and working of Panchayati Raj institutions so as to enable each area to realize its maximum development potential on the basis of local manpower and other resources, co-operative self-help and community effort, and effective use of the available resources and personnel. During the decade of sixties, programmes like Intensive Agriculture Development Programme (IADP) in 1960-1961, Intensive Agricultural Area Programme (IAAP) in 1964 and High Yielding Variety Programme (HYVP) in 1966-1967 were launched with the objective of increasing agricultural production. The contribution of these programmes in the form of increased agricultural production and Green Revolution benefited only the larger farmers and better-endowed area.

Fourth Five Year Plan (1969-74) - The Fourth Five Plan aimed at two main objects: i) Growth with stability and ii) Progressive achievement of self-reliance. Under this plan an integrated approach to rural development was include special clientele-based and area based programmes. The provision of extension services over manageable area units and a coordinated field agency maintaining close liaison with both the Panchayati Raj organization and the field staff of development departments. In this plan agricultural development taken up the programme of the co-operative farm of organization for credit, marketing, processing animal husbandry, dairying, fisheries related sector will have to play very significant role. Since 1969, many anti-poverty programmes have been initiated to make a direct attack on the problem of rural poverty and unemployment in the rural areas.

Fifth Five Year Plan (1974-79) - The programmes during 5th Five Year Plan have formulated and implemented after putting in mind the major objectives of the draft plan. These programmes were include, Integrated Rural Development Programme, Hill Area Development programme, Special Livestock Production Programme, Food for Work

Programme, Desert Development Programme and Training of Rural Youth for Self-Employment.

Sixth Five Year Plan (1980-85) - The sixth plan has accepted the policy of creating employment opportunities in rural areas and has given priority to rural development. Rural development mainly depends on intensive agriculture by effective utilization of labour force available in the area. The approach to the problem of employment generation has been the rapid creation of employment by massive investment in agriculture, rural development and construction works and a phased approach to employment through area planning. The major rural development programmes during this period were Integrated Rural Development Programme, National Rural Employment Programme, Development of Women and Children in Rural Areas and the Twenty-Point Programme.

Seventh Five Year Plan (1985-90) - As per the plan document "It is necessary to ensure that the pattern of overall economic growth itself is such as to generate adequate incomes for the poorer sections through its greater impact on employment-generation and on the development of the less developed regions. The programmes for poverty alleviation should thus be regarded as supplementing the basic plan for overall economic growth, in terms of generating productive assets and skills as well as incomes for the poor. The major rural development programmes during this plan period were: Integrated Rural Energy Planning Programme, Special Livestock Breeding Programme, Jawahar Rozgar Yojana, Million Wells Scheme and Indira Awas Yojana.

Eighth Five Year Plan (1992-97) - Eighth Plan enumerated that "Rural development implies both the economic betterment of people as well as greater social transformation. Increased participation of people in the rural development process, decentralization of planning, better enforcement of land reforms and greater access to credit and inputs go a long way in providing the rural people with better prospects for economic development. Improvements in health, education, drinking water, energy supply, sanitation and housing coupled with attitudinal changes also facilitate their social development. Rural poverty is inextricably linked with low rural productivity and unemployment, including underemployment. Moreover, more employment needs to be generated at higher levels of productivity in order to generate higher output". The major programmes during this plan period were IRDP, Jawahar Rozgar Yojana, Indira Awas Yojana, Employment Assurance Scheme and Million Wells Scheme.

Ninth Five Year Plan (1997-2002) - The Ninth Plan document enumerated that "Direct poverty alleviation programmes are important and will continue on an expanded scale in the Ninth Plan. Broadly, there would be schemes for income generation through supplementary

employment, for the welfare of the poor in rural/urban areas and for a targeted PDS system to ensure that the poor have access to foodgrains at prices they can afford". During this plan period government have started two new programmes, namely, Swaranjanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) and Jawahar Gram Samridhi Yojana (JGSY). JGSY have been launched by restructuring the earlier programme, namely, JRY and SGSY have been started by merging the erstwhile programme of integrated rural development programme, TRYSEM, Ganga Kalayan Yojana, SITRA, and MWS.

Tenth Five Year Plan (2002-2007) - Development and utilization of human resources and the improvement in the overall quality of life of the people are central to any development planning. During Tenth Plan period the programmes like, JGSY, EAS and Food for Work Programme were revamped and merged under the new wage employment program, namely, Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (SGRY).

Eleventh Five Year Plan (2007-2012) - The Eleventh Plan focused on a three-legged strategy – economic growth, income-poverty reduction through targeted programmes, and human capital formation – will put India on a sustainable growth path, since there is a recognized synergy between these outcomes.

Twelfth Five Year Plan (2012-2017) - The broad vision and aspirations which the Twelfth Plan seeks to fulfill are reflected in the subtitle: 'Faster, Sustainable, and More Inclusive Growth'. Head-count ratio of consumption poverty to be reduced by 10 percentage points over the preceding estimates by the end of Twelfth FYP. Generate 50 million new work opportunities in the non-farm sector and provide skill certification to equivalent numbers during the Twelfth FYP, Provide electricity to all villages, Connect all villages with all-weather roads by the end of Twelfth FYP, Ensure 50 per cent of rural population has access to 40 lpcd piped drinking water supply, and 50 per cent gram panchayats achieve Nirmal Gram Status by the end of Twelfth FYP. In 2014, Narendra Modi government decided to wind down the planning commission and it was replaced by the newly formed NITI(National Institution for Transforming India) Aayog. Now NITI Aayog will monitor and evaluate the implementation of programmes and focus on technology up gradation and capacity building.

Findings - The above discussion presents the overall picture of rural development programmes and strategies adopted by the Governments from time to time at the national and state level. Rural development efforts are being made since the beginning of development planning. Employment generation has been the major concern in all the Five Year Plans. However, it was during the Fourth and Fifth Five Year Plans that some serious steps have been taken to eradicate poverty and generation of gainful employment in the rural areas. Since then several

programmes and schemes have been launched with sincere commitment to generate employment opportunities in the rural areas. Presently, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme has been implemented by the Government of Himachal Pradesh. Rural development is one of the concern areas under Five Year Plans.

Conclusion - Thus, on the basis of above discussion it can be said that an increase in the productive potential of the economy is an essential condition for finding effective solution to the multi-facet and complex problem of rural development. Two of the four principal objectives of the Second Five Year Plan were large expansion of employment opportunities and reduction of inequalities in income and wealth. The Third Five Year Plan reiterated to establish progressively greater equality of opportunity and to bring about reduction in disparities in income and wealth and more even distribution of economic power. The Forth plan observed that the benefits of development should accrue in increasing measures to the common men and the weaker sections of the society. The draft Fifth Plan opens with the declaration of 'removal of poverty and attainment of self-reliance'. Consistent with the objectives of earlier plans, Sixth Five Year Plan emphasized on a number of general as well as specific programmes for the eradication of poverty and generation of employment. The Seventh Plan recognized that it is necessary to ensure the pattern of overall economic growth itself is such as to generate adequate incomes for the poorer sections through its greater impact on employment generation and on the development of the less developed regions. Expansion of employment opportunities, augmentation of productivity and income levels of both the under employed and employed poor would be the main instrument for achieving this objective during the Eighth plan. The Ninth Plan laid special emphasis on seven basic minimum services, namely, safe drinking water, primary health facilities, universal primary education, nutrition to school and pre- school children, shelter for the poor, road connectivity for all villages and habitations, and the Public Distribution System (PDS) with a focus on the poor. The Tenth Five Year Plan Aimed at provision of gainful and high quality employment in excess of addition to the labour force to reduce the number of unemployed significantly by the end of the Plan. The Eleventh Plan envisaged rapid growth in employment opportunities while ensuring improvement in the quality of employment; it recognized the need to increase the share of regular employees in total employment and a corresponding reduction in casual employment, the twelfth five year plan emphasized on Faster, Sustainable, and More Inclusive Growth. Therefore, the central focus of the planning, reflected in Five Year Plans, has been on the generation of gainful employment opportunities in the rural

areas as well as the eradication of poverty.

References :-

1. Chaman Lal Kashyap (1989) **Management and Planning of Rural Development in India**, Ashish Publishing House, New Delhi, p. 1.
2. Planning Commission (2007), **11th Five Year Plan 2007-2012 (Vol. III)**, Government of India, New Delhi, p. 63.
3. B. Mukherji (1961), **Community Development in India**, Orient Longmans Limited, New Delhi, p.2.
4. G.R. Madan (1983), **India's Developing Villages**, Print House (India), Lucknow, p. 56.
5. <http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/2nd/2planch11.html>, Retrieved on 22/09/2011.
6. Kamta Prasad (1985), **Planning For Poverty Alleviation**, Agricole Publishing Academy New Delhi. p. 8.
7. Shriram Maheshwari (1995), **Rural Development in India: A Public Policy Approach**, Sage Publications, New Delhi, p. 34.
8. Shaikh Saleem (2006), **Business Environment**, Dorling Kindersley, Pearson Education, Delhi, p. 24.
9. Ruddar Datt and K.P.M. Sundharam (2007), **Indian Economy (56th Ed.)**, S. Chand and Company Ltd., New Delhi, p. 265.
10. B.S. Minhas quoted by Rajbir Singh (2004), **Rural Development Administration**, Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi, p. 28. and Planning Commission (1983), **Sixth Five Year Plan (1980-85): Mid-term Appraisal**, Government of India, New Delhi, p. 48.
11. Devendra Thakur (1990), **Technology Transfer for Rural Development**, Deep and Deep Publications, New Delhi, p. 329.
12. Ruddar Datt and K.P.M. Sundharam (2007), **loc.cit.**, p. 265.
13. Planning Commission, **Seventh Five Year Plan 1985-90, Vol. II**, Government of India, New Delhi, p. 50.
14. Ashok Kumar (2000), **New Approaches in Rural Development**, Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi, p. 289.
15. Planning Commission, **Eighth Five Year Plan 1992-97, Vol. II**, Government of India, New Delhi, p. 27.
16. <http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/9th/vol2/v2c2-1.htm>, retrieved on 2nd April, 2012.

Social Movements in India: Exploring Historical and Contemporary Movements for Social Change

Dr. Sandhya Jaipal*

Abstract - Social movements in India have played a pivotal role in shaping the nation's socio-political landscape. These movements are collective endeavors aimed at promoting or resisting change in society, often driven by issues of justice, equality, and rights. India's diverse social fabric, marked by varied cultures, languages, and religions, has given rise to a multitude of social movements, each reflecting the unique socio-economic challenges faced by different communities. Historically, social movements in India have been deeply intertwined with the struggle for independence from British colonial rule. The freedom movement, led by figures like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Subhas Chandra Bose, was a quintessential example of a social movement that galvanized millions across the country. Post-independence, the focus of social movements shifted to addressing issues like caste discrimination, gender inequality, and economic disparity. The Dalit movement, the feminist movement, and the farmer's movements are notable examples that have significantly impacted Indian society. In contemporary times, social movements have increasingly leveraged technology and social media to mobilize support and raise awareness. Movements such as the anti-corruption drive led by Anna Hazare illustrate the dynamic nature of social activism in modern India. These movements highlight the continued relevance of grassroots mobilization and the importance of collective action in driving social change. This paper explores the evolution of social movements in India, examining both historical and contemporary examples. It delves into the causes, strategies, and impacts of these movements, offering a comprehensive understanding of their role in shaping Indian society.

Keywords: Social Movements, India, Historical Movements, Contemporary Movements, Social Change.

Historical Social Movements: The Struggle for Independence and Beyond: The Indian struggle for independence from British colonial rule is one of the most significant social movements in the country's history. Spanning several decades, this movement saw the rise of leaders who employed various strategies, from non-violent civil disobedience to armed resistance, to challenge colonial oppression. Mahatma Gandhi's non-violent resistance, or Satyagraha, mobilized millions of Indians, irrespective of their socio-economic backgrounds, in a unified demand for independence. Key events like the Salt March, the Quit India Movement, and the Non-Cooperation Movement exemplify the collective resolve and resilience of the Indian populace.

Post-independence, the focus of social movements in India shifted towards addressing internal social issues. One of the earliest significant movements was the Dalit movement, aimed at eradicating caste-based discrimination and untouchability. Dr. B.R. Ambedkar emerged as a central figure in this movement, advocating for the rights of Dalits and other marginalized communities. His efforts culminated in the drafting of the Indian Constitution, which enshrined principles of equality and justice.

The Green Revolution in the 1960s and 70s, although primarily an agricultural reform, also had social movement

characteristics. It aimed at increasing food production to combat hunger and poverty. While it succeeded in making India self-sufficient in food grains, it also led to unintended social and environmental consequences, highlighting the complex interplay between socio-economic policies and social movements.

Another notable historical movement is the Chipko Movement of the 1970s, which was an environmental campaign aimed at preventing deforestation in the Himalayan region. Women played a crucial role in this movement, hugging trees to prevent them from being cut down. This movement not only raised awareness about environmental conservation but also highlighted the intersection of environmental and social justice issues.

These historical movements laid the foundation for subsequent social activism in India. They demonstrated the power of collective action and set precedents for addressing social injustices through organized, peaceful protests and reforms.

Contemporary Social Movements: Technology and Globalization: The advent of technology and globalization has significantly transformed the landscape of social movements in India. Contemporary movements are characterized by their use of digital platforms to mobilize

support, disseminate information, and coordinate actions. Social media, in particular, has become a powerful tool for activists, enabling them to reach a wider audience and generate instant responses.

One of the most prominent contemporary social movements in India is the anti-corruption movement led by Anna Hazare in 2011. This movement, which demanded the implementation of the Jan Lokpal Bill to combat corruption in public offices, gained massive traction through social media. Thousands of people participated in protests and hunger strikes, leading to widespread public debate and eventually, legislative changes. This movement exemplified how digital tools can amplify the voices of citizens and hold the government accountable.

In addition to these major movements, numerous grassroots initiatives have emerged, addressing issues such as gender violence, LGBTQ+ rights, environmental conservation, and labor rights. The #MeToo movement, which gained momentum in India in 2018, exposed instances of sexual harassment and assault, leading to significant discussions on gender equality and workplace safety.

Overall, contemporary social movements in India reflect the dynamic interplay between traditional forms of activism and modern technological advancements. They underscore the continued relevance of social movements in addressing new and ongoing social challenges in an increasingly interconnected world.

Gender and Social Movements: The Fight for Equality: Gender-based social movements in India have been pivotal in challenging patriarchal norms and advocating for women's rights and gender equality. From the early 20th century women's suffrage movements to contemporary campaigns against gender violence, these movements have significantly shaped the discourse on gender in Indian society.

The women's movement in India gained momentum during the freedom struggle, with women participating actively in protests and political activities. Post-independence, the focus shifted to addressing gender-specific issues such as dowry, domestic violence, and women's education. The 1970s and 80s saw the emergence of autonomous women's groups that organized protests, conducted awareness campaigns, and lobbied for legislative changes. One of the significant milestones was the passing of the Dowry Prohibition Act in 1961, followed by amendments to strengthen it.

In recent decades, the feminist movement in India has evolved to address a broader range of issues, including workplace harassment, reproductive rights, and political representation. The 2012 Delhi gang rape incident, which led to nationwide protests, marked a watershed moment in the fight against gender violence. The Nirbhaya Movement, as it came to be known, resulted in stricter anti-rape laws and greater public awareness about women's safety. The #MeToo movement, which took off in India in 2018,

further highlighted the prevalence of sexual harassment in various sectors, from entertainment to academia. Women across the country came forward with their stories, leading to a significant cultural shift in how such issues are perceived and addressed. The movement also led to the establishment of Internal Complaints Committees (ICCs) in workplaces to address complaints of sexual harassment. In addition to these mainstream movements, various grassroots organizations have been working tirelessly to empower women in rural and marginalized communities. Self-help groups (SHGs) have been instrumental in promoting financial independence and social empowerment among rural women. These groups provide a platform for women to pool resources, access credit, and start small enterprises, thereby improving their socio-economic status. Gender-based social movements in India have also increasingly focused on intersectionality, recognizing that women's experiences of oppression are shaped by factors such as caste, class, and sexuality. This has led to more inclusive and nuanced approaches to gender activism, addressing the needs and rights of all women, including Dalit, Adivasi, and LGBTQ+ individuals.

Environmental Movements: Balancing Development and Conservation: Environmental movements in India have gained prominence as the country grapples with the challenges of rapid industrialization, urbanization, and climate change. These movements advocate for sustainable development, conservation of natural resources, and the protection of marginalized communities affected by environmental degradation.

One of the earliest and most influential environmental movements in India was the Chipko Movement of the 1970s. Originating in the Himalayan region of Uttarakhand, this movement involved local villagers, particularly women, hugging trees to prevent them from being felled by contractors. The Chipko Movement brought national and international attention to the issue of deforestation and the need for community-based conservation efforts. It also highlighted the crucial role of women in environmental activism.

In the 1980s, the Narmada Bachao Andolan (NBA) emerged as a significant movement against the construction of large dams on the Narmada River. Led by social activists like Medha Patkar, the NBA opposed the displacement of thousands of people, primarily indigenous communities, due to the dam projects. The movement emphasized the need to balance development with the rights and livelihoods of affected communities. Despite facing significant opposition, the NBA succeeded in raising awareness about the social and environmental costs of large-scale infrastructure projects.

The contemporary environmental movement in India has been marked by a growing focus on climate change and its impacts. Youth-led movements, inspired by global initiatives like Fridays for Future, have organized protests and campaigns demanding stronger climate action from

the government. These movements underscore the urgency of addressing climate change to ensure a sustainable future for the coming generations.

In addition to large-scale movements, numerous grassroots initiatives across India are working on issues such as water conservation, waste management, and sustainable agriculture. The success of these initiatives often hinges on community participation and the use of traditional knowledge systems. For instance, the Pani Panchayat movement in Maharashtra promotes equitable water distribution and sustainable irrigation practices, benefiting small farmers and promoting water conservation.

The role of technology in environmental activism has also been significant. Digital platforms enable activists to monitor environmental violations, mobilize support, and campaign for policy changes. Online petitions, social media campaigns, and real-time reporting of environmental issues have become common tools for environmentalists.

Environmental movements in India highlight the complex interplay between development and conservation. They emphasize the need for policies that promote sustainable development while protecting the rights and livelihoods of vulnerable communities. As India continues to pursue economic growth, the importance of environmental activism in shaping a sustainable and equitable future cannot be overstated.

Conclusion: Social movements in India have been instrumental in driving significant social, political, and environmental changes. From the historical struggle for independence to contemporary movements addressing issues like corruption, gender inequality, and environmental degradation, these movements reflect the dynamic and evolving nature of social activism in the country. Historical movements, such as the freedom struggle and the Dalit movement, laid the groundwork for addressing social injustices through collective action and peaceful protests. Contemporary movements have harnessed the power of technology and social media, allowing for more widespread and rapid mobilization. Gender-based movements have been particularly impactful, challenging deep-seated patriarchal norms and advocating for women's rights and

equality. The feminist movement, #MeToo, and grassroots initiatives have brought critical issues to the forefront and pushed for legislative and societal changes. Environmental movements, such as the Chipko Movement and the Narmada Bachao Andolan, have highlighted the need for sustainable development and the protection of marginalized communities affected by environmental policies. The interplay between development and conservation, as seen in various environmental movements, underscores the complexity of balancing economic growth with ecological sustainability.

Overall, social movements in India demonstrate the power of collective action in addressing injustices and promoting social change. They serve as a testament to the resilience and determination of Indian society in its pursuit of a more equitable and just future. Continued activism and advocacy are essential to address ongoing challenges and ensure that the voices of marginalized and vulnerable communities are heard and their rights protected.

References:-

1. Agarwal, B. (1992). The Gender and Environment Debate: Lessons from India. *Feminist Studies*, 18(1), 119-158.
2. Bavisar, A. (1995). *In the Belly of the River: Tribal Conflicts over Development in the Narmada Valley*. Oxford University Press.
3. Omvedt, G. (1994). *Dalits and the Democratic Revolution: Dr. Ambedkar and the Dalit Movement in Colonial India*. Sage Publications.
4. Ray, R. (1999). *Fields of Protest: Women's Movements in India*. University of Minnesota Press.
5. Tarrow, S. (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge University Press.
6. Guha, R. (2000). *Environmentalism: A Global History*. Longman.
7. Shah, G. (2002). *Social Movements and the State*. Sage Publications.
8. Nilsen, A. G. (2012). *Dispossession and Resistance in India: The River and the Rage*. Routledge.

Social Inequality in India

Dr. Anjali Jaipal*

Abstract - Social inequality in India manifests in multiple forms, primarily driven by entrenched caste systems, economic disparities, gender biases, and unequal access to resources. Despite significant economic progress and modernization, these disparities continue to persist, creating a fragmented society where opportunities and privileges are unevenly distributed. Social inequality in India is a deeply ingrained and multifaceted issue that affects millions of people across the nation. This research paper aims to investigate the various dimensions of social inequality in India, focusing on disparities related to caste, class, gender, and access to resources. By examining historical contexts, contemporary realities, and the impact of various socio-economic factors, this paper seeks to provide a comprehensive understanding of the challenges and potential pathways to address social inequality in India.

Keywords: Social Inequality, India, Caste, Class, Gender, Access to Resources, Discrimination, Socio-economic Disparities.

Historical Context

Caste System: The caste system in India, a hierarchical social stratification, has been a fundamental source of social inequality for centuries. Originating from ancient Hindu scriptures, the caste system divides people into different social groups (varnas) based on their birth. The four primary varnas are Brahmins (priests), Kshatriyas (warriors), Vaishyas (traders), and Shudras (laborers). Below these varnas are the Dalits (formerly known as "untouchables"), who have historically been subjected to severe discrimination and social exclusion.

Colonial and Post-Colonial Impact: During British colonial rule, the caste system was institutionalized through various policies, further entrenching social hierarchies. The post-colonial period saw attempts to address these inequalities through affirmative action policies, such as reservations in education and employment for Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), and Other Backward Classes (OBCs). However, these measures have had mixed results in dismantling deep-rooted caste-based inequalities.

Contemporary Social Inequality

Caste-Based Disparities: Despite constitutional safeguards and affirmative action policies, caste-based discrimination remains pervasive in modern India. Dalits and other marginalized castes often face social ostracism, economic deprivation, and limited access to quality education and healthcare. Instances of caste-based violence and atrocities continue to be reported, highlighting the persistent nature of caste-based discrimination.

Class Disparities: Economic inequality in India is stark, with a significant gap between the rich and the poor. The top 1% of the population holds a disproportionate share of the country's wealth, while millions live in poverty. This

economic divide is further exacerbated by factors such as education, employment opportunities, and access to basic amenities. The urban-rural divide also contributes to class-based disparities, with rural areas often lacking adequate infrastructure and economic opportunities.

Gender Inequality: Gender inequality in India is a critical issue that affects women across all social strata. Despite legal protections and progressive policies, women continue to face discrimination in various spheres, including education, employment, and political representation. Patriarchal norms and cultural practices, such as dowry and child marriage, further perpetuate gender-based disparities. Women's participation in the workforce remains low, and they often face wage gaps and limited career advancement opportunities.

Access to Resources: Access to resources such as education, healthcare, and clean water is unevenly distributed in India. Marginalized communities, including Dalits, Adivasis (indigenous tribes), and economically disadvantaged groups, often have limited access to these essential services. This disparity in access to resources perpetuates cycles of poverty and social exclusion, hindering social mobility and overall development.

Analysis and Discussion

Education: Education is a crucial determinant of social mobility and economic prosperity. However, access to quality education in India is highly unequal. While urban areas have better educational infrastructure, rural regions often suffer from inadequate facilities, lack of trained teachers, and high dropout rates. Marginalized communities, particularly Dalits and Adivasis, face significant barriers in accessing education due to socio-economic constraints and discrimination. The gender gap

in education is also notable, with fewer girls enrolling in and completing higher education compared to boys.

Employment and Economic Opportunities: Employment opportunities in India are influenced by factors such as caste, class, and gender. While affirmative action policies have improved representation of marginalized groups in public sector jobs, the private sector remains largely unregulated, often perpetuating discriminatory practices. Women, in particular, face challenges in the labor market, with lower participation rates and higher unemployment compared to men. Informal and unorganized sectors, which employ a significant portion of the workforce, lack job security and social protection, further exacerbating economic disparities.

Healthcare: Access to healthcare in India is another area where social inequalities are evident. Rural and marginalized communities often lack access to basic healthcare services, leading to poor health outcomes and higher mortality rates. The quality of healthcare varies significantly between urban and rural areas, with urban centers having better facilities and specialized care. Economic constraints also limit access to healthcare for the poor, with out-of-pocket expenses pushing many households into debt and poverty.

Political Representation: Political representation is crucial for addressing social inequalities and ensuring inclusive development. However, marginalized groups in India, including women, Dalits, and Adivasis, remain underrepresented in political institutions. While reservation policies have increased their presence in local governance structures, representation at higher levels of government remains limited. This lack of political voice hampers efforts to address systemic inequalities and implement policies that cater to the needs of marginalized communities.

Case Studies

Dalit Empowerment Movements: Dalit empowerment movements, such as the Dalit Panthers and the Bahujan Samaj Party (BSP), have played a significant role in advocating for the rights and welfare of Dalits. These movements have raised awareness about caste-based discrimination and mobilized political and social support for affirmative action policies. The success of these movements highlights the importance of collective action in challenging social inequalities and demanding justice.

Women's Movements: Women's movements in India have been instrumental in advocating for gender equality and women's rights. Organizations such as the Self-Employed Women's Association (SEWA) and the All India Democratic Women's Association (AIDWA) have worked to improve women's economic participation, address gender-based violence, and promote legal reforms. These movements have achieved significant milestones, including the enactment of laws against domestic violence and sexual harassment, but challenges remain in ensuring effective implementation and cultural change.

Rural Development Programs: Government initiatives

such as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) and the National Rural Health Mission (NRHM) aim to address rural poverty and improve access to basic services. MGNREGA provides guaranteed employment to rural households, helping to alleviate poverty and create rural infrastructure. NRHM focuses on improving healthcare delivery in rural areas, particularly for maternal and child health. While these programs have had positive impacts, challenges such as corruption, bureaucratic inefficiencies, and inadequate funding limit their effectiveness.

Policy Recommendations

Strengthening Affirmative Action Policies: Affirmative action policies should be strengthened and effectively implemented to ensure that marginalized communities have equal access to education, employment, and political representation. Regular monitoring and evaluation of these policies are essential to address any gaps and ensure their effectiveness.

Improving Education Access and Quality: Investing in educational infrastructure, particularly in rural and marginalized areas, is crucial for addressing educational disparities. Measures such as scholarships, free textbooks, and midday meal programs can help reduce dropout rates and encourage enrollment. Teacher training and curriculum reforms should focus on promoting inclusive and equitable education.

Enhancing Healthcare Access: Improving healthcare infrastructure and service delivery in rural and marginalized areas is essential for addressing health disparities. Policies should focus on expanding primary healthcare services, increasing the availability of trained medical personnel, and ensuring affordable healthcare for all. Public health campaigns and community health programs can also raise awareness and promote preventive healthcare practices.

Promoting Gender Equality: Efforts to promote gender equality should focus on addressing cultural and societal norms that perpetuate discrimination. Policies should aim to increase women's participation in the workforce, provide support for working mothers, and ensure equal pay for equal work. Legal frameworks against gender-based violence and discrimination should be strengthened and effectively enforced.

Enhancing Political Representation: Measures to increase political representation of marginalized communities should be prioritized. Electoral reforms, such as proportional representation and reservation of seats for women and marginalized groups, can help ensure a more inclusive political system. Capacity-building programs and leadership training can empower marginalized individuals to participate in political processes.

Conclusion: Social inequality in India is a complex and comprehensive issue that requires broad and sustained efforts to address. By examining the historical and contemporary dimensions of caste, class, gender, and access to resources, this paper highlights the persistent

nature of social disparities and the need for targeted interventions. Strengthening affirmative action policies, improving access to education and healthcare, promoting gender equality, and enhancing political representation are crucial steps toward creating a more equitable and inclusive society. Addressing social inequality in India is not only a moral imperative but also essential for the country's overall development and progress.

References:-

1. Ambedkar, B. R. (1946). Who Were the Shudras? How They Came to Be the Fourth Varna in the Indo-Aryan Society. Thacker & Co. Ltd.
2. Thorat, S., & Newman, K. S. (2010). Blocked by Caste: Economic Discrimination in Modern India. Oxford University Press.
3. Deshpande, A. (2011). The Grammar of Caste: Economic Discrimination in Contemporary India. Oxford University Press.
4. Dreze, J., & Sen, A. (2013). An Uncertain Glory: India and its Contradictions. Princeton University Press.
5. Kabeer, N. (2005). Inclusive Citizenship: Meanings and Expressions. Zed Books.
6. Shah, G., Mander, H., Thorat, S., Deshpande, S., & Baviskar, A. (2006). Untouchability in Rural India. SAGE Publications.
7. Agrawal, S. P. (1991). Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in India: A Select Bibliography. Concept Publishing Company.
8. Mehrotra, S., & Jolly, R. (Eds.). (1997). Development with a Human Face: Experiences in Social Achievement and Economic Growth. Oxford University Press.
9. Nussbaum, M. C. (2000). Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge University Press.
10. Kumar, A., & Prakash, N. (2019). Dalit Women: Vanguard of an Alternative Politics in India. Routledge.

लघु उद्योग का एक अध्ययन

आबिद हसन खान* केशर परवीन**

शोध सारांश – लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनमें विनिर्माण उत्पादन और सेवा की प्रक्रिया छोटे पैमाने पर की जाती है। ऐसे उद्योगों पर निवेश एक बार का होता है तथा ये निवेश अधिकतर प्लांट एवं मशीनरी पर किया जाता है ऐसे उद्योगों पर कुल निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं होता है। लघु उद्योगों में वस्तुओं का विनिर्माण और सेवाएं प्रदान करने का कार्य छोटी मशीनों और बहुत सीमित मानव शक्ति की सहायता से किया जाता है। लघु उद्योग या एसएसआई को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है जो भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रम प्रधान उद्योग होने के कारण यह देश की आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में बहुत मददगार है। वित्तीय दृष्टिकोण से भी वे अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं क्योंकि वे देश की प्रति व्यक्ति आय को स्थिर रखने में मदद करते हैं। लघु उद्योग को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है और यह एक ऐसी फील्ड है जो सबसे अधिक नौकरी लोगों को देती है। हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लघु उद्योग का काफी महत्वपूर्ण किरदार होता है। वर्तमान के समय में बेरोजगार युवक लघु उद्योग में नौकरी करके रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और अपनी रोजगारी को दूर कर रहे हैं। हमारे भारत देश में ऐसे कई युवा हैं जो काफी कम उम्र में ही लघु उद्योग स्टार्ट कर चुके हैं और आज वह सफलता के शिखर को छू रहे हैं।

शब्द कुंजी – उद्देश्य, विशेषता, लाभ, उपयोगिता, रोजगार समाधान।

प्रस्तावना – लघु उद्योग वे हैं जहाँ विनिर्माण उत्पादन और सेवा वितरण सूक्ष्म और छोटे पैमाने पर किया जाता है। ये व्यवसाय उपकरण संयंत्र और उपकरणों में सिर्फ एक निवेश करते हैं लेकिन यह 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है, और उनका वार्षिक राजस्व 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है। भारत के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की स्कीम चलाई जा रही है जिसका फायदा युवा वर्ग उठा रहे हैं। अगर किसी भारतीय व्यक्ति के पास लघु उद्योग को स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजना में वह अप्लाई कर सकता है और लघु उद्योग स्टार्ट करने के लिए लोन के तौर पर पैसे प्राप्त कर सकता है। इंडिया में जो लघु उद्योग है वह अधिकतर कौशल के ऊपर ही डिपेंड होते हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति को किसी टेक्निकल चीज के बारे में सिखाया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उसे नौकरी पर रखा जाता है। लघु उद्योग को करने के लिए ज्यादा अधिक पैसे की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए किसी व्यक्ति के पास अगर कम पैसे हैं तो भी वह उसी पैसे में लघु उद्योग को स्टार्ट कर सकता है। लघु उद्योग को स्टार्ट करने के बाद उसमें फायदा प्राप्त होने पर व्यक्ति चाहे तो लघु उद्योग के आकार को और भी बड़ा कर सकता है और अधिक पैसे कमाने का प्रयास कर सकता है। लघु उद्योग छोटे पैमाने पर विनिर्माण उत्पादन और सेवा गतिविधियों में संलग्न हैं। इन इकाइयों में प्रारंभिक निवेश में आमतौर पर संयंत्र और मशीनरी का अधिग्रहण शामिल होता है जिसका कुल निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है। लघु उद्योग अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे छोटी मशीनरी का उपयोग करते हैं और सीमित जनशक्ति को रोजगार

देते हैं। चूंकि भारत एक श्रम प्रधान देश है इसलिए इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं खासकर वंचितों के लिए। वे देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

जब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काम नहीं मिल पाता है तो वे काम की तलाश में शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं। बड़े पैमाने पर पलायन से शहरी भूमि पानी और अन्य संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है। लघु उद्योग ग्रामीण कारीगरों कारीगरों और अन्य लोगों के कौशल और क्षमताओं का उपयोग करते हैं और वे विरासत में मिले कौशल वाले लोगों को उपयोगी काम प्रदान करते हैं जिससे उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद मिलती है। नतीजतन लघु उद्योग पलायन को कम करने में सहायता करते हैं। छोटे व्यवसाय ज्यादा अनुकूलनीय होते हैं। वे बदलते बाजार की स्थितियों के हिसाब से जल्दी से समायोजित हो सकते हैं और नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। कुछ नवीनतम लघु उद्योग हैं बेकरी स्कूल स्टेशनरी ब्यूटी पार्लर मोमबत्ती बनाने का व्यवसाय अगरबत्ती या अगरबत्ती और कपूर हस्तनिर्मित चॉकलेट आदि। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की भूमिका निम्नलिखित है:

वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के प्रमुख स्रोत हैं और इसलिए अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में कुल वस्तुओं और सेवाओं में लघु उद्योगों का योगदान लगभग 40% सड, इसलिए यह अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है। लघु उद्योग मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने में मदद करते हैं जिससे

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) एसडीएस शासकीय महाविद्यालयब जामगांव आरब भररब, दुर्ग (छ.ग.) भारत

** सहायक प्राध्यापक, पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) भारत

स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ाने में मदद मिलती है। भारतीय कंपनियों को निर्यात की जाने वाली अधिकांश सामग्री लघु उद्योगों से प्राप्त होती है। अनुमान है कि निर्यात की जाने वाली कुल सामग्री का लगभग 50% हिस्सा ऐसे उद्योगों से ही उत्पादित होता है।

लघु उद्योगों के उद्देश्य- लघु उद्योगों के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. जनता के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता करना।
3. राष्ट्र में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में सक्रिय भूमिका निभाना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायता करना।
5. यह सुनिश्चित करना कि धन और आय का समान वितरण हो।

लघु उद्योगों की विशेषताएँ- भारत में लघु उद्योगों की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. लघु उद्योगों में आम तौर पर एकल स्वामित्व होता है जिसका अर्थ है कि या तो इसका एकमात्र स्वामित्व ढांचा होता है या साझेदारी होती है।
2. लघु उद्योगों का प्रबंधन मालिकों के पास होता है और इसलिए मालिक व्यवसाय के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाता है।
3. लघु उद्योग बहुत अधिक श्रम-प्रधान होते हैं इसलिए इनमें प्रौद्योगिकी का उपयोग सीमित होता है।
4. बड़े उद्योगों के विपरीत लघु उद्योग लचीले होते हैं तथा बदलते कारोबारी माहौल के प्रति अनुकूलनशील होते हैं।
5. लघु उद्योग एक सीमित क्षेत्र में काम करते हैं जिससे वे स्थानीय और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं।
6. लघु उद्योग स्थानीय और आसानी से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने और न्यूनतम अपव्यय सहने में मदद मिलती है।

लघु उद्योगों के कुछ उदाहरण हैं:

1. पेपर बैग उद्योग
2. चमड़े की बेल्ट निर्माण उद्योग
3. लघु खिलौना निर्माण उद्योग
4. बेकरी
5. स्कूल स्टेशनरी
6. पानी की बोतलें निर्माण उद्योग
7. ब्यूटी पार्लर
8. अचार निर्माण उद्योग
9. अगरबत्ती निर्माण उद्योग
10. पेपर प्लेट निर्माण उद्योग

इससे लघु उद्योगों की अवधारणा पूरी हो जाती है जो किसी राष्ट्र के विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक है।

लघु उद्योग के लाभ- लघु उद्योगों ने पारंपरिक रूप से देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लघु उद्योगों के निम्नलिखित लाभ हैं:

1. **विशाल कार्यबल की संभावना-** लघु उद्योगों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता होती है। वे श्रम-प्रधान प्रकृति के होते हैं। वे अन्य उत्पादन तत्वों की तुलना में अधिक श्रमिकों को रोजगार देते हैं। वे कम समय में स्थापित किए जा सकते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। भारत जैसे बड़े श्रम पूल वाले देश में यह

महत्वपूर्ण है।

2. **कम पूंजी की आवश्यकता होती है-** बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में, छोटे पैमाने के उद्योगों को कम पूंजी की आवश्यकता होती है। चूंकि भारत एक पूंजी-विहीन देश है, इसलिए लघु उद्योग भारतीय वातावरण के लिए बेहतर अनुकूल हैं। इन्हें सीमित नकदी के साथ छोटे व्यवसाय मालिकों द्वारा स्थापित और चलाया जा सकता है।

3. **औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में योगदान-** देश के औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योग के उत्पादों का बड़ा हिस्सा है। वे उपभोक्ता की मांगों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं और औद्योगिक घटकों का निर्माण करते हैं। लघु उद्योग ऐसे उपभोक्ता सामान बनाते हैं जो कम खर्चिले होते हैं और गरीबों की जरूरतों को पूरा करते हैं।

4. **विदेशी मुद्रा प्राप्त करना-** लघु उद्योग दुनिया भर के विभिन्न देशों को माल निर्यात करके देश की विदेशी मुद्रा आय में योगदान करते हैं। साथ ही, उनकी खरीद न्यूनतम होती है, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह कम होता है। नतीजतन, लघु उद्योग सकारात्मक विदेशी मुद्रा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, तिरुपुर में लघु उद्योग भारत के निर्यात व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करते हैं और बहुमूल्य विदेशी नकदी कमाते हैं।

5. **निष्पक्ष वितरण -** धन वितरण और आर्थिक शक्ति संकेन्द्रण में असमानताएँ बड़े पैमाने की कंपनियों के कारण होती हैं। दूसरी ओर, छोटे व्यवसाय संसाधनों और धन को अधिक समान रूप से विभाजित करते हैं। चूंकि यह श्रम गहन है, इसलिए पैसा बड़ी संख्या में श्रमिकों के बीच वितरित किया जाता है। इसका अर्थव्यवस्था और समाज दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

6. **स्थानीय संसाधनों का उपयोग करें-** लघु उद्योग स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उत्पादक उपयोग करते हैं जो अन्यथा बर्बाद हो जाते। छोटी-छोटी रकम जो अन्यथा बेकार हो जाती, उसे छोटे व्यवसायों की स्थापना में लगाया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था के पूंजी निर्माण और निवेश को बढ़ावा मिलता है।

7. **उद्यमशीलता के अवसर-** कम फंडिंग वाले उद्यमी छोटे पैमाने के उद्योगों से लाभ उठा सकते हैं। बड़े पैमाने की फर्मों की तुलना में, एसएसआई की स्थापना में कम वित्त और प्रौद्योगिकी और मशीनों में कम खर्च शामिल है। नतीजतन, छोटे व्यवसाय के मालिक आसानी से लघु उद्योग बना सकते हैं और चला सकते हैं। विभिन्न छोटे उद्यमियों के कारण जिन्होंने देश के विकास में काफी योगदान दिया, द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुआ जापान एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन गया था।

8. **लागत प्रभावशीलता-** छोटे पैमाने के व्यवसाय कम लागत पर अधिक गुणवत्ता और विविधता प्राप्त करने के लिए लीन मैनुफैक्चरिंग तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। बड़े पैमाने की इकाइयों की तुलना में, वे अधिक लागत प्रभावी हो सकते हैं क्योंकि उनके व्यय कम हो जाते हैं।

9. **परिवर्तन के प्रति लचीलापन-** छोटे पैमाने के व्यवसाय ग्राहकों की बदलती जरूरतों को बेहतर ढंग से पहचानने और उनका जवाब देने में सक्षम होते हैं। वे बदलती उपभोक्ता जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं, विधियों और दृष्टिकोणों को ज्यादा तेजी से बदल सकते हैं।

10. **निजीकरण-** आजकल ग्राहक ऐसे उत्पाद पसंद करते हैं जो उनकी अनूठी आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत हों। वे एक-एक तरह की वस्तुओं की अपेक्षा करते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन उन स्थितियों में उपयुक्त

नहीं होगा जहाँ उत्पादों को व्यक्तिगत ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए। यदि उत्पादों को अनुकूलित किया जाना है, तो छोटे उद्योग अधिक उपयुक्त हैं।

11. कम सामाजिक लागत – बड़े पैमाने के व्यवसाय वायु और जल प्रदूषण के साथ-साथ पर्यावरण की गिरावट के रूप में भारी सामाजिक लागत लगाते हैं। दूसरी ओर, छोटे व्यवसायों को कम सामाजिक व्यय का सामना करना पड़ता है।

12. ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत बातचीत – उपभोक्ताओं की संख्या सीमित होती है, और छोटे व्यवसाय के मालिक व्यक्तिगत रूप से संचालन में शामिल होते हैं। ग्राहकों को व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क में रखा जा सकता है। उनकी आवश्यकताओं और मांगों को पहचाना और पूरा किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, ग्राहक संतुष्ट होते हैं, और मांग स्थिर रहती है।

13. स्वार्थ – एक छोटे व्यवसाय का अकेला उद्यमी आमतौर पर प्रभावी होता है। वह सब कुछ करता है और सब कुछ दांव पर लगा देता है। स्वार्थ एक शक्तिशाली प्रेरणा हो सकती है। नतीजतन, वह कंपनी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा।

मेक इन इंडिया से लघु उद्योगों को लाभ:

- 'मेक इन इंडिया' पहल और 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' दोनों ने भारत में स्थानीय व्यवसायों के विनिर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान व्यापार निरंतरता बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के रूप में त्वरित प्रतिक्रिया उपायों को लागू किया है।

लघु उद्योग उत्पादों का विपणन:

- भारत जैसे विकासशील देशों में, विपणन महत्वपूर्ण है, यद्यपि कठिन है। लघु उद्योग (एसएसआई) इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनका विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के संतुलित विस्तार से जुड़ा हुआ है। छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने के व्यवसायों की सफलता इस बात से निर्धारित होती है कि वे अपने उत्पादों को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों में कितनी अच्छी तरह बेचते हैं।
- आय, उपभोग और रोजगार के उच्च स्तर, ये सभी लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाते हैं। विपणन को न केवल उद्योगपतियों, विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र के लोगों से, बल्कि हमारे योजनाकारों और अर्थशास्त्रियों से भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत में लघु उद्योग शुरू करने के लाभ :

- इस उद्योग शुरू करने के लिए आपको न्यूनतम पूंजी की जरूरत होती है, मतलब आप आराम से कम से कम पूंजी लगा कर भी शुरू कर सकते हैं।
- इसे शुरू करने के लिए सरकार अनेकों योजनाओं के जरिए आपको प्रोत्साहित करती है, और आपको हर पल सरकार की मदद मिलती है। वर्तमान से भविष्य के निर्माण तक सरकार की अनेकों योजनाओं के साथ आप आसानी से किसी भी लघु उद्योग के बारे में विचार कर सकते हैं।
- अगर आप निर्माण उद्योग में जाना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में आरक्षण उपलब्ध है।
- अगर आपको पैसे की कोई चिंता है तो ऐसे में वित्त सम्बन्धी समस्याओं के लिए सब्सिडी और राशि उपलब्ध है।
- इस उद्योग में विशिष्ट खरीद में आपको सरकार की ओर से आरक्षण भी प्राप्त हो सकता है।

- भारत के आर्थिक विकास के लिए घरेलू या लोकल बाजार की मांग में वृद्धि हो रही है।

- जब घरेलू बाजार में मांग बढ़ रही है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मांग बढ़ सकती है जो उत्पादों के निर्यात का रास्ता खोलेंगे।

- यह उद्योग शुरू करने के लिए तकनीकी मशीनें, कच्चा सामान, मेहनतकश मजदूर, उचित दरों में उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर लघु उद्योग आसपास के लोगों को ध्यान में रखते हुए ही शुरू किये जाते हैं। इन उद्योगों की वजह से लोगों को घर-परिवार के पास ही काम मिल जाता है, इसलिए अधिकतर मजदूर कम पैसे में ही काम शुरू कर देते हैं।

- इसे शुरू करके खुद मालिक बन सकते हैं और आसानी से सारी योजनाओं का फायदा उठाकर उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं और आप भी आगे बढ़ सकते हैं।

- आप भी इसे शुरू करके स्वतंत्र हो सकते हैं और उद्योग को बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं।

- हम प्रगति और शहरीकरण के दौर में जी रहे हैं, जहाँ तकनीक आगे बढ़ रही है और लोगों को पहले से कहीं ज्यादा जानकारी है। इस बढ़ती जागरूकता के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्साहित हैं। भारत में, लघु उद्योग अर्थव्यवस्था में एक विशेष भूमिका निभाते हैं। ये उद्यम व्यस्त शहरों या ग्रामीण इलाकों के बीच में पाए जा सकते हैं।

- लघु उद्योग में हस्तशिल्प से लेकर अत्याधुनिक तकनीक तक कई तरह के क्षेत्र शामिल हैं।

लघु उद्योगों के लिए प्रशासनिक निकाय- लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ने कई प्रशासनिक निकाय स्थापित किए हैं जो लघु उद्योगों को बढ़ावा देते हैं और लघु उद्योगों के सतत विकास में मदद करते हैं। इन दोनों मंत्रालयों के एमएसएमई मंत्रालय में विलय के बाद, एमएसएमई मंत्रालय सभी लघु उद्योगों को नियंत्रित करता है। एमएसएमई मंत्रालय के तहत काम करने वाले सरकारी प्रशासनिक निकायों की सूची यहां दी गई है जो लघु उद्योगों की सहायता करते हैं:

- विकास आयुक्त कार्यालय
- खादी ग्रामोद्योग
- कॉयर बोर्ड
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
- राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान

लघु उद्योगों को समर्थन देने वाली सरकारी योजनाएं – नीचे लघु उद्योगों की सहायता देने वाली सरकारी योजनाएं दी गई हैं:

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) लघु उद्योगों को संस्थागत ऋण प्रदान करता है।
- ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) लघु उद्योगों में प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए ऋण का विस्तार है।
- बाजार संवर्धन एवं विकास योजना (एमपीडीए) लघु उद्योगों को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के बाजार नेटवर्क का विस्तार करने के लिए विपणन परिसर या खादी प्लाजा स्थापित करने में सहायता करती है।
- कयर विकास योजना (सीवीवाई) में विभिन्न गतिविधियों की परिकल्पना की गई है, जैसे कि कारीगरों का विकास, महिला कयर योजना, कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीआईटीयूएस) के तहत एक नई इकाई का उन्नयन और स्थापना, जो स्थानीय समुदाय और निर्यात को बढ़ावा

देती है, जिससे व्यापार और उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाओं और कयर श्रमिकों की बेहतरी में मदद मिलती है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना अन्य देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने में मदद करती है, प्रौद्योगिकी उन्नयन की संभावना तलाशने तथा विदेशी राज्यों में क्रेता-विक्रेता बैठकों की सुविधा प्रदान करती है।
- विपणन सहायता योजना अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, अभियानों और अन्य विपणन गतिविधियों की व्यवस्था करने में मदद करती है।
- खरीद और विपणन सहायता योजना का उद्देश्य स्थानीय बाजारों की बेहतरी करना तथा नए बाजारों तक पहुंच के प्रयासों को बढ़ावा देना है।
- उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य उन युवाओं को उद्यमी बनाना है जो लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं।

आँकड़ों के स्रोत - प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन क्षेत्र से आवश्यक सूचनाओं एवं आँकड़ों का द्वितीयक स्तर पर संकलन किया गया। यह वर्णनात्मक शोध पत्र है। द्वितीयक आँकड़ों का संग्रह विभिन्न स्रोतों जैसे - आर्थिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय पशुपालन विकास बोर्ड, भारत सरकार की विभिन्न रिपोर्ट, जनगणना विभाग, कृषि मंत्रालय के पशुधन विभाग, डेयरी एवं मत्स्य विभाग तथा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन आदि से संग्रहित किये गये हैं।

निष्कर्ष - सर्वेक्षण में शामिल 76 प्रतिशत लघु-स्तरीय इकाइयों में विपणन संबंधी समस्याएँ हैं। मार्केटिंग मिक्स से संबंधित सभी चुनौतियों का विश्लेषण और व्याख्या इस खंड (4ई) में की गई है। सामान्य तौर पर, बाजार की

ताकतें दक्षता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता द्वारा निर्देशित होती हैं, और यह उदारीकरण और वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में विशेष रूप से सच है। एसएसआई और उनके विकास के लिए मुख्य चुनौती वैश्विक संदर्भ में संतोषजनक और सफलतापूर्वक विपणन कार्य करना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत सरकार (2018 एवं 19): लघु उद्योग पर एक शोध रिपोर्ट, नई दिल्ली उद्योग विभाग, कृषि मंत्रालय।
2. तिवारी, एम.एस. (2016): भारत में लघु उद्योग क्षेत्र का विकास और प्रदर्शन, शिवाजी विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र, वॉयस ऑफ रिसर्च, वॉल्यूम 31, 2 सितम्बर 2017.
3. पी. हेमचंद्र (2015): दुनिया भर में लघु उद्योग और विकास का अवलोकन, जर्मनी: आईएफसीएनअनुसंधान केंद्र।
4. भारत सरकार (2014-13): राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास रिपोर्ट (एनडीडीबी) वार्षिक रिपोर्ट।
5. छत्तीसगढ़ सरकार (2016 एवं 22): बुनियादी लघु उद्योग सांख्यिकी की एक शोध रिपोर्ट, नई दिल्ली उद्योग विभाग, मंत्रालय।

Newspaper/Magazine:

1. The Business Today
2. The Business world
3. Navbharat
4. Dainik Bhaskar

खिलचीपुर राज्य के राव बाघसिंह और राव करणसिंह के शासनकाल का ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ.ओमप्रकाश गेहलोत*

प्रस्तावना - जहाँगीर के समय में खिलचीयों के संबंध मुगलों से खराब हो गए। राव बाघसिंह के समय में बादशाह जहाँगीर ने राव रतनसिंह हाड़ा को खिलचीयों को समाप्त करने के लिए आदेश दिया। इसलिए राव रतनसिंह हाड़ा ने मुगल फौज के साथ में खिलचीयों पर चौतरफा दबाव बनाया और उनके महलों और किलों पर अधिकार किया।

राव बाघसिंह की मृत्यु के बाद इस वंश की क्षत्राणियों ने जिस अदम्य उत्साह एवं साहस के साथ वीरता का परिचय दिया, उसकी प्राप्त साक्ष्य से पुष्टि होती है। 'मूता नैणसी की ख्यात' की पुस्तक के अनुसार जब मुगल एवं हाड़ाओं की फौज ने चाचरणी नगर पर अधिकार करने के लिए हमला किया, तब न केवल वहाँ के वीरों ने वरन् बाघसिंह की माता अर्थात् उग्रसेन की रानी यंसिंघलजी गोपालदेय ने शस्त्र धारण करके युद्ध का नेतृत्व किया। यंसिंघल गोपालदेय ने हाड़ाओं का बड़ी ही बहादुरी से सामना किया। जब तक वह जीवित रही उसने हाड़ाओं के मंसूबों पर पानी फैर दिया। वह हाड़ाओं की विजय को असंभव बनाती रही। उसकी मृत्यु के पश्चात् ही नवशेरखां चाचरणी पर अधिकार कर पाया।

भा.रा.के ग्रंथ में लिखा है कि राव बाघसिंह जहाँगीर के समय में खिलचीपुर का शासक था और राव रतनसिंह ने उससे चाचरणी का क्षेत्र छिन लिया। खि.रि.की ह.लि.ख्यात में बाघ सिंह के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इससे यह सिद्ध होता है, कि बाघसिंह उस समय में अल्पवयस्क शासक था।¹

राजमाता सिंघलजी गोपालदे राठौर बीकानेर के शासक वीर शिवकरण की पुत्री थी। कई कवियों ने इस वीर राजमाता के सम्मान में कई गीतों का निर्माण कर उसके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित किया है। करन राठौर कवि ने उनके सम्मान में बीकानेर की ख्यात में लिखा है-

कै भई चंद बुधाधर दच्छन, शाहनशाह निजाम की जाई।

कै दुरगावति खेत चढ़ै रण, फौज बहादुर की बिचलाई।

कै भई रानी गोपाल दे सिंधल, राव रतन सूं तेज बजाई।

हो असवार हथियार ले सिंधल, बाघन को रही बाघ की जाई।

(कवि सुबुद्धराम भाट; ख्यात बीकानेर)²

इस प्रकार स्पष्ट है कि राव बाघसिंह की अल्पवयस्कता के समय में राजमाता गोपालदे का पराक्रम अद्भूत था। उसने अपनी वीरता के कार्यों से हाड़ा शासक को छटी का दूध याद दिला दिया। जब तक गोपालदे जीवित रही, तब तक हाड़ा अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए। तत्कालीन कवियों ने उनकी वीरता के गीत गाए और उनको लोकमाता सदृश्य माना।

भा.रा.मं.के ग्रंथ के आधार पर जानकारी प्राप्त होती है कि राव बाघसिंह

जहाँगीर के समय में खिलचीपुर के शासक थे। बूंदी के राव रतनसिंह ने राव बाघसिंह से युद्ध कर उनसे चाचरणी का क्षेत्र छिन लिया था। जैसाकि विदित है, बाघसिंह के संबंध में खि.रि.की ह.ख्यात में जानकारी का अभाव है। बाघसिंह की रानी उमटजी के दो पुत्र करणसिंह और नागसिंह थे। इनके वंशज गुलखेरी और देवखेरी में शासन करते रहे। बाघसिंह के पश्चात् 1632 ई. में खिलचीपुर राज्य के शासक करणसिंह बने। राज्यभिषेक के अवसर पर उनके छोटे बेटे नागसिंह को बेलनपुर का परगना प्रदान किया गया। रावकरणसिंह जैसे ही गद्दी पर बैठे, उसके पश्चात् उमट और खिलची शासकों में पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया। यह संघर्ष कुछ समय तक रहा और उसके पश्चात् विवाह संबंध स्थापित हुआ। विवाह के माध्यम से संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया। राव करणसिंह का विवाह उमट राजकुमारी के साथ किया गया। विवाह के उपलक्ष्य में खिलचीयों को कन्यादान के रूप में 32 ग्राम प्राप्त हुए। इस विवाह से राव उग्रसेन के समय में जो शत्रुता प्रारंभ हो गई थी। उस शत्रुता को भूलाने का प्रयास किया गया। इस विवाह के बारे में दोनों राज्यों के अभिलेखों में इसका अभिलेखन किया गया है। इस विवाह के पश्चात् संबंधों को आगे भी सामान्य बनाने के लिए वादा किया गया, कि उमट शासक के भतीजों का विवाह राव के दिवान के साथ में किया जावेगा।³

इस प्रकार स्पष्ट है कि 1544 ई. में राव उग्रसेन के समय में जो संबंध खराब हो गए थे। उन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए खिलचीयों एवं उमट शासकों ने विवाह संबंध के माध्यम से सौहार्दपूर्ण बनाने का प्रयास किया और इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों राज्यों के मध्य में संबंध सामान्य हो गए।

1567 ई. (वि.सं.1624) में दिवान करणसिंह गद्दी पर बैठे, इसका उल्लेख खिलचीपुर रियासत की हस्त लिखित ख्यात में हुआ है। भा.रा.मं.के ग्रंथ के अनुसार मुगल बादशाह शाहजहाँ ने करणसिंह को दीवान की उपाधि प्रदान की थी। दीवान करणसिंह और उसका भाई नगसिंह बादशाह शाहजहाँ की सेवा में नियुक्त थे। इन दोनों भाईयों ने 12 वर्ष तक मुगल शासक शाहजहाँ के आदेश से बंगाल में अपनी सेवाएँ प्रदान कीं। बादशाह ने नागसिंह की चाकरी से प्रसन्न होकर उसको बेलनपुर का परगना बखशा था। खि.रि.की ह.ख्यात के अनुसार करणसिंह ने मुगल शासक के आदेशानुसार बंगाल सूबे पर चढ़ाई की थी। इन ग्रंथों के आधार पर जिस तिथि का उल्लेख किया गया है, वह गलत अंकित हुई है, क्योंकि उपरोक्त तिथि को बादशाह शाहजहाँ का शासन नहीं था, बल्कि इस समय में भारत में मुगल वंश का शासक अकबर था।⁴

राव करणसिंहजी के गद्दी पर बैठने की तिथि 1567 ई. (वि.सं. 1624) दी गई है। राव करणसिंह को 1639 ई. में शाही सेवा में सम्मिलित कर लिया और उनको बंगाल की विजय हेतु भेजा गया। अकबर के समय में राजस्थान के कछवाहा वंशी राजपूत शासक मानसिंह एक लंबे समय तक अपने राज्य से दूर रहकर मुगलों की सेवा करते थे। उसी की पुनरावृत्ति स्वरूप राव करण सिंह भी अपने राज्य से दूर 12 वर्ष तक बंगाल में मुगल वंश के लिए अपनी सेवाएँ प्रदान करते रहे। इस मुगल चाकरी के समय में उनका साथ उनके भाई ने दिया। इस अवस्था में उनके साथ में उनका भाई नगसिंह था। इस लंबी कालावधि में उन्होंने बंगाल के राजपूत प्रमुख की बेटी के साथ में अपना विवाह किया, जिसके फलस्वरूप उनको करणसिंह बंगाली के नाम से प्रसिद्धि मिली। इन्होंने बंगाल के युद्ध के पश्चात् वापस आते हुए 1573 ई. में ग्राम जलवाड़ा के राजा फतेहसिंह गौड़ के यहाँ पर रतनकंवर से विवाह किया। यह उनका तीसरा विवाह था। इस विवाह के पश्चात् बंगाल में 1599 ई. में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में करणसिंह की मृत्यु हो गई, तब इसी जलवाड़ा ग्राम में उनकी रानी रतनकंवर सती हुई थी, साथ ही खिलचीपुर में राव करणसिंह की प्रथम रानी द्रोपदाकंवर भी सती हुई थी। जिसका उल्लेख बड़वा गोपालदास ने किया है। राव करणसिंह के समय में गाँव रनारा से 12 गाँवों की जागीरों को दिए जाने का उल्लेख किया गया है-

जागीरदार नाम	गाँव	सन्
कसनसिंह	रनारा	1597
हरचन्द्र	ढाबलाकला	1688
सुवाई सिंह	खोखेड़ा	1768
रतनसिंह	ढाबला	1778
राजसिंह	सेदरा	1805
दीपसिंह	कालाकुण्डला	1805
कुसालसिंह	सतनखेड़ा	1815
सगतसिंह	सेमली राव	1815 ⁵

नागसिंह के पास में बेलनपुर का परगना था। शाहजहाँ का समय हाड़ाओं के प्रति सर्वाधिक अनुकूल था। इस समय में हाड़ा शासक सफलता के चरमोत्कर्ष पर थे। जैसे-जैसे हाड़ा शासक मुगलों के लिए उनकी नीतियों का समर्थन आंख मूंदकर कर रहे थे। उसका प्रतिफल लगातार हाड़ाओं को मिल रहा था और उनके सम्मान में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। जब मुगल बादशाह शाहजहाँ ने रतनसिंह को खिलचीपुर और गागरोनगढ़ का अधिपति स्वीकार कर लिया और अपने प्रभाव क्षेत्र का और अधिक विस्तार करने के प्रयास में और बेलनपुर पर अपना अधिकार करने के लिए हाड़ाओं

ने उत्तराधिकार के युद्ध में दाराशिकोह का सहयोग करने के लिए उसको दक्षिण से बुलवाया। अपने अधिकार के लिए हाड़ाओं ने वहाँ के शासक नागसिंह से हाड़ाओं ने युद्ध किया। जिसमें नागसिंह की मृत्यु हो गई। इस प्रकार राव रतनसिंह ने बेलनपुर पर अधिकार कर लिया। इनकी जानकारी भा.रा.मं.के ग्रंथ में मिलती हैं। खींचीयों की पराजय का प्रमुख कारण मुगल शासकों का हाड़ाओं को समर्थन देना रहा, जिसके कारण खींचीयों की स्थिति खराब हुई⁶

तत्कालीन स्रोतों से विदित होता है कि राव करणसिंह के समय में पहली बार जागीरें वितरित कर राज्य को सुदृढ़ता देने का प्रयास किया गया। इनके समय में आठ जागीरदारों को जागीरें प्रदान कर अपने अधिनस्थ सरदारों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, जिससे राज्य में स्थिरता व्याप्त हुई।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चौहान कुल कल्पद्रुम (चौहान राजपूत की शाखाओं का इतिहास एवं वंशवृक्ष) भाग-प्रथम, देसाई लल्लुभाई भीमभाई द्वितीय संस्करण 2005 प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार सोजती गेट, जोधपुर पृष्ठ संख्या 112
2. Survey of khichi chauhan history, Prof.A.H.Nijami and Raghunath singh kheechi Editer- khichi chauhan shodh sadhana P.O.Indroka via teori 342306 Jodhpur page no.298
3. Survey of khichi chauhan history, Prof.A.H.Nijami and Raghunath singh kheechi Editer- khichi chauhan shodh sadhana P.O.Indroka via teori 342306 Jodhpur page no.298
4. चौहान कुल कल्पद्रुम (चौहान राजपूत की शाखाओं का इतिहास एवं वंशवृक्ष) भाग-प्रथम, देसाई लल्लुभाई भीमभाई द्वितीय संस्करण 2005 प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार सोजती गेट, जोधपुर पृष्ठ संख्या 112
5. खिलचीपुर रियासत के बड़वा की हस्त लिखित पोथी बड़वा-गोपालदास पृ.क्र.8
6. Survey of khichi chauhan history, Prof.A.H.Nijami and Raghunath singh kheechi Editer- khichi chauhan shodh sadhana P.O.Indroka via teori 342306 Jodhpur page no.299
